

**THE BOOK WAS  
DRENCHED**

UNIVERSAL  
LIBRARY

OU\_176998

UNIVERSAL  
LIBRARY







# कांग्रेस का इतिहास

[ तीसरा खण्ड ]

१६४३—१६४७

लेखक  
डॉ० वी० पट्टामि सीतारामश्या।

स स्ता सा हि त्य मं ड ल, न ई दि ल्ली

प्रकाशक  
मार्टण्ड उपाध्याय, मंत्री,  
सस्ता साहित्य मण्डल,  
नई दिल्ली

~~~~~  
प्रथम बार : १६४८  
मूल्य  
दस रुपए  
~~~~~

मुद्रक  
अमरचन्द्र  
राजहंस प्रेस, दिल्ली ।

## समर्पण

सत्य और अहिंसा के चरणों में, जिनकी भावना ने कांग्रेस का भाग्य-संचालन किया है और जिनकी सेवा में हिन्दुस्तान के असंख्य पुत्र-पुत्रियों ने खुशी-खुशी अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए महाम् त्याग और बलिदान किये हैं।

## प्रकाशक की ओर से


डा० पट्टाभि सीतारामग्या लिंगित कांग्रेस के इतिहास का तीसरा खण्ड पाठकों के सामने उपस्थित करते हुए हमें जहाँ प्रसन्नता हो रही है वहाँ हम यह भी अनुभव करते हैं कि यह संस्करण बहुत पहले प्रकाशित हो जाना चाहिए था। देर हुई, इसके लिए हम पाठकों की दृष्टि में दोषी तो हैं, परन्तु कुछ कारण ऐसे थे कि जिनके रहते हम अपनी इच्छा पूरी न कर सके। आज के समय में कागज और प्रेस की कठिनाइयों पर किसी का बस नहीं है।

मूल (अंग्रेजी) ग्रन्थ का दूसरा भाग इतना विस्तृत है कि हिन्दी में उसके दो खण्ड (दूसरा और तीसरा) बनाने पड़े हैं। इस तीसरे खण्ड में १९४३ से १९४७ (स्वतंत्रता दिवस) तक का इतिहास आता है। अनुवाद को यथार्थक सुबोध और प्रामाणिक बनाने का प्रयत्न किया गया है। हम अपने इस प्रयत्न में कहाँ तक सफल हुए हैं, यह पाठक स्वयं देख सकेंगे।

इस पुस्तक के अनुवाद तथा तैयारी में सर्वश्री बलराज बौरी एम० ए०, राधेश्याम शर्मा, ठाकुर राजबहादुर सिंह आदि बन्धुओं का हमें जो सहयोग मिला है, उसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। उनके अनथक परिश्रम के बिना इसके प्रकाशन में सम्भवतः कुछ और विलम्ब हो जाता।

—मंत्री





## दो शब्द

कांग्रेस के इतिहास का यह तीसरा खंड दूसरे खंड का उत्तर-भाग है।

किसी भविकि के जीवन में स्वर्ण-समारोह एक मंजिल का निरान है और हीरक-महोरसव उसकी बड़ी हुई उम्र का परिचय और उसकी हासोन्मुगी आशाओं का प्रदर्शन। संस्थाओं के लिए यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि उनकी उम्र की कोई हद नहीं होती। उनकी शुल्क-आत तो होती है, पर अंत नहीं। क्या कांग्रेस ऐसी ही पस्था है? नहीं, हालांकि यह एक संस्था है तो भी यह अधिकतर जीवधारी के समान—एक व्यक्ति के समान है; क्योंकि यह १८८८ है। में एक खास मक्कपद के लिए एक हस्ती की शक्ति में बनी थी। इसका उद्देश्य पूरा हो जाने पर इसके जारी रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दरअसल साठ साल की लम्बी कोशिशों के बाद कांग्रेस संघर्ष करनेवाली जमात नहीं रही, वह तो किसी भी तरह हिन्दुस्तान को विदेशी दृष्टिकोण से छुटकारा दिलाने के काम में ही लगी रही। बदकिस्मती से उसकी उरज़ोर कोशिशों के बाद भी मक्कपद अनीतक हासिल नहीं हो सका है। आशा है कि 'क्लाइनम' महामहोरसव के आने (यानी कांग्रेस के जन्म को ७० साल हो जाने पर) के बाद कांग्रेस अपना निर्धारित काम पूरा कर लेगी।

१६४१ और १६४२ से १६४५ तक जेन्ज़ की ज़िन्दगी में काफी फुर्सत मिली जिससे जेन्ज़ क यह लम्बा इतिहास लिख सका। अवकाश मिलना लिखने की इच्छा से सुविधा की बात होती है, पर चालू जमाने का इतिहास लिखना कोई सुविधाजनक बात नहीं है। सबसे पहली बात तो इसमें अनुपात समझने की होती है। जो ऐतिहासिक वर्णन किसी ज़माने में काफी महत्व के होते हैं, वे भी यकायक अपनी अहमियत और विश्वस्तता खो बैठते हैं। इसीलिए जो इतिहासकार अपने लिखे हुए को छाती से लगाये रहता है, वह अपनी इतिहासकारिता का उपहास करता है। इस सचाई को ध्यान में रखते हुए ही, जितनी सामग्री प्रकाशित हो रही है उससे दुगनी बड़ी कठोरता से और कुछ अफसोस के साथ अस्वीकार कर दी गई है, यहाँ तक कि पोथी भारी न होने देने के लिए अनेक बहुमूल्य विवरण छोड़ देने पड़े हैं।

जो विद्यार्थी बीते दस साल की घटनाओं का घनिष्ठ अध्ययन करना चाहेंगे, वे 'कांग्रेस बुलेटिन' का एक सेट इस खंड के साथ और रख लेंगे तो उनकी इस विषय की पढ़ाई पूरी हो जायगी। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि 'उपद्रवों के लिए कांग्रेस की ज़िम्मेदारी' नामक सरकारी पुस्तिका का जवाब 'गांधीजी का जवाब' भी एक ऐसी पुस्तिका है जो इस विषय को पूरे तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है। अगस्त (१६४२ की) क्रांति के बाद जो घटनाएं हुई हैं उनकी पूरी फैहरित नहीं दी जा सकी है। उसकी सूचनाएं (अगर वह देनी ही हुई तो) अब भी इकट्ठी करनी हैं। सबसे ज़्यादा दिल्लीक्षण वर्णन वह है जहाँ न्याय और शासन विभागों का संघर्ष होता है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' सम्बद्ध मुकदमों के बारे में एक बड़ी जिल्द

प्रकाशित कर चुका है। इसके अलावा, उस अवधि की घटनाओं को विषयवार कई लेखकों ने संग्रहीत किया है। इन पृष्ठों में कांग्रेस के इलिट-बिन्दु से उसके कार्य-काल का वर्णन किया गया है इसमें अर्थ, ध्यापार और उथोग-सम्बन्धी अध्याय जोड़े जा सकते थे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यक्रम आदि को भी जोड़ा जा सकता था। देशी राज्यों के बारे में भी एक अध्याय जोड़ना असंगत न होता, विकिं उससे इस पुस्तक की उपयोगिता ही बढ़ती। कांग्रेस और लीग के सम्बन्ध जिस भयंकर स्थिति में पहुँच चुके हैं उसके वर्णन के लिए एक अलग ही पुस्तक प्रकाशित करने की ज़रूरत है। बंगाल और उड़ीसा के मनुष्यकृत हुए काल की विस्तृत गाथा भी कोई बिना आंसू बहाये न पढ़ता। लेकिन इन विषयों का कांग्रेस के इतिहास के माथ सीधा सम्बन्ध खण्डनात्मक मार्ग का अवलम्बन किये बिना न होता। यह, और कितने ही अन्य विषय एकत्र करने पर 'हमारे ज़माने का इतिहास' तैयार हो जाता, 'कांग्रेस का इतिहास' नहीं।

लेखक दो नवयुवक मित्रों—श्री के० बी० आर० संजीवराव और श्री० विठ्ठल बाबू श्री० ए०—को धन्यवाद दिये बिना इस वक्तव्य को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हींने इसके लिए अपनी कष्टपूर्ण सेवाएं अर्पित की हैं। जिसना आसान है—जिस तरह भवन-निर्माण सरल है, पर उसे सुधरे रूप में पेश करने में बड़े ध्यान और शक्ति की ज़रूरत होती है, जो नौजवान ही दे सकते हैं।

नई दिल्ली,  
दिसम्बर, १९४६

—बी० पट्टाभि सीतारामद्या

## प्रस्तावना

कांग्रेस का इतिहास मुख्यतः मानवीय इतिहास है। हम इसे गिरवन के शब्दों में “इन्सान के अपराधों, मूर्खताओं और बदकिस्मतों का लेखा” कैसे मान सकते हैं? हिन्दुस्तान में तो इन तीनों ही बातों की हस इतिहास-काल में बहुत अधिकता रही है। फिर क्या हम इसे लार्ड बेजक्कोर के शब्दों में छोटे प्रह में पुक के ठंडा हो जाने के संचिप्त और अविश्वसनीय प्रसंग’ के रूप में वर्णन करें? यह दोनों ही हम काफी तौर पर कर चुके हैं। तो फिर क्या हम ऐक्टम के शब्दों में सारी कहानी का सार “आज्ञादी”—जैसी ऊँचे मक्कल की चीज़ हासिल करने के लिए “मानवीय भावनाओं का संघर्ष मात्र” कह लें। हाँ, आज्ञादी हस भावनाकी चाह है। यह कांग्रेस का प्यारा मक्कल है और कांग्रेस ने हस आज्ञादी को पूरे तौर पर हासिल करने के लिए अपने भक्तों पर सेवा और कष्टसहन की शर्त लगायी है और तकलीफों को आमंत्रित करके तथा उन्हें वर्दार्थ करते हुए दुश्मनों को अपने धेय की न्याय-संगतता का विश्वास दिलाया है। यह सब सच है, पर सवाल यह है कि हमें इतिहास कब लिखना चाहिए—जल्दी में या फुर्सत के समय?

बाल्टर इक्सियट ने कहा था—“अख्वारनवीसी साहित्य नहीं है। हाँ, उसके औचित्य और शक्ति का प्रदर्शक अवश्य है।” यह समसामयिक ‘रिकार्ड’ है। उसी भवित्य की जानकारी भी समकालीन पुरुष और स्त्रियों सम्बन्धी है; प्रोर किसी विषय की नहीं। इसीलिए इतिहासकार के लिए उसका मूर्ख है। यह इतिहास शायद जल्दी में खिला गया है। यह ठीक ही कहा गया है कि इस जमाने के इतिहासकार आम तौर से जलदबाजी करते हैं—वटनाओं का तात्कालिक उपयोग करने और ‘रायटो’ वस्त्र करने के लिए ही वे वैसा करते हैं। ‘प्रतिष्ठित लेखक’ अनेक कारणों से बहुत-सी बातों के बारे में मीठी बातें करते हैं—जिन में व्यक्तित्विद्वेष, निष्ठा, सुविधाओं के लिए पुहसानमन्दी और पाठकों को छुश्श करने की बातें आदि होती हैं। कुछ भी हो, लेखक की इटि बहुत सोमित है चाहे वह ऊँची हो या नीची। वर्तमान दर्श-विन्दु का देखना ही मुश्किल है; बीस वर्ष तक इन्तज़ार करने का पुराना विचार अब ठीक नहीं है। आप सचाई को बाद की अपेक्षा मौजूदा जमाने में आसानी से देख सकते हैं बसतें कि आप आवश्यक तथ्य प्राप्त कर सकें। परन्तु बड़ी घटनाओं में से कुछ तथ्य ऐसे हैं जो इतिहास सुनानेवाके की उस योग्यता पर निर्भर करते हैं जो अनुकूल तथ्यों से युक्त हो। मानवानि-सम्बन्धी पुराने कामनों के होते हुए, ख्रासकर उद्देश्यों के बारे में, बहुत-सी बातों का विवरण नहीं दिया जा सकता। हर शख्स जानता है कि बिना नाम की व्यक्तिगत रायों के खूबसूरत पहलुओं का वर्णन करना भी कितना मुश्किल हो सकता है।

यह भी कहा गया है कि “बड़ी घटनाएँ अपने पीछे सुखद बातें बहुत ही कम छोड़ती हैं।” वह हमारे पुस्तकालयों को तो सजा देती हैं; किन्तु सम-सामयिक इतिहास के बारे में खिली गई पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनमें विचित्र असमताएँ पाई जाती हैं। जैसा कि मेटलेंड ने कहा

है, ऐसा इतिहास लिखने के कुछ गम्भीर प्रयत्न किये गये हैं जिनके सम्बन्ध में विचार करने या दुबारा मूल्यांकन का अवसर नहीं मिला और जिनके बाद में लिखे जाने पर अधिक कद्र होती। यह सच है कि सम-सामयिक इतिहासकार को इस व्यंग के द्वारा चिढ़ाया जाता है कि उसकी रचना तो सिफ़ ‘अख्लार-नवीनी’ है, इतिहास नहीं। लेकिन अगर ऐसा इतिहास-लेखक ईमान-दार है और अपना काम जानता है तो उसकी कृति पर ऐसे व्यंग का कोई असर नहीं पड़ सकता।

आखिर आज का इतिहास कल राजनीति था जो सार्वजनिक आलोचना की ज़बर्दस्त रोशनी से परिपक्ष होकर इतिहास बन गया है और इसी तरह आज की राजनीति संशुद्ध और ठोस बनकर कल का इतिहास बन जायगी। इस तरह राजनीति तो इतिहास का अप्रदूत है और इतिहास अपनी दौड़ में अपने रचयिता को इसलिए नहीं भूल सकता। कि कहीं वह प्रगति का सच्चा मार्ग न भूल जाय। जब दोनों के अध्ययन समुचित रूप से मिश्रित और अन्तसम्बन्धित हों तो ज्ञान के साथ बुद्धि का समावेश हो जाता है और इतिहास-वेत्ता दर्शनिक बन जाता है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस प्रकार का सम्मिश्रण कठिन है, यहीं नहीं बल्कि बहुत कम हो पाता है और यह बात तो आलोचक पर निर्भर करती है कि वह देखे कि इन पृष्ठों में ‘पचपात और अनुचित आवेश’ हैं या नहीं। यूनान के इतिहासकार मिलफोर्ड ने अपने लिए गर्वपूर्वक कहा था कि वह सम-सामयिक इतिहासकार के लिए आवश्यक गुणों से मणिष्ठत है। ऐसे देखना यह चाहिए कि इतिहासकार उस निर्दिशता और संतुलन का भाव प्रदर्शित करते हैं या नहीं, और यह कि लार्ड ऐक्टन की शब्दावली में ‘ये पुष्ट याददाश्त पर बोक और आत्मा के लिए प्रकाश’—चाहे वह कितना ही क्षीण क्यों न हो—प्रदान करते हैं या नहीं।

फिर भी यदि काज़ लेखक की उकितयों को पढ़ा दें तो उसे यह याद करके तंसली हो सकती है कि उसने ऐसी अनिवार्य सेवा की है, जिसके बिना राजनीतिज्ञ तत्काल जानकारी नहीं हासिल कर सकता और न अपने से पहले के राजनीतिज्ञों की गलतियों से क्रायदा उठाकर अपने तत्कालीन कर्तव्य का निश्चय ही कर सकता है। आखिर, सभी तरह के लोग दो श्रेणियों में विभाजित हिये जाते हैं। कुछ तो अपने तजरबे से जानकारी हासिल करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के अनुभव से ज्ञान उठाते हैं। निसन्देह इस दूसरे प्रकार के लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं और उन्हें मिलात या नेतावती के तौर पर सम-सामयिक या चालू ज्ञाने का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता होती है। भावी राष्ट्रीयता के लिए समय-समय पर उसकी सफलताओं का लिपिबद्ध होना आवश्यक है जिससे भावी नेता बदले हुए ज्ञाने में और परिवर्तित स्थिति के अनुसार अपना रास्ता तय कर सकें, इसलिए हिन्दुस्तान के संघर्ष की कहानी को ऐसे समय पर आलू ज्ञाने तक की बनाने और पूरी कर देने की साहस-पूर्ण कोशिशें करने की ज़रूरत है, जब कि अंग्रेज जून १९४८ तक हिन्दुस्तान छोड़ जाने की घोषणा कर चुके हैं।

ठीक ही कहा गया है कि ‘एशिया दुनिया का केन्द्र है।’ भौगोलिक दृष्टि से यूरोप उसकी शाखा है, अफ्रीका उप-महाद्वीप है और आस्ट्रेलिया उसका टापू। एशिया एक पुराना महाद्वीप है जो बड़ी परेशानी-भरी तेज़ी से नहीं परिस्थितियों में फँस गया है। एशिया के भौगोलिक-खण्ड और ऐतिहासिक स्वरूप ऐसा उत्कृष्णन-भरा नमूना उपस्थित करते हैं जो अपनी ही परम्परा और प्रक्रियाओं से संयुक्त हैं। आधुनिक ‘टिकनिक’ ने उस नमूने को विभवत कर दिया है। ‘अपरिवर्तित पूर्व’ की कहावत अब पाश्चात्य अहम्मन्यता की घोतक रह गई है।

“पञ्चमी सम्यता के बाहर, पुराने के लिखाक नये का जो संघर्ष हुआ है उसका नतीजा यह हुआ है कि एक बड़ी गहरी बेचैनी फैल गई है। एशिया में यह भावना बहुत ज़ोरदार बन गई है। इस परिवर्तन को रफतार और इसका विस्तार और कहीं भी इतनी हद तक नहीं पहुँचा है, न वह और जगहों में इतना दुखद, या ऐतिहासिक हृषि से महत्व-पूर्ण बन सका है। यह महाद्वीप न केवल उबल रहा है, बल्कि इसमें आग लग चुकी है। एशिया के परिवर्तन का विस्तार बड़ी दूर तक की सरहदों तक हुआ है और करोड़ों मनुष्यों पर उसका प्रभाव है। इसके संघर्ष बड़े प्रबल हुए हैं—दूसरी जगहों की बनिस्वत यहाँ ज्यादा ज्ञान फैला है। इन्द्र-महामाया से महाद्वीप के उत्तरी छोर तक यह सब हो रहा है। वैधम कौर्तिश के कथनानुसार भूगोल का सम्बन्ध महत्वपूर्ण भूखण्डों से होता है और इतिहास का विशिष्ट युगों से।

इसीलिए किसी देश के ऐतिहासिक भूगोल में हमें निश्चय करना होता है कि उसकी कहानी कौन-से विशिष्ट युग में अनुकूल परिस्थितियाँ आई थीं। मौजूदा ज़माने में ऐतिहासिक भूगोल एशिया के हड्ड में मालूम पढ़ता है। १८४२ से पञ्चमी ताक़तों ने चीन में जो कुछ हासिल किया था वह करीब-करीब सभी खो दिया। आर्थिक हृषि से भी अब एशिया दुनिया में मुख्य सामाजिक स्थिति हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

१९वीं सदी की शुरुआत का ज़माना ऐसा था जब उपेक्षित भूखण्डों का साबका दुनिया की बड़ी-बड़ी कौमों से पड़ा। इस सम्बन्ध से एशिया का पुनर्स्थापन हो गया और वह अपने आदर्शों की ओर बाहरी दुनिया पर ढालने लगा। टैगोर और गांधी एशिया के बौद्धिक प्रसार की मिसालें हैं। सिकन्दर महान् का पूर्व और पश्चिम को मिलाने का स्वप्न पुनर्जीवित हो रहा है। एशिया का समन्वयकारी आदर्श एक ऐसे विकास की ओर ले जा रहा है, जो मुक्ति की दिशा में है। एशिया महाखण्ड अपने भविष्य में विश्वास रखता है और उसका यह भी विश्वास है कि वह संसार को एक सन्देश देगा। उसमें आत्म-चेतनता जग रही है, जो चंगेज़ खां की वह यादगार ताज़ी कर देती है जिसने सबसे पहले एशिया की एकता का आनंदोद्धन चलाया था। उन भावनाओं को जापान में समुचित उर्वर भूमि मिली। पर सारा एशिया इस बात को महसूस करता है कि कनफ्यूशियस के शब्दों में हम अभी तक अव्यवस्थित हालत में जी रहे हैं, हम उस शांति की मंजिल से दूर हैं, जिसमें ‘कुछ स्थिरता’ मिलती है और वह ‘अन्तिम शांति की अवस्था’ तो अभी हमारी हृषि में नहीं आई है।<sup>१</sup>

दुनिया अब जुदा-जुदा कौमों का समूह नहीं है। राष्ट्रोत्तरा को न्यापक अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत में बदल देने पर भा। उसे उप दूर तक पहुँचानेवाले परिवर्तनों का प्रतिनिष्ठित पर्याप्त रूप में नहीं मिलता जो दूसरे विश्व-व्यापी महायुद्ध ने इसके स्वरूप में ला दिया है। इसी कारण दुनिया मिं० विन्स्टन चर्चिल के इस भांसे से परितुष्ट नहीं हुई कि हिन्दुस्तान का साम्राज्य तो इंग्लैण्ड का अपना है और अटलांटिक का समझौता ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत देशों पर लागू नहीं होगा। हिन्दुस्तान अब ब्रिटिश-भवन का महत्वपूर्ण भाग नहीं रहा। यह बात अब आम तौर पर स्वीकार कर ली गई है कि हिन्दुस्तान संसार के धर्मों का समिक्ष-स्थल और विश्व-संस्कृति का एक संस्थल है, पर साथ ही यह देश संसार के ध्यान में भी ब-

तारा बन गया है, और संसार की दिक्षबस्ती का केन्द्र हो गया है। जिस प्रकार भूमण्डल के उस गोलार्द्ध में अमेरिका है, उसी तरह इस गोलार्द्ध में यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर का सन्धि-स्थल है। कन्याकुमारी जाकर आप पवित्र 'केप' के छोर पर खड़े होकर समुद्र की ओर मुँह कीजिए। आपके दाहिने हाथ अरब सागर होगा जो 'केप आव गुडहोप' (अर्थात् अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित आशा अंतरीप) पर जाकर अटलांटिक महासागर से मिलता है, और आपके बायें हाथ की ओर बंगाल की खाड़ी होगी, जो प्रशांत महासागर से जा मिलती है। इस तरह हिन्दुस्तान पूर्व और पश्चिम के मिलने का स्थान है, प्रशांत-सिंधु राष्ट्रों की आजादी की कुंजी है और अटलांटिक-सिंधु राष्ट्रों की मनमानी पर एक नियंत्रण है। हिन्दुस्तान उस चीन के लिए मुख्य द्वार है जिसकी स्वतंत्रता टापू के राष्ट्र जापान द्वारा खतरे में पड़ गई थी और उसने वहां के ४२ करोड़ निवासियों की आजादी को संकट में डालने की कोशिश की थी, पर अब सुदूर विजेता के गर्वांके चरणों पर गिरा पड़ा है। जापानी साम्राज्यवाद के भयंकर रोग की एक दवा आजाद चीन है। पर गुजाराम हिन्दुस्तान आधे-गुजाराम चीन के लिए नहीं लड़ सकता था। या यूरोप को गुजाराम नहीं बना सकता था। ऐसी अवस्था में हिन्दुस्तान की आजादी नहीं सामर्जिक व्यवस्था का तुनियादी तथा कायम करेगी और इस देश के चालू सामूहिक संघर्ष का ध्येय ऐसे ही आजाद हिन्दुस्तान की स्थापना करना है। इस लड़ाई में अगर हिन्दुस्तान निष्क्रिय दर्शक की तरह बैठा यह देखता रहता कि यहां दूसरे स्वतन्त्र देशों को गुजाराम बनाने के बास्ते परिचालित युद्ध में भाग लेने के लिए भाड़े के टट्टू भर्ती किये जा रहे हैं और भारत की अपनी ही आजादी-जैसी वर्तमान समस्या की उपेक्षा की जा रही है, तो इस का मतलब भारी विश्व-संकट को निमंत्रण देना होता, क्योंकि बिना आजादी हासिल किये हुए हिन्दुस्तान पर लालच-भरी निगाह रखनेवाले नव-शक्ति-संयुक्त पड़ोसी या पड़ोसी के पड़ोसी की लार टपकती। उस समय भारत की अभिनव राजनीति, संसार की आर्थिक परिस्थिति और विविध नैतिक पहलुओं के बाहरी दबाव के कारण कांग्रेस ने एक योजना की कल्पना की और १९४२ में सामूहिक अवज्ञा आरम्भ करने का निश्चय किया। इन पृष्ठों में उस संवर्धन के विभिन्न रूपों और उसके परिणामों का वर्णन है जो बगड़ी में ८ अगस्त १९४२ में किये गए फैसले को अमल में लाने के लिए किया गया था। 'भारत-बोडो' का नारा इस ऐतिहासिक प्रस्ताव का भूल-बिन्दु था जिसके चारों ओर उसी के अनुसरण में आनंदोद्धन चलता था। जल्द ही यह लड़ाई का नारा बन गया जिसमें स्त्री-पुरुष और बड़े सभी समा गये; शहर, कस्बे और गांव सभी जुट गये; पदाधिकारी से किसान तक सभी समिजित हो गये; व्यापारी और कारबानेदार, परिणित जातियां और आदिम निवासी सभी इस भावना के भंशर में, हंगामा और क्रांति की लहर में आगये। अलग-अलग जमाने में विभिन्न शताब्दियों में जुदा-जुदा राष्ट्र ऐसे ही प्रभावों में बहते रहे हैं। किसी समय अमेरिका की बारी थी, कभी फ्रांस की, किसी दशाबद में यूनान की तो कभी जर्मनी की। इन सभी विद्रोहों के कार्य-कारण का तात्त्विक मूल एक ही था। सभी को शरीर-रचना, शासन की अवयव-किया और राजनैतिक जमातों का रोगाण निर्मान सभी जमाने में और सभी मुखों में हुआ है।

जूकियन हक्सले ने कहा है—“आप्निर इतिहास उन कलाओं में नहीं है जो मानवीय संदर्भों—तथ्यों को निम्नतर स्थान में पहुंचाती है। किसी स्वर से चित्र को उद्बोधन नहीं भी मिल सकता, और चित्र का कोई कहानी कहना भी ज़रूरी नहीं है। पर इतिहास पुरुष, स्त्रियों और

बच्चों—सभी के बारे में होता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसका निर्माण मनोविज्ञान के द्वारा होता है—चाहे उसे आत्मा कह लीजिए, या और कुछ। इतिहासकार उस निर्णयात्मक आत्मपूरक तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकता, जिसके बारे में कवियाँ और लेखकों के सामान्य अनुभव और भविष्यवाणी से हमें शिक्षा प्राप्त हुई है। और सब से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जीवन की विजय और दुःख घटनाओं का अर्थ पात्र-विशेष पर निर्भर करता है और एक ब्रोड-से परिवार में ही ऐसे कितने ही प्रकार के मनोवैज्ञानिक विभिन्नताओं के नमूने मिलते हैं। इसारे पूर्वजों ने हमें से चार को लिखा था—रक्त प्रकृति या आत्माभिमानी, उद्धण प्रकृति या चिह्नित, उदासीन स्वभाव के और मन्दप्रकृति या भोले। आधुनिक विश्लेषण के अनुमार मनुष्य के दो ही प्रकार हैं—एक बहिर्मुखी प्रकृति का और दूसरा अन्तर्मुखी प्रकृति का। इनके अतिरिक्त चार वर्गीकरण और हैं जिनका आधार है—विचार-शक्ति, भावना, अनुभूति और अनुमरण। यूरोप के उम सुपरिचित मनोवैज्ञानिक और दैविक नमूने का सादर्य हमें अफ्रीका में मिलता है। काला रंग, नींगा मुख-मुद्रा और अन्य जातीय चाल-चलन तो आवरणमात्र है। इसके भोतर रम-वाहिका नलिकाओं से हीन मांसपेशी वाले, स्नायविक निर्माण वाले अन्तर्मुख मनोवैज्ञानिक आधार वाले विभेद ऐसे हैं जो मानव-जाति की विभिन्नताओं के नमूने के रूप में अफ्रीका में भा देखने में आते हैं और यूरोप में भी।

अक्सर दुनिया में जो लडाईयाँ हुई हैं उनमें शस्त्रास्त्रों और साज-सरंजामों की उत्कृष्टता को ही सबसे ऊँचा महत्व प्राप्त हुआ है। एक इतिहासकार ने कहा है कि मैसांडोनिया के भालों की बड़ौलत यूनान की संस्कृति दरिया में पहुँची है और स्पेन की तलवार ने गोम को इस योग्य बनाया था कि वह आजकल की दुनिया को अपनी परम्परा प्रदान कर सका है। इसी तरह १६४४ में जर्मनी के 'उडानेवाले बमों' द्वारा लडाई का पलड़ा ही पलट जानेवाला था, पर वह व्यर्थ हो गया। तो भी तथ्य यह है कि यूरोप के युद्ध-चौकल के अतिरिक्त युद्ध में काम देने वाली और शक्तियाँ भी होती हैं जिनका वर्णन बेक्षण ने हम प्रकार किया है—“शारीरिक बल और मानव-मस्तिष्क का क्लॉबाद, चतुरता, साहस, धृता, दृढ़ निश्चय, स्वभाव और श्रम !” इस बात के बावजूद कि बेक्षण एक दर्शनिक और वैज्ञानिक था, वह सामान्य बुद्धि के स्तर से अधिक ऊँचा नहीं उठ सका और जहां वह उठा वहां वह साहस से बढ़कर और गुणों की कल्पना नहीं कर सका। हिन्दुस्तान में हमने सामान्य स्तर से ऊपर उठकर सत्य और अहिंसा के लिए कष्ट-सहन करते हुए लडाई जारी रखी है, और इस तरह इस सत्याग्रह की जिस ऊँचाई पर पहुँचे हैं, उससे निस्सन्देह इतिहास का रूप बदल गया है, और शक्ति और अधिकार, सत्य और झूठ, हिंसा और अहिंसा तथा पशु-बल एवं आत्म-बल के संघर्ष में विजय की सम्भावना भी परिवर्तित हो गई है। जिस युद्ध को संसार का दूसरा महायुद्ध कहा जाता है उसका श्रीगणेश किसी ऊँचे सिद्धांत को लेकर नहीं हुआ था और अटलांटिक का समझौता—जो एक साल बाद हुआ था, टाका-टिप्पणी के बाद भी हिन्दुस्तान और जर्मनी के बिए एक जैसा किसी पर भी जागून होनेवाला होगा। उससे बीसवीं सदी के आरम्भिक चालीस वर्षों के युद्ध-नायकों का असली रूप प्रकट हो गया। और उस पर भी तुरा यह कि यह युद्ध एक सर्वप्राही युद्ध बन गया जिसने खुबे रूप में एकाधिकार के द्वारा और मनमाने ढंग से—आयोजित रूप में जनता की सैनिक भर्ती करके युद्ध-संचालन किया और आजादी तथा प्रजातन्त्र की सभी ऊँची बातें हवा, भाप और सुन्दर वाक्यालंकार की तरह उड़ गई। जब कष्ट-

प्रस्तों के दावों पर अपनी नीति की दृष्टि से विचार करने का अवसर आया और चर्चिक की 'अपने पर हड़ रहने' की अस्पष्ट बात को कार्यान्वित करने का मौका आया तो ब्रिटेन और हिन्दुस्तान के नामधारी राजद्रोहियों की दण्ड देने, अपने पसन्द की सन्धि करने, निवाचन स्थगित करने और समाचारपत्रों तथा पत्र-प्रबन्धालय तक पर कठोर निरीक्षण—सेंसर रखने की नीति बरती गई। यदि युद्ध का यही उद्देश्य था और उसे जीतने के लिए यही ढंग थे, तो हिन्दुस्तान को इस बात के लिए बदलाम नहीं किया जा सकता कि उसने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूनान और फिनलैंड को आज्ञाद करने के उत्तम कार्य में उत्साह और उत्तेजना क्यों नहीं प्रदर्शित की। केवल ब्रिटेन साम्राज्यवादी और अनुदार नहीं है, बल्कि रूस ने भी वह वैदेशिक नीति प्रहण करकी जो ज्ञाराशाही के शासन के लिए अधिक उपयुक्त होती और सीधे निकोलास द्वितीय-द्वारा परिचालित होने पर अधिक उपयुक्त प्रतीत होती। पोलैंड का उद्भार करने के लिए जो युद्ध संचालित किया गया था उसका नतीजा यह हुआ कि उसके दुरुदे हो गये और उसे रूस की निर्देशतापूर्ण हच्छा पर छोड़ दिया गया और उन्होंने मामले को वहीं तक नहीं रखा। रूस ने बसराचिया और तुकोविना, फिनलैंड और लटविया तथा इस्टोनिया और लिथुआनिया तक पर आक्रमण किया और डार्डेनिलस के द्वारा मेडिटरेनियम या मृतक सागर पर भी कड़ा। जमाने की मांग की। डार्डेनिलस पर रूम का हाथ होने का मतलब था फ्रांस की मौत। इस युद्ध में हिन्दुस्तान को, बिना उससे पछे या जांचे ही प्रस्त कर लिया गया। यह वह युद्ध था जो अपने साथ ब्रिटेन के लिए 'भारत-छोड़ो' का नारा लगाया जिसके लिए हिन्दुस्तान को भारी दण्ड भोगना पड़ा—सैकड़ों को बेत लगाये गये, हजार से अधिक को गोली से उड़ा दिया गया, किनते ही हजारों को जेल में हूंस दिया गया और कीरदों के सामूहिक जुर्माने वसूल किये गये।

यद्यपि इतिहास का विकास सारे संसार में सामान्य सिद्धांतों पर होता है, विशिष्ट राष्ट्रों, देशों और राज्यों के विकास का मार्ग उनकी अपनी विज्ञप्ति स्थिति में होता है। खासकर हिन्दुस्तान में इन स्थितियों का जन्म और विकास विचित्र रूप में होता है। एक ऐसे विस्तृत देश का, जो लम्बाई-चौड़ाई में महाद्वापे के समान और जमीन और आकृति में विभिन्न है, लगभग दो सदी तक परावीन रहना एक ऐसी बात है जिसका उदाहरण आधुनिक इतिहास में नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें संसार के इतिहास में बहुत पीछे तक मुहुरा पड़ेगा जब ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में रोम ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका विस्तार पश्चिम में ब्रिटेन से पूर्व में मिस्र तक था और जो लगभग चार सदियों तक कायम रहा था। किन्तु इस पराधीनता के उदाहरण में एक जगह सादृश्य समाप्त हो जाता जब मुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ होती है तो हिन्दुस्तान में यह पराधीनता एक ऐसा नितांत विरोधी रूप धारणा कर लेती है जैसा संसार के इतिहास में कहीं भी देखने में नहीं आता। हिन्दुस्तान में गत चौथाई सदी से घटनाओं ने जो रूप धारणा किया है वह संसार में अद्वितीय है और सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रयोग—जिसे संक्षेप में 'सत्याग्रह' कहते हैं—ऐसा है जिसकी बहुत-सी मंज़िलें और दर्जे हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय चौक—आमहयोग से करबन्दी तक सविनय आवज्ञा-आंदोलन के विभिन्न रूपों-द्वारा प्रकाशित किया गया है और युद्ध-काल में हिन्दुस्तान की यह अस्तृष्टीय—अप्रत्याशितता—स्थिति बनाई गई है। कांग्रेस की हमेशा यह राय थी कि युद्ध-प्रयत्न में हिन्दुस्तान का भाग लेना इस बात पर निर्भर करना चाहिये कि वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उसमें जुटना अपना कर्तव्य समझे। इस तरह की मांग लगातार की गई, पर वह फिरूज साबित

हुई। संघर्ष का कारण स्पष्ट था। सविनय-अवज्ञा-आंदोलन के लिए वातावरण तैयार था—जो देश के लड़ने और साहसपूर्वक लड़ने के लिए एकमात्र मार्ग था। जिस प्रकार स्वशासन की योग्यता की कसौटी यही है कि जनता को स्वशासन प्रदान कर दिया जाय, उसी प्रकार संघर्ष के लिए योग्यता की कसौटी यही है कि देश को संघर्ष करने दिया जाय। क्या हंगलैण्ड १ अगस्त, १९१७ या ३ सितम्बर १९३६ को लड़ाई के लिए तैयार था? जनता जब युद्ध में लग जाती है तो उसे सीधे लेती है। हिंसा और अहिंसा दोनों ही प्रकार की लड़ाइयों में यह बात सच है। सवाल सिर्फ उसकी माप-तोल का रह जाता है कि वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक। पहले की परीक्षा हो चुकी है और 'किप्स-मिशन' के समय उसका आंशिक परिणाम भी देखने में आया है। दूसरे ने सारी दुनिया को प्रबल वेग से हिला दिया जिसके फलस्वरूप मार्च १९४६ में हिन्दुस्तान में ब्रिटेन से 'मन्त्रि-मण्डल मिशन' आया।

## ३

इस ऐतिहासिक काल का वर्णन इस पुस्तक में संक्षिप्त रूप में किया गया है। कांग्रेस करीब ३२ महीने जेल में रही और न बैठक बिना किसी प्रकार की हानि में पढ़े बल्कि इज़्जत के साथ बाहर आई। फिर भी इस थोड़े से अन्तर्काल में कितनी ही घटनाएँ गुज़र चुकीं। इस एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जब सदियों की तरकी सबन होकर दशाढ़ियों में और दशाढ़ियों की बरसों में आ जाती है। कांग्रेस की गिरफ्तारी से व्यापक हलचल फैल गई। पुरानी और नई दोनों ही दुनिया के लोगों ने पूछा कि क्या हिन्दुस्तान को लड़ाई में घसीटने के पहले उससे पूछ लिया गया था, और यह कि क्या बिट्ठा-सरकार हिन्दुस्तान की जनता के बारे में जैसी होने का दावा करती है वैसी सचमुच है; और अगर ऐसा है तो फिर हिन्दुस्तानियों ने लड़ाई में भाग लेने के विरुद्ध इतना शोर क्यों मचाया? यह प्रश्न भी हुआ कि अगर मुस्लिम लोग और कांग्रेस दोनों ही ने युद्ध की कोशिशों में मदद नहीं की, तो क्या जो रॅग्लृट फौज में भर्ती हुए हैं वे साम्राज्य के भक्त के रूप में आये हैं या इसे खेल समझ कर इसमें साहसी पुरुषों की तरह शामिल हो गये हैं? अथवा वे लड़ाई के कठिन दिनों में गुज़रे के लिए पेशेवर सैनिक सियाही के रूप में भर्ती हुए हैं? एक शब्द में, आज़ादी के लिए हिन्दुस्तान का मामला इस प्रकार व्यापक रूप में विज्ञापित हुआ कि दूसरा महायुद्ध शुरू होने के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ब्रिटेन में जो लोग युद्ध-क्षेत्र में जाने से रह गये थे उनकी आज़ादी अभी तक जीण तो थी, पर उसमें समानता और व्याय की पुट थी, हिस्लिए उसमें काफी ज़ोर था। वह युद्ध की ओर ध्वनि और धूकि में भी सुनाई पड़ी। धीरे-धीरे यह लड़ाई सर्वग्राही और सर्वशेषक बन गई।

अमेरिका में लोग दो हिस्सों में बँट गये थे—एक तो राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के साथ यह विचार रखते थे कि हिन्दुस्तान ब्रिटेन का निजी मामला है, और एक दूसरा लोटा दब इस विचार का था कि हिन्दुस्तान की आज़ादी जैसी विशाल समस्या पर लड़ाई के दिनों में विचार नहीं हो सकता, उसे लड़ाई खल्म होने तक रुकना चाहिए। तीसरा और सबसे बड़ा दब जनता के उस सीधे-सादे लोगों का था जो चाहते थे कि हिन्दुस्तान को इसी ओर आज़ादी मिल जानी चाहिए।

जब हिन्दुस्तान ने अमेरिकन और चीनी राष्ट्रों से अपील की तो वं; इस बात को जानता था कि ब्रिटेन यह दावा करेगा कि हिन्दुस्तान तो उसका घरेलू मामला है और अन्य राष्ट्रों का हिन्दुस्तान या ब्रिटेन के किसी भी उपनिवेश या अधीनस्थ देश से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो भी हिन्दुस्तान और कांग्रेस इस बात से अवगत थे कि ब्रिटेन सभ्य-राष्ट्रों के नक्त्रमण्डल से अलग

कोई चीज़ नहीं है और वह अन्य राष्ट्रों के साथ असिष्ट रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धित है। हिन्दुस्तान अपनी शक्ति और कमज़ोरी दोनों को जानता है और वह केवल मानवता के नाम पर बाहरी देशों का हस्तक्षेपमात्र नहीं चाहता। ऐसा होने पर भी तथ्य यह है कि यदि किसी व्यवित के साथ उसके ही देश में बुरा बताव होता है, तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून उसका बताव किसी तरह नहीं कर सकता। तो भी किसी भी देश का अपने देशवासियों या उसके इसी हिस्से के प्रति दुर्घटवहार कभी-कभी हत्ता घोर होता है (जैसा कि बेलजियन कांगो के मूल निर्वासियों के साथ हुआ है या टर्की-साइराज्य-द्वारा आर्मेनियन ईसाइयों के प्रति किया गया) कि ऐसी हालत में दुनिया का लोकमत उससे प्रज्ञवित हो उठता है। सामान्य मानवता की भावना दूसरे राष्ट्रों को प्रेरित करती है कि वह ऐसे अत्याचारों का विरोध करें। जारशाही के १९०५ के कार्यक्रम का विरोध करते हुए संयुक्त-राष्ट्र के राज्यमन्त्री रोस्टन ने उन दिनों कहा था—“जो लोग निराशा में हैं उनके लिए यह जानकर प्रोत्साहन मिलेगा कि दुनिया में दोस्ती और हमदर्दी भी है और सभ्य-संसार द्वारा ऐसी कृताओं के प्रति धूशा एवं मिथ्या का प्रकाशन उसमें रुकावट देदा कर सकता है।”

इसलिए अगर हिन्दुस्तान दमन का हाथ रोकने में सफल नहीं हुआ तो उसके शारीरिक कष्टहन और त्याग उस पूर्ण नैतिक समर्थन-द्वारा अपनी ज्ञातिपूर्ति कर सके जो संघर्ष में उसने शौरों से प्राप्त किया है, क्योंकि सत्य और अहिंसा के ढंगे मापदण्ड की दृष्टि से देखते हुए उसका आजादी का ध्येय ऐसा ऊँचा है कि वह हिमालय की ऊँचाई से बजता हुआ प्रतिध्वनि होता है, और काबुल के सघन देश में होते हुए मक्का मुअर्रज़म, मदीना मुनाफ़वर, फिल्स्तीन के सीनाई पर्वत और एशिया माहनर के पामीर तक उसकी आवाज़ पहुँचती है। यही नहीं, आलेख के द्वारा वह पच्छिम की ओर और एपीनाहन, पाहरेनीस और एलियन की आखकी शङ्गमाला तक जा पहुँचती है। हसी प्रकार उसकी गूंज काकेशिया और यूराज़ तक भी पहुँचती है और कितने ही दुर्लभ पहाड़ियों को पार करती हुई नई दुनिया में पहुँच जाती है। हिन्दुस्तान अच्छी तरह जानता है और पहले से जानता आया है कि उसके उद्देश्य की सफलता उसके हाथों में है और ‘देशी तखवार और देशी हाथों-द्वारा’ ही उसका उद्धार होगा; पर उसने बायरम का युद्ध कृपाण गांधीजी की शांति-पूर्ण सहारे की लाठी से बदल लिया है। हिन्दुस्तान ने युद्ध के लिए नये शस्त्र का प्रयोग करके इतिहास बनाने की कोशिश की है और खन के ज्यासे योद्धाओं के रक्त-मांस प्रबर्शन को बदलकर उसे ऊँचाई पर पहुँचा दिया है, जहाँ मानवीय चिवेक दैवी आरमा बन जाता है। बीसवीं सदी ने एक नया ही ध्येय प्राप्त कर लिया और पा लिया है, एक नया मण्डा और नया नेता और इन पृष्ठों में भारत की आजादी के परिव्रत ध्येय के प्रति संसार की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। उसकी आजादी के राष्ट्रध्वज के परिवर्तन और स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रव्यापी संघर्ष का नेतृत्व करने वाले महारमा गांधी के महान् उपदेश और उनकी योजना का भी इसमें समावेश है।

## विषय-सूची

( खंड दो से आगे )

१८.	उपवास	१
१९.	अनशन और उसके बाद	३३
२०.	मंत्रिमंडल	६३
२१.	लिनलिथगो गये	८८
२२.	बेवल आये	१०७
२३.	बेवल बोले	१२६
२४.	बेवल ने कदम उठाया	१४५
२५.	बेवल का नुस्का	१६६
२६.	बेवल ने फिर कदम उठाया	२०५
२७.	मंत्रिमंडल की सफलता	२४६
२८.	प्रांतों में प्रतिक्रियावादी कार्य	२६४
२९.	समाचार-पत्रों का सहयोग	२७८
३०.	प्रचार	२८७
३१.	कष्ट व दंड की कहानी	३१८
३२.	मेरठ अधिवेशन	३४३
	उपसंहार	३४७
	परिशिष्ट	एक



# कांग्रेस का इतिहास

खंड : ३

: १८ :

## उपवास

सभी धार्मिक पुस्तकों, साहित्य और इतिहास में आत्म-शुद्धि, आत्म-चेतना और साधारण जनता को सुधारने के उद्देश्य से उपवास की महिमा वर्णन की गई है। लेकिन हमेशा से सन्त-महात्मा और राजनीतिज्ञ समाज के दो पृथक्-पृथक् श्रंग रहे हैं और जब-कभी उन्हें एक ही सूत्र में बांधने की कोशिश की गई है उनकी मानसिक और नैतिक प्रवृत्तियाँ अलग-अलग धाराओं में प्रवाहित होती रही हैं। लेकिन इतिहास में गांधीजी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनमें सन्त और राजनीतिज्ञ का सम्मिश्रण इस प्रकार से हुआ है कि विभिन्न मानव-प्रवृत्तियों के अलग-अलग प्रवाहित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके दृष्टिकोण, प्रेम के दायरे और कार्यक्षेत्र में बनिष्ठ सामंजस्य था। इस प्रकार उनकी विचार-धारा और आचरण अर्थात् उनके कथन और आचरण में कोई भेद नहीं था। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह एक ही कपड़ा है जो धर्म के तने और राजनीतिज्ञ के बाने से बुना गया है, जिसमें अर्थशास्त्र और कला की धारियाँ पढ़ी हुई हैं, संस्कृति के बेल-वृटे कड़े हैं और नैतिकता का 'ब्रावेड' जड़ा हुआ है। यदि पश्चिम के आजकल के लौकिक राजनीतिज्ञ पूर्व के इस ऊंचे संलेखण और सम्मिश्रण को समझने में असमर्थ हैं, तो उन्हें कम-से कम इस आत्मानुशासन को गलत नहीं समझना चाहिए और उपवास के उद्देश्य और उसकी प्रेरक प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में अंत धारणाएं नहीं फैलानी चाहिए। इसे दबाव डालने का साधन कहना मानो स्वयं अपनी ही निर्भयता पर पर्दा डालना है। किसी दबाव डालनेवाले उपाय में तब तक इतनी ताकत नहीं हो सकती अथवा उसका काफी प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक कि उसका विपरी—अर्थात् जिसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की गई हो (जैसा कि कहा गया है) उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध करता रहता है। चाहे कुछ भी हो, गांधीजी के उपवास ने एक बात स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी कि उनके इस उपाय का उद्देश्य अथवा परिणाम किसी पर दबाव डालना नहीं था। उपवास के कारण सत्य की सुन शक्तियाँ जाग्रत हो जाती हैं, इससे मानवता की दबी हुई और शिथिल पड़ी शक्तियों को प्रेरणा मिलती है। इससे न्याय की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान में रखकर उपवास किया जाता है, वह यह समझता है कि यह उसी के खिलाफ किया गया है और उसे टेस पहुँचती है, और पराजय अनुभव होती है, क्योंकि स्वयं उसके भीतर एक संघर्ष छिप जाता है, जिसके कारण उसकी आत्मा जाग उठती है तथा उसकी न्याय-शुद्धि प्रेरित हो उठती है। उसके भीतर मानो उथल पुथल मच जाती है।

उसके अन्दर की सद् और असद् प्रवृत्तियों के मध्य जो संघर्ष उठ खड़ा होता है, उसके कारण जहाँ एक ओर वह अपने को अंधकार से प्रकाश में, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर ले जानेवाले उस आधारितिक पुरुष की भूमि-भूरि निन्दा करता है, वहाँ दूसरी ओर उस व्यक्ति की तुलना वह एक नये अवतार और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले धर्मगुरु से करता है, हालांकि उसकी यह तुलना सर्वथा अनुचित होती है।

गांधीजी और उनके सहयोगियों को जेल में गए हुए लगभग छः महीने होने को आए थे। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में उन्होंने अपने मित्र वाहसराय को पत्र लिखने की घोषणा की थी। स्वतंत्र रहते हुए उन्हें जो बात लिखने की इजाजत नहीं दी गई थी, उसे उन्होंने आगाचार्म महज से एक नजरबन्द कदमी को हैसियत से लिखने का साहस किया। उसी वक्त किसी तरह से यह खबर समाचार-पत्रों को भी लग गयी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि उन्होंने क्या लिखा है और न ही कोई यह कह सकता था कि जो कुछ उन्होंने सितम्बर १९४२ में लिखा है, वह वही-कुछ है जो वे जेल से बाहर रहने पर ६ अगस्त को लिखते। इस दौरान में गांधीजी और उनके अनुयायियों पर अनेक तरह के लांचन और दोष लगाए गए। उन्हें मूठा कहा गया। उनके दूरानों और मकसदों के बारे में सन्देह प्रकट किया गया। जनता को बताया गया कि वे चुपचाप आंदोलन की तैयारियां कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने झरूरी हिदायतें भी जारी की थीं। उन्होंने अनेतिकता से काम लिया, इत्यादि, इत्यादि। इसकिए हन सब बातों का खण्डन करना उनका आवश्यक कर्तव्य हो गया था। लेकिन वे ऐसा करने में स्वतन्त्र नहीं थे, यद्यपि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि उन्हें अपने विचारों का खण्डन-मंडन करने की पूरी स्वतन्त्रता है, परन्तु सिद्धांतप्रिय और सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी व्यक्ति के पास एक उच्च शक्ति का, जिसमें उसका अटूट विश्वास है, सहारा लेने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं था जिससे कि वह अपने छष्टा के सामने अपनी स्थिति रख सके, क्योंकि मानव के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के अवसर से उसे वंचित कर दिया गया था। श्री एमरी-द्वारा पाद्री जोसेफ के साथ गांधीजी की तुलना का सविस्तार उल्लेख अन्यत्र किया गया है।

गांधीजी के उपवास का समाचार पहले-पहल जनता को केवल १० फरवरी और वर्किंग-कमेटी के सदस्यों को अहमदनगर किले में ११ फरवरी को मिला। यह तो सर्वविदित था कि उन्हें ही गांधीजी गिरफ्तार किये जाएंगे वे उपवास करेंगे। परन्तु अन्तिम तार्ग में उन्होंने स्वयं ही उसकी पन्द्रह दिन पहले सूचना दे दी थी। यदि उनकी गिरफ्तारी के बाद एक सप्ताह के भीतर ही उनके संक्रेटरी श्री महादेव देसाई की अचानक मृत्यु न हो गई होती तो वे यह उपवास बहुत पहले ही शुरू कर देते। सरकार ने अपनी विज़प्ति में, जिसका उल्लेख आगे किया गया है, यह प्रश्न उठाया कि स्वयं गांधीजी ने अतीत में यह स्वीकार किया है कि उपवास में दूसरे पर दबाव ढालने की भावना निहित रहती है। गांधीजी ने यह बात राजकोट के अपने उपवास की पुक्साम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कही थी, परन्तु सरकार ने उसका गलत अर्थ लगाकर उसे एक साधारण वक्तव्य के रूप में उपस्थित किया। हतना ही नहीं, २ फरवरी १९४३ को खांड लिनलिथगो ने गांधीजी को जो पत्र लिखा उसके निम्न पैरे से उन (लिनलिथगो) की निर्भयता और निर्दयता पर प्रकाश पड़ता है :—

“आप हस बात का यकीन रखिए कि कांग्रेस के ऊपर जो हज़ाराम लगाए गए हैं, उसका

उसे एक-न-एक दिन जबाब देना ही होगा और उस समय आपको और आपके साथियों को, अगर हो सके तो, दुनिया के सामने अपनी सफाई देनी पड़ेगी। और यदि इस दौरान में किसी ऐसी कार्रवाई के जरिये, जिसकी आप इस समय कल्पना कर रहे प्रतीत होते हैं, अपने आपको इस तरह से आसानी से बचा लेना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट बताऊँ कि फैसला आपके खिलाफ जायगा।”

यह कैसा निन्दनीय आरोप है कि गांधीजी उपवास के जरिये राष्ट्रद्वारा किये गए ‘अपराधों’ की जिम्मेदारी से बचने के लिए इस संसार से अपना अस्तित्व ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सी० राजगोपालाचार्य ने ८ मार्च, १९४३ को अपने एक बक्तव्य में उपवास शुरू करने से पहले लिखे गये गांधीजी के पत्र को दबा देने के लिए सरकार की कटु आलोचना करते हुए कहा—“१० फरवरी को जब से गांधी-लिनलिंथगो पत्र-ब्यवहार प्रकाशित हुआ है, उसकी पृष्ठ बात समझ में नहीं आ रही। न ही सरकार ने अब तक उसका कोई स्पष्टीकरण किया है। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद देश में जो हिंसा और तोहँ-फोहँ की कार्रवाई देखने में आई है, गांधीजी ने २३ सितम्बर, १९४२ के अपने पत्र में उसकी निन्दी की है। अगर उसी समय यह पत्र अथवा उसका सारांश प्रकाशित कर दिया जाता तो जोलोग कांग्रेस और गांधीजी का नाम लेकर ये कार्रवाईयाँ करते रहे हैं, वे उनके नाम से इतना अनुचित लाभ कदापि न उठा पाते...।”

अब हम कुछ देर के लिए इस पत्र-ब्यवहार की समीक्षा करना चाहते हैं। इसकी सब में उठलेखनीय बात यह है कि इस काम में पहले गांधीजी ने ही की थीं और उन्होंने अपने दो पत्रों में कांग्रेस की स्थिति को पुनः स्पष्ट किया। यद्यपि उनका मुख्य उद्देश्य ८ अगस्त १९४२ की मरकारी विज्ञप्ति का उत्तर देना था, लेकिन प्रसंगवश उन्होंने बम्बई-प्रस्ताव के उद्देश्यों और कार्य-ज्ञान पर भी प्रकाश डाला। ११ अप्रैल १९४२ के बाद से जब कि सर स्टैफर्ड किप्स ने अपना ब्राडकास्ट भाषण दिया था, कांग्रेस को बदनाम करने की प्रथा भी चल पड़ी थी, जिससे कि एक दिन उस पर प्रहार किया जा सके। सरकार ने कांग्रेस पर फिर से यह इलाजाम लगाया कि वह मत्ता के बजाए लिए ही चाहती है। लेकिन शायद उसे यह नहीं मालूम था कि ६ अगस्त के कांग्रेस के प्रस्ताव का मसविदा तैयार करते समय भी गांधीजी और मौलाना आज़ाद ऐसे पत्र-ब्यवहार में व्यस्त थे, जिसमें उन्होंने यह बात फिर दोहराई थी कि वे पूरी गम्भीरता के साथ श्री जिन्ना-द्वारा राष्ट्रीय सरकार बनाए जाने का केवल प्रस्ताव ही नहीं कर रहे, बल्कि उसे मंजूर भी करते हैं। इस बीच सरकार अपने दुश्मन को परास्त करने की अपनी सारी सामग्री जुटा चुकी थी। उसकी योजनाएं और तैयारियाँ पूरी हो चुकी थीं और अब वह शत्रु पर वार करने में देर नहीं करना चाहती थी।

### उपवास की प्रगति

भारत और विदेशों के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही ज्ञेयों में गांधीजी के उपवास की प्रतिक्रिया का संक्षेप में वर्णन करने से पूर्व हमें उपवास की दिन-प्रति-दिन की प्रगति का जिक्र करना उचित प्रतीत होता है और अन्त में एक दिन सौभाग्यवश और संसार के करोड़ों लोगों की हादिक और सभी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप गांधीजी इस कठिन परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो गए और मानव-समाज की ओर भी अधिक महान् सेवा के लिए उनके प्राणों की रक्षा हो सकी। गांधीजी के उपवास की सूचना जनता को जलदी-से-जलदी उसके दूसरे दिन और साधारणतः

तीसरे दिन मिली। सौभाग्यवश श्रीमती कस्तूरबा गांधी और मोरावेन के अतिरिक्त श्रीमती सरो-जिनी नाथदू भी इस अवसर पर गांधीजी के पास थीं। आगाखां महल से कुछ ही दूर यरबद्दा जेल में डा० गिल्डर भी नजरबन्द थे। इस मौके पर उन्हें ११ फरवरी को आगाखां महल जाने की इजाज़त दे दी गई और इस प्रकार डा० गिल्डर भी गांधीजी के पास पहुंच गए। उपवास के पहले दिन ही गांधीजी का टहलने का कार्यक्रम बन्द हो गया। साथ ही प्रतिदिन सायंकाल महादेव देसाई की समाधि पर उनका जाना भी सक गया। सब से पहले गांधीजी से मिलने की जिनलोगों को सरकार ने इजाज़त दी, उनमें श्रीमती महादेव देसाई, उनका पुत्र और गांधीजी का एक भतीजा भी था। स्वर्गीय महादेव देसाई की विधवा पत्नी और उनके पुत्र को देखकर निश्चय ही गांधीजी के लिए अपने को संभालना मुश्किल होगा था कि गांधीजी श्रीमती देसाई से मिले। बहुत शीघ्र ही गांधीजी को आगाखां महल के अन्दर ही रखा जाना पड़ा और केवल दो घण्टे के लिए इह रोज उन्हें बाहर बरामदे में लाया जाता। उपवास के चौथे दिन तक उनका जी मच्छने लगा और उन्हें नींद न आने की वजह से बड़ी बेचैनी होने लगी। गांधीजी के स्वास्थ्य की रोजाना पूरी रिपोर्ट इंस्पेक्टर-जनरल और लेफिटेनेंट-कर्नल शाह तथा डा० गिल्डर-द्वारा सरकार को भेजी जाती थी। जी मच्छने और नींद न आने के कारण १५ फरवरी को उनकी हालत १४ फरवरी की तरह सन्तोष-जनक नहीं थी। बम्बई-सरकार के सर्जन-जनरल को तुरन्त ही पूना भेजा गया। गांधीजी के मित्र और उनके रिश्तेदार पहले ही पूना में एकत्र हो चुके थे और वे उनसे मुलाकात करने के लिए सरकार की आज्ञा की प्रतीक्षा में थे। गांधीजी को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रोफेसर भंसाली ने उनके साथ सहानुभूति के रूप में अपना उपवास तोड़ दिया है। बेचैनी रहने और पानी वीने में कठिनाई होने के कारण धीरे-धीरे गांधीजी की हालत बिगड़ने लगी। १५ फरवरी को डा० विधानचन्द्र राय भी पूना पहुंच गए और वे ३ मार्च तक। जिस दिन गांधीजी ने उपवास खोला, वहीं रहे। कान-नाक और गले के एक विशेषज्ञ डा० मांडलिक ने भी गांधीजी की परीक्षा की। उपवास के दूसरे सप्ताह में गांधीजी की आम हालत के बारे में चिन्ता रहने लगी। १६ फरवरी के बाद से नियत्रित उनकी मालिश की जाने लगी। अगले दिन हृदय-गति मन्द वहने लगी। १८ फरवरी की दोपहर तक उनकी हालत यह रही कि यथापि वे ६ घण्टे तक की नींद ले चुके थे, फिर भी बेचैनी अनुभव कर रहे थे और उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। उन्हें पेशावर आने में तकलीफ महसूस होने लगी और इस वजह से उनकी हालत के बारे में और भी अधिक चिन्ता होने लगी। गांधीजी के सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल की बहन डा० सुशीला नायर भी अन्य डाक्टरों के साथ अब गांधीजी की देखरेख करने लगी। और १९ फरवरी के बाद से छु डाक्टरों—श्री एम० ढी० डी० गिल्डर, मेजर-जनरल कंगडी, बम्बई के सर्जन-जनरल, डा० बी० सी० राय, लेफिटेनेंट-कर्नल बण्डारी, आई० जी० पी०, डा० सुशीला नायर और लेफिटेनेंट-कर्नल बी० जे० शाह के हस्ताहरों से बम्बई-सरकार की ओर से गांधीजी के स्वास्थ्य के बारे में बुकेटिन प्रकाशित होने लगे। गांधीजी बोलना नहीं चाहते थे और न ही वे अपने दर्शकों से मिलना चाहते थे। यह देखकर डाक्टरों को बड़ी चिन्ता होने लगी। उनके तीसरे पुत्र श्री रामदास ने परिवार सहित उनमें मुलाकात की। गांधीजी की हालत के बारे में स्वयं पूरी-पूरी जानकारी हासिल करने के लिए बम्बई-गवर्नर के सलाहकार श्री० एच० सी० ब्रिस्टाऊ भी पूना पहुंच गए।

नींद न आने की शिकायत यथापि बराबर बढ़ती आ रही थी, लेकिन अब गांधीजी दर्शकों

में अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे। गांधीजी के मित्रों और सम्बन्धियों को चेतावनी दे दी गई कि वे उनमें मुलाकात न करें और इस प्रकार उन्हें अधिक आराम करने दें। बहुत-से ऐसे व्यक्तियों ने जो पूना पहुँच गए थे, गांधीजी से मुलाकात करने का हरादा छोड़ दिया जिससे कि उनके मस्तिष्क पर बोझ न पड़े। १६ तारीख को गांधीजी को श्री मोदी, श्री सरकार और श्री अरण के हस्ताके की सूचना दी गई। कहते हैं कि इस पर उनका एकमात्र प्रतिक्रिया यह थी कि वे जरा-से मुस्कराए। २० फरवरी के बुलेटिन में बताया गया कि गांधीजी की हालत खराब हो गई है और बहुत गम्भीर है। २१ फरवरी को अर्थात् उपवास के बारहवें दिन बताया गया कि वे दिन भर बहुत बेचैन रहे। दोपहर को ४ बजे उनकी हालत खतरनाक हो गई और जी मच्जने की बीमारी वे कारण वे प्रायः बेहोश हो गए। उनकी नज़र इतनी हल्की हो गई कि उसे प्रायः पहचानना कठिन हो गया। बाद में वे नींवु के मीठे रसके साथ पानी पी सकने में समर्थ हो सके। वे खतरे से बाहर हो गए और रात को ११ बराटे सोए। २२ फरवरी को गांधीजी का मीठा दिवस था। वे आराम अनुभव कर रहे थे और अधिक प्रसन्न दिखाई देते थे। लेकिन हृदय कमज़ोर था। २२ फरवरी को उन्हें केवल नोंद पूरी तरह से नहीं आ सका। इसके अलावा उनकी हालत में और कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उनकी आवाज स्पष्ट थी और वे अपने सुलाकातियों के साथ मुस्करा रहे थे। तीसरे मध्याह का प्रारंभ होने पर पेशाव की शिकायत घोर-घोरे दूर होने लगी और वे अधिक खुश नज़र आने लगे। संकटपूर्ण स्थिति के बाद पहले दिन २५ फरवरी को गांधीजी बहुत प्रसन्न थे। उस दिन प्रातःकाल उन्होंने स्पंज से स्नान किया और मालिश की। दो दिन तक नींवु का मीठा रस और पानी पीने के बाद गांधीजी ने इसकी मिकदार कम करदी।

२७ तारीख के बुलेटिन में बताया गया कि गांधीजी आज फिर इतने खुश नहीं थे और उदासीन-से दिखाई देते थे, लेकिन अगले दिन वे सज़ग और अधिक खुश थे। पहली मार्च को फिर सोमवार था। व्यापि वे खुश दिखाई देते थे और उनमें ताकत आ रही थी, लेकिन मुलाकात करनेवालों के कारण वे जल्दी शकावट महसूस कर रहे थे। ३ मार्च को सुबह ६ बजे गांधीजी ने अपना उपवास खोला। लेकिन सरकार यह बरदाशत नहीं कर सकती थी कि उस दिन खुशियां मनाई जायें, हसलिर उसने दर्शकों को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी। दर्शकों की संख्या कम होने के कारण इस समारोह में अधिक गम्भीरता आगई, लेकिन गांधीजी से मिलनेवालों ने शहर में अन्यत्र एक सभा की जिसमें गांधीजी की दीर्घायु के लिए कामना की गई। इस सभा में श्री अर्णे भी उपस्थित थे।

इसके बाद गांधीजी के स्वास्थ्य में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। उनका स्वास्थ्य धोरे-धोरे और नियमित रूप से सुधरता गया। जिस दिन गांधीजी गिरफ्तार किए गये थे उनका वजन १०२ पौंड था, लेकिन उपवास शुरू करने के दिन उनका वजन १०६ पौंड था। उपवास के कारण उनका वजन घटकर ८१ पौंड रह गया था। उपवास खत्म हो जाने के बाद तीन साल के भीतर उनका वजन फिर १०२ पौंड हो पाया। लेकिन उसके बाद जितने दिन वे जेल में रहे उनके वजन के बारे में कोई सूचना नहीं मिल सकी।

‘गांधीजी की चिन्ताजनक और गम्भीर हालत के दिनों में देशभर में अनेक अफवाहें फैल रही थीं। इनमें से एक अफवाह, जो उपवास समाप्त हो जाने के बाद भी बनी रही और जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेख न करना या उसे छोड़ देना कठिन है, यह थी कि सरकार ने दाहकर्म-संस्कार के लिए काफी परिमाण में चन्दन की लकड़ी जमा कर रखी थी। एक और

अफवाह यह थी कि सरकार ने राष्ट्रीय शोक-दिवस मनाने और मरणे आधे झुका देने का फैसला कर लिया था। कहा जाता है कि पहली अफवाह का आधार विदेशी संवाददाता थे, जिन्होंने गांधीजी की हालत बहुत अधिक खराब हो जाने पर भारत-सरकार के एक उच्च अधिकारी से मुझाकात की थी, जिसमें भारतीय सम्बाददाता उपस्थित नहीं थे। कहते हैं कि इस मौके पर उक्त अधिकारी ने विदेशी सम्बाददाताओं को बताया कि भारत-सरकार अपने निश्चय से टस से मस न होने का फैसला कर चुकी है और इस सिलसिले में उसने कहा कि चन्द्रन की लकड़ी हमारे इस अन्तिम फैसले की प्रतीक है।”... .... (‘हिंडिया अनरिक्साइट’ पृष्ठ २१२.....)

इस सम्बन्ध में कांग्रेस के अध्यक्ष ने वर्किंग कमेटी की ओर से अपने ‘शज्जात-वास’ से वायसराय के नाम एक पत्र लिखा, जो नीचे दिया जाता है। इस पत्र को यहाँ उद्धृत करना हमें सर्वथा उचित प्रतीत होता है।

“विषय लार्ड लिनलिथगो, मेरे सदयोगियों और मैंने कल के और परसों के समाचार-पत्रों में गांधीजी और आपके दरम्यान हाल में हुए पत्र-ब्यवहार को पढ़ा है। गांधीजी के नाम आपके पत्र में कांग्रेस के बारे में अनेक जगह पर उल्लेख किया गया है और कांग्रेस-संगठन के ऊपर बारम्बार और गम्भीर आरोप लगाए गए हैं। १३ जनवरी के अपने पत्र में आपने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि वर्किंग कमेटी ने हिंसा और कानून-विरुद्ध कार्रवाईयों की निन्दा के बारे में अब तक एक शब्द भी नहीं कहा।

“साधारणतः जब तक हम जेल में नज़रबन्द हैं और देश को जनता तथा बाहरी दुनिया के साथ हमारा संपर्क पूर्णतः कटा हुआ है तब तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। हमारी नज़रबन्दों की जगहको भी एक रहस्य समझा जाता है और किसी दूसरे तक उसकी सूचना भी नहीं पहुँचाई जा सकती। देश की खबरें जानने के लिए हमारे साधन सीमित हैं और हमें पढ़ने के लिए थोड़े-से सिर्फ वे पत्र दिये जाते हैं जो आजकल के नियमों और आंदोलनों के अंतर्गत केवल सैंसर किए हुए समाचार ही छाप लकते हैं और जिनमें बहुत-सा ऐसी खबरें छापने की मनाही करदी गई हैं जो हमारे लिए और भारतीय जनता के लिए बड़ा महत्व रखती हैं। हस्तिलिए इन परिस्थितियों में हमारे लिए उन घटनाओं के बारे में अपनी राय जाहिर करना अत्यंत अनुचित प्रतीत होता है जिनके सम्बन्ध में हमें पूरी जानकारी भी नहीं है, विशेषकर जब कि अपनी राय प्रकट करने के लिए भी हमारे पाय भारत-सरकार के अलावा और कोई जरिया नहीं है।

“मैं अपने-आपको केवल एक ही प्रक्ष तक सीमित रखना चाहता हूँ और यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हम लोगों का अल्ग-अल्ग और सांस्कृतिक रूप से सम्बन्ध है, हम कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट घोषणा कर देना चाहते हैं कि कांग्रेसके ऊपर लगाया गया आपका यह आरोप कि उसने एक गुप्त हिसाबक आंदोलन का संगठन किया था, विल्कुल निराधार और झूठा है।

“एक देशभक्त अंग्रेज और विटेन की स्वतन्त्रता का प्रेमी होने के नाते आपके लिए भारतीय देशभक्तों और भारत की आज्ञादी के पुजारियों की भावनाओं को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और अपने सम्बन्धों और ब्यवहार में हमें एक-दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। सरकार की शक्ति-शाली प्रचार-ब्यवस्था के जरिये उन लोगों पर बिना किसी सबूत के संगीन हळजाम लगाना, जो उनका जवाब देने में असमर्थ हैं, और साथ ही उन्हें सिर्फ वहाँ

खबरें और दृष्टिकोण पहुंचना जो उनके प्रतिकूल हैं, कहाँ का न्याय और ईमानदारी है ? या इससे यह साधित हो जाता है कि आपका पक्ष मज़बूत है ।

“५ फरवरी के अपने पत्र में आपने लिखा है कि आपके पास ऐसी काफी जानकारी है जिससे यह प्रमाणित होता है कि तोड़-फोड़ का यह आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नाम पर जारी की गई गुप्त हिदायतों के अनुसार चलाया गया है । इमें नहीं मालूम कि आपकी जानकारी क्या है । लेकिन इमें भलो प्रकार मालूम है और हम साधिकार कह सकते हैं कि किसी भी मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस तरह का आंदोलन शुरू करने की बात नहीं सोची है और न ही उसने इस तरह के कोई गुप्त अथवा दूसरे किस्म के आदेश जारी किये हैं । हमारी गिरफ्तारी के समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था और प्रायः सभी प्रमुख और जिम्मेदार कांग्रेसियों को, जिनमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं, गिरफ्तार कर लिया गया था । साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर और कांग्रेस के दूसरे दफ्तरों पर पुलिस ने कब्जा कर लिया था । प्रत्यक्ष है कि उसके बाद से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपना काम किस तरह कर सकती थी ।

“आपने उल्लेख किया है कि इस वक्त एक गुप्त कांग्रेस संगठन विद्यमान् है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक सदस्य की पत्ती उसकी मददस्या है । इमें इस प्रकार के किसी भी संगठन की सूचना नहीं है और न ही हमारे पास यह जानने का कोई ज़रिया है । इमें यक़ीन है कि कोई भी कांग्रेस-संगठन अथवा कोई भी जिम्मेदार कांग्रेस-पुरुष या महिला वास्तव में इस प्रकार की बम-विस्फोट और आतंकपूर्ण घटनाओं के पीछे नहीं हो सकती ।

“निस्सन्देह कांग्रेस-जन कुङ्ग परिस्थितियों में अपनी योग्यतानुसार सक्रिय प्रतिरोध-आंदोलन को जारी रखना अपना परमावश्यक कर्तव्य समझते हैं । परन्तु आपने जो इलज़ाम लगाया है उसका इससे किसी किस्म का सम्बन्ध नहीं है । हो सकता है कि ओसत सरकारी अधिकारी अथवा पुलिस कर्मचारी के सामने सविनय-अवज्ञा-आंदोलन और बम-विस्फोट की इन घटनाओं में कोई खास कर्क नहीं हो, लेकिन इमें आपने लोगों के बारे में जितनी जानकारी है, उसके आधार पर हम निस्सन्देह कह सकते हैं कि जिम्मेदार कांग्रेस-जन किसी बम-विस्फोट या आतंकपूर्ण कार्रवाई के लिए जनता को प्रोत्साहन नहीं दे सकते ।

“गुप्त संगठनों के बारे में बहुत-कुछ कहा गया है और सरकार का दावा है कि इस बारे में उसके पास काफी सूचूत मौजूद है, लेकिन उसे वह प्रकट नहीं करना चाहती । क्या मैं आपका ध्यान गांधीजी के गिरफ्तार होने से कुछ घरेटे पहले द अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में दिये गए उनके भाषण को और आकर्षित कर सकता हूँ, जिसमें उन्होंने पूरी गम्भीरता के साथ लोगों से हर दालत में अहिंसात्मक बने रहने की ज़ोरदार अपील की थी ? २३ साल पहले कांग्रेस ने अहिंसात्मक नीति को अपनाया था । जनता-द्वारा कभी-कभी उसका उल्लंघन किये जाने के बावजूद उसे इस दिशा में काफी बड़ी सफलता मिली है ।

“इस का सबूत आपकी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की अन्य देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों से तुलना करने पर मिल जायगा, जिनका आधार प्रायः हिंसा रही है । निस्सन्देह स्वयं आपने भी बहुत-सी परिस्थितियों में, जिन्हें आप उचित समझते हैं, हिंसा का समर्थन किया है । परन्तु कांग्रेस हमेशा से अहिंसा के अपने सिद्धान्त पर अटल रही है और पिछले २३ वर्षों से वह जनता में इसी का प्रचार करती रही है । यदि कांग्रेस अपनी नीति, तर्फ़ के और कार्यप्रणाली में इस

सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करना चाहेगी तो यह भी अन्य राष्ट्रीय संगठनों को तरह लुके तौर पर और नाजूक कर देसा। परिवर्तन करने की घोषणा कर देगी। गुपरूप से काम करने की तो बात ही नहीं उठ सकती, क्योंकि अन्य ठोस कारणों के अलावा सार्वजनिक और गुपरूप से कार्रवाई करने के फलस्वरूप कोई भी देसा संगठन, जिसका आधार छुला और रचनात्मक कार्य करना है, अपने-आपको बदनाम कर देगा और इस तरह से अपने को निपट मूर्ख साधित कर देगा।

“हो सकता है कि कांग्रेस में बहुत-सी खामियाँ हों, लेकिन कोई उस पर यह इज़जाम नहीं लगा सकता कि अपने उहेंश्यों और आदर्शों की प्राप्ति के लिए उसमें साहस नहीं है।

“मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जरा यह ख्याल करके देखिये कि अगर कांग्रेस जानवूम कर लोगों को हिंसात्मक और तोड़-फोड़ की कार्रवाईयाँ करने के लिए उभारती या उन्हें प्रोत्साहित करती तो उसका क्या परिणाम होता, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत व्यापक और इतनी प्रभावशाली संस्था है कि अब तक जो-कुछ हुआ है वह उससे भी कहीं सौ गुना अधिक संकट पैदा कर सकती थी।

“१९४० की गर्मियों में जब कि क्रांस का पतन हो चुका था और ब्रिटेन एक अर्थात् संकट-पूर्ण और नाजुक घड़ी से गुजर रहा था, कांग्रेस ने जानवूमसह कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का विचार थाग दिया, हालांकि वह इससे पूर्व ऐसा करने का विचार कर रही थी और उसके लिए जनता की तरफ से भी जोरदार मांग की जा रही थी। उसने यह इसरालए दिया कि वह एक नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति से अनुचित जाम नहीं उठाना चाहती थी और न वह किसी तरीके से नाजी आक्रमण को ही प्रोत्साहन देना चाहती थी। कांग्रेस के लिए उस नाजुक अवसर पर ब्रिटेन को अत्यधिक परेशान करनेवाली परिस्थिति में डाल देना बड़ा सरल था।

“अपनी गिरफतारी से कई सप्ताह पहले से हम वर्किंग कमेटी की बैठकों, प्रस्तावों और अन्य तरीकों से यह बात साफ तौर पर कहते चले आ रहे थे कि इस देश में ब्रिटिश सरकार-विरोधी भावना अत्यधिक जोरदार और कटुतापूर्ण हो गई है। केवल हमने ही नहीं, बल्कि बहुत से नरमदलों नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से यही कहा कि उन्होंने इस देश में ब्रिटेन के प्रति इतनी अधिक कटुता कभी नहीं देखी थी। जिम्मेदार कांग्रेस-जनों ने इस भावना को शान्तिपूर्ण पूर्व रचनात्मक दिशाओं में ले जाने की कोशिश की और इसमें उन्हें बहुत काफी सफलता भी मिली। उन्हें इस काम में और भी अधिक सफलता मिलती आगर ऐसी घटनाएं न हो गई होतीं जिनके कारण जनता एकदम बेचैन हो उठी और साथ ही उन सभी प्रमुख नेताओं को उससे अलग कर दिया गया, जो संभवतः इस स्थिति पर काबू पा लेते। जैसी कि हमारी स्थिति है, उसे देखते हुए श्रापको हमारी अपेक्षा इन घटनाओं की अधिक अच्छी तरह से जानकारी है, लेकिन हमें इतना काफी पता लग चुका जिससे हम यह अनुभव कर सकते हैं कि जनता को सरकारी नीति से कितना धक्का पहुँचा होगा। इन सामूहिक गिरफतारियों के तत्काल बाद ही जाठी-चाजों, अश्रु-गैस और गोली-बर्षा के जरिये सभी प्रकार की सार्वजनिक कार्रवाईयाँ, सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रकट करने के सभी साधन, निषिद्ध करार दिये गए। गण्यमान्य नेताओं को गिरफतार करके उन्हें अज्ञात स्थानों को भेज दिया गया। उनकी बांमारी और मृत्यु की अफवाहों ने जनता के दिलों में अपना वर कर दिया और इसके साथ ही पिछले अगस्त में जो घटनाएँ हुईं उनके कारण जनता और भी अधिक उत्तेजित हो उठी।

“उसके बाद जो-कुछ हुआ मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि उनपर सोच-विचार करने के लिए हमारे पास पूरी जानकारी की आवश्यकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यह खबाल करके देखें कि हमारी गिरफ्तारियों के बाद से सरकार की ओर से जनता पर जो-कुछ भीती है उसका लोगों के दिलों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा और वे कितने हताश हुए होंगे।

“हाल में जो पत्र-बयवहार प्रकाशित हुआ है उसके साथ ही सरकार ने एक विज्ञप्ति में एक गश्ती-चिट्ठी का जिक्र किया है, जो कहा जाता है कि आन्ध्रप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी की गई थी। इमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और हम यह कभी नहीं यकीन कर सकते कि कोई जिम्मेदार कांग्रेस-अधिकारी कांग्रेस के आधारभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध इस प्रकार की अनुचित हिदायतें जारी करने का साहस कर सकता है।

“परन्तु इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सरकारी तौर पर भी इस-बारे में जो-कुछ कहा गया है वह परस्पर-विरोधी है। इसका जिक्र पहले-पहल मद्रास-सरकार ने २६ अगस्त को प्रकाशित की गई अपनी विज्ञप्ति में किया था। इसमें यह बताया गया था कि इस चिट्ठी में अन्य बातों के अलावा पठरियां हटाने की बात भी कही गई थी। इसके दो सप्ताह बाद कामन-सभा में भाषण देते हुए श्री एमरी ने बताया कि उक्त गश्ती-चिट्ठी में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि पठरियां न हटाई जायें और न ही जान को कंदू नुकसान पहुँचाया जाय। यह इस बात का एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस तरह से सबूत पेश करके जनता पर असर डाला जाता है।

“५ फरवरी के अपने पत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव का ज़िक्र करते हुए आपने उसके अन्तिम भाग की ओर ध्यान दिलाया है, जिसमें कांग्रेस-जनों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि आनंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाय तो उन्हें खुद अपनी विवेक-बुद्धि के अनुसार काम करना चाहिए। आपको यह बात बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत हुई है और इसलिए आपने उससे कुछ परिणाम निकाल लिये हैं। साफ जाहिर है कि आपको यह मालूम नहीं कि विष्णु सविनय-अववज्ञा-आनंदोलनों के अवसरों पर भी ऐसे ही निर्देश जारी किये गए थे। १९४०-४१ के वैयक्तिक सत्याग्रह-आनंदोलन के दौरान में मैंने बहुत-से अवसरों पर बारंबार ऐसी ही हिदायतें दी थीं। सविनय-अववज्ञा अथवा सत्याग्रह-आनंदोलन का यह एक मुख्य तत्व है कि आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि नेताओं के जल्दी ही गिरफ्तार हो जाने की संभावना रहती है, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मभरित बन जाना चाहिए। जहां तक वर्तमान आनंदोलन का सवाल है, उसमें तो सविनय-आज्ञा की वह सीमा अभी पहुँची ही नहीं थी।

“यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने लम्बे पत्रबयवहार और विभिन्न सरकारी वक़ीबों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा पास किये गए प्रस्ताव की अच्छाइयों का जिक्र तक भी नहीं किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का विवेचन करने के साथ साथ यह बात स्पष्ट करदी गई थी कि स्वतंत्र भारत अपनी सारी शक्ति लगाकर न केवल आक्रमण का ही मुकोबला करेगा, बल्कि वह विश्व के स्वातंत्र्य-संग्राम में अपने समस्त माध्यनों को लगा देगा और संयुक्तराष्ट्रों के समकाल होकर उसमें भाग लेगा। स्वयं प्रस्ताव में ही यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी गई थी मैंने अप्युच की हैसियत से तथा दूसरे लोगों ने भी इसी बात पर बारंबार और दिया था।

“आपको यह पता हाना चाहिए कि जब से अक्रीफा, एशिया और यूरोप में फासिस्टवाद, तथा जापानियों और नाजोवादने अपना सिर उठाया है, कांग्रेसने निरन्तर और हमेशा उनका विरोध किया है। इस बारे में भारत ही क्या, किसी और जगह के किसी संगठन ने भी इतना जोर नहीं दिया है, जितना कांग्रेस ने।

“अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगस्त वाले प्रस्ताव का आधार विशेष रूप से भुरीशब्द-विरोधी नीति था और उसकी तात्कालिक विशेषता किसी भी आक्रमण के विरुद्ध भारत की रक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। यह बात साफ तौर पर बता दी गई थी, और मैंने भी उस मौके पर इसी पर बार-बार जोर दिया था कि परिवर्तन की कस्टोटा भारत को रक्षा-व्यवस्था और मित्राद्वारों के हाथों को सुदृढ़ बनाना है। शायद आपको यह भी मालूम हो कि वर्तमान ब्रिटिश सरकार के बहुत-से सदस्य भूतकाज में फासिजम और जारानी सैनिकवाद के जोरदार समर्थक रहे हैं अथवा उन्होंने उनका स्वागत किया है।

“महात्मा गांधी के नाम अपने पत्र के अन्त में आपने कहा है कि एक-न-एक दिन कांग्रेस को इन आरोपों का जवाब देना ही पड़ेगा। इम तो ब्रिटिश ऐसे दिन का स्वागत करेगे जबकि हम दुनिया के लोगों के सामने इनका जवाब देंगे और इसका फैसला उन्हीं पर छोड़ देंगे। उस दिन दूसरों के अलावा ब्रिटिश सरकार को भी उस पर लगाए गए हत्याओं का जवाब देना होगा। मुझे यकीन है कि वह भी उस दिन का स्वागत करेगी।

आपका शुभचिन्तक  
अनुज्ञानाम आजाद ।”

भारत-सरकार ने इस पत्र की कोई प्रवाह नहीं की और उसका कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, अलवता उसने जेल के सुपरिनेंटेंट के जरिये मालाना को यह सूचना भिजवा दी कि उनका खत उसे मिल गया है। परन्तु जिस दिन डॉ सैयद महमूद अहमदनगर किले के ‘नजरबन्द कैम्प’ से रिहा होकर बाइर आए तो इव पत्र पर भी प्रकाश पड़ा। उन्होंने यह पत्र पहली नवम्बर को समाचारपत्रों के सुपुर्द कर दिया।

### उपवास की प्रतिक्रिया

#### (क) ब्रिटेन

सौभाग्य से मार्च के पहले सप्ताह में गांधीजी का उपवास समाप्त हो गया। उसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन की जनता का ध्यान पुन भारतीय गतिरोध को दूर करने की ओर आकृष्टि हुआ। ‘मार्चेस्टर गांजियन’ ने अपने एक मंपादकीय लेख में लिखा:—

“यह सौभाग्य की बात है कि हमारे और भारत के दरम्यान अन्तिम मैत्री स्थापित होने की आशा से गांधीजी जीवित रहे। परन्तु यह सत्य है कि भारत की राजनीतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ...

“दुनिया पर इस उपवास की जो प्रतिक्रिया हुई उसका हम अध्यन करना चाहते हैं।

“ब्रिटेन की प्रतिक्रिया विशेषरूप में उल्लेखनीय है। वहाँ के सभी प्रगतिशील हल्कों और विचारों के लोगों ने इस सम्बन्ध में सहानुभूति प्रकट करने में तत्परता दिखाई। उसके बाद हम अमरीका और अन्त में भारत की प्रतिक्रिया का अध्ययन करेंगे।

“११ फरवरी को प्रकाशित होनेवाले ब्रिटिशपत्रों ने वाहसराय और गांधीजी के पश्च-व्यवहार से यह अर्थ निकाला कि वे इस उपवास-द्वारा उनका वास्तविक उद्देश्य अपनी नजरबन्दी को न्याय करने के लिए भारत-सरकार पर दबाव ढालना है।” ‘टाइम्स’ ने लिखा:—

“भारतीय स्थिति से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इस सम्बन्ध में बहुत कम संतुष्ट हैं वे भी गांधीजी के इस निर्णय पर खेद प्रकट करेंगे ... गांधीजी ने लोगों में राष्ट्रीय जाप्रति पैदा करके अपने देश की अनूठी सेवा की है। परन्तु वे लाखों ही ऐसे व्यक्तियाँ का विश्वास नहीं प्राप्त कर सके कि जिन्हें उनके राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास ही नहीं है। इसके अलावा वे एक ऐसा आधार-भूत समझौता पैदा करने में भी असफल रहे हैं जिसके बिना भी कोई भी विधान नहीं बनाया जा सकता। और जिसे कोई भी बाही शक्ति भारत पर नहीं लाद सकती। उनकी वर्तमान चाल से भी उस उद्देश्य की पूर्ति में कोई मदद नहीं मिलती। इसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि मतभेद और भी अधिक बढ़ जाएंगे और संभव है कि और नये उपद्रव शुरू हो जायें। और न ही अब विदित नीति की अतीत काल की गलतियाँ इस मार्ग में रोड़े अटका सकती हैं।”

लन्दन में उपवास की क्या प्रतिक्रिया हुई और विटेन के समाचारपत्रों ने इस मार्ग पर चुप्पी क्यों साध ली, इस पर प्रकाश डाकते हुए ११ फरवरी का ‘आमृत बाजार पत्रिका’ के नाम लन्दन से निम्न तार आया, जिसमें कहा गया था :—

“गांधीजी के उपवास के निर्णय की खबर मिलने पर लन्दन के हजारे कल पूर्णतः हंडरन रह गए। यद्यपि गांधीजी और वाइसराय के दरम्यान ३१-१२-४२ से लिखा पड़ा हो रही थी, लेकिन विटेन के राजनीतिक हज़ेरे छ. सप्ताह तक इस मामले में विलक्षण अन्धकार में पड़े रहे। परन्तु स्वयं लन्दन के जिम्मेदार हज़ेरे यह कह रहे हैं कि गांधीजी के इस निर्णय को मूख्यतापूर्ण नहीं समझ लेना चाहिए। उपवास के कारण पैदा होनेवाला परिस्थिति की गंभीरता को ये लोग खूब अच्छी तरह से अनुभव कर रहे हैं। यह कहा जा रहा था कि अगर गांधीजी इस कठिन परोक्षा में सफल भो हो गए तब भी इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लन्दन के हज़ेरों की राय है कि इस बात का फैसला कि क्या उपवास के कारण उपद्रवों का और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, इस पर निर्भर करेगा कि गांधीजी के फैसले की भारतीय जनता पर कौनी मानसिक प्रतिक्रिया हुई है। अब तक भर भारताय जनता की प्रतिक्रिया के बारे में भारत से यहाँ कोई खबर नहीं पड़ूँची; हाँ इतना अवश्य पता चला है कि यह खबर सुनते ही बम्बई का शेश्वर बाजार बन्द होगया। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या गांधीजी और वाइसराय के दरम्यान होनेवाला समस्त पत्र-भ्यवहार भारतीय समाचारपत्रों का दिया गया है अथवा नहीं? यह भी कहा गया है कि भारत-सरकार ही इस बात का निर्णय करेगा कि भारतीय समाचारपत्रों को गांधीजी के उपवास पर सोच-विचार करने और पत्र-भ्यवहार प्रकाशित करने की किस हद तक इजाजत दी जाय।”

दूसरी ओर यद्यपि १० तारीख को सुबह ही लन्दन के समाचारपत्रों के पास गांधीजी का संर्घन पत्र-भ्यवहार पड़ूँचा दिया गया था, फिर भी वे इस-बारे में चुप रहे और इसे कोई महत्व नहीं दिया। ‘टाइम्स’ ‘डेली ट्रेलिग्राफ’ ‘डेली स्कैच’, को छोड़कर लन्दन के किसी भी दूसरे समाचारपत्र ने गांधीजी के उपवास के बारे में संपादकीय टिप्पणी नहीं लिखी। प्रायः सभी पत्रों ने गांधीजी के उपवास-संबन्धीय फैसले को कोई बड़ा महत्व नहीं दिया। उनमें से अधिकांश ने तो “गांधीजी की राजनीतिक चाल” शीर्षक से इस समाचार को छापा। डब्लू.१८० ईवर ने इसे “गांधी का महल में उपवास” लिखा। आमतौर पर यह प्रभाव पढ़ रहा था कि मानो लन्दन के अधिकांश समाचारपत्रों ने कम से कम फिल्डाल तो गांधीजी के उपवास के सम्बन्ध में चुप्पी साधने की साजिश कर ली हो।

‘न्यूज कानिकल’ और ‘डेली टेलिग्राफ’ ने वाइसराय और गांधीजी के दरम्यान इस नये पत्र-व्यवहार का विवरण बहुत संक्षेप में छापा।

‘न्यू स्टेटमैन एंड नेशन’ के आलोचक ने १२ फरवरी को शुक्रवार के अंक में इस प्रकार लिखा—“पश्चिम के बहुत कम लोग उपवास के पेचीदा उद्देश्य को समझ सकते हैं, जबकि भारत में उपवास एक साधारण और प्रतिष्ठित प्रथा समझी जाती है। मुझे संदेह है कि उन लोगों को वाइसराय और गांधीजी के विचित्र पत्रव्यवहार को पढ़ने से अधिक ज्ञान या जानकारी प्राप्त हो सकेंगी। उनमें से प्रत्येक एक दूसरे पर यह इत्तजाम लगा रहा है कि भारत की वर्तमान हिंसापूर्ण कार्रवाइयों की जिम्मेदारी उसी पर है। वाइसराय की नजरों में उपवास एक राजनीतिक चाल है। जिसके जरिये सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।”

गांधीजी ने हालके उपद्रवों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से साफ इन्कार कर दिया था, इस पर टिप्पणी करते हुए ‘मांचेस्टर गार्डियन’ ने लिखा—“....कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से सरकार ने ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जिससे देश के विचारान् खिंचाव में कमी हो जाती। स्थिति को सुधारने के लिए न तो कुछ किया गया है और न किया जा रहा है और अब गांधीजी जो उपवास करने जा रहे हैं, भले ही भारत-सरकार उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले, परन्तु ही सकता कि भारत पर उसका व्यापक प्रभाव पड़े।”

पार्लीमेंट के बहुत-से मजदूर-दली सदस्यों ने भारत की परिस्थिति—विशेषकर उपवास के समय गांधीजी को नजरबन्द रखने के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की। वाइसराय की शासन-परिषद् के तीन सदस्यों के हस्तीके ८० समाचार मिलने के बाद इनमें से जगभग १२ सदस्यों ने १७ फरवरी को कामन-सभा के कमेटी रूम में एक बैठक की। लन्दन में इंडिया लीग द्वारा आयोजित एक सभा में भाषण देते हुए लार्ड स्ट्रैबोल्टी ने कहा कि अगर कहीं उपवास के परिणाम-स्वरूप गांधीजी की जान जाती रही तो उन्हें आशंका है कि हिन्दुओं के साथ ब्रिटेन के भारती सम्बन्ध बहुत कड़ और खतरनाक हो जाएंगे।

कामन-सभा में श्री एमरी से पूछा गया कि क्या उनकी राय में भारतीय गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से सर तेजव्यहादुर समू और श्री राजगोपालाचार्य-जैसे प्रभावशाली निर्दल नेताओं को गांधीजी से मुलाकात करने की इजाजत देना मुनासिब न होगा? इसके उत्तर में उन्होंने कहा :—

“गांधीजी से मुलाकात करने का प्रश्न में सर्वथा भारत-सरकार की मर्जी पर ढाँड़ देना चहता हूँ।”

मजदूर-दल के सदस्य श्री सोरेन्सन ने पूछा—“क्या श्री एमरी यह नहीं अनुभव करते कि वाइसराय की शासन-परिषद् के तीन सदस्यों के हस्तीके के बाद नयी परिस्थिति पैदा हो गई है? इसे ध्यान में रखते हुए वे वाइसराय से कहें कि इन मुलाकातों की इजाजत दे दी जाय।”

श्री एमरी—“नहीं महोदय।”

ब्रिटिश पत्रों ने साधारणतः यह कहा कि गांधीजी की गिरफ्तारी की मांग “एक राजनीतिक मांग है” और यदि उसे मान लिया गया तो उसकी वजह से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और मित्र-राष्ट्रों को भी तुकसान पहुँचेगा।

२३ फरवरी को कैश्टरवरी के आर्चिविशेष ने ‘टाइम्स’ में एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था :—

“इस समय हम जिन महत्वपूर्ण विषयों में पहले से ही उल्लेख हुए हैं, सम्भवतः उनकी वजह से हम भारतीय स्थिति की गम्भीरता को न महसूस कर सकें। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक गतिरोध आध्यात्मिक असंतोष और ज्ञोभ का द्योतक होता है.....”

२५ फरवरी को एक शिष्टमण्डल ने, जिसमें श्री कैनन हालैण्ड और पार्लीमेंट के मजदूर दल के बहुत-से सदस्य भी शामिल थे, श्री एमरी से भेट की और उनसे गांधीजी को रिहा करने और गांधीजी की तथा कांग्रेसी नेताओं में पारस्परिक पंपर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कामन-सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री एमरी ने कहा कि ब्रिटिश-सरकार भारत-सरकार के इस फैसले से पूर्णतः सहमत है कि इस प्रकार गांधीजी-द्वारा बिना शर्त अपनी रिहाई की कोशिशों के आगे घुटने न टेके जायें।

उपवास की समाप्ति पर बहुत कम ब्रिटिश-पत्रों ने कोई राय जाहिर की। ‘डेलीमेल’ और ‘डेली टेलिग्राफ’ ने इसे ब्रिटिश-सरकार की विजय बताया।

उदार-दबी पत्र ‘स्टार’ ने कहा कि उपवास के परिणामस्वरूप भारतीयों की मनोकामना पूरी नहीं हो सकी।

हृदिया लीग-द्वारा आयोजित एक सभा में ३ मार्च को भाषण देते हुए लार्ड स्ट्रैबोल्गी ने कहा कि अब जब कि गांधीजी का उपवास स्थित हो गया है, कांग्रेस के नेताओं और भारत के अन्य समुदायों के साथ तुरन्त ही नये सिरे से समझौते की बात-चीत शुरू कर देनी चाहिए और गांधीजी की रिहाई इस दिशा में पहला कदम हो सकता है।

प्रोफेसर लास्की ने ६ मार्च, १९२३ के ‘रेनाल्डस न्यूज़’ में लिखा: “ब्रिटिश सरकार निस्सन्देह सौभाग्यशालिनी है कि उपवास के दौरान में गांधीजी की मृत्यु नहीं हुई, अगर कहीं ऐसा हो जाता तो हमरे दूनों देशों के दरमान बहुत भारी गलतफहमी पैदा हो जाती जिसे दूर करना असम्भव हो जाता।” हृदिया लीग-द्वारा ३ मार्च को धन्यवाद-प्रकाशन के रूप में आयोजित एक सभा में भाषण देते हुए लार्ड स्ट्रैबोल्गी ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि गांधीजी ब्रिटेन के एक कैदी के रूप में मरने से बच गए। मिस अगस्था हैरिसन ने कहा कि गांधीजी न केवल भारत की भलाई के लिए ही जीवित रह सके हैं, बल्कि समस्त मानवता के लिए। लार्ड हेरिंगडन, श्री एडवर्ड थामसन, श्री लारेस हाउस-मैन और कैण्टरबरी के डीन ने गांधीजी को तत्काल रिहा कर देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए संदेश भेजे।

#### (ख) अमरीका में प्रतिक्रिया

‘शिकागो डेली न्यूज़’ के प्रतिनिधि श्री ए० टी० स्टील ने, जो उस समय कराची में थे, “एक सुखाकात में कहा कि ‘गांधीजी के उपवास के कारण भारत में जो चिन्ताजनक और गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई है, उसकी वजह से अमरीकी जनता फिर से भारतीय समस्या में दिल्लचस्पी लेने लगी है। इस समय भारत में अमरीका के समाचारपत्रों और संवादसमितियों के प्रतिनिधियों की भरमार है और वे नित्यप्रति सैकड़ों ही तार गांधीजी के उपवास के सम्बन्ध में अमरीका भेज रहे हैं।”

अमरीका में उपवास की विभिन्न प्रतिक्रिया हुई। अमरीका के सभी प्रमुख पत्रों में गांधीजी के उपवास और वायसराय के साथ उनके पत्र-ईवरहार का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ। १२ फरवरी तक न्यूयार्क और वाशिंगटन के किसी भी पत्र ने इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं

की अमरीका की प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों ने कहा कि उनके पास गांधीजी की कार्रवाइयों के अध्ययन करने का समय नहीं है और इसलिए वे इस सम्बन्ध में कोई राय प्रकट करने को तैयार नहीं हैं।

गांधीजी के उपवास के सम्बन्ध में २२ फरवरी को अपने संपादकीय लेख में टिप्पणी करते हुए 'न्यूयार्क टाइम्स' ने लिखा :—

"भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति ने अपना सारा ही जीवन लगा दिया है, उसकी चरम सीमा अब उपवास में जाकर समाप्त हो रही प्रतीत होती है। पिछले सप्ताह गांधीजी की गम्भीर अवस्था के कारण एक बड़ा संकट पैदा हो गया। वाइसराय की शासन-परिषद् के तीन भारतीय सदस्यों ने उससे इस्तीफा दे दिया। यद्यपि वाइसराय ने गांधीजी को रिहा कर देने से साफ इन्कार कर दिया है, लेकिन सभी दलों की राय है कि अगर कहीं गांधीजी की मृत्यु होगाई तो ब्रिटेन के लिए एक बड़ी गम्भीर और पेचीदा समस्या खड़ी हो जाएगी। कुछ अधिकृत सूत्रों ने एकदम और अधिक हिंसात्मक कार्रवाइयों के होने की भविष्यवाणी की है और कुछ दूसरों ने यह कहा है कि लोग इतने शोकाकुल और स्तब्ध होंगे कि वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे।"

२० फरवरी को अमरीका<sup>1</sup> के स्वराष्ट्रमंत्री श्री कार्ड्ल हल और ब्रिटेन के राजदूत लार्ड हेलीफेक्स ने एक दूसरे से बातचीत की, और श्री हल ने गांधीजी के उपवास से पैदा होनेवाली परिस्थिति के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की। उसके बाद वहाँ कोई और उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। अमरीकी सरकार के भारतीय समस्या के विशेषज्ञों का गांधीजी के उपवास में खासतौर पर दिलचस्पी लेना सर्वथा स्वाभाविक था। वे इस बात में विशेष रूप से दिलचस्पी ले रहे थे कि इस उपवास और उसके फलस्वरूप घटनेवाली संभावित दुर्घटना के क्या परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अमरीका के अधिकारियों की राय का अन्दाज़ा इस केवल श्री हल अथवा राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के भाषणों से ही लगा सकते थे।

गांधीजी के उपवास की समाप्ति पर ४ मार्च को 'न्यूयार्क टाइम्स' ने अपनी राय प्रकट करते हुए लिखा कि "दोनों ही पक्षों की नैतिक विजय हुई है और आखिरकार यह घटना-क्रम समाप्त हो गया है। लेकिन अब सबाल यह उठता है कि क्या भारतीय परिस्थिति पर फिर से विचार बदलने के लिए उचित समय आ गया है। इसे यकीन है कि ब्रिटेन के बहुत-से लोग अपने आप ये सबाल करेंगे कि क्या महीनों तक प्रतीक्षा करने के बाद अब वह समय नहीं आ गया जबकि इस परिस्थिति पर युन: विचार किया जाय? क्या इस मामले में ब्रिटेन अब आसानी से पहल नहीं कर सकता?..... क्या पुनः उसी जगह से समझौते की बातचीत नहीं शुरू की जा सकती जहां से सर स्टैफर्ड किप्स के भारत जाने से पहले की थी?"

#### (ग) भारत में प्रतिक्रिया

उपवास के सम्बन्ध में भारत में विभिन्न मत होने की शायद ही कोई कल्पना कर सकता था। भारतीयों के लिए उपवास में कोई जादू और रहस्य छिपा हुआ है। यह हमारी प्राचीन और कुछ हद तक अवार्दीन परम्पराओं के अनुकूल है। पर ऐसों हृदियों का इष्टिकोण यह नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उनके समाचार-पत्र 'स्टेस्टमैन' ने गांधीजी के उपर्युक्त की भूमि-भूरि प्रशंसा की; पर राजनीतिज्ञ के रूप में उन्हें भला-बुरा कहा।

उपवास की महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम प्रतिक्रिया 'भारत में यह हुई कि इस नयी परिस्थिति पर सोच-विचार करने के लिए १८ फरवरी को नयी दिल्ली में नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया

गया। इसमें भाग लेने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण रखनेवाले ज्ञानभग १५० प्रमुख नेताओं को, जिनमें श्री जिन्ना भी शामिल थे, बुलावा भेजा गया। लेकिन श्री जिन्ना ने यह कहकर इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया कि, ‘गांधीजी के उपवास के कारण पैदा होनेवाली परिस्थिति पर सोच-विचार करने का काम वास्तव में हिन्दू-नेताओं का है।’

इस सम्बन्ध में सब से पहले अपने विचार प्रकट करनेवाले सार्वजनिक नेता हिन्दू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष डा० श्यामप्रसाद मुकुर्जी थे। अपने एक वक्तव्य में कहा—‘महात्मा गांधी के बिना भारतीय समस्या कभी नहीं सुलझ सकती।’

भारतीय द्यापार और उद्योग-संघ के प्रधान श्री जी० ए.ज० मेहता ने वायसराय के नाम अपने तार में कहा—“उपवास करने के बारे में यदि गांधीजी के फैसले में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था, तो कम-से-कम सरकार को उन्हें बिना शर्त रिहाई कर देना चाहिए था।” पश्चिडत मन्दन-मोहन मालवीय ने २० फरवरी को बिटेन के प्रधान संत्री श्री चर्चिल को निम्न तार भेजा :—

“भारत और इंग्लैण्ड के भले के लिए मैं आप से गांधीजी को मुक्त कर देने की यह अंतिम खण्ण की अपील करता हूँ.....यदि कहीं गांधीजी का जीवन जाता रहा तो भारत और इंग्लैण्ड के पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए भारी खतरा पैदा हो जायगा।”

श्री आर्थर मूर ने भी एक वक्तव्य में कहा कि इस समय, जब कि गांधीजी का जीवन खतरे में है, सरकार उन्हें छुन्दकर कोई खतरा नहीं उठाएगी और न ही उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आएगी।

भारत के सभी हिस्सों से गांधीजी को बिना शर्त मुक्त कर देने की असंख्य अपीलें की गईं। इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण और उत्कलेखनीय घटनाएं हुईं। गांधीजी की रिहाई के लिए देश भर में असंख्य सभाएं की गईं। हजारों से एक कलकत्ता के न्यायाधीश श्री विश्वास की अध्यक्षता में हुई और दूसरी, नयी दिल्ली में सेक्रेटेरियट की इमरत के सामनेवाले मैदान में भारत-सरकार के सेक्रेटेरियट में काम करनेवाले बल्किंगों की एक सभा थी।

३ मार्च को सुबह के ६ बजे गांधीजी ने संतरे के रस का एक छोटा गिलास और एक चम्मच ग्लूकोस लेकर २१ दिन का अपना उपवास खोला। गांधीजी का यह सत्रहवां—और पांचवां बड़ा—उपवास था। लेकिन जनता और डाक्टरों को उनके किसी भी पिछुजे उपवास के समय दृतनी चिन्ता और भय नहीं हुआ था जितना इस अवसर पर। और विधान चन्द्र राय ने कहा कि “इसे बार गांधीजी मृत्यु के सन्निकट पहुँच गए थे।” जब डा० बी० सी० राय का ध्यान गांधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सरकार-द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले बुलेटिनों की गम्भीरता की ओर आकर्षित किया गया तो उन्होंने कहा कि “महात्माजी ने हम सबको बेवकूफ बना दिया।” कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टाफ और विद्यार्थियों की एक सभा में भाषण देते हुए डा० विधान चन्द्र राय ने गांधीजी के उस वक्तव्य पर प्रकाश डाला जो उन्होंने उपवास की समाप्ति पर दिया था :—

“मैं नहीं कह सकता कि विधाता ने किस प्रयोजन से मुझे इस अवसर पर बचा लिया है, संभवतः वे मुझसे कोई और काम पूरा कराना चाहते हैं।”

‘फ्रैंड्स अम्बुलेंस यूनिट (भारत)’ के अध्यक्ष श्री होरेस अल्जर्जेशडर ने, जो उपवास के समय पूना में थे और इस असे में गांधीजी से दो बार मुलाकात कर चुके थे, कहा कि “गांधीजी के उपवास का भले ही कोई और महत्व क्यों न रहा हो किन्तु मेरी राय में इसका सर्वाधिक

महत्व यह है कि यह आत्मोत्सर्ग का एक उच्च उदाहरण है। इसके अलावा मेरा विचार है कि भारत और सारे संसार के लोगों के पापों और कपटों के लिए भी उनका यह उपवास आत्मशुद्धि और आत्मोत्सर्ग का द्योतक है.....।”

उपवास तो खत्म हो गया, लेकिन सरकार ने एकदम अप्रत्याशित रुख धारणा कर लिया। उसने आदेश जारी कर दिया कि उपवास तोड़ने के समय गांधीजी के पुत्रों को छोड़कर और कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं रह सकता और गांधीजी का अथवा ऐसे दूसरे किसी भी व्यक्ति का, जिसकी उन तक पहुंच है, कोई भी वक्तव्य तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे पहले से प्रांतीय प्रेस-सलाहकार को न दिखला लिया गया हो। यह प्रतिबन्ध छः मईने और २१ दिन तक जारी रहा। उसके बाद एक दिन २४ सितंबर को अचानक बम्बई-सरकार ने भारत के लोगों को यह घोषणा करके आश्र्वयचकित कर दिया कि उसने अपना वह आदेश वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि “गांधी का अथवा ऐसे दूसरे किसी भी व्यक्ति का, जिसकी उन तक पहुंच हो—कोई भी वक्तव्य तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे पहले से प्रांतीय प्रेस-सलाहकार को न दिखला लिया गया हो।” ऐसे अवसर पर जब कि भारत के आकाश में घटाटोप अंधकार छाया हुआ था, बम्बई-सरकार का यह वक्तव्य बड़ा रहस्यमय प्रतीत होता था। तीन सप्ताह तक लार्ड लिनलिथगो भारत से प्रस्थान करनेवाले थे। उनके नये उत्तराधिकारी अपने विदाई-भाषणों में अपने भावी कार्यक्रम, उसकी कठिनाइयों और खतरों का ज़िक्र करने के साथ-साथ, इस सम्बन्ध में अपनी आशाओं और आकांक्षाओं पर भी प्रकाश ढाका रहे थे। इस समय कोई भी व्यक्ति गांधीजी से किसी वक्तव्य की आशा नहीं कर रहा था। ३ मार्च को उन्होंने उपवास खोला था और २ मार्च उनसे मुलाकात करने या कोई बातचीत का अंतिम दिन था। अब इस घटना को हुए छः महीने और इकीस दिन हो चुके थे और यदि उनके मिश्रों को उनके बारे में कोई वक्तव्य देना भी था तो वह अब तक बिरुद्गल बासी और असामियिक पह चुका था। तब फिर बम्बई-सरकार ने यह घोषणा क्यों की? उसका असली मकसद क्या था और उसे रेडियो पर इतनी आन-बान के साथ क्योंकर ब्राइकास्ट किया गया था? सवाल उठता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या था?

### उपवास ममाप्त हो गया

\* आखिर एक दिन यह कठिन परीक्षा पूरी हो गई। यह परीक्षा प्राचीन काल की अग्नि और जल की परीक्षा से कहीं अधिक कठिन थी, क्योंकि यह लग्निक न होकर चिरकालीन थी, यह आत्म-निर्देशित थी, किसी बाहरी शक्ति-द्वारा निर्देशित नहीं। विटिश सरकार जो काम करने को तैयार नहीं थी, वह काम गांधीजी के पवित्र दृढ़ निश्चय और विश्वकी उच्च अदालत के सामने उनकी प्रार्थनाओं और अपीलों ने कर दिखाया—अर्थात् गांधीजी मृत्यु के मुंह में जाने से बच गए। यह एक निर्विवाद सत्य है कि दृढ़ विश्वास और धारणा ज्ञान से बड़े हैं और धारणा में आश्चर्य-जनक काम करने की शक्ति होती है। गांधीजी के उपवास के बाद फिर वही पुराना सवाल जिसके कारण उन्होंने उपवास किया था, सामने आया। प्रत्येक व्यक्ति यह जानने को उत्सुक और चिंतित था कि अगला कदम क्या होगा? क्या सरकार अब कुछ झुक जायगी और नरम पड़ जायगी? क्या वह अपने किये पर पश्चात्ताप करेगी? क्या उसके कठोर हृदय में परिवर्तन हो सकेगा? क्या उसकी मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन होगा? क्या वह अपना दुराम्रह छोड़ देगी? इस प्रसंग में हम जार्ज बर्नार्ड शा का एक वक्तव्य ड्वाइट करना उचित समझते हैं जो उन्होंने मई

१६४३ के अन्त में दिया था। उन्होंने कहा—“आप मेरा हृषका देकर यह कह सकते हैं कि विटिश सरकार ने दक्षिण पक्ष (टोरी) के प्रतिक्रियावादी और दुस्साध्य लोगों के कहने में आकर गांधीजी को जेन्न में बन्द करके एक मूर्खतापूर्ण और भारी भूल की है। उसने ब्रिटेन के धनिकवर्ग के साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ इस देश की नैतिक स्थिति बिलकुल खरम कर दी है। सन्नाद को चाहिए कि वे गांधीजी को विनाशत मुक्त करके उनसे अपने मंत्रिमंडल के मानसिक विकार के लिए ज्ञाम-याचना करें। इम तरह से जहाँ तक हो सकेगा भारतीय स्थिति को सुखकाया जा सकेगा।” निसंदेह ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, लेकिन यूरोपीय महाद्वीप पर राजनीतिज्ञता यदि खरम नहीं हो चुकी थी तो कम से कम उसका दिवाका अवश्य निकल चुका था और जो-कुछ बाकी बचा था उस पर भी परिचमी जातियों को उच्च समझने की भावना, सम्मति और बातक हितियारों से लड़ी जानेवाली लड़ाई का अभिशप छाया हुआ था।

१६१२ में भारत मंत्री माटिगू ने ‘प्रतिष्ठा’ शब्द को अंग्रेजी शब्दकोष से सदा के लिए निकाल फेंकने की जोरदार सलाह दी थी। लेकिन जीवन के शब्दकोष में यह शब्द ज्यों का स्थान कायम है। अंग्रेजों की दृष्टि में समस्त सृष्टि के जीवन की अपेक्षा कानून का अधिक महत्व है, यथापि जीवन कानून या तर्क की अपेक्षा अधिक पूर्ण, अधिक पेंचीदा और अधिक मानवताप्रिय है। इस प्रकार ब्रिटेन और भारत का यह संघर्ष, जिसमें उपवास की सृष्टि हुई, अविरल रूप से और अवाधि गति से जारी रहा, और वह न केवल साधन बल्कि साध्य के रूप में भी निरन्तर उत्तररूप धारण किये रहा। अपन्त्र और सितम्बर में वाहसराय के नाम लिखे गए अपने पत्रों में गांधीजी ने यह बात साफ तौर पर कह दी थी कि वे सरकार-द्वारा उन पर और कांग्रेस पर लगाए गए शारोपों की छान-चीन करने के लिए तैयार हैं और अगर उन्हें इन प्रमाणों से संतोष हो जायगा तो वे अपने को उन दोनों से ही अलग कर लेंगे। परन्तु किसी धमकी अथवा दबाव में आकर प्रस्ताव वापस लेने या हिंसा की निन्दा करने से कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। वह तो ऐसे ही होगा जैसे कि पुलिस के सामने जाकर अपराध बताल कर लिया जाय। परन्तु यदि आप अभियुक्त को मैंजिस्ट्रेट अथवा जज के पास ले जाकर उसकी गवाही दर्ज कराएं तो उसका महत्व समझ में आ सकता है। विटिश कानून के अन्तर्गत प्रारम्भिक कार्रवाई का यही तरीका है। किसी ठोस स्वूत के आधार पर अगर हिंसात्मक कार्रवाईयों की निन्दा की जाय और प्रस्ताव वापस लिए जाएं तो क्या वह वास्तव में सरकार के लिए अधिक नैतिक महत्व की बात न होगी? परन्तु सरकार को तो नैतिक महत्व से कोई वास्ता ही न था। ये तो सिर्फ साधु-महात्माओं के कल्पना जगन् की चीजें ठहरीं, जिनके लिए आज की राजनीति में कोई स्थान नहीं है।

श्री चविंत को अपनी चिर-आकांक्षित साध पूरी करने का यही तो उचित अवसर मिला था—इस समय वे गांधी और गांधीवाद को कुचलकर रख देना चाहते थे। परिचम की आधुनिक युद्धकला के सभी हथियारों का मुकाबला सत्याग्रह के हस शक्तिशाली हथियार से किया जा सकता है। परन्तु यह काम एक पूर्वी राष्ट्र एक महात्मा और राजनीतिज्ञ के नेतृत्व में ही पूरा कर सकता है। ब्रिटेन के लिए यह काफी नहीं था कि गांधीजी बम्बई-प्रस्ताव के समर्थक थे—जिसमें मिश्राद्धों को सैनिक-सहायता देने का वायदा किया गया था। ब्रिटेन को इससे कोई मतदब्द नहीं था कि गांधीजी कांग्रेस की सब योजनाओं को ताक पर रखकर श्री जिन्ना को राष्ट्रीय सरकार का प्रधान मंत्री बनाकर उसके साथ सहयोग करने को तैयार थे। परन्तु, इतिहास अपनी पुनरावृत्ति अवश्य करता है। ब्रिटेन के लिए यह मार्ग खुला था कि वह अमरीकियों को यहाँ अपना

उपनिवेश स्थापित करने की हजार त देता, परन्तु उसके लिए भी तो “वह सहने पड़ते, खून और पसीना। एक कर देना पड़ता।” जब किसमत ही साथ न दे रही हो तो आप जास्त कोशिश करने पर भी अपने को चिनाश के मुंह में जाने से नहीं रोक सकते। कहा जाता है कि किसी आयरिश ने गलती से कहा था कि “मैं ढूँढ़ूँगा; और कोई सुनें नहीं बचाए।” परन्तु ऐसा मालूम होता है कि हाल में जानबुज (अंग्रेज) ने भी आयरलैण्डवालों की इस बुद्धिमत्ता की बकल करती है !

इस उपवास के सम्बन्ध में साधारण दिलचस्पी की भी कुछ बातें हैं। आगामां महल के दृष्टांजे पहले तो वेवल गांधीजी के परिवारवालों, सम्बन्धियों और उन लोगों के लिए, जिन्हें गांधीजी मिलना चाहते थे, खोले गए थे; लौकिक बाद में सरकार की यह सतर्कता शिथिल पह गई और दर्शकों की भारी भीड़ इस तीर्थ-स्थान पर पहुँचने लगी। इसकी वजह यह थी कि साधारणतः यह आशंका प्रकट की जा रही थी कि देश को एक आत्म-बलिदान देखना होगा। सामर्थ्य के अनुसार किये जानेवाले उपवास का क्या अर्थ है और क्या नहीं—इस पर काफी प्रकाश ढाका जा सका था।

‘यूनाइटेड प्रेस’ को एक विश्वस्त और प्रसुच नेता से, जो कि गांधीजी की मानसिक विचारधारा से पूर्णतः परिचित है, यह पता चला है कि बाह्यराय के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में ‘सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति’ शब्दों द्वारा जिस उपवास की चर्चा की थी, उसका जो यह साधारण अर्थ लगाया गया है कि जब भी वे यह देखेंगे कि उनकी शक्ति उनको जवाब देती जा रही है, वे उपवास छोड़ देंगे, बिलकुल गलत है। पिछली बार सांप्रदायिक निरायक के सम्बन्ध में जब गांधीजी ने उपवास किया था तो यह कह दिया था कि जब तक कोई संतोषजनक फैसला नहीं होजाएगा तब तक वे आमरण उपवास जारी रखेंगे; परन्तु इस बार उन्होंने कहा था कि वे सामर्थ्य के अनुसार उपवास कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने तीन सप्ताह की अवधि निर्धारित की थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि इस बार उनकी सामर्थ्य इतनी ही थी। इसलिए यह उपवास उस निर्धारित अवधि तक अवश्य जारी रहना था बशर्ते कि उससे पूर्व उनकी मृत्यु न हो जाती अथवा उन्हें रिहा न कर दिया जाता।

गांधीजी के दर्शकों में उनके पुराने मित्र और सहयोगी कार्यकर्ता थे, जिनमें दो अंग्रेज मित्र श्री अलजेयरर और श्री सायमरण भी शामिल थे। श्री राजगोपालाचार्य, श्री जी० डी० बिलक्ष्मा, श्री भूलाभाई देसाई, श्री सुंशी और श्री के० श्रीनिवासन् को गांधीजी के दर्शकों में देखकर लोग यह ख्याल करने लगे थे कि शायद उपवास के अन्तिम भाग में यह बातचीत राजनीतिक रूप धारण करके, और लोगों का यह ख्याल सर्वथा निराधार नहीं था, क्योंकि जब बाह्यराय से इन मुल्कातों के लिए हजार ली गई थी तो सम्बद्ध नेताओं ने आमतौर पर यह संकेत किया था कि यह आशा अकारण नहीं है कि गतिरोध को दूर करने के लिए और बातचीत संभवतः सफल साबित हो सके। उपवास के सम्बन्ध में एक और छोटी-सी किन्तु महत्वपूर्ण घटना श्री विलियम फिलिप्स का तीन पंक्तियों का एक वक्तव्य था, जिसमें कहा गया था :— “भारतीय स्थिति के विभिन्न विचारणीय पहलुओं पर अमरीका और ब्रिटेन की सरकारों के बड़े-बड़े अधिकारियों-द्वारा सोच विचार किया जा रहा है।” परन्तु पना के राजनीतिक लोगों में इस वक्तव्य के प्रति कोई उत्साह नहीं प्रदर्शित किया गया, क्योंकि उन हल्कों का कहना था कि “जो-कुछ भी करना है शीघ्र ही किया जाना चाहिए, ताकि बाद में पछताना न पड़े।” श्री राजगोपाला-

चार्य गांधीजी के उपवास के सम्बन्ध में श्री फिलिप्स से दूसरी बार सोमवार को मिले। उनसे उनकी पहली भेट १६ फरवरी को नयी दिल्ली में नेता-सम्मेलन के अवसर पर हुई थी। लोगों ने श्री फिलिप्स के इस वक्तव्य का यह अर्थ लगाया कि उनका इशारा जार्ड वैलीफेस्स और कार्डब्लै हज़ में हो रही बातचीत से था, परन्तु बाद में श्री हज़ के वक्तव्य से इस सम्बन्ध में सब सन्देह दूर हो गए। इस सम्बन्ध में तीसरी दिलचस्प बात यह थी कि बम्बई के स्टाक-एक्सचेंज ने गांधीजी के प्रति अपने प्रेम, श्रद्धा और आदर के रूप में १०,००० रु. लोगों और पशुओं की सहायता के लिए दिया। इसमें से ३५,००० रु. बीजापुर के दुर्भिक्ष सहायता-समिति को लोगों और पशुओं की सहायता के लिए, ३००० रु. चिमूर सहायता-कोष और ४००० रु. चिमिङ्ग संस्थाओं को पशुओं की सहायता के लिए दिया गया। एक शौर महत्वपूर्ण परन्तु बेहूदा और बदनाम करने-वाली कहानी यह गढ़ी गई थी कि १० फरवरी से लेकर १२ फरवरी तक, जब कि गांधीजी की हालत बहुत अधिक खतरनाक होगई थी, उन्हें गुप्त रूप से कोई खाद्य दिया गया था। इस सम्बन्ध में हम श्री देवदास गांधी और डा० बी० सी० राय के दो अधिकृत और तथ्यपूर्ण वक्तव्यों का उल्लेख करना सर्वथा उचित समझते हैं।

श्री देवदास गांधी ने गांधीजी से मुलाकात करने के बाद पूना से बम्बई वापस पहुंचकर ७ मार्च को समाचार-पत्रों के नाम निम्न वक्तव्य दिया:—

“.....इसके बाद आप मीटे नीबू के रस की कहानी को लीजिए। मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम कि यह ‘मीठा नीबू’ किस फल का नाम है। स्वाभाविक तौर पर एक विदेशी सम्बाददाता ने मुझ से पूछा कि क्या उसका यह खयाल ठीक होगा कि शहद या ग्लूकोस-जैसी कोई चीज इस रस में मिला दी गई होगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है ‘मौसमी’ और ‘संतरे’ के लिए ग्रंथेजी द्वा० सीधा-सादा और खाद्य शब्द ‘आरेंज’ इस्तेमाल किया जाता है। और, वास्तव में वह मौसमी का रस था जिसे गलती से मीटे नीबू का रस कहा गया है— जो बहुत थोड़ी-सी मात्रा में पानी में दिया गया था और इसके अलावा पानी में और कोई चीज नहीं मिलती है। नीबू के रस की जगह संतरे के रस का सेवन उपवास की शर्तों के अनुमान ही किया गया था, क्योंकि दो दिन तक गांधीजी के लिए पानी पीना मुश्किल हो गया था और एक और पानी निगरानी में उन्हें पांच मिनट लगते थे। मेरा विश्वास है कि उपवास के दिनों में वे प्रतिदिन साठ और पानी में और सतन छूँ और से भी कम रस मिलाते थे।”

गांधीजी के उपवास के बाद डा० बी० सी० राय ने निम्न वक्तव्य दिया:—

“इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में अनेक पेसी चीजें हैं जिनकी हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते। गांधीजी ने उनको सेवा-शुभ्रा करनेवाले डाक्टरों से कह दिया था कि ग्राग, वे बेहोश हो जायें तो उन्हें होश में लाने के लिए या उनकी कमजोरी दूर करने के लिए उन्हें कुछ न दिया जाय और डाक्टरों ने उनकी हृद्धा पूरी की। अगर उन्हें पानी पीने में कठिनाई होती थी तो वे जी मध्यन्ने की बीमारी के कारण अपना सिर हिलाकर कह देते थे, परन्तु वे इसमें सोडियम साइट्रेट, पोटाशियम साइट्रेट अथवा कुछ हद तक मीठा नीबू भी मिलाकर पाने को तैयार थे, जिससे कि पानी स्वादिष्ट हो सके। ज्यों ही वे पानी की आवश्यक मात्रा पी सकने के योग्य हो गए उन्होंने उसमें नीबू का रस मिलाना छोड़ दिया.....!”

अन्त में हम भारतीय आकांक्षाओं और असमर्थताओं के प्रति अमरीका की गहरी परन्तु संयत दिलचस्पी का जिक्र करना चाहते हैं। गांधीजी के उपवास के कारण अमरीका को अपनी

वास्तविक प्रजातन्त्रीय और मानवीय भावना का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। यद्यपि यह सत्य है कि समस्त भारत में सैकड़ों ही लोगों ने, जिनके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं है, पूरे इकीस दिन तक प्रायः गांधीजी के साथ ही उपवास किया और इसके अलावा लाखों ही लोगों ने एक दिन से चेकर एक सप्ताह अथवा दस दिन तक सांकेतिक व्रत रखा। परन्तु अमरीका में सहानुभूति के रूप में किया जानेवाला उपवास जितना महत्वपूर्ण था उतना ही अप्रत्याशित भी। इस सम्बन्ध में हिरडा वाइरम बोलटर ने पत्रों के नाम अपने एक वक्तव्य में बताया:—

“परन्तु सम्पूर्ण अमरीका में अधिकांश लोग इस बात पर बड़ी बेचैनी प्रकट कर रहे हैं कि उनका मित्र, उनका चचेरा भाई और उनका वर्तमान सहयोगी ब्रिटेन भारतीयों के प्रति वह बर्ताव नहीं कर रहा जिसकी वे उससे आशा करते थे। अमरीका के लोग यद्यपि यह बात जानते हैं कि वे भारत की पेंचीदा समस्या पूर्णतः समझने में असमर्थ हैं, फिर भी वे निश्चित रूप से जानते हैं कि इसमें एक नैतिक प्रश्न छिपा हुआ है और इस नैतिक प्रश्न पर वे ब्रिटिश सरकार की वर्तमान भीति का किसी तरह से भी समर्थन करने को तैयार नहीं हैं। भारतीय समस्या के बहुत-से पहलुओं के बारे में अमरीका के लोग कठिनाई में पहुंच जाते हैं, परन्तु इनके साथ ही उनकी भारतीयों के प्रति पूर्ण सहानुभूति भी है।”

### इस्तीफे

बहुधा यह कहा जाता है कि अपने जन्म के बाद, जबसे कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया है अंग्रेज सिर्फ उसके बारे में दो ही बातें समझते हैं—किसी बड़े अधिकारी की हस्ता अथवा किसी बड़े अधिकारी का इस्तीफा। परन्तु कांग्रेस इन दोनों ही बातों से साफ़ हन्कार कर रही है। न तो कभी उसने किसी की हस्ता में हाथ बँटाया और न ही किसी को हस्तीफा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसीलिये उसने सत्याग्रह के अमोघ अस्त्र को अपनाया और पुलिस के लाठी-चार्ज से लेकर उपवास तक कष्ट-सहन करने का कार्यक्रम अपने सामने रखा। यह ठीक है कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के प्रारम्भिक युग में सर एस० पी० सिन्हा, सर तेजबादुर सप्त्रू, और सर शंकरन् नायर प्रभृति प्रमुख द्व्यक्तियों ने समय-समय पर सरकार की दमन-भीति के विरोध में वाइसराय की शासन-परिषद् से इस्तीफे दिये। परन्तु १७ फरवरी १९४२ को, जबकि गांधीजी का उपवास शुरू हुए एक सप्ताह हो चुका था, भारत ने अस्त्यन्त महत्वपूर्ण, अत्यन्त आर्चर्यजनक और सामर्यक इस्तीफों की घटना भी देखी जबकि सर एस० पी० मोदी, श्री अण्णे और श्री सरकार ने सरकार-द्वारा गांधीजी को रिहा न करने के विरोध में वाइसराय की शासन-परिषद् से इस्तीफा दे दिया। सरकार की सम्बद्ध विज्ञप्ति और भारत के इन तीनों सप्तरों का संयुक्त बयान नीचे दिए जाते हैं:—

“माननीय सर एस० पी० मोदी, के० बी० ई०, माननीय श्री एन० आर० सरकार और माननीय श्री एम० एस० अण्णे ने वाइसराय की शासन-परिषद् के अपने पदों से स्तीके दे दिये हैं और हिज्ज एक्सीलेन्सी गवर्नर-जनरल ने उनके हस्तीफे स्वीकार कर दिये हैं।

“वाइसराय की शासन-परिषद् से हमारे इस्तीफों के सम्बन्ध में ज्ञोषणा की जा चुकी है और स्पष्टीकरण के रूप में हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि एक प्रश्न के सम्बन्ध में, जो हमारी राय में एक बुनियादी सवाल है ( गांधीजी के उपवास के प्रश्न पर की जानेवाली कार्रवाई ) उसमें कुछ मतभेद हो गये थे और हमने अनुभव किया कि हम और अधिक समय तक अपने पदों पर नहीं बने रह सकते। जिसने दिन भी हमें वाइसराय के साथ मिलकर इस देश की शासन-

श्वरस्था चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस अवधि में उन्होंने हमारे प्रति जो सौजन्य और आदर-भाव प्रदर्शित किया है, उसके लिए हम उनकी हङ्कय से क्रद करते हैं।”

अभी हमें उपवास के फलस्वरूप घटनेवाली अस्यन्त उरुतेखनीय घटना का जिक्र करना चाही है। भारत ने गांधीजी की प्राण-रक्षा करने में कोई कसर न उठा रखी। सरकार से किये गए सब अनुरोध और अपीलें विफल रहीं, परन्तु केवल विधाता और उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थनाएँ निरन्तर की जाती रहीं। संकट के समय नास्तिक और अनीश्वरवादी में भी इड विश्वास पैदा हो जाता है और इस अवसर पर दसियों लाखों लोगों ने ईश्वर से प्रार्थनाएँ कीं। परन्तु राष्ट्र को इतने से कैसे संतोष हो सकता था। नेताओं ने सोचा कि उन्हें गांधीजी का जीवन बचाने के लिए संगठित और संयुक्त प्रयास करना होगा, और उन्हें भारत के राजनीतिक गतिरोध की मुख्य समस्या को सुझाफ़ाना ही होगा। शान्ति-काल में मनुष्य में औचित्य का जो अभाव रहता है, संकट के समय उसके दूर होजाने की संभावना बनी रहती है। और जहाँतक गांधीजी का सम्बन्ध है वे तो बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण और सधरामर्श पर ध्यान देने को सदैव तप्तर रहते हैं। तदनुसार उपवास के प्रारम्भिक दिनों में ही देश के गण्यमाण्य लोक-प्रिय नेताओं ने १३ फरवरी को नयी दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें डेंड सौ सदाशय और भद्र पुरुषों ने भाग लिया। अन्त में १४ फरवरी को यह सम्मेलन शुरू हुआ और उसने पूरे ज्ञान से अपना काम प्रारम्भ कर दिया। तदनुसार नेता-सम्मेलन का मसविदा तैयार करने-वाली समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें गांधीजी की रिहाई की मांग की गई थी।

गांधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो चिन्ताजनक समाचार प्राप्त हो रहे थे, उन्हें देखते हुए समिति ने वाहसराय के पास प्रस्तावित प्रस्ताव भेज देने का फैसला किया जिससे कि वे उसके सम्बन्ध में तत्काल कोई कार्रवाई कर सकें। २० फरवरी को उक्त प्रस्ताव सम्मेलन के सामने पेश किया गया और इस प्रस्ताव पर बोलनेवालों में से डा० जयकर, सर महाराजसिंह, सर ए० एच० गज्जनवी, डा० श्यामाप्साद मुरुर्जी, सर तेजबहादुर सपू, मास्टर तारासिंह और श्री० एन० एम० जोशी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। समिति ने देश के सभी वर्गों, सम्प्रदायों और धर्मावलम्बियों से रविवार २१ फरवरी को गांधीजी की दीर्घायु के लिये विशेष प्रार्थनाएँ करने की अपील की।

२० फरवरी को सम्मेलन का खुला अधिवेशन सर तेजबहादुर सपू की अध्यक्षता में शुरू हुआ और अपने ज्ञारदार भाषण के दौरान में उन्होंने कहा:—

“मेरा यकीन है कि ब्रिटिश इतिहास से हमने एक सबक यह सीखा है कि ब्रिटिश सरकार ने हमेशा ही राज-भक्तों से फैसला करने की बजाय विद्रोहियों से समझौता किया है। जब गुहसदस्य महात्मा गांधी को एक विद्रोही बताते हैं तो उससे मुझे निराशा नहीं होती। मुझे अब तक यही आशा है कि एक-न-एक दिन हन्हीं विद्रोहियों के साथ ब्रिटेन समझौता करेगा और उस समय मेरे और आप-जैसे लोगों की तो बात तक भी नहीं पूछी जायगी।.....जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है मैं इस बारे में अधिक आशावादी नहीं हूँ, क्योंकि अगर सरकार को उन्हें छोड़ना ही होता तो वह इन तीनों सदस्यों के इस्तीफे मंजूर न करती। बहरहाल जो भी स्थिति हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमें यह सावित करना है कि हम रचनात्मक काम करने के लिए समझौता करने को वरसुक हैं और हमारी यह ज्ञारदार मांग है कि गांधीजी को तुरन्त मुक्त कर दिया जाय।”

सम्मेलन की स्थायी समिति ने गांधीजी की रिहाई को ज्ञोरदार मांग करते हुए प्रधान-मन्त्री श्री चर्चिक के नाम एक समृद्धि तारे भेजा और उसकी नकल कामन-सभा में विरोधी-दल के नेता श्री आर्थर ब्रीनबुड और उदार-दल के नेता सर पर्सी हैरिस के पास भी भेजी। श्री चर्चिक ने अपनी रोगि-शय्या से उसके जवाब में लिखा:—

“गत अगस्त में भारत-सरकार ने निश्चय किया था कि गांधीजी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को नज़रबन्द करना चाहिए। इसके कारण पूरी तरह स्पष्ट किये जा चुके हैं और अच्छी तरह समझ लिये गए हैं। उस निर्णय के जो कारण थे, वे अब भी विद्यमान हैं और अनशन-द्वारा महात्मा गांधी ने अपनी बिना शर्त रिहाई के लिए जो प्रयत्न किया है, उसके सम्बन्ध में भारत की जनता तथा मित्रराष्ट्रों के प्रति अपने कर्तव्य पर दृढ़ता से ढटे रहने का भारत-सरकार ने जो निश्चय किया है, उसका सम्भाट की सरकार समर्थन करती है। भारत-सरकार का तथा सम्भाट की सरकार का पहला कर्तव्य यह है कि वह बाहरी आक्रमण से, जिसका द्वितीय अभी तक मौजूद है, भारत-भूमि को रक्खि करे और भारत को इस योग्य बनावे कि वह मित्र-राष्ट्रों के उद्देश्य की पूर्ति में अपना भाग अदा कर सके। गांधीजी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं में भेद करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए सारी ज़िस्मेदारी महात्मा गांधी पर ही है।”

जब इम गांधीजी के इस अनशन के सब पहलुओं पर सोच-विचार करते हैं तो एक बात अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण रह जाती है, जिस पर कोई रोशनी नहीं पड़ती। क्या वज़ह थी कि गांधीजी के २३ सितम्बर १९४२ वाले पत्र को उचित रूप से नहीं प्रचारित किया गया। इस पत्र में गांधीजी ने देश में कथित विध्वंस के बारे में खेद प्रकट किया था। आखिर २५ जून, १९४२ को श्री एमरी के बक्तव्य से यह पहेजी कुछ स्पष्ट हो सकी।

कामन-सभा में श्री सोरेन्सन ने यह बात जोर देकर कही कि वाहसराय के नाम गांधीजी के २३ सितम्बर, १९४२ वाले पत्र का, जिसमें उन्होंने हिंसापूर्ण कार्यों की निनदा की थी, वाहसराय-गांधी पत्र अवहार में कोई उल्लेख तक क्यों नहीं किया गया? अपने यह भी पूछा कि आखिर क्या वज़ह है कि न तो वाहसराय ने और न ही भारत-मंत्री ने इस पत्र के अस्तित्व के बारे में अब तक कोई प्रकाश डाला है? इसके जवाब में श्री एमरी ने कहा:—

“श्री सोरेन्सन को गवर्नफहमी हुई है। सितम्बर में गांधीजी का जो पत्र मिला वह वाहसराय के नाम नहीं था, बल्कि भारत सरकार के गृह विभाग के सेक्रेटरी के नाम था। इस पत्र पर २३ सितम्बर की तारीख लिखी हुई थी और भारत में समाचार-पत्रों को प्रकाशनार्थ जो सामग्री दी गई थी, उसमें भी इसका ज़िक्र इसी ढंग से किया गया था। गांधीजी ने १६ जनवरी के अपने पत्र में इसका उल्लेख अवश्य किया था, परन्तु उनका यह उल्लेख गलत था, क्योंकि उन्होंने इसे २१ जितम्बर का पत्र कहा था, और उसके बाद लन्दन के पत्रों को जो पत्र-अवधार प्रकाशनार्थ दिया गया उसमें भी इसका ज़िक्र इसी प्रकार किया गया था। उस पत्र में यद्यपि उन्होंने देश में कथित विध्वंस पर खेद प्रकट किया था, परन्तु उसकी ज़िस्मेदारी उन्होंने कांग्रेस पर न डालकर सरकार पर ही डाली थी और उन्होंने असंदिग्ध शब्दों में हिंसा की निनदा नहीं की।”

श्री सोरेन्सन ने फिर ज्ञोर देकर कहा कि श्री राजगोपालाचार्य ने खास तौर पर उसका ज़िक्र करते हुए कहा है कि उसमें गांधीजी ने हिंसात्मक कार्यों की निनदा की थी—और उन्होंने ऐसा पत्र निश्चित रूप से लिखा था। उन्हों (सोरेन्सन)ने पूछा कि क्या वाहसराय को इसकी जानकारी थी? और क्या कारण है कि इस सम्बन्धमें उस बत्त कुछ भी नहीं कहा गया। जब कि गांधीजी को इसालए

आत्मोचना की जा रही थी कि उन्होंने हिंसापूर्ण कार्यों के बारे में अब तक कोई राय कर्यों नहीं जाहिर की ?” श्री एमरी ने इसके उत्तर में कहा :—

“नहीं; या तो श्री राजगोपालाचारी अथवा श्री सोरेन्सेन को गलत सूचित किया गया है—यह गलतफहमी गांधीजी की कलम की भूल से अनजाने में हुई प्रतीत होती है।”

श्री एमरी के वक्तव्य में दो-तीम गलत-बयानियाँ हैं जिन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते । पहली बात तो यह है कि निस्तंदेह गांधीजी के २३ सितम्बर, १९४२ बाले पत्र का तथाकथित प्रकाशन अवश्य हुआ, परन्तु यह प्रकाशन उस पत्र-ब्यवहार के अंग के रूप में किया गया जो गांधीजी का उपवास शुरू हो जाने के चार दिन बाद १४ फरवरी १९४३ को, उनके उपवास के सम्बन्ध में छापा गया था । श्री एमरी के वक्तव्य में कोई व्याक्ति इस भ्रम में पढ़ सकता है कि यह पत्र वास्तव में सितम्बर, १९४२ में प्रकाशित हुआ था । अगर यह पत्र उसी वक्त पूरे-का-पूरा छाप दिया जाता तो गांधीजी-द्वारा हिंसात्मक कार्यों की निन्दा का बाहर के लोगों पर अवश्यमेव गहरा प्रभाव पड़ता और उनके ये कार्य शिथिल पड़ जाते । परन्तु श्री एमरी का यह ख्याल है कि गांधीजी ने इन कार्यों की असंदिग्ध शब्दों में निन्दा नहीं की थी और उन्होंने केवल कथित शोचनीय विधंवंस का ही ज़िक्र किया । “नहीं, यह बात ऐसी नहीं थी” उन्होंने इसमें कहीं अधिक कहा था । उन्होंने घोषणा की कि “कांग्रेस की नीति अब भी स्पष्ट रूप से अहिंसापूर्ण है । और जहां तक तोड़फोड़ का प्रश्न है उन्होंने दावा किया कि निस्तंदेह हिंसा को हिसी भी खुली कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए सरकार के पास कफी साधन हैं । श्री एमरी ने श्री राजगोपालाचार्य का ज़िक्र किया है । इस सम्बन्ध में बेहतर होगा कि इस यहां स्वयं उन्होंके वक्तव्य को उद्धृत करें जो उन्होंने कामन-सभा में होनेवाले प्रश्नोत्तर से तीन महीने पहले द मार्च को समाचार-पत्रों के नाम दिया था । उसमें श्री राजगोपालाचार्य ने कहा :—

“१० फरवरी को जब से गांधी-जिनकियगों पत्र-ब्यवहार प्रकाशित हुआ है उसकी एक उल्लेखनीय बात बहुत परेशानी में ढालनेवाली और रहस्यरूप प्रतीत होती है । अधिकारियों की ओर से उसका अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया । गांधीजी को गिरफतारी के बाद तोड़फोड़ और हिंसा की जो कार्रवाईयां देश में हुई हैं, उनका उन्होंने २३ सितम्बर, १९४२ के भारत-सरकार के नाम अपने पत्र में स्पष्ट रूप से विवेद किया है । अगर यह पत्र अथवा उसका मुख्य अंश उस समय प्रकाशित कर दिया जाता तो वे लोग, जो कांग्रेस और उनके नाम से ऐसे काम कर रहे थे और उन्हें प्रोत्साहन दे रहे थे, उनके नाम से अनुचित लाभ उठाना छोड़ देते । सरकार-द्वारा उस पत्र को दबा देने के परिमाणस्वरूप यह ख्याल पैदा होता है कि एक बार जब कि सरकार ने यह समझ लिया है कि उसने स्थिति पर कानून पा लिया । उसने गांधीजी के एहसान के नीचे दबने के बजाय अपना दमन-चक्र जारी रखना अधिक बेहतर समझा । यह कहना मुनासिब होगा कि गांधीजी की राय को अंधकार के पर्दे के पीछे छिपाकर तोड़फोड़ और दमन-चक्र की एक दूसरे से होकर जगी हुई थी । जिन लोगों की यह धारणा है कि गांधीजी किसी भी हालत में गुप्तसंगठन और सार्वजनिक संपर्क के विनाश की हजाज़त नहीं दे सकते थे और जिन्होंने उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दमन-नीति की निन्दा की—उन्हें यह शिकायत करने का अधिकार है कि सरकार के नाम गांधीजी का पिछले सितम्बरवाला पत्र दबाया नहीं जाना चाहिए था ।

“पिछले नवम्बर में जब वाहसराय से मेरी मुख्याकात हुई तो उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि यद्यपि गांधीजी को समाचार-पत्र दिये जाते हैं, फिर भी उन्होंने इन कार्रवाईयों

की निन्दा नहीं की। १२ नवम्बर को, जब कि गांधीजी से मिलने की मेरी प्रार्थना वाइसराय-द्वारा ठुकरा दी गई, मैंने नयी दिल्ली में समाचार-पत्रों के नाम अपने एक वक्तव्य में कहा—‘यदि मुझे यह खबाल होता कि गांधीजी से मेरी मुलाकात के फल-स्वरूप उपद्रवों को जरा भी प्रोत्साहन मिल सकता है तो मैं उनसे मुलाकात करने के लिए कभी भी इजाजत न मांगता। मेरे विचार हृतने स्पष्ट और सर्वविदित हैं कि मुझे यह आशा थी कि सिर्फ इसी बात से कि मैं गांधीजी से मुलाकात करने जा रहा हूँ, उपद्रवों में शिपिलता आजाती और उसका स्वाभाविक परिणाम यह होता कि जनता का व्यान इन उपद्रवों की ओर से हटकर मेरी बातचीत के परिणाम की ओर लग जाता और इसलिए मेरी राय में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वाइसराय ने समझौता करने का अवसर प्रदान करने से हन्कार कर दिया है।’ अगले ही दिन अपने एक और वक्तव्य में मैंने कहा कि, ‘बिना कहे गांधीजी से यह आशा करना कि वे जेल के भीतर से इन कार्रवाइयों के बारे में कोई राय जाहिर करें, उचित नहीं प्रतीत होता। और अगर मुझे उनसे मुलाकात करने की इजाजत मिल जाती तो अब्य बातों के अलावा मेरा इरादा उनसे इस बारे में भी उनकी राय जानने का था। १२ और १३ नवम्बर को जब मैंने ये वक्तव्य दिये थे तो मुझे यह पता ही नहीं था कि वाइसराय के पास २३ सितम्बर का गांधीजी का यह पत्र पहले से ही मौजूद था। अगर यह भी मान लिया जाय कि उक्त पत्रका अन्य बातों और खामियों के कारण ही उसके बारे में वाइसराय के असंतुष्ट और नाराज होने के कारण थे—तब भी अगर वे सुनसे इस बारे में थोड़ा-बहुत भी ज़िक्र कर देते तो बहुत से निर्दोष व्यक्तियों को हृतने अधिक कष्ट और मुसीबतों से बचाया जा सकता था।’—(‘हिन्दू’)

२२ फरवरी, १९४३ को नयी दिल्ली में एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में सर तेजवङ्कादुर सप्त्रू ने कहा—‘अगर यह पत्र उसी समय प्रकाशित कर दिया जाता, तो जनता को पता चल जाता कि अहिंसा के सिद्धांत में गांधीजी का विश्वास पढ़ने की भाँति ही दृढ़ बना हुआ है और वे उस पर अद्वितीय बने हुए हैं और उनसे राजाजी-जैसे लोगों के हाथ जनता से यह कहने के लिए मज़बूत हो जाते कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं वे गांधीजी के जीवन भर के किये-कराए पर पानी फेर रहे हैं।’ ६ मार्च को राजाजी ने इसी बात को फिर हुइराते हुए उचित रूप से ही यह दावा किया कि अगर यह पत्र समय पर प्रकाशित हो जाता तो वे लोग, जो हिंसा में लगे हुए थे “गांधीजी के नाम से आनुचित रूप से ज्ञाम उठाना बन्द कर देते।”

इस पत्र से अच्छे परिणाम निकलने की सम्भावना की जाती थी, परन्तु सरकार अपने ही तरीके से आंदोलन का सुकाबिला करने का दृढ़ निश्चय किये हुए थे। नवम्बर १९४२ में जब श्री राजगोपालाचार्य ने गांधीजी से मुलाकात करने की आज्ञा मांगी तो उनका एक उद्देश्य यह जानना भी था कि अब तक गांधीजी इस बारे में चुपचाप क्यों बैठे हैं। गांधीजी चुप नहीं बैठे थे, परन्तु राजाजी के पास यह जानने का कोई साधन नहीं मौजूद था। श्री एमरी ने इन बातों का उत्तर देने के बजाय यह कहना अधिक बेहतर समझा कि राजाजी, “गांधीजी की कलम की भूम्ल के शिकार” हो गए हैं।

### स्मट्टम के विचार

श्री कौलस् ने गांधीजी के उपवास के सम्बन्ध में अपने एक लेख में लिखा था : “—इस बात से सतर्क रहना चाहिए कि महात्माजी हमें पुनः बेवकूफ न बनादें।” परन्तु मुझी रौयडेन ने उनका प्रतिवाद करते हुए ‘उपवास की विशिष्ट कला’ के सम्बन्ध में फील्ड-मार्शल स्मट्टस

के विचारों का उद्दरण पेश किया और कहा कि “फील्ड-मार्शल स्मर्ट्स दबाव डालने अथवा दृढ़ विश्वास के इस विचित्र साधन का न तो समर्थन करते हैं और न ही उसकी निन्दा करते हैं।

“अपने उद्देश्य के लिये दूसरों की सड़ानुभूति और समर्थन प्राप्त करने के लिए वे (गांधी जी) अपने-आपको कष्ट पहुँचते हैं। जब वे तर्क-द्वारा अथवा समझाने के साधारण तरीके से किसी से अपनी बात नहीं मनवा पाते तो भारत और पूर्व की प्राचीन परम्परा पर आश्रित इस नये तरीके का सहारा लेते हैं। यह एक ऐसी कार्य-प्रणाली है जिस पर राजनीतिक विचारकों को ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक साधन के लेत्र में यह गांधीजी की विनाशात्मक देन है।

‘मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूँ। बहुत-से लोगों का, जिनमें गांधीजी के कुछ अभिभावक और समर्थक भी शामिल हैं, उनके कुछ विचारों और काम करने के तरीकों से मतभेद अवश्य रहेगा। उनके काम करने का ढङ्ग व्यक्तिगत है। वह उनका अपना ही निराला ढंग है, और जैसा कि इस सामले में हुआ है, साधारण स्वीकृत मापदण्ड के अनुकूल नहीं है। हमारा उनसे चाहे कितना ही मतभेद क्यों न हो, लेकिन हमें उनकी ईमानदारी और सचाई, उनकी निस्त्रवार्थता, और सर्वाधिक उनकी आधारभूत और सार्वभौम मानवता पर कभी सन्देह नहीं हो सकता। वे हमेशा ही एक महान् पुरुष की तरह काम करते हैं, उनमें सभी वर्गों और जातियों के लोगों के लिए गहरी सहानुभूति है, विशेषज्ञ गरीबों के लिए। उनका दृष्टिकोण संकुचित और सम्प्रदायिक नहीं है। वहिक उसकी विशेषता सार्वभौमिकता और शाश्वत मानवता है जो कि वास्तविक महत्ता की कर्सीटी है।’’ (‘टाइम्स प्रेस इंडिया’ १ मई, १९४३)

### गांधीजी के उपवास

(१) १९१८, ग्रहमदावाद की मिलों में काम करनेवाले मजदूरों की वेतन-वृद्धि के लिए आमरण अनशन, जो तीन दिन बाद समाप्त हो गया।

(२) १९२१, विस आफ वेरस की भारत-यात्रा के समय बम्बई में हुए बपदवों को शान्त करने के लिए।

हिन्दू-सुस्लिम मतभेदों और देश के विभिन्न भागों में होनेवाले सांप्रदायिक दंगों के कारण १९२४ में गांधीजी को २१ दिन का उपवास करना पड़ा। यह उपवास दिल्ली में उन्होंने मौज़ाना सुहगमदश्त्रली के निवास-स्थान पर किया। इससे पूर्व भारत के सार्वजनिक जीवन में कभी भी किसी एक व्यक्ति के आत्मोत्सर्ग ने देश के नेताओं के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव नहीं डाला था। शीघ्र ही एक सर्वदल-सम्मेलन बुलाया गया और नेताओं के आग्रह करने पर और यह आश्वासन दिलाने पर कि वे अपनी ओर से उन (गांधीजी)के हड़ निश्चय को कार्यान्वित करने की भरसक चेष्टा करेंगे और हिंसात्मक कार्रवाइयां करनेवाले सभी व्यक्तियों की निन्दा करेंगे, गांधीजी ने उपवास छोड़ दिया।

नवम्बर १९२४ में गांधीजी को सावरमती के आश्रम-निवासियों की एक भूल का पता चला जिस पर उन्होंने सात दिन का उपवास किया।

१९३२ में जबकि गांधीजी यरवडा जेल में अपनी कैद की सजा भुगत रहे थे, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई। उन्होंने चुनाव के आधार पर हिन्दुओं का विभाजन रोकने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देने की ठाठ ली। फलतः आमरण बत शुरू हुआ। २० सितम्बर के बाद से उन्होंने अन्न न प्रहण करने का निश्चय किया; सिर्फ नमक अथवा सोडे बाजा या उसके बिना पानी पीना था।

इसके पांच दिन बाद ही पूना के समझौते पर दस्तग़रत हो गए, जिसके अनुसार वैधानिक संरचण दिये जाने का आश्वासन मिज्ज जाने पर अद्भुतों ने पृथक् निर्वाचन को छोड़ देना मंजूर कर लिया। बाद में प्रकाशि। एक सरकारी विज्ञप्ति में अधिकृत रूप से इस समझौते की पुष्टि और समर्थन किया गया। उपवास तोड़ दिया गया और अद्भुतों की सामाजिक अयोग्यताएँ दूर करने के लिए इरिजन-आंदोलन का जन्म हुआ।

इस उपवास की सफलता के बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता। इसकी वजह से एक निर्धारित वैधानिक निर्णय पब्लिक दिया गया और हिन्दू-समाज को अद्भुतपन दूर कर देने के लिए एक जोरदार आनंदोलन शुरू कर देना पड़ा। उपवास के कारण जो सुधार हुए वे साधारण परिस्थितियों में सम्भवतः दशकों तक न हो पाते।

इस उपवास को हुए अभी सुरिकल से दो महीने हुए होंगे कि गांधीजी को एक और उपवास करना पड़ा। इसलिए कि जेल-अधिकारियों ने अप्पासाहब पटवर्धन को भंगी का काम करने देने से हक्कार कर दिया था। गांधीजी को उपवास शुरू किए हुए अभी दो दिन भी नहीं गुजरे थे कि अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ी।

इसी बीच हरिजन सुधार का आंदोलन जोरों पर जारी रहा। दूर मालावार में गुरुवयूर के प्रभिद्द मन्दिर में हरिजन-प्रवेश पर से प्रतिबन्ध हटा लेने के लिए सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधीजी ने घोषणा की कि यदि कठ्ठा हिन्दुओं ने ये प्रतिबन्ध न उठाये तो उनके लिये उपवास करना अनियत हो जायगा। प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी लोगों को सुंह की खानी पड़ी और गुरुवयूर की जनता ने हरिजनों पर से उक्त प्रतिबन्ध हटा लेने के हक में फैसला किया।

परन्तु उसी वर्ष मई में गांधीजी ने आत्म-शुद्धि के लिये २१ दिन का उपवास किया। “इसका उद्देश्य ‘आत्म-शुद्धि’ है जिससे कि मैं और मेरे सहयोगी हरिजन-सुधार के काम में अधिक सतर्क होकर काम कर सकें।” सरकार ने उसी दिन गांधीजी को रिहा कर दिया। यह उपवास २१ मई को पूना ‘पर्णकुटी’ में सहजतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

जुलाई १९३४ में एक कुद्द सुधारक ने हरिजन-आंदोलन के एक विरोधी व्यक्ति पर लाठी से हमला किया। गांधीजी को इस हिंसा पर दुख हुआ और उन्होंने विरोधियों-द्वारा एक-दूसरे के प्रति अमहिष्णुना दिक्षाने पर पश्चात्ताप के रूप में सात दिन का उपवास किया।

गांधीजी का अगला उपवास १९३६ में राजकोट की बटना के सम्बन्ध में, इसाच को शुरू हुआ। यह उपवास काठियावाड़ी की इस छांटी-सी रियासत के शासक के खिलाफ शुरू किया गया था। इस मामले में वाइसराय के हस्तक्षेप के फलस्वरूप सर मौरिस ग्वायर को पंच नियुक्त किया गया और पांचवें दिन उपवास तोड़ दिया गया। सर मौरिस ग्वायर ने गांधीजी के हक में फैसला किया। लेकिन दो महीने के बाद गांधीजी ने घोषणा की कि उन्हें इस उपवास में हिंसा का आभास मिज्जा है, इसलिए यह उपवास निर्धक और असफल घोषित कर दिया गया।

१९ फरवरी, १९४३ को गांधीजी ने नजरबन्दी की हालत में आगामी महज में ‘सामर्थ्य के अनुसार’ एक उपवास प्रारम्भ किया। यह उपवास २१ दिन का था।

### भंगाली का उपवास

उपवास के समय जनता यह जानने को चिन्तित थी कि गांधीजी को प्रोफेसर भंसाली के साथ सम्पर्क स्थापित करने की इजाजत दे दी गई है अथवा नहीं? जून १९४४ में प्रकाशित

पत्र-व्यवहार से इस विषय पर प्रकाश पड़ता है। २४-११-४२ को गांधीजी ने बम्बई-सरकार के गृह-विभाग के सेक्रेटरी के नाम निम्न तार भेजा:—

“प्रोफेसर भंसाली, जो एक समय पुलिफन्स्टन कालेज में भेरे सथ पढ़ा रहते थे १९२६ में कालेज छोड़कर सावरमती आश्रम में भर्ती हो गए थे। दैनिक समाचार-पत्रों में पता चलता है कि वे ग्रथित चिमूर-कांड के सम्बन्ध में लोगों पर की गई उद्यादितियों के विलसिले में वर्धा सेवाग्राम आश्रम के पास उपवास कर रहे हैं और पानी तक भी नहीं पी रहे हैं मैं सुपरिनेन्डेन्ट के ज़रिये उनके साथ तार-द्वारा सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहता हूँ जिससे कि यह जान सकूँ कि उन्होंने यह उपवास क्यों शुरू किया है और उनकी कैसी हालत है। अगर मैंने समझा कि नैतिक आधार पर उनका उपवास अनुचित है तो मैं उनसे उसे छोड़ देने को कहूँगा। मैं मानवता के नाम पर आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ” —४८० के० गांधी।

२४ नवम्बर के इस तार के जवाब में बम्बई-सरकार ने ३० नवम्बर १९४२ को उन्हें तार भेजा कि—“सरकार आपकी यह प्रार्थना मानने को असमर्थ है कि आपको उनके साथ पत्र-व्यवहार करने की इजाजत दी जाय। परन्तु यदि आप मानवीय कारणों से उन्हें उपवास छोड़ देने की सलाह देना चाहें तो यह सरकार आपकी सलाह उनतक पहुँचाने का प्रबन्ध कर देगी। गांधीजी को यह तार ३ दिसम्बर के बाद मिला। इस प्रकार अपने संदेश का जवाब मिलने में उन्हें दस दिन लग गए। इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने लिखा:—

“मुझे दुःख है कि सरकार ने मेरी प्रार्थना अस्वीकार करदी है। परिस्थितियों के अनुसार उपवास करना मैं उचित ही नहीं समझता, बल्कि आवश्यक भी मानता हूँ। परन्तु जब तक मुझे यह न मालूम हो जाय कि प्रोफेसर भंसाली के पास उपवास करने का उचित कारण नहीं है, तब तक मैं उन्हें उपवास तोड़ने की सलाह नहीं दे सकता। अगर अखबारों की खबर पर विश्वास किया जाय तो उनके उपवास का कारण सर्वथा न्यायोचित है और यदि मुझे अपने मित्र को खोना ही है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ।” —४८० के० गांधी।

सेवाग्राम आश्रम के निवासी और गांधीजी के यह निकट सहयोगी प्रोफेसर भंसाली पहली नवम्बर को वाहसराय की शासन-परिषद् के सदस्य माननीय श्री ४८० ४८० अणे की सरकारी कोठी पर पहुँचे ताकि उन्हें मध्यप्रान्त में हुए हाज़ के उपद्रवों को दरम्यान पुलिस और सेना-द्वारा की गई कथित उद्यादितियों के समाचारों से अवगत करा सकें। प्रोफेसर भंसाली ने श्री अणे को बताया कि मध्यप्रान्त में चिमूर-जैसे स्थान पर जिन घटनाओं के होने का समाचार मिला है, उनसे बड़ा दुःख और कष्ट पहुँचता है। भारत-मंत्री पालीमेण्ट को और उसके जरिये बाहरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि आनंदोलन को दबाने के लिए भारत-सरकार जो कार्रवाइयां कर रही है, उसके लिए उसे वाहसराय की शासन-परिषद् के अधिकांश भारतीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। इसलिए प्रोफेसर ने श्री अणे से प्रार्थना की कि वे अपने प्रभाव से काम लेकर इन शिकायतों की जांच-पढ़ताल के लिए सरकार से कह कर एक समिति नियुक्त कराएं और अगर ये बातें सच्ची हों तो इस बात की व्यवस्था की जाय कि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न होने पाये।

श्री अणे ने उत्तर दिया कि चिमूर की घटनाओं के सम्बन्ध में बहुत-से लोगों के पत्रों के अलावा नागपुर की महिलाओं की ओर से उनके पास एक अनुरोध-पत्र और इस सम्बन्ध में

डा० मुंजे का वक्तव्य भी मिला है। चूंकि इन घटनाओं को हुए बहुत समय हो चुका है, इसलिए अब उनके बारे में कुछ करना असंभव है।

इस पर प्रोफेसर भंसाली ने श्री अर्णोदय से आग्रह किया कि या तो वे खुद चिमूर पहुँचकर घटनास्थल पर जांच-पड़ताल करते अथवा किसी और व्यक्ति को वहां भेजदें। श्री अर्णोदय ने प्रोफेसर भंसाली को साक जवाब दे दिया कि वे इस तरह की जांच-पड़ताल करने को तैयार नहीं हैं।

इतना ही नहीं, श्री अर्णोदय ने इस प्रकार की सभी घटनाओं के लिए नांधीजी और कांग्रेस को यह कहकर उत्तरदायी ठहराया कि “बारंबार चेतावनी दिये जाने पर भी उन्होंने वर्तमान आनंदोलन शुरू किया था। अन्दोलन शुरू करने से पूर्व उन्हें इन सब बातों का ख्याल कर जेना चाहिए था।”

प्रोफेसर भंसाली ने कहा कि वे श्री अर्णोदय की विचारधारा को समझ गए हैं, परन्तु फिर भी चिमूर की घटनाएँ उनके लिए बहुत कष्टदायक हैं। अगर श्री अर्णोदय इस मामले में जांच-पड़ताल करने के लिए एक समिति नियुक्त करने में भी अपने को निस्तहाय और असमर्थ पाते हैं तो उन्हें चाहिये कि वे सरकार से इस्तीफा दे दें और यह स्पष्ट करदें कि वे ऐसे मामलों में सरकार के रख और नीति का समर्थन नहीं करते।

उसके बाद प्रोफेसर भंसाली के पास सिर्फ उनके सहयोगी श्री बलवन्तसिंह ही रह गए। उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया और दोपहर को मौन-ब्रत भी धारण कर लिया। ५-३० बजे के करीब भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत उन्हें डिप्टी कमिशनर का एक आदेश प्राप्त हुआ कि वे और श्री बलवन्तसिंह तोन घण्टे के अन्दर-अन्दर दिल्ली प्रान्त की सीमाओं से बाहर चले जाएं, क्योंकि यहां उनकी उपस्थिति अवांछनीय समझी गई है। रात को ६ बज़कर ४५ मिनट पर प्रोफेसर भंसाली को गिरफ्तार करके नयी दिल्ली थाने ले जाया गया और वहां से उन्हें वर्धा भेज दिया गया।

इसकी कड़ी आलोचना करते हुए ‘हिन्दू’ ने अपने एक अप्रलेख में लिखा—

“श्री अर्णोदय से बातचीत करने में प्रोफेसर भंसाली का यह उद्देश्य था कि वे उन पर जोर डाल सकें कि अगस्त के मध्य में मध्यप्रात के चिमूर गांव में जो उत्तरदाव हुए थे, उनमें पुलिस और सैनिकों ने जो कार्रवाइयां की उसकी जांच-पड़ताल के लिए एक कमेटी बैठाई जाय। उस दुर्घटना में बहुत-से सरकारी कर्मचारी मारे गए और यह कहा जाता है कि बाद में पुलिस और सेना ने वहां पहुँचकर गांव के पुरुषों की सामूहिक गिरफ्तारी करके बलाकार और लूट का नग्न-नृत्य किया। डा० मुंजे और नागपुर की कुछ महिलाओं ने सितम्बर में चिमूर का दौरा करने के बाद मध्यप्रांत की सरकार का ध्यान इन आरोपों की और आकर्षित किया था। अक्टूबर के मध्य में मध्यप्रांत की सरकार ने एक लम्बी विजिस प्रकाशित की, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि सरकार ने इन आरोपों की जांच-पड़ताल न करने का फैसला किया है और उसने अपने इस निर्णय का आनंदित्य साबित करने की बेकार कोशिश की।”

अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के द अगस्त वाले बम्बई-प्रस्ताव के बाद देश में विभिन्न प्रकार की घटनाएँ हुईं। सरकार की मनमानी और अनुत्तराधिकारियों कार्रवाइयों के विरोध-स्वरूप प्रोफेसर भंसाली का उपचास अहिंसात्मक प्रतिक्रिया और प्रतिरोध के इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है। श्री भंसाली के नाम के आगे का ‘प्रोफेसर’ शब्द इस बात का थोक नहीं है कि वे कोई आधुनिक युग के पश्चिमी वेशभूषा-विभूषित और नयी सभ्यता के पुजारी प्रोफेसर हैं।

वे लम्बे कद के सुटक और गठे हुए शरीर के व्यक्ति हैं, और उनका एकमात्र वस्त्र कोपीन है। उन्हें देखकर कोई यह खगाल कर सकता है कि मानो पागलखाने से कोई पागल अभी बाहर आया हो और स्वास्थ्य-लाभ कर रहा हो, अथवा भीलस्तान या संशाल परगने के जंगलों में रहनेवाला कोई आदिवासी हो, अथवा आप। उन्हें सेवा-प्राप्ति के आश्रम में सुबह के ११ बजे कड़ी धूप में देहात के छोटे-छोटे बच्चों को वर्णमाला सिखाते हुए और ग्राम्य-कहानियां अथवा संसार के आश्र्यों की कहानियां सुनाते हुए प्राइमरी स्कूल के एक अध्यापक के रूप में पाएंगे, जिसे सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती और जो अपना जीवन-निवाह ग्रामीणों-द्वारा दी गई भिजा अथवा नाममात्र का भत्ता लेकर कह रहा है और यही उनका असली रूप भी है। जिस प्रकार व्यक्तिगत सत्याग्रह-आंदोलन के अवसर पर पौनार के सन्त श्री विनोबा भावे का नाम दुनिया ने राजनीतिक सेन्ट्र में पहली बार सुना था और वे एक अज्ञात आश्रम से बाहर निकलकर एक नेता के रूप में प्रकट हुए, उसी प्रकार श्री भंसाली भी सत्याग्रह के कड़े नियमों के अनुसार ६२ दिन तक उपवास की घोर तपस्या और कठिन-परीका में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर ख्याति के सेन्ट्र में प्रकट हुए और उस वर्ष दुनिया ने जाना कि किस प्रकार एक तपस्वी ने चिमूर की जनता पर किये गए अत्याचारों के विरोध में आरम्भ-बचिदान का इन्हनें निश्चय कर लिया था। सैनिकों की कथित ज्यादतियों की शिकार स्त्रियों की दारण्य-कहानी सुनने के लिए जब कोई तैयार नहीं था, उस समय भंसाली ने आत्माहुति देकर दुनिया का ध्यान इस गांव की निस्सदाय और बेबस जनता की ओर आकर्षित करने का इन्हनें निश्चय किया। जब उन्होंने देखा कि इन गरीब देहातियों की न तो ईश्वर के दरबार में और न ही सरकार के दरबार में कोई सुनवाई हो रही तो उन्होंने दिल्ली आकर श्री अरणे को चिमूर-कायद से अवगत कराने का निष्फल प्रयत्न किया। उन्होंने श्री अरणे को शरण में आने का क्यों निश्चय किया, यह तो प्रत्यक्ष ही है। चिमूर मध्यप्रांत के वर्धा जिले में एक गांव है और यह स्थान बरार में श्री अरणे के घर से बहुत दूर नहीं है। साधारणतः देखा गया है कि समान बोली और समान प्रांत के बन्धन तो नागरिकों को एक दूसरे से बनिष्ठता के सेन्ट्र में आसानी से बांध देते हैं और उनमें एक-दूसरे के प्रति न केवल स्थानीय इष्टि से विशिष्ट मानवीय आधार पर भी गहरी सहानुभूति पाई जाती है। मानवीय श्री अरणे ने इस काम में उनकी किसी तरह से भी मदद करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और उन्होंने भंसाली से कहा कि उनके लिए चिमूर जाना कठिन है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर भंसाली को शीघ्र-से-शीघ्र दिल्ली छोड़कर चले जाने का भी आदेश मिला। और जब उन्होंने उस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया तो उन्हें रेल में सवार करके वर्धा पहुँचा दिया गया। २८ नवम्बर की एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया :—

“यह स्मरण रहे कि प्रोफेसर भंसाली ने दिल्ली से वापस आने पर, जहां वे श्री अरणे से चिमूर में सेना की कथित ज्यादतियों के बारे में बातचीत करने गए थे, सरकार-द्वारा इस मामले में जांच-प्रबलाज्ञ करने से इन्कार कर देने के विरोध में ११ नवम्बर से उपवास शुरू कर दिया। मिश्रों-द्वारा आप्रह किये जाने पर भी उन्होंने उपवास के दौरान में पानी पीने से इन्कार कर दिया। पुलिस १३ नवम्बर को उन्हें वापस सेवाग्राम ले आई। प्रोफेसर भंसाली ने १६ नवम्बर को वैद्युत प्रस्थान किया और वे ६२ मील का फासला तय करके २२ को फिर चिमूर पहुँच गए। २४ नवम्बर को पुलिस उन्हें फिर वापस सेवाग्राम ले आई और २५ तारीख को प्रोफेसर भंसाली

फिर चिमूर के लिए पैदल चल पड़े। २७ नवम्बर को जबकि वे ४५ मील का फासला तय कर चुके थे, पुलिस ने उन्हें फिर पकड़ लिया।”

नागपुर के ‘हितवाद’ ने ६-१२-४२ को प्रोफेसर भंसाली के नाम श्री आणे का यह तार प्रकाशित किया—“कृपया उपवास छोड़ दीजिये। पवित्र उहैश्य की सफलता के लिए हृष्टवर में विश्वास बरके मुझे जो कुछ भी उचित और संभव प्रतीत हो रहा है, मैं कर रहा हूँ।” प्रोफेसर भंसाली ने तार का जवाब देते हुए लिखा कि उनका उहैश्य पवित्र है और उन्हें आत्म-बलिदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि आपको अपने प्रयत्नों में शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर भंसाली ने श्री आणे से स्वयं चिमूर आने का भी आग्रह किया। १२ दिसम्बर के एक समाचार में बताया गया कि “आज प्रोफेसर भंसाली के उपवास का ३३नां दिन है। वे वर्धा में स्वर्गीय सेठ जमनालाल बजाज के अतिथि-गृह में पड़े हुए हैं। आज सायं श्री के० एम० मुंशी वर्धा के लिए रवाना हो गए जिससे कि वहां जाकर वे उन्हें उपवास छाड़ देने के लिए मना सकें।”

इस संक्षिप्त से समाचार के बाद प्रोफेसर भंसाली के उपवास के बारे में कोई खबर नहीं छपी, हालांकि इस सम्बन्ध में अनेक उल्लेखनीय घटनाएँ इस दौरान में हुईं। मध्यप्रान्त की सरकार ने विगत अवृत्तवर में समाचारपत्रों के साथ हुए समझौते को ताक पर रखकर यह आदेश जारी कर दिया कि प्रोफेसर भंसाली के उपवास के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में कोई समाचार न प्रकाशित किया जाय। अखिल भारतीय समाचारपत्र-संपादक-सम्मेलन ने तुरन्त ही इसका विरोध करते हुए यह निश्चय किया कि नये वर्ष की उपाधियां समाचारपत्रों में न छापी जाएं और ६ जनवरी को हड्डताल की जाय। सरकार ने इसका बदला लिया। परन्तु “अन्त भला सो भला” के अनुसार आखिर एक दिन सुप्रभात में दुनिया को यह समाचार मिला कि प्रोफेसर भंसाली ने इस मामले में डा० स्लेर के हस्तक्षेप करने पर सरकार और अपने दरम्यान हुए एक समझौते के अनुसार ६३वें दिन, १२ जनवरी १९४३ को अपना उपवास तोड़ दिया है। इस-बारे में सरकारी विज्ञप्ति और सम्बद्ध कागजपत्रों का उल्लेख नीचे किया गया है:—

प्रोफेसर भंसाली के नाम डा० स्लेर का पत्र—

“प्रिय भंसाली, ६ जनवरी को मैंने आपसे मुलाकात और बातचीत की थी। उसके परिणामस्वरूप मेरी चिमूर की घटनाओं के बारे में हिज एकसे-लोसी के साथ खुली और स्वतंत्र बातचीत हुई। अब चूंकि समय काफी गुजर चुका है इसलिए जार्हा तक चिमूर में स्थित्रियों पर किये गए अत्याचारों की शिकायतों की छानबीन के लिए एक सार्वजनिक जांच पड़ताल सर्विति नियुक्त करने का प्रश्न है, ऐसा करना शायद संभव न होगा क्योंकि अभियुक्तों की शिनालत करने में बड़ी कठिनाई पेश आएगी। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि (१) मध्यप्रान्त की सरकार एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि साधारणतः चिमूर की स्थित्रियों के प्रति कोई दुर्भावना प्रकट करने का सरकार का कोई इरादा नहीं था और शान्ति और अवस्था कायम करने में लगे हुए सैनिकों और सिपाहियों में अनुशासन बनापूर रखने को सरकार बहुत अधिक महत्व देती है और हमेशा से देती रही है और वह अच्छे अनुशासन की सर्वप्रथम आवश्यक बात स्थित्रियों की इज्जत करना और उनके सतीत्व की इक्का करना समझती है और समझेगी। (२) चिमूर की घटनाओं और भंसाली के मामले में समाचार-पत्रों पर लगाए गए प्रतिबन्ध उड़ा दिए जाएंगे। (३) विज्ञप्तियों के साथ-साथ समाचार-पत्रों में संबद्ध पत्र भी प्रकाशित किये

जाएंगे। (४) मुझे पता चला है कि अब चिमूर जानेवाले दर्शकों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा और यदि कोई प्रतिबन्ध हो भी तो उसे उठा लिया जायगा। मैं आपको आश्वासन दिखा सकता हूँ कि चिमूर के आपके दौरे में माननीय श्री अरण भी आप के साथ रहेंगे और जनता से मिलेंगे और इस मामले में सरकार कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाएगी। यदि आप चाहें तो मुझे भी आपके साथ वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आपने महान् वर्किदान किया है, परन्तु उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपना यह वीरतापूर्ण उपवास कोइंदे।

आपका शुभचिंतक,

डॉ. खरे''

डॉ. खरे के नाम प्रोफेसर भंसाली का पत्र :—

“प्रिय खरे, आपके पत्र और कोशिशों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सरकार एक विज्ञप्ति जैसा कि आपने बताया है, प्रकाशित करने और चिमूर के समाचारों के सम्बन्ध में अखबारों और चिमूर जानेवाले दर्शकों पर से प्रतिबन्ध उठा लेने को तैयार है। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि श्री अरण भी मेरे साथ चिमूर चलेंगे और जनता से बात-चर्चा करेंगे और इस प्रकार मैंने उनसे जो प्रार्थना की थी उसे भी पूरा करेंगे। एक धार्मिक जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति की ईमियत से मेरी हमेशा से यह धारणा रही है कि एक भी स्त्री के सतीत्व पर आक्रमण करना समाज और दैश्वर के प्रति एक महान् अपराध है। यद्यपि मुझे कुछ सीमित रूप में ही दूसरों तक यह विचार पहुँचाने का अवमर दिया गया है, फिर भी इसके लिए मैं दैश्वर के प्रति आभारी हूँ कि उसने मुझे विचारों की प्रतिष्ठा और सतीत्व-जैव इतने महात्मपूर्ण प्रश्न पर जोगों में जाग्रत्ति पैदा करने का साधन बनाया। जब मैं स्वास्थ-लाभ कर लूँगा तो मुझे श्री अरण-और श्रापके साथ चिमूर की यात्रा करने में बड़ी प्रसन्नता होगी। आपने जो कारण उपस्थित किये हैं, उन्हें देखते हुए मैं इस मामले में जांच-पड़ताल के लिए तक समिति नियुक्त करने की मांग छोड़ देने और उपवास तोड़ देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आशा है कि मेरे उपवास तोड़ देने के बाद चिमूर के जोगों की सहायता के उद्देश्य अथवा अपने उपवास के सम्बन्ध में मैं जो कुछ कहूँगा उसपर अथवा इस सम्बन्ध में मेरी गतिविधियर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा।

आपका शुभचिंतक  
भंसाली”

बाद में गांधीजी के उपवास के दौरान में श्री प्रोफेसर भंसाली ने भी उनके साथ सद्वानुभूति के रूप में उपवास किया, परन्तु कुछ समय बाद ही उन्हें उसे समाप्त कर देनेपर मना किया गया।

उपर यह कहा गया है कि जनता को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परन्तु उनके सम्बन्ध में बहुत-सी जानने योग्य बातें हैं। उन्होंने लगभग तीस माल तक लंदन में अध्ययन किया है और वहाँ से लौटने पर वे कुछ समय तक प्रोफेसर रहे और उसके बाद नपस्या करने के लिए हिमालय पर्वतों को चले गए। उन्होंने सात वर्ष तक मौनवत धारण किये रखा और बोलने के प्रबोधन से बचने के लिए अपने दोनों होठों में ताँबे के मटे तार से सूराख कके उन्हें बाध दिया था। हिमालय पर्वत से वारस आकर भी वे सरकण्डे की नक्कीशी के जरिये आटे और पानी का बोल मिलाकर खाते रहे। वर्षों के बाद गांधीजी ने उन्हें बोलने के लिए राजी कर लिया। उपवास करने से पूर्व वे सेवाग्राम आश्रम में निवास करते थे और सरेरा दूध और

आलुओं पर निर्वाह कर रहे थे। उनके व्यक्तिगत में कुछ ऐसा आकर्षण है कि उनसे पहली बार मिलनेवाला व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। ६२ दिन तक उपवास करके उन्होंने अपने इस व्यक्तित्व को सार्थक कर दिखाया और इस राष्ट्र के जीवन में उनका यह उपवास चिरस्मरणीय रहेगा।

१६ :

## अनशन और उसके वाद

अनशन खरत्म हो चुका था। भारत में गांधीजी की प्राण-रक्षा से जितनी खुशी हुई थी उससे अधिक नहीं तो कम-से-कम उतनी ही खुशी ब्रिटेन में इस बात से हुई कि अनशन असफल रहा। भारत के लिए यह जिन्दगी और मौत का सवाल था और ब्रिटेन के लिए सफलता या असफलता का। इस बात के यकीन से कि अनशन असफल रहा, अंग्रेजों की अभिमान-भावना तुष्ट हुई, उन्हें संतोष हुआ और ब्रिटेन और साम्राज्य के एक शत्रु की दुर्गति से उन्हें अमिश्रित हर्ष हुआ। अपने अहिंसा के पथ को गांधी हिंसा के पथ से ऊपर उठाने की जुर्रत कैसे करता है—उसी हिंसा के पथ से ऊपर, जिसके अब्रणी के रूप में ब्रिटेन दुनिया भर में नम कमा चुका है। दुनिया के मुख्तलिक कोनों से की गयी अपीलों से भी चर्चित का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि वह तो शेषसंविधान के इन शब्दों का हासी है “यह इंग्लैण्ड कभी किसी हिंसक या अहिंसक विजेता के पैरों पर नहीं चुका और न भुकेगा।” एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ, जिसमें सूरज कभी नहीं ढूबता, सिर न उठाने का सबक अपनी अधीनता में रहनेवाले एक देश को मिलाने का जो निश्चय ब्रिटेन कर चुका था उसमें धर्माध्यक्षों व पादिशियों, विद्वानों व ज्ञानियों, लेखकों व पत्रकारों, कवियों व दार्शनिकों, व्यापारियों व उद्योगपतियों, प्रोफेसरों व प्रिसिपलों, विद्यार्थियों व अध्यापकों, भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों व भूतपूर्व मंत्रियों, विश्वविद्यालयों के वाइस-चैंसलरों व प्रो-चैंसलरों, लाडों व दूसरे उपाधिधारियों और जनरलों व कीलडमार्शलों-द्वारा प्रकट किये गये अनेक भरों से भी कोई रहो-बदल न हो सका। ब्रिटेन का अभिमान चाहे जितना बढ़ गया हो, लेकिन भारत के सवाल की चर्चा भी दुनिया भर में फैल गयी और इससे संसार के हरेक भाग में दिलचस्पी उत्पन्न व सहयोग की जाहर व्याप हो गयी। अनशन के असर का अंदाज आप दो एडवार्केट-जनरलों, दो गवर्नरमेंट लीडरों, एक आर्हूं सौ० एस० अफसर और वाइसराय की शासन-परिषद् के तीन सदस्यों के इस्तीफे से जागते हैं या उसके प्रभाव का अनुमान आप नैतिक प्रतिक्रियाओं व संसार के दोनों गोलाद्वारों के राष्ट्रों के मध्य हुए आध्यात्मिक मंथन से वेदों के महापंडित, शिव-भक्ति में बेजोड़, दस सिर और बीस भुजावाले राजा रवण की नज़र में श्रीराम अपने पैरों के नीचे पढ़ी धूज के बराबर ही थे; पर हुआ क्या? हिंसा ने हिंसा पर विजय पायी। एक अधिक उन्नत काल में शिवभक्त हिरण्यकशय को, जिसने अपने पुत्र प्रह्लाद को ज्वालाओं में मोक्ष, नदियों में फेंका, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाया, विच्छुभों और सांपों से कटवाया—और वह भी सिर्फ इस कारण कि वह विद्यु की पूजा करता था, उसे प्रह्लाद के आगे हार माननी पड़ी, जिसने सभी कष्ट और यातनाओं को सच्ची भक्ति और कर्त्तव्य की भावना से सहन किया और प्रतिहिंसा या बदले की भावना को एक बार भी अपने मन में न आने दिया। हिंसा पर अहिंसा-द्वारा, धृणा पर प्रेम-द्वारा, अंधकार पर प्रकाश-द्वारा और मृत्यु पर जीवन-द्वारा

विजय प्राप्त करने का ही यह एक उदाहरण था। ईश्वर हँसाफ चाहे देर से करे, पर करता जरुर है और तभी मौजूदा से भी विशाल पहले के साम्राज्य आज पुरातनवैत्ताओं की खोजों के विषय बने हुए हैं।

आखिर अनशन में ऐसी बुराई ही दया थी, जिसकी नाकामयाक्षी पर लोग हतनी खुशियाँ मनाने ? क्या आलोचक यह पर्याप्त करते कि राष्ट्र के दावे को मनवाने के लिए हिंमा होती ? हिंमा के हिंमायती आज के माम्राज्य-निर्माता ही स्वयं अहिंमा की निनदा करते हैं—उसी अहिंसा की, जिसकी वे आने समझौतों में कृष्ण-सम्बन्धी साधारण शिकायतें दूर करने के लिए डपयोग किये जाने की इजाजत दे चुके हैं।<sup>१</sup> आपत्ति असल में स्वार्थ नहा—स्वतंत्रता के दावे के सम्बन्ध में है। राजनीतिक अडंगे का स्वरूप साधारण आदमी के लिए विलक्ष्ण स्पष्ट है। उसके लिए सवाल सीधा-सादा है कि भारत पर किसका शासन होना चाहिए, उसे युद्ध में खींचा जाना चाहिए या नहीं, और यदि खींचा जाना चाहए तो अपनी मर्जी से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में या जबर्दस्ती एक गुलाम मुलक के तौर पर ? लेकिन एक गहन राजनीतिज के लिए सवाल कितनी ही दिक्कतों से भरा है। वह अडंगे की राजनीति जानने की उसक है। लेकिन उसकी नैतिक पृष्ठभूमि से उसे कोई सोकार नहीं। मिठामरी और ब्रिटिश मन्त्रिमंडल वी विचारधारा यही है। वे कांग्रेस से कोई सम्पर्क नहीं रखना चाहते। वे उसे केवल कुचलना ही चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस को कैद कर रखा है और अपने बार प्रश्न किये जाने पर भी उन्होंने अपना एक ही विचार दुहरा दिया है।

भारत का राजनीतिक अडंगा इकतरफा नहीं है। वह एकाएक संघोगवश भी नहीं हुआ। ब्रिटेन ने भारत को उसकी मर्जी के बिना एक ऐसे युद्ध में खींच लिया, जो उसका अपना युद्ध न था। हिन्दुमतान ने यह कह सकने का अपना दावा पेश किया और अपने इस अधिकार की रक्षा के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह के नियमों को मानते हुए हजारों अतिक्ल जेल गये। यह १९४०-४१ की बात है। इसके बाद हुआ क्रिस्ट-कांड, जो उपर में देखने से सुलह का प्रयत्न जान पहता था, पर निकला कछु और ही। क्रिस्ट-प्रस्ताव नामंजूर होने से भारत और क्रिस्ट दोनों का नुकसान हुआ। इधर क्रिस्ट को प्रधानमंत्री ने जो महावपूर्ण पद दिया था उसमें उनका पतन हुआ और उधर भारत किंवदकारी रूप से चलने को विवश हुआ, क्योंकि क्रिस्ट की असफलता को भारतीय संग्राम के एक अध्याय का अंत माना जाने लगा था। युद्ध हिंसापूर्ण हो या अहिंसापूर्ण उसके दरमयान विश्राम का काल अधिक लम्बा नहीं हो सकता। एक न एक पक्ष को आगे बढ़ना या एक हटना ही पड़ेगा। क्रिस्ट की वापसी के बाद ब्रिटिश सरकार के लिए चुपचाप बैठ रहना स्वाभाविक था, लेकिन राष्ट्र की उन्नति के विचार से कांग्रेस के लिए ऐसा करना उचित न था। भारत-जैसे गुलाम मुलक के लिए स्वाधीनता के नाम पर लड़ना एक मजाक ही नहीं, बल्कि उस गुलामी को दूसरे माने में मंजूर करना भी था। और कांग्रेस एक सामूहिक सत्याग्रह का आनंदोलन चलाना चाहती थी और उसका कैसा परिणाम होता, यह दुनिया जानती ही है। इसलिए कहा जा सकता है कि कम-से-कम उस समय से राजनीतिक अडंगा दूर होने की कोई आशा न थी। कांग्रेस जिस महावपूर्ण स्थिति में थी उसमें लोने के लिए सरकार अन्य राजनीतिक संगठनों को प्रांत्याहन देने को तैयार थी, किंतु अन्य राजनीतिक संगठन कांग्रेस का स्थान लेने में असमर्थ थे। दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस से समर्पक करने को उत्सुक थे, पर सरकार उन्हें इसकी

<sup>१</sup> देखिए कांग्रेस का इतिहास, प्रन्थ १—परिशिष्ट : गांधी-अरविन्द-समझौता।

भी हजाजत देने को तैयार न थी। सब उन्होंने कांग्रेस पर कहूँ आरोप लगाये। उनका सबसे प्रमुख आरोप यह था कि कांग्रेस राजनीतिक अङ्गों को दूर होने देना ही नहीं चाहती और इसीलिए वह हस्त हथकंडे से काम ले रही है। यह सब उसका एक नीचतापूर्ण घट्यंत्र है।

आइये, इस तथ्य को हम अगस्त और सितम्बर, १९४२ में गांधीजी और बाह्यराय के बीच हुए पत्र-व्यवहार से, अनशन के समय गांधीजी को छोड़ने के लिए की गई अपर्याखों और फारवरी १९४३ के नेता-सम्मेलन-द्वारा केये गये अनुरोधों के उत्तरों से छोड़निकाले। इनके अंतरिक्ष परिस्थिति पर उस उत्तर से भी प्रकाश पड़ता है, जो गांधीजी को उस समय मिला था जब उन्होंने सुसंलिम लीग के दलितोंवाले १९४३ के आधिकारण में मिंजिन्ना के सुमाव के उत्तर में उनको पत्र लिखने की अनुमति सरकार से मांगी थी। इन उत्तरों पर अमरा किंवार करना अपर्याप्त न होगा। ६ अगस्त की गिरफ्तारियों के बाद सब से पहले मिं० एमरी ने ११ सितम्बर को पार्लीमेंट में आशा प्रकट की थी कि “निकट-भविष्य में भारतीय एक विधान के सम्बन्ध में समझौता कर सकते हैं, किन्तु सफलता की आशा के बिना बातचीत शुरू करना बड़ी गलती होगी। हमें कांग्रेस के हृदय-परिवर्तन के लिए ठहराना होगा।” ब्रिटिश-सरकार ऐसे किसी भी प्रयत्न का स्वागत करेगी, जिस का उद्देश्य मजबूत और पक्की नींव पर भारत की राष्ट्रीय एकता की हमारत खड़ा करना होगा। २६ सितम्बर, १९४२ को रेडियो पर भाषण करते हुए मिं० एमरी ने कहा कि ‘‘एक समुदाय द्वारा जबरन लाए हुए विधान से काम नहीं चल सकता, लेकिन गांधी और उन के हृने-गिने साथियों का, जिन का कांग्रेस पर नियंत्रण है, यही मक्कपद है।’’

१० अक्टूबर, १९४२ को भारतीय बिल की बहस के बीच मि० एमरी ने कहा —

“कांग्रेसी नेताओं के साथ भारत-सरकार के बातचीत चलाने या दूसरों को ऐसा करने देने का सबाल तब तक कि उपद्रवों के फिर से उठ खड़े होने की आशा बनी हुई है या जब तक कि उपद्रवों के फिर से उठ खड़े होने की आशा बनी हुई है। ऐसा करने से मुसलमानों व दूसरे दलों के साथ नवी दिवकरे उठ खड़ी हो गी। अमल में समस्या ऐसा विधान खोज निकालने की है, जिसे मुख्तबिक विचारों के लोग मानने को तैयार हों।” कांग्रेस के हृदय-परिवर्तन से मिं० एमरी का यही मतलब था। एक नये विधान का मसला खड़ा कर दिया गया।

कुछ न करने की नीति का औचित्य सिद्ध करते हुए खाई-सभा में ज्ञाई-साइमन ने मिं० जिन्ना के निम्न शब्द अनुटूंड किये—“गुदकालीन संकट के बक्क हम अस्थायी सरकार बनाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहते, क्योंकि ऐसी सरकार कायम करने से सुसळमानों की पाकिस्तान की मांग का गला घुट जायगा।”

गांधीजी से मिलने की हजाजत डा० श्यामाप्रसाद मुकुर्जी को न दिये जाने पर मि० एमरी ने २२ अक्टूबर, १९४२ को कहा—“मौजूदा हालत में कांग्रेसी नेताओं के साथ मुलाकात करने की अनुमति देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ।”

२६ नवम्बर। “नजरबंद भारतीय नेताओं को सिर्फ घरेलू मामलों पर ही अपने परिवार के ध्यक्तियों के साथ जिखा-पढ़ी करने की हजाजत है। वे सार्वजनिक रूप से कोई घोषणा कर

सकते हैं या नहीं—यह उस घोषणा के रूप पर निर्भर है। पार्टीमेंट के सदस्य उन से पत्र-भ्यवहार करने पायेंगे या नहीं, यह भारत-सरकार के अधिकार की बात है।”

“गवर्नर जनरल की परिषद् के वर्तमान यूरोपीय सदस्यों को सिर्फ इसी बजह से कायम रखा गया है कि उन के पदों के योग्य भारतीय नहीं मिलते।”

२० अक्टूबर। “रेहयो पर कमर्शिका के लिए भाषण देते हुए मिं० एमरी ने इस समाचार का खंडन किया कि क्रिस्प भारत को राष्ट्रीय सरकार देने को तैयार थे, लेकिन ब्रिटिश-सरकार ने उन की बात नहीं मानी।”

२१ अक्टूबर। “मिं० एमरी ने कहा कि ‘चंचिल ने भारत के एटलांटिक अधिकार-पत्र के अंतर्गत आने के दावे से इन्कार न कर के सिर्फ यही कहा था कि भारत के प्रति ब्रिटेन की नीति अधिकारपत्र की धारा ३ के ही अनुसार है और यह सिद्धान्त अब से २५ साल पहले माना जा सकता है।”

२८ अक्टूबर। “कांग्रेसी नेताओं तथा गैर-कांग्रेसी प्रतिनिधियों के मिलने की सुविधा देने का अनुरोध करने पर एमरी ने उसे स्वीकार नहीं किया।”

८ अप्रैल, १९४३। “मिं० एमरी ने कहा कि सञ्चाट की सरकार राजनीतिक नेताओं-द्वारा समझौते के प्रयत्नों का स्वागत करती है, लेकिन जब तक कांग्रेस के नेताओं से अपने रुख में परिवर्तन का आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक उन से मुलाकात की सुविधा नहीं दी जा सकती। दूसरे नेता अक्सर मिलते रहे हैं, किन्तु उन में कोई समझौता नहीं हुआ।”

अनशन के बाद २० मार्च को दिल्ली में नेताओं का जो सम्मेलन हुआ था उस के अध्यक्ष के रूप में डा० सप्त्र० को उत्तर देते हुए वाइसराय ने सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा:—

“यदि दूसरी तरफ गांधीजी पिछले अगस्तवाले कांग्रेस के प्रस्ताव को रद करने और हिंसा के लिए उत्तेजक अपने शब्दों-जैसे ‘खुला विद्रोह’ आदि की, वांग्रेस अनुयायियों को दी गयी ‘करो शा मरो’ सलाह की और अपने इस कथन की कि नेताओं के हट जाने पर साधारण व्यक्ति स्वयं ही निर्णय करें, जिन्दा करने को तैयार हों और साथ ही कांग्रेस और वे भविष्य के लिए ऐसा आश्वासन देने को तैयार हों, जो सरकार को मंजूर हो, तो इस विषय पर आगे विचार किया जा सकता है। परंतु जब तक ऐसा नहीं होता और कांग्रेस अपने रुख पर कायम रहती है, तब तक सरकार का पहला फर्ज दिनदुस्तान की जनता के प्रति है और अपने इस फर्ज को वह पूरी तरह से अदा करना चाहती है। यह कहा गया है कि इस तरह फर्ज अदा करने से कठुता और दुर्भावना में वृद्धि होगी। सरकार इस सुझाव को निश्चार मानती है और यदि इस में कुछ आधार हो भी तो सरकार अपनी जिम्मेदारी निवाहने के लिए वह मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार है।”

मिं० एमरी ने जो कुछ कहा उस का क्या मतलब है? शुरू में उनके जवाब कुछ नहीं थे। उन्होंने इस बढ़ाने की आइ ली कि कांग्रेस को हृदय-परिवर्तन दिखाना चाहिए। यह विश्वित सितम्बर, १९४२ में थी, जब भारत में उपद्रव बढ़ रहे थे और उन में कमी नहीं हुई थी। अक्टूबर और नवम्बर तक अंग्रेजों को उन्हें दबा सकने की अपनी शक्ति में विश्वास हो गया और तभी पार्टीमेंट में उन के उत्तर अधिक कहे हो गये। सिर्फ भारत-सरकार ही कांग्रेसी नेताओं से सुखाह की वार्ता चलाने को तैयार न हो—यही नहीं, बल्कि जब तक कांग्रेसी नेता गैर-कानूनी और क्रान्तिकारी उपायों से हिन्दुस्तान पर कड़ा जमाने की नीति का परिस्थान नहीं करते तब तक

वह दूसरों को भी उनसे सुन्नह की बात चढ़ाने को अनुमति नहीं दे सकती। दूसरे शब्दों में कांग्रेस को सत्याप्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। यह दूसरा कदम था। साथ ही नये विधान का प्रश्न उठाया गया। क्या यह नहीं मान लिया गया था कि विधान स्वयं भारतीयों ही द्वारा विधान-परिषद् में बैठ कर तैयार किया जायगा? यदि ऐसा था तो मिं० एमरी और युवक-वर्ग से और भारतीय विश्वविद्यालयों से यह अपाल करने की क्या ज़रूरत थी कि नया विधान रूस, अमरीका, या स्विट्जरलैंड के ढंग पर बनना चाहिए। लार्ड बर्केनडे ने १९२६ में भारत-विधान तैयार करने के लिए चुनौती दी थी। तब नेहरू-समिति नियुक्त हुई, किन्तु वह अपने कार्य में अधिक प्रगति नहीं कर सकी। फिर १९२७ और १९३५ के मध्य १९३५ का कानून पास होने तक १४ सरकारी समितियों और सम्मेलनों की बैठकें हुईं और अब १९४२-४३ में एमरी और डन के अंग्रेज पत्रकार फिर नये विधान का राग अलापने लगे और उधर पार्लीमेंट के कुछ सदस्य, जिनमें भारत सरकार के भूतपूर्व अर्थ-सदस्य सर जार्ज शुश्टर भी थे, नये विधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कमीशन की ज़रूरत महसूस करने लगे। तीसरी तरफ लार्ड साइमन ने जिन्ना की यह आपत्ति पेश की कि ब्रिटिश-सरकार पर अस्थायी सरकार कायम करने के लिए जोर ढाका जा रहा है। १९२७ से अब तक घटनाओं की समाजा करने पर हम हसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि स्वतंत्रता चली गयी, पूर्ण आरनिवेशक पद भी चढ़ा गया और यहां तक कि केन्द्रीय जिम्मेदारी की भी चर्चा नहीं रही। जब दूसरे राजनातिक नेता कांग्रेसी नेताओं से मिलने और बात करने को उत्सुक हैं तो मिं० एमरी और वाइसराय कहते हैं कि वे कलकत्ता के ज्ञान-पादी, अमरीका के विलियम फिलिप्स तथा बंगाल के अर्थमंत्री डॉ० श्यामप्रसाद सुकर्णो को भी गांधीजी से नहीं मिलने देंगे। इतना हा नहीं, नजरबंद नेता पार्लीमेंट के सदस्यों तक को पत्र नहीं लिख सकते—हाँ, वे चाहे तो अरनी नोति परिस्थित करने और पिछले आचरण पर खेद प्रकट करने को सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं। नवम्बर, १९४२ में मिं० एमरी एक कदम और बढ़े। पूर्ण स्वाधीनता एक कल्पनामात्र हा गयी। आरनिवेशक-पद एक सुरूर का लक्ष्य ही गया और युद्धकाल में राष्ट्रीय सरकार का तो प्रश्न ही नहीं था। अब सिफ एक ही बात रह गयी—वाइसराय की शासन-परिषद् का भारतीयकरण। साथ ही एमरी ने यह भी कहा कि “गृह, अर्थ और युद्ध विभागों के लिए उपयुक्त भारतीय मिलते ही नहीं।” और एमरी ने अधिकारपूर्वक यह भी खंडन कर दिया कि किप्स साइबर भारत के नियंत्रण राष्ट्रीय सरकार का तोहफा लाये थे। अट्लांटिक-अधिकारपत्र के सम्बन्ध में एमरी ने कहा कि बिटेन उसकी तीसरी धारा को २५ वर्ष पहले मान चुका है—सबमुक्त रूपरेखा को तो यह कल्पना २५ वर्ष बाद जाकर कहीं सूझी! यह सब होने पर भा अंग्रेज १९४३ में एमरी साहब फरमाते हैं कि “भारतीय राजनीतिक नेताओं के सुलह करने के प्रयत्नों का स्वागत किया जायगा।” जरा, यह तो बताइये कि समझौता किन और किन के बीच हांगा! कांग्रेस और खीग के मध्य और हिन्दू महासभा और सिखों के मध्य? परन्तु समझौता कैसे समझ दे जब कि उसे करनेवालों में से एक दल जेल में बंद है और दूसरे दलों को उस से मिलने आर बात करने की हजारत नहीं दी जाती। यह वास्तविक अद्वितीया था, जिसका सामना राष्ट्र को करना पड़ा। मिं० एमरी ने ३१ मार्च, १९४३ के जिस भाषण में कांग्रेस से गारंटी और आश्वासन की मांग की थी उसी में उन्होंने गांधीजी पर कांचह उड़ाक्कने का भी प्रयत्न किया था।

३० मार्च, १९४३ को कामन-सभा में भारत-सम्बन्धी बहस आरम्भ करते हुए मिं० एमरी

ने कहा—“यह खेद की बात है कि वाहमराय के शासन-परिषद के तीन सदस्यों ने गांधीजी के अनशन के भावनाएँ संकट से अपने आपको प्रभावित होने दिया है। उनके स्थान उन्हीं जैसे योग्य व्यक्तियों से भर दिये जायेंगे। शासन-परिषद के विस्तार को, जिसे इस्तीफा देनेवाले एक सज्जन श्री अणे महत्वपूर्ण सुधार कह चुके हैं, रद न किया जायगा।” वाहमराय से मिलनेवाले निर्दल प्रतिनिधि-मंडल के सम्बन्ध में मिठा एमरी ने कहा कि गतवर्ष की असावधानी तथा पराय-मूलक कार्रवाई के कारण इस वर्ष गांधी के साथ कोई रिश्यायत करना तब तक के लिए कठिन ही नहीं, खलनाक भी हो गया जब तक कि उन लोगों की तरफ से अपनी नीति में परिवर्तन करने का स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता, जिन्होंने भारत को इतना दुख और दर्द दिया है और जो भारत को आश्वासन नहीं मिलता, जिन्होंने भारत को इतना दुख और दर्द दिया है और जो हानि पहुंचा सकते हैं। अभी गांधी के रुख में परिवर्तन का कोई लक्षण नहीं दिखायी देता।

“ब्रिटेन में प्रतिक्रिया” शोर्षक के नीचे मिठा एमरी-द्वारा महात्मा गांधी को फाइर जोसफ से तुलना का उल्लेख किया गया है। यह तुलना भारत-मंत्री ने अप्रैल १९४३ वार्षे अपने भाषण में की है। मिठा एमरी कहते हैं :—

“कितने ही भद्रस्यों ने निससंदेह ‘प्रे-एमिनेंस’ नामक छाल ही में प्रकाशित उस्तक को पढ़ा है, जिसमें अल्डम हक्सवैजे ने फाइर जोसेन-ड्रेम्बले के व्यक्तित्व में गहर रहस्यवादी का साथ एक कृटनीतिज्ञ के मेज का बरान किया है। यह व्यक्ति कार्डिनल रिचल्यू का राजनीतिक सलाहकार था और उसी के घट्यंत्रों के परिणामस्वरूप यूरोप में कितने ही साल तक विनाश-कारी युद्ध का दौरानीर रहा। मेरे लिए सिर्फ यही कहना काफी होगा कि हिन्दुओं में तपस्वियों के प्रति जो एकोंगी आस्था होती है उसी के कारण गांधी एक बेजोड़ डिस्ट्रेटर और नेहरू के लफजों में भारत के सब से अधिक संगठित, सब से विशाल और सब से धनी राजनीतिक यंगड़न का स्थायी महा-प्रधान बन गया है।”

श्री अटली ने बहस का उत्तर देते हुए कहा :—

“कांग्रेस-सभा में प्रत्येक व्यक्ति इम बात से सहमत है कि भारत को यथा सम्भव शीघ्र ही स्व-शासन प्राप्त करना चाहिए, किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि शासन किसी एक व्यक्ति या एक जाति के लोगों के हाथ में रहे। भारत में एक परेशानी की बात यह है कि वहां के राजनीतिक दल ब्रिटेन को राजनीतिक संस्थाओं की तरह संगठित न होकर यूरोप के अन्य देशों की तरह तानाशाही का रूप ग्रहण करते जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से लोकतन्त्र में विश्वास होने के कारण मैं किसी प्रसिद्ध सन्त का तानाशाही के उतना ही विरुद्ध हूँ, जितना किसी महान् पापी की तानाशाही का हो सकता हूँ। गांधीजी के कार्य भारत के राजनीतिक-दलों के नेताओं की लोकतन्त्री धारणाओं के विवरक विरुद्ध है।”

मिठा एमरी ने जो कुछ कहा उसका यही मतलब था कि “कांग्रेस के स्वरूप और उसके तरीकों का निर्णयकर्ता एक व्यक्ति गांधी ही है। यद्यमें इस रहस्यपूर्ण व्यक्ति के सम्बन्ध में श्रीर कुछ न कहूँगा।” यह कहने के उपरांत भारत-मंत्री ने फाइर जोसफ से गांधीजी के व्यक्तित्व की शरारत-भरी तुलना की।

मिठा एमरी की तुलना को समझने के लिए यद्यमें फाइर जोसफ का कुछ हाल बता देना अनुचित न होगा। वह धार्मिक ग्रंथों में पेसिस के फाइर जोसफ और इतिहास में एमिनेंस ग्राइज के रूप में प्रसिद्ध है। उसका चरित-लेखक आल्डम हक्सवैजे लिखता है “उसके सुरदरे पैर उसे

जिस पथ पर ले गये वह अखबन आठवें का रोम था। बाद में यही मार्ग अगस्त १९१४ और सितम्बर १९३६ की ओर ले गया। आज को पाप और पागलपत से भरी दुनिया जिन सब से महत्वपूर्ण किंभी-द्वारा अपने अतोत में बंधा हुई है, उनमें एक तास वर्षीय युद्ध भी है। इस कड़ी को तैयार करने में किन्तु ही व्यक्तियों का दाय था, किन्तु इसके लिए रिचल्यू के सह-योगी फादर जोसेफ से अधिक और किसी ने काम नहीं किया। यदि फादर जोसेफ ऐसके राजनीतिक कुचक्कों को चलाने की कड़ा में ही सिद्धहस्त हाता तो उसके जैव दूसरे लोगों के मध्य उसे विशेष महस्त देने का कोई आवश्यकता न था। परन्तु पादरा जोसेफ की शक्ति का आधार इस पार्थिव संसार के साधन न थे। उसका केवल वौद्धिक दृष्टि से नहीं, विकास व्यक्तिगत अनुभव-द्वारा भी दूसरी दुनिया से साक्षात्कार था। वह स्वर्ग के साम्राज्य का नागरिक बनने के लिए ज्ञानावित रहता था और बन भी चुका था।

फादर जोसेफ के उचितीनी पादरियों के संघ का सदस्य था और यह संघ क्रांसिस्कन सम्प्रदाय का एक अग था। क्रांसिस्कन सम्प्रदाय का जन्म सन् १५२० के लगभग इटली में हुआ था और पोप ने १५३८ में एक विशेष आदेश निकाल कर उसे स्वीकृति प्रदान की थी। इस सम्प्रदाय के संघों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी जायदाद का मालिक तक होने का इक न था। संघों का अपना सब ज़रूरत भौति मांगकर पूरी करना पड़ता थीं और मठों में चन्द दिनों से अधिक समय के लिए सामग्री एकत्र करने का अनुमति न थी। किसी पादरी को धन के उपयोग या स्पर्श करने का अधिकार न था। उसे भूरे रंग के कपड़े पहने रहना पड़ता था और बदले न जाने के कारण ये कपड़े गन्द होकर फट भा जाते थे। फादर जोसेफ को इसीलिए 'प्रे एमिनेस' (भूरा पादरा) भा कहा जाता था। इन पादरियों का निधनता के कष्टों के साथ कड़े अनुसासन, असंख्य अनशन अंतर तपस्या के अनगिनत कष्टस्य साधनों को भा अपनाना पड़ता था। इस पंथ को चलानवत्ता के उचितीन दृढ़ता, गरवा के कष्टों में हिस्सा लेनवाला और उनका सच्चा सहायक था। कठार जात्वन, स्पेच्चा से निधनता का अपनाने और गरीबों की सहायता के लिए तंयार रहने के करण कुचान जनता का प्रममात्र था। उद्देश्य जनता के द्वारा परमात्मा की सेवा करना हाता है, किन्तु इससे मनुष्य को अभिमान-भावना का तुष्टि होती है। वह संसार का दिखाना चाहता है कि वह कुछ है। वह उच्च सामाजिक मर्यादा और धन के चिना भी अन्य लोगों का अरेहा लालूप्रियता में बढ़ सकता है। फादर जोसेफ दूसरा केवुचिन बनना चाहता था। उसे अपने नाना का जमादारा उत्तरायेन्हर में निजा था, किन्तु लाड का उपाधि हाते हुए भी उसने एक निधन पादर का जवान व्यतात करने का निरवर किया। फादर जोसेफ ने अपना माता का जिला था - 'यह एक सानेह का जात्वन है, लोकेन अंतर यह है कि जहाँ सैनिक की मृत्यु मनुष्यता का सेवा में हाता है वहाँ हम ईरवर का सेवा में जीर्णत रहने का आशा करते हैं।'

रिचल्यू, राजपरिषद् का सदस्य होने के बाद १९१५ में युद्धमंत्री और विदेशमंत्री नियुक्त हुआ। वह शक्ति का भूखा था और शक्ति उसके पास आता-सी जान भी पड़ी। फादर जोसेफ धर्मयुद्धों को जारी रखने और तुर्की से यूनान को मुक्ति दिलाने का हिमायती था और इस उद्देश्य को सिद्ध के लिए उसने नेवर्स के ढ्यूक से सहायता मांगा। ढ्यूक बड़ा महावाकांक्षा और कुचक्की व्यक्ति था और इस कार्य की सफलता के लिए अपना स्थवर-सेना तथा ना-सेना तंयार कर रहा था। फादर जोसेफ का विचार था कि पहले के धर्मयुद्धों में जिस क्रांस ने प्रमुख भाग लिया वह अब

ऐसा न करे तो यह ऐतिहासिक परम्परा के विरुद्ध ही नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा के भी विरुद्ध होगा। अब “परमात्मा के कार्य फ्रांसीसियों-द्वारा” होने का सबाल न था, बल्कि यह था कि “फ्रांसीसियों के ही कार्य परमात्मा के कार्य हैं।” फादर जोसेफ के पंथ का सार इन फ्रैच पंक्तियों में है—“यदि आप (परमात्मा) की सेवा के लिए मैं दुनिया को उत्तर दूँ, तो भी मेरी इच्छा की गृहि, और मेरे जोश की आग बुझाने के लिए काफी न होगा। मुझे तो अपने को रक्त के समुद्र में डुबो देना चाहिए।” भूरे पादरी (फादर जोसेफ) और सफेद पादरी (गांधीजी) दोनों ही अभिमान से रहित हैं। दोनों ही मानव-समाज के प्रेमी और निर्धनों के संवक हैं, किन्तु जोसेफ राज-दरबार के घड्यंत्रों में व्यस्त रहा, उसने ३० वर्षीय युद्ध छिड़वाया और रक्त-स्नान भी किया। धर्मयुद्ध के लिए धर्मकर्तेवाली उसके हृदय की अग्नि कंवल दूसरों के रक्त से ही बुझायी जा सकी और यदि अन्य लोगों का रक्त-स्नान होता तो स्वयं उसी के रक्त से होता। ऐसी अवस्था में युद्ध छेड़नेवाले, एक धूर्त पादरी की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करना, जिसकी सचाई के कारण उसके पास एक ऐसा पत्र नहीं छोड़ा जा सका, जिसे स्वयं लेखक ने वापस ले लिया और जिसकी अहिंसा भारत के किसी अंग्रेज़ के सिर का एक बाल बांका करने के मुकाबले में जान होम देना अधिक उत्तम समझेगी, जानवृक्ष कर आरोप लगाना ही कहा जा सकता है। फादर जोसेफ भूरे हैं, गांधीजी सफेद हैं। गांधीजी न तो शक्ति-लिप्सा के भूखे राजनीतिज्ञ हैं और न व्यावहारिक रहस्यवादी। हस्ताम और उसके दैगम्बर मोहम्मद के प्रति गांधीजी के जो विचार हैं वे फादर जोसेफ द्वारा ‘टरकाइड’ में प्रकट किये गये विचारों से बिल्कुल भिन्न हैं। गांधीजी के लिए मोहम्मद साहब के उपदेश अग्रहणीय न होकर स्वर्ग से उत्तरनेवाले दबदूत जिग्राइल के समान आदरणीय हैं। गांधीजी राजमाताओं तथा उनके पुत्रों का कलाङ्क निवटाने में व्यस्त नहीं होते और न निर्दोष नगरों को उजाइने में हिचकिचानेवाले सैनिकों को ऐसा करने से रोकेनेवाले लोगों के विरुद्ध गांधीजी ने कभी फादर जोसेफ की तरह नारकीय अग्नि की ही सहायता ली है। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए फादर जोसेफ की तरह गांधीजी ने कभी सेनाओं का सहायता नहीं ली, बल्कि राष्ट्रीय अलंडता की रक्षा के लिए वे तो सेनाओं तक के विवरण के लिए तैयार हो गये हैं। गांधीजी को कार्डिनल रिचल्यू-जैसे किसी मानसिक कमज़ोरी को ही छिपाना है। स्वराज्य मिलने पर गांधीजी दिमालय के किसी शिखर पर चले जाना पसंद करते, न कि वस्तुतः विंदेश विभाग के प्रधान अधिकारी बनना, जैसा फादर जोसेफ ने किया था। गांधीजी का उद्देश्य शक्ति-लिप्सा नहीं है और न किसी केपुचीन व कार्डिनल के व्यक्तियों को मिलाकर वे कोई पद्यंत्र हा रचना चाहते हैं।

गांधीजी को निकट से जाननेवाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वे उस व्यांकतगत महत्वाकांक्षा से रहित हैं जिससे स्वयं फादर जोसेफ भी मुक्त न था और उस अप्रत्यक्ष आकांक्षा से भी, जो किसी सम्प्रदाय, राष्ट्र या दूसरे व्यक्ति की तरफ से होती है। यह दूसरे प्रकार की महत्वाकांक्षा कल्पित होते हुए भी मनुष्य को धोखे में डाले रहती है। फादर जोसेफ को केर्यालिक सम्प्रदाय, फ्रांस और रिचल्यू की तरफ से महत्वाकांक्षा थी—ऐसी महत्वाकांक्षा जिसके कारण एक तरफ तो वह ईर्ष्या, प्रभुता और अभिमान का उपभोग करता रहे और दूसरी तरफ यह भी अनुभव करता रहे कि वह सिर्फ ईश्वर की मर्जी से ही ऐसा कर रहा है। फादर जोसेफ का तरह गांधीजी सत्पुरुषों को दो तरह के वर्गों में नहीं बांट देते—एक तो ईश्वर की दृष्टि से अच्छे और

दूसरे, मनुष्य की दृष्टि से अच्छे। पहले [वर्ग के मनुष्य अपने] विरुद्ध किये जानेवाले पाप को तुरंत सुला देते हैं और दूसरे वर्ग के मनुष्य-समाज के विरुद्ध किये जानेवाले पापों का बदला। उकाने में अपनी तमाम ताकत लगा डालते हैं। गांधीजी को न तो दत्तार के षट्-यंत्रों को रोकना है और न बड़ों-बड़ों के बीच सुलह कराना है। यह सच है कि गांधीजी नेतृत्विक प्रेरणा तथा दैवी मार्ग-प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं और यह भी मानते हैं कि कुछ कार्यक्रम उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त हुए हैं। लेकिन गांधीजी के दिमाग में फिर नहीं उठा करते, जैसे फादर जॉसेफ के दिमाग में उठा करते थे और जिन्हें वह ईश्वरीय प्रेरणा कइकर अधिक उपदासास्थ बनाया करता था। आशा की जाती है कि मिठा एमरी भारत के युवकों से नया विचान तंत्र वार करने आर नये दर्शन का विकास करने के अतिरिक्त मंदिरों तथा गिरजाघरों से ईश्वर को निकाल बाहर करने की मांग नहीं करेंगे।

गांधीजी फादर जॉसेफ की तरह विस्तृत सेवा में पत्र-बृत्तवहार अवश्य करते हैं, किन्तु इसकिए नहीं कि शत्रु को कोई गुस बात मालूम हो जाय, बल्कि यह जानने के लिए कि अन्य लोगों के जीवन में सत्य का प्रभाव कहाँ पड़ता है और कहाँ नहीं। गांधीजी गुसचर पुस्तिकाल के प्रधान की तरह कार्य नहीं करते और न दूसरे के गहस्यों का पता लगाने के लिए, फादर जॉसेफ की तरह धन पानी की तरह बहात हैं। फादर जॉसेफ के सम्बन्ध में इक्सेंडे ने लिखा है—“वह एक ऐसे सम्प्रदाय का पादरी था, जिसमें अपने पंथ की सेवा करने और मानव-समाज की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहने का शपथ लेनी पड़ता था, किन्तु फादर जॉसेफ अपनी समस्त युक्तियों का उपयोग करके और लूसीफर, मेमन तथा वेलिअल-द्वारा काम में लाये गये प्रलोभनों-द्वारा अपने ईसाई भाइयों को झूठ बोलने, अपने वचन से पलट जाने और विश्वासघात करने के लिए मजबूर करता था। अपने राजनीतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए उसे वे सब शैतानी कृत्य करने पड़ते थे, जिसमें बिलकुल विपरीत कार्य करने का शपथ एक पादरी के रूप में वह जे चुका था।” गांधीजी धर्म और राजनीति का पृथक् नहीं मानते। उनके विचार से राजनीति धार्मिक आदर्शों पर आधारित होती है और धर्म की सिद्धि राजनीतिक साधनों-द्वारा सम्भव है। इस प्रकार धर्म और राजनीति किसी सिद्धि की साधी और उलटी सतह हैं। गांधीजी किसी उद्देश्य और उसे प्राप्त करने के साधन में भेद नहीं करते। फादर जॉसेफ को साधन का पर्वाइ न थी और वह सिर्फ उद्देश्य का ही ध्यान रखता था। गांधीजी कहते हैं कि यदि साधन का ध्यान रखा जाय तो उद्देश्य का जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रह जाती।

इन दोनों व्यक्तियों के चरित्रों का इस जितना ही अध्ययन करते हैं उनके बीच का अंतर उतना ही भारी होता जाता है। कहा गया है कि ‘पेरिस और रेटिसबन दोनों ही नगरों में फादर जॉसेफ दृढ़ता बदनाम हो चुका था कि विदेश-मंत्री नियुक्त होने के बाद, दरबार से जो वह प्रति सप्ताह गैरहाजिर रहता था, इसे उस समय के लोग ठाक नहीं मानते थे। कानाफूसी होती थी कि जिस समय उसे गिरजे में पादरियों के मध्य रहना चाहिए उस समय वह भेष बदलकर नगर में चक्र लगाया करता था, रिचर्ड्यू की तरफ से जासूसी किया करता था और ऐसे लोगों से मिला करता था जिनसे रात के अंधेरे में किसी गली के मोड़ पर या किसी सराय में ही मिला। जा सकता था।’’ एक गांधी तपस्वी है और दूसरा कुछ और—यह नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद और चाहे जिस व्यक्ति से की जा सके, गांधी से नहीं।

अपने जीवन के अंतिम काल में फादर जॉसेफ ने अपने एक पत्र में इस बात पर प्राप्तात्मा-

किया कि ईश्वर की सेवा से विमुख होकर वह पथब्रष्ट करें हुआ ? पत्र के अंत में वह लिखता है—“अब तो मैं विश्वास करने लगा हूँ कि दुनिया एक क्षमानी है और हमारे मूर्तिपूजकों व तुकों में कोई भेद नहीं है ।” हस्तज्ञ अपनी पुस्तक के अंतिम भाग में किखता है—“इन पश्चात्ताप-भरे शब्दों को पढ़कर ख्याल होने लगता है कि अंत में यह दुखों व्यक्ति अपनी मुक्ति होने में ही संदेह करने लगा था । और इस सब के बावजूद उसे फ्रांसीसी शाही घराने की सेवा के लिए वही धृणित कार्य—यूरोप भर में दुर्भिक्ष, आदमखारी तथा अवरणीय अत्याचार फेलाने का काम करना पड़ा । उसे फिर उन्हीं चिन्ताओं के बीच रहना पड़ा, जिन्होंने उसे यथार्थता के स्वरूप से दूर जा पटका था । उसे फिर राजा, कार्डिनल, राजदूत, गुपचर के बाच रहना पड़ा, फिर राजनीतिज्ञों के पापमय अनाचारों में आना पड़ा—फिर एक ऐसी दुनिया में, जिसे वह एक क्षमानी, एक स्वरूप के रूप में जान चुका था, और शक्ति के संवर्धन में पड़ना पड़ा । उसे फिर पागलों के दो ऐसे दलों के मध्य आना पड़ा, जो समान रूप से दुरे थे और जो दिसा, धूतंता, शक्ति और धोखेबाजी के संघर्षों में पड़े हुए थे । और इन प्रकार ईश्वर से विमुख होने के पारितोषिक में उन्होंने उसे एक लाल टोपों देने का वचन दिया था ।” गांधीजी फादर जोसेफ के विपरीत दुनिया को एक ही परिवार मानते हैं । वे युद्धों और रक्तपात से घृणा करते हैं । वे अपने विचारों को छिपाकर रखने में असमर्थ हैं और शत्रु तथा भिन्न दोनों ही के सामने उन्हें पूक ही समान प्रकट करते हैं । उनका जोवन एक खुली पुस्तक के समान है । उनके शब्दों के दांहरे अर्थ नहीं होते । उनके मुख से जो कुछ निकलता है, पवित्र होता है और वे अपने वचन का पलन करते हैं । उनका उद्देश्य अपने देश में राष्ट्रीय भावना का संचार करना रहा है । वे पड़ोसी देशों के ग्राम भी कांडे तुरा इरादा नहीं रखते । शासन पर धार्मिक प्रभाव ढालने के भी वे पक्ष में नहीं हैं । उनके धर्म म मजहब बदलने के लिए कांडे स्थान नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति अपने मंदिर, गिरजे या मसाजिद में उपसना करने के लिए स्वतंत्र है । परन्तु राष्ट्र को विदेशी शासन के आगे पालतू पशु के समान झुक न जाना चाहिए । व्यक्तियों अथवा समूहों को धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वाधीनता रहने का मतलब यह हुआ कि सम्पूर्ण राष्ट्र आर्थिक और राजनातिक दृष्टि से एक ही इकाई है और उसकी स्वाधीनता कायम है । यह ठीक ही है कि कोइ नाकरशाही, चहे वह देशी हो या विदेशी, किसी राष्ट्र पर तब तक शासन नहीं कर सकती जब तक कि लोग काहिज न हों । भारत की काहिली और दब्बूपन के ही कारण अंग्रेज नाकरशाही का शासन कायम रहने पाया है । गांधीजी ने भारत की कांडों जनता के दब्बूरन, उसकी विनाश तथा दयनाय संतोषा भनोवृत्त और उसकी निराहत का अंत कर दिया है । यहा गांधीजा और एमरा का फगड़ा है । एमरा विर्टश भारत में नाकरशाही शासन का शक्ति बढ़ाकर देश-राज्यों के ४२२ नंशों का नवजीवन प्रदान करना चाहते हैं । वेस्ट-फालिया की संघि के बाद पशा जर्मनी के शेष १६६ सरदारों पर प्रभुत्व बनाये रहा । विनेन की राजतंत्र प्रणाली की शक्ति में अदूर विश्वास रहने के कारण मिं० एमरा सिर्फ यही चाहते हैं कि नेश कर्दी आपस में या प्रन्तों के लोगों से न मिल जायें । क्रास के राजाओं की शाक्त जाग होने पर १६वीं शताब्दी के अत तक जर्मन राष्ट्र की एकता का विश्वास होने लगा । परन्तु रिच्चल्यू और फादर जोसेफ के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप जर्मनी पर से आंस्ट्रेलिया की प्रभुता का अंत होने पर जर्मना प्रान्तों का संघ बनने के स्थान पर एक कन्द्रीभूत राज्य बन गया । इस प्रकार मिं० एमरी भी भारतीय संघ के विकास में रांझ अटका रहे हैं । निस प्रकार फादर जोसेफ के प्रयत्नों का परिणाम उल्टा हुआ, यानी एक तरफ जर्मन राष्ट्रीयता का विकास और दूसरी तरफ क्रांसासी

साम्राज्यवाद का अंत हुआ उसी प्रकार अब भारत में भारतीय राष्ट्रीयता का विकास और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत होने जा रहा है। इस प्रकार गांधीजी नहीं, बल्कि स्वयं मिं प्रमरी ही कादर जो सेफ के पदचिह्नों का अनुसरण कर रहे हैं। गांधीजी की राजनीति शक्ति-लिप्सा न होकर सेवा की राजनीति या इकमले के शब्दों में ‘सतोगुणा’ राजनीति है। कहा जा सकता है कि पतोगुणों राजनीति का अब तक किसी भी समाज में बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किया गया और ऐसी हालत में मन्देह उठ सकता है कि यदि पेमा प्रयत्न किया गया तो उसे तब तक आर्थिक से अधिक यकलता मिलेगी या नहीं जब तक कि सम्बन्धित जन-समाज में से अधिकांश अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं कर लेते। सतोगुणों राजनीति का शक्ति-लिप्सा में भेद यही है कि सतोगुणों राजनीति में हम नैतिकता का ध्यान रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर संगठन करते हैं। यदि इससे भी ठांक माने में देखा जाय तो इस राजनीति में शासन, व्यवसाय, आर्थिक व्यवस्था आदि के विकेन्द्रीकरण का कार्य-समता से भेद करता है, जिससे सम्पूर्ण संघ का कार्य सुगमता से चल सके। पृथ्वी व्यक्ति को उन उपद्रवों के लिए जिम्मेदार ठहराना, जिनकी वह न तो कल्पना ही कर सकता था और न जिन्हें वह सदृश ही कर सकता था, वास्तव में सत्याग्रह, आनंदोलन को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की उपेंचा कर देना है। १९४२-४३ में जो उपद्रव देखे गये थे से १९३०, १९३२-३३ वा १९४०-४१ के आनंदोलनों में नहीं देखे गये थे। अक्सर कहा जाता है कि गांधीजी को अनुमान कर लेना चाहिए था कि उनके आनंदोलन का क्या परिणाम होगा। १९२२ के फरवरी मास में जब जनता का हिंमार्पण मनोवृत्ति का परिचय चारी-चारा कांड के रूप में मिला था तो गांधीजी ने गुजरात के बारदोली और आनन्द तालुकों में गुजरात के आनंदोलन को चलाने का विचार त्याग दिया था। उस समय के बाद ऐसे किंतन द्वा सफ़ज़ आनंदोलन हो चुके हैं, जिनमें हिंसा से विलक्षुल ही काम नहीं जिया गया। इनके उदाहरण हैं गुजरात में बारदोली का करबन्दी आनंदोलन और उत्तरी कनाड़ा के सिरसा तथा सादापुर तालुकों का करबन्दी आनंदोलन, यह गिरुला आनंदोलन १९३०-३१ के नमक-सत्याग्रह का एक अंग था। एक सावधान तथा अनुभवी व्यक्ति के रूप में गांधीजी को इस आनंदोलन के सम्बन्ध में, जो न तो आरम्भ ही हुआ था और जिसे न होने देने के लिए गांधीजी दूर तरद को कोशिश करने को तैयार थे, अहिंसा की आर्थिक बलकुज ही न थी। हुआ सिर्फ यहा कि सत्याग्रह-आनंदोलन की चर्चा संसार के आगे आते ही मिं प्रमरी न सोचा कि पैरों के निहट जो जन्तु रंग रहा है उसे तमाम ताकत से कुचल दिया जाय। मिं प्रमरी सामूहिक गिरफ्तारयों तथा आडिनेंसों के द्वारा जन्म से पहले ही आनंदोलन का गद्दा घोंट दिना चाहते थे। सच तो यह है कि अपने कार्यों के परिणामस्वरूप हुई बुराईयों का अनुमान मिं प्रमरी को पहले ही कर लेना चाहिये था, क्योंकि इनके लिए वही जिम्मेदार थे। राजनीतज्ज्ञ को जो कुछ करता होता है वह करता है, किन्तु इक्सले के विचार से उन कार्यों के सम्बन्ध में भत स्थिर करना इतिहासकार का काम है। उनके शब्दों में “किसी परिस्थिति के विषय में कोई भत स्थिर करते समय पिछले कार्यों और उनके परिणामों-सम्बन्धी केखों को देखता अवश्यक हो जाता है” अनियंत्रित दमन तथा अध्याचार के ऐसे परिणाम होते हैं, जिनका समर्थन कोई भा समझदार व्यक्ति नहीं करेगा। मिं प्रमरी कार्य और कारण के सम्बन्ध की अज्ञानता की दखोल नहीं दे सकते। यह आपलैंड में हो चुका है। इससे पहले अमरीका में भी यही हुआ है। भारत में आनंदोलन को अहिंसात्मक बनाने के लिए जिस सावधानी से काम किया गया था, वह अधिकारियों का हिंसा के सामन व्यर्थ सिद्ध हुई।

मिं० एमरी जो कुछ हैं उसे देखते उनके द्वारा गांधीजी की फाइर जोसेफ से तुलना किये जाने में अचरज की कुछ भी बात नहीं है। राजनीतिज्ञ हाने के अतिरिक्त वे एक ऐसे कारबाही अवक्षि भी हैं, जो गांधीजो के चरित्र की साधुता और उनकी अपने को मिटा देने की मनोवृत्ति को किसी तरह नहीं समझ सकते। जिसका तमाम जीवन कम्पनियाँ खड़ी करने, दौबत हकड़ी करने और शक्ति का भयड़ार एकत्र करने में बीता हो, वह यदि नैतिक विषयों को न समझ सके तो इसमें किसी को आश्रय नहीं होना चाहिये। मन्त्री हाने से पूर्व ६६ वर्षीय रुहट् आमरेडुक लिओपोल्ड चाल्स मारिस स्टेनेट एमरी, एम० पी० ब्रिटिश टेब्लेटिंग मशीन कम्पनी लिमिटेड, कैमल बैंड कम्पनी लिमिटेड, फांटे कंपनी लिमिटेड हन्डेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, ग्लाउस्टर रेलवे करिज एंड वैगन कम्पनी लिमिटेड, हंडस्ट्रॉयल फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, सदर्ने रेलवे, साउथ-वेस्ट अफ्रिका कम्पनी, ट्रस्ट एंड लोन आफ कनाडा, तथा गुडइयर एंड रबर कम्पनी संस्थाओं के डाहरेकर थे। योग्य, निर्भय और प्रतिक्रियावादी होते हुए मिं० एमरी इतने प्रभावोत्पादक वक्ता के से ही सके हैं यह एक असाधारण बात है। आपका कद नाटा है और स्वभाव कुछ नीरस है। आपको दूसरों को परेशान करनेवाली एक विशेषता यह भी है कि आप महत्वपूर्ण बातों के साथ विस्तार की चुद-से-चुद बात को भी पूरा महत्व देना चाहते हैं। आप सरकार में पूंजीपतयों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मेजरी एटली ने कांग्रेस पर तानाशाही<sup>१</sup> का जो आरोप लगाया है उसकी जांच होनी आवश्यक है। राजनाति में तानाशाही का यह मतलब होता है कि राजनातिज्ञ जीवन के प्रत्येक ज्ञेत्र में, जिसमें धर्म भी सम्मिलित है, अनुशासन तथा समानता चाहता है। यह मनोवृत्ति औद्योगिक सभ्यता तथा शक्ति-विप्रसा के कारण उत्पन्न रुह है। कांग्रेस अपने सदस्यों से ४ आने की फोस एक वर्ष के लिए लेती है और उनके हस्ताक्षर “शांतिपूर्ण तथा जायज उपायों द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति” — अपने मुख्य सिद्धांत के नामे करा लेता है। कांग्रेस चाहती है कि इन दोनों शर्तों का पालन वह कड़ाई से करा सके तो कराये। कांग्रेस का कार्यसमिति के सदस्यों के लिए कठाई तथा साधारण सदस्यों के लिए खादी पदनना अनिवार्य नहीं है। कार्यसमिति के सदस्यों के लिए हाथ से कता और हाथ ही से बुना वस्त्र पदनना आवश्यक है, जिससे कि मरते हुए खादी-उद्योग में नवजीवन का संचार हो सके। कांग्रेस-समितयों में विदेशी व्यापार करनेवाले कारबाही और मिल्ज-मालिक रहे हैं और वकील, डाक्टर आदि भा रहे हैं। सिर्फ सम्प्रदायिक संस्थाओं के सदस्यों को ही कांग्रेस समितियों से प्रलग रखा गया है। कांग्रेस में आने पर किसी का भी रोक नहीं है। कांग्रेस के सदस्य इश्वर में विश्वास, उपासना के ढंग तथा धार्मिक विश्वास के सम्बन्ध में स्वतन्त्र हैं। मेजर एटली कांग्रेस का तानाशाही संस्था शायद इसलिए मानते हैं, कि कांग्रेस-कार्यसमिति प्रांतीय संघ्री-मण्डलों को नशाबन्दी, अर्थात् मेजर एटली कांग्रेस को तानाशाही संस्था कहने के लिए जो मजबूर हुए हैं उसका मुख्य कारण युद्ध छिड़ने के समय कांग्रेस-मन्त्री-मण्डलों का इस्तीफा देना है। वे यही परन्तु मेजर एटली कांग्रेस को तानाशाही संस्था कहने के लिए जो मजबूर हुए हैं उसका मुख्य कारण युद्ध छिड़ने के समय कांग्रेस-मन्त्री-मण्डलों का इस्तीफा देना है। वे यही परन्तु कहते हैं कि भारत के खुद गुज़ाम रहने पर भी उसके मन्त्री मण्डल युद्ध-प्रयत्नों में भाग लेते रहते। ख-य-समस्या चाहे जितनी कठिन होती, चाहे यूनाइटेड किंगडम कमिशनर कारपोरेशन व्यापार करता होता, चाहे ग्रेडो-कमोरन की रिपोर्ट को रही की टोकरी में कैक दिया जाता, कीमतें चाहे जितनी चढ़ जातीं, चाहे लोग बिना इथियारों के ही बने रहते,

चाहे भारत भर में तन ढकने के लिए वस्त्र न मिलता और किसी को बड़े उद्योग न चलाने दिया जाता, फिर भी हमारे मन्त्री सैनिक भर्ती करते रहते, युद्ध के लिए धन-संग्रह करते रहते, देश-भवित्पूर्ण कार्य करनेवाले या सार्वजनिक बुगड़ों पर प्रकाश डालनेवाले अपने देशभाइयों को जेलों में बन्द करते रहते और भीड़ों पर बंदूकों तथा मर्शीनगानों से गोलियाँ चलावाते रहते। लोकप्रिय मन्त्रि-मण्डल एक हजारतदार संस्था का प्रतिनिधित्व करते थे और वे यह गन्दा कार्य कभी नहीं कर सकते थे। और तभी राजनीतिक अद्यंगा उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त मिठा पुमरी अपने उसी भाषण में उन लोगों को, जो देश में इतने दुःख और दर्द के लिए जिम्मेदार थे, राजनीति में भाग लेने देने से पूर्व उनसे स्पष्ट तथा सुनिश्चित आश्वासन चाहते थे। वाहसराय चाहते थे कि अम्बई का प्रभाव वापस लिया जाय, दिसा की निन्दा की जाय और ऐसा आश्वासन दिया जाय जो सरकार को मंजूर हो। ये आश्वासन या गारंटीयां क्या हो सकती थीं? ये वैसी ही गारंटीयां थीं जैसी पुराने अपराधियों से ली जाती हैं, जैसे निर्धारित समय तक अच्छा चाल-चलन रखने के लिए भारी रकमों की जमानतें जमा करना और इन जमानतों पर उन धनी उद्योग पर्यायों के। हस्तक्षर के, जो प्रधान मन्त्री के मतानुसार हिपे रूप से स्पष्ट देकर कांग्रेस की सहायता करते हुए राजनीति में अवांछनीय रूप से हस्तक्षेप कर रहे थे। इस प्रकार जब भारत के लिए स्वराज्य के वचनों तथा घोषणाओं को— जो स्वतंत्रता, वेस्ट मिस्टर कानून के अंतर्गत औपनिवेशिक पद, साम्राज्य से प्रथक् होनेका अधिकार तथा युद्ध चलाने के अतिरिक्त राष्ट्रीय सरकार को पूरी सत्ता सौंपने आदि को स्पर्श करती थीं— पूरा करने का वक्त आया तो परिणाम क्या हुआ—वही शून्य तथा नकारात्मक दमन थी नीति। इन वचनों को पूरा करने में जिन कठिनाइयों का बहाना किया गया उनमें समझौता न हो सकना, अल्पसंखयकों तथा रियासतों की समस्याएं और सबसे अधिक संघ-विधान को स्वीकार करने अथवा उसमें सम्मिलित होने पर मुसलमानों की आपत्ति मुख्य थी। इस प्रकार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी, जिसमें आगे बढ़ना या पीछे हटना विलक्ष्य असम्भव हो गया। यह स्थिति कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय मांग की पूर्ति के लिए चलाये जानेवाले सत्याग्रह-आनंदोलन के कारण महीने, बल्कि अंग्रेजों-द्वारा भारत को उसकी मर्जी के बिना युद्ध में फंसा देने के कारण उत्पन्न हुई। लद्दाह के इस आधार को कोई भी हजारत-दार राष्ट्र मंजूर नहीं कर सकता था। जब युद्ध के उद्देश्यों की व्याख्या करने की मांग की गई और जब यह व्याख्या नहीं की गई तो कांग्रेसी-मर्जीमंडलों ने अवृत्तबूर, १९३६ में इस्तीफा दे दिया। तब मुसलमानों का यह तर्क सामने लाया गया कि वे किसी प्रकार के संघ-विधान को स्वीकार न करेंगे। विदिश सरकार की तरफ से कहा गया कि विभिन्न दलों तथा वर्गों में समझौता होमा आहिए और समझौता न होने तक वोई कदम आगे न बढ़ाने का निश्चय उसने किया। कांग्रेस ने केवल अपनी भाषण-स्वतन्त्रता कायम रखने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। १८ मईने बाद जब क्रिस्ट भारत आये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और लींग में समझौता होने की हालत में भी रक्षा-विभाग न दिया जायगा। सत्य पर उस समय और भी प्रकाश पदा जब सरकार की इस बात को भी मान लिया गया। तब मंत्रिमंडल के संयुक्त उत्तरदायित्व को नहीं माना गया और क्रिस्ट के मुंह से 'कैरिनेट' शब्द फिर कभी नहीं सुना गया और उसका स्थान "प्रजीवयूटिक कौसिल" ने ले लिया। सर स्टेफनी क्रिस्ट के दूरकर्ते चले जाने पर गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद् के भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ११ कर ही गयी। किन्तु पद-प्रधान करने के १५ दिन के भीतर ही सर सी० पी० रामस्वामी अध्यर के इस्तीफा देने से एक की कमी

हो गयी। एक अन्य स्थान सर रामस्वामी मुदालियर के युद्ध मन्त्रिमण्डल का सदस्य होकर चले जाने के कारण और भी खाली रहा। इससे एक मनोरंजक कहानी याद आ जाती है, जिसमें एक व्यक्ति ने दंच-पांडवों की संख्या जानने का दावा किया था। उसने संख्या चार बताई, किन्तु यह प्रकट करने के लिए नंगलियां केवल ३ ही दिखायी, फिर दो उठाई और फिर एक दिखाई और अंत में भूमि पर शून्य खींच दिया। ऐसी एक दूसरी कहानी भी है। एक आदमी के दूसरे पर १०० रुपये उधार थे। उकाने के समय उसने केवल ६० देने का बचन दिया और इस ६० में से आधी रकम यानी ३० रु० की छूट मांगी। जो ३० बचे उसमें से १० उसने एक मित्र से दिखाये, १० खुद देने का बचन दिया और १० माफ करा लिये। भारत का राजनीतिक अड़ंगा एक दुखद मजाक है, जिसके कारण देश अपना धीरज और साधन दोनों ही गंवा चुका है। पिछले आनंदो-ज्ञानों के समय डा० संगृ और श्री जयकर सुलह के कार्य में हिस्सा लेते थे। यह सभी जानते हैं कि बड़ी कठिन परिस्थिति में उन्होंने गांधी-अरविन्द-वार्ता को भंग होने से बचाया था। परन्तु इस अवसर पर वे भी छुप रहे। निर्दूँनेताओं का जो सम्मेलन व्यक्तिगत सत्याग्रह के दिनों में डा० संगृ के नेतृत्व में हुआ था वह भी एक या दो बार के अलावा पृष्ठभूमि में ही रहा और इस एक या दो बार उसके प्रयत्नों को भी अन्य संस्थाओं तथा व्यक्तिगतों की तरह नाकामयाबी ही मिली। फिर भी यह सार्वजनिक रूप से मंजूर करना चाहिए कि डा० संगृ ने मदा राष्ट्र के आम-सम्मान का ध्यान रखा और अपने कार्य तथा राष्ट्र दोनों ही की मर्यादा की रक्षा की। उनके विवेकपूर्ण तथा अधिकार्युक्त शब्दों का उल्लेख हम एक बार फिर उसी तरह करेंगे, जिस तरह फरवरी-मार्च १९४३ में गांधीजी के अनशन के समय उनके कथन का हवाला हम दे चुके हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के बम्बईवाले प्रस्ताव के पास होते ही भारतीय राजनीति के ज्येत्र में एक नये चर्चित का पदार्पण हुआ। यह नया व्यक्ति वास्तव में एक पुगाना कांग्रेसनं और सत्याग्रही ही था, जो १९२१, १९३०, १९३२ (दो बार) और १९४०-४१ में जेल जा चुका था। परन्तु अगस्त १९४२ में उसने बिल्कुल भिजा रुख लिया। सच तो यह है कि उसका सत्तमेद गांधीजी से कुछ पहले का था। जुलाई, १९४० में पूना में अखिल भारतीय बैंडेस बर्सेटी की बैंटक से जो प्रताव पास हुआ था उसके लिए भी वही उत्तरदायी था। इस बैंटक में गांधीजी उपस्थित नहीं थे। पूना में जो-उच्च हुआ उस पर बम्बई (अगस्त, १९४०) की कार्यवाई ने स्थाही पोत दी और व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता खुल गया। हमरे ये मित्र श्री सी० राजगोपालाचार्य हैं। अवृत्तवर १९४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह का कार्यक्रम पूरा करने हुए श्री राजगोपालाचार्य ने युद्ध विषयक नारा लिखकर सरकार के पास भेजने का मार्ग नदीं लिया, जिसकी गांधीजी और कांग्रेस-कार्बसमिति ने सिफारिश की थी। इसके विपरीत, उन्होंने युद्ध-समितियों के सदस्यों को इस्तफा देने और युद्ध-व्यवस्थ में भाग न लेने को लिखा था। इस प्रकार गांधीजी के द्वारा बतायी दिशा में जाते हुए भी उन्होंने अपना अलग रास्ता बना लिया था। उन्होंने नवम्बर, १९४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रह-आनंदोलन खत्म करने के लिए महामा गांधी को राजी किया था, जिसका परिणाम था बारदोली का प्रस्ताव। उस दिन से इलाहाबाद की भेट तक उनका गांधीजी से मत्तमेद ही रहा। इलाहाबाद में उन्हें आगे विचारों के कारण कार्यसमिति से इस्तफा देना पड़ा और जुलाई के दूसरे सप्ताह में वे कांग्रेस से ही अलग हो गये। इस तरह अगस्त, १९४२ में वे बम्बई में न थे। परन्तु सी० राजगोपालाचार्य अशान्त और क्रियाशील व्यक्तित्व के हैं और गांधीजी की गिरफ्तारी के दिन उन्होंने कांग्रेस और सरकार की नीति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। गांधीजी कार्यसमिति से जिस मार्ग का

अनुसरण करने को कहनेवाले थे उसके विश्व श्री राजगोपालाचारी ने बम्बई वी डैठक से पहले भी उन्हें लिखा था ।

राजनीतिक आवंगे को दूर करने के लिए जो भी प्रयत्न बिया गया असफल हुआ । हिन्दु-स्तान के अखबारों में इयादातर कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन उनके बिये कुछ न हैं । ब्रिटेन में जो प्रगतिशील व्यक्ति थे उनकी राय नकाराने में तूनी की आवाज के समान थी । ब्रिटेन और अमरीका की मैट्री की विशाल टट्टान में भागत-हितेषी अमरीकियों की सहानभृति भी सिर पटक-गड़क कर रह गई । फिर भी मनुष्य का दिल नहीं जानता । प्रकृति के नियम के समान राजनीति में भी खाली स्थान नहीं रहता । इस खाली स्थान को भरने के लिए देश के बड़े-बड़े नेता दौड़ पड़े । युद्ध छिन्नने के समय में उनके सम्मेलन दो बार हो चुके थे और अब की बार सरकार पर जोर ढालने के लिए वे अन्तिम प्रयत्न करना चाहते थे । परन्तु हमारे ये माउरेट दोस्त यह महसूस नहीं करते थे कि उनके प्रति सरकार की नीति हँसी है । हँसी गन्ना चूपकर उसका दबा भाग केंद्र देने की होती है । फिर भी अखिल भारतीय नेता हिंगमत बरके ६ मार्च को एक सम्मेलन में मिजे । उमका ननीजा बढ़त ही दिलचस्प और सबक सिर्वानेवाला हुआ ।

अखिल भारतीय नेता-सम्मेलन ने निम्न वक्तव्य निकाला:—

‘हमारा मत है कि यिन्हें कुछ मटीने की घटनाओं को महेनजर रखते हुए सरकार और कांग्रेस को अपनी नीति पर फिर से चिरार करना चाहिए । हम में से कुछेक को गांधीजी से हाज़ार ही में जो बातचीत करने का मौका मिला है उस के कारण हमारा विश्वास है कि इस समय सुलह की बातें जरूर कामयाब होंगी । हमारी तरफ से वाइसराय से अनुग्रह किया जाना चाहिए कि वे हमारे कुछ प्रतिनिधियों को गांधीजी से मिलने की अनुमति प्रदान करें ताकि हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में वे उन की प्रतिक्रिया का प्रमाणित विवरण प्राप्त करके समझौता करने का प्रयत्न कर सकें ।’

इस वक्तव्य पर ३५ नेताओं के हमताक्षर थे जिन में सर तेजबहादुर सप्त, श्री एम० आर० जयकर, श्री भूलाभाई देसाई, श्री स० राजगोपालाचारी और सर जगदीश प्रसाद के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

बम्बई-प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारत-मंत्री मि० एम० ने पार्लीमेंट में कहा:—‘बम्बईवाले सम्मेलन की विशेषता वो मैं भली-भांति जानता हूँ’ और उन्होंने प्रश्न का उत्तर एक सप्ताह के भीतर देने का वचन दिया । आशा की जाती थी कि आवश्यक अनुमति मिल जायगी । परन्तु उसकी जगह अप्रेल में वाइसराय का एक लम्बा उत्तर मिला, जिसमें अनुमति देने से इंकार कर दिया गया ।

तब वाइसराय के पास एक डंपुटेशन ले जाने का फैसला किया गया । वाइसराय ने १ अक्टूबर को चार प्रतिनिधियों के एक डंपुटेशन से मिलना स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक आवेदनपत्र भी भेजने का अनुग्रह किया । डंपुटेशन को सूचित किया गया कि डंपुटेशन से अपना आवेदनपत्र पढ़ने को कहा जायगा और फिर वाइसराय अपना उत्तर पढ़ देंगे । दूसरे शब्दों में, इस प्रश्न पर कोई बातचीत न होती । यह सूचना मिलने पर डंपुटेशन ने स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता न समझी और वाइसराय को सूचित भी कर दिया । वाइसराय ने पद्धति अप्रैल को आवेदनपत्र का उत्तर भी दे दिया । मि० एम० ने बाद में कहा कि डंपुटेशन हम शर्त पर वाइसराय से मिलने को तैयार था, किन्तु श्री कें० एम० मुंशी ने, जो हाल की घटनाओं से

परिचित थे, पत्रों को सूचित किया कि उन्हें इस कार्द-विधि की सूचना २६ मार्च को मिली थी।

नेताओं के आवेदनपत्र का उत्तर देते हुए वाइसराय ने कहा:—

“...मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गांधीजी या कांग्रेस की तरफ से मस्तिष्क या हृदय के परिवर्तन का कोई सबूत अभी या पहले नहीं मिला है। अपनी नीति त्यागने का अवसर उन्हें पहले भी था और अब भी है। आप के अच्छे हरादों तथा समस्या के सफल निवारण के लिए आप की चिन्ता क्रद करते हुए भी गांधीजी व कांग्रेसी नेताओं से मिलने की विशेष सुविधा में आप को तब तक नहीं दे सकता जब तक परिस्थिति वैसी बनी हुई है जैसी ऊपर बतायी जा चुकी है।

“यदि दूसरी तरफ गांधीजी पिछले अगस्तवाले प्रस्ताव को रद करने और हिंसा के लिए उत्तेजक अपने शब्दों-जैसे ‘खुला विद्रोह’ वर्गरह की, कांग्रेसी अनुयायियों को दी गयी ‘करो या मरो’ सलाह की और अपने इस कथन की कि नेताओं के हट जाने पर नेता स्वयं ही निर्णय करें, निंदा करने को तैयार हों और साथ ही कांग्रेस और गांधीजी भविष्य के लिये ऐसा आश्वासन देने को तैयार हों, जो सरकार को मंजूर हो, तो इस विषय पर आगे विचार किया जा सकता है।.....”

इस प्रकार अर्खवल भारतीय नेताओं द्वारा गांधीजी से सम्बन्ध स्थापित करने के सभी प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए।

यह कोई नहीं कह सकता कि श्री राजगोपालाचार्य ने श्री जिन्ना से दो बार बातें करने के बाद जब समझौता होने की आशा दिलाई उस समय उनके पास क्या गुप्त योजना थी। नेता-सम्मेलन के समय समझौते की जो आशा उठी थी, उस पर वाइसराय ने बाहरी नेताओं को गांधीजी से मिलने की अनुमति न दे कर पदले ही तुषारपात कर दिया। किन्तु राजाजी का उत्ताह इतने पर भी कम न हुआ और उन्होंने १० मार्च को सर्वदल नेता-सम्मेलन का आयोजन किया। पर इस बार भी नेताओं को गांधीजी से मुलाकात करने की अनुमति नहीं प्राप्त हुई। इसमें कोई शक नहीं कि यह सब किसी भ्रम के कारण हो रहा था। राजाजी शायद यही ख्याल करते थे कि समस्या का हल पाकिस्तान की गुण्ठी को सहानुभूतिपूर्वक सुलझाने से हो सकता है। पाकिस्तान के विचार को मिठा जिन्ना ने कोई शक्ति नहीं दी थी, पर राजाजी कुछ अधिक स्पष्टता से सोचने लगे थे। पाकिस्तान का आधार ‘दो राष्ट्र वाला भिन्नान्त’ था, जिसे राजाजी ने मंजूर कर लिया था। राजाजी का ख्याल था कि पाकिस्तान को जैसे ही माना गया वैसे ही बाकी परिणाम अपने आप निकल आवेगे। १२ अप्रैल को बंगलौर में मुहम्मद साहब के जन्म-दिवस पर

‘उस समय श्री राजगोपालाचार्य ने श्री जिन्ना ये समझौता होने के सम्बन्ध में जिस विश्वास की भावना का परिचय दिया था उसका कारण वह गुर था, जिसे उन्होंने अनशन खत्म होने के समय गांधीजी को दिखाया था और जिस पर उनकी अनुमति ले ली थी। बाद में राजाजी ने यह रहस्य सार्वजनिक रूप से प्रकट भी किया था। गांधीजी की अनुमति मिलने के ही कारण उन्हें विश्वास हो चक्का था कि पाकिस्तान-योजना के सम्बन्ध में वे कोई उपयोगी सुझाव उपस्थित कर सकेंगे। इस विषय की विस्तृत बातों की चर्चा हम गांधीजी के जेल से छोड़े जाने के बाद वित्तवर १९४४ की बटनाओं का अध्ययन करते समय करेंगे।

राजाजी ने पाकिस्तान के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। आप ने कहा कि राजनीतिक अंदंगे को दूर करने का तरीका पाकिस्तान को मान लेना है और यह भी कहा कि पाकिस्तान हिन्दुओं के सामने उसकी हृतभी डरावनी शक्ति में रखा गया है कि वे उससे अनावश्यक रूप से भयभीत हो गये हैं। आपने आगे कहा:—

“मैं पाकिस्तान का इसलिए समर्थक हूँ कि मैं ऐसे राज्य की स्थापना नहीं चाहता जिस में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही का सम्मान न किया जाता हो। मुसलमानों को पाकिस्तान ले लेने दो। यदि हिन्दू-मुसलमानों में समझौता हो जाता है तो देश की रक्षा हो जायगी... यदि अंग्रेजों ने और कोई काठिनाई उठाई तो हम उस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे।... मैं पाकिस्तान का समर्थक हूँ, किन्तु मेरे ख्याल में कांग्रेस पाकिस्तान को नहीं मानेगी।... कांग्रेस के बाग में फूल लगे हुए हैं, किन्तु बाग के फाटक बंद हैं और मुझे निकट जाकर उन्हें चुनने नहीं दिया जाता।”

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का २४ वां अधिवेशन दिल्ली में १९४३ के हैस्टर-सप्ताह में हुआ था और श्री जिन्ना उसके अध्यक्ष थे। श्री जिन्ना ने अपने भाषण में गांधीजी से अपने को पत्र लिखने का अनुरोध किया था। मिं० जिन्ना का यह भाषण बहुत लम्बा था और केवल उस का संक्षेप ही पत्रों में प्रकाशित हुआ था। बाद में मिं० जिन्ना ने शिकायत की थी कि ब्रिटिश पत्रों ने उन के भाषण के संक्षिप्त विवरण पर ही अपना मत प्रकट किया है। मिं० जिन्ना ने अपने भाषण में कहा था:—

“ब्रिटिश सरकार सभी की उपेक्षा करने की जो नीति बर्त रही है उस से लड़ाई में कामयाबी हांसिल नहीं की जा सकती। यह बात जितनी ही जल्दी महसूस कर ली जाय उतनी ही जल्दी इसमें सभी का लाभ होगा। यदि लड़ाई में हमारी हार होती है तो वह इस देश में सरकार की गलत नीति के कारण होगी। भारत की खाद्य-स्थिति, आर्थिक अवस्था तथा मुद्रा-प्रबंध बड़ी संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं और इस विषय में सरकार की हाथ-पर हाथ रख कर बैठ रहने की नीति से उस युद्ध-प्रयत्न को हानि पहुंच सकती है, जो लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए अत्यावश्यक है।

मुस्लिम लीग की नीति में सच्ची परिस्थिति का ख्याल रखा गया है। मुझे यह देखकर ताज़ुब हुआ है कि ब्रिटेन के समाचारपत्रों ने “दल के लिए चाल चलने” और “दर्शकों को सुश करने” वर्गे लाभकारी काम किया है। इस से सिर्फ यही जान पढ़ता है कि ब्रिटेन को हिन्दुस्तान की वास्तविक स्थिति की जानकारी कितनी कम है।

भाषण का पूरा विवरण दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक ‘डॉन’ ने, जिस से स्वयं मिं० जिन्ना का सम्बन्ध है, प्रकाशित किया था। जहाँ तक गांधीजी से किये गये अनुरोध का सम्बन्ध है, पूरे विवरण में भी वह उसी तरह विद्या हुआ है, जिस तरह वह संक्षिप्त विवरणों में दिया हुआ है। मिं० जिन्ना ने कहा था:—

“इसलिए कांग्रेस की स्थिति बैसी ही है, जैसी पहले थी। सिर्फ वह दूसरे शब्दों और दूसरी भाषा में बताई गई है, किन्तु इसका मतलब है अलंक हिन्दुस्तान के आधार पर हिन्दू-राज और इस स्थिति को हम कभी स्वीकार न करेंगे। यदि गांधीजी पाकिस्तान के आधार पर मुस्लिम लीग से समझौता करने को तैयार हो जायें तो मुझ से आर्थिक और किसी को सुशील होगी। मैं आप से कहता हूँ कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही के लिए वह बड़ा शुभ दिन

होगा। यदि गांधीजी इस का फैसला कर सके हैं तो उन्हें मुझे सीधा लिखने में दिक्कत ही नहीं है? ( हर्ष-ध्वनि ) वे बाह्यराय को पत्र लिख रहे हैं। वे मुझे सीधा वयों नहीं लिखते? बाह्यराय के पास जाने, हेप्टेशन भेजने और उन से पत्र-ध्यवहार वरने 'से लाभ ही क्या है? आज गांधी जी को रोकनेवाला कौन है? मैं एक जण भी विश्वास नहीं कर सकता—इस देश में यह सरकार चाहे जितनी शक्तिशाली वयों न हो और इम उसके विरुद्ध चाहे कुछ वयों न हों, मैं नहीं मान सकता कि यदि मेरे नाम ऐसा पत्र भेजा जाय तो सरकार उसे रोकने का साइर छोरगी। ( जोरों की हर्ष-ध्वनि )

“यदि सरकार ने ऐसा कार्य किया तो यह सचमुच बहुत ही गम्भीर बात होगी। परन्तु गांधीजी, कांग्रेस या हिन्दू नेताओं की नीति में परिवर्तन होने का कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई रहा।”

यह उपर का उद्घरण दिल्ली के 'हॉन' पत्र से लिया गया है।

पाठकों को समरण होगा कि जब मिं. जिन्ना से गांधीजी के अनशन के दिनों में नेता-सम्मेलन में भाग लेने का छनुरोध किया गया तो उन्होंने यह कहकर सम्मेलन में भाग लेने से दूँकार कर दिया था कि गांधीजी ने यह खतरनाक अनशन कांग्रेस की मांग परी बराने के किए किया है और यदि दबाव में आकर इस मांग को स्वीकार कर लिया गया तो इसके परिणाम-स्वरूप मुसलमानों की मांग नष्ट हो जायगी और इस प्रकार सम्मेलन में भाग लेने से भारतीय मुसलमानों के हितों की हानि होगी। गांधीजी ने मिं. जिन्ना के भाषण का विवरण समाचारपत्रों में पढ़ते ही उन्हें पत्र लिखने की अनुमति के लिए भारत सरकार को लिखा। पत्र को बाकायदा पूना से बम्बई-सरकार के पास और उसके पास से भारत-सरकार तक पहुंचने में तीन सप्ताह का समय लग गया होगा। मर्द के अंतिम दिनों में अखबारों में भारत-सरकार की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। इससे जनता में बड़ी सनसनी फैल गयी। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि गांधीजी-द्वारा मिं. जिन्ना को किसे गये पत्र में क्या था। उसमें सिर्फ यही कहा गया था कि गांधीजी मिं. जिन्ना से मिल कर बड़े दस्तान होंगे। भारत-सरकार ने बड़ा निराला और पेचीदा राता आरत्यार किया। उसे या तो गांधीजी का पत्र मिं. जिन्ना के पास भेज देना चाहिए था और या उसे रोक लेना चाहिए था। परन्तु सरकार ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। सरकार ने यही कहा कि गांधीजी ने इस आशय का अनुरोध किया है, किन्तु दृसरी विज्ञप्ति में बताये गये कारणों से सरकार उस पत्र को मिं. जिन्ना के पास भेजने में असमर्थ है। सरकार ने विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि मिं. जिन्ना के पास भी भेज दी।

विज्ञप्ति इस प्रकार थी:—

“मर्द दिल्ली, २६ मर्द

“भारत-सरकार को गांधीजी से अपना एक पत्र मिं. जिन्ना के पास भेजने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस पत्र में गांधीजी ने मिं. जिन्ना से मिलने की इच्छा प्रकट की है।

“गांधीजी से पत्र-ध्यवहार तथा मुक्ताकात के सम्बन्ध में अपनी प्रकट नीति के अनुसार भारत सरकार ने उस पत्र को न भेजने का निश्चय किया है और इसकी सूचना गांधीजी और मिं. जिन्ना के पास भेज दी है। सरकार एक ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक पत्र-ध्यवहार की सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती, जिसे एक नाजायज सामूहिक आनंदेलन आग्नसर करने के लिए मजरदंद वरके रखा गया है—गांधीजी ने इसके अनुरोध भी नहीं किया है—और इस प्रकार एक संकट काल में

भारत के युद्ध-प्रयत्न को धक्का पहुंचाया है। गांधीजी चाहें तो भारत-सरकार को सन्तोष दिखा सकते हैं कि उनके द्वारा देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से कोई हानि नहीं होगी, और जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक उनके उपर जगाये गये प्रतिबन्धों की जिम्मेदारी खुद उन्हीं पर है।'

गांधीजी के लिखे पत्र को मिं० जिल्हा के पास भेजने से इन्कार करने से लन्दन के सरकारी हाथों में जो 'प्रतिक्रिया हुई' उस पर 'रायटर' के राजनीतिक संवादादाता ने प्रकाश ढाला था। उसने लिखा कि "भारत में हुए इस निश्चय का विदिशा-सरकार पूरी तरह समर्थन करेगी। यह सरकारी तौर पर कहा गया कि भारत की हिफाजत और युद्ध सफलतापूर्वक चलाये जाने का महत्व सबसे अधिक होने के कारण गांधीजी या किसी दूसरे नजरबन्द कांग्रेसी नेता को युद्धकाल के दूरमियान राजनीतिक बातचीत में भाग लेने की सुविधा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक वे युद्ध-प्रयत्न के प्रति इसायोग करने और उसके लिखाएँ आनंदोलन करने की नीति का त्याग नहीं करते, या विज्ञासि के शब्दों में, जब तक उनके देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से हानि का खतरा बना हुआ है।"

इसी नीति के अनुसार राष्ट्रपति रुजवेल्ट के निजी प्रतिनिधि मिं० चिलियम किलिप्स, सर तेजबहादुर सप्रू और दूसरे लोगों को गांधीजी से मिलने की इजाजत नहीं दी गयी। भारत-सरकार के इस कार्य के लिए अमरीकी कांग्रेस में दिये मिं० चिचिक के भाषण से और भी प्रकाश पड़ता है।

गांधीजी का पत्र मिं० जिल्हा के पास भेजने से इन्कार करने के प्रश्न पर विदिशा पत्र 'मार्चेटर गांधियन' ने लिखा—"भारत-सरकार का यह निश्चय अपनी पहले की नीति के अनुसार ही सकता है, केविन शासन-कार्य में अपारवर्तनशीलता ही एकमात्र गुण नहीं होता और न्याय का तकाजा तो यह कहता है कि भारत-सरकार वितनी ही बार अपने बचन से टक गयी है। उन्हें अलग रखने की नीति पर सरकार क्या अनिश्चित काल तक अमल करती रहेगी। अब मिं० जिल्हा कह सकते हैं कि मैंने तो गांधीजी से एकता की अपील की थी—और सरकार हमेशा ही दोनों से एका करने को कहती रही है—और सुकाह का रास्ता भी निकाला था, जिसे भारत-सरकार ने बन्द कर दिया। गांधीजी कह सकते हैं कि वे जब इस राते पर आगे बढ़ना चाहते थे तो सरकार ने उसे बन्द ही कर दिया। क्या सभी को नाराज करना उचित है? सरकार दूसरे नेताओं को गांधीजी से मिलने की इजाजत देती, जिससे देखा जा सके कि क्या परिणाम निकलता है।"

तमाम मुल्क मिं० जिल्हा के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। मिं० जिल्हा जब दिली में झुनौती देते हुए भाषण दे रहे थे तो क्या वे गांधीजी से पत्र मिलने की आशा रखते थे? मिं० जिल्हा को नीचे दिया हुआ उत्तर प्रकाशित करने में कुछ समय लग गया।

गांधीजी का पत्र भेजने से भारत-सरकार के इन्कार करने पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मिं० पम० ए० जिल्हा ने 'टाइम्स ऑफ़ हैंड्या' पत्र को एक वक्तव्य देते हुए कहा—"गांधीजी का यह पत्र मुस्लिम लीग को विदिशा सरकार से भिड़ा देने की एक चाल है, ताकि उनकी रिहाई हो सके। और उसके बाद वे डैसा चाहें कर सकें।" मिं० जिल्हा ने यह भी कहा कि "मैंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्लीवाले अधिवेशन में जो सुझाव रखे थे उन्हें मंजूर करने या अपनी नीति में परिवर्तन करने की कोई इच्छा गांधीजी की नहीं जान पड़ती।" मिं० जिल्हा ने आगे कहा कि "उस भाषण में मैंने कहा था कि अगर गांधीजी मुझे पत्र लिखने, उग्रगत को कांग्रेस

के प्रस्ताव में बताये कार्यक्रम को समाप्त करने और इस प्रकार कदम पीछे हटाकर अपनी नीति में परिवर्तन करने और पाकिस्तान के आधार पर समझौता करने को तैयार हों तो हम पिछली बातों को भूलने को तैयार हैं। मेरा अब भी विश्वास है कि गांधीजी के ऐसे पत्र को रोकने की हिम्मत सरकार नहीं कर सकती।”

मि जिन्ना ने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि “गांधीजी या किसी भी दूसरे हिन्दू नेता से मिलने के लिए मैं खुशी से तैयार रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, लेकिन सिर्फ मिलने की इच्छा प्रकट करने के लिए ही पत्र लिखने से मेरा मतलब न था और अब सरकार ने एक ऐसे ही पत्र को रोक लिया है। मुझे भारत-सरकार के गृह-विभाग के संकेटरी से २४ मई को सूचना मिली है, जिसमें लिखा है कि गांधीजी ने अपने पत्र में सिर्फ मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की है और सरकार ने यह पत्र मेरे पास न भेजने का निश्चय किया है।”

दिल्ली के ‘डॉन’ में प्रकाशित मिं० जिन्ना के भाषण के विवरण तथा खुद जिन्ना माहब द्वारा दिये गये संक्षेप में एक बड़ा भारी फर्क है। पहले विवरण में मिं० जिन्ना को मांग सिर्फ यही थी कि गांधीजी पाकिस्तान के आधार पर उन्हें लियें। इसका मतलब यही हो सकता था कि गांधीजी को पाकिस्तान के सिद्धान्त तथा नीति के सम्बन्ध में बातचीत करने को राजामन्द होना चाहिए। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जबतक मिं० जिन्ना ने पाकिस्तान लफज को दोहराने के सिवा उसके अर्थ या विस्तार के विषय में कुछ भी नहीं कहा था। इसके अलावा, उन्होंने बम्बई-प्रस्ताव वापस लेने और हृदय-परिवर्तन का सबूत देने की बात कहाँ कही थी? शक्ति-शाली ब्रिटिश सरकार गांधीजी से हृदय-परिवर्तन को कहती है और उसमें भी अधिक शक्तिशाली मिं० जिन्ना उसे दोहराते हैं। प्रतिहिसारील ब्रिटिश सरकार आश्वासन और गारंटीयाँ माँगती हैं और अधिक प्रतिहिसारील मिं० जिन्ना कहते हैं कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि गांधीजी को कदम पीछे हटाने और बम्बईवाले प्रस्ताव के कार्यक्रम तथा नीति में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिये। क्या उन्होंने मूल भाषण में यह सुझाव पेश किया था? ब्रादालत में उद्धरण देनेवाले ऐसे वकील को यह कह कर रोक दिया जायगा कि पहले यह बात नहीं कही गयी थी। परन्तु प्रश्न यह है कि जब गांधीजी वाइसराय के सामने सुकर अपनी आजादी पा कर सरकार की अनुमति लिये बिना ही मिं० जिन्ना की मालाबार हिल वाली कोठी पर उनसे मिल सकते थे तो उन्हें मुसलिम-लीग के सामने जाकर गिरगिढ़ाने और पश्चात्तप करने की ज़रूरत ही क्या थी? आरचर्य की बात है कि मिं० जिन्ना की समझ में यह सोधी बात न आर्ह और या यह हो कि उन्होंने अपने को वाइसराय से यद्या समझा हो और सोचा हो—‘वाइसराय आते हैं और चले जाते हैं, पर मैं तो सदा बना ही रहता हूँ।’ मिं० जिन्ना के वक्तव्य का एक दूसरा पहलू भी ध्यान देने लायक है, उन्होंने शिकायत की है कि गांधीजी का पत्र मुस्लिम-लीग को सरकार से भिड़ा देने की एक चाल थी ताकि इसने गांधीजी की अपनी रिहाई हो सके और इसके बाद वे चाहे जैसा कर सकें। सचमुच बड़ी जबरदस्त चाल थी। पर इसमें मिं० जिन्ना को आपसि क्या थी? क्या उनका मतलब यह था कि मुसलिम लीग के सरकार से ताल्लुकात इतने दोस्ताना थे कि वह उसमें फ़गड़ा नहीं करना चाहती थी या यह कि गांधीजी की रिहाई में सहायता पढ़ूँ चाने के लिए वह उन ताल्लुकात को नहीं बिगाढ़ना चाहती थी। यदि पहली बात को सही माना जाय तो क्या इस नहीं देख सके हैं कि लीग ने किस तरह पूर्ण स्वाधीनता का ढोग रखा था, किस तरह युद्ध छिड़ने के समय लीगियों को मन्त्रिमण्डलों में जाने से रोका था और

किस तरह रचा-परिषद् और राष्ट्रीय युद्ध-मोर्चा में जाने पर प्रतिबन्ध लगाये-थे। केन्द्रीय शासन-परिषद् के विमतार के समय भी क्या मिं० एमरी और वाइसाताय से लागियों का झगड़ा नहीं हुआ था? यदि दूसरी बात को सच माना जाय यानी यह कि मुस्लिम-लोग गांधीजी की रिहाई में मदद पहुँचाने के लिए सरकार से अपने सम्बन्ध नहीं बिगाड़ना चाहती थी, तो कहा जा सकता है कि ऐसा कार्य गांधीजी के नैतिक धरातल और जीवन में उनकी नैतिक विचार-धाराओं के विलक्षण विरुद्ध होता। मिं० जिन्ना का मतलब शायद यही था कि चूँकि सरकार उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी इसलिए उसे मजबूर होकर गांधीजी को छोड़ देना पड़ता।

सच तो यह है कि जिन्ना साहब अपने लिए मिं० एमरी की धारणा नहीं बिगाड़ना चाहते। भारतमंत्री की धारणा का पता उनके उस वक्तव्य से चलता है, जो उन्होंने १३ मई, १९४३ को दिया था। मिं० एमरी ने कहा था:—

“हमारा इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है कि भारत की वैधानिक उन्नति के लिए हिन्दू-मुस्लिम समस्या का निवटारा आवश्यक है। परन्तु मिं० जिन्ना के भाषण के जो विवरण मिले हैं उनमें यह जाहिर नहीं होता कि उन्होंने हिन्दुओं-द्वारा माना जा सकनेवाला कोई हल सामने रखा हो। कांग्रेसी नेताओं को जिन कार्यों के कारण नज़रबन्द किया गया है कम-से-कम उनका तो मिं० जिन्ना न समर्थन नहीं किया है। इसके विपरीत उसी भाषण में मिं० जिन्ना ने यह तक कह डाला कि ‘आज यदि हमारा सरकार होती तो एक शक्तिशाली संगठन को युद्ध-विरोधी आनंदोलन चलाने से रोकने के लिए मैं भी इन लोगों को जेक्स में डाल देता।’ इसलिए सराज के आखिरी दिसंप्य का जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है।”

बाद में हुए पूरक प्रश्नों और उनके उत्तरों से प्रकट होता है कि जहां एक तरफ मिं० एमरी का यह ख्याल रहा है कि ब्रिटिश-सरकार के विरुद्ध हिन्दू-मुसलमानों की संयुक्त कारवाई होने को कोई आशा नहीं है वहां दूसरा तरफ मिं० जिन्ना भी विवाद को महत्व नहीं देते, क्योंकि वे अपने हो शब्दों में ब्रिटिश-सरकार से झगड़ा नहीं मोल लेना चाहते। सच तो यह है कि मिं० एमरी और मिं० जिन्ना आंख-मिच्छाना खेल रहे हैं। मिं० एमरी उन धांषणाओं और गश्ती-चिट्ठियों का भूलने का ढोंग करते हैं, जिन में लागियों को युद्ध-प्रयत्न में हिस्सा न लेने का हिदायते दी गयी गोकि अर्लंडिटन को जवाब देते हुए मिं० एमरी ने उनकी तरफ संकेत कर दिया था, ‘सचमुच मिं० जिन्नाने वे कठिनाइयां पैदा नहीं कीं।’ साथ ही मि० एमरी ने लीग की पिछली नीति पर पर्दा डाला है—वे कहते हैं, “मिं० जिन्ना लगातार भारत-सरकार के युद्ध प्रयत्नों का समर्थन करते रहे हैं।” क्या, सचमुच जिन्ना यही करते रहे हैं? राजनीतिज्ञों का याददाश्त कितनी थोड़ी है।

परन्तु सच तो यह है कि मिं० जिन्ना अपने वक्तव्य में कुछ ज़रूरत से उद्यादा बढ़ गये थे। गांधीजी के पत्र को सरकार ने जिस हिकारत की नज़र से देखा था उसकी अग्रेज़ी और उदूँ के पत्रों में एक समान निन्दा की गयी थी। परन्तु जब मिं० जिन्ना ने अपने विचार प्रकट

१ सितम्बर, १९४२ में एक अमरीकी संचादाता के प्रश्न का उत्तर देते हुए मिं० जिन्ना ने कहा था—“मुस्लिमदीन युद्ध-प्रयत्नों का समर्थन नहीं कर रही है। यह नहीं कि जीव सहायता देने की विरोधी या अनिच्छुक है बल्कि स्थिति यह है कि वह उत्साहपूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करने में असमर्थ है।”

किए सो जनका उनको और मुझ प्रीर कुछ जबर्दस्त नहीं जिल्हाई दिये। इसके अलावा हैदराबाद के डा० लतोफ और दिलो के डा० शोकतुला अंसारी जैसे मित्रों ने भी आखोचनाएँ की कि जब तक जनता यह अनुमति न करे कि उसका देश के शासन में कुछ हिस्सा है तब तक उसके लिए युद्ध जारी रखने में क्या दिक्कतस्थी हो सकती है। (युद्ध के प्रारम्भ से कांग्रेस यही तो कहती आई थी और अपने बम्बईवाले प्रस्ताव में भी उसने यही मत प्रकट किया था) परन्तु मिं० जिन्ना के तर्फ का सब से सम्मानरूप और जोरदार उत्तर भारत-सरकार के अवकाश-प्राप्त आई सो० इत० सदृश सर जगदोश प्रसाद ने दिया। आपने कहा :—

“भारत-सरकार-द्वारा मदात्मा गांधी का मिं० जिन्ना के लिए पत्र लिखने की अनुमति न देने पर मिं० जिन्ना ने जो वक्तव्य दिया है वह इस अस्वीकृति से भी अधिक विचारणायां है। कभी-कभी मिं० जिन्ना का अनर्गल प्रलाप उन्हें परेशान करनेवाली हालत में ढाक देता है। अमा० हाल में अपने दिलाकाबे भाषण में उन्होंने यह असर पैदा करने की कोशिश की थी कि अब वे इतने ताकतवर हा गये हैं कि युद्ध ब्रिटेन-सरकार भा० उन्हें नाराज़ करने की हिम्मत नहीं कर सकती। कांग्रेस-आजम ने मदात्मा गांधी को साधा उन्होंने को लिखने की दावत दी थी और कुछ शान के साथ फरमाया था कि सरकार में इस चिट्ठी को रोकने की तुरंत नहीं है। चिट्ठी लिखी गयी और उसे रोक लिया गया। अब मिं० जिन्ना एक चतुर लिखाई की तरह इस अधिय परिस्थिति से बचने के लिए उस पत्र के लेखक का हा० निन्दा कर रहे हैं। वे जानते हैं कि वे बिना किसी दिक्कत के एंसा० कर लकड़े हैं, क्योंकि गांधीजी को जावा० देने का अवसर नहीं मिलेगा।

‘परन्तु यथादातर लाग जानते हैं कि मिं० जिन्ना को ब्रिटेन-सरकार से लड़ने की कोशिश बेकार है। अपने कुछ देशवासियों के बारे मिं० जिन्ना चाहे जितना ढींग हांके, वे खुद भजी-भांति जानते हैं कि ब्रिटेन-सरकार के आगे उनका एक नहीं चढ़ सकता। वे यह भी जानते हैं कि देश का बैठवारा फिरूज बातां आर प्रस्तावों से नहा हा० सकता। इसलिए ने कहते हैं कि अंग्रेजों को पाकिस्तान की गारंटी कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसका यह अर्थ हुआ कि यदि आवश्यकता पड़े तो ब्रिटेन का देश के बैठवारे के लिए अपनी हवियारी ताकत तक काम में जानी चाहिए। मिं० जिन्ना की मारूदा नाति ब्रिटेन सरकार से झगड़े का नहीं, बल्कि उसकी सदायता से देश का स्थायी विभाजन करने की है। यदि इसे जान लिया जाय तो फिर यह समझने में कोई कसर न रह जायगा कि मिं० जिन्ना पर ब्रिटेन के कुछ लोगों को इतनी कृपा क्यों है। ब्रिटेन-सरकार से झगड़े को मूर्खता तो मिं० जिन्ना के विरावियों के हिस्से में ही पड़नी चाहिये और यह झगड़ा जितना ही अधिक चड़ा। उतना ही मिं० जिन्ना का खुलो होगा। परन्तु आश्वर्य की बात तो यह है कि मिं० जिन्ना के दब्बे के बादर के कुछ प्रतुल व्यक्ति संकट के समय उनसे सदायता मांगने जाते हैं। अपना लाचारों का हालत में वे खपाल करते हैं कि मिं० जिन्ना को राजनीतक देवता बनाकर उनका पूजा करने से ही शायद मुक्क को नजात मिल जाय। ये प्रसिद्ध व्यक्ति मिं० जिन्ना के पूर्व-इंतहास, उनका वर्तमान नाति और उनकी भावी आकांक्षाओं को भूल जाते हैं। उनकी कहणाभरा पुकार मिं० जिन्ना को अहंभावना की और जाप्रत कर देती है। मिं० जिन्ना की तुष्टि असम्भव है। उन्होंने अपना कड़ी शर्तें पेश करदी हैं। पाकिस्तान मान लो और यह न पूछो कि उसका मतलब क्या है। यह मतलब सिद्धांत को मंजूर कर लेने और ब्रिटिश सरकार की गारंटी मिलने पर ही बताया जा सकता है।

“परन्तु मिं० जिन्ना भूल जाते हैं कि २५ करोड़ प्राणी, जिनमें कुछ सब से शक्तिशाली

रियासतें भी हैं, पाकिस्तान की व्याख्या किये बिना देश के बैठवारे को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। देश के पांच प्रांतों में ऐसे सुमिलिम लोगों मंत्रि-मण्डल कायम होने पर भी जो मिं० जिन्ना के आदेशों को पूरा करने के लिए सदा तैयार रहेंगे, उन्हें कोई भय या आरचर्य नहीं हुआ है। वे अपने अदूट साइम और धैर्य से विरति का सामना करना भूले नहीं हैं। मिं० जिन्ना नज़ात का दिन मना चुके हैं। किस्मत उन्हें भी नज़ात दिला सकती है, जिनसे मिं० जिन्ना नफरत करते हैं। बहुतों का ख्याल है कि विदेशी हमज़े और भोतरी फूट से हिफाजत का सबसे अच्छा उपाय फौज में काफी हिस्सा पाना है। युद्ध के कारण भर्ती का रास्ता खुल गया है। अबल-मन्दी और हिफाजत का तकात। यही है कि इस मौके से फायदा उठाया जाय। मिं० जिन्ना के आगे अपीलें और दरखास्तें पेश करने की नीति अब छोड़नी चाहिए। हिन्दुस्तान की जनता मिं० जिन्ना के वक्तव्य को चाहे जितना नापसंद क्यों न करे, यह प्रायः निश्चित है कि मिं० एमरी कामसं सभा में उद्धृत करके उसे विशेष सम्मान प्रदान करें।

‘‘मिं० जिन्ना समुद्र के पार भी जो युद्ध छेड़े हुए हैं उस पर हमें कोई आपत्ति न होनी चाहिए।’’

सरकार पर पहला हमला ‘‘डॉन’’ ने अपने २८ मई के अंक में किया था ‘‘क्या भारत-सरकार की यही नीति है कि न खुद कुछ करे और न हिमी दूसरे को करने दे?’’

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मिं० जिन्ना ने मुमिलिम-लीग के सालाना जल्द से के मौके पर दिलज़ी में कहा था कि अगर वे देश की हक्मत उनके हाथों में होती तो वे गांधीजी, उनके साथियों और अनुयायियों को ज़खर ही उपद्रवों का आंदोलन संगठित करने के अपराध में जेल में ढाल देते।

इम अपनी आंखें मलकर देखते हैं कि क्या ये वही मुहम्मदअली जिन्ना है, जिन्होंने इक्सेस वर्प पहले चिल्कुल दूसरों हो आवाज़ लगाई थी। यह पुरातत्व की खोज मिं० ए० एन० हाज़ीभाई ने को है। निम्न उद्धरण २७ जून, १९४३ के ‘बाम्बे क्रानिक्ल’ में प्रकाशित हुआ था :

“भारत का प्रत्येक नागरिक वर्तमान परिस्थिति को नितान्त अन्यायपूर्ण मानता है। सरकार ने मौजूदा उपायों को कानून और अमन के लिए मुनाविव ठहराया है, जिस पर कोई आपत्ति न होनी चाहिए। पर-तु जब यह बात प्रष्ट हो जाती है कि बुद्धिमत्तापूर्ण तथा विचार-शील जनसत का सम्मान नहीं किया जाता तर पशुवत्त या विशेष कानूनों के जौ से भी शांति व व्यवस्था नहीं कायम रह सकती। असहशोग आन्दोलन पुरानी शिकायतों तथा जनसत की अवैदेलना के कारण फते हुए असंतोष का हो बाहरी रूप है। आज तक किसी भी सरकार को जनता से लड़ने में कामयाचा नहीं हुई है। इसने से लाज़र और भी बिगड़ेगी।.....

‘‘अस्तर कहा जाता है कि संयत स्वभाव वाले लोगों को अधिकारियों का समर्थन करना चाहिए। जब पिछ्ले ६ महीने से सरकार ने मैंसे लोगों के कहने पर ध्यान नहीं दिया तो उनके जिए सरकार की तरफदारी और समर्थन करना कैसे सम्भव है?’’

ये शब्द मिं० जिन्ना ने आज से २० साल पहले अपने एक वक्तव्य में कहे थे, जो उन्होंने खाई रीडिंग के शासनकाल में १९२१-२२ में दिया था।

‘‘जून को कराची से मिं० जिन्ना ने पत्रकारों के बोच कहा कि हिन्दू पत्रों ने उन्हें गज़त समझा है, उनके भाषण से गज़त उद्धरण दिये हैं और जात-वृक्षहर भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया

है। परन्तु वे ब्रेलवी, शोकत अंसारी, हैदराबाद के डा० लतीफ, और हनायतुल्ला खां मशरिकी-जैसे आलोचकों से अपनी रक्षा न कर सके। अलामा मशरिकी ने तो यहां तक कहा कि अगर कांग्रेस पाकिस्तान मानने को तैयार है तो फिर उस समझौते की कोई झरूरत नहीं है, जिस की मांग मिं० जिन्ना ने की है। मशरिकी ने यह भी कहा कि मिं० जिन्ना को अपने मूल प्रस्ताव पर ही जमना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की बात तो कही गयी थी, पर। बम्बईवाले प्रस्ताव को बापस लेने को नहीं कहा गया था। डरू-पत्रों ने एक स्वर से गांधीजी के पत्र के सम्बन्ध में सरकार के रुख की निन्दा की थी और फिर मिं० जिन्ना के भी वक्तव्य की छीछालेदर की गयी। हन आलोचनाओं में कहा गया कि मिं० जिन्ना के वक्तव्य के परिणाम-स्वरूप दोनों पक्षों में मेज करनेवाले मिश्र बड़ी कठिन और परेशानी की हालत में पड़ गये। हस्तमें भी कोई सन्देह नहीं रहा कि मिं० जिन्ना की हस्त चाल के कारण लोग के नेता भी कुछ चिन्ता में पड़ गये, क्योंकि भारत के अन्य यथार्थवादी राजनीतिज्ञों की तरह वे भी हस्त राजनीतिक विवाद का अंत करने को उत्सुक हो उठे हैं। वे अपने में किसी कमी का अनुभव करने लगे और यही हस्त घटना का परिणाम प्रकट में हुआ। साधारण जनता में हस्तकी प्रतिक्रिया यह हुई कि संघर्ष में भाग लेनेवाले दलों को भी अपनी जाति में परिवर्तन करना चाहिए।

परन्तु हिन्दू-महासभा अपनी खिचड़ी अलग पकाती रही। पांच या छः प्रान्तों में जीगी प्रधान मन्त्रियों को काम करते देखकर उसके, मन में भी उपयुक्त प्रान्तों में महासभाई प्रधान-मन्त्रियों की अधीनता में मन्त्रिमण्डल कायम करने, और जहां यह सम्भव न हो वहां अन्य दलों के साथ मिलकर मन्त्रिमण्डल बनाने, की इच्छा उत्पन्न हो गई। नयी दिल्ली से प्राप्त एक समाचार में कहा गया कि हिन्दू-महासभा वैधानिक कार्यों के नियंत्रण के लिए एक पार्लीमेंटरी-उपसमिति नियुक्त करेगा। यह भी जात हुआ कि डा० श्यामप्रसाद मुकर्जी हस्त उपसमिति के प्रधान होंगे। कांग्रेस के जेन में रहने के दिनों में महासभाइयों की दिल्लीस्पी चुनाव में बढ़ने के स्थान पर मन्त्रिमण्डल बनाने में उम्मीदवार नहीं खड़े किये। श्री सत्यमूर्ति के स्वर्गावास के कारण केन्द्रीय असेंबली में खाली स्थान के लिए दर्जिण भारत हिन्दूसभा के अध्यक्ष को, जो अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के उपाध्यक्ष भी थे, खड़े होने की घोषणा की गयी।

परन्तु ये उम्मीदवार चुनाव में खड़े नहीं हुए। गोकि हिन्दू-महासभा जीग की कटूर विरोधी रही है, फिर भी उसकी योजना जीग के साथ मिलकर मन्त्रिमण्डल बनाने की थी। हिन्दू-महासभा ने अपने को 'मुस्लिम जीग का हिन्दू-संस्करण' में बना लिया, जैसा कि उस समय भी कही कहा गया था। जहां वह जब-तब कांग्रेस पर मुस्लिम जीग की मांगों के आगे सुकूने का आरोप करती रही, वहां वह उन व्यक्तियों की अनुपस्थिति में, जिन्हें निर्वाचकों ने धारासभाओं में अपना सच्चा प्रतिनिधि बनाना कर भेजा था, जीग के साथ मिलकर लूट का माल बॉटें का वह्यं अभी करती रही। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सिन्ध के हिन्दूसभाई मन्त्री प्रान्तीय धारासभा में पाकिस्तान के पहले प्रस्ताव पास होने पर तमाशा-सा देखते रहे और उनका विरोध भी प्रभाव-हीन रहा। जब जीगी मंत्री पाकिस्तान के लिए जोरदार प्रचार कर रहे थे उस समय व्या हिन्दू महासभा ने कभी विचार भी किया कि उसके मन्त्रियों को क्या करना चाहिए? यदि विचार किया

या तो संयुक्त उत्तरदायित्व का क्या हुआ ? यदि नहीं, तो पाकिस्तान के विरोध में जो इतना जोर बांधा जा रहा था, वह कहाँ गया ?

२३ अगस्त, १९४२ को नवी दिल्ली में भाषण करते हुए माननीय डॉ. अम्बेडकर ने दावा उपस्थित किया कि दक्षित जातियों के साथ सुसलमानों के समान व्यवहार होना चाहिए। पाठकों को स्मरण होगा कि मिं. मेकडानल्ड के साम्रप्रदायिक निर्णय में हरिजनों का पृथक् अस्तित्व स्वीकार किया गया था, किन्तु १९३२ में महात्मा गांधी ने 'आमरण अनशन' करके उन्हें फिर हिन्दुओं के साथ मिलाया था।

भारत में ब्राह्मकास्तिग के एक भूतपूर्व डाइरेक्टर-जनरल मिं.लिओनेल फील्डेनने १८ मार्च को जन्दन की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए कहा कि, "यदि विस्टन चर्चिल भारत जायें और वर्तमान परिस्थिति को देखें तो उसे हल करने के लिए वे सर्वोत्तम व्यक्ति सिद्ध होंगे।"

१९४३ की गरिमियों से हंगलैंड में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथाना जलसे हुए। भारत में हुई हज़रचलों तथा व्यौनीशिया की विजय में चांथे भारतीय डिवांजन के दिस्ते की वजह से भारत का सवाल महत्वपूर्ण बन गया और उस पर हन जलसों में विचार हुआ।

मजदूर दल का सम्मेलन जून के मध्य तक समाप्त हुआ। कई घटनाओं के कारण सम्मेलन का बातावरण गर्म रहा। हनमें पहली बठना थी हरवर्ट मारीसन तथा आर्थर ग्रीनबुड की प्रतियोगिता। दूसरी यह थी कि तीसरे हॉटेंशनल के भांग होने पर ब्रिटेन की स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूर दल में मिलने के लिए जो दखलवास्त दी थी, उसे नामंजूर कर दिया गया। लेकिन हिन्दुस्तान के सवाल पर कोई मतभेद न था। १९४२ के अगस्त महीने में मजदूर दल वालों ने हस मसले को जहाँ छोड़ रखा था वहाँ छोड़कर सम्मेलन ने अपना फर्ज़ पूरा किया। भारत के सम्बन्ध में दो स्थानीय प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव उपस्थित किये थे। दल की प्रबन्ध-समिति की तरफ से सुमाव उपस्थित किया गया कि समय की कमी के कारण प्रस्ताव पर बहस न की जाय। हस सुमाव का कई प्रतिनिधियों ने विरोध किया। तब श्री ग्रीनबुड ने हस आधार पर प्रस्ताव वापस लिये जाने पर जोर दिया कि निकट-भवित्व में हा। एक संयुक्त समिति में प्रबन्ध समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस सवाल पर विचार किया जायगा।

प्रबन्ध समिति की अन्य कितनी ही रिपोर्टों की तरह सम्मेलन ने हिन्दुस्तान के बारे में भी एक रिपोर्ट बिना बहस के मंजूर की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सम्बन्धी संयुक्त समिति, जिसमें मजदूर दल की पार्लीमेंटी पार्टी की भारत-समिति और प्रबन्ध-समिति की अंतर्र-ध्रीय उपसमिति भी, देश की वैधानिक समस्या व क्रिप्स-प्रस्तावों की नामंजूरी के बारे में विचार जारी रखेगी। रिपोर्ट में प्रबन्ध-समिति व ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की साधारण परिषद् की १२ अगस्त वाली बांधणा का हवाला दिया गया, जिसमें सविनय-अवज्ञा-आनंदोलन का निन्दा की गयी और सरकार से कहा गया कि आनंदोलन बन्द किये जाने पर स्व-शासन के सिद्धान्त की रक्षा करने तथा उसे अमल में लाने के लिए सरकार को फौरन बातचात शुरू करनी चाहिए। तब प्रबन्ध-समिति का आश्वासन मिलने पर उन प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। १२ अगस्त, १९४२ वाले प्रस्ताव से स्पष्ट है कि मजदूर दल की प्रबन्ध समिति अभी तक इस अम में पढ़ी हुई थी कि कांग्रेस ने ६ अगस्त, १९४२ को सविनय-अवज्ञा-आनंदोलन शुरू किया था।

भारत के राजनीतिक अङ्गों के सवाल पर मजदूर-सम्मेलन व ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की संयुक्त समिति ने जिस दंग से काम किया उसे देखकर पार्लीमेंट में काम करनेवाले बिटिश मजदूर-

दल की तारीफ नहीं की जा सकती। यदि हम प्रकार की कोई घटना हिन्दुस्तान या किसी उपनिवेश में होती तो तानाशाही ढंग कहकर उसको निन्दा की जाती और उसे प्रजातन्त्री सरकार के अध्योग्य ठहरा दिया जाता। समिति के कुछ सदस्यों की कार्रवाई पर 'अमृत बाजार पत्रिका' के लन्दन-कार्यालय ने लार्ड वेवल की लन्दन से रवानगी के चार दिन बाद १५ अक्टूबर के दिन प्रकाश दाला। 'पत्रिका' के संचादिता का विवरण नीचे दिया जाता है:—

"मजदूर दल की राष्ट्रीय-प्रबन्ध समिति व पार्लीमेंटरी मजदूर दल की भारत-सम्बन्धी संयुक्त समिति को बैठक मंगड़वार को अचानक समाप्त हो गयी। बैठक में वामपक्षीय सदस्यों की तरफ से इस बात पर आरचर्य प्रकट किया गया कि समिति की अनुमति प्राप्त किये बिना उसके कुछ सदस्य लार्ड वेवल से हिन्दुस्तान के विषय में बातचीत करने के से चले गये।

'यहां यह बात ध्यान देने की है कि ५ अक्टूबर की समिति की कार्रवाई इस इरादे से स्थगित कर दी गयी थी कि अगली बैठक में मन्त्रिमंडल के सदस्य मिं० एटली और मिं० बेविन से हिन्दुस्तान को परिस्थिति के सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिए। उसी बैठक में यह भी निश्चय किया गया कि समिति की तरफ से लार्ड वेवल से एक डंपुरेशन मिले और राजनीतिक अद्वितीय को दूर करने के लिए समिति के विवार उपस्थित करे।

"लेकिन मुझे ज्ञात हुआ कि अगली बैठक में मिं० रिडले ने घोषणा की कि वे और उनके कुछ मित्र, जिनमें प्रोफेसर लास्की, श्रा. सारेंसन और श्री कोवे में से एक भी न था, लार्ड वेवल से मिलकर हिन्दुस्तान की हालत के बारे में बातचीत कर चुके हैं। इस घोषणा का श्री कोवे व दूसरे सदस्यों ने प्रतिवाद किया। गोकि मिं० रिडले और उनके साथियों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि लार्ड वेवल व उनके बीच क्या बातें दुर्बुल हैं, फिर भा. समिति ने बहुमत से श्री रिडले के कार्य का समर्थन कर दिया।"

ब्रिटेन के मजदूर दल का दृष्टिकोण वहां के साम्राज्यवादियों की अपेक्षा अधिक उन्नत नहीं है। इस दल के लंदनवाले केन्द्र से प्रकाशित होनेवाली उन गश्ती चिट्ठियों से प्रकट होता है, जिनमें कहा गया था कि मजदूर सदस्यों को लंदन में हांगेवाली उन भारत-सम्बन्धी सभाओं का समर्थन नहीं करना चाहिए, जो मजदूर दल की नीति के विरुद्ध हैं। मजदूर दलवाले अभी तक इस गलतपदमी में पड़े हुए हैं—या वे जानवूम कर अम पेंदा करने की कोशिश करते हैं—कि कांग्रेस देश को जनता के हाथ में अधिकार दिजाने की बात कह कर दरश्रस्त अपने लिए अधिकार मांग रही है। यदि ऐसा न हाता तो पार्लीमेंट के मनदूर सदस्यों को "कांग्रेस को अधिकार दिये जाने का समर्थन न करने का" हिदायत करने दा जाता। सामंतवर्ग की ही तरह मजदूरवर्ग में गलत बातों का प्रचार सत्य बातों से छः महोने या एक साल पहले हो जाता है और फिर इन मिथ्या धारणाओं के दूर हाते में—यदि वे कभी दूर हा सक—बहुत समय लग जाता है।

ब्रिटेन के जनमन में एक नयी बात भी देखने में आई है। इंग्लैंड के शासकवर्ग के विचारों की चर्चा करने पर कुछ न्यायिक अंग्रेज कहते हैं कि इंग्लैंड का दिल दुरुस्त है। यह सम्भव है कि उसका दिल दुरुस्त हो और दिमाग भा. साफ हो, लेकिन इसमें कुछ भी शक नहीं है कि उसके हाथ कमज़ोर हैं।

परन्तु मौजूदा हालत को ठीक समझने वाले अंग्रेजों के प्रति न्याय का तकाजा है कि हम उनके विचारों को यहां उद्धृत करें।

एकेकिंटकल ड्रेड यूनियन की ब्रेस्टन-शास्त्रा ने प्रस्ताव पास किया था—"हम सरकार से

अनुरोध करते हैं कि वह हिन्दुस्तान में उसकी अपनी सरकार कायम करे।'

स्काटिरा ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सर्वसम्मति से अपनी मांग उपस्थित की कि "भारतीय नेताओं की रिहाई और उनके साथ समझौते की बातें आरम्भ करके हमें फासिजम के विरुद्ध उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए।"

इसी प्रकार के विचार क्लिकल एंड इनिस्ट्रेटिव वर्कसंयूनियन की लंदन तथा केन्ड्रीय शाखाओं ने भी प्रकट किये।

उन दिनों भारत के भवित्व के सम्बन्ध में विटेन में अशान्ति छाई हुई थी। प्रति सप्ताह कोई न कोई नया कार्यक्रम रहता था और भारत मंत्री मिं० एमरी उसमें पहुँच ही जाते थे। १० जून को भारतीय चिंत्रों को एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा—“भारतीय राजनीति का पेचोदी समस्यायें पिछली पीढ़ी में उठी थीं और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि अगढ़ी पीढ़ी आरम्भ होते-होते उनमें ऐसा परिवर्तन हो जायगा कि फिर उन्हें पहचाना भी न जासकेगा। अंग्रेज भारतीयों के आन्तरिक जीवन को समझकर ही उन्हें समझ सकते हैं और उनके जीवन तथा राजनीतिक चेत्र में हिन्दूस्था बैटा सकते हैं। भारत को इस साधारण कृपा के लिए भी उनका आभारी होना चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि इतने दिन बाद भी भारत का सवाल भूमि तरह हज़ार किया जायगा, बल्कि उसमें ऐसा परिवर्तन किया जायगा, जिससे उसे पहचाना न जा सके। मिं० एमरी के मत से परम्य चीत जाने पर भी भारतीय समस्या के निवारण का दिन निकट न आवेगा। जिस तरह मृग-मरीचिका पानी के निकट पहुँचने पर दूर हटती जाती है और फिर प्यास तुकड़े को जल दिये बिना अंत में श्रांख से श्रोमङ्गल हो जाती है उसी तरह हिन्दुस्तान के सवाल के हम जितने ही निकट जाते हैं वह उतना ही दूर होता जाता है। १९४१ में मिं० एमरी ने भारतीय समस्या की तुलना पहाड़ की एक चोटी से को थी, जिसे हम ऊपर चढ़ने पर निकट समझने लगते हैं। परन्तु ऊपर चढ़ने पर प्रकट होता है कि चोटी दूर है और अभी चढ़ना बाकी है। लेकिन दो वर्ष बाद भाषण करते हुए मिं० एमरी ने बताया कि समस्या का निवारण एक पीढ़ी बाद होगा। स्पष्ट है कि उनकी योजना राजनीतिक अद्वंगे को युद्धशाल में ही नहीं, बल्कि युद्ध समाप्त होने के ३० वर्ष बाद तक बनाये रखने की थी।

मिं० एमरी की इस इच्छा की तुलना श्रीमती आइरिस पोर्टल के एक असाधम्य तथा अपर्याप्तिक विचार से की जा सकती है। श्रीमती पोर्टल वर्तमान पीढ़ी के विचार से तत्कालीन शिक्षा-मंत्री मिं० आर० ए० बट्टलर की बहन और पिछली पीढ़ी के विचार से मध्यप्रान्त के गवर्नर सर माटेगू बट्टलर की पुत्री हैं। यह कथन श्रीमती पोर्टल ने ईस्ट इंडिया असोसियेशन, लंदन की बैठक में मिं० एमरी के भाषण से ठीक पहले किया था। श्रीमती पोर्टल ने अपने भाषण में कहा:—

"साधारण अंग्रेज के व्यवहार से अपने जिन सर्वोत्तम गुणों को हम तिलांजलि दे देने हैं, जरा उस पर भी नज़र डालिये। यह व्यवहार कुछ तो अज्ञान और कुछ शिष्टाचार के अभाव के कारण होता है। अंग्रेज-समुदाय भारतीयों से कभी विचार-विनिमय नहीं करता। पोलो और ग्रिंज से विचारों का जन्म नहीं होता। इसके अतिरिक्त, मिथ्याभिमान की भावना भी वाधा दालती है।

श्रीमती पोर्टल ने हन शब्दों में भारत में अपने २० वर्ष के अनुभव को निचोड़ दिया था। भाषण के अंत में भारत में काम कर सुकेवाले कुछ वृद्ध अंग्रेजों ने श्रीमती पोर्टल के कथन की

कट्ट आलोचना की, जिसके जवाब में उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा कि मैं यहाँ नहीं पीढ़ी के लोगों के रहने की उम्मीद करता था। इसका मतलब दूसरे शब्दों में यही हुआ कि पुरानी पीढ़ी के लोगों का सुधार असम्भव है।

मिं प्रमरी ने जिस दिन साम्राज्य कायम रखने के पक्ष में भाषण दिया था उसके दूसरे दिन लार्ड सेमुअल ने अधिक स्पष्टता से विचार प्रकट किये। आपने कहा कि औपनिवेशिक समस्याओं के निवारण के लिए पार्लीमेंट की एक स्थायी संयुक्त समिति होनी चाहिए। लार्ड सेमुएल ने कहा—“अब वह समय बीत गया है जब साम्राज्य भंग होना उन्नति का लक्ष्य माना जाता था। संसार में इन स्वतंत्र राष्ट्र पहले ही से हैं। हमें उनके एक होने का प्रयत्न करना चाहिए न कि अनेक होने का, क्योंकि राष्ट्रों की संख्या बढ़ने से नयी सीमाएं बनेंगी और झगड़े के नये कारण उत्पन्न होंगे।” आपने अंत में कहा कि अगर बीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ तो हकीकतों शताब्दी में एक और साम्राज्य कायम करने की आवश्यकता उठ खड़ी होगी।

जहाँ एक तरफ यह विचारधारा चल रही था वहाँ दूसरी तरफ मजदूर दल की पिछली बैचों पर बैठनेवाले सात सदस्यों ने “भारतीय स्वाधीनता स्वाकार करने की अंतर्राष्ट्रीय परिपद” स्थापित करने की घोषणा की। इस परिपद का उद्देश्य संयुक्तराष्ट्र संघ से यह गांटी कराना है कि अटलांटिक अधिकारपत्र के अनुसार जा अधिकार राष्ट्रों के लिए दिये गये हैं वे भारत पर भी लागू होंगे। इस घोषणा पर प्रोफेसर जार्ज केटिलिन के भी हस्ताहर थे; जो राजनीतिक और वैधानिक विषयों के एक प्रसिद्ध लेखक हैं और कोरनेल विश्वविद्यालय के अध्यापक रह चुके हैं।

भारत के प्रति जो व्यवहार हुआ उसके लिए मजदूर दल नहीं—मजदूरों को हुख हुआ। १४ से अधिक श्रमजीवी संस्थाओं ने विटसनटाइट सम्मेलन (१३ जून) में प्रस्ताव पेश करने का सूचनाएं भर्ती। एक भी प्रस्ताव में दल के नेताओं की, जो मन्त्रमंडल के सदस्य थे, प्रशंसा नहीं की गयी, बल्कि हिन्दुस्तान का सवाल हजार न करने के लिए उनकी निदा की गयी। उन सभी ने एक स्वर से भारत में फिर से बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया और सबसे अधिक इस आवश्यकता पर जोर दिया कि कांग्रेसजनों को जेल से छोड़ दिया जाय। हन प्रस्तावों को भेजनेवालों में दल के वे संगठन भी थे, जो विदेशी तथा ब्रिटिश सरकारी में दल के नेताओं का समर्थन करते आये थे।

जुबाई, १६४३ में हंगलेंड की कितनी ही संस्थाओं ने जिनमें हंडिया लंग, ब्रिटिश कम्यूनिस्ट पार्टी और हंजोनियरों की समिक्षित यूनियन भी थी, जोरदार शब्दों में भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू करने की मांग की और कहा कि उनमें से जो अभी जेलों में हों उन्हें रिहा कर दिया जाय। मेसर्स बिंडसे डुमंड ने महात्मा गांधी के उन लेखों, भाषणों तथा वक्तव्यों के तुने हुए अंश एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किय, जो उन्होंने अगस्त १६४२ में अपना गिरफतारी से पहिले दिये थे। पुस्तिका में प्रकाशक ने साथ में काई टिप्पणी या भूमिका तक नहीं दी थी और उसका उद्देश्य सिफर जनता का ज्ञान-वर्द्धन था।

सर रिचार्ड अकलैंड के नेतृत्व में जो नई कामनवेल्य पार्टी संगठित हुई वह भी भारत के सवाल में दिलचस्पी रखनेवाला संस्थाओं के साथ मिल गई। जुबाई के प हजार सप्ताह में प्रधानमंत्री चर्चिल ने गिरफ्तारी रुक नहीं प्रकट किया था। आप ने कहा कि ताज के सुनहरे चक्र की अधीनता में जो विभिन्न जातियां आंशिक रूप से विजय-द्वारा, आंशिक रूप से राजमंदी

से, किन्तु अधिकांश में किसी योजना के बिना ही स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के जो संपर्क में आ गई है इसे मैं 'वृद्धिश राष्ट्रमंडल और साम्राज्य' की संज्ञा देना ज्यादा पसंद करता हूँ। मिं० चर्चिल ने आगे कहा— “यह एक असाधारण प्रभाव और भावना है, जिसके कारण कनाडा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका अपने जवानों को समुद्र-पार लाने और मरने के लिये भेजते हैं। भारत के विस्तृत उप-महाद्वीप में, जिसे अभी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में पूर्ण संतोष प्राप्त होनेवाला है, कितनी ही जबाकूब व अन्य जातियां शाही झंडे के नीचे आगयी हैं।” यहाँ ‘अभी’ से मतलब स्पष्टाहों या महीनों का नहीं बल्कि [वर्षों से है है।

बाद में ब्रिटिश कौसिल आफ चर्चेज ने भी भारत को सहायता का वचन दिया। प्रोफेसर जोड, प्रोफेसर हेरलैंड जास्की, मिं० बलीमेंट डेवीज, आर्क लॉकन आफ वेस्टमिनिस्टर, सर रिचार्ड ग्रेगरी, सर अर्नेस्ट बेनेट, प्रोफेसर नारमन बेनविच व बरमिंघम और ब्रॉडफोर्ड के विशेष व दूसरे किंतने ही प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से ६ अगस्त को एक अपील निकाली गयी कि नेताओं की गिरफ्तारी की पहली सालगिरह के अवसर पर भारत-सम्बद्धी नीति में मंशोधन किया जाय।

सर आलफ्रेड वाटसन-जैसे कट्टरपंथी ने भी भारत के साथ समानता का व्यवहार किये जाने का अनुरोध किया और कहा कि अब अंग्रेजों को चाहिये कि वे अपने को भारत में “मेहमान” मानें और बड़प्पन की भावना त्याग दें।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दोहरी प्रवृत्तियां खेलने में आती हैं। यहाँ साम्राज्यवाद प्रायः अंतिम सांस ले रहा है। फिर भी मिट्टे हुए साम्राज्यवाद व शेष रहे साम्राज्यवाद में निरंतर संघर्ष जारी है। पहिले महायुद्ध में ब्रिटेन को जो-कुछ मिला था उसे बनाये रखने के लिए वह बहुत ही चिन्तित है। ‘लाइफ’ पत्रिका के सम्पादकों ने उसपर आरोप किया है कि यह युद्ध वह साम्राज्य बनाये रखने के लिए कर रहा है। इसका जबाब ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ यहीं दिया जा सकता है कि वह तो सिर्फ जो-कुछ है उसी को कायम रखना चाहता है। उपनिवेशों की तरफ से लड़ने के के एवज में यह खाल तो उसे मिलना ही चाहिए। मिं० एमरी जब उपनिवेश-मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन को उपनिवेशों में बसने के लिए अधिक अच्छी किस्म के अंग्रेज भेजने चाहिए। साम्राज्यवादियों में एमरी और चर्चिल का साथ खूब मिला है। एमरी और लिनलिथगो की जोड़ी भी खूब है। वे जुड़वाँ भाइयों की तरह हैं। उनकी तुलना डेविड और जोनेथन व डेमन और थियास से की जा सकती है। डन के शरीर दो होते हुए भी आसमा एक है। दो जीभ होते हुए भी आवाज एक ही है। ८ अगस्त, १९४० को लिनलिथगो जो-कुछ कहते हैं वही एमरी १४ अगस्त को कामंस सभा में दोहरा देते हैं। यदि भारत मंत्री १९४३ में गोर्खीजी व कॉम्प्रेसी नेताओं से “स्पष्ट आश्वासन व प्रभावपूर्ण गारंटी” की मांग करते हैं तो वाहसराय “प्रस्तावों की वापसी, हिंसा की निंदा व राजनीति में फिर से भाग लेने से पूर्व ऐसी गारंटी करने की, जो सरकार को मंजूर हो,” मांग करते हैं। चर्चिल, एमरी और लिनलिथगो की आपस में खूब बनती है। चर्चिल के मन में हृद्दाता उत्पन्न होती है, एमरी योजना बनाते हैं और लिनलिथगो उसे कार्यान्वित करते हैं। ये वस्तुतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद के क्रमशः आसमा, मस्तिष्क और शरीर है। वह उत्तरदायी शासन का हामी नहीं है। कनाडा के ठंडे मैदानों व अर्द्धवर्षान के पर्वतों के लिए जो रोयेंदार कोट उपयोगी है वह कल्पकता और दिल्ली की गर्मी के खायक नहीं है। अगस्त १९४७ में बोषणा करके मार्टिगू ने गलती की थी, किन्तु उसका मसविदा चतुर यहूदी ने नहीं, बल्कि अभिमानी अंग्रेज लाई रजन ने लैयार किया था। १९४८ का कानून तैयार करते समय यह ध्यान रखता गया कि

देश के भीतर स्वाधीनता की शुद्ध वायु आने का रास्ता खुला न रह जाय। परन्तु लार्ड लोथियन ने (परमात्मा उनकी आरम्भ को शान्ति प्रदान करे) मताधिकार की जो योजना बनाई थी, उस ने गजब कर दिया। ६ करोड़ वोटरों ने अधिकांश सीटों के लिए सिर्फ कांग्रेसजनों को चुनकर ही नहीं भेजा, बल्कि अधिकतर प्रान्तों में शक्ति कांग्रेस के हाथ में आ गयी। कांग्रेस की शक्ति से चक्रचौंध हो गई और वह पागल हो बढ़ी। चर्चिल बंग्रेस को कुचलना चाहते थे। एमरी ने उसे कैद में बालगने की ऐसी योजना बनाई कि प्रान्तों में उस के प्रभाव का नाम-निशान भी न रह जाय। युद्ध-नीति एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को विजय करते हुए आगे बढ़ने की थी, जिस प्रकार अमरीका ने प्रशान्त-महासागर में जापान से एक-एक कर के द्वीप छीना था। योजना यह थी कि कांग्रेस के जेल से बाहर आने पर देश की हालत यह होनी चाहिए कि पांच प्रान्तों में लींग के मंडल व शेष प्रान्तों में गैर-कांग्रेसी दलों के संयुक्त मंत्रिमंडल काम कर रहे हों, हरिजन कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर दें। सिल अकेले पढ़ जायें और दक्षिण में जिस्टिस पार्टी को फिर से अधिकार प्राप्त हो जाय। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का खयाल था कि प्रान्तों में नयी अवस्था कायम होने पर साधारण कैदियों की तरह कांग्रेसजन भी घर पहुंच कर अपना सत्यानाश देखें और निर्वाचन-क्षेत्रों में समर्थकों के अभाव से चिन्ता में पढ़ जायें। यही विलिंगडन ने १९३४ में सोचा था, किन्तु उन्होंने आश्रय के साथ देखा कि केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में कांग्रेस की अभूतपूर्व विजय रही। सर सेमुएल होर, लार्ड जेटलैंड, और मिं एमरी ने भी १९३६-३७ में यही ख़्याल किया था, किन्तु १९३७ में प्रान्तीय असेम्बलियों के चुनाव में कांग्रेस की फिर जीत रही। चुनाव बड़े स्तरनाक होते हैं। यह आशा नहीं की गयी थी कि ६ करोड़ वोटर प्रगतशील शक्तियों का ऐसी खूबी से साथ देंगे और जिन जर्मांदारों ने तैयारी में कोई कपर न छोड़ी थी, वे इस बुरी तरह पराजित होंगे। इसीलिए प्रान्तीय असेम्बलियों का चुनाव हुए १९४३ में छः वर्ष और १९४५ में आठ वर्ष हो चुके थे। केन्द्रीय असेम्बली का चुनाव १९३४ में हुआ था और १९४५ में उसे ११ वर्ष हो चुके थे। इसीलिए असेम्बलियों की बैठक छः महीने तक नहीं की गयी। जहाँ ज़रूरत पड़ती थी, ६३ धारा के अनुसार स्थापित सरकारें बजट पास करा लेती थीं। किसी महत्वाकांक्षी नेता को खुला कर प्रधानमंत्री बना देना कठिन न था। सिंध, पंजाब, बंगाल, आसाम और सीमाप्रान्त में लींग की तूती बोल रही थी। उड़ीसा में नेतृत्व के लिए एक ज़मीदार आगे बढ़ा। शेष प्रान्तों में महासभा के हाथों में अधिकार क्यों न सौंप दिया जाय? इस प्रकार शक्ति का दंटवारा जये सिरे से हो। यही सोच कर, नौकरशाही ने खानबहादुरकी उपाधि छोड़ने पर सिंध के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया। असेम्बली के समर्थन से भी अधिक गवर्नर की हऱ्ढ़ा का महत्व था। आहूये, सिंध, बंगाल, सीमाप्रान्त तथा अन्य प्रान्तों की परिस्थिति का जरा विस्तार से अध्ययन करें।

## मन्त्र-मण्डल

जिन सूबों में लीग की हुक्मत है उनमें सबसे बड़ा होने की वजह से बंगाल की अहमियत सबसे ज्यादा है। दिसम्बर, १९४१ में फजलुल हक ने प्रधानमन्त्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और गवर्नर ने उनसे अपनी वज़ारत नये सिरे से कायम करने को कहा था। नयी वज़ारत बनाते समय फजलुल हक ने कुछ लींगी वज़ीरों से अपना पीछा हुआया था और लींग वाले इसे आसानी से नहीं सह सके। उन्होंने डेव साल तक इन्टज़ार किया। और इस अरसे में बहुत-कुछ हो गया। लड़ाई बंगाल की पूर्वी सरहद तक आ गई। फेनी और चटगाँव जापानी बम्परों के निशाने बन गये। अन्न के मसले की वजह से मुल्क के ऐसे दूर-से-दूर हिस्से भी लड़ाई की दिक्कत महसूस करने लगे, जिन्हें शायद ही कभी कोई बम्पर, टैक, ब्रेनगन, राइफल, रिवाल्वर या सिपाही देखने को मिला हो। अन्न की बेहद इसी के अलाया वज़ीरों के काम में गवर्नर की रोजमर्रा की दस्तन्दाजी ने भी उनके धीरज का खाला कर दिया। मिदनापुर के अस्याचारों बढ़ाका के गोलीकाण्ड के लिये सार्वजनिक जांच की मांग की गई, जो ठीक ही थी। प्रधानमन्त्री ने जांच कराना मंजूर कर दिया। पर गवर्नर ने जांच की मंजूरी नहीं दी। यह भीतरी भगड़ा नवम्बर के आग्नीरी हफ्ते तक इतना बड़ा कि डा० श्यामप्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया, जो महान् विचारपति आशुतोष मुखर्जी के पुत्र हैं। जिस तरह पिता ने अपने जमाने में कल्पक्षता विश्वविद्यालय की वाइस-चॅंसलरी बड़ी योग्यता से की थी उसी तरह पुत्र भी अपने बदल में उसी विश्वविद्यालय के वाइस-चॅंसलर रह कुके थे।

प्रतिहिसा की आग धधक रही थी। भावी के लेखे को कौन मेट सकता था। राजनीति, राष्ट्रीयता या साम्प्रदायिकता के बारे में फजलुल हक के कोई सुनिश्चित विचार नहीं थे। १९४०-४१ में ढाका के दंगे से पहले कुछ उत्तेजनापूर्ण भाषण देकर वे बता चुके थे कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए और उनमें क्या करने की ताकत है। १९४० में लींग के लाहौरवाले अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था। कुछ समय तक वे पक्के लींगी बने रहे; पर १९४२ के फरवरी महीने में उन्होंने अपने विचार बदल दिये। बंगाल के अखबारों में एक उग्र विचार उठ खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने लाहौरवाले प्रस्ताव का मतलब नये सिरे से समझाते हुए कहा कि लींग की योजना बंगाल पर नहीं लागू हो सकती। हक साहब बभी उत्साही लींगी थे, पर अब वे उससे हाथ धोने की दृष्टा कर रहे थे। उपर दत्ताये छासे में फजलुल हक के विश्व जहाँ एक तरफ अनुशासन की कार्रवाई करने का विचार हुआ वहाँ दूसरी तरफ १९४२ के शुरू में उन्होंने फिर से छींग में सरिमार्कित होने का प्रयत्न भी किया।

यह शीघ्र का काल समाप्त होने पर प्रधानमन्त्री के हप में मिथा फजलुल हक की रिति

कुछ सन्दर्भ हो गयी। कुछ तो भीतरी हमलों की वजह से और कुछ शासन-सम्बन्धी ऐसे कार्यों के कारण, जो उन्हें करने ही चाहिए थे, दिसम्बर, १९४२ का सङ्कट अत्यन्त हुआ। लीग पार्टी उनके शासन-प्रबन्ध पर ज़ोरदार हमले करने लगी। फिर भी फज़्लुल हक अपनी जगह पर कायम रहे। उनके पश्चाले सदस्यों की संख्या कुछ घटी तो ज़रूर थी, फिर भी २५० की असेम्बली में १५० का बहुमत अभीतक उनके पक्ष में था। यूरोपियन दल ने लीग का साथ देकर परिस्थिति को और भी बिगाढ़ दिया। इसके अतिरिक्त, किंतु ही बातों के सम्बन्ध में मिंहक का सरकार से मतभेद हो गया, जिनमें कुछ थीं—अन्न के मसले पर उनका वक्तव्य, उनका यह सीधा जवाब कि कम-से-कम एक जगह रेलवे लाइन पर काम करनेवाले निर्दोष मजदूरों पर गोली चलायी गयी और टाका के गोलीकांड व मिदनापुर के अस्त्याचारों के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिये गए जांच करने के वचन। फरवरी, १९४३ में मियां हक को दोतरफे हमलों का सामना करना पड़ रहा था। गवर्नर उनके अधिकारों में जो हस्ताक्षे प करते जा रहे थे वह उनके लिए असहनीय होता जा रहा था और दूसरी तरफ वह असेम्बली में इस पर रोशनी भी नहीं डाल सकते थे।

एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए मियां हक ने बताया कि पिछली बज़ारत कायम हाँने के समय से शायद ही कोई ऐसा दिन हुआ हो, जब उनका गवर्नर, विशेष स्वार्थों के प्रतिनिधियों या सरकारी कर्चारियों से महसूर्ख विश्वायों पर संघर्ष न हुआ हो।

अगस्त, १९४२ में गोलीकांड के बाद ही वे टाका गये थे और राजनीतिक नजरबन्दों से उसका हात सुना था। उन्हें सुन जांच की आवश्यकता महसूस हुई थी। असेम्बली के सभी दलों ने जांच की मांग की थी और तब उन्होंने जांच-समिति नियुक्त करने का वचन दे दिया था। मिंहक ने गवर्नर को बताया था कि समिति नियुक्त करने की मांग सभी दलों की तरफ से की गयी थी।

कहूँ बार प्रधानमन्त्री ने समिति के लिए नाम उपस्थित किये, लेकिन गवर्नर ने उन्हें मंजूर नहीं किया और न इस सम्बन्ध में कभी समिति नियुक्त ही हुई।

मिदनापुर की घटनाओं के सम्बन्ध में हक साहब ने कहा कि वे कुछ सरकारी अफसरों के विरुद्ध लगाये गए आरोपों की जांच कराना चाहते हैं। पर गवर्नर ने दिव्युत नियुक्त करने की हजाज़त नहीं दी।

मिंहक ने यह भी बताया कि शान्ति के हाथ में अन्न न पढ़ने देने के विचार से उन जिलों से, जहां फालतू अन्न था, अन्न हटाये जाने का कार्य उनकी अनुमति के बिना ही किया गया।

इस साहब के हस्तीके और उस इस्तीके की गवर्नर-द्वारा मंजूरी से सनसनी फैल गयी। यहां तक कि मुसलिम लीग दल भी, जो मिंहक को हटाने के लिए प्रयत्नशील था, इस आश्वायजनक घटना के लिए तैयार न था। जब कांग्रेसी दल के नेता श्री किरणशंकर राय के प्रश्न के उत्तर में प्रधान-मन्त्री ने यह वक्तव्य दिया उस समय मुसलिम लीगी दल के नेता सर नजीमुद्दीन व एच० एस० सुहरवर्दी असेम्बली में डप्पस्थित न थे। मुस्लिम लीगियों के आश्रय का पता केवल इसी बात से लगता है कि मिंहक के इस वक्तव्य को सुनने के बाद उन्होंने किसी किस्म का प्रदर्शन नहीं किया। उनके मित्र यूरोपियनों के भी नेता सभा में उपस्थित नहीं थे और जो यूरोपियन सदस्य उपस्थित थे उनकी संख्या बहुत कम थी।

३० मार्च को मियां फज़्लुल हक ने बताया कि जब वे गवर्नर्मेंट हाउस पहुंचे उस समय

उनके इस्तीफे का टाइप किया पत्र तैयार था और उनके पास दो ही रास्ते थे या तो उस पर हस्ताक्षर करना और या अपने बख्शास्त किये जाने के लिए तैयार रहना। गवर्नर्मेंट हाउस में मिं० फज़लुल्लाह इक को टाइप किये इस्तीफे पर हस्ताक्षर करने को कहा गया—इस घटना पर सरकारी व कांग्रेस दलों ने ‘शर्म’ ‘शर्म’ के नामे लगाये।

दा० एन० सान्याज (कांग्रेस) ने कहा—‘हम अनुभव करते हैं कि सभा को सर्व-न्यमिति से गवर्नर सर जान हर्बर्ट के वापस भुलाये जाने की मांग करनी चाहिए।’

आखिर २९ दिन के द्वंतजार के बाद बंगाल की वजारत फिर से बनायी गयी, किन्तु अब की बार उसका रूप कुछ और ही था। सर नजीमुहीन को, जिहे ११४१ के बड़े दिन पर मंत्रिपद से हटाया गया था, बंगाल का प्रधान मंत्री बनाया गया। नये मंत्रिमण्डल में छः छींगी, तीन हरिजनों के प्रतिनिधि, दो भूतपूर्व कांग्रेसी तथा एक अन्य इयकि था। श्री गोस्वामी और श्री ऐन कांग्रेस के टिकट पर असेम्बली में आये थे। पहले वे फारवर्ड ब्लाक में और फिर छींगी वजारत में शामिल हुए।

नयी वजारत में १३ बजीर और १७ पार्टीमेंटरी सेक्रेटरी व ड्विप भारी-भारी तमस्वाहों पर रखे गये।

मिं० फज़लुल्लाह को अपने जिन “अपराधों तथा दुर्घटहारों” के कारण इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया उन्हें संचेप में इस प्रकार बतया जा सकता है :—

(१) उन्होंने राजनीतिक अदंगे को दूर करने व गांधीजी की रिहाई के समर्थन में बंगाल असेम्बली में एक प्रस्ताव वापस कराया था।

(२) उन्होंने ढाका-गोली-कांड की खुद जांच की और असेम्बली में उसकी पूरी जांच के लिए समिति नियुक्त करने का वचन दिया था।

(३) उन्होंने मिदनापुर की घटनाओं के सम्बन्ध में भी जांच कराने का वचन दिया था, और।

(४) मुस्लिम लीग के सम्बन्ध में उनकी नीति अनिश्चित थी।

कलकत्ते की एक विशाल सार्वजनिक सभा में मिं० फज़लुल्लाह के गवर्नर्मेंट-हाउस में अपने इस्तीफे की कहानी सुनाकर गवर्नर पर विश्वासघात का आरोप लगाया।

हक-कांड की सब से मनोरंजक घटना तो गवर्नर्मेंट-हाउस में हुई थी। २८ मार्च को सायंकाल ७ बजे गवर्नर्मेंट हाउस से मिं० हक को भुलाया आया कि गवर्नर उनसे मिलना चाहते हैं। मिं० हक उस समय अपने साथियों से सज्जाह-मशाविरा कर रहे थे कि मुस्लिम छींगी दल उनकी वजारत के लिखाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहता है उसका कैसे सामना किया जाय। मिं० हक जानते थे कि प्रस्ताव उपस्थित होने पर उनकी २७ घोटों से साफ जीत होगी।

बुलावा आने पर मिं० हक लगभग साड़े सात बजे गवर्नर्मेंट हाउस पहुँचे। उन्हें हाउस के निराले कोने के एक कमरे में ले जाया गया। कमरे के दरवाजे बन्द कर दिये गये। भीतर गवर्नर, उनके सेक्रेटरी, मिं० विजियम्स तथा मिथां हक के अलावा और कोई न था। मिं० हक वे प्रसज्ज थे, इयोंकि वे जानते थे कि किसी भी अविश्वास के प्रस्ताव को वे बड़ी आसानी से गिरा सकते हैं।

इधर-उधर की बात होने के बाद गवर्नर ने मिं० हक को इस्तीफा देने के लिए कहा।

इसमें मिं० हक स्तव्य रह गये। उन्होंने पछा कि इस्तीफा देने का सवाल कैसे उठता है, क्योंकि असंघकी में बहुमत तो उन्हीं के पक्ष में है?

गवर्नर ने उत्तर दिया कि कापने इसेम्बली में भाषण देते हुए जो रुद्ध कहा था कि सभी दलों की मिली-जुली सरकार के बारे सारता साफ करने के लिए मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, उसका मतलब हार्टीफा देना ही हुआ।

मिं० हक ने उत्तर दिया कि मैं उसी हालत में इस्तीफा देने को तैयार हो सकता हूँ जब आपके विचार से मिली-जुली सरकार कायम होने की समझना हो। श्री हक का आशय यह था कि अगर उन्हें उपने पट पर रहने से मिली-जुली सरकार कायम होने में बाधा पहती हो तो ऐसी सरकार बनने ही वे इस्तीफा देने को तैयार है। श्री हक ने गवर्नर को यह भी सुनिश्चित किया कि उभी देसी कोई सरकार कायम होने की समझना नहीं है, इसलिए उनके इरर्ट के कासवाल नहीं उठता।

गवर्नर ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि उभी मिली-जुली सरकार कायम होने की समझना नहीं है। लेकिन मिं० हक के इस्तीफा दिये बिना उसे दलों के नेताओं को मिली-जुली बजारत बनाने के लिए नहीं बुलाया जा सकता और इसीलिए उनसे इस्तीफा देने को कहा जा रहा है। गवर्नर ने हक साहब को आश्वासन दिया कि कापात्तवता पड़े दिना वे इस्ते के को काम में नहीं लाएंगे। इस्तीफे को केवल इसीलिए मांगा जा रहा है ताकि ज़स्तर परन्तु पर उसे दूसरे दलों के नेताओं को दियाया जा सके।

मिं० फलजुलहक ने कहा कि इसका मतलब यही है कि उनसे इस्तीफा विरोधी पक्ष को प्रबोभन देने के लिए ही दिलाया जा रहा है।

२६ दिन बाद २८ अप्रैल, १९४३ को सर नजीमुद्दीन की सरकार कायम हुई। प्रान्तीय असेम्बली की बैठक जुलाई के पहले सप्ताह में हुई। बीच के काल में सर नजीमुद्दीन वो अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। इस प्रकार प्रान्तीय असेम्बली में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके उन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया, जिस का सब से महत्वपूर्ण भाग बजट पास करना था। असेम्बली के सामने सवाल यह था कि हक्क बजारत ने बजट की जो १८ मर्डे पास कर दी थीं उन्हें अधिवेशन भंग होने और बीच में धारा ६३ की व्यवस्था होने के बावजूद पास माना जाय, या पूरे बजट को पास करने के लिए उन्हें भी फर से पेश किया जाय? विरोधी दल ने बजट के पास किये गये भाग के सिद्धांतों में शेष भाग को पास करने पर आपात्त उठाई। बजट सदा एक और अखंड होता है। उस के विभिन्न भागों और विभागों की मर्डों को इसके सुविधा के ही ख्याल से अलग-अलग पास किया जाता है। २८ मार्च की रात को मियां फज्जुलुल हक ने गवर्नर से यह भी कहा था कि बजट के मध्य में उन के इस्तीफे से अनेक कठिनाइयाँ उठ सकी होंगी, विरोधी बजट के रुद्ध नहीं हो सकते। गवर्नर ने उन की इस आपात्त पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार २८ मार्च को गवर्नर ने जो-कुछ किया था। उसका फल सर नजीमुद्दीन को ६ जुलाई के दिन उठाना पड़ा। यह फल बड़ा बहु था। गवर्नर ने ६३ धारा के अनुसार जो बजट पास किया तो उसमें पहले पास हुई १८ मर्डों को भी शामिल बर जिया। इससे सिद्ध हो गया कि उन १८ मर्डों का पास हैना जो उनकी माना जाय। नये इधर-उड़की ने इस के विपरीत यह दब्लिं दी रियल इंडियन बजट का एक भाग पास हो लिया है। तो उस के शेष भाग को अद्वितीय पास किया जा सकता है। इस के असिरिक, जिसने दिन गवर्नर ने धारा ६३ के

अनुसार शासन किया उतने दिन में खच्च हुई रकम अनिश्चित थी, जिस के परिणामस्वरूप आजाने में आय और व्यय की रकमों का इकाब भी अनिश्चित हो गया और जिन मटों में आय और व्यय की रकमें निश्चित न हों, उन का बजट ही कैसे बन सकता है। एक बार आसाम और उड़ीसा में मंत्रियों ने आर्थिक वर्ष के मध्य में पद-ग्रहण किये थे तो वहाँ आय और व्यय के ठीक-ठीक आंकड़े प्राप्त हुए थे और यदि आसाम-और उड़ीसा में आंकड़े मिल गये तो बंगाल में वर्षों नहीं मिल सकते। इस विचार से असेंबली के अध्यक्ष के आगे खण्ड-बजट पास करने की अनुमति देना असम्भव हो गया। सच तो यह है कि गवर्नर ने मिर्यांफजुल हक से इस्तीफा दिलाने में जो जलदबाजी की थी उसी के कारण यह परेशानी हुई। परन्तु गवर्नर के जलदबाजी करने का भी एक विशेष कारण था, वर्तोंकि इस्तीफा की बात उठाने के बाद यदि गवर्नर उसे ग्राप्त न कर लेते तो मिं० हक विश्वास का प्रारंभाव पास कर के अपनी स्थिति बो सुट्ट बना सकते थे। मिं० हक ने दिसम्बर १९४१ में जब से अपनी दृसरी घजारात कायम की थी तभी से गवर्नर उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाने की चेष्टा कर रहे थे, किन्तु यदि मिं० हक के पक्ष में विश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता—चाहे वह कितने ही अल्प बहुमत से वर्षों न होता—तो उनकी रक्षा हो जाती और तब गवर्नर उन्हें कभी भी अपदस्थ नहीं कर पाते। यह जम्बा विवरण यह प्रकट करने के लिए दिया गया है कि तथाकथित मन्त्री-नियंत्रित प्रान्तों में भी गवर्नरों की स्वेच्छाचारिता कितनी अधिक बढ़ी हुई थी।

बंगाल-असेंबली में जिन दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने सबसनी रैदा कर दी थीं उन में बजट की समस्या पहली थी। दूसरी घटना मिं० फ़हुल हक द्वारा गवर्नर की इस गवेंद्धाचारिता-पूर्ण कार्रवाई का रहस्योदयाटन थी। हासमें प्रकट हो गया कि विस तरह [उद्दोने का] नून और विधान को उठा कर ताक पर रखने दिया और हेट्रियेट की हाथाता से निरंकुश शासक की तरह कार्य किया। मिं० हक ने २ अगस्त १९४२ को ही सुनिश्चित किंतु सर्वाधर्म रहदरों में अखंडनीय तथ्यों को उपरित्थित करके रवर्वं वा ध्यान फ़क्के निरंकुश शासन की ओर आकर्षित किया था। मिं० हक ने असेंबली में जो पश्च-व्यवहार पद कर सुनाया वह भी आशर्वदपूर्ण था। गवर्नर ने अपने मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध अपने एक संकेटरी को २०लाख रुपये चावल की खरीद पर इयां बजट करने का आदेश दिया। उन्होंने मिदानपुर के कथित आर्याचारों के सम्बन्ध में जांच का वचन देने के लिए प्रधानमंत्री से जघाब हस्त लिया। दाका की घटनाओं के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री ने जब जांच कराने का आशव्वासन दिया तो इस पर भी गवर्नर नाराज हुए। इसना ही नहीं, चटांगांव के निकट फेनी में सैनिकों द्वारा रित्रियों पर अत्याचार होने का समाचार मिलने पर जब वे स्वयं तहकीकात करने के लिए जाने लगे तो गवर्नर ने इस में भी बाधा ढालनी चाही। बंगाल के गवर्नर के इन निरंकुश कार्यों से हमें चालस दूसरे और जार्ज तीसरे के दिनों का स्मरण हो आता है। इस के लिए कम-से-कम सजा यह होना चाहाए थी कि गवर्नर को पद से हटा कर हृजेंद्र वापस बुला जिया जाता। परन्तु प्रान्त के प्रधानमंत्री-द्वारा जगाये हमी आरोपों का उत्तर तक देने की जरूरत तक उन्होंने महसुस नहीं की। देसे प्रान्तों के मंत्रियों के इर्धन होना एक मजाक ही कहा जायगा। और यह कहना कि मिं० हक का हृत्तंका हो एक घटन मात्र थी, और भी बुरी बात है, किन्तु मिं० एमरी ने यही कहा था। स्थ से बुरी बात तो यह थी कि मंत्रियों के अधीन कम-चारी गवर्नर के बहने पर मंत्रियों की मजी के छिलाक आदेश निकालते थे। इन सभी विषयों में, जिन में से एक भी गवर्नर के विशेषाधिकार के दृंदर नहीं आता था, गवर्नर का आचरण निरंकुशपूर्ण तथा अव्यक्तिगत शासन ही था। यदि इन में किसी विषय को

गवर्नर के विशेषाधिकार के अंतर्गत मान भी लिया जाय तब भी वे पार्लीमेंट की संयुक्त समिति की इस मिफारिश को नहीं भूल सकते थे, जिस में कहा गया था कि “गवर्नर को नियंत्रित होकर मामले में निर्णय करने से पहले अपने मंत्रियों से सलाह लेनी पड़ेगी।” इस से प्रकट है कि यह तर्क भी कि अमुक विषय गवर्नर की खास जिम्मेदारी थी, उन्हें दोष से मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्रियों से सलाह लेना तो उन के लिए ज्ञाजिमी ही था। एक बार मंत्रियों की सलाह लेने के बाद ही गवर्नर उस सलाह के विरुद्ध कार्य करने के अधिकारी होते थे। शासन-सुधार-कानून में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि गवर्नरों को मंत्रियों की मर्जी के लियाफ अन्य कर्मचारियों से मिलकर साधे काम करने की अनुमति है। हमारे कहने का यह मतभव नहीं कि गवर्नर को सेवेटरियों या विभागों के प्रधानों से मिलने का हक नहीं है, किन्तु यह जानकारी मंत्रियों की जानकारी में ही होनी चाहिए। मिं ० इक के आशोप यथार्थ सिद्ध होने पर गवर्नर का उल्लंघन जिया जाना ही लाजिमी था।

युद्धकाल में इन स्वार्थीन कहे गये प्रान्तों में मंत्रिमंडल गवर्नरों की दया पर और उन्हीं की मर्जी से चल रहे थे। विशेषकर बंगाल में गवर्नर चाहते तो मंत्रियों से सलाह लेते थे, नहीं तो नहीं; और सरकार के निर्णयों पर भी गवर्नर का ही प्रभाव अधिक होता था। जहाँ हक-वजारत को अनुचित तर्फ़ के से हटाया गया—क्योंकि वह अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के बाद भंग नहीं हुई थी—और कितने कार्य करने अथवा न करने के लिए उस की निन्दा की गयी, नजीमुद्दीन-वजारत को उहाँ समस्याओं के हल करने में इसमर्थ होने पर भी कायम रहने दिया गया। गवर्नरों का तो यह बहना था कि कोई वजारत रहे या नहीं, उसे गवर्नर का आदेश अवश्य मानना चाहए। जब तक वजारत गवर्नर की बात मानने को तैयार रहती थी तब तक उस पर कोई अंत नहीं आ सकती थी और जब तक गवर्नर वजारत के पक्ष में रहता था तब तक बहुमत भी उस के साथ होता था। फजलुल्लाह की वजारत उच्च समय तक गवर्नर के इशारे पर नाचती रही, किन्तु जब उसका धीरज हाथ से छूट गया तभी वह भंग हो गयी और उम्रका स्थान सर नजीमुद्दीन की वजारत ने लिया। गोर्की तंज महीने के शासन-काल में इस वजारत ने सिर्फ़ ३०० कैदियों को रिहा किया, अन्न की हालत भी फजलुल्लाह के समय-जैसी ही रही और अन्न की समस्या की चर्चा चलाने पर प्रतिवंध रहा, फिर भी उस के पक्ष में धम का बहुमत हो गया, जो यथार्थ में गवर्नर का समर्थन पाने के ही समान था। कांग्रेसी वजारतें ऐसा हालत में करने काम करतीं?

जिस समय बंगाल में फजलुल्लाह की वजारत को हटाया गया, उस समय प्रान्तीय असेम्बली में बहुमत उसके लियाफ न था। यह सच है कि उनका बहुमत १५ या २० सदस्यों का—यानी पहले से आधा रह गया था, फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुमत उन्हीं के पक्ष में था। बंगाल के गवर्नर स्वर्गीय सर जान हर्बर्ट ने फजलुल्लाह के दल को अपदस्थ करना ही उचित समझा। और उन की गही पर सर नजीमुद्दीन को ला दैठाया। नये प्रधानमंत्री को भी १६४४ के फरवरी व मार्च महीनों में वैसे ही संकट से गुजरना पड़ा। १२ फरवरी, १६४४ को वजारत एक बिल के ठांचेमात्र को १५ के बहुमत से पास करा सकी। पहली मार्च को अर्थ-मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि १६४१-४२ में बजट में मजूर एक रकम से अधिक हुए खर्चे को स्वीकार किया जाय, सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष का समर्थन करनेवाले सदस्यों की संख्या बराबर रही और तब केवल अध्यक्ष के एक बोट से ही सर नजीमुद्दीन वजारत

की हठनत बत सको। अफगांह फैर रही थीं कि नये गवर्नर मिं० केसी एक मिल्जी-जुली वजारत कायम करना चाहते हैं। यदि बंगाल के युद्धचत्र से नवदीक होने के कारण सर जान हर्षट अपने समय में एक मिल्जी-जुली सरकार कायम करना चाहते तो उन्हें कोई दोष नहीं देता। यदि मार्च, १९४४ में मिं० केसी मिल्जी-जुली सरकार कायम करने की चेष्टा करते तो वह इसलिए नहीं कि उस समय सर नजीमुद्दीन-वजारत के लिए अस्प बहुमत या बहुमत का अभाव था, बल्कि इसलिए कि युद्धनय परिस्थितियां का ऐसा तकाजा था।

जून १९४४ में बंगाल का घटनाचक एक विशेष दिशा में घूम गया। गवर्नर मिं० केसी ने अपनी आंखों से देखा कि बांगाल असेम्बली किसी बड़े प्रान्त की धारा-सभा की अपेक्षा मध्यक्षेत्र वजारत ही अधिक जान पड़ती थी। कम-से कम गवर्नर को दो बातें तो साफ समझ में आ गयीं। पहली तो कह कि शिल्पा-विज्ञ का विरोध काफी अधिकथा और दूसरी यह कि विरोध सिर्फ हिन्दुओं की तरह से न होकर मिल्जी-जुली था। श्री बोंपी० पेन के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव ११६ के विरुद्ध सिर्फ १०६ बोटों से ही गिरा था। बोटों के दिसाव से प्रकट हुआ कि ११६ बोटों में से १६ बोट तो सिर्फ यूरोपियनों के ही थे, जिसका मतलब यह हुआ कि यूरोपियनों को छोड़कर संकार के पक्ष में सिर्फ १०० सदस्य ही थे और उसके विरुद्ध १०६ सदस्य थे। सरकार के पक्ष में जो ११६ मनदस्य थे उनमें से १६ यूरोपियनों के अतिरिक्त ३ एंग्लो-ईण्डियन, ३ मंत्रियों को मिलाकर, ४ सवर्ण द्विन्दू, ८० मुस्लिम और १३ दिजित जातिवांजे सदस्य थे। प्रान्तीय असेम्बली में अध्यक्ष को मिलाकर मुस्लिम सदस्यों की संख्या १२३ थी, जिनमें से विरोधी-दल में ४२ थे। दूसरे शब्दों में प्रस्ताव के विरुद्ध पड़े कुल बोटों में ४२ यानों माटे हिसाव से ४० प्रतिरात मुवज्जानों के थे। ये आंखें पुराने थे। इनके अलावा, मंत्रियों के लिखान निन्दा के भी प्रस्ताव उपस्थित किये गये। वजारत के लिखान १०६ बोट पड़ना और यूरोपियनों को छोड़कर उसके पक्ष में सिर्फ १०० बोट रह जाना खतरनाक हाजर थी। इसलिए गवर्नर ने चुनवाप असेम्बली को स्थगित कर दिया। ऐसा करने में उनका उद्देश्य आखिर क्या था? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है? मिं० केसी के वक्तव्य से कि मंत्रिमंडल के पक्ष में स्पष्ट बहुमत है, प्रकट हो गया कि गवर्नर महोदय उसके ममथंक हैं और साथ ही यह भी जाहिर हो गया कि मन्त्रिमण्डल इस समय वैसे ही संकट में पड़ा था, जैसे संकट में मिं० फजलुर्रहम का मंत्रिमण्डल सर जान हर्षट के समय पड़ा था। दोनों के ग्रहुमत घट चुके थे और दोनों ही का आस्ताव यूरोपियनों के बाटों से कायम था। परन्तु जहाँ स्वांगीय सर जान हर्षट ने मिं० इक को 'बर्लाक्ट' करने का फैसला किया वहाँ मिं० केसी ने नजी-मुहीन वजारत का समर्थन करना ही अपना फर्ज समझा। उन्हें इस बात का प्रयात रखना चाहिए था कि अपेक्षला स्थगित करने का आदेश असभ में आने से पहले एक दूसरे मंत्रों के लिखान निन्दा के प्रस्ताव की सूचना मिल चुकी थी, और मिं० केसी ने असेम्बली को स्थगित करने के आदेश के साथ जैसा वक्तव्य दिया था, वैसे वक्तव्य से उस प्रस्ताव के विरुद्ध प्रभाव पड़ता था। यदि वे वजारत को संकट से बचाना चाहते थे तो 'स्पष्ट बहुमत' की तरफ सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के बजाय उन्हें यह साफ लक्षणों में कह देना चाहिए था। परन्तु एकदम ऐसा फैसला देने से मिं० केसी के लिखान अन्याय तो नहीं होता? कहा ऐसा तो नहीं कि वे शिल्पा-विज्ञ को अनुचित समझ कर उसके संशोधन के लिए उत्थुक हों और उसमें जां कमा रह गयी थी उसकी पूर्ति करना चाहते हों और साथ ही मंत्रिमण्डल की भाँ रक्षा करना चाहते हों? तब तक यह स्पष्ट न था और इसके स्पष्टोरण के लिए हमें बाद को घटनाओं का छाना। करना पड़ेगी! ॥

इस सम्बन्ध में बंगाल के प्रधानमंत्री सर नजीमुद्दीन का वक्तव्य (यह अंग लाहौर के

‘ट्रिड्यून’ ने अपने ११-४५ के अग्रबोर्ड में उद्धृत किया था ) महात्मपूर्ण है। आपने एक सभा में भाषण देते हुए स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि “वे ऐसे डपायों द्वारा अपने हाथ में शक्ति रखे हुए हैं, जिन्हें उचित नहीं कहा जा सकता और इसीलिए उन्हें यूरोपियनों को खुश रखने के लिए भावी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि इसके बिना मौजूदा बजारत एक दिन के लिए भी नहीं रह सकती।

बंगाल में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसमें यूरोपियनों का खास हाथ था। बीसवीं सदी के शुरू से भारत की व्यवस्थापिका सभाओं में यूरोपियन दल की शक्ति किस प्रकार कमशः बढ़ी, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। १९०६ के मिटो-मालें के शासन-सुधारों से पूर्व केन्द्रीय व्यवस्थापिका कौसिन में यूरोपियनों का सिर्फ एक प्रतिनिधित्व था। नया कानून पास होने पर उनकी सीटें दो कर दी गयीं—एक बम्बई के यूरोपीय ड्यापारी-मंडल के लिए और दूसरी कलकत्ता के यूरोपीय ड्यापारी-मंडल के लिए, और साथ ही आसाम और मद्रास-जैसे प्रान्तों की व्यवस्थापिका-सभाओं में चाय के बागीचे-जैसे स्वार्थों का भी प्रतिनिधित्व यूरोपियन ही कर रहे थे। यह स्थिति १९१६ के शासन-सुधार-कानून—मटिगू-चेम्सफोर्ड सुधारों तक रही। नये कानून के अनुसार यूरोपियनों को केन्द्रीय धारासभाओं में १२ तथा प्रान्तीय सभाओं में ४६ सीटें मिलीं। केन्द्र की कुल सीटों में से चुनाव-द्वारा भरी जानेवाली ३ सीटें कौसिल आक स्टेट के लिए, और चुनाव-द्वारा भरी जानेवाली ८ सीटें असेम्बली के लिए थीं। इनके अतिरिक्त असेम्बली में एक सदस्य यूरोपियन ड्यापार-मंडल द्वारा नामजद हांकर भी आता था। जब सुटीमेन-समिति नियुक्त हुई तो यूरोपियनों ने केन्द्रीय असेम्बली के लिए एक सीट अपने ड्यापारिक स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मारी। इस सम्बन्ध में न तो मुडामेन-समिति ने और न लांथियन-समिति ने ही कोई सिफारिश की है। यूरोपियन प्रतिनिधित्व की प्रगति नोचे की ताकिया’ में दिखायी गयी है:—

काल	केन्द्र में		प्रान्त में		
	उच्च धारासभा	निम्न धारासभा	उच्च धारासभा	निम्न धारासभा	कुल जोड़ कुटकर बातें
मटिगू-चेम्सफोर्ड					
कानून—१९१६	३	१	×	४६	५८
साइमन कमीशन					
१९२६	३	१२ से १४ तक	×	६६	८१ से ८३ सिर्फ सिफारिश का रिश काता है
शंकर नायर-					
समिति—१९३०	५	२०	×	६१	८६ सिफारिश करती है।
भारतीय शासन					
विधान—१९३५	७	१४ से १५	×	६६	१६ से १७ तक

इस प्रकार स्पष्ट है कि ८७ गैर-सरकारी सीटों में से, जिनमें अधिकांश चुनाव-द्वारा भरी जाती हैं, ८६ यूरोपियनों को मिली हुई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसे समुदाय को, जिसका अनुपात भारत की कुल जनसंख्या में ००६ प्रतिशत है, ६०५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व

‘देलिये जनवरी १९४४ के ‘माझन रिच्यू’ में एच. डब्ल्यू. मुखर्जी, पम० ए०, पी० ए० शी० का लेख—“नान-ओफिशियल यूरोपियन्स हन इण्डियन ब्रिस्केशन।”

प्राप्त है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बंगाल की प्रान्तीय असेम्बली में यूरोपियनों की ३० सीटें आईं और ये ३० सदस्य ही फेसबा करते हैं कि किस पद में बहुमत रहेगा।

### सिंघ का गुत्थी

युद्ध छिड़ने के समय से सिंघ की राजनीति वही दुर्भुत रही है। इस प्रान्त में दूसरे की प्रान्त के सुकावले में मंत्रिमंडल जलदी-जलदी बदले गये। पहले बंदेश्वरी खो का, फिर हिदायतुल्ला का, फिर अलाहबद्ध का, फिर हिदायतुल्ला का दूसरा और फिर तीसरा—इस तरह कितने ही मंत्रिमंडल कायम हुए और भंग हुए। सिंघ की राजनीति का अवस्था युद्ध से पूर्व के ट्रिटेन की अवस्था से नहीं, बल्कि युद्ध में पूर्व के क्रांति की अवस्था से मिलती थी। अलाहबद्ध का भूत, जो १५ मई, १९४२ को मरे गये थे, अभी तक सिंघ सेकंटरियेट के हर्द-गिर्द चक्कर लगा रहा था। लगभग उन्हीं दिनों माला-मंत्री मिठौ गजदर ने इस्तीफा दिया। मृतक प्रधानमंत्री के भाई खानबदानुर मौलावल्लश की जुनाव में जीत होने पर सर गुलामदुसेन हिदायतुल्ला ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। इसका उद्देश्य सिंघ प्रान्तीय मुस्लिम लींग के अध्यक्ष मिठौ सैयद के विरोध का सामना करना था। इसके लिए मिठौ जिन्ना ने एक तरफ तो अपने ही दल के प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप सर गुलाम की हार हो गयी (और इसके बावजूद उन्होंने इम्ताफा नहीं दिया), मिठौ सैयद की कड़े शद्दों में भर्त्यना की आर दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री सर गुलामदुसेन को उग्र-भजा कहा, जिन्होंने गैर-लागी मुसलमानों के साथ संयुक्त मंत्रिमंडल न बनाने का लींगी नीति के विरुद्ध अपने मंत्रिमंडल में मालावल्लश का ले लिया। ये मालावल्लश मिफ़ एक गैर-लींगी ही नहीं, एक ऐसे जाग-विरोधी मुसलमान थे, जिन्होंने लींग में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। मिठौ जिन्ना ने मौलावल्लश को हटाने की जो मांग की थी उपका फल निकला। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर अपनी नयी वज्ररत मौलावल्लश के बिना बनाई और उनके स्थान पर सर गुलाम ने मिठौ सैयद के एक आदमी को रख लिया। सर गुलाम ने मौलावल्लश को पत्र लिख कर जो यह आश्वासन दिया था कि वे डनसे न तो व जारी से इस्तीफा देने को कहीं ओर न मुस्कियत लींग में सम्भिजित होने का आग्रह करें। उसे उन्होंने भंग कर दिया और अपने कठूर चिंगांग मिठौ सैयद से सुनह करला। सिंघ की लोकतंत्री राजनीति की यह हालत थी। सिंघ की पैंचांदी राजनीति का एक परिणाम यह भी दुष्या कि समाजन्त में खान अबुल गफ़ार खां की रिहाई के बाद सिंघ के छँ प्रमुख कांग्रेसी जेलों से छोड़ दिये गये। साथ ही यह घोषणा भी की गयी कि सिंघ की प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कांग्रेस कार्यसामिति के भूतपूर्व सदस्य श्री जगरामदाम दालगाम की रिहाई की सिफारिश करदी है। यह घोषणा वही दिलचस्प थी, क्योंकि एक महीने से भी कम दिन पहले इन्हीं गुरु-मंत्री ने, जिनके हस्ताक्षर से श्रव लेतांगों की रिहाई हुई थी और सिफारिश की गई थी, एक प्ररन का उत्तर देते हुए प्रान्तीय असेम्बली में कहा था कि वे तोहफों के कार्यों के हो नहीं, बल्कि हरों के उपद्रवों तक के जिम्मेदार हैं।

### सीमाप्रान्त की व जारी

मुस्लिम लींग ने अगली व जारी सीमाप्रान्त में बनायी थी। प्रान्तीय असेम्बली में उमका बहुमत होने या न होने का सवाल नहीं था, किन्तु प्रान्तीय लांग ने अचानक ही यह कार्य कर

दाका और किर उस ही सूचना अपनी केन्द्रीय समिति को दी। १९५० खान साहब ने, जो लगातार प्रचार करने पर भी गिरफ्तार नहीं किये गये थे, सरदार आंरंगजेव खां को चुनौती दी कि आप कांग्रेसी सदस्यों को जेल से छोड़कर मुकाबला कीजिये। उन्होंने कहा कि कुल ४२ सदस्यों में से, जेल में बंद आठ को मिलाकर कांग्रेस के पक्ष में कुल २३ सदस्य हैं। परन्तु इस तरह की चुनौती व्यर्थ थी। क्योंकि विटिश सरकार व मुस्लिम लीग आठ कांग्रेसियों के जेल में रहने पर भी शासन-कार्य चलाने को तैयार थीं। कांग्रेस के विरोधियों ने यह चाल जान-बूझ कर उन आठ सदस्यों के जेल जाने के बाद चली थी।

सरहड़ी सूचे में वजारत कायम करने के लिए तोन दबो—मुसलिम लीग, हिन्दू महासभा और सिखों का सहयोग आवश्यक था। पहला दब तो प्रधान ही था। दूसरे दब के नेता थे रायबद्दादुर मेहरचन्द खन्ना, जो प्रशान्त-सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों की यात्रा समाप्त करके लाए ही थे। मेहरचन्द खन्ना और उनके दब ने वजारत में शरीक होने से इन्कार कर दिया। तीसरे दब का रुख संदिग्ध था। इसमें तीन सिख थे। एक तो मर गया, दूसरा कांग्रेसी होने की बजह से वजारत में शरीक नहीं हो सकता था—बस शेष तीसरा वजारत में शरीक हो गया।...इसका विवरण देने से पहले हम एकाध दिलचस्प बातें और बता देना चाहते हैं। सर पुलशोत्तमदास ठाकुरदास ने हृषियन यूनिटी प्रूप के सदस्य के नाते एक मनोरंजक घटना बताई है। आपने बताया कि प्रूप के प्रतिनिधियों ने गोलमेज समेजन में घुकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत के हिंत को साम्राज्यिकता हो ने सबसे अधिक नुस्खान पहुंचाया है और अनुरोध किया कि इस संकट की बड़ी में सब को देश को कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आपने १९५० में प्रकाशित हृषिट एडवर्ड्स के हस कथन का हवाला दिया कि बन्नू के जंगली हजारों पर एक गोली या गोला चलाये बिना किस प्रकार रक्तहीन विजय प्राप्त हो गयी। यह कठिन कार्य दो जातियों तथा दो मन्त्रियों के मध्य शक्ति-संतुलन-दूरा ही सम्भव हो गया। सिख सेना के भय में मुसलमान कबीलेवालों ने मि० एडवर्ड्स के कहने पर उन ४०० किलों को धूब में मिला दिया, जो उस प्रदेश में शक्ति के स्तम्भ थे। और उन्हीं मि० एडवर्ड्स के कहने पर सिखों ने सन्नाट के लिए एक किला खड़ा कर दिया। इस प्रकार बन्नू की बाटी ही नहीं और समस्त हिन्दुस्तान पराधीन हुआ।

आकालियों ने वजारत बनाने के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करने का निश्चय किया, यह एक पद्धति है। वे राष्ट्रीयता के ऊंचे विश्वासन से उतर कर साम्राज्यिकता की दल-दब में क्यों पंसे? आकालियों के नाम और उन की सफलताओं के साथ जिन वीरतापूर्ण घटनाओं का सम्बन्ध है, उन्हें कौन भूत सहना है? गुरु का बाग में उन्होंने जो यातनाएं सर्दीं, ननकाना साहब में उन्होंने जो कीमत चुकायी और जिस प्रधार हिँग्यों व मांस के लोथड़ों की नीच पर अपने संगठन को खदा किया—यह भूलने की बीज थोड़ी ही है। १९२१ के खिजाफत आन्दोलन से साहमन कमोशन के बायकाट के निराशापूर्ण दिनों और नमक सत्याग्रह (१९३०-३१) के तूफान तक आकालियों ने हिन्दू व मुसलमानों के साथ जो भाई-चारे का बर्ताव किया वह कभी भुजाया नहीं जा सकता। १९३० में मास्टर तारासिंह अपने ३०००० साथियों के साथ जेल गये और उसी वर्ष कराची कांग्रेस में उन्हें राष्ट्रीय फंडा समिति का एक सदस्य नियुक्त किया गया। तिरंगे झंडे में अब उसके लाल, हरे और केसरिया रंग हिन्दू, मुसलमान व अन्य सम्बद्धायों के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि अब उन्हें पवित्रता, समृद्धि और स्थान का प्रतीक माना जाने लगा। मास्टर तारासिंह

ने इस परिवर्तन का हृदय से समर्थन किया। सिख इस परिवर्तन की मांग १६२६ के लाहौर-अधिकेशन से कर रहे थे—शायद तब तक उनकी मांग हिन्दुओं और मुसलमानों के ही समाज साम्प्रदायिक आधार पर थी। सिख सदा से यही कहते आये हैं कि वे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिलाफ हैं, किन्तु यदि वह मुसलमानों को दिया जाता है तो उन्हें भी दिया जाना चाहिए। इसीलिए वे रेमजे मेकडानल्ड के साम्प्रदायिक निश्चय के—जिसे गलती से साम्प्रदायिक निश्चय कहा जाता है—कठूर विरोधी रहे हैं और उन्होंने निश्चय के सम्बन्ध में कांप्रेस की “न समर्थन करने और न विरोध करने” की नीति को मंजूर नहीं किया है। क्या अकाला भा जसा कि अंग्रेज चाहते थे, पिछले १० साल में साम्प्रदायिकता के रंग में रँग गये और अपने लाभ-हानि को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से देखने लगे? यदि सिखों को चार बड़े पद मिल जायें—तब भा क्या इससे उतना लाभ होता, जितना विशुद्ध राष्ट्रीयता के पथ पर चलने से मुक्तिमिल आजादी पाने पर होता? अकालो सदा से पूर्ण स्वाधानता के हिमायती रहे हैं और हजारों की संख्या में कांप्रेस में साम्मिलित होते रहे हैं। उन का पंजाब कांप्रेस समिति पर निश्चय रहा है आर वे कांप्रेसों उम्मादवारों के कंघे से कंधा भिड़ा कर “कांप्रेस-अकाली टिकट पर” अपनी सुरक्षित सीटों के चुनाव लड़ चुके हैं। इस के उपरान्त अकालियों की नीति में परिवर्तन हुआ। इस का कारण मुख्यतः अखिज भारतीय कांप्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मास्टर तारासिंह का व्यक्तिगत मतभेद होना था, जेसांकु लुद मास्टरजी कह भी सुके हैं। यह मतभेद उन के लाहौर से नियोजन तथा १६३० में जंज जान के बाद हुआ था। इन सब सफलताओं के बाद, जिनमें अकालियों ने साहस, त्याग तथा सूक्ष्मक का अच्छा परिचय दिया, पंथ के द्वारा ज्ञानों कर्तारसिंह के नेतृत्व में सरदार अनीतसिंह का समर्थन करना वास्तव में एक दुःख की बात थी।

पाठकों को स्मरण होगा कि औरंगजेबखां की दजारत कारण महाने पर प्रान्तीय असेम्बली के जो कहूं उप-चुनाव हुए थे उनमें एक असेम्बली के एक सिल-सदस्य का मृत्यु से ज्ञाने हुई सीट के लिए हुआ था। कुछ अन्तर कारणों से यह उप-चुनाव हिन्दू व मुसलिम साटों के उप-चुनावों के साथ नहीं हुआ। गोंकि सार्वजनिक रूप से इसका कोई कारण नहीं बताया गया, फिर भी उस पर प्रकाश पड़ ही गया। चुनाव २५ फरवरी, १६४४ को हुआ। जिस प्रकार पंजाब में सर सिकंदर हयातखां की मृत्यु होने पर उन के पुत्र मेजर शौकत हयातखां को उन की जगह प्रान्तीय असेम्बली में भेजा गया था उसो प्रशार सीमाप्रान्त में मृतक सिख सदस्य के पुत्र को खाली स्थान के लिए उम्मीदवार बताया गया। ऐसा उम्मीदवार चुनने के लिए काफ़ा समय तक बार्ता चली जो कांप्रेस और सिख दानों को मंजूर होगा, किन्तु ऐसा कोई समझाता नहीं हो सका। तब चुनाव को प्रतियागिता हुई और कांप्रेसों उम्मीदवार ने अपने विराधी सरदार अनीतसिंह के उम्मीदवार को ८१ वोट से हरा दिया। इस घटना का प्रभाव यह हुआ कि सब तरफ से माँग की जाने लगी कि सरदार अनीतसिंह को इस्ताफा देना चाहिए। सरदार अनीतसिंह ने कहा कि यदि यह प्रमाणित हो जाय कि पुरुष पर सिखों का विश्वास नहीं रह गया है, तो मैं जहर इस्तीफा दे दूँगा। इधर यह चर्चा चल ही रहा थी कि अचानक यह समाचार फैल गया कि सिख-कांप्रेस विवाद में प्रमुख भाग लेनेवाले, मास्टर तारासिंह ने गुरुद्वारा कमेटी व अकाली शिरोमणि दल की अध्यक्षता से इस्ताफा दे दिया। मास्टरजा से इस्ताफे की मांग इस बिना पर की गयी थी कि वे बहुत समय से अध्यव पढ़ पर रहे हैं; किन्तु उन्होंने पद स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण छोड़ा।

१२ मार्च १९४५ को सीमाप्रान्तीय अपेक्षितों में श्रीरामजेवलां की वजारत के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव १८ के विहृद २४ बोटों से पास हो गया।

मार्च के मध्यने में भारत में कांग्रेस की नाति में पहलो बार परिवर्तन दिखाई दिया। श्रीरामजेवलां को वजारत का हार का बड़ा परिणाम दुश्मा, जो वैत्तिक दृष्टि से होना चाहिए था। गवर्नर को प्रान्त के भूतपूर्व प्रधान मंत्री डा० खान साहब को बुलाना पड़ा, जिनके अविश्वास के प्रस्ताव के कारण श्रीरामजेवलां के मन्त्रिमंडल का पतन हुआ था। डा० खानसाहब इस परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे। एक दूत पहले ही सेवाप्रमाण जा चुका था, जो गांधीजी से एक पत्र खानसाहब के नाम वारस आया। पत्र में क्या था, इस का अनुमान किया जा सकता है। गांधीजी ने एक नयी नीति—सरद-कुछ स्थानीय लोगों के निरंय पर छाँड़ देने का अनुपरण आरम्भ कर दिया था। डा० खानसाहब ने १६ मार्च को पढ़ प्रदण्ड करने के बाद बताया कि उन्होंने प्रान्त की जनता की हड्ढी के ही अनुपार कार्य किया है। जनता का आदेश था—‘लागों की सेवा करो—यही आप का कर्तव्य है।’ गांधीजी ने सीमाप्रान्त के लिये यही नीति निर्धारित की, गोकुल यह अस्तूर, १९३६ में निर्धारित कांग्रेस का अवेद्ध भारताय नाति के विहृद जानपड़ी था, जिस के अतर्गत युद्ध लिङ्गने पर द सूबों का वजारता ने इस्ताना दिया था। नवा भरभार का पहला कार्य खान अब्दुल गफ्फारखां (जा २६-१०-४२ का गिफ्तार हुए थे) द अन्य प्रमुख कांग्रेसीयों तथा २२ नजाबदों का रिहाई का आदेश निकाज्जना था। इन नवांबदों में चार एम्.एल्.ए० भी थे, जिन में एक अताउल्ला साहब तथा जेज से निकल कर संघे मात्र पढ़ की शपथ लेने गये।

मन्त्रिमण्डल के परेवतन पर श्रीरामजेवला ने जा वक़ब्द दिया वह बड़ा उल्लेखनीय था। उन्होंने कहा कि मन्त्रि-मण्डल चाहे जाग का हो या कांग्रेस का, वह ६३ धारा के शासन से हर हालत में बढ़ कर है। इस वक़ब्द का महत्व समक्ष के लिए हमें याद करना चाहिए कि कोप सो मन्त्रि-मण्डलों के इस्ताना दिन पर मिं.जिन्ना ने २२ नवम्बर, १९४६ को मुक्ति-दिवस मनाने को कहा था।

सीमाप्रान्त में कांग्रेस के शक्ति-प्रदण्ड करते ही जनता में प्रतिक्रिया आरम्भ हो गयी। जनता के मस्तिष्ठ में प्रश्न उठा कि संसाधन के ‘अच्छे’ उदाहरण का अनुपरण अन्य प्रांतों को करना चाहिए या नहीं, और इस सवाल को गोपालाथ बारदांजोई व रोहिणी दत्त-द्वारा आमाम के प्रधानमंत्री सर मुहम्मद सालुला भी दी गया चुनावों के कारण और भी बल प्राप्त हुआ। इस प्रकार १५-६-४५ का कांग्रेस कायसमिति का रिहाई से पूर्व ही परिस्थित ठीक होने लगी।

### पंजाब का वजारत

सर सिक्कन्दरहयात खां की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण पंजाब में नयी परिस्थिति पैदा हो गयी। अब तक वे सुस्तित जाग आर हिन्दू-महासभा के खतरों से बचे हुए थे और अरना निजी जाक्षियता तथा विवारा को उदाहरण के कारण वजारत का काम सहजात्वक चलाते जा रहे थे। उनकी मृत्यु स जो स्थान खाली हुआ उसकी पूर्ति करने का लिङ्गहयात खां ने की। तभी जाग व यूनियनिस्ट पार्टी की शक्तिया में सर्वर्थ आरम्भ हो गया। मिं.जिन्ना पंजाब-वजारत का खुले शब्दों में भर्तना कर रहे थे कि उसने जाग के प्रति सचाई का व्यवहार नहीं किया। एक तरफ मिं.जिन्ना एक जाग प्रशान्त-मंत्री को वजारत कायम करने की इजाजत तब तक नहीं देना चाहते थे जब तक कि वे जाग के आदर्शों पर चलने को तैयार न हों। दूसरी तरफ वजारत के हिन्दू समर्थक जाग के प्रति अधोनता प्रकट करने के नये

आदर्श से चिह्ने हुए थे, क्योंकि नयी स्थिति उस समझौते के विरुद्ध थी जो उनका सर सिकन्दरहायत खां से हुआ था।

जब कि दूसरे प्रांतों में नयी वजारते कायम हो रही थीं पंजाब में मिं० जिन्ना ने एक विजेता के रूप में प्रवेश किया। वे देखना चाहते थे कि पंजाब की वजारत दरअसल एक लोगी वजारत है या नहीं। कर्नल खिज्जहायत खां को वजारत के रंगढ़ंग में तब्दीली करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया। लेकिन सर छोटूराम पंजाब-वजारत को लोगी वजारत का नाम देने के खिलाफ थे और उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसी कोशश की गयी तो वे वजारत का साथ देना छोड़ देंगे। कर्नल खिज्जे के एक तरफ कुआँथा तो दूसरी तरफ था खाई। इसी बीच एक वजार मेजर शाकतहायत खां ने, जो स्वर्णीय सर तिकन्दरहायत खां के पुत्र थे, एक भाषण के बीच एक तरफ कायदे-आजम के लिए और दूसरी तरफ सिकन्दर-जिन्ना समझौते के लिए अपनी वफादारी का इजहार किया। मेजर शाकत ने यह भी कहा कि हाज भी जो नापण उन्होंने दिये हैं उनका आधार यह समझौता ही था, गोकि उसके अर्थ और इसी कुछ लगाय गये हैं।

मेजर शौकत के इस कथन की तात्कालिक प्रतिक्रिया यह हुई कि लोग कार्य-समिति के एक खानवहादुर सदस्य ने जोर दिया कि पंजाब वजारत को फौरन ही लोग के लिए वफादारी का सबूत देना चाहिए।

आजहे, पंजाब की राजनीतिक घटनाओं की एक समीक्षा कर ढालें। जिन्ना साहब पंजाब वजारत को अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए तीन महीने का वक्त देते हैं। कर्नल खिज्जहायत खां परिस्थिति में सुधार करने का वचन देते हैं। पी० डबल्यू० डी० के वजीर मेजर शौकत हम दुविधा म पड़ते हैं कि स्वर्णीय पिता व मिं० जिन्ना में से किस के दुश्मनों को मानें। अपने पहले सार्वजनिक भाषण में वे साम्राज्यिकता को निर्दा करते हैं। आगाह किये जाने पर वे फिर कह बैठते हैं कि जिन्ना साहब का हर हुम्म मानने को वे सेयार हैं। इससे कायदे-आजम तो सुरा ही गये, पर सर छोटूराम विगड़ पड़े। बस शौकतहायत खां चोक्हने होकर कहने लगते हैं कि उन्होंने जोकुछ कहा वह जिन्ना-सिकंदर समझौते के ही आधार पर कहा था। इससे मिं० जिन्ना खोजकर निम्न वक्तव्य निकालते हैं:—

“इसमें कुछ भी शक नहीं है कि सिकंदर-जिन्ना-समझौते के बाद पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का अस्तित्व नहीं रह गया। समझौते के अनुसार पंजाब-असेम्बली में एक मुसिज्जम लोग पार्टी कायम होने आगे उसके अखिल भारतीय मुसिज्जम लोग व प्रांतीय लोग के नियंत्रण में आने को बत थे। मलिक खिज्जहायत खां ने एक मुसिज्जम लोग पार्टी कायम करदो हैं।”

जब कि एक तरफ कायदे-आजम उड़ीसा के अजावा दूसरे सूबों में अपनी वजारते कायम होने का दावा पेश कर रहे थे, उन्होंने दिनों २६ जुलाई को मिं० डोबा ( मजदूर-दल ) ने पार्लीमेंट में मिलो-जुज्जी वजारनों के बारे में सवाल उठाया। आपने पूछा कि कितनी वजारते सिर्फ मुस्लिम लोग के आधार पर और कितनी उसके नेतृत्व में काम कर रही हैं? हाज ही में वजीरों में से कितने लोग या दूसरे राजनीतिक दलों में शामिल हुए हैं और कितनों ने असेम्बली को बैठक होने पर अरने साथियों का समर्थन पाया है?

मिं० एमरी का जवाब था:—

“जिन छः सूबों में साधारण विधान चल रहा है। उस सभी में मिलो-जुज्जी वजारते काम कर रही हैं। इनमें से पांच के नेता मुसिज्जम लोगी हैं। सिंध को छोड़कर, जहां पिछले परम्परा

के मौसम में दो मंत्री लोग में शामिल हुए थे, मुक्ते देवे किसी उदाहरण का पता नहीं है, जहाँ मुस्लिम वज्रों द्वाल हो में मुस्लिम लग में शामिल हुए हों। सीमांत में जो बजारत हाल ही में कायम हुई है उसे अभी प्रांतीय असेम्बली के सामन आने का मोका नहीं पढ़ा है ?'

भारत-मंत्री के इस वक्तव्य से श्री सावरकर को बड़ी राहत मिली, जिन पर आरोप लगाये जा रहे थे कि हिन्दू महासभा के अध्यक्ष को हैसियत से वे लोगी बजारतों को सहायता पहुँचा रहे हैं। मिं. जिन्ना ने जो यह घांटणा को थी कि वे या लांग जिन्ना-सिंकंदर समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं(आंग यूनियनिस्ट पार्टी मर चुकी है) वह २० मार्च को असेम्बली के विरोधों पक्ष के मुस्लिम सदस्यों के बांध की थी।

सिंकंदर-जिन्ना सनझौते का अपना अबग हतिहास है और दूसरी ऐतिहासिक घटनाओं की तरह उसे भी किंतु नहीं हालतों से गुजरना पढ़ा है। मिं. जिन्ना ने सवाल उठाया था कि सर सिंकंदर के हस्तबद्ध होने के बाद यूनियनिस्ट पार्टी रही ही नहीं। यूनियनिस्टों या लोगियों का दावा चाहे जो हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि खुद समझौते में यूनियनिस्ट पार्टी बनी रहने की बात में तूर ही नहीं की गया, बल्कि दोहराई भी गई थी। साथ ही एक दूसरे तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम सदस्यों के कंधों पर अपनी पार्टी के मुसलिम लांग दोनों ही के लिए वफादार होने को जिम्मेदारी आ गई। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि प्रभाव व अधिकार के चाहों को अलग भी कर दिया गया था। सर सिंकंदर को अखल भारतीय मामलों में लांग का दुकम मानना था, लेकिन प्रान्तीय मामलों में वे स्वतंत्र थे आंग लांग के लिए उनका कोई जिम्मेदारा नहीं था। इस प्रकार लांग और यूनियनिस्ट पार्टी के प्रभाव व अधिकार के चाहों का साफ साफ उल्लेख कर दिया गया था।

गोकिं लिङ्गदातालां ने मुसलिम लोग के मंच पर आकर पाकिस्तान का समर्थन पहली बार किया, फिर भी मंत्रिमंडल का पुनर्निर्माण करने या कम-से-कम उसे लोग के पथ पर लाने का मिं. जिन्ना का प्रयत्न असफल हो गया। जिन्ना साहब की न्यूनतम मांग यही थी कि मंत्रिमंडल का नाम यूनियनिस्ट से लोगी कर दिया जाय; किन्तु पंजाब का मुस्लिम लोकमत यूनियनिस्ट पार्टी भंग करने या सर छोटूराम वर्गे रह से ताल्लुक तोड़ने के खिलाफ था। सर सिंकंदर मिं. जिन्ना से बातें करके सहयोग के लिए नहीं हो निर्धारित कर चुके थे। भारी बाद आनेपर तिनके को केवल मुक्त जाना पड़ता है और लद्दू चला जाने के बाद वह फर अपना सिर उठा लता है। सर सिंकंदर के समय यह बाद कभी नहीं आइ आर उनको मृत्यु के एक साल बाद जब वह आई तो तिनके ने उसी पुराना नाम से काम लिया।

अपनी धमकी पूरी करने के लिए मिं. जिन्ना तीन महीने बाद २० अप्रैल को जाहौर आये। उसी समय प्रभावशाली संख्या सरदारों ने एक वक्तव्य निकाला कि मुस्लिम लोग के नाम से जो सरकार बनेगी, चाहे वह मिला-जुला ही बया न हो, उससे वे कोई सम्बन्ध न रखेंगे। मिं. जिन्ना के आगमन से कुछ पहले हिन्दू, मुसलिम आर संख्या जाटों ने अपने एक सम्मेलन में सर छोटूराम का अनुमरण करने की शपथ ली थी। सम्मेलन के अध्यक्ष एक खानबढ़ादुर मुमलमान सज्जन थे, जिन्होंने कहा कि वह पहले जाट और बाद में मुमलमान हैं। डस सम्मेलन में सर छोटूराम को रहवरे-आज्ञा का उपाधि संविभूषित किया गया।

यहाँ पंजाब की बांध भन्न जातियों तथा यूनियनिस्ट पार्टी के जम्म, विजास और सकन्ता के सम्बन्ध में कुछ कह देना भर्संगत न होगा। पंजाब के सम्बन्ध में यह बात बहुत कम लोग

जानते हैं कि हिन्दुओं की तरह सिखों और हुसलमानों में भी जाट होते हैं। दंजाब, संयुक्तप्रान्त व दिल्ली के कुछ प्रदेशों में जाटों की अधिकता है। ११२८ में एक प्रस्ताव था कि दंजाब के हारियाना दिवीजन, अम्बाला दिवीजन, दिल्ली प्रान्त व संयुक्तप्रान्त के मेरठ दिवीजन को मिलाकर एक जाट प्रान्त बनाया जाय। सिखों में अधिकांश जाट ही हैं। मुसलमानों में भी बहुत से जाट हैं। हिन्दू, मुसलिम व सिख जाटों की संख्या कुल मिलाकर डेकरोड के लगभग है।

१२८ में दिल्ली में जाटों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसके स्वागताध्यक्ष एक अवकाशप्राप्त सेशन जज सुहम्मद हुसेन और अध्यक्ष सर छोटूराम थे। उन्होंने नये प्रान्त का नाम जाट प्रान्त रखा और मिं आसफ़ अली द्वारा तैयार की गयी नये प्रान्त की योजना सम्मेलन में स्वीकार की गयी। यह योजना सर फजले हुसेन के आगे उपरिथत की गयी। सर फजले ने योजना की प्रशंसा की, किन्तु कहा कि यह अभी कार्यान्वित नहीं की जा सकती। सर फजले हुसेन-जैसे राजनीतिज्ञ किसी देश में कभी-कभी ही पैदा होते हैं। वे भविष्य का अनुमान कर सकते थे। वे जाटों की जातीय भावना से परिचित थे और वह भी जानते थे कि इस भावना-द्वारा धर्म और प्रान्त के भेदभाव को मिटाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने हिन्दू, मुसलमान और सिखों के एक संयुक्त दल का संगठन किया। सर फजले के बाद सर सिर्फ़दर इस दल के नेता बने। उनके बाद कर्नल लिङ्गहथात खाँ प्रधानमंत्री बने और उन्हें सर छोटूराम का समर्थन प्राप्त हुआ। यूनियनिस्ट पार्टी हर सरीके से राजनीतिक दल था। उसके भवन का निर्माण मजदूर नौकर पर किया गया और उसकी दीवारें चौड़ी व सुष्ठुप्त बनायी गयीं, जिन्हें गिरा देने के क्षिप्र मिं ० जिन्ना बाहुक थे। वे दूसरी बार लाहौर गये। यूनियनिस्ट दल दो भंग करने की अपनी शर्दूल में कायदे-आजम का अपार विश्वास था और वे यह भी ख्याल करते थे कि यदि यूनियनिस्टों के गढ़ को गिराया न जा सके तो कम से-कम उसके नाम को बदला ही जा सकता है, जिस तरह किसी मकान को खरीदने पर या नगर को जंत लेने पर उसका नाम बदल दिया जाता है। परन्तु यह तभी हो सकता है जब उसमें रहनेवाले लोग नाम बदलने के क्षिप्र रजामंद हों और राजी न होने की दाक्षत में उनके द्वारा विरोध किया जाना भी स्वाभार्वक ही है। झगड़ा देखने में तो छोटा था, किन्तु उपर्युक्त में वह एक आधारभूत तथ्य के क्षिप्र था। प्रथम था कि शासन के पांचे धार्मिक शक्ति होनी चाहिए या जातीय बल? इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता था और वह वाहसराय ने पंजाब-सरकार की सफलता की प्रशंसा-द्वारा दिया था। यही उत्तर पंजाब के गवर्नर सर हर्बर्ट लेंसी ने उस समय दिया था, जब उन्होंने कहा था कि दंजाब को प्रधान मंत्री के माले के बांधे पक्का होकर उनकी शक्ति बढ़ानी चाहिए।

एक देश द्वारा दूसरे देश की विजय एक साधारण-सी बात है। अधिक गम्भीर तथा कष्टकर बात जानता पर विजय पाना है। पहली विजय एक सैनिक घटना और दूसरी एक मानसिक प्रक्रिया है। पहली शर्म र पर विजय और दूसरी नैतिक विजय है। मिं जिन्ना को पंजाब-रूपी हुक्मदिन पर विजय पाने में सात घण्टे लग गये। फिर भी उन्होंने उस पर सिर्फ़ अधिकार ही किया, उसके हृदय पर विजय नहीं पाई। हृदय पर विजय पाने के क्षिप्र ही वे लाहौर आये थे। कायदे-आजम ने भीठी-भीठी बातें करके और धमकाकर प्रयत्न किया कि वह अपने स्वर्णीय स्वामी सर सिकन्दरहथात खाँ की याद सुला दे और नये देसी मिं जिन्ना का वरण करले। अब समय आ गया था जब उसे इस नये प्रेसी को स्वामी व पार्ट के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए था।

यही वास्तविक कठिनाई उत्पन्न हुई। यह ठीक है कि एक दिन ७२ पुर्जों की जानापुरी हुई और यूनियनिस्ट दल के सुरिलम सदस्य अपने को जीती कहने लगे। पर यही काफी न था। समय बदल चुका था। पुराने नेता मर चुके थे। पुराने नामों से अब काम चलना कठिन था। यूनियनिस्ट पार्टी मर चुकी थी, फिर भी उसमें कुछ जान बाकी थी। अब जींग का जमाना था। इसलिए सभी सदस्यों को नाम से व दरशवाल शब्द व भावना, वचन व ध्यवहार से जींग होना चाहिए। यह जिन्ना की मांग थी, जिसे अभी मंजूर नहीं किया गया था। दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री के पिता की राय से भी इसमें बाधा पड़ी। पर सर छोटुराम जींग के आगे जरा भी न मुके। सिख मंत्रियों ने यूनियनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखने का अपना दावा वापिस ले लिया। हरिजनों ने भी जींग के समर्पन का आवासन दिया। यदि बर्नल खिल्फात खां पुराने और मथेर, यूनियनिस्ट पार्टी और सुसर्वम जींग, सर छोटुराम और कायदे आजम, जींग के मंच पर पाकिस्तान का राग अलापने और सेक्टेटरियेट में हिन्दुस्तान की हिमायत करने के बीच बाधा बनकर आ जाते हैं हो इसके बिना भी 'जावा का दाम दूँख सब तो है। इसके इस्तावा योग्य पिता का एक योग्य पुत्र भी मंजूर है। यह सच है कि पिता ने कायदे-आजम का अनुशासन पूरी २२२ महीनों माना था, फिर भी मेलर ईक्स्प्रेस्स-हालां से काम दूँख सब तो है, क्योंकि युवा होने के काम उन्हें प्रभावित करना उतना कठिन नहीं है। जाटों का इथान सद्वे हिन्दू मंत्री ले सब तो है और इसके लिए भी सावरकर की रहायता जी जा सकती है। हरिजनों की सहायता तो बहुत ही असर्वत है, क्योंकि समाज के अत्याचारों व पिछली पीढ़ियों की मूर्खता के काम वह अब तक सुलभ न थी। मिं० जिन्ना के विचार दहुत-हुँड़े ऐसे ही थे, जब वे लाहौर से दिल्ली लौट रहे थे। परन्तु उन्होंने अपने विचार, अपना आनंदोक्तर, अपनी चिन्ता, अपना निश्चय, अपनी सफलता व असफलता, अपनी आशाएं व अपनी योजनाएं कुछ उम्र रूप में उपस्थित कीं। उन्होंने सोचा कि मैं 'जावा की रुशामद-सुखामत' बहुत कर चुका हूँ और अब आगे यह मूर्खता न करूँगा। कब मैं अपनी शक्ति की आजमाइश करूँगा और इस बच-प्रयोग में या तो उसे मिटा दूँगा और या खुद मिट जाऊँगा। इन विचारों से प्रभावित होकर कायदे-आजम ने पंजाब की बजारत व असेंबली को अल्टीमेटम दिया कि २० अप्रैल को लाहौर वापिस आने तक उन्हें इस सवाल का आखिरी फैसला कर लेना चाहिए।

विसी किले पर बढ़ाई करते समय जिस तरह ढोक और सुरहियां बजती हैं, वैसा ही गुलगपाड़। जिन्ना की लाहौर-यात्रा के समय हुआ। हिटलर ने घोषणा की थी कि वह स्टालिनग्राद पर विजय पाना चाहता है और पायेगा; किन्तु अन्त में उसे असफलता हुई। मिं० जिन्ना ने घोषणा की कि वे अपने तूफानी इमारे से यूनियनिस्ट पार्टी को भंग करके उसका सदा के लिए खामो कर देंगे, किन्तु दुर्गमति कर्नल खिल्फात खां तियाना ने, जो अनावश्यक बातों की अपेक्षा कार्य में अधिक विश्वास रखते हैं, दुर्गमन को गहरी शिकरत दी और लाहौर के किले को अद्भूत रखा। सच तो यह है संय दर्ही के पक्के में था और जिसके पक्के में संय होता है उस में दैर्घ्य की शर्क्क आ जाती है और वह अपने असंख्य शत्रुओं का भी सामना कर लेता है। पंजाब की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए इमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिये, जिनका विशेष महत्व था:—

( १ ) या यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्यों का अपने पुराने दल में बने रहना डिक्षित था, जिसके अनुशासन में रक्त उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता था ? इस प्रश्न का उत्तर केवल 'हाँ' में ही दिया जा सकता है । चुनाव के यदि कुछ मुस्लिम सदस्य दल को छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं तो कम-से-कम अपनी पहचान जिम्मेदारियों से वे इन्कार नहीं कर सकते ।

( २ ) इन मुस्लिम सदस्यों के कंधों पर नवी जिम्मेदारियाँ वही आहं जो स्वर्गीय सर सिकंद्रहयात खां ने सिकंद्र-जिन्ना समझौते के अनुसार लेना मंजूर किया था ।

( ३ ) क्या वह ममझौता अब भी कायम था ? हाँ, वह तब तक कायम रहा, जब तक १९३७ में निर्वाचक हृदयों के स्थान पर निर्वाचक दलों के ड्रेसार नवाचुनाव नहीं हुआ । नवा चुनाव होने पर यूनियनिस्ट पार्टी को समाप्त रखने का समय आ सकता है ।

( ४ ) पंजाब क्सेंगली में ईंवतहयात रुं वैसे हुने गये ? वे यूनियनिस्ट पार्टी व मुस्लिम लीग के मिले जुले टिकट पर चुने गये थे । या कहा जाय कि उन्हें सिकंद्र-जिन्ना समझौते के अनुसार मुस्लिम लीग टिकट 'मजा' था वर्द्धोंक लीग ने यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्यों के नाम अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिये थे । कन्तल खिज्जहयात रुं ने यह भी जाहिर कर दिया था कि शौकतहयात खां को सचमुच ही मिल-जुला टिकट दिया गया था और इसीलिए मिं० जिन्ना ने उनके पक्ष में कोई वक्तव्य नहीं निकाला था ।

( ५ ) अपनी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग पार्टी रखने से इन्कार करके या खिज्जने सहयोगियों वो दिये अपने वचनों का निर्वाच किया था ? हाँ, जब तक खिज्ज अपने मुस्लिम सार्थियों के साथ यूनियनिस्ट पार्टी से इसी-फा देकर बाकायदा लीग पार्टी में नहीं चके जाते तब तक उन्हें वचनों का निर्वाच करना ही चाहिए था । मिं० जिन्ना को भी खिज्जहयात खां से यही मांग करनी चाहिए थी । परन्तु किसी न किसी बजह से मिं० जिन्ना ने ऐसी मांग न की, क्योंकि उसके खिज्ज द्वारा स्वीकार की जाने की कुछ भी आशा न थी । तीन गैर-मुस्लिम सदस्यों ने भी उनसे यही करने को कहा था, जिसे वे साफ उदा गये । ये बातें इस प्रकार थीं—  
 ( १ ) अखिल भारतीय नीति के आधार पर एक मिली-जुली लीगी सरकार की स्थापना,  
 ( २ ) युद्धकाल तक के लिए पाकिस्तान व उसके सिद्धान्तों का स्वाग, और ( ३ ) लीग युद्ध में बिना किसी शर्त के सहायता प्रदान करे ।

इन माँगों का मिं० जिन्ना ने कोई साफ-साफ उत्तर नहीं दिया । उन की तरफ से सूचित किया गया कि पहचान और दूसरी बातें तो उठती ही नहीं और तीसरी, यानी युद्ध के सम्बन्ध में लीग पहले ही युद्ध प्रयत्नों में बाधा न ढालने की नीति का अनुसरण करती रही है । मिं० जिन्ना के इस कथन से तीनों मंत्रियों ने यही परिणाम निकाला कि वे समझौता नहीं करना चाहते । अहाँ तक शौकतहयात खां के सिकंद्र-जिन्ना समझौते को मानने की बात है उनके २० जुलाई, १९४३ के वक्तव्य से इसकी साफ पुष्टि होती है ।

पंजाब मन्त्रिमंडल के इतिहास में मेजर शौकतहयात खां की दर्रारितगी पृक वही सम-सनीपूर्ण घटना थी ।

अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए शौकतहयात खां ने कहा, 'मेरा ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित मेरे हाथ के भाषण की आखोचनाओं की तरफ दिलाया गया है । ये आखोचनाएँ गलत हैं और उन में मेरी स्थिति को ठीक ही तरह समझा नहीं गया है । मैं अपने आखोचकों

को देना चाहता हूँ कि मेरे कथन का मतलब जिन्ना-सिंकंदर-समझौते व मानवीय स्थिति-इयात तिवारा-द्वारा दिल्ली में ७ मार्च को दिये गये वक्तव्य को हृष्ट में रखते हुए ही लगाना चाहिए। मुझे हुँख सिर्फ इसी बात का है कि मैंने अपने भाषणों में यह साफ-साफ नहीं कहा था कि मैंने जो कुछ कहा उसका अर्थ उपर्युक्त समझौते और वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए ही लगाना चाहिए। मैंने समझा था कि पंजाबी लोग, जिन के बीच में बोल रहा था, इसी आधार पर उस का मतलब लगावेंगे। मेरा यह अंदाज गलत था, क्योंकि लोगों ने मेरे भाषणों का ऐसा मतलब लगाया, जो मेरी मंशा के स्थिताकाल था। इस तरह यह विश्वकूल स्पष्ट है कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की नीति पर ही, जिसे उन के योग्य उत्तराधिकारी ने जारी रखा है, चलता रहेंगा।”

द नवम्बर, १९४३ को मुस्लिम लीग पार्टी की बैठक में मेजर शौकतहयातखां ने दब के नियमों में सिंकंदर-जिन्ना-समझौता शामिल करने के पक्ष में अपना वोट दिया।

मेजर शौकतहयातखां का यह मामला एक पहेजी रहा है, जिस पर उन्हें प्रकाश ढाकना चाहिए था।

सभी बातों पर विचार कर क्षेत्रे के बाद हम हसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि मिं० जिन्ना जिस तरह टेलीफोन पर बातें करते समय प्रधानमंत्री खिज्जहयातखां से नाराज हो गये थे उसी तरह स्यालकोट के पंजाब प्रान्तीय मुस्लिम लीग सम्मेलन में भी उन्होंने अपने स्वभाव की दग्धता का परिचय दिया था। उच्च सांस्कृतिक व्यवहार की बात होकर दी जाय तो कम-से-कम साधारण शिष्टाचार के विचार से ही उन्हें यह कहने से पहले कि मैं यूनियनिस्ट पार्टी का गला छोट कर उसे दफना दूँगा, या शौकतहयात का मामला दैसा ही है जैसा उन्होंने कहता है और पंजाब के गवर्नर को बखर्स्ट कर देना चाहिए, दो या तीन बार नहीं बहिक दस बार सोच-विचार कर क्षेत्रा चाहिए या। मिं० जिन्ना कि ये दोनों कथन असामिक और असंगत ही नहीं थे, बरिक अपने को बड़ा मानने की प्रवृत्ति, निर्णय कर सबने की प्रतिभा का अभाव और झुंझुमता व दूरदृशिता की बड़ी के ही परिणाम थे, जिससे क्रोधी तथा चुनौती देनेवाली मुस्लिम राजनीति को भी बचना चाहिए। अपनी जटिलबाजी और उद्दंडता से विरोधी को उत्तीर्ण दिशा में धरें देना न तो कृतनीतिक है और न स्तुतुर्वाह ही। यह उस हालत में भी उत्तुर्वाह है, जब कनक खिज्जहयातखां १२ मई, १९४४ को दिल्ली में विशेष समिति के सामने अपनी सफाई देने के लिए उपस्थित होनेवाले थे। चुनौती और प्रति-चुनौती परस्पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। कर्नल लिङ्ग के मामले पर विचार होने से ठीक दो दिन पहले मंटे-मंटे शीर्षकों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि “शौकतहयातखां पर अन्याय व अनुचित कार्रवाई के लिए मामला चलाया जायगा या नहीं।” घटनाएं जिस प्रकार की हुई थीं उन पर कोई खेद प्रकट किये जिन नहीं रह सकता था—विशेषकर इसकिए और भी कि एक उच्च घराने के युवक के सैनिक व गैर-सैनिक जीवन का तो अचानक अंत हो ही गया था, साथ ही उसके उच्च कुछ को भी धब्बा लग रहा था।

कहा जा सकता है कि स्यालकोट जिन्ना साहब का राजनीतिगत ही सिद्ध हुआ। वे स्यालकोट के सम्मेलन में सिंह के समान गर्जे। आपने पंजाब के गवर्नर को बखर्स्ट किये जाने और उसके प्रधान मंत्री का सिर उड़ा देने की मांग की। आपने यूनियनिस्ट पार्टी की हस्ता करके उसे दफना देने का भी दरादा जाहिर किया। परन्तु वे बस्तुस्थिति से विश्वकूल अपरिचित भी न थे। तभी वो उन्होंने सिंहों से अपनी शर्तें पेश करने का अनुरोध किया। मिं० जिन्ना ने यह भी

कहा कि सिखों-द्वारा मिले जुले लीगी मंत्रिमंडल के समर्थन का मतलब यह कभी न जागाया जायगा कि वे पाकिस्तान के भी हासी हैं। अंग्रेजों से उन्होंने प्रश्न किया कि मैं (मिं जिन्ना) ने युद्ध-प्रयत्नों का विरोध कर किया? कायदे-आजम ने दृग्मैदृश, अमरीका, भारत तथा अन्य देशों की जनता में इस प्रचार पर नाराजी प्रकट की कि सुरियम लीग युद्ध-प्रयत्नों तथा युद्ध के सफलतापूर्वक चलाये जाने के विरुद्ध है।

लेकिन पिछले तीन वर्षों में जो-कुछ हुआ उसकी याद जनता भूली न थी। स्थानकोट-मम्मेलन अप्रैल १९४४ के अंत में हुआ था। यदि लीग के १९४० के लाहौर बाले अधिवेशन से लेकर अब तक के वक्तव्यों, प्रस्तावों और मुलाकातों का अध्ययन किया जाता तो उनमें पाठक की दृष्टि पेसे विचारों, मतों व नीतियों पर पड़ती, जिन्हें परस्पर असंगत ही वहा जायगा। लीग की कार्यसमिति ने १५ और १६ जून १९४० को एक महाघूण प्रस्ताव पास किया था। इसके कुछ ही सप्ताह बाद मिं जिन्ना ने २६ सितम्बर, १९४१ को कहा कि लीग की बात माली न जाने के कारण वे वाहसराय की कोई सहायता नहीं कर सकते। जिन्ना साहब ने सभी बातें गम्भीरतापूर्वक कही थीं। बाद में कायदे-आजम ने किस तरह सर लिंकंदरहयातखां को वाहसराय-द्वारा स्थापित नेशनल डिफेंस कॉसिल से इर्तीफा देने को मजबूर किया था—यह भी मिं जिन्ना और ब्रिटिश सरकार को समरण ही होगा। बंगाल के प्रधानमंत्री मिं फजलुल हक से मिं जिन्ना के तात्कालिक मण्डे का मुख्य कारण यही था कि कायदे-आजम के आदेश पर उन्होंने डिफेंस कॉसिल से इस्तीफा नहीं दिया था। इसमें भी अधिक, क्या सुरियम लीग ने अपने मंत्रियों तथा अपनी प्रान्तीय व अन्य समितियों को प्रान्तीय युद्ध-समितियों में शामिल होने से रोका न था? और फिर वह पत्र-व्यवहार भी मौजूद है, जिसमें मिं जिन्ना ने वाहसराय लार्ड लिनलिथगो से साफ लफ्जों में कह दिया था कि लीग सरकार के युद्ध-प्रयत्नों में तब तक सहयोग नहीं दे सकती जब तक उसकी पाकिस्तान की मांग मंजूर नहीं की जाती। फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन सब रुकावटों के बावजूद लीग के नेताओं ने युद्ध-प्रयत्न में सहायता पहुँचाने से हाथ नहीं खींचा था। लीग के किसी भी प्रतिष्ठित नेता'ने युद्ध-प्रयत्नों के समर्थन में कभी कोई भाषण नहीं दिया। यदि वे पेसा करते तो निश्चय ही लीग के प्रस्तावों के विरुद्ध कार्य करते। यदि अब वे युद्ध-प्रयत्नों के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो वे साथ ही यह पछने की जुर्रत नहीं कर सकते कि लीग या मिं जिन्ना युद्ध-प्रयत्नों के विकाफ कर थे?

### उडीसा

पहले उडीसा में कांग्रेस का बहुमत था। कांग्रेस के कुछ सदस्य जेल में रहने के समय पालेंकामेडी के महाराज के नेतृत्व में अल्पसंख्यक दल ने एक मंत्रिमंडल कायम किया। यह मन्त्रिमण्डल थोड़े ही समय तक चला, किन्तु उसके मौजूद रहने की अवधि के भीतर १९४५ में ही एक विचिन्न घटना हुई। मार्च, १९४२ में एक कांग्रेसी उम्मीदवार ने प्रान्तीय असेम्बली के एक उप-चुनाव में भाग लिया। उसे अपने दल का पूरा समर्थन प्राप्त था और वह २०७ के विरुद्ध ६४६ वोटों से जुन लिया गया। लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार माला जाता है कि उप-चुनाव के परिणाम से लोकमत का अन्दाज लगता है और वही इस उप-चुनाव से भी प्रकट हुआ। परन्तु उप-चुनाव के विरुद्ध एक अर्जी की गयी और गवर्नर ने एक डिस्ट्रिक्ट जज व दो वकीलों का एक टिक्क्यूनक इस अर्जी पर विचार करने के लिए नियुक्त कर दिया। अर्जी पर विचार करते समय ही ट्रिक्यूनक ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वी. विश्वनाथदास के नाम आदेश

जारी कर दिया कि वे सुन्तुत हाजिर होकर बतावें कि नियमित से अधिक लचं करने के कारण उनके विश्व कार्रवाई वयों में की जाय। गोकिं श्री दास ने कहिती ही बार अनुरोध किया कि उन्हें अपनी सफाई देने की सुविधा दी जाय, किन्तु सुनवाई से सिर्फ पांच दिन पहले अपने बकील से एक घंटा मिला सकने के अलावा उन्हें और कोई सुविधा नहीं दी गई। उन्हें द्रिष्ट्युभक्त के सामने जाने तक की इजाजत नहीं मिली। परिणाम यह हुआ कि गवर्नर ने उन्हें छः साल तक असेम्बली का सदस्य होने के अधिकार ठहरा दिया और उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि चुनाव के सम्बन्ध में जो अर्जी दी गयी थी वह न तो उनके विश्व थी और न वे उम्मीदवार के 'एडेंट' ही थे। फिर भी उन्हें प्रायः यही माना गया और दर्दित किया गया। श्री दास ने वाहसराय के सम्मुख एक अर्जी दायर करके प्राप्ति ना की कि मामले को पेडल कोर्ट के आगे उपस्थित करने की अनुमति दी जाय। श्री दास की आपत्ति यह थी कि गवर्नर ने धारा २०३ के (०) के सम्बन्ध में जो नियम बनाये वे उन्होंने तत्कालीन मंत्रिमंडल की सलाह के बिना बनाये थे, जबकि कायदे से उन्हें उसकी सलाह लेनी चाहिए थी। उनकी दृसरी आपत्ति यह थी कि चुनाव-कर्मशरणों में से को हाईकोर्ट के जज महीने बन सकते थे और इसलिए वहा जा सकता है कि द्रिष्ट्युता की नियुक्त ठीक तरह नहीं हुई। कुछ अन्य अनियमित कार्य भी हुए। धारा २०३ इस प्रकार है:—

(१) यदि गवर्नर-जनरल कभी अनुभव करे कि कानून का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है अथवा उपस्थित हो सकता है, जिसका सार्वजनिक महत्व है और जिसे उचित मंत्रालय प्राप्त करने के लिए फेडरल कोर्ट के सियुर्द किया जाना चाहिए तो वह उसे रिपोर्ट पेश करने के लिए फेडरल कोर्ट के सिपुर्द कर सकता है और कोर्ट जो सुनवाई करना चाहिए समझे, वह करके गवर्नर-जनरल के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है।

(२) इस धारा के अन्तर्गत केवल सुनवायी के समय उपस्थित अधिकांश जजों की रजामन्दी से ही कोई रिपोर्ट पेश की जा सकती है, किन्तु जिस भी जज का मतभेद हो वह अपना मत अलग से प्रकट कर सकेगा।

१९४४ के आरम्भ में अक्टूबर हैं फैलाई गईं कि उडीसा-असेम्बली के कितने ही सदस्यों ने जेल से खाली-समर्थ्य पर सहयोग करने तथा तत्कालीन मंत्रिमंडल का समर्थन करने की हच्छा प्रकट की है। यहां तक कहा गया कि ऐसे सदस्यों की संख्या सात है, किन्तु बाद में यह समाचार असत्य प्रमाणित हुआ।

### आसाम

अब हम आसाम को लेते हैं। आसाम उन प्रान्तों में नहीं है, जिनमें १९३७ में कांग्रेस का बहुमत था। परन्तु सर साटुल्ला के विश्व अविवास का प्रस्ताव पास होने पर जब उनके मंत्रिमण्डल का पतन हो गया तब बार्डोलोई मंत्रिमण्डल उसकी जगह कायम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री बार्डोलोई ही था। एक अन्य मंत्री ही कांग्रेसजन थे। कुछ अन्य मंत्री कांग्रेस में सम्मिलित हो गये थे। जब बार्डोलोई ने अन्य कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के साथ १९३८ में दूसरीका दिया तो साटुल्ला-मंत्रिमण्डल किर कायम हुआ और उसने अपनी शक्ति बढ़ा ली।

१२ मार्च, १९४२ को आसाम-मंत्रिमण्डल प्रान्तीय असेम्बली में हार गया और उसे दूसरीका देना पड़ा।

फिर सरकारी पक्ष ने मिली-जुली वजादत बनाने के लिए कांग्रेसी वृक्ष की शर्तें स्वीकार कर

लीं। निश्चय हुआ कि नवी वजारत को सभी दखों का समर्थन तथा विश्वास प्राप्त हो। सरकारी दख ने सर साहूलका को विरोधी दख से अन्य विषय तथा करने का भी अधिकार दे दिया। जिन शर्तों को स्वीकार किया गया उनमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई, सार्वजनिक सभाओं तथा जुलूसों से रोक हटाया जाना तथा सरकार की नाज वसूल करने तथा उसे उपबङ्घ करने की नीति में परिवर्तन मुख्य थीं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री गोपीनाथ बांदोलीहू ने सर सुदमद साहूलका से तथ कर लिया था कि यदि उपर्युक्त शर्तें मान ली जायें तो कांग्रेस पद-प्रहरण म करके भी मौजूदा वजारत का नैतिक समर्थन करने को तैयार हो जायगी। बाद में यह समझौता भंग होगया और शिमला-सम्मेलन के समय आशा की जाने लगी कि आसाम में मिली-जुली कांग्रेसी वजारत कायम हो सकेगी।

१९४३ और १९४४ में स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक अहंगा दूर करने के जिन प्रयत्नों को मरकार से प्रोत्साहन मिल रहा था उनका मुख्य उद्देश्य प्रान्तों में वजारते कायम करना था। हरादा यह था कि सुबों में वजारते कायम होने के बाद कहा जायगा कि राजनीतिक अहंगा समाप्त हो गया। मध्यप्रान्त में वार्ता लीगी व गैर-लीगी मुसलमानों के एक ही वजारत में शामिल करने में कठिनाई होने के कारण भंग हो गयी। इसके अलावा लीग किसी ऐसी वजारत में भी शामिल नहीं होना चाहती थी, जिसमें कांग्रेस और हिन्दू महासभा का सहयोग प्राप्त न हो। मध्यप्रान्त, बिहार, संयुक्तप्रान्त और मद्रास में मन्त्रिमंडल कायम करने का कोई आकायदा प्रयत्न नहीं किया गया और जो हक्के प्रयत्न किये गये वे सफल नहीं हुए। सर विजय ने, जो अंतर्कालीन सरकार में (मार्च से जून १९४७ तक) न्यायमंत्री थे, वजारत कायम करने के प्रयत्नों को ऐसी हालत में, जबकि नेता जेलों में हैं, बेईमानी बताया। आपने कहा कि कांग्रेस के राजी होने से पहले वजारत में हिंसा जेना बिल्कुल दूसरी ही बात थी। बम्बई ध्यापार-मंडल की बैठक में भाषण करते हुए बम्बई के गवर्नर ने कहा—

“जब उच्चति और सद्भावना की प्रतीक—वैधानिक सरकार फिर से कायम होगी तो उसका मैं स्वागत करूंगा।”

मद्रास में फिर से कांग्रेसी वजारत कायम करने का सवाल उठाया गया और २७ दिसम्बर, १९४२ को प्रान्तीय असेंबली के हरिजन सदस्यों का एक सम्मेलन हुआ, जिस में उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक डेपुटेशन के रूप में गांधीजी से मिलने का निश्चय किया गया। सम्मेलन ने गांधीजी का ध्यान विशेष रूप से हरिजनों के हितों की ओर आकर्षित किया और कहा कि गांधीजी हरिजन सदस्यों को गैर-हरिजन कांग्रेसी सदस्यों के साथ मन्त्रिमंडल बनाने में सहायता प्रदान करें। साथ ही गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया और उस के रवास्थानाम के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गयी। सम्मेलन में कांग्रेस के नेताओं—विशेषकर कार्यसमिति के सदस्यों—की सुरंत रिहाई की मांग की गयी, जिससे राजनीतिक अद्दों के दूर होने का रास्ता साफ हो सके।

कांग्रेस तथा गांधीजी के नेतृत्व में विश्वास तो सर्वसम्मति से प्रकट किया गया, किन्तु मन्त्रिमंडल बनाने के औचित्य के प्रश्न पर सदस्यों में काफी मतभेद था। परन्तु यह स्वीकार किया गया कि हरिजनों के हितों की रक्षा सिर्फ कांग्रेस के समर्थन से ही हो सकती है, इसलिए मिली-जुली वजारत कायम करने के प्रस्ताव के लिए कांग्रेसी अ-हरिजन सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।

मद्रास में कांग्रेसी वजारस कायम करने के प्रयत्न का श्रीगणेश जिन हरिजन सदस्यों ने किया था उनका बहुता था कि कांग्रेस दल ने हरिजन सदस्यों को हरिजन-हितों से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों में स्वतंत्र मत रखने की जो आजादी दे रखी है उससे उन्हें बाभ उठाना चाहिए। मद्रास के भूहपूर्व मेयर श्री जै० शिवशंघम् के पत्र का गांधीजी ने जो उत्तर दिया था उस का भी हवाला उन्होंने दिया। श्री शिवशंघम् ने मद्रास में लोकप्रिय सरकार की आवश्यकता बताते हुए कहा था कि कांग्रेसी भूत्रिमंडल के हरतीका देने के समय से हरिजनों के हित-सम्बन्धी कार्यों, उसे मंटिर-प्रवेश व सामक वस्तु-चिकित्सा आदि की उपेक्षा होती रही है।

गांधीजी ने पत्र का उत्तर देते हुए कहा था कि हरिजनों को वही करना चाहिए, जिसे वे अपने हित में सबोंत्तम समझें। सम्मेलन में वहा गया कि लोकप्रिय सरकार कितने ही तरीकों से हरिजनों की आवश्यकता में सुधार कर सकती है। गांधीजी के पास हेपुटेशन भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से रथीकार बिया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि हरिजन सदस्य गांधीजी की सज्जाह के अनुसार कार्य करेंगे।—[एसोशियेटेड प्रेस ।]

### बिहार

बजारत बनाने में बिहार को दोहरी अधिक सफलता नहीं हुई। बिहार असेम्बली में विरोधी दल के नेता श्री सी० पी० एन० सिह ने ५ जून को अपने एक वक्तव्य में कहा:—

“बिहार असेम्बली में विरोधी दल के नेता की हैसियत से सब से पहले नुस्खे ही नयी परिस्थिति के सम्बन्ध में जनता को सूचित करना चाहिए था, किन्तु जलदबाजी करने या जनता को उत्तेजित करने की आदत न होने के कारण मैं ने समाचरपत्रों में कुछ प्रकाशित नहीं कराया। मैं अधिकारपत्रक कह सकता हूँ कि गवर्नर द्वारा मिं० यूनुस को भूत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाने का समाचार बिल्कुल निराधार है।

“जहाँ तक मुझे जात हुआ है मिं० यूनूस २५ मई के लगभग गवर्नर से रांची में मिले थे। वहाँ उन्होंने गवर्नर से कहा कि एसेम्बली के कुछ लोगों के मिलकर गुट बनानेसे स्थायी सरकार नहीं कायम हो सकती। तब गवर्नर ने मुझे सूचित किया। मैं असेम्बली के सदस्यों तथा जनता को बता देना चाहता हूँ कि विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर देने की जो वैधानिक परम्परा है उसे सर्वथा स्थायी नहीं दिया गया है। प्रान्त के शासन में जनता के सहयोग-द्वारा वर्तमान अंदंगों को दूर करने के लिए मैं कुछ भी उठा नहीं रखूँगा और इस इष्टि से अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होते ही जनता को तुरंत सूचित करूँगा।”—[एसोशियेटेड प्रेस और यूनाइटेड प्रेस ।]

### मंत्रिमंडलों का निर्माण

प्रान्तीय असेम्बलियों के कांग्रेसी सदस्यों तथा कांग्रेसी नेताओं के जेज्ज में बंद होने के कारण अन्य राजनीतिक दलों को मंत्रिमंडलों के निर्माण के लिए खुला मैदान मिल गया। इसी कारण हिन्दू महासभा और मुसलिम लीग में एक विरोधी सहयोग भी स्थापित हो गया। ११३७ के आम चुनाव में ७३, १६.४४५ मुस्लिम लीटों में सींग को केवल ३, २१, ७७२ वोट यानी कुल ढाले गये मुस्लिम लीटों में से उसे सिर्फ ४४ प्रतिशत वोट ही मिले थे। ६२ प्रतिशत मुस्लिम आबादीवाले सीमाप्रान्त में सींग को कुल मुस्लिम लीटों में से सिर्फ ५ प्रतिशत ही प्राप्त हुए थे। फर भी सरकार की छूपा से सीमा के प्रान्तों में जीनी प्रधानमंत्रियों वा जीनी विचारवाले प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनने के लिए किछी एकने लगी। यह इस

हिन्दू महासभा के लिए अपवानोपयथा। इसलिए चुनाव में लोग से अधिक असुख होने के बावजूद हिन्दू महासभा के नेता हिन्दू बहुमतवाले प्राभुतों में मीठे सपने देखने लगे। जब कि लोग को सरकार का स्त्रीकृति १६३७० में भिजी थी, महासभा को अपना प्रमाणपत्र अग्रस्त, १६४० में वाहसराय के दस्तखत और एमरी को स्त्रीकृति से प्राप्त हुआ। सरकार ने हिन्दू धर्म और हस्ताम दोनों ही को भारतीय राजनीति के अरान्त समृद्ध में एक-दूसरे के विरुद्ध अपनी शक्ति बढ़ाने का अधिकारपत्र दे दिया। इससे उनको अपनी हानि होती थी, पर सरकार की प्रभुता और शक्ति में बढ़ि दुर्दि हुई।

हिन्दू महासभा तो खुल्जे-आम जूठन से पेट भरने के लिए आगे बढ़ी और उधर मुस्लिम लोग, जो भारत को स्वाधीनता का प्रयत्न ध्येय बना चुकी थी, अंग्रेजों की सहायता और उन्हीं के संरक्षण में सिर्फ मुसलमानों की स्वाधीनता का प्रयत्न करने लगी। दोनों ही ने बजारते कायम करने में अपनी ताकतें लगा दीं। जब कि लोग गवर्नर-जनरल व गवर्नरों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ा रही थी, हिन्दू महासभा के अध्यक्ष ने ६ जून, १६४३ को अपना आनंदोलन आरम्भ कर दिया। जिस हिन्दू जाति ने श्री सावरकर को ३,००,००० रु की थैला भेट की—जिस का उद्देश्य स्पष्टतः महासभाई उसमीदवारों के चुनाव का खर्च निकालना था—उसे उन्होंने यह तोहफा दिया। उन्होंने नये मंत्रिमंडल कायम करने के लिए निर्मन आदेश-पत्र निकाला:—

“हिन्दू-अत्यपसंख्यावाङ्मे जिन भो प्रान्तां में सुस्तिम संत्रिमंडल अनिवार्य जान पड़े—चाहे यह मंत्रिमंडल लोग के नेतृत्व में बन रहा हो या नहीं—और हिन्दू-हितों की रक्षा उन मंत्रिमंडलों में शरीर होने से होती हो, वहाँ हिन्दू महासभाहों को मंत्रिमंडल में अधिक-से-अधिक स्थान प्राप्त करने तथा अत्यपसंख्यक हिन्दुओं के हितों की रक्षा करने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि न्यायोचित तथा देशमकिरण उद्देश्यों का सामने रखकर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाये जायें तां इससे सिर्फ ज्ञान ही नहीं होगा, बलिक साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ेगी, परायेपन की भावना दूर होगी और धर्म व जाति के भेद रहते हुए भी एकता की तरफ प्रगति हो सकेगा।”

मंत्रिमंडल कायम करने के लिए हिन्दू महासभा को जिन सिद्धान्तोंपर चलना चाहिए उनका स्पष्टोक्तण करते हुए श्री सावरकर आगे कहते हैं:—“मुस्लिम मंत्रिमंडल जब भी पाकिस्तान या अर्जन्न होने के लिए अत्यनियंत्र के सिद्धान्त का समर्थन करे तभा हिन्दू महासभा के प्रतिनिधियों को उसका विराघ करना चाहिए। मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से जो भी हिन्दू-विराधी कार्य करे उसके विहृद्या प्रान्ताय समाजों का प्रान्दाजन करने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए और जिन हिन्दू मंत्रियों ने हिन्दू-विराधी कार्यों का विरोध किया हा उन्हें इसका दिने की न कहना चाहिए। हमें अपने सामने यह सिद्धान्त रखना चाहिए कि मंत्रिमंडल के पूर्ण बहोकार से हिन्दू-हिता की हानि ही होने की सम्भावना अधिक है। वर्तमान परिस्थिति में हिन्दू महासभा को अधिक-से-अधिक महत्वपूर्ण स्थानों पर फूजा कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में विधान-निर्माण करते समय लीग और कांग्रेस के साथ-साथ वह भी हिन्दू-दल के रूप में अपने अधिकारों का दावा उपस्थित कर सके।”

श्री सावरकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी मंत्रिमंडल को सिर्फ इसालिए कि उसका प्रधानमंत्री या अधिकारी सदस्य मुस्लिम लोगों या मुसलमान हैं, ‘जागा मंत्रिमंडल’ या ‘मुस्लिम मंत्रिमंडल’ न कहना चाहिये। यदि मंत्रिमंडल में हिन्दूसभाई या हिन्दू-मंत्री हैं तो उसे संयुक्त या मिलाउना मंत्रिमंडल ही कहा जायगा। कांग्रेस-मंत्रिमंडलों को ‘कांग्रेसा’ कहा

जाना तो ठीक था, क्योंकि उसके प्रत्येक सदस्य को कांग्रेस के सिद्धान्तों पर हस्ताचर करना पड़ता था।

श्री सावरकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदू-बहुमतवाले प्रान्तों में हिन्दूसभाइयों व अन्य हिन्दुओं को मिलकर मिली-जुली वजारतें कायम करनी चाहिए। पाकिस्तान या प्रान्तों के पृथक् होने के प्रश्न को मंत्रियों के अधिकार के बाहर छोड़ देना चाहिए ताकि उसका निर्णय युद्ध के बाद किया जा सके। लीग के सदस्यों व दूसरे मुसलमानों को वजारत में शामिल होने के लिए बुलाना तो चाहिए, किन्तु उनकी संख्या का अनुपात प्रान्त में मुसलमानों के अनुपात से अधिक न होना चाहिए। हिंदू बहुसंख्यक प्रान्तों में प्रधानमंत्री सदा हिंदू ही होना चाहिए, जो अहिन्दुओं के हितों की तरह हिन्दुओं के हितों की रक्षा करने का वचन खुले शब्दों में दे सके। वक्तव्य के अंत में श्री सावरकर ने कहा कि मैंने मंत्रिमंडल-निर्माण करने के मुख्य सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला है किन्तु विस्तार की बातें प्रान्तीय हिन्दू सभाओं के निर्णय पर छोड़ी जा सकती हैं।

हिन्दू महासभा के उपर दिये गये व सुस्तिक्षम लाग के आदेशों में लोकतंत्री सिद्धान्तों का ध्यान तनिक भी नहीं रखा गया है। प्रान्त में गवर्नर ही ईश्वर है। चीफ सेकेटरी प्रधान पुजारी है। जुलाई, १९३७ में वजारत बनाते समय वायसराय ने कांग्रेस को जो आश्वासन दिये थे उनकी भी कोई चर्चा नहीं की गयी है। ये आश्वासन सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, बल्कि देश भर को दिये गये थे। जिन मुस्तिक्षम-बहुमतवाले चार प्रान्तों ने जुलाई, १९३७ में वजारतें कायम की थीं उन्हें भी सात कांग्रेसी प्रान्तों के समान ही आश्वासन पूरे करने का मांग करने का हक था। परन्तु लीग या महासभा ने यह प्रश्न उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि दोनों ही संस्थाएं वजारतें कायम करने या उन्हें कायम रखने में गवर्नर-जनरल, गवर्नर व नौकरशाही के हथियारों का काम कर रही थीं। इन साम्प्रदायिक दलों ने लोकतंत्रवाद की घटियां उड़ा दीं, क्योंकि धारासभाओं के बहुमत की आवाज को गवर्नरों का आवाज ने क्षीण कर दिया था। प्रान्तीय स्वाधीनता का भी दिवाला निकल गया, क्योंकि कांग्रेस-द्वारा प्राप्त आश्वासनों की बजि चढ़ा दी गयी। संयुक्त उत्तर-दायित्व भी नहीं रहा, क्योंकि मंत्रियों का एक दब पाकिस्तान का समर्थक था और दूसरा उसका विरोधी था। कांग्रेस ने जिस अद्वालिका को चौथाई शतावरी के कठिन परिश्रम से खड़ा किया था उसे साम्प्रदायवादियों ने साम्राज्यवादियों के सहयोग से साल भर में ही धराशायी कर दिया।

वजारतें बनाने की इस कशमकश के बीच श्री एम० एन० राय ने एक बिलकुल नये ही सिद्धान्त को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि श्रसेम्बलियों के कांग्रेस-सदस्यों ने अपने को कानून की पहुँच के बाहर कर लिया है और जो कांग्रेसी मुक्त हैं वे दूसरे दलों में सम्मिलित नहीं होंगे, इसलिए गवर्नरों को जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों में से मंत्रियों का चुनाव करना चाहिए। आपका मत था कि धारासभाओं में चुने गये लोग केवल उस १० प्रतिशत जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे मताधिकार प्राप्त है। इसलिए गवर्नरों को अधिकार उन लोगों को सौंपने चाहिए, जो शेष जनता के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिनिधि वही हैं। यह सुझाव इतनी चतुराईपूर्वक किया गया कि यदि श्री राय जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने-वाली संस्थाओं—नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी व आज इंडिया लेबर फेडरेशन का नाम न लेते तो सुझाव को उसके नगन-रूप में देख सकना असम्भव हो जाता।

संयुक्त गन्त, विहार व मध्यप्रान्त आर फिर अंत में मदास व बम्बई प्रान्तों में वजारतें कायम करने की कोशिशों को इतनी भी कामयादी नहीं हुई। वहाँ लोकमत कांग्रेस के पक्ष में रहा।

और नयी वजारते कायम करने के प्रयत्नों की निंदा की गयी। 'सर्वेन्द्रस आक इंडिया सोसाइटी'- जैसी नर्म तथा संयत विचारवाली संस्था ने जून, १९४४ के दूसरे सप्ताह में होनेवाली अपनी वार्षिक बैठक में राजनीतिक परिस्थिति, तत्कालीन गति-अवरोध, नयी वजारते कायम करने और समाचारपत्रों में इस सम्बन्ध में होनेवाले आनंदोद्धन पर विचार किया। सोसाइटी ने अपने प्रस्ताव में धारा ६३ के अनुसार शासित कुछ प्रान्तों में बहुमत प्राप्त किये बिना ऐसे मन्त्रिमंडल कायम करने के प्रयत्नों की निंदा की, जो गवर्नरों की सहायता से और कांग्रेसजनों की अनुपस्थिति में ही कायम रह सकते हैं। ऐसी वजारतों में मंत्री गैर-सरकारी सलाहकार से अधिक और कुछ न होंगे, क्योंकि वे अपने पदों पर बहुमत की जगह सरकारी समर्थन के बल पर कायम रह सकेंगे। हन मन्त्रिमंडलों की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय चेत्र में भ्रम फैलेगा और ऐसा ज्ञानेगा जैसे प्रान्त में लोकतंत्रवादी शासन चल रहा हो। धारा ६३ को समाप्त करने का एकमात्र तरीका प्रान्तों में आम चुनाव करना और उस चुनाव के नतीजे को देखकर वजारते कायम करना ही है।

जबकि तटस्थ ज़ेलों का मत इस प्रकार प्रकट हो रहा था, कांग्रेसी मत बिहार व मध्यप्रान्त में ऐसे अनियमित मन्त्रिमंडल स्थापित करने के विरुद्ध प्रकट हुआ। अब सभी कांग्रेसी सदस्य ज़ेलों में नहीं थे। कुछ अपनी मियाद खराम कर चुके थे, कुछ न जरबंदी से छूट चुके थे, कुछ जेल गये नहीं थे और कुछ को सरकार ही ने गिरफ्तार नहीं किया था। बिहार व मध्यप्रान्त में जो कांग्रेसी एम. एल. ए. ज़ेलों के बादर थे उन्हें चेतावनी मिल चुकी थी कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से कुछ न करके मिलकर और सलाह करके ही कोई कार्य करना चाहिए। जून के मध्य में बिहार असेम्बली के कांग्रेसी सदस्यों का एक सम्मेलन हुआ और उसमें मन्त्रिमंडल बनाने से इन्कार कर दिया गया। हसी प्रकार नागपुर से श्री कालाप्पा ने एक वक्तव्य प्रकाशित करके वजारत कायम करने से इन्कार कर दिया।

: २१ :

## लिनलिथगो गये

विदेशी सरकार मुसोबत के वक्त एक दिमागी चाक यह चलती है कि वह जनता का ध्यान नाराजी की वजह से हटा कर किसी ऐसी बात की तरफ खोचती है, जिस की ओर वह सहज ही में आकर्षित हो जाय। ऐसे वक्त जब कि सब का रोष एक ऐसे वाहसराय के व्यक्तित्व में केन्द्रित हो, जो अपने कार्यकाल का ढ्योड़ा वक्त पूरा कर चुका हो, अखबारों में उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की चर्चा बार-बार होने से उस रोष में कमों होने की कुछ तो आशा की ही जा सकती है। कम-से-कम लोग इस सोच-विचार में तो पढ़ ही सकते हैं कि शायद नया वाहसराय इस से अच्छा हो या वह नयी नीति पर ही अमल करने लगे। नये वाहसराय में क्या गुण होने चाहिए और जिन लोगों के नाम अखबारों में लिये जा रहे हैं उन में ये गुण कहां तक माजूद हैं? उसे स्वतंत्र विचार, सूक्ष्मता, हिम्मत और इतनी सहानुभूतिवाला व्यक्ति होना चाहिए कि वह दुखते हुए बाबों और नामूरों को भर सके। क्या नया वाहसराय ऐसे स्वाधीन भारत की नींव रख सकेगा, जो युद्ध के बाद ब्रिटेन से दोस्ती बनाये रखे। क्या वह हिन्दुस्तानियों के ही हाथों में उस इमरात को तैयार करने का काम छोड़ेगा, जिस में उन्हें रहना है, या वह इंग्लैंड के उस कट्टरपंथी दल की परम्परा पर ही चलेगा, जो सदा से साम्राज्यवाद और पूंजावाद का हामी रहा है? उस समय लार्ड लिनलिथगो के उत्तराधिकारी के लिए कितने ही नाम लिये जा रहे थे। लेकिन चुना वह गया, जिसको आशा सब से कम थी।

सर आर्किव्वल्ड वेवल अवधार प्रदृश करनेवाले वाहसराय को अधीता में प्रधान मेनापति के रूप में काम कर रुके थे। इसने लार्ड कार्नवालिस के मिंडुंडास के नाम उस पत्र ही याद आती है, जिस में उन्होंने बताया था कि भारत के गवर्नर-जनरल में किन बातों का होना जरूरी है। लार्ड कार्नवालिस ने लिखा था:—

“गवर्नर-जनरल के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति होनी चाहिए, जो न तो कभी खुद लिविंग सर्विस में रहा हो और न जिस का उस के सदस्यां से सम्बर्ध रहा हो, जो अपने दूसरे साधियों को तुलना में पढ़ का दृष्टि से काफ़ा ऊंचा हो और जिसे इंग्लैंड में सरकार का समर्थन प्राप्त हो।” इस पत्र के लंदन पहुंचने से पूर्व ही सर जान शार को नियुक्त कर दो गये और डन के लगभग १०१ साल बाद सर आर्किव्वल्ड वेवल को वाहसराय व गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया।

१९६० में सम्राट् एडवर्ड सातवें ने लार्ड मिंटो के बाद लार्ड किचनर को हिन्दुस्तान का वाहसराय बनाने के लिए बहुत जोर ढाका था, किन्तु लार्ड मार्ले ने उडच राजनीतिक पद पर एक योद्धा को नियुक्त करने का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया। लार्ड मार्ले ने सम्राट् को लिखा कि

शासन-सुधार जारी करने के लिए अपने सर से बड़े सेनानी को भेजने से ये सुधार मजाक ही जान पड़ेंगे। परन्तु इस बार सुधार जारी करने के लिए नहीं, बल्कि सुधारों और कान्ति के पक्ष युग का श्रीगणेश करने के लिए—हिन्दुस्तान को ब्रिटेन की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए लार्ड वेवल की नियुक्ति की गयी। लार्ड मार्ल की विचारधारा का प्रभाव १९२६ तक या और स्वयं वेवल भी उससे अद्भुत नहीं थे। यह लार्ड वेवल-द्वारा इसी वर्ष केम्ब्रिज के विद्यार्थियों के आगे कहे गये इन शब्दों से जाना जा सकता है—

“राजनीतिज्ञ को दूसरे के तर्क को काट कर उसे अपने मत का बनाना पड़ता है और इसोलिए उसे खुद भी दूसरे की आलोचना और तर्क सुनने के लिए तेवार रहना पड़ता है यानी उसके विचार सुनिश्चित नहीं होते। इसके विपरीत एक सैनिक, जो आदेश देता है और बिना सांचे-समझे खुद भी दूसरे के आदेश का पालन करता है, अपना मस्तिष्क सुदृढ़, अनुशासित तथा सुनिश्चित रखता है।

“इसलिए राजनीतिज्ञ और सैनिक के पेरां को अदल-बदल पिछला सदा के साथ ही सम हो गयी...। अब कोई व्यक्ति दोनों पेरों में एक साथ जाने का विचार नहीं कर सकता।”

इस तरह, लार्ड कार्नवालिस-द्वारा दिये गये कारणों के अलावा यह एक आर भा दलाल लार्ड वेवल को नियुक्ति के लियाफ था। पर नागरिक वेवल ने सैनिक वेवल को गङ्गत साबित कर दिया। अब सबाल था कि यह लेखक और चरितकार, यह योद्धा और रणनीति-विशारद, यह बहुभाषा-भाषी, जो स्टालिन से रूसों भाषा में बातचात कर चुका है और रूसों भाषा में ही रूस में व्याख्यान दे चुका है, और यह फॉलड-मार्शल, जो सिगापुर के पतन से ३६ घण्टे पहले टूटा पसली लिये जान बचा कर भाग चुका है—भारत का निराशा के उस गढ़दं से निकालने के लिए क्या करेगा, जिस में उस के अब तक के अभिमानी शासकों ने उसे डाल रखा है।

एक बार फिर जुलाई १९४३ के अंतिम सप्ताह में मिं. एमरा ने पार्लिमेंट में अपनी अवलियन दिलाया आर बताया कि उन के मत से ब्रिटेन लालूत्र का सच्चा स्वरूप क्या है। आपने भारत-सरकार के इस निश्चय का हवाला दिया कि “गांधीजी को गिरफतारा की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें भारत या इंडिया में अपने विचार प्रकट करने की सुविधा नहीं दी जा सकती” और कहा कि युद्ध वे भी इस निश्चय से पूरी तरह सहमत हैं। मिं. सांरेसन ने पूछा कि ऐसो हालत में ब्रिटेन की जनता भारत की परिस्थिति के बारे में गांधीजी के विचार किस प्रकार जान सकती है? लेकिन मिं. एमरो का सुनां बंद नहीं हुआ और उन्होंने उत्तर दिया कि ब्रिटेन को जनता को गांधीजी के विचार जानना आवश्यक नहीं है। यदि एक मंत्री पार्लिमेंट के सदस्यों को ऐसा उत्तर दे सकता है—उन्होंने सदस्यों को जिन के प्रति ब्रिटेन के अलिखित विचान के मुताबिक वह जिम्मेदार है—तो अंदाज लगाया जा सकता है कि युद्ध के बारे में ब्रिटिश लोकतंत्र पतन के कितने गहरे गर्त में गिर चुका था। परन्तु मिं. एमरो का मत उस समय कुछ और ही था जब गांधीजी के अनशन से पहले और बाद का पत्र-इयत्तार प्रकाशित किया गया था—जब इंडिया और हिन्दुस्तान दोनों ही में गांधीजी के अप्रैल से अगस्त, १९४२ तक के लेखों और भाषणों के उद्धरण एक उस्तिका के रूप में वितरित किये गये थे। किसी आदमी पर आरोप लगाना और उन आरोपों के उत्तर में दिये गये वक्तव्यों को दबा देना निश्चय ही लोकतंत्रवाद नहीं है—लोकतंत्रवाद ही क्यों, मामूली आदमों के नुस्तानज्जर से यह इंसाफ भी नहीं है।

केन्द्रीय असेम्बली जुलाई के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई और लोगों का ध्यान सबसे अधिक भारत-सरकार से गांधीजी के पत्र-व्यवहार की ओर गया। इसके अलावा, असेम्बली के सदस्यों में यह भावना बढ़ने लगी कि सरकार असेम्बली को कानून बनानेवाली सभा के बजाय एक प्रार्थना करनेवाली संस्था ही अधिक मानती है। इस भावना का मुख्य कारण सदस्यों की यह आशंका थी कि असेम्बली की बैठक के दिनों में भी कहीं गवर्नर-जनरल कोई नया आदिनेंस न निकाल दें। इतना ही नहीं, असेम्बली के अधिवेशन से सभी विवादास्पद सवालों को अलग रखा गया था। अबन को मुसाबत व दिलिङ अफिका के भारंतीय विरोधी कानूनों पर भी विचार सिर्फ खास दिन ही होना था, जिसन ऐसा बहस का कोई नतीजा न निकले। जब सरदार मंगलसिंह ने, जो कुछ ही दिन पहले इस शर्त पर जेल से छुटे थे कि वे पांच या अधिक व्यक्तियों को सभा में भाग न लेंगे, सवाल उठाया कि उनका असेम्बली में आना कहीं अनियमित न ठहराया जाय और उसमें भाषण देने के लिए उन पर मुकदमा न चलाया जाय—तो कुछ मजाक ही रहा। एक दूसरे सदस्य कैलाशविहारी लाल पहले कांग्रेसी सदस्य थे, किन्तु अब दूसरे पक्ष में चले गये थे। उन्होंने कहा कि मैं अमीं जेल से लौटा हूं, जहाँ मैंने पढ़ा था कि मेरा भाई फरार है, जब कि दरअसल वह जेल में मेरे ही साथ था।

असेम्बली का काम स्थगित करने के प्रस्तावों को पेश करने की इजाजत नहीं दी गयी। राजनीतिक बंदियों के प्रति दुर्योगवाह के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव बजट-अधिवेशन से चला आ रहा था, वह ३८ के विरुद्ध ४८ वाटों से गिर गया—यहाँ तक उसमें संशोधन करने का श्री जोशी का प्रस्ताव भी स्पीकर के बोट से गिर गया।

२ अगस्त को केन्द्रीय असेम्बली व कौसिन्ध आफ स्टेट के मिले-जुले जलसे में वाहसराय का वह भाषण हुआ, जिसका इतने दिनों से धूम मची हुई थी। बस, पहाड़ खोदा, चूहा निकला। गांधीजी व दूसरे नेताओं को गिरफ्तार की पहला साल-गिरह के ठीक एक हफ्ता पहले वाहसराय यह भाषण कर रहे थे। इसके अलावा, उन्हें हिन्दुस्तान से रवाना होने से पहले विदाई भी की थी। देश को तक्कालीन परिस्थिति पर निर्देश नेता-सम्मेलन की स्थायी समिति ने २३ जुलाई को झपनी दिल्लीवाली बैठक में अच्छा प्रकाश ढाला था। समिति ने एक वक्तव्य प्रकाशित करके सरकार तथा कांग्रेस दोनों ही से अपोलों की थीं। सरकार से गांधीजी को छोड़ देने की अपील की गयी था आर कांग्रेस से अन्य दलों से मिल कर ऐसे उपाय करने का अनुरोध किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र और प्रान्तों में ऐसी सरकारों की स्थापना हो सके, जो “युद्ध चलाने में अविरुद्ध-अव्यवहार सहयोग प्रदान कर सकें और घबराहट, समाज-विरोधी कार्य व शत्रु-प्रचार के विरुद्ध घेरेलू मार्च संगठित कर सकें।” देश के नरम विचारवाले लोग युद्ध छिड़ने व कांग्रेसी नेताओं का गिरफ्तारियां के समय से पहलो बार नहीं, बल्कि शायद दसवीं बार ऐसी मांग कर चुके थे और इसमें कुछ आश्चर्य भी न था। वास्तव में देश की परिस्थिति गम्भीर थी। तुर्की-मिशन, भूमि-पर्यटक दल या लुई फिशर ने चांदे जो-कुछ व्यंग्यों न कहा हो, देश में भाषण की स्वतन्त्रता का अभाव था। ब्रिटेन, तुर्की और अमरीका-द्वारा अपने यहाँ की जनता का (जिसके स्वार्थ अपनी सरकारों के समान हो थे) सुंह बन्द करना एक बात है और ब्रिटेन-जैसे विदेशी राष्ट्र-द्वारा भारत की जश्वन पर ताला लगाना विवक्षित भिन्न है। वही संख्या में लोगों को नजरबन्द करके उनको वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर भारी हमला किया गया था। सरकार ने न्यायालयों के फसलों के विहद आदिनेंस जारी किये और अनियमित ठहराये आदिनेंसों को फिर से जायज

किया। जिस समय लार्ड लिनलिथगो पद से अवकाश लेकर अपने साढे सात वर्ष के कार्य का सिंहावलोकन करते हुए विदाई ले रहे थे उस समय देश के राष्ट्रीय जीवन या उसके अभाव की निम्न विशेषताएं दिखायी दे रही थीं। ज्यादातर सूबों में दफा ६३ का शासन चल रहा था और जिन सूबों में वजारते काम कर रही थीं उनमें भी शासन प्रायः गवर्नरों का ही था। केन्द्रीय असेम्बली की बैठक के समय भी आईंनेस निकाले जाते थे। अन्न का प्रबन्ध बहुत बुरा था। मिं० एमरी से लेकर सर सुलतान अहमद तक अधिकारियों ने कितनी ही बार कहा कि देश में अज्ञ की कमी नहीं है और फिर सरकार ने खुद ही चावल के निर्यात पर रोक लगायी। इसी तरह कपड़े का भी कुप्रबन्ध रहा। कपड़कत्ते की स्वास्थ्य व सफाई-सम्बन्धी हालत असहनीय थी। सड़कों की पटरियों पर जारी सड़ती थीं और सफाई की जारियां सरकार के कड़जे में चले जाने के कारण टट्टियां कितने ही दिनों तक साफ नहीं होती थीं। पूर्वी बंगाल में सेना ने किसानों की नावें छीन ली थीं और वे नदियों के पार जाने में असमर्थ थे। बंगाल में चावल का मूल्य ३५ रु० मन तक पहुँच चुका था, जबकि बेजवाड़ा में वह सिर्फ ८ रु० मन ही था। चावल के निर्यात की तरह पहले मुद्रा-बाहुल्य की बात का खंडन किया गया और फिर उसे स्वीकार किया गया। देश में सभी तरफ अकाल और बाढ़ का दौरदौरा था। सबसे महस्त्वरूप बात यह थी कि सरकार व जनता में विरोध की भावना लगातार बढ़ती जाती थी। जहां तक वैधानिक समस्या का सम्बन्ध है, गति-अवरोध पहले ही के समान बना हुआ था। नवीनता सिर्फ मिं० चर्चिल का एक भाषण था, जिसमें उन्होंने अपने हमेशा के रुख को एक तरण के लिए त्याग कर भारत के बारे में फरमाया था कि “इस विशाल महाद्वीप को हाल ही में विटिश राष्ट्र-मंडल में पूर्ण सन्तोष प्राप्त होगा।” इस घोषणा से कुछ ही पूर्व लार्ड वेवल ने, जो उस समय सिर्फ सर आर्किवाल्ड वेवल थे, कहा था कि भारत की राजनीतिक उन्नति में युद्ध के कारण बाधा नहीं पड़ी है और सुकपर भारत का जो ग्रन्थ है, उसे तुका सकने की मुझे पूरी आशा है। इस कथन से लोगों को उम्मीद हो चली थी कि शायद नये वायसराय सुलह के युग का श्रीगणेश करें। इसी समय खबर मिली कि ब्रिटेन में युद्ध-मंत्रिमंडल का १० महीने तक सदस्य रह चुकने के बाद सर रामस्वामी मुद्रालियर ने भारत के लिए रवाना होने से पूर्व जन्मदान में कहा कि हिन्दुस्तान वापस पहुँचने पर वे “वायसराय के मंत्रिमंडल की स्थापना और उसका भारतीयकरण करने” के लिए सप्रू, जयकर, कुंजरू वर्गेरह निर्देश नेताओं से मिलेंगे।

एक बात और भी स्मरण रखने की है जिस घोषणा में सर आर्किवाल्ड वेवल के वायसराय और सर क्लॉड आकिनलेक के प्रधान सेनापति नियुक्त किये जाने की सूचना दी गयी थी, उसी में पूर्वी एशिया-कमान स्थापित करने और नये प्रधान सेनापति को प्रशान्त महासागर के युद्ध की जिम्मेदारी से मुक्त करने की असाधारण बात भी थी। सशस्त्र सेनाओं के संचालन की जिम्मेदारी छीन लेने से नये प्रधान सेनापति का कार्य देश के भीतर की सुरक्षा तक सीमित रह गया और भारत-सरकार की भी जिम्मेदारी इससे अधिक कुछ न रह गयी। भारत-सरकार का काम सिर्फ फौज को भर्ती करके उसे नये कमान में भेजना ही रह गया। क्या यह व्यवस्था उस बाधा को दूर करने के लिए की गयी, जिसके कारण क्रिप्स-वार्ता भंग हुई थी? पूर्वी एशिया-कमान की स्थापना सिर्फ युद्धकाल के लिए थी। उद्देश्य शायद यह था कि युद्ध के संचालन व नये रक्षा-सदस्य की जिम्मेदारी में कहीं संर्बंध न छिड़ जाय। परन्तु इससे भी वाहसराय के खुद ही अपने प्रधान मंत्री होने की व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं पड़ा। लार्ड सेमुएल इस व्यवस्था की

जार्ड सभा की एक बहस में निशा कर चुके थे। अनुवाह यह भी थी कि शायद वाइसराय की शापन-परिषद् के एह छब्ब भारतीय सदस्यों को 'मंत्रिमंडल' की कार्रवाई होने के समय अध्यव का स्थान ग्रहण करने को कहा जाय, किन्तु इससे क्या लाभ होता। शासन-परिषद् का चाहे जितना भी भारतीयकरण क्यों न किया जाता, वह मंत्रिमंडल कैसे बन सकती थी।

इस स्थल पर यह बता देना जामकर होगा कि हमारी राष्ट्रीय मांग क्या थी और इस मांग तक ऊपर बढ़ाये गये प्रस्ताव या निर्देश नेताओं को योजना नहीं पहुँचती थी। हमारी राष्ट्रीय मांग तो यह थी कि बिटेन पहले तो भारत की स्वाधीनता की घोषणा करे और फिर भारत व इंडियन के मध्य एक सन्धि हो, जिसमें वर्तमान परिस्थिति तथा स्वतन्त्र भारत के मध्य के परिवर्तन-काल को सब बातें निश्चित की जायें। इस मध्य के काल में एक अस्थायी सरकार रहे, जो युद्ध-संचालन में बाधा खड़ी न करने का बचन दे और युद्ध-संचालन का कार्य पहले की व्यवस्था के अनुसार प्रवान सेनापति की देख-रेख में और बाद में हुई व्यवस्था के अनुसार पूरी पूरिया कमान की देख-रेख में होता रहे।

वाइसराय के भाषण से कांग्रेसजनों को नहीं—क्योंकि वे तो जार्ड लिनलिथगो के अस्तित्व से कुछ भी उम्मीद न रखने का सबक लिख चुके थे—बल्कि सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से यहाँ की जनता व बिटेन के प्रतिशांख अखबारों को बड़ी निराशा हुई। यह बड़ा निरुद्देश्य और नीरस भाषण था। दरअसल इस भाषण में जार्ड लिनलिथगो ने अपने कुछ न कर सकने का रोना रोया और साथ हा दबां, वां, समझायां व देरा के महत्वरूपी अंगों के सिर भा दोष मढ़ा, लेकिन इस बार उनके कथन में निन्दा की ध्वनि न था। उस समर ठाक ही कहा गया था कि भाषण की विरोप उसमें कहा हुई बातों के कारण नहीं, बल्कि छोड़ा गया बातों के कारण थी। एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक बार रामन सत्रांठों का झुनूप निकाला गया, किन्तु इनमें सोजर की मूर्ति न थी। उस समय सत्रांठों के महत्व का अनदाज उन मूर्तियों को देख कर नहीं लगाया जो झुनूप में माजूद थीं, बल्कि उस मूर्ति के कारण जो झुनूप में उपस्थित न थी। यदि वाइसराय ने गांधीजी के बारे में कुछ नहीं कहा तो इससे गांधीजी का महत्व थोड़े ही कम हुआ, बल्कि वह और भी प्रकाश में आ गया। 'मांचेस्टर गार्जिन' ने उस समय ठाक ही लिखा था:—

"वाइसराय ने इस बात का उल्लेख किये बिना ही कि गांधीजी व कांग्रेस नेता जेंडों में हैं और उन्हें बाहर के नेताओं तो मैं जने का इजाजत नहीं है, और यह कि गांधीजी को खुद भी बाहरवाले नेताओं को पत्र लेने का सुविधा नहीं प्राप्त है, अपने कार्यकाल को समीक्षा करने का प्रयत्न किया है। परन्तु इस क्षुट से भाषण का अधिकांश महत्व जाता रहा है। और फिर ध्वनि यहाँ है कि राजनातिक गुद्धा सुड़काने के लिए सरकार को नहीं बल्कि भारतीय नेताओं का हा प्रयत्न करना चाहिए।"

वाइसराय का कहना यह था कि १३३८ की योजना तो अच्छी थी किन्तु युद्ध व सम्बन्धित दबों में समकाला न हो सकने से उसे अमल में नहीं लाया जा सका। समरण किया जा सकता है कि कांग्रेस प्रान्तों में वजारवं खड़ाई १३३६ में कायम हुई थी। कांग्रेस संघ के आदर्श के बिन्दु कमा न था—उस का विरोध तो ऊरर बराई वजहों से १३३८ के कानूनवाली योजना से था। यदि शानून के दूसरे भाग को अमल में लाने का कोई खास तोर पर विरोधी था तो नरेश ही थे, जिन्होंने अनेक आपत्तियाँ उठाईं। कम-से-कम प्रान्तों में तो उन्नति का कार्य जारी रह सकता था, किन्तु यहाँ सुस्थिर लोग की आपत्ति सामने आई गई। पर क्या

कांग्रेस और हिन्दुओं के विशाल जनसमूह ने रेमजे मेकडामहंड के साम्प्रदायिक निश्चय का विरोध नहीं किया था। तो भी उसे देश के सिर पर जबरन बाद दिया गया। यदि ब्रिटिश आधिकारी क्रमशः शाकि तथा गना चाहते तो वे रियासतों को बाद में शामिल होने के लिए छोड़ कर प्रान्तों के संघ की स्थापना कर सकते थे। वथा वे आशा करते थे कि ५६२ रियासतों की १९३२ की घोजना स्वीकार करने तक प्रान्त उस शुभ-घड़ी की प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहेंगे? कम-से-कम इस रुख से ईमानदारी तो जाहिर नहीं होती।

और जब वाइसराय ने सभी दलों को एका करने को कहा तो उनका मतलब किस-किस दल से था? यहाँ हमें लाई हेली-द्वारा कही बातें याद आ जाती हैं? क्या सभी दलों में कांग्रेस भी आ जाती है? यदि कांग्रेस भी उनमें आती है, तो प्रश्न उठता है कि मिं० एमरी के शब्दों में जब “सब से बड़ा, सब से व्यापक आधार पर संगठित और सबसे अधिक अनुशासित” दल जेलों में बंद हो तो परिण्यों का यह मिलन किस प्रकार सम्भव है? शायद वाइसराय को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। जहाँ वाइसराय के मन में कपट है, भारतमंत्री स्पष्टवक्ता हैं।

अब हम वाइसराय-द्वारा कही हुई बातों पर कुछ विस्तार से विचार कर सकते हैं। गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद् के सदस्यों की संख्या ७ से १४ कर देने—जिन में एक यूरोपियन को मिला। कर ११ गैर-सरकारी और एक सरकारी को मिला कर ४ यूरोपियन हैं—से अधिक और कुछ न करने के दोष से वाइसराय अपने और अपने ‘घर की सरकार’ को मुक्त करते हैं। शासन-परिषद् का यह विस्तार दो बार में हुआ—पहली बार तो उस समय जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था और दूसरी बार उस समय जब अगस्त १९४२ का अगस्त-वाला प्रस्ताव पास किया जानेवाला था। इस विस्तार को व्यक्तियों के चुनाव की दृष्टि से देखा जाय या विभागों के बैटवारे की दृष्टि से—यह थी एक प्रतिक्रियापूर्ण कार्रवाई ही, जिस का उद्देश्य सिर्फ भारतीयकरण का एक दिलावामात्र करना था। यहाँ तक कि वाइसराय के भास्य देते समय भी उन की शासन-परिषद् के दो महत्वपूर्ण विभाग—गृह और अर्थ सरकारी कर्मचारियों के अधिकार में थे और एक तीसरा, यातायात विभाग एक गैर-सरकारी यूरोपियन के हाथ में था। १९४२ के अगस्त महीने में आंशिक भारतीयकरण की बातें करना। मिट्टी-मार्ले सुधारों की याद दिलाता है। उन दिनों सर सचिवन्द्र प्रसन्न सिनहा और डा० सपू को बुलाया गया था, और उन्होंने सिद्धान्त के प्रश्न पर इस्तीफा दे कर साइस का प्रदर्शन किया था। यहाँ तक कि खार्ड लिनलिथगो-द्वारा की गयी नियुक्तियों में भी चार व्यक्ति राष्ट्रीय आरम्भान का ख्याल करनेवाले निकले और उन्होंने मतभेद होने पर इस्तीफे दे दिये। ये व्यक्ति सर सी० पी० रामस्वामी अग्नर (जिन्होंने १५ दिन पद पर रहने के बाद उसे स्वाग दिया), सर होमी मोदी, श्री एन० आर० सरकार और श्री एम० एस० अग्ने थे। वाइसराय ने गांधीजी के अनशन के दिनों में ही भारत के नये पद की व्याख्या की थी। इस पद का विकास तो मांटेगू के समय से ही हो रहा था, जब भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध-मंत्रिमंडल में लिया जाने लगा था। बाद में भारतीय प्रतिनिधियों ने वासईं-संघि पर भी हस्ताचर किये। फिर उन्हें १९१७ और १९२२ के साम्राज्य-सम्मेलनों तथा १९२६ के स्वाधीन उपनिवेश सम्मेलन में भी आमंत्रित किया गया। १९३१ में भारत-मंत्री कमांडर वेजबुड बेन ने कहा था कि भारत में तो औपनिवेशक पद के ही अनुसार काम हो रहा है। अब वार्षिगटन और कुंगिंग में भारतीय-प्रतिनिधि नियुक्त होने के

कारण हस पद का बखान किया जाता है। आश्चर्य है कि भारत के प्रगतिशील पद का परिचय देते समय वाइसराय ने लंका में श्री अणे के प्रैटेन-जनरल नियुक्त किये जाने का इवाज़ा नहीं दिया। गोक्ति श्री अणे अपनी नियुक्ति को भारत की पद-वृद्धि का परिचायक कह चुके थे। क्या इसका कारण यही था कि लंका ब्रिटेन का उपनिवेश है और उस की तुलना में चीन व अमेरिका में भारत के प्रतिनिधित्व का कहीं अधिक महत्व है। यदि ऐसा ही है तो श्री-अणे का दावा भी अतिरिंजित ही जान पड़ता है। पूर्व या पश्चिम में कोई नौकरी मिल जाने से पद की वृद्धि नहीं हो जाती। पद मुख्यतः देश के भीतर की ओज़ है और जो वस्तु अपनी सीमाओं के भीतर भारत के पास नहीं है वह उसे बाहर से नहीं प्राप्त हो सकती। जिस भारत को स्वराज्य या स्वाधीनता नहीं हो प्राप्त है वह पराधीन ही कहा जायगा, चाहे संसार के राष्ट्रों के मध्य कितना ही पहाना-उदा कर उस का प्रदर्शन कर्यों न किया जाय।

वाइसराय ने एक विरोधभासपूर्ण वक्तव्य यह भी दिया कि भारत की यह ‘फूट सत्राट् की सरकार-द्वारा अधिकार दे देने की इच्छा के अभाव के कारण न होकर उस इच्छा के मौजूद रहने के कारण ही है।’’ इस तथ्य को न समझने का आरोप कांग्रेस के विस्तृ किया जाना भले ही सत्य हो, किन्तु क्या मुस्लिम लीग भी इसकी उत्तरी ही ओष्ठी नहीं है? क्या लीग के अध्यक्ष मिं० जिन्ना और उसके सेक्रेटरी नवाबजादा लियाकतअली खाँ ने दिल्ली में होनेवाले उसके चौबीसवें अधिवेशन (अप्रैल १९४३) में भारतीयों के हाथों में अधिकार न दिये जाने की शिकायत नहीं की थी? और वाइसराय कहते हैं कि भारत के राजनीतिक दल आपसी फूट के कारण कोई रचनात्मक सुझाव भी उपस्थित नहीं कर पाये हैं। क्या कांग्रेस के अध्यक्ष यह घोषणा सार्वजनिक रूप से नहीं कर सके हैं कि राष्ट्रीय-शासन मुस्लिम-खीले के हाथों में सौंप दिया जाय और क्या गांधीजी नहीं इह चुके हैं कि कांग्रेस ऐसी सरकार के साथ सहयोग करेगी?

परन्तु लार्ड लिनलिथगो ने जनता के सामने एक ऐसे विचार का उद्घाटन किया, जिसे वे अपने मस्तिष्क के कनधास पर न जाने कब से तैयार कर रहे थे। आप ने कहा कि अस्थायी सरकार तो सिर्फ परिवर्तनशील व अस्थायी ही होती है। ‘‘अंतर्कालीन वैधानिक परिवर्तन समझौते तथा साधारण कार्रवाईयों-द्वारा तैयार किये गये विधान का स्थान नहीं ले सकते और साधारण कार्रवाई के अनुसार विधान युद्ध के दिनों में तैयार नहीं किया जा सकता।’’ दूसरे लक्षणों में आधी रोटी पूरी रोटी के बराबर नहीं है। चूंकि पूरी रोटी युद्ध के कारण तैयार नहीं हो सकती इसलिए राष्ट्र को पूरी और आधी दोनों ही रोटियों से बंचित रहना चाहिए। समस्या के व्यावहारिक हक्क में संदर्भनितक कर्तनाहयों से न कभी बाधा पड़ी है और न पहनी चाहिए।

फिर वाइसराय का कहना क्या था। ‘‘यदि भारत में कुछ भी उन्नति होनी है तो भारत के सार्वजनिक नेताओं को हृकटे हो कर उस के जिए रास्ता साफ करना चाहिए।’’ प्रश्न उठ सकता है कि कांग्रेसजनों के जेल में रहने के समय ये सार्वजनिक व्यक्ति और कौन हो सकते हैं? मिं० एमी ने कामन सभा में उत्तर देते हुए साफ लक्षणों में इस गुरुत्व को सुलझा दिया था, “जहाँ तक मिशनरियों के इस सुझाव का सम्बन्ध है कि जो राजनीतिक बंदी वैध उपायों से काम लेना चाहें उन्हें छोड़ दिया जाय,—यह कहा जा सकता है कि बंदियों-द्वारा भिन्न उपाय उनने और उन्हें न त्यागने के निश्चय के ही कारण गांधीजी व कांग्रेसी नेताओं को इतने अधिक समय तक जेलों में रहना पड़ा है।”

इस उत्तर का मतलब तो यही हो सकता है कि कांग्रेस को विश्वकूल छोड़ दिया जाय और

हिन्दू महासभा, मुस्क्षम कीग, सिख खाजासा व हरिजनों की संस्था हकड़ी होकर एक ऐसा विधान बनावें, जिसमें अखंड हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, आजाद पंजाब और हरिजनस्तान के मध्य समझौता किया गया हो और इस नींव पर स्वराज्य के भवन का निर्माण किया गया हो । यह विजय का नशा, और साम्राज्यवाद की कामयाबी की भावना ही लाई लिनलिथगो के मुँह से निर्दोष तथा सीधे जान पद्धतेवाले इन लफजों से उन की व्याख्या करती है, जिनका प्रत्यक्ष रूप से मतलब यही है कि “तुमसे जो बने सो करो” पहिये पर बढ़ती हुई एक मव्वती के प्रपत्तनों से हमारा साम्राज्य अछूता ही रहा—उसे जरा आंच नहीं पड़ूँची । कांग्रेस, गांधीजी, बम्बईवाले प्रस्ताव वर्गेह के उल्लेख न करने का भ्रतलब यह था और मिं० एमी द्वारा कांग्रेस सभा में दिये गये उत्तरों का भी यही सार था । “कांग्रेस ने एक अनैतिक मार्ग ग्रहण करके अपने को अलग कर लिया और यदि उसके परिणामस्वरूप उसे गैरकानूनी करार कर दिया जाय तो हमें और किसका दोष है ? बीसवीं शताब्दी के बाह्यराज्यों के मध्य यदि लाई कर्जन ने प्राचीन भवन का नून के लिये, लाई मिटो ने पृथक् निर्वाचन-द्वारा हिन्दू सुमालिम गुरुथी सुलमाने के लिए, लाई हार्डिंग ने दक्षिण अफ्रीका की समस्या हल करने के लिए, लाई चेसफोर्ड ने जलियानवाला बाग के लिए, लाई रिहिंग ने न्याय के नाम पर ‘रिवर्स कौसिल’ जारी करने के लिए, लाई अरविन ने गांधी-अरविन समझौते के लिए, लाई विलिंगडन ने बृद्धावस्था के लिए अपने-अपने शासन कालों को चिरस्मरणीय बना दिया है तो लाई लिनलिथगो का काल उनके लम्बे-लम्बे वाक्यों, छोटी से छोटी समस्याओं का कठिन हल देर से निकालने, महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामना करने में असमर्थता दिखाने और सारे सात वर्ष तक भारत की राजनीतिक गुरुथी सुलमाने की चेष्टा करते रहने पर उसके रहस्य को समझने में उनकी असफलता के लिए याद किया जायगा । वे इस देश से कुछ दर्द ले कर—और हमें आशा करनी चाहिए कि कुछ सद्बुद्धि भी देकर विदा हुए हैं । यहाँ से जाते समय उन्होंने जो यह सबक सीखा है उसे उन्हें दूसरों को भी सिखा देना चाहिए—“मनुष्यों की तरह राष्ट्रों पर भी सबकुछ मिला कर ही असर पड़ता है । फुसलाने व कूरतापूर्ण दमन के नये से नये तरीके भी इस तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते कि शांति के समान ही युद्ध के समय भी राष्ट्र अपने वचनों तथा कांगौ-द्वारा दुनिया पर अपने विचार प्रकट करते हैं । और अधिक प्रभावपूर्ण तरीकों से विचार प्रकट करते हैं ।” दीताह्रा समय और चूके हुए अवसर फिर नहीं आते । लाई लिनलिथगो को हितिहास का सदा सबक नहीं भूलना चाहिए था । उन्हें अपने पूर्ववर्तियों तथा राजनीतिज्ञों से सबक लेना चाहिए था, जिन्होंने नये राष्ट्रों की राष्ट्रीयता से वैसे ही धोखा खाया था, जिस प्रकार कोई व्यक्ति सन्तानोपत्ति के समय के कद्दों को साधारण बीमारी समझ बैठता है । लाई लिनलिथगो को यह पुरानी शिक्षा स्मरण रखनी चाहिए थी:—

“जब मानव जाति के द्वितीयास में कोई महान् परिवर्तन होता है तो लोगों के दिमाग उसी तरफ लग जाते हैं—उनकी भावना उसी दिशा में सुक जाती है । प्रथेक भय और प्रथेक आशा उसे आगे बढ़ाती है । इंसान की जिन्दगी में आनेवाली इस जर्बदस्त लहर के खिलाफ जो भी उठेगा उसे ऐसा जान पड़ेगा, जैसे यह किसी हँसानी चीज की नहीं बल्कि खुद हैश्वर के किसी हुक्म की उद्दीप्ती कर रहा है । ऐसे ज्ञान हड़ और संकल्पी न होकर, नीच मनोवृत्तिवाले हठी ही कहलायेंगे ।”

बाह्यराय के दो अगस्तवाले भाषण की अवधारों में जैसी प्रतिक्रिया हुई दैसी इससे पहले बाह्यराय के किसी भाषण की नहीं तुर्हे । किसी ने सुने लफजों में और किसी ने दबी आवाज

में उसकी निदा की। लंदन का 'टाइगर्स' पत्र बम्बई के अगस्तवाले प्राप्ताव के समय से एवं तरफ ब्रिटिश व भारतीय सरकार के और दूसरी तरफ कांग्रेस के मध्य एक संतुलित रुख लेता आया था। वह भी वाहसराय के भाषण के बारे में चुप रहा। जाहिर है कि उसके पास भाषण की तारीफ के लिए कोई लफज न था और बुरा लफज कहने के लिए वह तैयार न था।

द अगस्त को गांधीजी की गिरफ्तारी को एक साल समाप्त होनेवाला था। इस अवसर पर अगर भारत में नहीं, तो कम से कम इंग्लैंड में कुछ हलचल हुई। ब्रिटिश पत्रों में वर्ष समाप्त होने और वाहसराय के भाषण पर कुछ महत्वर्ण टिप्पणियाँ लिखी गयीं। गांधीजी की गिरफ्तारी की सालगिरह के मौके पर सरकार को भय होने लगा कि वहाँ पिछले साल की ही तरह इस साल भी उपद्रव न हिँड जाय। इसलिए सरकार को जिन व्यक्तियों से गढ़बढ़ होने की उम्मीद थी उन्हें हजारों की तादादों में गिरफ्तार कर लिया गया। सालगिरह से दो दिन पहले बम्बई में ३०० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और किर प्रायः सब के सब छोड़ भी दिये गये। भारत में जहाँ-जहाँ सभा करने की मुमादी न थी, वहाँ-वहाँ सभायें हुईं, और इन सभाओं में राजनीतिक बंदियों और विशेषकर गांधीजी व अंग्रेस-नेताओं की रिहाई की मांग की गयी। लंदन में भी किनकी सभाएँ हुईं। जिनमें से एक में स्वाधीनता के अनन्य प्रेमी सोरेसन ने कहा, कि भारत की परिस्थिति से सामना करने के लिए आधारिक साइस की ज़रूरत है। सालगिरह के मौके पर श्रीमती मरोजनी नायडू ने, जिन्हें कई महीने पहले ही छोड़ दिया गया था और जो उस समय भी बीमार थीं, समाचारपत्रों के लिए निम्न वक्तव्य दिया:—

"महात्मा गांधी व कार्य-समिति के गिरफ्तार हो जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मध्य कुछ भ्रम फैल गया है और विचारों का कुछ संघर्ष भी शुरू हो गया है, वर्योंकि इस समय न तो उन्हें कोई निश्चित आवेदन ही प्राप्त है और न उक्ता नेतृत्व ही इस समय हो रहा है। यदि इसी के मन में कोई मन्देह रह गया हो तो उसे दूर करने के लिए मैं यह बता देना चाहती हूँ कि कार्य-समिति या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के भीतर के विसी वर्ग या समूह को कांग्रेस की ओर से धीरेण्यपत्र निकालने या नशी नीति निर्धारित करने का न तो अधिकार ही दिया है और न—जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है कि न्युन्टु जिस पर मैं विश्वास नहीं करती—कांग्रेस के नाम उसके सिद्धान्तों और परपराओं के विरुद्ध गुप्त कार्यों को प्रोत्साहन ही दिया जा सकता है।"

इस समय छोटें-बड़े, अंग्रेज भारतीय, इंग्लैंड, हिन्दुस्तान व अमरीका—सभी तरफ से भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये जाने लगे थे, वर्योंकि एक तो नये वाहसराय आ रहे थे और दूसरे देश में अव्यवस्था चलते हुए एक वर्ष समाप्त हो चुका था। आनंदोद्धन वापस लेने तथा वाहसराय के सिंहासन तक नतमस्तक होकर पहुँचने के कट्टरपन्थी रुख का हवाला उपर दिया जा चुका है। अन्य लोगों ने जैसे इसी तर्क की पुष्टि के लिए कहना शुरू किया कि गांधीजी ने अपने साथियों की सलाह के खिलाफ खिलाफत का पक्ष लेकर व सविनय-अवज्ञा-आनंदोद्धन छेड़कर बड़ी भारी भूल की थी। ये लोग यह भी भ्रू जाते थे कि कुछ ही समय पूर्व कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल काम कर रहे थे, जिन्हें युद्ध छिड़ने के समय जानबूझ कर समाप्त किया गया था। इससे उन्हें क्या मतभव—उन्हें तो कभी असहयोग की जिन्दा करके, कभी खाइर को बुरा-भला कहकर, कभी कांग्रेसी वजाराओं की गांधीजी-द्वारा हिमायत की जाने वाल सठाकर अपने दिल का गुबार ही निकालता था।

यह भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे विचार रखनेवाले भारतीय महानुभावों

की तुलना में आर्थर मूर-जैसे महत्वपूर्ण ध्यक्षित के लोग भी सामने आते रहे हैं। ये सज्जन पहले 'स्टेट्समैन' के सम्पादक थे। उन्होंने अपनी अन्तर्मेंदिनी इण्डियूल द्वारा समस्या का विश्लेषण करके उसे हक्क करने का रास्ता निकाल लिया। लाहौर के 'ट्रिब्यून' में एक विशेष लेख लिखकर उन्होंने कहा कि भविष्य की तुलना में वर्तमान का महत्व ही अधिक है। आपने कांग्रेस के इस रूप का समर्थन किया कि उसकी तात्कालिक उत्तरदायित्व की मांग पूरी करने से साम्राज्यिक प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और भावी वैधानिक योजना की जो बात वाहसराय ने उठायी है उससे देश में आपसी झगड़े फैलने की सम्भावना है। इससे कोई इन्कार नहीं करता कि देश के भविष्य के सम्बन्ध में सभ्राट की सरकार के हरादे के विषय में उठनेवाले संदेहों को दूर करने के लिए वाहसराय तैयार थे। मिठू मूर ने लिखा—“हरेक मुसीबत के बक्क भविष्य की तुलना में वर्तमान ही अधिक महत्वपूर्ण होता है और वर्तमान में सही कदम उठा कर ही भविष्य के सन्देहों को दूर किया जा सकता है।” इन्हीं दिनों (अगस्त १९४३) महामाननीय शास्त्रीजी ने शान्ति-सम्मेलन में गोधीजी के उपस्थित होने पर जोर दिया।

वाहसराय के भाषण से कुछ पहले प्रकाशित हुई प्रशान्त-सम्मेलन की रिपोर्ट को देखने से समझा जा सकता है कि सर रामस्वामी मुदालियर के लंदन में प्रकट किये गये विचारों तथा कराची पहुंचने पर उनकी मुलाकात का विवरण प्रकाशित करने का उद्देश्य विटिश-मंत्रिमंडल-द्वारा ग्रहण किये गये सीमित इंटिकोण के लिए भूमि तैयार करना था। प्रशान्त-सम्मेलन की सिफारिशों व उसके फैसलों का हवाला देकर मंत्रिमंडल अपनी स्थिरता मजबूत करना चाहता था। इसीलिए प्रशान्त-सम्मेलन को गैर-सरकारी संस्था भी बताया जा रहा था, गोकुलमें सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित थे। सर रामस्वामी मुदालियर और सर सुहस्मद जफरलूँखां को सरकारी प्रतिनिधि माना गया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है; किन्तु एक 'भारतीय प्रतिनिधि'-द्वारा सम्मेलन की कार्रवाई तथा भारतीय गोल्डमेज बैठक में प्रकट किये गये प्रतिक्रियावादी विचार इन्हीं दो महानुभावों में से किसी एक के थे। पूर्ण अधिवेशन में जो निश्चय हुए वे इसी भारतीय प्रतिनिधि के प्रतिक्रियावादी विचारों के परिणाम थे, गोकुलमीशीका व कलाङ्का के प्रतिनिधियों ने हन विचारों की विपरीत दिशा में अधिक जोर दिया था। हन प्रतिनिधियों की इस रूप में जितनी ही तारीफ की जाय थी ऐसी है कि उन्होंने साम्राज्यवादी विचारों का प्रभाव अपने पर न पढ़ने दिया और इसलिए भी कि वे एक पराधीन देश के उच्च पद पर रहनेवाले खुशामदी ध्यक्षियों के विचारों से भ्रम में नहीं पढ़ गये।

प्रशान्त-सम्मेलन की प्रारंभिक रिपोर्ट देखने से प्रकट हो जाता है कि इन भारतीय प्रतिनिधियों की अपेक्षा अमरीका व कलाङ्का के प्रतिनिधि ही राजनीतिक अडंगे को दूर करने के लिए अधिक उत्सुक थे। सुदूर क्षेत्रों जाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का चुनाव जिस प्रकार किया गया था उसे देखते हुए उनसे यही आशा की जा सकती थी। वाहसराय की शासन-परिषद का भारतीयकरण प्रगतिशील कदम तो जरूर जान पढ़ा होगा; लेकिन उसकी असली अहमियत भी किसी की भजर से छिपी न होगी। एक जांच-कमीशन की नियुक्ति और उसका मार्ग-प्रदर्शन करने के लिए संयुक्त-राष्ट्र-संघ की एक सचिवालय-समिति की सिफारिशें उन लोगों के लिए भवे ही पर्याप्त हों, जिन्हें भारत के हाल के इतिहास का कुछ ज्ञान न हो; किन्तु उन लोगों के लिए, जो साहस्रनाली राजनीतिशील सम्बन्धी इंटेंजोग-समिति, आर्थिक-ध्यवस्था सम्बन्धी ओटो राजनीतिशील समिति, देशी राज्यों सम्बन्धी बटखार-समिति, जोधियन मताधिकार समिति, संयुक्त पार्लिमेंटरी समिति व गौरव के काम को १९४७ से १९५५ तक देख रखे हैं,

लिए प्रशान्त-सम्मेलन की यह नयी समिति भी निश्चेष्य ही थी। किसी भारतीय के लिए क्वेकेक-जैमे सुदूर स्थान में जाकर अपने ऐसे समझेदों का प्रदर्शन करना—जो न तो सदा से चले आये हैं और न अनिवार्य ही हैं और जिन्हें हमारे कुछ अदृश्यर्थी देशवासियों व स्वार्थी विदेशियों ने बनाये रखा है—एक ऐसा दश्य था, जिसमें उन्हें छोड़ कर और कोई भाग नहीं ले सकता था। परन्तु यह कहना कि जब तक कांग्रेस पर गांधीजी का प्रभाव रहेगा तब तक कांग्रेस, सरकार के साथ सहयोग न करेगी, बरबाई के द्वारा प्रस्ताव की उपेक्षा करता था, जिसमें मिश्राराष्ट्रों को सशम्भव सहायता तक देने का वचन दिया गया था। परन्तु सीमा का अतिक्रमण तो इस समय हुआ जब कहा गया कि भारत सरकार का संचालन वाइसराय नहीं, बल्कि उनकी शासन-परिषद करती है, जो शब्द और भावना दोनों ही के विचार से गलत था। संयुक्त राष्ट्र-संघ के फैसले, कांग्रेसी नेताओं की रिहाई और सत्याग्रह बन्द करने के सुमाव तो अमरीका व कनाडा के प्रतिनिधियों ने उपस्थित किये। परन्तु उन्हें कितना आश्चर्य हुआ होगा जब संयुक्त-राष्ट्र-संघ के मध्यस्थ बनने या इसके द्वारा ऐसला किये जाने के प्रस्ताव पर यह कहकर आपत्ति डाई गयी कि अहंप्रसंख्यक उसका विरोध करेंगे और उन्होंने कहा कि हम अधिकाधिक बांटिस का समर्जन नहीं कर रहे हैं; हमारा उद्देश्य तो सिर्फ राजनीतिक गतिरोध को दूर करना ही है। यह तो स्पष्ट था ही कि फगड़े में एक पक्ष अहंप्रसंख्यकों का भी था और गतिरोध दूर करने के जो भी उपाय किये जाते उनमें अहंप्रसंख्यकों से सलाह लेकर उन्हें तृष्ण करना भी लाजिमी ही था। इसी प्रकार अमरीका व कनाडा के प्रतिनिधियों के इस सुमाव पर भी कि वाइसराय की शासन-परिषद को जिम्मेदार बनाया जाय, आपत्ति उठाई गयी। यह पहला ही मौका न था जब भारतीयों को दंगलें और अमरीका में अपने उन्हीं समझेदों का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिन्हें बढ़ाने का प्रोत्साहन उन्हें अपने देश में दिया जाता रहा है।

प्रशान्त-सम्मेलन की सिफारिशों का क्या असर हुआ? भारत की राजनीतिक समस्या वर्षी रही, जहां वह पहले थी। सुदूकाल में वाइसराय की शासन-परिषद की तीन बाकी सीटों के भारतीयकरण से उयादा और खतरा नहीं उठाया जा सकता था और इसका भी श्रीगंगेश मया वाइसराय नहीं करनेवाला था। यही कारण जान पड़ता है कि लाई लिलिथगो ने अपना विदाई का भाषण देते समय इस विषय की चर्चा नहीं उठाई थी। बात यह थी कि ब्रिटिश-मंत्रिमंडल भारत में उत्तरदायी शासन कायम करने के पक्ष में नहीं जान पड़ता था। हंगलेंड में वहाँ के कितने ही विद्वान व राजनीतिज्ञ, मजदूर व लिवरज दलों के पत्र, केंटरबरी, यार्क व ब्रेडफर्ड के विशेष और भारत के मिशनरी, जो यह कितनी ही बार कह चुके थे कि कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने से युद्ध-प्रयत्नों में वृद्धि होगी, इस विचार से ब्रिटिश-मंत्रिमंडल सहमत न था। यह कितनी ही बार कहा जा चुका था कि सेना में भर्ती की संख्या ५०,००० मासिक तक थी और बर्बाई में अगस्तवाला प्रस्ताव पास होने के बाद के दो महीनों से तो भर्ती की संख्या ७०,००० मासिक तक पहुंच गयी थी। फिर साज-सामान की कमी की बजह से भर्ती कम कर देनी पड़ी। साज-सामान की यह कमी इतनी बढ़ गयी कि रेंगलटों को काट की बंदूकों से ट्रेनिंग दी जाने लगी। इस तरह रेंगलटों की कमी न होने के कारण कांग्रेस के सहयोग की कुछ दरकार न रही। कांग्रेस साज-सामान के निर्माण में भी ऐसी कोई जरूरत पूरी नहीं करती, जो मौकरशाही खुद न कर सकती हो। फिर रहा ही क्या? क्या कांग्रेस जनता या किसानों से सरकार को धन दिला सकती थी। कांग्रेस यह भी करने में असमर्थ थी, यद्योंकि उस के मत से किसानों का पहले ही खू

रोषण किया जा सुका था। जब अधिक रंगहटों की जरूरत न थी, अधिक युद्ध-सामग्री तैयार नहीं की जा सकती थी और अधिक धन मिलने का भी सवाल न था, तो फिर कांग्रेस युद्ध-प्रयत्नों की प्रगति के लिए क्या कर सकती थी? सिर्फ नैतिक सहयोग का सवाल था। सिर्फ कांग्रेस ही राष्ट्र को महसूस करा सकती थी कि युद्ध उस का अपना युद्ध है और जड़ना प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्रीय कर्तव्य है। लेकिन ऐसी दुनिया में, जिस में नैतिक दर्शकोण का अधिक महत्व न हो, रुपया, आना और पाइयों व मन, सेर और छाँटांकों के रूप में इसकी क्या-कुछ उपयोगिता हुई? नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसे राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं, जिसका विश्वास जड़ने-भइने और सून-खराबी में रहा है। एक ऐसे साम्राज्यवाद के लिए कुछ भी नहीं, जो केवल वही सेनाओं में ही विश्वास रखता है। ऐसी जाति के लिए कुछ भी नहीं, जो विशुद्ध पशुबल की उपासक है और जो अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निरायक भी इसी पशुबल को समर्पती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि प्रशान्त सम्मेलन एक नाटवमान्त्रथा और जिन्हें गैर-सरकारी प्रतिनिधि कहा जाता था वे नामजद किये हुए सरकारी व गैर-सरकारी व्यक्ति थे। ब्रिटिश-मंत्रिमंडल और उस के अद्वेश में घलनेवाली भारत-सरकार ने उनके लिए जो सामग्री तैयार करनी थी वही उनका 'स्वतंत्र मत' था। भारत में बाह्यसरय के भाषण के एक सप्ताह के भीतर ही इन प्रतिनिधियों ने अपनी सिफारिशें उपस्थित कर दीं। एक प्रारंभिक कमीशन नियुक्त किया जाय और इस कमीशन की देखरेख में एक विधान-परिषद् काम करे। स्पष्ट था कि यह विधान-परिषद् उसी हालत में अपना काम बास्तविक रूप से कर सकती है, जब वह एक राष्ट्रीय सरकार की देखरेख में एकत्र हो। प्रशान्त-सम्मेलन ने राष्ट्रीय-सरकार की मुसीबत को यह कह कर टाल दिया कि राष्ट्रीय-सरकार को इसी न किसीके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। सवाल उठाया गया कि उसकी यह जिम्मेदारी किसके प्रति हो? केन्द्रीय अमेरिकी का नया चुनाव हो सकता था। जब कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में चुनाव हुए और युद्ध में सरिग्गित होने या न होने के प्रश्न पर ही विवेदी दलों ने अपनी ताकत की आजमाइश की, तो और वह भी १९४३ के जुलाई व अगस्त महीनों में, फिर द्विस्तान में ही आम चुनाव करने में क्या कठिनाई थी? इस आम चुनाव के परिणामस्वरूप जो नयी केन्द्रीय धारासभा होती उसी के प्रति बाह्यसरय का मंत्रिमंडल जिम्मेदार हो सकता था। दुर्भाग्यवश इस तर्क को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि प्रशान्त-सम्मेलन में उपस्थित न थे और सभी ने उनकी अनुपस्थिति पर खेद प्रकट किया। परन्तु ब्रिटेन पर हन प्रार्थनाओं का क्या असर पड़ सकता था? मिं० एमरी इस बीच कहा बार बोले, पर उनके विचार में कोई अंतर नहीं आया था। ब्रिटिश मस्तिष्क तथा मने वृत्ति की यह विशेषता है कि जब ध्यावहारिक जगत की बातें होती हैं तो वह आदर्श की तरफ भागता है और जब आदर्श की बातें होती हैं तो वह ध्यावहारिक त्वेत्र में उतर आता है। ब्रूटेन हमेशा दुहरा चित्र उपस्थित करता है। इस चित्र के एक तरफ तो रहता है साम्राज्यवाद, और दूसरी तरफ उपनिवेशों व पराधीन प्रदेशों के लिए स्व-शासन। हमें चित्र के दोनों पहलू देखने चाहिए। साम्राज्यवाद वाली तरफ एक ब्रिटिश ध्यापारी—जार्ड घराने का व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का उपभोग करता दिखाई देता है। इसे उलटिये तो चित्र की दूसरी तरफ आप को वह एक लोकतंत्रवादी दिखाई देता है, जो उपनिवेशों के लिए स्व-शासन तथा भारत के लिए स्वाधीनता के सिद्धान्त को मान चुका है और जो हमें साम्राज्य तथा ध्यापार की हानि के लिए बड़े-बड़े आंसू बहाता दिखाई देता है। इस प्रकार एक औसत अंग्रेज—और मिं० एमरी एक औसत अंग्रेज ही हैं—में आदर्शवाद व

यथार्थता, सारकानिकता व सुधूर, सिद्धान्त व काम निकालने की प्रवृत्ति और जीवित व क्रियाशील वर्तमान तथा अनिश्चित व कालपनिक भविष्य के मध्य निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। दूसरे शब्दों में यह संघर्ष पादवी व राजनीतिज्ञ, कवि व योद्धा और दार्शनिक व नीतिकार के मध्य सदा चलता रहता है। यही कारण है कि हमें मन्त्रियों के वर्ग दिखाई पड़ते हैं— चिंचल, जोमिसन हिक्स और एफ० ई० स्मिथ १९ वर्ग में और माले, रोनाल्डशे और एमरी टूसरे वर्ग में आते हैं। मिठा एमरी का अंग्रेजी गद्य पर आसाधरण अधिकार है। आदर्शवाद की ऊँची उड़ान के भीतर व्यवहारिक त्रुटियों को छिपाने तथा कवित्वमय कल्पनाओं के बीच गगनमंडल की सर करने और रोमांटिक गहराइयों में उतरने की कला में आप दृष्ट हैं। परन्तु मनोहर शब्दावली से राजनीतिक गतिरोध दूर नहीं होते।

मनोनीत वाइसराय ने १६ सितम्बर को अपने सम्मान में पिल्ग्रिमों के द्वारा दिये गये एक भोज के अवसर पर अपने भावी कार्यक्रम की एक मफ्तक दी। पिल्ग्रिम सोसाइटी का सम्बन्ध ब्रिटेन और अमरीका दोनों ही राष्ट्रों से है। परन्तु आज के पिल्ग्रिम (यात्री) उन पिल्ग्रिम पिताओं के समान धार्मिक यात्री नहीं हैं, जो १७ वीं शताब्दी में धार्मिक स्वतंत्रता की खोज में रवाना हुए थे। लार्ड वेवल ने कहा कि हधर हमारे हृदयों से धार्मिक खोज की भावना का अभाव हो चला है। यह अच्छा ही है कि लार्ड वेवल को बनयन की यह चेतावनी समरण हो आयी कि “कोई भी बाधा हमारे हृदयों से जिज्ञासा के भाव को नष्ट न कर पायेगी” पिल्ग्रिम (यात्री) का कर्तव्य सत्य की खोज में जागे रहना है। सत्य अहिंसा ही में है, हिंसा में नहीं। लोभ, अनुचित आकांक्षा तथा शक्तिशाली-द्वारा अशक्त पर अत्याचार हिंसा है। कमज़ोरों के प्रति अपना फर्ज पूरा करना, दूसरों से प्रेम करना और उनके लिए रुजुबेट की चारों स्वाधीनताओं को स्वीकार कर लेना अहिंसा है। यदि भारत के प्रति लार्ड वेवल का प्रेम वास्तव में एक जिज्ञासु की भाँति सत्य की खोज है तो वे अपने गुरु लार्ड एलेनबी के, जिनकी मिसवाली सफलताएँ प्रसिद्ध हैं, आदर्श का अनुसरण कर सकते हैं।

भारत में इस भाषण को विशेष महत्व नहीं दिया गया। फिर भी कहा जा सकता है कि अनुसरण करने के लिए लार्ड वेवल को एक आदर्श मिल गया।

इसके उपरान्त ईस्ट इंडिया एसोसियेशन में भी लार्ड वेवल के समान में एक समारोह हुआ। लार्ड महोदय ने सामने आनेवाली कठिनाइयों व खतरों का जिक्र किया और साथ ही इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि इंग्लैंड की सभी वर्ग को जनता में भारत के प्रति सदूभावना वर्तमान है। आपने यह भी कहा कि इस समय भारत के सामने एक बड़ा अवसर है। यदि मैं भारत को सन्मार्ग पर लाने में उसकी कुछ सहायता कर सकूँ तो इस से अधिक अभिमान और प्रसन्नता की बात मेरे लिए और कोई न होगी। मिठा एमरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि एक चतुर हाथी पुल पर पैर रखने से पहले उसकी जांच कर लेता है। लार्ड वेवल ने उत्तर में कहा कि चतुर हाथी अपने लिए पुल आप खोज लेता है। लार्ड महोदय का यह कथन खूब रहा। उनका मतलब था कि वे मौजूदा पुल की पर्वाइ नहीं करते, क्योंकि वह पहले ही से कमज़ोर व अनुपयुक्त है। संगठित भारत का भार तो नया पुल ही बहन कर सकता है और वे स्वयं इस पुल का निर्माण करेंगे।

एक के बाद दूसरी दावत हुई। अगली दावत रायल प्रॉप्रिएटर सोसाइटी की तरफ से थी। लार्ड वेवल के भाषणों में लार्ड कर्जन के भाषणों की तरह विभिन्नता नहीं थी। उनकी सब से

बड़ी विशेषता थी कि सुनवेबालों को बाह्य-बाहर सावधान करना और उन्हें भ्रम में पहने से हस प्रकार बचाना था:—“हमें जिन खतरों व कठिनाइयों का सामना करना है उन्हें मैं पूरी तरह महसूस करता हूँ।” “युद्ध में भारत के प्रयत्नों के लिए मित्रराष्ट्र उसके क्षणी हैं।” “परन्तु हमें महसूस करना चाहिए कि भारत की यातायात-प्रणाली व आर्थिक व्यवस्था को कितने अधिक दबाव में काम करना पड़ा है और साथ ही हमें हस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम उनके ऊपर हसना भारत न रख दें कि उमे उठाने में वे असमर्थ ही जायें।” “भारत जाते समय एक महान् उत्तरदायित्व के साथ मैं उस के महान् भविष्य का भी अनुभव करता हूँ।” “अब तो सब से बड़ी आवश्यकता उसके नेताओं को सम्मार्ग पर लाने की है।”

लार्ड वेवल को अपनी डपार्चिं जिस विचेस्टर के लिए मिली वहाँ उन्होंने एक नयी बात भी कही—“भारत में हमने व्यवहार करने और एक या दो बार निर्णय करने में गलतियाँ की हैं, किन्तु ये गलतियाँ हम ने लोभ या भय से प्रेरित होकर नहीं की हैं। दूसरी तरफ भारत को शान्ति प्रदान करके, उसमें राष्ट्रीयता की भावना प्रोत्साहित करके और उसे स्वतंत्रता व स्वाधीनता के पथ पर ले जाकर हमने उसका जो कल्याण किया है, हसे अच्छे शासन व सुप्रबंध का एक सर्वोत्तम नमूना कहा जा सकता है।” साथ ही लार्ड वेवल हमें फिर सावधान करते हैं—“अभी लिंग धूमिल और पथ अंधकारपूर्ण जान पड़ता है। यदि हम भारत को कुछ आगे और बढ़ा सकें तो फिर उसे हम अपने उज्ज्वल भविष्य की तरफ अपने-आप बढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं।”

दिल्ली में नये बाह्यसराय की नियुक्ति से ब्रिटेन में मजदूर दल एक बड़ी कठिनाई में पड़ गया। अनुदार-दलवाले तो स्पष्ट रूप से अग्रिवर्तनवादी, प्रतिक्रियावादी और पिछड़े हुए थे और मिठो चर्चिल के नेतृत्व में घोषित कर ही चुके थे कि वे साम्राज्य का दिवाला निकालने के पक्ष में किसी भी तरह नहीं हैं। उदारदलवाले सिर्फ नाम के ही उदार थे और उनकी संख्या भी पर्याप्त न थी। जिस मजदूर-दल ने दो बार हक्कमत संभाली थी वह अपने को अनुदार-दल के बीच विरा और कमज़ोर पा रहा था। दल में तान वर्ग थे। सब से प्रभावशाली वर्ग नम विचारवालों का था और उसके नेता एटली, मारीसन, बेविन, ग्रीनबुड और रिडले थे। मध्यवर्ग के नेता सोरेसन और वायें या उग्र वर्ग के नेता श्रो कोवे थे। मजदूर दल में पहले वर्ग का ही जोर अधिक था और वह हिन्दुस्तान के सवाल पर सरकार को किसी परेशानी में नहीं ढालना चाहता था। इसलिए इस वर्ग का एक डेपुटेशन लार्ड वेवल से मिला और उन्हें बताया कि राजनीतिक अवंगा दूर करने का जो भी प्रयत्न वे करेंगे उसका पूरा समर्थन मजदूर-दल करेगा। इसलिए मजदूर दल वालों ने और कुछ नहीं तो कम-से-कम वह जाहिर तो कर ही दिया कि नकारात्मक प्रतिक्रियावाद ब्रिटेन के विचारों का सच्चा प्रतीक नहीं है, इसलिए आगे कदम उठाकर वे विरोधी दलवालों को खुश ही करेंगे। इसके विपरीत, मध्यम वर्ग नकारात्मक नीति से संतुष्ट होनेवाला न था। वह ब्रिटेन की यह नैतिक जिम्मेदारी महसूस करता था कि परिस्थिति को विषम बनानेवाले कारणों को हटाना और भारत की आकांक्षाओं व मांगों को पूरी करने के लिए प्रयत्नरीत होना उसी का काम है। वह यह भी कहता था कि परिस्थिति बदल जाने और सुदूरपूर्व के युद्ध के हल में परिवर्तन के कारण कांग्रेसी नेता भी अपनी नीति में रद्दोबदल करने की झड़ूत महसूस कर सकते हैं। मजदूर-दल का मध्यम वर्ग नया विधान लागू होने तक ऐसी अस्थायी सरकार की शापना पर जोर देना चाहता था, जिसके प्रति बाह्यसराय अपना नकारात्मक अधिकार काम में

न ला सके। मिं० कोंडे का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति रिआयत करने का नहीं, बल्कि उसके अधिकारों का था। वे भारत का स्वतन्त्रता की घोषणा करने, राष्ट्रीय-सरकार की तुरंत स्थापना व राजनीतिक बंदियों की रिहाई और सद्भावना बढ़ाने के अन्य उपाय करने के पहले में थे।

जब कि एक तरफ मजदूर-दल को कार्यसमिति तथा पार्लीमेंटरी समिति का भारत-सम्बंधी उप-समिति में विचार हो रहा था, दूसरों तरफ द्रेड यूनियन-दल सुकाबले में अच्छे दृष्टिकोण का परिचय दे रहा था। द्रेड यूनियन-दल के नेता मिं० डोबा ने भारत-सम्बंधी नीति में परिवर्तन को मांग जोखार शब्दों में उपरियत का ओर कहा कि भारत का दुर्भिक बहुत कुछ शासन-सम्बंधी अव्यवस्था व जनता का सहयोग प्राप्त न करने के कारण हुआ है।

लार्ड वेल्स के भारत के लिए विद्या हांने का समय आने पर इंग्लैण्ड के अपरिवर्तनवादी लोग भी भरत के लिए अपना फर्ज महसूस करने लगे। इस बार पादरियों को उत्सुकता विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। भारत के मिशनारियों-द्वारा भेजी गयी सूचना के आधार पर मेथिड्स्ट गिरजा को एक जिला शास्त्रा-द्वारा पास किया गया एक प्रस्ताव मिं० एमरी के पास भेज दिया गया। प्रस्ताव के सम्बन्ध में मिं० एमरी ने कहा :—

“मैंने उल्लिखित प्रस्ताव को देखा है। मुझे विश्वास है कि नये वाइसराय विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य सद्-भावना स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, किन्तु राजनीतिक समस्या का हज़ार साल तोर पर राजनीतिक नेताओं के दृष्टिकोण पर ही निर्भर है।”

पादरियों को भारत के प्रति अपने कर्तव्य का भली प्रकार ज्ञान रहा है। भारत के गतिरोध और कटुता पर उन्हें सदा से खेद रहा है।

लार्ड वेल्स जिस दिन दिल्ली पहुंचे उसी दिन मिं० एमरी ने ‘संडे-टाइम्स’ के राजनीतिक संवाददाता से सुनकात करते हुए भारत में हाल के वर्षों की समीक्षा करते हुए भवितव्य की तरफ दख़ किया। भारत से सर स्टेफ़न किप्स की रवानगी के समय से मिं० एमरी ने किप्स-प्रस्तावों के सम्बन्ध में पहली बार चर्चा उठाते हुए कहा कि प्रस्ताव अभी तक कायम हैं।

२८ अक्टूबर को पार्लीमेंट में अच्छे के बारे में सवाल-जवाब के दौरान में श्री सोरेंसन ने मिं० एमरी से प्रश्न किया कि कांग्रेस ने नागरिकों से कोई वार्ता हुई या नहीं और क्या उनसे बातचीत लिइना उचित न होगा? मिं० एमरी ने उत्तर दिया :—

“चार साल पहले कांग्रेस ने जान-तूककर प्रांतीय शासन की जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया था और उसी समय से वह युद्ध-प्रयत्न को असरकार बना देने का प्रयत्न करती रही है।

“जब तक कांग्रेसी नेता अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर देते तब तक उनके हाथ में इस भारी समस्या की जिम्मेदारी देना उचित नहीं आन पड़ता।”

दुनिया में हरेक बात की आखिरी सीमा होती है—यहां तक कि लार्ड लिनलिथगो की साढ़े सात साल की वाइसरायी की भी, जो एक तरफ उन्हें खुद कम थका देनेवाली नहीं सिद्ध हुई, और दूसरी तरफ भारत भी उससे ऊब उठा। भारत में उनका शासन इस बात की सब से बड़ी चेतावनी है कि किसी देश का शासन किस प्रकार आरम्भ नहीं करना चाहिए।

ओ० एडवर्ड्स ने ‘न्यू स्टेट्सेन एंड नेशन’ में लार्ड लिनलिथगो पर हापी शीर्षक से एक लेख (१२ दिसम्बर, १९४३ को) लिखा था। लेख के कुछ अंश हस प्रकार हैं :—

“भारत में दस वर्ष पहले काम कर चुकनेवाले लार्ड लिनलिथगो ने वाइसराय नियुक्त होने पर अपने पहले भाषण में विधान के अंतर्गत रहकर शासन करनेवाला भारत का पहला

वाइसराय बनने को आशा प्रकट की था। परन्तु हिन्दुस्तान का अरेडाकृत कम अनुभव रखने-वाले लार्ड लिनलिथगो ने कार्य-आरम्भ करने के बायटे भर के ही भीतर एक धर्मगुह की तरह उपदेश दे डाला कि वे देश से प्रेम किये जाने की आशा करते हैं और साथ ही यह भी बता डाला कि देश को क्या करना चाहिए। उन्होंने आदेश निकाला कि उनके भाषण के अंश देश भर में जगह-जगह चौखटों में लगाकर टांग दिये जायें और मई के मध्य में एक सब से गर्म दिन को पुलिस और सेना को परेड के लिए बुलाया जाय और अक्सर उन अंशों को फिर से पढ़कर सब को सुनावें।

“उन्हें कार्य-भार संभाले अभी एक पखवारा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने एक बटालियन का बटालियन बखास्त कर दिया। कारण यह था कि उन्होंने—जैसा कि उनका स्वयाक्षर था—कुछ सिपाहियों को बड़े तड़के सिगरेट पीते और ताश खेलते हुए देख लिया था।”

एक पखवारे बाद ब्यूरो आफ पब्लिक इंफर्मेशन से निम्न पत्र भारत के एक दैनिक पत्र के नाम भेजा गया था :—

“मुझे वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी से जात हुआ है कि श्रीमान् ( वाइसराय ) को यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि.....कोर्ट सर्कुलर का किस भाँति प्रकाशित करता है। उसे ‘सांशाल एंड पर्सनल’ शार्षर के अन्य ब्यक्तियों की गतिविधि के संबंधों के साथ ही प्रकाशित किया जाता है। मुझे सूचित किया गया है कि श्रीमान् के मतानुसार.....जैसे पत्र को कोर्ट सर्कुलर लंदन के ‘टाइम्स’ का हा भाँति उद्धृत करना चाहिए। उस पत्र में कोर्ट सर्कुलर के प्रति ‘सांशाल एंड पर्सनल’ से भिन्न व्यवहार किया जाता है। प्रांतीय गवर्नरमेंट-हाउसों की घोषणाओं के साथ उसके प्रकाशित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किन्तु श्रीमान् का मत है कि अन्य संबंधों के साथ (ऐसे कुछ संबंधों पर साथ की कठिन में नवी स्थाही-द्वारा निशान लगाया गया है) उसका प्रकाशित किया जाना अवांछनीय है।

“सम्बद्ध पत्र में संबंधी के दूसरे सर्वोच्चम पृष्ठ पर एक कालम के ऊपर वह सर्कुलर प्रकाशित होता रहा है। जिन संबंधों पर जाक स्थाही से निशान लगा। है उनका सम्बन्ध ऐसे व्यक्तियों से है जैसे भारत-सरकार के एक उच्च सदस्य तथा एक भारतीय राजनीतिज्ञ आदि। लंदन ‘टाइम्स’ के मुकाबले में यहां कोर्ट सर्कुलर का भेद करने के लिए बारीक लाइन या रुज़ का उपयोग किया जाता है। लार्ड लिनलिथगो ने दिल्ली के गरीब पशु-पालकों के लाभ के लिए तीन नस्ब बढ़ाने के साँइ दिये थे और गैर-सरकारी लोगों से इस उदाहरण का अनुसरण करने को कहा था। परन्तु उन्हें स्वयं यह दावा करने की अनुमति देने की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि यह उन्हीं को सुझवूक न थी। उदाहरण के लिए पिछले द वर्षों में पंजाब सरकार ४,५०० नम्बर बढ़ानेवाले साँइ निशुल्क दे चुकी है। सरकारी वक्तव्यों में स्कूली बालकों को निशुल्क दूध देने की योजना का ‘वाइसराय द्वारा उद्घाटन’ होना कहा गया था। वाइसराय होने से पूर्व श्रीमान् सिन्ध में एक ऐसी योजना को अमल में आते हुए देख चुके थे।

“उस समय भारत में औसत व्यक्ति की आय का अनुमान ५ पौंड से ६ पौंड वापिंक तक लगाया जाता था। वाइसराय का वेतन लगभग २०,००० पौंड ( २,४६,००० रु ) और भत्ता लगभग ३००० पौंड वार्षिक था। वेतन से चौगुनी धनराशि वाइसराय को अपने कर्मचारी-मंडल, दौरे व दूसरे खर्चों के लिए मिलती है। लार्ड विलिंगडन के अवकाश महण करने से एक साल

पहले और लार्ड लिनलियगो के दूसरे वर्ष में दो महीनों का खर्च कमशः इस प्रकार था:—

१६३४-३५ १६३७-३८

(पौदों में)

१. प्राइवेट सेक्टरी का कर्मचारी-मंडल

१४,५१६ २६,०२६

२. वाइसराय के दौरे

२३,१८६ ३६,०००

“कुछ करदाताओं को यह देख कर अश्वर्य होता था कि लार्ड लिनलियगो अक्तूबर, १६३६ में एक भारतीय नरेश के यहां जब गैर-सरकारी तरीके पर १० दिन के लिए मिलने गये तो उन्होंने अपने साथ ६६ अर्किले जाने की ओर एक महीने बाद जब दूसरी रियासत में उससे भी कम दिनों के लिए मिलने गये तो १२४ अर्किले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

“लार्ड लिनलियगो ने अपने पहले भाषण में ही कहा था कि सरकारी नीति को प्रकट करने और उसका आचित्य सिद्ध करने के लिए उपयुक्त स्थान केन्द्रीय असेम्बली ही है।

“लार्ड लिनलियगो के पद-ग्रहण करने पर केन्द्रीय असेम्बली के पहले अधिवेशन में ही प्रस्तावों पर बहस न होने देने में उन्होंने पिछले सभी रिकार्डों को तोड़ डाका। उन्होंने एक दर्जन के लगभग कार्य-स्थगित-प्रस्तावों को रोक दिया, जो सदा केन्द्रीय सेना की अपेक्षा प्रांतीय सेना के नहीं होते थे। उन्होंने असेम्बली की रिपोर्टों को विशेष स्थान देने के लिए उपस्थित किये जानेवाले एक बिल पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था।

“१६३७ की वसंत ऋतु में जब कांग्रेस पद-ग्रहण करने के लिए सौदा तय करने में जगी थी, लार्ड लिनलियगो देहारादून व शिमला जाने से पर्व बरेली जिले में शिकार करने चले गये। पर यह भी समझ वह है कि वे प्रतीक्षा कर रहे हों कि समय बीतने पर कांग्रेस-जनों की आन्तरिक शक्तियों के घात-प्रतिघात से परिस्थिति कुछ सुधर जाय, जैसो कि वह सुधरी भी। फिर १२ सप्ताह बाद उन्होंने भाषण दिया और कहा कि जो कुछ भी वे बोलेंगे ‘संस्कृत भाषा’ में बोलेंगे। जरा देखिये तो सही यह भाषण वाइसराय ने उन लोगों के लिए दिया, जिनकी मातृ-भाषा अँग्रेजी न थी:—

“पार्लामेंट की युक्ति और हम सब का, जो भारत में सन्नाट के सेवक हैं और जिनके कन्धों पर कानून को अमल में लाने की जिम्मेदारी है, उन्हें यह यह होना चाहिए और है कि प्रत्येक प्रांत और सम्पूर्ण भारत के संघार और उन्नति के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से व्यवहार में अधिक से अधिक सम्भव सहयोग होता रहे और कानून के अनुसार लागू अखण्डसंरूपकों के ग्रति विशेष वथा अन्य जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए ऐसे मत-संबंध से बचना चाहिए, जिसके परिणाम-स्वरूप शासन की व्यवस्था अनावश्यक रूप से भंग होने की सम्भावना हो या जिससे गवर्नर व मन्त्रियों की उस सफ़र साफेदरी के दूटने की आशंका हो जो कानून का आधार है या उस आदर्श पर कुठाराघात होता हो, जिसकी प्राप्ति भारतमंत्री, गवर्नर-जनरल तथा प्रांतीय गवर्नर सभी चाहते हैं।”

इस में हम वाइसराय महोदय के सब से अन्तिम उस भाषण का भी एक वाक्य जो क्षेत्रा चाहते हैं, जो उन्होंने रवानगी से पहले १४ अक्तूबर को नरेन्द्र-मण्डल में दिया था:—

“अस्तु, इस महान्-पद को, जिस पर रहने का मुक्त सम्मान प्राप्त है, छोड़ते समय मैं आज यहां श्रीमान् से और आपके द्वारा समस्त नरेशवर्ग तथा उन सभी से, जो रियासतों में अपने अधिकार व स्वतन्त्रता का उपयोग करते हैं, अपील करता हूँ कि रियासतों के नरेशों को जो

उत्तम अवसर प्राप्त है, वह व्यर्थ न जाने पाये और इससे दूरदर्शितापूर्वक पूरा लाभ उठाया जाय और ऐसा करते समय नये-पुराने का ऐसा अच्छा मेल हो, और सच्ची देशभक्ति के आगे संकुचित निजी तथा स्थानीय स्वार्थों का इस प्रकार दमन किया जाय कि देशी राज्यों के बृटिश भारत से निकटतम सद्योग-द्वारा देश-भर के भविष्य का निर्माण हो सके और अपनी इस शानदार विरासत के लिए स्थिरता प्राप्त करने में भारत के नरेशों के भाग का भावी पीढ़ियां कृतज्ञतापूर्वक स्मरण कर सकें।'

भारत से लार्ड लिनलिथगो का विदाह द्वारा १८८७ के गदर के समय से अवतक की वाहसरायी का सब से जट्ठा काल समाप्त हो गया। दरअसल लार्ड लिनलिथगो का कार्यकाल दूसरे किसी भी वाहसरायी की तुलना में अधिक था। लार्ड लिनलिथगो भारत में लार्ड कर्जन की अपेक्षा छः महीने ज्यादा रहे थे। लार्ड कर्जन का काल प्रतिवर्ष बड़ाये जाने का बजाय पूरे पांच साल के लिए बड़ा दिया गया था। लार्ड लिनलिथगो के कार्यकाल का दूसरा महत्व यह था कि दूसरे वाहसरायों की अपेक्षा उनका कार्यकाल सबसे आधिक नाटकीय था। नाटक जिस तरह सुखांत हो सकता है उसी तरह दुखांत भी हो सकता है। लार्ड लिनलिथगों जिस नाटक के नायक थे वह दुखांत ही था। वे देखने में हृष्ट-पुष्ट, स्वभाव से अज्ञानी, राजनीति में कट्टरपंथी, दृष्टिकोण में साम्राज्यवादी, कुछ अभिमानी और रीति-रिवाज को बहुत माननेवाले व्यक्ति थे। उन तक पहुँचना कठिन था। उनके व्यवहार में शिष्टाचार की मात्रा आधिक होता थी आंतर वे दूसरों से मिलना-जुलना कम पसंद करते थे। बात को संक्षेप में कहना पसंद होने पर भी वे उसे घुमा-फिराकर ही कह पाते थे। कभी-कभी उनके कार्य निरहू इश्य तथा प्रभावहीन हुआ करते थे। उनके कार्य सहानुभूतिहीन हुआ करते थे, और यदकदा। उनसे हृदयहानता भी टपकता था। स्पष्टवांदवा के अभाव के कारण लोग उनके द्वारा दों पर संदेह करने लगे थे। यह शक यहां तक बढ़ा कि जब वह भारत की भाँगोलिक और आर्थिक एकता पर जार रहे थे और देश में संवर्धनात्मक स्थापित करने का आग्रह करते थे तो लोग अराचर्य करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी नीति के द्वारा देश में हिन्दू-मुसलमानों के बीच, प्रांतों और रियासतों के बीच, सवर्ण हिन्दुओं आर परिगणित जातियों के बीच आंतर प्रांतों व परिगणित प्रदेशों के बीच जिस भेदभाव को प्रोक्षणादन दिया था। उससे उनके एकता करने के आग्रह का समर्थन नहीं होता था। लार्ड लिनलिथगों ने नरेशों को बड़ावा देकर उनका कांग्रेस के नहीं, बलिक लोकतंत्रवाद के भी विरुद्ध उपयोग किया। अपने मुरिक्कम लाग के सुकावले में अगस्त १८४० में हिन्दू महासभा को स्वाकृत प्रदान का ताकि कहा जा सके—आर एम० एमरी ने कहा भी था—कि लोग और कांग्रेस में समझौता हो जाने पर हिन्दू महासभा के दावों पर विचार करना पड़ेगा। अपने अपनी शासन-परिषद में ऐसे व्यक्तियों को रखा जो कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे या उसे छोड़ चुके थे। उन्होंने मि० एमरी के शब्दों में ‘देश के सब से महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के नेताओं को जेल में दूँस दिया और फिर यह शिकायत भी को कि वे मुरिक्कम लाग से समझौता नहीं करते।’ उन्होंने नेताओं को आंतरिक सीमा और लोगों नेताओं के बीच चिट्ठी-पत्रों तक बंद कर दी और फिर आरोप किया कि वे मेल-मिलाप नहीं करते। उन्होंने अगस्त १८४२ में महात्मा गांधी को मुखाकात करने की इजाजत नहीं दी और उनकी सरकार ने सेना व पुलिस की दिसा के कारण देश में असाधारण उपद्रव फैलाने दिये। बंगाल और उडीसा में जब लाखों व्यक्ति भुखमरी के शिकार हो रहे थे तो लार्ड लिनलिथगो ने उनकी सहानुभूति में न तो एक शब्द कहा और न कोई अपील ही निकाली। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में लाट साहब १६ अक्टूबर को

“सबवर्सिव एकिटविटीज आर्डिनेन्स” के रूप में हिन्दुस्तान को अपना आखिरी सोहफा दिया।

भारत की आर्थिक व्यवस्था व राजनीति से पिछला सम्बन्ध होने के कारण लार्ड लिनलिंथगो से वाइसराय का पद सम्भालने के समय जो आशा की गई थी वह पूरी नहीं हुई। महात्मा गांधी से मैत्री का जो दावा उन्होंने किया था उसके पीछे शत्रुता की भावना छिपी हुई थी। वाइसराय भवन की सीढ़ियों पर गांधीजी से किये गये मैत्री के दावे को बाद में उन्होंने अपने कार्यों से गलत सिद्ध कर दिया। उन्होंने भारत को एक ऐसे युद्ध में, जो उसका अपना युद्ध न था, इत्यापिका सभा को सूचित किये बिना ही फँसा दिया। लार्ड लिनलिंथगो के हस कार्य की लदन के ‘टाइम्स’ तक ने निंदा की। उन्होंने २१ दिन के अनशन के अवसर पर गांधीजी को आगाखां महल में उन के भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। इस अनशन के बाद गांधीजी के जीवित बचे रहने पर जनता ने लार्ड लिनलिंथगो की भावना का जो अनुमान लगाया होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। केन्द्रीय अमेम्बलो से सलाह लिये बिना और पहले दिये गये आश्वासन के विरुद्ध उन्होंने मिस्ट्री और सिगांपुरा को भारतीय सैनिक भेजे। किंस-प्रस्तावों का विस्तार करके कांग्रेस की मांगे पूरी किये जाने पर आपने हस्तीका देने की धमकी दे दी थी। आपने श्रीराजगोपालाचार्य को न तो गांधीजी से मिलते हो दिया और न उनको प्रातिनिधिक स्थिति को ही स्वीकार किया। निदल नेता सम्मेलन की तरफ से अपना वक़ब्द रहने और फ़िर उसका उत्तर चुपचाप सुनने को कह छर उन्होंने ढांचे सप्रू का अपमान किया। गांधीजी ने जब सद्भावना प्रकट करने के लिए एक पत्र मिठीनना को लिखा तो लार्ड लिनलिंथ ने उसे रोक दिया। सब से बड़ा विरोधाभास तो यह है कि जिस वाइसराय का कृषि से इतना सम्बन्ध रहा उसी के क.ल में बहुत दिनों से भूली हुई दुभित को विभाषिका का सामना देश को करना पड़ा।

वे अपने पोछे इतिहासकार के लिए निराशाश्रा व निरर्थक प्रयत्नों का लेखा और उत्ताप्ति-कारी ऐं लिए अतुर्वाप्त विरासत छाड़ गये और इस तरह उन्होंने भारतीय समुद्रतट से नहीं-बल्कि दिल्ली का कब्रों से त्रिदाई ली। उनका न किसी ने सम्मान किया, न किसी ने उनके लिए आंसू बहाये और न किसी ने उनके गुणानुवाद ही गाये।

## वेवल आये

दिल्ली में लार्ड लुई मार्टिनेटन के अस्तूबर के दूसरे सप्ताह में अचानक पहुँचने के बाद १८ अक्टूबर, १९४३ का लार्ड वेवल भी पहुँच गये। लार्ड वेवल का आगमन अप्रत्याशित न था, किन्तु इप रद का कार्य-भार संभवतः के लिए वायुसान्दारा भारत पहुँचनेवाले आप पहले वाइसराय थे। लंदन से रवाना होते समय आपने पत्र-प्रतिनिधियों से कहा था—“मेरे सामने हम वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है।” हमसे जाहिर होता है कि भारत के वाइसराय का पद-ग्रहण करते समय लार्ड वेवल अरानो जिम्मेदारी किसी अधिक महसूप कर रहे थे। इस सवाल का एक झज्जर मिठा एमरी ने उप समय पार्लामेंट में दी थी, जब उन्होंने आशा प्रकट की थी कि नवे वाइसराय विभिन्न सम्बद्धार्यों के मध्य सद्भावना स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे। यह जाहिर था कि सवाल बहुत टेहा और नाजुक था। यह कठिनाई पिछले वाइसराय ने उत्पन्न करदी थी। यह भाव प्रकट किये बिना ही कि पुरानी नीति में परिवर्तन किया जा रहा है, नयी नीति आरम्भ करने के लिए असाधारण राजनीतिज्ञा अपेक्षित थी—खासकर एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पिछले वाइसराय की अव्याहनता में काम कर चुका हो। यह कार्य सहज न था, किन्तु उसे करने के लिए जिस आरम्भिक विवेक और दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, वह उनमें भरपूर था।

लार्ड वेवल ने इंग्लैण्ड में कहा था कि उनके महिलाओं में इस समय तीन बातें हैं, जिनमें सब से पहली युद्ध में विजय प्राप्त करना है। अब जरा भारत के मुख्य सवाल से हटकर हमें अपनी दृष्टि उस परिस्थिति पर ढालनी चाहिए, जो उस समय थी। ब्रिटेन में भविष्य करते समय लार्ड वेवल ने युद्ध में विजय प्राप्त करने को पहली आवश्यकता बताया था। उन्होंने दूसरा स्थान आर्थिक और सामाजिक सुधारों को दिया था, किन्तु भारतीय समस्या को ठीक तरह समझ लेने के बाद दूसरे कुछ भी शक नहीं रह जाता कि हिन्दुस्तान में इन सुधारों को उसी राजनीतिक समस्या में न तो अलग ही किया जा सकता है और न उसे उससे अधिक महत्व ही दिया जा सकता है। अब वे दिन नहीं रह गये थे जब अंग्रेज भारत की जनता के हित-साधन का दावा पेश करके अपने कार्यों की सफाई दे सकते थे। इसी तरह अब वे दिन भी लद चुके थे जब अंग्रेज अपने को एक अनिच्छुक राष्ट्र का संरचक कहकर सिफ़र ‘रक्षितों’ का हित-साधन न करके ‘संरक्षकों’ का भी उछू सोधा करते थे। भारतीय सवाल के निवारे से साम्प्रदायिक एकता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध न था। जान-बूझकर पैदा किये गये मतभेद न तो अपने-आप मिट सकते थे और न उनके बने रहने से एक अधिक महत्वपूर्ण काम के होने में कोई बाधा ही पह सकती थी। यदि मतभेद दूर करने की बात को महत्व दिया भी जाय तो इस दिशा में भी कांग्रेसी नेताओं के छुटकारे के बिना कोई प्रगति होनी असम्भव थी।

लार्ड वेवल ने भारत आकर गवर्नरमेंट हाउस के उस राजकीय शिष्टाचार को कम कर दिया, जिसका लार्ड लिनलिथगो को हतना चाह था। इसी शिष्टाचार के सम्बन्ध में विलियम पामर ने वारेन हेस्टिंग्स को अपने ४ नवम्बर, १८१३ वाले पत्र में लिखा था—“...समाज गवर्नर के प्रति विनम्र व्यवहार करने और स्वयं स्वतंत्रता का उपभोग करने का आदी रहा है और वह राजा और प्रजा के सम्बन्ध को पसंद नहीं करेगा।.....यहाँ की व्यवस्था बिलकुल राजसी ढंग पर है। जो भी हो, यह परिवर्तन एकाएक कर दिया गया है।” लार्ड वेवल जब भारत आये तो उन्हें हेस्टिंग्स के समय का राजसी ढंग मिला। वे इसे खट्टम या कम कर देना चाहते थे।

### मिं० एमरी की मुलाकात

लार्ड वेवल १७ अक्टूबर को भारत पहुँचे थे। उसी दिन मिं० एमरी ने कांग्रेस के विरुद्ध अपने आरोपों को दोहराया था ताकि कहीं हम या लार्ड वेवल उन्हें भूल न जायें। अपनी इस मुलाकात से मिं० एमरी ने सब जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही लाद दी थी। उनके आरोप इस प्रकार थे :—

“(१) कांग्रेस, योजना के संघवाले हिस्से का आरम्भ से ही विरोध करती आयी है, (२) कांग्रेस ने रियासतों में असंतोष पैदा करके नरेशों की हिचंकिचाइट बढ़ादी है, और (३) मुसलमान अब तक संघ-योजना के विरुद्ध नहीं थे, किन्तु प्रांतों में कांग्रेस के तानाशाही रंगडंग देखफर वे भी उसके कट्टर-विरोधी हो गये हैं।” मिं० एमरी ने यह भी कहा कि इस आशंका के कारण कि केन्द्र में कांग्रेसी मंत्रों केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों के रूप में काम न करके कांग्रेस-कार्यसमिति और गांधीजी के आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे, मुस्लिम लीग व नरेश दोनों ही १९३८ के विधान की संघ-योजना के विरुद्ध हो गये। इन पुराने आरोपों का यहाँ उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

साथ हा मिं० एमरी ने पहला बार स्वीकार किया कि देश के सब से महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के जेल में बंद होने के कारण उसका दूधरे दबों से बातचीत चलाना असम्भव हो गया है। आपने कहा—“लार्ड लिनलिथगो का वचार ठोक है कि जो लोग युद्ध के समय खुलेआम विदाह का प्रोत्साहन देने के लिए तैयार थे उन्हें यह सुविधा नहीं मिल सकती।” इसके उपरांत भारत-मंत्री ने वह नियम सुनाया, जो उन्होंने लार्ड लिनलिथगो के साथ मिलकर किया था :—

“उन्हें अपने पिछले कार्यों के लिए पश्चात्ताप करना चाहिए और इसके बाद ही उन्हें भारत के भावा विधान के निर्माण में हिस्सा लेने की अनुमति दी जा सकती है।

इसके बाद उन्होंने भावित्य के बारे में कहा :—

“अब यह देखना शेष है कि विदेश में हमारी विजय के साथ ही भारत की आंतरिक स्थिति में ऐसा सुधार होता है या नहीं, जिससे कि भारतीय नेताओं को आपस में समझौता करने के लिए राजी किया जा सके, क्योंकि इसी आधार पर शासन की स्थायी व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। यदि ऐसी प्रगति हुई तो निस्संदेह वाइसराय, सन्नाट की सरकार और भारताय जनता उसमें प्रोत्साहन प्रदान करेगी।”

ऊपर जो कुछ उद्धरण दिये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि ‘नेताओं’ से भारत-मंत्री का वास्तव्य उन लोगों से नहीं था, जो बाहर थे, किन्तु उनसे था जो जेलों में थे। परन्तु इस पहेली

का कुछ उत्तर नये वाहसराय को नहीं मिला कि जेल से बाहर आये बिना कांग्रेसी नेता अन्य लोगों से समझौता कैसे कर पायेंगे ?

यदि सच पूछा जाय तो भारतमंत्री का यह वक्तव्य खाड़<sup>१</sup> वेवल के नाम एक आदेश-पत्र था, जिसमें लार्ड वेवल को कांग्रेस के विरुद्ध चेतावनी दी गयी थी और गांधीजी व दूसरे कांग्रेसी नेताओं के लाभ-प्रार्थना करने और अगस्तवाले प्रस्ताव को वापस लेने तक वाहसराय को अपने विशेषाधिकारों से काम लेने को कहा गया था।

इसी सम्बन्ध में महामाननीय वी० एस० शास्त्री ने मि० एमरी, लार्ड वेवल व गांधीजी के नाम तीन सुखे पत्र लिखे। वे उन्होंने स्याही की जगह अपने लहू से लिखे थे। इनमें उन्होंने अपनी आमा निकाल कर रखदी थी और अनुरोध किया था कि इन तीनों व्यक्तियों को अपने अवसर व अधिकारों का उपयोग भारत व ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की गौरव-वृद्धि के लिए करना चाहिए। शास्त्रीजी ने एमरी को वसई की संधि का स्मरण दिलाया था और कहा था कि मित्र-राष्ट्रों ने जर्मनी को जिस प्रकार अपमानित किया उसका परिणाम प्रतिहिसा व प्रतिशोध की नीति के रूप में दिखाई दिया। शास्त्रीजी ने लार्ड वेवल से मि० एमरी की सलाह न मानने तथा गतिरोध समाप्त करने का उपाय शीघ्र करने का अनुरोध किया। उन्होंने गांधीजी से “एक योजना तथा एक नीति” पर जमे रहने के सिद्धांत को ल्यागने तथा समय के अनुसार नीति में परिवर्तन करने के इनुमानजी के उपदेश पर चलने का अनुरोध किया —

“ब्रॉटे-से-ब्रॉटे उद्देश्य की सिद्धि के लिए भी कोई एक योजना काफी नहीं है। सफलता के बात उसी की भिन्न सकती है, लो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न योजनाओं से काम केता है।”

ब्राड<sup>२</sup> वेवल-द्वारा वाहसराय का पद संभालते ही लोगों ने अनेक सुझाव व अनुरोध उपस्थित करने आरम्भ कर दिए, जिनमें बहा गया कि उन्हें अपने तत्कालिक कार्यक्रम में व्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं। सर फ्रेडरिक जेम्स ने अस्त्र के सघाल की तरफ ध्यान दिलाकर यूरोपियनों का मत प्रकट किया। २३ अक्टूबर को बंगलोर के यूरोपियन असोसियेशन में भाषण देते हुए सर फ्रेडरिक जेम्स ने यह गम्भीर चेतावनी दी :—

“नये वाहसराय के आगमन से अगला राजनीतिक कदम उठाने के सम्बन्ध में तरह-तरह के अनुमान किये जाने लगे हैं, किन्तु अगर लार्ड वेवल देश के लिए समुचित अस्त्र का प्रबन्ध कर सकें तो यह किसी भी राजनीतिक कदम की आवश्यकिता अपरिवारीय उद्देश्यों व भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा।”

यदि एक आवाज गतिरोध समाप्त करने के प्रयत्नों के विरुद्ध आई तो कितनी ही आवाजें ऐसे प्रयत्न आरम्भ किये जाने के पक्ष में उठीं। पृथ्वी पर शांति और मनुष्य-जाति में सद्भावना की वृद्धि के लिए भी बहुत-कुछ कहा गया। लाहौर की मेथडिस्ट चर्च-शास्त्रा के सुपरिस्टेनेंट रेवरेंड फ्राहर बी० स्टट्ज़ ने जो यह कहा कि भारतीय जमता को अन्यायपूर्ण सम्भवता के विरुद्ध विद्रोह करने पर मजबूर करने की जिम्मेदारी एक हृद तक ईसाइयों के धार्मिक सिद्धांतों पर है, यह किसी कदर ठीक ही था। नई हुनिया के राष्ट्रों में स्थान पाने के भारत के दावे का भी आपने समर्थन किया। खाड़<sup>३</sup> हैलिफेक्स जैसे यह कहते थे कि अंग्रेज भारत के संरक्षक हैं, उसी प्रकार डेवनशायर के ह्यूयू और खाड़<sup>४</sup> के बोर्न कहते आये हैं कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करने का कभी न था, उसकी स्थापना तो ऐतिहासिक आवश्यकता के

कारण हुई। इन महानुभावों के लिए १२ जून, १९४३ के 'यू स्टेट्समैन' के कालमों का निश्च  
उद्धरण उपयोगी है :—

"अपने २६ मई वाले अंक में 'आज्ञोचक' ने लार्ड एलटन के इस कथन का हवाला  
दिया है कि अंग्रेज जब भारत गये तो उनका वहाँ कोई साम्राज्य स्थापित करने का हारादा न  
था। लार्ड एलटन ने यही बात 'डेली स्केच' के भी एक लेख में कही थी। मैंने तब उस पत्र के  
सम्पादक के पास हैस्ट इंडिया कम्पनी के डाइरेक्टरों-द्वारा १९१७ में अपने मद्रास-स्थित एजेंट  
के नाम लिखे गये पत्र से एक उद्धरण भेजा था। एजेंट को सैनिक व गौर-सैनिक शक्ति-द्वारा  
ऐसी नीति का अनुसरण करने को कहा गया था जिससे भारी आय हो सके और भारत में अंग्रेजों  
का एक बड़ा उपनिवेश स्थापित आधार पर कायम किया जा सके।" यह उद्धरण के० एस०  
शेल्वर्कर की 'भारत की समस्या' नामक पुस्तक से लिया गया था।

### लार्ड वेवल ने क्या किया ?

बिना मांगे, परम्परावश या शिष्टाचार के कारण जो सजाह दी जाती है उससे ज्ञान  
बहुत कम प्रभावित होते हैं और लार्ड वेवल को भी इसका अपवाद न होना चाहिए था। यह  
स्वाभाविक है कि उनके अपने विचार, अपने सिद्धांत, कर्तव्य के सम्बन्ध में अपनी निजी भावना  
और अपनी रुचि होगी। इसलिए यदि सब से अधिक उनका ध्यान बंगाल की भुखमरी की तरफ<sup>१</sup>  
गया तो सब से पहले उन्हें इसी समस्या को हाथ में लेना था। लार्ड वेवल ने स्वास्थ्य-जांच  
तथा उचित समिति की बैठक के लिए (जो २६ अक्टूबर, १९४३ को शुरू हुई थी) जो संदेश  
दिया था उसमें उन्होंने गन्दी बस्तियों तथा उनमें रहनेवालों को नये सिरे से बसाने की समस्या,  
जल का प्रबंध, सफाई की व्यवस्था, मलेरिया-निवारण के लिए शेशी कीटाणुनाशक दवाओं का  
प्रयोग, मच्छरदानियों का अधिक उपयोग, इक्कूलों में दवाखाने खोलने, अधिक डाकटर उपचार  
करने, गांवों में डाक्टरों व नर्सों का प्रबंध करने, देशी दवाओं को प्रोत्साहन देने और अनुसंधान-  
संगठनों की चर्चा की थी।

वाइसराय ने इंग्लैंड से रवाना होने समय जो दूसरा उद्देश्य अपने सामने रखा था उसकी  
कुछ अल्पक गिजने लगी थी। एक अन्य महावर्षण बात बंगाल के पीड़ितों के लिए दी गयी  
रकमों की व्यवस्था के लिए एक विशेष कोष का खोला जाना था। भारतमंत्री, लंदन के सेयर  
और भारतीय हाई कमिशनर ने इंग्लैंड में अपील निकाल कर बंगाल की सहायता के लिए खोले  
गये वाइसराय के कोष में भेज देने का अनुरोध किया था। लंका की सरकार ने वाइसराय को  
इस कोष में भेज देने का अनुरोध किया था। दूसरा प्रचला कार्य २४ अक्टूबर को लार्ड वेवल की  
अविज्ञापित कलकत्ता-यात्रा थी। परिणामों के अलावा, इसकी सभी तरफ कद्र की गयी—खास  
तौर पर जेल में बन्द उन कांग्रेसी बंदियों द्वारा जो सीखचों के खीतर रहकर बंगाल की बराबादी  
का दृश्य दीनतापूर्वक देख रहे थे और जिसकी तरफ शास्त्र-व्यवस्था का प्रधान होते हुए भी युद्ध-  
प्रयत्न में व्यस्त वाइसराय ने कुछ ध्यान नहीं दिया था। युद्ध-प्रयत्न ही बंगाल की भुखमरी का  
एक कारण था और इस अवसर पर वाइसराय ने जिस निर्दयता तथा अमानुषिकता का परिचय  
दिया था उसकी एक औसत मनुष्य से आगा नहीं की जा सकती। नये वाइसराय ने प्रधान  
सेनापति को सब से बुरी तरह प्रभावित जिलों के लिए सेना के साधन-विशेषकर अच के यातायात्  
के लिए—उपचार करने, सहायता के केन्द्र खोलने और हज केन्द्रों के लिए अनन्त का संकलन  
करने का आदेश दिया। इन उपायों की सूचना २८ अक्टूबर को पन्न-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन

में दी गयी और हसी में योजना को कार्यान्वित करने के कार्यक्रम पर भी प्रकाश ढाका गया।

ज्ञाई वेवल के कार्यकाल की एक विशेष घटना गवर्नरों का बाह्यसराय से परामर्श के लिए एकत्र होना भी थी। पिछले दस वर्षों में बाह्यसराय के लिए गवर्नरों को परामर्श के लिए बुला जेनेना एक साधारण घटना हो गयी थी। ऐसा उस समय विशेष रूप से किया जाता था जब दमनकारी उपाय करना होता था या उन्हें हटाना होता था। परन्तु उन दिनों गवर्नर बाह्यसराय से दो-दो या तीन-चारों की टोलियों में मिलते थे। नवम्बर, १९४३ के गवर्नर-सम्मेलन की सब से बड़ी विशेषता यह थी कि ग्यारह-के-ग्यारह गवर्नर इन्हीं में उपस्थित हुए और ऐसे सम्मेलन बीस महीनों में तीन हुए। इन सभेकों के अवसर पर घोषणा की जाती थी कि सिर्फ अन्न की परिस्थित पर ही विचार हुआ। परन्तु प्रश्न उत्तरा है कि वया गवर्नर अन्न की परिस्थित को हटना निष्ठ से जाते थे कि अन्न विभाग के मंत्री या सेक्रेटरी तथा प्रादेशिक अन्न-कार्मिशर की सकाह के बिना समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकते थे। इसके कहा जा सकता है कि इन घोषणाओं से सम्मेलनों का महत्व कुछ घट ही जाता था।

बाह्यसराय ने गवर्नरों के सम्मेलनों-द्वारा प्रांतों की राजनीतिक व आर्थिक अवस्था का जो अध्ययन हुरु किया था उसे उन्होंने इन्हों की राजधानियों के दौरों-द्वारा परा करना हुरु कर दिया। ज्ञाई देश का जनक था कि यात्रा तो पहले ही हमारे कर चुके थे। इसके बाद आप ज्ञाई गये। गवर्नर-सम्मेलनों के सम्बन्ध में पालीमेंट में किये गए एक प्रश्न-द्वारा पूछा गया कि वया उनमें राजनीतिक बंदियों की रिहाई की समस्या पर भी विचार हुआ था। मिं० एमरी ने उत्तर दिया कि सम्मेलनों में सुख्यतः अन्न-परिस्थिति व युद्धेत्तर पुनर्निर्माण की समस्याओं पर विचार हुआ और शासन-सम्बन्धी कुछ निर्णय भी किए गये, किन्तु राजनीतिक बंदियों की रिहाई के बारे में कोई विर्णय नहीं हुआ। भारतमंत्री का ध्यान लेवनान के राष्ट्रपति व मंत्रियों की रिहाई की तरफ आकर्षित किया गया और अनुरोध किया गया कि भारतीय बंदियों को रिहा करके वया वे भी इस अच्छे उदाहरण का अनुसरण करेंगे। मिं० एमरी ने कहा कि दोनों बातों में खोई सम्बन्ध नहीं है। यदि मिं० एमरी को दोनों बातों में सम्बन्ध न जान पड़े हो इसमें कोई आश्वर्य नहीं है। सच भी था, बयोंकि लेवनान के आंदोलनकारियों का अहिंसा से कोई तात्पुक न था, अपने राष्ट्रपति की रक्षा के लिए उन्होंने बालू के बोरों की रोक बनायी थी और फ्रांस की औपचारिक सेना को उन तक पहुँचने में काफी समय लग गया था। लेवनानीज लोगों के पास हथियारों की कमी न थी और पहाड़ियों के पीछे जाकर उन्होंने आजाद फ्रांसीसी सेना पर समय-समय पर हमले करने की भी तैयारी करली थी। इसके अतिरिक्त, भारत और लेवनान के बीच का सम्बन्ध वाहे साम्राज्यवादी ब्रिटेन के मनचले राजनीतिज्ञों को भले ही न जान पड़े किन्तु साधारण धर्यक की नजरों से वह छिपा नहीं रह सकता। दोनों देशों में विदेशी साम्राज्यवाद का संघर्ष जनता की शक्तियों से चल रहा था। लेवनान में अंग्रेज मध्यस्थ का काम कर सकते थे, किन्तु भारत के झगड़े में वे खुद ही एक पक्ष थे और जब कोई खुद किसी झगड़े में होता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है।

बाह्यसराय द्वारा प्रांतीय राजधानियों के दौरे के समय भी राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने की योजनाओं की चर्चा चली। इस सम्बन्ध में कौसिल आफ स्टेट में जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया वह विशेष रूप से मनोरंजक था, बयोंकि मिं० हुसेन इमाम ने उसका समर्थन किया। ऐसा करने से पूर्व उन्होंने निश्चय ही खोगों से इजाजत ले ली होगी। सच तो यह है कि सरकार की

नीति से कोई खुश न था। लीग को कांग्रेस की मांग के राजनीतिक खंडहरों में दबी पक्षी रहने से क्या संतोष हो सकता था? एक राजनीतिक मूल्ति-भंजक भी काम की चीज़ प्राप्त करने के लिए भगवावशेषों की छानबीन करने लगता है। कौंसिल आफ स्टेट में भी यही हुआ। और सरकार ने भी इस बार “प्रस्ताव वापस लेने,” “नीति में परिवर्तन करने” या “गारंटी मांगने” की बात नहीं दुहरायी।

राजनीतिक समस्या के बारे में कुछ न कहने की वाइसराय की नीति से सिर्फ़ कांग्रेसी समाचार-पत्र ही उब नहीं उठे थे। ‘स्टेट्समैन’ में दिसम्बर के पहले सप्ताह में ‘दारूल-सलीम’ ने अपने ‘सासाहिक नोटों’ में इस बारे में अपनी झुंझलाहट प्रकट की कि गतिरोध समाप्त करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। वाइसराय की शासन-परिषद् में दो और सीटों के भारतीयकरण किये जाने की खबर के बारे में उसने कहा कि यह तो राजनीतिक अङ्गों को समाप्त करने के बजाय उस पर मुद्रा लगाने के समान होगा। जहाँ लेखक ने एक तरफ बंगाल की अन्न समस्या की तरफ ध्यान देने, उसके लिए अधिक अन्न उपलब्ध करने और उस अन्न के यातायात का उत्तम प्रबंध करने के लिए वायसराय की तारीफ को वहाँ दूसरी तरफ यह भी कहा। कि मनुष्य के लिए सिर्फ़ भोजन ही आवश्यक नहीं होता। भारत का शार्कित समाज इधर काफ़ी समय से अन्य चीजों का भूखा भी रहा है।

खुद मुस्लिम लीग के सम्बन्ध में भी लेखक ने कुछ बड़ी मनोरंजक बातें कहीं:—

“इस परिस्थिति में मुस्लिम लीग की स्थिरता बड़ी कठिन हो जाती है। उसकी कौंसिल की बैठकों के मध्य-काल में लीग का युवकवर्ग किसी-न-किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए अशान्त हो उठता है। वे हाइ कमांड पर दबाव ढालने और यहाँ तक कि उसे मजबूर करने के ख्याल से आते हैं। पर होके बार उन्हें कायदे-आजम मौजूदा हालत से आगाह करते हैं। परिणाम यह होता है कि कांग्रेस के ही समान लीग में भी निराशा छा जाती है। इस गडबड के लिए गोधी जी जिस्मेदार है।” ‘स्टेट्समैन’ ( ७ दिसम्बर ) ।

यह सच है कि वाइसराय ने गवर्नरों का सम्मेलन जल्दी ही बुलाया, पर उस का कुछ भी परिणाम न निकला। लोकमत में अशान्ति के छापण दिखाई देने लगे। लोग सोचने लगे कि वाइसराय के विचारों में कोई ऐसी बात नहीं थी, जिस से राष्ट्र के राजनीतिक आदर्शों की तुष्टि हो सके। बंगाल के लिए अक्ष उपलब्ध करने की समस्या की बहुत समय से उपेक्षा की गयी थी और वाइसराय ने उसकी तरफ ध्यान देकर सिर्फ़ अपने साधारण कर्तव्य का पालन किया। सैनिक दस्तों, हवाई स्टेशनों और ट्रेनिंग स्कूलों का मुआयना वाइसराय की बजाय प्रधान सेनापति का ही कर्तव्य अधिक था। लार्ड वेवल ने पंजाब के दौरे में फील्डमार्शल की वर्दी पहन कर अपनी सैनिक अभियुक्ति का ही परिचय दिया।

लेकिन लार्ड वेवल के सार्वजनिक आचरण में एक परिवर्तन दिखाई दिया। उन्होंने अखिल-भारतीय समाचारपत्र-सम्मेलन की स्थायी समिति को एक भोज दिया। यह समाचारपत्रों के लिए सदूचावनापूर्ण सेवेत था। वाइसराय ने समिति के एक सदस्य को बताया कि उन्हें इंग्लैण्ड व भारत से परामर्श के कितने ही पत्र मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी तरफ से कुछ कहने से पहले मैं इन विचारों का अध्ययन करना चाहता हूँ।

### मुस्लिम लीग

एक बार फ़िर १९४३ के नवम्बर महीने में मुस्लिम लीग की कौंसिल व कार्यसमिति की

बैठकें दिलखी में हुईं। अप्रैल के महीने में लीग के पूरे अधिवेशन में जैसी खुनौतियाँ और धमकियाँ दी गयी थीं वैसी हस बार नहीं दी गयीं। पिछले १२ महीनों में जो बाब्म हुए थे उनकी हिफाजत की ही तरफ हस बार अधिक ध्यान दिया गया था। कहा गया कि लीग के प्रभाव में पांच वजारते काम कर रही हैं। पांचों प्रधान मंत्रियों को लीग के अध्यक्ष व कार्यसमिति के सदस्यों से मिलने के लिए बुलाया गया। जनता यह भी नहीं जानती थी कि पांचों प्रान्तों के लिए राजनीतिक व आर्थिक सुधार के क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। फिर भी यह जाना जा सकता था कि दल के संगठन को सब से अधिक महत्व दिया गया। लीग अब तक कांग्रेस के संगठन की निन्दा करती थी, लेकिन अब उसने अपना भी संगठन कांग्रेस के ढंग पर किया। लीग की कार्यसमिति को समाचारपत्र 'हाइ कमांड' कहने लगे। कांग्रेस ने अपनी कार्यसमिति के लिए हस शब्द का प्रयोग किये जाने का प्रतिवाद किया था, लेकिन लीग ने हसका बुरा नहीं माना। कहा गया कि सभी लीगी प्रान्तों को एक नीति, एक कार्यक्रम और एक ही अनुशासन का पालन करना चाहिए। 'स्टेट्समैन' ने मिं० जिज्ञा की तुलना गांधीजी से की और कहा कि मिं० जिज्ञा की नीति प्रत्यक्ष है, जबकि गांधीजी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। उस ने समस्त शक्ति एक स्थान में केन्द्रित होने को भी बुरा बताया।

मध्य तो यह था कि वस्तुस्थिति को देखते हुए हन दोनों संगठनों की आपस में तुलना नहीं हो सकती। कांग्रेस की सदस्यता सब के लिए खुली थी। लीग के सदस्य केवल एकधर्मवाले ही हो सकते थे। कांग्रेस का प्रतिवर्ध सिर्फ यही था कि किसी साम्प्रदायिक संस्था की समिति का सदस्य कांग्रेस की किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। खाकसारों के लीग का सदस्य न बनने देने की तुलना हस से नहीं की जा सकती कि लीगी सदस्य कांग्रेस की किसी समिति के सदस्य नहीं बन सकते। लीग मुसलमानों की संस्था थी और फिर भी वह कुछ मुसलमानों को ऐसे कारणों से अलग रखती थी, जिन्हें राष्ट्रीय आथवा साम्प्रदायिक आधार पर नहीं समझा जा सकता। यह तो सिर्फ मिं० जिज्ञा बनाम अल्लामा मशरिकी के नेतृत्व का सवाल था एक खाकसार ने मिं० जिज्ञा पर जो हमला किया उसमें किसी केन्द्रीय साजिश का हाथ न था वह एक जल्द उत्तेजित हो उठनेवाले व्यक्ति का उन्मादपूर्ण कार्य ही था। फिर भी वडे जोरदार शब्दों में हस बात का प्रतिवाद किया गया कि हमले का उपर्युक्त निश्चय से कुछ भी मम्बन्ध न था।

जहाँ तक वजारतों का सवाल है वहाँ तक यह कहा जा सकता है कि पंजाब, सिंध, सीमाप्रान्त, दंगाज और आसाम में से किसी एक भी प्रान्त की असेम्बली में मूल लीगी सदस्यों का बहुमत नहीं था। पंजाब में मिली-जुली वजारत थी, जिस के सम्बन्ध में मिं० जिज्ञा ने घोषणा की कि सर सिकंदरहयात खां की मृत्यु और उन के स्थान पर कनेंज सिक्कियात खां की नियुक्ति से जिन्ना-सिकन्दर समझौते का अंत हो गया। दूसरी तरफ हिन्दू, मुसलमान और सिलें के संयुक्त प्रयत्नों पर बने यूनियनिस्ट दल का उत्तरे ही जोर से कहना था कि समझौता बना हुआ है और अखिल भारतीय प्रश्नों के अतिरिक्त प्रान्तीय प्रश्नों पर वजारत समझौते की शर्तों को मानने के लिए मजबूर है। सिंध में लीग के अधिकार प्रदण करने की बात नाम के लिए भी सही न थी। सर गुरुमाम हुसेन हिदायतुल्ला लीग के सदस्य नहीं थे। प्रधान नियुक्त होने के समय हिदायतुल्ला सिर्फ लीग से बाहर ही न थे, बल्कि उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई भी होने वाली थी। हससे भी अधिक सत्य तो यह बात थी कि उन्होंने जिस स्थान की पूर्ति की थी वह

अल्लाहबाद के उपाधि लौटाने पर उनकी बख्तास्तगी के कारण खाकी हुआ था। उतनी ही अनुचित रिथित में स्वर्गीय सर जार्ज हर्वर्ट ने फजलुल हक को बख्तास्त किया था। इस समस्या के सम्बन्ध में जब पार्लीमेंट में सवालों की मध्ये लग गयी तो मि. एमरी उनका सामना करने में असमर्थ हो गये और उन की चुप्पी ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल के प्रधान मंत्री ने लोकतंत्री प्रथा के अनुसार इस्तीका नहीं किया। बल्कि उन्हें जबरन बख्तास्त किया गया। इस प्रकार गवर्नर में जो विश्वास किया गया था उसका ठीक उपयोग नहीं किया गया। और यदी वजारत कायम होने पर बहुमत उसके पक्ष में न था। परन्तु लोग शक्ति के केन्द्रबिंदु के चारों तरफ इकट्ठे होने लगते हैं।

सीमा प्रान्त में भी कहानी ऐसी ही कहण थी। १० कांग्रेसी सदस्यों के जेल में रहने पर भी लीगी वजारत कायम की गयी। गोकि मृत्यु या नजरबन्दी के कारण खाकी हुए स्थानों के उप-चुनावों को वजारत की सुविधा के अनुसार स्थगित रखा गया, फिर भी वजारत का धारा-सभा में बहुमत नहीं हुआ। इसके बाद १२,००० नजरबन्दों तथा सुरक्षा-बंदियों को छोड़ दिया गया, किन्तु असेम्बली के कांग्रेसी सदस्यों को कुछ समय तक नहीं छोड़ा गया। कांग्रेसी सदस्यों के छुटते ही औरंगजेब-वजारत ने इस्तीका दे दिया और प्रान्त में फिर कांग्रेसी शासन कायम हो गया।

पांचवाँ प्रान्त आसाम था, जिस में १३ धारा का शासन समाप्त होने पर सर सादुल्ला खाँ प्रधान मन्त्री बने।

पांचों वजारतें ब्रिटिश सरकार के कृपापूर्ण प्रभाव से कायम हुई थीं। सरकार ने युद्धकाल में वजारतें कायम करके राजनीतिक अड़ंगा भङ्ग करने और कांग्रेस का सफाया करने की सोची थी। इन पांच प्रान्तों से बाहर और कहीं भी ब्रिटिश सरकार का यह धृत्यंत्र सफल नहीं होसका।<sup>१</sup>

मि० जिन्ना को ब्रिटिश सरकार से कुछ खींचते कहनी थीं। उन्हें दिसम्बर, १९४२ में लार्ड लिमलिथगो का कलकत्ता में दिया गया वह भाषण नहीं भाया था, जिसमें उन्होंने भौगोलिक एकता बनाये रखने का अनुरोध किया था और अक्टूबर १९४३ में, उन्हीं वाहसराय का नरेन्द्र-मंडल में दिया गया वह भाषण ही अच्छा लगा था, जिसमें उन्होंने नरेशों से संघ-योजना स्वीकार करने की अपील की थी। मि० जिन्ना ने अधिकार त्यागने की अनिच्छा के छिए भी ब्रिटिश सरकार की हज़की आलोचना की, जो अधिक-से-अधिक उस बड़े लड़के की भावना के समान जान पड़ती थी, जो बाप के न मरने या अधिकार छोड़ने की प्रवृत्ति के कारण उतारका हो उठता है।

ब्रिटिश सरकार ने हिन्दूस्तान के सवाल को जो ताक पर रख दिया था उस पर मुसलमानों में आम असंतोष फैलने लगा था। यह लीग की कौसिल व कार्यसमिति के सदस्यों के रुख से स्पष्ट था। यही मुस्लिम एम० एल० ए० के आचरण व पश्चारों के लेखों से जाहिर होता था। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज में वास्तविक राष्ट्रीय जागृति के स्पष्ट लक्षण दिखायी देने लगे। मुसलमान बंगाल के दुभिष्ठ को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ रामकृष्ण मिशन जैसी संस्था होने की भी आवश्यकता अनुभव करने लगे।

इन्हीं दिनों ( ५ नवम्बर, १९४३ को ) लार्ड सभा में लार्ड स्ट्रेबोली ने भारत पर 'स्टेचूट

<sup>१</sup> इन मंत्रिमंडलों के सम्बन्ध में विस्तृत बातें जानने के लिए मंत्रिमण्डल-सम्बन्धी अध्याय देखिये।

आफ वेस्टमिनिस्टर' अमल में जाने का एक बिल पेश करने की अनुमति मांगी। सरकार की तरफ से लार्ड क्रेबोर्न ने बिल के प्रथम वाचन का विरोध किया। आपने कहा कि किसी बिल के प्रथम वाचन का विरोध किया जाना एक अनन्होनी घटना है, किन्तु 'स्टेचूट आफ वेस्टमिनिस्टर'-जैसे महत्वपूर्ण कानून को प्रभावित करने के लिए एक लार्ड-द्वारा बिल उपस्थित किया जाना भी उतना ही अनुपयुक्त है। ऐसा बिल स्वाधीन उपनिवेशों से परामर्श करने के उपरान्त सिर्फ सरकार-द्वारा ही उपस्थित किया जा सकता है। निसंदेह लार्ड स्ट्रेबोलगी ने यह परामर्श नहीं किया है। परामर्श किये बिना रेटेचूट में संशोधन करना ऐसा ही है जैसे कुछ हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदारों से सलाह लिये बिना ही नये हिस्सेदार रखना चाहते हों। लार्ड क्रेबोर्न ने अंत में कहा—“मेरी समझ में नहीं आता कि लार्ड स्ट्रेबोलगी ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए यह विचित्र तरीका कैसे चुना। निश्चय ही सभा इस बिल को आगे न बढ़ने देगी।” और सचमुच बिल आगे नहीं बढ़ने दिया गया।

स्टेचूट को १९३१ में १९२६ व १९३० में हुए साम्राज्य-सम्मेलनों के प्रस्तावों को अमल में लाने के लिए पास किया गया था। रेटेचूट में एक तरफ तो थी ब्रिटिश पार्लीमेंट और दूसरी तरफ कनाडा, आस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, आयरिश प्री रेट व न्यूफाउंडलैंड (स्वाधीन उपनिवेश) थे। वास्तव में यह तो इंग्लैंड व उपर्युक्त उपनिवेशों में से प्रथेक के साथ ही एक संघीय थी। छः संघीयां इलग-आलग करने के स्थान पर एक स्टेचूट पास कर दिया गया, जिसमें सभी स्वाधीन उपनिवेशों ने भाग लिया। परन्तु रेटेचूट के द्वारा उपनिवेशों का एक-दूसरे के प्रति सम्बन्ध नहीं स्थापित हुआ। अस्तु, बिल लार्ड सभा में अस्वीकृत हुआ।

इस मनोरंजक तथा अप्रत्याशित घटना पर प्रकाश ढाकते समय उसके परिणाम से भी अधिक उस समय की राजनीतिक परिस्थिति की तरफ ध्यान जाता है। सरकार-द्वारा उस बिल को खुद उपस्थित करने की बात का समर्थन लार्ड क्रेबोर्न की भाषा या उनके रूप से नहीं होता। पर उनके इस कथन के सम्बन्ध में कि जब नये हिस्सेदार बढ़ाये जा रहे हों तो दूसरे हिस्सेदारों से सलाह लेनी चाहिए, हम कुछ कहना चाहते हैं। हम पूछते हैं कि जब दक्षिण अफ्रीका को साम्राज्य में समिलित किया गया था, जब भारत के सम्बन्ध में सर स्टेफर्ड क्रिस्ट ने अपने प्रस्ताव किये—क्या तब दूसरे स्वाधीन उपनिवेशों से सलाह ली गयी थी? यह तो लार्ड क्रेबोर्न का एक गदा हुआ तर्क ही था। १९३१ में कमांडर वेज़वुड बेन ने भारत मंत्री की हैसियत से जो कहा था कि भारत पहले ही आपनिवेशिक पद का उपभोग कर रहा है—इस कथन को ही लीजिये। या वसई की संधि पर भारतीयों के हस्ताक्षर होने और १९२६ के साम्राज्य-सम्मेलन में भारतीयों-द्वारा भाग लेने को ही लीजिये। और स्वाधीन उपनिवेश की व्याख्या ही क्या की गयी है। स्वाधीन उपनिवेश ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य कहा जाता है, सन्नाट के प्रति राजभक्ति की कड़ी से वंधे हैं और आन्तरिक मामलों में कोई भी स्वाधीन उपनिवेश दूसरे के अधीन नहीं है। इस प्रकार उन्हें एकता के सूत्र में बोधनेवाली वस्तु के बिल सन्नाट के प्रति राजभक्ति ही है। इसके लिए परामर्श की आवश्यकता ही क्या है? और भारत खुद उस राजभक्ति का भार उठाने को तैयार नहीं है। सच तो यह है कि बिल को टालने की नीत होने के कारण लार्ड क्रेबोर्न कुछ जरूरत से उदादा कह गये।

इस बीच भारत की तरफ से दुनिया के कितने ही देशों में एजेंट-जनरल व हाई कमिश्नर नियुक्त किये गए। जब कि एक तरफ लार्ड क्रेबोर्न भारत को नया स्वाधीन उपनिवेश घोषित

किये जाने के प्रयत्न का विरोध कर रहे थे वहाँ दूसरी तरफ स्वतन्त्र देशों, स्वाधीन उपनिवेशों तथा साधारण उपनिवेशों से भारत के सम्बन्धों में परिवर्तन किया जा रहा था। नये कूटनीतिक सम्बन्ध कायम किये जा रहे थे और पुरानों को मङ्गवृत किया जा रहा था। युद्धकाल में अमरीका में भारत के दो अफसर एजेंट-जनरल व हाई कमिशनर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में भारत का एजेंट-जनरल पहले ही था। अमरीका में भारत के प्रतिनिधियों की नियुक्ति हो चुकने पर मिं० अणे को लंका में एजेंट और श्री मेनन को चीन में हाई कमिशनर नियुक्त किया गया। इसके कुछ ही समय बाद कनाडा और आस्ट्रेलिया ने भारत में अपने हाई कमिशनर नियुक्त करने का निश्चय किया। तब भारत की तरफ से वैसा ही करने का विचार किया गया और नवम्बर, १९४३ में सर आर० पी० परांजपे को आस्ट्रेलिया में भारत का हाई कमिशनर बनाने की घोषणा करदी गयी। इस प्रकार जहाँ एक तरफ स्वाधीन उपनिवेशों के साथ भारत के सम्बन्ध अधिक निकट होते जा रहे थे वहाँ दूसरी तरफ स्वाधीन उपनिवेशों में सामर्लों में हिस्सा लेने की उत्सुकता बढ़ गयी थी।

इस बीच सर जेम्स ग्रिग, जो भारत में वाइसराय की शासन-परिषद् के अर्थ-सदस्य रह चुके थे, आक्सफोर्ड गये। साफ जाहिर था कि उनका उद्देश्य भारत के बारे में अमरीकी लोक-मत की आवाज को दबाना था। सर जेम्स ग्रिग ने कहा—“निस्सन्देह भारत के सर्वनाथ में अमरीका में वहा अज्ञान व अम फैला हुआ है। उदाहरण के लिए अमरीका में लोग यही सोचते हैं कि हैंडियन नेशनल कांग्रेस उनकी अपनी कांग्रेस के ही समान प्रतिनिधित्वपूर्ण ध्यवस्थापिका सभा है। अमरीका में लोग गांधीजी को संत भी मानते हैं” कांग्रेस के बारे में अमरीका में कोई भ्रम हो या नहीं, लेकिन यह जाहिर है कि सर जेम्स ग्रिग ने अपने इन लफ्जों से जरूर अम फैलाने का प्रयत्न किया, क्योंकि यदि अमरीकी लोग भारतीय कांग्रेस को अपनी पार्लीमेंट के समान मानते तो अमरीका की तरह भारत में भी कोई राजनीतिक समस्या नहीं होती। सच तो यह है कि अंग्रेज भारत से हटने में जो आनाकानी कर रहे थे उससे अमरीका में प्रबल लोकमत उत्पन्न होने की वजह से सर जेम्स ग्रिग तथा उनके अन्य मन्त्री-साथियों में कुछ घबराहट नैदा हो गयी थी और हीलिए सर जेम्स ग्रिग को युद्ध-कार्यालय से आक्सफोर्ड के लिए भेजा गया था। सर जेम्स ग्रिग के भाषण का यहाँ उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए सिर्फ चचिल के आंकड़े दिये और कांग्रेस पर तानाशाही का आरोप करने के लिए एमरी व कूपलैंड के तक दुहरा दिये। इन आरोपों का उत्तर सितम्बर, १९४२ में चचिल के पार्लीमेंट-वाले भाषणों, मिं० एमरी के भाषणों व कूपलैंड की पुस्तकों की चर्चा के साथ दिया गया है। सर जेम्स कांग्रेस का यह कार्य तो कामन-सभा में बिंवटन होग द्वारा की गयी उनकी प्रशंसा के बिल्कुल अनुरूप है। उन्होंने कहा था—“सर जेम्स ग्रिग कूतूरखाने में ही जन्मे और पले, दफ्तरी काम की उन्हें ट्रेनिंग मिली और अब युद्ध-कार्यालय में वे जवान हुए।” और बिंवटन होग यह भी कह सकते थे कि “आक्सफोर्ड में उन्हें मुक्ति मिली।”

### मिं० एमरी

लाई वेवल के भारत पहुंचने के कुछ सप्ताह के अंदर ही ‘साम्राज्य’ के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ होने लगीं। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में परिवर्तन की जो अफवाहें उड़ रही थीं उनमें मिं० एमरी, सर जेम्स ग्रिग और लाई साइमन के नाम भी लिए जा रहे थे। मिं० एमरी ने चेम्बरलेन-सरकार के सम्बन्ध में कॉमेंट के जिन शब्दों का (जो कॉमेंट ने दीर्घकालीन

पार्लीमेंट से कहे थे ) उद्दरण्ड दिया था अब उन्हीं शब्दों का प्रयोग स्वयं मिं० एमरी के लिए किया जा रहा था । ये शब्द हस प्रकार थे—“आप बहुत समय तक यहाँ रह चुके हैं और आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया । मैं कहता हूँ कि अब आप चले जाइये और फिर कभी अपना मुँह न दिखाइये । परमात्मा के लिए चले जाइये ।” मिं० एमरा ने पार्लीमेंट में जो सफेद झूठ कहे उन्हीं में एक यह भी था कि दिन्दुस्तान अपनो ज़रूरत के लिए कुनैन पैदा कर लेता है । यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि मिं० एमरी ने यह कथन अचानक या पत्र-प्रतिनिधियों के दबाव डालने पर नहीं, बल्कि एक लिखित उत्तर को पढ़ते समय किया था । मिं० एमरी से प्रश्न किया गया कि जब जहाजों की कमी के कारण कुनैन-जैसी अत्यावश्यक वस्तु को भारत नहीं भेजा गया तो शराब वहाँ क्यों और कसे भेजी गयीं ? मिं० एमरी ने कहा कि “भारत को शराब भेजने पर जो प्रतिबंध था उसे सितम्बर में डाला लिया गया था । शराब भारत को कुनैन के एवज में नहीं भेजी गयी । कुनैन भारत में ही उत्पन्न होती है और भारत में उसकी कमी नहीं है ।” जरा सोचिये तो कि यह उत्तर उस समय दिया गया था जब कुनैन के अभाव में हजारों व लाखों आदमी मलेरिया से पांडित होकर मर रहे थे और वायुयानों-द्वारा विद्युतों से कुनैन मंगायी जा रही थी । वस्तुस्थिति यह थी कि भारत में कुल ८०, ००० पौंड कुनैन होती है जब कि यहाँ खपत लगभग २, ७०, ००० पौंड वारिक है । यह सच है कि उस समय कुनैन का ७५ प्रतिशत राशन में था, किन्तु इससे मलेरिया में वृद्धि हो रहा था । अंत में मिं० एमरा ने अपने निर्वाचकों को इतना चुनून कर दिया कि उन्होंने उनसे इस्तोफा देने का मांगा को । अकाल के दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में जो बहस हुई उससे तो उनको और भा बदनामी हुई । भारत का राजनीतिक समस्या से भी अधिक अकाल में सुखमरी से मरनेवाले व्यक्तियों का संख्या, अन्न को मात्रा के आंकड़ों, अभाव के कारणों, परिस्थिति में सुधार के उपायों, तथा सुखमरी को जिम्मेदारा के सम्बन्ध में मिं० एमरी का सफेद झूठ प्रकाश में आ गया । लाड॑ जिनकेया की जापरवाहा । पर आपने सफद्रतापूर्वक पर्दा डाला । ये दानों मिलहर ‘लंडन-इंस्ट’ के डा० थर्सटन शार डा० कोपरास की तरह काम करने लगे । किन्तु जैसा कि अग्राहन जिक्र कह गय है, कोई व्यक्ति सभी को और हमेशा खोला नहीं दे सकता । आर जब दिसाव चुकता करने का वक आया तो मिं० एमरी की कज़ी कामन-सभा के दूसरे सदस्यों, विठ्ठन के पत्रों व उनके अपने निवाचकों के आगे खुल गयी । परन्तु यह भी अच्छा हो दुमा कि उनका कार्यालय समाप्त हो गया । १६३६ में आगरा के नये बायाये गये प्रांत में भरी अकाल पड़ा था । आर उसमें लगभग ८, ७०, ००० मनुष्यों की बल्कि चढ़ी थी । इस अकाल का चर्चा करते हुए के नामक लेखक लिखता है :—

“भारत में अकाल एक ऐसा विपत्ति है, जिसमें मनुष्य को राजनीतिज्ञता भी कुछ नहीं कर सकती और न उसे किसी प्रकार कम ही किया जा सकता है ।”

लगभग १०७ साल बाद मिं० एमरी के मुँह से भा यही शब्द निकले । एडवर्ड॑ थाम्पसन का कहना है, कि “अगला में इस्तक्षेप करना हैश्वर का इच्छा में बाधा डालना होता ।” १६३६ वाले अकाल को देखकर मेटकाफ बड़े दुखों हुए थे, पर उनके विचार से “इस विनाश से बचने के लिए ननुष्य कुछ कर नहीं सकता ।” लेकिन लाड॑ आकबैद इस भत को नहीं मानते थे और उन्होंने डप्लोमासीधारी से अकाल के निवाचण का प्रयत्न हा नहीं किया, बल्कि अकाल-सम्बन्धी जांच की बहुत कार्रवाई आरम्भ करदो, जिसके कारण भारत-सरकार का अकाल-नीति का बाद में सूत्रपात दूँभा । मिं० एमरी के विद्युत इस सम्बन्ध में बहुत बहा आरोप लगाया जा सकता है ।

अन्न की समस्या पर मि० एमरी ने जिस अकर्मण्यता व कायरता का परिचय दिया वह १६४३ के बाद बढ़ती ही गयी। उन्होंने जो यह कहा था कि सम्पूर्ण भारत की कमी नहीं है, उसका सब से पहला खंडन सम्ब्राट के भाषण में “भारत में अन्न की भारी कर्मा” के हवाले से हुआ। बंगाल-सरकार अपने प्रभुओं के मत को दुहराकर संतोष कर-ज्ञेती थी और इसी को भारत-सरकार के स्वाध-विभाग के सदस्य सर अजीजुल्लाह इक और फिर उनके उत्तराधिकारी सर उवाजाप्रसाद श्रीवास्तव ने दुहराया। परन्तु बंगाल-सरकार ने जो अनाज जमाकर रखा उसपर बाद में प्रकाश पड़ा। इन मानव-निर्मित अकाल की तह में वितरण का कुप्रबंध सब से अधिक था। आवश्यकता वाइसराय को बदलकर उनके स्थान पर लार्ड वेवल-जैसे किसी व्यक्ति के नियुक्त करने की थी। अकाल पड़ने से कई महीने पहले जब कुछ दूरदर्शी व्यक्तियों ने मि० एमरी का ध्यान इस आनेवाली मुसीबत की तरफ आकर्षित किया तो वे चक्रा गये। १० अक्टूबर, १६४३ को जब मि० सोरेंसन ने उनका ध्यान हैजा फैलने व दिवाओं की आवश्यकता की तरफ आकर्षित किया तो उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जरा मि० एमरी का दुम्हसाहस तो देखिये कि उन्होंने अकाल की चेतावनियों या बीमारी के हो जाने की तरफ ध्यान देना उचित नहीं समझा। एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसे सन्देह व शुब्दा करने का मर्ज हो, मि० एमरी सदा वही सोचते रहे—यही संदेह करते रहे कि भारत के राजनीतिक-दलों में फूट पड़ी है। इस सन्देह के भूत ने दूसरे किसी विघार को उनके दिमाग में ठहरने ही न दिया। इंग्लैंड में उन्हें कुछ ऐसे साथी मिल गये थे, जो उनके हरेक संदेह व कठिनाई का समर्थन कर देते थे। हिन्दुस्तान में उन्हें म्यारह ऐसे व्यक्ति मिले थे, जो उन्हीं के सुर-में-सुर मिलाते थे, जो उनकी तरफ से ढोका पीटने में खुद उन्हीं को मात देते थे। मि० एमरी को उनके पद से हटाने की भी एक मांग थी, किन्तु एमरी—मि० लिंगोपेल्ड एमरी—को हटाना साधारण बात नहीं थी। इन सत्तरसाला एमरी ने दिखा दिया कि लार्ड जेटलैंड उनसे अच्छे थे। यदि उनाव अनुदार दलबाले जीत जाते तो फौन कह सकता है कि लार्ड क्रोनर्व वा आर्लावर स्टेनली, जो डोमिनियन व आंपनिवेशिक विभागों में रह चुके हैं, मि० एमरी को अपने-सा अच्छा प्रमाणित न कर देते ? सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। पर हिन्दुस्तान का सवाल मि० एमरी के हटने या न हटने का नहीं था—वह तो शक्ति व अधिकार के सिहासन से इंग्लैंड के हटने का था।

बेचारे ईश्वर को अपने पापों के बीच घसीटने का अपेक्षा मि० एमरी का हिन्दुस्तान के मामके में जुप रहना कहीं अच्छा था। लार्ड लिनलिथगो ने जो आदर्श अपने सामने रखा था, उसी पर उनके आक्रा को भी चबना चाहिये था। लिनलिथगो ने हिन्दुस्तान से बिदा होने से पहले कई महीनों तक अपनी जीभ में ताजा लगा रखा था। जब अंग्रेजों ने बर्मा को हिन्दुस्तान से अलग किया था तब क्या वे नहीं जानते थे कि इससे इस मुल्क में चावल की कमी पड़ जायगी? क्या ईश्वर ने बंगाल के गवर्नर को लोगों से उसकी नार्वे छीनने के लिए मजबूर किया था? क्या उसी के करिन्दों ने कमीवाले चेत्रों में पहुँचकर चावल खरीदा था, [जिससे जनता की इतनी दानि हुई। क्या ईश्वर ने ही देश में नोटों का संख्या बढ़ाकर मूल्यों में बढ़ि की थी? क्या ईश्वर ने ही भारत के व्यवसाय तथा स्वास्थ व समुद्री यातायात की उन्नति के मार्ग में रोड़े अटकाये थे?

जब मि० एमरी ने ईश्वर का नाम अकाल व महामारियों के सिलसिले में लिया है तो प्रश्न उठता है कि उसी ईश्वर ने मि० एमरी व लार्ड लिनलिथगो को शासन व सुप्रबंध के विषय में नेक सदाह व्यों नहीं दी।

जब कि एक तरफ वाहसराय राजनीतिक मसले पर विश्वकूल चुप्पी साथे हुए थे वहाँ दूसरी तरफ गतिरोध को दूर करने के लिए सभी तरफ से जो दबाव डाला जा रहा था उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इस सम्बन्ध में जो अनुरोध व अपीलें की जा रही थीं और जो प्रतिवाद व चुनौतियाँ दी जा रही थीं उनका मिं० एमरी से उत्तर पाने की आशा की जाती थी। यह दिसम्बर, १९४३ की बात है। २८ नवम्बर को सन्नाट् का जो भाषण हुआ था उससे भारतीय नेताओं को नहीं, बल्कि पार्लीमेंट के कुछ प्रगतिशील सदस्यों—विशेषकर मज़दूर सदस्य मिं० स्लोन को बड़ी निराशा हुई थी। सर स्टेनली रीड ने तो भारत की राजनीतिक समस्या का उल्लेख न होने के कारण भाषण में संशोधन का भी प्रस्ताव किया था।

इन तथा दूसरी आकोचनाओं का मिं० एमरी ने सोच-विचार कर जवाब दिया। पर इस सोच विचार से उनके स्वभाव या प्रकृति में कोई अन्तर नहीं आ सकता था। बात को टाल देने या उसके बारे में गलतफहमी पैदा करने को जो उनकी आदत पड़ गयी थी उसका क्या हलाज था? निसकोच सब बात से दूर कर देने पर क्या किया जाता? उन्होंने पहले ही कह दिया था कि “बंगाल का अकाल मुख्यतः ईश्वर का ही कार्य है।” इस तरह उन्होंने बेचारे ईश्वर को बंगाल के पापों अनाज जमा करनेवालों की ही श्रेणी में ला बैठाया।

अभी तक हमारे खयाल में भारत के अकाल के लिए आदमी के नसीब को (जिसे दूसरे लफ्जों में ‘मिं० एमरी का ईश्वर’ भी कहा जा सकता है) जिसमें दार माननेवाले आसाम के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सर सादुल्ला खां ही थे। अब मिं० एमरी भी उन्हीं की कोटि में आ गये। उन्होंने कहा कि भारत में प्रांतीय स्वातंत्र्य शासन उसी सीमा तक है जिस सीमांतक वह अमरीका के राज्यों (प्रांतों) में है। प्रांतों के इन अधिकारों से कोई रद्दोबद्दल नहीं की गयी है और युद्ध की कठिनाइयों के बावजूद इन अधिकारों को कायम रखा जा रहा है। ये दिक्कतें बच्चे के दांत लिकलने के समय हानेवाली के, बुखार, दस्त वर्गीरह परेशानियों की तरह हैं, जिससे कभी-कभी मृत्यु तक हो जाती है। उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। अकसोस तो यह है कि मिं० एमरी ने जिस बात का पता ६००० मील की दूरी से लगा लिया, हिन्दुस्तान नजदीक से भी उसका पता न लगा सका और वह बात यह थी कि १९४२ के अंत में अकाल का अनुमान कर लिया गया था और उससे बचाव का प्रबंध कर लिया गया था और साथ ही यह भी कि “बंगाल के अकाल का मुख्य कारण पाला मार जाने की बजह से वहाँ को चावल की फसल बिगड़ जाना भी था, जिसका पता अप्रत्याशित कारणों से बहुत देर से लगा।” मालूम नहीं किस बात का पता नहीं लगा सका—पाला पड़ने का या फसल बिगड़ने का? ब्रिटेन भर की राजनीतिक व आँखोंगिक संस्थाएं मिं० एमरी की भारत-सम्बन्धों नोति-विशेषकर उनके अकाल-सम्बन्धी कुप्रबंध के विरोध में प्रस्ताव पास कर रही थीं। हाल ही में जिन संस्थाओं ने मिं० एमरी के अपदस्थ करने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पास किये थे उनमें मांचेस्टर नगर-मज़दूर-दल, ग्रीनफर्ड की समिक्षित इंजीनियर्स यूनियन, डांसपोर्ट जनरल वर्कर्स की नम्बर १ इलेक्ट्रिक की समिति, म्यूनिसिल कर्मचारी यूनियन की बनके शाखा, राज-मन्त्रीों की समिक्षित यूनियन की सेंट ऑफिस शाखा और लेनार्क खनक यूनियन की केस्टन शाखा मुख्य थीं। बरमिंघम अनुदार संघकी तरफ से होनेवाली एक सभा में जब मिं० एमरी ब्याल्यान देने गये तो उन पर बेहद आवाजकरी की गयी। यहाँ तक कि पुलिस न होती तो गम्भीर उपद्रव हो जाता और अंत में मिं० एमरी को भाषण दिये विना ही सभा से उठकर चले जाना पदा। कई मिनट तक

भारतमंत्री) ने सभा से शान्त हो जाने की प्रार्थना की, लेकिन लोग चुप न हुए और अन्त में सभा भंग हो गयी। ट्रांसपोर्ट एंड जनरल वर्कर्स यूनियन ने, जिसे संसार की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कहा जा सकता है, सर्वसम्मति से मिं० एमरी के इस्तीफे की मांग की।

लार्ड वेवल के शासन के पहले छः महीने भारत के लिए और खुद लार्ड वेवल के लिए परीक्षा के दिन थे। राजनीतिक परिस्थिति में सुधार के लिए लोकमत की मांग दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही थी और उन्होंने अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया था। श्री राजगोपालाचार्य का प्रस्ताव था कि किप्स-योजना पर फिर से विचार किया जाय। श्री एन० आर० सरकार ने किप्स-प्रस्तावों के ही आधार पर कांग्रेस को नयी नीति प्रदर्शन करने की सलाह दी। महामानीय शास्त्रीजी ने भारत को स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेश माने जाने का अनुरोध किया।

इन्हीं दिनों ११ दिसम्बर को चीन के सूचना विभाग के एक अधिकारी श्री सी० एल० स्या ने एक भोज के अवसर पर भाषण करते हुए परिचमी महाशक्तियों को इन शब्दों में चेतावनी दी—“एशिया के राष्ट्र स्वाधीनता के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें परिचमी राष्ट्रों को संजीदगी से देखना चाहिए। एशिया भर की जनता—वह चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित—इस बात को सावधानीपूर्वक देख रही है कि पुराने लोकतन्त्रवादी जो कहते हैं उसका मतलब भी वही है या और कुछ?

“कल के एशिया की ये विशेषताएँ मुख्य हैं। इनमें पहली है—स्वाधीन होने की सर्वोपरि कामना। एशियावासी इसे अपना स्वाधीनता-संग्राम कहते हैं। स्वाधीनता की यह भूख जब पैदा हो गयी है तो वह शान्त होकर ही दम लेगी। दूसरी विशेषता यह है कि कल का एशिया उन्नत, प्रगतिशील तथा अनेक मनोरंजक सम्भावनाओं से पूर्ण होगा। जब हमारा भाग्य हमारे हाथों में है तो हम अपने यहां से निर्धनता, अज्ञान और अत्याचार की जड़ खोदकर ही दम लेंगे।”

हंगलैंड में मजदूर दब चुप न था। लंदन से १६ दिसम्बर को चली एक खबर में कहा गया कि दक्ष के सम्मेलन में मिं० आर्थर ग्रीनबुड ने जो वादा किया था कि कार्य-समिति भारत-के सवाल पर फिर से विचार करेगी, उस के परिणामस्वरूप काफी कार्रवाई हुई।

कलकत्ता के असोशियेटेड चेम्बर्स आफ कामर्स के वार्षिक अधिवेशन में ही वाइसराय अक्सर महत्वपूर्ण घोषणाएँ करते रहे हैं। अधिवेशन का समय निकट आने के कारण राजनिर्तज्ज्ञों ने राजनीतिक समस्या को हज़ करने के लिए अनेक सुकाव पेश करने आरम्भ कर दिये।

ब्रिटिश समाचार-पत्रों में एक खबर छपी कि चांगकाई शेक ने चुंगकिंग से महात्मा-गांधी और जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिख कर जापान को पराजित करने के लिए युद्ध में सहयोग करने के लिए कहा है। चांगकाई शेक से परिचित लोगों ने कहा कि वे सिर्फ एक पक्ष से अपील नहीं कर सकते। फरवरी, १९४२ में विदाई के समय दिये गये संदेश में भी चांगकाई शेक ने दोनों ही पक्षों से अपील की थी। यह अपील ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्र द्वारा ही से की गयी थी। भारत से कहा गया था कि उसे विश्व की स्वाधीनता के लिए मिश्र-राष्ट्रों का साथ देना चाहिए। ब्रिटिश सरकार से कहा गया था कि उसे मांगे बिना ही भारतीय राष्ट्र को वास्तविक राजनीतिक अधिकार प्रदान कर देना चाहिए ताकि वह अपनी आध्यात्मिक व नैतिक शक्ति का विकास कर सके। जनरल चांगकाई शेक की अपील उस अज्ञात किले, जिसमें कार्यसमिति कैद थी, या आगामी महिला तक नहीं पहुंच सकी। गांधीजी व उन के साथियों

को स्वाधीनता के स्थान पर अंग्रेजों ने बेक्षियाँ ही दीं। इस प्रकार भारत की स्वाधीनता के सिपाहियों का जेल की अधिरी कोठरियों में दूसरा बड़ा दिन और दूसरा नया वर्ष गुजर गया।

च्यांगकाई शेर के पत्रों का संचाद छपा ही था कि वाइसराय उडीसा और आसाम का दौरा समाप्त करके कल्पकता आये और उन्होंने २० दिसम्बर को असांशियेटेंड चेम्बर्स आफ कामर्स के वार्षिक अधिवेशन में भाषण दिया:-

“मैंने भारत की वैधानिक तथा राजनीतिक समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा है—इसलिए नहीं कि ये समस्याएं हमेशा ऐसे दिमाग में नहीं रहतीं, इसलिए भी नहीं कि भारत की स्वशासन-सम्बन्धी आकांक्षाओं के प्रति मेरी सहानुभूति न हो और इसलिए भी नहीं कि मेरे विचार में युद्ध के दरमियान राजनीतिक प्रगति होना असम्भव है उसी तरह जिस तरह मैं यह नहीं सोच सकता कि युद्ध के खलम होने से ही राजनीतिक अवंगे का कोई फल निश्चित आवेगा, बल्कि इसलिए कि मेरा विश्वास है कि उनके सम्बन्ध में कुछ कहकर मैं उनके निवटारे का रास्ता माफ नहीं कर सकता। अभी तो मैं अपनों शक्ति उस काम से ही लगाना चाहता हूँ जो मेरे सामने है। इस समय भारत के पास संकल्प-शक्ति और बुद्धिमत्ता का जो खजाना है उसका उपयोग उसे युद्ध में विजय प्राप्त करने, घेरेलू आधिक मार्चे का संगठन करने और शान्ति की तैयारी करने में ही जगा देना चाहिए।

“भारत का भविष्य इन महान् समस्याओं पर ही निर्भर है और इन समस्याओं को निवाटने के लिए मुक्ते इत्येक इच्छुक व्यक्ति के सहयोग की ज़रूरत है। यह तो मेरा विश्वास नहीं है कि शासन-सम्बन्धी महान् लद्यों की प्राप्ति के लिए यदि हम अभी ऐसे समय सहयोग करें, जबकि देश के लिये संकट उत्पन्न है, और उन लद्यों के सम्बन्ध में सहयोग करें जिनके बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के बाच कोई मतभेद नहीं है, तो हम ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए बहुत-कुछ कर सकेंगे, जिसमें राजनीतक गतिरोध का फल हो सकेगा। सरकार के प्रधान और भारत के पुराने और सच्चे दास्त के नाते मैं अपने कार्यकाल में देश के उसके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए भरपूर प्रयत्न करूँगा। इमारा रास्ता न तो सरल है और न उसे छोटा करने के लिए पगड़दियाँ ही हैं। फिर भी यदि हम अपनी समस्याओं के निवटारे के लिए मिलकर प्रयत्न करें तो उज्जवल भविष्य के सम्बन्ध में हम निश्चिन्त हो सकते हैं।”

इस भाषण की भारतीय पत्रों तथा जनता ने वैसी ही कद आलोचना की, जैसी कि ऐसे भाषणों की हुआ करती है। वाइसराय ने जो यह कहा कि ‘अभी राजनीतिक समस्याओं के निवटारे के सम्बन्ध में कुछ कहकर उनका फल आसान नहीं बनाया जा सकता,’ इससे उनका मतलब क्या था? कुछ ने ‘कहने’ व दूसरों ने अभी पर ज्यादा जोर दिया। यदि कहना ठीक न था तो कम-से-कम कुछ ‘करना’ तो चाहिए था। यदि अभी कुछ नहीं होना था तो ‘भविष्य’ का इंतजार किया जा सकता था। इस प्रकार अगले वर्ष (१९४४) को १२ करवरी तक राष्ट्र को इंतजार में रखा गया। इस दिन वाइसराय को केन्द्रीय धारासभाओं के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देना था। राजनीतिक कार्यक्रम पर प्रकाश डालने के लिए व्यापारियों के मंच की अपेक्षा दिल्ली आधिक उपस्थिति स्थान था। वाइसराय ने भाषण का राजनीति से सम्बन्ध रखनेवाला अंश यह आशा प्रगट करते हुए समाप्त किया कि यदि शासन-प्रबंध के द्वेष में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है तो राजनीतिक अवंगे को समाप्त करने के अनुरूप परिस्थितियों का भी जन्म दिया जा सकता।

है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि वाहसराय किसके सहयोग की बात सोच रहे थे। उन्होंने सहयोग का अनुरोध न करके सिर्फ यही कहा कि उसका स्वागत किया जायगा। यह सहयोग उन्हें कहाँ से प्राप्त होगा, यह लार्ड वेवले ने स्पष्ट नहीं किया। कांग्रेस से मतलब था ही नहीं, क्योंकि वह सीखचों के भीतर बंद थी। यदि उन्होंना मतलब गैर-कांग्रेसियों से था तो कम-से-कम उनका सहयोग तो उन्हें अपनी शासन-परिषद् के ११ सदस्यों से पहले ही प्राप्त था। इन ११ सदस्यों में कांग्रेस से निकाले हुए, कांग्रेस-विरोधी लोग, प्रतिक्रियावादी हरिजन, साम्प्रदायिक नेता, उद्योगपति, सुदूर जिस्टिस पार्टी के सदस्य और कुछ ऐसे मुसलमान थे, जो अपना एक पैर लीग में और दूसरा उससे बाहर रखते थे। यह स्पष्ट था कि वाहसराय इस गोरखधर्मों से खुश न थे। वे जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त करने की आशा कर रहे थे और जब तक राजनीतिक अङ्गां बना था तब तक सहयोग प्राप्त करना असम्भव था। इस तरह यह तो भूलभुलैयाँ ही था। सहयोग एक ऐसा साधन था, जिसके द्वारा अङ्गों को दूर किया जा सकता था और जब तक अङ्गों को दूर नहीं किया जाता तब तक सहयोग कंसे मिल सकता था। लार्ड वेवले ने आगे बढ़ने के लिए मार्ग साफ करने का विचार किया, क्योंकि ऐसा किये बिना सहयोग की बात भी अनुचित थी। सहयोग को मार्ग न करना भा अच्छा ही हुआ, क्योंकि वे भज्जीभांति जानते थे कि सहयोग के मार्ग को बाधाएँ हटाये बिना वह किता भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता।

फरवरा, १६४४ के कुछ दिन बात चुक थे। वाहसराय कन्दीय धारासभाओं के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देनेवाले थे। हरेक का यही आशा थी कि इस भाषण में वे राजनीतिक परिस्थिति के विषय में कांग्रेस-महत्वपूर्ण घासणा करेंगे। राजनीतिक गतिरोध अभी बना हुआ था और छलकते में वे कह चुके थे कि अमां कुछ कहने से परिस्थिति के हल को आसान नहीं बनाया जा सकता। यह भी समझ था कि मिं० एमरी ने समस्या का हल करने की कोई योजना भेज दी हो, जिसे अब वाहसराय थांडी-थांडी करके अमल में लाने जा रहे हों। परन्तु उच्च अंग्रेज कर्मचारियों में घबराहट फैला हुई थी—न जाने वेवल क्या करने जा रहे हैं! जिस तरह उच्च अंग्रेज कर्मचारी उसके ठास होने का सम्भावना से भयमान था। विटेन में किसने ही शक्तिशाली गुट प्रगतिशील उपायों का निष्फल करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। उनके उर्वर मस्तिष्क एक ऐसे राजनीतिक संगठन की कल्पना कर रहे थे, जिसको सहायता से साम्राज्य का कायम रखते हुए भारत की स्वाधीनता के मार्ग में रोड़े अटकाये जा सके। प्रांत में नये प्रदेश समिक्षित करने की योजना प्रांकेसर कूप-बैंड की थी। लार्ड देलो प्रांदेशिक गुट संगठित किये जाने की बात कह रहे थे। भारतमंत्रा मिं० एमरी ऐसी शासन-परिषदों की बात सोच रहे थे, जिन्हें इटाया न जा सकेगा।

यदि सर ज्याकी-डिमोटमोरेसी ने “साम्राज्य की पवित्र थाती” की चर्चा उठायी तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि छोटे लोग बहों के मुंह से निकली बातों को दोहरा दिया करते हैं। मिं० चर्विल ने ही साम्राज्य का नाम ‘साम्राज्य व राष्ट्रमंडल’ रखा था, जिससे प्रकट हो गया कि साम्राज्यवाद अभी जावित है। लार्ड देलोफेन्ट भी भारत को एक थाती के रूप में समरण कर चुके हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर ने तो सिर्फ प्रधान मंत्री के साम्राज्य की ही पवित्र बताया है।

चाहे सर ज्याकी डिमोटमोरेसी ने यह कहा हो कि ऐसा कोई दल या दलों का गुट नहीं है, जिसे विटेन अपने अधिकार संपूर्ण सके या पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर ने भारत की

स्वाधीनता के मार्ग में रोड़ा शटकाने के लिए देशी रियासतों का भूत खदा किया हो अथवा मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर लार्ड एर्सकिन ने माम्प्रदायिक एकता के अभाव पर जोर दिया हो— सभी इस सम्बन्ध में सहमत हैं कि ब्रिटेन को भारत का शासन-सूच अपने हाथ में रखना चाहिए और उसके पास इतने अधिकार होने चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर अल्पसंख्यकों की रक्षा की जा सके और शासन-व्यवस्था को भंग होने से बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में ब्रिटेन को भारत में एक अनिवार्यता समय तक रखना चाहिए ताकि वहाँ के विभिन्न दल एक-दूसरे को हड्डप न जाय। इन भूतपूर्व गवर्नरों के अतिरिक्त श्री प्रो० एम० एडवर्ड जैसे पत्रकार-जगत् में काम करनेवाले राजनीतिज्ञ भी बोले, जिन्होंने 'वर्ल्ड रिव्यू' में लेख लियकर सुकाव उपस्थित किया कि ब्रिटेन को दिली अपने अधिकार में रखना चाहिए और वहाँ से इन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति बनाये रखनी चाहिए और देश भर की रक्षा का भार भी उसे अपने ही कंधों पर बनाये रखना चाहिए। ऐसा सुकाव पेश करके इन मुद्दोंने वड़ी कृपा की, क्योंकि इन्दुस्तान या पाकिस्तान में से कोई भी अपनी अलग रक्षा-प्रणाली का खर्च उठाने में अमरमर्य रहता। इसीलिए इन दो स्वाधीन उपनिवेशों के मध्य एक तीसरी शक्ति को बनाये रखने का प्रस्ताव किया गया। अच्छा, अब देखिये कि स्वाधीन उपनिवेश क्या कहते हैं? आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्रियों ने, जो दोनों-के-दोनों दी मज़दूर-दलवाले थे, साम्राज्य की रक्षा व्यवस्था के लिए संगठन स्थापित करने की बात स्वीकार की थीं और यह भी माना कि इस संगठन की अधीनता में प्रांतिक रक्षा-परिषद् काम करती रहेंगी, और साथ ही उन्होंने प्रशंत महासागर में बड़े-बड़े प्रदेशों का शायनादेश प्राप्त करने की अपनी योजनाएँ भी उपस्थित करदी। उपनिवेशों तथा अधीन प्रदेशों पर सत्ता जमाने में स्वाधीन उपनिवेशों के इंग्लैंड के साथ हिस्सा देने की बात १९१६-१७ से चल रही थी और १९४४ में तो यह इस सीमा तक बढ़ी कि एक आस्ट्रेलियन-मिंट रिचार्ड केसी को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया और न्यूजीलैंड व आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नये प्रदेशों पर अधिकार जमाने की बात संचरन लगी।

सिर्फ़ स्वाधीन उपनिवेशों के राजनीतिज्ञ ही भारतीय प्रविष्टों में अपनी टांग नहीं अढ़ रहे थे। अवकाशप्राप्त विदिश-आकाशर तथा प्रांतों के गवर्नर भी समय समय पर चिल्ह-पांच मच, रहे थे। पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर सर हेनरी के कने वहाँ कि सर स्टेफर्ड क्रिस्ट ने उनसे ये जफज कहे थे:—

“जब मैंने नरेशों से कहा कि इस अपनी सब जिम्मेदारी से मुक्त हो भारत छोड़कर बाहर जानेवाले हैं और अब भविष्य में आपको कांग्रेस से तालुक जोड़ना पड़ेगा, तो उनमें बड़ा भय और निराशा छा गई।”

इस आधार पर उन्होंने यह परिणाम निकाला कि अंग्रेजों को अभी भारत में बने रहना चाहिए। मद्रास के गवर्नर लार्ड एर्सकिन ने कहा:—

“अभी कितने ही वर्ष तक भारतीय-सरकार के ऊपर एक अधिकारी रखना पड़ेगा, जिसके हाथ में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा तथा विधान चलाये रखने की जिम्मेदारी रहेगी।”

ब्रिटिश पत्रों में इन प्रतिक्रियाएँ- वक्तव्यों को तो प्रमुख स्थान दिया गया, किन्तु भारत की आर्थिक व कृषि-सम्बन्धी विरस्थिति पर थोड़ा भी प्रकाश न ढाला गया। अमरीका का लोकमत कुछ सदस्य लेखकों को पुस्तकों-द्वारा प्रकट हुआ, किन्तु इन लेखकों का राजनीतिक

प्रभाव अधिक न था।

अन्य वर्षों की तरह १६४४ में भी स्वाधीनता-दिवस आया। श्रीमती सरोजिनी नायडू स्वास्थ्य विगड़ने के कारण २। मार्च, १६४४ को जेल से छूटा था। करीब १० महीने बाद ७ जनवरी, १६४४ को श्रीमती नायडू ने अपना मुँह खोला। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी स्वाधीनता-दिवस के अवसर पर देश भर में गिरफतारियां हुईं, किन्तु इनकी संख्या पिछले साल से कम थी। स्वाधीनता-दिवस-समारोह के सिलसिले में सिर्फ बम्बई में लगभग ६० गिरफतारियां हुईं, जिनमें १७ महिलाएं, १ बालिका व १ बाल था। दूसरी जगहों में भी लोगों को पकड़ा गया।

स्वाधीनता-दिवस की प्रतिज्ञा में समय-समय पर रहोबदल होता रहा है। गोकि भाषा में परिवर्तन कर दिया गया था फिर भा विदेशी चंगुल से छुटकारा पाकर स्वाधीनता की प्राप्ति करने के राष्ट्र के दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं हुई थी। यह संकल्प बराबर हमारे सामने उस प्रकाश-स्तम्भ के समान रहा, जो अंधकार, तूफान, समुद्री चटानों व बर्फीले पहाड़ों के बीच भटकते हुए जहाजों को बन्दरगाह का रास्ता दिखाता है। यद्यपि कार्य-समिति के सदस्य स्वाधीनता-समारोह में भाग लेने के लिए जनता के मध्य उपस्थित न थे; फिर भी साधारण कांग्रेसजन ने झंडे को ऊंचा रखा था। और जहां दिवस मनाने पर पांचदी नहीं थी वहां सार्वजनिक रूप से और जहां पांचदी थी वहां अपने घरों में सदा ही इस पवित्र त्यौहार को मनाया गया था, क्योंकि घरों में कड़े-से कड़े कानून और अत्याचारी से अत्याचारी शासक की पहुँच नहीं हो सकती। नौकर-शाही ने मदास, बम्बई, दिल्ली, आसाम, विहार और संयुक्तप्रान्त में स्वाधीनता समारोह पर रोक लगा रखी थी किन्तु एक लोकप्रिय सरकार को यह पांचदी लगाने का क्रम सिर्फ सिंध में ही हासिल हुआ था।

सिंध सरकार ने जनता के लिए यह आदेश निकाला।—

“प्रतिज्ञा को पढ़ना, या प्रकाशित करना या स्वाधीनता-दिवस मनाने के लिए अपील करना किमिनल ला एम्डमेंट ऐक्ट के अंतर्गत जुर्म माना जायगा और यह जुर्म करनेवाले पर मुकदमा चलाया जायगा।”

२६ जनवरी को लाहौर स्टेशन पर पहुँचने के समय पंजाब सरकार ने श्रीमती सरोजिनी नायडू के लिखाफ यह हुक्म जारी किया:—

“१६४४ की पांचदी व न जरवरी आईडीनेस की धारा ३ को पहली उपधारा के अनुसार प्राप्त अधिकारों से अंतर्गत पंजाब के गवर्नर श्रीमती नायडू को आदेश देते हैं कि (१) वे लाहौर के जिला मजिस्ट्रेट को इजाजत लिये बिना विशुद्ध धार्मिक जलूम या सभा को छोड़कर दूसरे किसी ऐसे जलूम या सभा में भाग न लें, जिसमें ५ या उससे अधिक व्यक्ति उपस्थित हों, (२) सार्वजनिक रूप से कोई भाषण न दें, और (३) लाहौर के जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी अखबार के लिये कोई लेख न भेजें।”

आदेश चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आना चाहिए था, किन्तु उस पर पंजाब पुलिस के सी० आई० डी विभाग के डिप्टी हंस्पेक्टर-जनरल की तरफ से बसीटाराम नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। कहा जाता है कि बसीटाराम डिप्टी हंस्पेक्टर-जनरल सी० आई० डी० के दफ्तर में एक कर्मचारी था।

जब यह आदेश श्रीमती नायडू को पढ़कर सुनाया गया तो उन्होंने उसकी पीठ पर लिख

विद्या कि अपने डाक्टर की हिदायत के मुताबिक मेरा हरादा पहले ही से किसी सभा में भाषण करने या जुलूस में भाग लेने का नहीं है और इसीलिए जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरे लिए आदेश का अस्तित्व न होने के समान है।

आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद जब वे अपने डिव्हेंड से बाहर निकलीं तो उनके मुँह से सहसा निकल पड़ा— “पंजाब बड़ा दिलचस्प सूबा है और यहां की पुलिस तो और भी दिलचस्प है।”

बाद में श्रीमती नायदू ने बताया कि महात्मा गांधी के अनशन के समय मैंने आगाखां पैलेस से भारत-सरकार के हांग डिपार्टमेंट के पास एक सूचना निम्न आशय की भेजी थी:—

“कांग्रेस कार्य-समिति की सदस्या की हैसियत से मैं जानती हूँ कि समिति ने न तो कभी हिंसात्मक कार्यों को आरम्भ ही किया और न कभी व्यक्तियों या समूहों को हिंसात्मक कार्रवाई करने पर माफ ही किया।” होम डिपार्टमेंट की तरफ से इस पत्र की सिर्फ स्वीकृति ही भेजी गयी, कुछ जवाब नहीं दिया गया। अब-यह भी जात हुआ है कि श्रीमती नायदू के सामने ही जब डा० विधानचन्द्र राय ने गांधीजी से पूछा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बईवाली बैठक में ‘करो या मरो’ वाला भाषण करते समय आपके मन में हिंसा का भाव था या नहीं? तो उन्होंने कुछ जीश में आकर कहा था— “क्या आपका खलाल है कि पचास साल बाद अहिंसा के सम्बन्ध में अपने जीवन भर का काम मैं नष्ट कर सकता हूँ?”

२५ जनवरी को श्रीमती सरोजिनी नायदू ने दिल्ली में पत्र-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में भाषण करते हुए सरकार के इस आरोप की धजियां उड़ा दीं कि गांधीजी ने वर्धा से ही कार्य-समिति को क्रिप्स-प्रस्तावों को नामंजूर करने की सलाह दी थी। गांधीजी ने क्रिप्स से मिलने पर उनसे जो-कुछ कहा था उसका भी श्रीमती नायदू ने हवाला दिया। गांधीजी ने कहा था— “भारतीयों के विचारों को प्रभावित करने के लिए ये प्रस्ताव पेश करके आपने बहुत बुरा काम किया।” इस द्वितीय गांधीजी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने उन तथाकथित ‘शब्दों’ का भी खंडन किया (जिन्हें उद्भूत करने का लोभ खुद सरकार तक संवरण ल कर सकी) कि क्रिप्स-प्रस्ताव “दिवालिये बैंक के नाम बीती मियाद का चेक” है। ये शब्द ऐसे हैं, जो गांधीजी ने कभी नहीं कह और न कभी वे कह ही सकते हैं। श्रीमती नायदू ने कितनी ही महत्वपूर्ण बातों की याद दिल्लायी, जिनमें एक यह थी कि क्रिप्स ने आरम्भ में मंत्रिमंडल-प्रणाली के आधार पर बातचीत शुरू की थी और दूसरी यह कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दरमियान ही मिठाजिन्ना को पत्र लिखकर मौ० आजाद ने प्रस्ताव किया था कि केन्द्र में लीग के मंत्रिमंडल बनाने पर कांग्रेस को कुछ भी आपत्ति नहीं है। श्रीमती नायदू ने यह भी बताया कि महात्मा गांधी ने अनशन से पहले वाहसराय को लिखा था कि आप आगा सांस महल में सरकार की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति भेजें, जो मुझे विश्वास दिला सके कि मेरा आचरण ठीक न था और ऐसा करने के बाद सरकार मुझे कार्य-समिति के सम्पर्क में करदे। श्रीमती नायदू ने सवाल उडाया कि सर तेज बहादुर सपू, डा० जयकर, श्री राजगोपालाचार्य और मिठाफिलिप्स को गांधीजी से बयों नहीं मिलने दिया गया? श्रीमती नायदू ने उन कांग्रेसजनों का जिक्र किया, जो हुविधा में पढ़ हुए थे और उनका भी, जो असमानपूर्वक सरकार से अपनी गतिशीलता ठीक करने को वह। इस तरह श्रीमती नायदू ने कांग्रेस की ठीक स्थिति का रपटीकरण किया और बताया कि गांधीजी

तुरन्त कोई आनंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। हरादा यह था कि बातचीत-द्वारा सफलता न होने पर कभी भविष्य में इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जायगी। श्रीमती नाथडू ने समझौता कराने के लिए यह भी कहा कि “अब सरकार के लिए पिछली गतियों में सुधार करने का बहुआगया है और इसके लिए उसे कोई कदम आगे उठाना चाहिए। हमारी तरफ से कदम उठाया जा सका है। यदि सरकार गांधीजी से और लोगों को मिलने दे तथा कार्य-समिति के सदस्य भी गांधीजी से मिलकर देश की परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार-विनिमय कर सकें तो अवश्य में सुधार का मार्ग निकाला जा सकता है।”

सरोजिनी देवी के इस वचन्य से दो लाभ हुए—एक तो राष्ट्रीय आनंदोलन के सम्बंध में जो गलतफहमी फैली हुई थी वह दूर हो गयी और दूसरे राष्ट्र की मांग का स्वरूप स्पष्ट हो गया। यह तो बिलकुल स्पष्ट ही था कि कांग्रेस जापानी आक्रमण के विरुद्ध थी और अपने हंगा से उसका सामना बरने को भी तैयार थी। पचपात से रहित होकर विचार किया जाय तो यह भी जाहिर था कि कांग्रेस फौरन कोई आनंदोलन नहीं देवेना चाहती थी, बल्कि उसका हरादा बाहसराय से गांधीजी की सुलाक्षण का नतीजा देखने के लिए ठहरने का था। इन दो बातों पर जोर देने के बाद श्रीमती सरोजिनी नाथडू ने उन दोनों बुनियादी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जिनका त्याग करने को कांग्रेस विसी तरह त्याग नहीं थी और उसकी ये मांगें थीं—स्वाधीनता की प्राप्ति और उसके प्रभाग स्वरूप सुन्नकाल में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। कांग्रेस का यह भी इह विचार था कि उसका वचन्य बीत लुका है और इसीलए अब उसे विसी के संरक्षण की जरूरत नहीं है। इस सम्बन्ध में एक पठान की उक्ति याद आती है, जिसने मार्टंट स्टुर्वर्ड एंडिफस्टन से कहा था—“हमें रक्षपात छोते रहने पर आपत्ति नहीं है, कितु किसी स्वामी की अधीनता में रहने पर आपत्ति है।”

समय बीत रहा था और ऐसा जान पड़ रहा था कि जिन लोगों ने जार्ड वेवल से राजनीतिक अंदरों को दूर करने की आशा की थी उन्हें निराशा होगी। बाहसराय ने सुशासन और सामाजिक व आर्थिक सुधारों पर जोर दिया, गंदी ब्रितियों का निरीक्षण किया, स्वरूप-समिति नियुक्त की और शिक्षा-योजनाओं को प्रोत्साहन दिया, किंतु भारतीय जनता ने इन विषयों में कुछ भी दिलचस्पी न ली। कुछ लोगों ने मनहृस वचन्य भी दिये, जिनमें एक सर रामस्वामी मुदालियर का था। उन्होंने जनवरी १९४४ में कानपुर में कहा कि राजनीतिक गतिरोध खासकर वैधानिक है। उन्होंने यह भी सुमाचर पेश किया कि राजनीतिक तथा व्यापारिक स्वार्थों का विचार किये बिना विचारशील व्यक्तियों को समर्थया का नया हक्क पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में युद्ध चलने तक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं हो सकती। यह भी स्पष्ट हो गया कि अगस्त-प्रस्ताव के वापस लेने, पिछले कार्यों के लिए अफसोस जाहिर करने या भविष्य के लिए वचन देने से किसी भी तरह भारतीयों के हाथों में शक्ति नहीं आ सकती। अधिक-सेविक और दिव्यों को जेल से छोड़ा जा सकता है—बस हमसे अधिक् और कुछ नहीं। अधिकारियों का खलाफ था कि कैदियों की रिहाई सैनिक व गैर-सैनिक शासन में परेशानियां पैदा कर देंगी। पान्तु भारत-सरकार का यह विचार भी गलत था, क्योंकि भारत सरकार के सुदूर कितनी भी प्रांतीय सरकारों से फ़गड़े चल रहे थे। भारत-सरकार का बंगाल के मंत्रिमंडल से मतभेद तो बिलकुल ही साफ था।

जब एक तरफ बंगाल के स्थान विभाग के मंत्री श्री सुहरावर्दी और भारत-सरकार के स्थान-

सदस्य सर जे०पी० श्रीवारत्न में कहा-सुनी हो रही थी तो दूसरी तरफ सरोजनी देवी को दिल्ली और लाहौर-यात्रा के सम्बंध में होम डिपार्टमेंट की कर्तवाई बड़ी ही घृणित थी। श्रीमती नायडू के वक्तव्य का दिल्ली के पत्रों में १९५८ वर्ष का नौकरशाही की आंखों में बहुत ही खटका। वजाय इसने कि उन गलतफहमियों को, जिनके कारण सरकार को दमनकारी नीति का अनुसरण करना पड़ा था, दूर करने का स्वागत किया जाता, सरकार ने वक्तव्य देनेवाली देवी और उसे प्रकाशित करने-वाले पत्रों को ढंड देना ही उचित समझा। दिल्ली के चीफ कमिशनर के आदेश से, जो सिर्फ भारत-सरकार के वहने से भिन्नता गया था, नगर के प्रमुख दो वैनिकों “हिन्दुस्तान टाइम्स” व “नेशनल काल” से कहा गया कि “८ अगस्त, १९४२ के बाद श्री एम० के० गांधी या गैर-कानूनी संस्था धोषित की गयी कांग्रेस कार्य-समिति के किसी सदस्य के वक्तव्य या उनके सम्बंध में दिये इसी वक्तव्य को इन दोनों में से किसी पत्र में प्रकाशित होना हो तो दिल्ली के स्पेशल प्रेस एडवाहजर के सामने पेश करना पड़ेगा और वह उसकी मंजूरी के बिना छप न सकेगा।” प्रकाशन से पहले समाचारों का सेमर करने का यह आदेश उस समझौते के विरुद्ध था, जो सरकार-द्वारा आल इंडिया न्यूजपेपर्स एडिटर्स कान्फ्रैंस के अक्तूबर १९४२ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के कारण हुआ था। कान्फरेंस के प्रस्ताव में आंदोलन या उपद्रवों के समाचार छापने के सम्बंध में अखबारों ने सुदूर ही संयम से काम लेने का वचन दिया था। परंतु प्रस्ताव में आलोचना छापने का जिक न था। पिछले बाहसराग लार्ड लिनलिथगो-द्वारा की गयी प्रश्नों से आल इंडिया न्यूज-पेपर्स एडिटर्स कान्फ्रैंस द्वारा मद्रास में उसकी महर्य स्वीकृति का यही मतलब था। जब कि एक तरफ समाचारों के पति ऐसा अवहार किया गया वहाँ अब जरा सरोजिनी देवी के नाम निकाले गये आदेश को भी देखिये। जब कि २६ जनवरी को वे दिल्ली से लाहौर अपनी बहन से मिलने गयी थीं, भारत-सरकार ने उन पर सार्वजनिक ममाओं या जलसों में भाग न लेने और भारत भर में कई भी अखबारों में कुछ भी न छापने का हृकम तामिल किया। अब आदिर्हेंसों का शासन देश की नागरिक स्वतन्त्रता के लिए खतरा बन गया था। यह ठीक है कि जो राष्ट्र स्वाधीन नहीं है, उसकी नागरिक स्वतन्त्रता ही कुछ नहीं होती। परन्तु अंग्रेज जो दावा किया करते हैं कि उन्होंने भारत में कानून का शासन जारी किया उसे ध्यान में रख कर कभी-कभी मन निरुद्धे श्य ही प्रश्न करने लगता है कि आखिर हस्त देश में नागरिक स्वतन्त्रता कितनी है? सरोजनी देवी के नाम निकाले गये आदेश के सम्बन्ध में ७ फरवरी को केंद्रीय असेम्बली में एक जोगदार बहस हुई। सर रेजिनाल्ड मैकसवेल ने अपनी सफाई में यही कहा है कि सरकार श्रीमती नायडू की बीमारी से इतनी जल्दी और इतनी पूरी तरह से अच्छी होने की आशा नहीं करती थी। गृह सदस्य ने बहस के बीच यह भी कहा कि स्वाधीनता-दिवस मनाये जानेपर लगायी गई पांचदी स्वाधीनता के विरुद्ध न होकर कांग्रेसी प्रतिज्ञा के विरुद्ध है, जो राजद्रोहपूर्ण है। गोकिं प्रस्ताव के पक्ष में ४० और विपक्ष में ४२ वोट थे, फिर भी जनमत की नैतिक विजय हुई और सरकार हारने से बाल-बाल बची। लेकिन हस्त से सरकार की मनोवृत्ति जितनी प्रकट हो गयी उतनी और किसी बात से नहीं हुई। सर रेजिनाल्ड मैकसवेल ने यह भी कहा कि सरकार ने कांग्रेस पर जापान का पक्ष लेने का आरोप कभी नहीं किया। यह बात टोटेनहेमवाली पुस्तिका में प्रकाशित बातों के बावजूद कही गयी। सरकार की तरफ से सफाई में कहा गया कि जापान का पक्ष न लेने की बात सिर्फ पंडित जवाहरलाल के लिए कही गयी है। इसी प्रकार जब-जब पार्लामेंट में ५० एमरी को जुनौती दी गयी कि वे कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमे चलायें तो एमरी ने इस आश्चर्यजनक तर्क का सहारा लिया कि पुस्तिका में कांग्रेस

पर जापानियों का पक्ष लेने का आरोप कहीं भी नहीं किया गया।

सरकार कुछ समय तक तो टाल-मटोल करती रही। फिर, पहले ब्रिटिश पार्लीमेंट में और बाद में भारत में केन्द्रीय असेम्बली में उसे कहना ही पड़ा। जैसा कि ऊरर कहा जा चुका है, सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने केन्द्रीय असेम्बली में बताया कि सरकार ने कांग्रेस पर जापानियों का पक्ष लेने का आरोप कभी नहीं किया। प्रश्न यह है कि मिंट विंस्टन चर्चिल को उस सरकार का एक अंग माना जा सकता है या नहीं, जो कभी ब्रिटेन और भारत पर शासन करती थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बईवाली हैंडक में अगस्तवाला प्रस्ताव पास होने के कुछ ही समय बाद १० सितम्बर, १९४२ को मिंट चर्चिल ने कामन सभा में एक भाषण दिया। आपने कहा—“अब कांग्रेस ने गांधीजी की अहिंसा की नीति को एक तरह से त्याग दिया है। अब उसने एक ऐसी नीति को अपनाया है, जिसे गांधीजी ने खुले शब्दों में क्रान्तिकारी आंदोलन कहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य रेल और तार के यातायात-सम्बन्धों को भंग करना, अस्थवस्था फैलाना, द्रूकाने लूटना, पुलिस पर छुयुट हमले करना और साथ-ही-साथ कुछ लोमहर्षक घटनाएं करके उन जापानी आक्रमणकारियों के विरुद्ध संगठित की जाने वाली रक्षा-घ्यवस्था में बाधा उपस्थित करना रहा है। जो आसाम की सीमा तथा बंगाल की खाड़ी के पर्वत में पहुँच गये हैं। यह भी सम्भव है कि कांग्रेस ये कार्य जापानी जासूसों की मदद से और जापानी सेनापतियों-द्वारा बताये सैनिक महत्व के स्थानों पर खासतौर से कर रही हो। यह उल्लेखनीय है कि आसाम की सीमा पर बंगाल की रक्षा करनेवाली भारतीय सेना के यातायात-मार्गों पर विशेषरूप से हमला किया गया है। यदि इसे कांग्रेस के विरुद्ध जापानियों के प्रति पक्षपात का आरोप नहीं कहा जा सकता तो फिर यही कहा जा सकता है कि राजनीति का सत्य से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, चलिक सत्य तो यह है कि राजनीति का सार सत्य को प्रकट करने में नहीं बल्कि उसे छिपाने में है। परन्तु मनोष की बात है कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारत के विरुद्ध इस आरोप का खंडन ही करना पड़ा है और यह खंडन भी सबसे पहले भारतमंत्री मिंट एमरी ने ही पार्लीमेंट में किया।

सर चिमनलाल सीतलबाद के योग्य पुत्र श्री मिंट मीटलबाद ने द अगस्त की घटनाओं के बाद ही बम्बई-सरकार के एडवोकेट-जनरल पद का त्याग किया था। जनवरी १९४४ में नागरिक स्वतंत्रता सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से भाषण देते हुए आपने बताया कि आर्डिनेंस-राज के कारण देश में कैसा उत्पात हो रहा है—ओर वास्तव में उस समय मुख्य में १३२ आर्डिनेंस लागू थे। आलोचक कहा करते हैं कि ये आर्डिनेंसें जैसे भारत में थीं वैसे ही हंगलैंड में भी थे। हम मानते हैं। हम यह भी मानते हैं कि शायद हंगलैंड में भारत से अधिक बुरे आर्डिनेंस अमर्ज में लाये जा रहे थे, किन्तु हंगलैंड में नागरिक स्वतंत्रता में कभी वहां की राष्ट्रीय सरकार-द्वारा की गयी थी। इसी तरह यदि भारत में भी राष्ट्रीय सरकार होता तो आर्डिनेंस को अपनी अच्छाई-तुराई के अतिरिक्त दूसरी शिकायत कोई नहीं करता। परन्तु हिन्दुस्तान में तो किसी बाधा या रुकावट के बिना ही हम से नागरिक अधिकारों को छीना जा रहा है। आप चाहे सरोजिनी देवी पर लगाये गये प्रतिबंधों को लें या अमृतसर में अकाशगंगा किये गये लाठी-चार्ज को लें—इस लाठीचार्ज को हार्ट्कोर्ट के एक अवकाश प्राप्त जज ने, एक अवकाश प्राप्त डिस्ट्रिक्ट जज तथा एक प्रमुख वकील ने अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया था—यही कहना पड़ेगा कि भारत में आर्डिनेंस-शासन निरंकुश वैयक्तिक और तानाशाही शासन ही होता है।

: २३ :

## वेवल वोले

वेवल आये; वेवल ने देखा; पर वेवल परिस्थिति पर चिन्हयी नहीं हुए। यह तो वही किरसा हुआ कि पहाड़ खोदा और चुहिया निकली। और यह वही चुहिया भी, जो लिन-लिथगों, एमरी और चचिल के प्रयत्नों से निकल सकती थी। अंतर सिर्फ यह था कि जहाँ मेरे बच्चे को फेंक दिया जाता है वहाँ इस चुहिया को नकली सांस दिलाकर जिज्ञासे का प्रयत्न किया जाना लगा। इसके लिए हम लाडॉ वेवल को दोष नहीं दे सकते; किन्तु इमें खेद तो सिर्फ दृतना ही है कि उनके भाषणों को देखते हुए परिणाम अधिक नहीं निकला। यदि जमीन उपजाऊ होती है तो फसल भी अच्छी और अधिक होती है। राजनीतिज्ञ में हाथ की तेजी व दिमाग़ की उत्तमता के अलावा हृदय की विशालता भी होनी चाहिए, तभी वह नये विचार दे सकता है या योजना में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। परिस्थिति की अनुकूलता के लिए प्रतीक्षा करना बुरा नहीं है। प्रार्थना भी की जा सकती है। परन्तु प्रतीक्षा और प्रार्थना तभी कारगर हो सकती है, जब कि हृदय में भी परिवर्तन हुआ हो। यह हृदय का परिवर्तन लाडॉ वेवल में नहीं दिखायी दिया। और फिर वे तो एक ऐसी शासन व्यवस्था के प्रधान थे, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी थी और उसकी एक शास्त्राभासी थी। जब नदी के उदगम में ही पानी गंदा है तो आगे जाकर वह निर्मल कैसे हो सकता है।

लाडॉ वेवल ने इन दिक्कतों के साथ नया काम अपने हाथ में लिया था। बड़ी-बड़ी आशाएँ करने और फिर निराशा के गर्त में गिरने का कारण यही था कि प्रार्थना करने की आदी भारतीय जनता लाडॉ एलेनदी के चरितलेखक से कुछ उम्मीदें बौधने लगी थी। परन्तु किसी मृतक की प्रशंसा में कुछ कहने का यह मतलब नहीं है कि उसके दिखाये रास्ते पर प्रशंसा करने वाला भी चलेगा। इस दृष्टिकोण से लाडॉ वेवल का कार्य निराशापूर्ण ही नहीं, निश्चित असफलता का भी था। वे देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में सफल नहीं हुए। उनकी शासन-परिषद् का नाटक पहले के समान होता रहा और लाडॉ वेवल इस बात से संतुष्ट बने रहे कि वे उसमें बड़े योग्य व्यक्ति हैं। यह शासन-परिषद् ज्यादा-से-ज्यादा शासन-प्रबन्ध का संचालन और अमन व कानून की हिफाजत तो कर ही सकती थी। जहाँ तक प्रगति का सवाल है, महत्व दिशा का होता है, न कि सचय का। दिशा गलत होने पर लचय पर नहीं पहुँचा जा सकता। लाडॉ वेवल ने अपने पूर्वाधिकारी-द्वारा निर्धारित दिशा में ही चलना उचित समझा। परिणाम यह हुआ कि गतिरोध दूर करने की समस्ता को वे किसी नये दृष्टिकोण से देखने में असमर्थ रहे। जब मिं० एमरी ने लंदन में कहा था कि एक चतुर हाथी को पुकार पर पैर रखने से पहले ही उसे आजमा लेना चाहिए, तो लाडॉ वेवल ने इसमें तुरंत परिवर्तन कर लिया था कि चतुर हाथी को पहले अपना

रास्ता जान लेना चाहिए। पुल सहक पर ही है। पर यदि रास्ता बदल जाता है तो पुल आजमाने का सवाल ही नहीं उठता। आशा की गयी थी कि लाई वेवल अरने लिए नया रास्ता चुन कर उसी पर चलेंगे। एक महीने भर भटकने के बाद वे किर पुराने रास्ते पर आ गये और इस रास्ते पर ही वह पुल पड़ता था, जो ले जाये जानेवाले सामान को देखते हुए बहुत कमज़ोर था।

इस के अतिरिक्त, सैनिक लश्य को सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से अलग करके और इन दोनों को राजनीतिक क्षेत्र से पृथक् करके लाई वेवल ने अपनी समझदारी का परिचय दिया। यदि देखा जाय तो हमारा जीवन सैनिक, सामाजिक व आर्थिक और राजनीतिक अंगों का मिश्रण है। सेना भोजन के बिना नहीं रह सकती, किन्तु सिर्फ भोजन से ही सेना का काम नहीं चल सकता। निसंदेह सैनिकों को भूख लगती है, किन्तु उनके भीतर वह देशभक्ति की भावना और आत्मा भी होती है, जो उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करती है। ये चीज़ें बाजार में नहीं मिलतीं और न भोजन की उपादेशता के रूप में ही उनका महत्व आंका जा सकता है। इनका जन्म तो राष्ट्रों और सरकारों के संतुलन और स्वाधीनता की प्रेरणा-द्वारा ही हो सकता है। यहीं लाई वेवल को असफलता मिली, क्योंकि युद्ध में सफलता प्राप्त करने और सामाजिक व आर्थिक सुधारों का राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में लड़नेवाले सैनिकों के राजनीतिक भविष्य से घनिष्ठ सम्बन्ध था। परिचम के लोग इन समस्याओं को अलग से देखने के आदी रहे हैं और लाई वेवल ने अपनी इस राष्ट्रीय कमज़ोरी के कारण राजनीतिक समस्या को अपने हाथ से निकल जाने दिया। कभी उन्होंने “भारत की गरीब जनता का निर्धनता से उद्धार करने, उसे अस्वास्थ्य से छुटकारा दिलाने, उसे अज्ञान से छुटकार समझदार बनाने—” और यह एक बैलगाड़ी की रफ्तार से नहीं, बल्कि जीप गाड़ी की रफ्तार से—” का बीड़ा उठाया। इससे विटिश प्रकाशन-विभाग के ब्रेडन ब्रेकन-द्वारा दी गयी इस खबर की पुष्टि हो गयी कि युद्धकाल में भारत की वैधानिक समस्या को जहाँ-का-तहाँ ही रखा जायगा। तब होगा क्या? भारत का शासन वर्तमान प्रणाली के अनुसार होता रहेगा और भारतीय सरकार नया विधान बनाने तक विटिश पार्टीमेंट के प्रति जिम्मेदार रहेगी। वाहसराय महोदय ने यह भी बताया कि उनकी शासन-परिषद् में भारतीयों का बहुमत है और ये सच-के-सच ‘प्रसिद्ध और देशभक्त’ हैं और ‘बड़ी योग्यता’ से शासन-कार्य चला रहे हैं। परन्तु राजनीतिक भविष्य का क्या हुआ? लाई वेवल ने कहा कि आर्थिक सुधारों की तुलना में राजनीतिक भविष्य की योजना बनाना कहीं अधिक कठिन है। परन्तु एक बात निर्विवाद है। प्रथम: हरेक अंग्रेज़ सच्चाई की वर्तमान सरकार और ब्रिटेन की भावी किसी भी सरकार की यह हृदय से कामना है कि भारत सुखी और समृद्ध हो, उसमें एकता की स्थापना हो और उसे अपना शासन आप संभालने का अधिकार प्राप्त हो। अंग्रेज़ यह भी चाहते हैं कि ऐसा जल्दी ही हो; किन्तु युद्ध सफलतापूर्वक समाप्त हो जाना चाहिए और साथ ही नये विधान में सैनिकों तथा श्रमजीवियों, अक्षयसंस्थयों और रियासतों के हित सुरक्षित रहने चाहिए। हतना ही नहीं, वाहसराय ने यह भी कह दिया कि भारत के मुरुय दलों में समझौता हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुए बिना प्रगति की आशा नहीं की जा सकती।

ऊपर जिस योजना की कल्पना की गयी है, वह किस्स-योजना ही है। “भारतीय स्वेच्छा के जो नेता इस आधार पर शासन-कार्य में सहयोग प्रदान करना चाहें उनके लिए द्वार अभी तक खुला हुआ है, किन्तु उन लोगों में युद्ध में हाथ बैठाने और भारत की भजाई करने की वास्तविक इच्छा होनी चाहिए।”

अब भारत के मजरबन्द नेताओं की रिहाई का प्रश्न उठता है। उन्हें तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक उनके सहयोग करने की इच्छा के लावण प्रकट नहीं होते। वाहसराय ने सुझाव पेश किया कि अधिकि-विशेष को 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव की निन्दा करके भावी कार्यों में सहयोग प्रदान करना चाहिए। ये भावी कार्य क्या थे? इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण कङ्ग भारतीयों द्वारा देश की वैधानिक समस्याओं की छानबीन था। वाहसराय ने यह भी नहीं बताया था कि भारतीयों की अधिकारपूर्ण समिति की नियुक्ति कौन करेगा? इस समिति को अधिकार सरकार से प्राप्त होगा या सदस्यों की अपनी-अपनी संस्थाओं से? यदि नियुक्ति सरकार-द्वारा होनी है तो लाभ क्या है? साइमन कर्माशन के समय से १९३५ के एक तक १४ सम्मेलन और समितियों कार्य काके असफल होनुकी थीं। यदि प्रतिनिधित्व संस्थाओं की तरफ से होता है तो प्रश्न उठता है कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होगा या नहीं? यदि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होता है, तो समितियों गैरकानूनी होने पर, और नेताओं के जेल में बन्द रहने पर, वे काम कैसे कर सकती हैं? वाहसराय ने परिस्थिति पर संक्षेप में विचार प्रकट करते हुए कहा—“इस देश के भविष्य का निर्णय तब तक नहीं कर सकते, जब तक ब्रिटिश और भारतीय राष्ट्रों में सहयोग नहीं होता—जब तक कि भारतीय राष्ट्र के अंतर्गत हिन्दू-मुसलमान, अन्य अल्पसंख्यक तथा रियासतों के मध्य पारस्परिक समझौता नहीं होता। वाहसराय जानते थे कि देश के कितने ही दल सहयोग के लिए तैयार हैं, किन्तु एक ऐसा भी महत्वपूर्ण दल है, जो बिलकुल अलग है। मैं मानता हूँ कि इस दल में शोग्यता तथा सदाशयता की कमी नहीं है, किन्तु उसकी वर्तमान नीति और उपाय अध्यावहारक तथा अनुर्वर है। भारत की मौजूदा तथा भावी समस्याओं के निवारण के लिए मैं इस दल का सहयोग पाने को उत्सुक हूँ। जब तक यह नहीं माना जाता कि असहयोग तथा बाधा डालने की नीति गलत व हानिकारक थी और उस नीति को वापस नहीं लिया जाता तब तक उन लोगों की रिहाई नहीं की जा सकती, जो ८ अगस्त, १९४२ वाली घोषणा के लिए जिम्मेदार थे।” वाहसराय कांग्रेसजनों से आत्मसमर्पण नहीं चाहते थे, किंतु भी उन्होंने यह अनुभव नहीं किया कि गलती स्वीकार करने और अपने निर्णय को वापस लेने का यही मतलब होता है। वाहसराय और सरकार कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमे चलाने को तो तैयार न थी, किन्तु वे दोनों उनसे अपराध मंजूर करना चाहते थे और निर्णय वापस लेने का आग्रह करते थे। यह मांग करते समय वाहसराय शायद महसूस नहीं करते थे कि कांग्रेसजनों के लिए अपनी रिहाई के लिए अपराध स्वीकार करना और पिछली नीति को स्थागने का वचन देना कितना अपमानजनक है। कभी कभी अखबार पढ़नेवाले को भी यह स्पष्ट हो गया कि लार्ड वेवल अपने प्रभु की आवाज में बोल रहे हैं और लार्ड लिनलिथगो के लम्बे-लम्बे वाक्यों में कहे गये विचारों को अपने स्पष्ट और छोटे वाक्यों-द्वारा प्रकट कर रहे हैं। उनके भाषणों में सुझाव तथा विवेक का अभाव जान पड़ता था। यदि ऐसा न होता तो कांग्रेस-जैसी महान् संस्था के सदस्यों को विद्रोह करने और 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव वापस लेने की सजाह न दी जाती। यही मुस्लिम लीगी प्रधान मंत्रियों को रक्षा-परिषद् का सदस्य नामजद करके लार्ड लिनलिथगों ने किया था। इस कार्य पर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कुद्र भी हुए थे। अब लार्ड वेवल भी ऐसा ही एक कार्य का नाम चाहते थे। प्रेम और युद्ध की नीति में फुसलाने को स्थान भजे ही हो, किन्तु सत्याग्रह में उसके लिए ताजिक भी स्थान नहीं है। गोकु वाहसराय ऊपर से कांग्रेसजनों की रिहाई की अनिच्छा प्रकट कर रहे थे, फिर भी वे अपनी अवधि के भीतर ही कांग्रेसजनों को छोड़ कर अपने सिर से बदलामी का टीका मिला कर

आगे की उन्मति के लिए रास्ता साफ़ करना चाहते थे । प्रथेक वाहसराय का यह स्मृत्य अभिमान तथा प्रशंसनीय आकॉन्झा रही है कि वह इतिहास के पृष्ठों पर अपना स्थान छोड़ जाय । वाहसराय के रूप में लार्ड लिनलिथगो कुछ दुःखी और निराश होकर ही भारत से बिदा हुए थे । कम-से-कम उन्हें इस बात से तो धीरज मिल सकता था कि नाकामयाबी ने उनका पला मीयाद खत्म होने के दिनों में ही पकड़ा था । परन्तु लार्ड वेवल के साथ यह बात न थी । उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी से यह दुर्भाग्य प्राप्त किया था । इसीलिए उन्होंने सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिया, किन्तु वे सहयोग की कीमत चुकाने को तैयार न थे । वे तो अपनी ही शर्तों पर सहयोग चाहते थे या कम-से-कम बदनामी के कारण को मिटाने के लिए उत्सुक थे । नर रेजिनाल्ड मैबेसवेल ने श्रीमती सरोजिनी नायदू के वक्तव्य का यही मतलब लगाया कि कांग्रेस सिर्फ़ अपनी शर्तों पर ही सहयोग करेगी । इसलिए वेवल को सहयोग के सम्बन्ध में काफी निराशा हो गयी । तब उन्होंने कहा कि कांग्रेसजन चाहे सरकारों में भाग न लें, किन्तु उन्हें देश की भावी समस्याओं में तो भाग लेना ही चाहिए । दूसरे शब्दों में वाहसराय कांग्रेस को जेल के बाहर ही नहीं, बल्कि सेक्रेटरियेट से भी बाहर रखने को उत्सुक थे । सिंध में बच्चों का एक गीत है, जो वर्तमान परिस्थिति पर पूरी तरह ज्ञागृ होता है:—

“कूसा मूसा, राय बहादुर,  
बाहर निकलो, बात सुनावें,  
बीबीजी मैं खोद-खोद किया मंदिर  
तुम बात करो मैं सुनता अंदर”

बिली ने चूहे से अपने बिल से बाहर लिकल कर एक बात सुनने को कहा । चूहा उत्तर देता है—“मैंने खोद-खोद कर मंदिर बना लिया है । तुम बोलो मैं भीतर से ही सुनूंगा ।” कांग्रेस से लार्ड वेवल कहते हैं—खुद “दा के बास्ते, जरा बाहर आजाओ । मुझे तुम से एक बात कहनी है ।” कांग्रेस जवाब देती है—“मैं तो यहाँ १८ महीने रह चुकी हूँ और जेल ही को मैंने अपना घर बना लिया है । तुम बोलो, हम भीतर से सुनेंगे ।” इस प्रकार गतिरोध बना हुआ है । सब कुछ देख सुन लेने के बाद हम भी इसी परिणाम पर पहुँचे कि लार्ड वेवल के भाषण में अंतिम निश्चय करने का भाव नहीं प्रकट हुआ । उन्होंने कहा—

‘मैं अपने पद पर लगभग पांच महीने बिता चुका हूँ और भारत के इतिहास की इस महत्वपूर्ण घड़ी में जो भी सलाह मैं आपको दे सकूँगा दूँगा । आप उन्हें मेरे अंतिम विचार भी न मानिये । मैं तो नये सम्पर्क उत्पन्न करने और नया ज्ञान प्राप्त करने में ही विश्वास करता हूँ । परन्तु उनसे कुछ ऐसे सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ता है, जिनके आधार पर भारत की उन्मति के लिए कार्य किया जाना चाहिए ।’

यदि लार्ड वेवल को त्रिज का खेल खेलना था तो उन्हें तुरप बोलकर अपना रंग बता देना चाहिए था । इसकी जगह वे ‘छ. दुर्म’ बोलकर इकबक। गये, अपने साथी के पते पर तुरप खगाकर दूसरी गलती की और दुश्मन के सभी हाथ बन जाने दिये । पहले तुरप बोलना और फिर बिना तुरप का खेल खेलते हुए ‘ग्रांडस्लेम’ बनाने की कोशिश का परिणाम बाजी हाथ से लिकल जाना ही हो सकता था । अब पते फिर बांटे जाने के अलावा और कोई रास्ता न था । दूसरी बार पते बांटने पर लार्ड वेवल को अपनी मर्यादा व देश की स्वाधीनता की रक्षा से क्या मिलना था—यह कौन बता सकता था? लार्ड वेवल ने लुह फिशर के हाथ में

एलेनबी के जीवन-चरित सम्बन्धी अपनी पुस्तक के उस अध्याय की हस्तांतिपि दे दी, जिसमें १९२२ के राजनीतिक संकट का सुन्दर गद्य में वर्णन किया गया है। उसमें यह भी बताया गया है कि लार्ड एलेनबी ने किस प्रकार ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल से संघर्ष किया और किस प्रकार प्रधानमन्त्री लायड जार्ज, विदेशमंत्री लार्ड कर्जन तथा अन्य सभी मंत्रियों ने उनका विरोध किया। मिस्ट्र की स्वाधीनता के सब से कठूर विरोधी चर्चिल भी उस मन्त्रिमण्डल में थे। लार्ड वेवल ने इन घटनाओं की चर्चा करते समय यह अनुमान नहीं किया था कि एक दिन इन्हीं चर्चिल (प्रधानमन्त्री) और उनके साथ भारतमंत्री मिं० एमरी से वैसा ही संघर्ष खुद उन्हें भी करना पड़ेगा। लार्ड जेटलैंड से मिं० एमरी तक और लार्ड लिनलिथगो से वाइकाडंट वेवल तक देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की एकता पर जोर ढाका जाता रहा है। वाइसरायों या भारत-मन्त्रियों के लिए यह कोई नयी सूफ़ न थी। ५ जुलाई, १९२० को मेटकाफ़ ने अपने एक पत्र में लिखा था—“मालकम तथा कुछ अन्य लोग मुस्लिम स्वार्थों को हिन्दुओं और विशेषकर मराठों के विरुद्ध करने की योजना पर जोर देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि राक्षिसंतुलन पर निर्भर रहने का समय अब बीत चुका है। साथ ही मुसलमानों की शक्ति बढ़ाने की नीति भी ठीक नहीं है। सच तो यह है कि हमें अधिक-से-अधिक प्रदेश अपने अधिकार में करके अपने को इसी सभी शक्तियों के ऊपर घोषित कर देना चाहिए”—(एडवर्ड थाम्पसन्।)

१९२० में देश की रक्षा का प्रश्न था और अब १९४४ में भी वह उसकी रक्षा का ही प्रश्न है।

लार्ड लिनलिथगो की तरह लार्ड वेवल के भाषण की भी, भारत के लिए नकारात्मक और इसी कारण हूँगलैड के लिए ठोस, उपयोगिता थी। उनके भाषण की उपयोगिता दुहरी कैसे थी, इसके स्पष्टीकरण के लिए यहां “श्यूइंग अप आफ दि ब्लैंको प्रोजेट” की भूमिका से बनाई शा के निम्न शब्द देना असंगत न होगा—“चारस डिकेन्स ने लिटिज डोरियट में कहा है, जो अप्रेज़ी भाषा में इसारी वर्गीय शासन-प्रणाली का सब से ठीक और सच्चा अध्ययन है, कि जब कोई उराई हिस सीमा तक पहुँच जाता है कि इसके यथान्तर में कुछ-न-कुछ किये बिना काम नहीं चलता तो हमारे पार्लीमेंटरियन ऐसा कोई तरोका खोज निकालते हैं, जिससे उस मामले में कुछ भी न करना पड़े, जिसे दूसरे लकड़ों में यहां कहा जा सकता है कि वे ऐसे सुधारों की घोषणा करते हैं, जिनसे परिस्थिति वहां रहती है जैसी पहले थी या उससे भी कुछ भुरी हो जाती है।

ब्रिटिश मंत्रिमण्डल से लार्ड एलेनबी के संघर्ष और मिस्ट्र की स्वाधीनता में उनके हिस्सा बैठाने की लार्ड वेवल ने जो प्रशंसा की थी उसकी तरफ से ध्यान हटाने का प्रयत्न भारत के अंग्रेजों ने किया। उनकी तरफ कहा गया कि मिस्ट्र की नीति भारत में लागू न किये जाने के दो कारण हैं। पहला तो यह कि १९१४-१८ का महायुद्ध समाप्त होने के काफ़ी बाद जनरल एलेनबी से मिस्ट्र मामले अपने हाथ में लेने को कहा गया था। दूसरी कठिनाई यह बताई गयी कि मिस्ट्र में जनरल एलेनबी के सामने कठिनाई डरपक्ष करनेवाली ऐसी कोई संस्था न थी, जैसी भारत में मुस्लिम लीग है।

परन्तु हम तो यही कहेंगे कि लार्ड वेवल को नियुक्ति के समय युद्ध छिड़ा रहना तो हम बात का और भी कारण था कि सरकार नैतिक व अधिक सहायता प्राप्त करके अपनी शक्ति बढ़ाती—विशेषकर उस हालत में और भी जब कि कॉमेस-कार्य-समिति ने जुआई, १९४२ में

( वर्धा में ) तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अगस्त, १९४२ में ( बम्बई में ) बिना किसी शर्त के सहायता देने को कहा था । भारत के सभी दल—लीग और कांग्रेस, मुसलमान और हिन्दू, कौसिलों तथा असेम्बलियों के सदस्य तथा सर्वसाधारण—कह चुके थे कि बिटेन को भारत में शक्ति का परित्याग कर देना चाहिए । यह शक्ति किसे और किस प्रकार दी जाय, इस समस्या का निष्ठारा यदि बिटेन सद्भावनापूर्वक करना चाहता तो कोई विकल्प नहीं उठती थी । कांग्रेस यह तो लिखकर दे चुकी है कि सरकार चाहे तो मुस्लिम लीग को शासन की बागड़ोर सौंप सकती है ।

युद्ध और डस्में हिस्सा लेने के सबाल पर भी कांग्रेस ने किसी सन्देह की गुंजाइश नहीं क्षोभी थी, क्योंकि बम्बई में उसने जो घोषणा की वह स्पष्ट, जोरदार और बिना किसी शर्त के था ।

यदि अंग्रेजों में गतिरोध दूर करने की इच्छा होती तो इसमें कठिनाई कुछ भी न थी । भारत में तथा हंगलैंड और अमरीका के विवेकशील हलकों में यह बात समान रूप से अनुभव की जाती थी । भारत में भर जगदीशप्रसाद, डा० सपू और प्रोफेसर वाडिया-जैसे व्यक्तियों के स्पष्ट वक़्तव्य मौजूद थे । अमराका का लोकमत कभी औचित्य की तरफ और कभी अंतर्राष्ट्रीय देश में अपनी आवश्यकता की तरफ फुर्रता था ।

भारत के सञ्चन्ध में हंगलैंड का लोकमत इतना संतुष्ट न था । भारत में दिलचस्पी रखने-वाले लोगों का संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और उनमें गतिरोध दूर करने के लिए कुछ हलचल-सीं दिखायी देने लगी थी । सभी तरफ धीरज का अंत होने लगा था और अधैर्य नहीं तो कम-से- कम लोगों में आश्र्वत फैलने लगा था । नेताओं की जेल से रिहाई के बारे में सरकार की घोषणाएँ खास तौर पर तुच्छ कर देनेवाली जान पड़ती थीं । जो लोग नेताओं की रिहाई के विरुद्ध थे उन्हें जेल से बाहरवाले नेताओं के साथ जेल के भीतरवाले नेताओं का सम्मेलन करने का प्रत्याव मूर्खतापूर्ण लगता था । उधर भारत में नरम-से-नरम विचारवाले नेता देश में बदतों हुई राजनीतिक कटुता को देख रहे थे और महसूस कर रहे थे कि यदि वाहसराय ने राजनीतिक विचारों से भरे हुए भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कुछ न किया तो यह असंतोष और भी बढ़ जायगा । उधर हंगलैंड में पाइरंड लोग इस आशंका से चिन्तित हो रहे थे कि कहीं भारत में नाराजी इतनी अधिक न फैल जाय कि बाद में अनेक प्रयत्न करने पर भी उसे दूर न किया जा सके ।

भारत में हंगलैंड की नीति दिल्ली-पूर्वी एशिया में जापान की नीति के ही समान थी, जिसका आधार यह था कि भवित्व में साम्राज्य के विभिन्न देश मिल-जुल कर समृद्धि का उपभोग करेंगे, किन्तु अभा उन्हें जैसे बने वैसे निर्वाह करना चाहिए । लाड' वेवल ने कनाडा में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों में हुई एकता का हवाला दिया । इस समस्या का हल हुए १०० वर्ष के लगभग व्यतीत हो चुके थे और ब्रिटिश इतिहास में उसका उल्लेख भी मिलता है ।

### १९४४ का बजट

राजनीति में कभी-कभी ऐसे लोगों को मिलकर काम करना। पड़ता है, जिन्हें मासूली तौर पर एक-दूसरे के विरुद्ध ही कहा जायगा । इन विरोधी दलों में विचारों या सिद्धांतों का मेल नहीं होता, बल्कि किसी तीसरे दल के विरोधी होने के कारण उनका हित एक-दूसरे से मिल जाता है । ऐसी घटनाएँ बजट के समय दिखायी देती हैं । गोकिं पैसी घटनाएँ अवानक होती हैं फिर भी उनमें उचित दिशा में उल्लिक के बजण दिखाई देते हैं । २६ व्यक्तियों ने बजट के विरुद्ध और

२५ ने सरकार के पक्ष में बोट दिये। इन २५ व्यक्तियों में ३७ नामजद और १८ निर्वाचित थे। १८ निर्वाचित व्यक्तियों में से ६ यूरोपीय और १२ भारतीय थे। ६ भारतीयों के नाम हैं प्रकार थे—(१) सर बी० एन० चंद्रावरकर, (२) सर हलोम गजनवी, (३) आनन्द मोहनदास, (४) भाई परमानन्द, (५) नीलकंठदास, (६) सर कावसजी जहांगीर, (७) भागचंद सोनी, (८) मोहम्मद शब्बल, (९) जमनादास मेहता।

समय बीतने पर कितनी ही कड़ बातें भूल जाती हैं, क्योंकि समय के साथ अनुभव बढ़ता है और यह अनुभव विभिन्न तरीके का होता है। कांग्रेस व लीग के एक-दूसरे के निकट आने के लक्षण दिखायी देने लगे थे और लाहौर में कायदे-आजम भी अपने ढंग से इसका पूर्वभास देने लगे थे। २३ मार्च को लीग के मन्त्री सर यामीन खां ने केन्द्रीय असेम्बली में भारत-रवा-नियमों में संशोधन करने के लिए असेम्बली की एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव किया। इस दौरान में उन्होंने एक वक्तव्य दिया। यह वक्तव्य उन्होंने असेम्बली में कांग्रेस व लीग दलों की एकता के सम्बन्ध में एक सदस्य के प्रश्न करने पर दिया था। इसका उद्देश्य दुनिया को यहां दिखाना था कि कांग्रेस या लीग में से एक को भी सरकार पर विश्वास नहीं है। यह एकता की तरफ एक कदम आगे जाता था। इस सम्बन्ध में सर फ्रेडरिक जेम्स के आश्चर्य प्रकट करने पर सर यामीन ने कहा—“क्या ११४० से पूर्व कोई रूस और इंग्लैण्ड के मिलने की कल्पना कर सकता था? कुछ परिस्थितियां ही ऐसी थीं जिन्होंने अलग हुए देशों को एक-दूसरे से मिला दिया।” आपने यह भी कहा कि सरकार को करतूतों ने ही कांग्रेस और लीग को मिला दिया है। सर यामीन खां ने अर्थ-सदस्य को उत्तर देते हुए कहा कि सरकार ने जो कुछ किया है उसके लिए वे उसके आभारी हैं। “सरकार ने अपने हत कुछतों से प्रकट कर दिया है कि विभिन्न दलों से मिलने का वह जो अनुरोध करती है उसके भीतर मुख्य उद्देश्य उनके मतभेदों से अनुचित ज्ञान उठाना ही होता है। सरकार का उद्देश्य यहां होता है कि भारत के लोग कभी एक न हों और अगर वे एक होने जा रहे हों तो उनमें फूट ढालने के लिए कुछ-न-कुछ करना ही चाहिए।”

सर यामीन खां ने ऐसा कह कर सिर्फ अर्थ-सदस्य या विटिश सरकार को ही ताना नहीं दिया। उन्होंने ने अंग्रेजों के कूद दिमाग में एक तथ्य भरने का प्रयत्न भी किया। अस्सर कहा जाता है कि भारतीयों की आदत तर्क देने और सुनने की है, जब कि अंग्रेज तथ्यों पर विश्वास करते हैं। यहां इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सर यामीन खां का ध्यान तर्क और तथ्य दोनों की ही तरफ था।

कहूं सप्ताह की जवानी लड़ाई के बाद केन्द्रीय असेम्बली में बोट लेने का दिन आया और बोट के पक्ष में २५ और विपक्ष में २६ बोट आये। कांग्रेस दल के नेता श्री मूलाभाई देसाई तीन साल की अनुपस्थिति के बाद असेम्बली में आये थे और तोन वर्ष पूर्व को तरह इस बार भी उन्होंने कांग्रेस की नीति का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा कि युद्ध में सहयोग राष्ट्रीय सरकार की स्थापना पर ही होना सम्भव है। इसी प्रकार नवाबजादा लियाकत अली खां ने साफ शब्दों में विचार प्रकट किये। सर जर्मी रेजमेन ने आशा प्रकट की कि कांग्रेस और लीग मिल कर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करें, किन्तु उनको यह इच्छा धोखेबाजी के अलावा और क्या थी। सरकार की नीति पर रोशनी ढालते हुए नवाबजादा लियाकत अली खां कह चुके थे कि सरकार की नीति दलों के बीच फूट बनाये रखना ही है। बजट को सिर्फ पहली ही बार नामंजूर नहीं किया गया था। परन्तु भारत-सरकार प्रतिनिधित्वपूर्ण शासन-प्रणाली के इस तथ्य में विश्वास थोड़े ही करती

थीं कि “शिकायतें रफा करने से पहले आर्थिक मंजूरी न दी जाय” बल्कि वह तो यही मानती थी कि “आर्थिक मंजूरी आदि शिकायतें अभी रफा न होंगी ।”

बजट की नामंजूरी में उख़ोख़नीय कुछ भी न था, गोकि ऐसा न होना खेदजनक बात होती। एक उख़ोख़नीय बात यह थी कि मिठ जिज्ञा न सो असेम्बली में आये ही थे और न उन्होंने ने भाषण या बोट ही दिया था।

इस प्रकार असेम्बली का यह अधिवेशन प्रस्तावपूर्वक समाप्त हुआ। कांग्रेस और लीग ने सिफ मिज्ज कर दुर्घटन को ही शिकस्त नहीं दी थी, बल्कि कांग्रेस की तरफ से भूखाभाई देसाई ने ज्ञानी व स्वतंत्र सदस्यों को जो दावतें दीं और नवाबजादा ने कांग्रेसियों व स्वतंत्र सदस्यों को जो दावतें दीं उनमें भी मेल-मिलाप के दृश्य दिखाई दिये। साथीपन की यह भावना बढ़ना अच्छा ही था, क्योंकि सद्भावना के बढ़ने से विभिन्न दलों के मनसुटाव दूर होने का रास्ता खुल सकता था। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इस मेल-मिलाप में आगे बढ़ कर भाग लिया। भारतीय राजनीति में वे सदा ही शांतिरूप रही हैं।

बजट ने भारत को एक ज़रूरी नैतिक सबक दिया। अदरक तथा तमालू और सुपारी के करों में वृद्धि से सरकार के खिलाफ कुछ कम नाराजगी नहीं फैली थी। परन्तु जब रेल-किराये में २५ प्रतिशत की वृद्धि की गयी—गोकि उससे प्राप्त होनेवाली १० करोड़ की आय युद्ध के बाद तीसरे दर्जे के मुसार्करों की हालत में सुधार के लिए अलग जमा कर दी गयी—तो सभी तरफ से इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध हुआ और अन्त में सरकार ने उसे वापस ले लिया।

चाहे राजव दो या परिवार उनके प्रबन्धकों में बहुतों दिन से यह तरीका चला आया है कि जब मौजूदा अधिकारों और सुविधाओं में विस्तार की मांग बढ़ जाती है तो एक नयी शिकायत पैदा हो जाती है। इस सम्बन्ध में एक दिलचस्प कहानी दी जाती है। एक यहूदी के १० बच्चे थे और उसकी परेशानी यह थी कि अपने छाटे-से घर में वह उन सबको कैसे रखे। एक मित्र से अपनी परेशानी कहने पर उस मित्र ने उसे ख़लाह दी कि कुछ मेहमान रख लो। यहूदी पहले तो चकराया, पर मित्र के कहने पर उस ने यह सलाह मान ली और मेहमानों के रखने पर उसकी परेशानी और बढ़ गयी, जैसा कि होना था। तब मित्र ने घर के भीतर पश्च भी खुसा लेने का अनुरोध किया। बेचारे यहूदी ने यह भी किया। अब हालत और भी बदतर हुई। तब मित्र ने घर के भीतर कुछ सामान भर लेने को कहा। यहूदी ने बड़बड़ते हुए सामान भी उसी घर में भर लिया और साथ ही उसके कष्ट भी बढ़ गये। अब की बार उसी मित्र ने उसे सामान निकाल बाहर करने की सलाह दी। इससे कुछ आराम मिला। तब उसे पश्च बाहर करने को कहा गया। परिस्थिति में और भी सुधार हुआ। अंत में उससे मेहमानों को बिदा करने को कहा गया। अब हालत उसे काफी अच्छी मालूम हुई और जिस मकान में रहना उसके लिए कठिन हो रहा था उसी में उसकी गुजर-बसर मजे में होने लगी।

हसी तरह सरकार पुरानी शिकायतें रफा करने के बायाय नयी शिकायतें पैदा कर देती है और फिर आनंदोजन करने पर इन नयी शिकायतों को दूर करके मूल मांग से जनता का ध्यान इटाने में सफल हो जाती है।

### वेवेल की प्रतीक्षा

वाह्यराय के भाषण पर अनेक व्यक्तियों ने अपने मत दिये। केन्द्रीय धारासभाओं के समस्त लाई वेवेल का भाषण हुए एक पखनारा बीत चुका था, पर अभी देश को उसके सम्बन्ध में

मिं० जिन्ना की त्रस्तिक्रिया का कुछ पता नहीं चला था। अपनी आदत के मुताबिक मिं० जिन्ना कहीं एक महीने बाद वाहसराय या भारतमंत्री के भाषण पर मत प्रकट किया करते हैं। परन्तु 'न्यूज़ क्रानिकल' के दिल्ली के प्रतिनिधि के मिं० जिन्ना से मुलाकात करने की वजह से इस बार लोगों को अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़ी। यह मुलाकात २६ फरवरी को हुई और उसमें मिं० जिन्ना स्पष्ट और जोरदार शब्दों में बोले। मिं० जिन्ना के पिछले वक्तव्यों और मुलाकातों के बावजूद पाकिस्तान-योजना पर अभी तक अस्पष्टता और रहस्य का पर्दा पढ़ा हुआ था, किन्तु इस मुलाकात में यह पर्दा हट गया। मिं० जिन्ना ने अपनी मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान दिये जाने के तीन महीने बाद कांग्रेस की शेखी जाती रहेगी। किन्तु पाकिस्तान की कल्पना स्पष्ट होने, उसकी लम्बाई और चौड़ाई प्रकट होने, उसकी जनसंख्या और ऐंत्रफल जादिर होने, उसकी स्थापना करने और उसे कायम रखनेवाली शक्ति पर कुछ प्रकाश पड़ने से पहले ही खुद मिं० जिन्ना की शेखी का खात्मा हो गया।

मिं० पृष्ठ० ए० जिन्ना ने देश की राजनीतिक अवस्था पर विचार प्रकट करते हुए 'न्यूज़ क्रानिकल' लंदन के प्रतिनिधि को जो वक्तव्य दिया, वह इस प्रकार हैः—

मिं० जिन्ना ने कहा—“सरकार वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट जान पड़ती है और वह कोई कदम नहीं उठाना चाहती। कांग्रेस गैर-कानूनी घोषित कर दी गयी है और उसने अपनी ताफ से किसी हृदय-परिवर्तन का परिचय नहीं दिया है।”

प्रश्न—‘सरकार कांग्रेस से बातचीत क्यों नहीं शुरू करता? या वह श्री राजगोपालाचार्य-जैसे किसी व्यक्ति को, जिसने आपकी पाकिस्तान की मांग के सिद्धांत को—हिन्दू और मुसलमानों के दो पृथक् राज्यों को मान लिया है, गांधीजी से मिलकर उन्हें अपने मत में परिवर्तन करने के लिए राजी करने का मौका क्यों नहीं देती?’

मिं० जिन्ना—“इसका मतलब यह हुआ कि जब तक गांधीजी को राजी नहीं किया जाता तबतक सरकार हमारी उचित मांग को स्वीकार न करेगी। यह तर्क हम नहीं मान सकते। जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं नहीं कह सकता कि उसकी नीति क्या है; किन्तु यदि सरकार आपके सुझाव को मान ले तो इसका मतलब यह होगा कि जीत कांग्रेस को हुई है और सरकार कांग्रेस के बिना आगे नहीं बढ़ सकती।”

प्रश्न—“किया क्या जाय?”

मिं० जिन्ना—“यदि विदिशा सरकार सच्चे हृदय से भारत में शान्ति स्थापित करने को उत्सुक है तो उसे भारत को दो स्वाधीन राष्ट्रों में बांट देना चाहिए—पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, जिसमें देश का एक चौथाई भाग शरीक होगा, और हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए जिसमें समस्त भारत का तीन-चौथाई भाग होगा।”

प्रश्न—“परन्तु भारत को दो देशों में बांटकर कमज़ोर बनाना या शत्रु के आक्रमण का गिराव बना देना कभी वाल्फ़नीय नहीं हो सकता।”

मिं० जिन्ना—“मैं नहीं मानता कि भारत को जबदस्ती एक रखकर उसे अधिक सुरक्षित बचाया जा सकता है। सच तो यह है कि इस द्वाक्षर में उस पर आक्रमण का खतरा ज्यादा होगा, ज्योंकि हिन्दू और मुसलमानों में कभी सद्भावना नहीं हो सकती। हिन्दू और मुसलमानों के लिए एक ही देश में रहना या शासन संघ में सहयोग करना असम्भव है। न्यूफ़ाउन्डलैंड को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करने का बचत दिया गया है। यदि छोटा-सा न्यूफ़ाउन्डलैंड उसी महाद्वीप

में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रख सकता है, जिसमें कनाडा है, तो पाकिस्तान भी अकेला रहकर अपनी उच्चति कर सकेगा, क्योंकि उम्मी जनसंख्या ७ करोड़ से द करोड़ तक यानी ब्रिटेन से दुगनी होगी। रूस में १६ स्वाधीन राज्य कायम किये गये हैं, किन्तु इससे रूस अपने को कमजोर नहीं मानता। ब्रिटेन वर्षों से हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र का रूप देने के लिए प्रयत्नशील रहा है, किन्तु उसे असफलता ही मिली है। अब इसे भारत में दो राष्ट्रों का अस्तित्व माल लेना चाहिए।”

प्रश्न—“पर आप जानते हैं कि कांग्रेस और हिन्दू इसे कभी न मानेंगे। यदि सरकार इस प्रकार की कोई योजना अमल में जाती है तो हिन्दू और कांग्रेस सरयाग्रह शुरू कर देते हैं और तब हिंसा और गृहयुद्ध की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है।”

मिठो जिन्ना—“नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान और हिन्दुस्तान अलग-अलग कायम कर दे तो कांग्रेस और हिन्दू उसे तीन महीने के भीतर स्वीकार कर ले। दूसरे लक्जां में सरकार चाहे तो कांग्रेस की शेरों कुछ ही समय में भुला सकती है। सब तो यह है कि मुस्लिम बदुमतवाले पांच प्रान्तों में पाकिस्तान के सिद्धान्त के अनुसार पहले ही कार्य हो रहा है। इसके मुस्लिम लोगों में ब्रिटेन मंत्री भी कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान से सभी का लाभ है। निश्चय ही हिन्दुओं को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तान-चोथाई भारत पर उनका अधिकार रहेगा। उनका देश भूमि और जनसंख्या के विचार से रूस और चीन को छोड़ संसार में सबसे विशाल होगा।”

प्रश्न—“परन्तु गृहयुद्ध छिन्नने में कोई करार न रहेगी। आप एक भारतीय अल्सटर को जन्म दिये, जिस पर हिन्दू अखंड भारत का नारा उठाकर आक्रमण कर सकते हैं।”

मिठो जिन्ना—“इससे मैं सहमत नहीं हूँ। परन्तु नये विधान के अंतर्गत एक परिवर्तन-कानून भी होगा। आर इस कानून में, जहाँ तक सशास्त्र सेना और विदेशी सम्बन्धों का ताल्लुक है, ब्रिटिश सत्ता सर्वोंपरि रहेगा। परिवर्तन-कानून की लम्बाई इस बात पर निर्भर रहेगी कि दोनों राष्ट्र ब्रिटेन के साथ अपने सम्बन्ध तय करते में हिन्दूना समय लगाते हैं। अन्त में दोनों भारतीय राष्ट्र ब्रिटेन से उसी प्रकार संघि करेंगे, जिस प्रकार मिस्र ने स्वाधीनताप्राप्त करते समय की थी।”

प्रश्न—“यदि उस समय ब्रिटेन ने तर्क उपस्थित किया कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान पदार्थियों के रूप में नहीं रह सकते और भारत से अपना अधिकार न हटाया तब क्या होगा?”

मिठो जिन्ना—“यह हो सकता है, पर इसका सम्भावना नहीं जान पड़ती। यदि ऐसा हुआ भी तो हमें वह आंतरिक स्वाधीनता मिली होगी, जिससे आजकल हम वंचित हैं। एक पृथक् राष्ट्र और स्वाधीन उपनिवेश के रूप में हम ब्रिटिश सरकार से समझौता करने को उत्तम स्थिति में रहेंगे जो कम-से-कम वर्तमान गतिरोध से लो अच्छी ही होगी।”

प्रश्न—“जब ब्रिटेन यह कहता है कि वह भारत को जख्मी-ये-जख्मी स्वाधीनता देना चाहता है तो क्या आप उस पर विश्वास करते हैं?”

मिठो जिन्ना—“मैं ब्रिटेन को नेहरूनीयती पर डस वश्व यकीन करूँगा। जब वह भारत का बैटवारा करके हिन्दू और मुसलमान दोनों को आजादी देगा। १८५८ में जान बाहट ने कहा था—इखंड कब तक हिन्दुस्तान पर इकूलत करना चाहता है? क्या साधारण बुद्धि रखनेवाला कोई व्यक्ति विश्वास कर सकता है कि भारत जैसा विशाल देश, जिसमें बोस विभिन्न राष्ट्र और बीसियों विभिन्न भाषाएं हैं, कभी एक, अखंड साम्राज्य के रूप में रह सकता है?”

प्रश्न—“क्या आप दिल्ली में वाहसराय से मिलेंगे ?”

मि० जिन्ना—‘यदि वाहसराय मुझसे मिलना चाहेंगे तो मैं उससे बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बिलूंगा। किन्तु अभी जो कुछ कह चुका हूँ उससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता।’

मि० जिन्ना से जो प्रश्न किये गये थे वे ऐसे थे कि उनका वही उत्तर दिया जा सकता था, जो मि० जिन्ना ने वास्तव में दिया था। ये उत्तर निश्चित और स्पष्ट थे, जबकि मि० जिन्ना के पिछले कथन अस्पष्ट व अनिश्चित हुआ करते थे। १७ फरवरी, १९४४ को मि० जिन्ना ने मांग की थी कि अंग्रेजों को भारत का बैंटवारा करके चले जाना चाहिए और लार्ड वेवल का भाषण एक प्रकार से मि० जिन्ना की उस मांग का जवाब था। लार्ड वेवल ने अपने हस भाषण में “भौगोलिक एकता” कायम रखने का अनुरोध किया था। मि० जिन्ना ने ‘न्यूज़ कानिकल’ के प्रतिनिधि को जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने अपना विचार बदलकर यह कर दिया कि “देश का बैंटवारा करके यही बने रहो।” यह नारा लीग के स्वाधीनता के ध्येय की सबसे बड़ी आलोचना है। जरूरत पड़ने पर अंग्रेज भारत में ही रह जायेंगे और हिन्दुस्तान से पाकिस्तान का रक्षा करेंगे। मि० जिन्ना को यह भी विश्वास था कि यदि पाकिस्तान की स्थापना की गयी तो कांग्रेस और हिन्दू न तो सत्याग्रह करेंगे और न गृहयुद्ध ही खेलेंगे। मि० जिन्ना का मतलब दूसरे शब्दों में यही था कि अस्पसंख्यक बहुसंख्यकों को जबर्दस्ती अपनी बात मानने के लिए विवश करेंगे। परन्तु चलिये हम स्थिति को उठाट दें। लीग अंतर्कालीन सरकार पर इसलिए आपत्ति कर रही थी कि उसमें शासन-संघ [की मलक थी, पर कांग्रेस अंतर्कालीन सरकार स्थापित किये जाने के पक्ष में थी। एक लश्ण के लिये मान लेगी और हम तरह लीग की शेखी खरम हो जायगी? तो क्या यह लीग और उसके नेता को अच्छा लगता? कम-से-कम हम अवस्था में एक यह लाभ तो था कि अस्पसंख्यक समुदाय-द्वारा बहुसंख्यक समुदाय को विवश करने की स्थिति तो उत्पन्न न होती। दवाब डालने की अवस्था में एक तो दवाब डालता है और दूसरा दवाया जाता है। दोनों ही दलों को इनी उठानी पड़ती है, किन्तु जाभ तीसरे दल को होता है, जो दोनों मूर्ख दलों को लड़ते हुए देखता हुआ अलग खड़ा रहता है। जबकि एक मछली दूसरी से तालाब में उड़ानती रहती है, चीज़ नींजे आकाश में उड़ती हुई शिकार के लिए बात लगा लेती है। इसी प्रकार दो बिलियों का झगड़ा चुकानेवाले बंदर का जाभ होता है। मि० जिन्ना की योजना यह थी कि बहुसंख्यक समुदाय को दवाया जाय और अंग्रेज पहले देश का बैंटवारा करें और फिर उस बैंटवारे को कायम रखने के लिए यहीं बने रहें। हम घटना का पाठक के मन पर नाटकीय प्रभाव पहता है और उसमें स्वाभाविकता का अभाव दिखायी देता है।

यह आश्र्यजनक तथा अप्रथाशित करतव दिखाने के बाद क्या लोगों के लिए यह कहमा अनुचित था कि मि० जिन्ना भारत में अंग्रेजों के हशारे पर चल रहे हैं और लीग ब्रिटेन की दोस्ती का पार्ट अदा कर रही है। यदि लीग ने एकता की जगह बैंटवारे को पसंद किया तो हमके समर्थन में कुछ कह सकने की गुंजाई है, किन्तु जब उसने स्वाधीनता और स्वतंत्रता की तुलना में पराधीनता और दासत्व को पसंद किया—गोकि लीग का ध्येय स्वाधीनता घोषित किया जा चुका है—तो कांग्रेस के विरुद्ध यह शिकायत करने का कुछ भी आधार नहीं रह जाता किंतु सका बम्बईवाला प्रस्ताव लीग के विरुद्ध था। जबकि ब्रिटेन भारत को पृथक् होने के अधिकार के साथ स्वाधीन औपनिवेशिक पद दे रहा था तो एक साम्राज्यिक संगठन ब्रिटेन से भारत में अनिश्चित काल तक रहने

का अनुरोध कर रहा था। इसे हिन्दुस्तान या पाकिस्तान कुछ भी क्यों न कहा जाय—यह तो सचमुच हंगलिस्तान ही था।

कांग्रेस ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के आगमन के समय दिल्ली में एक प्रस्ताव पास करके अपना यह निश्चय जाहिर किया था कि “वह किसी प्रदेश की जनता को उसकी मर्जी के सिलाफ भारतीय संघ में समिलित करने की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकती।” परन्तु मिठो जिन्ना इससे संतुष्ट नहीं हुए। इस स्थिति की तुलना किंजिस्तान की वेलिंग वाली घटना से की जा सकती है। उसमें न तो यहांी अरबों को अप्रत्यक्ष स्वीकृति को मानते थे और न अरब ही खुले शब्दों में स्वीकृति देते थे। इसी तरह न तो मुस्लिम लोग ही कांग्रेस-द्वारा सिद्धांत की अप्रत्यक्ष स्वीकृति को मानने को तैयार हुई और न कांग्रेस ने ही साफ लड्डों में स्वीकृति प्रदान की।

अंग्रेजों ने यह अनुभव नहीं किया कि लेबनान के १९४४ वाले दंगों के ही समाज भारत में १९४२ के उपद्रवों की जिम्मेदारी लाइने की अपेक्षा राजनीतिक अवृंगे को दूर करना कहीं अधिक महावर्षा था। कांग्रेस या कांग्रेसजनों से बम्बई के प्रस्ताव को वापस लेने की जो मांग बार-बार की जा रही थी उससे तो यही जाहिर होता था कि ब्रिटेन में राजनीतिक समस्या को इस करने की तुलना में इसी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। एक के बाद एक घटनाएं होती चली जा रही थीं और परिण्यति में भा परिवर्तन हो चला था, किन्तु सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे राजनीतिक वार्ता का रास्ता साफ होता। अगस्त, १९४० में अल्पसंख्यकों से समझौते की बात उठायी गयी। फिर किप्पन-याजना आयी। अंत में बम्बई का प्रस्ताव वापस लेने, पिछले कार्यों के लिए खेद प्रकृट करने और भविष्य के लिए वचन देने को शर्तें पेश की गयीं। इतना ही नहीं, कांग्रेसजनों-द्वारा बम्बईवाले प्रस्ताव को निंदा, कांग्रेस-द्वारा संयुक्त रूप से युद्ध-प्रयत्न में सहयोग और नया विधान बनाने तक वाइसराय की शासन-परिषद् कायम रखने की बातें हमारे सामने आईं। वास्तव में जब कभी भी राजनीतिक गुरुत्वी को सुलझाने का कोई रास्ता निकलता था तभी सरकार कोई-न-कोई नयी समस्या खड़ी कर देती। सरकार की यह प्रवृत्ति अखिले में इस हद तक पहुंची कि सर रेजिनाल्ड मेस्ट्रेल ने राजनीतिक अवृंगों के अस्तित्व से ही इन्कार कर दिया।

अब भारत-सरकार खुलकर मनमानी करने लगी। उसकी तरफ से कहा जाने लगा कि निन्दा के प्रस्तावों से कुछ भी लाभ नहीं है, बलिक हनके कारण तो सरकार की गैर-जिम्मेदारी में वृद्धि ही होगी। अधिक खेदजनक नज़ारा तो शासन-परिषद के भारतीय सदस्यों की वे करतूत थीं, जिनके द्वारा वे खुद अपने अंग्रेज सहयोगियों के कान काटने लगे। यदि सर रामस्वामी मुद्रालियर शासन-परिषद में अपनी दुवारा नियुक्ति का चर्चा न करते तो कांग्रेस पर कीचड़ उछालने के उनके प्रयत्न इन्हने दृश्यतीय न होते। आपने कहा—“पांच वर्ष तक शासन-परिषद् का सदस्य रहने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपने पद के दूसरे कार्यकाल को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करे तो इसे असाधारण बत ही जायगा—इसलिए नहीं कि पिछले पांच वर्ष में उसे बहुत कुछ तुरा-भद्दा खुनाना पड़ा है, बलिक इसलिए कि अगर वह ईमानदारा से काम करता रहा है तो उसे इस काल में चिंताओं और परेशानियों का असदा भार डाना पड़ता होगा। यहां कठिनाई ही। क्या शासन-परिषद के भारताय सदस्य यह अनुभव नहीं करते थे कि राष्ट्र को स्वार्थीनता से वंचित रखना, उसे पृक्ष ऐसे युद्ध में ढकेल देना जो उसका अपना नहीं था, राष्ट्राय सरकार को स्थापना की अनुमति न देना और जब ऐसे पर नमक छुड़कने के समान जाति, धर्म और राजनीतिक पद को राजनीतिक

प्रगति की बाधाएं बताना साम्राज्यवाद की वही पुरानी चालें न थीं, जिन्हें हम लार्ड डरहम से लार्ड वेवल तक देखते आ रहे हैं ? वेवल और सिनाकिथगो, एमरी और जेटलैंड, चर्चिंज और चेम्बरलेन तो साम्राज्यवाद की मर्शन को चलानेवाले थे ही, पर उस मशीन के पहिये पर बैठी एक मक्खी यदि सोचे कि वही मर्शन को चलाती है तो वया हूसे उचित कहा जा सकता है ? सर रामस्वामी मुदालियर ने ही तो कहा था कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना अगले २५ 'वर्ष तक न होनी चाहिए ।

आर्थिक बजट में कमी के कई प्रत्यावर पाये हो गये । कांग्रेस के एक प्रस्ताव के अनुसार वाइसराय की शासन-परिषद् का ही सच नामंजूर कर दिया गया । हतना ही नहीं, अर्थ विभाग के लिए जो रकम मार्गी गई थी उसे भी मंजूर करने से इन्कार कर दिया गया । यह कारबाई उस हालत में हुई जब कि कांग्रेस के बल ४६ सदस्यों में से सभा में सिर्फ़ १६ ही उपस्थित थे । बजट-अधिवेशन में ही जब सरकार के विश्लेषिता के सात प्रत्यावर पाये हो गये तो सरकार खुल कर निरंकृता के स्त्रे तर आई । अर्थ-सदस्य सर जर्मी रेजमेन ने कहा कि सरकार जानती है कि सभा का बहुमत उस के पक्ष में नहीं है । सर जर्मी के शब्द ये थे :—

"सभा में बहुमत न होना सरकार के लिए कोई नयी बात नहीं है । यदि लोग राजनीतिक उठे रेयों से द्रेसित होकर कार्य करते हैं हो प्रत्येक दिन सो वया प्रत्येक घण्टे बीट लिये जाने का मन्त्रहूस वृश्य दिखायी दे सकता है ।

"इससे सरकार या विरोधी पक्ष में जिमेदारी की भावना आती है या नहीं—इसका विरोध मैं सदस्यों पर छोड़ता हूं । यदि सरकार को हराने वा कोई भी अवसर आता है तो उससे लाभ उठाने की समझावना ही अधिक रहती है । परिणाम यह होता है कि सभी तरफ रै-जिमेदारी ही फैल जाती है ।"

इसी बीच कांग्रेस और लीग में सद्भावना क्षप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगी । समाचार-पत्रों ने हस्त भावना को और भी बढ़ाया और सभी तरफ आशा बढ़ती हुई दिखायी देने लगी । भूजा-भाई देसाई ने जो पार्टी दी थी उसमें वे खुश, सरोकिनीदेवी, नवाजजादा लियाकतकी खां और सर यामीन खां के साथ एक ही मेज पर बैठे थे । अखबारों में तो यहाँ तक छप गया था कि दोनों दलों में कितनी ही महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में समझौता हो गया है । उधर वाइसराय ने ६१ दिनों में भारत के ग्यारहों प्रांतों का दौरा कर लिया था । इस दौरे का मुख्य उहूश्य खात्यरिति का अध्ययन करना और साथ ही देश के विभिन्न भागों में सैनिक स्थिति को देखना भी था । इस दौरे में लार्ड वेवल ने राजनीतिक समस्या पर न तो कुछ कहा और न मद्रास में श्री राजगोपालाचार्य से हुई बातचीत के अतिरिक्त किसी राजनीतिक चार्टा में ही भाग लिया ।

लार्ड वेवल को भारत आये हुए छ: महीने और वाइसराय के पद पर उनकी नियुक्ति की घोषणा हुए एक साल का समय बीत चुका था । उन्हें भारतीय राजनीति का अनुभव भी कम न था, क्योंकि इंग्लैंड में भारतमंत्री के कार्यालय में रहकर उन्हें साम्राज्यवाद के रहस्यों का ज्ञान पूरी तरह से हो चुका था । वहीं सर रामस्वामी मुदालियर ने वाइसराय को अपनी विश्वकृता और जी-हजूरी से प्रभावित किया होगा और वहीं वे पांच साल तक फिर सदस्य बनाये जाने के इच्छावाल हुए होंगे ।

इस प्रकार लार्ड' वेवल अपने कार्यकाल का दसवां हिस्सा इन छ: महीनों में समाप्त कर चुके थे । देश की आर्थिक, सामाजिक, सैनिक और राजनीतिक समस्याओं का निकट से अध्ययन

करने के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न बाकी न छोड़ा था। गोकिं सैनिक देश में स्थानि प्राप्त करने का समय नहीं रहा था, फिर भी सैनिक विषयों में जारी वेवल की विजयस्थी बनी रही। अगर्चे वे कीलमाशक की वर्दी छोड़ने की बात कह चुके थे फिर भी दौरों के मध्य वे सैनिक मामलों में विशेष दिलचस्पी करते थे। तुरन्त निर्णय करने और उन निर्णयों को अमल में लाने के अपने सहज गुण और संकटपूर्ण परिस्थितियों वा सामना करने के लिए अपनी शासन-सम्बन्धी योग्यता का वे परिचय दे चुके थे। आर्थिक और सामाजिक देश में ठीक स्थिति का पता लगाने और किये गये नियमों को अमल में लाने की दिशा में भी उन्हें बहुत काम करना था। वे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सर जोसेफ भोर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर चुके थे। सदक बनवाने व वैज्ञानिक शोध के विषय में भी समितियाँ नियुक्त की जा चुकी थीं। जार्ड लिनलिथगो के समय में सर जान सार्जेन्ट-द्वारा तैयार की गयी शिल्प-योजना भी अमल में आने का हृतजार हो रहा था; परन्तु लार्ड वेवल ने शिल्प की तुलना में सदकों के विस्तार को तरजीह देकर अपने साम्राज्य-वादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। राजनीतिक समस्या के विषय में वे वही साधारण बातें कहकर चुप रह गये, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। साफ जान पढ़ता था कि अभी वे आगे नहीं बढ़ना चाहते थे।

परन्तु राजनीतिक गतिरोध के सम्बन्ध में जार्ड वेवल का दृष्टिकोण मानने के लिए भारत, हृतजार या अमरीका का लोकमत तैयार न था। हिन्दुस्तान के बथोवृद्ध राजनीतिक अपने शांति-पूर्ण जीवन को त्यागकर सोई हुई ताकतों को जगाने और कुछ न करने की नीति के छतरे से आगाह करने के लिए मैदान में आ गये थे। जिन महामाननीय शास्त्रीजी का एक-एक शब्द अंग्रेजों के लिए बाह्यिक के सिद्धांतों के समान मान्य था और जिन्हें सी० एम० का सम्मान प्राप्त हो चुका था (जो बंगाल के गवर्नर मिं केसी को बाद में दिया गया) वे अपनी उस सहज स्पष्टता, तेजिस्ता और दूरदर्शिता के साथ बोले, जिसके लिए वे यूरोप और अमरीका में एक ही जैसे प्रसिद्ध थे। उनका मकसद सिर्फ गांधीजी की रिहाई या राजनीतिक अंदंगे को दूर करना न होकर कुछ आगे की बातों का ख्याल करना था। वे युद्ध व शांति की आगामी समस्याओं का विचार कर रहे थे। वे एक ऐसे भविष्य के निर्माण की बात सोच रहे थे, जिसमें संघर्ष को समाप्त बनकर सद्भावना स्थापित होती थी। इसके उपरांत भारत के बथोवृद्ध मनीषी महामन पंडित मदनमोहन मालवीय ने भी गांधीजी और उनके साथियों की रिहाई की विवेकपूर्ण मांग उपस्थित की। उन्होंने अपनी मांग उस उत्तर पर आधारित की, जो साकार-द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में गांधीजी ने दिया था। श्रद्धेय पंडितजी मार्च के महीने में एक सर्वदल सम्मेलन करना चाहते थे, किन्तु बाद में निर्देश-सम्मेलन ही सर तेज बहादुर सफू की अध्यक्षता में ७ और ८ अप्रैल को लखनऊ में हुआ। इस सम्मेलन ने अपने प्रस्तावों-द्वारा सभी दलों का प्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के अतिरिक्त सूबों में मिलीजुली घजारते कायम करने, व्यवस्थापिका सभाओं का नया चुनाव करने और साम्राज्यिक समझौता करने के लिए कांग्रेसी नेताओं की बिना किसी शर्त रिहाई का अनुरोध किया। सर तेज बहादुर सफू ने, जो केन्द्रीय-सरकार के कानून-सदस्य रह चुके थे और इस सम्मेलन के सभापति भी थे, संदेह प्रकट किया कि सम्मेलन को अपने उहैश्य की प्राप्ति में शायद सफलता न मिले, क्योंकि सरकार के विचार के अनुसार सम्मेलन में भाग लेनेवाले नेताओं के अनुयायी नहीं हैं, और जिन लोगों के अनुयायी मौजूद हैं, वे जेलों में बन्द हैं।

अब महसुस किया जा सकता है कि उस समय लंदन में कितनी ही संस्थाएं—जैसे हृषिया झीग, मज़दूर सम्मेलन, ट्रेड यूनियन सम्मेलन, स्वतन्त्र मज़दूर-दब सम्मेलन और कामनवेस्थ प्रुप सम्मेलन आदि—जो प्रथम कर रही थीं वे कितने बेकार थे। ये सब उच्च आदर्श, गहरी नेक-नीयती और विशुद्ध न्याय-भावना का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, किन्तु वे सब-की-सब ब्रिटेन के कट्टरपंथी समुदायके आगे अशक्त थीं। ब्रिटेनका कट्टरपंथी समुदाय चंद परिवारों तक सीमित है और शासन-शक्ति के साथ साम्राज्य की पूँजी, ध्यवसाय और ड्यूपार भी उसी के हाथों में केन्द्रित है।

जब कि एक तरफ इस प्रकार की संस्थाएं अपनी आवाज शासकों के कानों तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रही थीं, जेल के बाहर के कांग्रेसियों—विशेषकर संयुक्त प्रांत के कांग्रेसियों ने मिल कर महारामा गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया और रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इन्हीं दिनोंचीन से अमरीका जाते हुए डा० जिन-यु-तांग भारत आये। उनके आगमन में भारतीयों ने बड़ी दिलचस्पी खी, किन्तु खेद यही रहा कि वे अधिक समय यहाँ ठहर नहीं सके।

लंदन में साम्राज्य के अन्य भागों के गुजरापाड़े के बीच भारत भी समाचारपत्रों तथा सभाओं के द्वारा ध्यान आकर्षित किये रहा।

जैसे इन सब चेतावनियों का उत्तर देने के ही लिए मि० एमरी ने १८ अप्रैल, १९४४ को पार्लीमेंट में एक वक्तव्य दिया। आपने कहा—“भारत सरकार की शासन-रचनास्था को पंगु बनाने के लिए जो सामूहिक आनंदोलन किया गया था उसके लिए प्रायः निश्चय ही कांग्रेसी नेता जिम्मेदार थे।” जब मि० सोरेंसन ने पृष्ठा कि “बया सचमुच ही कांग्रेसियों ने इस आनंदोलन को उठाया था” तो मि० एमरी ने कहा—“हाँ, बिल्कुल निश्चय ही।” इस प्रकार जबकि “प्रायः निश्चय” कुछ सेकण्डों में “बिल्कुल निश्चय” हो गया तो समझा जा सकता है कि उनके द्वारा किया गया आरोप कहाँ तक सत्य हो सकता है?

मि० एमरी ने बड़े अभिमानपूर्वक उड़ीसा और सीमाप्रांत में पार्लीमेंटी शासन चलाने का जिक्र किया। परन्तु सच बात तो यह थी कि उड़ीसा में ५० में से २० और सीमाप्रांत में ६७ में से २७ व्यक्ति शासन के जिम्मेदार थे। मि० एमरी का भाषण बहुत ही लुब्ध कर देनेवाला था। भी पेत्रिक लारेंस ने (जो १९४५ में भारतमंत्री हुए) कहा कि मि० एमरी ने अपने भाषण की वीचणता का तनिक भी अनुभव नहीं किया और सिर्फ एक इसी बात से प्रकट हो गया कि वे अपने पद के कितने अनुपयुक्त हैं।

सात कांग्रेसी प्रांतों में लोकप्रिय शासन समाप्त होने के समय से ही प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में ब्रिटिश पार्लीमेंट में ६३ धारा का शासन जारी रखने के सम्बन्ध में बहस होती रही है। भारतीय शासन के ऐकट की धारा ६३ सम्बन्धी बिल पर बहस होने के उपरात ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों के मध्य शांति के समय एकता कायम रखने के सम्बन्ध में बहस हुई। इस संबंध में प्रस्ताव कामन-सभा के एक मज़दूर लंदस्थ श्री शिनवेल ने उपस्थित किया, जिनका शुकाव बाद की घटनाओं से अनुदार लंदस्थ श्री शिनवेल ने उपस्थित किया। मि० शिनवेल ने बिना किसी संकोच के १० नवम्बर, १९४२ बाजी भी चर्चित की उस प्रकट हुआ। मि० शिनवेल का समर्थन किया, जिसमें साम्राज्य को बनाये रखने को बात कही गयी थी।

मि० शिनवेल ने जोरदार शब्दों में कहा कि भारत की समस्या राजनीतिक नहीं, आर्थिक है। मि० शिनवेल के कथन के आधिकारिक सम्बन्ध में कुछ मत प्रकट किये बिना ही भारतमंत्री

जान मोर्ले के एक वैसे ही कथन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है कि भारत की समस्या राजनीतिक नहीं जातीय है। परंतु व्या मिं० शिनवेल ने यह अनुभव नहीं किया कि राजनीतिक स्वाधीनता के बिना आर्थिक उन्नति असम्भव है। कथा उन्होंने कभी ऐसा साम्राज्य देखा है जिस का उद्देश्य उपनिवेशों में अपने तैयार माल के लिए मंडियां और कच्ची सामग्री की खोज रहा हो और साथ ही उन उपनिवेशों को आर्थिक इव्हन्ट्रता प्राप्त हो? चाहे विदेशी पूँजी की भरमार, बाजार में सरते व तैयार विदेशी माल की खपत, कच्ची सामग्री के शोषण, देश के बाहर रजिस्ट्री की हुई कम्पनियों द्वारा देश के व्यवसाय पर अधिकार जमाने और स्थानीय कानूनों और सुदृढ़-सम्बन्धी नियंत्रणों से बचने की चालें हों अथवा व्यापारिक संबंधों के बहाने अधीन देश के व्यवसायों पर एकाधिकार स्थापित कर लेने के हथकंडे हों—वास्तविक सत्य तो यही है कि राजनीतिक प्रभुत्व ही आर्थिक प्रगतीना या आर्थिक इव्हन्ट्रता का पैसला करता है। और मिं० शिनवेल भारत की समस्या को जब राजनीतिक नहीं आर्थिक बताते हैं तो वे जानवृक्ष का गत्तव्यानी करते हैं। जब हंगलैंड में सर स्टेफर्ड क्रिप्टन जैसे व्यक्ति मुमाफा कमाने पर प्रतिवंध लगाने की बात कहते हैं ताकि काम की उचित अवस्थाएं हों तो भारत-जैसे देश को अपने कच्चे माल की हिफाजत करने, आयात गोकर्ने, जकात पर नियंत्रण करने, रेलों के महसूलों की देख-रेख करने और सुदृढ़ व विनियम-प्रणालियों पर नियंत्रण रखने के सिए और भी कितना इव्हन्ट्र होने की आवश्यकता है? ब्रिटेन हन्हीं सब जरियों से भारत में अपनी आर्थिक जीत बनाता है। मजदूर-दल के कठुरपंथी सदस्य मिं० शिनवेल ने भारत के संबन्ध में यही कहा और सच भी यही है कि परमामा भारत की अपने ऐसे मित्रों से रक्षा करे, यही अच्छा है।

भारतीय राजनीति के संबन्ध में कामन-सभा में एक और चर्चा हुई। हधर पार्लिमेंट के कुछ सदस्यों के दिमाग पर ब्रह्मणों का भूत सवार हो गया। सर हर्बर्ट विलियर्स ने कहा कि भारत से अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने पर उस देश को हंसार के सबसे कठोर—ब्रह्मणों के शासन में रहना पड़ेगा। मिं० चर्चिल ने आशा प्रकट की कि युद्ध के बाद भारत स्वाधीन उपनिवेश का पद प्राप्त कर लेगा। हमें रेमजे मेकडानल्ड के बेशब्द खूब पाठ हैं, जो उन्होंने प्रथम गोलमेज-परिषद् के अन्त में कहे थे, कि कुछ वर्षों में नहीं, बल्कि कुछ महीनों में साम्राज्य में एक नया स्वाधीन उपनिवेश जुड़ जायगा। सर पर्सी रिस ने आश्चर्य प्रकट किया कि जिस भारत को छुटे स्वाधीन उपनिवेशों का पद प्राप्त करना है उसकी तरफ आधघरणटे की बहस में कुछ भी ध्यान न दिया गया और यदि २५ सदस्यों की परिषद् में उसकी चर्चा एक बार कर भी दी गयी तो इससे खाभही क्या है। बहस में अनुदार दल की तरफ से सर हर्बर्ट विलियर्स ने विचार प्रकट किया, जिन्हें ब्राह्मणों के भूत ने भयभीत कर रखा था। आपने कहा कि क्रिप्स-योजना की अस्वीकृति ठीक ही हुई, क्योंकि उसकी किसी ने भी प्रशंसा नहीं की। विरोधी दल के नेता ने कहा कि अनुदार दल न क्रांति साम्राज्य के विकास को आदर्श-सम्बन्धी उच्च रूप दिया है। वह उसे सत्य और सुन्दर का प्रतीक मानता है, जब कि हमारे मत से वह लुटेरेपन का ही परिणाम है। आपने यह भी कहा कि अतीत में ब्रिटेन अपने उपनिवेशों का बुरी तरह शोषण करता रहा है पर अंत में शिनवेल, एमरो और ग्रीनबुड सभी इस एक ही वरिण्याम पर पहुँचे कि अंग्रेजों के व्यापार की वृद्धि ही उनकी एकमात्र जीत होनी चाहिए।

: २४ :

## वेवल ने कदम उठाया

आखिर चमत्कार हुआ; लेकिन उसका एक दुखद पहलू भी था। दूसरी परिस्थितियों में गांधीजी की रिहाई एक सूशी की घटना ही मानी जाती और कहा जाता कि ब्रिटेन के युद्ध मन्त्र-मंडल ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया। पर सच तो यह था कि गांधीजी की रिहाई उनकी बीमारी और आसन्न-सकट के कारण हुई। एक सप्ताह पहले उनकी तन्द्रुस्ती बिगड़ने के बारे में जो समाचार छपे उनके कारण देश भर में घबराहट फैल गयी और वाइसराय के पास रिहाई के लिए तार-पर-तार पहुंचने लगे। वेवल ने कार्रवाई की, और तुरन्त की। वाइसराय के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा १६ जून को हुई थी। घोषणा के चार महीने बाद ६ अक्टूबर को वे भारत पहुंचे थे। अब हस बात को भी पूरे छः महीने बीत चुके थे और गांधीजी की रिहाई में नेत्री होने के कारण भारतीय जनता व ब्रिटेन और अमरीका के दूरदर्शी लोग अशान्त हो उठे थे। जब मनुष्य कुछ न कर सका तो जैसे प्रकृति उसकी मदद के लिये आई। नये वाइसराय के कार्यकाल के छः महीने खत्म हो रहे थे कि गांधीजी १४ अप्रैल को बीमार होगये। उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो पहला बुलेटिन निकला उसमें डरानेवाली कोई बात न थी। पर उसी दिन उनकी हालत एकाएक बिगड़ने की सूचना भी मिली। पार्लिमेंट में गांधीजी के स्वास्थ्य के बारे में एक सवाल भी किया गया, जिसके जवाब में मिं० एमरी ने कहा कि गांधीजी की बीमारी ऐसी संभगीन नहीं है कि उन्हें फौरन रिहा किया जाय। ऐसा जान पड़ता था जैसे अधिकारी गांधीजी की हालत बिगड़ने का इन्तजार ही कर रहे थे ताकि सिंदशाद जहाजी के समान अपने कंधे पर बैठे बुढ़े-जैसे इस अभिशाप को वे भी अपने कंधे से उतार कर फें सकें। इसमें कोई शक नहीं कि चर्चिल, एमरी और वेवल किसी-न-किसी तरह राजनीतिक अंदेंगे को दूर करने के लिए उत्सुक थे। पर उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हो रही थी। दूसरे तरीकों के नाकामयाव होने पर वाइसराय के रूप में भी कुछ परिवर्तन होने लगा था और अब वे इस पर उत्तर आये थे कि कांग्रेसजनों को खुद ही फैसला करके व्यक्तिगत रूप से बम्बईवाले प्रस्ताव के विरुद्ध मत प्रकट करना चाहिये। परन्तु कांग्रेसजन जितना ही विचार करते थे उतना ही प्रस्ताव पर कायम रहने का उनका इरादा पक्का होता था। इतना ही नहीं, एक आडिनेंस के श्रंतर्गत कांग्रेसजनों पर कुछ आरोप लगाये गये, किन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तब क्या होना चाहिये? १२ जनवरी से ६ महीने के लिए नजरबंदी के जो आदेश दिये गये थे वे समाप्त हो रहे थे और बन्दियों को आदेशों की अवधि बढ़ाये बिना जेलों में नहीं रखा जा सकता था। इस कठिनाई को हल करने के लिए प्रकृति या ईश्वर का वरद हस्त आगे बढ़ा। पहले जो बुलेटिन जरदशाजी में प्रकाशित किया गया उसमें “चिन्ता की कोई बात नहीं” और “सब ठीक हैं” की ध्वनि थी। इसके बाद जो सूचना प्रकाशित हुई उसमें घबराहट थी और एकाएक आगाखां महल का फाटक खोल दिया गया। ६ मई, १९४४

के दिन गांधीजी को उनके दल के साथ आज्ञाद करके पर्णकुटी पहुंचा दिया गया, जो पूना में लेडी ठाकरसी का प्रसिद्ध निवास-स्थान है। गांधीजी पहली बार १६२२ में जेल गये थे और “अर्दें-डिसाइट्स” के अपारेशन के बाद रिहा कर दिये गये थे। उस समय वे अपने छः वर्ष के कारावास-काल में से सिर्फ दो वर्ष ही काट पाये थे। १६३० के आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद २६ जनवरी, १६३१ को उन्हें रिहा किया गया था ताकि लार्ड हेलिफेक्स से समझौते की वार्ता चला सके। ४ जून, १६३२ को उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार आमरण-अनशन आरम्भ करके उन्होंने इतिहास का निर्माण किया। इस अनशन के ही परिणामस्वरूप पूना का समझौता हुआ। गांधीजी ने जेल से हरिजन-आंदोलन चलाने का अपना इक वेश किया और इस समझौते को भंग किये जाने पर फिर अनशन किया। इस बार उनकी हालत ऐसी नाजुक हो गयी कि सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। उस समय भी गांधीजी इसी ‘पर्णकुटी’ में आकर रहे थे और इस बार भी यह कुटी उनके आगमन से पवित्र हुई, और यहीं उन्होंने स्वास्थ्य-जाभ किया।

इस समय देश की जो राजनीतिक व साम्प्रदायिक हालत थी उस पर एक दृष्टि डालना असंगत न होगा। गांधीजी की बीमारी शुरू होने के ही समय यानी १३ अप्रैल को जापानी भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर बढ़ आये। उधर पंजाब में मिं० जिन्ना की परेशानी बढ़ रही थी। उन्होंने अप्रैल की २० तारीख को पहुंचने की धमकी दी थी और १८ तारीख को बम्बई से चल पड़े। पंजाब की इन घटनाओं की चर्चा इम एक पिछले अध्याय में कर चुके हैं।

सात मई को उत्तर-पूर्वी सीमा के निकट कोहिमा में, मध्य में पूना में और उत्तर-पश्चिम में लाहौर में क्या परिस्थिति थी? जापानियों ने कोहिमा पर अधिकार कर लिया और वे कुछ समय मित्र सेनाओं-द्वारा घिरे रहे। घटनाक्रम अप्रत्याशित दिशा में शुरू होने लगा। पूना में बन्दियों का सरताज तो आज्ञाद हुआ ही, साथ ही उसे जेल में डालनेवाले भी आज्ञाद होगये, योंकि राजनीतिक परिस्थिति की विषमता से अधिकारी चिन्तित थे और गांधीजी का स्वास्थ्य बिगड़ने पर वह बुरी हाली दिखायी देती थी। उत्तर-पश्चिम में मिं० जिन्ना ने हमला किया था, पर कम से कम अभी तो उनकी योजना निष्कल हो चुकी थी और वे हथियार ढाल देने के लिए मजबूर होनुके थे। भारत के इतिहास की इन तीनों घटनाओं पर एक ही शीर्षक दिशा जा सकता था—“आक्रमणकारी पर आक्रमण!” अप्रैल, १६४३ में गांधीजी के अनशन के बाद मिं० जिन्ना ने जो-कुछ कहा था जरा उसे भी स्मरण कीजिये। अपने दिलीवाले भाषण में उन्होंने कहा था कि “गांधीजी के सरकार को पत्र लिखने में कोई जाम नहीं है। इसकी बजाय यदि वे सुनें (मिं० जिन्ना को) पत्र लिखें तो सरकार उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगी। बाद में जब गांधीजी ने मिं० जिन्ना को पत्र लिखा और सरकार ने उसे रोका तो कायदे-आजम ने अपनी हस पराजय पर यह कह कर पदी ढाला कि गांधीजी को पहले बम्बई का प्रस्ताव वापस लेना चाहिए और दूसरे पाकिस्तान का सिद्धान्त मान लेना चाहिए और यदि तब वे कोई पत्र लिखें तो ऐसे पत्रको रोकने की सरकार कोई हिम्मत न करेगी। परन्तु मिं० जिन्ना में यह समझने की भुवि न थी जो चौथे दर्जे का बाबक समझ लेता, कि यदि गांधीजी बम्बईवाले प्रस्ताव को वापस लेने को तैयार होते तो उन्हें मिं० जिन्ना की सद्भावना प्राप्त करने के लिए ठहरने की ज़रूरत न पड़ती। लेकिन जिन्ना साहब के दिमाग का पारा तो लिंगियरों से प्रोत्साहन प्राप्त करने के कारण हृतना ऊँचा चढ़ा हुआ था कि वे लीग के सिंहासन पर बैठे हुए प्रधान मंत्रियों को आदेश दे रहे थे और एक ऐसे राजनीतिक दल से अपने सिद्धान्तों में परिवर्तन करने को कह रहे थे, जो अपनी तत्कालीन स्थिति पर

सींग के प्रभाव या उसके प्रसिद्ध अध्यक्ष के समर्थन के बिना ही पहुँच सका था। उनमें सौजन्य या शिष्टाचार की कभी इस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि उन्होंने न तो अलाइवर्ला की हत्या की निन्दा में एक लफ़्ज़ कहा था और न जेत में कम्तूर्गा की मृत्यु पर शोक प्रकट करना ही उचित समझा था। परन्तु इन गांधीजी का क्या किया जाय, जो बम्बई-प्रस्ताव को बापस लिये या पाकिस्तान का मिल्ड्रॉन्ट माने बिना विंशिंग सरकार के उद्दर को फाइकर बाहर निकल आये! अथ जरा इस चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिये। एक तरफ गांधीजी धैर्य और आस्था विनष्टता और सौजन्य, सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे और दूसरी तरफ कायदे-आजम मिथ्या अभिमान, अहंकार, तानाशाही मनोवृत्ति, कूटनीति और दावपेंच की मूर्ति बने हुए थे। राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए चर्चित भले ही कोई रास्ता निकालने को उत्सुक हों, चाहे ऐसी भी इस सम्बन्ध में चिन्तित हों, चाहे वेवल ही इसके लिए परेशान हों, किन्तु मिं जिन्ना अपनी स्थिति से एक हूँच हटने था अपनी शर्तों के बाहर समझ्या के निवारे के लिए जरा ऊँगली दिलाने अथवा परिस्थिति में सुधार के लिए गांधीजी की रिहाई के समर्थन में एक लफ़्ज़ कहने को तैयार न थे।

अब गांधीजी की रिहाई के बारे में कुछ बातें कहने का अवसर आ गया है। जिम्मेदार अधिकारियों के काम करने के तरीके में कुछ मनुष्यता की कमी रह जाती है। अधिकार और जिम्मेदारी केन्द्रीय व प्रांतीय-सरकार के मध्य बँटी होने के कारण जहाँ मामूली हालत में एक-मत, एक दृष्टिकोण और अच्छे या बुरे एक ही पैसले से काम चल सकता था वहाँ गांधीजी के मामले में ऐसा दो की ज़रूरत पड़ा करती थी। सचमुच एक घ्यान में दो तलबार पहँच हुई थीं। ऐसी हालत में उनके एक-दूसरी से टकराने की सम्भावना हमेशा रहती थी—और वह भी ऐसी हालत में जब कि ब्रिटेन और भारत के मन्य पहले ही एक गम्भीर संघर्ष छिड़ा हुआ था।

कस्तूरबा गांधी का देहावसान २४ फरवरी, १९४८ को हुआ। यह साधारण आदमी के समझ की बात थी—नहीं। इसानियत का तकाजा था कि ७५ साल के इस वृद्ध बंदी को उस स्थल से हटा दिया जाता, जहाँ उसकी साठ वर्ष की चिर-संगिनी पत्नी वा और तीस वर्ष के साथी और सेकेटरी महादेव की समाधियाँ उसकी नज़र के हमेशा सामने रहती थीं। और उसके मस्तिष्क में भावना का सामर उठाया करती थीं। ऐसी विपत्तियों में पड़कर दूसरे किसी भी व्यक्ति का अन्त हो चुका होता और गांधीजी का थोड़ा और भी। गांधीजी ने इन दोनों घटनाओं को जिस दार्शनिक भवित्तिया की भावना से सहा होगा उसकी उन पर ऐसी गहरी और भीतरी प्रतिक्रिया हुई होगी कि इसका बाहर से पता लगाना प्रायः असम्भव था। साधारण गँवार जब दहाड़ मारकर रो पड़ता है तो उसके शोक का सामर रिक्त हो जाता है और फिर उसके मनुष्य के अन्तर को फोइकर बाहर निकलने की सम्भावना नहीं रह जाती।

पारिवारिक सम्बन्ध व प्रेम की जानकारी खबरेवाला कोई भी व्यक्ति गांधोजी का तबादला वहाँ से अन्यत्र करा देता, जहाँ उनके मस्तिष्क में रसुतियों को आने से रोकना असम्भव था। जब कस्तूरबा २४ फरवरी को मरीं तो गांधीजी का वहाँ से १२ मार्च को हटाया जाना कोई असम्भव वात न था। बजाय इसके सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने २६ मार्च को एक सवाल के जवाब में सिर्फ़ हतना ही बढ़ा कि भरकार तबादले के बारे में सोच-विचार करेगी। ८ अप्रैल को जेलों के इंस्पेक्टर-जनरल अदामदानगर किंजे में आये और उन्होंने सम्भवतः गांधीजी और उनके दल को उसी इमारत में रखना तय किया होगा, जिसमें कार्य-समिति के दूसरे सदस्य थे। फिर उन्हें ३० अप्रैल तक

शहमदनगर किला क्यों नहीं ले जाया गया ? इस देरी की वजह से सरकारी दफतरों का दीक्षापन और दुर्दृष्टि हक्कमत थी । पर मलेरिया किसी की पर्वती नहीं करता—यहाँ तक कि मैवसवेल और ब्रिस्टोली की भी नहीं । रोग का कीटाणु सरकारी अफसर से अधिक शक्तिशाली होता है और जो काम बड़े-से-बड़े अफसरों से नहीं हुआ वह उसने कर दिखाया ।

गांधीजी की रिहाई का सभी जगह स्वागत किया गया । अमरीका में इसके बाद कांग्रेसी नेताओं के छुटकारे तथा राजनीतिक अंडेंगे को दूर करने का नया प्रयत्न होने की आशा करना भी स्वाभाविक थी था । अब इवा किस तरफ बढ़ने लगी थीं, यह इससे जाहिर है कि हिन्दुस्तान के एक अधिगणे अखबार ने लिखा कि “गांधीजी की रिहाई नैतिक व राजनीतिक दृष्टि से उचित ही थी ।” एक-दूसरे अधिगणे अखबार ने सलाह दी कि गांधीजी को अब कम-से-कम कुछ समय के लिए समझौता कर लेना चाहिए । उसने यह भी कहा कि पाकिस्तान के सिद्धांत पर विचार करने के लिए गांधीजी चाहे जितने उत्सुक क्यों न हों, किन्तु वे उसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अपने सम्प्रदाय का भी तो विचार करना है । उसने यह भी कहा कि गांधीजी जो भी रचनात्मक प्रयत्न करेंगे उसमें लार्ड वेल पूरी तरह सहयोग करेंगे । सभी तरफ से राजनीतिक गतिरोध दूर करने की इच्छा प्रकट की जा रही थी और कहा जा रहा था कि यदि गांधीजी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं । ऊपर जिन अखबारों की चर्चा की जा चुकी है उनमें से पहले ‘स्टेट्समैन’ ने आगे कहा—“परन्तु हमें समझौते की दीर्घीकालीन सम्भावनाएं राजनीतिक लेन्ट्र में अच्छी ही जान पड़ती हैं । राजनीतिक के रूप में गांधीजी की व्यवहार-बुद्धि उच्च-कोटि की है । इस दृष्टि से उन्हे जान लेना चाहिए कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अगस्त, १९४२ में युद्ध के संकटकाल में अपने ऊपर सामूहिक सत्याग्रह चलाने की जो जिम्मेदारी ली थी वह यदि नैतिक दृष्टि से अनुचित नहीं तो कम-से-कम राजनीतिक दृष्टि से दोषपूर्ण थी ।” ‘स्टेट्समैन’ के इस कथन में यह ध्वनि निकलती है कि नैतिक दृष्टि से कांग्रेस का कदम बिलकुल गलत न था ।

इस प्रकार गांधीजीने आगाखां महल में अपने कमरे से फाटक के बाहर जो चन्द कदम रखे उससे भारतीय राजनीति का केन्द्रविन्दु एक ही झटके से वहाँ पहुंच गया । इससे पता चलता है कि उस समय देशकी राजनीतिक अवस्था कैसी नाजुक थी और शारीरिक दृष्टि से वजन एक मन से कुछ अधिक होने पर भी राजनीतिक तराजू के लिए वे कितने वजनदार साक्षित हुए । कहा जाता है कि योगी अपना वजन ५० सेर घटा या बढ़ा सकता है । हाँ, मांस और चाम का वजन तो मन, सेर और छांटक में आंका जा सकता है किन्तु उस भावना का, जो राष्ट्र को अनु-प्राणित करती है, उस आस्था का, जो भारी पर्वतों को छोड़ा देती है, वजन असीम है । अशक्त, रक्तहीन, खून के दबाव की कमी से पीड़ित, २१ महीने के कारावास के बाद छोड़े गये गांधीजी का ऐसा ही वजन था । अब वह ‘पर्वती’ के उन्मुक्त वायुसरङ्ग में सांस लेने को आजाद थे—अब वह आगाखां महल से बाहर आ गये थे, जिसमें उन्होंने जेल के रूप में प्रवेश किया और समाधि-मन्दिर के रूप में छोड़ा ।

गांधीजी की रिहाई के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण, किन्तु मनोरंजक बात भी है । इसका श्रेय किसे दिया जाय ? और न छोड़े जाने के परिणामस्वरूप यदि कोई दुर्घटना हो जाती तो उसके लिये कौन जिम्मेदार होता ? रिहाई के एक या दो दिन पहले मिठा एमरी ने कहा था कि जेल के भीतर और बाहरवाले कांग्रेसजनों में सम्पर्क कायम करने की इजाजत वे नहीं दे सकते । रिहाई से पूर्व, इसकी सब जिम्मेदारी उन्होंने बाहसराय के कंपे पर ढाक दी थी । रिहाई

से कुछ समय पूर्व वाइसराय दिल्ली में मौजूद न थे और यह भी नहीं बताया गया कि वह कहाँ गये हैं। उस समय शासन-परिषद् के भी सिर्फ दो ही सदस्य दिल्ली में मौजूद थे। यदि जिम्मेदारी वाइसराय की थी, जैसाकि मिं० एमरी ने कहा था, तो वह सिर्फ भारतमंत्री, युद्ध-मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के ही प्रति न थी, बल्कि उनकी अपनी परिषद् से भी उसका कुछ तारंगुक था। लार्ड वेवल के पूर्वाधिकारी ने जो यह कहा था कि ६ अगस्त, १९४२ को गांधीजी की गिरफतारी का शासन-परिषद् के सभी सदस्यों ने समर्थन किया वह केवल अद्वैत-सत्य था। पाठकों को सम्भवतः स्मरण होगा कि सर सी० पी० रामस्वामी अच्युतर ने पद-ग्रहण करने के एक पश्चात्वारे के भीतर जो इस्तीफा दिया उसका एक कारण यह भी था कि २ अगस्त, १९४२ को गांधीजी की गिरफतारी का फैसला ही जाने के कारण राजनीतिक समस्या के निवटारे के हारादे से गांधीजी से मिलने की उनकी योजना अधूरी रह गयी। यह भी बड़े गौरव के साथ घोषित किया गया था कि फरवरी, १९४३ के अनशन के समय गांधीजी को न छोड़ने का निश्चय भी परिषद् के अधिकांश भारतीय सदस्यों की रजामंदी से हुआ था और तीन अल्पमतवाले भारतीय सदस्यों को इसी प्रश्न पर इस्तीफा भी देमा पढ़ा था। फिर इन “प्रसिद्ध और देशभक्त” भारतीय सदस्यों की स्थिति ६ मई १९४४ के दिन गांधीजी की रिहाई के सम्बन्ध में क्या थी? वाइसराय दिल्ली से बाहर थे और उन्होंने इन “प्रसिद्ध और देशभक्त” व्यक्तियों की सलाह के बिना ही फैसला किया। अभी हाल में ढां० खान ने कहा था कि वे सरकार के एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि खुद सरकार के ही नाते बोल रहे हैं। प्रश्न यह था कि रिहाई के सम्बन्ध में सरकार से सलाह ली गयी या नहीं?

अब क्या हो? गांधीजी की रिहाई के बाद भारत में ही नहीं, हंगलें और अमरीका में भी यही सवाल उठाया जा रहा था। न्यूयार्क के ‘ईवनिंग टाइम्स’ ने साफ लफजों में मंजूर किया कि सेसर की कड़ाई के कारण अमरीकावालों को गांधीजी की गिरफतारी के समय की असली हालत मालूम नहीं हो सकी। रिहाई सिर्फ ‘डाक्टरी कारणों’ से हुई है, इस बहाने को किसी ने महत्व न दिया और एक-एक करके सभी पत्रों ने यही मत प्रकट किया कि अधिकारी अवसर मिलते ही इस कटु जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। जिस प्रकार सर ओसवाल्ड मोसले को फ्लेविटिस के कारण मुक्त किया गया उसी प्रकार गांधीजी को मखेरिया, खून की कमी व रक्त के दबाव आदि के कारण रिहा किया गया। जो भी हो, कम-से-कम सभी इस विषय में तो एकमत थे कि कार्य-समिति के सभी सदस्यों को तुरंत रिहा किया जाय और इस तरह समझौते का एक और प्रयत्न किया जाय। जापान के विरुद्ध सर्वांगीण युद्ध चलाने के लिए सिर्फ सेना में भर्ती करना ही काफी न था। यह बात भी ध्यान देने की थी कि इस बार जापान का हमला सीमा की मुठभेड़ न होकर भारत का पूरा आक्रमण ही था। इस बार एक जापानी वायुयान-वाहक और कुछ कुजर तथा विधंसक जहाजों का काफिला दिखाई देने का सवाल न था, जैसाकि ६ अप्रैल १९४२ को हुआ था, बल्कि इस बार तो जापानी आसाम और बंगाल के हिस्सों में धुस आये थे और स्थिति पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा संगीन थी।

खैर, गांधीजी जिन किन्हीं भी कारणों से रिहा हुए हों, अब वे आजाए थे। अब उनकी तंदुरुस्ती सुधर चली थी—या कम-से-कम ऐसी ही गश्ती थी कि मामूली कामकाज कर सके। अब उस राजनीतिक वार्ता को फिर से चलाना, जो ६ अगस्त १९४२ को एकाएक भंग कर दी गश्ती थी, विद्वान् सरकार का ही काम था। साधारणतौर पर यह भी विश्वास किया जाता था कि जिस तरह महात्मा गांधी ने गांधी-अरविंद-वार्ता और समझौते से पूर्व १४ फरवरी, १९३१ को

लार्ड अरविन को पत्र लिखकर बातचीत शुरू की थी, उसी तरह इस बार भी गांधीजी वाइसराय को निजी तौर पर पत्र लिखकर उस जगह से वार्ता आरम्भ करेंगे, जहाँ से वह भंग हुई थी। साथ ही यह भी विश्वास किया जाता था कि लार्ड लिनलिथगो के समय जिन मतभेदों के कारण समझौता नहीं हो रहा था उनकी बाधा लार्ड वेवल के सामने नहीं उठाना चाहिए। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के आगमन के समय एक बार भी यह नहीं कहा गया—परोक्ष रूप से भी नहीं—कि एकता के अभाव में उनकी योजना अमल में नहीं लाई जायगी। सर स्टेफर्ड क्रिप्स रूस में सफलता प्राप्त करके लौटे ही थे और वे इस बात से भा परिचित थे कि भारत की दशा उस समय जारशाही रूस के ही बहुत कुछ समान थी। सर स्टेफर्ड यह भी जानते थे कि भारत अभाव, भुखमरी, निरब्रहरता तथा साम्प्रदायिकता की जिन व्याधियों से पौष्टि था, वे जारशाही रूस में भी वर्तमान थीं और जार के रहते उन्हें मिटाया नहीं जा सका।

सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने इसीलिए प्रस्ताव किया कि युद्ध समाप्त होने पर भारत में ब्रिटेन के निरंकुश शासन का अन्त कर दिया जाय। उनकी योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वशाय के साथ ही अपना विधान तैयार करने की आजादी देना भी था। अप्रैल के आरम्भ में भारत के राष्ट्रीय-जीवन के उन महावपूर्ण घ्रणां पर जोर नहीं दिया गया था, जिनको पहले द अगस्त, १९४० की घोषणा में और फिर बाद में कांग्रेस को योजना की असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराने के उद्देश्य से महत्व प्रदान किया गया था। सर स्टेफर्ड ने अपने दलील पूँछने के एक सप्ताह बाद ३० मार्च, १९४२ को रेडियो पर भाषण करते हुए भारत की भौगोलिक एकता तथा विभाजन और संघवाद तथा केन्द्रीकरण के विभिन्न आदर्शों का ज़िक्र किया और कहा :—

‘इन तथा दूसरे कितने ही सुझावों पर सोच-विचार और वहस की जा सकती है, किन्तु अपने भावी शासन के लिए उपयुक्त प्रणाली चुनने का कार्य किसी बाहरी अधिकारी का न होकर युद्ध भारतीय जनता का ही है।’

इसलिए स्पष्ट है कि इस परिस्थिति में न तो अंग्रेजों के लिए विभिन्न सम्प्रदायों के बीच पहले समझौता होने की शर्त उपस्थित करना उचित था और न मुस्लिम लीग ही ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान स्थापित करने की अपील कर सकती थी। इतना ही नहीं, मुसलमानों में सिर्फ मुस्लिम लीग ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती था, क्योंकि नेशनल मुस्लिम कानूनों, खाकसार, जमीयतुल उलेमा, अहार और मासिन एक स्वर से पाकिस्तान के विरोधी थे। अब ब्रिटिश सरकार के पास पिछले २१ महीनों के इतिहास को भुलाकर राजनीतिक समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार न करने का और कोई बद्धाना न था। जहाँ तरह गांधीजी का सम्बन्ध था, उनके हृत्त का अंदाज १९४२ से पहले को उनकी मनोवृत्ति से लगाया जा सकता है। यदि वे और उनके साथी गिरफ्तार न कर लिये जाते तो निश्चय ही वे वाइसराय को पत्र लिखते। परन्तु गिरफ्तार हो जाने के कारण वे ऐसा न कर सके। इस तरह ६ मई, १९४४ को उन्होंने अपने को एक ऐसी लद्दाही के सेनापति की स्थिति में पाया, जो कभी शुरू ही नहीं हुई। अब एक और आँखुओं से सने इन इक्कों महीनों का कोई अस्तित्व ही न था और गांधीजी वाइसराय के आगे अपने विचार बिना किसी बाधा के जाहिर कर सकते थे। मिं० एमरी ने रिहाई के स्वास्थ्य-सम्बन्धी कारणों पर कामन-सभा में जो इतना जार दिया था उससे गांधीजी की आजादी में कोई बाधा नहीं पढ़ सकती थी। सब्दों बात तो यह थी कि गांधीजी का रिहाई उनकी शारीरिक

अवस्था के कारण नहीं, बलिक भारत की बदली हुई परिस्थिति की वज्र से हुई थी और लार्ड हैंलिफेसन ने भी यही मत प्रकट किया था। लार्ड हैंलिफेसन तक के मुंह से कभी कभी सच बात निकल पड़ती है, गोकि कभी-कभी वे सत्य पर पर्दा ढालते हैं, जैसे कि उन्होंने एक बार कहा कि अंदरूनी फ़रगदों के कारण भारत व फ़िलिस्तीन-जैसे मुहरों को आत्म-निर्णय का अधिकार नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान की हालत में जो तब्दीली आ गयी थी वह तो हत्तनी साफ थी कि उसे बताने के लिए लार्ड हैंलिफेसन के कुछ कहने को ज़रूरत न थी। यह बदली हुई परिस्थिति थी तो थी, जिसमें जापानी, जिन्हें भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा से एक सप्ताह में निकाल दिया जाना चाहिए था, दो महीने तक बने रहे। हस बदली हुई परिस्थिति में वाहसराय से कुछ कहने का गांधीजी का अधिकार था—उनका कर्तव्य था। अपने आदर्श लार्ड एलेनबी की तरह लार्ड वेवल अपने मन में सोच सकते थे—‘जिन्दगी में मुझे हससे अधिक कठिन परिस्थिति का सामना नहीं करन पड़ा। कभी-कभी मैं असम्भव स्थिति में पड़ जाता हूँ और फिर मुझे उससे जरदार-से-जरदो निकलना पड़ता है।’ सचमुच विदिश-सरकार लार्ड एलेनबी को जो आदेश देता थी उनको अमल में लाना असम्भव होता था। पहली कठिनाई तो यह थी कि मिस्र एक संरक्षित राज्य था, जब कि भारत अधीन राज्य है। यदि एक तरफ लार्ड एलेनबी को हग्जेंड में अनिच्छुक विदिश मंत्रियों से ओर काहिरा में एक कठुरपंथी शासक से मिस्र के लिए स्वाधीनता और वैध शासन प्राप्त करने के लिए फ़रगदा पड़ता था, तो दूसरी तरफ लार्ड वेवल को एमरी और चर्चिल-जैसे अनिच्छुक मंत्रियों से सुलझना पड़ा था। जहां लार्ड एलेनबी को अपनी मांगें पूरी कराने के लिए हस्तीका देना पड़ा वहां लार्ड वेवल का काम कुछ आसानी से हो गया। ऐसो परिस्थितियों में यदि लोग यह ख्याल करने लगें कि सिर्फ गांधीजी की रिहाई काफी नहीं है और हसके बाद कांग्रेसी नेताओं की रिहाई और राजनीतिक वारों की शुरुआत होनी चाहिए तो आश्र्वत ही क्या है ? परन्तु दूसरी तरफ से ये विवार प्रकट किए गये—‘गांधीजी के सामने अन्दरूनी फ़रगदों को मिटाने और जहां सुमिक्ष हो वहां युद्धकाजीन सरकारों को जनमत के अधिक पाप के जाने का वेमिसाल मौका पैदा हुआ है। आशा का जाती है कि गांधीजी सिर्फ तन्दुरुस्ती की नियामत ही हासिल नहीं करेगे बलिक देश के सर्वोत्तम द्वितों को भी आगे बढ़ाव दें।’ ‘टाइम्स आफ हिंगड़या’ के इन विचारों का ‘स्टेट्समैन’ ने अधिक उत्साह से समर्थन किया। उसी ‘स्टेट्समैन’ ने जो पिछले २१ महीनों से कांग्रेस की नीति की कटु आक्रोचना कर रहा था।

‘स्टेट्समैन’ ने कहा कि, “हससे सिर्फ भारत के करोड़ों प्राणियों को ही सुशील होगी, बलिक मौजूदा हालत में नीतिक व राजनीतिक दृष्टि से यही ठीक भी है। सरकार की कार्रवाई शुरू में दूसरे कांग्रेसजनों की रिहाई के ही समान है और अभी राजनीतिक आधार न होने पर भी हस चंद्र में आगे जाकर हसकी सम्भावनाएं बहुत अधिक हैं। राजनीतिज्ञ के रूप में गांधीजी की ड्यावहारिक बुद्धि उच्च कोटि की है। हस दृष्टि से उन्हें जान लेना चाहिए कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने आगस्त, १९४२ में युद्ध के संकटकाज में अरने ऊर सामूहिक सत्याग्रह चलाने की जो जिम्मेदारी ली थी वह यदि नैतिक दृष्टि से अनुवित नहीं तो कम से-कम राजनीतिक दृष्टि से दोषर्पूर्ण थी। लार्ड वेवल की तरह गांधीजी का ड्याक्तिव एक से अधिक बार हत्तना ऊंचा अवश्य उठ गया है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को मान लिया है।”

गांधीजी की रिहाई के बाद गतिरोध दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए विदिश व अमरीकी लोकमत की आवाज अधिक स्पष्ट थी। वहां के अल्बारों व सार्वजनिक

ध्यक्षियों ने एकस्वर से नीति के परिवर्तन पर जोर दिया।

इस समय समाचार-पत्रों में जो होहला मचा हुआ था उसके बीच लंदन के 'टाइम्स' ने, जो पिछले २१ महीनों में कभी सहानुभूति, कभी मौखिक समर्थन और कभी खुली शत्रुता का रुख दिखाता आ रहा था, अपने दिल्ली-संवाददाता-द्वारा ऐजा हुआ एक शरारत-भरा विवरण प्रकाशित किया, जिसका ठक्कर बापा ने तुरन्त ही करारा उत्तर दिया।

कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक कोष के मन्त्री श्री ए० वी० ठक्कर ने १३ मई को समाचार-पत्रों के लिए निम्न वक्तव्य दिया है :—

"मेरा ध्यान 'बास्ते कानिकल' में प्रकाशित एक खबर की तरफ दिलाया गया है, जिसमें लंदन के 'टाइम्स' में उसके नयी दिल्ली-संवाददाता-द्वारा ऐजे गये कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक कोष की आलोचना का हवाला दिया गया है। 'टाइम्स' के नयीदिल्ली-संवाददाता ने आरोप किया है कि गांधीजी ने कोष के संचालक-मण्डल की अध्यक्षता कांग्रेस-कार्य को तुनरुजी-वित करने के द्वादे से स्वीकार की है। गोकिं पहले भी महात्मा गांधी के बारे में कितना ही भ्रम कैलाया जा चुका है, फिर भी मैं यह आशा नहीं करता था कि डाक्टरों की राय पर रिहा होने के हतने जल्दी ही गांधीजी पर ऐसा नीचतापूर्ण आक्रमण किया जायगा।

'मैं जनता का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोष के लिए अपीलकर्ताओं ने ६ मार्च को ही आशा प्रकट की थी कि जेल से छुटने पर गांधीजी के लिए ट्रस्ट की अध्यक्षता स्वीकार करना। सम्भव हो सकेगा। 'लंदन टाइम्स' के नयीदिल्ली-स्थित संवाददाता को ज्ञात होना चाहिए कि १० मई को ट्रस्टियों की बैठक के बाद जो यह घोषणा की गयी कि गांधीजी ने ट्रस्ट की अध्यक्षता स्वीकार करती है, वह बास्तव में दो महीने पूर्व प्रकट की गयी इच्छा की ही पूर्ति है।

"यहाँ मैं साथ ही यह भी बता देना चाहता हूँ कि गांधीजी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के अनिच्छुक थे और उन्होंने तो सिर्फ ट्रस्टियों का मन रखने के लिए ही उसकी अध्यक्षता स्वीकार की है। कोष में धन-संग्रह करने के लिए गांधीजी के विशेष प्रयत्नों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कोष के लिए धन एकत्र करने का कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है और संवाददाता को जानना चाहिए कि स्वर्गीय श्री कस्तूरबा की स्मृति के प्रति भारत की भावना के प्रति संदेह कभी न था और निश्चय ही २ अक्टूबर से पूर्व ७५ लाख की पूरी रकम अवश्य एकत्र हो जायगी।

"मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि धन-संग्रह के कार्य में लगी हुई समितियों पर जो यह आरोप लगाया गया है कि वे मुख्यतः कांग्रेस का हित अग्रसर कर रही हैं, एक जिम्मेदार पदकार को शोभा नहीं देता। स्वर्गीय कस्तूरबा देश भर की धरदा-पात्र थीं और उनकी स्मृति को स्थायी बनाने के इस कार्य में लगे हुए विभिन्न राजनीतिक विचारों के स्त्री-पुरुषों ने संवाददाता के इस कार्य पर नाराजी प्रकट की है।"

"राजनीतिक मतों तथा आदर्शों के प्रचार के लिए गांधीजी अप्रत्यक्ष साधनों का सहारा कभी नहीं लेते। इस सम्बन्ध में उनकी नेकनीयती दुनिया भर मानती है। फिर भी मुझे विश्वास है कि 'टाइम्स' का संवाददाता अपने मूल विवरण में यह संशोधन अवश्य कर देगा, क्योंकि डस से पत्र के लाखों पाठकों में गलतफहमी फैलने की सम्भावना है।"

गांधीजी को आगाखां महल से रिहाई का आदेश जब सुनाया गया तो उनके मस्तिष्क पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, इसकी एक झटक गांधीजी के सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल के उस लेख

से मिलती है, जो उन्होंने 'आगाखां महल में आखिरी दिन' शीर्षक से लिखा था और 'यूमाइटेड प्रेस' की मार्फत प्रकाशित हुआ था।

श्री प्यारेलाल लिखते हैं—“गतवर्ष छः मई के कितने ही दिन और सप्ताह पहले गांधीजी के आगाखां महल से हटाये जाने की अफवाहें फैल चुकी थीं। २ मई के सुबह जेलों के हन्सपेक्टर-जनरल जब वहां आये तो कुछ बता नहीं रहे थे। उन्होंने सिर्फ हतना ही पूछा कि क्या डाक्टरों के मत से गांधीजी मोटर या रेल-द्वारा १०० मील की यात्रा का भ्रम सहन कर सकेंगे।

‘गांधीजी सरकार से लगातार अपने को आगाखां महल से हटाने का अनुरोध करते आ रहे थे। गांधीजी को दुख हस्त बात का था कि उनके लिए हतनी बड़ी कोटी का किराया जाता है, गोकि 'टाइम्स' ने हस्ते एक ऐसा वेहदू बंगला बताया है, जो फौज से घिरा रहता था। गांधीजी अपनी पीड़ा को हन शब्दों में प्रकट करते थे—वे अपना धन थोड़े ही खर्च कर रहे हैं। यह धन तो मेरा—देश के गरीबों का है। जब जाखों व्यक्ति भूख से जान दे रहे हैं तब हस्त धन का अवश्य पाप है। और फिर सरकार को हतने पहरेदार रखने की भी क्या जरूरत है? क्या वे नहीं जानते कि मैं भागने का नहीं हूँ।

“समाचारपत्रों को देखने से पता चलता था कि हस्तान का सम्बन्ध दो स्वर्गीय स्वजनों से होने के कारण बाहरवाले मित्र गांधीजी के वहां से हटाये जाने का आनंदोलन कर रहे थे। दूसरे जेल के अधिकारी हस्तलिए भी चिन्तित थे कि वहां मलेरिया का जोर अधिक था। हस्तलिए हम सभी तबादले की आशा कर रहे थे। तरह-तरह की बातें फैली हुई थीं! क्या सरकार गांधीजी को किसी साधारण जेल में ले जायगी या वह हमें अलग-अलग कर देगी? क्या बापू का स्वास्थ्य हन तबादलों के श्रम को बर्दाश्त कर सकेगा?

‘आगाखां पैलेस में गांधीजी को छोड़कर दूरेक आदमी हस्ती दुविधा में पड़ा था। गांधीजी को सिर्फ एक ही बात की चिन्ता थी कि उनके कारण राष्ट्र के सभ्य हतना खर्च न होना चाहिए। और रिहाई की बात तो हमारे दिमाग में ही नहीं आई थी। हमें विश्वास था कि सरकार गांधीजी को स्वास्थ्य की बिना पर कभी न छोड़ेगी।

‘करीब ५ बजे हम से कहा गया, यरवदा जेल से जो कैदी हमारे लिए काम करने आते थे उन्हें हमें जल्दी बिदा कर देना चाहिए। उनके जाते ही स्थानीय सुपरिंटेंडेंट के साथ जेलों के हन्सपेक्टर-जनरल गांधीजी के कमरे में आये। गांधीजी के स्वास्थ्य का हाल पूछ चुकने पर उन्होंने कहा कि गांधीजी अपने दल के साथ अगले दिन सुबह आठ बजे बिना किसी शर्त के छोड़ दिये जायेंगे। गांधीजी अकरा गये। उन्होंने कहा—क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? जेलों के हन्सपेक्टर-जनरल ने कहा—नहीं, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। यदि आप चाहें तो स्वास्थ्य सुधरने तक कुछ समय के लिए यहां बने रह सकते हैं। पहरेदारों को कल हटा लिया जायगा और तब आपके मित्र आजादी से आपके पास आ सकेंगे या आपही चाहें तो पूना या बम्बई में अपने किसी मित्र के यहां जाकर ठहर सकते हैं। निजों तौर पर मैं तो आपको यहां न ठहरने की ही सलाह दूँगा। यह फौजी हल्का है। यहां भी दर्शन बगैरह के लिए आवेगी तो ऐसी कोई मुठभेड़ ही सकती है, जो आपके लिए दुखद हो।

“इस बीच में गांधीजी संभल गये। वे सुस्कराये और अपनी सहज बिनोदशीजता से, जिसे उन्होंने कठिन-से-कठिन समय में भी नहीं छोड़ा था, कहा—‘अगर मैं पूना में रहा तो मेरे रेल-

किराये का क्या होगा ?' जेझों के इन्स्पेक्टर-जनरल बोते—'वह आपको पूना से रवाना होते समय मिक्क जायगा।' गांधीजी ने उत्तर दिया—'अच्छा, तब मैं पूना दो या तीन दिन ठहरूंगा।'

"उस दिन अपने कंधे से जिम्मेदारी हटने के कारण सब से अधिक सुशी सुपरिंटेंडेंट व जेझों के इन्स्पेक्टर-जनरल को हुई।

"इसके कुछ ही समय बाद जेझों के इंस्पेक्टर-जनरल चले गये। हम लोग सब नजरबंद कैम्प में भोजन करने चले गये। वह साथकाल ६ और ७ के मध्य का समय था। जब मैं वापस आया तो गांधीजी गहरे सोच-विचार में निमग्न थे। वे कुछ दुखी दिखाई दिये। जेल में बीमार होना उनकी नजर में एक बड़ा भारी पाप था और बीमारी के कारण रिहा होने पर वे प्रसन्न नहीं थे। वे बाते—'क्या वे मुझे सत्रमुख बीमार होने के कारण छोड़ रहे हैं ?' फिर कुछ संयत होकर उन्होंने कहा—'खैर, जो कुछ वे कहें वही मुझे मानना चाहिए।'

"हमने जेल में सात साल रहने की तैयारी करली थी। गांधीजी अस्पर कहा करते थे कि उन्हें युद्ध के बाद ही रिहाई की उम्मीद है। चूंकि युद्ध समाप्त होने की हाल में कोई आशा न थी इसलिए वे सात साल जेल में रहने की उम्मीद करते थे और इन सात वर्षों में से २१ महीने हम बिता चुके थे। इसलिए अधिक समय तक ठिकरने के लिए हमने जो चीजें इकट्ठी की थीं, उन्हें बांधना पड़ा। सब से कठिन कार्बनिट्स, दवा की शीरियाँ और कागजपत्र का बांधना था। दवा की शीरियाँ बा की बीमारी में इकट्ठी हो गयी थीं। गांधीजी का आंदेश ऐ बजे सुबह से पहले सब कुछ तैयार हो जाने का था। वे बाले—आठ बजे के बाद मैं आपको एक मिनट भी न दूंगा।"

"जबकि हम रात भर सामान बांधने में व्यस्त थे, गांधीजी चारपाई पर पड़े गम्भीर चिंतन में लगे रहे। हरेक की आंख उनकी ओर लगी हुई थी। देश उनसे कितनों ही आशाएं बांधे हुए था। अब जब कि उन्हें बीमारी के कारण छोड़ा जा रहा था वे उन आशाओं को कैसे पूरी करें।

"सुबह प्रार्थना ८ बजे हुई, जिसमें सबने नहांधोकर भाग लिया। इसके बाद गांधीजी ने जेल से सरकार के लिए आखिरी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने वह भूमि प्राप्त करने का अनुरोध किया, जिस पर बा और महादेवभाई का अंतिम संस्कार हुआ था। गांधीजी ने लिखा था—'यह भूमि अर्पित होनुकी है और रिवाज के मुताबिक उसे आंतरिक सकारात्मका काम में नहीं लगाया जा सकता।'

"हम बंदियों के रूप में सतायियों के प्रति ध्रुतिम अद्वांजलि चढ़ाने गये। उनमें हमारी दो घ्यारी आस्माएँ सो रही थीं। मैं सोच रहा था कि यदि हमारा रिहाई तीन महीने पहले हो जाती तो हम बा का भी अपने साथ ले जाते। पुकारू कुमुख खाना आया कि बा मैं सब से अधिक मातृत्व की भावना थी। वे महादेव को हमेरा के लिए अकेला छोड़ कर कैसे जा सकती थीं और इसोलिए वहां रह गयीं। हमने अपने-अपने फूज चढ़ा दिये और प्रार्थना के बाद घर वापस आ गये। कोटेदार तार का फाटक बन्द हुआ और पहरेदार फिर अपनी जगह पर आ गया। तब तक साड़े सात बज गये। पहरेदारों को दबजे तक आंतर पहरा देना था।

"७ बजे कर ४५ मिनट पर जेझों के इंस्पेक्टर जनरल आये। गांधीजी ने बाहर जाने के लिए छुड़ी उठाई ही थी कि इन्स्पेक्टर-जनरल बोते—'नहीं महाराजा, छुड़ निन ठहरिये।'

"हम सब बरामदा में उठर गये। ठाठ आठ बजे हूंस्पेक्टर-जनरल के पांचे हम चब पड़े। उन्होंने गांधीजी और डा० सुशीला को अरनी मोटर में बेठाया और हम बाकी लोग दूसरी मोटर में

बैठ कर पीछे-पीछे चले । उस जगह ६० सप्ताह बिताने के बाद हम काटेदार तारों के घेरे से बाहर निकले । डिस्ट्रिक्ट कमिशनर और पुलिस कमिशनर हमें बिदा करने आये थे ।”

“जैसे ही हन्दपेक्टर जनरल की मोटर काटेदार तार के घेरे से बाहर हुई पुलिस अफसर ने उसे ठहराया, सुने वाद में ज्ञात हुआ कि डा० सुशीला को नोटिस दिया गया था कि उन्हें जेल में रहने के समय की बातों की चर्चा बाद में न करना चाहिए । गांधीजीने डा० सुशीला से हम पर इस्ताहर करने को कहा, और पूछ—‘मेरे नाम ऐसी ही नोटिस क्यों नहीं है ?’”

“ऐसा कोई नोटिस न था । शायद अधिकारियों को भय था कि गांधीजी के नाम यदि नोटिस तब्दी किया गया तो वे शायद रिहाई से ही इन्कार कर दें । बादवाले लांगों पर भी बैसा ही नोटिस तब्दी किया गया । सभी ने पहले नोटिस पर दस्तखत करने पर आपत्ति की, किन्तु किसी ने तर्क उपस्थित किया कि नोटिस पर दस्तखत करने का यह मतलब तो नहीं हुआ कि उसमें बगाया गया प्रतिशब्द स्वीकार कर दिया गया ? गांधीजी ने हस नोटिस की तर्जिक भी महत्व नहीं दिया । ‘आदेश इतने अस्पष्ट और व्यापक हांग से लिखा गया है कि उसके पाज्जन करने की किसी से भी आशा नहीं की जा सकती । हम पता लगायेंगे कि इस का क्या मतलब है ।’ इन शब्दों के साथ उन्होंने बाद में डा० गिलडर से कहा कि बर्बर सरकार से हसका स्पष्टीकरण कराइये ।

“कार पर्शफुटी की तरफ चली जा रही थी, किन्तु गांधीजी विचार में निमग्न थे । उन्हें वा की याद आ रही थी । वही जेल से बाहर आने के लिए सब से अधिक उत्सुक थी । वे हमसे पहले बाहर जाने हो गयीं, पर ऐसा यह भी नहीं चाहती थीं । गांधीजी ने धरे से कहा—‘इसमें अच्छी उनकी और या मृत्यु हो सकती थी ! वा और महादेव दोनों ही ने अपने को स्वतन्त्रता की वेदी पर उत्तर्ग कर दिया । वे अमर हो गये । यदि जेल से बाहर मृत्यु होती तो क्या उन्हें यह गौरव प्राप्त हो सकता ।’”

गांधीजी की रिहाई और उसके बाद

गांधीजी की रिहाई से देश के हजारों हितेज्जुओं को परिवेष्टि में सधार के लिए अपने-अपने नुस्खे लेकर आगे बढ़ने का सांझा मिला गया । इनमें अधिकांश का उद्देश्य लार्ड वेवल को राह दिखाना था, जो हस बीच में खुद बड़े कुशल शासक हो चले थे । गांधीजी की रिहाई के समय खबर छपा थी कि वाहसराय न तो दिल्ली में ही है और न यही पता है कि वे कहाँ हैं । रिहाई के दो सप्ताह बाद अखबारों में यह अकबाह प्रकाशित हुई कि लाट साहब गांधीजी की रिहाई का आदेश प्राप्त करने लिए हैंगलैंड गये थे और अब वहीं गतिरोध दूर करने के विषय में युद्ध मंत्रिमण्डल से बातें कर रहे हैं । इस अकबाह के आधार में दो बातें मुख्य थीं—पहली तो यह कि लार्ड वेवल बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं और दूसरे यह भी कि जनता उनसे बहुत बड़ी बातें करने की उम्मीद रखती है । गांधीजी की रिहाई ही कोई छोटी बात न थी । उनकी हैंगलैंड-यात्रा की कल्पना लार्ड एकेनबी के उदाहरण को स्मरण रख कर की गयी थी, जो हैंगलैंड गये थे और मंत्रिमण्डल से फ़ग़ा करके अंत में जगलुक पाशा को रिहा करने में सफल हुए थे ।

जब एक तरफ वाहसराय को अनेक सज्जाहें दी जा रही थीं, वहाँ दूसरी तरफ गांधीजी से स्वास्थ्य-न्याम करने के बाद मिं० जिन्ना से मिलने का अनुरोध भी किया जा रहा था । इस संबंध में अल्लामा मशरिकी ने जब लार-द्वारा गांधीजी से अनुरोध किया तो गांधीजी ने कहा कि मिं० जिन्ना के लिए उनका पिछले वर्ष का निमंत्रण कायम है और वे उनसे मिलने के लिए हमेशा तैयार हैं ।

इससे मुस्लिम लोग के मुख्यपत्र 'डॉन' को मिं० जिन्ना के नाम गांधीजी के ५ मई १९४३ वाले उस पत्र को प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करने का अवसर मिल गया, जो उन्होंने अपने अन-शन के बाद वाहसराय की मारफत लिखा था, किन्तु जिसे उस समय भेजा नहीं गया था ।

यवरदा के नजरबन्द कैम्प से ४ मई, १९४३ के दिन गांधीजी ने जो पत्र लिखा वह इस प्रकार था—

"प्रिय कायदे-आजम—मेरे जेल में पहुँचने के बाद जब सरकार ने मुझ से पूछा कि मैं किन पत्रों को पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने उनकी सूची में 'डॉन' को सम्मिलित कर लिया था। अब यह पत्र मैं प्रायः बराबर पाता रहता हूँ। वह जब भी आता है, मैं उसे सावधानी से पढ़ाता हूँ। मैंने 'डॉन' में प्रकाशित लोग के अधिवेशन की कार्यवाही को सावधानीपूर्वक पढ़ा है। आपने जो मुझे लिखने को आमन्त्रित किया था उससे मैं अवगत हो चुका हूँ और इसलिए यह पत्र लिख रहा हूँ।

"मैं आपके निमन्त्रण का स्वागत करता हूँ। मेरी राय पत्रब्यवहार करने की जगह आपसे मिलने की है। लेकिन आप जैसा चाहें वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ।

"मुझे आशा है कि यह पत्र आपके पास भेज दिया जायगा और यदि आप मेरे सुझाव को मानने को तैयार होंगे तो सरकार आपको मुक्त तक पहुँचने की सुविधा दे देगी।

"एक बात और कह दूँ। आपके निमन्त्रण में 'यदि' की ध्वनि है। क्या आपका मतलब है कि मैं आपको हृदय-परिवर्तन होने की ही हालत में लिखूँ। परन्तु मनुष्यों के हृदय की बात तो सिर्फ परमात्मा ही जानता है।

"मैं तो चाहता हूँ कि आप सुझायें—मैं जैसा भी हूँ—मिलें।

"साम्प्रदायिक समस्या का कोई हज़ार निकालने का संकल्प करके ही हम इस महान् प्रश्न को अपने हाथ में करों न लें और फिर उससे सम्बन्ध और दिलचस्पी रखनेवाले सभी लोगों से उसे स्वीकार करा लेवें।"

समझ में नहीं आता कि 'डॉन' इस पत्र के प्रकाशित किये जाने के लिए इतना उत्सुक बयों था। साफ़ है कि लोग की तरफवाले जान गये थे कि पत्र में क्या है या कम से-कम उसमें पाकिस्तान के सिद्धांत को मान नहीं लिया गया है। यदि ऐसा था, तो समस्या हज़ार होती तो इस दिशा में कुछ प्रगति तो होनी चाहिए थी। सच तो यह था कि समय मिं० जिन्ना के प्रतिकूल था। पंजाब में उन्होंने मुँह की स्लाई थी। अब भारत-सरकार ने मिं० जिन्ना से सद्बाह लेने की बात तो दूर रही, उन्हें सूचित किये बिना ही गांधीजी को रिहा कर दिया था। मिं० जिन्ना की रटना लगातार यहीं थी—“अगस्तवाले प्रताव को वापस लो और मुझे लिखो।” अब मिं० जिन्ना क्या करें, जब एक तरफ पंजाब के प्रधानमन्त्री ने उनकी बात नहीं मानी और दूसरी तरफ भारत सरकार या कहिये वाहसराय ने उनकी उपेक्षा कर दी। इस सब के बावजूद लोग जिन्ना साहब से गांधीजी से मिलने का अनुरोध कर रहे थे। यह सच ही था कि गांधीजी से मिलने जाना उनकी कार्यपाली के विरुद्ध था, यह साथ ही वे ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने गांधीजी के प्रति उनकी परनी की मृत्यु के सम्बन्ध में एक अलार कहना उचित नहीं समझा, जबकि वाहसराय और जार्ड हैंलिफेक्स तक इस सम्बन्ध में शोक प्रकट करना नहीं भूले थे। अब अलामा मशरिकी ने फिर कहना शुरू कर दिया था कि मिं० जिन्ना को गांधीजी से मिलना चाहिए। इस समय गांधीजी का वह पत्र जिसका हवाला उन्होंने मशरिकी को दिये अपने तार में दिया था, प्रकाशित होने से प्रकट

हो जाता है कि उसमें कोई भी बात मानी नहीं गयी है। लेकिन 'डॉन' को पता चल गया होगा कि उससे गांधीजी घाटे में नहीं रहे। सच तो यह है कि इस "अर्द्ध-नगर फकीर" को गलत सिद्ध करने में अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। यही तो चीज़ है, जिसमें वह लाजवाब है। सच तो यह है कि वही दूसरे को गलत सिद्ध कर देता है। यही बात गांधीजी के ५ मई, १९४३ वाले पत्र से जाहिर होती है। गांधीजी कहते हैं कि वे 'डान' को नियमित रूप से पढ़ते हैं और उन्होंने लीग के दिलीचाले अधिवेशन की कार्यवाही भी पढ़ी है। मिं० जिन्ना का निमन्त्रण पढ़ते ही गांधीजी तुरन्त उसका उत्तर देते हैं। निमन्त्रण एक शर्त के साथ है, किन्तु गांधीजी उस शर्त को नहीं मानते और कहते हैं कि विसी के दिल में बया है यह नहीं जाना जा सकता। इसे तो सिर्फ परमार्था ही जान सकता है। फिर वे कहते हैं कि जैसा भी मैं हूं, उससे मिं० जिन्ना बात करें। और वे वही हैं जैसे हमेशा से रहे हैं। तब "डॉन" को निराशा हुई और उसने पत्र को "मृत पत्र" बताया। क्या 'डान' यह आशा कर रहा था कि गांधीजी पाकिस्तान का सिद्धांत मान लेंगे और चूंकि उन्होंने उसे नहीं माना हस्तिए यह उनकी शैतानी है। 'डान' ने कहा कि अब समस्या पर नये दृष्टिकोण से विचार होना चाहिए। मिं० जिन्ना इस सम्बन्ध में कुछ कहना, नहीं चाहते थे। वे अपने हंग से कुछ करने के लिए अवसर देख रहे थे।

देश के संस्कृत तथा राष्ट्रवादी मुसलमानों में कुछ ऐसी शक्तियां अवश्य थीं, जो जिन्नावाद से समझौता करने के लियाँ थीं। प्रोफेसर मजीद भी एक ऐसे ही राष्ट्रवादी मुसलमान है। उन्होंने एक पत्र इस सम्बन्ध में प्रकाशित किया।

इस दिशा में अखिल-भारतीय मुस्लिम मजलिस ने भी कदम बढ़ाया, गोकि डा० लतीफ ने उसके पहले अधिवेशन में कहा कि मुसलमानों के लिए लीग में रह कर काम करना ही उत्तम होगा।

गांधीजी की रिहाई पर कामन-सभा का भी ध्यान गया। मिं० शिनवेल ने कहा कि गांधीजी की रिहाई सिर्फ कुछ समय के लिए है।

मिं० शिनवेल के इस कथन में कुछ विरोधाभास भले ही जान पढ़ता हो, किन्तु वास्तव में वह था नहीं। गोकि सरकार ने गांधीजी को बिना शर्त के छोड़ा था, किन्तु शिनवेल ने उनकी रिहाई को जो कुछ समय के लिए बताया था उसका कारण यह था कि वे गांधीजी की मनोवृत्ति से भली प्रकार परिचित थे। गांधीजी अपनी स्वतन्त्रता पर लगे प्रतिबन्धों को सहन करनेवाले थोड़े ही हैं। बाद में निस्संदेह गांधीजी वाहसराय से अपने विचार प्रकट करने के लिए पत्र लिखते, इस पत्र में वे नये प्रस्ताव करते, खुद वाहसराय से मिलने की इच्छा प्रकट करते था कि कार्यसमिति से अनुमति मांगते और अनुमति न मिलने पर जेल जाने के लिए उनका रास्ता साफ़ हो जाता। सरकार गांधीजी से कह चुकी थी कि 'न्यूज़ क्रानिकल' पत्र के लिए जो भी वक्तव्य देंगे उसका सेंसर कराना आवश्यक होगा। यह उन पर पहला बार था। दूसरा गांधीजी के प्रस्ताव का वाहसराय-द्वारा उत्तर होता और इसीसे इस बात का फैसला हो जाता कि गांधीजी की रिहाई थोड़े समय के लिए है या सदा के लिए।

गांधीजी ने कहा कि मैं अपने जेल-जीवन के राजनीतिक परिस्थिति के बारे में तब तक कोई वक्तव्य न दूँगा जब तक यह विश्वास न हो जाय कि वक्तव्य में कोई काट-डांट न की जायगी। यह ठीक है कि यह प्रतिबन्ध गांधीजी के वक्तव्यों के लियाँ न था, किन्तु उन्हें इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि सेंसर के साधारण नियमों के अन्तर्गत देश से बाहर जाने-

बाले उनके वक्तव्यों में कोई काट छाँट न की जायगी।

रिपोर्ट यह थी कि भारत से बाहर जानेवाले सभी तारों और पत्रों के सेंसर होने का नियम था और सरकार गांधीजी के साथ भी इस सम्बन्ध में कोई रियायत करने को तैयार न थी।

१९४२-४३ के उपद्रवों के लिए कांग्रेस की 'जिम्मेदारी' शीर्षक से एक पुस्तक भारत-सरकार ने फरवरी, १९४३ में प्रकाशित की थी। 'न्यूज क्रानिकल' के बम्बई-स्थित संचादाता ने जब उम्म पुस्तिका के बारे में सात सवाल गांधीजी के आगे पेश किये तो उन्होंने ही उनका जवाब नुरन्त चन्द लगाऊ में दिया। उन्होंने इदतापूर्वक कहा—“इन सभी आरोपों के मेरे पास पूरे और स्पष्ट उत्तर हैं। यदि मुझे सवालों का जवाब देने की अनुमति मिली तो अच्छा होते ही मैं उत्तर ज़रूर दूंगा।”

सवालों में सरकारी पार्टी का मैं लगाये गये इन दो आरोपों की चर्चा थी—(१) अगस्त बाले प्रस्ताव से पहले ही गांधीजी जापान से सुलह की बार्ता चलाने का द्वारा प्रकट कर चुके थे; (२) कांग्रेस पहले ही पराजयमूलक दृष्टिकोण बना लिया था। ये दोनों आरोप पुस्तिका के पृष्ठ ११ पर थे। सवालों में कहा गया कि इन आरोपों के आधार पर ही यह धारणा बनी है कि गांधीजी जापानियों के पक्षपाती हैं और उनकी गिरफतारी पर जो उपद्रव हुए उनकी भी पहले से तैयारी की गयी थी।

गांधीजी इन आरोपों से बड़े चृद्ध हुए। यह जान पढ़ा कि संसार के लोकमत के आगे वे अपनी और कांग्रेस की सफाई देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह बात उत्केखनीय है कि स्वास्थ्य-जाभ करने के बाद उन्हें अपने आपाद बने रहने का भरोसा नहीं है।

चूंकि सरकारी विज्ञप्ति में गांधीजी की रिहाई स्वास्थ्य विगड़ने के कारण हुई कही गयी है इसलिए विश्वास किया जाता है कि अच्छा होने पर वे सरकार से अपने को फिर नजर-बन्द करने का अनुरोध करेंगे।

लार्ड हेलिफेंस को अमरीका में ब्रिटेन की तरफ से प्रचार करने के कारण ही ८ जून, १९४४ को अल्ट बनाया गया। यह स्मरण रखने की बात है कि गांधीजी और कार्य समिति की गिरफतारी के दिन (६ अगस्त १९४२) और गांधीजी की रिहाई के दिन (६ मई, १९४४) लार्ड हेलिफेंस ने वक्तव्य दिये। लार्ड हेलिफेंस ने वाशिंगटन में भाषण देते हुए यह भी कहा कि अटलांटिक अधिकार-पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है जो आधी शताब्दी से ब्रिटेन की नीति के अन्तर्गत न आ गयी हो।

लार्ड महोदय ने यह भी कहा—“भारत और फिलिस्तीन के लिए आत्म-निर्णय के सिद्धांत से काम न चलेगा, क्योंकि उनमें धार्मिक व जातीय समस्याएं मौजूद हैं।”

‘हंगिका प्रोवेस एण्ड प्रोविन्यल फ्रेज़ेन्स’ पुस्तक के पृष्ठ २६६ में ये शब्द आये हैं—“फ्राम हिल, हल्ल एण्ड हेलिफेंस गुड गाड हेलिवर अस”—अर्थात् पहाड़ी, जहाज के पैदे और हेलिफेंस से परमात्मा हमारी रक्षा करो। इस उद्दरण के लिए १९४४ का वर्ष दिया गया है। ये शब्द हमारे हेलिफेंस की प्रशंसा में ही कहे गये हैं।

अब हमारे लिए देश की राजनीतिक परिस्थिति पर एक विहंगम इष्ट डाक्या अनुचित न होगा। यह राजनीतिक परिस्थिति गांधीजी की रिहाई के कारण उत्पन्न हुई थी। यह उतनी ही प्राकृतिक थी, जितना उषाकाल के बाद सूर्य का निकलना या पश्चिम में चन्द्रमा का अस्त होना।

यह भी एक विधाता का विधान ही था कि पंजाब में लोगों के प्रधानमन्त्री की विजय हुई थी और कायदे-आजम को मुँह की स्त्रानी पढ़ी थी।

परिस्थिति का एक दूसरा पहलू सर आदिशिर दल्लाल की गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद् में नियुक्त थी, जिन्होंने पाकिस्तान के जवाब में एक नयी स्कीम बनायी थी और अन्य उद्योग-परियों के साथ मिलकर बम्बई-योजना पर संयुक्त रूप से हरताज़र किये थे। इन दोनों ही योजनाओं को लीगी नेता लीग की योजनाओं व लीग के हितों के विस्तृ घोषित कर चुके थे।

इन दिनों की एक तीसरी घटना राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा का राष्ट्रीय कल्याण मोर्चा के रूप में परिवर्तनथा। इस नयी स्थितिमें उसका अध्यक्ष-पद एक भारतीयको दिया गया। पहले उसके अध्यक्ष एक अवकाशप्राप्त आई० साँ० एस० मि० ग्रिफिथ्स थे, जो मिदनापुर में खबर नाम कमा चुके थे।

गांधीजी और कार्यसमिति की रिहाई की मांग जिम लगन और ठ के साथ की जा रही थी वह भारत के ११४ सम्पादकों और ब्रिटेन के २८ सम्पादकों के हस्ताक्षर से भेजे गये प्रार्थनापत्र के रूप में अपनी चार महीनों को पहुँच गयी। कारण यह दिया गया था कि गांधीजी व दूसरे नेताओं की रिहाईसे हिन्दू-मुस्लिम एकता का रास्ता सफल होगा और राजनीतिक अडंगे को दूर करने व युद्ध-प्रयत्न में सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रगति होगी।

१२ जून को पालीमेट में कहा गया कि गांधीजी की रिहाई के बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं को रिहा करने की समस्या पर विचार होना चाहिए। इसके जवाब में मि० एमरी ने कहा :—

“गांधीजी की रिहाई का, जिन्हें सिर्फ़ श्वास्थ्य बिगड़ने के कारण छोड़ा गया है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं की नज़रबन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं है। १ मई को कुल नज़रबन्दों की संख्या ३, ५०० थी।”

कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य अपनी गिरफ्तारी के स्थान से बाहरवालों-द्वारा किये गये अपनी रिहाई के प्रभावी नियन्त्रों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। उनके विचार स्पॉन्जर के ‘मेन एण्ड टेबिनश्स’ के निम्न शब्दों में प्रकट किये जा सकते हैं :—

“इमने इस युग में जन्म लिया है। इमारे सामने जो रास्ता है उस पर हमें बहादुरी से चलना ही पड़ेगा। हमारा फर्ज बिना किसी आशा के अपनी स्थिति पर जमे रहना है—उस रोमान सैनिक के समान, जिसकी हड्डियाँ पोषिष्याई नगर के अवशेष में दरवाजे के बाहर मिली थीं। सैनिक को अपनी ढ्यूटी से हटने का आदेश नहीं मिला था और इसी बीच विसूचियस ज्वालामुखी का विस्फोट शुरू हो गया था। यही महानता है। यही कुलीनता है। एक समानित मृत्यु प्राप्त करना मनुष्य का ऐसा अधिकार है, जिसे उससे कोई छीन नहीं सकता।”

हमारी शांति में सिर्फ़ जून, १९४४ के मध्य प्रकाशित एक पत्र से ही बाधा पड़ी। कहा गया कि यह पत्र बिहार के भूतपूर्व शिवामंत्री डा० सैयद महमूद ने अपने कम्युनिस्ट उत्तर को लिखा है। यह भी कहा गया कि पत्र में जापान-विरोधी भावना के सम्बन्ध में किले के भीतर के लोगों के मत को प्रकट किया गया है। उस समय पत्र में लिखी हुई बातों के दो विवरण लोगों के सामने आये। इनमें से पहले में प्रकट किया गया कि पत्र में जाहिर किये गये विचार डा० सैयद महमूद के निजी हैं और दूसरे से ध्वनि निकलती थी कि विचार उनके साथियों के भी हैं। बाहरवालों ने इसकी जो अलोचना की उसका सार यही था कि “इन लोगों का भी धीरज छूट रहा है” और बाद में रेडियो पर भी इसकी समीक्षा की गयी। सचमुच नौकरशाही को यह खायाल करके बड़ी प्रसन्नता हुई होगी कि हमारे धर्म में यह कभी शीघ्र ही उसके अन्त का रूप धारण कर सकती है।

गांधीजी की रिहाई को तीन हफ्ते से अधिक समय बीत चुका था। उनके अगले कदम के बारे में इन तीन हफ्तों में तरह-तरह की अटकलबाजियाँ लगायी गयीं। एक अनुमान यह भी था कि मई के आखिर में वे एक ऐसा वक्तव्य देंगे, जिसके परिणामस्वरूप सब कांग्रेसी नेता छोड़ दिये जायंगे। कुछ तो यहाँ तक सोचने लगे कि गांधीजी बम्बईचाला मर्स्टाव वापस ले लेंगे। परन्तु गांधीजी चट्टान के समान अड़िग थे और १३ मई को उन्होंने डाक्टर जयकर के नाम लिखा अपना निम्न पत्र प्रकाशित कर दिया:—

“जुहू, २० मई, १९४४

प्रिय डा० जयकर,

देश सुझसे बहुत कुछ आशा करता है। मैं नहीं जानता कि मेरी इस रिहाईके बारे में आपकी क्या राय है। सच यह है कि इससे सुझे सुशी नहीं हुई है। मैं तो इसके कारण खड़िजत हूँ। सुझे बीमार न पड़ना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि मौजूदा कमज़ोरी दूर होते ही सरकार सुझे फिर जेल भेज देगी। और अगर वह सुझे गिरफ्तार न करे तो मैं क्या करूँ?

‘मैं अगस्तवाला प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता?’ जैसा कि आप कह चुके हैं, वह क्षेत्रहीन है। उसके समर्थन के बारे में शायद आपका मत सुझसे न मिले, केविन सुझे तो वह प्राणों के समान प्रिय है। मैं २६ तारीख तक चुप हूँ। इस बीच, क्या मैं आपके पास प्यारेकाल को भेजूँ? यह भी आपके स्वास्थ्य पर निर्भर रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी भी तन्दुरस्ती ठीक नहीं है।

आपका शुभचितक—

(इस्ताज्जर) एम० के० गांधी।”

सम्, जयकर और शास्त्री जैसे लिखरक्त नेताओं को दोस्ताना तौर पर सलाह-मशाविरे के लिए बुलाकर गांधीजी इन “प्रसिद्ध तथा योग्य” व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। ये सभी राजनीतिज्ञ इस दो वर्ष के काल में कांग्रेस के साथ थे। इस बार लिखरक्त, सर्वदल नेता, निर्दल नेता, भारतीय ईसाई, जमायतुल-उलेमा वगैरह सभी कांग्रेस के साथ थे। गांधीजी का यह पत्र, जिस में उन्होंने अगस्तवाला प्रस्ताव वापस लेने से इन्कार किया है, ‘वरमिंगम पोस्ट’ में प्रकाशित हुआ। इस अखबार ने लिखा—“गांधीजी देश के हित के लिए अपने जिस प्रभाव का उपयोग कर सकते थे—और जिस के लिए एक समय वे तैयार भी थे—अपने इस प्रभाव से उन्होंने बाकायदा इन्कार कर दिया है। तुराई के लिए गांधीजी के प्रभाव को रोकना जाजिमी है, पर यह रोक इस प्रकार लगानी चाहिए कि वे शहीद न बन सकें, जो उनकी आकांक्षा जान पड़ती है। थोड़े में यही कहा जा सकता है कि गांधीजी को आजाद छोड़ देना चाहिए, किन्तु साथ ही यह देसरेस भी रखनी चाहिए कि वे किर पहले की तरह हिन्दुस्तान की शान्ति के लिए खतरा न बन सकें। अभी हिन्दुस्तान में उनका जितना कम प्रभाव रहेगा उतना ही अच्छा है। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के उन लोगों की बहुत जिम्मेदारी है, जो गांधीजी के निजी गुणों से प्रभावित हो कर उनके असाधारण प्रभाव पर ज़ोर दिया करते हैं। रघनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता है कि सरकार कुछ उन हिन्दू नेताओं की तरफ ज्यादा ध्यान दे कर, जो गांधीजी के कारण प्रकाश में नहीं आ पाते, गांधीजी के प्रभाव का दिवाला निकाल सकती है। ऐसे नेताओं में राजगोपालचार्य का नाम सब से आगे आता है।”

इस पत्र में, जो प्रकाशित होने के लिये न था, ऐसी कोई बात न थी, जिसे लिपाया

जाता। जल्दी या देर में दुनिया व भारत-सरकार को मालूम हो जाता कि गांधीजी का विचार क्या है। जो लोग गांधीजी को नजदीक से जानते थे उन्हें यह ज़ाहिर हो जाना चाहिये था कि गांधीजी बम्बई के अगस्त १९४२ वाले प्रस्ताव से एक हंच पीछे न हटेंगे। गांधीजी की यह बीमारी उन की अपनी सहज प्रसन्न मुद्रा व आलोचकों के छिक्कोरेपन के कारण अधिक नहीं जान पड़ती थी, किन्तु वास्तव में वह काफी अधिक थी। अपने पत्र में गांधीजी ने पहले तो इस बीमारी का हवाला दिया और फिर अगस्त १९४२ वाले प्रस्ताव की चर्चा उठाई, जिसे वापस लेने पर जारी वेवल जोर दे रहे थे। महामाननीय श्री एम० आर० जयकर ने इस प्रस्ताव को जो 'दोषहीन' बताया था उसका हवाला ऊपर के पत्र में दिया ही जा चुका है।

पत्र के प्रकाशित होते ही जनता का ध्यान उस की तरफ केन्द्रित हो गया, क्योंकि उस में उन दिनों की सब से महत्वपूर्ण समस्या के विषय में मत प्रकट किया गया था। गांधीजी की रिहाई से यह आशा नहीं की गयी थी कि प्रस्ताव वापस लेकर या आत्म-समर्पण करके राजनीतिक कैंदियों को कुटकारा दिलाया जायगा, बल्कि यह सोचा गया था कि गांधीजी कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल लेंगे, जिससे किसी भी पक्ष के बुझने टेके बिना ही कांग्रेसी नेताओं की रिहाई हो सकेगी और राजनीतिक अँड़े को दूर किया जा सकेगा। यदि एक तरफ जनता को गांधीजी की सूफ़वूम और शक्ति पर हत्ता भरोसा था तो दूसरी तरफ अपनी आशंकाओं से उत्पन्न अँखें पर लगाम लगाकर वह कुछ धीरज का परिचय क्यों न दे सकी? क्या सचमुच जनता की यही आशा थी कि गांधीजी अगस्त १९४२ के प्रस्ताव को वापस ले कर कांग्रेस को आत्महत्या करने को विवश करेंगे? नहीं, उसका ख्याल था कि कोई-न-कोई बीच का रास्ता निकल आयेगा। यदि यह रास्ता निकलना था तो उसके लिए गांधीजी और सरकार दोनों को ही प्रयत्न करना था और जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक दोनों ही दलों को अपनी उसी स्थिति पर रहना था, जिस पर वे द अगस्त, १९४२ को थे। परन्तु कुछ व्यक्तियों का ईमान्दारी से ख्याल था कि १ जून १९४४ को परिस्थिति द अगस्त, १९४२ से बिलकुल भिन्न थी। इस के अलावा, जापानियों के भारी और बहुमुखी हमले की भी आशंका थी। परन्तु बहुत से लोगों का ख्याल था कि यह हमला केवल सीमित मात्रा में होगा। इस सम्बन्ध में मतभेद की गुंजाई होने के अतिरिक्त यह बात स्पष्ट थी कि जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध था, उस की आशा या योजना कम या अधिक कितनी भी मात्रा में भारत पर जापान के हमले पर—यह बढ़ाया छोटा कैसा ही क्यों न हो—मिर्भर न थी। कांग्रेस के सामने समस्या थी कि वह ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करे, जिसमें उन्हें दर्जे का युद्ध-प्रयत्न हो सके और जिस में नेता जनता से अधिक त्याग और सेवा प्राप्त कर सकें। अगस्त, १९४२ या अग्रेल १९४२ में जो समस्या, जो खाच्य या जो उद्देश्य हमारे सामने था वही जून, १९४४ में भी था। गांधीजी ने शुरूआत ठीक की या नहीं—इसका अनुमान हमें इस पत्र से नहीं लगाना चाहिए। सम्भवतः इसीलिए पत्र प्रकाशित करने से पूर्व सेकेटरी प्यारेलाल ने प्रारम्भ में एक चेतावनी देना उचित समझा था कि इस में से पाठकों को कोई गहरा अर्थ निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो मित्र के नाम लिखा गया एक निजी पत्र था और प्रकाशित करने के ख्याल से नहीं लिखा गया था। यह पत्र वास्तव में विचार आते ही एकाएक लिख दिया गया था और उसे हमें वाहसराय को लिखे गये पत्र की तरह अधिकार-पूर्ण बना कर नहीं पढ़ा चाहिए। ऐसा कर के इस पत्र के लेखक के प्रति अन्यथा करेंगे।

ब्रिटेन और अमरीका में बहुत पहले ही महसूस कर लिया गया कि गांधीजी की रिहाई

करके सरकार सिर्फ एक वृद्ध की मृत्यु की जिम्मेदारी से ही नहीं बचना चाहती थी। दरअसल रिहाई के परिणाम-स्वरूप गांधीजी भारत के राजनीतिक क्षेत्र में एकाएक आ गये और परिस्थिति के देखते हुए जो-कुछ आवश्यक था वह करने का अवसर उन्हें मिल गया। गांधीजी का पहला कदम अपने उस पत्र को प्रकाशित करना था। उनका दूसरा कदम जनवरी से अप्रैल तक के (यानी रिहाई से चार महीने पहले तक के) अपने और लार्ड वेवल के पत्र-ब्यबहार व अन्य कागजों को प्रकाशित करना था।

अभी वह पत्र-ब्यबहार प्रकाशित होने से रह ही गया था, जो गांधीजी ने जुलाई १९४३ से सरकार के साथ किया था। उन्होंने ३ मार्च, १९४३ को अनशन लोडा था। 'उपद्रवों के लिए कांग्रेस की जिम्मेदारी' पुस्तिका २२ फरवरी को प्रकाशित हुई। यह वह समय था जब गांधीजी का अनशन जोरों से चल रहा था और उनका जीवन अधर में लटका हुआ था। अनशन भंग करने के दो दिन बाद उन्होंने पुस्तिका की एक प्रति मांगी और वह उन्हें अप्रैल के मधीने में मिली। गांधीजी ने बड़ी मेहनत से उसका उत्तर जुलाई में तैयार किया और उसे भारत-सरकार के पास भेज दिया। सरकार अक्टूबर तक सुपर रही, फिर १४ अक्टूबर को सर रिचार्ड टोटेनहम ने उन्हें अपना अपमानजनक व धृणित उत्तर भेजा। इस समय तक लार्ड लिनलिथगो को गांधीजी अपना उत्तर भेज चुके थे और सम्भवतः लार्ड लिनलिथगो भारत से रवाना होने से पूर्व गांधीजी को उनके उत्तर का प्रति-उत्तर भेजने का आदेश दे गये थे। और जैसी कि आशा की जा सकती है उस प्रति-उत्तर में लार्ड महोदय का शाहाना तरीका और ध्वनि साफ फलकती थी।

इस पत्र-ब्यबहार में दिलचस्पी की बात सिर्फ यही थी कि उस में गांधीजी ने कार्य-समिति से समर्पक स्थापित करने का अपना अनुरोध दोहराया था। उन्होंने अपने २६ अक्टूबर १९४३ के पत्र में लिखा था:—

"उन से मेरी बातचीत का सरकार के इष्टिकोण से कुछ महत्व हो सकता है।

इसीलिए मैं अनुरोध दुबारा कर रहा हूँ। परन्तु यदि सरकार मुझ पर यकीन कहीं करती तो मेरे इस प्रस्ताव की कुछ भी उपयोगिता नहीं है। इस कठिनाई के बावजूद जो मैं अच्छा समझूँ और जिसे मैं युद्ध-प्रयत्न के लिए उपयोगी समझूँ, उसे फिर दोहराना सत्याग्रह के नाते मेरा फर्ज है।"

यदि गांधीजी ने जुलाई में अपना उत्तर दिया तो ऐसा करके उन्होंने देरी नहीं की। अपना फर्ज अदा करने में उन्हें सिर्फ शीघ्रता का ही ख्याल नहीं रखना था, बल्कि इधर-उधर फैले उन असंख्य लेखों, मुक्ताकातों के विवरणों तथा वक्तव्यों को संक्षिप्त करना था, जिनमें से सरकार ने चुन-चुन कर वाक्यों का उद्धरण देकर अपने आरोपों के आधार के रूप में उपस्थित किया था। इसके अलावा, गांधीजी सर रेजिनल्ड मैक्सवेल, लार्ड सेसुअल व मिंट बट्टर की उन भारी गवाहियों को सुधारने में भी ब्यस्त थे, जिनके आधार पर उन्होंने १९४२ और १९४३ में क्रमशः भारत की केन्द्रीय असेम्बली, लार्ड सभा और कामंस सभा में राजनीतिक परिस्थिति व कस्तूरबा की भीमारी के बारे में भाषण दिये थे।

प्रकाशित पत्र-ब्यबहार से दोनों पत्रों के इष्टिकोण पर काफी रोशनी पड़ती है। इसमें हमें इष्टिकोण की भिन्नता और समानता दोनों ही मिलती है, जैसा स्वाभाविक है। दोनों पत्र इस बात पर सहमत हैं कि भारत को ब्रिटेन का मिश्र बना रहना चाहिए और सरकार ने वह सब सामग्री संक्षिप्त रूप में प्रकाशित कर दी। दोनों पत्र यह भी मानते हैं कि इस दोस्ती का नतीजा

युद्ध-प्रयत्न में सहयोग के रूप में दिखाई देना चाहिए । इन पत्रों में गांधीजी ने अपने व्यक्तित्व को विलकुल दबा दिया था और वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे थे । वेवल पूरी तरह से वाहसराय के रूप में बोल रहे थे । वेवल सहयोग का अनुरोध करते थे । गांधीजी अपनी रजामंदी जाहिर करते थे । परन्तु इन दोनों महान् प्रतिपक्षियों की टिकट में सहयोग के अर्थ अलग-अलग हैं । गांधीजी के लिए सहयोग का अर्थ अंग्रेजों से समानता के आधार पर व्यवहार है । लार्ड वेवल चाहते हैं कि भारत अधीनता में रहकर ही सहयोग करे । समानता मशीनी या बीज-गणित की बराबरी नहीं है । यह तो एक मानसिक अवस्था है, जिस में दोनों दब परस्पर विश्वास करते हैं । विश्वास से विश्वास बढ़ता है और आपस के विश्वास से एक-दूसरे के लिए आदार की भावना होती है, जो समानता या बराबरी की नींव है और उसका सबूत भी है । लार्ड वेवल ने अपनी सरकार के पुराने आगेपों को दोहराया - 'भारत को, देश की रक्षा करने में अंग्रेजों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रह गया और वह (भारत) हमारी सैनिक कठिनाइयों से अनुचित लाभ उठाना चाहता था ।' आश्रम्य की बात है कि लार्ड वेवल जैसे चतुर राजनीतिज्ञ भी अपने दोनों आरोपों के विरोधाभास को नहीं जान पाये । जिन लोगों को भारत की रक्षा करने में अंग्रेजों के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रह गया था उन्हें ब्रिटिश सरकार से सौदा पटाने में लाभ ही क्या हो सकता था । एक कहानी प्रसिद्ध है कि तरांतुम का एक अमीर आदमी किसी राजस से बांका कि यदि वह उसे देश का सब से धनी व्यक्ति बना दे तो वह अपनी आत्मा राजस को दे देगा । राजस ने कहा कि यदि सब से धनी व्यक्ति किसी दूसरे को ही बनना है तो वह आत्मा ले कर क्या करेगा । सवाल यह था कि कांग्रेस को एक ऐसी शक्ति से समझौता करके क्या मिलता, जिसके द्वारा देश की रक्षा के सामर्थ्य में उसे विश्वास नहीं रह गया था । कांग्रेस ने यह कहा था, इसमें कुछ भी शक नहीं है । कांग्रेस को विश्वास नहीं था कि ब्रिटेन अकेजा भारत की रक्षा कर सकेगा, वर्योंकि वर्षा, मलाया और बिंगापुर +ी रक्षा बढ़ जनता की सहायता के बिना करने में असमर्थ रहा था । यही कारण था कि कांग्रेस आर्थिक और नैतिक सहायता दे रही थी । उसकी शर्त मिर्फ यही थी कि उसे ऐसी स्थिति में कर दिया जाय, जिसमें रह कर वह जनता में उत्साह भर सके । यह स्थिति स्वाधीनता और समानता की थी, पराधीनता और गुलामी की नहीं । एक पराधीन देश को ऐसी स्वाधीनता देने का मतलब यह था कि अंग्रेज उस पर से अपनी सत्ता हटा लेते । दूसरे शब्दों में जिस अधिकार का प्रयोग ब्रिटेन भारत के ऊपर कर रहा था उसका प्रयोग अब भारत सुन ही करता । युद्ध-प्रयत्न में भाग लेने के लिए जापानियों के विरुद्ध, साथ ही अंग्रेजों की विरेशी सत्ता के भी विरुद्ध, भारत की यह न्यूनतम मांग थी ।

स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद अर्थशास्त्र और राजनीति में सामंजस्य स्थापित होता है । अभी तक ब्रिटिश सरकार ही भारत के लिए सोच-विचार करती थी, योजना बनाती थी, उस योजना को कार्यान्वित करती थी और उसकी रक्षा करती थी । परन्तु जब संस्कृत देश स्वाधीनता प्राप्त करने और लुद ही सोच-विचार करने, योजना बनाने, उस योजना को कार्यान्वित करने और अपनी रक्षा अप कर सकने का दावा करने लगता है तो संस्कृत देश की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है । इसलिए जब कि भारत स्वाधीनता का छन्तजार कर रहा था लार्ड वेवल-द्वारा आर्थिक-सुधार की कार्रवाई साम्राज्यवाद के पृष्ठोपित मार्ग पर चलने के ही समान थी । इसीलिए वाहसराय और उसके माथियों-द्वारा सुन्दर-बाहुल्य को रोकने, स्टर्लिंग पावना की समस्या को तय करने और ब्रिटेन व भारत के मध्य युद्ध-स्थिय के बटवारे में संशोधन के विरोध के प्रयत्नों को देखकर हँसी

आती थी। परन्तु लार्ड वेवल में हतना साइस और हतनी नेकनीयती जहर थी कि उन्होंने गांधीजी के आगे यह मंजूर कर लिया कि वे उन पर या कांग्रेस पर “जापानियों की जानबूझकर सहायता करने” का आरोप नहीं करते। लार्ड लिनलिंथगो और उनके साथियों व मिं। एसी ने जो भद्रे आरोप किये थे यह उसके विलकुल विरुद्ध था। परन्तु इन सब के बावजूद सब से महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांधीजी ने लार्ड वेवल से अपने को कार्य समिति के सम्पर्क में करने का जो अनुरोध किया था वह समस्या जहाँ-की तहाँ बनी रही और लार्ड वेवल ने अपने २८ मार्च, १९४४ वाले पत्र में उसका जिक्र तक नहीं किया। यह साधारण समझदारी की बात है, जैसा कि गांधीजी ने भी कहा था, कि एक सार्वजनिक संस्था में सर्वसम्मति से जो निर्णय होते हैं उनमें किसी एक व्यक्तिद्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता और इसमें अंतःकरण का भी कोई प्रश्न नहीं उठता, जैसाकि लार्ड वेवल ने कहा था। सच तो यह है कि सरकार गांधीजी को कार्य-समिति के पास भेज रही थी और वे अहमदनगर किले में ५ मई, १९४४ को पहुँचनेवाले थे। परन्तु इसी बीच गांधीजी बीमार पड़ गये और तब उन्हें ६ मई को छोड़ दिया गया। परन्तु जब तक लार्ड वेवल और उनके रवामियों की रजामन्दी नहीं होती और गांधीजी के ‘भारत छोड़ो’ आनंदोत्तम का वह दूषित अर्थ नहीं स्थाना जाता, जो पहले किया गया था, तब तक ब्रिटेन और भारत के मध्य परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर सद्भावना की स्थापना कैसे हो सकती थी।

लार्ड वेवल को भारत की अधिकांश जनता के सहयोग का भरोसा था। सरकार को जो सहयोग प्राप्त हुआ उसे भारतीय जनता का सहयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह हतनी निर्धन, हतनी अज्ञान और हतनी भयत्रस्त है कि उसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों के आवेदनों की अवज्ञा करने का कोई सवाल नहीं नहीं उठता। सहयोग की बात सो दरकिनार, क्या उस जनता को ‘अधिकांश’ कहा जा सकता है? यदि सचमुच सरकार को अधिकांश जनता का समर्थन प्राप्त था तो लार्ड वेवल आम चुनाव क्यों नहीं करते थे? सर फीरोजखां नून ने रायल एम्पायर सोसाइटी, लंदन में युद्ध-मंत्रिमण्डल के एक सदस्य के रूप में भाषण करते हुए उस समय सत्य को प्रकट किया जब एक वृद्ध सज्जन ने बीच में उठकर सवाल किया कि भारत में आम चुनाव श्यों नहीं किये जाते। सर फीरोज खां नून ने साफ़ छपरों में उत्तर दिया—“इसलिए कि आम-चुनाव में कांग्रेसजन ही चुने जायेंगे।” यह बात सच है! सच बात सिर्फ बच्चों के सुंह से नहीं निकलती; वह नौकरशाही के कठपुतलों के सुंह से भी निकलती है। एक बुद्धिमान तथा चतुर व्यक्ति के रूप में लार्ड वेवल को जानना चाहिए था—और वे जानते भी थे—कि अधिकांश बोर्ट सरकार के पक्ष में नहीं, बल्कि कांग्रेसियों के पक्ष में थे। ‘अधिकांश जनता’ की यथार्थता तो यह थी, कि ‘सहयोग’ की ‘वास्तविकता’ पर भी विचार होना चाहिए था। लार्ड वेवल एक ऐसे दूसरे से सहयोग की मांग पर रहे थे, जिसमें योग्यता व सदाशयता की कमी न थी। इसके जवाब में गांधीजी ने जनता के प्रतिनिधियों से सरकार के सहयोग की मांग की। जब अधिकांश जनता कांग्रेस के साथ थी तो सरकार को ही जनता के नेताओं से सहयोग करना चाहिए था। परन्तु खतरा यह था कि इस सहयोग के बीच सिद्धान्तों का गला घोट दिया जाता। यह भी संदेह था कि यदि ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव को स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य किया जाता तो संसार भर में उसकी व्यापक प्रतिक्रिया होती। इसका मतदब्द बोता कि युद्ध जिन उद्देश्यों के लिए लड़ा गया उन्हें ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया और उस साम्राज्यवाद का त्याग कर दिया, जो युद्ध का मूल कारण होता है। इस प्रकार गांधीजी के शब्द युद्धों को समाप्त करने के लिए जाने

वाले युद्ध के प्रयत्नों में हिस्सा बैठाते। यदि कहा जाता है कि परिस्थितियाँ बाधा उपस्थित करती हैं तो उत्तर दिया जा सकता है कि जहाँ तक दार्शनिक और आदर्शवादी गांधी का सम्बन्ध है, मौजूदा परिस्थितियाँ चिरसत्य सिद्धान्तों के अनुसरण के मार्ग में कभी बाधा नहीं उपस्थित करती।

सिर्फ़ इतना ही नहीं। 'स्टेटसमैन' कह चुका था कि प्रगस्त, १९४२ का प्रस्ताव भवे ही नैतिक दृष्टि से दोषहीन हो, किन्तु ध्यावहारिक दृष्टि से अनुचित था। गांधीजी ने 'भारत छोड़ो' नारे को "समस्त मानव समाज की पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए मैत्रीपूर्ण भावना का प्रतीक" माना था। हस सम्बन्ध में फरवरी और अप्रैल १९४४ के मध्य हुए गांधीजी व लाड वेवल के प्रबन्धवहार पर अपने भत प्रकट करते हुए 'स्टेटसमैन' ने लिखा था:—"भारत में अधिक दिक्षचस्पी न रखनेवाले अन्य कितने ही ध्यक्ति गांधीजी की तरह यह महसूस करने लगे हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्रों के नेताओं ने देरी से महसूस किया है, कि युद्ध कोई पृथक् या असम्बद्ध घटना नहीं है, बल्कि एक संसार-ध्यायी परिवर्तन की सूचना है। यह पर्वर्वर्तन या तो तानाशाही अथवा लोकतंत्रवादी दिशा में होगा या बिलकुल होगा ही नहीं और इस दशा में युद्ध का होना अनिवार्य है। अटलांटिक अधिकारपत्र से अधिक महत्वपूर्ण घोषणा अभी तक दूसरी नहीं हुई है। अब हसकी फुटकर बातें तथ हो जानी चाहिए।"

## वेवल का नुस्खा

जब भारत-सरकार कोई कार्य करती है तो उसकी गति धोंधा से तेज नहीं होती और उस की दिशा केंकड़े के समान अनिश्चित होती है। दूसरे लफजों में यह कार्रवाई न तो तेजी से होती है और न ठीक ही। इसमें पार्लीमेंट के सदस्य डब्ल्यू० जे० ब्राउन की उस उक्ति की याद आ जाती है, जो उन्होंने विदेश कार्यालय के सुधार के बारे में की थी। मार्च, १९४३ में इस सम्बन्ध में प्रकाशित किये गये श्वेत पत्र की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था—“यह विचारपत्र राजनी-तिक सेत्र में पुराने तरीके को कार्रवाई का मबस्ते विचित्र ऐतिहासिक नमूना है। इस सभा तथा भावी पीढ़ियों को बताने के लिए मैं इस कार्य-प्रणाली की व्याख्या इन शब्दों में करना चाहता हूँ। इस का पहला तरंगा है—तब तक आगे न बढ़ो जब तक कि मजबूर न हो जाओ; दूसरा तरंगा—जब बढ़ने के लिए मजबूर हो जाओ तो कम से कम आगे बढ़ो; तीसरा तरंगा—जब आगे बढ़ो तो जाहिर करो कि तुम कोई कृपा कर रहे हो; और चौथा तरंगा—आगे कभी न बढ़ो बल्कि बगलों की तरफ द्वितीय कर रह जाओ। -इस विचारपत्र में भी यही किया गया है।” और भारत-सरकार क्या करती है? अक्टूबर, १९३८ में जब उसमें युद्ध-उद्देश्य बताने को कहा गया, तो उसने कहा कि जब युद्ध-उद्देश्यों की व्याख्या यूरोप में ही नहीं हुई तो भारत में उन पर अमल करने की बात पर तो और भी कम रोशनी ढालो जा सकती है। ऊपर बताये तरीकों में से पहला है—आगे करनहीं न बढ़ना। इसके बाद कम-से-कम आगे बढ़ने का दूसरी अवस्था अगस्त, १९४० में उस समय आई, जब भारत-सरकार ने कहा कि १० करोड़ सुखलमानों, ८ करोड़ हरिजनों और देशी राज्यों की राजमंदी के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन, हाँ वाइसराय की शासन-परिषद् का भारतीयकरण जरूर हो सकता है। यह मंजूर न हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह छिड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि तीसरी अवस्था आ गई, जब किसी भारत में आये और सरकार ने भारत को आंपनिवेशिक पद देने का प्रस्ताव किया और साथ ही उसे साम्राज्य के प्रति अपना रुख निश्चित करने का भी अधिकार दिया। यही नहीं, रियासतों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये गये उनमें जनता की बजाय राजाओं को प्रश्रानता दी गई, प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक् द्वारे का अधिकार दिया गया। रक्षा और युद्ध-विभागों की प्रधान सेनापति की अधीनता में सुरक्षित रखा गया और विधान-परिषद् का प्रस्ताव करके कृपा का ढांग किया गया। इन्हें नामजूर कर दिया गया और तब चौथी अवस्था आई, जिसमें सरकार आगे बढ़ने के बजाय बगलों की ओर हिलने लगी। वाइसराय शासन-परिषद् में क्रमशः १९४१, १९४२ और १९४३ में भारतीयकरण की प्रगति हुई। अन्तिम बार “न्यू स्टेट्समैन ऐण्ड नेशन” ने लिखा :—

“गांधीजीके अनशनके समय कई हिन्दू-सदस्यों के हस्तीफे के परिणामस्वरूप शासन-परिषद् में लाली हुए स्थानों को वाइसराय ने हाल ही में भरा है। नये सदस्य अधिक प्रभावशाली व्यक्ति

नहीं जान पहसु, किन्तु परिषद् के वर्तमान रूप से हिन्दुओं और मुसलमानों में समानता सम्बर्थ मिं जिन्ना के आदर्श की प्रसिद्धि हो गयी है। जब एक बार यह परम्परा कायम हो जायगी तो अख्संख्यक समुदाय उसे अपना निहित अधिकार मानने लगेगा। यह एक ऐसा परिवर्तन है, जो असावधानीपूर्वक हुआ है।”

भारतीय समस्या बहुमुखी है, जिससे अनेकों दलों का सम्बन्ध है और प्रत्येक दल एवं अंगकी की अधीनता में है। इस समस्या के निवारण के लिए अंग्रेजों का शक्ति-स्वाग भी आवश्यक है। अंग्रेजों ने देश में इतना कूड़ फैला दी है कि लोग एक सम्प्रदाय और दूसरे सम्प्रदाय, बहु संख्यक समुदाय और प्रद्वसंख्यक समुदाय, नरेशों और प्रजा के बीच खाई बनी रहना एक साधारण आवश्यक समझने लगे हैं। इसलिए वे मई को जब गांधीजी छुटे तो उन्हें राजनीतिक गतिरोध कूट करने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेजों के प्रतिनिधि लार्ड वेवल और लीग के प्रतिनीति मिं जिन्ना से बातें करनी पड़ी।

लार्ड वेवल ने गांधीजी को जेल में बहुत कुछ आमतृष्णि की भावना से प्रेरित हो कर लिख था कि उन्हें अधिकांश भारतीयों का सहयोग पहले से ही प्राप्त है। हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह सहयोग केंसा था। हम तो ‘न्यू स्टेट्समैन’ (२२ अप्रैल, १९४४) के फैसले को ही मान लेते हैं, जिसमें उसने भारत में केंद्रियों की रिहाई और भारतमन्त्री के कार्यालय को स्वाधीन उपनिवेश विभाग में मिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। परन्तु गांधीजी से पत्र-व्यवहार में लार्ड वेवल ने सुलभ का गलत तरोका अप्तेत्यार किया। वे चाहते थे कि गांधीजी व कार्य-समिति ही पहचान करें। वेशक लार्ड वेवल ने टोटेनहम-द्वारा की गई मांग व विकले कार्यों के लिए अफसोस जाहिर करना और भविष्य के लिए अच्छा आचरण रखने का वचन देना—स्थाग दिया था। लार्ड महोदय ने २८ मार्च, १९४४ को लिखा था:—

“मेरा विश्वास है कि भारत के कल्याण के लिए कांग्रेस सब से बड़ी सहायता यही कर सकता है कि वह असहयोग की नीति का त्याग कर दे और अन्य भारतीय दलों के साथ मिलकर देश की राजनीतिक और आर्थिक प्रगति करने में अंग्रेजों को मदद करे। मेरे ख्याल में आप भारत के सबसे बड़ी सेवा इस सहयोग को सब्लाइ देकर ही कर सकते हैं।”

१७ फरवरी, १९४४ को केन्द्रीय धारा-सभाओं के आगे भाषण करते हुए लार्ड वेवल ने जो-कुछ कहा उसे यहां स्मरण किया जा सकता है। इस भाषण में वाइसराय ने पहले-पहल राजनीति के विषय में ज्ञानांखों की थी। आपने कहा था कि “जब तक असहयोग और अद्वंगा लगाने की नीति का त्याग नहीं किया जाता तब तक मैं कांग्रेस कार्यसमिति की रिहाई की सलाह नहीं दे सकता। १९४३ में लंदन में बर्मा के गवर्नर सर रेजिनान्ड डोर्मनस्मिथ ने बताया था कि अंग्रेजों के प्रति दक्षिण-पूर्वी एशिया के लोगों के क्या विचार थे। आप ने कहा था, ‘संसार के इस भाग में हमारे हरादों या कार्यों पर विश्वास नहीं किया जाता। इस की वजह से जिकालनी कठिन नहीं है। हम बर्मा-जैसे देशों को अपने राजनीतिक गुर की बातें तब तक सुनाते रखें जब तक कि जनता उस गुर से बिलकुल ऊब गयी और इस गुर को अंग्रेजों का कुछ न करने का तरीका मानने जाएगी।’”

हालत यह थी जबकि गांधीजी ने अपनी रिहाई के ४० दिन बाद १७ जून को लार्ड वेवल से कार्यसमिति के सदस्यों से मिलने की मांग की और कहा कि इस के मंजूर न होने की अवश्य में उन्हें ही स्वयं वाइसराय से मिलने दिया जाय ताकि वे उन्हें कार्यसमिति के सदस्यों से मिल-

का महत्व बता सकें। लार्ड वेवल ने गांधीजी का यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया और जवाब में लिखा कि यदि कोई रचनात्मक सुझाव उपस्थित करना हो तो वह आप को स्वास्थ्य-लाभ करने पर ही करना चाहिए। लार्ड वेवल के इस उत्तर से भारत में किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ४ मई को भारतमंत्री मिं० एमरी भी कामंस सभा में कह चुके थे कि गांधीजी को कार्य-समिति के सदस्यों से मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

गांधीजी जब-कभी भी कैद से छोड़े गये हैं तभी उन्होंने राजनीतिक अड़ंगे को समाप्त करने या उस गुरुथां को सुलझाने की चेष्टा की है, जिस के परिणामस्वरूप कि उन्हें सत्याग्रह आरम्भ करना पड़ा था और जेल जाना पड़ा। कांग्रेस के इतिहास को जाननेवाले भव्यी-भाँति परिचित हैं कि जब २६ जनवरी, १९३१ को गांधीजी नमक-सत्याग्रह के बाद अपने २६ साथियों के साथ रिहा किये गये, तो उन्होंने १३ फरवरी को लार्ड अरविन को पत्र लिख कर मनुष्य के नाते मुक्ताकात की इजाजत मांगी थी। इतिहास यह भी बता चुका है कि यह मुक्ताकात कितनी कामयाब हुई। इसी तरह गांधीजी ने १७ जून को लार्ड वेवल के पास पत्र लिख कर कार्य-समिति के सदस्यों से मिलने की इजाजत मांगी और लिखा कि यदि यह न हो सके तो कोई फैसला करने से पहले आप हो सुक से मिल ज़ें। पत्र इस प्रकार है:—

“नेचर क्योर किलमिक,  
६, टोडीवाला रोड,  
पूना, १७ जून, १९४४

मिश्र मित्र,

यदि यह पत्र एक ऐसे काम के सम्बन्ध में न होता, जिसमें आप व्यस्त हैं, तो मैं आपको पत्र लिखकर कभी कष्ट न देता।

गोकिं इसकी कोई वजह नहीं है, फिर भी देश भर और शायद बाहरवाले भी सर्वसाधारण के लिए मुफ्तसे कांइ ठोस कार्य करने की उम्मीद रखते हैं। खेद है कि मुक्ते स्वास्थ्य-लाभ करने में इतना समय लग रहा है। लेकिन, विलकुल अच्छा होने पर भी मैं कांग्रेस की कार्य-समिति के विचार जाने बिना क्या कर सकता था? कैदी की हैसियत से मैंने उससे मिलने की इजाजत मांगी थी। अब एक आजाद व्यक्ति का हैसियत से फिर मैं उससे मिलने की इजाजत मांगता हूँ। यादें इस विषय में कोई फैसला करने से पहले आप मुफ्तसे मिलना मंजूर करें तो डाक्टरों के लम्बी सफर की इजाजत देते ही जहां भी आप चाहेंगे वहीं आने के लिए मैं खुशी से तैयार हो जाऊँगा।

नजरबन्दी की हालत में मेरे और आपके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था उसे मैंने कुछ मित्रों के बीच निजी उपयोग के लिए वितरित कर दिया है। परन्तु मैं महसूस करता हूँ और यही इंसाफ का तकाजा है कि सरकार उन पत्रों को प्रकाशित करने की इजाजत दे दे।

३० तारीख तक मेरा पता वही होगा, जैसा कि ऊपर लिखा है।

आपका शुभचिन्तक—  
मो० क० गांधी ।”

इस पत्र का लार्ड वेवल ने २२ जून, १९४४ बाले अपने पत्र में उत्तर दिया। बाहसराय का पत्र यह है:—

“बाहसराय भवन,  
नवी दिल्ली,  
२२ जून, १९४४।

ग्रिय गांधीजी,

आपका १७ जून का पत्र मिला। पिछले पत्र-ब्यवहार में हम दोनों के इष्टिकोण में जो उम्र मतभेद प्रकट हुआ है उसे देखते हुए मैं महसूस करता हूँ कि अभी हमारे मिलने से कोई लाभ न होगा और उससे केवल ऐसी आशाएँ ही उत्पन्न होंगी, जो पूरी नहीं हो सकती।

यही बात आपके द्वारा कार्यसमिति से मिलने के सम्बन्ध में कही जा सकती है। आप 'भारत छोड़ो' ब्रस्ताव के प्रति सार्वजनिक रूप से अपनी सहमति प्रकट कर चुके हैं, जिसे मैं भविष्य के लिए संगत तर्क या ब्यावहारिक नीति नहीं मानता।

यदि स्वास्थ्य-लाभ और सोच-विचार करने के बाद आप भारत के हित के लिए निश्चित और रचनात्मक नीति का सुझाव पेश कर सकें तो मैं खुशी से उस पर विचार करूँगा।

चूँकि आप सुझाव पूछे बिना अपने और मेरे बीच हुए पत्र-ब्यवहार को वितरित कर चुके हैं और वह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है इसलिए मैंने आपकी नजरबंदी के समय लिखे गये सभी राजनीतिह-पत्रों को प्रकाशित करने का आदेश दे दिया है।

आपका शुभभित्तिक—

वेवल ।'

यदि ब्लार्ड वेवल के पत्रों और भाषणों से उनके स्वभाव का पता लगाया जाय तो प्रकट होता है कि वे किसी निश्चय पर तो ज़दी पहुँच जाते हैं, किन्तु आगे जाकर अपने मस्तिष्क को प्रभावित होने से नहीं बचा सकते। १७फरवरी, १९४४ को केन्द्रीय धारा सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में भाषण करते हुए आपने कहा कि मैंने जो भी विचार प्रकट किये हैं ये मेरे पहले उठनेवाले विचार हैं और इनमें परिवर्तन हाँ स्फूरता है। गांधीजी को लिखे इस पत्र में उन्होंने शुरू में अपने और गांधीजी के बीच 'उम्र मतभेद' की चर्चा की है और कहा है कि उसके कारण मिलने से कोई लाभ न होगा; किन्तु एवं के अंत में उन्होंने उदारतापूर्वक गांधीजी के स्वास्थ्य लाभ करने का ज़िक्र किया है और कहा वृंद कि गांधीजी "सोच-विचार करने के बाद" किसी निश्चित और रचनात्मक नीति का सुझाव उपस्थित करें। गांधीजी को सोच-विचार करने में अधिक समय नहीं लगा। उन्हें न तो कोई गुणी सुझावकानी थी और न राजनीति की पेंचांदगियों में ही पहला था, क्योंकि गांधीजी सत्य के जिस पथ का अनुसरण करते हैं वह सीधा है और अहिंसा की रणनीति भी सरल ही है।

गांधीजी की रिहाई से भारत और कांग्रेस के इतिहास में एक नये अध्याय का श्रीगणेश हुआ था। जनता और सरकार दोनों ही को उनसे बहुत कुछ आशाएँ थीं। जनता चाहती थी कि गंभीरी जादू की छड़ी घुमाकर निराशा की परिस्थिति का अन्त करके उसके स्थान पर आशा और विश्वास का संचार करदें। सरकार चाहती थी कि वे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आत्म-सम्मान को स्थाग कर सत्य और अहिंसा के अन्तर्गत चित्त-सिद्धांतों की बलि चढ़ा दें और पराजित पक्ष की भाँति राजनीति के अलावा अन्य राष्ट्रीय कल्याणकारी चेत्रों में अपना सहयोग प्रदान करें। गांधीजी ने जनता से कहा कि उनके पास ऐसा कोई पारस्पर विवर नहीं है जो जनता की शिथर भानविक स्थिति के लोहे को सोने में बदल सके और न कोई ऐसा जावनदाया अमृत ही, जो उदास मन में स्फूर्ति और उत्साह का दंचार कर सके। इसी तरह सरकार से भी गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। आपने अपने जीवन का आधारभूत सिद्धांत बताया—उसी जीवन का जो सत्य और अहिंसा पर आधारित रहा है और जिसकी अभिष्यक्ति सत्याग्रह व अहिंसात्मक असद्योग के द्वारा

हुई है। ये दोनों हथियार पौसे हैं कि उनका उपयोग अत्येक व्यक्ति—वह चाहे जितना छोटा हो और परिस्थितियाँ चाहे जितनी कठिन क्यों न हो—कर सकता है। बम्बई प्रस्ताव के अन्त में की गयी सलाह कायम थी, जिसमें कहा गया था कि अंदोबाल शुरू हो जाने पर नेताओं की अनुपस्थिति में प्रत्येक स्त्री और पुरुष ही अपना नेता बन जाता है। यह सच है कि सत्याग्रह के लिए एक खास वातावरण की ज़रूरत होती है और इस वातावरण के अभाव में अद्विसामक असहयोग का रास्ता तो सद के लिए खुला ही है। उस समय जनता बुराई से प्रभावित थी और बुराई से असहयोग करने के लिए तो जनता सदा ही आजाद रहती है। जनता की कमर भारी बजन से भुक्ती हुई थी और उस भार का डरना ज़रूरी था। राजनीति के अबादा दूसरे लोगों, —जैसे अधिक सुवार और खाय-प्रबंध के लोगों में सहयोग सम्भव न था। सिंह राष्ट्रीय सरकारके ही लिए इन विषयों को हाथ में लेना सम्भव था। जहां तक सरकार की इस आशा का सम्बन्ध था कि गांधीजी अद्विसार्पण कार्यों का निन्दा करेंगे और युद्धकाल में सत्याग्रह न छेड़ने का आवासन देंगे, उनके उत्तर स्पष्ट थे। आगस्तवाले प्रस्ताव के दो भाग थे—राष्ट्रीय मांग और उसे प्राप्त करने के साधन। गांधीजी दुनिया भर का दाक्तर किए भा राष्ट्रीय मांग में जरा भी कमी करनेका तैयार न थे। सरकार तथा भारतीय राष्ट्र में सद्भावना कायम करने का एकमात्र जरिया यही था कि शक्ति का इस्तोत्रण राष्ट्रीय सरकार के द्वारा हो। इस ध्येय को प्राप्त करने का साधन गांधीजी स्पष्ट कर ही चुके थे कि गिरफ्तार होते ही आदान का सेवापातेव उनके हाथ में नहीं रह गया और वे लोगों से साधारण व्यक्तिके रूप में ही कुछ कह सकते थे—कांग्रेसजन के रूप में नहीं, क्योंकि देशवासियों के हृदय में स्थल प्राप्त करने पर भा १६३५ स ही वे कांग्रेसजन नहीं रह गये थे। जो अधिकार उन्हें देया गया उस का स्वरूप गिरफ्तार होते ही हो चुका था। गांधीजी अपने देशवासियों के कथित दिवसार्पण कार्यों पर भा काढ़े फ़सला चहाँ द सकते थे, क्योंकि फ़सला एकतर्फ़ा न होता चाहिए। दोषों जितनी जनता था उन्होंने ही सरकार भी थो। और पुराने जलमानों फिर से उभाने में किसान का भा जाम न था। गांधीजा को लाई अरविन-द्वारा वह सलाह याद थी, जा उन्होंने १६३१ में गांधी-अरविन-वार्ता के समय पुलिस के अत्याचारों की जांच के समय दा थो। लाई अरविन ने गांधीजा से कहा था—‘क्या आप का ख़राबा है कि मैं उन अत्याचारों से अपरिचित हूँ। जांच का कार्रवाई से दानों वरक का भावनाये जाग्रत हो उठेगी और वह शान्तिर्पण वातावरण न बन सकगा, जिस के लिए इम दोनों ही प्रयत्नशोल हैं, क्योंकि तब दोनों हो पच अपने समर्थन के लिए प्रमाण खोजना आरम्भ कर देंगे।’ जब गांधीजी ने अपना मांग पर आर जार देखा तो बाढ़ अवैन ने कहा—‘गांधीजा, क्या आप मुझे ख़जित करना चाहते हैं?’ इस प्रकार उस मांग का अन्त हुआ। शायद इसी दिल्ली के से गांधीजी न तो जनता को जार-जबर्दस्तियों का निंदा करते थे और न सरकार के पारावक क़ुत्यों की जांच की ही मांग उन्होंने का। साथ हा गांधीजो ने उतने ही जारी राष्ट्रों में अपने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि वे अपने अनुयायीयों में लेशमान्न हिंसा सहन न करें। गांधीजो ने अपनी स्थिति इन शब्दों में स्पष्ट की—(१) मैंने खुद सत्याग्रह आरम्भ ही नहीं किया, (२) इस सम्बन्ध में मुझे जो अधिकार और सेनापतिव्य दिया गया था उस का स्वारमा हो चुका है, (३) सत्याग्रह के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है, जो मौजूद नहीं है, (४) बुराई के प्रति अद्विसामक असहयोग का द्वार लोगों के लिए इसेशा खुला रहता है, (५) खोग जो कुछ कर चुके हैं उस के बारे में फैसला देने की जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर नहीं

वे सकता, (६) मैं लोगों को भविष्य में हिंसा न करने की चेतावनी देना चाहता हूँ, (७) मैं राष्ट्रीय मांग में कुछ भी कमी नहीं करना चाहता और (८) राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बिना दूरे लोगों में भी सहयोग सम्भव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार ही राजनीतिक व गैर-राजनीतिक लोगों में सहयोग प्राप्त कर सकती है। गांधीजी ने ये विचार महाराष्ट्र-प्रतिनिधियों के आगे पूना में प्रकट किये थे। गांधीजी के इस भाषण को लाड' वेवल के २२ जूनवाले उस पत्र का जवाब कहा जा सकता है। जो उन्होंने गांधीजी के १७ जून वाले पत्र के उत्तर में लिखा था। इसी समय १६४२ में भारतीय शासन विभान में एक महापूर्ण संशोधन हुआ, जिसके अनुसार वाहसराय और गवर्नर-जनरल अपने पांच वर्ष के काल में एक से अधिक बार छुट्टी के सकते थे, जब कि पहले वे सिर्फ एक ही बार छुट्टी के सकते थे।

गांधीजी की रिहाई को पांच सप्ताह हो दुके थे। संसार यह जानने को उत्सुक था कि गांधीजी राजनीतिक अङ्गों को दूर करने की क्या तरकीब निकालते हैं या वे ऐसी क्या बात कहते हैं, जिस से सुबह की बातें शुरू होने का रास्ता साफ हो। ६ जुलाई १९४४ को यही हुआ। अपने 'न्यूज कानिकल' के प्रतिनिधि मिठो गेल्डर को एक वक्तव्य प्रकाशित होने के लिए नहीं बल्कि वाहसराय तक पहुँचाने के लिए दिया। अपनी इस मुलाकात में, जिस का विवरण समय से पहले ही 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हो गया था, गांधीजी ने कहा:—

“अभी सत्याग्रह छेड़ने का मेरा कोई हारादा नहीं है। हतिहास फिर नहीं दोहराया जा सकता। यदि कांग्रेस के आदेश के बिना हा सर्वाधारण पर अपने प्रभाव के कारण मैं सत्याग्रह आरम्भ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ; किन्तु मेरे लिए ऐसा करना विटिश सरकार को परेशानी में डाल देगा और यह मेरा ध्येय कमी नहीं हो सकता।”

गांधीजी ने यह भी कहा कि १९४२ में जो कुछ मैं ने करने को कहा था वही करने को मैं आज नहीं कह सकता। आज भारत ऐसा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से संतुष्ट हो जायगा, जिस का गैर-सैनिक शासन-प्रबंध पर पूरा नियंत्रण रहे। १९४२ में यह स्थिति नहीं थी। गांधीजी ने यह भी कहा:—

“१९४२ में सरकार ने जिस स्थल पर हस्तचेप किया था वही से स्थिति को मैं फिर से हाथ में लेना चाहता हूँ। पहले तो मैं बातचीत करना चाहता था और इस में सफलता न मिलने पर आवश्यक होने पर मैं सत्याग्रह करना चाहता था। मैं वाहसराय से अनुनय करना चाहता था। अब यह कार्य मैं कार्य-समिति के विचार जानने पर ही कर सकता हूँ।”

मिठो गेल्डर के साथ हुई मुलाकात का विवरण प्रकाशित होने के सम्बन्ध में गांधीजी ने कहा:—

“मैंने तीन दिन में कुछ मिला कर मिठो गेल्डर के साथ तीन घंटे ब्यतीत किये और प्रयत्न किया कि वे मेरे विचारों को पूरी तरह जान लें। मेरा विश्वास था और अब भी है कि जिस तरह वे, अपने देश से प्रेम करते हैं उसी तरह भारत के भी हितेष्वार्ह हैं। इसीलिए जब उन्होंने मेरे कहा कि वे सुझ से सिर्फ एक पत्रकार के ही रूप में महों बल्कि राजनीतिक अङ्गों को समाप्त करने के हच्छुक के रूप में मिलने आये हैं, तो मैं ने उनका विश्वास किया। जहां एक तरफ मैं ने उन्हें अपने विचारों से स्वच्छदंतापूर्वक अवगत किया बहां दूसरा तरफ उनसे यह भी कहा कि उनका पहला कार्य दिल्ली जा कर वाहसराय से मिलना और यहां की बातें उन्हें बताना है। जूँकि वाहसराय से मिलने में मुझे सफलता नहीं मिली थी इसलिए मैं ने सोचा कि इंग्लैण्ड के

एक प्रमुख पत्र के प्रतिनिधि की हैसियत से शायद मिठो गेल्डर वह सुविधा प्राप्त कर सक। इसलिए मेरे विचार से मुलाकातों के विवरणों का संक्षेप प्रकाशित होना उचित नहीं हुआ। इसलिए मैं आप को मुलाकातों के दो विवरण देता हूँ।”

गांधीजी ने दोनों मुलाकातों के अधिकारपूर्ण विवरण देने के उपरान्त कहा:—

“इन मुलाकातों में मैंने हिन्दू के रूप में कुछ नहीं कहा है। यह सब मैंने एक हिन्दुस्तानी और सिर्फ हिन्दुस्तानी ही की हैसियत से कहा है। हिन्दू धर्म भी मेरा अपना अज्ञग है। मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह है कि उसमें सभी धर्मों का सार निहित है। इसलिए हिन्दुओं के प्रतिनिधि के रूप में कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं है। सर्वसाधारण की विचारधारा से मैं परिचित हूँ और सर्वसाधारण भी स्वभावतः मुझे जानते हैं। पर यह मैं अपनी बात की पुष्टि के विचार से नहीं कह रहा हूँ।

“जिस रूप में सत्याग्रह को मैं जानता हूँ उस के प्रतिनिधि के रूप में मेरे विचार में एक संवेदनशील अंग्रेज के आगे अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करना मेरा कर्तव्य ही था। अपने विचारों को इससे अधिक अविचारपूर्ण रूप देने का मैं दावा नहीं करता। आप को मैं ने जो दो वक्तव्य दिये हैं उस के प्रत्येक शब्द को मानने के लिए आप मुझे माझ्य कर सकते हैं, किन्तु मैं ने जो कुछ भी कहा है वह मैं ने सिर्फ अपनी ही तरफ से कहा है; किसी और की तरफ से नहीं।”

मौसम बुरा होने के कारण पत्रकारों से मुलाकात के समय गांधीजी लगातार गढ़े पर पढ़े रहे। गांधीजी ने कहा कि पंचानना में मैं अपनी तन्दुरुस्ती सुधार रहा हूँ।

गांधीजी ने आगे कहा—“इस से पहले जो मैं आप से नहीं मिला, इस का कारण मेरा स्वास्थ्य भी था। मैं जल्दी से अच्छा होकर काम शुरू कर देना चाहता हूँ। परन्तु परिस्थिति ऐसी हो रही है कि शायद कुछ समय तक मैं अपनी इच्छा पूरी न कर सकूँ। अब ये दोनों वक्तव्य जनता के सामने हैं और मुझे उनका प्रतिक्रिया देखना है और गजतफहमियों को दूर करना है। वक्तव्यों की आलोचनाओं का जवाब देसकने की मुझे आशा नहीं है, किन्तु गजत-फहमियों को तो दूर करना ही पड़ेगा।

गांधीजी के दोनों वक्तव्यों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(१) वे कांग्रेस-कार्य-समिति की सज्जाह के बिना कुछ नहीं कर सकते।

(२) यदि वे वाइसराय से मिलेंगे तो उन से कहेंगे कि इस मुलाकात का उद्देश्य मित्रराष्ट्रों के युद्ध-प्रयत्न में बाधा डालना न हा कर उसमें सहायता पहुँचाना ही होगा।

(३) उन का सत्याग्रह शुरू करने का इरादा बिलकुल भी नहीं है। इतिहास कभी दुहराया नहीं जा सकता। और वे देश को फिर १९४२ की स्थिति में नहीं रख सकते।

(४) पिछले दो वर्ष में दुनिया आगे बढ़ी है, इसलिए पर्याप्ति की फिर से समीक्षा करनी पड़ेगी।

(५) नवी परिस्थिरत में गांधीजी गैर-सैनिक शासन पर पूरा नियंत्रण रखनेवाली राष्ट्रीय सरकार से ही संतुष्ट हो जायेंगे।

(६) यदि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई तो गांधीजी उसमें भाग लेने के लिए कांग्रेस को सज्जाह देंगे।

(७) स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद वे कांग्रेस को सलाह देना बंद कर देंगे।

गांधीजी का अगला कार्य तोड़-फोड़ व गुप्त कार्रवाई की निन्दा करनाथा। उन्होंने समाचार-पत्रों में वक्तव्य प्रकाशित करके तोड़-फोड़ की निन्दा की और कहा कि यह हिंसा है और इसने कांग्रेस के आनंदोलन को हानि पहुँचायी है। गांधीजी ने कार्यकर्ताओं को रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करने की सलाह दी और इस सिलसिले में १४ बातों का इवाज़ा दिया।

गांधीजी ने कहा, “यदि आप मेरे इस विचार से सहमत हैं कि गुप्त कार्रवाई से अहिंसात्मक भावना की वृद्धि नहीं होती तो आप प्रकट हो कर जेल जाने का खतरा उठावेंगे और इस प्रकार स्वाधीनता के आनंदोलन को आगे बढ़ावेंगे।

“मुझ से मिलने जो लोग आने हैं वे सब से अधिक इसी समस्या पर बात करते हैं कि मैं गुप्त कार्रवाई का समर्थन करता हूँ या नहीं। इस गुप्त कार्रवाई में तोड़फोड़ के कार्य, नाजायज पत्तों का प्रकाशन वगैरह सभी बातें सम्मिलित हैं। मुझ से कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं के गुप्त हुए बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जायदाद की बर्बादी को, जिस में यातायात-सम्बन्धों का तोड़फोड़ भी शामिल है, अहिंसात्मक ही कहा जायगा—यदि मनुष्यों की जानें जाने का खतरा न हो। इस बात की नजीरें भी दी गयी हैं कि दूसरे कितने ही मुल्क इस से भी बुरे काम कर चुके हैं। मेरा जवाब यह होता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज तक किसी राष्ट्र ने सत्य और अहिंसा से स्वाधीनता-प्राप्ति के साधन के रूप में काम नहीं किया। इस दृष्टिकोण से देखने पर मैं बिना किसी हिचकिचाइट के कह सकता हूँ कि गुप्त कार्य, वाहे जितने निर्देश कर्यों न हों, अहिंसात्मक संग्राम में उनके लिए स्थान नहीं है।

“तोड़फोड़ वगैरह, जिसमें जायदाद की बर्बादी भी शामिल है, साफ तौर पर हिंसा है। वाहे इन कार्यों से लोगों की कल्पना कुछ जाप्रत हो उठी हो और उस में कुछ जोश भी उखल पड़ा हो, फिर भी सब-कुछ मिला कर इससे आनंदोलन को हानि ही पहुँची है।

“मैं तो रचनात्मक कार्यक्रम का हासी हूँ”—और इसके बाद गांधीजी ने बताया कि इस कार्यक्रम में क्या-क्या बातें शामिल हैं।

गांधीजी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि ब्रिटेन भारत की स्वाधीनता की घोषणा कर दे तो वे कार्य-समिति को बद्धइवाले प्रस्ताव के उस भाग को वापस लेने की सलाह देंगे, जिस में दंडात्मक कार्रवाई का हवाला है, और साथ ही उससे युद्ध-प्रयत्नों में नैतिक व आर्थिक सहायता करने का भी अनुरोध करेंगे। गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे सुदूर युद्ध-प्रयत्न में किसी प्रकार की बाधा न डालेंगे। गांधीजी ने इसके बाद बताया कि यदि युद्ध-वेत्र में २००० टन गोली-गोले भेजने और दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों में २००० टन भोजन भेजने का सवाल उठा तो वे इनमें से किसे तरजीह देंगे और ऐसी परिस्थिति उठने पर कार्य समिति को क्या सलाह देंगे?

महान् घटनाओं और महान् व्यक्तियों का जन्म एक साथ होता है। गांधीजी ने फरवरी-मार्च, १९४३ के अन्धशन के दिनों में जब साम्प्रदायिक समस्या के बारे में लोग के कुछ सुझावों पर अपनी मंजूरी दी थी तो उन्हें इस बात का गुमान भी न था कि इन सुझावों में से एक कुछ नवी बातों के साथ स्फुर्त गोल्डर की मुलाकात के साथ ही प्रकाशित होगा। गांधीजी ने कहा कि दोनों घटनाएं एक साथ-सिर्फ संयोगशक्ति हुईं, और यह नहोंने ठोक ही कहा था। परन्तु ये दोनों द्वी घटनाएं एक साथ जिस रूप में हुईं उसे ऐतिहासिक आवश्यकता कहा जा सकता है। इधर

धी राजगोल्खाचारी गांधीजी की रिहाई के बाद जून १९४४ में कुछ देरी से उमसे मिलने पहुँचे थे, उधर स्टुअर्ट गेल्डर उतने ही अप्रत्याशित रूप से जुलाई के प्रथम सप्ताह में संचानी पहुँचे थे। किर भी वे प्रायः एक साथ ही गांधीजी के सम्पर्क में आये थे। जहां एक ने साम्राज्यिक समस्या के निवटारे के प्रस्तावों की सूचना जनता को दी थी वहां दूसरे ने राजनीतिक गतिरोध दूर करने के प्रस्तावों को अधिकारियों तक पहुँचाया था। वे दो पृथक् घटनाएँ जान पड़ती हैं, किन्तु वे प्रकृति के निर्जीव करिश्मे के समान न होकर जीवित तथ्य के ही समान थीं। वे समुद्र में जल और मछली की तरह या डर्कि में उसके मस्तिष्क और प्राणों की तरह एक साथ हुईं और साथ ही आगे बढ़ीं। वे चाहे असम्बद्ध घटनाएँ ही जान पड़ती हों, किन्तु एक साथ घटित होने के कारण ही वे भविष्य और इतिहास का निर्माण कर सकीं। इनका होना आश्र्य की बात अवश्य थी, किन्तु इसका ऐसे व्यक्तियों-द्वारा होना, जिन्हें संसार अतीत की स्मृतियां मानकर छोड़ चुका था—इस बात का प्रमाण था कि मानवीय घटनाओं में रहस्यपूर्ण शक्तियों का हाथ रहता है। सर अल्फ्रेड वाटसन जैसे लोगों को क्या कहा जाय जो महण के समय सूर्य को देखकर समझने लगते हैं कि उसकी चमक और प्रकाश सदा के लिए चले गये। २० जुलाई को महण के समय कौन कह सकता था कि संसार में फिर प्रकाश न होगा। परन्तु ब्रिटेन के एक अङ्गात से पत्र 'ग्रेट ब्रिटेन ऐण्ड ईस्ट' के सम्पादक में यह कहने की जुरत हुई कि गांधीजी का प्रभाव घटने लगा है, वे मुकाकात करनेवाले पत्रकारों के पीछे भागने लगे हैं और अपना नाम फिर से जनता के सामने लाने को उत्सुक हैं। स्टुअर्ट गेल्डर गांधीजी को फिर प्रकाश में ले आये और कुछ समय तक छिपे रहने के बाद २० जुलाई के सूर्य की ही तरह ही फिर अपने प्रकाश से भूमण्डल को आलोकित करने लगे। क्या सर अल्फ्रेड वाटसन का ख्याल था कि आगाखां महज में २१ महीने तक ग्रासित रहने के बाद गांधीजी के मस्तिष्क पर पर्दा पड़ जायगा या उनकी कल्पना-शक्ति कुंठित हो जायगी? नहीं। गांधीजी ने अपने अंतर में उठती हुई उचाला का, जिसमें उनकी बुद्धि तप कर और भी प्रखर उठी थी—परिचय बीमारी और तुरे मौसम के बावजूद पत्रकारों से हुई अपनी मुकाकातों के बीच दिया। उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिये कि नौकरशाही परेशान हो उठी और बाह्य-सराय, भास्तमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री दुविधा में पड़ गये। अब उनसे न तो निगलते ही बनता था और न डगलते ही। स्टुअर्ट गेल्डर ने १८ जुलाई के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में एक लेख लिख कर सर अल्फ्रेड वाटसन के आरोपों का खंडन किया।

थोड़े में यही कहना काफी होगा कि जब गांधीजी २१ महीने के कारावास और शोक से पीड़ित होकर बाहर आये तो भारत के आकाश में मध्याह्न के सूर्य की भाँति चमकने लगे और दूटनेवाले तारों की तरह एक के बाद एक वक्तव्य निकालने लगे। वे जो कुछ कहते थे, स्वर्ग से उतरे देवता के प्रकाश के समान होता था। वास्तव में उनके मुँह से उस समय ईश्वर का आदेश निकल रहा था। उनकी बातें प्रेरणायुक्त थीं और कार्य ऐसे अप्रत्याशित और अचरज-भरे हो रहे थे कि उन्हें भावहीन समझेवाले आज्ञोचक हक्का-बक्का होने लगे थे। वस एक ही डान में राजनीति, सदाचार और अर्थशास्त्र के जेत्रों में बे चरम शिल्प पर पहुँच गये। जो समस्याएँ उनके समर्थकों और विरोधियों को समान रूप से चक्र में ढाले हुए थीं, उन पर वे एक-एक करके रोशनी ढालने लगे। पाकिस्तान-समस्या पर प्रस्तावित गुर का समर्थन करके उन्होंने सब को हैरत में डाल दिया। ब्रिटेन की जिस महान् शक्ति ने गांधी की सुटी भर हड्डियों को बंधन में ज़फ़र कर और सूख्य के मुँह तक पहुँचा कर उसके मानसिक चक्र पर विजय पाना चाहा

या उसी को उन्होंने चुनौती दी। चर्चिल ने गांधीवाद को दफनाने का बीड़ा उठाया था। एमरी ने गांधी की तुलना महान् घड़यंगी फादर जो सेक से की थी। पर चर्चिल या एमरी में से एक भी आगाखां महल में २१ महीने रखने के बाद भी गांधीजी की आत्मा पर विजय न पा सका। जिस तरह कि एक योगी चार महीने तक भूमि के नीचे समाधि में रहने के बाद जीवित और अधिक दिल्ली रवृप्र प्राप्त करके निवलता है उसी तरह गांधीजी आपनी पूनावाली समाधि से, जिसमें उनका सम्पर्क बाहरवालों से बिलकुल न था, नयी शक्ति और नयी विचारधारा लेकर निकले। अब उनकी बौद्धिक जागरूकता तथा आधारितिक विवेक पहले से कहीं अधिक था। आज किसी ब्रिटिश पत्रकार ने, तो बल किसी प्रान्तीय मन्त्री ने, अभी सिल्ह लीग ने तो कुछ देर बाद हिन्दू महासभा ने, एक समय सुरिलम पत्रों ने तो दूसरे समय लंदन के 'टाइम्स' अथवा भारत के ही किसी प्रतिक्रियावादी पत्र ने हमले किये और इस प्रकार होनेवाले हमलों का कोई अंत न था। गांधीजी ने विसी को भीठी फटकार सुनायी, तो विसी को मुंहसोड जवाब-द्वारा चुप किया, किसी को कानूनी तर्क-द्वारा हराया तो किसी को पिता की तरह ढाट कर शान्त किया। श्री राजगांपालाचार्य के प्रस्तावों का समर्थन करते समय भी गांधीजी को भारत की अखंडता का ख्याल था, क्योंकि रक्षा व्यापार, यातायात तथा अन्य महत्वपूर्ण बाबों के लिए दंगों संघों के मध्य समझौता होने की शर्त वे पहले ही रख चुके थे। इस हालत में भी केन्द्रीय सरकार का अस्तित्व था ही। सिर्फ प्रोफेसर कूपलेंड की तरह पाकिस्तान को छोटा प्रदेश और हिन्दुस्तान को एक बड़ा प्रदेश माना गया था। कुछ लोगों ने कहा कि राजनीतिक अमझा दूर करने के लिए गांधीजी ने जो प्रस्ताव किये वे क्रिप्स-प्रस्ताव ही तो थे। इन लोगों को गांधीजी ने उत्तर दिया कि तब तो ये सरकार को जरूर स्वीकार कर लेने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि गांधीजी ने अपने नये सुमाव के द्वारा सर स्टेफर्ड वाला बैठवारे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जब कि १९४४ में दसी के कारण उन्होंने क्रिप्स-योजना को ठुकरा दिया था। गांधीजी ने तुरन्त कहा कि मेरे नये सुमाव में रियासतों को शामिल नहीं किया गया है, किन्तु क्रिप्स-योजना में रियासतों का भी जिक्र था। गांधीजी ने कहा कि बम्बई के प्रस्ताव के द्वारा मिले मेरे अधिकार का गोंकि खात्मा हो चुका है फिर भी सुझे कांग्रेसजनों को शान्तिपूर्ण कार्य करने की सलाह देने का अधिकार अभी तक है, जो वे बम्बईवाले प्रस्ताव से पूर्व करने को आजाद है। गांधीजी ने सब से मनोरंजक उत्तर सिंध के गृह-मन्त्री श्री गजदर को दिया, जिन्होंने गांधीजी पर विनाशकारी कार्य को उकसाने या करने का आरोप लगाया था। इस घटना को भी सुनिये।

जब कि एक तरफ गांधीजी भारत को स्वाधीनता की तरफ अग्रसर करने के प्रयत्नों में जागे थे, सिंध की प्रान्तीय अमेझबली में प्रान्त के गृहमन्त्री ने असेंबली की बैठक में उसके एक सदस्य को भाग न लेने देने के सम्बन्ध में सरकारी कार्रवाई की सफाई देते हुए कहा—“हमारी जानकारी तो यह है कि महात्मा गांधी की रिहाई के समय से यह विनाशकारी आन्दोलन भारत भर में फिर से आरम्भ कर दिया गया है और प्रमुख घटकि फिर से उसका नेतृत्व करने जूते हैं।” इस सम्बन्ध में भी गजदर ने मेरिअर रोड डैकैटी-केस के तीन विचाराधीन कैदियों के भाग जाने का हवाला दिया। गांधीजी ने इस कथन का लंडन करते हुए कहा कि ‘‘मेरी रिहाई के समय से मुझे जो बातें ज्ञात हुई हैं उनसे परिस्थिति बिलकुल उच्चटी ही जान पड़ी है।’’ आपने यह भी कहा कि अपनी रिहाई के समय से मैं ज्ञातार यही प्रकट करने का प्रयत्न करता रहा हूँ कि मैं

तोड़-फोड़ के कार्यों के विरुद्ध हूँ। आपने यह किर सोहराया कि मुझे सत्याग्रह आनंदोलन छेड़ने का अवसर ही नहीं मिला और अदिल भारतीय वैडेस कमेटी ने आनंदोलन के नेतृत्व के लिए मुझे जो अधिकार दिया था वह मेरे गिरफ्तार होते ही समाप्त हो गया और स्वास्थ्य के कारणों से रिहाई के बाद भी मैं अपने उस अधिकार को फिर से काम में नहीं ला सकता। इस आधार पर गांधीजी ने कहा कि यदि सत्याग्रह को विनाशकारी आनंदोलन कहा भी जाय,—जिससे मैं हम्कार करता हूँ—तो भी कांग्रेस की तरफ से वह आनंदोलन अब कोई कर नहीं सकता। साथ ही गांधीजी ने यह भी कहा कि प्रतिबन्धों के बावजूद साधारण शान्तिपूर्ण कार्य अवश्य जारी रखे जायें। आपने आशा प्रकट की कि अगस्त, १९४२ से पहले जिन कार्यों पर कोई पाबन्दी न थी, उन्हें करने पर सरकार को कोई आपत्ति न होगी। साथ ही गांधीजी ने जनता से यह भी कहा कि तोड़-फोड़ की कार्रवाई न की जाय, उस कार्यों को रोक दिया जाय और उनके बौद्ध सूचों वाले रचनात्मक कार्यक्रम पर संजीदगी से अमल किया जाय।

ब्रिटिश समाचारपत्रों के भारतीय प्रतिनिधि “इस वृद्ध और परेशान व्यक्ति को”—जैसा कि गांधीजी को उस समय एडवर्ड थाम्पसन ने बताया था—अनेक प्रकार के कुतर्क निकाल कर तंग करने लगे। अगर गांधीजी कांग्रेस की तरफ से कुछ कहते थे तो उन्हें तानाशाह के रूप में बदनाम किया जाता था। यदि वे लोकतत्वावादी तर्क की शरण लेते थे कि जब तक उन्हें अपने साथियों से सलाह न करने दिया जायगा तब तक वे खिर अपनी ही तरफ से विचार प्रकट कर सकते हैं, तो उनकी उल्लिखियों को व्यर्थ बताया जाता था और कहा जाता था कि वे राजनीति की एक चाल बल रहे हैं। यदि सरकार कहती थी कि भारत को स्वाधीनता युद्ध समाप्त होने पर मिलेगी तो उन्हें कुछ भी आपत्ति न थी, पर जब गांधीजी कहते थे कि पाकिस्तान युद्ध समाप्त होने पर ही स्थापित हो सकता है, तो वे लोग नाक-भौं सिकोहते थे। भारतीय स्वाधीनता की बात जो इस शर्त के साथ कही जा रही थी कि पहले भारतीयों को एकमत होना चाहिए, उस पर भी उन्हें कोई आपत्ति न थी। इस सम्बन्ध में एडवर्ड थाम्पसन ने एक मनोरंजक कहानी खिलाई है।

‘भारत में हमारी उदारता के सम्बन्ध में एक उदाहरण मौजूद है, गोकिं उसे ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। जब बाल्टुर मारा गया तो मोन्स ने उसके लिए एक रिआयत यह की कि यदि दुनिया भर के जीव उसके लिए शोक करें तो उसे फिर प्राणदान कर दिया जायगा। यह रिआयत पूरी होने को थी कि कुछ ही कसर रह गयी। दुनिया भर की छानबीन करने पर हुएरामा व्यक्ति मिल ही गया, जिसने इस सार्वजनिक शोक में शामिल होने से साफ हम्कार कर दिया।’

भारत के लिए शासन की सर्वोत्तम प्रणाली के सम्बन्ध में डा० जान्सन के निम्न शब्द मनोरंजक हैं—“दूर के सभी अधिकार तुम होते हैं। मेरे विचार में भारत के लिए निरंकुश शासक होना ही अच्छा है। यदि वह अच्छा आइसी हुआ तो शासन भी अच्छा होगा और यदि वह दुर हुआ तो कई लुटेरों की अपेक्षा एक लुटेरा होना अच्छा है। एक देसा शासक, जिसके अधिकारों पर प्रतिबन्ध है, दूसरों को भी लूटने देता है ताकि खुद उसकी अपनी लूटमार का रास्ता लुक सके, किन्तु निरंकुश शासक जितना ही दूसरों को लूटने का मौका देता है उसना ही उसका अपना लाभ उठाने का क्षेत्र सीमित होता है। इसलिए यह उसे रोकता है।” (‘वाल्टेर का भारत’—अप्रैल-जून, १९४४ के अंक में अलेक्स आरंसन के लेख से।)

जुलाई, १९४४ में ब्रिटिश पार्लिमेंट में भारत-सम्बन्धी एक बहस हुई थी। लार्ड व

कामंस की इन बहसों पर हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि उनमें वही पुराने विचार, वही पुरानी खुशामद भरी बातें, वही पुरानी क्रिप्स-योजना और अत्यपसंख्यकों के अधिकारों पर वही पहले की तरह जोर दिया गया है। सिर्फ प्रतावक मिं० पेथिक-लारेंस के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने एक पिछले भाषण में ऐसी को अपने पद से हटाये जाने की माँग की थी, क्योंकि मिं० पेथिक लारेंस का कहना था कि उन्होंने अपने भाषण में न तो कोई चिदाने वाली बात कही और न कोई भाव ही जोरदार शब्दों में प्रवक्त किया। वास्तव में देखा जाय तो बहस की बातें पहले से तथ्य थीं।

जब कि जनता एक तरफ गांधी-जिन्ना फिलन की तरफ आंखें लगाये बैठी थीं, एकाएक जुलाई और अगस्त के महीनों में गांधी-वेवल पत्र-व्यवहार प्रकाशित हो गया। उससे प्रकट हुआ कि लार्ड वेवल गांधीजी का अपने से या कार्यसमिति से फिलने का अनुरोध तीन बार अस्वीकार कर चुके हैं। सध्य ही वाइसराय ने भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध में विटिश सरकार के दृष्टिकोण का भी स्पष्ट करण कर दिया था। उनका कथन स्पष्ट था। उसमें क्रिप्स-योजना को दोहराया गया था और साथ ही 'दूसरे अत्यपसंख्यकों' को संतुष्ट करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था और इन दूसरे अत्यपसंख्यकों के सध्य लार्ड वेवल ने दलित वर्ग को शामिल किया था। ऐसा किये विना युद्धकाल में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं हो सकती। कम-से-कम एक बात तो स्पष्ट होती ही थी और वह यह कि क्रिप्स-योजना के अनुसार स्थापित राष्ट्रीय सरकार की अपेक्षा गांधीजी और मिं० जिन्ना में हुए समझौते के परिणामस्वरूप स्थापित होने वाली संयुक्त सरकार के मिल जुलकर कार्य करने की सम्भावना अधिक थी, क्योंकि युद्धकाल में स्थापित की जाने वाली ऐसी सरकार के सदस्यों के विचार समान होते और एक-दूसरे के प्रति उनकी सद्भावना भी अधिक होती। १९४२ की योजना के अनुसार बनायी जाने वाली सरकार की तुलना में परस्पर सहयोग के द्वारा काम करने वाली इस सरकार के द्वारा ऐसी परम्पराएँ भी कायम करने की सम्भावनाएँ अधिक थीं, जिनके परिणामस्वरूप गवर्नर-जनरल के अधिकार सीमत हो जाते और वह विधान के अंतर्गत रह कर कार्य करने वाला शासक बन जाता। विटिश सरकार तथा वाइसराय के अगे भी ये स्थितियां वर्तमान थीं और युद्ध परिस्थिति में हुए परिवर्तन के अलावा साम्प्रदायिक सम्बन्धों में होने वाले इन परिवर्तनों से राष्ट्रीय उद्देश्य ही अग्रसर नहीं होता बल्कि भारत की राष्ट्रीय सकता की भी प्रगति हो सकती। इस तरह यह भी कहा जा सकता है कि सरकार सिर्फ कांग्रेस और लीग के ही सध्य समझौते का प्रश्न नहीं उठा रही थी, जैसा कि सर स्टेफँड क्रिप्स ने कहा था और जैसा कि युद्ध लार्ड वेवल ने केन्द्रीय धारा-सभाओं के संयुक्त अधिवेशन वाले भाषण में १७ फरवरी, १९४४ को फरमाया था, किन्तु अब वाइसराय ही ने युद्धकाल में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए दलित जातियों से समझौता करने की एक और शर्त उपस्थित की। इसके उत्तर में गांधीजी ने कहा कि वाइसराय इस तरह की न जाने कितनी और भी शर्तें उपस्थित कर सकते हैं। सितम्बर १९४३ में एक सभा में भाषण देते हुए लार्ड वेवल ने अन्य दो बातों के अलावा तीसरा स्थान गतिरोध दूर करने को भी दिया था, किन्तु भारत पहुंचने और यहां १० महीने व्यतीत करने के बाद उनकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो गया और उनके बाजीगर के पिटारे से अड़ंगा दूर करने की नयी बाधाएँ निकलने लगीं। यह सिर्फ निराश करने वाली ही नहीं, बल्कि कुछ खीज उत्पन्न करने वाली बात थी।

इसके अलावा, लार्ड वेवल के १५ अगस्त, १९४४ वाले पत्र में राष्ट्रीय सरकार स्थापित

करने की उन्हीं शर्तों को दोहरा दिया गया था, जिन्हें क्रिप्स-प्रस्तावों के साथ उपस्थित किया गया था। कुछ लोगों ने वाहसराय के पत्र की यह आलोचना भी की है कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार के सैनिक व गैर-सैनिक विभागों व कार्यों के अच्छादा करने की एक नई कठिनाई पेश की थी जबकि सर स्टेफँड' ने ऐसी कोई कठिनाई ही पेश नहीं की थी, बल्कि गैर-सैनिक कार्यों को शासन-परिषद् के सदस्यों के अधिकारत्वे के अंतर्गत लाने तक का आयोजना किया था और प्रधान सेनापति के जिम्मे सिर्फ सैनिक कार्य ही किये गये थे। किन्तु वास्तव में लार्ड'वेवल ने राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के जिम्मे ये गैर-सैनिक कार्य करने से इनकार नहीं किया था, पर हमें स्मरण रखना चाहिए कि गांधीजी की मांग कुछ कांग्रेसी, लोगी तथा अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के वाहसराय की शासन-परिषद् में नियुक्त करने की ही न थी, बल्कि वे तो गैर-सैनिक कार्यों के सम्बन्ध में इन्हें व्यवस्थापिक सभा के निर्वाचिते सदस्यों के प्रति जिम्मेदार करना चाहते थे। व्यवस्थापिक परिषद् को जिम्मेदारी देने के उद्देश्य से सैनिक व गैर-सैनिक विभागों के पृथक्करण की बात तो क्रिप्स-योजना तक में नहीं थी। दूसरे शब्दों में गांधीजी की मांग केन्द्र में द्वौध शासन की थी, जिसमें गैरसैनिक विभाग हस्तांतरित होकर केन्द्रीय धारा सभाके जिम्मेदारी के तंत्र में चले जाते और सैन्य विभाग उसी तरह सुरक्षित रहते, जिस तरह मॉटफोर्ड' सुधारों के अंतर्गत प्रान्तों में मालवुजारी और अमन व कानून के विभागों को सुरक्षित रखा गया था।

लार्ड'वेवल के पत्र की जिस दूसरी बात की कड़ी आलोचना की गयी वह यह बात थी कि उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए यह शर्त लगा दी थी कि पहले विभिन्न दलों तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के मध्य भावी विधान बनाने के तरीकों के सम्बन्ध में समझौता हो जाना चाहिए। यह मांग मूल्यतापूर्ण जान पड़ती थी, क्योंकि विधान का निर्माण तो बाद में जा कर एक ऐसी विधान-परिषद्-द्वारा होना था, जिसका तुनाव विभिन्न प्रान्तीय धारा-सभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा होता। फिर यह मांग पहले ही से कैसे की जा सकती थी कि जिस सिद्धान्त के आधार पर विधान-परिषद् विधान बनायेगा उसके विषय में पहले ही से समझौता कर जिया जाय। परन्तु यह सुकाव वास्तव में उतना उल्टा नहीं था जितना जान पड़ता था। मतलब यह था कि समस्या की कुछ व्यापक बातों के सम्बन्ध में समझौता होजाय और इन बातों की चर्चा क्रिप्स-प्रस्तावों के समय भी हुई थी। क्रिप्स-प्रस्तावों के अंतर्गत विधान-परिषद् को विधान तैयार करने का अधिकार हस शर्त के साथ दिया गया था कि कोई प्रान्त यदि चाहे तो संघ में शामिल होने से इनकार कर सकेगा। दूसरी बात यह है, गोकि खुले लालों में कहा नहीं गया था, कि क्रिप्स-प्रस्तावों के अंतर्गत कोई रियासत चाहे विधान में समिक्षित होने या नहीं उनके साथ हुई संविधानों में नयी परिस्थिति को देखते हुए परिवर्तन करना आवश्यक होगा। हस प्रकार रियासतों को भी संघ में समिक्षित होने या न होने का अधिकार होगा। सर स्टेफँड' क्रिप्स इन सिद्धान्तों के—यदि इन्हें सिद्धान्त कहा जा सके—हासी थे। उनकी यह शर्त भी थी कि उनके प्रस्तावों को उनके पूरे रूप में ही स्वीकार किया जाय। सर स्टेफँड' क्रिप्स के ही प्रस्तावों को लार्ड'वेवल ने अपने पत्र में दोहराया था। यह लार्ड'वेवल की स्थिति थी, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने अपने १२ अगस्त १९४४ वाले पत्र में किया था। लार्ड'वेवल की स्थिति की इतनी सकाई है चक्कने के बाद हम सर स्टेफँड' क्रिप्स के प्रस्तावों की तरह लार्ड'वेवल की स्थिति के सम्बन्ध में भी किसी संशय में नहीं रह जाते। फिर भी भारत को पराधीन ही रहना था। भारतीयों को युद्ध-प्रयत्न में आजाद व्यक्तियों की तरह नहीं बल्कि गुलामों की तरह भाग लेना था। भारत को

आजादी सिर्फ आगे जाकर किलती थी और महात्मपूर्ण दलों तथा अल्पसंख्यकों से समझौता किये बिना उसका स्वभाव भी नहीं देखा जा सकता था। लार्ड लिनलिथगो ने अपने द अगस्ट, १९४१ के भाषण में इसके लिए हिन्दू महासभा को भी स्वीकृति प्रदान की थी। तीन वर्ष बाद लार्ड-वेवल ने दक्षित जाति वालों को स्वीकृति दी। इस प्रकार अल्पसंख्यक दलों की संख्या हर साल घटनी जा रही थी। अभी सिव्ह शेष थे। और कौन कह सकता है कि बाजीगर के पिटोरे से छेसाई, जैन, यहूदी, पारसी, अब्राहाम, मराठे, जाट, राजपूत, पठान और मात्वाही भी न निवाल पड़ें। इसीलिए गांधीजी ने अपनी निराशा और अपना खेद नीचे लिखे शब्दों में प्रकट किया:—

“यह बिलकुल साफ है कि जबतक देश की ४० करोड़ जनता ब्रिटिश सरकार के हाथों से सत्ता छीनने की ताबत अपने में नहीं देंदा बरती तब तक वह अपने आप उस शक्ति का त्याग नहीं करना चाहती। भारत यह नैतिक बल के आधार पर करेगा, इसकी आशा मैं कभी न छोड़ूँगा।”

गांधीजी ने यह नहीं कहा था कि नैतिक बल की अचूकता में उनका पूर्ण विश्वास है। वे तो सिर्फ अंग्रेजों के हाथ से शक्ति छीनने के लिए नैतिक शक्ति देंदा करने की आशा ही रखते थे।

इस बीच लार्ड वेवल का हरादा यह जान पड़ने लगा कि कांग्रेस या लीग को किप्स-प्रस्तावों के अनुसार राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का स्वभाव अब न देखना चाहिए। अब परिस्थिति बदल चुकी थी। १९४२ के मार्च और अप्रैल के महीनों में जापानियों के जिस हमले की सम्भावना पैदा हो गयी थी। उसकी आशङ्का अगस्त १९४४ तक बिलकुल नहीं रह गयी थी। लार्ड वेवल ने १२ अगस्त को अपना पत्र लिखा था और इसी दिन मिश्रारषीय सेना ने दक्षिण फ्रांस पर हमला किया था। १७ अगस्त को भारत की भूमि से जापानियों के बिलकुल बाहर किये जाने का समाचार छुपा था और १२ अगस्त को गांधीजी को पत्र लिखने से पूर्व लार्ड वेवल को यह समाचार अवश्य मिल गया होगा। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों को न तो भारत की सहायता की आवश्यकता ही रह गयी थी और न कांग्रेस अब सत्याग्रह कर सकने की ही स्थिति में थी। ऐसी हालत में कांग्रेस के युद्ध-प्रयत्न में भाग लेने की बात मजाक नहीं तो और क्या थी? लार्ड वेवल ने सोचा होगा कि अब कांग्रेस सहायता की जो बात कह रही है वह सहायता हो ही क्या सकती है और किर कांग्रेस ने सहायता का प्रस्ताव भी द्वृत देर से किया है। इसीलिए उन्होंने अपना पत्र बिलकुल नयी शैली में लिखा। यदि कांग्रेस और लीग अस्थायी सरकार स्थापित करने को उत्सुक हैं तो भावी विधान बनाने के तरीकों के बारे हिन्दू, मुसलमान तथा देश के अन्य दलों व वर्गों के बीच समझौता होने पर ऐसा किया जा सकता है।

यहां एक छूत ध्यान देने की है। अपने १७ फरवरी, १९४३ वाले भाषण में लार्ड वेवल ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए सिर्फ दो ही दलों, यानी हिन्दू और मुसलमानों के मध्य समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया था। परन्तु अब वे आगे बढ़ गये। ऊपर कहा जा चुका है कि समझौते की बात सर-स्टेफर्ड किप्स के प्रस्तावों को दोहाराने के अलावा और कुछ न थी। १९४२ और १९४४ की स्थितियों में अंतर सिर्फ दृतना था कि गोकि कांग्रेस और-निवेशिक स्वराजी वा प्रान्तों और रियासतों के संघ से अलग रहने के अधिकार को मानने के लिए तैयार न थी किर भी सर-स्टेफर्ड अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर करने को तैयार थे। कम-से-कम सर-स्टेफर्ड ने इस समस्या पर बातचीत भंग न की थी। यदि कांग्रेस

वाहसराय के विशेषाधिकार का प्रश्न न उठाती तो सर टेफँड क्रिप्स १९४२ में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना में कोई और बाधा न ढालते। परन्तु १९४४ में लार्ड वेवल योजना की भूमिका, उसका मुख्य अंश तथा उसकी शर्त वगैरह सभी कुछ एक साथ मंजूर कराना चाहते थे। नहीं, इससे भी कुछ ज्यादा ही। वे भावी विधान तैयार करने के तरीके के सम्बन्ध में मुख्य दबों के बीच समझौता भी चाहते थे। दो वर्ष के संघर्ष और कठों के बाद देश ने यही प्रगति की थी। यह विजित से एक विजेता की संधि, वसर्ही की पुनरावृत्ति, जमनी के विरुद्ध वैसीटार्ट की नीति ही थी, जो भारत के सैनिक वाहसराय लार्ड वेवल कांग्रेस और भारत पर थोपने की चेष्टा कर रहे थे।

लार्ड वेवल के १५ अगस्त १९४४ के पत्र को पढ़ने के बाद प्रश्न उठ सकता है कि उन्होंने अपने २२ जून वाले पत्र में “निश्चित और रचनात्मक नीति”, का सुझाव रखने का जो अनुरोध गांधीजी से किया था उस से उनका वया तात्पर्य था। ‘टाइम्स आफ इंडिया’ जैसे अधिगोरे पत्र ने, जो गांधीजी या कांग्रेस का कभी मित्र नहीं रहा है, कहा कि ‘न्यूज कॉनिकल’ के स्ट्राईट गेल्डर से मुलाकात में जिस योजना पर प्रकाश पढ़ा है उसे “निश्चित और रचनात्मक नीति” कहा जा सकता है? ‘स्टेट्समैन’ पत्र ने कांग्रेस के प्रति कभी रियायत नहीं की है। उसने भी कहा कि गांधीजी ने लार्ड वेवल से मुलाकात करने की जो अनुमति मांगी है वह उन्हें मिलनी चाहिए। लार्ड वेवल और एमरी दोनों ही ने गांधीजी के प्रस्ताव को ऐसा नहीं समझा कि उसके आधार पर बातचीत चलायी जा सके। इतना ही नहीं, लार्ड वेवल ने १५ अगस्त वाले अपने पत्र के प्रकाशित करने में अप्रत्याशित तेजी दिखायी और इस प्रकार गांधी-जिन्ना-वार्ता में बाधा ढालने का प्रयत्न किया। यही नहीं, लार्ड वेवल ने १७ फरवरी वाले भाषण में भावी विधान तैयार करने के लिए एक छोटी कमेटी नियुक्त करने का जो प्रस्ताव किया था, और जिसे १५ अगस्त वाले पत्र में दोहराया गया था, वह समय या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ठीक न था, क्योंकि यदि इस प्रकार की कोई समिति बनती तो उस में कौन लोग रखे जाते? ऐसे समय जब कि पाकिस्तान की रूपरेखा तैयार हो रही थी और जब कि देश के अन्य लेंगे में इस बढ़वारे के प्रस्ताव के कारण घृणकारण की प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ रही थीं तक एक गैर-सरकारी समिति की नियुक्ति और उसके कार्य-चेत्र के सम्बन्ध में किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचना भी सहज न था। इस के अलावा, यदि इस प्रकार की कंट्री समिति नियुक्ति की जाती और सफलता पूर्वक कार्य भी करती और बाद में इस कार्य को प्रान्तीय या केन्द्रीय चुनाव का विषय बनाया जाता और इसी आधार पर विधान-परिषद् का चुनाव भी लड़ा जाता तो वह कार्य निपटल ही सकता था। क्या विधान परिषद् का स्थान इस समिति को देना कभी भी उचित होता? नहीं कभी नहीं। यह प्रस्ताव करने का उद्देश्य कांग्रेस का ध्यान राष्ट्रीय सरकारी मांग से हटाने का था। सभी जगह विधान-परिषदों की स्थापना राष्ट्रीय या अस्थायी सरकारों की नियुक्ति के बाद हुई है और सभी जगह विधान परिषदों ही ने विभिन्न दबों तथा सम्प्रदायों के संघर्ष के परिणाम-स्वरूप उठने वाली समस्याओं को हल किया है। यह कहना कि इन फँगड़ों को पहले ही निबटा लिया जाय कार्यवाही से पहले ही परिणाम पर पहुँचने की चेष्टा के समान है, जिस प्रकार कि पुराने जमाने में जज लोग अपराधी के मामले पर विचार करने से पहले ही यह फैसला कर लेते थे, कि उसे किस पेह से लटका कर फँसी दी जायगी। यदि एक चण के लिए इस उल्टी कार्यवाही को किया भी जाय तो प्रश्न है कि उसे शुरू कौन करे—क्या कांग्रेस? पर कांग्रेस खुद एक

साम्राज्यिक दल के आकमणों का लक्ष्य रही है। लार्ड वेवल के यह पत्र लिखने के समय मुस्लिम ज़ीग के नेता मिं० जिन्ना को सरकार मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति कर चुकी थी। वह हिरिजनों के प्रतिनिधित्व डा० अम्बेदकर को मान चुकी थी, जो वास्तव में हिरिजनों के एक छोटे वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते थे। सर जोगेन्द्र पिंड पहले ही वाइसराय की शासन-प्रशिद में थे। बाद में हिन्दू महासभा को भी स्वीकृति मिली, जिसके अध्यक्ष श्री सावरकर हिन्दू राज्य की बात कर रहे थे। इस के अद्वाया रियासतें भी थीं जिन्हें १९३२ के विधान तथा १९४२ की किप्स योजना दोनों ही में मद्दत्तपूर्ण स्थान दिया गया था, किन्तु रियासतों का चेत्रफल सम्पूर्ण भारत का तिहाई होते हुए और उस की जनसंख्या सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का चौथा भाग होते हुए भी रियासती जनता को प्रतिनिधित्व दिल्ली ही नहीं दिया गया था। यदि गांधीजी शुरूआत करते तो यह मतलब था कि वे मिं० जिन्ना, डा० अम्बेदकर (प्राकृत इंडिया डिप्रेस्ट कलासेज असोसियेशन के अध्यक्ष की उपेक्षा करके) मास्टर तारासिंह, भी सावरकर, नवाब खोपाल तथा एंग्लो इंडियन कान्फरेंस तथा क्रिश्चियन कान्फरेंस के अध्यक्षों के साथ बैठ कर नये विधान के प्रत्येकों पर विचार करते। अभी पारसी पंचायत रह गयी है और उसके भी प्रतिनिधि को शामिल करना पड़ता। यह समिति या पारिषद ऐसे परस्पर विरोधी तथा असमान समूहों की एक जमात होती, जो लार्ड लिनिकियगो, एमरी व लार्ड वेवल के भौगोलिक एकता सम्बन्धीय उपदेशों के बावजूद राष्ट्रीयता-विरोधी तथा संघुचित साम्राज्यिकता की विचारधारा में फलते हुड़ने रहे हैं। यदि लार्ड वेवल विभिन्न दलों से राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए समझौता करने की कहते तो बात कुछ और थी। इस हाज़त में समझौता न होने पर पंचायती फैलते की बात भी सोची जा सकती थी। परन्तु वाइसराय तो बहुत पीछे चले गये और उन्होंने उस एकता की मांग की, जिस के कारण सर स्टेफर्ड किप्स को भारत आना पड़ा था। लेकिन यह मांग कहते समय वाइसराय ने यह अनुभग नहीं किया कि भौगोलिक और राष्ट्रीय एकता का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

लार्ड वेवल ने गांधीजी को जो कुछ लिखा उसकी यहाँ एक बार फिर सम्चार करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने २७ जुलाई वाले पत्र में लिखा था कि ब्रिटिश सरकार ने किप्स-योजना के साथ कुछ शर्तें लगाई थीं, जिनमें उद्देश्य जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों, दलितजातियों और रियासतों के हितों की रक्षा करना था। इन शर्तों के पूरी होने पर ही ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं को अंतःकालीन सरकार में, मौजूदा विधान के अंतर्गत बनाई जायगी, भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगी। इस के बाद वाइसराय ने कहा कि सरकारी सैनिक व गैर-सैनिक जिम्मेदारी अविभाग्य है। वाइसराय के इस वक़बत की तुलना सर स्टेफर्ड किप्स-द्वारा अपनी योजना की स्थाप्ता से करना मनोरंजक होगा, जो उन्होंने अपने ३० मार्च, १९४२ के ब्राइकास्ट भाषण में की थी। सर स्टेफर्ड ने कहा था:—

“अतीत में हम इस बात का हृतजार करते रहे हैं कि विभिन्न भारतीय सम्प्रदाय स्वाधीन भारत के नये विधान के बारे में किसी सर्वसम्मत हल पर पहुंच जायें और चूंकि भारतीय नेताओं में ऐसा कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिए ब्रिटिश-सरकार पर भारत की स्वाधीनता में अंगा करने का आरोप किया जाता रहा है। हम से आगे बढ़ने को जो कहा जाता रहा है अब हम वही करने जा रहे हैं।”

परन्तु दाई वर्ष बाद लार्ड वेवल ने क्या किया? ब्रिटिश-सरकार सर स्टेफर्ड किप्स को भारत

भेजते समय जिस नीति को त्याग चुकी थी, लार्ड वेबर ने उसी पर वापस चढ़े गये और ऐसा उन्होंने मिशनरी ही सम्राट की सरकार की अनुमति से किया था। अब लार्ड वेबर ने जिस सिद्धान्त को अरनी नीति का आधार बनाया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स उसे छोड़ चुके थे। यदि भारतीय नेता बटिश-सरकार-द्वारा फैलाये गये इस जाल में पड़ जाते तो भारत के स्वराज्य के दावे का मजाक उड़ाने का इससे सुगम तरीका और क्या हो सकता था ! इस रास्ते पर चलने से असफलता के अलावा और मिल ही क्या सकती थी। यह भी स्पष्ट है कि विधान बनाने के तरीके के सम्बन्ध में पहले से समझौता कर लेने की मांग अंग्रेजों के अपने इस तर्क के भी विरुद्ध थी कि एक ही उद्देश्य से प्रेरित हो कर एक ही स्थायी सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने से वह सदभावना कायम ही सकती है, जो युगों तक बहस करने से कायम हीनी असम्भव थी। इसीलिए लार्ड वेबर के २२ जुलाई घाले पत्र में प्रकट की गई तर्कशैली की सभी तरफ से आलोचना होने लगी और इस आलोचना में वाइसराय की दलील के थोथेपत पर ही प्रकाश नहीं ढाका गया बल्कि उनकी विचार-धारा को सर स्टेफर्ड क्रिप्स-द्वारा प्रदण की गई स्थिति से तुलना भी की जाने लगी। स्थिति इतनी नाजुक थी कि अधिकारी लोग पत्र को चर्चा उठने पर उस की सफाई देने की जरूरत महसूस करने लगे। इस विषय में लोगों की दिलचस्पी यहाँ तक बढ़ी कि प्रश्न उठाया गया कि क्रिप्स योजना पर बटिश सरकार कायम है या उसका स्थान वाइसराय-द्वारा १५ अगस्त के पत्र में प्रकट की गई स्थिति ने जो लिया है और लार्ड मंटर ने २५ जुलाई को लार्ड-सभा में तथा मिं एनरी ने कामंस सभा में कहा भी कि बटिश सरकार अभी तक क्रिप्स-प्रदत्ताओं को मानती है। २६ अगस्त को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के दिल्ली संवाददाता ने अपने साताहिक प्रसंग 'पालिटिकल नोट्स' में 'कैंडिडेस' के नाम से भी इस सम्बन्ध में लम्बी सफाई दी।

लार्ड वेबर के पत्र और विषय में उन दिनों जो कुछ लिखा गया था उसे देखकर कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि वे राष्ट्रीय सरकार की योजना को समाप्त करके विधान निर्माण की कार्रवाई आरम्भ करना चाहते थे। कुछ हजारों में इस बात पर खेद प्रकट किया गया है कि यदि क्रिप्स-योजना पर अमल किया जाता तो वेबर के पत्र खिलते समय राष्ट्रीय सरकार काम कर रही होती। परन्तु प्रश्न है कि क्या वह राष्ट्रीय सरकार होती। वह सरकार भलों के नेताओं की नामजद तो जरूर होती, पर वह वाइसराय के अलावा और किसी के प्रति जिम्मेदार न होती। ऐसी सरकारें तो पहले भी काम करती रही हैं। सर सेमुअल दोर वायुसेना, भारत, विदेश विभाग, नासेना, गृह-विभाग तथा लार्ड प्रिवी सीज के पदों पर काम कर चुके हैं। इसी तरह इस सरकार के सदस्य भी किसी-न-किसी पद पर नियुक्त हो कर अपने राजनीतिक विरागियों के तांत्र सहा करते। जब एवेसीज से पछा गया कि फ्रांस की राजकान्ति में उसने क्या किया तो उस ने उत्तर दिया कि "मैं जोवित रहा"। यही बात शायद इस सरकार के सदस्य भी कहते। परन्तु वाइसराय की शासन-परिषद् के इन १४ सदस्यों को राष्ट्रीय सरकार कैसा कहा जाता? भारत को मिल जैसी राष्ट्रीय सरकार की कामना नहीं करनी चाहिए। अभी हमारा लच्चा दूर है। वहाँ तक हमें दुर्गम मार्ग से पहुंचना है, किन्तु इमें मार्ग-प्रदर्शक सच्चे मिले हैं। विश्वास के कारण मनाह स्वर्ग से उतर आया। प्रार्थना में विश्वास के कारण आरों को लकड़ी के स्पर्श से बढ़ान से जल की धारा प्रकट हुई। उसी के कारण दिल में 'बालों का स्तम्भ' और रात्रि में 'प्रकाश का स्तम्भ' दिलाई दिया। हिचक-हिचकर

बढ़ने वाले भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते और न वही कर सकते हैं, जो संघर्ष के श्रम तथा प्रयत्न के कष्टों को मेलने में असमर्थ हैं।

वेवल आते हैं और चले जाते हैं, पर भारत कायम रहता है। साम्राज्य उदय और अस्त होते हैं, किन्तु भारतीय राष्ट्रीयता कायम रहती है। कल्पना तथा विश्वास की जिस व्यक्ति में कभी नहीं है उसके सामने उज्जवल भविष्य का द्वार खुला है और उसका मार्ग स्वाधीनता के प्रकाश से आलोकित है। और यह उज्जवल भविष्य ही विदेशियों के चंगुल से मुक्ति दिलाने के कार्य को पूरा करने में उसके पथ-प्रदर्शक का काम करता है और उसीसे उसे बदल और प्रेरणा मिलती है।

### दो घटनाएं

#### (क) श्री राजगोपालाचार्य की मध्यस्थता से गांधी-जिन्ना वार्ता

गांधीजी अपनी रिहाई के बाद जो लार्ड वेवल से सीधी बात-चीत करने लगे इसका यह मतलब न था कि वे मिठा जिन्ना की उपेक्षा करके अंग्रेजों से समझौता करना चाहते थे। यह कांग्रेस और गांधीजी दोनों ही के लिए अरुचिकर होता। गांधीजी के जीवन का उद्देश्य जिस प्रकार जन-साधारण की जागृति के द्वारा देश की उन्नति करता था उसी प्रकार देशकी कियाशीलता की गति में वृद्धि करके अपने लक्ष्य तक पहुँचना भी था। एक मान्य संस्था को छोड़ कर विदेशियों के साथ मिलकर उन्नति की बात सोचना बुद्धिमत्तापूर्ण अथवा उचित कुछ भी न था। हसीलिए अपने काम अनशन के समय ही आगामां महल में गांधीजी ने आम-निर्णय के सिद्धान्त के आधार पर समझौते का एक गुर निकाला था। यह योजना १ साल और २ महीने तक श्री राजगोपालाचार्य की देख-रेख में अंतिम रूप प्रदृश्य कर रही थी। ८ अप्रैल १९४४ को वह मिठा जिन्ना के आगे उपस्थित कर दी गयी, किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। बाद में श्री जिन्ना ने बताया कि उन का रुख यह है कि वे योजना को न लो स्वीकार करते हैं और न अस्वीकार। १७ अप्रैल को श्री राजगोपालाचार्य ने एक पत्र लिखकर श्री जिन्ना से उस योजना पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। यह सब ६ मई (गांधीजी की रिहाई का दिन) से पूर्व हुआ। गांधीजी की रिहाई के बाद श्री राजगोपालाचार्य ने ३० जून को मिठा जिन्ना के पास एक तार भेजा और उन्हें यह भी सूचित कर दिया कि गांधीजी योजना से पूरी तरह सहमत हैं।

श्री राजगोपालाचार्य ठीक वक्त पर पंचगनी पहुँचे और तार-द्वारा उन्होंने मिठा जिन्ना से अपनी बातें जारी रखीं और ऐसा करते समय गांधीजी की भी सहमति प्राप्त कर ली। इस बातचीत पर हिन्दू महासभा के भूतपूर्व अनरल सेक्टरी राजा महेश्वरदयाल सेठ ने अपने एक वक्तव्य में प्रकाश कर दाला। वह वक्तव्य इस प्रकार है—

“श्री राजगोपालाचार्य ने गांधीजी की अनुमति से साम्रप्रदायिक समस्या के निपटारे के लिए जो प्रस्ताव किये हैं वे स्वयं मिठा जिन्ना के ही वे सुकाव हैं, जो उन्होंने मुस्लिम लीग के १९४० वाले लाहौर अधिवेशन के प्रसिद्ध पाकिस्तान विषयक प्रस्ताव के अनुसार किये थे।

“मैं जनता को सूचित करना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की कार्य-समिति ने अगस्त, १९४२ में एक समिति देश के प्रमुख राजनीतिक दलों से समझौते की बातें चलाने तथा राष्ट्रीय मांग उपस्थित करने में उनका समर्थ न प्राप्त करने के उद्देश्य से नियुक्त की थी। इस समय मैं हिन्दू महासभा का जनरल सेक्टरी था और इस समिति की तरफ से मैंने लुट मिठा जिन्ना से समझौते की बातें की थीं। यही नहीं; एक मित्र के जरिये—हूँ मित्र की

मुस्लिम लीग में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति थी—मुस्लिम लीग से समझौता करने के लिए नीचे लिखी शर्तें पेश की गयीं—

यदि मुस्लिम लीग से कतिपय सिद्धान्तों के आधार पर समझौता हो जाता है तो लीग के नेता स्वाधीनता की उस मांग का समर्थन करते हैं, जिस का उद्देश्य अलिज्ज भारतीय हिन्दू-महामभा के ३० अगस्त १९४२ वाते प्रस्ताव में किया गया है और वे स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले संघर्ष में तुरंत शामिल होने के लिए अरनी रजामंडी प्रकृत करते हैं। यदि इस प्रकार का समझौता हुआ तो मुस्लिम लीग प्रान्त में भिली-जुली सरकार कायम करने में अपना सहयोग प्रदान करेगी।

“जिन मुख्य सिद्धान्तों के विषय में समझौता होगा वे ये हैं कि युद्ध के बाद (क) एक कमीशन की नियुक्ति भारत के उत्तर-पश्चिम व उत्तर पूर्व में उन परस्पर मिले हुए प्रदेशों को उनने के लिए की जायगी, जिनमें मुसलमानों का बहुमत होगा, (ख) इन दोनों ज़त्रों में एक आम मत-संप्रदाय होगा। और यदि बहुसंख्यक जनता पृथक् सत्तासम्बद्ध-राष्ट्र की स्थापना के पक्ष में मत प्रकट करेगी तो इस प्रकार का राष्ट्र कायम कर दिया जायगा। (ग) पृथक्-करण होने पर मुसलम्मन हिन्दुस्तान के अत्यसंख्यक मुसलमानों के लिए किसी संचरण की माँग न करेंगे। भारत के दोनों भाग परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर अरनें-अरने यहां अलगसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा की व्यवस्था करेंगे (ब) भारत के उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व के प्रदेशों को मिलाने के लिए मध्य में कोई पटो न रहेंगे, प्रदेशों को एक ही सत्ता-सम्बन्ध राज्य माना जायगा, (ड) भारतीय रियासतों को शामिल न किया जायगा, (च) स्वेच्छापूर्वक जनता के आदान-प्रदान की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जायगी।

“इसलिए स्पष्ट है कि राजाजी ने इन प्रस्तावों में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है।

“वास्तव में या हिन्दूमहासभा इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम देश के बटवारे की किसी योजना में हिस्सेदार नहीं बन सकते थे, परन्तु हलाहालाद में दिसम्बर १९४२ में सर तेजबाहुदुर सप्रू के घर पर जो सम्मेलन हुआ उसमें मैंने मुस्लिम लीग की तरफ से मेजे गये इन प्रस्तावों को सिर्फ पढ़ दिया था और उस को एक प्रति श्री राजगोपालाचार्य को भी दे दी थी। श्री राजगोपालाचार्य ने वड प्रतिलिपि महामाजी को उन के अनशन के दिनों में दिखायी थी और प्रस्तावों पर उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। राजाजी ने २६ मार्च, १९४३ को मुझे दिल्ली उत्तराया और मैं एक दूसरे मित्र के जरिये फिर मिठा के सम्पर्क में आया। इन मित्र की भी मुस्लिम लीग में वैसी ही महत्वपूर्ण स्थिति थी। परन्तु मुझे यह देख कर आशर्चय हुआ कि मिठा जिन्ना समझौते की उन शर्तों को स्वीकार करने को अनिच्छुक थे, जो उन्होंने सितम्बर, १९४२ में खुद भी थीं। तबसे मुझे बिन्कुल स्पष्ट हो गया है कि मिठा जिन्ना समझौता करना ही नहीं चाहते। परन्तु यह न समझना चाहिए कि मैं इन प्रस्तावों का कभी भी समर्थक था। मैं देश के बटवारे के विचार को ठीक नहीं समझता। यह बात मैं ने सिर्फ इस तथ्य पर जोर डालने के लिए कही है कि हिन्दू महासभा ने जो यह स्थिति महण की है कि मिठा जिन्ना को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कितना उचित है।”

उपर्युक्त वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि श्री राजगोपालाचार्य जब फरवरी-मार्च, १९४३ में गांधीजी से मिले थे तो उन के पास प्रस्तावों की एक प्रतिलिपि मौजूद थी। उन्होंने इन प्रस्तावों का एक महत्वपूर्ण चाल के रूप में उपयोग किया और गांधीजी ने इन प्रस्तावों

पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी । श्री राजगोपालाचार्य ने गांधीजी को इस अनुमति को अपने पास तुस्प के पत्ते की तरह भविष्य में लेक्कने के लिए छिपा कर रखा और उपर्युक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगे । यह अवसर राजाजी को १ वर्ष २ महीने बाद अप्रैल १९४४ में प्राप्त हुआ । स्थान था दिल्ली । अवसर अमेस्वरी के बजट अविवेशन का था । विभिन्न दलों की नीति के मेल से बजट को नामंजूर कर दिया गया था । सरकार की तरफ से इस विजय का मजाक उड़ाया गया और सर जर्मीरेजमेन ने विरोधी पक्ष के दलों को तुनौती दी कि बजट को नामंजूर करने के चेत्र में नहीं विदिक राजनीति के रचनात्मक चेत्र में भी उन्हें एकता परिचय देना चाहिए । कांग्रेस के सहकारी नेता अबदुल कायूम ने चितौती स्वीकार करते हुए कहा कि सर जर्मीरेजमेन की आशा से पहले ही कांग्रेस और लीग में समझौता हो जायगा । यह उचित अवसर था । इस समय दिल्ली में श्री भूलाभाई देसाई और श्रीमती सरोजिनी नायडू भी थीं । श्री राजगोपालाचार्य थे । दिल एक-दूसरे से मिलने को उत्सुक थे । हाथ मिलने को बढ़े हुए थे । परन्तु दिमागों को एक-ऐसा गुर निकालना शेष था, जिस के आधार पर यह मिलन हो सके । इससे अच्छा अवसर और यह हो सकता था और बीच की खाई को पाठने के लिए उस गुर से अच्छा और यथा साधन मिल सकता था, जो श्री राजगोपालाचार्य के जेब में इतने दिनों से था । और उस जांगूर ने चकित दर्शकों के सामने वड गुर उसी खूबी से निकाल कर दिखा दिया, जिस खूबी से तमाशा दिखाने वाला बाजीगर छड़ी में से सांप निकाल कर दर्शकों को चकित कर देता है । अस्तु, द अप्रैल को राजाजी ने मिं० जिन्ना के आगे ये प्रस्ताव उपस्थित किये ।

स्पष्ट है कि प्रभताडु मिं० जिन्ना को भाये नहीं । इसलिए श्री राजगोपालाचार्य अपने घर वापस चले गये और मिं० जिन्ना के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे । तब श्री राजगोपालाचार्य ने मिं० जिन्ना के पास एक तार भेजा । प्राणशित पत्र-न्यवहार से प्रकट होता है कि जहां एक तरफ श्री राजगोपालाचार्य को यह संतोष हुआ कि उन्होंने अपना तुरुप का पत्ता खूब चतुराई से चला वहां दूसरी तरफ मिं० जिन्ना ने यह महसूस किया कि उन्हें कांग्रेस की की तरफ से पहली बार एक ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिस पर स्वयं गांधीजी की स्वीकृति की मुहर लगी हुई थी और जो उन के एक विश्वास प्राप्त सहकारी से उन्हें मिला था । दिल्ली में जब प्रस्ताव मिं० जिन्ना के सामने उपस्थित किये गये तो वे उन्हें मंजूर नहीं हुए, परन्तु बाद में उन्होंने प्रस्तावों को न स्वीकार करने का और न अस्वीकार करने का रुख ग्रहण किया । यह कांग्रेस के उस रुख के ही समान था, जो उस ने ब्रिटिश-सरकार के सन् १९३२ के साम्राज्यिक निर्णय के सम्बन्ध में ग्रहण किया था ।

पाठकों को शायद आशर्चय होगा कि द अप्रैल, १९४४ को दिल्ली में प्रस्ताव उपस्थित करने की गलती के बाद श्री राजगोपालाचार्य ने उनके सम्बन्ध में पंचानी से तार बयों दिया । कारण स्पष्ट है । राजाजी ने गांधीजी से सब कुछ बताया होगा और गांधीजी ने जो कुछ हुआ उसे उसकी अवस्था तक पहुंचाने का अनुरोध राजाजी से किया होगा । तारों के आदान-प्रदान के बाद प्रस्तावों को प्रकाशित कर दिया गया ।

योजना इस प्रकार है । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच समझौते को शर्तें जिसे गांधीजी और मिं० जिन्ना सहमत हैं, जिन्हें कांग्रेस व लीग से स्वीकार करने का प्रयत्न वे करेंगे—

(१) स्वाधीन भारत के लिए नये विधान की निम्न शर्तें पूरी होने की हालत में मुस्लिम-लीग स्वाधीनता के लिए भारत की मांग का समर्थन करेगी और संकान्ति काल के लिए अस्थायी अंतःकालीन सरकार स्थापित करने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी।

(२) युद्ध समाप्त होने पर भारत के उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूर्व में उन मिले हुए जिलों को निर्दिष्ट करने के लिए, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, एक कमीशन की नियुक्ति की जायगी। इस प्रकार निर्दिष्ट जिलों में वहाँके सभी निवासियों का बालिगमताधिकार अथवा अन्य व्यावहारिक मताधिकार के आधार पर मत-संग्रह होना चाहिए और इसी तरह हिन्दुस्तान से उस जिलों के अलग होने का फैसला होना चाहिए। यदि बहुसंख्यक जनता हिन्दुस्तान से पृथक् एक सत्तासंपन्न राज्य की स्थापना का फैसला करे तो इस फैसले को कार्यान्वित किया जाय, किन्तु सीमा के जिलों को छोटी भी राज्य में समिलित होने की आजादी रहनी चाहिए।

(३) मत-संग्रह से पहले प्रत्येक पक्ष को अपने मत का प्रचार करने की पूरी आजादी रहनी चाहिए।

(४) पृथक्करण के बाद रक्ता, व्यापार, यातायात के साधन व अन्य विषयों की रक्ता के लिए एक समझौता होना चाहिए।

(५) जनसंख्या का आदान-प्रदान सिर्फ जनता की इच्छा से ही होना चाहिए।

(६) ये शर्तें सिर्फ उसी हालत में जागू होंगी जबकि ब्रिटेन भारत के शासन की पूरी जिम्मेदारी का त्याग करना चाहेगा।

श्री राजगोपालाचार्य व गांधीजी की शर्तों और प्रस्तावों के सम्बन्ध में एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली शर्त यह है कि “मुस्लिम लोग स्वाधीनता के लिए भारत की मांग का समर्थन करेगी और संकान्ति काल के लिए अस्थायी अंतःकालीन सरकार स्थापित करने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी।”

इतना ही नहीं, धारा ६ में कहा गया है कि “ये शर्तें सिर्फ उसी हालत [में जागू होंगी जबकि ब्रिटेन भारत के शासन की पूरी जिम्मेदारी का त्याग करना चाहेगा,]” यानी दूसरे शब्दों में जब कि पूर्णस्वाधीनता की प्राप्ति हो जायगी। इस प्रकार स्वाधीनता की बात प्रस्तावों के शुरू और अखीर दोनों ही जगहों पर आई है। इमें समझना चाहिए कि ‘स्वाधीनता’ से मतलब क्या था? इस सम्बन्ध में गांधीजी के एक दूसरे वक्तव्य से मदद मिलेगी, जो उन्होंने एक दूसरे सिलसिले में दिया था। गांधीजी ने कहा था कि उनके प्रस्ताव देश के विभाजन-सम्बन्धी उनके पिछले वक्तव्यों के विरुद्ध नहीं हैं। पहली बात यह है कि इन प्रस्तावों की अपनी अच्छाई या बुराई पर विचार होना चाहिए, न कि इस विषय पर कि ये पिछले वक्तव्यों के कहाँ तक विरुद्ध हैं। दूसरी बात है कि ये प्रस्ताव वास्तव में उनके पहले कथन के विरुद्ध नहीं हैं। गांधीजी ने कहा कि देश के हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रूप में बँटवारे और भारतीय संघ से देशी राज्यों के स्थायी पृथक्करण में, जैसाकि किप्स-योजना के अंतर्गत होना सम्भव था, कम भेद नहीं है। दूसरे शब्दों में स्वाधीन भारत को कल्पना देशी राज्यों से अलग नहीं की जा सकती। इस ब्रिटेन गांधी-जिन्ना मिलन से काफी पहले यह प्रकट होना उचित ही हुआ कि ‘स्वाधीन भारत’ से गांधीजी का तात्पर्य क्या है। इस सम्बन्ध में मिठो जिन्ना ने कुछ नहीं कहा, किन्तु न्यूयार्क से लंदन तक और लंदन से जाहौर तक खूब गुबगापाड़ मचा।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो विभिन्न प्रस्ताव पास हुए उनका भी तुलनात्मक अध्ययन नीचे दिये छक्करणों से किया जा सकता है:—

‘निश्चय किया गया कि....इस देश में तब तक कोई वैधानिक योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन नहीं की जा सकती या मुसलमानों को स्वीकृत नहीं हो सकती जब तक कि उसका निर्माण निम्न आधार पर नहीं किया जाता, यानी भौगोलिक इष्ट से मिली हुए इकाइयों को मिलाकर ऐसे प्रदेशों के रूप में निर्दिष्ट किया जाय—इसके लिए भूमि का आदान-प्रदान करके भी आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है—कि जिन ज़ोंमें संख्या की इष्ट से मुसलमानों का बहुमत हो, जैसाकि देश के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भागों में है, उन्हें मिलाकर ऐसे ‘स्वाधीन राज्यों’ की स्थापना की जा सके, जिनमें भाग लेने वाली इकाइयां आंतरिक इष्ट से स्वाधीन और सत्ता-सम्बन्ध हों।’

मुस्लिम लीग का लाहौर में (जून, १९४०) पास प्रस्ताव।

“कांग्रेस बहुत पहले ही से भारत की सावधीनता और अखंडता की हामी रही है और उसका मत है कि ऐसे समय जब कि आधुनिक संसार में लोग अधिक बड़े संघों की बात सोचने लगे हैं, इस अखंडता को भंग करना सभी सम्बन्धितों के लिए हानिकर है और इसकी कल्पना भी दुःखद है। इसके बावजूद समिति यह नहीं सोच सकती कि किसी प्रदेश की जनता को उसकी घोषित व प्रमाणित छछा के विरुद्ध भारतीय संघ में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है...प्रत्येक प्रादेशिक इकाई को संघ के भीतर पूरी आंतरिक स्वाधीनता रहनी चाहिए...”

कांग्रेस कार्य-समिति का दिल्ली में (अप्रैल, १९४२) पास प्रस्ताव।

“युद्ध समाप्त होने पर भारत के उत्तर-पूर्व में उन मिले हुए जिलों को निर्दिष्ट करने के लिए, जिनमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, एक कमीशन की नियुक्त की जायगी। इस प्रकार निर्दिष्ट ज़ोंमें वहाँके सभी निवासियों का बालिग मताधिकार अथवा अन्य व्यावहारिक मताधिकार के आधार पर मत-संग्रह होना चाहिए और इसी तरह हिन्दुस्तान से उन ज़ोंमें अलग होने का फैसला होना चाहिए। यदि बहुसंख्यक जनता हिन्दुस्तान से पृथक् एक सत्ता सम्बन्ध राज्य की स्थापना का फैसला करे तो इस फैसले को कार्यान्वयन किया जाय, किन्तु सूमा के जिलों को किसी भी राज्य में समिलित होने की आजादी रहनी चाहिए।”

राजाजी का वह गुर, जिसे गांधीजी ने मंजूर किया और जो बाद में मिठा जिन्ना के पास भेजा गया।

अप्रैल, १९४२ में, जब सर स्टेफर्ड किप्स दिल्ली में थे और कांग्रेस कार्य-समिति उनसे बातचीत कर रही थी, तो उसने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें निम्न अंश भी था—“इसके बावजूद समिति यह नहीं सोच सकती कि किसी प्रदेश की जनता को उसकी घोषित व प्रमाणित छछा के विरुद्ध भारतीय संघ में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है।”

यह स्पष्ट है कि इस अंश के द्वारा कांग्रेस देश के बैटवारे के सिद्धान्त को स्वीकार करती है, देश में एक से अधिक राज्य कायम करने की बात मानती है और मुल्क की एकता और अखंडता के सिद्धान्त का द्याव करती है। किप्स-योजना का प्रज्ञोभन हृतना अधिक था कि समिति ने खुद भी उसका यह सिद्धान्त मान लिया। फिर बाद में कांग्रेस ने किप्स-योजना को “दिवाला निकलते हुए बैंक के नाम बाद की तारीख का चैक” बता कर अस्वीकार कर दिया।

क्रिप्स-योजना नामंजूर होने पर २ मई, १९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक इकाहावाद में हुई और उसने निम्न प्रस्ताव पास किया।—

अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति कमेटी का मत है कि भारतीय संघ या फेडरेशन से उसके किसी अंग या प्रांदेशिक इकाई को अलग होने की आजादी देकर मुद्रक के बैटवरे का कोई भी प्रस्ताव विभिन्न रियासतों तथा प्रान्तों की जनता के सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध है और इसीलिए कांग्रेस ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर सकती।

### क्रिप्स-योजना के बाद

मुस्लिम लीग की कार्य-समिति ने क्रिप्स-योजना के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया उसमें उसने सिर्फ मुस्लिम जनता का ही मत-संग्रह किये जाने की मांग की। बाद में अगस्त, १९४२ में लीग ने कहा कि वह अंतःकालीन सरकार कायम करने के लिए अन्य किसी भी दल से बराबरी के दर्जे सहयोग करने को तैयार है और ऐसा करने के लिए वह इस आधार पर तैयार होगी कि मुसलमानों को आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जाय और उसने यह भी कहा कि पाकिस्तान-योजना को अमल में लाने के लिए वह मुसलमानों के लोकसत संग्रह से होने वाले फैसले को मानेगी।

### क्रिप्स-योजना

“(सी) सचिवालय की सत्रकार इस प्रकार तैयार किये गये किसी भी विधान को मानेगी, बरतें कि (१) विद्युत भारत के किसी ऐसे प्रान्त का, जो नया विधान स्वीकार करने को तैयार न हो, वर्तमान वेधानिक स्थिति में रहने का अधिकार सुरक्षित रहे और बाद में उसे, यदि वह ऐसा निर्णय करे, विधान में समिलित होने का अधिकार रहे।

“विधान में समिलित न होने वाले प्रान्तों के लिए, यदि वे चाहेंगे, सचिवालय की सरकार एक अलग विधान बनाने को तैयार होंगी और यह निर्धारित कार्य-पद्धति के अनुसार उन्हें भी भारतीय संघ के ही समान पद प्रदान करेगी।”

गांधीजी और मिठो जिन्ना १० दिन तक मित्रसंबंध में मिले। गांधीजी के विचारों के अनुसार एक केन्द्र का रहना भी ‘आवश्यक था, “जो रक्षा, व्यापार तथा यातायात-साधनों की व्यवस्था करेगा। यह मिठो जिन्ना को अध्यक्ष न लगा और वे लगातार किन्तु व्यर्थ ही दो राष्ट्रों के सिद्धान्त और सम्पूर्ण जनता के आम मत-संग्रह के बिना ही देश के बैटवरे के सिद्धान्त मानने की जिद गांधीजी से करते रहे। इस तरह परिणाम कुछ भी न निकला।

### (ख) फिलिप्स-कांड

सभी महाकाल्यों तथा कथाओं में छोटी-छोटी कितनी ही ऐसी घटनाएँ भी होती हैं, जो स्वयं उस महाहाव्य या रुथा से कम सरोरंजक नहीं होती। भारतीय रचाधीनता-संग्राम की महान कथा में भी अनेक सनसनीपूर्ण घटनाएँ हैं और इन्हींमें एक वह भी है, जिसे १९४३-४४ की फिलिप्स-घटना भी कहा जाता है। मिठो फिलिप्स भारत में राष्ट्रपति रूपवेद्वत के व्यक्तिगत प्रतिनिधि थे। उनकी योग्यता कसौटी पर कसी जा सुकी थी और उनका अनुभव भी बहुमुखी था। यह भी कहा जाता है कि उन्हें खुद मिठो चर्चिल से चाहे जहाँ जाने और उन्हें जिससे मिलने का अधिकार प्राप्त था। फिलिप्स ने भारत की राजनीतिक स्थिति का बड़ी सावधानी से अध्ययन किया था और उन्होंने फरवरी १९४३ में गांधीजी तथा कार्य-

समिति से मिलने की इजाजत के लिए अधिकारियों से मांग की थी। गांधीजी के अनशन के कारण मिं० फिलिप्स का पहला अनुरोध नामंजूर कर दिया गया और दूसरे अनुरोध के लिए भी, जो अप्रैल, १९४३ में किया गया था, वाइसराय से देहरादून में मुलाकात के समय नर्मी से इनकार कर दिया गया। उस समय इह जाता था कि राजनीतिक समस्या के नियटरे के लिए मिं० फिलिप्स की एक विशेष योजना थी और अमरीका के राष्ट्रपति की मध्यस्थता से अंग्रेजों के पास भेजने से पूर्व वे उस पर गांधीजी की स्वीकृति ले जैना चाहते थे। इस सम्बन्ध में मिं० फिलिप्स ने राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट और पत्र लिखे थे उनमें देश को सैनिक व राजनीतिक दशा का छिक होना वाभाविक था। सथ ही यह भी बताया गया था कि तत्कालीन परिस्थिति में बया त्रुटियाँ हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। फिलिप्स १९४३ की वसंत ऋतु में अमरीका के लिए रवाना हुए। बाद में उनके वाशिंगटन में मौजूद होने के समाचार कई बार मिले और गोकि कई अवसरों पर भारत लौटने की आशा उन्होंने कई बार प्रकट की, किन्तु बाद में वे जनरल आइसेनहॉवर के सलाहकार बनाकर लन्दन भेज दिये गये। परन्तु मिं० फिलिप्स से भारत के सरबन्ध का अन्त अचानक एक ऐसी रद्दस्पूर्ण घटना के कारण हुआ जो सितम्बर, १९४४ के पहले सप्ताह में हुई।

बात यह थी। मिं० फिलिप्स भारत से चलकर जब वाशिंगटन पहुँचे उस समय ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मिं० चर्चिल भी वहीं थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मिं० चर्चिल और मिं० फिलिप्स की मुलाकात का प्रबंध कर दिया। डा० कैलाशनाथ काटजू का कहना है कि दिली में यह बात आमतौर पर फैल गयी कि मिं० चर्चिल ने अपनी इस आध बन्ट की मुलाकात में मिं० फिलिप्स से बड़ी उद्ढृता का व्यवहार किया। उन्होंने मिं० फिलिप्स की एक नहीं सुनी। वे कमरे में पैर पटकते हुए नाराजी से चहलाकदमी करने लगे। कहा जाता है कि मिं० चर्चिल ने कहा कि हिन्दुस्तान की समस्या का सम्बन्ध इंग्लैंड से है और मैं अमरीका का हस्तक्षेप इस मामले में तनिक भी सहन नहीं कर सकता।

‘रायटर’ का निम्न सन्देश, जो न्यूयार्क से प्राप्त हुआ था, कोलम्बो के पत्रों में प्रकाशित हुआ था :—

न्यूयार्क के ‘डेली मिरर’ पत्र के सोमवार के थ्रंक में यू. पियर्सन के ‘वाशिंगटन मेरी गो राउण्ड’ कालम में कहा गया है :—“राजदूत विलियम फिलिप्स के लन्दन में जनरल आइसेन होवर के राजनीतिक सलाहकार के पद से हटाये जाने के कारण बड़ी नाराजी फैली हुई है। मिं० फिलिप्स व्यक्तिगत कारणों से वर वापस आये हैं।” परन्तु सत्य तो यह है कि उन्हें लन्दन से चले आने का आदेश इसलिए दिया गया था कि उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र भारत में अंग्रेजों की नीति की आलोचना करते हुए और भारत को स्वाधीनता प्रदान करने की सिफारिश करते हुए लिखा था।

“२५ जुलाई को इस कालम में प्रकाशित हुए पत्र के कारण बड़ी सनसनी फैल गयी। अंग्रेजों ने सरकारी तौर पर इसके लिए ज्याद तज्ज्वल किया है। बाद में विदेश मंत्री एथोनी ईवेन ने मिं० फिलिप्स के बुलाये जाने की मांग भी की। ब्रिटेन ने नयी दिली से जनरल मैरेल को वापस बुलाने की भी मांग की, जिन्होंने मिं० फिलिप्स की गैरहाजिरी में अमरीकी दूतावास के प्रधान का काम संभाला। उन्होंने इसलीफा दे दिया और वे कुछ ही समय में वापस लौटने वाले हैं। अंग्रेजों की आपत्ति मिं० फिलिप्स-द्वारा राष्ट्रपति रूजवेल्ट के पास भारत-

सम्बन्धी रिपोर्ट भेजने के विषय में थी। लन्दन में इस बात को लेकर नाराजी फैली हुई है कि जापानियों से युद्ध के कारण भारत में हमारी ( अमरीका की ) दिक्षिणी है ।”

मिं० फिलिप्स के हज शब्दों को उद्धृत करने के बाद कि “भारतीय सेना भावे की टट्ठू है । अब अंग्रेजों-द्वारा कुछ करने का समय आ गया है । वे कम-से-कम यही घोषणा कर सकते हैं कि भारत युद्ध के बाद निर्दिष्ट सारीख तक स्वाधीनता प्राप्त कर लेगा ।” मिं० पियरसन ने कहा—“मिं० एथोनी हैंडेन ने वाशिंगटन-रिथ्ट राजदूत सर रोनाल्ड केम्पबेल को तार-द्वारा सूचित किया कि वे स्वयं तथा प्रधानमंत्री श्री० चंचिल बड़े उद्धिग्न हैं और दूतावास को आदेश देते हैं कि वह अमरीकी-सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग करे । मिं० कार्डेन हज ने सूचित किया कि मिं० फिलिप्स का पत्र भूतपूर्व अन्दर सेवेट्री मिं० सुमनर वेल्स के द्वारा प्रकाश में आया । मिं० हैंडेन ने फिर दूसरा तार भेजकर इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि ‘वाशिंगटन पोर्ट’ जैसे प्रतिष्ठित पत्र ने मिं० फिलिप्स के पत्र को कैसे प्रकाशित किया । ब्रिटिश विदेश मन्त्री ने यह भी कहा कि ‘वाशिंगटन पोर्ट’ को उपर्युक्त पत्र का खण्डन और उसकी आज्ञाओंचना करते हुए एक अग्रलेख प्रकाशित करना चाहिए । सर रोनाल्ड केम्पबेल के पत्र के उत्तर में श्री हैंडेन ने फिर लिखा कि ‘वाशिंगटन पोर्ट’ को मिं० फिलिप्स के इस कथन में सुधार करना चाहिये कि भारतीय सेना किराये की टट्ठू है ।

“लन्दन में मिं० चंचिल और मिं० हैंडेन ने अपने दिल का तुखार अमरीकी राजदूत मिं० जान विनाट पर उतारा और उनसे फिलिप्स से पूछने को कहा कि क्या अब भी उनके पहले ही के समान विचार हैं । मिं० फिलिप्स ने स्वीकार किया कि उनके विचार अब और भी पक्के हो गये हैं, किन्तु पत्र प्रकाशित होने के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया । मिं० फिलिप्स ने कहा कि मेरी रिपोर्ट पत्र से भी कही हैं और आशा प्रकट की कि कहीं उन्हें भी प्रकाशित न कर दिया जाय ।” मिं० हैंडेन ने अपने दूतावास को तार दिया कि अमरीकी-सरकार को सूचित करो कि मिं० फिलिप्स लन्दन में स्वीकार्य नहीं हैं और साथ ही यह भी कहा कि ‘हिन्दुस्तान हजारों फिलिप्स की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है ।’

फिलिप्स-कांड की सब से मनोरंजक घटना वह प्रस्ताव है, जिसकी सूचना अमरीका की प्रतिनिधि सभा में दी गयी थी और जिसे स्वीकार भी कर लिया गया था कि सर रोनाल्ड केम्प-बेल ( वाशिंगटन स्थित विदेश राजदूत ) और सर गिरजाशंकर बाजपेयी ( अमरीका रिथ्ट भारत-सरकार के एजेंट जनरल ) को अस्वीकार्य घोषित कर दिया जाय, क्योंकि उन्होंने अमरीकी लोकमत को प्रभावित करने का प्रयत्न किया । यह प्रस्ताव एक रिपब्लिकन संदर्भ कालिवन ही० जॉनसन का था ।

प्रस्ताव में उन रिपोर्टों की भी चर्चा की गयी, जो राजदूत फिलिप्स ने भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध में दी थी । प्रस्ताव में कहा गया कि मिं० फिलिप्स ने राष्ट्रपति को सिर्फ यही बताया है कि भारतीय सेना और भारतीय जनता किसी दूसरी सेना के साथ मिलकर युद्ध में जब तक भाग नहीं ले गी जब तक उन्हें स्वाधीनता का बचन न दिया जाय और साथ ही मिं० फिलिप्स ने यह भी कहा कि ‘जापान के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अमरीका के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार भारत है, ब्रिटेन जापान के विरुद्ध युद्ध में सिर्फ नाम मात्र के लिए भाग ले गा और यह भी कि अमरीका को भारतीय सेना तथा भारतीय राष्ट्र का अधिक समर्थन प्राप्त करना चाहिए ।’

द्यु पियसन के विवरण के अनुसार राजदूत फिलिप्स ने १९४३ की वसंत ऋतु में राष्ट्रपति रुजवेल्ट को निम्न पत्र लिखा था :—

“प्रिय राष्ट्रपति महोदय—गांधीजी सफलतापूर्वक अपना अनशन समाप्त कर चुके हैं और इसका एकमात्र परिणाम यह हुआ है कि बहुत से लोगों में अंग्रेज़-विरोधी भावना बढ़ गयी है। सरकार ने अनशन के सम्बन्ध में विशुद्ध कानूनी दृष्टि से कार्रवाई की है। गांधीजी “शत्रु” हैं और उन्हें उचित दण्ड मिलना ही चाहिए और अंग्रेज़ों की मर्यादा की हर हाज़त में रखा होनी चाहिए। भारतीयों ने अनशन को बिलकुल दूसरे ही दृष्टिकोण से देखा। गांधीजी के अनुयायी उन्हें आधा देवता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों जन भी, जो गांधीजी के अनुयायी नहीं हैं, उन्हें आधुनिक समय वा प्रमुख भरतीय मानते हैं और उनका ख्याल है कि गांधीजी को अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया और वे इसमें एक ऐसे वृद्ध को दंडित करने का प्रयत्न देखते हैं, जिसने भारत की स्वाधीनता के लिए अनेक कष्ट उठाये हैं और अपने देश की स्वाधीनता प्रत्येक भारतीय को प्यारी है। इस तरह इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप गांधीजी की मर्यादा और नैतिक बल में बढ़ि रुही है।

“साधारण परिस्थिति, जैसी कि उसे मैं आज देखता हूं, इस प्रकार है :—अंग्रेजों के दृष्टिकोण से उनकी स्थिति नामुनासिव नहीं है। उन्हें भारत में लगभग १२० वर्ष बीत चुके हैं और १८५७ के गश्त को छोड़ कर उनके शासन-काल में लगातार शान्ति कायम रही है। इस अरसे में अंग्रेजों ने देश में भारी स्वार्थ संचित कर लिये हैं और उन्हें भय है कि भारत से हटते ही उन के इन स्वार्थों को हानि पहुँचेगी। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे विशाल नगरों का निर्माण मुख्यतः उन्हींके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हुआ है। अंग्रेजों ने देशी नरेशों को उनकी सत्ता कायम रखने का आश्वासन दिया है। देशी नरेशों के नियंत्रण में देश का तिहाई भाग है और उसकी चौथाई जनता उस भाग में रहती है। अंग्रेज महसूस करने लगे हैं कि दुनिया भर में ऐसी शक्तियों को बढ़ा प्राप्त होने लगा है, जिनका प्रभुत्व भारत में उसके प्रमुख पर पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ कर वचन दे दिया है कि भारतवासियों के एक स्थाई सरकार कायम करने में समर्थ होते ही वे भारत को स्वाधीन कर देंगे। भारतीय ऐसा बरने में समर्थ नहीं हो पाये और अंग्रेज अनुभव करने लगे कि वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ भी वे कर सकते थे उन्होंने कर दिया। इस सब के पीछे मिठो चर्चिल हैं, जिनकी व्यक्तिगत विचार-धारा यह है कि युद्ध समाप्त होने से पहले या बाद में कभी भी भारतीय सरकार के हाथ में शक्ति न सौंपी जाय और वर्तमान स्थिति को ही कायम रखा जाय।

“दूसरी तरफ भारतीयों में दक्षित राष्ट्रों की स्वाधीनता की भावना भर गयी है, जिसका इस समय संसार में दौरदौरा है। अटलांटिक अधिकारपत्र से इस आनंदोलन को और भी प्रगति मिली है। आपके भाषणों से भी प्रोत्साहन मिला है। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की जो घोषशार्य की है उनके कारण शिल्पित भारतीयों की विचारधारा में भारतीय स्वतंत्रता का चिन्ह और भी सजीव हो उठा है। दुर्भाग्यवश, युद्ध का अन्त जैसे-जैसे निकट आता जाता है वैसे-वैसे विभिन्न दलों में राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष बढ़ता जाता है। इसीलिए नेताओं के लिए किसी समझौते पर पहुँचना कठिन हो गया है। कांग्रेस के ५० या ६० हजार समर्थकों के अलावा गांधीजी तथा कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता जैसे में हैं। परिणाम यह हुआ है कि सब से शक्ति-शास्त्री राजनीतिक संगठन होते हुए भी कांग्रेस की तरफ से बोलने वाला

कोई व्यक्ति नहीं रह गया है। इस तरह पूरा राजनीतिक गतिरोध हो गया है। मेरा यह भी ख्याल है कि वाहसराय और मिंचिल को गतिरोध अधिक-से-अधिक समय तक बनाये रखने में कुछ भी आपत्ति नहीं है। कम से-कम भारतीय हल्कों में तो यही मत प्रकट किया जाता है।

“प्रश्न उठता है कि क्या हमारी सहायता से इस गतिरोध को भंग किया जा सकता है? मुझे तो यही सभव जान पड़ता है कि इम भारत के राजनीतिक नेताओं से मिलने का अनुरोध करें ताकि भारत में अमल में आ सकने वाले विधान पर विचार किया जा सके। भारतीयों के लिए समस्या को इलं कर सकने की बुद्धिमत्ता प्रकट करने का एक मात्र यही तरीका है। हमें यह ख्याल न करना चाहिए कि भारतीय विदिश या अमरीकी प्रणाली को ही रखाकर करेंगे। अल्प संख्यकों को संरक्षण देने की समस्या का महत्व अत्यधिक होने के कारण सभवतः भारत में बहुमत शासन-प्रणाली अमल में न जायी जा सके और शायद देश के भीतर सद्भावना भी मिली-जुली सरकारें कायम करके ही रखी जा सके। जब तक शक्ति प्रहण करने के लिए किसी भारतीय सरकार की स्थापना नहीं होती तब तक विदिश सरकार कलम की सही बनाये गतिरोध से शक्ति भारत को नहीं दे सकती। इसलिए सब से महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि नेताओं को भारी जिम्मेदारी प्रहण करने के लिए कैसे तैयार किया जाय शायद गतिरोध दूर करने का एक तरीका हो सकता है। मुझे इस तरीके की सफलता में पश्चा विश्वास तो नहीं है, फिर भी यह आपके लिए विचारणीय अवश्य है। विदिश सरकार की रजामंदी और अनुमति से संयुक्त राष्ट्र अमरीका के राष्ट्रपति की तरफ से सभी भारतीय दलों के नेताओं के पास भावी योजनाओं पर विचार करने के लिए निमंत्रण भेजा जाय। इस सम्मेलन का अध्यक्ष एक ऐसा अमरीकन नियुक्त किया जाय, जो जाति, धर्म, वर्ण और राजनीतिक मतभेदों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। भारतीय राजनीतिज्ञों पर जोर डालने के लिए यह सम्मेलन विदिश सम्बाट्, अमरीकी राष्ट्रपति, सोवियट रूस के राष्ट्रपति तथा मर्शल चांग कार्ह शोक के संरक्षण में हो सकता है। भारतीय नेताओं के नाम दुकावा भेजने के उपरान्त विदिश सम्बाट् अपनी सरकार की तरफ से एक खास तारीख तक शक्ति हस्तांतरित करने और तब तक के लिए अंतःकालीन सरकार स्थापित करने की घोषणा कर सकते हैं। यह सम्मेलन दिल्ली के विवाय देश के किसी भी शहर में हो सकता है।

“अमरीकी नागरिक के इस सम्मेलन का अध्यक्ष होने से जाभ मिर्फ़ यही न होगा कि भारत की भावी स्वाधीनता में अमरीका की दिलचस्पी प्रकट होगी बल्कि इससे स्वाधीनता देने के विदिश प्रस्ताव की अमरीका द्वारा गारंटी भी हो जायगी। यह एक महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि मैं अपने पिछले पत्रों में कह भी चुका हूँ, कि इस सम्बन्ध में विदिश वचनों का विश्वास नहीं किया जाता। यदि किसी राजनीतिक दल ने इस सम्मेलन में आने से इनकार किया तो इस से दुनिया को जाहिर हो जायगा कि भारत स्व-शासन के लिए तैयार नहीं है और मुझे तो संदेह है कि कोई राजनीतिक नेता अपने को ऐसी स्थिति में रखना चाहेगा। मिंचिल और मिं एमरी बाधा उपस्थित कर सकते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी कहा जाय छोटी-से-छोटी बात तक का शासन भारत में लंदन से ही होता है। यदि आप इस विचार से सहमत होकर मिंचिल से सलाह लेना चाहेंगे तो वे यही कहेंगे कि कांग्रेसी नेताओं के जेल में रहने के कारण इस प्रकार का कोई सम्मेलन होना असम्भव है। इस का उत्तर यही दिया जा सकता है कि कुछ नेताओं को जिन में सब से प्रमुख गांधीजी होंगे, सम्मेलन में भाग लेने के लिए विना किसी शर्त के छोड़ा जा सकता है। अंग्रेज गांधीजी को रिहाई के लिए कोई-न-कोई बहाना जरूर खोज रहे होंगे वयोंकि गांधीजी और

वाइसराय के बीच का यह संघर्ष दोनों की ही विजय के साथ समाप्त हो चुका है—वाइसराय ने तो अपनी प्रतिष्ठा कायम रखी है और गांधीजी का अनशन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है और वे एक बार फिर प्रकाश में आ गये हैं।

‘मेरे सुझाव में नया कुछ भी नहीं है। सिर्फ समस्या पर दृष्टिपात करने का तरीका ही नया है। अंग्रेज घोषणा कर चुके हैं कि यदि भारतीय स्वाधीनता के स्वरूप के विषय में एकमत हो जायं तो वे भारत को स्वाधीनता देने को तैयार हैं। भारतीयों का कहना है कि वे एकमत हसलिए नहीं हो पाते कि उन्हें अंग्रेजों के बादों पर भरोसा नहीं है। सम्भवत् प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत जहां एक तरफ भारतीयों को अवश्यक गारंटी मिल जाती है वहां दूसरी तरफ वह ब्रिटेन के प्रकट किये गये इरादों के भी अनुकूल है। सम्भवतः इस अड्डे को दूर करने का यही एक मात्र तरीका है। यदि इस अड्डे को अधिक समय तक जारी रखने दिया जायगा तो संसार के इस भाग में हमारे युद्ध-संचालन पर और रंगीन जातियों से हमारे भावी संबंधों पर हानिकर प्रभाव पड़ सकता है। यह सम्मेलन चाहे सफल न हो, पर अमरीका अर्जांठिक अधिकारपत्र के आदर्शों को अग्रसर करने के लिए एक कदम अवश्य आगे बढ़ा सकेगा।

‘मैं आप को अभी सुझाव इस लिए भेज रहा हूँ ताकि अप्रैल के अन्त या मई के आरम्भ में जब मैं वाशिंगटन पहुँचूँगा उसके पहले आप उस पर विचार कर चुके होंगे। वाशिंगटन पहुँचने पर मैं आपको और भी हाल की बातें बताऊंगा।

### आपका शुभ चिन्तक (ह) विलियम फिलिप्स

सेनेटर चैंडलर ने, जो केंटुकी के गवर्नर रह चुके थे और १९४१-४२ में भारत का दौरा करने वाले सेनेट के पांच सदस्यों में एक थे, एक प्रस्ताव के द्वारा मांग उपस्थित की कि राष्ट्रपति को मिं० फिलिप्स की दूसरी रिपोर्ट भी प्रकाशित कर देनी चाहिए, जिस के सम्बन्ध में विश्वास किया जाता था कि वह पहली रिपोर्ट से भी अधिक जोरदार है। सेनेटर चैंडलर ने जिन कठोर शब्दों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निन्दा की उससे महादीप एक से दूसरे छोर तक हिल उठा।

ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि उस ने मिं० विलियम फिलिप्स को वापस बुलाये जाने की मांग नहीं की थी। सेनेटर चैंडलर ने ब्रिटिश सरकार के इस खंडन का प्रतिवाद करते हुए वह तार प्रकाशित किया, जो भारत सरकार के विवेश विभाग के सेक्टरी सर शोलफ वेरो ने लंदन भेजा था। उस तार में कहा गया था कि भारत फिर मिं० फिलिप्स का स्वागत नहीं कर सकता।

तार में कहा गया था—

“हमारा यह जोरदार मत है कि ब्रिटिश दूतावास को अमरीकी सरकार से इस मामले पर बातचीत करनी चाहिए। मिं० पियरसन का लेख जिन समाचार पत्रों या पत्रों में हो उनके प्रवेश पर रोक लगाने के लिए हम प्रत्येक प्रश्न कर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि फिलिप्स अभीतक राष्ट्रपति का भारत-स्थित प्रतिनिधि ही है। विचारों के जाहिर-होने से मिं० फिलिप्स का संबन्ध ही या नहीं, किन्तु इतना स्पष्ट है कि वे हमें किसी तरह स्वीकार नहीं हो सकते और हम उनका किसी तरह स्वागत नहीं कर सकते। मैंत्रीपूर्ण राजदूत से जैसे विचारों की आशा हम कर सकते हैं वैसे उन के विचार नहीं हैं। वाइसराय ने इस पत्र को देख लिया है”।

सेनेटर चैंडलर ने एक मुलाकात में बताया कि उन के पास मिं० फिलिप्स-द्वारा राष्ट्रपति रुजबेल्ट को लिखे गये एक गुप्त पत्र की प्रतिलिपि है। यह पत्र १४ मई १९४२ का लिखा हुआ।

है। मिं० चैंडलर ने कहा कि इस पत्र को प्रकाशित करने का अवसर नहीं आया है, किन्तु यदि अवसर आया तो सेनेट के अधिवेशन में बेड़े गे।

विटिश दूतावास के एक प्रतिनिधि से जब मत प्रकट करने के लिए कहा गया तो उसने लार्ड हैलिफेक्स के इस कथन की ही पुष्टि की कि सच्चाट की सरकार ने कभी भी मिं० फिलिप्स को स्वीकार करने से इनकार नहीं किया।

मिं० फिलिप्स को गांधीजी से मिलने की अनुमति न देने पर 'न्यू स्टेट्समेन एंड नेशन' ने ८ मई १९४३ को लिखा :—

हाल की घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण वाइसराय-द्वारा मिं० फिलिप्स को जेल में गांधीजी से मिलने की अनुमति न देना है। मिं० फिलिप्स ने इस की सूचना जो अमरीकी व भारतीय पत्र-प्रतिनिधियों को भी दी है उससे उभकी—यदि जराजी नहीं तो—निराशा का परिचय मिलता है और इस निराशा में उनकी सरकार भी हिस्सा बटा सकती है। मिं० फिलिप्स को एक ऐसे अवसर से वंचित रखना, जिस के परिणामस्वरूप समझौते का मार्ग निकल सकता था, एक मूर्खता की बात थी। इससे भी अधिक अमरीकियों में यह भ्रम फैलने का खतरा है कि इम भारत में समझौता नहीं चाहते'।

इसी प्रकार मिं० फिलिप्स द्वारा भारतीय सेना को 'मर्सनरी' सेना (वह सेना जो गैर सुल्क में लड़ाई के लिए रखी जाय) बताने, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षमान के युद्ध-प्रयत्नों में अंग्रेजों के हिस्से को नाम मात्र का बताने और भारतीय सेना के अफसरों में धैर्य और साहस की कमीके बारे में जनरल स्टिलवेल के उद्दरण देने के विषय में भी तिल को ताङ बनाया गया है। अंग्रेज या भारतीय जिन अफसरों के लिए जनरल स्टिलवेल ने ऐसा कहा था—यह स्पष्ट नहीं हो सका है। दूसरे सैन्य विशेषज्ञों के मत से कुछ अंतर की आशा तो की ही जाती थी, क्योंकि एक तो इन अफसरों को हाक्र में भरती करके ट्रेनिंग दी गई थी और दूसरे उन्हें ऐसे ज्ञान में काम करना पड़ रहा था, जिस से दो बार पहले अंग्रेज खुद भाग चुके थे। भारतीय सेना 'मर्सनरी' कही जाने के सम्बन्ध में यह स्मरण किया जा सकता है कि क्रिस्टोफर्सन के दिनों जब रक्षा का विषय इस्तीतरित करने का प्रश्न उठा तो यह खुले शब्दों में कहा गया कि भारतीय सेना जैसा कोई सेना है ही नहीं और जो भी कुछ है वह अंग्रेजी सेना है और दूसी में भारतीय सैनिक सहायक सैनिकों के रूप में है। ऐसी सेना को क्या कहा जायगा? कुछ समय पूर्व गांधीजी ने भी भारतीय सेना को 'मर्सनरी' सेना कहा था। सर लिंकंडर ने इस का प्रतिवाद किया था। उब गांधीजी ने भारतीय सैनिकों को 'पेशेवर सैनिक' कहा था। खैर शब्द चाहे जो भी कहें जायें भारतीय सैनिकों को देशभक्त सेना नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहां तो भारतीय सेना तक का आस्तित्व नहीं है। इस हक्क का अंग्रेजों ने चारों तरफ से विरोध किया और कहा कि भारत ने ऐसे सैनिक प्रदान किये हैं जो अपनी इच्छा से भरती हुए हैं। यह सच है। परन्तु उन का स्वेच्छापूर्वक भरती होना और भी बुरा है, क्योंकि वे अपनी इच्छा से पेशेवर सैनिक बन कर एक ऐसे उद्देश्य की पुरिं के लिए लड़े, जो भारत का अपना उद्देश्य नहीं था और एक ऐसे युद्ध में लड़े, जो भारत पर जबरन लादा गया था। इस सम्बन्ध में पाठकों का ध्यान रिप्रिल्कन दब्ल के प्रतिनिधि कालिवन डी जामन के उस वक्तव्य की ओर खीचा जाता है, जो उन्होंने विटिश पार्जमेंट के सदस्य रेजिनारेट पुरविक द्वारा 'न्यूयार्क टाइम्स' में लिखे एक पत्र के उत्तर में दिया था। मिं० जोसन लिखते हैं :—

"मिं० फिलिप्स ने अपनी जो सरकारी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित की थी उसमें

स्टिलवेल के ही शटदों को उद्धृत किया गया था—‘जनरल रिटिलिंग ने ‘मर्सनरी’ भारतीय सेना और विशेषकर भारतीय अफसरों में धैर्य और साहस की कमी के सम्बन्ध में चिंता प्रकट की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिन दोनों बातों के विषय में विवाद उठ खड़ा हुआ है उन का प्रयोग मिलिंगिंप ने नहीं बल्कि मिलिंगिंप ने किया था।’ ‘मर्सनरी’ शब्द के कोष में दिये अर्थ के अलावा इस की व्याख्या भारत के एक भूतपूर्व प्रधान सेनापति फीज़ मार्शल सर फिलिप (बाद में लार्ड) चेट्वुड ने करते हुए उसे ऐसी सेना कहा है, जो सप्ता देकर दूसरे देश से मंगाई गयी हो और एक ऐसे देश रखी गयी हो, जो उत्तर का अपना न हो।’

कुछ लोगों ने फिलिप्स वाली घटना का महत्व घटाने का प्रयत्न किया और कुछ ने कहा कि बेकार ही तिल का ताङ बना लिया गया। विचार चाहे जो भी ठीक हो इस में कोई शक नहीं है कि विटिश सरकार ने कांग्रेस के खिलाफ़ आमरका में प्रचार करने के जो हजारों प्रयत्न किये थे वे इसी एक घटना-द्वारा धूल में मिल गये।

८ अक्टूबर, १९४४ को मिलिंगिंप ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कार्य-समिति के मद्दस्थों की रिहाई का कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ है। परन्तु आशर्चर्य की घात से यह है कि मिलिंगिंप ने जिस समन पार्लमेंट में यह घोषणा कर रहे थे उसी समय अहमदाबाद नजरबंद केम्प के सुपरिंटेंट ने डा० सैयद महमूद थो सूचित किया कि सरकार ने उन्हें विना किसी शर्त रिहा करने का फैसला कर लिया है। यह रिहाई स्वास्थ विगड़ने के कारण भी नहीं हुई, जिससे कि कहा जा सके मिलिंगिंप को मालूम न हुआ हो। यह रिहाई तो विना किसी शर्त के थी। डा० महमूद की अप्रत्याशित और एकाधिक रिहाई से जो तरह-तरह का अटकल-बाजी लगायी गयी थी वे उन के वाहमराय के नाम ७ सितंबर के उस पत्र के प्रकाशित होने से समाप्त हो गयी, जो उन्होंने कार्य-समिति के अन्य साथियों से सलाह लिये विना खिलाथा। इस पत्र के कारण सरकार के पास उन्हें रिहा करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया, यद्योंकि उन्हें पत्र से वाहमराय के भाषण की दो शर्तें पूरी होती थीं—यानी अगस्त प्रस्ताव से मतभेद प्रकट करना और युद्ध-प्रयत्न से अमर्योग या बाधा का रुख हटा लेना। यही नहीं, डा० सैयद महमूद का रुख तो और भी आगे बढ़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो साफ लफ्तों में कह दिया कि वे तो इमेशा से विना किसी शर्त सद्योग के पक्षात्ती रहे हैं। डा० महमूद का पत्र पढ़ कर बड़ा दुख होता है। जिस समय गांधीजी ने उनके इस कार्य को माफ किया उस समय शायद उनके सामने सभी तथ्य मौजूद न थे।

### केन्द्रीय असेम्बली (नवम्बर, १९४४)

केन्द्रीय असेम्बली की बैठक नवम्बर में शुरू हुई। इस अधिवेशन के सम्बन्ध में सबसे मनोरंजन बात यह थी कि कांग्रेसी दल ने उसमें भाग लिया। यह नहीं कि कुछ कांग्रेसी सदस्थों ने बिद्रोह करके ऐसा किया हो, बल्कि कांग्रेसी दल ने दिना किसी आदेश के अपनी एक बैठक में ऐसा फैसला किया था। इस प्रकार चार साल बाद कांग्रेसी लोग असेम्बली भवन तथा खाली में फिर दिखायी देने लगे। इसके अलावा, दो निदा के प्रस्ताव पास कराने के अतिरिक्त कांग्रेसी दल कुछ नहीं कर सका। इनमें पहला प्रस्ताव बल्दाखुर स्टेशन की एक रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में था, जिसमें एक ईंजन ने सर्चाक्काईट के बिना आगे चढ़ाकर ४ यात्रियों को गिरा दिया था। दूसरा प्रस्ताव सरकार के खाली-सम्बन्धी कुप्रबन्ध के विषय में था। सब से दुर्खाद पहलू यह था कि कांग्रेसी-दल ने असेम्बली के अधिवेशन में भाग लेकर इसी वर्ष पहले बजट अधिवेशन में

भाग लेनेवाले कुछ विद्रोही सदस्यों का अनुसरण करके कार्य-समिति के मई, १९३८ बाले निर्णय को उल्ट दिया। अन्य मनोरंजक बातों में एक यह जातकारी भी थी कि उस समय जेलों में लगभग २,१०० नजरबन्द थे और हजारों से लगभग आठगुने ऐसे कैदी भी थे, जिन्हें सज्जा मिल चुकी थी और इन सजायापता कैदियों में से सिर्फ बिहार में ४००० और संयुक्तप्रांत में ३००० से अधिक व्यक्ति थे। खाद्य की उपलब्धिक के विषय में सरकार का रुख अधिक संयत हो गया और वह अधिक सतर्कता से अपने वक्तव्य देने लगी। खाद्य के डाइरेक्टर-जनरल श्री सेन तथा ग्रिफिथ्स के वक्तव्यों से स्पष्ट हो गया कि उपलब्धिक तथा दुलार्हा के सम्बन्ध में व्यवस्था कैसी थी। साथ ही इस बार सरकारी वक्तव्यों में अतिरिक्त आत्म-विश्वास की भावना भी न थी, जो पिछले वक्तव्यों में पायी जाती थी। परन्तु १९४५ में फरवरी से अप्रैल तक के बजट-अधिवेशन से लोगों का अधिक ध्यान आकर्षित हुआ। नेताओं के अहमदनगर किले से उनके प्रांतों में भेजे जाने में भी कुछ अनावश्यक दिलचस्पी ली गयी। सरकार भी यह परिवर्तन करने को उत्सुक जान पड़ती थी—इसलिए नहीं कि उसे सदस्यों के प्रति कुछ हमदर्दी थी और न इसलिए कि उस पर लोक-मत का प्रभाव पड़ा था, विलियम किसास होते हुए यूरोपीय युद्ध से अधिकाधिक रेजिमेंट घास प्राप्त के कारण सैनिक अधिकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। बजट-अधिवेशन में आकर्षण का मुख्य केन्द्र स्वयं बजट होता है और सब दलों ने मिलकर सरकार को २७ बार हराया। १९३४ के बजट के समय से सरकार की उन्हीं अधिक हारें कभी न हुई थीं। बहसों के बीच राजनीतिक दिलचरी की सामग्री कुछ भी न थी।

नये वर्ष—१९४५ में भी कांग्रेस या सरकार एक को भी राहत न मिली। कांग्रेस की विचार-प्रारा यही थी कि “उसके नेता जेल में हैं,” और वे “कारागारों या किलों में नजरबन्द बने रहकर,” गांधीजी के शब्दों में, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। गांधीजी से जब कितने ही लोगों और खासकर विद्यार्थियों ने पूछा कि ६ अगस्त का दिन कैसे मनाना चाहिये तो उन्होंने उत्तर दिया:—

“एक सत्याग्रही जेल में घुलता कभी नहीं है। जेल में रहकर भी वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को पसंद तो करता हूँ कि विद्यार्थी ६ तारीख को स्कूलों से गैर-हाजिर हों, किन्तु उन्हें अपना सम्पूर्ण दिन आत्म-शुद्धि तथा सेवा में व्यतीत करना चाहिए। आपका निश्चय चाहे जो हो, पर आपकी विद्यार्थी की सीमा का अतिक्रमण न होना चाहिए और यद्यनिश्चय अध्यापकों तथा स्कूल के प्रबंधकों की सलाह से होना चाहिए। आपको यह भी न भूलना चाहिए कि आपका स्कूल सरकारी स्कूल नहीं है।”

श्री प्यारेराजा ने गांधीजी के विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि स्कूलों से गैर-हाजिर होने के लिए गांधीजी ने जो शर्तें बतायी हैं उन पर खास तौर पर ध्यान देना आवश्यक है—जो गैरहाजिरी पर नहीं बल्कि आत्म-शुद्धि और सेवा के कार्यक्रम पर है। गांधीजी की इस सलाह का इस सिद्धांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि विद्यार्थी जब तक असहयोग करने और शिक्षा-संस्थाओं को छोड़ने का फैसला न करते तब तक उन्हें अपनी-शिक्षा-संस्थाओं के अनुशासन तथा नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए।

पहले सरकार के आगे और फिर मिं० जिन्ना के आगे सुफाव उपस्थित करके गांधीजी ने जनता की परायश्मूलक भावना को मिटाने के लिए जो-कुछ भी सम्भव था वह किया। इसके अलावा, गांधीजी ने अपना रचनात्मक कार्यक्रम दोहराया और जनता तथा छोटे कांग्रेसजनों

में जो निराशा की भावना फैली हुई थी उसे दूर करके उत्साह का संचार किया।

इसके उपरांत गांधीजी मौन रहे और अलावा इसके कुछ भी न कहा कि जब तक कार्य-समिति जेल में है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसे उस दबाव के कारण राहत नहीं मिल रही थी, जो उस पर नेताओं की रिहाई के लिए भारत और इंग्लैंड में डाक्या जा रहा था। जब कि बाहर यह सब हो रहा था, अहमदनगर किले में जो लोग थे उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारों तथा केन्द्रीय असेम्बली में होने वाले सत्ताल-जवाबों से चिंता व परेशानी की भावना फैलती जा रही थी। १६४५ के मार्च और अप्रैल, तक सब नेता अपने अपने प्रांतों को भेज दिये गये। सिर्फ श्री कृपलानी को ही अपने जन्म के प्रांत को भेजा गया, जिसे वे बीस साल पहले छोड़ चुके थे। गोकिंठेड़-यूनियन-कॉमेंस जैसी आराजनीतिक संस्था के अध्यक्ष २१ जनवरी को और लिवरपुल कांफ्रेंस जैसी माडरेट राजनीतिक संस्था १८ मार्च को नेताओं की रिहाई की मांग उपस्थित कर लुके थे, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मांग इतने ही तक सीमित थी।

इसके अलावा, अमरीका में उग्र प्रचार-कार्य चल रहा था। १६४४ के जाहे में श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित ने अमरीका में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया उसके सम्बन्ध में यहां कुछ कहना असंगत न होगा। उन्होंने देश के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा किया और अपने अकाद्य तर्कों से, अपनी आवाज को मिठास से आर अपनी ओजस्विता से असंख्य सभाओं में श्रोताओं को प्रभावित किया। श्रीमती पंडित ने एक के बाद दूसरे मञ्च से घोषणा की कि जिस समय मुसोलिनी की शांक अपनी-चरमसीमा पर थी उस समय भारत पहला देश था, जिसने फासिज्म के विरुद्ध आत्माज्ञ उठावी थी और जोकतंत्रवाद के अदर्शों को ऊँचा उठाया था। बंगाल की यातना का कहण वित्र उनके जैसा और कोई नहीं खोंच सकता था, क्योंकि अमरीका के लिए रवाना होने से कुछ ही पहले युद्ध-जन्य तथा मानव-निर्मित इस अकाज में भूखों को पीड़ा और नगों का कष्ट वे अपनी आंखों से देख चुकी थीं। श्रीमती पंडित ने अमरीका पर भारत के प्रति अपने विचार स्पष्ट न करने का आरोप किया। और स्वयं राष्ट्रपति रूजवेल्ट को भारत के राष्ट्रीय-जीवन के संकटकाल में चुप्पी साधे बैठे रहने का दोषी उद्घारया। अमरीका में उनके भाषणों को व्यापक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया, किन्तु इंग्लैंड में उनकी ओर पर्यास ध्यान आकर्षित हुआ। श्रीमती पंडित ने कहा कि इन दिनों समूर्ण भारत ही एक विशाल नज़रबद्ध कैम्प बना हुआ है और मिं० एमरी ने उनकी इस उकियों को “अविश्वसनीय” कहा। परन्तु श्रीमती पंडित ने फिर अपने शब्दों को दोहराया और चुनौती दी कि उनके कथन को गलत सिद्ध किया जाय। मिं० एमेनुश्रुत सेलर ने प्रतिवर्ष कुछ भारतीयों को अमरीका आकर बसने की जो अनुमति दिलायी उसमें भी श्रीमती पंडित ने कुछ कम भाग नहीं लिया। श्रीमती पंडित ने अमरीका के सभा-संघों पर खड़े होकर अंग्रेजों से अनुरोध किया कि जिस ‘श्वेत जाति के भार’ को आप इतने दिनों से उठाये हुए हैं उसे उतार कर हल्के हो जाइए। दूसरे प्रशांत-सम्मेलन के परिणामों से आपने निराशा प्रकट की और कहा कि सम्मेलन में बाद-विवाद सैद्धान्तिक था और वास्तविक मनुष्यों-पर्योगी बातों का उसमें अभाव था। अमरीका को महिलाओं ने जिनमें श्रीमती रूजवेल्ट से लेकर प्रसिद्ध कार्यकर्तृ श्रीमती क्लेरी ल्यूस जैसी स्त्रियां थीं, आपके सम्मान में भोज तथा दावतों के आयोजन किये। श्रीमती पंडित ने क्लीनकैंड में ‘कौसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स’ की तरफ से होने-वाली एक सभा में भाषण दिया। आपने कहा कि संसार की शांति में भारत एक बड़ा भारी रोड़ा

है, भारत की समस्या में युद्ध का सम्पूर्ण नैतिक प्रश्न निहित है और यह भी कि जब लोकतंत्र-वादी देश अपने कथित उद्देश्य की सिद्धि के लिए लड़ रहे हैं तो वे भारत की ४० करोड़ जनता के पदार्थकांत किये जाने को कैसे सहन करते हैं। श्रीमती पंडित ने कहा कि भारत का प्रश्न ऐसी समस्या नहीं है, जिसे आभी उठाकर ताक पर रख दिया जाय और युद्ध समाप्त होने पर शांति की शर्तों के तय होते समय ही उसे निबटाया जाय। न्यूयार्क से रेडियो पर ब्राफ़ाकास्ट करते हुए अपने कहा कि नये संयुक्तराष्ट्र-संगठन ने जिन नये सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उनकी परीक्षा देशिया में होगी। परन्तु औपनिवेशिक साम्राज्यों का अस्तित्व संसार की शांति तथा मानवजाति की उच्चति के लिए सदा खतरा ही बना रहेगा।

गोकिं सानफ्रांसिस्को के सम्मेजन में श्रीमती पंडित भारत की प्रतिनिधि के रूप में शरीक नहीं हो सकी, किन्तु प्रशान्त औपनिवेशिक नीति पर विचार होते समय अपने प्रतिनिधियों व पत्रकारों को खूब बातें बताईं। 'यूनाईटेड प्रेस आफ अमेरिका' के प्रतिनिधि के मुलाकात करने पर श्रीमती पंडित ने अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों के इस विचार की कड़ी आलोचना की कि प्रस्तावित विश्व-संरक्षण प्रणाली के अन्तर्गत परायीन राष्ट्रों को सड़-शासन का सिर्फ वचन ही मिलना चाहिए, वास्तविक स्वाधीनता नहीं। अपने कहा कि यूरोप की साम्राज्यवादी भागों को स्वीकार करके अमेरिका को अरने उद्द्वेष्य यथा पर धब्बा न लगाना चाहिए। सानफ्रांसिस्को के स्काइरा राइट आडिटोरियम में २,५०० व्यक्तियों के समझ भाषण करते हुए श्रीमती पंडित ने साहसरूपक कहा कि यदि एशिया की जनता को कुछ आश्वासन न दिया गया तो वह विद्रोह कर देशी।

लिबरल फेडरेशन पाकिस्तान के विरुद्ध था और भारतीय संघ स्थापित होने से पूर्व राष्ट्रीय सरकार कायम किये जाने के पक्ष में था। इसके अतिरिक्त, उसने अखिल भारतीय नौकरियों-के भारतीयकरण की भी मांग की और अनुसरण की जानेवाली नीति के सम्बन्ध में भय प्रकट किया। कुछ समय से इस प्रश्न के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की जा रही थी। मिं पुमरी ने कामंस सभा में जहां नेताओं की रिहाई के बारे में उदासीनता के रूप का परिचय दिया वहां कपान गेमंस के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि १ जनवरी, १९४३ को यूरोपीय अफसरों की संख्या १,७७१ थी। मिं पुमरी ने कहा—“ये अफसर किन पदों पर हैं इस सम्बन्ध में मैं एक सरकारी रिपोर्ट जानकारी के लिए उपस्थित कर रहा हूँ।” भारत मन्त्री के इस उत्तर से कुछ भ्रम फैल गया। नवम्बर, १९४४ में वाइसराय की कार्य-परिषद् के दो भूतपूर्व सदस्यों ने कहा था कि भविष्य में हंडियन सिविल सर्विस में सिर्फ भारतीयों की ही नियुक्त होनी चाहिए।

लार्ड-वेवल अपने भूतपूर्व गृह-सदस्य सर रेजिनालड मेक्सवेल से, जिन्होंने केन्द्रीय असेम्बली में गतिरोध होने को बात से ही इनकर किया था, एक कदम आगे बढ़ गये। वाइसराय ने कहा कि उनकी मौजूदा शासन-परिषद् ही राष्ट्रीय सरकार है, क्योंकि उसमें १२ सदस्यों में से ११ भारतीय हैं।

पूर्व परम्परा के अनुसार लार्ड-वेवल ने १४ दिसम्बर, १९४४ को दूसरी बार असोशियेटेड चेम्बर्स आफ कामर्स, कलरत्ता में भाषण दिया। भारत में अंग्रेजी राज के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने वाली इससे अधिक और क्या बात हो सकती है कि वाइसराय प्रतिवर्ष अंग्रेज व्यापारियों की तरफ से एक व्याख्यान सुने और युद्ध भी एक व्याख्यान देकर उन्हें बतावे कि उसे जो

कम्पनी, अभी तक काम कर रही है। अब भी उस कम्पनी के हिस्सेदार अपने जनरल मैनेजर से जवाब तलब करते हैं। लार्ड इलिंग्टन भले ही अत्रान अमरीकियों में प्रचार करें कि ब्रिटेन को भारत से एक सेंट भी नहीं मिलता। परन्तु अंग्रेज व्यापारी प्रति वर्ष भारत से औसतन् ७६ करोड़ डालर मुनाफा कमाते हैं।

अस्तु, वाइसराय के उस भाषण में सामविक समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। विश्व युद्ध के समय प्रत्येक समस्या युद्ध की तुलना में गोण हो जाती है, जिस प्रकार कि प्रत्येक विभाग परांत रूप से युद्ध-विभाग के अधान होता है। यही कारण था कि वाइसराय ने एक वर्ष पहले इंग्लैंड में जो तीन कार्य अपने सामने बताये थे उनमें से पहला स्थान युद्ध में विजय प्राप्त करने को और अंतिम व तीसरा स्थान राजनीतिक गतिरोध दूर करने को दिया था। उस समय उन्होंने युद्ध सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम और राजनीति का जो क्रमिक महत्व बताया था उसी क्रम से उन्होंने कदम भी उठाया। स्मरण किया जा सकता है कि उस समय लार्ड वेवल ने यह भी कहा था कि युद्ध चलने रहने की हालत में राजनीतिक समस्या का हल नहीं किया जा सकता। हम पाठक को लार्ड वेवल के उन शब्दों की भी याद दिलाना चाहते हैं, जो उन्होंने १७ फरवरी, १९४४ को व्यवस्थापिका-समाजों के संयुक्त अधिवेशन में कहे थे। आपने कांग्रेसजनों से अनुरोध किया था कि कम से-रुम अपने अन्त कारण में सोच-विचार करके ही उन्हें आगाम (१९४२) प्रस्ताव से अपना मतभेद प्रकट करना चाहिए और यह भी सूचित किया था कि जब तक 'असहयोग तथा बाधाओं को हटा नहीं लिया जाता' तब तक मैं (लार्ड वेवल) कार्य-समिति के सदस्यों को रिहाई की सलाह नहीं दे सकता। वाइसराय ने यह भी कहा था कि ये उनके अंतिम विचार नहीं हैं।

लार्ड वेवल ने अपने कज़कता वाले दूसरे भाषण में उस रहेसदे संदेह को दूर कर दिया, जो कुछ आशावादी लोगों के मतिष्क में बना था कि शायद लर्ड वेवल राजनीतिक अङ्गों को तूर करने के लिएशर्तों में कुछ परिवर्तन करना स्वीकार कर लंगे। उनके दूसरे वर्ष के विचार पहले वर्ष से कहीं अधिक कड़े थे। जहाँ एक तरफ उन्होंने राजनीतिक केंद्रियों की रिहाई के प्रश्न को छोड़ दिया था वहाँ दूसरी तरफ उन्होंने युद्ध के भारत पर प्रभाव, राष्ट्रीय सरकार, राजनीतिक व्याधि के उपचार के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे। यह राजनीतिक व्याधि आश्रयजनक ज्ञान पड़ती थी और एक योद्धा, राजनीतिज्ञ तथा कवि के रूप में उनकी ख्याति के अनुरूप न थी। लार्ड वेवल अमेरिंज का उस परम्परा तथा दैश्वर प्रदृश स्वभाव के पिलकुन्ज अनुरूप सिद्ध हुए, जिसका वर्णन चालस डिकेन्स ने अमेरिंज के शासक वर्ग का चर्चा करते हुए किया है। डिकेन्स ने कहा है कि ये लोग 'किस प्रकार किसी कार्य को टाला जाय' की कज़ा में चतुर हैं। लार्ड वेवल के विद्यमिस्स भोज वाला 'मानसिक पिटारा' काफ़ा प्रसिद्ध हो चुका है। पर आसियेटेड चेम्बर्स आफ कामर्स के भाषण में वाइसराय ने उस 'मानसिक पिटारे' को डाक्टर के बैग का रूप दे दिया। राजनीतिक प्रचारक से बदल कर आपने आंखधियिकेना का रूप धारण कर लिया। आपने मिश्नशर व गोली खिला कर उपचार करने के पुराने तरोंको की निन्दा की और 'विश्वास द्वारा चिकित्सा' के उसी तराके की खिकारिया की, जिनके लिए ब्रिटेन में ईसाई वैज्ञानिकों को दंडित किया जाता रहा है। यद्यपि लार्ड वेवल राजनीतिज्ञ का स्थान-संनिक को और सैनिक का स्थान राजनीतिज्ञ को देने की निन्दा कर चुके हैं, फिर भी यहाँ तो सैनिक सिर्फ राजनीतिज्ञ ही नहीं बन जाता बल्कि राजनीतिज्ञ एक चिकित्सक भी बन जाता है।

भारतीय संस्कृति के लिए अपनी सहज घृणा प्रकट करते हुए लार्ड वेवल ने 'भारत छोड़ो' मिशनचर तथा 'सत्याग्रह गोलियों' की जिन्दा की और ब्रिटेन में विश्वास रखने की सकाइ दी— उसी ब्रिटेन में, जो भारत, यूनान और पोलैंड में अटलांटिक अधिकार-पत्र की धजियाँ उड़ा चुका था, जिसने क्रांकों को स्पेन में, मुसोलिनी को इटली में और जापानियों को मंचूरिया में सत्ता जमाने में मदद की थी या उनके आस्तित्व को सहन किया था। हाँ, विश्वास की दलील दी जा सकती है, किन्तु उसी हालत में जब कि विटिश सरकार या विटिश पाल्मेंट स्थल, और बायु-सेनाओं से काम न लेती हो, जब कि 'विश्वास, आशा और प्रेम' ही उसके हथियार हों और जब कि उसके सीमोड़ों और बाम्बरों का स्थान उसकी 'अजेय आत्मा' ने ग्रहण कर लिया हो। परन्तु राष्ट्र जिन भावनाओं से आनंदोलित होते हैं वे वेवलों और चर्चिलों से छिपी नहीं रह सकतीं और यह नहीं हो सकता कि गुरुत्वाकर्षण का एक नियम ब्रिटेन के लिए हो और भारत के लिए दूसरा हो। विश्वास श्रंधा नहीं हो सकता, विश्वास करते समय यह ध्यान जरूर रखा जाता है कि जिसमें विश्वास किया गया है, वह व्यक्ति, स्थान या वस्तु उसके योग्य है या नहीं। अयोग्य, स्वार्थी, कूर या लाजवाची डाक्टर में विश्वास नहीं किया जाता। विश्वास कोई स्वप्न की वस्तु नहीं है, उसकी पूर्ति की आशा आवश्यक है। भारत किस में विश्वास करे? उस चर्चिल में, जिसने सार्वजनिक रूप से कहा था कि शत्रु को धोखे में रखने के लिए मूठ बोलने में कोई हानि नहीं है या उस रूजवेल्ट में, जिसने अटलांटिक अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर होने की बात का खंडन किया था और जो पोलैंड के बैंटवारे का उसके निवासियों की इच्छा के विरुद्ध भी समर्थन करने की तैयार थे। 'विश्वास अच्छाइ, विश्वास उद्धारितकर है और राह बराबर विश्वास से पहाड़ तक दिलजाते हैं,' किन्तु हार्दिक और सच्चा विश्वास स्वाभाविक विकास से ही होता है। अपनी शान में भूले रहने वाले राजनीतिज्ञों की तो दूर रही, संगीनों के बल पर भी विश्वास पैदा नहीं हो सकता और न कोई नीम हकीम ही अपने हजेश्वरण से विश्वास का संचार कर सकता है। लार्ड वेवल के भूत-पूर्व सहयोगी सर होमी मोदी ने ठीक ही कहा था कि यदि "किसीको विश्वास-द्वारा उपचार की जरूरत है तो ब्रिटिश सरकार की चिकित्सा तो रक्तोपचार-द्वारा होनी चाहिए।"

प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल ने भारत के स्वशासन के बारे में मिं फिल्म्स से जो निम्न शब्द कहे थे उन्हें भारत भूला नहीं है—

"मेरा मत यूरोप के बारे में हमेशा ठीक रहा है। मेरे भारत सम्बन्धी विचार भी ठीक ही हैं। अभी नीति में किसी भी परिवर्तन का परिणाम रक्षात ही होगा।"

हम गुह-विभाग के सेक्रेटरी जोहंसन हिम्स (बाद में लार्डवेलफोर्ड) के निम्न सच्चे वकानों में गूंजने वाले शब्दों को भी कभी भूल नहीं सकते:—

"हमें साफ लफजों में कहना चाहिए। हमें कपट को दूर रखना चाहिए। हम भारत में भारतवासियों के प्रेम के कारण नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं कि इससे जो कुछ भी लाभ हो सके, प्राप्त करते हैं। यदि भवित्व में कभी धर्तमान सरकार का कोई सदस्य ईमानदारी से सोचेगा और अपने विचार ईमानदारी से प्रकट करेगा तो वह भी ठीक यही कहेगा कि 'हम भारत में भारत-वासियों के प्रेम के कारण नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं कि इससे जो भी कुछ लाभ हो सके, प्राप्त करते हैं।'

आइये, विचार करें कि क्या सचमुच भारत में अंग्रेजों की इतनी सम्पत्ति लगी हुई है कि चर्चिल के बताये रक्षात के बिना भारतीय राष्ट्र को स्वाधीनता नहीं दी जा सकती। इस

सम्बन्ध में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं—

(१) भारत के ३,६०,००,००,००० डालर सार्वजनिक ऋण का वापिस व्याज लगभग १०,००,००,००० डालर होता है।

(२) उद्योग, खान तथा यातायात साधनों में आधी पूँजी अंग्रेजों की है।

(३) जहाजरानी, चाय, कहवा, रबड़ और जूट में अंग्रेजों का एकाधिकार है। सूती कपड़ा और पिसाई के आये उद्योगों पर उनका आधिपत्य है।

(४) भारत में कुल विदिश पूँजी ७,८०,००,००,००० डालर है, जिसमें औसत ७०,००,००,००० डालर मुनाफा होता है।

फिर आश्चर्य ही क्या है जो मिठो चर्चिल विटिश साम्राज्य के खालमें को अपनी आंखों में देखने को तैयार न हो।

उपर्युक्त तथ्यों से तुलना करने समय निभन बातें भी स्मरण रखनी चाहिए—

(क) औसत भारतीय की आय १३.५० डालर है, जब कि प्रति व्यक्ति पांच इंग्लैंड। आय ३६६.०० डालर और अमरीका में ६८०.०० डालर है।

(ख) कोयले की खानों में पुरुषों की मजदूरी २० सेंट दैनिक तथा स्त्रियों और बालकों की मजदूरी १० सेंट दैनिक है।

(ग) चाय वर्गी के बागों में मजदूरों के वेतन ६ से १० सेंट तक दैनिक है।

बम्बई और अहमदाबाद सूती-कपड़ा-उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं। जब सूती कपड़े की प्रमुख कर्मनियां शत-प्रति-शत मुनाफा कमाती हैं उनके मजदूरों में से २० शतिशत कुट्टायां पर सो कर निर्वाह करते हैं। सबसे अधिक मजदूरी बम्बई में मिलती है। यहां मजदूर मध्याह में ५४ घंटे काम करते हैं और ३३ रुपया माहवार (११ डालर) कमाते हैं। उत्तरी भारत में औसत मजदूरी १२ रु. माहवार (४ डालर) है। ये आंकड़े अखिल भारतीय द्वेष यूनियन कोषम के अध्यक्ष श्री एस० ए० डांगे ने अपनी एक मुलाकात में दिये थे।

लार्ड वेवल ने यह नहीं सोचा कि बिटेन के प्रति विश्वास रखने की जो वे वकालत कर रहे हैं उस से स्वाधीनता की वे गोलियां नहीं मिलेंगी, जिनमें और सिर्फ जिन्होंमें पीजे, चिन्ता से कमज़ोर हुए और अशक्त भारत में नवजीवन का संचार हो सकता है। अपने भाषण के विष्णुले हिस्से में लार्ड वेवल ने अपनी शासन परिषद् के उत्तम कार्य की चर्चा की और कहा कि गोकिं परिषद् की आलोचना की जाती रही है और उसे बुरा भला भी कहा जाता रहा है फिर भी उसने भारत के लिए आवश्यक कार्य किया और सब मिला कर बहुत ही अच्छी तरह किया। उस समय शासन परिषद् में ११ भारतीय थे और सर जर्मी रेजमेन के आवकाश प्रदान करने पर लार्ड वेवल को ११वें भारतीय की नियुक्ति करने का मौक मिला, किन्तु नियुक्ति सर आखिवाल्ड रोलेंड्स की हुई। यह कहते हुए लार्ड वेवल स्वीकार कर रहे थे कि “नयी सरकार भारत की आवश्यकताओं के देखते हुए अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है, इसलिए नहीं कि नयी सरकार वर्तमान सरकार से ज्यादा कार्यक्रम होगी, बल्कि इसलिए कि अभी और भविष्य में हमें जो प्रयत्न करने हैं उन में हमें काफी त्याग की ज़रूरत पड़ेगी। औसत आदमी अपने से गरीब व्यक्ति या भावी पीढ़ियों के लिए अपनी कुछ आय या आराम का त्याग करने के लिए तब तक राजी नहीं होता जब तक कि कोई तानाशाह उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करे और या उस का नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हों, जिन हर उसका विश्वास हो!” साफ है कि

वाइसराय अनुमत कर रहे थे कि उन की सत्ता तानाशाही है, किन्तु उसकी दबाव डालने की शक्ति सामित्र है, क्योंकि भाषत का आंसूता व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता। परन्तु लार्ड वेवल सत्य से बिल्कुल अपरिचित न थे। आपने कहा—“परन्तु इस का यह मतलब नहीं कि कोई दूसरी राष्ट्रीय सरकार—जो मेरी व्याख्या के अनुसार राष्ट्रीय हो और साथ ही जिसे मुख्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, भरत को आवश्यकताओं के देखते हुए अधिक उपयोगी सिद्ध न होगा,” क्योंकि “अभी तथा भविष्य में हमें जो प्रयत्न करने हैं उनमें हमें काफी ध्यान को ज़रूर पड़ेगा” और “आपत व्यक्ति तब तक ल्यान नहीं करता, जब तक या तो कोई तानाशाही उसे ऐसा करने के लिए मज़बूर न करे और या उस का नेतृत्व देसे लोग कर रहे हों जिन पर उस का विश्वास हो।” दूसरे शब्दों में लार्ड वेवल को तथाकृष्णत राष्ट्रीय सरकार वास्तव में तानाशाही ही थी और उस को दबाव डालने की शक्ति सामित्र थी, जैसा कि वाइसराय ने खुद भी स्वीकार किया, और हस्त कारण वे एक ऐसा राष्ट्रीय सरकार चाहते थे, जिसे जनता का विश्वास प्राप्त हो। जब लार्ड वेवल ने भगवन् १३ सालियों को “मुख्य कार्य करने तथा सेनापतियों को इच्छा के अनुसार युद्धनश्वरी का अप्रत्यक्ष करने के जिन धन्यवाद दिया” तो उनका हल्का स्कूल के एक अव्यापक क सामाजिक जनन पड़ने लगा। सिर्फ इसी एक वक्तव्य से प्रकट हो गया कि इस सनिक वाइसराय में उष रचनात्मक राजनातिज्ञता का अभाव था, जिसकी आवश्यकता युद्धोत्तर कार्यों के लिए था। इतना ही नहीं, वाइसराय उस भारी मांग का भी अनुमति नहीं कर सके, जो जापान क विलद प्रशान्त के युद्ध का मुख्य आधार बनने के कारण भारत के प्रति को जानेवालों था। यदि लार्ड वेवल ने जो कुछ कहा वही वह महसूस भी करते थे तो यही कश जा सकता है कि कशना-राजा ने उन्हें तुरों तरह धोखा दिया। युद्ध के आर्थिक पहलुओं और गतिशील के राजनातिक कारणों क समर्थन में विचार प्रकट करते हुए उन्होंने दो भारी गलतियों का था। लार्ड वेवल ने जो यह कहा था कि युद्ध के कारण भारत की शक्ति घटने के बजाय बढ़ा है—इसे हृदयदीनता या दूरदर्शिता का अभाव बता कहा जाय? बंगाल में ७० लाख व्यक्तियों के प्राण गये, किन्तु लार्ड वेवल इसे युद्ध का परिणाम ही मानने को तयार न थे। इस के प्रत्यक्ष भारत भारी स्थानों का भारी कमा, वितरण व्यवस्था भंग हो जाने, कपड़े का कष्ट, चार बाजार का त्रुपाई, मुद्रा-बांदूज्य और मूल्य-सूचक अङ्कों का चढ़ कर २२७ तक पहुंच जाना (जब हंडेरेंड में मूर्चा का वृद्धि २० से ४० प्रतिशत हो दुई थी) — यह सब याकूब बड़त का जगह घटन के ही जगह थे। जब लार्ड वेवल ने यह कहा कि ब्रिटिश सरकार युद्ध दूसरे वर्ष में राजनातिक समझा हज़ करने का प्रयत्न १९३५ का कानून पास करने के आरंक़सन-मिशन भव रख दिया था तो कहा जा सकता है कि जहाँ तक पहला बार के प्रयत्न का तालुक है, वाइसराय इतिहास की एक घटना पर प्रकाश डाल रहे थे आरंक़सन तक दूसरे प्रयत्न का तालुक है वे प्रचार को दृष्टि से उस का उल्लेख कर रहे थे। १९३५ वाला कानून भारत के विराव करने पर अरंक़सन दूसरी गांधीजी वरिष्ठ में उपस्थित किये गये आगामी विवरण्य में एक स्वर य प्रकट की गया भारतीयों के इच्छा के विशद् पास किया गया था। किन्तु मिशन का उल्लंघन में गया जब जापानी हमले का खतरा उत्तरिया हुआ था और खतरा हटते हो उसे वापस बुझा लिया गया था। किन्तु प्रस्तावों में जिस नीचता और वेधानिक धोखेवाजी का परिचय दिया गया था उसे यहाँ दोहराने की अवश्यकता नहीं है और स्वयं लार्ड वेवल भी, जो लार्ड लिनार्डिथगो के ही समान उस की असफलता के लिए

जिम्मेदार थे, प्रस्तावों के सम्बन्ध में इतनी वास्तविकता से परिचित थे, जितनी थे कभी मान नहीं सकते। वाइसराय की जिस बात ने जले पर नमक का बाम किया वह तो यह थी कि इस संकट के समय प्रत्येक दल के लिए राष्ट्रीय सरकार बढ़ी है, जिसमें शक्ति उसके आगे पास रहे और यह भी कि यदि इस देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई तो उस का उद्देश्य युद्ध-प्रयत्न में तदेदिल से हिस्सा लेना होगा। प्रश्न है कि किस दल ने राष्ट्रीय सरकार में सिर्फ अपने द्वीप लिये शक्ति की मर्त्ता की है? ऐसे अवसर पर जिप मर्त्ता और सौन्दर्य की आशा ब्याख्यानदाता से को जाती थी उन से उनकी ये बातें किसी भी तरह मेल नहीं खातीं।

इस सम्बन्ध में हम अंग्रेज डा० लुकाम के बुद्धिमत्ता-पूर्ण शब्दों का छाला देना चाहते हैं, जिन्होंने पंजाब आर्थिक सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा था:—

“अभी उस दिन वाइसराय ने कलकत्ता में एक विवेचन वक्तव्य दिया है कि इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत की शक्ति में बुद्धि हुई है। जहाँ तक सैनिक दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, इस उक्ति की यथार्थता बिल्कुल स्पष्ट है। परन्तु आर्थिक दृष्टि में जहाँ कुछ बातों में उन्नति हुई है वहाँ दूसरी बातों में भारी अवनति भी हुई है। देश की यातायात प्रणाली को ही लीजिये। हमारी रेलों की पटारियाँ बिस गयी हैं, डिव्हें और इञ्जन पुराने पड़ गये हैं। साज-सामान तथा नये कल-पुर्ती की उपलब्धि बहुत कम है और ट्रेनों को यात्रा तो ऐसी ही है कि उसकी कल्पना से ही भय लगता है। हमारी पक्की सड़कों की मरम्मत होना अभी सम्भव नहीं है आर हमारी बसें तथा लारियाँ ऐसी खराब दशा में हैं कि दुर्घटनाएँ बहुत होने लगी हैं। टेलिग्राफ और टेलिफोन की सर्विसें अस्त और सीमित हैं। विलास, आराम या सुविधा तक की वस्तुएँ बहुत गयी हैं और नयी वस्तुएँ दिखायी नहीं देतीं। हमारी मिलों व फैक्ट्रियों की मरम्मत दिस गयी हैं या पुरानी पड़ गयी है और उन से काम चलाना कठिन हो रहा है। युद्धोत्पादन के द्वेष से बाहर कोई बड़ा उद्योग हमने नहीं आरम्भ किया है और युद्धोत्पादन सम्बन्धी उद्योगों की बाद में कोई उपयोगिता न रह जायगी-कम सं-कम उन्हें उपयोगी बनाने के लिए अनेक परिवर्तन करने पड़ेंगे। कारीगरों तथा साधारण कर्मचारियों की संख्या बेहद बढ़ गयी है, किन्तु युद्ध कालीन शिल्प-चातुर्य से शानितकाल में लाभ उठाया जा सकेगा या नहीं यह प्रश्न विचारणीय है। दुर्भिक्ष और महामारी ने भारत के कितने ही भागों को भारी हानि पहुँचायी है और राजनीतिक असंरोध के परिणाम-स्वरूप जन और सम्पत्ति को भी काफी नुकसान पहुँचा है। अभी कुछ ही दिन पूर्व तोड़फोड़ अन्दोलनकारियों ने पंजाब मेल को पटरी से उतार दिया था। मैं इन असंदिग्ध तथ्यों की तरफ इस लिए ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि कभी-कभी सरकार ऐसा ब्यवहार करती है, जैसे उसे वास्तविकता का कुछ पता ही न हो।”

प्रान्तों में धारा ६३ के शासन का अंत करने की आवश्यकता पर वाइसराय की शासन-परिषद् के एक सदस्य सर जगदीश प्रसाद ने ध्यान आकिप्त किया। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा:—

“अभी वाइसराय ने राजनीतिक भारत के प्रति डाक्टरी सत्ताहकार का रूप ग्रहण किया है। वह समाजपूर्वक निवेदन किया जाता है कि उनकी इस सज्जाह की स्वर्य उनके कुछ गवर्नरों को जरूरत है। ६३ धारा की गोलियाँ २० करोड़ जनता को पिछले ६ वर्ष से लगातार दी जाती रही हैं और उनसे भी स्वयं उसका और न गवर्नरों का ही कोई लाभ हुआ है। यदि गवर्नरों को

भारतीय-सहयोगियों के साथ काम करने का अवसर मिले तो इस से खुद उन्हें भी अच्छा मालूम होगा। वाइसराय को भी वह सहयोग अच्छा ही लगा है। यदि वाइसराय छः गवर्नरों को अपना आजमूदा नुस्खा काम में लाने के लिए राजी कर सके और आवश्यक हो तो इसके लिए आदेश दे सकें तो भारत उसका अनुग्रहीत होगा।

: २६ :

## वेवत ने फिर कदम उठाया

नये साल (१९४५) की शुरुआत श्री एमरी के कांग्रेसी नेताओं की रिहाई के हम्कार से हुई। कुछ ही समय बाद डा० प्रफुल्ल चन्द्र घोष भी डाकटरी कारणों से छोड़ दिये गये। आप २० मई १९४४ से बीमार थे। डा० घोष की रिहाई होने के समय अकबाह फैली थी कि कांग्रेस व लोग में समझौता करने के प्रयत्न हो रहे हैं जिससे अन्य नेताओं की रिहाई में सहभियत होगी।

जब कोई मरीज ज्यादा बीमार होता है तो उसके नातेदार व मित्र मृत्यु शैया से हटकर डाक्टर वैध, दवा-दारू, ताकत बढ़ाने की आ॒षधि, गंडा-ताबीज और माड़फूंक करने वाले सथानों की तजाश में अपनी-अपनी सूचिक के अनुसार दौड़ने लगते हैं, जिससे या तो मारने वाले को बचाया जा सके अथवा स्वर्ग के लिए उसके मार्ग को सुगम बनाया जा सके। जब कांग्रेस के हाथ पैर बैध गए, जब उस तक पहुँचने का मार्ग अवश्य हो गया और जब उसकी आवाज को किलों व जेलखानों के भीतर बन्द कर दिया गया तो उसके कितने ही मित्र व शुभचितक अपने-अपने हंग से किलों व जेलखानों के फाटक खोलने व गुर्थी को सुलगाने का प्रयत्न करने लगे। अनेक संस्थाओं—जैसे स्थानीय बोर्ड, व्यापार-मण्डल, महिला-संस्थाएं, ट्रेड यूनियन सम्मेलन, मजदूर समितियां, आंदोलिक संगठन, बार असोसियेशन और विद्यार्थी सम्मेलन—ने नेताओं की रिहाई और गतिरोध को दूर करने के बारे में प्रस्ताव पास किये। देश के समाचार-पत्र युद्ध-प्रयत्नों का समर्द्धन करने के बदले अब समय-समय पर जोरदार अग्रलेखों-द्वारा। मांगें पेश कर धमकियां और चेतावनियां देकर अपना जी खुश कर रहे थे। नेताओं की रिहाई और गतिरोध दूर करने के लिए जो आम आंदोलन चल रहा था उसे लिवरलों, हिन्दू महासभाइयों, दक्षित जातियों और गैर-लीगी सुसलमानों ने अपनी-अपनी आवाजें उठाकर बल-प्रदान किया। निर्दल नेताओं का सम्मेलन भी, जो अपने सदस्यों की उपाधियों और पदों के कारण विशेष उल्लेखनीय था, समय-समय पर आगे बढ़ता था। १७ फरवरी, १९४४ के दिन वाइसराय-द्वारा उपस्थित की गयी मांग के अनुसार वह एक छोटी समिति के रूप में सुलह-सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य भी करने लगा और उसके प्रयत्नों का वाइसराय ने स्वागत भी किया। एक तरफ घटना-चक्र इस दिशा में घूम रहा था, और दूसरी तरफ केन्द्रीय असेम्बली के कांग्रेसी-दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने, जिन्होंने १९४४ के अन्त में व्यवस्थापिका-सभा में नियमित रूप से कार्य आरम्भ कर दिया था, एक नया कदम उठाया।

श्री भूलाभाई देसाई १९४४ में दो बार वाइसराय से 'मिले थे और हसी बीच उन्होंने वर्धा में गांधीजी से और एक बार सुस्थित लीग पार्टी के उपनेता व अपने मित्र नवाबजादा कियाकरतश्ची खां से भी सुन्नाकात की थी। इन सुन्नाकातों के कारण खबर फैल गयी कि श्री

देसाई व नवाबजादा ने मिलकर गतिरोध दूर करने के लिए एक योजना बनायी है, जिसके अन्तर्गत ४० : ४० : २० के आधार पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। परन्तु लीग पार्टी के उप-नेता ने इससे हृकार कर दिया। यह भी कहा गया कि जब श्री देसाई गांधीजी से मिले तो गांधीजी ने उनसे कहा कि इन वैधानिक सुझावों से ही अड़गा दूर नहीं हो सकता। समस्या कहीं अधिक पेचीदी और व्यापक थी और इसलिए इस वैधानिक धेगली से उसमें सुधार होना सम्भव न था। फिर भी गांधीजी ने श्री भूलाभाई को अपने प्रयत्न जारी रखने के लिए कहा। श्री देसाई ने जुलाई में 'न्यूज क्रानिकल' के प्रतिनिधि श्री गेल्डर से बाइसराय के सामने रखे जाने वाले अपने प्रस्तावों का सारांश बताया और इसकी एक प्रति बाइसराय को भेज दी। सब मिलकर गांधीजी प्रस्तावित समझौते से संतुष्ट न थे; व्योंकि उसमें विदिशा-सरकार-द्वारा भारत की स्वाधीनता की घोषणा की उछु भी चर्चा न थी। गांधीजी का विचार था कि यदि इस प्रकार का कोई समझौता हो तो विदिशा-सरकार-द्वारा घोषणा अवश्य होनी चाहिये ताकि भारत गुलाम देश की तरह उन्हीं बहिक एक स्वार्थी राष्ट्र के रूप में युद्ध के विषय में निर्णय वरके उपयुक्त कार्रवाई कर सके। गांधीजी और कांग्रेस के लिए समझौता वर्तमान और भविष्य दोनों की दृष्टि से सन्तोषजनक होना चाहिए।। उसका वर्तमान ऐसा होना चाहिये जिससे भविष्य के लिए आशा और प्रमाण प्राप्त हो सके और उसका भविष्य ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान का पूरक फल हो। किसी-मिशन के असफल होने का मुख्य कारण यही था कि वह अपने प्रस्तावों में वर्तमान और भविष्य दोनों का मेज़बन कर सका। ऐसे किसी भी अन्य प्रस्ताव के सफल होने की आशा न थी जिससे इन दोनों की पूर्ति होती। अगस्त, १९४२ के प्रस्ताव का यही मारथा और भविष्य में दोने वाले किसी निर्बंटारे में भी इसका समावेश होना ज़रूरी था।

इसी समय २० अप्रैल, १९४२ के लाभग कामन-सभा में भात की चर्चा छिकी और श्री एमरी ने वैधानिक व्यवस्था भींग होने के सम्बन्ध में भारत-संघवन्धी आदेशों को स्वीकृति के लिए उपर्युक्त किया। ऐसा करने का यह अंतिम अवसरथा। इन आदेशों का सम्बन्ध मदास, बम्बई, संयुक्तप्रांत व बरार और बिहार से था। श्री एमरी ने कहा कि इन आदेशों का उद्देश्य प्रांतों में कामन-सभा के शासन-संघवन्धी अधिकार में एक वर्ष के लिए और वृद्धि करना है। कामन-सभा यह जानती ही थी कि किन परिस्थितियों में शासन-संघवन्धी जिम्मेदारी उसके कधे पर पड़ती है।

श्री एमरी ने कहा कि सभा ने अपने अधिकार का विस्तार जान-वृक्षर सिर्फ एक वर्ष के लिए किया है और यह व्यवस्था अस्थायी व असाधारण है। यदि इनमें से किसी प्रांत में राजनीतिक नेता मन्त्रिमण्डल स्थापित करके युक्त प्रयोगों का समर्थन करना स्वीकार कर लेंगे और साथ ही उनके मन्त्रिमण्डल के पर्याप्त समय तक स्वर रहने और धारा-सभा का समर्थन प्राप्त कर सकने की सम्भावना दिखाई दी तो गवर्नरों का कर्तव्य ऐसे मन्त्रिमण्डल को कायम करना होगा।

दो दिन बाद २२ अप्रैल, १९४२ को श्री भूलाभाई देसाई ने पेशावर के सीमाप्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में अपनी योजना के सम्बन्ध में रहस्याद्वयाटन किया। अगस्त, १९४२ के बाद भारत के किसी भी प्रांत में होने वाला यह पहली राजनीतिक सम्मेलन था।

सम्मेलन में उपस्थित किये गये मुख्य प्रस्ताव में कांग्रेस के नेताओं की रिहाई तथा केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का अनुरोध किया गया था। प्रस्ताव पर भाषण करते हुए श्री

भूलाभाई देसाई ने कहा कि केन्द्र में अंतर्कालीन-सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव पहले से ही विदेश-सरकार के सम्मुख उपस्थित हैं। आपने मांग उपस्थित की कि विटेन को घोषणा कर देनी चाहिए कि भारतीय-सरकार और उसके प्रतिनिधियों का पढ़ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य सरकारों व उनके प्रतिनिधियों के समान होगा। भूलाभाई-लियाकतअली-समझौते की शर्तें अग्रस्त, १९४५ से पूर्व प्रकाशित नहीं हुई थीं, किन्तु अप्रैल में ही उन पर प्रकाश पड़ सुका था। इस विषय को पूरी तरह समझौते के लिए समझौते की शर्तों तथा नवाबजादा के वक्तव्य पर प्रकाश दालना अनुचित न होगा।

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी नवाबजादा लियाकत अलीखां ने समझौते के सम्बन्ध में निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया : -

“मुझे सूचित किया गया है कि केन्द्रीय अमेस्वली में कांग्रेस-दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने बगबई के पत्र-प्रतिनिधियों वो सूचित किया है कि तथाकथित देसाई-लियाकतअली समझौते को प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं इसे गुप्त रखना चाहता हूँ। चूंकि श्री देसाई के इस कथन से भ्रम पैदा सकता है, इसलिए मैं जनता के सामने सब बातें खोलकर रख देना चाहता हूँ।

‘श्री देसाई मुझसे केन्द्रीय अमेस्वली के शरतकालीन अधिवेशन के बाद मिले और देश की आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों पर बातें हुईं। इमारा ध्यान इस और भी गया कि युद्धजन्य परिस्थिति के कारण जनता को बेद्द वषट उठाना दड़ रहा है। यूरोप में युद्ध अपनी पूर्ण भयानकता से चल रहा था और यह नहीं जान पड़ता था कि उसका कब अन्त होंगा और प्रायः प्रत्येक द्यक्षिण का यही मत था कि यूरोप में युद्ध रामास होने के अनन्तर जापान के विरुद्ध चलने वाले युद्ध के सफलतापूर्वक रूमास वरने में दो वर्ष और लग जाएंगे। पूर्व में जापान के विरुद्ध आक्रमण करने में भारत को आशार बनाया जाने को था, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत की जनता को और अधिक त्याग करने पड़ेंगे और पहले से भी अधिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। यह भी स्वीकार किया गया कि जो समस्याएँ उठो हैं और आगे उठेंगी उनका प्रभावपूर्ण तरीके से सामना करने के लिए भरत-सरकार आपने वर्तमान गठन के काण अनुग्रुक है।

“श्री देसाई ने बातचीत के दर्भिशान मुझसे कहा कि युद्धकाल अधिक लम्बा होने के कारण जो गम्भीर परिस्थिति उठ रही होगी उस में केन्द्र में की जाने वाली अंतर्कालीन अवस्था और गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद् के इस भाँति पुनर्संगठन के सम्बन्ध में जित से वह उठाने वाली गम्भीर परिस्थिति का पहले की अपेक्षा अधिक भक्तलतापूर्वक सामना कर सके, मुस्लिम लीग का क्या रख होगा। मुस्लिम लीग इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव समय-समय पर पास कर सकी है उन्हें सामने रखते हुए मैं उन्हें टीक स्थिति बतायी और उनसे कदा भेरा जिजी मत यह है कि यदि परिस्थिति में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव किये जायेंगे को मुस्लिम लीग उन पर सावधानो से विचार करेगी जैसा कि वह पहले भी करती रही है; वर्तोंकि मुस्लिम लीग सदा से जनता की सहायता करने वो उत्सुक रही है और आगे आने वाले कठिन काल में भी वह उस का संकट से उद्धार करने के लिये कोई प्रयत्न बाकी न छोड़ेगी। इस वर्ष, जब मैं मद्रास प्रांत के दौरे के लिए रवाना हो रहा था, श्री देसाई मुझसे दिल्ली में मिले और केन्द्र में अंतर्कालीन सरकार बनाने के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव उन्होंने मुझे दिखाये। श्री देसाई ने इन प्रस्तावों की एक प्रतिक्रिया मुझे भी दी और कहा कि ये प्रस्ताव अभी गोपनीय हैं। श्री देसाई ने मुझे बताया कि

वे हन्हीं प्रस्तावों के आधार पर भारत-सरकार के गठन में परिवर्तन करने का प्रयत्न करना चाहते हैं।

“उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उनकी योजना इस सम्बन्ध में वाहसराय और मिं. जिला से मिलने की भी है। मैंने उनसे कहा कि मेरे निजी मत में प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनके आधार पर बातचीत शुरू हो सकती है, किन्तु मुझे इस योजना की प्रगति के लिए तब तक कोई आशा नहीं दिखायी दी जब तक गांधीजी स्वयं इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होते अथवा श्री देसाई अपने इस कदम के लिए गांधीजी की निश्चित स्वीकृति या खुला समर्थन नहीं प्राप्त कर सकते; क्योंकि कार्य-समिति के अभाव में सिर्फ गांधीजी ही कांग्रेस की तरफ से कोई निर्णय दे सकते हैं। श्री देसाई से अपनी बातचीत के बीच, जो विज्ञकृत निजी तौर पर हुई थी, मैंने उन से यह स्पष्ट कह दिया था कि मैंने जो कुछ कहा अपने निजी विचार से कहा है और मुस्लिम लीग या अन्य किसी की भावना प्रकट नहीं की है। यदि कभी श्री देसाई महसूस करें कि वे कांग्रेस की तरफ से अधिकारपूर्वक कुछ कह सकते हैं तो उन्हें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष तक पहुँचना पड़ेगा; क्योंकि मुस्लिम लीग की तरफ से वही इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करने के अधिकारी हैं।

इन प्रस्तावों का, जिन्हें देसाई-लियाकत गुर या देसाई-लियाकत समझौता आदि की संज्ञा दी गयी है, यद्यपि इतिहास है। मैंने श्री देसाई की इच्छा का बराबर ध्यान रखा है और प्रस्तावों के मसाविदे को निजी और गोपनीय रखा है और उस किसीको दिखाया नहीं है, किन्तु अब श्री देसाई के वक्तव्य व उसके परिणामस्वरूप फैलनेवाले भ्रम के कारण में इन प्रस्तावों को प्रकाशित करने की जरूरत महसूस करता हूँ। इसीलिए मैं उन्हें पत्रों में प्रकाशित होने के लिए देता हूँ:—

“कांग्रेस और लीग केन्द्र में अंतर्कालीन सरकार में भाग लेने के लिए राजी हैं। इस सरकार की रचना निम्न प्रकार से होगी:—

(क) केन्द्रीय शासन परिषद् में कांग्रेस व लीग के सदस्यों की संख्या बराबर रहेगी। सरकार में नामजद हुए व्यक्तियों का केन्द्रीय धारासभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

(ख) अल्पसंख्यकों (विशेषकर परिणामित जातियों और सिखो) के प्रतिनिधि भी रहेंगे।

(ग) प्रधान सेनापति भी होंगे।

‘इस सरकार की स्थापना मौजूदा भारतीय शासन के अन्तर्गत होगी और वह वर्तमान व्यवस्था के भीतर रह कर कार्य करेगी। परन्तु यह मान लिया जायगा कि यदि मंत्रिमंडल अपना कोई प्रस्ताव धारासभा से पास नहीं करा पायगा तो इसके लिए वह गवर्नर-जनरल या वाहसराय के विशेषविधियों के प्रयोग का आधार न लेगा। इसके परिणामस्वरूप मंत्रिमंडल काफी हद तक गवर्नर-जनरल के अधिकारों से स्वतंत्र हो जायगा।’

“कांग्रेस और लीग इस विषय में सहमत हैं कि यदि इस प्रकार की अंतर्कालीन सरकार की स्थापना हुई तो उस का पहला कार्य कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों की रिहाई होगा।”

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन उपायों को बर्ता जायगा उन पर भी नीचे प्रकाश ढाका जाता है:—

उपर्युक्त समझौते के आधार पर ऐसा कोई रास्ता निकाला जाय जिससे गवर्नर-जनरल यह प्रस्ताव या सुझाव करने के लिए तैयार हो जाय कि वे खुद कांग्रेस व लीग के समझौते के

आधार पर केन्द्र में, एक अन्तःकालीन सरकार की स्थापना करना चाहते हैं और जब गवर्नर-जनरल मिठो जिन्ना और श्री देसाई को संयुक्त रूप से या अलग बुलावें तो उपर्युक्त प्रस्ताव उनके सामने रख दिये जायं कि इन्हें नयी सरकार में भाग लेने के लिए तैयार किया गया है।

अगला कदम मान्त्रों में धारा ४३ का दृष्टाया जाना और केन्द्र के ही समान वहाँ मित्री-जुली सरकारों की स्थापना होगा।

जबकि भारतमंत्री व वाइसराय के प्रतिक्रियावादी सख के बावजूद भारत में घटनाचक्र इस दिशा में चल रहा था तभी ७ मई को यूरोपीय युद्ध समाप्त होने का सुसम्बाद भारत में ६ मई को पहुँचा। यह समाचार पाकर सभी को प्रसन्नता हुई; किन्तु भारतीय जनता को इसके कारण कोई तसल्खी नहीं हुई, क्योंकि भारत अधिकृत देशों को आजादी दिलाने और एक आजाद मुल्क की गुलाम बनाने के लिए गुलाम मुल्क के ही रूप में लड़ा था और युद्ध-उद्देश्यों के जो गौरव-गान राजनीतिज्ञ पिछले साढ़े पांच वर्ष से करते रहे थे और लड़ाकू राष्ट्र जिनकी धोपणा करते थकते नहीं थे उनमें भाग लेने का अधिकारी अभी वह नहीं हुआ था। भारत के नेता जेल के सीखचों में बंद थे और वह खुद गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसलिए वह खुशियां कैसे मनाता। जबकि थियोडोर मारीसन ने १८ वीं डिकेंस रेग्युलेशन दृष्टा लिया तो १८४४ का आइंडेंस (३) जारी रहा, जैसे यूरोपीय युद्ध की समाप्ति से कोई अन्तर ही न पड़ा हो।

यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी बर्नार्ड शा ने यूरोपीय विजय पर खुशी नहीं मनायी। उन्होंने कहा—“यूरोप में अभी शान्ति कहाँ स्थापित हुई है; अभी सबसे बुरा वक्त तो आना शेष है।” आपने कहा कि इतना रक्षात् और विनाश हो चुका है और इतने व्यक्ति आश्रय और भोजन के अभाव में काल-कवलित हो चुके हैं। शान्ति के सम्बन्ध में बड़-बढ़कर बातें करने वालों का साथ मैं नहीं देना चाहता। जो कुछ होना था वह हो चुका है, जबकि अभी यूरोप को अपने सबसे कठिन समय का समाना करना शेष है। आज यूरोप में विनाश का जैसा तरण दृष्ट हो रहा है उसे देखते हुए कोई भी संजीदा व्यक्ति खुशी कैसे मना सकता है।”

श्री बर्नार्ड शा ने सवाल किया “लाखों व्यक्ति, जिन में दुधमुहे बच्चे भी सम्मिलित हैं, भूखों मर रहे हैं। महान् नगर खंडहर बने हुए हैं, दूर-दूर तक भूमि जलमग्न है और लाखों व्यक्ति हताहत हो चुके हैं। बल्लिन की आगजनी को हम विजय कैसे कह सकते हैं। बल्लिन के बल जर्मनी की राजधानी ही नहीं है, अपनी-अपनी संस्कृतियों के साथ जिस प्रकार न्यूयार्क व लंदन संसार की राजधानियाँ हैं उसी प्रकार बल्लिन भी संसार की एक राजधानी है। शताब्दियों की संस्कृति को विनाश करके हमें आप अपनी विजय नहीं कह सकते। वह दिन अब नहीं रहे, जब युद्ध में सिर्फ एक पक्ष की विजय होती थी। अब तो विनाश व निराश्रयता का दौरदौरा सभी जगह हो जाता है। आप युद्ध को रोक नहीं सकते और स्थायी शान्ति होनी समझ नहीं है। यदि लोगों के पास तोप, उड़नबम और वायुयान नहीं हैं तो वह सिर्फ घूंसों से ही लड़ेगे। इसलिए आप निरस्त्रीकरण की बात क्यों उठाते हैं। युद्ध के बाद यूरेप में रूस सब से शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है; क्योंकि रूसी जनता अपनी शासन-प्रणाली व अपने देश के लिए लड़ती रही है, जबकि अन्य देश अपने जर्मनीदारों के लिए लड़ते रहे हैं।”

सभी तरफ से भारत में राजनीतिज्ञों की रिहाई की मांग होने लगी। उधर बर्टेंह रसेल ने ब्रिटेन से “भारत छोड़ो” का अनुरोध करना आरम्भ कर दिया आपने कहा कि ब्रिटेन को जापान का युद्ध समाप्त होने के एक वर्ष बाद भारत से हट जाने का वचन देना चाहिए।

प्लेटों द्वारा अपने दर्शन-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किये और कौटुम्ब को अपना अर्थ-शास्त्र लिखे सदियाँ गुजर चुकी हैं। फिर भी मानव-जीवन पहले ही जैसा बना हुआ है। आज भी मनुष्य की आकांक्षाएँ पहले जैसी हैं, और आज भी वह अपने चरित्र की कमज़ोरियों पर पहले के समान दुखित बना है।

### वेवल की लंदन यात्रा

२१ मार्च, १९४२ को लार्ड वेवल की लंदन यात्रा से पूर्व उसके सम्बन्ध में बहुत विज्ञापन किया गया और समाचार-पत्रों में इसकी बारंबार चर्चा भी की गई। परन्तु वे एकएक चायुयान-द्वारा रचाना हो गये और श्री एमरी ने वेवल के आगमन के सम्बन्ध में कहा कि इस अवसर से लाभ उठा कर वैधानिक रिति पर विचार तो अवश्य किया जायगा; किन्तु इसमें अधिक आशा न करनी चाहिए। सच तो यह था कि लार्ड वेवल को स्वयं श्री एमरी ने ही सकाह-मशविरे के लिए आमंत्रित किया था। हर तरफ से परिस्थिति गम्भीर थी। ब्रिटिश लोडमत इस बात पर जोर दे रहा था कि भारत के राजनीतिक अंगों को दूर करने में भारत और हंगलैंड दोनों ही का समान रूप से लाभ है। रोमांश्या पर पढ़े एडवर्ड थामसन तथा अमेरीका से जैटने पर बैंडूड रमेज़ ने इसी बात पर जोर दिया। लंदन के 'टाइम्स' पत्र तथा लिवरल व मजदूर दली पत्रों ने भी यही कहना शुक बर दिया। मजदूर-दल के सम्मेलन ने गतिरोध दूर करने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने उप-भारतमंडी के पद पर मजदूर दल के लार्ड लिटोवेल की जो नियुक्ति भी थी वह कांग्रेसी नेताओं की रिहाई व गतिरोध दूर करने की मांग का उपयुक्त जवाब न था। राष्ट्र-मंडल-सार्पक-सम्मेलन में ब्रिटेन की बड़ी मिट्टी खराब हुई; क्योंकि भारतीय प्रतिनिधि-मंडल वे नेता फेडरल आदालत के एक जज सर मंहम्मद जफरुल्ला ने साइरस-वर्क भारतीय स्वाधीनता-के लिए तारीख निश्चित करने की मांग उपरिथत की थी। ब्रिटेन ने सैर-प्रांतिस्त्रो में होने वाले विश्व सरकार सम्मेलन के लिए अपने "प्रिय तथा विश्वरत" सर रामाचारामी मुद्राक्षियर व सर फीरोज़ खान नून को प्रतिनिधि के रूप में जो चुना था वह सर मोहम्मद जफरुल्ला की मांग का कोई उपयुक्त जवाब न था। जजों पर भाषण-सम्बन्धी ओज़स्थिता का कोई प्रभाव नहीं पहता। वे तो सिर्फ़ विश्वासी और तारीखों में ही दिलचरी रखते हैं। राजा सर महाराज मिह अभी लंदन में थे और राष्ट्र-मंडल-सार्पक-सम्मेलन के उपरान्त लार्ड वेवल से मिलने के लिए लंदन में ही रुद्ध गये थे। सर महाराज सिह शासक व राजनीतिज्ञ दोनों ही थे। आप अखिल भारतीय दृष्टिंद्र सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। एक उल्लेखनीय बात यह थी कि लार्ड वेवल लंदन को एकएक रचाना हुए थे और अपनी इस एकएक लंदन-यात्रा के ही कारण वे मिठो जिन्ना से भी नहीं भिज़ पाये थे। यह भी घोषणा हो चुकी थी कि लंदन में लार्ड वेवल कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई के सम्बन्ध में भारत मंत्री श्री एमरी से सकाह करेंगे। इस बातचीत में राजनीतिक परिस्थिति तथा भारत की वैधानिक रिति पर विचार होगा। यह इस कारण और भी प्रकट हुआ कि लार्ड वेवल के साथ श्री मेनन भी लंदन जा रहे थे, जो श्री हॉडसन के स्थान पर शासन-सुधार कमिशनर नियुक्त हुए थे।

लार्ड वेवल के लंदन के काम व कार्डक्रम के सम्बन्ध में अनेक अफवाहें फैल गईं। लोड-पैज़सी ने बताया कि १२ अप्रैल को कोई विशेष घोषणा की जायगी। इसी बीच घोषणा दुर्दृष्टि कि गृह-सदस्य सर प्रांतिस मूडी व गृह-सेके टरी सर कोनरन स्मिथ भी लंदन जायेंगे और वहाँ अखिल भारतीय सर्विसों के सम्बन्ध में बातचीत करेंगे। यह बात कुछ मूर्खतार्थ जान पड़ी; किन्तु वे गवे

अवश्य ही । यह प्रबट किये जाने पर समाचार और भी तथ्यपूर्ण जान पढ़ा कि इन सभी महानु-भावों की लंदन-यात्रा का उद्देश्य आँखले भारतीय सविसों की भरती के सम्बन्ध में सोच-विचार करना था । १९३५ के कानून के अनुसार इन सविसों की भरती सिर्फ पांच वर्ष के लिए करने की सिकारिश की गई थी और फिर इस अवधि को बढ़ावर दस वर्ष कर दिया गया था और इसलिए १९४५ में इस समस्या पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता पड़ रही थी । परन्तु साथ ही यह भी कहा गय कि गृह-सदस्य को लाई वेवल अपने साथ कांग्रेसी नेताओं की रिहाई-समझौते अपने सुमात्र में समर्थन पाने के लिए ले जा रहे हैं । परन्तु यह मत विशेष महाविषय नहीं जान पढ़ा; क्योंकि जिस वाइसराय के, अपने कहने की बढ़ नहीं हो रही थी उसके अधीन अफसर की राय का किनता महत्व ही सकता था ।

लाई वेवल बी लंदन-यात्रा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समिति अनेक प्रकार की खबरें भेज रही थीं और 'यूनाइटेड प्रेस आवृद्धिया' व 'यूनाइटेड प्रेस आवृद्धिया' समितियां भी अपने संचार भेज रही थीं । कभी यह कहा जाता कि लाई वेवल को सफलता मिल रही है तो कभी यह कहा जाता कि उनकी इंग्लैंड-यात्रा असफल हो रही है और वाइसराय ने इस्तीका देने की धमकी दी है । इन परस्पर विरोधी समाचारों का उद्देश्य चाहे जो हो उनका एक परिणाम यह अवश्य हो गया कि जनता दुष्प्रिया और अम में पड़ गयी और शायद वाइसराय की इंग्लैंड-यात्रा का यही उद्देश्य रहा हो । कुछ समाचार-पत्रों का तो ऐसा पतन हुआ कि प्रकट होने, जगा मानो सच्चे व विश्वस्त समाचार देना कोई विशेषता नहीं है । मई में गृह-सदस्य की वापसी के परिणामस्वरूप निराशाजनक समाचार प्रकाशित होने लगे; किन्तु गृह-सदस्य की वापसी के बाद ही प्रधान सेनापति के इंग्लैंड प्रस्थान से निराशा की धवनि कुछ बेसुरी जान पड़ने लगी । ८ मई को लाई वेवल की वापसी से ठीक पहले उनकी लंदन-यात्रा की सफलता या असफलता के सम्बन्ध में अनेक इटकलबाजियाँ की जाने लगीं । क्रिस-प्रस्तावों के वापस लिये जाने के बाद भी जनता का ध्यान उनसे पूरी तरह हटने नहीं दिया गया था, गोकि जनता का ध्यान स्वाभाविक हृषि से उनकी ओर कभी आकृष्ट नहीं हुआ था । श्री एमरान ने जो यह कहा कि ये प्रस्ताव अभी तक कायम हैं उसकी तरफ अ.र.न ३५० चिंचिल के इस कथन की तरफ किसी का ध्यान न गया कि प्रस्तावों की रूपरेखा के सम्बन्ध में बातचीत हो सकती है । लाई वेवल जी वापसी के समय जो यह अवधारणे की हुई थी कि क्रिस-प्रस्तावों में पुनः जान ढाली जा रही है और वाइसराय की शासन-परिषद् में प्रधान सेनापति के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे और ये भारतीय धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी न होकर वाइसराय के प्रति उत्तरदायी होंगे, इन्हें जनता घुणा की हृषि से ही देखा ।

भारत से रवाना होने से पूर्व लाई वेवल के सामने एक रचनात्मक सुमात्र भी पेश हो चुका था । यह देसाई-लियाकतश्री कुमाव था, परन्तु क्रिप्प-प्रस्तावों से आगे उनकी गाड़ी के बाहर इसी हृषि से बढ़ी थी कि उनके अंतर्गत केन्द्रीय-शासन परिषद् में सामग्रामिक अनुपात निर्धारित कर दिया गया था । परन्तु इससे अधिक महाविषय यात यह थी कि कांग्रेस कार्य-समिति उन्हें कहाँतक स्वीकार करेगी अथवा क्या वे कार्य-समिति के आगे उपस्थित किये भी जायेंगे । यदि उपस्थित कर भी दिये गये तो ब्रिटिश-सरकार क्या कह सकेंगे कि उनसे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की है । यह कहने के लिए कि कांग्रेस इन प्रस्तावों का समर्थन करती है, कम-से-कम केन्द्रीय असेम्बली के कांग्रेसी दल-द्वारा ही इनका समर्थन होना चाहिए । कांग्रेसी दल के ४४ सदस्यों में

से क्या कम-से-कम २३ का ही समर्थन इन प्रस्तावों को प्राप्त हो सकता है या नहीं और मान लिया जाय कि यह समर्थन मिल गया तो क्या कार्य-समिति अपने मातहत संस्थाओं को अपना अधिकार हड्डप लेने देगी। मान लीजिये कि कार्य-समिति कांग्रेस दल की स्वीकृति को नामंजूर कर देती है तो फिर सरकार क्या करेगी? जब लार्ड वेवल गुण्ठ रूप से इंग्लैण्ड में बातचीत कर रहे थे और सानफ्रांसिस्को में भारत की स्थिति के सम्बन्ध में जोरदार बहस छिड़ी हुई थी तब भारत में उपर बताई गई बातों की चर्चा हो रही थी।

विश्व-सुरक्षा-सम्मेलन में भी ब्रिटेन की स्थिति कोई बहुत अच्छी न थी। सम्मेलन की साधारण सभा में अध्यक्ष के परिवर्तन के प्रश्न को लेकर मो० मोलोयोव ने चुनौती देकर एक मगांडा खड़ा कर दिया, जिस पर समझौता यह हुआ कि संचालन-समिति का अध्यक्ष चार बड़ों में से बारी-बारी से हुआ करे। जहाँ तक भारतीय प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, सर फोरोजखां नून दुरी तरह बौखला रहे थे। कारण यह था कि श्रीमती पंडित के पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन से सर पीटोन का रटेनोग्राफर निकाल दिया गया था। सर फोरोजखां नून ने गांधीजी पर जापानियों की तरफदारी करने का आरोप किया (श्री एमरी इससे पूर्व कह चुके थे कि उन्होंने महात्मा गांधी पर जापानियों की तरफदारी करने का आरोप कभी नहीं किया) और मांग उपस्थित की कि गांधीजी को अपना नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू को देदेना चाहिए, किन्तु गांधीजी जनवरी, १९४२ में इस आशय की घोषणा पहले ही वर्धा में कर चुके थे। गांधीजी ने सर फोरोजखां नून को ठीक ही उत्तर दिया कि १९३४ से वे कांग्रेस के चार आने वाले सदस्य भी नहीं हैं, वे नेतृत्व पाने के लिए लालायित नहीं हैं, किंतु से अंतिम रूप से बातें शुरू होने से पहले ही वे दिल्ली से चल दिये थे और वे जवाहरलाल नेहरू को पहले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। गांधीजी ने यह भी कहा कि सर फोरोजखां नून को चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू की रिहाई के लिए अपने उच्च पद से इस्तीफा दे दें। इसके जवाब में नून ने कहा कि यदि गांधीजी उनकी सलाह मानने को तैयार हैं तो उन्हें नेतृत्व का त्याग कर देना चाहिए और इस सम्बन्ध में कोई सौदा नहीं करना चाहिए। क्या नून के इस जवाब को जवाब कहा जा सकता है? सत्य तो यह है कि गांधीजी पहले ही ऐसा कर चुके थे। वे तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के सम्बन्ध में नून की नेकनीयती का इस्तहान ले रहे थे। गांधीजी स्वयं परिचित थे कि नेतृत्व किसीको दिया नहीं जा सकता और उन्होंने जो कुछ कहा है वह जनता की ही अपनी हच्छा है। परन्तु नूनको सर्वोत्तम उत्तर एक अप्रत्याशित व्यक्ति—महात्मावर्ग के एक और सदस्य बर्नार्डशा—से मिला। नून के वक्तव्य की आलोचना करते हुए श्री शा ने कहा कि गांधीजी की राजनीति ५० साल पुरानी है, वे अपनी चालों में गलती कर सकते हैं; किन्तु उनकी युद्ध-नीति और भी उतनी ही ठोस है जितनी आज से ५० लाख वर्ष या ५ करोड़ वर्ष पहले थी। गांधीजी के अवकाश ग्रहण करने के सम्बन्ध में मिठ शा ने कहा—“अवकाश—किस बात से अवकाश ग्रहण करना! उनकी स्थिति सरकारी तौर पर योड़े ही है, वह तो स्वाभाविक है। महात्माजी अपने हाथ से कुछ दे नहीं सकते। नेतृत्व तमाल की टिकिया तो है नहीं, जिसे एक व्यक्ति दूसरे के हाथ में दे दे। यद्यपि पंडित नेहरू अपमानजनक तथा कायरतापूर्ण कारावास के कारण कुछ करने में असमर्थ हैं फिर भी वे एक उल्लेखनीय नेता हैं और गांधीजी उनके महत्व को कम नहीं कर सकते।”

दूसरे प्रतिनिधि सर रामास्वामी मुद्रालियर स्वाधीनता की तुलना में पारस्परिक निर्भरता

के सिद्धान्त का प्रचार कर रहे थे। उनका प्रयत्न विश्व-सुरक्षा-परिषद् में भारत को स्थायी स्थान दिलाने की दिशा में था।

इन्हीं दिनों लार्ड लिस्टोवेल ने पीटरबरो के युवक-सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा—“सीधे सांडे शब्दों में सवाल लंदन में बैठी अंग्रेजी सरकार के हाथ से शासन-व्यवस्था भारतीय लोकमत का प्रतिविधि करने वाले नेताओं को हस्तातिरित करने का है।” ये शब्द सानकांसिस्को सम्मेलन के विचार से कहे गये थे। लार्ड लिस्टोवेल ने आगे कहा—“यदि स्व-शासन के मुख्य अंगों के हस्तातरण में देरी की गई तो आगामी कितनी ही पीढ़ियों के लिए ब्रिटेन और भारत के सम्बन्धों में कटुता आ जायगी।” लार्ड महोदय ने निम्न चेतावनी भी दी। “यह न कहने को रह जाय कि हमने बहुत थोड़ा और वह भी देरी से दिया।” इन शब्दों में सचाही की गंध है; किन्तु विटिश राजनीति सत्य व कूर्खनीति का पेमा समिश्रण रही है कि एक को दूसरे से अज्ञा नहीं किया जा सकता।”

इसी समय एक पेमा वक्तव्य दिया गया, जो असंदिग्ध था। यह वक्तव्य रूसी विदेशमंत्री श्री मोलोटोव ने संयुक्त राष्ट्र-संघ की उस सभा में दिया था जिसमें ४६ देशों के १,२०० प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री मोलोटोव ने कहा था:—

“इस सभा में हमारे मध्य एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल भी है, किन्तु भारत स्वाधीन राष्ट्र नहीं है। हम सभी जानते हैं कि वह समय आयेगा जब स्वाधीन भारत की आवाज़ भी सुनी जायगी। फिर भी हम विटिश सरकार की इस राय से सहमत हैं कि भारत के प्रतिनिधि को इस सभा में एक स्थान मिलना चाहिए।”

मो० मोलोटोव ने दुस्टर्टन ओट्स-योजना के एक संशोधन पर भाषण करते हुए निम्न शब्द भी कहे थे—“सोवियट प्रतिनिधि-मंडल यह अनुभव करता है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार से पहले कोई पेमा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पराधीन देश स्वाधीनता के पथ का अनुसरण कर सके। यदि कार्य संयुक्त राष्ट्र-संघ-द्वारा त्यापित एक संगठन की देखरेख में हो सकता है। इस प्रकार राष्ट्रों की समानता तथा आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को सफलता मिल सकती है।”

मई, १९४८ में सब से महत्वपूर्ण बात-अमरीका की हृदिया जीग के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित-द्वारा सानकांसिस्को सम्मेलन के सम्मुख उपस्थित किया गया वह आवेदनपत्र था, जिसमें उन्होंने सिर्फ जनता की ही नहीं बल्कि भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया की ६०,००,००,००० जनता का भी इवाला दिया था। आपने कहा था कि भारत का सामला सम्मेलन को परीक्षा के समान है और बल्जिन के पतन के साथ नाजीवाद व फासिज़ का तो दिवाला तिकल तुक्का है और अब केवल साम्राज्यवाद ही मिटने के लिए शेष रहा है। परन्तु जहाँ तक सान-प्रांसिस्को सम्मेलन के सम्मुख भारतीय स्वाधीनता का प्रश्न उपस्थित करने का सम्बन्ध था, भारत की इस गैर-सरकारी ‘राजदूत’ श्रीमती पंडित के प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए। उनके आवेदन-पत्र को अनियमित ठहरा दिया गया।

इन्हीं दिनों भारत के अवकाश प्राप्त गुड़-सदस्य सर रेजीनालड मैक्सवेल ने लंदन में बताया कि सरकार भारत में आम चुनाव की आशंका से क्यों भयभीत है। आपने कहा कि आम चुनाव होने पर पुरानी विवाद-धारा वाले जीग ही आ जायंगे। परन्तु गांधीजी इससे निसी प्रबोधन में नहीं पड़े। उन्होंने जनता को अपनी मानसिक स्थिति की एक झलक दी। एक प्रार्थना-सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा—“धारा-सभाओं में जाने से स्वराज़ नहीं मिल

सकता।' उनका आशय सिफ़र यही था कि सिफ़र धारासभाओं में जाने से ही पूर्ण स्वराज्य के मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। गांधीजी धारासभाओं में जाने की पूरी तरह निनदा नहीं कर सकते थे; क्योंकि कार्य-समिति ने जून, १९३७ में पद-प्रहण करने का जो निश्चय किया था उसको फरवरी, १९३७ के हरिपुरा अधिवेशन में पुष्ट भी हो चुकी थी। हुबली में गांधी-सेवा-संघ-सम्मेलन के अवसर पर गांधीजी ने कहा था कि धारासभाओं के कार्य का पूरी तरह परिणाम नहीं किया जा सकता। एक दूसरे अवसर पर उन्होंने कहा था कि हमारे पास धारा-सभाओं का कार्य स्थायी बनने को आया है। सीमाप्रान्त में कांग्रेसी मंत्रिमंडल को फिर कायम करने के लिए डाक्टर खां साहब को अनुमति देकर गांधीजी ने जाहिर कर दिया कि यद्यपि उन्हें स्वयं धारासभाओं के कार्य में आस्था नहीं है, किन्तु फिर भी वे हतना तो मानते ही हैं कि धारा-सभाओं का कार्य भी एक सदायक नदी के समान है, जो राष्ट्रीय जीवन की मुख्य नदी में मिल-कर उसके जल में वृद्धि करती है।

१९४२ की गर्मियों में भारत के कुछ पूँजीपति, जैसे श्री जे० आर० डी० ताता और श्री घनश्यामदास विरचा आदि अपने खर्च से हैंगलैंड व अमरीका को ओयोगिन्फ स्थिति का अध्ययन करने के लिए जा रहे थे। गांधीजी ने उनके इस कार्य की अलोचना करके 'कुछ सनसनी पैदा कर दी।

गांधीजी ने पूँजीपतियों की इस यात्रा की अलोचना करते हुए कहा कि पूँजीपति यहां एक तरफ सरकार के विरुद्ध बोलते और लिखते थकते नहीं हैं वहां दूसरी तरफ वे भौकरशाही का साथ देते हैं, जैसा यह चाहतों हैं वही करते हैं और स्वयं ५ प्रतिशत का मुनाफा उठा कर संतोष-ज्ञान करते हैं। वे सरकार के ६५ प्रतिशत को प्राप्त करने के स्थान पर ५ प्रतिशत की जूठन से अपना पेट भरते हैं। पूँजीपतियों ने जो राष्ट्रीय सरकार की मांग की है, वस यही उनका अच्छा कार्य है। दोनों सउजनों ने तुरंत उत्तर दिया और इन पर जो आरोप लगाये गये थे उनका खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत की तरफ से शर्मनाक या कैसा भी [समझौता नहीं किया है। तब गांधीजी ने कहा कि यदि ऐसा है तो उपर्युक्त सउजन अपवाद हैं, खासकर इसकिए कि वे गैरसरकारी तौर पर जा रहे हैं। साथ ही गांधीजी उन्हें आशीर्वाद दिया और भारत की निर्धन, भूलो व नंगो जनता का तरफ से प्रार्थना भा की।

जब कि लार्ड वेलल अमीलदन में ही थे और उनके कार्य के सम्बन्ध में सनसनीपूर्ण तारों की झड़ा लगी हुई थी, विटोर मंत्रियों का मतभेद अपनी चरमस मा॒ को पट्टूच गया, जिस परिणामस्वरूप २३ मई, १९४६ को प्रधान मंत्री चर्चित ने इस्तोका दे दिया। मि० चर्चित १० मई, १९४० को मि० चेम्बरडेन के स्थान पर प्रधान मंत्री बने थे। जापान के साथ होने वाला युद्ध समाप्त होने तक संयुक्त मंत्रिमंडल में रहने से मजदूर दलवाजे, मंत्रियों के हनकार करने पर वर्तमान राजनीतिक संघठ उत्पन्न हुआ था। मजदूर दल के प्रमुख नेता मि० मारीसन, मि० वेविन और मि० डाल्टन थे। मि० वेविन ने बोयलों को कि यदि अगले चुनाव में शासन-सूत्र मजदूर दल के हाथ में आया तो भारत मंत्रा का कार्यालय तोड़ दिया जायगा और भारत से डोमानिशन कार्यालय का सम्बन्ध रहेगा। जहां तह भारत को स्वराज्य देने का सम्बन्ध है, मि० वेविन ने साफ़ कहा दिया कि वह उसे क्रमारा ही मिलेगा। ऐसा जान पढ़ रहा था, जैसे १९४५ में माटेंगू बोज रहे हों।

इन दिनों हृषिकेश सिविल सर्विस वाले पर भी काफ़ी प्रकाश पढ़ रहा था, जैसा कि

शासन-सुधारों के समय होता आया था। एक समयथा जब आई० सी० एम में भर्ती होने के लिए इंग्लैड में युवक नहीं मिलते थे। १९२० के बाद के वर्षों में लार्ड बर्केनहैड ने विटिश युवकों को आकृष्ट करने के लिए उन्हें हर तरह के सबज बाग दिखाये थे। इसी प्रकार एक दशक के बाद लार्ड विलिंगडन ने आई० सी० एस० के लिए उत्तम कोटि के युवक प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा :—“हमें ऐसे नवयुवकों की जरूरत है, जिनमें उच्चम, कल्पना तथा देश की जनता के प्रति सहानुभूति व जिसमें भावना हो—ऐसे नवयुवकों की जो विटिश साम्राज्य की सर्वोत्तम सर्विस में भाग लेने के लिए उत्सुक हों।” लार्ड विलिंगडन ने अपने इसी भाषण में कहा कि सर्विस के भविष्य के सम्बन्ध में कुछ चेत्रों में जो संदेह प्रकट किये गये हैं, वे सर्वथा निमूँब हैं। आपने कहा कि सर्विस में पढ़ते की तरह अब भी अवसर की प्रचुरता है।

लार्ड वेवल के लंदन प्रवास के समय जो संचाद भारत आये थे उनमें से एक में कहा गया था कि वेवल-योजना के अन्तर्गत व्यवस्थापिका-समा गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद् को रक्षा, अर्थ व विदेश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रश्न पर भंग कर सकेगी। साथ में यह चेतावनी भी थी कि विटिश-मन्त्रिमंडल ने वाइसराय से कह दिया है कि यदि यह योजना सफल न हो तो भारतीय सेना की सहायता से विद्रोह को तेजी से दबा दिया जाय।

२१ मई को मङ्गूरू-दल की प्रबंध समिति से सफाई देने को कहा गया कि श्री एमरी ने मङ्गूरू-दल वालों के प्रतिनिधि-मण्डल से मिलने के लिए पांच महीने की प्रतिक्षा क्यों करायी। पुरानी पालंडट शुकवार ८ जून को भंग हो गई और २ जुलाई को आम चुनाव हुआ। इसमें मङ्गूरू-दल की तरफ से सबसे प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व मिं० वेवेन का दिखायी दिया, जिन्होंने भारत के सम्बन्ध में मङ्गूरू-दल वालों की योजना पर प्रकाश डालना आरम्भ किया। परन्तु इस योजना से यह भी प्रकट हो गया कि जहाँ तक भारत के भविष्य का सम्बन्ध है, इंग्लैड के विभेद-दलों में कोई मतभेद नहीं है।

आखिरिकार ४ जून, १९४५ के दिन वेवल भारत वापस आये और दस सप्ताह को अनु-परिष्ठिति के बाद अपने कार्य का भार समाप्त किया। इंग्लैड में वे जिस काज में रहे थे वह विश्वकूल असाधारण था। वह उस देश के इतिहास का एक ऐसा काल था, जिसमें पुरानी व्यवस्था विद्रोह लेती है और नवीन की आशा जाप्रत हो उठती है। यह एक ऐसा काल था, जब हटने वाला दल अपनी कट्टर विचारधारा पर जमे रहने के लिए असाधारण इड का परिचय दे रहा था और उधर दूपरी तरफ अधिकार-सूत्र ग्रहण करने वाला दल अपने आदर्शवाद पर जमे रहने के लिए असाधारण उत्साह दिखा रहा था। चर्चिज ने अवकाश ग्रहण करते समय, अपने कट्टरपंथी सिद्धांतों की प्रशंसा के गान गाये और समाजवाद की निरा करते हुए कहा कि वह तेजी से ताना-शाही की तरफ चला जा रहा है। मङ्गूरू-दल ने पांच वर्ष तक काम करने वाली मिजीजुज्ज्वो सरकार के सिद्धांतों पर चलने से हतकार कर दिया और भारत को स्वाधीनता प्रदान करने का वचन दिया। ऐसे काज में वेवल से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे कोई ऐसी जातु की छाड़ी अपने साथ लायेंगे, जिसे धुमा देने से वाइसराय के विरोधाविकार का खात्मा हो जायगा और सत्ता जनता के हाथ में चली जायगी। उनके गुप्त कार्य का रद्द इस घोषणा के कारण और भी गहरा हो गया कि भारत-आगमन के एक सप्ताह बाद तक वे कोई वक्तव्य नहीं देंगे। इसी बीच श्री एमरी ने ६ जून को लंदन के रोटरी क्लब में भाषण देते हुए कहा :—

‘तीन साल से अधिक समय् गुजरा कि हमने इच्छा प्रकट की थी युद्ध के बाद हम भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंदर—और यदि वह चाहे तो बाहर भी—पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करें; किन्तु शर्त यह है कि भारत के मुख्य दल देश के भावी विधान के सम्बन्ध में कोई समझौता करते हैं।’

श्री पूरी ने अन्त में कहा :—

“अगर हस समस्या का कोई पूर्ण या तर्कसंगत जवाब नहीं मिलता (यानी अगर सत्ता हस्तांतरित करने के लिए स्वीकृत उत्तराधिकारी नहीं मिलते) तो कोई कारण नहीं कि भारत व ब्रिटेन दोनों ही जिस गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं उससे बाहर निकलने का कोई न कोई मार्ग उन्हें प्राप्त न हो जाय। ज़रूरत हस बात की है कि हम फिर से कोशिश करें।”

इस स्थल पर हमारे लिए मिस्र में अलेनबी के कार्य का उल्लेख करना अनुचित न होगा; क्योंकि भारत के सम्बन्ध में वेवल से उन्हींके पथ का अनुसरण करने की आशा की जाती थी।

### मिस्र और भारत

वेवल के वाह्यसराय के पद पर नियुक्त किये जाने से सात महीने पहले और लार्ड लिन-लिथगो के कार्यकाल का तीसरी बार छः महीने के लिए विस्तार किये जाने से ठीक पहले भी वेवल की हस पद पर नियुक्ति को चर्चा चली थी। उस समय कुमारी मार्गरेट पोप ने लिखा था :—

“प्रत्येक भारतीय को अपने देश के स्वाधीनता-संग्राम की निम्न घटनाओं से समानता का ध्यान रखना चाहिए :—

“१९१४ में अंग्रेजों ने मिस्र को संरक्षित राज्य घोषित कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर मिस्रवासियों को शांति-सम्मेलन के सम्मुख आत्म-निर्णय का दावा पेश करने के लिए प्रतिनिधि-मंडल भेजने की इजाजत नहीं दी गई। वफद दल के नेताओं को पकड़कर निर्वासित कर दिया गया। स्वभावतः परिणाम यह हुआ कि देश भर में असंतोष की लहर दौड़ गई। तब दल के लोगों ने कुछ हिस्सात्मक कार्यों का संगठन किया। जिनका मुख्य उद्देश्य रेलवे लाइनों व तार की लाइनों को छिपा-भिजा करके यातायात सम्बन्धों को भंग कर देना था (भारत में ६ अग्रत के उपद्रवों से तुलना कीजिए) और दंगे भी शुरू हो गये जिनमें कुछ अंग्रेज मार डाले गये। इस समय अलेनबी शांति व व्यवस्था कायम रखने के लिए भेजे गये। उन्होंने मज़बूतों व तेजी से काम किया। उन्होंने वफद नेताओं को छोड़ दिया और उनसे बातचीत चलानी आरम्भ करदी। लार्ड अलेनबी ने वफद दल के नेता जगलुक पाशा को बातचीत करने के लिए लंदन भी भेजा। जगलुक पाशा अपनी बात पर जमे रहे और कोई भी रियायत करने से उन्होंने इनकार कर दिया। बार्टी भंग हो गयी और जगलुक पाशा को लंका में निर्वासित कर दिया गया। फिर भी अलेनबी ने समझौता करने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखे। मिस्र में अपने सबसे बड़े विरोधी से पिंड लुहाकर बार्ड अलेनबी को समझौते के प्रयत्नों को आगे बढ़ाते समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल तक से लोहा लेना पड़ा। इस ऐतिहासिक संघर्ष में लॉयड जॉर्ज, कर्जन और मिलनर—सभी मिस्र की संरक्षण-व्यवस्था को समाप्त करके स्वाधीनता की घोषणा करने के विषय में उनके विरोधी थे। परन्तु उनके सब से कट्टर विरोधी चर्चिल थे जैसा कि वेवल ने लिखा है। परन्तु अन्त में अलेनबी ही सफ़ल हुए। १९२२ में जगलुक पाशा मुर्क कर दिये गये और मिस्र को एक स्वाधीन राज्य

स्वीकार कर लिया गया। इसे पूर्ण स्वाधीनता तो नहीं कहा जा सकता; लेकिन काम चलाऊ व्यवस्था हो गई और इस सब का श्रेय अलेनबी को ही था।

“अलेनबी ने जो कुछ किया क्या वही करने की हिम्मत वेवल भी कर सकते हैं—कंप्रेस के नेताओं को रिहा करें, तुरन्त बातचीत शुरू करदें और भारत की स्वाधीनता की घोषणा करने के साथ ही ब्रिटेन व भारतीय राष्ट्रीय-सरकार के बीच एक संधि कराने की व्यवस्था करें?”

भारतीय स्वाधीनता की समस्या का मिस्त्र की स्वाधीनता-समस्या से इतना सामंजस्य है कि इस पर विस्तार से कुछ कहना अनुचित न होगा। मिस्त्र की स्वाधीनता की घोषणा १९२२ को की गई और १४ मार्च, १९२२ को पार्लमेंट में बहस होने के बाद खड़ीव को मिस्त्र का शाह घोषित कर दिया गया और उन्हें “हिज मैजेस्टी” भी कहा जाने लगा। लार्ड वेवल ने मत प्रकट किया है कि ब्रिटिश-सरकार तो अनिच्छुक थी, किन्तु अलेनबी की दृढ़ता के कारण उसे १९२२ में मिस्त्र को स्वाधीन करना पड़ा। कुछ स्वार्थी लोगों का सहारा लेकर ब्रिटिश स्वार्थी की रक्षा करते रहने से मिस्त्र की साधारण जनता के प्रति दिये गए वचन भंग नहीं होते। लार्ड अलेनबी ने देखा कि मिस्त्र के राष्ट्रवादी लोग जिन भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं उन्होंने जनता के हृदय को भी हिला दिया है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि स्वाधीनता के नारों से प्रभावित होकर जनता अपनी स्वाभाविक सुस्ती छोड़कर कार्य-क्षेत्र में कूद सकती है। लार्ड अलेनबी ने यह भी महसूस किया कि मिस्त्रवासियों में आपसी मतभेद चाहे जितने क्यों न हों, किन्तु मिस्त्र और हंगलैंड के पारस्परिक रस्खन्धों को तय करते समय उनका कुछ भी विचार न करना चाहिए।

१९२२ में अप्रैल व अक्टूबर के दर्मियान तैयार किये गये विधान के अनुसार सूझान मिस्त्र का ही अंग था। परन्तु अंग्रेज उसे “सुरक्षित विषय” मानते थे। इसी प्रकार भारत में रियासतों को स्वाधीन भारत से पृथक करने की चेष्टा की गई। मिस्त्री विधान-समिति ने विधान वेहिजयम के ढंग पर बनाया था। निम्न धारासभा के विस्तृत मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होने, सेनेट आंशिक रूप में निर्वाचित व आंशिक रूप से नामजद होने और शाह को विधान के अनुसार चलने वाला शासक बनाने की व्यवस्था की गई थी। जिस समय यह सब हुआ उस समय वफद दल के नेता जगलूल पाशा उपद्रवों के लिए उत्तेजित करने के जुर्म में गिरफ्तार करके पहले अद्दन में रखे गये थे और २८ फरवरी, १९२२ को स्वाधीनता की घोषणा के दिन भूमध्य रेखा के निकट सेयीशीलेज द्वीप और फिर जिनावटर भेज दिये गये थे। मार्च १९२३ के दिन उन्हें रिहा कर दिया गया। नया विधान मार्च १९२३ में ही जारी कर दिया गया। मार्शल-ला रद कर दिया गया। एक कानून ऐसा पास किया गया कि जिन विदेशियों के प्रति कोई अत्याचार हो उन्हें ६० से ७० लाख पौंड तक हर्जाना दिया जाय। १४ में से ३ विद्यार्थियों को प्राणदंड दिया गया। इस प्रकार कादिरा के दंगे और उसके बाद का हिताहास समाप्त हुआ। जगलूल पाशा १८ सितम्बर १९२३ को सिकंदरिया वापस आये। अन्य लोगों ने मिस्त्र में जो उन्नति की थी उसका बे खात्मा करना चाहते थे। अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि यह उनका मिथ्याभिमान और ज़िद है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति भारत में उस समय उत्पन्न हो गई थी जब लार्ड वेवल कुछ प्रस्तावों को लेकर, जिन्हें तैयार करने में कुछ कंप्रेसियों का हाथ था, गोकि संस्था के रूप में कंप्रेस से उनका कोई सम्बन्ध न था, इंग्लैंड गये थे। परन्तु जगलूल पाशा को चुनाव में भाग लेना पड़ा। वफद दल ने २१४ स्थानों में से १६० पर अधिकार कर लिया। जगलूल पाशा इंग्लैंड जाकर अपने मिस्त्र रेवज़े मेकडानलड से मिलना चाहते थे, जो उस समय प्रधान मंत्री थे। परन्तु मैकडानलड उन

के मित्र उसी तरह नहीं साबित हुए जिस तरह १९४२ में लिनियर्गो महात्मा गांधी के मित्र प्रमाणित नहीं हुए। जगलूल पाशा ने निम्न मार्गों उपस्थित कों :—(१) मिस्ट्र से अंग्रेजी कौज, अंग्रेज़ी प्रभाव और अंग्रेज़ अफसरों का हटाया जाना, (२) स्वेज नहर या अल्पसंख्यकों की रक्षा के अंग्रेजों के दावे का परिष्याग। परन्तु जगलूल पाशा में बातचीत करने की चतुराई न थी, गोकि वे अपना पच्च जोरदार शब्दों में पेश कर सकते थे और आन्दोलन का साहसर्वक नेतृत्व कर सकते थे। अरदूवर १९२४ में मैश्डानलड मंत्रिमंडल का पतन हो गया, किन्तु इसके पहले ही जगलूल पाशा अपने मित्र से उसी प्रकार निराश हो चुके थे, जिस प्रकार बाद में जाकर जनाहरकाल को किप्स से और गांधीजी को लिनियर्गो से निराशा हुई थी। जगलूल पाशा का मतभेद अंग्रेजों से निम्न बातों के सम्बन्ध में था :—

- (१) सूडान
- (२) न्याय-सम्बन्धी तथा आर्थिक अंग्रेज समाइकार,
- (३) बृंदेश स्वार्थ व १९२२ की घोषणा सम्बन्धी नीति,
- (४) विदेशी अनुसरों को हत्तीना देना,
- (५) सूडान में अंग्रेजों के स्वार्थ और
- (६) कठिपय रकमों का भुगतान।

जगलूल पाशा ने अपने प्रधान मंत्रित्व से इस्तीका दे दिया। उन्होंने शाह से एक संधि कर दी और तीन दिन के ही भूतर सरदार ली स्टेट की हत्या कर दी गई।

१९१९-२० के निझर कमालन ने मिस्ट्र को संरक्षित बनवाया। समाप्त करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुयाय २८ फरवरी १९२२ को मिस्ट्र के स्वाधीन राज्य बोधित कर दिये जाने पर अंग्रेजों ने कुछ प्रश्नों को बातचात-द्वारा निपटाये जाने के लिए सुरक्षित रख लिया। इन प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण निम्न थे :—१) विटेरा साम्राज्य के यतायात मार्गों की दिक्कत और (२) बाहरी आक्रमण या इस्तेंप से मिस्ट्र की रक्षा। १९३१ में मिस्ट्र व अंग्रेजों के मध्य मित्र बने रहने का एक संधि हुई, जिस ही पद्धतों द्वारा इस प्रकार थो :—'चूंकि स्वेज नहर मिस्ट्र का अद्वा होने के अद्वावा संसार म आग्र विटिरा साम्राज्य के विभिन्न भागों में आवागमन का साधन है, इसलिए मिस्ट्र के दिन मजेह्टा शाह मिस्ट्र सेना के अपन साधनों के बल पर इस नहर व उसमें जहाजों के मार्ग का रक्षा में समर्थ होने के दोनों परान-द्वारा स्वीकृत कालकृ, नदी को रक्षा के लिए विटेरा साम्राज्य को नहर के निकट मिस्ट्र भूमि से सेना तेनात करने का अधिकार देते हैं, जैसा कि जुलाई १९२० में आधी पाशा व कर्जन म हुई बातचीत में कहा गया था। इस सेना का उत्तरिति से यह मजलव नदा लगाया जारगा तक उसका उद्देश्य अधिकार जमाये रखना है और न उसके कारण मिस्ट्र के स्वावानता के अविकारों में ही किसी प्रकार इस्तेंप स्वाकार किया जायगा। धार १८ में उत्तिविर २० घरों का काल समाप्त होने पर नहर के मार्ग की मिस्ट्र सेना-द्वारा रक्षा करने में समर्थ होने के प्रश्न को, यदि दोनों पर सइमत न हो तो, घर्तमान संघ का ब्यवस्था के अनुयाय राष्ट्रसंघ के अथवा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के आगे नियंत्र के लिए पेश किया जा सकता है, जिसके सम्बन्ध में दोनों परानों में समझोता हो गया हो।'

यह भी स्टाट कर दिया गया कि विटेर सेना में १०,००० भूमि-सैनिक तथा ४०० बायुगान-वाजर रहेंगे, नदी के दूर्व व पवित्र में उन जग्हाओं को ब्राह्मण की गई जिनमें विटेश सेना को रैनात किया जायगा और यह भी बता दिया गया कि इस सेना के बिटेर कितनी भूमि,

बारके, जल्द-इवस्था तथा सड़क और रेलवे यातायात सम्बन्धी प्रबन्ध की जहरत पढ़ी। ऐसी ही एक संघि अंग्रेजों ने १९३० में इराक से की थी।

अब हम फिर भारत की तरफ आ वैं। जिन्ना-गांधी वार्ता अपक्रम होते ही लियाकत-ऐसाई वार्ता आरम्भ हो गई और जनवरी, १९४५ में दोनों नेताओं ने समझौता किया, जिस पर ११ जनवरी, १९४२ को इस्ताचर भी हो गये। -

इस समझौते में समानता का अनुपात साम्राज्यिक आधार पर नहीं बलिक संस्थागत आधार पर स्वीकार किया गया था। दूसरे शब्दों में इसमें हिन्दुओं व मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व के स्थान पर कांग्रेस व मुस्लिम लीग के समान प्रतिनिधित्व की बात स्वीकार की गई थी। दूसरे, उसमें यह भी निरचित कर लिया गया था कि इस प्रकार स्थापित सरकार का पहला कार्य कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्यों की छिह्न होगा। अन्य बाँते इस प्रस्ताव के स्वीकार किये जाने पर ही निर्भर थीं। यदि वाहसराय व भारत मंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो शायद शिमला-सम्मेज द्वांता ही नहीं। तब तो गुरुवरपूर्ण से समझौता हो जाता और फिर एक दिन हमें सूचना मिलती कि नई शासन परिषद् स्थापित हो गई है और फिर कार्य-समिति की रिहाई के लिए इस नई सरकार के गृहइसदस्य के प्रति कृतज्ञ होते। इस प्रकार कांग्रेस की कोई आवाज नहीं होती; क्योंकि सभा बातचीत उसको अनुपस्थिति में हुई थी। और फिर कांग्रेस कार्य समिति के परामर्श के बिना ही एक नई सरकार की, इसे राष्ट्रीय सरकार कहना ठीक न होता, स्थापना हो जाती। ऐसा होता तो विदिश कूटनीति की विजय होती, सत्याग्रह ताक पर डाठा कर रख दिया जाता और न जाने कब तक विदिश शासन की जड़ें भारत में जमी रहतीं। सौभाग्यवश गांधीजी के कड़े रख के कारण यह दुर्घटना नहीं हुई और २३ जनवरी को द्वा० प्रकुल्लचंद घोष की रिहाई के कारण जो अस्वस्थ थे इस निरचय को और बब प्राप्त हुआ। इससे जाहिर हो गया कि कांग्रेसमिति के सदस्यों के रिहा होने तक कुछ नहीं हो सकता। किसीको अक्तिक्रियता के लिए इसके कारण नहीं किन्तु एक सिद्धांत की सफलता के द्वायक दृष्टिकोण से यह प्रसवता की ही बात हुई कि कांग्रेस की इज्जत बची रही और राष्ट्रीय संघर्ष छेड़ने, उसे जारी रखने तथा द अगस्त, १९४२ के बाबूहै वाले प्रस्ताव को वापस लेने से इनकार करने के विषय में पिछले तीन वर्ष तक उसने जो दृष्टिकोण प्रदण किया था उस पर वह अडिग बनो रहा। हां तो, जदांतक देरा का ताल्लुक है, इन दिनों की घटनाएं विशेष महत्वपूर्ण थीं इसलिए नहो कि उनके कारण कोई सफलता मिलती या नहीं मिलती, बलिक इस कारण कि उन नंतिक सिद्धांतों की विजय हुई जिनके आधार पर कांग्रेस के कार्य पिछले २५ वर्ष से चल रहे थे।

अब हम उन घटनाओं को लेते हैं, जिनका सम्बन्ध वेवल-योजना से था। नियह योजना गतिरोध दूर करने के लिए थी। १४ जून, १९४२ का लार्ड वेवल ने भारत की जनता के लिए रेडियो से एक भावण आडकास्ट किया आर साय हो प्रायः उसी समय भारत-मंत्री श्री एमरा ने भी पाल्मेट में एक वक्तव्य दिया। इन दोनों वक्तव्यों में एक ही प्रकार के विचार व भाव प्रकट किये गये और एक ही योजना व कार्यक्रम उत्पन्न किया गया। योजना की मुख्य बात यह थी कि वाहसराय चुने हुए अंग्रेजियों का एक सम्मेलन बुलावें जिससे कि नई शासन-परिषद् के सदस्यों की एक सूचा तैयार को जा सके। इस सूची में ऐसे अंग्रेजियों की विजय हुई जिनके आधार पर कांग्रेस के कार्य पिछले २५ वर्ष से चल रहे थे।

पूर्ण जापानियों के विरुद्ध युद्ध करके उन्हें हराना हो। वाहसराय ने अपने ब्राडकास्ट में कहा, “विभिन्न दल ऐसे योग्य तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करें, जो विदेश विषय को मिलाकर सभी विभागों के प्रबंध तथा उनके विषय में निश्चय करने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हों”, किन्तु अपवाद युद्ध-संचालन का किया गया, जो प्रधान सेनापति की अधीनता में होगा। वाहसराय ने यह भी कहा कि हिन्दूओं (अद्वृतों को छोड़ कर) और मुसलमानों की संख्या बराबर रहेगी और कार्य का संचालन तरकालीन विभाजन के अनुसार होगा यानी “भारत मंत्री गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में।” लार्ड वेवल ने सम्मेलन में सवाल उठाया कि यदि उपर्युक्त शर्तों पर समझौता हो जाय तो विभाजन दलों-द्वारा शासन-परिषद् के निर्माण के लिए उसमें रखे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या व साम्प्रदायिक अनुपात के सम्बन्ध में और वाहसराय के सम्मुख नामों की वह सूची जिसमें से वाहसराय शासन-परिषद् में नियुक्ति के लिए चुनाव करेंगे, उपस्थित करने के तरीके के सम्बन्ध में भत्तेश्वर प्राप्त करना सम्भव होगा या नहीं।

वाहसराय ने कहा कि उनके निषेध अधिकार को हटाने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता; किन्तु उसका उपयोग अकारण नहीं किया जायगा। दूसरी तरफ भारत मंत्री ने कहा कि निषेध अधिकार का प्रयोग विटेन के हित में नहीं विलिक वेवल भारत के ही हित में किया जायगा। हम सभी जानते हैं कि लार्ड इरविन के समय में भारत के हितों का क्या मतलब लगाया जाता था। पाठकों को सम्भवतः स्मरण होगा कि गांधी-इरविन समझौते की अनितम धारा में वैधानिक स्थिति की चर्चा करते समय कहा गया कि भारत का भावी विधान जिन तीन बातों पर आधारित रहेगा वे संघ, केन्द्रीय जिम्मेदारी और भारतीय स्वार्थों की रक्षा के लिए संरक्षण होंगी। बाद में इन भारतीय स्वार्थों का मतलब विटेन स्वार्थों से लगाया गया। वाहसराय ने अन्त में कहा, “मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव सिर्फ त्रिपुरा भारत के ही सम्बन्ध में हैं और इनका प्रभाव सम्ब्राट के प्रतिनिधि से नरेशों के सम्बन्धों पर बिलकुल नहीं पड़ता।” जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, सरकार ने अपनी स्थिति इन शब्दों में स्पष्ट करदी थी। “जहां तक रियासतों का सम्बन्ध है, यह स्वीकार किया जाता है कि दिमियानी वक्त में सम्ब्राट के प्रतिनिधि के अधिकार जारी रहेंगे, फिर भी यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सरकार को कितने ही ऐसे विषय हाथ में लेने पड़ेंगे जिनका रियासतों से सम्बन्ध होगा, जैसे, व्यापार, उद्योग, श्रम आदि। इसके अतिरिक्त एक तरफ रियासतों प्रजा व नरेश और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सरकार के सदस्यों के मध्य की द्वीवार हटनी चाहिए जिससे समान समस्याओं को परस्पर वाद-विवाद और सलाह-मराविरे के द्वारा हत किया जा सके।”

अपने ब्राडकास्ट-भाषण के अंत में वाहसराय ने निम्न शब्द कहे, “यदि सम्मेलन सफल हुआ तो मुझे केन्द्रीय शासन परिषद् स्थापित करने के विषय में सहमत होने की आशा है। ऐसी अवस्था में धारा ६३ वाले प्रांतों में मन्त्रिमण्डल फिर से काम करने लगेंगे। ये प्रांतीय मन्त्रिमण्डल मिलेजुले होंगे।.....यदि सम्मेलन दुर्भाग्यवश असफल हुआ तो विभिन्न राजनीतिक दलों में कोई समझौता होने तक हमें वर्तमान अवस्था में रहना पड़ेगा।”

वाहसराय ने सम्मेलन के सम्मुख पदों व उनमें मिलाये जाने वाले विभागों की निम्न सूची उपस्थित की —

पद	सम्मिलित विभाग
१. युद्ध	युद्ध
२. विदेश विषय	{ १. विदेश विषय तथा २. राष्ट्रमंडल सम्पर्क
३. गृह	गृह
४. अर्थ	अर्थ
५. कानून	कानून
६. श्रम	श्रम
७. यातायात सम्पर्क	युद्ध, यातायात व रेल
८. रसा	डाक और वायु
९. व्यापार	व्यापार तथा नागरिक रसद
१०. उद्योग तथा रसद	
११. शिक्षा	
१२. स्वास्थ्य	
१३. कृषि	{ १. कृषि-उज्ज्ञति २. स्वाद्य
१४. आयोजन तथा उज्ज्ञति	
१५. सूचना व बाड़कास्टिंग	

तत्कालीन सूची तथा उपस्थित की गई सूची का भेद भी समझना आवश्यक है। स्वास्थ्य, भूमि व शिक्षा का पद तोड़कर उसके लिए पद बनाये गये—प्रथम स्वास्थ्य का, दूसरा कृषि का जिसमें खाद्य भी सम्मिलित किया गया और तीसरा शिक्षा का। युद्ध-यातायात के पुराने पद को यातायात सम्पर्क (कम्युनिकेशंस) में परिवर्तित किया गया, जिसमें युद्ध-यातायात को सम्मिलित कर लिया गया। पुराने व्यापार के पद को जिसमें (१) व्यापार, (२) उद्योग व (३) नागरिक रसद सम्मिलित थे, अब व्यापार व नागरिक रसद की संज्ञा दी गई। उद्योग व नागरिक रसद का एक नया पद बनाया गया। आयोजन व उज्ज्ञति के पुराने पद में खाद्य को सम्मिलित नहीं किया गया जैसे कि पहले था। पहले राष्ट्रमंडल सम्पर्क का पद पृथक् था; किन्तु अब उसे विदेश विषय में ही मिला दिया गया।

वाहसराय के भाषण व कार्य-समिति के नेताओं की रिहाई से बड़ी-बड़ी आशाएं की गईं। वाहसराय ने आरम्भ में ही कहा कि इस बार इतिहास की पुनरावृत्ति न होगी—वेवल-योजना की किप्प-मिशन के समान ही गति न होगी। सम्मेलन में जो बहस व प्रश्नोत्तर हुए, उनका यहां उल्लेख करना ठीक न होगा; किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जब नेताओं के जिए मिल-जुलकर एक यंत्रिक सूची उपस्थित करना असम्भव हो गया तो प्रत्येक दखल व व्यक्ति से अपनी-अपनी सूची उपस्थित करने को कहा गया। फिर भी बड़ी विचित्र बातें हुईं। संचेप में यही कहा जा सकता है कि २८ जून से दो बैठकें हो चुकने के बाद सम्मेलन की १४ जुलाई वाली बैठक में सफलता मिलने की आशा की जा रही थी। बहुत सोच-विचार के बाद उसमें दो सूचियां उपस्थित की गईं। यह बड़े दुःख की बात थी कि अबतक कोई संयुक्त सूची नहीं बन पाई थी। यदि ऐसा होता तो देश की उन्नति का मार्ग खुल जाता। यदि संयुक्त सूची बन जाती तो

शायद एक ही दल, एक ही कार्यक्रम, सम्भवतः भविष्य के लिए एक ही निर्वाचन-स्थानस्था, एक ही राष्ट्रीयता, एक ही आदर्श, संसार के मामलों में एक ही साथ भाग के ने और ब्रिटेन के नियंत्रण से छुटकारे के एक साथ प्रयत्न बरने का नवीन अध्याय आरम्भ हो जाता। पर यह न ही ना था, सो नहीं हुआ। भाग्य में तो यही था कि मुख्य की गुलामी जिस आपसी फूट के कारण हुई थी वह हमारे बीच बनी रहे। संयुक्त सूची उपस्थित न कर सकने का मतलब यह हुआ कि भारत के एक होने की आवाज धीमी पढ़ गई। दूसरे शब्दों में इसका यह भी मतलब हुआ कि जनता का एक भाग अभी ब्रिटेन के ही साथ बैंधा रहना चाहता है और अपने पैरों पर खड़ा होने में अपने को असमर्थ पा रहा है। खैर, मुस्लिम लीग व यूरोपियन प्रतिनिधि के अबावा वाकी सबकी तरफ से पृथक् सूचियां उपस्थित की गईं और इसका क्या परिणाम हुआ यह भी इस देखते हैं।

११ जुलाई को मुस्लिम लीग के नेता ने सिर्फ १५ मिनट तक बाहसराय से मुख्याकात की और इस सुलाक्षण में उन्होंने कहा कि बाहसराय की सूची में जो गैर-कीरी नाम हैं उन्हें वे स्वीकार नहीं कर सकते; वयोंकि लीग भारत के इस समाजों की एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करती है और उन्होंने जो सूची दी है उसमें वे अपने दल के अतिरिक्त किसी बाहरी नाम को शामिल नहीं करने दे सकते। बाहसराय ने इससे अपना गतभेद प्रकट किया। कुछ ही समय बाद गांधीजी बाहसराय से मिले और अगले दिन कांग्रेस के अध्यक्ष को मिलने के लिए दुखाया गया। बाहसराय ने सिर्फ हत्ता ही कहा कि मैंने मुस्लिम प्रतिनिधियों की जो सूची बनाई है मिं० जिज्ञा उससे सहमत नहीं हैं (सूची का सिर्फ हत्ता भाग ही उन्हें दिखाया गया था।) इससे अधिक बाहसराय ने नेताओं को कुछ नहीं बताया। बाहसराय के कार्य की विचित्र प्रणाली थी। वे दलों में समर्मोदा करने का लो प्रयत्न बर रहे थे, विन्तु उन्होंने नेतृत्व अपने हाथ में सुरक्षत रखा था और अपने इसी अधिकार के कारण वे इष्टनी सूची तैयार बर रहे थे। बाह्य सराय ने नेताओं से सूचियां लो रिफ्ट इसलिए मांगी थीं कि उनमें से शासन-परिषद् के लिए वे मामों का चुनाव करलें। परन्तु बाहसराय कोई सूची तैयार नहीं बर सके। यह कहने से क्या जाम है कि उनकी सूची सम्भवतः कांग्रेस स्वीकार नहीं करती और इसीलिए उन्होंने उसे कांग्रेसी नेताओं को नहीं दिखाया। उचित कार्य-पद्धति तो यह होती कि वे अपनी सूची कांग्रेसी नेताओं को दिखाते और वे उसे स्वीकृति के लिए कार्य-समिति के आगे उपस्थित करते। यदी नहीं कि ऐसा नहीं किया गया बाहिर बाहसराय ने कार्य-समिति के दृष्टिकोण के विषय में अनुमान भी कर लिया। १४ जुलाई को बाहसराय ने सम्मेलन यह बहते हुए समाप्त कर दिया कि उन्हें अपने प्रयत्नों में असफलता मिली है और इसीलिए सम्मेलन को अनिवार्यता काल के लिए स्थगित किया जाता है। ऐसा करते समय उन्होंने सम्मेलन की असफलता अपने सिर पर ली और इस सिलजिले में यह भी कहा कि मिं० जिज्ञा ने कोई सूची उपस्थित नहीं की बल्कि उन्हें जब बाहसराय की सूची का एक भाग दिखाया गया तो उन्होंने यही कहा कि मुस्लिम लीग उसे स्वीकार नहीं कर सकती।

भारत के प्रमुख नेताओं के एक पक्षवारे तक शिमला में रहने के समय जो घटनाएं हुईं उनकी समीक्षा करने से प्रकट दो जाता है कि पहले जो आशंकाएं की गई थीं वे निराधार न थीं। किप्स-मिशन व वेवल-योजना में बहुत-कुछ समानता थी, किप्स जिस समय भारत आये डस समय वही आशाएं दिखाई गईं। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को बचन दिया कि भारत में

वाइसराय की नये मंत्रिमंडल की तुलना में वही स्थिति रहेगी जो ब्रिटिश भ्राट् की ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलना में होती है। बाद में उन्होंने इस बात के अथवा 'मंत्रिमंडल' शब्द की चर्चा तक से इनकार कर दिया, गोकि अश्वद्वारा, १९४२ के पार्लेंट वाले भाषण में सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 'मंत्रिमंडल' शब्द का साधारण अर्थ में प्रयोग किया था वैचानिक अर्थ में नहीं। शिमला में लार्ड वेवल ने कहा था कि वाइसराय के निषेध अधिकारों को रद करने का तो प्रश्न नहीं उठता; किन्तु उसका अकारण प्रयोग नहीं किया जायगा। सर स्टैफर्ड क्रिप्स को तुलना में वाइसराय ने यह स्पष्ट बात अवश्य कही थी। ब्रिप्स व वेवल योजनाओं के सम्बन्ध में दृसरा अन्तर यह है कि क्रिप्स ने जब दिल्ली आकर गांधीजी को बुलाया तो गांधीजी को क्रिप्स-प्रस्तावों को देख कर ऐसी निराशा हुई कि उन्होंने इस बात पर आरक्ष्य प्रकट किया कि क्रिप्स ऐसे प्रस्ताव लेकर बिटेन से आये ही थर्यों। परन्तु जहांतक वेवल-योजना का सम्बन्ध है, गांधीजी ने संतोष प्रकट किया और कहा कि यह नेकनीयती से तैयार की गई है और हमे स्वाधीनता की ओर जे जाने वाला एक कदम कहा जा सकता है। गांधीजी ने उम्में स्वाधीनता का बीज देखा और हमीलिए उन्होंने इसके प्रति क्रिप्स-योजना से भिन्न रूप ग्रहण किया। जब क्रिप्स भारत आये थे तो गांधीजी की सजाइ थी कि कांग्रेस की कार्य-समिति की बैठक दिल्ली में बुलानी आवश्यक नहीं है। परन्तु हम बार घटनाचक्र बिनकून दृसरी दिशा में ही थमा। गांधीजी ने सजाइ दी कि कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाय और वह वेवल-योजना पर विचार करे, परन्तु यहांमें दोनों योजनाओं की समानता आगम्भ होती है। क्रिप्स-योजना की जौका कार्यसमिति की बैठक शुरू होने के तीमरे दिन हूब गई। यह बैठक २६ मार्च, १९४३ को आगम्भ हुई थी और ३१ मार्च को सम स हुई। परन्तु क्रिप्स ने अनुरोध किया कि मैं जो सून रहा हूँ कि कार्यसमिति ने मेरे प्रस्तावों को अस्वीकार वर दिया है, यदि यह सत्य है तो उसे यह बार समाचार पत्रों में प्रकाशित न करनी चाहिए। क्रिप्स का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। शिमला-सम्मेलन के तीसरे दिन यानी २६ जून १९४५ को असाफलता उसकी कार्यवाही से ही प्रकट हो गई; क्योंकि सम्मेलन में संयुक्त सूची तैयार नहीं हो सकी। किर भी यह आशा अवश्य की जाती थी कि वाइसराय की सूची तुद्विमत्तापूर्ण होगी और उसके कारण समझौता हो सकेगा। जिस प्रकार 'क्रिप्स-मिशन' के समय कर्नल जान्सन के आगमन से आशा पुनः जाग्रत हो उठी थी, क्योंकि क्रिप्स के कार्य के पहले तीन दिन समाप्त होने के कहीं एक सप्ताह बाद ही वार्ता अंतिम रूप से भंग हुई थी, इसी प्रकार शिमला-सम्मेलन के प्रथम तीन 'दिनों' के बाद और वाइसराय-द्वारा सम्मेलन भंग करने की घोषणा के मध्य एक पखवारे का समय गुजरा था और इस अरसे में कई घटनाएं हुई थीं। यह आजतक प्रकट नहीं हो सका है कि ६ मार्च, १९४२ के दिन सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने अपने दृष्टिकोण में एकाएक परिवर्तन कैमे कर लिया और यह क्यों कहा कि रक्षा सदृश्य को हस्तांतरित किये जाने वाले विषयों की सूची में उन्हें और कोई विषय जोड़ना शेष नहीं रहा है और यह भी कि मंत्रिमंडल के व्यवस्थाएं परिषद् के प्रति नियमेशार होने की कोई बात ही नहीं है बल्कि यह तो एक ऐसा सवाल है जिस पर कार्यसमिति को वाइसराय से बातचीत करनी चाहिए। लार्ड वेवल ने सम्मेलन के सदस्यों द्वारा पेश की गई सूचियों के आधार पर जो अपनी सूची तैयार की थी उसे उन्होंने कांग्रेस तथा अन्य सभी दलों या लीग को पूरी क्यों नहीं बताया, इस पर भी कोई प्रकाश नहीं ढाला सकता। परन्तु यह निविंदा है कि १४ जुलाई से पहले वाले सप्ताह में समाचार-पत्रों में जो सूची विश्वस्त सूची के नाम से प्रकाशित हुई थी,

उसे वास्तविक सूची नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वाइसराय यह सूची किसीको भी बता नहीं सकते थे।

जो कुछ हो इतना स्पष्ट है कि सम्मेलन की असफलता के लिए कांग्रेस की ज़िम्मेदारी कुछ भी न थी। वाइसराय को कांग्रेस का रुख बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, वयोंकि वाइसराय जो थोड़े परिवर्तन सूची में करना चाहते थे उन पर कांग्रेस को कोई आपत्ति न थी। कांग्रेस तो सिफ यहीं चाहती थी कि उससे पहले सलाह ले ली जाय और उसकी सहयोग की भावना से अनुचित ज्ञान न उठाया जाय। जहाँ तक लीग का सम्बन्ध है यह स्पष्ट है कि उसे सम्मेलन भंग होने की ज़िम्मेदारी आंशिक रूप से अवश्य उठानी चाहिए, क्योंकि वह अपने को भारतीय मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि होने के दावे को माने जाने का हठ कर रही थी और यह एक ऐसा दावा था, जिसे खुद वाइसराय माने को तैयार नहीं थे और जिससे देश के करोड़ों मुसलमान इनकार करते थे। लीग का दावा उस समय और भी कमज़ोर पड़ गया जब खिजर हयातखां लीग से अलग अपना प्रतिनिधि नामजद करने शिमला पहुँचे। अहरर, राष्ट्रीय मुसलमान, मोमिन, शिया और जमीयतुल्ल उल्लेमा की कार्यसमितियों ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को कांग्रेस व सरकार के पास अपना प्रतिनिधि नामजद करने के उद्देश्य से बातचीत करने के लिए भेजा था। जुबाई, १९४२ में शिमला में जो घटनाएँ हुईं उनमें कुछ नैतिक न्याय भी था। अप्रैल, १९४२ में क्रिप्स मिशन को यदि स्वयं क्रिप्स ने भंग नहीं किया तो वह कांग्रेस ने किया था। शिमला में लीग ने वेवल-योजना को असफल किया गोकि इसका दोष लार्ड वेवल ने अपने सिर पर ले लिया। दिल्ली में जो बात क्रिप्स के साथ हुई ठीक वैसी ही बात शिमला में वेवल के साथ हुई। शिमला सम्मेलन की समाप्ति के बाद मौलाना अनुलक्नाम आजाद ने समाचारपत्र के एक प्रतिनिधि से कहा था, वाइसराय ने मुझे पहली मुलाकात में ही विश्वास दिलाया था कि सम्मेलन में भाग लेने वाला कोई भी दल उसे जानवृक्ष कर भंग न कर सकेगा। सभी जानते थे कि मिं जिन्ना का रुख क्या होगा और सभी का विश्वास था कि लार्ड वेवल उनके प्रति उचित व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु लार्ड वेवल का हाथ भी अन्त में आकर क्रिप्स के ही समान हुए गया। दोनों परिस्थितियों में एक और भी समानता दिखाई देती है। क्रिप्स ऐसे समय भारत आये थे जब भारत पर जापानियों के आक्रमण की आशंका की ज़रही थी। यह आशंका मिथ्ये ही क्रिप्स-मिशन एकाएक समाप्त हो गया। जुबाई, १९४२ में वेवल-योजना जिस समय शिमला में प्रकाश में आई थी उस समय अनुदार दल वाले ५ जुलाई को होने वाले आम चुनाव में मजदूर-दल के भारी हमले की आशंका कर रहे थे। चुनाव समाप्त होने पर पहले के रुख में एकाएक परिवर्तन हो जाने के कारण वेवल-योजना का भी अन्त हो गया। यह कहना कि इस प्रकार की चालें चलते और फिर उन्हें बापू लेने की बातें पहले से तय कर ली जाती हैं, अनुचित जान पड़ता है। गोकि कार्य व कारण के रूप में इन बातों का सम्बन्ध हर जगह नहीं जोड़ा जा सकता। फिर भी साधारण जनता इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकती।

परन्तु सब बातों पर विचार कर चुकने के बाद शिमला-सम्मेलन असफल होने का दोष वास्तव में ब्रिटिश सरकार पर आता है जिसके प्रतिनिधि लार्ड वेवल दृढ़ता तथा निर्भयतापूर्वक कार्य न कर सके। लार्ड वेवल ने जब यह कहा कि, “परस्पर बुरा-भला न कह कर आप सहायता करेंगे” तो उनके मन में आशंका थी कि वे विभिन्न दलों की भावनाओं को कुछ चोट पहुँचा रहे हैं। पहले किसी पर दोषारोपण किया जाता है और फिर बुरा-भला कहा जाता है। परन्तु

सम्मेलन को मुस्किम लीग ने जो हति पहुँचाई थी उसका निवारण करने की सामर्थ्य बाहसराय में थी। परन्तु ऐसा करने के स्थान पर बाहसराय ने शासन-साम्राज्यी कंटिनाइयों का बहाना बनाया। आपने कहा “परिवर्तन इथवा भंग होने की दैनिक सम्भावना के समय कोई भी सरकार अपना कार्य नहीं चला सकती। मुझे दैनिक शासन की कार्य-ज्ञमता का भी ध्यान रखना है और इसलिए इस प्रकार की राजनीतिक वार्ता बार-बार नहीं चलाई जा सकती।” इसलिए “सम्मेलन के असफल होने के बाद मैं किस प्रकार सहायता कर सकूँगा, इसके सोच-विचार में कुछ समय लग जायगा।” बाहसराय ने एक या दो महीने टड़रने की बात जो कही थी उसका उद्देश्य यही था कि इन शब्दों के द्वारा असफलता के कारण अत्यन्त बहुता को दूर किया जा सके। पुरानी इमारत के खंडहरों पर नई इमारत खड़ी करना न तो शासन होता है और न यह कार्य जलदी ही होता है। अब देखना था कि बाहसराय अगला कदम क्या उठावे हैं। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि आशा की कोई नई किरण दिखाई देने लगी हो। कांग्रेस के लिए इतना ही काफी था कि वह यह प्रकट करे कि शुटी किस स्थल पर है। इस तार भी विजय वांग्रेस की ही हुई। प्रथम तो यह कि ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस को जेल से छोड़ना पड़ा और वार्ता चलानी पड़ी। दूसरी यह कि सबको प्रकट हो गया कि कांग्रेस जिही संस्था नहीं है। उसकी विजय अभी हीनी शेष थी और वह यह थी कि वह युद्ध और शान्ति के समय समाज रूप से शासन-व्यवस्था चकाने में समर्थ है।

१४ जून से २५ अगस्त तक का काल सुश्ती का था जो देखने में तो थोड़ा जान पड़ता है; किन्तु भारत में वैधानिक परिवर्तन देखने को उत्सुक लोगों के लिए वह बहुत लम्बा काल था। मध्यवर्ती काल में ब्रिटिश आम चुनाव का परिणाम प्रकट हुआ और १० जुलाई, १९४५ को मञ्चदूर-सरकार की स्थापना हुई। चुनाव में श्री एमरी हार गये और उनके स्थान पर लार्ड पेरिक लारेस भारत-मंत्री बनाये गये। नई पार्लमेंट के उद्घाटन के अवसर पर सन्नाट ने जो भाषण दिया वह निराशा जनक था :—

“भारतीय जनता के प्रति दिये गए वचनों के अनुसार मेरी सरकार भारतीय ज्ञोकमत के नेताओं से मिलकर भारत में शीघ्र ही स्वायत्त शासन शुरू करने की दिशा में यथाशक्ति प्रयत्न करेगी।”

कुछ ही समय बाद लार्ड वेवल को इंग्लैंड बुलाया गया। वेलंदन में २५ अगस्त को पहुँचे और उनकी वापसी से पहले ही भारत में केंद्रीय व प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं के आम चुनावों की घोषणा की गई। वेवल इवं एसिटेंड सितम्बर को वापस आये और उन्होंने अगले ही दिन एक भाषण ब्राडकास्ट किया, जो इस प्रकार है :—

“हाल ही में लंदन में सन्नाट की सरकार के साथ मेरा वार्तालाप समाप्त होने पर उसने मुझे निम्न घंटपणा करने का अधिकार प्रदान किया है :

“जैसा कि पार्लमेंट के उद्घाटन के अवसर पर सन्नाट ने आपने भाषण में कहा था, सन्नाट की सरकार, भारतीय नेताओं के सहयोग से, भारत में शीघ्र ही पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए यथाशक्ति सब कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्प है। मेरी लंदन-यात्रा के अवसर पर उसने मेरे साथ उन उपायों पर सोच-विचार किया है जो इस दिशा में किये जायंगे।

“इस आशय की घोषणा पहले ही की जा चुकी है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं के निर्वाचन, जो अब तक युद्ध के कारण स्थगित थे, अग्रामी शीत ऋतु में किये जायंगे। सन्नाट की सरकार को पूरी आशा है कि उसके बाद प्रान्तों में राजनीतिक नेता मन्त्रिपद का दायित्व प्रदायन कर जायेंगे।

“सम्भाट की सरकार का द्वारा है कि यथाशीघ्र एक विधान निर्मात्री परिषद का आयोजन किया जाय और फलतः प्रारंभिक प्रयत्न के रूप में उसने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं निर्वाचन समाप्त होते ही, यह जानने के लिए प्रान्तीय व्यवस्थापिक सभाओं के प्रतिनिधियों से वार्तालाप करूँ कि १९४२ की घोषणा में जो प्रस्ताव निहित हैं वे उन्हें मान्य हैं या किसी वैक्विपक अथवा संशोधित योजना को वे तरजीह देते हैं। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से भी, यह जानने के लिए वार्तालाप किया जायगा कि वे किस विधि से, विधान-निर्मात्री-परिषद् में पूरी तरह से सम्मिलित हो सकते हैं।

“सम्भाट की सरकार उस सन्धि के विषयों पर विचार करने जा रही है जो ब्रिटेन और भारत के मध्य आवश्यक होती।

“इन प्रारंभिक अवस्थाओं में, भारत की शासन-व्यवस्था जारी रहनी चाहिए और तात्कालिक आर्थिक एवं समाजिक समस्याओं का निवारा भी अवश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत को नवीन विश्व-व्यवस्था की रचना में पूरा-पूरा भाग लेना है। फलतः सम्भाट की सरकार ने मुझे यह भी अधिकार दिया है कि ज्योंही प्रान्तीय निर्वाचनों के परिणाम ज्ञात हो जाय मैं एक ऐसा शासन-परिषद् को अन्वित्व में लाने का प्रयत्न करूँ जिसे मुख्य-मुख्य भारतीय दलों का समर्थन प्राप्त हो।

“यह घोषणा की समाप्ति है जिसके लिए मुझे सम्भाट की सरकार की ओर से अधिकार मिला है। इसका अभिप्राय बहुत कुछ है। इसका अभिप्राय यह है कि सम्भाट की सरकार भारत को यथायम्भव शीघ्र स्वायत्त शासन की स्थिति में पहुँचाने के कार्य को अग्रसर करने के लिए दृ-संकल्प है। जैसा कि आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं उसके सम्मुख अत्यन्त महत्वपूर्ण और तात्कालिक समस्याएँ हैं किन्तु पहले से ही कार्य-व्ययस रहते हुए भी उसने कार्य-भार प्रदण्ड करने के प्रायः प्रारंभिक दिनों में ही भारतीय समस्या को प्रथम श्रेणी की ओर अतिशय महत्वपूर्ण मान कर इस पर विचार करने के लिए समय निकाला है। यह इस बात का प्रमाण है कि सम्भाट की सरकार, भारत को शीघ्र स्व-शासन प्राप्त करने में सहायता देने में सहायता देने के लिए हार्दिक संकल्प कर चुकी है।

“भारत के लिए नया विधान तैयार करने और उसे क्रियात्मक रूप प्रदान करने का कार्य जटिल और कठिन है जिसके लिए समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों की सद्भावना, सहयोग और धैर्य की आवश्यकता होगी। हमें सबसे पहले चुनाव करने चाहियें जिससे कि भारतीय निर्वाचकों की इच्छा का पता लग जाय। मताधिकार प्रणाली में कोई बद्दा परिवर्तन लाना संभव नहीं है। ऐसा करने पर कम-से-कम दो साल की देरी लग जायगी। किन्तु इस वर्तमान निर्वाचक सूचियों को अच्छी तरह से संशोधित करने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। निर्वाचन के बाद, मैं निर्वाचकों और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ यह निर्णय बरने के लिए वार्तालाप करना चाहता हूँ कि विधान-निर्मात्री-परिषद् का स्वरूप, अधिकार और कार्य-प्रणाली क्या हो। १९४२ के बांपण्यापत्र के मस्तिष्ठ में विधान-निर्मात्री-परिषद् की स्थापना के लिए एक प्रणाली का सुझाव रखा गया था किन्तु सम्भाट की सरकार इस बात का अनुभव करती है कि उपस्थित महान् समस्याओं और अल्प-संख्यकों की समस्याओं की जटिलता की दृष्टि से विधान-निर्मात्री-परिषद् के स्वरूप का अंतिम रूप से निर्णय करने से पहले जनता के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

“भारत को स्वभाग्य निर्णय का अवसर प्रदान करने के लिए सम्भाट की सरकार को और

मुझे उपर्युक्त प्रणाली सर्वोत्तम जान पहुंची है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें किन कठिनाइयों पर विजय पाना है और हमने उन पर विजय पाने का संकल्प कर लिया है। मैं निश्चय ही आपको विश्वास देला सकता हूँ कि विटिश जनता के सब वर्ग और सरकार भारत की, जिसने हमें इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक सहायता प्रदान की है, सहायता करने को उत्सुक है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं भारतीय जनों की सेवा में, उन्हें अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचने में, और मेरा इह विश्वास है कि यह संभव है, सहायता देने में कुछ भी उठा न रखूँगा।

“अब यह प्रदर्शित करना भारतीयों का काम है कि उनमें यह निर्णय करने को बुद्धि, विश्वास और साहस है कि वे किस प्रकार अपने मतभेद दूर कर सकते हैं और किस प्रकार भारतीयों-द्वारा भारतीयों के लिए उनके देश का शासन सम्पन्न हो सकता है।”

प्रधान मंत्री मिं. कर्ल्स्मेट एटली ने १९ सितम्बर के दिन ब्राडकास्ट करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय-विधान-परिषद् संस्था के साथ एक संधि करेगी, जिसका प्रस्ताव १९४२ में की गई घोषणा में किया गया था। श्री एटली ने यह भी कहा कि इस संधि में ऐसी कोई बात न रखी जायगी, जो भारत के हितों के विरुद्ध होगी। प्रधानमंत्री एटली का ब्राडकास्ट निम्न प्रकार है—

नई पार्लिमेंट का उद्घाटन करते हुए सचिव ने जो भाषण दिया था उसमें निम्न शब्द भी थे—‘भारतीय जनता के प्रति दिये गये वचनों के अनुसार मेरी सरकार भारतीय लोकमत के नेताओं से मिलकर भारत में शीघ्र ही स्वायत्त शासन शुरू करने की दिशा में यथा-शक्ति प्रयत्न करेंगी।’

“पद्ग्रहण करने के बाद सरकार ने अपना ध्यान भारतीय विषयों की ओर लगाया और वाइसराय से तुरन्त इंग्लैंड आने के लिए कहा ताकि सरकार उनके साथ मिलकर सम्पूर्ण आर्थिक व राजनैतिक परिस्थिति की समीक्षा कर सके। यह बाती अब समाप्त हो चुकी है और वाइसराय ने भारत वापस जाकर नीते सम्बन्धी घोषणा कर दी है।

“आपको स्मरण होगा कि १९४२ में संयुक्त-सरकार ने भारतीय नेताओं से बातचीत चलाने के उद्देश्य से एक घोषणा का समविदा डपरिश्वत किया था, जिसे साधारण तौर पर किए-योजना कहा जाता है।

‘प्रस्ताव किया गया था कि युद्ध समाप्त होते ही भारत के लिए नया विधान बनाने के उद्देश्य से एक संस्था कायम की जाय। सर रेफर्ड किए इस योजना को भारत के गये; किन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय नेताओं ने उसे स्वीकार न किया। परन्तु सरकार अब भी उसी दृष्टि और उसी भावना से कार्य कर रही है।

“सब से पहला अवश्यक कार्य यह है कि भारतीय जनता को यथासम्भव शीघ्र ही अधिक-से-अधिक व्यापक आधार पर प्रतिनिधित्व उपलब्ध किया जाय। इस देश की भाँति भारत में भी युद्ध के कारण तुनाव नहीं हो मिके हैं और अब केन्द्रीय व प्रान्तीय धारासभाओं के फिर से काम आरम्भ करने की आवश्यकता है। इसलिए, जैसाकि पहले ही घोषित किया जा चुका है, आगमी शीतऋतु में भारत में तुनाव किये जायेंगे। इसने कम समय में जितना भी सम्भव है, निर्वाचिक सूचों को गंभीरता से विवरित करके पूर्ण बनाया जा रहा है और इसका प्रबन्ध करने के लिए कि तुनाव व्याय-पर्ण और स्वच्छुंद हो, प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जायगा।

“आज वाइसराय हमारा यह विचार प्रकट कर रहे हैं कि तुनाव समाप्त होने पर भारती

प्रतिनिधियों की एक विधान-परिषद् कायम की जायगी, जिसके जिरमे नथा विधान कायम करने का काम दिया जायगा। सरकार ने ज्ञाई वेवल को प्रान्तीय धारासभाओं के प्रतिनिधियों से बात-चीत चला कर यह जानने का अधिकार दिया है कि उन्हें क्रिस्प-योजना मान्य होगी औथवा वे किसी दूसरी वैकलिपक या संशोधित योजना को तरजीह देंगे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत होगी।

“सरकार ने वाहसराय को यह भी अधिकार दिया है कि चुनाव के बाद के दर्मियानी काल के लिए वे एक ऐसी शासन-परिषद् की स्थापना करने के उपाय करें जिसे भारत के मुख्य राज-नैतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो सके। ऐसा होने पर भारत आपनी आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का हल कर सकेगा और एक नई विश्व-इत्यवस्था की रचना में भी पूरी तरह भाग ले सकेगा।”

“भारत के प्रति ब्रिटिश नीति को वही भ्याख्या, जो १९४२ की घोषणा में निहित है और जिसे इस देश के सभी दलों का समर्थन प्राप्त है, अपने उद्देश्य और पर्याता की इष्ट से पूर्ववत् वर्तमान है। उस घोषणा में ब्रिटिश सरकार व विधान-परिषद् के मध्य एक संधि की जाने का विचार प्रकट किया गया था। सरकार तुरन्त ही संधि के मसनिये की स्परेखा तैयार कर रही है। यह कहा जा सकता है कि उस संधि में भारत के हित के बिल्ड कोई भी बात नहीं रखी जायगी। भारत में विधान-निर्माणी-संस्था की स्थापना तथा उसके संचालन में जो कार्टनाह्यां आयंगी और जिन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होगा उन्हें भारतीय मामलों की जानकारी रखने वाला कोई आदमी नजरदाज नहीं कर सकता। इससे भी अधिक कठिनाई का सामना भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को करना पड़ेगा, जिन्हें चालीस करोड़ प्रांगणों वाले महान् भू-खंड के लिए विधान तैयार करना है।

“युद्ध के दिनों में भारत के योद्धाओं ने यूरोप, अफ्रीका व एशिया में आत्याचार व आक्रमण की शक्तियों को पराजित करने में खूब हाथ ढाँचा दिया है। स्वार्थीनता तथा लोकतंत्रवाद की रक्षा करने में भारत संयुक्त राष्ट्रों का भागीदार रहा है। विजय हमें एकता के कारण प्राप्त हुई। वह हमें इसलिए भी प्राप्त हुई कि विजय के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम आपसी मत-मेंदों को भूख जाने के लिए तैयार हो गये। मैं भारतीयों से इसी महान् आदर्श के अनुसरण का अनुरोध करूँगा। उन्हें मिलकर एक ऐसे विधान की रचना करनी चाहिए, जिसे देश के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक न्यायपूर्ण मान जैसे और जिसमें प्रान्तों व रियासतों दोनों के ही लिए स्थान हो। इस महान् कार्य में ब्रिटिश सरकार प्रत्येक प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार रहेगी और भारत ब्रिटिश जनता की सहायता की भी आशा कर सकता है।”

लार्ड वेवल का भाषण भारतीय लोकमत के सभी वर्गों के लिए और विशेष कर कांग्रेस के लिए निराशाजनक व असंतोषजनक सिद्ध हुआ। इसका कारण यह था कि भारत की स्वाधीनता की घोषणा नहीं की गई थी। छः महीनों के लिए न तो प्रान्तों में मंत्रिमंडल ही कायम होंगे और न केन्द्र में शासन-परिषद् का ही पुनर्संगठन किया जायगा। परिणाम यह हुआ कि देश के एक बहुत बड़े संकट काल में एक अनाचारपूर्ण शासन-इत्यवस्था काम करती रही। योकि यथासम्भव उत्तम निर्वाचक सूची के आचार पर चुनाव करने को कहा गया था किर भी यह सत्य था कि देश में इस निर्वाचक सूची के विलुप्त गहरा असंतोष फैला हुआ था। वाहसराय का प्रस्ताव, जिसके उद्देश्य की व्याख्या प्रधानमंत्री एटली ने की थी, बस्तुतः

१९४२ के क्रिप्स-प्रस्तावों की ही पुनरावृत्ति थी। परन्तु क्रिप्स-प्रस्तावों की चुनाव में नये प्रस्ताव में एक भेद भी था। जब कि क्रिप्स-योजना में युद्ध समाप्त होते ही प्रान्तों में मंत्रिमंडलों के फिर से काम जारी करने और केन्द्रीय शासन-परिषद् के पुनर्स्थान की बात थी वहाँ सितम्बर वाली घोषणा में न तो ऐसे कोई व्यवस्था की गई थी और न प्रान्तों में मंत्रिमंडलों की स्थापना का ही कोई समय निर्धारित किया गया था। सितम्बर वाले वक्तव्य के अनुसार जनता को १९४२ में बताई नई क्रिप्स-योजना या घोषित नीति के अनुसार उसको किसी संशोधित रूप के मध्य चुनाव करना था। समस्या की पेचोदिगियों तथा अवरसंलग्नकों के हितों का ध्यान रखते हुए एक नई बात यह जारी की गई कि नव-निर्वाचित धारासभाएं भी मत प्रकट करें कि क्रिप्स-योजना उन्हें स्वीकार्य है अथवा कोई नई योजना जारी की जाय। परामर्श की बात यहीं तक नहीं रही, वैशिक इमारा विस्तार विधान-परिषद् के स्वरूप, उसके अधिकार व कार्य-पद्धति तक कर दिया गया। क्रिप्स-योजना में विधान-परिषद् के कार्य पर ऐसी कोई रुकावट नहीं लगाई गई थी। परन्तु सितम्बर वाली घोषणा में ऐसा किया गया था।

जहाँ तक विधान परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधित्व का सवाल था, एक बिलकुल नई बात जोड़ी गई थी। घोषणा में कहा गया था कि रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करके यह जानने का प्रयत्न किया जायगा कि विधान-निर्माणी-संस्था में वे किस रूप से काम करना चाहते हैं। यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि विधान परिषद् में केवल नरेंद्रों के प्रतिनिधि रखे जायंगे अथवा रियासतों की जनता के प्रतिनिधि रखे जायंगे और यदि ऐसा किया जायगा तो रियासतों प्रता के प्रतिनिधि धारासभाएं चुनेंगी या अखिल भारतीय देशी-राज्य-प्रजा-परिषद्-द्वारा चुनाव किया जायगा।

यह भी कहा गया था कि प्रान्तीय चुनावों के नतोंजे ज्ञात होते ही केन्द्र में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों की सहायता से एक नई शासन-परिषद् की स्थापना की जायगी।

इस घोषणा में किसी प्रान्त को पृथक् होने का अधिकार नहीं दिया गया था; किन्तु एटली के वन्ददारों में यह विलक्षण स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि क्रिप्स-योजना को मंत्रूर करना है तो वह पूरी-की-रूरी ही मानी जानी चाहिए। सितम्बर की घोषणा के बाद जनता को यह विज्ञकुल स्पष्ट हो गया था कि शिमज्जा की बार्ता केवल विटेन के चुनाव के सम्बन्ध में ही थी और उस चुनाव समाप्त होते ही उस सम्मेज्जन को भी समाप्त हो जाने दिया गया। इसमें भी कोई संदेह न था कि सितम्बर वाला प्रस्ताव केवल छः महीने का समय प्राप्त करने के लिए एक चाल मात्र थी; इसके प्रान्तीय चुनाव मार्च १९४६ से पूर्व समाप्त न होते और इस प्रकार भारतीय समस्या का हल छः महीने के लिए और टाल देने की चेष्टा की गई। एक अंग्रेज के टाइकोण से यही आभ कुछ कम न था।

अखिल भारतीय कंग्रेस कमेटी ने बम्बई में हन दोनों वक्तव्यों पर विचार किया और मत प्रकट किया कि सरकार के प्रस्ताव अपर्याप्त तथा अस्पष्ट हैं।

तब भारत मंत्री लार्ड पेथिक लारेस ने २३ सितम्बर के दिन उन प्रस्तावों के स्पष्टीकरण का प्रयत्न किया। आपने कहा, ‘‘मुझे नई नीति की प्रतिक्रिया से कुछ भी निराशा नहीं हुई है। यह घोषणा स्वयं भारत की राजनीतिक समस्या का हज़ नहीं है। परिस्थिति को देखते हुए ऐसा हज़ नहीं किया जा सकता था।

“इस घोषणा से सिर्फ वह रास्ता खुल गया है जिस पर चल कर भारतीय स्वशासन की

मंजिल पर पहुँच सकते हैं। इस मंजिल तक पहुँचने से पहले उन्हें जिस भी सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होगी, मैं उन्हें सन्नाट की सरकार की तरफ से वह देने को तैयार हूँ।

“ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर स्वशासन का जो अधिकार मिलता है उसके अंतर्गत राष्ट्रमंडल के भीतर रहने या न रहने की स्वतंत्रता पहले ही दे दी जाती है। राष्ट्रमंडल के सदस्यों को जो धैर्य दांधे रहता है वह सदमति के अलावा और कोई बंधन नहीं होता। यही बात भारत पर भी लागू होती है, किन्तु हमें आशा और विश्वास है कि जब भारतीयों को राष्ट्रमंडल में रहने या न रहने की स्वतंत्रता दे दी जायगी तो वे अपनी इच्छा से और अपने हितों का ध्यान रखते हुए राष्ट्रमंडल में ही रहना चाहेंगे।”

ज्ञार्ड पैथिक लारेंस ने अपने भाषण के प्रारम्भिक भाग में बताया कि “मेरा आदर्श तो यह है कि भारत और ब्रिटेन बराबरी के पद-द्वारा सामेदारी की भावना से बंध जाय। अधिकांश ब्रिटिश राष्ट्र भी हसी सामेदारी के आदर्श की प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं।

“वाइसराय ज्ञार्ड वेबल इमरे निमंत्रण पर ही हृग्लैंड आये थे। और भारत में पिछले शुधावार को उन्होंने जो घोषणा की है उसकी मुख्य बातें वे यहीं तय कर गये थे। इस घोषणा की पहली बात तो यह है कि भारतीय स्वर्ण ही स्व-शासन के आधार का निर्माण करें और दूसरी यह कि वाइसराय मुख्य भारतीय राजनैतिक दलों की सहायता से नई शासन-परिषद् की नियुक्ति करें।”

आखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आगामी चुनाव की तैयारी करने के अलावा उस आजाद दिन फौज के कितने ही अभियुक्त अफसरों व सैनिकों को पैरवी का भी प्रबंध किया, जिसकी स्थापना मलाया में १९४२ में हुई थी। इनके अलावा कुछ दूसरी जगहों के भी विचाराधीन अभियुक्त भारतीय दलों में पड़ हुए थे। कमेटी ने कहा कि यदि हृग्लैंड व भारत के बीच कटूता को और नदीं बढ़ाना है तो इनको रिहाई करनी पड़ेगी। कमेटी ने यह भी घोषणा की कि वर्तमान अप्रतिनिधिष्ठूण व गैर-जिम्मेदार सरकार के दायित्व को स्वीकार करने के लिए भारतीय राष्ट्र बाध्य नहीं है। आखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आखिली मांग यह थी कि युद्धकाल में भारत का जो स्टार्जिंग कोष हृग्लैंड में जमा हो चुका है उसका जल्दी-से-जल्दी कोई निवाटारा हो जाय ताकि इस धनराशि का उपयोग भारत की आर्थिक उन्नति के लिए किया जा सके। कमेटी ने दीन व दर्शण पूर्वी एशिया की समस्याओं और बर्मा व मलाया के भारतीय स्वार्थों के सम्बन्ध में भी उचित मत प्रकट किया। कमेटी ने अपनी कार्यवाही रचनात्मक कार्यक्रम व रियासती प्रजा के अधिकारों सम्बन्धी कुछ निर्देशों के साथ समाप्त की।

ज्ञार्ड वेबल के हृग्लैंड से दूसरी बार वापस आते ही देश में आम चुनाव का शोर गुज रहा। गोकिं हृग्लैंड में ज्ञार्ड वेबल ने जो कुछ किया था उससे कमेटी खुश न थीं किंतु भी उसने राष्ट्र की सम्पूर्ण शक्ति लेकर चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। यह साफ था कि तत्कालीन अवस्था में चुनाव का निष्पक्षता से होना असम्भव था। उड़ीसा के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जैसे प्रमुख कांग्रेसियों के विरुद्ध चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिये गये थे। सरकार के आदेश पर जिन लोगों को जेल में बंद किया गया था उन पर चुनाव के सिलसिले में १२० दिन के निवास की शर्त को कड़ाई से अमल में लाया गया। लेकिन “निवास” का मतलब हरेक जिले में अलग-अलग लगाया गया। कमेटी इन सभी अयोग्यताओं व प्रतिबंधों से परिचित थी। परन्तु चुनाव में भाग लेने के विषय में उसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र की इच्छा को प्रकट करना और

उसके लिए सत्ता प्राप्त करना था। इसलिए चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिए चुनाव-उप-समिति नियुक्त की गई। समिति में निम्न व्यक्ति रखे गये:

- (१) मौ० अबुल कलाम आजाद
- (२) सरदार वल्लभभाई पटेल
- (३) डॉ राजेन्द्र प्रसाद
- (४) प० गोविंद वल्लभ पंत
- (५) श्री आसफ अली
- (६) डॉ पट्टाभी सीतारामैया और
- (७) श्री शंकर राव देव

कुछ ही समय बाद चुनाव के सम्बन्ध में केन्द्र व प्रान्तों से लालुक रखनेवाला एक घोषणा-पत्र<sup>१</sup> निकाल दिया गया।

भारत मंत्री लाई पैथिक लारेंस ने ४ दिसम्बर, १९४२ को लाई-सभा में भारत के सम्बन्ध में निम्न वक्तव्य दिया :—

‘वादपात्र ने भारत वापस पहुँच कर कुछ ऐसे उपाय बताये हैं, जो सन्तान की सरकार को भारत में पूर्ण स्वशासन आरम्भ करने के लिए करने चाहिए।

“इन प्रस्तावों का भारत में ठीक तरह महाव नहीं समझा गया है।

“चूंकि सन्तान की सरकार का यह शृङ् विवाद था कि भारतीय जनता-द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से परामर्श करके ही विदिश भारत के भावी शासन के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए सभा में पहले भारत में केन्द्रीय अमेरिकी व प्रान्तीय धारा-सभाओं के चुनाव अवश्य था।

“यह भी घोषणा की गई थी कि भारत में चुनाव होते ही विदिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा रियासतों के मध्य विधान तंत्राव करने के तरीके के सम्बन्ध में अधिक-से-अधिक व्यापक चेत्र में मतैक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक बात-चीत आरम्भ की जायगी।”

लाई पैथिक लारेंस ने आगे कहा “इस सम्बन्ध में भारत में निराधार अकवाहै कैब गढ़ है कि यह बातचीत भी देर लगाने का एक अच्छा तरीका होगा। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सन्तान की सरकार विधान-निर्मात्री-परिषद् की स्थापना तथा घोषणा में वचाये गये अन्य प्रस्तावों को अमल में लाना बहुत ही जल्दी बात समझती है।

“इस गजलकड़ी की बजह से सन्तान सरकार यह भी विचार करने लगी है कि इस देश व भारत के बीच जिस व्यक्तिक सम्पर्क में इधर हाल के वर्षों में बाधा पड़ी है, व्या उसमें अब बृद्धि नहीं की जा सकती।

“सरकार इस बात को बहुत महत्व देती है कि हमारी पालमेंट के कुछ सदस्यों को भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं से मिज़कर उनके विचार जानने का अवसर मिले।

“ये लोग इस देश की जनता की इस आम हच्छा को व्यक्तिगत रूप से प्रकट कर सकेंगे कि भारत विदिश-राष्ट्रमंडल में स्वतंत्र भागीदार राज्य का अनन्य और पूर्ण पद शीघ्रता से प्राप्त करे। वे पालमेंट की इस हच्छा को भी प्रकट कर सकेंगे कि इस लक्षा की प्राप्ति में सहायता पहुँचाने के लिए इस प्रत्येक प्रकार की सहायता पहुँचाने के लिए तैयार हैं।

“इसलिए सन्तान की सरकार एम्पायर पालमेंटरी एसोसिएशन की तरफ से पालमेंट

घोषणा पत्र के लिए परिशिष्ट नं० २ देखिये।

का एक शिष्टमंडल भारत भेजने का प्रबन्ध कर रही है।

“हरादा है कि यह दल इस देश से यथासम्भव शोषण हो रखाना हो जाय। यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण यह शिष्टमंडल अधिक बड़ा नहीं होगा। शिष्टमंडल का चुनाव ऐसोसियेशन देश के मुख्य राजनीतिक दलों के पार्टीमेंटरी प्रतिनिधियों के सलाह-मशविरे से करेगा।

“दूर्ण स्वशासन की ओर के जानेवाले इस परिवर्तन-काल में भारत को कठिन वक्त से गुजरना है। नई सरकार स्थापित होने से पूर्व राज्य की नींव को कमज़ोर होने देने और अधिकारियों के प्रति कर्मचारियों की आस्था को शिथिक होने देने से अधिक और किसी बात से भावी भारतीय सरकार अथवा लोकतंत्रवाद का अहित नहीं हो सकता।

“इसलिए भारत-सरकार पर तथा प्रांतीय-सरकारों पर अमन व कानून बनाये रखने और वैधानिक समस्या को बज़रूरू क हज़ करने के प्रयत्नों को निफ़ल बनाने की जो ज़िम्मेदारी है उससे वह हाथ नहीं रख सकती। स्वशासन की दूरी तरह से प्राप्ति राज्य की व्यवस्था का नियंत्रण भारतीयों को इस्तंतरित होने से ही हो सकता है।

“सम्ब्राट् को सरकार शासन-सम्बन्धों कर्मचारियों या भारतीय सैन्य-दलों की राजभक्ति नष्ट किये जाने के किसी प्रयत्न को सहन नहीं कर सकती और वह भारत-सरकार को अपने कर्मचारियों की काम करते समय रखा के लिए प्रयोग प्रकार की सहायता करने को तैयार है। वह भारत-सरकार की इस विषय में भी सहायता करेगी कि भारत का विधान पश्चिम के जोर से अथवा उसकी धमकी देकर तैयार न किया जाय।

“इसके अलावा, भारत में चाहे जो भी सरकार शासनसूत्र संभाल रही हो, उसकी मुख्य आवश्यकता जनता के रहन-सदैन का दर्जा ऊँचा उठाने और उसको शिर्चा व स्वास्थ्य-सम्बन्धी अवस्था में उड़ाति करने की है।

“इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए योजनाएँ तैयार का जा रही हैं और सम्ब्राट् की सरकार उन्हें अमल में लाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जिससे स्व-शासन की प्रगति के साथ ही सामाजिक अवस्था में सुधार का कार्य भी साथ ही चलता रहे।”

लार्ड पेथिक लार्सेस के भाषण के प्रायः साथ ही वाहसराय ने १० दिसम्बर, १९४६ को कलकत्ता में ऐसोसियेटेड चेम्बर्से आव कॉमर्स के वार्षिक समारोह के अवसर पर निम्न राजनीतिक घोषणा की:—

“मैं आपको अपेंद्रिय रूप से यह विश्वास दिला सकता हूँ कि विटिश-सरकार व ब्रिटिश राष्ट्र ईमानदारी व सचाई के साथ भारतीय जनता को राजनीतिक स्थितंत्रता देना चाहती है और इस देश में उसोंको इड़क्का के अनुपार सरकार या सरकारें कायम करना चाहती है; परन्तु इस समस्या के अंतर्गत बहुत-सी बातें हैं, जिनमें हमें स्वोकार करना चाहिए।

“यह कोई आसान समस्या नहीं है। इसे कोई संकेत शब्द अथवा गुरु को दुहराने से इस नहीं किया जा सकता। “भारत छोड़ो” का नारा वह काम नहीं कर सकता जो जादू का “सीसम” कहने से हो जाता था और जिसके उचारण से अल्पावारा को गुका का दरवाजा खुल जाता था। यह समस्या न हिसा से सुकृत सकती है और न सुझकेती। वास्तव में दृढ़व्यवस्था और हिसा तो ऐसी बात है जिसके भारत को प्रगति में बाधा पड़ सकती है। ऐसे कई-एक दल हैं जिनमें किसी-न-किसी प्रकार समझौता होना ही चाहिए। ये दल हैं, कांग्रेस, जो भारत का सब से बड़ा

राजनीतिक दल है; फिर अल्पसंख्यक, जिसमें मुसलमान सब से अधिक और महत्वपूर्ण हैं, भारतीय नरेश और ब्रिटिश सरकार। सबों का उद्देश्य एक है अर्थात् स्वतंत्रता और भारत का कल्याण। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि विभिन्न दलों में समझौता होना असम्भव है। मैं विश्वास नहीं करता कि यदि सब दलों में सद्भावना, व्यावहारिक ज्ञान और धैर्य हो तो इस कार्य में कठिनाई भी दो सकते हैं। और इतने पर भी इम दुखान्त घटना के सञ्चिक्त हैं, क्योंकि जो वार्तालाप आगे वर्ष होने वाला है उसे यदि साम्राज्यिक और जातिगत विद्वेष के बातावरण से दूषित किया गया और यदि उस बातावरण का परिणाम हिंसा हुआ तो यह बड़ी ही भाषण दुर्घटना होगी।

“मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि सन्नाट की सरकार और उनके प्रतिनिधि के रूप में, मैं भारत को विधान-निर्माण करने में और केन्द्रायन-सरकार के मुख्य दलों का इसलिए समर्थन प्राप्त करने में, जिससे कि वे विधान में परिवर्तन हाँने से पहले के मध्यवर्ती काल में देश का शासन-भार बहन करने में समर्थ हो सकें, अपनो शक्ति भर कुछ भी न उठा रखूँगा। सन्नाट की सरकार ने ढाल ही में स्पष्ट रूप से घोषणा करदी है और समझौते की तारकालिक आवश्यकता पर जोर दिया है। वह जो कुछ कहतो है वहाँ उसका वास्तविक अभिभाव है; किन्तु किसी भी संतोषजनक हल के लिए मुक्ते सहायता और सहयोग प्राप्त होना चाहिये आर कोई भी इल संतोषजनक नहीं कहा जायगा यदि उसका परिणाम अव्यवस्था व रक्षापात, व्यवसाय और उद्योग-बन्धों में हक्कत्तर और सम्भवतः अकाल व व्यापक दिव्यांता हो। मैं एक पुराना सिपाहा हूँ इसलिए सम्भवतः मैं रक्षापात व कल्प, विशेषतः गृह-युद्ध का विनाशिता और बर्बादीर्यों को आपमें से किसीसे भी अधिक अच्छी तरफ समझता हूँ। हमें इससे बचना है और इसमें इससे बच सकते हैं। हमें आपस में समझौता करना है और यदि इम सचमुच इसके लिए सक्षम होते तो इम समझौता कर सकते हैं। हिन्दुओं और मुसलमानों को इस विशाल देश में एक साथ रहना है इसलिए वे निश्चय ही उन शर्तों को अव्यवस्था कर सकते हैं जिन पर वे ऐसा कर सकते हैं। यदि भारतीय संघ को उन्नति करने हैं तो भारतीय रियासतों को, जो भारत में एक बहुत बड़ा भाग है, और उनके निवासियों को भी इसमें समिलित करना होगा क्योंकि वे भारतीय जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुधा एक अत्यन्त प्रगतिशील अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्त में ब्रिटिश-सरकार व ब्रिटिश जनता की बात आ जाती है। मैं एक बार फिर दुर्घटना हूँ छि यह दमारी हार्दिक इच्छा और प्रयत्न है कि भारत को स्वाधीनता दो जाय किन्तु कोई समुचित समझौता हुए विना इम अपने दायित्व को न छोड़ सकते हैं अर न छोड़ेंगे।

“भारतीय इतिहास की इस जटिल बेला में मैं अत्यन्त गम्भीरता और सज्जाओंगी के साथ समर्पण नेताओं से सद्भावना के लिए आकर करता हूँ। इस एक बहुत ही कठिन और नातुक समय से होकर गुजर रहे हैं और यदि हमें भारी दुर्भाग्य से बचना है तो ऐसे समय में हमें शांत-चित्तता व तुदिमता का भावरक्षता होगा। अर्कित सम्पर्क के रूप में मैं जितनों सहायता कर सकता हूँ उन्हीं जनतों सहायता करने के लिए मैं सदा तैयार हूँ।

“जनता का कल्याण और राष्ट्र का बहुप्रयत्न व समृद्धि इसकी सर्विसों—सिविल सर्विस, पुलिस, सशस्त्र सेनाओं—रार निर्भर है, जिन्हें सरकार का सेवन होना चाहिये, छिसी राजनीतिक दल का नहीं। भारत के भवेष्य का इससे बड़ा अद्वित और कुछ नहीं हो सकता कि सर्विसों को सास्या को नह करने या उन्हें राजनीतिक खेत्र में घसीदने का प्रयत्न किया जाय। मैं सर्विसों को

विश्वास दिक्षाता हूँ, जैसा कि सन्नाट की सरकार ने अभी ही दिलाया है कि उन्हें अपने कर्तव्य के समुचित पालन में सब प्रकार का समर्थन प्राप्त होगा।”

इस भाषण में एक मनहूसियत जान पढ़ती है। उसका सब जोर उस एक बाब्य पर ही जान पढ़ता है, जिसमें साफ धमकी दी गई है।

उसमें सन्नाट की सरकार के इस विश्वास की पुष्टि की गई है कि भारतीय राष्ट्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से ब्रिटिश भारत के भावी शासन के सम्बन्ध में कुछ निर्णय होना चाहिए। संदेह उठता है कि ब्रिटिश भारत पर जो हृतना जोर दिया गया है तो क्या उसमें रियासतों को शामिल नहीं किया गया है। यदि विधान-परिषद् को ही भावी विधान तैयार करना है तो फिर ‘परामर्श से’ शब्दों पर हृतना जोर क्यों डाला गया है। यदि घोषणा में सिर्फ यही बात कही जाती कि भावी शासन के सम्बन्ध में निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होगा तो वाक्य और विचार पूरा हो जाता। परन्तु जब ‘परामर्श-से’ शब्द आते हैं तो परोक्ष रूप से यह ध्वनि निकलती है कि और भी कोई संस्था है, जो सबाइ देने वाली संस्था के रूप में कुछ कार्य करेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि सिद्धान्त आत्म-निर्णय नहीं है बल्कि मिलकर निर्णय करना है और इसीपर विधान के निर्माण की प्रक्रिया आधारित है।

तीसरा ध्यान देने की बात यह है कि वक्तव्य में ‘ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों व रियासतों’, से प्रारम्भिक बातचीत की बात कही गई है। वाहसराय के सितम्बर वाले वक्तव्य में ‘ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधियों’ की बात कही गई थी। वाहसराय के वक्तव्य से स्पष्ट यह कि रियासतों के प्रतिनिधि नरेश होना आवश्यक नहीं है और अनुमान किया गया था कि इसमें रियासतों प्रजा के प्रतिनिधि भी आ जाते हैं। परन्तु ‘ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों व रियासतों’ के शब्दों के उपयोग से तो इस फिर क्रिप्ट-प्रस्तावों पर चले जाते हैं, जिनमें सिर्फ ‘हैप्पी राज्य’ शब्दों का ही प्रयोग किया गया था। परन्तु हमें यह ध्यान देना चाहिए कि एक दूसरे सिलसिले में वाहसराय ने कहा था कि ‘रियासतों और उनका जनता की भी भारतीय संघ में स्थान मिलना चाहिए।’ परन्तु यहां सिर्फ स्थान देने की ही बात कही गई है।

वक्तव्य की एक नई बात यह भी है कि प्रारम्भिक बातचीत का उद्देश्य विधान तैयार करने के तरीके के सम्बन्ध में व्यापकतम आधार पर मतेक्य प्राप्त करना है। वहां वाले भाषण में सिर्फ यही कहा गया था कि प्रारम्भिक बातचीत यह जानेके लिए की जायगी कि विधान-परिषद् स्थापित करने के लिए क्रिप्ट-प्रस्ताव मान्य है अथवा परिषद् की स्थापना तथा उसके कार्यों व अधेशारों के विषय में कुछ परिवर्तन भी होना है। उस समय व्यापकतम आधार पर समर्कोंते की बात कभी आहु हो नहीं। यह नियन्त्रक नई सूझ थी, किन्तु उसे प्रकट करने का ढंग लार्ड इरविन जैसा ही था। लार्ड इरविन ने उस समय लंदन के सम्मेलन का उद्देश्य बताये समय अधिक-से-अधिक मतेक्य की बात कही थी।

लेकिन सबसे शमनाक बात पार्लमेंट का शिष्टमंडल एम्पायर पार्लमेंटरी एसोसियेशन जैसी साम्राज्यवादी संस्था की तरफ से भेजने की योजना थी। इस एसोसियेशन के सदस्यों में प्रतिक्रियावादी लागों का ही अधिकता थी। यह शिष्टमंडल न तो सकारी हो था और न गें-सरकारी ही। यह न तो अधिकारियों की तरफ से जा रहा था और न यही कहा जा सकता था कि अधिकारियों से उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यह बेवज़ एक सदूचावना मिरान था। यह समझना कठिन था कि प्रमुख राजनीतिक नेताओं से मिलकर और उनके विचारों को जान कर वह क्या करेगा।

प्रमुख व्यक्तियों से सदाह मशविरा करने के दिन आब बीत जुके थे। परन्तु इस शिष्टमंडल का जो यह कार्य बताया गया था कि वह विदिशा राष्ट्र की यह हृच्छा प्रकट करे कि भारत की विदिशा राष्ट्र-मंडल में शीघ्रता से स्वतंत्र भागीदार राष्ट्र का पद प्राप्त करना चाहिए—यह तो चिल्डकुल भूखेता-पूर्ण ही था। आश्वासन क्या था, यह तो जाने दीजिये; किन्तु उसे किसी गंग सरवारी देखने के बजाय किसी सरकारी संस्था द्वारा देना चाहिए था। विदिशा राष्ट्र-मंडल में “भागीदार राष्ट्र” के रूप में स्थान देने की चर्चा वस्तुतः क्रिप्म-प्रस्तावों से हटना था जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विधान-परिषद् यह विश्वास करने के लिए स्वतंत्र रहेगी कि भारत का सम्बन्ध विटेन से रहे था नहीं। अकेला ‘स्वतंत्र भागीदार राष्ट्र’ शब्द समूद्र विरांधी निवारों को प्रकट करता है।

एसोसियेशन-द्वारा हृग्लैंड के प्रमुख राजनीतिक दलों के पालनेमें श्री सदाह से शिष्टमंडल के संस्थों के चुनाव की बात तो हमें हृस्ट हृदया कम्पनों के दिनों में ले जाती है, जब दोहरी शासन व्यवस्था थी। इस समयके ऊपर यह धनराई थी कि सन्नाट् का सरकार शासन-सम्बन्धी उच्च कर्मचारियों अथवा लेना की राजनीति में कर्मी करने के प्रयत्नों को सहम न करेगी और वह भारत-परिषद् को इस सम्बन्ध में पूरी सदाचारा देगी। यह इसने सरकारी अफसरों द्वारा मनमानी कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल गया। बहस के बावजूद आशा की एक ही फिरण्य थी।

मेन्जर व्याट ने कहा कि भारतीय जनता की हृच्छा को प्रधानता मिलनो चाहिए और, जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, औरपनीवेशिक पद का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

इसके बाद घटनाचक बहुत तेजी से घूमने लगा। अब हर वर्षनक्षम को नेंग करके आगे की बातों का एक्यामास देकर ही आगे बढ़े गे। पाल्मरेट के सद्भासना शिष्टमंडल भी, जिसे वस्तुतः तथ्य जानने वाला या दोष निकालने वाला विष्टमंडल नहुना चाहिए, भारत-प्रधान के पश्चात् भारत मंत्री व प्रधान-संत्री ने भारत-सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में एक धोषणा की।

भारतमंत्री ज्ञाई पैरायक लारेंस ने कहा—“संग्रह का सम्मवतः इमरण दोगे। कि विदिशा सरकार से परामर्श करने के उपरान्त भारत वापस आकर वाह्यपराप ने ११ अगस्त, १९४८ को नीति के सम्बन्ध में एक धोषणा की थी। इस धोषणा में उन्होंने बताया था कि केन्द्रीय व प्रान्तीय चुनाव हो जुने पर भारत में स्वशासन की पूर्ण रूप से प्राप्ति के लिए इस उपाय किये जायेंगे।

इन उपायों में निम्न भी समिलित हैं, प्रथम, विदेश भारत के निर्णायक प्रतिनिधि व भारतीय रियासतों से प्रारम्भक बातचीत करके विधान-निर्माण करने के उपयुक्त तरीके के विषय में ध्यापक आधार पर कार्रवाई समर्पिता कर लिया जाय।

“दूसरे, किसी विधान निर्माता संस्था की स्थापना, और—

“तीसरे, एक ऐसी शासन-परिषद् की स्थापना करना जिसे मुख्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो।

“केन्द्र में चुनाव विछुजे वर्ष के अंत में हुए थे और कुछ प्रान्तों में भी चुनाव समाप्त हो चुके हैं और वहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना हो रही है।

“अन्य प्रान्तों में अगले छः सप्ताह में बोट पड़ेंगे। अब विदिशा सरकार विचार कर रही है कि चुनाव समाप्त होने पर उपर्युक्त कार्यक्रम को किस सर्वोच्च तरीके से अमल में लाया जाय।

“कूंकि भारतीय लोकमत के नेताओं से हांनेवाली हृषि बातचीत की सहलता का महत्व केवल भारत और विदिशा राष्ट्र-मंडल के लिए ही नहीं, विक दंसार की शान्ति के लिए भी है,

इसकिए ब्रिटिश सरकार ने, सन्नाट की स्वीकृति से, मंत्रिमंडल के सदस्यों का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल इस सम्बन्ध में वाह्यसराय के साथ मिलाकर कारबाह्य करने के लिए भारत मेजरों का निरचय किया है, जिसमें भारत मंत्री लाहौर प्रथिक लारेंस, व्यापार विभाग के अध्यक्ष सर स्टेफन्ड क्रिप्स और नौ सेनामंत्री श्री ए० वी० ऐलेगज़ेंडर रहेंगे।

“इस निरचय से लाहौर वेवज भी सहमत है।

“मुझे विश्वास है कि ऐसे कार्य में जिस पर ४० करोड़ जनता का भविष्य निर्भर है और जिसमें भारत व संसार विषयक महाव्यपूर्य समस्याओं का सम्बन्ध है, सभा मंत्रियों व वाह्यसराय के प्रति अपनी सद्भावना व सहायता उपलब्ध करेगी।

“इन मंत्रियों की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री स्वयं नौसेना विभाग के कार्ड को देखेंगे अपने हाथ में लेंगे और लाहौर प्रेसांडेण्ट श्री हरवर्ट मारीसन व्यापार विभाग के कार्य का संचालन करेंगे।

“जहाँ तक भारत व बर्मा सम्बन्धी कार्यालयों का सम्बन्ध है, उप-मंत्री मेजर आर्थर वैंडर्सन मेरी अनुरस्ति में उनका प्रबन्ध करेंगे। परन्तु जब भी आवश्यकता होगी वे प्रधान-मंत्री की सज्जाद लगे। वे बर्मा सम्बन्धी विषयों को सासांतौर पर प्रधान मंत्री के सामने उपस्थित करेंगे; यद्यपि बर्मा सम्बन्धी मामलों में सरकार मुफ्त समर्पक नहीं रखेगी।”

प्रधानमंत्री श्री कलेमेट एटक्सो ने कामन सभा में एक इसी आशय का वक्तव्य दिया और कहा कि भ्रमशन भारत को मार्च के अंत में जायगा।

### आजाद हिंद फौज के मुकदमे

आजाद हिंद फौज के मुकदमों से भारत भर में बड़ी सनसनी फैल गई। सबसे पहले कर्नल शाह नवाज़, कसान सहगल व लेफ्टिनेंट डिल्लन पर मामले चलाये गये। सच तो यह है कि उन्होंके कारण आजाद हिंद फौज की स्थापना के इतिहास पर प्रकाश पढ़ा। मारत में पेसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसका दिल्ल फौज के रोमांचकारी अनुभवों व साहसिक कार्यों को जानकर हिज न उठा हो। जज-ए-दवोकेट की अदालत में जिन घटनाओं का विवाह किया जाता था उन्हें भारत की सांघर जनता बड़ो उर्खंडा से नित्य ही पढ़ती थी और निरचर जनता बड़ी उत्सुकता से उसे सुनती थी। इन मुकदमों का विवरण सुनने के लिए निजी तथा सर्वेजनिक रोड्यो के आस-पास भाइ लगी रहती थी। इस सिलसिले में श्री भूलाभाई देसाई व उनके दूसरे साथियों का संवाद अत्यन्त मूल्यवान सिद्ध हुए। अदालत में स्वच्छन्दतापूर्वक विचार प्रकट करने की जा सुनिधादा दी गई। उसके कारण पराधान राष्ट्र के अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने के अधिकार सम्बन्धी उदार तथा लोकतन्त्रात्मक सिद्धांतों का विकास हुआ। मुकदमे रोकने और बंदियों को मुक्त करने के लिए व्यापक आंदोलन हुआ। मुकदमों को सुनवाई समाप्त होने पर ताना अभियुक्तों को आजन्म कारावास वा दंड दिया गया; किन्तु प्रधान सेनापति ने उन्हें इस दंड से मुक्त कर दिया। उनके छोड़े जाने पर देशभर में खुशियां मनाई गई और देश भर में अपने दारे के बाच “जय हिंद” कह कर उनका स्वागत किया गया।

यहाँ यह बता देना अप्रासंगिक न हो। कि १९४५ के जांडों में आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों को मुक्त करने के आंदोलन के सिलसिले में देश भर में जो प्रदर्शन हुए उनके कारण कलकत्ते में गोली चली, जिसमें ४० आदमी मरे गये और ३०० से अधिक घायल हुए। इसी प्रकार बंदूद में भी गोली चली जिस में २३ व्यक्ति मरे गये और जगभग २००

घायल हुए। आजाद हिंद फैज के दूसरे हुक्म में इब बहान रशीद को आज़म और की सजा दी गई और प्रधान सेनापति ने उसे घटा कर सात वर्ष वा कठोर कारावास कर दिया तो फिर १५४८ वापी प्रदर्शन हुए, जिनमें हुक्म लगानों ने भी भाग लिया। इस सिलसिले में जो प्रदर्शन कलहते में हुआ उस में ४३ इयकि मारे गये और ४०० के लगभग घायल हुए। इह फरवरी १९४८ की बात है।

इन दिनों के हतिहास में जहाँ अपना आकर्षण है वहाँ पेचीदगियाँ भी हैं। और सबसे अधिक सुभाष के सम्बन्ध में। क्या उक्ता हतिहास है—वया आवर्षण है—और वया पेचीदगियाँ हैं? सुभाष का जीवन अच्छपन से उसे एक तुकान था। उसमें हमें इसे रहस्याद व यथार्थाद, धार्मिक लगान व कठोर व्यवहार बुढ़ि, गहन मानसिक उद्देश व राजनीतिक कृतियोंसहा का निराळा सेल मिहता है। हरिपुरा से त्रिपुरी तक वे कंडेस के आद्यत रहे और इस एक व्यष्टि के असें में उन्होंने एक शब्द भी सुन्ह से नहीं निकाला। सुभाष बाबू अपनेको आरों तरफ के बातावरण के—अपने उसी नेता के, जिसने उन्हें अध्यक्षपद के लिए सुना था, और कार्यसमिति के उन सदस्यों के जिनका विचारन इवर्य उन्हींने किया था, अनुकूल न बना सके। गांधीजी के लिए साधन ही साध्य थे। सुभाष बाबू के लिए साध्य साधन थे। दोनों के इष्टिकोण में आकाश-पाताल का अंतर था। गांधीजी अपनी सहज अनुभूति से प्रेरित होते थे। सुभाष बाबू का पथप्रदर्शक तर्क था। वे मध्यसूस करते थे कि गांधीजी ने जो कार्य क्रम तैयार किया है उस में स्पष्टता का अभाव है और इवर्य गांधीजी को भी पता नहीं है कि स्वाधीनता के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए तैयार किये कार्यक्रम में कौन बात किसके बाद आयेगी। यह सिर्फ सुभाष बाबू की ही शिकायत नहीं थी। गांधीजी के विस्त्र यह आम शिकायत रही है। १९२२ में जब गांधीजी से सामूहिक सविनय अवज्ञा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि मैं खुद भी नहीं जानता। वे कुहरे में सोटर लगाने वाले एक ऐसे डाइवर के समान हैं, जो सिर्फ १० गज आगे तक देख सकता है और आगे पर बढ़ने पर अगले १० गज तक देख सकता है और उसमें भी आगे बढ़ने पर अगले १० गज तक और इस तरह अपनी मंजिज पर पहुँच जाता है। गांधीजी के पास मार्ग का जवाब नहीं रहता, जिसमें आगे बढ़ने वाले सुमाव, पुर्जयों पुल, व औसुहानियाँ दिखाई गई हैं। फिर भी उनकी यात्रा ठंक होती है; क्योंकि उनकी दिया ठीक होती है। गांधीजी को अपनी सहज अनुभूति द्वारा ही उचित दिशा का बोध हो जाता है।

जिस समय सुभाष बाबू भारतीय सिविल सर्विस को छोड़कर देशबन्धु दास के भंडे के नीचे आये थे तो वे अपने नेता से परिचित थे और उसके झण्डे को भी जानते थे, गोकिं उन्हें खुद भी इस बात का पता न था कि कॉलेज का युवक रंगठट या १९२८ की कलकत्ता कांप्रेस का जनरल आफिसर कमांडिंग किसी दिन आजाद-हिंद फौज का प्रधान सेनापति बन जायगा। सुभाष बाबू ने अपने लिए सेवा और कठों का मार्ग सुना था; किन्तु यह मार्ग देशबन्धु का दिखाया। हुआ था और देशबन्धु का स्वर्यं भी गांधीजी के कार्यक्रम की कितनी ही यातों के सम्बन्ध में उनसे मतभेद था। इसलिए जब गांधीजी ने युवा सुभाष को हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए सुना तो यह नहीं कहा जा सकता था कि वे सुभाष बाबू के विचारों से अपरिचित थे। वे उन्हें १९२६ में ही खूब जानते थे, जब आहोर के अधिवेशन से वे उठकर चले गये थे और कांग्रेस डिमाकैटिक पार्टी के नाम से एक नये दबाव को स्थापना की थी। यही नहीं, सुभाष बाबू ने वियना से विट्जेमार्क पटेल के साथ १९४४ में गांधीजी-द्वारा सविनय अवज्ञा को बापस लेवे

के सम्बन्ध में जो यह मत प्रकट किया था कि गांधीजी ने ऐसा करके अपनी असफलता स्वीकार की है, वह भी एक जानी दुर्दृष्टि बात ही थी। दोनों ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कहा था, “हमारा यह स्पष्ट मत है कि गांधीजी राजनीतिक नेता के रूप में असफल हुए हैं। गांधीजी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे किसी ऐसे कांग्रेस को हाथ में लेंगे, जो उनके जीवन भर के सिद्धांतों के विरुद्ध जायगा। इसलिए अब नव्वा न सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस का नये सिरे से संगठन करने का समय आ आगया। यदि समूची कांग्रेस में ऐसी तट्टदृष्टि की जा सके तो इससे अच्छी और एक ही बात न होगी। परन्तु अगर ऐसा न हो सके तो कांग्रेस के भीतर ही प्रगतिशील लोगों के एक नये दल का संगठन करना होगा।” यही दल था जिसकी स्थापना सात वर्ष बाद रामगढ़ में हुई। आश्र्य तो यही था कि सुभाष चान्द्र के विचार हृतने स्पष्ट होने पर भी उन्हें हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया और अपने कार्यकाल में वे बिना किसी कठिनाई के काम चला सके। परेशानी का सामना उन्हें अगले साल करना पड़ा।

सबल उठना है कि गांधीजी दूसरे साल सुभाष चान्द्र को अध्यक्ष बनों नहीं रहने देना चाहते थे। उनके दूसरे बार चुने जाने को गांधीजी सहन न कर सके—यह एक ऐसी बात है जिसे उस समय भी गुप्त नहीं रखा गया था। कदाचित् सुभाष चान्द्र दूसरे वर्ष अध्यक्ष इसीलिए रहना चाहते थे कि वियना से बताये ढंग पर कांग्रेस का संगठन कर सकें। और कुछ नहीं तो सिर्फ यही एक बात काफी थी, जिसके कारण गांधीजी को उनका विरोध करना चाहिए था। गांधीजी के विरोध का और कोई कारण था या नहीं—इसे सिर्फ वही बता सकते थे। तब तक जनता इस सम्बन्ध में कुछ भी मत दियर नहीं कर सकती।

ये सब घटनाएं सुभाष के उस महान् कार्य की भूमिका मात्र थीं जो उन्होंने २६ जनवरी, १९४१ से १२ अगस्त, १९४५ तक के माझे लं. वर्ष में किया। यह चमत्कारों का काल था। सुभाष चान्द्र के बीचा दिखाने और वीर मे शहीद बन लुकने के बाद मामूली तौर पर जोरदार शब्दों में उनकी तारीफ कर बैठना असान है। उनसे दूर का परिचन रखने वाला कोई व्यक्ति शायद ही कभी उनके चरित्र की गिलतूरता को ठीक-ठीक अनुभव कर सके। यहां हमें आजाद हिन्द कॉंज के जन्म या आगे के कार्यों की चर्चा नहीं करनी है। संसार दृढ़ना भर जनकर संतोष कर सकता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति था—जिसमें अपने ढंग से काम करने का साहस था। सुभाष चान्द्र जानते थे कि सफलता मंसोरी व्यक्तियों को नहीं बल्कि साहसर्वत् कार्य करने वाले व्यक्तियों को मिलती है। जनादरज ले जाने वाले अधिकारी शास्त्रीय अध्यक्ष-पद से जो यह बात कही थी उस पर अमल सुभाष ने ही किया और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना मार्ग बनाया।

#### उपमंहार

राष्ट्रीय संसद्या के रूप में कांग्रेस को स्थापित हुए ६० साल बीत चुके हैं। देश को एक भवित्व के नीचे खाने के उद्देश्य की प्राप्ति दो चुनी दी, गोकिं पिछले पांच वर्ष में वह अपनी आंखों के आगे दूरी परिवर्तन का विनास भी देख चुकी है। वह विदेशी शासकों से भारत के स्वाधीन होने के दावे को मनवा चुकी है। शत्रु के विरुद्ध हिंसा का प्रतिपादन किये बिना ही वह इस उद्देश्य की प्राप्ति कर चुकी है। यह सच है कि अदिसा पहले के देश-भक्तों का सिद्धांत न था। मातृभूमि को आजानी दिखाने के लिये अपने ढंग से काम करने के उद्देश्य से वे विदेश छले गये थे। जिन महानुभावों ने उन दिनों अपना जीवन इस पुनोत्तर कार्य में अपने ढंग से छागाया उनमें

निम्नलिखित नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

- (१) श्री वीरेन्द्र चटोपाध्याय
- (२) श्री वीर सावरकर
- (३) श्री एस० आर० राणे
- (४) कुमारी कामा
- (५) श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा
- (६) श्री तारकनाथ दास
- (७) श्री सुधीन्द्र बोस
- (८) श्री राम बिहारी बोस
- (९) श्री आचार्य

और इस कड़ी में अनितम थे, श्री सुभाष चन्द्र बोस, जिन्हें इन्हें सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है प्रौढ़ जो दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके थे। उन्होंने अपना मार्ग आप चुना। कहा जाता है कि आपने भारत पर चढ़ाई करने के लिए जर्मनी व जापान में हिन्दुस्तानियों की सेना का संगठन किया। फिर खबर मिली कि १८ अगस्त, १९४८ के दिन वायुयान-दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो गई।

### गांधीजी

पिछले २५ वर्ष में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा का मार्ग चुना और देश की समस्याओं का इल इसी ढंग से निकालने का निश्चय किया। युद्ध छिड़ने के समय से ६ अगस्त, १९४२ को आपनी गिरफ्तारी के दिन तक गांधीजी वाहसराय लाई लिनलियगो से पांच बार मिले। कार्य-समिति लगभग तीन साल जेल में रही और तब कहीं सुरू लितिज पर आशा की एक किरण दिखाई देने लगी।

१९४६ में गांधीजी जिस समय लाई लिनलियगो से मिले उस समय से उनके १९४८ में श्री जिज्ञा से बातचीत शुरू करने के समय तक उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिनका निष्पक्ष भाव से अध्ययन आवश्यक है। सब से पहले उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों से बिना किसी शर्त सहयोग की बात कही। इसका क्या मतलब था? कार्यसमिति ने इसका चाहे जो मतलब लगाया हो और साल भर बाद गांधीजी ने उसे बताया था कि उनका मतलब नैतिक सहयोग से था। फिर भी इसमें कुछ मन्देह नहीं है कि युद्ध में भाग लेने अथवा धनजन से सहायता देने की बात उनके महिलाएँ में नहीं थी। परन्तु उनके महिलाएँ में यह बात अवश्य थी कि युद्ध को नापसंद करते हुए भी वे अंग्रेजों की सफलता की प्रार्थना करते थे और उन्हींके प्रति उनकी सहानुभूति थी। वे चाहते तो विशुद्ध सैद्धान्तिक स्तर से, जिसमें हिंसा चाहे मनुष्य और मनुष्य के बीच रही हो या राष्ट्र और राष्ट्र के बीच—उसकी निंदा ही की जायगी, कह सकते थे कि वे युद्ध-क्षेत्र से ही नहीं बल्कि युद्ध-क्षेत्र के विचार से भी भीड़ों परे हैं और युद्ध में भाग लेने वाले दलों के बीच कुछ भी भेदभाव किये जायदा अवश्य नैतिक या आर्थिक सहायता का विचार मन में लाये जाना ही वे तो उसका अपनी सम्पूर्ण शक्ति से विरोध ही करेंगे। परन्तु गांधीजी कोरी कल्पना के संसार में बसने वाले ही न थे। वे वस्तुस्तिथि को भी देखते थे। उन्हें कार्यसमिति के साथ मिलकर वर्ष-प्रति-वर्ष युद्ध के व्यावहारिक परिणामों पर भी विचार करना पड़ता था, गोक्ति युद्ध के दूसरे वर्ष में वे अहिंसा के ही अधिक निकट थे। जून, १९४० में जिन दिनों क्रांति का पतन हुआ उनका

विश्वास अहिंसा में और भी पक्का हुआ और उसी दर्जे जून व अवतूर के मध्य में गांधीजी को कठिनाई से अपने अनशन शुरू करने के हाराए को त्यागने के लिए राजी किया जा सका। इसके उपरांत एक ध्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन उठाया गया और यह आंदोलन अवतूर, १९४० के अन्त में शुरू हुआ। इन महीनों में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं और यदि गांधीजी सुलह के प्रयत्नों में कांग्रेस का साथ देते तो भारत का भाग्य ही शायद बदल जाता। जून, १९४० में फ्रांस के पतन के उपरांत भारत में युद्ध में सहयोग प्रदान करने के लिए पूना वाला प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव को गांधीजी की स्वीकृति नहीं मिली थी, बल्कि गांधीजी उसके विरुद्ध बढ़ाई छोड़ने की घोषणा कर चुके थे। जुलाई, १९४० में उनके तथा श्री राजगोपालाचारी के मध्य खुले मतभेद का यहींसे आरम्भ हुआ था। यह दिल्ली की बात है। इसके बाद पूना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। गांधीजी पूना में उपस्थित नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति से ही पूना वाले प्रस्ताव के भाग्य का निष्टारा हो गया। वाहसराय ने द अगस्त को एक घोषणा की और श्री एमरी ने १४ अगस्त को उसे पालमेंट में दुहरा दिया। यह पहला लिखित प्रयत्न था, जो विश्व अधिकारियों ने देश की राष्ट्रीयता को जांचित करने व भारत की फूट को बढ़ाकर दिखाने के लिए किया था और जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सरकार की मांग को असफल बनाने के लिए देश के प्रमुख दलों को भड़काने और इस प्रकार पूना वाले प्रस्ताव का खामा करने के उद्देश्य से किया था। यदि कोई देखना चाहता तो इसका कारण उसे पृष्ठ दिखाई दे सकता था। इस प्रस्ताव को गांधीजी की अनुमति प्राप्त न थी। वे तो उसके विरुद्ध थे। जवाहरलाल ने भी इसके पहले में अपना मत नहीं दिया था। और ऐसी अवस्था में कार्यसमिति-द्वारा पास किये गये प्रस्ताव दो मानने के लिए विश्व अधिकारी तैयार न थे।

ध्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन समाप्त हो चुका था। लोग अपने घरों को जौट आये थे। अब कुछ करना था। कार्यसमिति चुप नहीं बैठ सकती थी। लोग फिर गांधीजी के पास पहुंचे। दिसंबर, १९४१ में समिति की बैठक बागडोली में हुई। समिति के सदस्यों में मतभेद था। इधर जापानियों के आक्रमण का आतंक बढ़ा और उधर देश में असन्तोष की वृद्धि हुई। इसके बाद क्रिप्स-प्रस्ताव आये, जिनके सम्बन्ध में उप-भारतमंत्री लाई सुटर ने कहा था कि प्रस्तावों का मसविदा सिंगापुर व बर्मा के पतन पहले ही तैयार किया गया था और युद्ध में उन्हें जींडों की 'स्थिति बिगड़ने से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। जो भी हो, सर स्टैफ़न-क्रिप्स की योजना गांधीजी को पसन्द नहीं आई—सिर्फ़ इसीलिए नहीं कि उसका सम्बन्ध गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद् के पुनर्संगठन के अलावा सुधृत: भविष्य से था बल्कि उसमें भारत के प्रांतों व रियासतों को खंड खंड कर देने के बीज भी निहित थे। गांधीजी ने जिस दिन प्रस्ताव देखे वे उसी दिन दिल्ली से रवाना हो जाने वाले थे; किन्तु समझ-बुझकर उन्हें और अधिक उद्देश्य के लिए राजी कर दिया गया और तब वे कहीं ८ अप्रैल को दिल्ली से रवाना हुए। क्रिप्स-योजना की असफलता के कई कारण दिये जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गांधीजी ने बधा से कार्य-समिति-द्वारा उसे अस्वीकृत करने का बह्यंत्र रखा, जो बिलकुल अस्थि है। अन्य लोगों का कहना है कि खंडन में चर्चित ने क्रिप्स के पीछे जो कार्रवाई की उसीके परिणामस्वरूप विचारधारा में एका-एक परिवर्तन हो गया। चर्चित का हाथ तो इसमें निस्सम्बद्ध होगा; किन्तु उन्होंने इस प्रकार पैतरा कर्यों बढ़ावा ? कारण क्या यह था कि जिस प्रतिकूल परिस्थिति से प्रेरित होकर क्रिप्स-योजना तैयार की गई वह अब नहीं रह गई और अब भारत पर जापान के आक्रमण की आशंका

भी नहीं थी। अथवा कारण यह था कि जिस प्रकार पूजा वाले प्रताव को गांधीजी का समर्थन प्राप्त न होने के कारण वह वेकार समझा गया था उसी प्रकार गांधीजी के समर्थन के अभाव में किस्स-योजना को भी बेकार समझा गया। एक विचारधारा यह भी है कि किस्स-योजना का गांधीजी पर जो पहला प्रभाव पड़ा उसके बावजूद वे दिल्ली में रहकर बातचीत में भाग लेते तो योजना कदाचित् असफल न होती। परन्तु जो बात गांधीजी ने आई, १९४२ में दिल्ली में स्वीकार नहीं की थी। वहाँ उन्होंने अगस्त, १९४२ में बम्बई में मंजूर करकी। परन्तु विदेश अधिकारियों में बदले की भावना पैदा हो गई थी और घरवाहट में उन्होंने गांधीजी को उनके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया और फिर हिंसा के पथ पर बढ़ना शुरू कर दिया।

### गांधी—एक संशिलष्ट मस्तिष्क

गांधीजी के दिन-प्रति-दिन के वक्तव्यों में परस्पर विरोधी बातें खोज निकालना कोई कठिन नहीं है। हर रचनामाला कार्य में ऐसी वृद्धियाँ, ऐसी कमियाँ और ऐसा विरोधाभास मिल सकता है। कोई भवन-निर्माता रातभर में महल बनाकर खड़ा नहीं कर सकता। इसी तरह एक रात में कोई डाक्टर मरीज को अच्छा नहीं कर सकता, कोई वकील सुकृदमा नहीं जीत सकता, कोई महारामा पापी का सुधार नहीं कर सकता और कोई प्रोफेसर निवार्थी को विद्या नहीं पढ़ा सकता। संशिलष्ट मस्तिष्क के व्यक्तियों के प्रयत्नों के परिणाम क्रमशः प्रकट होते हैं। आवश्यकता इन परिणामों को एक साथ मिलाकर रखने की है। यही कारण है कि गांधीजी की बातें कभी-कभी असम्बद्ध और परस्पर विरोधी जान पड़ती हैं। इन सभीके एकीकरण की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, असम्बद्धताओं को हटाकर और उन्हें एक साथ रखकर विचार करने की भी आवश्यकता है। तभी हमें एक सुन्दर भवन खड़ा दिखाई दे सकता है। जहाँ तक गांधीजी का सम्बन्ध है, वे स्पष्ट कहते हैं और कहीं भी कोई बात छिपाते नहीं हैं।

गांधीजी ने आरम्भ में ही बता दिया कि बम्बई वाला प्रसाव निर्दोष है और उसे वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने बताया कि 'भारत छोड़ो' का क्या तात्पर्य है और फिर वे उसपर जम गये। जहाँ तक सविनय अवज्ञा का सम्बन्ध है, प्रधान सेनापति के रूप में उनके अधिकार का अन्त हो गया; किन्तु कंग्रेसजन अपना साधारण कार्य, जिसमें मासिक झंडा-अभिवादन भी शामिल है, जारी रख सकते हैं। यदि इसमें बाधा पड़ती है तो इस बाधा का वे बहादुरी से सामना कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ व्यक्तिगत स्थायग्रह, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। यह पूछे जाने पर कि यदि राजनीतिक मार्गों स्वीकार कर ली जाय तो युद्ध-प्रयत्न के प्रति आपका हख क्या होगा, गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि वे युद्ध-प्रयत्न में कोई बाधा नहीं ढालेंगे। गांधीजी से लंदन के 'डेली वर्कर' के प्रतिनिधि ने प्रश्न किया कि भारत युद्ध-प्रयत्न में किस तरह द्वाय बैंटायगा? गांधीजी ने उत्तर दिया कि भारत खुरीगांडों के विस्तर मित्रांडों का अपने नैतिक बल से समर्थन करेगा। जुलाई, १९४४ में पालंसेट में हुई बहल के दौरान में जब यह कहा गया कि आर्थिक उत्तरिति का राजनीतिक उत्तरिति को अपेक्षा अधिक महत्व है तो गांधीजी ने अपनी पूर्व घोषणा को दुहाते हुए कहा कि 'भारत छोड़ो' का नारा कोई अविचारपूर्ण नारा नहीं है, बल्कि यह तो भारतीय जनता की विचारपूर्ण मांग है। गांधीजी ने अपनी स्पष्टवादिता का परिचय वाहस-राय से हुए अपने उस पत्र-ट्यवहार के दौरान में भी दिया, जब वे मृत्यु के निश्च पहुँच गये थे और जब इस कलंक से बचने के लिए ही सरकार ने उनके विस्तर आरोपों को प्रकाशित करना उचित समझा था। गांधीजी जिन लोगों से पत्र-ट्यवहार करना चाहते थे जब उनसे पत्र-ट्यवहार की

अनुमति उन्हें जेल में नहीं दी गई तो उन्होंने पत्र-स्थवराहर विकास कर दिया और सिर्फ सरकार से ही लिखा पढ़ी करके उसके लिए परेशानी पैदा करते रहे।

साथ ही गांधीजी ने बदलती हुई परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने मूढ़ सिद्धान्तों में भी कम संशोधन नहीं किया। पहले कहा जा चुका है कि १४ जून, १९४० को प्रांस का पतन होने पर गांधीजी ने भारत को अहिंसक राज्य घोषित करने का विचार उपस्थित किया, जिसमें सेना या युद्ध के साधन क्षण भी न रहेंगे। कार्य-समिति तथा गांधीजी के मध्य इस विषय को लेकर काफी बहम हुई। उन्होंने 'प्रत्येक अंग्रेज के लाभ' एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अंग्रेजों को जो सलाह दी थी वह पोल लोगों को दी हुई सलाह से भिन्न थी। आपने कहा कि यदि जर्मन विटेन पर छाड़ाई करें तो अंग्रेजों को हथियार ढाल देने चाहिए। गांधीजी ने जमीनों के विरुद्ध पोल-लोगों के सशस्त्र अवरोध को एक हाल ही में हुई घटना के सम्बन्ध में मत प्रवट करते हुए अहिंसा बताया था। परन्तु अंग्रेजों को हथियार ढाल देने की सलाह उन्होंने एक कार्यान्वयनिक स्थिति को मानकर दी थी। इसके उपरान्त गांधीजी की विचारधारा एक और ही दिशा में मुड़ गई। बद्वाई में द अगस्त, १९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन करते हुए गांधीजी ने युद्ध में सशस्त्र सहायता का समर्थन कर दिया, गोकुल यह स्पष्ट था कि जब कांग्रेस के लिए सहायता की योजना को अमल में लाने का अवसर आयगा तो गांधीजी स्वयं अलग रहेंगे और कांग्रेस के इस कार्य में बाया न ढालकर संतोष कर लेंगे। अपने यही विचार गांधीजी ने दो वर्ष बाद जुलाई, १९४४ में 'डेक्सी वर्कर' के प्रतिनिधि से बातें करते हुए दुहरा दिये। आपने एक सदाचाल का जवाब देते हुए कहा कि यदि मित्रराष्ट्र अनें युद्ध को न्याय का युद्ध मानते हैं और कहते हैं कि वे लोकतंत्रवाद की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें भारत को आजादी दे देनी चाहिए। दूसरे शब्दों में गांधीजी यह मानने की तराफ़ थे कि लड़ा जाने वाला युद्ध लोकतंत्रवाद के सिद्धान्त की स्थापना और समार में उसके विस्तार का एक साधन है।

गांधीजी की विचारधारा का जो पेरिस के पतन से लेकर वारसा तथा क्रेकाउ की लडाईयों तक अध्ययन करते रहे हैं, उन्हें इसमें कुछ भी संदेह नहीं होगा कि आधुनिक विचारधारा तथा बदली हुई परिस्थितियों तक पहुंचने के लिए गांधीजी को कितना आगे बढ़ना पड़ा होगा। इसके अलावा, गांधीजी की उर्त्तियों का एक और भी मनोरंजक पहलू है। गांधीजी अपने आधारभूत सिद्धान्तों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर ही मास्टो व वारिंगटन की महान् शक्तियों को चलायमान कर सकते थे। प्रेसेंडेंट रूजवेल्ट, जो २९ जुलाई के दिन चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किये गये थे, लंदन जाने वाले थे। हन्हीं दिनों 'प्रवदा' में कहा गया कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट चर्चिल पर भारत के सम्बन्ध में अटलांटिक अधिकारपत्र अमल में लाने के लिए जोर डालेंगे। इतना रक्षणात्मक होने पर भी भारत पर इंग्लैंड के अधिकार को क्या अमरीका तथा रूस कभी सहन कर सकते थे? बहुत से लोगों का विश्वास है कि जिस प्रकार क्रिप्स-योजना अमरीका के द्वाव का परिणाम थी उसी प्रकार शिमला-सम्मेलन रूसी द्वाव का परिणाम था।

गांधीजी के महान् प्रयत्नों तथा कांग्रेस के उनके प्रति सहयोग का तारकालिक परिणाम आहे जो ही और गांधीजी ने युद्ध के प्रति अपने इष्टिकोण में समय-समय पर आहे जितने समझाते थ्यो न किये हों, किंवा भी जही तक आधारभूत सिद्धान्तों का सम्बन्ध है उनकी स्थिति युगों से सदै हुए पर्वत-शिखरों के समान अचल और जीवन के महान् तथ्यों की तरह आजेय रही और सत्य व

अहिंसा के सिद्धान्तों के समान हुमें थी। गांधीजी भी संसार की नई ध्यवस्था का स्वम् देखते थे; किन्तु यह, ब्रिटेन व अमरीका जैसी थेगली लगी हुई ध्यवस्था न थी, जो साम्राज्यवाद का ही एक दूसरा रूप थी। गांधीजी के शब्दों में नई ध्यवस्था की कसौटी यह थी कि वह निरवार्थ भावना तथा विश्व प्रेम पर आधारित होनी चाहिए। गांधीजी ने अपनी नई ध्यवस्था की रूपरेखा अपनी कुछ मुलाकातों व वक्तव्यों के मध्य बताई।

गांधीजी ने कहा, “आपको एक ऐसी केन्द्रीय सरकार की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसे ब्रिटिश सेना का समर्थन प्राप्त न होगा। यदि यह सरकार सेना के बिना कायम रह सके तो उसे हम नई ध्यवस्था कहेंगे। यह एक ऐसी वस्तु है, जिसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। यह कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसकी प्राप्ति इस संसर र में न हो सके। यह एक ध्यावहारिक कार्य है।” उन्होंने आगे कहा, “आप देखते हैं कि अब शक्ति का केन्द्र नई दिल्ली, कलकत्ता या बम्बई जैसे बड़े शहरों में है। मैं इस शक्तिहृज को हिन्दुस्तान के सात ज्ञास गांवों में बांट देना चाहता हूँ। इनका मनलब हुआ कि शक्ति फिर न रह जायगा। दूसरे शब्दों में मैं तो यह चाहता हूँ कि आज जो सात ज्ञास डालर और्लैंड के हैरपीरिंग बैंक में जमा हैं उसे बहांसे निकालकर हिन्दुस्तान के सात ज्ञास गांवों में बांट दिया जाय। तब हर गांव को एक-एक डालर मिल जायगा। दिल्ली में जगा मान ज्ञास डालर जापानी वायुशान से गिराये जाने वाले एक बम्बारा छलमात्र में नष्ट हो सकते हैं; किन्तु गांव में जाकर कोई लोगों से उनका धन नहीं छीन सकता। तब इन सात ज्ञास गांवों में स्वेच्छायूर्धक सहयोग हो सकता है। यह सहयोग नाजी उपर्यों द्वारा प्राप्त स्वीकृति से भिन्न होगा। स्वेच्छापूर्ण सहयोग से सच्ची आजादी हासिल होगी। यह एक ऐसी स्थवस्था होगी, जो सोवियट रूस-द्वारा कायम की नयी ध्यवस्था से कहीं उत्तम होगी। कुछ लोग देखते हैं कि रूस के काम करने के दृग में कठोरता जरूर होती है, किन्तु यह कठोरता तिर्थम् हथा दक्षित वर्ग के लिए की जाती है, इसलिए अच्छी होती है। मुझे इसमें अच्छाई बिलकुल नहीं मिलती। कुछ लोगों का कहना है कि इस कठोरता के कारण ऐसी अराजकता मध्य जायगी, जैसी पहले कभी नहीं मची थी। मुझे विश्वास है कि इस अराजकता से हम इस देश में बच जायेंगे।”

जिन दिनों सान फ्रांसिस्को में सम्मेलन हो रहा था, गांधीजी ने एक बड़ा चमत्कारपूर्ण वक्तव्य दिया। आपने कहा कि विश्व की शान्ति के लिए भारत की रघुनंता आवश्यक है। १७ अप्रैल, १९४५ को महात्मा गांधी ने बम्बई में एक वक्तव्य निकाल कर कहा कि सान फ्रांसिस्को में एकत्र राजनीतिज्ञों को क्या करना चाहिए:—

“शान्ति के लिए सब से पहली आवश्यकता सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रणों से भारत की मुक्ति है; पिछले दिन नहीं कि भारत साम्राज्यवादी गुज़ारों का जवलंत ऐतेहासिक उदाहरण है बलिक हमलिंग भी कि यह एक ऐसा बड़ा, प्राचीन व संस्कृत देश है, जो १९२० से सिर्फ सर्व व अहिंसा के एक मात्र अस्त्र द्वारा बड़ता रहा है।” आपने आगे कहा, “अरनी आजादी की जहाई में भारत को इस अहिंसा के हथियार से काफी सफलता मिली है। भारत की राष्ट्रीयता भी अंतर्राष्ट्रीयता का ही दूसरा रूप है जैसाकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अग्रस्त घाले प्रस्ताव से प्रकट हो सका है, जिसमें कहा गया था कि स्वाधीन होने पर भारत विश्व संघ में समिक्षित हो जायगा और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हस्त करने में सहयोग प्रदान करेगा।

“गोकि मैं जानता हूँ कि कहे या लिखे हुए शब्दों के सुकाढ़े में मौम कहीं उत्तम होता है, किन्तु इस सिद्धान्त की भी कुछ सीमाएं हैं। कुछ दिनों में सान फ्रांसिस्को-सम्मेलन हो रहा

है। मुझे नहीं मालूम कि उसकी कार्य-सूची व्याप्ति है। शायद बाहर वाला कोई व्यक्ति नहीं जानता। यह कार्यक्रम चाहे जो हो, इसमें संदेह नहीं है कि सम्मेलन में युद्ध के उपरान्त संसार की व्यवस्था के सम्बन्ध में अवश्य विचार किया जायगा।

“मुझे आशंका है कि विश्व सुरक्षा के जिस भवन का निर्माण किया जा रहा है उस के पीछे अविश्वास और भय छिपे हैं, जिनके कारण युद्ध चिढ़ते हैं। इसलिए, मैं युद्ध की तुलना में शान्ति के पुजारी के रूप में अपने विचार प्रकट करता हूँ।

“मैं अपनी इस धारणा को फिर से प्रकट करना चाहता हूँ कि अबतक मित्र-राष्ट्र व दुनिया वाले युद्ध और उसके साथ धन्दे-फरेबों का त्याग कर सभी राष्ट्रों व जातियों की आजादी व समानता के सिद्धान्त के आधार पर प्रयत्न न करेंगे तब तक वास्तविक शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। यदि दुनिया से युद्ध का नाम-निशान मिटाना है तो उससे एक राष्ट्र-द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण व पराधीनता को पहले मिटा होगा। सिर्फ ऐसी ही दुनिया में मैनिक दृष्टि से कमज़ोर राष्ट्र जेर-दबाव या शोषण से मुक्त रह सकते हैं।

“(१) शान्ति के लिए सब से पहली आवश्यकता सभी प्रकार के विदेशी निर्यातणों से भारत की सुकृति है। सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत सभी ज्यवादी गुलामी का उबलंत ऐतिहासिक डादाहरण है, बल्कि इसलिए भी यह एक ऐसा बद्दा, शारीर व संरक्षित देश है, जो १९२० से सिर्फ सत्य व अधिसा के एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय द्वारा लड़ता रहा है।

“गोकिं हिन्दुस्तानी सिपाही ने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है फिर भी उसने युद्ध के दमियान यह दिखा दिया है कि कम से-कम लड़ने में वह संसार के स्वर्वोत्तम योद्धाओं से कम नहीं है। मैं यह बात सिर्फ इस आरोप का उत्तर देने के लिए कह रहा हूँ कि भारत ने शान्तिमय संग्राम मैनिकोचित गुणों के अभाव में किया है।

“इससे मैं यही परिणाम निकलता हूँ कि बज़बाज़ के लिए हिसाकी तुलना में अहिंसा का आश्रय लेने में अधिक बढ़ादूरी है। यह बिलकुल दूसरी बात है कि हिन्दुस्तान अभी ऐसी अहिंसा का विकास न कर पाया हो। फिर भी इस से हज़कर नहीं किया जा सकता कि भारत ने अहिंसा के द्वारा ही आजादी के लिए प्रयत्न किया है और उसे इस प्रयत्न में कुछ सफलता भी मिली है।

“(२) भारत की आजादी से संसार के सभी शोषित राष्ट्रों को प्रकट हो जायगा कि उनकी आजादी समय भी निकट आ गया है और अब वे किसी हाज़त में शोषण के शिकार नहीं बनेंगे।

“(३) शान्ति न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शान्ति कायम करते समय दंड देने या बदला लेने की भावना न रहे। जर्मनी और जापान को अपमानित नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली लोग बदला लेने की भावना से कभी कोई कार्य नहीं करते। शान्ति के फल का उपभोग हम सभीको बांट कर करना चाहिए। हमारा प्रयत्न शत्रुओं को मित्र बनाने का होना चाहिए। मित्र-राष्ट्रों के पास खोकतंत्र-भावना प्रकट करने का यही एक मात्र साधन है।

“(४) ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उस से यह परिणाम निकलता है कि निरस्त्र किये हुए लोगों पर अत्रों की सहायता से शान्ति न लाई जानी चाहिए। सभीको निरस्त्र कर देना चाहिए। शान्ति की शर्तों को अमल में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुक्षिस होनी चाहिए।

यह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तिस-दब्ल भी मनुष्य की कमज़ोरी के प्रति एक रियायत होगी; क्योंकि पुस्तिस-दब्ल को शान्ति प्रतीक नहीं कहा जा सकता।

“यदि शान्ति की ये शर्तें मंजूर कर ली जायं तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद-द्वारा नामजद किये गये भारतीयों के प्रतिनिधित्व का स्वांग समाप्त हो जाया चाहिए। यह प्रतिनिधित्व न रहने से कहीं बुरा है। इसलिए मानकांसिस्ट्स में या तो भारत का प्रतिनिधित्व निवारित प्रतिनिधि-द्वारा होना चाहिए और या प्रतिनिधित्व होना ही नहीं चाहिए।”

“इस अगस्त, १९४२ के कांग्रेस के प्रस्ताव से स्पष्ट है कि आजाद भारत किस बात का समर्थक है।

“यथापि इस संकट के समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्बन्ध मुद्यतः भारत की स्वाधीनता और रक्षा से है किंतु भा कमेटी का मत है कि भविष्य में संवाद में शान्ति, सुरक्षा तथा सुधायवस्थित उन्नति के बीच स्वाधान राष्ट्रों के विश्व-संघ की स्थापना से ही हो सकती है और कोई दूसरा आधार नहीं है जिसमें आत्मनिक संसार की समस्याएँ इल हो सकें, ऐसा विश्व-संघ स्थापित होने पर उसके गठन में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा हो सकेंगी, एक राष्ट्र का दूसरा-द्वारा आक्रमण व शोषण से बचाव हो सकेगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा हो सकेंगी, पिछड़े हुए प्रदेशों व वर्गों की उन्नति सुनिश्चित हो सकेंगी और सबके कल्याण के लिए संसार भर के साधानों का सकलन व उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे विश्वसंघ की स्थापना होने पर सभी देशों में निरस्त्राकरण सम्भव हो सकेगा। राष्ट्रीय स्थल जल तथा वायुसेनाओं की फिर कोई आवश्यकता न रह जायगी और फिर संघ की सेना विश्व में शांति कायम रखेगी और राष्ट्रों को हमलों से बचायेगा। आजाद भारत प्रसन्नतापूर्वक ऐसे विश्वसंघ में सम्मिलित होगा और अन्य देशों में समानता के आधार पर सहयोग करता हुआ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के निबटारे में सहायक होगा।”

“इस तरह भारत की आजादी को मांग स्वार्थपूर्ण नहीं।”

अब संभार महसूस करता है कि आरम्भ में युद्ध-उद्देश्यों की व्याख्या क्यों नहीं को गई थी। यदि आरम्भ में कह दिया जाता कि युद्ध समाप्त होने पर सम्पूर्ण पश्चिया आजाद यूरोप व अमरीका की जंजीरों में बंध जायगा, बर्मा, बिंगापुर, हिंदूचीन, मलाया और जापान परिचमी देशों के गुलाम बन जायेंगे और चीन मित्रराष्ट्रों का दया पर निर्भर रह जायगा तो फिर कौन मित्रराष्ट्रों के युद्ध प्रयत्नों में हाथ बैंधता? आजाद भारत की मांग इन पश्चियाई देशों को आजाद कराने की थी। आजाद भारत सच्चे विश्व-संघ का हासी है, जो प्राणों की रक्षा करता है न कि जो नष्ट करता है जो अभाव और कष्ट का निवारण करता है वह बेकारी की नहीं बढ़ाता, जो सहयोग को भावना का प्रसार करता है और प्रतियोगिता का भाव नहीं पैदा करता, जो देशों को एकदूसरे के निकट लाता है और उन्हें एकदूसरे से अधिक दूर नहीं के जाता। आजाद भारत विनम्रता से प्रश्न करता है कि शरीरों को जोड़ने तथा आत्माओं को पुरुक करने से संसार का क्या लाभ हो सकता है।

हेनीबाल तथा नेपोलियन के बारे में मशहूर है कि उन्होंने शत्रुओं को अपनी कला सिखा कर अपनी पराजय के बाज बोये। शायद कांग्रेस के लिए भी यही कहा जाय। कांग्रेस ने ब्रिटिश अधिकारियों को सत्याग्रह के युद्ध का सबक पूरी तरह सिखा दिया है। शत्रु हमारे सभी सैनिकों व अफसरों से परिचित हो चला है, जो पिछले समय में लड़ चुके हैं और जो आगे भी अपनी

सेवाएं अप्रिंत करने के लिए वचनबद्ध हैं। नमक-सत्याग्रह के समय कांग्रेसियों ने जिस साहस तथा दुकानी शक्ति का परिचय दिया उसे देखकर खाड़ हरविन चकित रह गये थे और उनकी बुद्धि बकराने लगी थी। फिर उन्होंने खाठीबाज़ तथा स्त्रियों को अपमानित व घायल करने की तरकीब तिकाली। खाड़ हरविन ने जहाँ समाज किया वहाँसे खाड़ विलिंगड़न ने आरम्भ कर दिया। खाड़ तिकियाँ एक पग आगे बढ़ गये। उन्होंने उन सभी को गिरफ्तार करके अगस्त, १९४२ के आंदोलन को रोका, जिनके आंदोलन में भाग लेने की सम्भावना थी। यह जमनी के ब्रिटेन पर होने वाले सामूहिक हवाई हमले के समान एक हमला था। या कहा जाय कि यह तो पलं-हावर के हमले के समान अचानक हमला था, जिससे सत्याग्रह की शक्तियाँ लगभग नाकाम हो गई और दुराग्रह व हिंसा की शक्तियाँ बलवती हो रठीं। ब्रिटेन यही चाहता था। वह आंदोला के स्तर पर लड़ने के लिए अपने को कमज़ोर पा रहा था। वह युद्ध को हिंसा के स्तर पर लाना चाहता था, जिसमें उसकी शक्ति अजेय थी। सत्याग्रह को नाकाम करना वास्तव में कांग्रेस ने ही ब्रिटेन अधिकारियों को सिखाया था। फिर भी हवा तथ्य से कोई हनकार नहीं कर सकता कि अगस्त, १९४२ का प्रस्ताव पास करके कांग्रेस ने देश को विरोधी शासन से मुक्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु उसे प्रस्ताव को अमल में लाने का समर्पण नहीं मिल सका।

कौन कहता है कि कांग्रेस असफल रही? क्या कभी ऐसा हुआ है कि माली ने किसी पौधे को खादी हो और दूसरे ही दिन सुवह देखा हो कि पत्तियाँ और फल लगे या नहीं? क्या यह नहीं कहा गया कि धार्मिक उन्नति शहीदों के रक्त के बीज से हुई है? परन्तु क्या धार्मिक उन्नति एकाएक ही हुई है? क्या महादेव देसाई, राणजीत पंडित, सत्यमूर्ति आदि ने अपने प्राण छार्य ही दिये? क्या तोपों से उड़ा दिये जाने वाले हजारों व्यक्तियों का लहू वेकार जायगा? कौन जानता था कि कस्तूरवा स्मारक कोप में १, २१, ००, ००० इकट्ठे हो जायंगे, जबकि अरीक सिर्फ ७५ लाख के लिए की गई थी? यदि आप विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएटों से ऐसी भारतीय नारी के सम्बन्ध में आधा पृष्ठ लिखने को कहें तो वही दिवकर होगो। ऐसी सभी का नाम भारत भर में सुनहरे अशरों से लिखा हुआ है। आज तक किसी भी आनंदोलन का परिणाम उसके चलते समय देखने में नहीं आया। बीज को जमने में समय लगता है और तब कहीं पौधा उगता है और फलता व फलता है। पौधे के पहले फल का उपयोग हम कर सकते हैं। यह फल या प्रान्तीय स्व-शासन और शोब्र ही हम वास्तविक स्वराज्य का मजा भी खेलेंगे।

हूँचता हुआ जहाज अपना ढांचा, व्यक्तियों तथा प्राणरक्षिणी नौकाओं को अपने में समेट लेता है। साम्राज्य के हूँचते हुए जहाज से अभी हमारी रक्त हुई है। हम उप हूँचते हुए जहाज की सेमेट में आने वाले थे, किन्तु जूकर हमने अपनी रक्षा कर लो। अब हम आजादी का उपभोग करने के लिए बच गये हैं।

सफलता लिंक बीरों को ही नहीं मिलती। वह न्याय के समर्थकों को भी कम ही मिलती है और यदि मिलती है तो देर से मिलती है। क्या अंग्रेज जो अपने को न्याय के पह में समझते थे और बह दुर भी बनते थे कभी नारमंडी के सेलारिनो नामक स्थान पर और दिल्लियी फँस में फिर उत्तरने की कल्पना उस समय कर सकते थे, जब उनका ढाई लाख सेना ढंकके से सिर पर पैर रखकर भागी थी? १४ जून, १९४० को जब पेरिस का पतन हुआ था उस समय कौन कह सकता था कि २३ अगस्त १९४४ को ही पेरिस पर मिश्राद्वारा का फिर से अधिकार हो जायगा? और जब उसी अफ्रीका मिश्राद्वारा के हाथ से निकला था और अमन सेना सिंकंदरिया से

७० मील की दूरी पर अब आमीन तक पहुंच गई थी, उस समय कौन कह सकता था कि उसी जर्मन सेना को अपना बोरिया-र्धना बांध कर द्विरोधी व ट्रूयूनिस से चले जाना पड़ेगा। जब इस विजयिनी जर्मनवाहिनी-द्वारा पद्दतिलत हथा था उस समय कौन कह सकता था कि वह स्टालिन-प्राढ़ की लड़ाई लड़कर १९४३ में १८१२ की उन घटनाओं की पुनरवृत्ति करेगा। जब फार्मसी सेनाओं को पराजित होकर मास्को से लौट आना पड़ा था? उन दिनों की बाद कोजिये जब खेकोस्लोवाकिया पर कड़ा हुआ था और क्लीट पर भुरीराष्ट्रों ने विजय पाई थी-उस समय कौन कह सकता था कि एक दिन पूर्णी यूरोप के सभी देश एक-एक करके छुश्टे हुए जहाज से निकल कर राष्ट्रीय जीवन का विश्वास करने के लिए बच जायेंगे? इसी तरह किसाखब्दाल था कि जापान बिना हिसी शर्त के मित्राधर्दों के आगे आत्म-समर्पण कर देगा? द्वितीया के दिन इसे आशा करनी चाहिए कि समय आगे पर पूर्ण चंद्र आशा में फिर चमकेगा और जो संसार धंधकार में हूबा हुआ है उसे पुनः आजोकित कर देगा।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सविनय अरजन-द्वारा यदि तुरंत सफलता नहीं मिलती तो कम-से कम उसकी ताकालिन असफलता से वह अबगवस्था और मायूसी नहीं आती, वह निराशा, नपुंसकता व सुस्ती नहीं फैलती, जो सशस्त्र विद्रोह या आतंकवादी षड्यन्त्र की असहजता के बाद फैल जाती है।

युद्ध के दिनों में कांग्रेस पर स्वाधीनता अथवा राष्ट्रीय सरकार प्राप्त न करने के लिए दोषाधीरण किया जाता है और इस दृष्टि से उम्मी नीति व प्रतिवेदों को आओचना भा की जाती है। चलिए तक के विचार से एक तरुण के लिए मान लिया जाय कि कांग्रेस को पराजय हुई। परन्तु क्या मनुष्य सिर्फ़ सफलता का ही दावा कर सकता है? यह उसकी शक्ति के बाहर की बात है। हँसान का फर्ज सिर्फ़ कोशिश करते रहना और इस कोशिश के बाच, ज़रूरत हो तो, सत्य व अद्वितीय की मदद ने आगे मङ्गसद तक पहुंचाएँ के लिए कठोरों के स्वगतव बलिदान करने को तैयार रहना है। बर्नार्ड शा ने कहा है कि “कोशिश व काम करने से गलतियां होती हैं और सफलता भी मिलती है; किन्तु कुछ न करके उपचार देठ रहने की तुलना में कहीं झटका यह है कि गलतियां करने में जीवन व्यतीत कर दिया जाता। यह जीवन कहीं अधिक सम्मानरूप व उत्तमोग्नि है।” कांग्रेसन के लिए यह सोचता हूँस्की तमहों नहीं कही जा सकता, विक उनका दिल में यह सन्तोष करना उचित हो कहा जाया कि उनकी सेवा पूर्ण और उनके बलिदान व्यर्थ नहीं गये बलिन उनपे हमारी राष्ट्रीय स्वाधीनता व आजांती की टोप नीचे पह गई। कांग्रेस ने बम्बई वाला प्रस्ताव पास करके दश की ऐतिहासिक आवश्यकता के अनुपार काम किया था। कह सकते हैं कि वैतानिक आवश्यकता के अनुपार काम किया। किप्स योजना की असहजता के बाद हमारे अंदर एक कमो आ गई थी और यह कमो बम्बई वाले प्रस्ताव से दूर हुई। यदि प्रस्ताव का स्पष्ट परिणाम दिखाई देता तो सभी महात्मा की तारोफ करते। इस स्पष्ट परिणाम के अभाव में महात्मा एक ऐसा गांवी हो गया, जो गढ़ती कर बैठा। यहां यही कहा जा सकता है कि पहले हुए निश्चय पर बाद के अनुभवों के अधार पर कोई निर्णय न देना चाहिए।

सत्य हतना ही नहीं है। गांधीजी ने बाइपराय के समुक्त “नेश्वित तथा रचानामक नीति” का जो समविदा उत्तिष्ठत किया उसमें बाइपराय से नारत को स्वधन नगा को तुरन्त बोषणा करने की बात कही गई थी। इस बात ने विटेन के अद्वितीय, उदार तथा मज़दूर-दर्बों

के समाचार-पत्रों के मुँह के बन्द कर दिये। गांधीजी तथा साधारण भारतीय की विचार-धारा यह थी कि भारत व ब्रिटेन की समस्या यह नहीं है कि भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति का तरीका खोज निकाला जाय विलिंग यह है कि ब्रिटेन भारत की स्वाधीनता को अभी मानने को तैयार है या नहीं। ब्रिटेन भारत को स्वाधीनता हस शर्त पर देना चाहता है कि देश के विभिन्न वर्गों के मध्य एक समझौता हो जाय। गांधीजी व कांग्रेस का तर्क स्वाधीनता के लिए भारत के जन्मसिद्ध अधिकार पर आधारित था—एक ऐसा अधिकार जो अखण्ड तथा अनुपेक्षणीय है। सत्य तो यह है कि सत्याग्रह की सफलता या असफलता का निर्णय करने के सिद्धांत पशुबल या हिंसा सम्बन्धी निर्णय करने के सिद्धांतों से भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत उस विद्यार्थी के सिद्धांतों के अधिक निकट होते हैं, जो निरन्तर सरकरी की आराधना करते रहते हैं और जिनकी कभी भी मुक्ति नहीं होती। राष्ट्र का सेवक राष्ट्र के कल्याण व उसकी एकता के लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहता है और जो भी पत्थर वह लगाये, जो भी खम्मा वह खड़ा करे और जो भी महाराव वह बनाये वह स्वाधीनता के मन्दिर के निर्माण का ही अंग माना जायगा, जिसके लिए वह अपने जीवन को अर्पित करने की प्रतिज्ञा कर चुका है। भारतीय स्वाधीनता के समर्थक नई और पुरानी दुनिया भर में फैले हुए हैं। आज यूरोप व अमरीका के दार्शनिक, राजनीतिज्ञ विद्रोह, उद्योगपति तथा कला व संस्कृति के उजारी भारत को स्वाधीन घोषित करने की जहरत महसूस करने लगे हैं और उनका मत है कि भारत को पराधीन रखने से एक और महायुद्ध छिड़ने की आशंका है। संसार की सद्भावना प्राप्त कर लेना आधी सफलता प्राप्त करने के समान है। कांग्रेस ने बाहर रहने के बजाय जेल में रहकर यह सद्भावना प्राप्त कर ली है। जेल से बाहर रहने पर उसे अमन व कानून के, युद्ध-प्रयत्न के अधिकार शान्ति-प्रयत्न के नाम पर किये जाने वाले अत्याचारों को अपनी आंखों के सामने देखना पड़ता। कांग्रेस सुख या दुःख, लाभ या हानि, सफलता या असफलता का विचार किये चिना लड़ती रही है और कमन्सेकम उसे यह संतोष तो प्राप्त है कि उसके कोई अपराध नहीं किया है। कांग्रेस को इस बात का संतोष प्राप्त है कि स्वराज्य की लड़ाई लड़ते समय उसने अपने हाथों को गंदा नहीं किया है और उसके तरीके उचित व साफ रहे हैं। जिस स्वराज्य की स्थापना ऐसी नींव पर हुई है उसके अस्थिर अथवा अन्यायपूर्ण होने की आशङ्का नहीं हो सकती। यह सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण एशिया तथा यूरोप के हाल में स्वतंत्र हुए देशों की भावी पांडियों के लिए एक उदाहरणस्वरूप बात होगी। गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस की एक आकंडा यह भी रहो है कि भारत की स्वाधीनता असत्य व हिंसा से, अन्यवस्था व विनाश से और स्वावर्पता व लाभ से संसार की मुक्ति की भूमिका होनी चाहिए और कांग्रेस व गांधीजी दोनों ही को संतोष हैं कि अपने लघ्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए अपने इस उद्देश्य को भी वे भूले नहीं हैं। यदि साधन स्वयं साध्य नहीं हैं तो उससे अधिक अवश्य हैं।

: २७ :

## मंत्रिमंडल की सफलता

कांग्रेस की सफलता पर अधिक विस्तार से विचार करने से पूर्व भारत तथा उसके प्रान्तों की आर्थिक व्यवस्था के संबन्ध में एक शब्द कह देना अंतर्गत न होगा; क्योंकि इस तरह हम उसमें हुए परिवर्तनों को भली-भांति समझ सकेंगे।

राजनीतिक तथा शासन-सम्बन्धी लोगों के समान भारत की आर्थिक व्यवस्था भी संघ प्रणाली की तरफ उत्तेजित कर रही थी। १९१६ तक भारत वी आर्थिक-व्यवस्था एक प्रकार से समिक्षित तथा अखंडनीय थी और हस्त इष्ट से प्रान्तीय सरकारें जिला बोर्डों से भी गढ़-गुजरी थीं; क्योंकि नव जिला बोर्डों को नये कर लगाने के अधिकार थे प्रान्तीय सरकारों को ये अधिकार न थे। १९७१ तक प्रान्तीय सर्वोच्च की प्रत्येक पाई पर केन्द्रीय नियंत्रण रहता था और उसके बाद १९१६ तक कुछ ढील कर दी गई थी। १९१६ में केन्द्र व प्रान्तों के आय के संधनों का विभाजन हुआ और कुछ साधन जैसे भूमि को मालगुजारी, आवासारी आयकर, स्टाप्प, जङ्गलात व रजिस्ट्री-कराई समिक्षित रखे गये। केन्द्रीय संधन थे, अफोग, नमक, जश्त, अपारिक कारवार, और प्रान्तीय साधन, सिविल विभाग, प्रान्तीय निर्माण कार्य तथा प्रान्तीय महसूल आदि थे। मॉटेर्गु-टेम्सफोर्ड सुधार अमल में आने पर आयकर समिक्षित संधन नहीं रह गया। केन्द्र के पास डाक, आयकर, रेलवे, टेलीग्राफ और सेना के संधन थे और प्रान्तों के पास भूमि से प्राप्त होने वाली मालगुजारी, सिंचाई की दरें, स्टाप्प, रजिस्ट्रेशन, आवासारी और जङ्गलात के साधन थे। प्रान्तों को आयकर का भी एक अंश मिलता था। मेस्टन निर्णय के अनुसार १९२२-२३ से बंगाल को तथा १९२५-२६ से अन्य प्रान्तों को केन्द्र-द्वारा रकम में देने की प्रणाली तोड़ दी गई। यह प्रणाली १९२८-२९ में बिलकुल समाप्त करदी गई। परन्तु अब भी केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को कर्ज देती है।

१९३५ के कानून के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था हस्त प्रकार थी। प्रान्तों को अपने ज़ेत्र में स्वायत्त शासन दिया गया और आर्थिक इष्ट से उन्हें नये सिरे से काम करने का अधिसर दिया गया। केन्द्र के प्रति उनका १९३६ से पहले का जो कर्ज १३ करोड़ के लगभग था उसे रद कर दिया गया। हस्त के अलावा प्रति वर्ष उन्हें केन्द्र को जो रकम देनी पड़ती थी उसमें १। करोड़ की और कमी की गई। हस्त के अतिरिक्त, उन्हें आयकर की रकम में से आधे मिलने लगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रान्तों को १९३७-३८ में १३ करोड़ का और १९३८-३९ में १३ करोड़ का लाभ हुआ। हस्त के करण केन्द्र के अनुपात में लगातार कमी होने लगी। एक तीसरी मद्द जूट के नियर्ति-कर की थी जो जूट उत्पाद करने वाले चार प्रान्तों को दी गई। हस्त व्यवस्था के अनुसार हन प्रान्तों को १९३७-३८ में २३ करोड़ व १९३८-३९ में

२६ करोड़ रुपये मिले। उसके अन्तावा, केन्द्र की वरक से पांच प्रान्तों को वार्षिक सदायता भी मिलती थी।

संयुक्तप्रान्त में मंत्रिमंडल की स्थापना साधारण परिस्थिति में नहीं हुई बल्कि इसके कुछ महसूपूर्ण परिणाम हुए। चुनाव से पूर्व कांग्रेस को बहुमत प्राप्त करने की चिन्ता थी, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्तप्रान्त में कांग्रेस व लीग के मध्य कुछ सहयोग देखा गया जबकि दूसरे प्रान्तों में उनके बीच खुलकर संघर्ष हो रहा था।

फ्रैंड्स सोसाइटी के श्री द्वैरेस अलेंजेंडर 'क्रिप्स के समय से भारत' में संयुक्त प्रान्त की राजनीति की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, "१९३७ के चुनाव से पूर्व कांग्रेस व लीग में चुनाव सम्बंधी समझौता साप्ताहिक था। संयुक्तप्रान्त में, जिसमें कांग्रेस को अकेले बहुमत प्राप्त करने की आशा न थी, उनके विलकर काम करने की उम्मीद की जाती थी और कहा जाता था कि अगर मंत्रिमंडल का काम हुआ तो उसमें दोनों ही भाग लेंगे।" वास्तव में वस्तुस्थिति यह न थी। दृष्टप्रस्तर हुआ यह कि मुस्लिम लीग के प्रसिद्ध नेता तथा प्रान्तीय पालमेंटरी बोर्ड के प्रधान चंधरी खलीफुजमां (जो लीगी उम्मीदवारों के चुनाव की देखरेख कर रहे थे) और प्रान्तीय वार्डिंग के चुनाव-मन्त्रियों अधिकारी उम्मीदवारों के चुनाव के विषय में मिलतुल कर काम कर रहे थे। चूंकि मुस्लिम सौर्यों के लिए तालुकेदारों का दल नवाब खानारी के तृतीय में चुनाव लड़ रहा था इसलिए कांग्रेस के लिए लीग से मिलतुलकर कार्य करना स्वाभाविक था। यह सलाह-मर्शिवारा यहां तक बढ़ा कि मिठारफेंटिमद किंवद्दन, के आम-चुनाव में हार जाने पर, जब वे एक सीट के उपचुनाव के लिए खड़े हुए तो उनके विरोध में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया और वे निर्विरोध चुन लिये गये। इसमें कुछ लोगों में यह धारणा फैल गई कि संयुक्तप्रान्त में मिलीजुली बजार रही। कम-से-कम उसमें खलीफुजमां का रहना तो निश्चित ही था। कांग्रेस को चुनाव में अकेले ही बहुमत प्राप्त हो गया। कांग्रेस पालमेंटरी बोर्ड के चंधरी सदस्य माँठ अबुल कलाम आजाद ने बोर्ड के अध्यक्ष संघरात बलूभाई पटेल से चौंठ खलीफुजमां को मंत्रिमंडल में लेने को अनुमति प्राप्त कर ली। खलीफुजमां साथ में नव व मोहम्मद इरमाइक को भी मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे। परन्तु दो मुस्लिम मंत्री मिठारफेंटिमद किंवद्दन इब्राहिम के पदजैही होने के कारण स्थान के बजाए एक ही बचा था। दूसरी कटिनाही यह थी कि कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होने के कारण मिलीजुली बजार बनाने का विरोध होने लगा था। ऐसी इवास्था में जबकि कांग्रेस व मुस्लिम लीग में कोई स्पष्ट समझौता या बादा नहीं हुआ था, इस प्रकार के विरोध को दबाया नहीं जा सकता था। खैर, चाहे जो हो, कदा जाना है कि कांग्रेस और लीग जैवे दो कट्टर विरोधी दलों के मध्य सहयोग का प्रभाव सम्भवत चुनाव के बाद भी रहता। यह भी कदा गया है कि सहयोग जारी न रहने से कटुना बढ़ गई और उससे पाकिस्तान की नींव पड़ी, जिसके लिए बंगाल या पंजाब के सुप्रबलमानों में तो कोई जोश नहीं था; किन्तु संयुक्तप्रान्त के मुस्लिम नेता उसके लिए उत्सुक हो उठे थे।

प्रान्तीय असेक्युरिटी की २२८ सीयों में से ६४ (२८ प्रतिशत) मुमलमानों के लिए सुरक्षित थीं, जिनका जनसंख्या में अनुरात विके १६ प्रतिशत था। इनमें से १९३७ में २६ लीग ने, २८ स्वतंत्र मुस्लिम उम्मीदवारों ने, ६ नेशनल एमिक्रेवरिस्ट दलने और सिर्फ़ १ कांग्रेसी मुस्लिम नाने ली थीं।

मौजाना आजाद ने १९३७ में लीग के प्रान्तीय नेता के आगे निम्न शर्तें उपस्थित की थीं।

( १ ) युक्तप्राग्नीय धारासभा में मुस्लिम लीगी दल पृथक् दल के रूप में काम करना बन्द कर देगा ।

( २ ) प्रान्तीय असेम्बली के मुस्लिम लीगी दल के मौजूदा सदस्य कांग्रेसी दल के आंग बन जायंगे और कांग्रेसी दल के अन्य सदस्यों की भाँति दलकी सदस्यता के अधिकारों का उपभोग करेंगे । वे अन्य सदस्यों के साथ बराबरी के पद से दल की कार्रवाई में भाग ले सकेंगे और धारा-सभा के कार्य तथा सारस्यों के आचरण के सम्बन्ध में कांग्रेसी दल के निर्णयों का मानने के लिए वाप्त होंगे । सभी विषयों का फैसला बहुमत से होगा और प्रत्येक सदस्य केवल एक बार ही मत दे सकेगा ।

( ३ ) कांग्रेस कार्य-समिति ने धारासभाओं के अपने सदस्यों के लिए जो लीलि निर्धारित की है तथा उपर्युक्त कांग्रेसी संस्थाओं ने जो आदेश जारी किये हैं उन पर कांग्रेसी दल के सभी सदस्य, जिनमें ये सदस्य भी शामिल हैं, अमल करेंगे । संयुक्तप्रान्त का मुस्लिम लीग पार्लेमेंटरी बोर्ड तोड़ दिया जायगा और यह बोर्ड किसी उपचुनाव के लिए उभयोद्वार खड़ा नहीं करेगा । यदि आगे जाकर कोई स्थान खाली होता है और उसके लिए कांग्रेस किसी व्यक्ति को नामनद करती है तो दलके सभी सदस्य उसका कियात्मक रूपमें समर्थन करेंगे । कांग्रेसी दलके सभी कांग्रेसी दलके सभी नियमों का अनुसारण करेंगे और कांग्रेस के हिन व उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ावे के लिए अपना पूण व वास्तविक सहयोग प्रदान करेंगे । यदि कांग्रेसी दल ने मंत्रिमंडल या लीग से इस्तीफा करने का फैसला किया तो उपर्युक्त सदस्य भी इस्तीफा देने के लिए वाप्त होंगे । हन शर्तों के साथ मौजूदा ने अपना एक नोट भांजौड़ दिया था । ( पायनियर, ३० जुलाई, १९३७ ) आशा की गई थी कि यदि हन शर्तों की स्वीकृत कर लिया जाता और मुस्लिम लीगी सदस्य कांग्रेसी दल में समिलित हो जाते तो मुस्लिम लीगी दल का अस्तित्व ही न रह जाता । ऐसी अवस्था में प्रांतीय मन्त्रिमंडल में उन्हें प्रतिनिधित्व दे दिया जाता ।

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की सफलताओं का आधिक विस्तार स अध्ययन करके हम बहुत-सी आवश्यक बातें जान सकते हैं । कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व जो घोषणापत्र जारी कियाथा उसमें निकट भविष्य में कार्यान्वय हो सकने वाले सामाजिक तथा सिद्धान्तों का समावेश किया गया था । कांग्रेस का जिन प्रान्तों में शासनसूत्र पास हुआ था उनमें कांग्रेसी सरकारों का फर्ज उन विद्वानों के अनुरूप कार्रवाई करने का था । इस कार्रवाई की सफलता तथा यह सफलता किनता तेज़ स होता है, हसी पर जनता की आविष्कृत व सामाजिक उत्तरति निर्भर थी । कहा भा गया है कि “राजनेतृत्व दल एक ऐसे व्यक्तियों का समूद है, जो शासन प्रबन्ध के सम्बन्ध में जनता के लिए प्रत्येक आवश्यक कार्रवाई करता है और इतनो तेजी से करता है कि जनता में असंतोष उत्पन्न न होन पाये ।” दल जनता को आवश्यकता समझने में गलती कर सकता है । वह कार्रवाई समय से पूर्व या बहुत देरी से करने की भी गलती कर सकता है । ऐसी अवस्था में वह पराजित होकर भङ्ग भी हो सकता है ।

### कांग्रेसी सरकारें

फरवरी, १९३७ के चुनाव के परिणामस्वरूप जिन कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई उनके कार्यों का संबोध यहां देना तिर्फ संगत ही नहीं बल्कि आवश्यक भा है । १९३५ के कानून के अनुसार इन सरकारों को स्थापना पड़ते पहले हुई थी । पहले कांग्रेसी सरकार, विहार, मध्यप्रान्त संयुक्तप्रान्त, बम्बई और डिल्ली में ही कावम हुई और आसाम, बंगाल, सामाप्रान्त, पंजाब व

बंगाल में गैर-कांग्रेसी सरकारों कायम हुईं। नीचे हम जो संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं वह केवल कांग्रेसी प्रान्तों के ही सम्बन्ध में है।

कांग्रेसी सरकारों के सफल कार्य के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पूर्व इस आरोप की चर्चा कर देना भी असंगत न होगा कि धारासभाओं के दलों तथा वजारतों के बीच में एक तीसरी संस्था के हस्तचित्र के कारण प्रान्तीय स्वायत्त शासन का मूल लद्दय असफल हो गया। यह संस्था कांग्रेस कार्यसमिति और उसका पार्लमेंटरी बोर्ड था। यह समझना कठिन है कि जब कार्यसमिति-द्वारा उनाव का आयोजन करते और घोषणापत्र का मसविदा बनाने पर कोई आपत्ति नहीं की गई तो वजारतों के काम की देखरेख रखने पर ही क्यों आपत्ति उठाई गई। इससे इनकार नहीं किया जाता कि मन्त्री शासन-सम्बन्धी कार्य के लिए नये थे और कार्यसमिति के सदस्यों जैसे अनुभवी व्यक्तियों की सज्जाह से उनका कुछ बिगड़ न जाता। एक दूसरी उल्लेखनीय बात है कि भारत के प्रान्त उस अर्थ में अलग राज्य नहीं थे, जिस अर्थ में क्रान्ति से पूर्व संयुक्त राष्ट्र अमरीका की प्रादेशिक इकाइयों को राज्य माना जाता था। भारत के प्रान्त केन्द्र से शासित व्यवस्था के अङ्ग थे और किसानों के उत्थान, शिक्षा के सुधार, किसानों की शिक्षात्मकों को दूर करने, शराब-बन्दी करने, सहयोग जारी करने, किसानों को कर्जदारी से छुटकारा दिजाने, छरेलू दस्तकारियों तथा ग्राम्य उद्योगों में नववीनत का संचार करने, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने, देहातों में सड़कें बनाने, घूमखोरी की समूल नष्ट करने, शासन की हृदयव्याप्ति से विशिष्ट व्यक्तियों के प्रभाव को नष्ट करने और जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने की समस्याएं उन सभी प्रादेशिक इकाइयों में एक जैसी थीं। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जिसमें कार्यसमिति ने कानून बनाने या शासन सम्बन्धी कार्य में हस्तांत्र किया हो। यदि उसने प्रान्तीय सरकारों से मादक वस्तु निषेध जैसे समाज-सुधार के कार्य अधिक तेजी से करने का अनुरोध किया तो इसे किसी भी तरह हस्तेप नहीं कहा जा सकता। केवल संघ योजना तथा पूर्ण स्वधीनना के सम्बन्ध में ही उसने प्रान्तीय मन्त्रिमंडलों से एक प्रस्ताव पास करने का प्रुत्तरोध किया था। युद्ध छिड़ने पर कई प्रान्तीय सरकारों-द्वारा एक ही समान मार्गे दरपाली करना आवश्यक हो गया। यदि कार्यसमिति ने कुछ कार्यों के सम्बन्ध में किसी मन्त्री या मंत्रमंडल के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई करने पर जोर दिया तो प्रान्तीय शासन-व्यवस्था को शुद्ध और सच्ची रखने के लिए ऐसा आवश्यक था। कांग्रेस ने जिन उपायों से काम लिया उनको इसने बड़ी ओर क्या प्रशंसा हो सकती है कि इन उपायों की सबसे बड़ी आकोचक मुस्तिम लीग ने ही बाद में उनका अनुदरण किया।

प्रांकेसर कूरलैंड ने कांग्रेस के सिद्धान्तों को अपना पुस्तक में जो 'एक दल राष्ट्रीयता' बताया है, यह बहुत ही अनुचित था। प्रत्येक संस्था के कुँड़न-कुँछु सिद्धान्त होते हैं। प्रश्न यही है कि उसमें अन्य दलों की स्थान है या नहीं? दक्षिण भारतीय लिंगराज केडरेशन में सिर्फ अब्राहाम्य थे और ब्राह्मणों को उससे अज्ञा रखा गया था। इसके १९१७ से १९२६ तक इस रूप में बने रहने और १९२१ से १९२६ तक तीन-तीन वर्ष के लिए दो वजारतों कायम करने के बाद मद्रास के गवर्नर जार्डन गोशन के कहने पर उसमें अन्य लागों का सम्मिलित करने का सिद्धान्त स्वाकार किया गया। कांग्रेस ने कभी भी किसी यूरोपाय या भारतीय का अपनी सत्याग्रह से वंचित नहीं किया। मुस्लिम लाइग, सिल खान्दासा तथा हिन्दू महासभा में अन्य सम्बद्ध वालों को स्थान नहीं था। ये संस्थाएं संकुचित होने के बावजूद राष्ट्रीय होने का दावा करते रही हैं। किसी कांग्रेस के सम्बन्ध में विद्वान प्रोफेसर महोदय को क्या आपत्ति है, जिसके द्वारा सभी सम्प्रदायों व वर्गों के लिए खुले रहे हैं,

और जो अपने सदर्यों से शान्ति पूर्ण उपायों-द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने की शर्त पर जोर देती रही है ? यदि कोई कांग्रेसजन समानान्तर सरकार की बातें बरते रहे तो कारण यह था कि बाइस-राय ने प्रान्तीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में आवश्यक आश्वासन देने से इनकार कर दिया था और ऐसी अवस्था में कांग्रेस के पास अपनी पंचायतें, घेरेलू धंधों को प्रोत्साहन देने वाली अपनी संस्थाएं, राष्ट्रीय विद्यालय और स्वदेशी को अद्वितीय बरने वाली संस्थाएं कर्यम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया । इसमें क्या गलती थी ? इसका बया मजाक इडाना चाहिए था ? यह बात ध्यान देने की है कि प्रान्तीय मंत्रिमंडलों के कायम होते ही सितम्बर, १९३८ तथा जून, १९३९ में कांग्रेस ने आदेश निकाला कि स्थानीय कांग्रेस कमेटियाँ मंत्रिमंडलों या अफसरों को प्रभावित करके साधारण शासन-प्रबंध में हस्तक्षेप करने की चेष्टा न करें । कांग्रेस ने यह भी आदेश निकाला कि स्थानीय कमेटियों को नीति सम्बन्धी विवादास्पद प्रश्नों पर खुले आम मत न प्रकट करना चाहिए । ऐसी हालत में कर्यसमिति पर दोषारोपण किस आधार पर किया जा सकता है ?

१९३८ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आगे निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया गया और उसके द्वारा पास भी कर दिया गया:—

“चूंकि कुछ लोग, जिनमें कुछ कांग्रेसजन भी हैं, नागरिक स्वतंत्रता के नाम पर हस्ता, आगजनी, लटपाट तथा हिंसात्मक उपायों-द्वारा वर्ग-युद्ध का समर्थन करने लगे हैं और कुछ समाचारपत्र मिथ्या बातों व हिंसा का प्रचार करने लगे हैं, जिसमें पाठकों में हिंसा व साम्प्रदायिक संघर्ष के लिए प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए कांग्रेस चेतावनी देती है कि इसा करना अथवा उस को प्रोत्साहन देना और मिथ्या बातों का प्रचार करना नागरिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं है—इसलिए, अगर्वाल नागरिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है फिर भी अपनी परम्परा के अनुसार वह जन-धन रक्षा-सम्बन्धी कांग्रेसी सरकारों की नीति का समर्थन करेगी ।”

यह सत्य है कि कांग्रेस कार्यसमिति ने मध्य-प्रान्तीय मंत्रिमंडल-द्वारा दो बातों की जांच के सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया:—

( १ ) मिं शेरीफ-द्वारा स्कूलों के एक इंस्पेक्टर को समय से पहले छोड़ देना, जिसे एक लड़की पर बलात्कार करने के अभियोग में १३ साल के कारावास का दंड दिया गया था, और ( २ ) प्रधानमंत्री-द्वारा कार्यसमिति से सलाह लिये बिना गवर्नर के आगे हस्तीफा दे देना, जिससे कि अपने मंत्रिमंडल के कुछ साथियों से वे अपना पीछा छुड़ा सकें । इन दोनों ही विषयों पर उपयुक्त स्थान पर पूरा प्रकाश ढाला गया है ।

सामाजिक, कृषि व औद्योगिक सुधार के जेनरों में कांग्रेसी वर्जातों की कामयादियों की चर्चा डटाने से पहले पाठकों को उन कांडनाहयों की एक झलक दे देना अनुचित न होगा, जिनमें उन्हें काम करना पड़ रहा था । उन पर जिम्मेदारियाँ तो पूरी थीं, किन्तु प्राप्तों का शासन चलाने के अधिकार अपर्याप्त थे । अभी तक उनके सिरों पर हौंध शासन की तलवार मूल रही थी । छुलाई, १९३७ में जबकि मंत्रियों से पद स्वीकार करने को कहा गया था, कुछ लोग अभी तक पद महण करने के लियाँ थे; क्योंकि १९३८ के कानून का संघ-योजना वाला अंश अमल में नहीं लाया गया था । इस तरह मंत्रियों को प्रान्तों में कठी-छठी शासन-व्यवस्था स्वीकार करने को कहा गया था । जिस प्रकार देश एक और अधिभास्य है उसी प्रकार उसकी शासन-व्यवस्था भी और एक

अविभाज्य होनी चाहिए। केन्द्रीय और प्रान्तीय के रूप में उसका विभाजन तो सिर्फ शासन सम्बन्धी सुविधा के लिए किया जाता है। यदि शासन-इवस्था एक और अविभाज्य होनी चाहिए तो आधिक प्रबन्ध भी एक और अविभाज्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए पाठकों को सम्भवतः इसरण होगा, कि गांधीजी ने जबवरी, १९३० में लाई इवान को जिसे अपने पत्र में जो ११ मांगे उपस्थित की थी और जिन्हें जेल से मिं इलोकोम्ब को दी गई अपनी शर्तों में भी सम्मिलित कर लिया गया था उसमें उन्होंने सेना का खर्च घटाकर आधा बर देने, शराब, अफीम और नमक से प्राप्त धन का त्याग करने और युद्ध में जबरन सम्मिलित करने के विरुद्ध मांगे भी शामिल कर ली थीं। अदस्था यह थी कि गांव वालों पर युद्ध के लिए धन देने को, नाववालों पर नाव देने को, किसानों को फसल देने को और र मार्जकों से मकान खाली करने को दशव ड ला जा रहा था और इस सम्बन्ध में कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अब कांग्रेस या तो नेतृत्व से हाथ खींचकर कूटनीत का आसरा लेती और या अपना नाम-निशान मिटा दिये जाने का खतरा उठाते हुए साहस पूर्वक आन्दोलन में कूद पड़ती। उन दिनों सैनिक व्यय लगभग ८० करोड़ था और उसमें आधी रकम बटने पर २५ करोड़ की बचत होती और शराब (१७ करोड़), नमक (७ करोड़ ब) अफोम (१ करोड़) की आपदों बढ़ होने पर हानि भा इतनो ही होती। परन्तु एक कठिनाई थी। जहाँ एक तरफ नमक और अफ म केन्द्रीय विषय थे वहाँ शराब प्रान्तीय विषय थी। उधर सेना केन्द्रीय विषय थी। इसलिए जब तक मंत्रिमंडलों का केन्द्रीय व प्रान्तीय दोनों में समान रूप से नियंत्रण न रहे तब तक इस प्रकार का सुधार होना असम्भव था। इसी प्रकार गांधीजी ने भूमि की मालगुजारी और सरकारी वर्मचारियों के वेतन घटाकर आधे कर देने का भी सुझाव उपस्थित किया था। मद्रास प्रान्त में इस प्रकार दिसाब बराबर हो सकता था। परन्तु कठिनाई यह थी कि जहाँ मालगुजारी की वसूली प्रान्तीय विषय थी वहाँ नौकरशाही के वेतन सुखित विषय के अंतर्गत थे और उनके सम्बन्ध में प्रान्तीय मंत्री कुछ भी दखल नहीं दे सकते थे। हमने यह जम्बा उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया है कि कांग्रेसी व गैर-कांग्रेसी दोनों ही प्रकार के मंत्रिमंडल दिस प्रकार परेशान थे, उनके अधिकार कितने सामित थे और वे कितने सहानुभूति के पात्र थे। हमें यह स्थीकार करना चाहिए कि नौकरशाही ने कांग्रेसी व गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल की कठिनाई में किये कार्य के लिए उनकी प्रशंसा ही की, बुगाई नहीं। परन्तु जनता की आशाएं बहुत बढ़ गई थीं। किसान कर में कभी चाहते थे, मजदूर अपनी अदस्था में सुधार के इच्छुक थे और कर्जदार कर्ज के भार में कभी की आशा लगाये थे। फिर विसान-संस्थाएं आन्दोलन कर रही थीं। उनपर कानूनिकों का प्रभाव था और उन्हींकी प्रेरणा से मजदूरों के समान किसानों ने भी अपनी मांगें बढ़ा रखी थीं। वे उन्हें आंशिक रूप से राजनैतिक ढंग की हड्डालों करने के लिए भी उकसा रहे थे। साथ ही कांग्रेसी व जारतों को साम्राज्यिक उपदेशों व खाकसारों के हमलों का भी सामना करना पड़ रहा था। क्या उन्हें दमनकारी कानूनों का आश्रद लेना था, जिनमें से कुछ, जिसे बम्बई का हॉटिंग प्रेस इमर्जेन्सी पार्वत ऐस्ट, क्रिमिनल ला अमेडमेंट ऐस्ट और सबसे महत्व-पूर्ण क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १४४ अभी तक कायम थे? समाचारपत्र-सम्बन्धी कानून का बम्बई में, क्रिमिनल ला अमेडमेंट ऐस्ट का हिन्दी-वरोधी आन्दोलनकारियों के विरुद्ध मद्रास में और धारा १४४ का भारत भर में सर्वत्र ही प्रयोग किया गया। मद्रास में धारा १४४ के अनुसार श्री बाटलीवाला पर सुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें कारावास का दंड मिला और हाई-कोर्ट ने भी इस फैसले की पुष्टि की; किन्तु बाद में कारावास की अवधि समाप्त होने से पहले ही

अभियुक्त को रिहा कर दिया गया । कानून भंग करने वालों की गांधीजी ने खुद खबर ली ! अट्टबर, १९३७ में आपने 'हरिजन' में लिखा था. "यह कहा गया है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल आहिसा के पुनर्जी होने के कारण ऐसी कार्रवाई का आसरा नहीं ले सकते जिससे अभियुक्त क दंड मिलता हो । आहिसा के सम्बन्ध में ऐसी अथवा कांग्रेस की यह विचारधारा नहीं है । मंत्रिमंडल हिंसा के लिए उक्साने तथा उम्र भाषणों की उपेक्षा नहीं कर सकते ।"

इसके अलावा साधारण कांग्रेसजन ने कालेजों, विश्वविद्यालयों, डाक दंगलों तथा सरकारी व स्थानीय संस्थाओं की इमारतों पर शान्ति भंडा फहराने के लिए जो असाधारण उत्साह दिखाया उस ने कांग्रेसी मंत्रियों की परेशानी बढ़ गई । इस पर उसी प्रकार अ पत्ति की गई जिस प्रकार अस्थापका सभाओं का अधिवेशन आरम्भ होने पर 'बंडे-मातरम' के गायन पर आपत्ति की गई थी । बंडे-मातरम तथा तिरंगा झंडा, दंगों पर जो रोक लगी उससे कांग्रेसियों को बड़ी निराशा हुई; क्योंकि पद मिलने पर कांग्रेसियों द्वारा लगाये गये हस प्रतिक्रिया को वे अस्वाभाविक मानते थे । स मप्रदायिक उपद्रव भी कांग्रेसी मंत्रियों की अशानित का कारण थे । प्रोफेसर कृष्णेंद्र अपने ग्रन्थ "हॉर्डियन पालिटिक्स" में लिखते हैं. 'अट्टबर, १९३७ के आरम्भ तथा मित्तबर, १९३८ के मध्य सम्मूल कांग्रेसी प्रान्तों में २७ गश्मीर साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिनमें से १५ बिहार में १४ संयुक्तप्रान्त में, ११ मध्यप्रान्त में, ८ मद्रास में, ७ बम्बई में, १ उडीसा में हुए और १ सीमान्त में हुआ । कुल १७०० ड्यूक्ट आइत हुए जिनमें से १३० ही जाने गई ।' इसी अवधि में गैरक ऐसी प्रान्तों में २८ गश्मीर दंगे हुए, जिनमें से ८ जाव में १७, बंगाल में ७, आसाम में ३ और १ सिध में हुआ । लगभग ३०० ड्यूक्ट आहत हुए जिनमें से ३६ ड्यूक्टों की जाने गई ।' इन दंगों के साथ हस्ताओं, आगजनी, लूटपाट और रक्षपात का भी बाजार गर्म रहा । दंगे जबलपुर, इलाहाबाद, बनारस, गया, वराग, शोलुर, बम्बई व मद्रास में हुए ।

बंग्रेसी मंत्रिमंडलों पर मजदूरों की भी कोई खास कृपा नहीं रही । अहमदाबाद में मजदूरों की हड्डताल नवम्बर १९३३ में आरम्भ हो गई । यहाँ की देढ़ यूनियन पहले महारामा गांधी के नेतृत्व में विश्वास रखती थी; किन्तु १९३७ से उसमें कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ गया । बाद में देढ़ यूनियन पर फिर से नियंत्रण कर लिया गया । बम्बई व कानपुर में कई स्तरनाक उपद्रव हुए-ओर भी बुरी बात यह हुई कि बम्बई-सरकार ने हड्डताल तथा मिलों की तालें दंदी रोकने के लिए जो 'औद्योगिक झगड़ा कानून' बनाया था उसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए । बम्बई सरकार ने यह कानून बड़ी छान-बीन के बाद पास किया था । परन्तु कम्युनिस्टों ने इस बिना पर हड्डताल कराई कि उसके कारण मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात होता है । बम्बई की ७७ मिलों में से १७ में हड्डताले हुईं । परन्तु कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने हड्डता से काम लिया और उपद्रव दबा दिये गये । १९३७ तथा १९३८ में कानपुर में फिर हड्डताले हुईं । प्रान्तीय सरकार ने एक श्रम जांच समिति नियुक्त की और उसकी रिपोर्ट को मंजूर कर लिया । सिफारिशों जितनी मिल साजिकों को अवांछनीय जान पड़ी उतनी ही मजदूरों की भी; किन्तु अंत में समझौता हो गया । फिर किसानों की पुरानी आर्थिक व कृषि-सम्बन्धी समस्याएँ दूल करने को पड़ी थीं । किसान-आन्दोलन ने विरोधकर बिहार में बुङ्ग गश्मीर रूप धारण कर लिया । फसल लूटी और नष्ट की गई । गोकिं दिसम्बर १९३७ में ही भूमिकर चिल पास कर दिया गया था फिर भी स्वरूपेषकों की कार्रवाई और जल मंडे का जोर बढ़ा गया । संयुक्तप्रान्त में भी हसी प्रकार के प्रदर्शन हुए, गोकिं वे हिंसापूर्ण नहीं थे । भूमिकर-सम्बन्धी नहीं शर्तों के कारण किसानों को खगान न देने के लिए प्रोत्साहन मिला ।

परन्तु परिस्थिति मंत्रिमण्डल के नियंत्रण में थी और उसके अनुरोध करने पर किसानों ने जमीदारों को लगान दे दिया।

मद्रास और बम्बई के राजनैतिक बंदियों की रिहाई होने पर भी संयुक्तप्रान्त में १२ और विहार में १२ बंदी रह गये। हन्में से कुछ ने अनशन भी आरम्भ कर दिया था। तब दोनों प्रान्तों के गवर्नरों व मंत्रिमण्डल के बीच मगड़ा उठ खड़ा हुआ। गवर्नर-जनरल ने अपने विशेष अधिकारों के आधार पर हस्तक्षेप किया थाँ एं कहा कि संयुक्तप्रान्त व विहार में राजनैतिक बंदियों की सामूहिक रिहाई का परिणाम पड़ोसी पंजाब व बंगाल प्रान्तों के लिए ठीक न होगा। जिनमें उग्रवादी कैदी काफी अधिक संख्या में हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि गवर्नरों ने मंत्रियों के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार किया; किन्तु इसमें कुछ संदेह नहीं है कि उनके व्यवहार के कारण मगड़ा बढ़ गया। जनता समझती थी कि जिस प्रकार राजद्रोह के लिए मुकदमा चलाना या भूमि-सम्बन्धी दमनकारी कानूनों पर अमल करना कांग्रेसी साकारों के लिए अनुचित बातें थीं उसी प्रकार उनके लिए अपनी अधीनता में राजनैतिक बंदियों को बनाये रखना एक अल्पम्य अपाराध या कर्तव्य का उल्लंघन था। गवर्नरों का ख्याल था कि उन्हें भारत अथवा उसके किसी भाग में अमन व शान्ति बनाये रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इसी दृष्टि से गवर्नरों ने बंदियों की रिहाई की अनुमति देने से हनकार कर दिया। तब दोनों प्रधान मन्त्रियों ने इस्तक्फे के दे दिये। जब हिंपुरा कांग्रेस ने इस प्रश्न को उठाया तो गवर्नर-जनरल भुक रहे और बंदियों को दो महीनों में छोड़ दिया गया। संयुक्तप्रान्त में बारह फरवरी, १९३८ में और तीन इसी वर्ष मार्च के महीने में रिहा कर दिये गये जबकि विहार में दम तुरन्त और एक के सिवाय शेष सभी मार्च, १९३८ के मध्य में रिहा किये गये।

नये मंत्रियों के आगे एक और कठिनाई थी। गवर्नरों के विशेषाधिकारों के अतिरिक्त मंत्रिमण्डलों के पीछे स्थायी सेवेटरी थे, जिन्हें सिर्फ लग्बा अनुभव ही नहीं था बल्कि कानून के अनुमार उनकी स्थिति भी सुरक्षित थी। वे मंत्रियों के अनजाने में ही गवर्नरों से सीधे मिल सकते थे और उन्हींके हस्तक्षण से सरकार के सभी आदेश निकाले जाते थे। कम-से-कम बम्बई में यह परम्परा कायम कर ली गई थी कि यदि बोर्ड सेकेटरी गवर्नर से मिलता था तो गवर्नर से अपनी बातचीत का सार उसे पेश करना पड़ता था। गवर्नर ने भी मंजूर कर लिया कि जिन विषयों में उसे अपने अधिकार से कार्रवाई बरने का हक है उनमें भी वह मंत्री से अवश्य सलाह लेगा। यह भी सच था कि अनुशासन-सम्बन्धी जिस कार्रवाई के विषय में सभी मंत्री मिलकर सिफारिश करते थे, उसे कार्यान्वित करने के अलावा गवर्नर के पास और कोई चारा नहीं रह जाता था। परन्तु जब मद्रास प्रान्त में विजग़ा-पटम के जिला मजिस्ट्रेट पर जांच कमीशन ने चित्तीवलासा-कारखाना गोलीकांड की जिम्मेदारी निर्धारित की तो गवर्नर ने उसका उटकमंड के लिए तबादला ही मंजूर किया। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट के विरोध करने पर उसे मलाबार और बहांके लिए भी विरोध करने पर बेतारी भेजने का निश्चय किया गया और वे दोनों ही जिले श्रेष्ठता की दृष्टि से ग्राहक में दूसरे और तीसरे नम्बर के माने जाते थे।

कांग्रेसी मंत्रियों को ऐसी कठिनाहयों व बाधाओं के बीच अपना सामाजिक आर्थिक व कृषि-सुधार-सम्बन्धी कार्य क्रम आगे बढ़ाना पड़ता था। कृषि के सिलसिले में कांग्रेसी मंत्रियों ने सबसे पहले पट्टे की अवधि तथा जमीदारों व विसानों के मध्यस्थों का सबाल हाथ में लिया। जब कि बम्बई में सिर्फ रैयतवारी प्रणाली थी, मद्रास में कुछ भूमि इस्तमरारी बंदोबस्त पर थी और यही

हाथ उड़ीसा में भी था। उधर बंगाल, बिहार तथा संयुक्तप्रान्त मुख्यतः इस्तमरारी बंदोबस्त था। प्राप्ते इस्तमरारी बंदोबस्त वाले पेत्र थे।

मद्रास में माज्जमंत्री के प्रस्ताव करने पर 'मद्रास एस्टेट लैंड एकट' की जांच करने के लिए दोनों धारासभाओं के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के कार्य के परिणामस्वरूप एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें इस्तमरारी बंदोबस्त पर अधिकार पूर्वक विचार किया गया। रिपोर्ट के साथ एक विज्ञ भा तैयार किया गया और उसे व्यवस्थापिका-सभा के सम्मुख उपस्थित किया गया। निम्न धारा सभा ने तो माज्जमंत्री के प्रस्ताव करने पर यह सिफारिश करने का निश्चय किया कि समिति के बहुमत की रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाया जाय। परन्तु ऐसा होने से पहले ही कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया और इस्तमरारी बंदोबस्त के किसानों के कष्ट दूर करने की बात बीच में ही रह गई। कहा जाता है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने एक विशेष अक्षर प्रस्तावों की जांच करने और उन्हें विज्ञ में समिलित करने के लिए नियुक्त किया था; किन्तु इस अक्षर ने मुख्य सिफारिशों के विरुद्ध अपना निर्णय दिया। सच तो यह था कि जहाँ मंत्री प्रगतिशील विचारों के थे वहाँ अक्षर उन्नति में बाधा डालते थे। साथ ही एक मंत्री ने भी, जो सुदूर एक जर्मींदार था, मुख्य सिफारिश के विरुद्ध एक नोट लिखा था।

जहाँ तक रैयतवारी भूमि का सम्बन्ध था, माज्जगुजारी तथा आवपाशी की दरें तीन जिलों के सम्बन्ध में १९२६ में तय होने को थीं; किन्तु इन सिफारिशों को मुख्तवी रखा गया। मांटफोर्ड जमाने के मन्त्रिमण्डल ने कृष्णा तथा गोदावरी जिलों के सम्बन्ध की सिफारिशों को भी स्थगित रखा था। फिर अन्तर्कालीन मन्त्रिमण्डल ने मिठा माजौरी बैंक्स की अधीनता में एक समिति नियुक्त की, किन्तु अन्तर्कालीन मन्त्रिमण्डल के इस्तीफे के कारण इस समिति की सिफारिशों प्रकाशित नहीं की गई। तब कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल उन सिफारिशों को अमल में लाया। इन सिफारिशों के अमल में आने पर प्रान्त भर में ७५ लाख रुपये की छूट मिलनी थी, जिसका किसानों के लिए असाधारण महत्व था; किन्तु १९४३ में सलाहकार सरकार ने इस छूट को रद्द कर दिया।

### ( २ ) मादक वस्तु-निषेध

इस सुधार के लिए मद्रास के प्रधानमन्त्री विशेष रूप से उत्सुक थे। उन्होंने व्यवस्थापिका-सभा में आवकाशी कानून का संशोधन करके, जिस से अदालतें भी सामाजिक सुधार के कार्य में हस्तक्षेप न कर सकें, सलेम जिले से मादक वस्तु-निषेध का कार्य आरम्भ किया। फिर बाद में कार्यक्रम का विस्तार उत्तरी अर्कटि, चित्तर, कुद्दपा जिलों तक कर दिया गया और इससे लगभग १ करोड़ की हानि का अनुमान किया गया। इस हानि को पूरी करने तथा आगे होने वाली हानि का अनुमान करके एक बिक्री-कर लगाया गया। इस बिक्री-कर से पहले ही साल १ करोड़ की आय हुई; किन्तु १९४५ तक तो इस साधन से प्राप्त होने वाली आय तिगुनी हो गई।

### ( ३ ) किसानों को कर्ज सम्बन्धी सहायता

१९३७ में ही किसानों के कर्जों की अदायगी रोकने के लिए एक आर्डिनेंस निकालने का विचार किया जाने को था, किन्तु बाद में यह विचार त्याग कर व्यापक आधार पर कर्ज सम्बन्धी सहायता विषयक पुकाराना पास किया गया और कानून-सम्बन्धी प्रबन्ध करने के लिए प्रांत-भर में थोड़े कायम किये गये। परिणाम यह हुआ कि दिसम्बर, १९४४ को समाप्त होने वाले

दूर महीनों में १९४८ जाल्ख रुपये के कर्ज को घटाने के लिए अंजियाँ आईं और उसे घटाकर ४४८.०६ जाल्ख बर दिया गया। कर्ज में यह कमी उसके अलावा हुई, जो कानून के अन्तर्गत निजी सैर पर कर्ज निबटाने के लिए हुई थी।

#### (४) शिक्षा

भारत भर में मद्रास का शिक्षा-सम्बन्धी बजट सबसे विशाल था। यह वृद्धि सुख्यतः रित्रयों व हरिजनों की शिक्षा के विशेष प्रबन्ध के कारण हुई।

मद्रास सरकार ने बुन्यादी शिक्षा के प्रसार में भी ख्र.स दिक्षिणीय स्थानों में वर्धा में एक राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रस्ताव पास करके सुमाव उपस्थित किया गया कि पहले सात वर्ष तक बाल्क की शिक्षा किसी शारीरिक या डरपादन-कार्य में केन्द्रित होनी चाहिए। मद्रास-सरकार ने बुन्यादी शिक्षा का एक ट्रेनिंग स्कूल दक्षिण में खोला और उत्तर में एक दूसरे स्कूल को आधिक सहायता प्रदान की।

#### (५) घरेलू उद्योगों को सहायता

करवे पर बने कपड़े को ग्रोसाइट देने के लिए नियम बनाया गया कि मिल का बना कपड़ा बेचने वालों को लाइसेंस लेना पड़ेगा और करवे का कपड़ा इस प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया। अखिज्ज भाग्यतीय चरखा-संघ के लिए २ जाल्ख रुपये वार्षिकी रकम मंजूर की गई। एक विशेष बोर्ड के जरिये दूसरे घरेलू उद्योगों को भी सहायता प्रदान की गई। मद्रास में एक केन्द्रीय मर्यूजियम खोला गया।

#### (६) हरिजनों की अवस्था में सुधार

दलित जातियों का यह दावा स्वाभाविक था कि उनकी सामाजिक, धार्मिक व आधिक अवस्था में सुधार के लिए सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसलिए उनके रहने का नया प्रबन्ध किया गया अथवा पुराने मकानों में सुधार किया गया। साथ ही जल्दके व जल्द-कियों के छात्रावास के लिए भी अच्छी रकमें दी गई।

‘मजावार-मन्दिर-प्रवेश कानून’ पास किया गया, जिसमें यह विधान था कि यदि किसी राल्लुका के मवर्ण हिन्दू दलित जातियों के मन्दिर-प्रवेश का बहुमत से समर्थन करें तो उस राल्लुके के मन्दिर दलित-जातियों के लिए खोल दिये जायें। इसी प्रकार एक दूसरा कानून ‘मद्रास ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग एयड हैंडेमेनटी’ नाम से पास किया गया। इस कानून-द्वारा मन्दिर के संरक्षकों को अधिकार दिया गया कि सरकार की स्वीकृति मिलने पर वे आईं तो मन्दिर को हरि-जनों के लिए खोलने का निश्चय कर सकते हैं। इस कानून को प्रांत के किसी भी मंदिर पर लागू किया जा सकता था।

नागरिक प्रतिवंधों को एक दूसरे कानून-द्वारा हटाने का प्रयत्न किया गया। इस कानून के पाप होने पर हरिजनों को किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त करने, छिसी सार्वजनिक स्थान से जल्द जैने, सार्वजनिक मार्ग से जाने, सार्वजनिक गाड़ी पर बैठने अथवा छिसी ऐसी गैर-धार्मिक संस्था में भाग लेने से जिम्में साधारण हिन्दू जनता भाग ले सकती है अथवा जो साधारण हिन्दू जनता के लिए है अथवा जिसका व्यय सार्वजनिक कोष से चलता है, रोकना असम्भव हो जायगा। इस कानून में यह भी कहा गया था कि हरिजनों पर जागे किसी नागरिक प्रतिवंध को कोई अदालत न मानेंगी। इसी कानून के अन्तर्गत मधुरा का प्रसिद्ध भीनाली मंदिर खोल दिया गया।

अन्य सुधार-कार्यों में (१) गांवों में जल की उपलब्धिके लिए उत्तम प्रबन्ध करने के लिए

से २६ लाख की एकमुश्त तथा १० लाख की वार्षिक मंजूरी, (२) अौनरेडी मेडिकल सर्विस का संगठन, (३) श्रम-विभाग-द्वारा बेकारों के आवाहों का संबलन (४) सइकार्यता का जांच के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त करना, और (५) सार्वजनिक उपयोगिता के उद्योगों पर राज्य का अधिकार रखना भी थे।

### बम्बई

बम्बई में जर्मांदार नहीं हैं। हसलिए हस्तमरारी बंदोबस्त ने वहाँके कांग्रेसी मंत्रिमंडल के कार्य में बाधा नहीं ढाली। किसानों के कर्ज का भार कम करने के सम्बन्ध में एक कानून हस प्रान्त में भी पास हुआ। इस कानून में सहकारिता समितियों की मध्यस्थता से कर्ज के निवाटे की बात भी समिलित थी। कांग्रेसी सरकार ने एक भूमि-सरबन्धी कानून भी पास किया। बम्बई के प्रान्तीय ग्राम-सुधार-बोर्ड की योजना भी काफी लोकप्रिय हुई। बम्बई-टंचायत कानून के अंतर्गत १,५०० पंचायतें कायम हुईं, जिन्हें फैजदारी व दीवानी के कितने ही अधिकार दिये गये। मद्रास की तरह बम्बई में भी डाक्टरों को सहायता देकर बसाने की, देहाती सदकों के सुधार की ओर जल-उपलब्ध करने की योजनाएँ जारी की गईं।

परन्तु बम्बई-सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्य 'मादक वस्तु नियेध योजना' व श्रम-सम्बन्धी कानून थे। बम्बई में 'मादक वस्तु नियेध योजना' केन्द्रप्रधान थी, जबकि मद्रास में वह जिला-प्रधान थी। मद्रास में वह जिलों से आरम्भ हुई जबकि बम्बई में वह राजधानी ले आरम्भ हुई। कांग्रेसी मंत्रिमंडल की सफलता का महाव कम करने वाले सिर्फ यही नहीं कहते कि उसकी सभी सुधार-योजनाओं की कल्पना अंतःकालीन सरकारों पहले ही कर चुकी थीं, लिंग वे यह भी कहते थे कि कांग्रेस ने 'मादक वस्तु नियेध' सम्बन्धी अपना खट्ट पूरा करने के लिए लोगों पर १६२ लाल का कर लाद दिया। बम्बई-सरकार ने मकान के कर में संशोधन किया जिसकी आधी शताब्दी पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। सत्ताधारियों के इवार्य हतने अधिक थे कि बम्बई की कांग्रेसी सरकार की 'मादक वस्तु नियेध योजना' वास्तव में भारी सफलता ही कही जायगी। आय में जो कमी हुई उसे सरकार ने मकानों के कर में वृद्धि करके पूरा किया। इस कर-वृद्धि के कारण लोनों का छिन्नाना स्वाभाविक था। इमारतों के मुसलमान मालिकों तथा शराब के पासी टेकेदारों पर शराबबंदी का असर पड़ा और वे गुजरापाड़ा मध्ये जागे। परन्तु मंत्रिमंडल ने योजना पर कहाँद से अमल किया और 'मादक वस्तु नियेध' के पहले दिन असाधारण साहस और अभूतपूर्व संगठन-कौशल का प्रिचंच दिया।

बम्बई प्रान्त की धारा-सभा ने जो 'श्रौद्योगिक महादा कानून' पास किया वह वास्तव में एक असाधारण कानून था। उसे गहन अध्ययन तथा श्रमपूर्ण प्रयत्न का परिणाम कह सकते हैं गोकि श्रम-सम्बन्धी अदालत में श्रौद्योगिक महादों के निवाटे की व्यवस्था पहले से थी, फिर भी नये कानून-द्वारा श्रौद्योगिक महादों के निवाटे को और अधिक प्रोत्साहन दिया गया। बम्बई सरकार ने बुनियादी शिक्षा योजना को लोकप्रिय बनाने में खूब दिलबसी ली और इस दिशा में संयुक्तप्रान्त व विद्यालयों में तथा २८ अन्यथा फैले हुए विद्यालयों में जारी कर दी गई। वयस्क शिक्षा के लिए ४०,००० रु से एक बोर्ड कायम किया गया जिसकी देखरेख में १६२ वयस्क शिक्षा के लिए २१,००० रुपये दिये गये। इन विद्यालयों में २१,००० वयस्क शिक्षा प्राप्त करते थे।

बम्बई-सरकार की एक महान् सफलता उन लोगों की जर्मीनें वापस दिखाना था जिनमें १६१०-१२ के सत्याग्रह-आदोलम में जर्मीनें छीनकर सरकार ने अन्य लोगों को बेच दी थी।

इसके लिए प्रान्तीय सरकारों को एक विशेष कानून बनाना पड़ा।

### संयुक्तप्रान्त

किसानों के अधिकारों में सुधार की मांग सबसे अधिक संयुक्तप्रान्त व बिहार से आई थी। प्रान्तीय सरकार ने धारा-सभा में एक विशाल बिल उपस्थित किया जिसमें लगभग ३०० धाराएं थीं। बिल का उद्देश्य भूमि पर किसानों का अधिकार बढ़ाना, सरकार-द्वारा लगान सत्य करना, तथा काश्तकारों पर लगाये गये किटने ही प्रतिबंधों को हटाना था। मंत्रिमंडल के हस्तीका देने के समय यह बिल वाइसराय के आगे उनके हस्ताक्षरों के लिए पहुँचा था और कुछ दिक्कत के साथ ही हस पर उनकी स्वीकृति मिल सकी। मादक वस्तु निषेध योजना से ३७ लाख रुपये की हानि हुई जबकि प्रान्त का कुल राजस्व १५३ लाख था।

निःचरता के विश्वद्व जोशोलन शुरू किया गया। ११४० तक २,३०,००० वयस्क द्यक्ति, जिनमें ६००० रियार्ड भी थीं, साझर बनाये गये। ७००० द्यक्तियों ने अपनी हच्छा से अध्यापन का कार्य किया और इन्हें किये हुए काम के अनुसार पारितोषिक भी दिये गये। हलाहाल बाद में एक बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किया गया और उसके साथ एक स्कूल भी स्थापित कर दिया गया। जिला बोर्ड के अध्यापकों को भी ट्रेनिंग दी गई जिससे वे तूमरे स्कूलों को बुनियादी स्कूल बना सकें। ग्राम की एक विस्तृत योजना अमल में लाई गई। ग्राम-सुधार का विभाग एक अवैतनिक डाक्टरेक्टर की अधीनता में कायम किया गया। गांवों में काम करने के लिए १,२०० वैतनिक कार्यकर्ता रखे गये।

### बिहार

संयुक्तप्रान्त की तरह बिहार में भी भूमि-सम्बन्धी कानूनों के सुधार की मांग जोरों पर थी। एक कानून पास किया गया। जिसके अनुसार लगान को घटाकर १९११ के स्तर तक लाया गया और लगान की बकाया रकमों को काफी कम कर दिया गया। जर्मीनी लगान की वसूली के लिए जिन दमनकारी उपायों से काम लेते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिये गये। कुछ विशेष कदा के काश्तकारों को लगान न देने की अवस्था में भी बेदखल नहीं किया जा सकता। उन्हें बेदखल सिर्फ उसी हाजित में किया जा सकता है जब वे जमीन को खेती के अध्योग्य बना दें। किसानों का कर्ज कम करने के लिए जो कानून पास किया गया उसके परिणामस्वरूप ६ प्रतिशत से अधिक व्याज पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

प्रान्त में आंशिक रूप से मादक वातु निषेध का कार्यक्रम अमल में लाया गया जिसके कारण कुल ११६ लाख के प्रान्तीय राजस्व में से १३ लाख की हानि हुई।

मद्रास की तरह बिहार में भी एक हरिजन मंत्री था। सभा सावर्जनिक स्कूलों व अन्य शिक्षा-संस्थाओं को हरिजन विद्यार्थी दाखिल करने के लिए विवर किया गया। १९३८ में एक बुनियादी शिक्षा बोर्ड कायम किया गया। पटना ट्रेनिंग स्कूल को बुनियादी ट्रेनिंग केन्द्र में परिणाम कर दिया गया। १९३९ में प्रान्त के एक निर्धारित प्रदेश में ५० बुनियादी शिक्षा स्कूल कायम किये गए जबकि संयुक्तप्रान्त में बुनियादी स्कूल प्रान्त भर में दृष्टर-उधर फैले हुए थे। बुनियादी शिक्षा के क्रमशः जारी करने का कार्यक्रम अमल में लाया गया और इसके निरीक्षण का भी समुचित प्रबंध किया गया। मंत्रिमंडल के हस्तीका के समय योजना का कार्य काफी बड़ा चुका था। १९३८ में शिक्षामंडी ने वयस्क साचरता के अन्दोलन का श्रीगणेश किया और इस कार्य के लिए उपलब्ध अध्यापकों व विद्यार्थियों की सेवा से ज्ञान उठाया। इस तरह अप्रैल, १९३८ तक प्रान्त भर में

वयस्क शिक्षा के १४,२५६ केन्द्र कायम हो गये, जिनमें ३,१३,००० व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने लगे। १६४०-४१ में वयस्क-शिक्षा-शास्त्र पर २,०८,००० रु खर्च हुए जबकि पहले वर्ष में १०,००० रु और दूसरे वर्ष में ८०,००० रु खर्च हुए थे।

### मध्यप्रान्त

इस प्रान्त को 'विद्या मंदिर योजना' के कारण विशेष रूपाति प्राप्त हुई। इस योजना की आवश्यक बात यह थी कि स्कूल की अपनी जमीन और अपनी इमारत होनी चाहिए। जहांतक सम्भव हो, जमीन दान के रूप में मिलनी चाहिए। स्कूल का खर्च तैयार की हुई वस्तुओं की बिकी तथा जमीन की आमदनी से चलना चाहिए। १६३६ में ६३ विद्या मंदिर चल रहे थे और उनमें २,४६६ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कुल खर्च ६२,००० रु था जबकि जमीन के टुकड़ों से ही आमदनी लगभग २१,००० रु थी।

मध्यप्रान्त में जेल की भी एक योजना जारी की गई जिसमें राजनैतिक बंदियों की कक्षा उथक् थी। परन्तु यह कानून व्यक्तिगत सत्याग्रह के दिनों भंग कर दिया गया। कर्ज कम करने तथा किसानों के सम्बन्ध का सुधार-कार्य भी मध्यप्रान्त में आरम्भ किये गए।

### उड़ीसा

१६३८ में एक बिल पास हुआ जिसके अनुसार प्रान्त के एक भाग में मालगुजारी की दरें निकटवर्ती जमींदारी लेंत्र की दरों के बराबर कर दी गईं। प्रति रुपये दो आना जमींदार को हरजाने के रूप में भी मिलना था। इसके कारण कुछ जमींदारों को २० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक हानि होती थी। परन्तु इस बिल को गवर्नर-जनरल की स्वीकृति नहीं मिली और इसी बीच मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया।

पृष्ठ-ग्रहण करने के बाद कांग्रेसों मंत्रिमंडलों को मालगुजारी में काफी छूट देनी पड़ी। मद्रास में यह छूट ७५ लाख की दी गई; किन्तु इसके बावजूद भूमि से प्राप्त होनेवाली कुछ मालगुजारी में ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। आसाम में कांग्रेसों मंत्रिमंडल कुछ देर से बना। यहां पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल २५ लाख रुपये की छूट पहले ही दे चुका था किन्तु कांग्रेसों मंत्रिमंडल ने उसे बढ़ाकर ४० लाख कर दिया, जो प्रांत के कुल राजस्व का अष्टमांश था। बम्बई में छंटे जमींदारों को मालगुजारी में काफी छूट देने के बावजूद एक 'लैंड रेवेन्यू प्रैमिडेट एक्ट' पास किया गया जिसके अनुसार मालगुजारी में लैंड देने से छीन लिया गया।

१६३६-३७ में भारत भर में आवकारी से १४,०७ करोड़ रु की आय हुई। कांग्रेसी प्रांतों में कम या अधिक मात्रा में मादक वस्तु निषेध का कार्यक्रम अमल में लाया गया जिसके कारण बजट में कुल १.२ करोड़ रु की हानि का अनुमान किया गया जब कि बंगाल में २१ लाख की वृद्धि का अनुमान किया गया और पंजाब में बिक्री-कर से ७ लाख रु के राजस्व का अनुमान किया गया। मद्रास ने बिक्री-कर २४ प्रतिशत से आरम्भ किया जिससे १६३८-४० में ३४ लाख की और १६४०-४१ में ७२ लाख की आय हुई। अप्रैल १६४० से सलाहकार सरकार ने उसे बढ़ाकर आधा कर दिया; किन्तु फिर बाद में उसे बढ़ाकर १ रु सेकड़ा कर दिया।

किर प्रायः प्रत्येक प्रांत ने चुनी हुई वस्तुओं जैसे तमाख, मोटर-स्पिरिट, मशीनी तेल, विजकी आदि पर बिक्री-कर लगाया। बम्बई ने कपड़े के सम्बन्ध में ऐसा कर लगाने का कानून पास किया; किन्तु कांग्रेसी मन्त्रिमंडल के इस्तीफा देने पर उसे बास्तव में लगाया नहीं गया।

कृषि-आयकर लगाने का प्रयोग केवल आसाम (२४ लाख) व बिहार (१५ लाख)

में ही किया गया; किन्तु वह अधिक-से-अधिक प्रति रूपया २॥ आने तक थी।

बस्तर्व व अहमदाबाद में वार्षिक किराये के १० प्रतिशत की दर से एक कर वहाँकी शहरी अचल सम्पत्ति पर लगाया गया। यह कर म्युनिसिपल दरों के अलावा था।

मध्यप्रांत में २८ रु० और ३० रु० वार्षिक का कर नौकरियों, पेशों तथा रोजियों पर १६३७-३८ में लगाया गया। संयुक्त प्रांत में यह कर २,५०० वार्षिक से अधिक वेतनों पर १० प्रतिशत लगाया जाने वाला था; किन्तु गवर्नर-जनरल ने कानून को अपने सुरक्षित होते में ले लिया। साथ ही पाल्मेट ने कानून में एक नई भारा १२४-ए जोड़ दी जिसके अनुसार यह नियम बना दिया गया कि कोई व्यक्ति किसी प्रांत अथवा स्थानीय संस्था को कुल मिलाकर ४० रु० से अधिक न देगा। इस प्रकार संयुक्त प्रांत की यह योजना सफल नहीं हुई।

संयुक्त प्रांत व बिहार में कारखाने में आने वाले गन्ने पर प्रति मन २ पैसे का महसूल लगा दिया गया जिस प्रकार बंगाल में जूट पर महसूल लगता था। इस महसूल से प्राप्त धन को गन्ने के सुधार पर लगाने के लिए अलग रख दिया गया।

कांग्रेसी प्रांतों के समिक्षित प्रयत्न की एक और बात कहने से बची है। १६३८-३९ में बाबू सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य-समिति ने पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना-निर्माण समिति स्थापित करने का निश्चय किया था। जिस समय यह निश्चय किया गया था, पं० जवाहरलाल हैंगलैंड में थे। समिति ने देश के बड़े तथा छोटे घरेलू उद्योगों की जांच करने तथा उनकी उच्चति के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए अनेक उप-समितियाँ कायम करदीं। इस तरह कार्य आरम्भ हुआ। २ व ३ अक्टूबर, १६३८ को दिल्ली में उद्योग समितियों का एक सम्मेलन सुमाप बाबू की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन-द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय योजना-निर्माण-समिति की बैठक १० दिसम्बर को हुई जिसमें मैसूर, हैदराबाद व बड़ौदा के भी प्रतिनिधि मौजूद थे। समिति ने २३७ प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की जिसे देश भर में वितरित किया गया। समिति को प्रांतीय सरकारों से सहायता प्राप्त हुई और १६३९ में उसके पास ३७,००० रु० थे। समिति की बैठक जून, १६३९ में फिर हुई। समिति स्वाधीन भारत के विचार से योजना बना रही थी। ३१ उप-समितियाँ भी कायम की गईं जिनमें सभी प्रांतीय-सरकारों के अलावा हैदराबाद, मैसूर, भोपाल, बड़ौदा, द्रावनकोर व कोचीन रियासतों के भी प्रतिनिधि समिलित थे; परन्तु कांग्रेसी समिति-मण्डलों के हस्तीका देने पर प्रांतीय सरकारों ने सद्यता देने से हनशार कर दिया। समिति की तीसी बैठक मई, १६४० में हुई; परन्तु सभी उप-समितियों की टिपांटे तैयार नहीं थीं। समिति की कार्यवाही का मुकाब रहा, उद्योगों, बड़े-बड़े व्यवसायों, सर्वजनिक उपयोगिता के उद्योगों के राष्ट्रीय रूपण को ओर था। साथ ही वह सङ्कारिता के आधार पर जेरी की उन्नति करने और देहाती दस्तकारियों व घरेलू उद्योगों की समूहिक रूप से रक्षा करने व उनके प्रोत्साहन की समर्थक थी।

### उपसंहार

मन्त्रियों के कार्य की बाइसराय व गवर्नरों ने सिर्फ सराहना ही नहीं की बल्कि बिना किसी संक्षेप के खुले दित्र से सराहना की। लाई लिनलिशगो ने जो यह कहा था कि प्रांतीय सरकारों ने “‘अपने कार्य का संचालन बड़ी सफलतापूर्वक किया’” इस पर कोई भी सन्देश नहीं आया। इन प्रस्तावों में शासन-सूत्र चाहे जिस राजनैतिक-दब के हाथ में रहा हो; जनता

पिछले छाई वर्ष के सार्वजनिक कार्य की सफलता पर संतोष कर सकती है। खाद्य क्रियाएँ ने अपने पद से अवकाश प्रदाय करने के बाद साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में लिखा था:—

“मेरे मत से साम्प्रदायिक समस्याओं के विषय में कार्रवाई करते समय साधारण रूप से मंत्रियों ने निष्पक्ष दृष्टिकोण से काम लिया और जो उचित जान पक्ष वही करने की इच्छा का प्रदर्शन किया। सच तो यह है कि कार्यकाल के अन्तिम दिनों में हिन्दू-महासभा उनकी यह आज्ञोचना किया करती थी कि वे हिन्दुओं के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे गोकि इस आज्ञोचना के लिए कोई न्यायपूर्ण आधार था नहीं।”

सच तो यह है कि जब अक्टूबर, १९३६ में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दिया तो बाह्यराय व गवर्नर हसपे खुश नहीं थे और यह एक आमतौर पर जानी हुई बात है कि उन्होंने कांग्रेसी मन्त्रियों से अपने पदों पर बने रहने का अनुरोध किया। परन्तु उनकी इस सद्भावना से कहीं अधिक बलवती युद्ध-प्रयत्नों में भाग लेने से पहले देश को आजादी देने की शर्त थी। कांग्रेसी मन्त्रियों का सब से बड़ा अपराध यही था कि वे आजाद व्यक्तियों के रूप में झुरीराष्ट्रों से लड़ना चाहते थे और अपने घर में खुद गुलाम रहते हुए विदेशियों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने से उन्होंने हनकार कर दिया था। इस इटि-कांग का परिणाम यह हुआ कि गवर्नर उनसे नाराज हो गये और उसो समय से भारत मन्त्री, वाइसगवर्नर, गवर्नर और बाद में सर स्टैफर्ड क्रिस्ट व उनके दल के साथी भी कांग्रेस को तानाशाही संस्था बताकर उसपर कीचड़ उछालने लगे, कार्य-समिति को हाई कमांड कहने लगे, कांग्रेसी नियंत्रण को केन्द्रीय निरंकुशता व कांग्रेस को एकाधिकारपूर्ण संस्था कहने लगे।

: २८ :

## प्रान्तों में प्रतिक्रियावादी कार्य

अक्टूबर व नवम्बर, १९३४ में कांग्रेसी मंत्रियों के हस्तीफा देने पर, जैसों कि आशा की जाती थी, प्रान्तीय सरकारों ने कुछ प्रतिक्रिया कार्य किये। कांग्रेसी मंत्रियों के हस्तीफे के बाद प्रान्तीय शासन का कार्य गवर्नरों के सत्ताहकारों को मिला और उनसे यही आशा की जा सकती थी। मद्रास में सबसे पहला कार्य 'मादक वस्तु-निषेध' के लिए विस्तार रोकने का किया गया और इसके लिए युद्ध का बहाना बताया गया। दूसरी तरफ विकी-कर को घटा कर आधा कर दिया गया। बाद में यह कर मूल दरों की अपेक्षा दुगुना कर दिया गया और फिर कमशः बजट से इसका नाम-निशान ही मिट गया। खद्दर के लिए सहायता जारी रखो गई—गोक्ति रकम में कमी जहर हो गई। बिहार में 'मादक वस्तु-निषेध' की नीति में एक मौजिक परिवर्तन हुआ जैसा कि निम्न-विज्ञप्ति से स्पष्ट हो जायगा:—

"सरकार ने 'मादक-वस्तु-निषेध' उठा लेने का निश्चय नशे की चीजों की नाजायज आमद बढ़ने के कारण किया है। इस कार्रवाई के कारण सरकार को जहाँ एक तरफ १६ से २० लाख रुपये तक अतिरिक्त आय होगी वहाँ दूसरी तरफ 'मादक वस्तु निषेध' के सिलविले में जो कर्मचारी रखे जाते थे उन पर होनेवाले खर्च की भी बचत हो जायगी।"

शिल्षा की वर्धा-योजना व विद्या-मंदिर योजना से सिर्फ साक्षरता की ही वृद्धि नहीं हुई बल्कि इससे एक ऐसी बुनियादी शिल्षा का प्रचार हुआ। जिसका राष्ट्रीय जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध था और जिसकी वजहे उन्नति होने दी जाती तो युद्ध के दिनों में कपड़े की जो कमी हो गई थी वह न होने पाती। बिहार और संयुक्तप्रान्त ने निरक्षरता की जड़ खोदने का संकल्प कर लिया था। बिहार में मुख्य प्रयत्न अध्यापकों की सहायता से हुआ। संयुक्तप्रान्त ने १००० वयस्क विद्यालयों, ४,००० चर्चाएं-फिरते पुस्तकालयों और ३,६०० नि.शुल्क वाचनालयों-द्वारा एक मनो-रंजक प्रयोग आरम्भ किया था। हर शिल्षित व्यक्ति से एक व्यक्ति को साज़ करने का वचन लिया जाता। इस प्रतिवारत्र पर लाल व्यक्तियों ने हस्ताचर किये। इस प्रकार उम्मोद बंधी कि २० साल में निरक्षरता नष्ट हो जायगा। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के हस्तीफे से हनमें से कितनी ही योजनाएं बेकार हो गईं।

संयुक्तप्रान्त में तो गति पीछे की तरफ आरम्भ हो गई। कांग्रेसी वजारत के दिनों में प्रान्त ने निरक्षरता मिटाने के लिए एक सांहसर्य कदम डाया था। भारत में संसार की एक-विहाई निरक्षर जनता है। सावर कहे जानेवाले व्यक्तियों में ऐसे भी शामिल हैं जो दिक्षकत से लिख या एह सकते हैं और इससे भी अधिक ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो सिर्फ हस्ताचर ही कर सकते हैं। अभ्यास छूट जाने पर साक्षर व्यक्तियों में से बहुत से निरक्षर हो जाते हैं।

सरकारों के शासनकाल में शिल्षा-चेत्र में भी हस्तहेप हुआ। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध

खिलाफ़-नेता सर चिमनलाल सीतलवाद के, जो बम्बई विश्वविद्यालय के वाइस-चॉस्लर रह चुके हैं, भाषण का एक अंश उल्लेखनीय है। यह भाषण सर चिमनलाल ने बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों पर प्रान्त के शिक्षा डाइरेक्टर-द्वारा नियंत्रण कायम करने के प्रयत्न का प्रतिवाद करने वाले प्रस्ताव के समर्थन में दिया था। आपने कहा—‘यह विश्वविद्यालय अपनी तथा अपने से सम्बद्ध कालेजों की प्रबन्ध सम्बन्धी स्वतन्त्रता के अधिकार के विषय में अडिग रहा है और इस अवसर पर भी रहेगा।’ सर चिमनलाल ने बताया कि शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर ने गत वर्ष अनुशासन के सम्बन्ध में दो गश्ती चिट्ठियाँ भेजी थीं और उन्होंने अहमदाबाद के कलिपय विद्यार्थियों के सम्बन्ध में ये आदेश निकाले थे कि जब तक उनके प्रिसिपल कुछ प्रश्नों का उत्तर देना स्वीकार न कर लेंगे तब तक विद्यार्थियों को उनकी छात्रवृत्तियाँ न दी जायंगी। शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर का कहना था कि इस प्रकार का आदेश वे विश्वविद्यालय का नूतन के अन्तर्गत निकाल सकते हैं। सर चिमनलाल का कहना था कि सरकार से सहायता पाने वालों संस्थाओं से वे कुछ बातें पूछ सकते हैं; किन्तु जिन संस्थाओं से शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर ने पूछताछ की है उनसे नहीं। जिन संस्थाओं को सरकार से सहायता नहीं मिलती उनसे पूछताछ करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। विश्वविद्यालय व कालेज सरकार के नियंत्रण से जितने ही सुकर होंगे उतना ही उच्च शिक्षा की प्रगति के लिए अच्छा होगा। सर चिमनलाल सीतलवाद ने बताया कि यही वात सर ऐतेक्जेंडर ग्रांट ने बम्बई के गवर्नर सर बार्टले फ्रैरी से बिदा लेते समय कही थी जो १८६६-६७ में बम्बई प्रान्त के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर व बम्बई विश्वविद्यालय के वाइस-चॉस्लर थे।

सर चिमनलाल सीतलवाद ने बम्बई के गवर्नर सर जार्ज क्लार्क-द्वारा १६०८ में विश्वविद्यालय के कार्य में हस्तक्षेप की एक घटना का विवादा दिया। सर जार्ज मैट्रिश्युलेशन परीक्षा को लोडना चाहते थे, परन्तु लार्ड विलिंगडन के गवर्नर होने पर इस फ़रार का सदूभावनापूर्वक निष्ठारा हो गया।

१६२० में एक और घटना हुई। उन दिनों सर चिमनलाल खुद बम्बई विश्वविद्यालय के वाइस-चॉस्लर थे। बम्बई के गवर्नर सर जॉर्ज लॉयड ने पत्र लिखा कि विश्वविद्यालय को अपनी बड़ी एक निर्धारित तारीख तक ठीक कर लेनी चाहिए अन्यथा सरकार खुद उसे सुधरवाने का प्रबंध करेगी। विश्वविद्यालय की सिंडीकेट ने उत्तर दिया कि वही विश्वविद्यालय की सम्पत्ति है और सरकार की तरफ से उत्ते हाथ लगाया जाना सहन न किया जायगा।

अंत में सर चिमनलाल ने कहा कि यह प्रस्ताव उपस्थित करते हुए उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। आपने कहा कि शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर सीनेट के सदस्य तथा उनके मित्र हैं और उन्हें अपनी गलती मंजूर कर लेनी चाहिए।

आसाम के प्रधानमंत्री डिप्यूगढ़ जिजे में राष्ट्रीय युद्ध-मार्चें की एक बैठक में बड़ी दुविधा में पड़ गये। उन्होंने जनता से कहा कि उसे अपनी करड़े की समस्या चरखे की सहायता से इस करनी चाहिए। जनता ने कहा कि पिछले ही साल आपके पुलिस के सिराहो हमारे चरखे तोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने वचन दिया कि यदि सबूत मिला तो वे इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करेंगे।

मद्रास की मादक वस्तु-निवेद-नीति में बड़ा प्रतिक्रियापूर्ण परिवर्तन हुआ। मद्रास या किसी दूसरे स्थे में मादक वस्तु-निवेद की नीति की शुरुप्रात बिना किसी गम्भीर स्रोत-विचार के

नहीं की गई थी। यह ठीक है कि कांग्रेसजन उसके खासतौर पर हामी थे। लेकिन स्मरण किया जा सकता है कि केन्द्रीय असेम्बली में १९२५ ही में सभी गैरसरकारी सदस्यों के समर्थन से एक प्रस्ताव मादक वस्तु-निषेध के सम्बन्ध में पास हो चुका था। बाद में १९२८ में सभी प्रान्तीय धारा सभाओं ने मादक वस्तु-निषेध के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया। १९२८ में कलकत्ता के सर्वदल सम्मेजन में विधान का जो मसविदा तैयार किया गया था उसमें भी मादक वस्तु-निषेध को स्थान दिया गया। १९३१ में कराची के अधिवेशन में मौखिक अधिकारों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया गया था उसमें भी इसका उल्लेख था। मद्रास के मादक वस्तु-निषेध कार्यक्रम में हस्तक्षेप कितनी बड़ी दुखद घटना थी वह इस बात से जाना जा सकता है कि कार्यक्रम का प्रभाव ४ जिलों व २४, ००० ग्रामोंमें रहनेवाला ७० लाख जनता पर पड़ रहा था और इसी समय ताड़ी को ६००० दूकानें फिर से खोल दी गईं।

मद्रास-सरकार ने मादक वस्तु-निषेध उठाने के सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति प्रकाशित की थी वह पढ़ते हो बनती है। कहा गया है कि नाजायज सूत्र से ताड़ी तैयार करने के ६००० मामले हर साल पछड़े जाते हैं। लेटिन इसका आंसूत १२ देविन के हिसाब से पड़ता है। यह देखते हुए कि 'मादक वस्तु-निषेध-कार्यक्रम' ४ बड़े जिलों में किया गया है और यह करने से पूर्व हम अनैतिक कार्य से लाभमग १ करोड़ का आय होतो थी, यह आंसूत अधिक नहीं जान पड़ता। एक ज्ञान के लिए मान लोजिये कि ताड़ी नाजायज तौर पर तैयार की गई तो क्या खुद सरकार ही उन्हें ताड़ी पाने के लिए निमंत्रण दे, उनके घरों के पास ताड़ीघर खुत्तवाये और शैतानियत का नंगा नाच होने दे। नाजायज तौर पर ताड़ी बनाये जाने के आंड़ों से तो मादक वस्तु-निषेध की सफलता का ही पता चलता है न कि उसकी असफलता का। चिकाल से मद्रास सरकार को सलेम, चित्तूर, कुद्दपा व उत्तर अर्कांट जिलों की खियों की बदूब्राएं मिल रही थीं। अब उसे अनंतपुर जैसे शेष जिलों की खियों की बुआएँ मिलने को थीं; इयांक खालकर अनंतपुर के लोग अपने यहाँ मादक वस्तु-निषेध किये जाने की आशा लगाये बैठे थे और इसी आशा में जिले के कुछ भागों में अपने ही आप ताड़ीबन्दी हो भी चुकी थे। परन्तु इस अभागी तहसील को यह गौरव अधिक दिन न मिल सका। सरकार ने नशाबंदी उठाने के सम्बन्ध में अकाल, बाढ़, बजट का बाटा व मुद्रा-व्यवस्थ के जो कारण दिये हैं वे बहाने ही अधिक हैं। इससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि सरकार ने नशाबंदी इसलिए उठाई कि उसमें नेतिक भावना का प्रभाव था और समाज-मुधार के कार्य में नेतिक भावना का महत्व होता है।

दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि नाजायज तौर पर 'अड़क' बनाई जा रही थी, जिसके सम्बन्ध में निषेध जारी था। फिर 'अड़क' नाजायज तौर पर बनाई जाने से ताड़ी बनाने की अनुमति देने की बात कहाँ से पैदा हुई! यह नहीं कहा गया कि ताड़ी नाजायज तौर पर बनाई जाता है इसलिए ताड़ी बनाने की अनुमति दे देनी चाहिए। एक आदमी नारियल चुराने के लिए पैद़ पर चढ़ा; फिन्तु जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा कि मैं पैद़ पर नारियल चुराने नहीं बल्कि धास छलने गया था। मद्रास सरकार को सकाई भी इसी तरह की थी। यदि नशाबंदी कानून तोहने के लिए ताड़ी नाजायज तौर पर बनाये जाने का कारण दिया जाता है तो क्या इस बात से इनकर थोड़ी ही किया जा सकता है कि नशाबंदी न होने पर भी तो नाजायज तौर पर ताड़ी बनती थी। फिर भावकारी कानून को किस आधार पर तोड़ा जा सकता है। श्री राजगोपालाचारी ने ठीक ही कहा है कि ताड़ी नाजायज तौर पर बनाये जाने का कारण नये का प्रेम नहीं बल्कि रुपये

का लोम है। मद्रास-सरकार का कार्य तो उस आदमी के पागबपन के समान हुआ जिसने चूंहों से वीछा छुड़ाने के लिए अपने घर में ही आग लगा दी।

मुद्रा-बाहुल्य के कारण नशेबंदी के हटाये जाने का तर्क पढ़कर हम हँसें या रोयें? एक चण के लिए मान खोजिये कि नशाखोरी के शिकार होने वाले लोगों के पास पैसा ज्यादा है। वास्तव में ये लोग भूखों मरते हैं। तो क्या उनका पैसा खर्च करने के लिए ताड़ी की दूकानें खुलावा छचित होगा? यदि पियकड़ लोग पैसा खर्च करते हैं तो वह ताड़ी के ठेकेदारों में ही हाथों में आकर हक्टा होता है और वहाँ उसके तुहपयोग होने की अधिक सम्भावना है। यह कह देना काफी नहीं है कि पेड़ों पर कर लगा दिया जायगा। सभी जानते हैं कि मद्रास-सरकार को नशे से सिर्फ़ ४ करोड़ की ही आमदनी होती है; किन्तु नशाखोरों को जगभग १७ करोड़ की रकम खर्च करनी पड़ती है। इस भारी धन-राशि की तुलना में साइरेंस की फीस या पेड़ों का कर वित्तना होगा? सरकार ने मुद्रा-बाहुल्य का सामना करने के लिए तो 'केंश सर्टिफिकेट' की विक्री की थी जिन्हें युद्ध के बाद फिर भुगताया जा सकता था। इसके अलावा, सरकार के लिए नशे का रुपया और विक्री-कर दोनों ही पर दावा करना कहाँ तक उचित था? विक्री का कर तो कांप्रेसी सरकार ने मादक वस्तु-निषेच की हानि को पूरा करने के लिए लगाया था। नया कर चोंड़े खरीदने वालों पर पड़ता था; किन्तु इसके ऐवज़ में उन्हें नशे से छुटकारे का नैतिक लाभ होता था। परन्तु नैतिक-शाही तो दोनों ही हाथों से पेट भरना चाहती थी। उसने नैतिक विचार को तिलांजिल दे दी। सबाहकारों की सरकार ने धारा-समा की अनुमति दिये बिना यह परिवर्तन करके अपने अनैतिक दृष्टिकोण का परिचय दिया और अपने इस दावे का खालिलापन प्रकट कर, दिया कि नौकरशाही को सर्वसाधारण की भलाई का खयाल रहता है।

मद्रास की बदनाम नौकरशाही ने सिर्फ़ नशाबंदी उठाकर ही दम नहीं लिया। उसने शिक्षा के लेने में ऐसा नियम बनाया कि राजनीतिक आनंदेलन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का कॉर्डेज या स्कूल में दाखिल होने से पहले शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर की अनुमति लेनी पड़े। स्थानीय शासन के लेने में नौकरशाही ने जिलों के कलाकरों को अधिकार दिये कि वे चाहें तो जिला बोर्ड तथा म्यूनिसिपल बोर्ड के छछ सदस्यों को चेयरमैन या वाइस चेयरमैन के अधिकार दे सकते हैं। कोनद म्यूनिसिपलिटी ने म्यूनिसिपल कानून के इस प्रकार संशोधन की निनदा की और विरोध में डस्के चेयरमैन व वाइस-चेयरमैन तथा अन्य किन्तु ही सदस्यों ने इस्तेमाल भी दे दिये।

#### साम्प्रदायिकता

सिंध के म्यूनिसिपल चुनावों के हिन्दू निर्वाचन तंत्र इस बिना पर भंग कर दिये गये कि हिन्दू-निर्वाचनसेवा काकिस्तान की भावना के लिखाफ हैं। कास्मीर में मुस्लिम कन्फरेंस ने कहा कि यदि किसी मामले में कोई एक पक्ष सुप्रलमान हो तो उस मामले का फैसला मुस्लिम जज द्वारा ही होना चाहिए।

#### हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी

भारत में स्थानीय संस्थाओं के लिखाफ जो प्रतिक्रियापूर्ण कार्य हुए उनमें सबसे उल्लेखनीय जून १९४४ में हावड़ा म्यूनिसिपलिटी के लिखाफ की गई कार्रवाई थी। दूसरे स्थानों पर तो यह कहा जा सकता था कि प्रतिक्रियापूर्ण कार्य धारा ६३ के अनुसार स्थापित सरकार द्वारा किये गये थे; किन्तु बंगाल में तो पहले श्री कफ़लुज़ और फिर दूर नाझिमुदीन की अधीक्षता में लोकप्रिय सरकारें काम कर रही थीं। बंगाल के गवर्नर

सर जान हर्डी ने मृत्यु से पूर्व अपना अन्तिम कार्य नाड़ीमुद्रीन मंत्रिमंडल की स्थापना किया था और सबसे विचित्र बात तो यह थी कि एक मन्त्री श्री पेन, जो हरिजनों के प्रतिनिधि थे, मन्त्री रहते हुए भी हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन बने हुए थे। इससे कार्पोरेशन के सदस्यों में विद्रोह की भावना भड़क उठी और उन्होंने मम्मी-चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित कर दिया। प्रस्ताव पास हो गया और एक पृजीव्यूटिव अफसर भी नियुक्त कर दिया गया। सरकार ने इस कार्रवाई का सुकावला करने के लिए भारत-रक्षा-विधान के अन्तर्गत म्यूनिसिपैलिटी को अपनी अधीनता में कर लिया। तब हाईकोर्ट में एक दरख्तास्त दाखिला की गई कि एकजीव्यूटिव अफसर कार्य न कर सके। यह कहा गया कि भारतरक्षा नियमों की सहायता इसलिए ली गई कि विशेषाधिकार कानून के अन्तर्गत म्यूनिसिपैलिटी को दबाने के लिए घूसखोरी या बढ़ावन्तजामी के आरोप करना आवश्यक था जो प्रांतीय सरकार कर नहीं सकती थी। खैर, हाईकोर्ट ने एकजीव्यूटिव अफसर पर पांचांदी लगाने की बात अस्थायी रूप से मंजूर कर ली। परन्तु बाद में प्रकट हुआ कि एकजीव्यूटिव अफसर के हटने ही से काम न चलेगा; वर्णोंकि सिफ हस्ते म्यूनिसिपैलिटी को अधिकार फिर न दिये जा सकेंगे। अस्तु, सरकार को मामले का फरीक बनाया गया और तब पहले वाली म्यूनिसिपैलिटी-फिर से काम करने लगी।

अदालत में उठाये गये एक हलफनामे से एक मनोरंजक बात यह जाहिर हुई कि मन्त्री-चेयरमैन ने कार्पोरेशन के कुछ सदस्यों को यह धमकी दी कि यदि अविश्वास का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो म्यूनिसिपैलिटी सरकार की अधीनता में चली जायगी और इस संबंध में सरकार का आदेश भी उनके पास है। जटिल इजलें को इससे काफी परेशानी हुई कि एक ऐसा व्यक्ति म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन बना हुआ है, जो मन्त्री नियुक्त किया जा चुका है।

#### स्थानीय संस्थाओं की प्रतिक्रिया

किसी राष्ट्र को तब तक आजादी नहीं मिल सकती, जब तक उसकी संस्थाओं में इसकी उत्कंठा जाग्रत नहीं होती। भारत में सार्वजनिक कर्मचारी आजादी के लिए अपने पदों का मोह स्थाग नहीं पाये। इसका कारण यह नहीं है कि सरकारी कर्मचारी राजभक्त हैं, बल्कि इसके विपरीत उनके मन में भी असंतोष की घटाएं विरा करती हैं। बात यह है कि अंग्रेजी शिक्षा ने उनमें प्रताधीनता की भावना भर दी है जिसके कारण उनमें स्वार्थपरता व दबूपने की प्रवृत्तियां बढ़ गयी हैं। यही बात भारतीय सेना में देशभक्ति की भावना के अभाव के सम्बन्ध में कही जा सकती है। पेट की जरूरत के कारण देशभक्ति का कला धोंट दिया जाता है। जरंदी विवाह हो जाने तथा जीविका-निर्वाह का कोई दूसरा लाभदायक साधन न होने के कारण पराधीनता की छाँदना का अनुभव करने वाले युवकों को भी संना में भरती होना पड़ता है। परन्तु जब वे सेना से बाहर आते हैं तो उनमें असंतोष की मात्रा दस गुनी बढ़ जाती है।

इस तरह लोकमत सिर्फ स्थानीय संस्थाओं-द्वारा ही प्रकट हो सकता है। भारत पूर्ण स्वराज्य चाहता है या नहीं, इसका उत्तर स्थानीय संस्थाओं की कार्यवाही से प्राप्त किया जा सकता है। आधी से कम म्यूनिसिपलिटीयों व स्थानीय बोर्ड राष्ट्रीय फंडा फहरा कर, कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करके या कांग्रेसी नेताओं की रिहाई का अनुरोध करके राष्ट्रीय मांग का समर्थन कर चुकी हैं। इनमें से अधिकांश स्थानीय संस्थाओं से अपने प्रस्ताव वापस लेने को कहा गया और ऐसा न करने पर उनके अधिकार छीन लिए गये अथवा वैतनिक अफसर शासन-प्रबन्ध के लिए नियुक्त कर दिये गये या कुछ स्थानों में गौर-सरकारी व्यक्तियों को स्थानीय संस्थाओं के

भन व कर्मचारियों के प्रबन्ध का कार्य सौंप दिया गया।

हन हजारों स्थानीय संस्थाओं में अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी भी है। अहमदाबाद भारत के सब से बड़े शहरों में से है। उसको जनसंख्या ६ लाख है और म्यूनिसिपैलिटी को ५० लाख संघर्ष की आय प्राप्त होती है। बाईस वर्ष तक कांग्रेस इस म्यूनिसिपैलिटी के कार्य का संचालन करनी रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल इसके पहले कांग्रेसी चेयरमैन रहे और पांच वर्ष तक उन्होंने इसका काम किया। किंविद्युत में बारदोली का करबंदी आंदोलन छिड़ने पर उन्हें अपने इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह म्यूनिसिपैलिटी १९४२-४३ तक अपने भारत-सम्मान की निरन्तर रक्षा करती रही। प्रारम्भिक कक्षाओं के १००० अध्यापक बाहर कर दिये गये और स्कूल बोर्ड बनाए रखा गया। कांग्रेसी नेताओं की रिहाई तक कर्मचारियों ने काम करने से इन्हाँर कर दिया। कांग्रेशन को शानदार हमारत पर राष्ट्रीय फंडा कहराता रहा और पुलिस के उसे हटाने पर कर्मचारियों ने तब तक काम करने से इन्कार कर दिया जब तक कि मण्डा फिर से न कहरा दिया जाय। कुछ उच्च कर्मचारियों पर राजनैतिक आधार पर काम छोड़ने पर सुकदमा भी चलाया गया। एक हूँजीनियर को मातहत-आदालत ने सबा भी दी; लेकिन अपील करने पर उसे छोड़ दिया गया। नागरिकों ने भी कम देशभक्ति का परिचय नहीं दिया। उन्होंने अहिंसामरूप से स्थापइ-आंदोलन चलाया। गोधीजी व उनके साथियों की गिरफ्तारी की तारीख पर हर महीने जुलूम निकालकर प्रतिवन्ध-सम्बन्धी आनंदेश को भेंग किया जाता था। हर महीने गोली चलती थी और कहा यही जाता था कि जनता के ढेजे फेंकने पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हर महीने जुलूम निकलता और जनता प्रसन्नतापूर्वक परिस्थिति का सामना करती। नगर तथा म्यूनिसिपैलिटी ने ऐसा काम किया कि इनका नाम स्वाधीनता-संग्राम के हतिहास में अवश्य लिखा जाना चाहिए। ये सभाएं और जुनूम सिर्फ राजनैतिक प्रदर्शनमात्र नहीं होते थे। नोचे एक शिलांविद् का मत दिया जाता है जिससे प्रहृष्ट होता है कि कांग्रेस का यह उपर्योगी कार्य निर्वाचित कमेटी के स्थान पर नियुक्त नयी कमेटी के शासन-प्रबन्ध में भी जारी रखा गया।

“अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड ने उत्तम कार्य किया है। लगभग ६२ ‘बाल्य-सहकारिता-समितियाँ’ हैं। मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने का विशेष ध्यान रखा जाता है; किन्तु मुस्लिम अध्यापिकाओं की सचमुच कमी है।

‘पिछवी हुई जातियों के विद्यार्थियों की संख्या में ४० प्रतिशत त्रृद्धि हुई है। इस कार्य का श्रीगणेश कांग्रेस के प्रभाव के कारण हुआ था और यह अब भी (जुलाई, १९४३ में) जारी है। कार्य का सब से मनोरंजक अंश विद्यार्थियों-द्वारा की जानेवाली दस्तकारी है। बारावाला में बड़ा अद्वा सोखता, रनपुर में चटाइशं और मोडासा में मोमबत्तियाँ बनायी जाती हैं। धोलका में कताई का उत्तम प्रबन्ध है। परन्तु दस्तकारी के विद्यालय का सर्वोत्तम उदाहरण अम्बली में है जो अहमदाबाद से १० मील दूर है। उसमें खेती, बढ़ीगोरी, ठठेरे का काम और हाथ की बुनाई की शिक्षा दी जाती है। उत्पादन का अधिकांश विद्यार्थियों में ही बैंट दिया जाता है। प्रथेक विद्यार्थी अपने खिए कपड़ा प्राप्त करने के अलावा ४०) वार्षिक कमा लेता है। यह उत्तम कार्य अहमदाबाद-ज़िला स्कूल-बोर्ड के प्रबन्धक राबसाहब प्रीतमाराय थी० देसाई की देल्ही-रेल में होता है जो अहमदाबाद सहकारिता के आधार पर गृह-निर्माण के खिए प्रसिद्ध है। गुजरात के सभी स्कूल-बोर्डों को इस उदाहरण से जाभ उठाना चाहिए।

गुजरात के भूमिसिपल चुनावों में कांग्रेस की विजय होने पर सरकार ने अहमदाबाद के प्रबन्ध के लिए १० सदस्यों की एक समिति कायम की, जिनमें ५ मुसलमान और २ में से २ हिन्दू सरकारी वकील, १ हरिजन, १ रायवादी और पांचवां पारसी था। मुस्लिम सदस्यों से ज्ञात हुआ कि उन्होंने तीन वर्ष के लिए नियुक्त की आशा की थी जब कि सरकारी आज्ञा-पत्र में “अगला आदेश होने तक” शब्द लिखे हुए थे।

#### कलकत्ता कार्पोरेशन

सर ज़ीमुद्दीन की वजारत कायम होने से बंगाल-असेम्बली के यूरोपियन दल को अपनी शक्ति का अनुभव हुआ और तब उसने कलकत्ता कार्पोरेशन की ओर भी ध्यान दिया। कार्पोरेशन को एक छोटा प्रान्त कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी आय चार करोड़ के लगभग थी। कार्पोरेशन की प्रधानता विभिन्न दलों के मण्डे का मुख्य कारण भी इह चुकी थी। यूरोपियन एसोसियेशन की कलकत्ता-शाखा ने जल-उपलब्धि तथा सफाई के सम्बन्ध में कार्पोरेशन के प्रबंध की कही आज्ञा-चना की और कहा कि कार्पोरेशन के कुर्बान के काण कलकत्ते के नागरिकों तथा सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए संकट उपस्थित हो गया है। इस आधार पर यूरोपियनों ने अनुग्रेद किया कि कलकत्ता भूमिसिपल एक्ट की १५ से १८ धाराओं के अंतर्गत कार्पोरेशन का प्रबंध अधिक जिम्मेदार व्यवितरणों को संभाल दिया जाय।

कार्पोरेशन के प्रबंध में पहले जो भी वृद्धि रही हो, पर जिस समय का यह जिक्र है उस समय उसे विशेष करिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसको लारियां सेना के अधिकारियों ने ले ली थीं जिसका परिणाम यह हुआ था कि कार्पोरेशन के पास कृषि-कर्कट आदि शहर के बाहर ले जाने के लिए गतायात के साधनों का अभाव हो गया था। वाटर-वर्स की मरीनों के लिए कोयला की जरूरत थी और अधिकारी आवश्यक मात्रा में कोयला पहुँचा नहीं रहे थे। जबकि १६, जुलाई, १९४४ तक कार्पोरेशन को होयले के २५० डिन्डे भिजाने चाहिए थे, उसे मिले सिर्फ १० ही डिन्डे थे और यह आशंका उत्पन्न हो गयी थी कि यदि कोयला मंगाने का तुरन्त प्रबंध न किया गया तो कलकत्ते में दानी मिलना विकुल बन्द हो जायगा; क्योंकि उपर्युक्त तारीख को सिर्फ १७ दिन का कोयला बचा था, कलकत्ता के यूरोपियन सिर्फ यही आज्ञा-चना करके शान्त रहीं हो गये। उन्होंने कार्पोरेशन की आज्ञा-चना इसलिए भी की कि भिलारी कूदे के देरों में से अब चीना करते हैं और सहारों पर लाएं पढ़ी रहती हैं और बन्हें उडाया नहीं जाता। अब की कमी के कारण भूखे कूदे के देरों तक जाते थे और लोग देहातों से भाग-भागकर शहर में आ रहे थे। यूरोपियन लोग जगा भी सोचते तो उन्हें पता चल जाता कि ये सब बातें युद्ध-परिस्थिति के परिणामस्वरूप थीं, जिसके सम्बन्ध में वे खुद ही कहते थकते न थे।

इस सिद्धान्त में इंडिलैंड की स्थानीय संस्थाओं की चर्चा काना असंगत न होगा। वहाँ भी घूमखोरी की आशंका होती है; किन्तु बोटरों के द्वारा से इसका बचाव होता रहता है। स्थानीय शासन का सुधार उसी हालत में सम्भव है जब बोटरों के हित को सबसे ऊपर रखा जाय। वहाँ ३० प्रतिशत चोट पड़ना साधारण बात है।

भारत में पहले तो स्थानीय संस्थाओं के जेल में पड़े सदस्यों के स्थान-रिक्त होने की घोषणा की गयी अथवा कुछ स्थानीय संस्थाओं का शासन-प्रबंध अपने अधिकार में कर लिया गया और फिर बोटरों को अपने अधिकार से काम लेने का अवसर देने के लिए नये चुनाव की घोषणा की गयी। ऐसे चुनावों में दो उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एम्बर्ड शहर में १५ स्थानों

के और बंगलौर शहर में २४ स्थानों के फिर से चुनाव किये गये। बम्बई में कुछ १५ स्थानों पर तथा बंगलौर में २४ स्थानों पर फिर कांग्रेसी उम्मीदकार ही चुने गये। बम्बई में हिन्दू महासभा, परिगणित जाति या लोग के उम्मीदवारों को खदा करने का प्रयत्न किया गया; किन्तु सफलता नहीं मिली। और मजा यह कि चुने वही व्यक्ति गये जो पहले इन स्थानों पर थे।

डा० गिल्डर के नजरबंद होने के कारण जो बम्बई का मेयर-पद खाली हुआ था उस पर कांग्रेसी दल के उम्मीदवर श्री एम० आर० मसानी चुने गये। मेयर के पद पर इस युवा कांग्रेस-जन का चुना जाना वास्तव में दृश्वरी न्याय ही था।

### खदार

दमन के तूफान में खदार व उससे सम्बन्ध खदानेवाली संस्थाएँ भी अद्यूती न बचीं। हन्हें राजनीति से जिस सावधानीपूर्वक अलग रखा गया था उससे आशा की जा सकती थी कि कांग्रेस के रचनामक कार्यक्रम के इस इङ्ग को अद्यूता छोड़ दिया जाता। यह नहीं कहा जा सकता कि अखिल भारतीय चरखा-संघ अथवा इमरे सम्बन्धित संस्थाओं के उपक्रियों ने कभी सत्याग्रह-आनंदोलन में भाग नहीं लिया; लेकिन ऐसे उपक्रियों से अपने पदों से इच्छिका देने, अपने प्राचीडेंट फंड के हिसाब खदान बरने और पदों पर कोई दावा न रखने को कहा जाता था और तब कहीं वे आनंदोलन में भाग ले सकते थे। यह नियम उपक्रियत सत्याग्रह तथा सामूहिक आनंदोलन, दोनों के ही सम्बन्ध में लागू था। इसके बावजूद, हुआ यह कि संगठन के अवैतनिक मंत्री श्री कृष्ण जानू-जैसे निषेच व आकांक्षारहित उपक्रियों को भी, जो १९३८ में मध्यप्रान्त के प्रधान मंत्रित्व का पद स्वीकार करने से इन्कार कर चुके थे, राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ गिरफतार कर लिया गया और दो वर्ष की नजरबन्दी के बाद ही छोड़ा गया। चरखा-संघ ५ करोड़ रुपये की खादी तैयार कर चका था और उसमें ज्ञातों नरनारी कताई-बुनाई का काम करते थे। अकाल, महामारी, बाढ़, करड़ों की कमी और अन्न के अभाव के इस काल में निरीह स्त्रियों व जुलाहों से उनकी जीविका का साधन छीन लिया गया। उत्पादन-केन्द्र जथा निष्ठी की दूकानों को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। ज्ञातों रुपये का खदार जबत करके बिगड़ने व नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया।

ऐसे समय जब कि कपड़े की कमी थी और मूलयों की चर्चा तो क्या की जाय, विदेश से माल आना ही बन्द हो गया था, सरकार ने कांग्रेसी द्वारा चलायी कुछ ऐसी संस्थाओं का काम भी बन्द कर दिया जो सहायता मिले बिना ही कायम हो रही थीं। पर सरकार ने क्या किया? उसने सैकड़ों उत्पादन-केन्द्रों व खादी की दूकानों को, खासकर बंगाल व संयुक्तप्रान्त में बन्द कर दिया। इससे बुरी बात सरकार और क्या कर सकती थी? यदि वह आवश्यक समझती तो एक आधिनेस पास करके इन संस्थाओं पर अपना अधिकार कायम कर सकती थी और फिर उनका संचालन कर सकती थी। यदि सरकार अदमदाचाद की कताई व बुनाई की मिलों को तीन महीने बंद रहने के बाद खुलने के लिए मजबूर कर सकती थी तो वह खदार व ग्राम-उद्योग संस्थाओं का भी संचालन कर सकती थी। इसके बायाय सरकार ने ग्राम-उद्योग-संगठन के प्रधान को गिरफतार कर लिया। और उसे जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया। फिर मध्यप्रान्तीय सरकार ने ३० जून, १९४३ को वर्धा तहसील के नालबन्दी व पौनार स्थानों में काम करनेवाले ग्रामसेवा-मंडल, सत्याग्रह-आधम व गंधी-सेवा-संघ को गैर-कानूनी संस्थाएँ घोषित कर दिया।

विद्वार में एक विशेष प्रतिक्रियापूर्ण जीति का अनुसरण किया गया। अखिल भारतीय

चरखा-संघ की बिहार-शाखा ने अगस्त, १९४२ में संघ के धन को जटत कर लिया था। जब शाखा ने उस धन को वापस करने और प्रान्त में अपना कार्य पुनः जारी करने का अनुरोध किया तो प्रान्तीय सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने उत्तर देते हुए कहा कि वे इस अनुरोध को कुछ शर्तों के साथ मानने को तैयार हैं। शर्तें यह बतायी गयीं कि अखिल भारतीय चरखा-संघ की बिहार-शाखा और खदार-भंडार जिला-मजिस्ट्रेटों की देखरेख में कार्य करें और जिला मजिस्ट्रेटों को समय-समय पर उनका निरीक्षण करने व हिसाब-किताब की जांच करने का अधिकार रहे। जिला-मजिस्ट्रेटों को यह निर्णय करने का भी अधिकार होगा कि दिया हुआ धन किस प्रकार खर्च किया जाय। खुलनेवाले खदार-भंडार स्वीकृत-व्यक्तियों की देखरेख में काम करेंगे और वही शर्तें पूरी करने के लिए जिला-मजिस्ट्रेटों के प्रति उत्तरदायी होंगे।

अखिल भारतीय चरखा-संघ की बिहार शाखा ने खादी-उत्पादन करनेवाली संस्था के रूप में कार्य करने की जो अनुमति मांगी थी वह बिहार-सरकार ने देने से इन्कार कर दिया और शाखा की जिन कई लाख रुपये की चाँड़ों पर सरकार ने अधिकार कर लिया था वह भी बौद्धने से उसने इन्कार कर दिया। यही नहीं, शाखा के पास कपड़ा व सूत का जो स्टाक था उसे प्रान्तीय सरकार ने डाइरेक्टर तथा स्वीकृत एजेंटों-द्वारा बेचने का निश्चय किया।

अखिल भारतीय चरखा-संघ की १६ संस्थाएं तथा उसी प्रकार की अन्य कितनी ही संस्थाएं बंगाल के विभिन्न भागों में नाजायज घोषित कर दी गयीं। इस प्रकार की २७ संस्थाओं के पास जो खादी व नकद रुपया मिला उसे जटत कर लिया गया। इस सब का मूल्य १ लाख रुपये के बराबर था। इनमें अखिल भारतीय चरखा-संघ, खादी-प्रतिष्ठान व अभय-शाश्रम भी शामिल थे।

बंगाल-लेजिस्लेटिव कॉसिल की बैठक में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बंगाल के प्रधान-मन्त्री सर नज़ीमुद्दीन ने मूर्चित किया कि “जिस माल व कोष पर कब्जा किया गया है, वह सिवाय उस कपड़े के सबका सब प्रान्तीय सरकार के पास सुरक्षित है, जिसका उपयोग १६ अब्दूबर १९४२ को तूफान व समुद्री लहर से पीड़ितों के लिए उपयोग में लाया जा चुका है। कब्जा किया गया माल १६.२०१ रु., ७ आर० ३ पाई मूल्य का है और बैंक में जमा धन को मिलाकर कुल नकदी ४.६६४, १४ आरा १॥ पाई है।” सर नज़ीमुद्दीन यह नहीं बता सके कि यह सब संस्थाओं को कब वापस किया जायगा। आपने सिर्फ यही कहा कि संस्थाओं पर से रोक हटाने के बाद ही उनके धन की वापसी के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

जुलाई, १९४२ से जनवरी, १९४३ तक अखिल भारतीय चरखा-संघ के कार्य की समीक्षा करते हुए संघ के स्थानापन्न अध्यक्ष श्री वी०वी० जेराजानी ने बताया कि १९४१-४२ में खादी का उत्पादन सबमें अधिक यानी लगभग १ करोड़ रुपये का हुआ था। यह कार्य १५००० से अधिक गांडों में होता था और उसमें ३-५ लाख दस्तकार पूरे समय या आधे समय काम में लगे थे और इन्हें ५० लाख रुपये के लगभग मजदूरी दी जाती थी। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर अगले वर्ष के लिए उत्पादन में वृद्धि करने का कार्यक्रम तैयार किया गया था। नये वर्ष के प्रारम्भ में अखिल भारतीय चरखा-संघ के पास लगभग ५० लाख रुपये का नकद कोष था। अनुभव के आधार पर हिसाब लगाया गया था कि इससे लगभग १ करोड़ रुपये की खादी तैयार की जा सकेगी। साथ ही इन्होंने हुई मांग को पूरा करने के लिए रुपया उधार भी लिया जा रहा था और गांधी-जयन्ती के अवसर पर १० लाख रुपये छन्दे के रूप में एकत्र करने का भी विचार हो रहा था; परन्तु भविष्य में होना कुछ और ही था। उपर्युक्त निर्णय के कारण प्रान्तीय शाखाएँ आरम-

भरित बनने के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नये कर्मचारी भरती कर रही थीं। एकाएक ६ अगस्त, १९४२ में विहार-सरकार की विज्ञप्ति ने उन्हें स्तब्ध कर दिया जिसके कारण प्रान्त में इस पुण्य-कार्य पर एक प्रकार से प्रतिबन्ध ही लगा दिया गया था। विज्ञप्ति इस प्रकार थी:—

“नूँकि गवर्नर को यह विश्वास करने का कारण है कि अखिल भारतीय चरखा-संघ की प्रान्तीय समिति के पास नकद या उधार का ऐसा रूपया है जिसे गैर-कानूनी संस्था के कार्य के लिए काम में लिया जा रहा है और जिसका इस तरह से काम में लाने का हशदा है। इसलिए विहार के गवर्नर १६०८ के भारतीय क्रिमिनल ज्ञा एमेंडमेंट ऐवट की धारा ३७-ई की उपधारा ५ के अन्तर्गत प्राप्त अपने अधिकार से अखिल भारतीय चरखा-संघ, खद्दर-भंडार व विहार-सरकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन न करें।”

यह बड़ी विचित्र बात है कि विहार-सरकार ने यह विज्ञप्ति उसी दिन जारी करने का निश्चय किया। जिस दिन महात्मा गांधी, कार्य-समिति के सदस्य तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का निश्चय किया गया था। यह भी आश्वर्य की बात है कि जिस शादी-कार्य को अवतक प्रान्तीय संकारों से सहायता मिल रही थी उसे सन्देह से देखा गया। बंगाल, संयुक्त-प्रान्त और उड़ीसा की संकारों ने भी विहार के उदाहरण का अनुकरण किया। हमारी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र व आसाम वाली शास्त्राओं को भी छोड़ा नहीं गया, गोकि उनके कार्य में पहले चार प्रान्तों-जितना हस्तक्षेप नहीं किया गया। इस प्रकार के हस्तक्षेप की खबरें हमें केरल, तामिलनाडु आंध्र, कर्नाटक व बम्बई की शास्त्राओं से भी नहीं मिली हैं। इब शास्त्राओं के कार्य में बाधा उपस्थित नहीं की गयी।

हमारे कितने ही शास्त्र-सेक्रेटरी व अन्य उच्च कार्यकर्ता गैर-कानूनी घोषित कार्यों में भाग लिये बिना ही गिरफ्तर कर लिये गये। खद्दर-भंडारों तथा शादी-उत्पादन-केन्द्रों को काम बन्द करने का आदेश दिया गया, उनमें ताला ढाल दिया गया और माल को मुहर लगाकर बंद कर दिया गया। कितनी ही जगहों में माल में आग तक लगायी गयी। अन्य स्थानों में हमारा माल तो छोड़ दिया गया; किन्तु हन्सेनों में काम करने पर रोक लगा दी गयी। सरकार की यह नीति विकल्प समझ में नहीं आती थी।

सरकारी कार्रवाई के परिणामस्वरूप बंगाल, विहार व संयुक्तप्रान्त की शास्त्राओं में हमारा कार्य बिलकुल रुक गया। कार्रवाई के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हमारे ४०० से अधिक केन्द्रों ने काम बंद कर दिया। उत्पादन-कार्य द लाल रु० से ०.८८ कर सिर्फ ४ लाल रुपये का ही रह गया और देह लाल के लगभग दस्तकार बेकार हो गये।

मध्यप्रान्त व बरार के उद्योग-विभाग के डाइरेक्टर ने महाराष्ट्र चरखा-संघ के एजेंट को सूचित किया कि चरखा-संघ को हाथ की कताई व बुनाई के प्रोत्साहन के लिए १२,५६० रु० की जो रकम बजट में रखी गयी थी उसे काट दिया गया।

पाठकों का ध्यान चरखा-संघ-द्वारा लक्षाये गये एक मामले की तरफ आकृष्ट किया जाता है जिसमें २७ मार्च, १९४४ के दिन बादी को डिग्री मिली थी। यह सुकदमा ११ अक्टूबर, १९४२ को अखिल भारतीय चरखा-संघ की बंगाल शास्त्रा केंद्र फर, गोदाम व दुकान से उग्रिस कमिश्नर द्वारा थीजों की जटी के सम्बन्ध में अखिल भारतीय चरखा-संघ, कलकत्ता-कार्योंरेशन तथा संघ की बंगाल-शास्त्रा के कर्मचारियों की तरफ से लगाया गया था।

अखिल भारतीय चरखा-संघ की बंगाल-शाखा को ४ मार्च, १९४३ के आदेश-द्वारा गैर-कानूनी संस्था घोषित किया गया था। तब पुलिस कमिश्नर ने सभी चीजों की एक सूची बनायी और कहा कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की मिलकियत का दावा कर सकता है ताकि वह जब्त न की जाय। तब अखिल भारतीय चरखा-संघ के संरक्षकों की तरफ से पी० डी० हिम्मतसिंहका पुंछ कम्पनी ने संघ की बंवई-शाखा की तरफ से कुछ वस्तुओं का दावा पेश किया, कलकत्ता-कार्योरेशन ने अचल-सम्पत्ति का तथा बंगाल-शाखा के कर्मचारियों ने कुछ अन्य वस्तुओं का दावा पेश किया।

इस मामले में चीफ जज ने अखिल भारतीय चरखा-संघ, बम्बई के दावे को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे गैर-कानूनी संस्था नहीं घोषित किया गया था, और यही बंगाल-शाखा की तरफ से सब काम कर रहा था। कलकत्ता-कार्योरेशन व कर्मचारियों के दावों को भी मंजूर कर लिया गया। पुस्तिकार्यों, मैजिक लैंटर्न आदि के सम्बन्ध में संरक्षकों ने अपना दावा त्याग दिया। जज ने इस तर्क को भी अस्वीकार किया कि माल की विक्री के रूपये का गैर-कानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि माल पुलिस की देखरेख में है।

#### कांग्रेसी हलकों में प्रतिक्रिया

जब कभी असहयोग आनंदोलन अधिक दिन तक चलता है, जैसा १९३२-३३ में हुआ, या समय से पहले खत्म हो जाता है, जैसा १९२१ में हुआ था, तो पीछे रह गये या छोड़ दिये गये कांग्रेसजनों का रुख वैध कार्यक्रम की तरफ होने लगता है। जब फरवरी, १९२२ में गांधीजी ने प्रस्तावित सामूहिक आनंदोलन का विचार त्याग दिया तो देशबंधु दास ने कौंसिल-प्रवेश व कौंसिल के भीतर से असहयोग करने का वैकल्पिक कार्यक्रम बनाया। १९३४ में जब गांधीजी ने सविनय अवज्ञा-आनंदोलन स्वर्य ही बंद कर दिया तो फिर केन्द्रीय-असेम्बली के चुनाव का प्रश्न सामने आया। बाद में जब १९४३ में चर्चिल, एमरी और लिनियर्गो बराबर पिछुजो बातों के वापिस लेने, खेद प्रकट करने, और भविष्य में सहयोग का आश्वासन लेने की बात पर जोर देने लगे तो इसमें आश्रय ही क्या था कि कुछ नौजवान लोग आंशिक सहयोग की बातें उठाकर गतिरोध को समाप्त करने का सुझाव पेश करने लगे। पूर्वीय भारत में यह सवाल जीवनलाल पंडित ने उठाया और अपने कथन की पुष्टि में भोजन की समस्या का तर्क दिया और परिवर्तन की तरफ से श्री मुन्शी ने भी वही बात कही और यह भी कहा कि युद्ध-स्थिति में परिवर्तन होने के कारण नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। उच्च चेत्रों में भी ऐसे कांग्रेसजनों की कमी न थी जो कार्यक्रम में परिवर्तन के सुझाव का स्वागत करने को तैयार थे।

जून १९४३ के अन्त में संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेसियों के एक वर्ग ने राजनीतिक अङ्गों को समाप्त करने के लिये एक प्रस्ताव किया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य जेल से बाहर थे, उनका समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा की जाने लगी। भूतपूर्व पार्लीमेंटरी सेक्रेटरी श्री गोपी-माथ श्रीवास्तव ने, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य थे और हाल ही में जेल से छूटकर आये थे, इस प्रस्ताव के स्पष्टीकरण में एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था:—

“हमारा मत है कि गांधीजी की अनुपस्थिति में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी परिस्थिति की समीक्षा करने की अधिकारियाँ हैं और चूंकि सरकार अगस्तवाले प्रस्ताव को राजनीतिक गतिरोध अनिश्चित काल तक कायम रखने का बहाला बनाये हुए हैं, हमारा सुझाव है कि अखिल

भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऐसे सदस्य, जो जेल से बाहर हों और जिनकी संख्या आवश्यक कोरम से अधिक ही है, सामूहिक रूप से देश की वर्तमान परिस्थिति की समीक्षा करके प्रस्ताव को उस समय तक स्थगित कर सकते हैं जब तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बाकायदा अपनी बैठक करके पिछली घटनाओं तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति पर विचार न कर सके।<sup>1</sup>

१९२२ में समस्या यह थी कि सत्याग्रह जारी रखा जाय या नहीं? इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की गयी। इस समिति में पक्ष व विपक्ष में बराबर मत थे। परिणाम यह हुआ कि सत्याग्रह वापस ले लिया गया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना के लिए भूमि तैयार हो गयी। १९२३ में इस पार्टी की कांग्रेस की केवल अनुमतिमात्र ही थी; किन्तु १९२५ में वह उसकी और सुप्री बन गयी। जून १९२५ में देशबंधु की मृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर मोतीलालजी दख के एकमात्र नेता बने। १९२६ तक मोतीलाल नेहरू भी कौसिलों में घुसकर कार्य करने की नीति से ऊपर उठे और गांधीजी पर कौसिलों से बाहर आने की नीति पर जोर देने लगे। फिर कौसिलों का मोर्चा १९३४ में केन्द्रीय असेंबली में और बाद में प्रान्तों में किस प्रकार दुबारा कायम हुआ और वाहसराय के आश्वासन देने पर किस प्रकार प्रान्तों में मंत्रिमंडल कायम हुए और १९३६ के अक्टूबर व नवम्बर मास में इन मंत्रिमंडलों को किस तरह अचानक इस्तोंके देने पड़े, यह सब इतने थोड़े समय पहले की कहानी है कि उसे दुहराने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस-बृक्ष की कुछ शाखाओं में युन लग चला था और वृक्ष की रक्षा करने के लिए उन युन लगी हुई शाखाओं का काटा जाना आवश्यक था। दिल्लिया भारत में एक भारी तूफान मई, १९२५ में आया था जिससे नारियल के वृक्ष प्रायः अधमरे हो गये थे; किन्तु तीन वर्ष बाद उनमें तिगुने कल लगे। इसी प्रकार कांग्रेस में भी एक तूफान आने को था। वह श्रीबास्तवों, मुंशियों व जीवनलालों की दृष्टि में अधमरा हो गहा था; किन्तु सच्ची आस्था व दूरदर्शिता रखनेवाले व्यक्ति देख रहे थे कि उसमें नये पते आवंगे और वक्त आने पर पहले से दसगुने फल लाएंगे।

यह बड़ी विचित्र बात थी कि बम्बईवाला प्रस्ताव पास होने के ११ महीने बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोई सदस्य हमारे नेता की अनुपस्थिति में अग्रस्त, १९४२ के प्रस्ताव में परिवर्तन करने की बात सोचता। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इस सम्बन्ध में इस्तज्जेप करने का कोई नैतिक अधिकार भी न था।

परन्तु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाने और प्रान्तों में तथाकथित लीगी वजारत कायम करने के विरुद्ध शीघ्र ही लोकमत कड़ा हो गया। इसका विरोध एक ऐसे व्यक्ति ने किया, जिसकी पत्नी और भाई जेल में थे और जिसने विरोध प्रकट करके अपने परिवार की नेकानामी कायम रखी थी। स्वर्गीय जमशालाल बजाज के पुत्र श्री कमलनयन बजाज ने स्पष्ट व दृढ़ शब्दों में इन सुझावों का विरोध किया। आपने यह भी कहा कि अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाना सिर्फ अनियमित ही न होगा बल्कि ऐसा करना गांधीजी पर विश्वास प्रकट करने या न करने का सवाल भी बन सकता है। श्री बजाज ने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थिति में पार्लीमेंटरी कार्यक्रम बेकार होगा और इस सम्बन्ध में उन्होंने सिंध के अलाइबर्ला की बर्खास्तगी तथा बंगाल के फजलुल हक के उदाहरण दिये। आपने कहा कि जो ज्ञाग जेल से बाहर है उन्हें खाद्य तथा भोजन के अभाव से दुखी जनता में आर्थिक व सामाजिक कार्य करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, गोकु उन्होंने ठीक यह नहीं सोचा था, क्योंकि खाद्य-समस्या सैन्य-समस्या

का अंग थी और राष्ट्र के हाथ में शक्ति आये बिना कुछ भी होना असम्भव था। श्री कमलनयन बजाज के बाद सीमाप्रांत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री की विरोधपूर्ण आवाज़ कानून तक गूंज गयी।

ब्रिटिश-सरकार की चाक देश के आगे वैध कार्यक्रम लाने की रही है। कभी कांग्रेस का शुकाव अपने क्रांतिकारी लक्ष्य की ओर रहा है और कभी वह वैध कार्यक्रम की ओर मुकरी रही है। परिवर्तन-कानून में कांग्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक रही है। वह इस प्रकार के सहयोग से बचती रही है। सच तो यह है कि असहयोग के युग का नाम ही ऐसे निश्चय के कारण पड़ा है। परन्तु जो लोग बौद्धिक स्तर पर छिन्ने के आदी रहे हैं वे उसके लिए अत्यन्त ही आतुर रहे हैं। १९२३ में उन्होंने फिर कौसिल-प्रवेश कार्यक्रम का अनुसरण किया और अपने दल का नाम स्वराज्य पार्टी रखा। १९२६ में स्वर्यं कांग्रेस ने ही कौसिल-प्रवेश का कार्यक्रम अमरक में लाने का निश्चय किया। १९३० के भ्रमक-सत्याग्रह तथा १९३२-३३ के आंदोलन के परिणामस्वरूप १९३४ में कौसिल प्रवेश कार्यक्रम फिर आरम्भ हुआ और गांधीजी ने स्वर्यं ही सविनय अवक्षा-आंदोलन को बन्द कर दिया। तभी यह भी कहा गया कि कांग्रेस में कौसिल-प्रवेश का कार्यक्रम अब बना रहेगा। यह सिर्फ बना ही नहीं रहा बल्कि इसका रूप बाधक या विरोधी से रचनात्मक हो गया और तब मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ। युद्ध छिन्ने पर इस कार्यक्रम में फिर बाधा पड़ी। परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि युद्ध से कौसिल-प्रवेश कार्यक्रम में नहीं बर्दिक मन्त्रिमण्डल कार्यक्रम में बाधा पड़ी थी। धारा-सभाओं के सदस्यों ने दृश्टीकोणों दिया था। अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर वे अपने पदों पर विस्तीर्णी भी बक्स पिर जा सकते थे। ऐसी हालत में स्वराज्य पार्टी को जन्म देने की बात बहुत मुर्द्दता ही थी। स्वराज्य पार्टी कायम करने का उद्देश्य अन्य दलों से मिलकर मन्त्रिमण्डल कायम करना हो सकता था जब कि कांग्रेस के नेता तथा धारासभाओं के किन्तु ही कांग्रेसी सदस्य जेलों में थे। जिम्मेदार कांग्रेसजन ऐसे कार्यक्रम को घृणा करते थे।

#### प्रांतों में प्रतिक्रियापूर्ण नीति

नौकरशाही चुनाव के लेन्ड्र में किस प्रकार बाधा उपस्थित कर सकती थी, यह मद्रास के पुलिस कमिशनर के उस आदेश से स्पष्ट है जो उसने कांग्रेसी उम्मीदवार श्री जी० रंगराव नायडू की तरफ से होनेवाली चुनाव सभाओं को रोकने के लिए दिया था। यह चुनाव श्री सत्यमूर्ति की मृत्यु के परिणामस्वरूप केन्द्रीय संसेक्षकी में रिक्त हुए स्थान के लिए छढ़ा जा रहा था। जब जनता ने शहर के पुलिस-अधिकारियों से कांग्रेसी उम्मीदवार के समर्थन में सभाएं करने की अनुमति मांगी, तो पुलिस कमिशनर ने अनुमति देने से हृक्कार कर दिया और इसके समर्थन में अपने २४ अगस्त, १९४२ के उस आदेश का हवाला दिया जिसके द्वारा [मद्रास में कांग्रेस कमेटियों तथा उनमें सहानुभूति रखनेवालों पर सभा करने या जुलूस निकालने पर पांचवीं जगती गयी थी। जिस्टस पार्टी के उम्मीदवार को अपनी तरफ से चुनाव का प्रचार करने की पूरी आजादी थी। दूसरी तरफ नागरिक स्वाधीनता का अपहरण करके चुनाव के लोकतंत्रपूर्ण अधिकार का मजाक बनाया जा रहा था। चार युवक हाथ में पोस्टर लिए आके जा रहे थे। उन्हें बिना अनुमति के जुलूस निकालने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। जुलूस खबर थी! दो व्यक्तियों पर १५-१८ रु. और दो व्यक्तियों पर १०-१० रु. जुर्माना दिया गया। पुलिस के आदेश से कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव-सम्बन्धी अधिकारों में हस्तांत्र होता था। आखर्य तो यह था कि जनता ने, जो चुनाव के सम्बन्ध में सभा, जुलूस तथा प्रदर्शनों की आदी थी, एक ऐसे उम्मीदवार का समर्थन कैसे किया, जो सिर्फ कांग्रेस का ही प्रतिचिह्नित वहाँ फरता था वही विज्ञाका विदेशी

उम्मीदवार के ही समान सरकार भी विरोध कर रही थी। चुनाव का नतीजा आशा से कहीं अधिक अच्छा रहा :—

	बोट
जी० रंगथ्या नायदू ( कांग्रेस )	४,६५८
टी० सुन्दरराव नायदू ( जस्टिस )	१,५०८
अनियमित बोट	१४५
<b>कुल बोट</b>	<b>६,३६१</b>

मद्रास में चुनाव ५ जून को होनेवाला था इसलिए २८ मई से ५ जून, १९४८ तक होने-वाली अदालती कार्रवाई का लाभ भा कांग्रेस को नहीं मिल सका। पुलिस कमिशनर के आदेश में सिर्फ अनियमित ठहरायी गयी संस्थाओं के सदस्यों पर ही नहीं, बल्कि उनके समर्थकों या सद्वा-नुभूति रखनेवालों पर भी जुनूप निकालने और सभा करने की पाबन्दी लगायी गयी थी। श्री रंगथ्या नायदू ने अनुमति पाने के लिए सुद ही लिखा था; किन्तु उनसे पछा गया कि वे आदेश में निर्दिष्ट किसी कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं या नहीं, और जब श्री नायदू ने इस प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया तो पुलिस कमिशनर ने कहा कि उत्तर न देने के कारण वह चुनाव की सभाओं के लिए इजाजत देने में असमर्थ है।

सरकार की इस कार्रवाई से कांग्रेसी उम्मीदवार की शक्ति बढ़ गयी जिससे उन्होंने जस्टिस पार्टी के उम्मीदवार को अच्छे बहुमत से हरा दिया। यदि जुनूप व सभाओं की सुविधा होती तो पढ़े वोटों में क्या अंतर होता, इस सम्बन्ध में अनुमान लगाना बेकार है। मद्रास-सरकार की चुनाव-सम्बन्धी नीति का परिणाम खुद उसी के लिए हुआ और इसे ध्यान में रखते हुए विचार किया जाय तो प्रकट होगा कि मन्युक प्रांत, विहार व यदास की सरकारों ने उच्च धारा-सभाओं के लिए स्थानों के चुनाव का विचार स्थागकर बुद्धिमत्ता का ही परिचय दिया। सरकार की कांग्रेस की सफलता का डर पैदा हो गया। सिर्फ दो महीने पहले ही डा० गिल्डर ने बम्बई के मेयर पद का चुनाव जेल से लड़ा था और अपने प्रतिस्पर्धी को आसानी से हरा दिया था।

मार्च, १९४६ में एक नजरबन्द बाबू श्यामापद भट्टाचार्य बरहामपुर म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष निविरोध चुने गये और उधर दूसरी तरफ केन्द्रीय असेम्बली के लिए १९४९ में पालकोद्दे के श्री ए० सत्यनारायण आंग्रे देश से निविरोध चुन लिए गये। यह सब नौकरशाही की आंख में कोटे की तरह गढ़ रहा था और इसलिए वह कांग्रेस को चुनाव के ज्ञेत्र से हटाने के लिए प्रयत्न करने लगे।

: २६ :

## समाचार-पत्रों का सहयोग

उपर के पृष्ठों में भारतीय आनंदोज्जनों की बिटेन व भारत में और भारत के विभिन्न सम्प्रदायों व प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिक्रिया की चर्चा की जा चुकी है। ८ अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने समाचारपत्रों से निम्न अपील की, “समाचारपत्रों को अपना फर्ज स्वच्छङ्कृता व निर्भयता से अदा करना चाहिए। समाचारपत्रों को यह मौका न देना चाहिए कि सरकार उन्हें दबा सके या घूम देकर उनका सुंह बन्द कर सके। समाचारपत्रों को अपना दुरुपयोग किये जाने के स्थान पर बन्द हो जाना ज्यादा अच्छा समझना चाहिए और फिर उन्हें अपनी इमाइत, मरीन व दूसरे साज़्यामान से हाथ धो केने के लिए तैयार रहना चाहिए। सम्पादक-सम्मेलन की स्थायी समिति ने सरकार को जो आश्वासन दिया है, समाचारपत्रों को उससे मुक्त जाना चाहिए। पकल साइब को समाचारपत्रों का यही उत्तर हो सकता है। समाचारपत्रों को अपना समाज खोकर लांछन के सामने आत्म-समर्पण न करना चाहिए। आजकल की दुनिया में समाचारपत्र ही जोकमत को बनाते या बिगड़ते हैं और वही सत्य का प्रचार करते हैं या उसके सम्बन्ध में अम फैलाते हैं। दमनकारी कुठार सबसे पहले इन समाचारपत्रों पर पढ़ा। सरकार का एक आडिनेंस ६ अगस्त, १९४२ को प्रकाशित हुआ, जिससे साफ साफ बता दिया गया कि क्या छपना चाहिए और क्या नहीं। इस आडिनेंस के कारण समाचारपत्र भौचक्के रह गये। समाचारपत्र उस व्यक्ति के समान महसूस करने लगे जो पहले बहते हुए पानी में अशवित रूप से तैरने का आदी हो और निसे अब हाथ-पैर बांधकर व आंखों पर पट्टी लगाकर तूफानी नदी में फेंक दिया गया हो और ऐसी हालत में उससे भंवरों व उवार-भाटे के प्रवाह से बचने की आशा की गयी हो। यह स्वाभाविक ही था कि समाचारपत्र ऐसी तूफानी नदी में छलांग लगाने से पहले खूब सोच-विचार करते। अखिल भारतीय पत्रकार-सम्मेलन की प्रबन्ध-समिति की बैठक २३ अगस्त को बम्बई में हुई और उसमें इन प्रतिशंधों का विरोध किया गया।

युद्ध एक असाधारण घटना है। उसके कारण युद्धचेत्र व अन्य ज़ेत्रों को शान्ति व कानून में लब्ज़ा पढ़ जाता है। १० नवम्बर को आस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष ने भाषण करते हुए सिडनी में कहा, “ऐसा कहने से मेरा यह हशदा नहीं है कि लोग समझें कि यह सरकार पिछली सरकार की तुलना में अच्छी या बुरी है या उसकी नीयत में कोई बुराई है... लेकिन यह कहा जा सकता है कि सेंसर-व्यवस्था का अधिकाधिक उपयोग ऐसी बातों के लिए होने लगा है, जिनसे जनता का कल्याण नहीं होता..... यदि आप समाचारपत्रों को खबरें पाने या वितरित करने के साधनों से वंचित करते हैं तो आप सेंसर-व्यवस्था के ही समान दमन करते हैं।... समाचारपत्रों की स्वाधीनता का मतलब यही है कि आप जो चाहें कहें और लिखें।.....” परन्तु

भारत को इस तथ्य से संतोष न मिल सकता था कि उसीके समान दूसरे देशों में भी सेंसर या निरीक्षण की व्यवस्था काम कर रही है।

समाचारपत्रों की समस्या पर राखर्ट लैश ने प्रकाश डाला, “सच तो यह है कि समाचारपत्र तभी स्वतंत्र हो सकते हैं, जब उनके स्वामी उनका स्वतंत्र होना चाहेंगे। अमरीका में ( और भारत में भी ) एक वैधानिक कानून की जरूरत है जिसमें राजाओं यानी प्रकाशकों के अधिकार प्रधान-मंत्रियों यानी सम्पादकों को हस्तांतरित कर दिये जायें। समाचारपत्रों को बाहरी शत्रु से लड़ने के बजाय भीतरी शत्रु से लड़ना चाहिए। जितनी स्वाधीनता का उपभोग वे सुद करते हैं और जितनी स्वाधीनता जनता को प्राप्त है, इसके मध्य एक खाई है और इस खट्टी हुई खाई को हमें एक चेतावनी के रूप में मानना चाहिए।” ये शब्द ‘शिकागो सन’ (लैफ्टिंग) के लेखक श्री राखर्ट लैश ने अपने एक लेख में लिखे थे जिसके लिए ‘एट्टलांटिक मंथली’ ने उसे १००० डाक्टर पुरस्कार में दिये थे। यही सज्जाह भारत के समाचारपत्रों की भी पथ-प्रदर्शक होनी चाहिए; क्योंकि इसी तरह हम पूर्व व पश्चिम में समाचारपत्रों के नियंत्रण करनेवालों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

एडवर्ड थॉम्पसन ने मेटकाफ के जीवन-चरित्र सम्बन्धी अपनी पुस्तक में भारतीय समाचार-पत्रों के विकास पर प्रकाश डाला है—

भारत में मेटकाफ ने समाचारपत्रों को स्वाधीनता प्रदान की जिससे डाक्टरेटर व अवकाश-प्राप्त अधिकारीवर्ग नाराज हुए। परन्तु मेटकाफ ने भारतीय पत्रों को स्वाधीनता थोड़े ही दी थी। उसने तो स्वाधीनता भारत में अंग्रेजों के समाचारपत्रों को दी थी। वारेन हिंटिंग्स के ज्ञानमें अंग्रेजी पत्रों की गन्दगी व गैर-जिम्मेदारी से बचाव का एक ही तरीका हिंसा थी। कल्ककत्ता का यूरोपीय समाज अनाचार व अशिष्टाचार के प्रति आंखें मुद्दे हुए था। अपने कारनामों की आज्ञा-चना उसे प्रिय न थी। यूरोपीय पत्रकारों में सबसे प्रमुख जेम्स ए० हिकी की कहाँ बार मरम्मत हो चुकी थी। शताब्दी के समाप्त होते होते लार्ड वेलेजली ने संकटरूप परिस्थिति होने के कारण समाचारपत्रों पर लगे हुए नियंत्रण को फिर कड़ा किया। जो लार्ड वेलेजली चाहता था उसे भारत से बाहर चले जाना पड़ता था। लार्ड मिंटो सरकार के इस अस्पष्ट रूप को और आगे ले गये। विला किसी रुकावट के बातें प्रकट करने का भय अब बहुत बड़ी व्याधि बन गया। उन दिनों हमारी ( अंग्रेजों की ) नोति हिन्दुस्तान के निवासियों को बर्बरता व अंधकार में रखने की थी और यह नोति कम्पनी-राज्य की सामा के बाहर में भी काम में जायी जाती थी। एक बार निजाम ने यूरोपीय मशीनों में कुछ दिलचस्पी जाहिर की थी। रेजीडेंट ने तुरन्त निजाम को हवा भरनेवाला पम्प, छपाई की मशीन और जंगी जहाज के नमूना मंगा दिये। साथ ही रेजीडेंट ने इस कार्य की सूचना अपनी सरकार के पास भेजी जिसपर यह कहकर उसकी भर्त्ता की गयी कि छापे की मशीन-जैसी खतरनाक वस्तु एक देशी नरेश के हाथ में क्यों दी गयी। रेजीडेंट ने अपनी सफाई में कहा कि निजाम ने छापे की मशीन में कोई दिलचस्पी नहीं ली है और अगर सरकार जरूरत समझे तो निजाम के तोशाखाने से उसे नष्ट कराया जा सकता है। १९१८ में ‘कल्ककत्ता जर्नल’ की शुरुआत की गई। इसमें आरम्भ से ही सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों को प्रकट किया जाने लगा। सरकारी अधिकारी अपनी कमजोरियों के इस प्रकार प्रकाश में जाये जाने पर आपत्ति करने लगे; जैकिन खाई हेंटिंग्स ने उपेत्ता-भाष प्रकट करते हुए कोई कार्यवाही करने से इन्हें कर दिया। १४ मार्च व १५ अप्रैल, १८२३ के कानूनों-द्वारा तत्कालीन विटिश पत्रों का मुंह बन्द कर दिया गया।

पूरोपियों को हस पर बड़ी नाराज़ी हुई और लाई एमहस्ट के बक्स में जब कोई कार्रवाई हस समाचारपत्र-कानून के अन्तर्गत न की गई तो भी हस नाराजी में कुछ कमी नहीं हुई। वैशिंगटन के बक्स में समाचारपत्रों की स्वाधीनता का कानून विस्तार हुआ। पत्रों में गवर्नर-जनरल को भुराभुदा कहा जाता था; किन्तु वे हसका भुरा नहीं मानते थे। वे कहा करते थे कि समाचारपत्र जानकारी प्राप्त करने के लिये उनसे सबसे बड़े साधन हैं। मेटकाफ़ भी उनसे पूर्णतया सहमत थे।

लेकिन माल्कम पत्रों की आखोचनाओं से आग बढ़ता हो गये और उन्होंने लिखा:—

“गोकि मैं सहनशील व्यक्ति हूँ फिर भी मेरी सहनशीलता की सीमा है, जिसे हर शरीक आदमी समझ सकता है...आपका ‘कलकत्ता जर्नल’ एक गदबह-बोटाला है। वह प्रथेक बात का विरोध करता है। उसमें छापे की शास्त्रियों की भरभार रहती है। उसका कहना है कि पार्टीमेंट में भारत के सम्बन्ध में जो बहस हुई है उसकी प्रतिलिपि छापाकर बंगाल में रखी जाय, ताकि यहां जनता को प्रकट हो कि भारत में भाषण की स्वतन्त्रता का दमन करने में हम साधारण कानून की सीमाओं को पार कर गये हैं।”

भारत में समाचारपत्र जितने सरकार के समर्थक रहे हैं उन्हें उन्हें ही उसके विरोधी भी। एक गुलाम देश में, जिसमें राष्ट्रीय भावना जाग उठी है, यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि समाचारपत्र नौकरशाही की प्रथेक बात का समर्थन करेंगे। कांग्रेस के जन्म से पहले ही भारत में समाचारपत्रों का दमन आरम्भ हो गया था। १८७८ के ‘वर्नाकूलर प्रेस ऐक्ट’ के अन्तर्गत लाई लिटन के समय में समाचारपत्रों का सुंह बन्द कर दिया गया था। उस समय से लेकर अभी तक ब्रिटिश सरकार अंग्रेजी में प्रकाशित होनेवाले पत्रों की तुलना में प्रांतीय भाषाओं के पत्रों से अधिक भयभीत रही है। गोकि १८७८ का कानून बहुत पहले ही रद कर दिया गया था; लेकिन भारत के राजनीतिज्ञों के समान उसके समाचारपत्र भी दमन-नीति का शिकार होते रहे। समाचारपत्रों का यह दमन राजविद्रोह के सम्बन्ध में धारा १२४—ए ( १८६७ ) द्वारा वर्गीकृता के सम्बन्ध में धारा १२५—ए द्वारा, १६०८ के समाचारपत्र (अपराधों के लिए प्रोसेसाहन) -कानून-द्वारा तथा १६१० के समाचारपत्र-कानून-द्वारा होता रहा। जमानत जमा करनेवाला कानून नये तथा पुराने पत्रों पर अलग-अलग ढंग से अमल में लाया जाता था। हस कानून के पास होने से पांच वर्ष की अवधि के भीतर १६१ पत्रों तथा प्रेसों पर उसका वार हुआ और चेतावनी देने से लेकर भारी जमानत मांगी जाने और जड़त किये जाने की बटनाएं हुईं। जमानत मांगी जाने के परिणामस्वरूप १६३ नये छापेखानों व १२६ नये पत्रों की शैशवावस्था में ही मृत्यु हो गयी और १६१० से चालू होने वाले ७० पत्रों व छापेखानों को जमानती कार्रवाई के कारण भारी हानि उठानी पड़ी। १६२१ में अन्य दमनकारी कानूनों के साथ ‘समाचारपत्र कानून’ को भी रद कर दिया गया; किन्तु हस एक कानून के रद होने पर अन्य किलने ही दूसरे कानून पास हुए। हस बार नरेशों की रक्षा के लिये से समाचारपत्रों पर पावनियां लगायी गयीं और देशी राजप-दुर्भाविना-निवारक कानून व नरेश-संरक्षण कानून पास हुए।

इस तरह हमें सात या आठ साल के लिए कुछ चैन मिल गया। फिर नमक-सत्याग्रह का आरम्भ होते ही आडिनेंस-शासन भी आरम्भ हो गया। शायद सबसे पहला आडिनेंस समाचारपत्रों से संबंधित आडिनेंस था और यह महीने के भीतर ही हसके अनुसार १६१ पत्रों से २,४०,००० रु. मर्क किया गया। सबसे अधिक जमानत एक पत्र से ३०,००० रु. की मांगी गयी थी। परन्तु जिन पत्रों ने जमानतें जमा कर दी थीं उनसे कहीं अधिक कष्ट उन पत्रों को हुआ, जो

जमानतें दे नहीं सके। लगभग ४५० पत्र जमानतें नहीं भर सके। १६३५ में ७२ समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी और लगभग १ लाख रुपये की जमानतें मांगी गयीं। केवल १५ पत्र ही मांगी गयी जमानतें दे पाये। दूसरे महायुद्ध के समय भारत-रक्षा विधान उपर से था। अखिल भारतीय सम्पादक-सम्मेलन का कहना है कि अगस्त, १६४२ के पिछ्के तीन सप्ताहों में ६६ पत्र या तो दबा दिये गये और या उन्होंने अपने ही आप अपना काम बन्द कर दिया। मद्रास प्रान्त में १७ दैनिक पत्रों का और १ साप्ताहिक पत्र का निकलना बन्द हो गया। बम्बई प्रान्त में ६ दैनिक पत्रों, १७ साप्ताहिकों और ८ मासिकों का निकलना बन्द हो गया। अखिल भारतीय पत्र-सम्पादक-सम्मेलन की स्थापना व विकास का इतिहास व्यक्तिगत सत्याग्रह ( १६४०-४१ ) के वर्णन के साथ दिया गया है। १६४२-४३ के उपद्रवों में स्थायी समिति को कितनी ही नाजुक व कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और सम्पादकों के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा तथा राष्ट्रीय कार्यों में जनता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए उसे कितने ही संवर्ण करने पड़े। उसे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपने सदस्यों पर भी दृष्टि रखनी पड़ी और कभी-कभी उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी पड़ी। कितनी ही बार स्थायी समिति बड़ी अप्रिय परिस्थिति में पड़ गयी और उसे दमन का शिकार होनेवाले कुछ ऐसे समाचारपत्रों की आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ा, जो अत्म-सम्मान की रक्षा करते हुए सरकार की शर्तें स्वीकार करके उनपर अमल करने में असमर्थ थे। यदि कोई अखिल समझौता भंग होता है तो जिस्ति समझौता भंग होने की तुलना में अधिक असन्तोष होता है। यह कफाड़ा कानूनी विवाद की अपेक्षा नैतिक कफाड़ा बन जाता है। कानूनी कफाड़े का निवारा तो अदाकरों में होता साभव है; किन्तु नैतिक कफाड़े का निवारा दोनों पक्षों के अन्तःकरण की अदाकरत के अलावा और नहीं हो सकता। अखिल समझौता उसी हालत में भंग होता है, जब अन्तःकरण की वार्षी मौन हो जाती है। अखिल भारतीय पत्र-सम्पादक-सम्मेलन को ऐसी कितनी ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

सरकार ने ६ अगस्त को कांग्रेस पर जो टूकानी हमला किया उसकी शुरुआत प्रकट रूप से तो गांधीजी व उनके साधियों की गिरफ्तारी से हुई थी; किन्तु समाचारपत्र-सम्बन्धी आदेश का मसविदा द अगस्त को ही तैयार कर लिया गया था। इस आदेश के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा कथित सामूहिक आनंदोलन अथवा उसके विरुद्ध सरकारी उपायों के संबन्ध में सरकारी सूत्रों, असोसियेटेड प्रेस, यूनाइटेड प्रेस, ओरियंटल प्रेस अथवा रजिस्टर्ड पत्र-प्रतिनिधि-द्वारा भेजे गये समाचारों के अतिरिक्त और कोई खबर छापने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। इस संबन्ध में बंबई-सरकार-द्वारा समाचारपत्रों के सम्पादकों के नाम भेजी गयी निम्न गश्ती चिट्ठी मनोरंजक होगी:—

“गोपनीय, अस्थावश्यक

पी० डबल्यू० डी० सेक्टैरियट

बम्बई, ४-८-१६४८।

प्रिय महोदय,

कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिस सामूहिक सविनय अवज्ञा-आनंदोलन का हवाला दिया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि जहां एक तरफ सरकार की इच्छा प्रस्ताव के रचनात्मक अंश के सम्बन्ध में विवाद या कांग्रेस दल के रुप की घ्यारहा पर कोई प्रतिबंध लगाने की नहीं है वहां यह बहुत ही अवांछनीय है कि एक ऐसे

आन्दोलन का समर्थन किया जाय जो खुद गांधीजी के शब्दों में खुला चिद्रोह होगा और जिस पर अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्वीकृति मिलनी शेष है। इसलिए आपके अपने हित में ही मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ऐसे वक्तव्यों व लेखों को प्रकाशित न करें, जिनके कारण प्रथम या अप्रथम रूप से आन्दोलन को समर्थन या प्रोत्साहन मिलता हो अथवा जिनसे आन्दोलन चक्रानेवालों की योजना के अग्रसर होने की सम्भावना हो।

मैं आपको यह भी स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे आन्दोलन का एकमात्र उद्देश्य सरकार की शासन-श्वयवस्था में खलल ढाकना होगा और इस प्रकार युद्ध-संचालन में हस्तक्षेप होना अनिवार्य है। ऐसी हालत में समाचारपत्रों-द्वारा इस प्रकार के आन्दोलन का समर्थन अखिल भारतीय समाचारपत्र-सम्पादक सम्मेलन-द्वारा दिये वचन के विरुद्ध होगा।

सेवा में—

आपका—

बर्बाद नगर के समाचारपत्रों  
के सभी सम्पादक

(इ०) शाम एस० इजराइल  
स्पेशल प्रेस एडवाइजर'

इस गश्ती-चिट्ठी से पूर्व भारत-सरकार के गृह-विभाग ने सम्पादक-सम्मेलन के अध्यक्ष के पास एक तार भेजा था। अध्यक्ष महोदय का गश्ती पत्र, जिसमें उपर्युक्त तार भी सम्मिलित है, नीचे दिया जाता है:—

अखिल भारतीय समाचारपत्र-सम्पादक-सम्मेलन

“गोपनीय

कर्तूरी बिलिंडा, माडंट रोड

मद्रास, ३१ जुलाई, १९४२

प्रिय मित्र,

मैं आपका ध्यान भारत-सरकार के गृह-विभाग के निम्न तार की ओर आकृष्ट करता हूँ। यदि आप इसका सारांश अपने चेत्र के अन्य पत्रों के पास भेज सकें तो बड़ी हृषी होगी:—

“श्रीनिवासन, अ-व्यक्त, अखिल भारतीय समाचार सम्पादक-सम्मेलन, हिन्दू, मद्रास।

“इधर हाल में हमें समाचारपत्रों में ऐसी बहुत सी पाठ्य सामग्री दिखायी दी है, जिसे सरकार के विरुद्ध सामूहिक आन्दोलन करने के लिए प्रोत्साहन कहा जा सकता है। इस आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली-समझौते के अनुसार समाचारपत्र निसी ऐसे आन्दोलन का समर्थन नहीं कर सकते जिससे युद्ध-संचालन में अनिवार्य रूप से गम्भीर हस्तक्षेप होता हो। यदि आप सम्पादक-सम्मेलन के सभी सदस्यों तथा प्रान्तीय कमेटीयों के आयोजकों के पास इसकी सूचना भेज सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी—गृह विभाग।”

आपका शुभचिन्तक—

(इ०) क० श्रीनिवासन।

केन्द्रीय सरकार ने २५ अगस्त के दिन एक आदेश निकालकर अपने द अगस्तवाले आदेश को, जहाँ तक उसका सम्बन्ध दिल्ली प्रान्त के सम्पादकों, सुदूरों तथा प्रकाशकों से था, २८ कर दिया। द अगस्तवाले आदेश के अनुसार सुदूरों तथा प्रकाशकों पर यह प्रतिबंध लगाया गया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा मंजूर किये गये सामूहिक आन्दोलन के या इसके दमन के लिए किये गये सरकारी उपायों के सम्बन्ध में उनके संवादों के अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं प्रकाशित कर सकते, जो सरकारी सूत्रों, संवाद-समितियों या जिला-मजिस्ट्रेटों-द्वारा रजिस्टर्ड

संवाददाताओं-द्वारा प्रेषित हों। गृह-विभाग के इस आदेश के साथ ही चीफ कमिश्नर ने निम्न आदेश भी प्रकाशित किया, “चूंकि चीफ कमिश्नर का विश्वास है कि सार्वजनिक शान्ति व सुरक्षा कायम रखना और युद्ध-सञ्चालन सुचारू रूप से चलते रहना आवश्यक है, इसलिए निम्न आदेश जारी किया जाता है :—

भारत-रक्षा विधान के नियम ४१ के उप-नियम (१) के अंतर्गत प्राप्त विशेष अधिकारों के अनुसार चीफ कमिश्नर ने दिल्ली प्रांत के मुद्रकों, प्रकाशकों व सम्पादकों के नाम निम्न आदेश निकाला है—(क) अखिल-भारतीय कांप्रेस कमेटी ने अपनी बम्बई की बैठक में ८ अगस्त, १९४२ के दिन जिस सामूहिक आंदोलन की मंजूरी दी थी उसके सम्बन्ध में, उस बैठक के समय से भारत के विभिन्न भागों में जो प्रदर्शन व उपद्रव हुए हैं और अधिकारियों ने सामूहिक आंदोलन व प्रदर्शनों व उपद्रवों से सामना करने के लिए जां उत्थाय किये हैं, इन सब के सम्बन्ध में तथ्य विषयक कोई संवाद या चिन्ह असिस्टेंट प्रेस एडवाइजर लाला सावित्रीप्रसाद अथवा चीफ कमिश्नर द्वारा हस्ती उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी दूसरे अकासर को प्रकाशित होने से पहले दिखाये जायें, और (ख) किसी समाचार-पत्र या किसी भी कागज (क) में निर्दिष्ट कोई सामग्री तब तक प्रकाशित न की जाय जब तक नियुक्त अधिकारी उसे प्रकाशन के उपयुक्त प्रमाणित न करदे।”

गृह-सदस्य ने कहा कि सम्पादक-सम्मेलन व सरकार के मध्य दिल्ली में प्रकाशित होने-वाले सभी तथ्य-सम्बन्धी संवादों की जांच के विषय में समझौता हो चुका है। सम्मेलन के सेक्रेटरी ने इससे इनकार करते हुए कहा, ‘‘मुझे अचरज हुआ है कि सरकार के दो जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने भारातमाओं में दो ऐसे वक्तव्य दिये हैं जो तथ्यों के विरुद्ध हैं और जिनका खंडन न किया गया तो सदस्यों व जनता में गतिफ़हमी फैल सकती है।’’

सम्मेलन के अध्यक्ष ने तुरन्त गृह-विभाग के पास एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था :—

“प्रतिवंधों के सम्बन्ध में प्रांत-प्रांत में अन्तर है और इसीलिए कार्य-पद्धति भी एक जैसी नहीं है। उदाहरण के लिए स्थायी समिति संवाददाताओं के नाम दर्ज कराने की प्रणाली का उदाहरण यह समझती है कि संवाददाता स्थायी अधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में आ जायें और साथ ही सम्पादकों के पास अपने संवाददाताओं से विपक्ष समाचार पाने का जो साधन है वह भी बन्द हो जाय। समाचार-पत्रों के लिए अधिकारियों को संवाद दिखाने का अनिवार्य नियम बनाने, डप्पल्व-सम्बन्धी समाचारों की संख्या सीमित करने और शीर्षकों तथा समाचारों को प्रकाशित करने के स्थान पर प्रतिवंध लगाने का स्थायी समिति के मत से केवल एक ही मतदब्द हो सकता है और वह यह कि सरकार तथ्य-सम्बन्धी समाचारों के प्रकाशित करने पर ही नहीं बल्कि उनके स्वरूप पर भी प्रयेक आवश्यक स्थायी में नियंत्रण रखना चाहती है।’’

२८ सितम्बर को राज-परिषद् में सरकार की नीति की आज्ञाओं करते हुए पं० हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि सैन्य-आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के समाचारों का नियंत्रण तोड़ देना चाहिए। पंडित कुंजरू ने राज-परिषद् में निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया—“गृह परिषद् गवर्नर-जनरल से सिफारिश दरती है कि समाचार-पत्रों पर लगाये गये प्रतिवंधों में, जिनसे काफी असंतोष फैल गया है, इस प्रकार संशोधन होना चाहिए जिससे कि समाचार-पत्रों तथा जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके। विशेषकर समाचारों और वक्तव्यों की पहले से काट-छांट समाप्त होनी चाहिए। काट-छांट सिर्फ सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही होनी चाहिए।”

माननीय पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने हिन्दू विश्वविद्यालय के विरुद्ध की गई कार्रवाई के

**सम्बन्ध में कहा :—**

“इस गम्भीर घटना के बारे में एक शब्द भी जनता तक नहीं पहुँचने दिया गया है। क्या इसे रंचमात्र भी न्याय कहा जा सकता है। हिन्दू-संप्रदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी के कारण सरकार को यह समाचार प्रकाशित होने देना चाहिये था। प्रतिबन्धों की वर्तमान प्रवाली इस भाँति काम कर रही है कि जनता व पत्र यह महसूस करने जागे हैं कि सरकार केवल उन समाचारों के प्रकाशन पर ही प्रतिबंध नहीं लगा रही है, जिनका सैनिक दृष्टि से महत्व हो या जिनसे उपद्रवों को प्रोत्साहन मिलता हो, बल्कि वह तो राष्ट्रीय आंदोलन तथा उसके दमन के सिलसिले में किये जानेवाले अत्याचारों को भी दबा रही है। यही नहीं, सरकार देश की वर्तमान अवस्था की खबरें अमरीका, चीन व युरोपियन देशों तक जाने से रोक रही है। भारत-सरकार की नीति के संबंध में यह सब से गम्भीर आरोप है।”

पंडित कुंजरू ने आगे कहा कि “वर्तमान असाधारण परिस्थिति को ध्यान में रखकर मैं यह आरोप लगा रहा हूँ। मुझे आशा है कि इस बहस के परिणामस्वरूप सरकार की नीति में परिवर्तन हो जायगा। सरकार अनुभव करेगी कि अनुचित उपायों को काम में लाकर तथा इस देश की वास्तविक अवस्था का चित्र भारत की जनता तथा अन्य देशों तक न पहुँचने देकर सरकार अविश्वास व असंतोष में वृद्धि कर रही है। सरकार उन लोगों से भी सुहाग मोहर ही है जो कांग्रेस की नीति के निन्दक हैं।”

यह प्रस्ताव ६ के विहृद २३ भांतों से अस्वीकृत हो गया। सर रिचार्ड टोटनहम ने बहस का उत्तर देते हुए कहा :—

“जहां तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय संबंधी खबरों का संबंध है, मेरा निजी रूप से विश्वास है कि घटना होने के समय खबरों का प्रकाशित होना सार्वजनिक हित के विहृद होता। परन्तु मद्रास के ‘हिन्दू’ ने यह समाचार १३ सितम्बर को प्रकाशित किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में गांधीजी का जो भाषण हुआ था वह उस आदेश के अन्तर्गत नहीं आता जो उपद्रवों या सामूहिक आंदोलनों के तथ्य विषयक समाचारों के सम्बन्ध में निकाला गया था। यह संभव है कि संवाद-एजेंसियों ने स्वयं ही भाषण को काट-छांट के लिए उपस्थित किया हो या संवाद-समितियों ने लुढ़ ही सम्पूर्ण भाषण को प्रकाशित न करने का निश्चय किया हो। इस आदेश के संबंध में एक याद रखनेवालों बात यह है कि उसका संबन्ध सिफर तथ्यों संबन्धी संवादों से था। संवादकोष आदाचना के संबन्ध में कोई भी प्रतिबंध न था। इस महत्वपूर्ण विषय को सरकार ने संवादकों के निषेध पर छाड़ दिया था। सूतना-सदस्य सर सी० पी० राम-हस्तमी अध्यक्ष ने पत्र-प्रतिनिविष्यों के मध्य भाषण करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीतिक विचार प्रकट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।”

१५२ में अखिल भारतीय संघादक सम्मेलन के कार्य की समीक्षा करते हुए उसके अध्यक्ष श्री कें० श्रीनिवासन ने सरकार पर दिलोचना समझौता तोड़ने और “भीतर शत्रु होने” का भय दिलाकर भारतीय समाचार-पत्रों को तुरी तरह काट-छांट करने का आरोप लगाया। “यदि हमारे मत से कोई प्रस्ताव अपमानजनक तथ्य पेश की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है अथवा जिसके कारण एक जिम्मेदार समाचार-पत्र के रूप में हमारा अस्तित्व असम्भव हो जाता है, तो उसे हमारे स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।”

अखिल भारतीय समाचार पत्र-सम्पादक-सम्मेलन से पूर्व अस्तूर के पहले सप्ताह में

प्रकाशन स्थगित कर नेवाले सम्पादकों में कुछ बैचैनी का भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने 'इंडियन एक्सप्रेस' के सम्पादक श्री रामनाथ गोहलका की अध्यक्षता में एक पृथक् सम्मेलन किया और सर्वसम्मति से चार प्रस्ताव पास किये । तीसरा प्रस्ताव इस प्रकार है :—

इस सम्मेलन का मत है कि अखिल भारतीय समाचार-पत्र-सम्पादक-सम्मेलन वर्तमान संकटकाल में देश के राष्ट्रीय समाचार-पत्रों का नेतृत्व करने में असफल रहा है । इसीलिए वह सम्मेलन से अनुरोध करता है कि देश के राष्ट्रीय समाचार-पत्रों की तरफ से वह और कोई वचन न दे । अब तक जो वचन दिये जा चुके हैं उनके सम्बन्ध में जिम्मेदारी से भी वह अपना हाथ छींचता है ।'

अखिल भारतीय समाचार-पत्र-सम्मेलन का अधिवेशन अपना नया विधान स्वीकार करने तथा नयी स्थायी समिति का चुनाव करने के बाद ५ अक्टूबर को समाप्त हो गया । उसमें समाचारों की काट-छांट-प्रणाली, समाचार सम्बन्धी तारों के देशी से पहुँचने और पत्रकारों की गिरफतारी व नजरबन्दी का विरोध किया गया । सम्मेलन ने यस प्रकट किया कि वह समाचारों की पहुँच से काट-छांट की प्रथेक प्रणाली का विरोधी है । सामूहिक आंदोलन या उपद्रवों से सम्बन्ध रखने-वाली किसी भी घटना का विवरण उपस्थित करने के लिए समाचार-पत्र आजाद रहने चाहिए । परन्तु सम्मेलन यह आवश्यक समस्ता है कि इस प्रकार के विवरण प्रकाशित करते समय पत्र संयम से काम लें और ऐसी कोई चीज प्रकाशित न करें, जिससे

(क) जनता को विध्वंसारमक कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता हो,

(ख) गैर-कानूनी कार्यों के लिए सुझाव या आदेश प्राप्त हों,

(ग) पुलिस, सैनिक अथवा अन्य सरकारी कर्मचारियों-द्वारा अधिकारों के अत्यधिक या अनुचित प्रयोग के सम्बन्ध में अथवा बंदियों या नजरबंदों के प्रति इयक्षणार के सम्बन्ध में निराधार या अतिरंजित विवरण मिलता हो, और

(घ) सार्वजनिक सुरक्षा की भावना कायम होने में बाधा पड़ती हो । यदि कोई समाचार-पत्र इस प्रस्ताव में डालिखित नीति के विरुद्ध चले तो उसके सम्बन्ध में प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय समाचार-पत्र सकारात्मक समिति के परामर्श से कार्रवाई करनी चाहिए ।

भारत की विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ।

राजपरिषद् के जावेकाले अधिवेशन में समाचार-पत्रों की स्थिति के सम्बन्ध में एक जोर-दार बहस हुई । यह बहस पंडित हृदयनाथ कुंजरू के प्रस्ताव पर हुई थी, जिसमें कहा गया था कि युद्ध के अतिरिक्त अन्य विषयों के समाचारों पर से, खासकर इन समाचारों से जिनमें आंतरिक राजनीतिक परिस्थिति तथा जनता के आर्थिक कश्याय पर प्रकाश पड़ता हो, प्रतिबंध इटा लेना चाहिए, और प्रांतीय सरकारों को भी इसी नीति का अनुसरण करना चाहिए । गृह-विभाग के सेक्रेटरी श्री कॉर्नेल स्मिथ ने कहा कि प्रस्ताव बहुत ही संकृचित है और सरकार उसे स्वीकार नहीं कर सकती, योकि वह प्रस्ताव की भावता से सहमत हैं । परन्तु सच तो यह है कि प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार नहीं किया गया कि सरकार इस नीति का अनुसरण नहीं कर रही थी । सरकार के विरुद्ध शिकायत यह थी कि वह देश की आंतरिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थिति-सम्बन्धी समाचारों को सुरक्षा-सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत प्रकाशित नहीं होने दे रही थी । पंडित कुंजरू ने इस विषय में कहा है कि उदाहरणों का इशारा दिया ।

नहीं तक प्रांतीय शासन का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ही देश की सुरक्षा का बहाना

बताकर प्रान्तों के राजनीतिक विभागों का प्रबन्ध कर रही थी और उधर ढोल यह पीटे जा रहे थे कि प्रान्तीय स्वायत्त शासन मजे में कायम है। प्रान्तीय शासन के अंतर्गत अन्न के प्रबन्ध से लेकर समाचारपत्रों के नियन्त्रण तक अनेक बातें ऐसी आ जाती थीं जिन पर केन्द्र का प्रभुत्व चल रहा था। बंगाल के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री फजलुल हक ने मई १९४३ में इस विषयमें जो रहस्योद्घाटन किया उससे प्रान्तीय चेत्र में हस्तक्षेप का आरोप ठीक प्रमाणित होता है। यह सभी जानते हैं कि १९४२ में उपद्रव जारी रहने के समय कानून व व्यवस्था-सम्बन्धी प्रान्तीय विभागों का संचालन पूरी तरह केन्द्र से हो रहा था। श्री कॉर्नेन स्मिथ ने भारत में समाचारपत्रों की स्वाधीनता के विषय में तुर्की मिशन का हवाला देकर थोथी दलीलों का आश्रय ग्रहण किया।

ब्रिटेन में भारत के सम्बन्ध में कुछ मिथ्या बातों का भी प्रचार किया गया। इस सम्बन्ध में हम 'बंबई कॉनिकल' के साप्ताहिक अङ्क से ऐसे ही मिथ्या प्रचार के कुछ उदाहरण देते हैं। यृष्ट ७२७ पर २ अगस्त के 'डेली स्केच' के प्रथम पृष्ठ का फोटोचित्र दिया हुआ है। इसमें पांच कालम का निम्न शीर्षक देकर पत्र के लाखों पाठकों में झूठ का प्रचार करने की चेष्टा की गयी है, "गांधी'ज़ इंडिया-जैपी पीस प्लान एक्सपोड़इ" (गांधी की भारत-जापानी संधि-योजना का भंडाफोड़)। समाचार को अधिक मनोरंजक बनाने के लिए नीचे बाये कोने में मीरा बेन (मिस स्लेड) का एक चित्र दिया हुआ है और चित्र के साथ मांटे अखरों में शीर्षक दिया गया गया है—“अंग्रेज स्त्री गांधी की जापानियों के लिए दूत।” गांधीजी की जिस गुप्त योजना को प्रकाश में लाने का दावा 'डेली स्केच' ने किया है वह केवल कार्यसमिति की कार्यवाही का वह अप्रमाणित विवरण है जो सरकार ने कांग्रेस के सदर दफ्तर की तलाशी लेते समय पाया था और जिसे उसने अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी को बंबईवाली बैठक से ठीक पहले प्रकाशित किया था। इस 'रहस्योद्घाटन' से भारत में किसी को भी संतोष नहीं हुआ और इससे सिर्फ सरकार की ही बदनामी हुई कि एक गलत बात को प्रमाणित करने के लिए उसे कैसेकैसे साधनों से काम लेना पड़ता है। सच तो यह है कि महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही कह चुके थे कि कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मित्रांशुओं और खासकर चीन व रूस के हितों को हानि पहुंचने की संभावना हो। यदि गांधीजी के मस्तिष्क में जापान जाने की बात उठी हो तो यह तो एक महात्मा का विचार था जिसका उद्देश्य कठोर हृदय तथा विकृत मस्तिष्क के जापानियों को समझा-बुझाकर ठीक रास्ते पर लाना था। इस उद्देश्य में चाहे उन्हें असफलता ही मिलती; किन्तु इसे गहार का कार्य कहना एक सफेद झूठ था। यह जासूस कर लगाया गया एक कमीना आरोपिया।

'संडे डिस्पैच' में उसके बम्बई-स्थित संचाददाता एच० आर० स्टिम्सन का एक विवरण प्रकाशित हुआ था, जिसके कुछ अंश नीचे दिये जाते हैं।

#### नर्तकियाँ

"पंडित नेहरू ने प्रस्ताव उपस्थित किया और कहा कि उसे ब्रिटेन के प्रति धमकी नहीं कहा जा सकता। आपने कहा कि इसे भारत की तरफ से स्वाधीनता की शर्त पर सहयोग प्रदान करने का प्रस्तावमात्र कहा जा सकता है।

"कार्यवाही के समय कुछ नर्तकियाँ लाई गईं, जिन्होंने कांग्रेसजनों के आगे गायन और नृत्य किया।

"इस घुणित रिपोर्ट के संबन्ध में स्थानीय पत्रों में पहले ही बहुत कुछ निकल चुका है और श्री स्टिम्सन जो 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के संपादकीय मंडल के एक सदस्य बताये जाते हैं, इस

कारण बहुत चिन्तित हैं। श्री स्टिसन अपनी सफाई में कहते हैं कि 'संघे डिस्पैच' ने उनके मूल तार को इस विकृत रूप में प्रकाशित किया है और अपने इस कथन की पुष्टि के लिए वे मूल तार की प्रतिलिपि दिखाने और उसे सेसर-अधिकारियों से प्रमाणित कराने को तैयार हैं।



(‘डेली स्कॅच’ के जिस विवरण का हवाला पृष्ठ २८६ पर दिया गया है उसका असली चित्र।)

“इस प्राकार श्री स्टिसन ने रिपोर्ट की जिसमेदारी लेने से इन्कार कर दिया है, किन्तु 'संघे डिस्पैच' के उसी अङ्क में एक और ऐसी चीज है जिसके साथ उनका नाम छपा है और उन्होंने इस के संबंध में अपनी जिस्मेदारी से इन्कार नहीं किया है।

“एक 'कोई श्रीमती गांधी' भी है, शीर्षक विशेष लेख है। इस लेख में महात्मा गांधी को एक ऐसे निष्ठुर पति के रूप में दिखाया गया है जो अपनी वृद्धा, अशक्त पत्नी पर विस्तर लाइकर उसे मीलों पैदल जाने के लिए मजबूर करता है जबकि वह खुद मोटर पर जाता है। बस्बई पटुचनेपर महात्माजी के स्वागत का विवरण देते हुए श्री स्टिसन लिखते हैं:—

“१५ मिनट बाद, जब एलेटार्म लगभग खाली हो चुका था, एक वृद्धा व अशक्त स्त्री ने उसी डिब्बे की खिड़की से बाहर की तरफ फौंका। उसके पैर नंगे थे और वह घर में कते सूत की साथी पहने हुए थी। चुपचाप उसने विस्तर लपेटा और उस विश्वाल खिड़की-भवन के लिए चल पक्की जो बहां से तीन मील की दूरी पर था और जहां महात्मा गांधी ठहरे हुए थे। यह गांधीजी

की पर्ती कस्तर था थीं। इस घटना से क्या कुछ प्रकट होता है।”

श्री स्टिम्सन, यह सफेद भूत पच नहीं सकता। प्रोफेसर भंसारी ने आष्टी व चिमूर कांडों के सम्बन्ध में जो अनशन किया था वह ६१ दिन चला था। मध्यप्रान्त की सरकार ने अनशन के समाचार पर प्रतिवंध लगा एक नयी परिस्थिति उत्पन्न कर दी। अखिल भारतीय संपादक-सम्मेलन से जो समझौता हुआ था, वह इस आदेश-द्वारा भंग हो गया। अब सम्मेलन के सामने अपने अधिकार के लिए दावा उपस्थित करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह गया।

३० दिसम्बर १९४२ को अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के अध्यक्ष श्री के० श्रीनिवासन ने निझ वक्तव्य प्रकाशित किया :—

“अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्मेलन की स्थायी समिति ने बम्बई में १८, १९ व २१ दिसम्बर को अपनी बैठक में जो प्रस्ताव पास किया था उसके अनुसार मैंने ६ जनवरी, १९४३ का दिन १ रोज की हड़ताल के लिए निर्धारित किया है। अनुरोध किया जाता है कि संचालकगण उस तारीखवाले पत्र प्रकाशित न करें। प्रतिवाद का दिवस सफल बनाने के लिए भारत भरके समाचारपत्रों से सहशोग प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

“प्रस्ताव के दूसरे भाग में सिफारिश की गयी है कि भारत भर के समाचार-पत्र आदेश वापस लिये जाने तक अथवा मेरे द्वारा अन्य कोई निर्देश किये जाने तक निझ पाठ्य-सामग्री प्रकाशित न करें :—

(१) गवर्नरमेंट हाउस की सभी गश्ती चिट्ठियाँ

(२) नये वर्ष की उपाधि-सूची, और

(३) ब्रिटिश सरकार, भारत-सरकार तथा प्रान्तीय सरकार के सदस्यों के पूरे भावणा; किन्तु भावणा के उन उंशों को इकाशित किया जा सकेगा जिनमें विसी निश्चय की सूचना होगी अथवा कोई घोषणा की जायगी। यह निर्देश १ जनवरी, १९४३ से अमल में लाया जायगा और आगामी सूचना देने तक जारी रहेगा।

“मुझे बड़ी अनिच्छा पूर्वक यह प्रस्ताव अस्त भी लाना पड़ रहा है; वयोंकि पिछले सप्ताह में भारत-सरकार को राजी करने के सभी प्रयत्न बेकार गये।”

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के सम्पादक ने सरकार व सम्मेलन के मध्य समझौता कराने में प्रमुख भाग लिया था। उन्होंने हड़ताल के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने पत्रमें निझ सम्पादकीय नोट लिखा :—

अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक-सम्मेलन के अध्यक्ष ने स्थायी समिति के सिफारिश करने पर सरकार के हाल के आदेश का प्रतिवाद करने के लिए समाचारपत्रों की हड़ताल का दिन निश्चित किया है और कुछ समाचारों को प्रकाशित न करने का भी निर्देश दिया है। पिछले दो वर्षों में सम्पादक-सम्मेलन ने भारत के समाचारपत्रों में जिस एकता को जन्म दिया है उसके महाव को महसूस करते हुए भी हमारे खलाल में विरोध करने का यह तरीका बेकार होगा और इससे कोई अच्छा परिणाम निकलने की ही आशा नहीं की जा सकती है। इसके अलावा समाचारपत्रों को एकदिन प्रकाशित न करने तथा अन्य दिनों में उनमें कुछ संवादों को न रखने से आप जनता को कुछ ऐसी जानकारी से भले ही हम सहमत न हों; किन्तु यह भी उचित नहीं है कि समाचारपत्र जिन बातों के लिए सरकार को दोषी समझते हों उनके लिए जनता को दंड का

भागी होना पड़े।

मद्रास-सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने नये वर्ष की उपाधि-सूची प्रकाशित न करनेवाले अंग्रेजी तथा देशी भाषाओं के पत्रों के पास २ जनवरी, १९४३ को निम्न पत्र भेजा:—

“मुझे आपको यह सूचित करने को कहा गया है कि चूँकि आपने नये वर्ष की उपाधि-सूची प्रकाशित नहीं की है, इसलिए सरकार ने निश्चय किया है कि आपके संबाददाताओं को विज्ञप्तियां तथा अन्य सरकारी पाठ्य-सामग्री प्राप्त करने के लिए सेक्रेटरियट में जाने की जो सुविधाएं अभी प्राप्त हैं उन्हें वापस ले लिया जाय। इस निश्चय को तरकाक ही अमल में लाया जा रहा है। जिन समाचार-पत्रों ने नये वर्ष की उपाधि-सूची प्रकाशित नहीं की है उनके प्रतिनिधियों के हवाई हमले के स्थलों को निरीक्षण करने के परिचय-पत्र भी रद किये जारहे हैं।”

नये वर्ष की उपाधि-सूची प्रकाशित न करने पर मद्रास सरकार का उपर्युक्त आदेश निम्न पत्रों के सम्बन्ध में अमल में लाया गया: ‘हिंदू’, ‘स्वदेश मित्रम्’, ‘इंशिड्यन एक्सप्रेस’, ‘दिनर्माण’, ‘आंध्र-पत्रिका’, ‘फ्री प्रेस’, ‘भारत देवी’ और ‘आंध्र-प्रभा’।

मद्रास सरकार ने अपने विभागों के प्रधानों तथा अपने अधीन अन्य अधिकारियों के पास एक गश्ती चिट्ठी भेजी थी कि जिन ग्रन्तों ने नये वर्ष की उपाधि-सूची प्रकाशित न की हो उन्हें सरकारी विज्ञापन भी न दिये जायें।

अनशन के समाचारों पर प्रतिबन्ध तथा विज्ञापन-सम्बन्धी आदेश १२ जनवरी को रह कर दिये गए। यदि कभी सरकार व सम्पादक-सम्मेलन में कोई समझौता होता था तो सरकार उसे भंग करने के लिए उत्तम जान पड़ती थी। दिल्ली के चीफ कमिशनर ने ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ के नाम आदेश निकाला कि प्रकाशित करने से पहले सभी समाचारों का सेंसर करा लिया जाय। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय अमेस्टली में एक काम रोको-प्रस्ताव भी उपस्थित किया गया।

२७ फरवरी, १९४३ को सरकार ने बम्बई के गुजराती दैनिक ‘जन्म-भूमि’ के विरुद्ध कार्रवाई की। बम्बई-सरकार ने ‘जन्मभूमि मुद्रणालय’ के ‘कीपर’ के नाम आदेश निकाल कर उसे जब्त कर लिया। कारण यह बताया गया कि २५ फरवरी के ‘जन्मभूमि’ तथा १५ व २६ फरवरी के ‘नूतन गुजरात’ में महात्मा गांधी के अनशन के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित किये गए थे और प्रकाशित करने से पूर्व इन समाचारों को प्रांतीय प्रेस-एडवाइजर को नहीं दिखाया गया था। सरकार ने ‘जन्मभूमि’ की जमानत भी जब्त कर ली। इस सामले को हाईकोर्ट तक ले जाया गया। हाईकोर्ट ने फैसला किया कि सरकार-द्वारा जमानत जब्त करना अनुचित था।

### समाचार-पत्रों का संचालन

उपर समाचार-पत्रों के सम्पादकों की जिन कठिनाइयों का वर्णन किया गया है उनका सम्बन्ध मुख्यतः संवादों तथा टिप्पणियों के प्रकाशन के संबंध में सम्पादकीय दायरिक तथा युद्ध व उपद्रव-संबंधी संवादों के सम्पादन से रहा है। एक दूसरे प्रकार की कठिनाइयां वे भी रही हैं जिनका संबंध सभ्यादकों से नहीं बल्कि पत्रों के संचालकों से रहा है। ये कठिनाइयां कागज की उपलब्धि, समाचारपत्रों के मूल्य, विज्ञापन की दरों तथा ऐसी ही अन्य बातों के संबंध में हो रही हैं। यही कारण है कि अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के साथ-साथ ‘भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र समिति’ नामक एक और संस्था काम करने लगी है। समस्याओं के अभाव के कारण इस संस्था के संबंध में पहले अधिक नहीं सुनाई देता था। युद्ध के कारण विदेश से आने वाले अख्यारी कागज की कमी हुई। भारत में पहले अख्यारी कागज के विषय

में आत्म-भरित बनने की चेष्टा नहीं की गई थी। इसीलिए युद्ध छिड़ने पर समिति को कागज की कमी की समस्या का सामना करना पड़ा। पहले समिति के अध्यक्ष श्री आर्थर मूर थे और फरवरी, १९४३ के बाद श्री देवदास गांधी निर्वाचित हुए। समाचारपत्रों की अखबारी कागज-संबंधी समस्या भी कुछ कम मनोरंजक न थी, किन्तु स्थानाभाव के कारण उसकी समीक्षा करने में हम असमर्थ हैं।

एकाएक सरकार ने देश के सम्पूर्ण अखबारी कागज पर नियन्त्रण कायम कर लिया और समाचारपत्रों के लिए देश के उत्पादन का सिर्फ दशमांश ही देना स्वीकार किया। इससे देशभर में हो-हड्डा मच गया और सरकार से कई डेपुटेशन मिले। तब कहीं सरकार ने कोटा बढ़ाकर ३० प्रतिशत करने का निश्चय किया। जहाँ तक हाथ से बने कागज का सम्बन्ध है, सरकार ने हस उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया। यही नहीं बल्कि अखिल भारतीय आम-उद्योग-संघ के सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया और फिर उन पर 'ग्रामोद्योग-पत्रिका' में प्रकाशित 'रोटी के बदले पथर' लेख के सम्बन्ध में मुकदमा भी चलाया गया।

भारतीय समाचारपत्रों की बाह्सराथ भारत व हृग्लैड में कई बार प्रशंसा कर चुके थे, किन्तु सरकार का सब भारतीय अथवा विदेशी पत्रों के प्रति बदला नहीं, यह अगस्त १९४३ की दो घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है।

कुछ समय तक समाचारपत्रों के सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। फिर जून, १९४३ में सरकार ने यह आदेश निकाल कर कि लुई फिशर के लेख अथवा भाषण सेंसर कराये जिना न छापे जायें, अखबारी दुनिया व जनता में स्खलबली पैदा कर दी। स्थायी समिति ने परिस्थिति पर विचार करने के लिए जुलाई में एक विशेष बैठक बुलाई। इस बीच में सूचना सदस्य का जो पद सर सी० पी० रामास्वामी अथवर के हस्तीफे से रिक्त हुआ था उस पर सरकार ने सर सुखतान अहमद को नियुक्त किया। सर सुखतान अहमद ने घोषणा की कि वे अपने विभाग का संबंध लोकमत से कायम करेंगे और सरकार तथा समाचारपत्रों में निकटतम सम्बन्ध कायम करेंगे। जून के अन्त में ज्ञात हुआ कि दो गैर-सरकारी सज्जाहकार बोर्ड माननीय सदस्य को लोकमत के सम्पर्क में रखेंगे। इनमें से एक बोर्ड में भारत की राजधानी में काम करने वाले देशी व विदेशी पत्र-प्रतिनिधि रहेंगे। दूसरा बोर्ड प्रकाशन सज्जाहकार बोर्ड होगा और उसमें समाचारपत्रों के सम्पादक, केन्द्रीय धारा-सभा के सदस्य तथा प्रांतीय प्रतिनिधि रहेंगे। इस बोर्ड में भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादकों को भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न किया जायगा। दोनों बोर्डों के अध्यक्ष सूचना-सदस्य सर सुखतान अहमद रहेंगे। एक तीसरा बोर्ड सूचना-सदस्य के आधीन विभिन्न विभागों के प्रधानों का रहेगा और यह नीति तथा कार्यक्रम का एकीकरण करेगा।

६ अगस्त से ही 'मैचेस्टर गांजियन' भारतीय समस्या को नये दृष्टिकोण से हल करने तथा कांग्रेस से मैत्रीपूर्ण बातचीत शुरू करने का हामी रहा है और अपने न्याय व सहानुभूतिपूर्ण इस दृष्टिकोण के ही कारण उसे भारत में अधिकारियों का कोपभाजन बनना पड़ा। अगस्त के दूसरे सप्ताह में ब्रिटिश तथा अमरीकी पत्र-प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन सर रामास्वामी मुदालियर ने किया था और उस में 'मैचेस्टर गांजियन' के प्रतिनिधि को नहीं आमंत्रित किया गया। कहा नहीं जा सकता कि ऐसा 'मैचेस्टर गांजियन' को उसकी बाह्सराथ-विरोधी तथा एमरी-विरोधी टिप्पणियों के लिए दण्ड देने के लिए किया गया था; यह सम्मेलन ब्रिटिश तथा

अमरीकी पत्रों के सिफं श्वेत प्रतिनिधियों के लिए था। यदि पिछली बात ही मानी जाय तो कहा जा सकता है कि भारत-सरकार के एक भारतीय सदस्य ने एक भारतीय श्री वी० शिवराव का अपमान किया और वह भी एक ऐसे भारतीय का, जो “हिन्दू” व ‘मेंचेस्टर गार्जियन’ के प्रतिनिधि के रूप में पत्रकार जगत में तथा वाइसराय की शासन-परिषद् के सदस्यों में पर्याप्त सम्मान के अधिकारी थे। यह तो गौरव की बात थी कि भारत की राजधानी में कम से कम एक ब्रिटिश पत्र का प्रतिनिधि भारतीय है। यदि पहला कारण माना जाय तो कहना पड़ेगा कि शासन-परिषद् के ये भारतीय सदस्य खुद भी हाइट हाल व दिल्ली के देवताओं की हुमराहना में हिस्सेदार थे और ‘मेंचेस्टर गार्जियन’ के न्यायपूर्ण रूख की कद नहीं कर पाये थे।

इसके अलावा भारत-सरकार व अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्मेलन के मध्य हुए समझौते के भंग होने का एक और भी उदाहरण दिया जा सकता है। करांची के सुप्रसिद्ध सिंधी दैनिक ‘हिन्दू’ को फिर से प्रकाशित होने की अनुमति नहीं दी गई। यह उन पत्रों में था, जिन्होंने अगस्त, १९४२ में जगाये गये प्रतिबन्धों के कारण काम बंद कर दिया था।

इस मामले पर हमें कुछ अधिक विस्तार से विचार करना चाहिए। ‘हिन्दू’ उन कितने हाँ पत्रों में एक था, जिन्होंने अगस्त १९४२ सेंसर की कड़ाई के कारण प्रकाशन बंद कर दिया था। बाद में अखबारी कामज पर भी नियंत्रण लगा। जुलाई १९४३ में संचालकों की फिर पत्र प्रकाशित करने की इच्छा हुई। जब ‘हिन्दू’ ने अखबारी कामज के लिए आवेदन-पत्र भेजा तो उत्तर मिला कि प्रकाशन का कार्य भारत-सरकार की विशेष अनुमति लिये बिना आरंभ नहीं किया जा सकता। अनुमति मांगने पर उससे प्रकाशन स्थगित करने का कारण पूछा गया। कारण बताने पर अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया। यह समझना कठिन है कि अनुमति देने से इन्कार किस आधार पर किया गया; क्योंकि इस सम्बन्ध में सिर्फ पृ० ही कानून, ‘१८ फरवरी के आदेश’ की बात सोचा जा सकती है और यह आदेश स्थगित होने के बाद फिर से प्रकाशित होने वाले पत्रों पर लागू नहीं हो सकता। उस आदेश में तो सिर्फ यही कहा गया कि केन्द्रीय सरकार के लिखित आदेश के बिना ऐसा कोई पत्र प्रकाशित नहीं हो सकता, जो १८ फरवरी से पूर्व नहीं छपता था। ‘हिन्दू’ १८ फरवरी से पूर्व छपता व प्रकाशित होता था; किन्तु इसका यह मतलब नहीं हुआ कि १८ फरवरी तक छपता हो। इस प्रकार की गई कार्रवाई व निश्चय दोनों ही गलत थे।

एक अन्य मामले में ‘हितवाल’ के संपादक श्री मणि से एक संवाददाता का नाम बताने को कहा गया। संपादक को भारत-रक्षा विधान के नियम ११६-ए के अंतर्गत मध्यप्रान्त व बरार के चीफ संकेटरी-द्वारा आदेश दिया गया। श्री मणि ने उत्तर दिया, “आपने जो गोपनीय बात पूछी है उसे बताने से इन्कार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। लेद है कि जो नाम और पता पूछा गया है वह मैं बता नहीं सकता।”

६ दिसम्बर को मध्यप्रान्तीय सरकार ने भारत-रक्षा विधान के नियम ११६-ए के अंतर्गत निकाला आदेश रद्द कर दिया। एक विज्ञप्ति-द्वारा बताया गया कि संपादक के आदेश न मानने पर प्रान्तीय समाचार-पत्र सलाहकार-समिति के सामने यह मामला उपस्थित किया गया। समिति ने सिफारिश की कि इस मामले को जहाँ-का-तहाँ छोड़ दिया जाय; क्योंकि संपादक ने संपादक-सम्मेलन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया कि उनकी जानकारी में सेंसर के समय दृस्योदाटन नहीं हुआ। यह आदेश मिठो ब्लेयर के इस्टीफे के सम्बन्ध में प्रकाशित एक लेख

के विषय में निकाला गया था। मिंट लेयर एक आई० सी० एस० अफसर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे और उन्होंने राजनीतिक कारणों से इस्तीफा दिया था।

परन्तु 'अमृत बाजार पत्रिका' के विरुद्ध निकाला गया आवेदन दमन के पिछले सभी कार्यों से बढ़ गया। पत्रिका के २८ और २९ सितम्बर वाले अग्रलेख अन्न के समस्या के संबंध में थे। प्रान्तीय समाचार-पत्र सलाहकार-बोर्ड ने उन्हें निर्देश बताया; किन्तु बंगाल सरकार की हाई में वे आपत्तिजक थे। उसने सलाहकार-बोर्ड की राय के विरुद्ध पत्रिका पर पहले से सेंसर का हुक्म तब्ब कर दिया। यही नहीं, प्रान्तीय सरकार ने बंगाल के समाचार-पत्रों को इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से भी मना कर दिया। यह तो बिलकुल एक निराली ही घटना थी। दोनों लेखों को पढ़ने से कारंवाई करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। बंगाल की तत्कालीन परिस्थितियों की कान्ति से पूर्व रुस से तुलना करने और फ्रांस की राज्य-कान्ति के उल्लेखमात्र से यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता था कि जनता को कान्ति के लिए उत्तेजित किया गया है, लेखों से अधिकारियों में घबराहट फैल गई। पिछली घटनाओं तथा परिस्थितियों के उल्लेखमात्र में उन्हें संकट दिखाई पड़ा। इससे सेंट्रल जेल में हुई एक घटना का स्मरण हो आता है। बंदियों के पढ़ने के लिए बाहर से आनेवाली पुस्तकों की जांच की जाती है। जांच करने वाले अधिकारी की कर्तव्यनिष्ठा की भावना इतनी तीव्र थी कि उसने 'कान्ति' शब्द के कारण "फोटोप्राफी में कान्ति" शीर्षक पुस्तक की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। 'अमृत बाजार पत्रिका' ने कुछ समय तक अग्रलेख के कालम में कुछ स्थान छोड़ना और जारी रखा और इस प्रकार बंगाल सरकार ने कम से कम कुछ समय के लिए 'शान्ति' का उपभोग किया।

भारत-रक्षा-विधान के अन्तर्गत वोषित किया गया कि समाचार-पत्रों के लिए विदेश से आने वाले तारों के अलावा अमरीकी पत्रकार लुई फिशर द्वारा भारत के सम्बन्ध में कहे या लिखे गये शब्दों को ब्रिटिश भारत में मूँझ या अनुवादित रूप में समाचार-पत्र, पुस्तक या पुस्तिका में छापने से पहले उन्हें मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक-द्वारा जांच के लिए चीफ प्रेस एडवाइजर (नई दिल्ली) के सामने उपस्थित करने चाहिए और इस प्रकार की कोई पाठ्य सामग्री चीफ प्रेस एडवाइजर (नई दिल्ली) की जिली अनुमति के बिना प्रकाशित न होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में पहले निकाली गई आज्ञा को रद कर दिया गया।

उन दिनों भारतीय-समाचार-पत्रों पर प्रतिबंध अर्थात् ये, यह मत भारतीय समाचार पत्रों में दिलचस्पी रखने वालों या भारतीय राजनीति की ओर झुके हुए लोगों का ही नहीं है बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का भी है जो भारतीय परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए यहां का दौरा कर रहा था। समाचारपत्रों पर लगे हुए प्रतिबन्धों पर मत प्रकट करते हुए पार्लमेंट के अनुदार दल वाले सदस्य श्री प्रांट फैरिस ने कहा था कि प्रतिबंध "वास्तव में बुरे हैं और शम्भु के लिए उपयोगी हो सकने वाले युद्ध-संवादों को छोड़कर अन्य संवादों पर इंगलैण्ड में नहीं लगाये जा सकते थे!"

'हितवाद' के सम्पादक श्री ए० डी० मणि के विरुद्ध प्रतिबंध व नजरबंदी आईमेंस के अंतर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री आर० के० मिश्र ने फर्द जुर्म लगाया। श्री मणि ने एक दिल्लित दक्षतय में कहा कि पत्रकारी पेशे का एक आधारभूत सिद्धान्त गुप्त रूपसे काम करना है। अधिकारियों तथा जनता को यह जानने के लिए उत्सुक न होना चाहिए कि कर्मचारी-मंडल के किस सदस्य ने वह संवाद दिया। आपने इस सम्बन्ध में खेद प्रकट किया कि जब सम्पादक

पर मुकदमा लगाया जा रहा है तो श्री ए० के० घोष व श्री एच० सो० नारद पर अभियोग क्यों लगाया गया। आपने यह भी लगाया कि संवाद छशने के समय वे खुद दिश्वी में थे और अखिल-भारतीय-समाचार-पत्र सम्मेलन की स्थायी समिति को बैठकों में भाग ले रहे थे। नागपुर से गैरहाजिरो होने तथा संवाद के प्रकाशित होने के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार न होने वालजूद यदि कानून उन्हींको जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार है।

श्री ए० के० घोष ने एक जबानी बयान में कहा कि वे 'हितवाद' के सम्पादक, मुद्रक व प्रकाशक कभी नहीं थे और न उन्होंने वह संवाद प्रकाशित ही किया; क्योंकि वे रात को काम नहीं कर रहे थे।

श्री नारद के वकील ने कहा कि श्री नारद ने नजरबंदों के विरुद्ध फर्द जुर्म नहीं लगाया था, उन्होंने तो सिर्फ अटकलबाजी से काम लिया था।

नये वर्ष की सबसे उल्लेखनीय घटना अखिल भारतीय समाचार-पत्र-सम्पादक सम्मेलन का खुला अधिवेशन था। सम्मेलन अपने जन्म के तीन वर्ष समाप्त कर दुका था और तीन वर्षों में ही पूर्ण यौवन प्राप्त कर दुका था। सम्मेलन की तुलना उन देवताओं से की जा सकती है, जो असुरों का सम्पादन करने के लिए जन्मते थे। असुर देवताओं के तप में इस्तखेप करते थे, और उनके अधिकारों की अवहेलना करते थे। इन देवताओं (पत्रकारों) ने भी निरंकुश शासन के विरुद्ध श्रावाज उठाई और उससे लोहा लेने के लिए कटिवद्ध हो गये। युद्ध के समय आडिनेस अनिवार्य होते हैं; किन्तु एक सतर्क लोकतंत्र में निकाले गये आडिनेस उन आडिनेसों से भिन्न होते हैं जो भारत को गैर-जिम्मेदार सरकार-द्वारा निकाले गये थे। सम्मेलन का जन्म निरंकुशता व असन्तोष के मध्य हुआ था; किन्तु नौकरशाही ने सोचा कि जोश व कदुता समाप्त होने पर सम्मेलन को भी घन्य कितनी हो। संस्थाओं की तरह अपना साधन बना लिया जाय, जो अधिकारियों की तरफ से अप्रिय काम करता रहे, बहुत कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार कैदियों को जेल में वार्ड बना दिया जाता है और किंवद्दन दूसरे कैदियों को पीटते हैं। परन्तु सम्मेलन कुछ और ही चाज से बना था और वह प्रान्तीय सरकारों को अनेक घोटों को सफलतापूर्वक बद्दलत करता रहा। फिर भी देश में यह भावना फैल गई कि दिल्ली में केन्द्रीय प्रेस सलाहकार से समझौता करते समय सम्मेलन जितना खुक गया वह गांधीजी को पसन्द नहीं आया और इससे उन्हें दुःख भी हुआ, बाद में सम्मेलन पर और भी बार हुए। सम्मेलन ने १९४३ की उपाधि-सूची न लापकर दृढ़ता का ही परिचय दिया; किन्तु उसने विज्ञापन के रूप में चित्रों के साथ विशेष व्यक्तियों का नाम प्रकाशित करने से सदस्यों को नहीं रोका। दोनों तरफ से चुनौतियाँ दी गयीं। सरकार ने 'अपराधी' समाचारपत्रों को विज्ञापन देना बंद कर दिया; किन्तु एक प्रान्तीय सरकार के खुक जाने से भगदा अधिक नहीं बढ़ने पाया। परीक्षा का समय उस समय आया, जब नौकरशाही ने पत्रकारों को सलाहकार-बोर्ड में नियुक्त करने का प्रबोधन दिया। पत्रकार खुक गये। एक समय आया, जब पत्रकार सबके सब इस्तीफा देकर इसका प्रायरिचल कर सकते थे; किन्तु इस्तीफा सिर्फ संस्था के सदस्य बने व्यक्तियों हो जाने दिया। प्रस्ताव का ज्ञान भी अधिक व्यापक हो सकता था। इस सबके बाद हमें उसके प्रथम अध्यक्ष की सेवाओं की कद करनी चाहिए, विशेषकर ऐसे समय जब कि सम्मेलन का जन्म हुआ था और उसे शरारती नौकरशाही से लोहा लेना था। फिर अध्यक्षता का भार श्री ए० ए० ब्रेलवी के कंधों

पर पहा, जो बीस वर्ष से एक प्रमुख पत्र के सम्पादक थे। श्री ब्रेलवी श्री श्रीनिवासन के समान अपने पत्र के स्वामी न थे और उन्हें प्रत्येक अवस्था में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। एक पराधीन देश में समाचारपत्रों को जिन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है उनसे वे खूब परिचित थे। उनके ये शब्द विशेष महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं कि “देश में वास्तविक सोक-तंत्रवाद की स्थापना के लिए अन्य किसी संस्था की दिलचस्पी सम्मेलन से अधिक नहीं हो सकती।” दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यही है कि समाचार-पत्रों से लोकतंत्रवाद की उन्नति हांसी है और लोकतंत्रवाद की उन्नति से समाचारपत्रों को प्रोत्साहन मिलता है। श्री ब्रेलवी को मद्रास के सम्मेलन में एकत्र होने वाले १०० सम्पादकों तथा ३०० प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त था। मम्मेलन में सरकार के सम्बन्ध में, एक सावर्जनिक संस्था के रूप में समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में और पेशे के रूप में पत्रकारों के सम्बन्ध में कितने ही प्रस्ताव पास किये गए और सम्मेलन के जावन का एक नया अध्याय शुरू होने के लक्षण दिखाई देने लगे।

मार्च, १९४४ में मध्यपान्तीय सरकार ने ‘नागपुर टाइम्स’ की जमानत जब्त करने के लिए बहा विचित्र कारण दिया। सरकार का आरोप था कि पत्र ने एक ऐसी बात जान वूँक कर प्रकाशित की है जो १९४४ के आईनेन्स ३ की धारा २ (२) के अन्तर्गत गोपनीय थी और इस अभियोग के कारण सरकार ने पत्र के सम्पादक व सुदृक को गिरफ्तार कर लिया था। जमानत जब्त किये जाने के समय स्थिति यह थी कि अभियुक्तों का मामला विचाराधीन था। अभियोग यह था कि सरकार ने नजरबन्दों के पास कुछ सूचना भेजी थी और उसे अभियुक्तों ने मध्यप्रान्त की सरकार से अनुमति लिये बिना ही छाप दिया था। उपर्युक्त कार्रवाई के अलावा ‘नागपुर टाइम्स’ को यह भी आदेश दिया गया कि सुरक्षा के विचार से रखे गये नजरबन्दों के सम्बन्ध में कोई भी बात प्रकाशित करने से पूर्व उसे संसर के लिए अवश्य उपर्युक्त किया जाय। इस तरह जबकि नवायालय में एक मामला विचाराधीन था, उसी समय सरकार ने उसके सम्बन्ध में दो दरडात्मक कार्य किये। शासन-सम्बन्धी अधिकारियों को इन दो आदेशों के कारण अदाकत में होने वाली कार्रवाई एक प्रकार से व्यवहार हो गई थी।

इससे स्पष्ट है कि राजनीतिज्ञों की तुलना में नौकरशाही के हथियार अधिक तीक्ष्ण थे। यह बात इसलिए और भी थी कि युद्ध में समाचार पत्र ब्रिटेन के समर्थक थे और सविनय अवज्ञा आनंदोलन को उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया था, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि समाचार पत्र आनंदोलन के सिद्धांतों में होने वाली नेताओं की गिरफ्तारियों का जोरदार विरोध कर रहे थे।

बम्बई सरकार ने ‘बांग्ले सेंटीनेल’ के संपादक पर ‘सेंटीनेल’ को बन्द करने का हुक्म तामीज किया। हुक्म इस प्रकार था: “कूँकि ब्रिटिश भारत की सुरक्षा तथा उत्तमता पूर्वक युद्ध-संचालन के लिए इसको आवश्यकता है, इसलिए बम्बई सरकार भारत रक्त विधान की ‘भारा ४’ के अनुयाय ‘बांग्ले सेंटीनेल’ के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाती है।”

बंगाल में समाचार पत्र सलाहाहार समिति नवम्बर, १९४० में स्थापित कर दी गई थी। परन्तु ऐसे बहुत-से मामले हुए जिनमें उससे सलाह लिये बिना ही अधिकारियों ने कार्य किया। प्रधानमन्त्री ने बताया कि १६ मामलों में समिति से सजाह लिये बिना ही कार्रवाई की गई। छः मामलों में कार्रवाई प्रान्तीय समाचार पत्र सलाहाहार समिति की सलाह से की गई। इनमें ४ में समिति ने कार्रवाई करने को सिफारिश की थी और २ में उसकी सलाह के विरुद्ध काम

किया गया था। पहले से सेंसर कराने के २, जमानत की जड़ती का १, सम्पादक, मुद्रक व प्रकाशक को दण्ड देने का १ तथा किसी विशेष अंक को सभी प्रतियों की जड़ती का १ हुक्म निकाला गया।

समाचार पत्रों का प्रकाशन कुछ समय के लिए बन्द करने के सात आदेश निकाले गये। इनमें से सिर्फ एक मामला समिति के सामने उपस्थित किया गया और उसमें समिति की सिफारिश के विरुद्ध कार्रवाई की गई। समाचारों का पहले से सेंसर कराने के आदेश चार मामलों में निकाले गये। इनमें से दो मामलों में कार्रवाई समिति की सलाह से और एक मामले में उसकी सलाह के विरुद्ध की गई। यह कार्रवाई पहले से सेंसर कराने का आदेश जारी करना, जमानत जड़त करना, सम्पादक, मुद्रक व प्रकाशक पर मुकदमा चलाना, पत्र को अस्थायी रूप से बन्द कर देना, पत्र की प्रतियों को जड़त घर लेना और छापेखाने के मान्त्रिक पर मुकदमा चलाना आदि भी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार व सम्पादक सम्मेलन में निरन्तर संघर्ष होता रहा। १९४४ में सेंसर के प्रश्न को लेकर सम्मेलन व सेकेटरियेट में उप्र विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें सेकेटरियट ने यही मत ग्रहण किया कि सैनिक-सुरक्षा के विचार को राजनीतिक व अन्य विचारों से पृथक करना प्रायः असम्भव है। शिकायत की गई कि सम्पादक सम्मेलन द्वारा स्थापित सलाह सम्बन्धी व्यवस्था का प्रान्तीय सरकारों ने पूरा लाभ नहीं उठाया। इसके जवाब में कहा गया कि इस व्यवस्था से सहायता नहीं प्राप्त हुई। इस प्रकार सम्मेलन एक स्थानीय बोर्ड की स्थिति में आगया, जिससे सरकार चाहे तो सलाह ले या न ले और चाहे तो उसकी राय की उपेक्षा ही कर दे।

समाचारों के सेंसर का यह विवाद १४ अगस्त, १९४४ को युद्ध समाप्त होने के कारण खँड हो गया। भारत सरकार के चोक प्रेस एडवाइजर ने एक आदेश निकाल कर कहा कि समाचारपत्रों को “सलाह देना” अब और आवश्यक नहीं रह गया है।

: ३० :

## प्रचार

प्रथेक प्रकार के संबर्थ में, वह चाहे युद्ध हो या राजनीतिक विग्रह, शत्रु की शक्ति व आत्म-विश्वास की भावना को घटाने का प्रयत्न किया जाता है। कोई सेना युद्ध-सेव्र में सफेद फँडा लगा कर आत्म-समर्पण सिर्फ उसी हालत में करती है जब अपनी शक्ति बढ़ जाय या शत्रु की शक्ति का अनुमान अधिक होने के कारण साहस व आत्म-विश्वास उसके हाथ से जाने लगे। शत्रु की भावना पर प्रचार के द्वारा विजय पाई जाती है। यह प्रचार हमेशा या बहुधा सत्य नहीं दृष्टा या सिर्फ अर्द्ध-सत्य होता है। यह रणनीति भारत व ब्रिटेन के बीच होने वाले राजनीतिक संबर्थ में भी उसी प्रकार काम में लाई जा सकती है जिस प्रकार पहले व दूसरे महायुद्धों में उसका प्रयोग किया जा चुका है। इस नये प्रकार के संबर्थ का उद्देश्य, जैसाकि लेखक द्विआर्चिकाल्ड मञ्जुलीन का मत है, अपनी स्थिति तथा उद्देश्य के संबंध में संवार के लोकमत का समर्थन प्राप्त करना होता है। इसमें युद्धसेव्र मानव-विचारवाला होती है। लेखक के शब्दों में “कोई राष्ट्र मानसिक सत्ता पर संबर्थ इसलिए करता है जिससे शत्रु को विश्वास हो सके कि वह जीत नहीं सकता तथा शेष संवार को विश्वास हो जाय कि वह खुद हो जात सकता है वह जीतेगा, उसी को जीतना चाहिए और उसे विजय में सबकी सहायता प्राप्त होनो चाहिए।”

कोष-संग्रह करने वाले विद्वान कोषकार भी किस प्रकार प्रचार के शिकार हो सकते हैं यदि पैंचिम पीलिटिकल डिक्शनरी में कांग्रेस शब्द के दिये हुए अर्थ से प्रकट है। “कांग्रेस मुख्यतः हिन्दुओं की संस्था है, जिसमें कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं और नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में है।” अतः न अथवा गलतव्यानी किस दृष्टि तक पहुँच सकती है, यह समझ के बाहर की बात है। भारत की जनता को अद्वालती, रजिस्ट्रो के दफ्तरों या रेलवे-स्टेशनों पर निरंतर उनकी जाति का स्मरण दिलाया जाता रहा है। स्टेशनों पर सो विभिन्न जातियों व सम्प्रदायों के लिए द्विआर्चक-शरण भोजनालय भी हैं।

यदि आप कांग्रेस कार्य-समिति पर हो दृष्टि दालें तो प्रकट होगा कि १५ में से ४ अर्थकि मुख्यमान हैं। एक ऐसी स्त्री है, जिनके पिता एक सुप्रसिद्ध ब्राह्मण थे और ब्राह्मण-कुल में जन्म ले कर भी जिन्होंने एक अब्राह्मण से विवाह किया है। दूसरे सदस्य बिहार के एक कायस्थ हैं। एक अन्य सज्जन बंगाल के कायस्थ हैं। तीन खत्री हैं। एक ब्रनिया (अप्रवाल) है। एक पट्टीदार (कृषक) हैं। तीन ब्राह्मण हैं, जिनमें सब-के-सब एक-दूसरे के साथ तथा इरिजनों के साथ बैठ कर भोजन करते हैं। कांग्रेस में ज्ञोग एक दूसरे की जाति की परवाह नहीं करते। यदि कुछ कांग्रेसी प्रधानमंत्री ब्राह्मण हैं तो ज्ञोकर्तव्राद में उन्हें अपने पद से वंचित कैसे किया जा सकता है।

गोकि अमरीका व इंग्लैड दोनों में भारत के पहले में प्रचार होता रहा है फिर भी ऐसे संवाददाताओं की कभी नहीं रही जो लम्ही सफर करके भारत आये हैं और यहां से उन्होंने ब्रिटेन व अमरीका में विरोधी प्रचार किया है और यह सब उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की आवधारण में किया है। जब-जब भारत में राष्ट्रीय आनंदोद्धारन ने सिर डालाया है। इस देश में विदेशी पत्रकारों का जमघट हो गया है और १९४२-४३ में तो यह जमघट खासतौर पर बढ़ गया था। ऐसे ही विदेशी पत्रकारों में एक थे श्री बेवर्ली निकोलस जिन्होंने भारत में आने से पहले ही इस देश में अपनी इस बोषणा-द्वारा धूम मचा दी थी कि “मैं भारतीय परिस्थितियों का निष्पक्ष अध्ययन करने आ रहा हूँ।” पहुँचते ही उन्होंने वाहसराय के लिए तूमर बांधना शुरू कर दिया कि उन्हें कितना परिश्रम पड़ता है। आपने यह भी बताया कि वाहसराय के महज में संगमरमर की कितनी प्रुत्तरा है और साज-सामान कैसा है और साथ ही यह मत भी प्रकट किया कि भारत जैसे पूर्वी देश की जनता में अंग्रेजोंके प्रति सम्मान व आतंक के भाव भरनेके लिए यह सब आवश्यक था। साथ ही आपने भारतीय पाठकों को यह भी बताया कि ‘‘इंग्लैड में २० व्यक्तियों के पीछे एक को भी यह जानकारी नहीं है कि भारत में कितने लोग जेलों में बंद हैं।’’ वे यह महसूस नहीं करते और यह एक बड़ी खेदजनक बात है।’’ इंग्लैड के सम्बन्ध में आपने सूचित किया कि वहां साधारण जनता में कानिंह हो चुकी है; लेकिन सम्मानित वर्ग उसे यह संज्ञा नहीं देना चाहते। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, साम्राज्य की पुरानी विचारधारा मर चुकी है। ब्रिटिश जनता यह भी महसूस करती है कि भारत को स्वाधीनता मिलनी चाहिए; किन्तु भारतीय लोकमत में परस्पर विरोधी वर्ग को देखकर वह दुविधा में पड़ जाती है, खासकर ऐसी हालत में जबकि स्टालिन और चर्चिल जैसे विरोधियों के सम्मिलन जैसे चमत्कार हो चुके हैं। तभी उन्हें अचरज होता है कि गांधी व जिन्हा मिलकर एक क्यों नहीं हो जाते। मई के अंत में जो घटनाएं हुईं और जिनसे महात्मा गांधी को जिंह जिन्हा से मिलने की हच्छा प्रकट हुई, उनसे यह भी पता चल गया कि ब्रिटिश सरकार यह भेट नहीं होने देना चाहती और साथ ही मिंह जिन्हा के अभद्रतापूर्ण उत्तर से भी इंग्लैड के वेवरिंगों व स्टिम्थों को भली प्रकार उत्तर मिल जाता है कि दोनों महानुभावों की भेट में सबसे बड़ी बाधा क्या थी।

‘संडे क्रानिकल’ को भेजे गये एक चिवरण में श्री बेवर्ली निकोलस ने भारत के सम्बन्ध में कहा:—

“फिर भी इस बात से हँकार नहीं किया जा सकता कि भारत की वर्तमान परिस्थिति असामयिक है। यह आप वाहसराय के भवन में पहुँचकर और उसकी समस्त शृष्टिभूमि को ध्यान में रखकर अनुभव करते हैं। यह पृष्ठभूमि माचीन रीति-रिवाज और पूर्वी तात्क-भद्रक की है, जिसे देश के निरंकुश शासकों ने उसकी करोड़ों जनता की आंखों में चकाचौध पैदा करने के लिए बनाये रखा है। इससे तर्क का गला घुट जाता है। नई दिल्ली-इस चित्र के अनुरूप है। पुरानी महान् परम्परा कायम रखी गई है। हाइट हाऊस की सड़गी बरती जाना यहां मजाक जान पड़ेगा। उसे देखकर हिन्दू हँसेंगे। मुसलमान धूणा करेंगे। नरेश इसे पागलपन कहेंगे।”

इसका जोरदार उत्तर मार्गरेट पोप ने निम्न शब्दों में दिया:—

‘मैं नहीं कह सकती कि श्री बेवर्ली निकोलस को यह किसने सुकाया कि भारत में उन्हें सफलता मिलेगी। लंदन के समाचारपत्रों में वे जो कुछ लिख रहे हैं उनसे लेकर ताजमहल होटल के उनके ब्याख्यान तक से मैं तो यही अंदाज लगा पाई हूँ कि उन्हें यहां प्रचार करने के लिए भेजा

गया है। नहीं तो उनके जैसा हृष्टपुष्ट युवक को हँगलैंड से भारत क्यों आने दिया जाता और भारत में 'दौरा' करने के लिए आजाद छोड़ दिया जाता ! ताजमहल होटल में 'राष्ट्रीय सेवा' के आदेश को लापरवाही से केंक देने की जो मनोरंजक घटना हुई है उससे यह संदेह घटने के बजाय यह ही गया है। हाल से बाहर जाते वक्त ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये क्या करने जा रहे हैं ? मैं तो यही कहना चाहती हूं कि श्री निकोलस पत्रकारी करें या प्रचार—इससे उनके अपने तथा जिस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा वे करते हैं, उसके सम्मान के प्रति धब्बा ही लगेगा। मैं तो उन्हें यही सलाह दूंगी कि अधिक हानि होने से पहले ही उन्हें प्रथम उपबन्ध वायुयान द्वारा इस देश से चले जाना चाहिए। श्री निकोलस, ध्यान रखिये कि यह कोई जोशीला भारतीय नहीं बलिक उन्हींके देश की एक ऐसी स्त्री कह रही है जिसका चमड़ा उन्हींके जैसा रखेत है। यह ठीक है कि सुमेर वाइसराय-भवन को निकट से देखने का अवसर नहीं मिला और न मैं ताजमहल होटल में ही बौद्ध पाई हूं और न असुविधाजनक प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैंने बहानेबाजी ही की है। परन्तु मैंने भारत में गम्भीर जांच-पड़ताल की है। मैंने दिली के वाइसराय-भवन की अपेक्षा कुछ अधिक महत्वपूर्ण चीजों को देखा है और यह स्वाभाविक है कि मैं कुछ ऐसी बातें जान गई हूं जिनसे श्री निकोलस अनजान हैं। उदाहरण के लिए, भारतीयों को उनकी अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में उपदेश देकर मूर्ख न बनने की बात मैं जान गई हूं, जैसे कि वे किसी कॉलेज की प्रथम कक्षा के विद्यार्थी हों। इन कारणों से श्री निकोलस को मेरी सलाह मानकर तुरन्त भारत से चले जाना चाहिए।

"यदि उनकी ताजवाली सभा भाषण की दृष्टि से असफल थी तो उनका 'संडे क्रॉनिकल' वाक्ता लेत्त तो पत्रकारी की दृष्टि से एक झाँझत है। भारत की भूमि पर पैर रखने के समय से अंग्रेज पत्रकारों की दंभरूर्ण शैली के सम्बन्ध में सुमेरे शिकायत की जाती रही है और श्री निकोलस का लेख तो सीमा का अतिक्रमण कर गया है। अधिकांश भारतीयों ने, पढ़ने की तो दूर रही, उनकी पुस्तकों के बारे में सुना तक नहीं है और उनके लिए यह विश्वास तक करना कठिन होगा कि वे पत्रकार नहीं बलिक कहानीकार हैं। इधर हाल में वाइसराय-भवन की तड़क-भड़क के संबन्ध में उन्होंने जो साहित्यिक छटा दिखाई है उसके संबन्ध में भारतीय यह नहीं सोच सकते कि यह उनकी कल्पनाशक्ति का परिणाम है; बलिक वे तो उसे बौद्धिक वैद्यमानी ही समझेंगे। मेरी तरह श्री निकोलस भी जानते हैं कि वाइसराय का वेतन हँगलैंड के प्रधानमन्त्री की अपेक्षा दुगुना है। लेकिन सुमेरे शक है कि वे जानते हैं कि 'चक्रचौंध में आने वाली' जनता की औसत आय ८ पौंड वाष्पिक से भी कम है। श्री निकोलस ने भारत को ब्रिटिश स्युजियम कहा है; लेकिन स्युजियम यह उसी सीमा तक है जिसके अंदर्जों का संबन्ध है। इस स्युजियम की दर्शनीय वस्तुएं पहले तो वह वाइसरायी तड़क-भड़क है जिसे श्री निकोलस पसंद करते हैं; और दूसरे वह पतनो-न्मुख साम्राज्यवादी शासन-व्यवस्था है जिसे वैध सरकार का नाम दिया जाता है। आधुनिक भारतीय विचार-धारा में साम्राज्यवाद भर चुका है और वह यहां फिर नहीं पनप सकता। लेकिन हँगलैंड में साम्राज्यवाद मरा नहीं है। वह अभी तक एमरी व उनके साथियों के मस्तिष्क में बना हुआ है। श्री निकोलस चाहें जो समझे, जादू-द्वारा भी भारत को ब्रिटिश स्युजियम से बदलकर संगठित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। भारतीय जादू में यकीन नहीं करते। उनका विश्वास जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार कायम करने में है, जैसाकि सुमेरे दिखाई है। भारतीय जनता ब्रिटिश राज को

आधुनिक भारत का सश्वेत बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभाव मानती है। उसका विश्वास है कि स्वाधीनता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और वह उसे प्राप्त करके रहेगी। उसका अंग्रेजों के प्रचार और उनकी मिथ्यावादिता में तनिक भी विश्वास नहीं है और मुझे लेद है कि वे श्री वेवर्ली निकोलस की बात का भी विश्वास नहीं करते।

“दोनों देशों के लिए, श्री निकोलस, घर वापस जाइये और यात्रा सम्बन्धी कोई दूसरी पुस्तक लिखिये। याद रखिये कि ‘घर’ जैसी जगह और कोई नहीं होती।”

श्री वेवर्ली निकोलस ने भारत के सम्बन्ध में एक पुस्तक ‘वर्दिकट आन हंडिया’ लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने कहा था:—

“गांधीजी की सत्य के प्रति आत्मा नहीं है।”

“हिन्दू-धर्म का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है।”

“भारतीय पत्रकार भूखं होते हैं।”

“भारत में सच्ची कला का अभाव है।”

“भारतीय समाचारपत्र अफवाह, दुर्भावना तथा, अज्ञान का गडबड घोटाला होते हैं।”

इन बातों से हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि हंगलैंड से कला-सम्बन्धी रुचि से हीन एक मूर्ख किस प्रकार अफवाह, दुर्भावना तथा अज्ञान का गडबड घोटाला एकत्र कर ले गया और उसे ऐतिहासिक आधार के बिना ही सत्य के रूप में प्रकाशित किया।

अब हम उन विदेशी पत्रकारों की चर्चा करते हैं जो भारत में रहकर सत्य पर प्रकाश डालने के लिए सचेष्ट रहे हैं। सबसे पहिले हम दो महिला पत्रकारों की चर्चा करेंगे। इनमें पहली मार्गरेट पोप हैं, जिनका उद्दरण हम ऊपर दे चुके हैं। दूसरी हैं सोनिया तीमारा। मार्गरेट पोप ने बताया है कि वे हंगलैंड में सत्य पर प्रकाश डालने में क्यों असमर्थ हैं।—

“वस्तव ही पहुंचने के समय से सैकड़ों व्यक्ति मुझसे कह चुके हैं कि जब आप भारत के सम्बन्ध में सत्य से अवगत हैं तो लिखकर हंगलैंड क्यों नहीं भेजतीं? हाँ, मुझे विश्वास है। कि मैं सत्य से अवगत हूँ। परन्तु खुद जानना और युद्ध के समय दूसरों को बताना ये दो मिन्न बातें हैं। मैं एक राष्ट्र की हूँ और आप दूसरे राष्ट्र के हैं, किन्तु हमसे कोई अंतर नहीं पड़ता। भारत-सम्बन्धी यथार्थ स्थिति की सूचना देने के बारे में हंगलैंड से कोई रिश्यायत नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में प्रतिवन्ध है। मैं भारत में दो साल काम कर चुकी हूँ। मैं ऐसी बातें देख और कर चुकी हूँ जिन्हें देखने व करने की हिम्मत अधिकांश विदेशी पत्रकार दस साल में भी न करेंगे। मैं शासन-व्यवस्था के भीतर व बाहर रहकर काम कर चुकी हूँ। परन्तु मैं हमेशा ही साक्रान्त्यवाद के लिखाफ काम करती रही हूँ। मैं ऐसे स्थानों व पदों से ज़रूर हट गई हूँ, जिनके कारण तथ्यों की जानकारी के सम्बन्ध में मेरे अनुसंधानों में बाधा पड़ी है, और वह भी ऐसे तथ्यों के सम्बन्ध में जिन्हें मेरे अधिकांश साथी या तो छोड़ देते हैं या जिन्हें वे विकृत रूप में संसार के सामने उपस्थित करते हैं। परन्तु इन साथियों को मेरी तुलना में एक सुविधा प्राप्त है। उनके लिखे हुए विवरण लाखों व्यक्ति पढ़ते हैं और जो भी कुछ वे कहते हैं उस पर ये लाखों पाठक विश्वास कर लेते हैं। जो कुछ वे लिखते हैं उसे उनके उच्च अधिकारी पसंद करते हैं और सेंसर वाले भी उसे पसंद करते हैं। और मैं? मैं जानती हूँ कि भारत के सम्बन्ध में मेरा वही दृष्टिकोण है जो फासिस्टों के एक सरचे विरोधी का होना चाहिए। इसे मैं सिद्ध कर सकती हूँ। परन्तु अपने विचारों की मैं जाहं प्रकट नहीं कर सकती। यदि मैं भारत में अंग्रेजों के सामने उन विचारों को प्रकट करती हूँ तो

वे विश्वास नहीं करते; परन्तु हाँगांग से बर्मा तक उन्होंने किसी नहीं बात पर यकीन नहीं किया। यदि मैं जेबों से बाहर वाले भारतीयों से कहती हूँ तो वे अपने मुँह किपाते हैं। वे जानते हैं कि जो कुछ मैं कहती हूँ सत्य है, किन्तु वे इस सत्य को मुनाना नहीं चाहते। अंग्रेजों में अभिमान भले ही हो; किन्तु जो भारतीय उनके साथ सहयोग करते हैं उनमें दुर्भावना होती है।”

भारतीय स्वाधीनता को लड़ाई के दोरान में हुए राजनीतिक अडंगे तथा कांग्रेस के विरुद्ध अंग्रेजों का प्रचार समय-समय पर विभिन्न रूप ग्रहण करता रहा है। भारतीय परिविति के विषय में जो समोकाएं प्रकाशित हुई उनमें जितनो दिक्कचस्पी समाचारपत्रों ने जो उससे कम दिक्कचस्पी सरकार ने नहीं ली। सर वेलेंटाइन शिरोक तथा उनके विरुद्ध लोकमान्य तिक्कन ने हैंगलैंड में मान-दानि का जो सुकदमा चलाया था वह होमरूल आन्दोलन व डससे पहले की एक विरस्तरणों घटना है। १९३० के नमक-पत्त्याग्रह के समय श्री स्लोकोम्ब भारत आये थे। १९३२-३३ में गांधी-हरविन समझौता भंग होने पर जो दुबारा सत्याग्रह शुरू किया गया उस समय एक मजदूर दल की समिति भारत आई थी, जिसको सदस्या कुमारी विलिंग्सन भी थीं। लुई फिशर, एडगर स्नो, स्टोक, सोनिया टामारा, मार्गरेट पोप और रेडियम वालों मैडम क्यूरी की उप्री कुमारी क्यूरी जैसे कितने ही पत्र-प्रतिनिधि स्वयं भी भारत आये थे। ‘न्यूज कॉनिकल’, ‘संडे डिस्पैच’ व ‘संडे कॉनिकल’ के अलावा भारत को इन संवाददाताओं-द्वारा लिखे विवरण पढ़ने को नहीं मिले। परन्तु इन पत्र-प्रतिनिधियों में एक लुई फिशर ऐसे थे, जिन्होंने भारत से वापस जाने पर अमरीका में आश्रयजनक कार्य किया। उन्होंने पत्रों में भारत के सम्बन्ध में लेख लिखे और व्याख्यान दिये। अपने लेखों पर रोक लगाने से पूर्व उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य सानकांपिस्को में एक ड्याल्यान देकर किया, जिसका पूरा विवरण मर्ह, १९४३ में भारत के कुछ देनिक पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इससे नौकर-शाही के धैर्य का अंत हो गया और विदिशा भारत में लुई फिशर के लेख या भाषण प्रकाशित करने पर रोक लगा दो गई। यह आदेश पुस्तक में अन्यत्र दिया हुआ है।

लुई फिशर के लेखों व भाषणों के भारत में प्रकाशित होने पर यह प्रतिबंध लगाना एक बड़ी विचित्र बात है; क्योंकि १९४२ में एक सभा में भाषण करते हुए उन्होंने भारत में समाचारपत्रों को दी हुई स्वाधीनता पर आश्र्य प्रकट किया था। आपने कहा था कि “सरकार व सरकारी उपायों की इतनी आलोचना और कहीं नहीं होने दी जाती।”

परन्तु इस आदेश से न्याय का भा गला छूटा गया है। भारतीय समाचारपत्रों को लुई फिशर के लेख व भाषणों का आदेश देकर सरकार ने उस समझौते को भंग किया, जो उसने अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक-सम्मेलन से किया था और जिसे मानने के लिए सम्मेलन के सदस्य राजो हो गये थे। प्रतिवन्व दूसरे शब्दों में पहले से सेसर कराने की आज्ञा देना था। सरकार तथा सम्पादकों के सम्बन्ध युद्ध-प्रयत्नों में बाधा न ढालने की एक बात पर निर्भर थे। जहांतक समाचारपत्रों का सम्बन्ध था उन्हें युद्ध-प्रयत्न में बाधा न ढालनी चाहिए और उधर सरकार को पहले से सेसर करने की प्रयात्री लागू न करनी चाहिए। सरकार ने द अगस्त के बाद के तथ्य-सम्बन्धी समाचारों पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रयत्न किया था उसका सम्मेलन ने आरम्भ में ही खात्मा कर दिया था। उसके प्रस्ताव का इससे सम्बन्ध रखने वाला अंश लंचे दिया जाता है।

‘सम्मेलन पहले से सेसर करने की प्रथा के विरुद्ध है। समाचारपत्र पहले किसी जांच के बिना सामूहिक आन्दोलन तथा उपद्रवों के निष्पक्ष विवरण प्रकाशित करने को स्वतंत्र रहने चाहिए। लेकिन सम्मेलन यह आवश्यक समझता है कि सम्पादकों को ऐसे विवरण प्रकाशित करने में संयम

से काम लेना चाहिए और कोई ऐसे विवरण न प्रकाशित करने चाहिए जिनसे जनता को विष्वंसात्मक कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता हो या जिनसे गैर-कानूनी कार्य के लिए सुझाव या आदेश मिलते हों अथवा जो पुलिस, सेना या अन्य सरकारी कर्मचारियों-द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग या अत्यधिक प्रयोग या नजरबंदों व दूसरे कैदियों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में निराधार या अतिरिक्त विवरण हों और जिनसे जनता में सुरक्षा की भावना कायम होने में बाधा पड़ती हो । यह जो साधारण नीति निर्धारित की गई है, इसे जानबूझकर भंग करने वाले समाचारपत्र के विरुद्ध प्रान्तीय सरकारें अपने यहां की प्रान्तीय समाचारपत्र सज्जाहकार-समिति की सखाह से कार्रवाई करेंगी ।”

श्री जी० पूजा० मेहता अंतर्राष्ट्रीय कारबार सम्मेलन के अधिवेशन में शरीक होने के लिए भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के उप-नेता होकर अमरीका गये थे । आपने बताया कि अमरीका में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन और खासकर कांग्रेस के विरुद्ध काफी प्रचार हो रहा है, आपने कहा—“अमरीकी जनता की भारतीय आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति है; किन्तु भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध में उनकी जानकारी अधिक नहीं है । अमरीका की अधिकांश जनता की भारत में दिलचस्पी है; किन्तु वे उसके बारे में जानते कुछ नहीं हैं । भारत के विषय में जानकारी की सचमुच कमी है । यहां तक कि ऐसे व्यक्ति भी जो भारत के लिए काम करते रहते हैं, जैसे पर्स बक, श्री वाला (पर्स बक के पति), लुई फिशर, श्री लैलन यूतंग, श्री नार्मन टॉमस (जो समाजवादियों की तरफ से अमरीका के राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे) ने कहा कि उन्हें खुद भारत के सम्बन्ध में बहुत कम सूचनाएँ मिलती हैं ।

“यह भी दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय एजेंट-जनरल का वाशिंगटन वाला कार्यालय ब्रिटिश दूतावास की शाखा की तरह काम करता है । कार्यालय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन और विशेषकर कांग्रेस के विरुद्ध निरंतर नीचतापूर्ण प्रचार करता रहता है । ब्रिटिश सरकार भारत के विरुद्ध प्रचार में जो लाखों पौँड खर्च करती है उसके अलावा भारत सरकार भी लाखों रुपये खर्च करती है । इस प्रचार से अमरीकी जनता में भारत की हालत व आकांक्षाओं के बारे में अम फैसला है । जैसाकि सभी जानते हैं, भारत व इंग्लैंड से अमरीका के लिए प्रचारक भेजे जाते हैं । कुछ ही समय पहले खबर मिली थी कि श्री बेवर्ली निकोलस अमरीका आने वाले हैं या सम्भवतः वहां पहुँच कर उन्होंने अपना दौरा आरम्भ भी कर दिया है ।

“यह प्रचार करने के लिए कि भारतीय अनेक ही उसकी आजादी की राह का रोड़ा है और कांग्रेस व गांधीजी धुरीराष्ट्रों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, बीसियों व्याख्यानदाताओं से काम किया जाता है और कितना ही साहित्य देश भर में विवरित किया जाता है ।

“ऐडियो पर भारत के सम्बन्ध में लुई फिशर तथा ब्रिटिश दूतावास के एक अधिकारी सर फ्रेडरिक पकड़ के मध्य तथा एक तरफ श्री नार्मन टॉमस व सिनेटर सेल्सर और दूसरी तरफ सर फ्रेडरिक पकड़ में विवाद हो चुके हैं । यदि हिन्दुस्तान में संवादों की काट-काट सिर्फ सैनिक कारणों से होती है तो इन विवादों की टाइप की हुई प्रतिक्रियां भारत में प्रकाशित की जाय ताकि भारतीय जनता जान सके कि अमरीका में कैसा प्रचार हो रहा है ।

“भारतीय एजेंट-जनरल के कार्यालय की दिलचस्पी यहां आने वाले भारतीय यात्रियों व विद्यार्थियों पर नजर रखने में जितनी अधिक है उतनी उनका सम्पन्न अमरीका की जनता से कायम करने में नहीं है । इसकी तुलना में भारत की राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से प्रकाशन की

व्यवस्था कम प्रभावहीन है और उसके साधन भी सीमित हैं। डा० सैयद हुसैन, श्री जे० जे० सिंह, श्री अमूरसिंह, श्री कृष्णकांत श्रीधररायी व अन्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोखन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करने व भारतीय दृष्टिकोण को उपस्थित करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। न्यूयार्क में एक भारतीय न्यापार-मंडल भी है; किन्तु उसके भी साधन सीमित हैं।

“अमरीका में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनकी शक्ति बढ़ाने तथा उनके पर्याप्त सचिवालाएं पहुँचाने की आवश्यकता है। श्री जे० जे० सिंह कई अमरीकियों के सहयोग से अमरीका इंडिया लीग को चाला रहे हैं और साथ ही वे भारतीयों के अमरीका आकर बसने से प्रतिबंध को हटाने का प्रबंध कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक चिल अमरीका की कांग्रेस में उपस्थित किया जाने वाला है। डा० अनूपसिंह और उनके साथियों ने वाशिंगटन में भारतीय स्वाधीनता की राष्ट्रीय-समिति कायम की है और वे ‘वायस आफ इंडिया’ नामक एक मासक पत्रिका भी चला रहे हैं। ‘इंडिया लीग’ एक बुलेटिन प्रकाशित करती है।

श्री मेहता ने आगे कहा, “हमारे प्रतिनिधिमंडल के जाने से पूर्व भारत से जो भी प्रतिनिधिमंडल अमरीका गये थे वे सब-के-सब सरकारी थे या सरकार-द्वारा नामजद किये गये थे। इसलिए यदि वे चाहते तो भी भारत की आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टता व निर्भयता पूर्वक, चिचार नहीं रख सकते थे।

“भारतीय दृष्टिकोण सबसे पहले ब्रिटेन तुड़स सम्मेलन में उपस्थित किया गया जिसमें गैर सरकारी सदस्य सर षण्मुखम् चेट्टी व श्री ए० डी० श्राफ ही नहीं बहिक भारत-सरकार के आर्थ-सदस्य सर जर्मी रेजेमेन तक ने स्टालिन पावने तथा देश की युद्ध के कारण हुई आर्थिक परिस्थिति के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण प्रकट किया।

“श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित की यात्रा तथा प्रशान्त सम्पर्क सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति से भारतीय दृष्टिकोण को बढ़ा मिल सकता है और वहाँ हमारे मित्रों की शक्ति भी बढ़ सकती है। अमरीका में भारतीय संवादों के प्रकाशन के सम्बन्ध में एक समझौता हो चुका है फिर भी मैं यह मानता हूँ कि भारतीय कारबाह प्रतिनिधि-मंडल के कार्य का अमरीकी पत्रों में अद्भुत प्रकाशन हुआ।

“मेरे लगभग छः सप्ताह के प्रवास में अमरीकी पत्रों में भारत के सम्बन्ध में शायद ही कोई खबर आई हो, सिवाय कुछ एकांकी खबरों के जो वाशिंगटन से भेजी गई थीं, जहाँ भारत में सार्जेन्ट-योजना की जाती है और उसे खरम करने का प्रयत्न किया जाता है, अमरीका में खबरें प्रकाशित की जाती हैं कि सरकार योजना को अमरीका में खा रही है। इसका उद्देश्य अमरीकी जनता को यह दिखाना है कि सरकार युद्धोत्तर उमिमिरण्य-कार्य तेजी कर रही है और भारतीय जनता का अधिकारिक कल्याण करता चाहती है।”

श्री मेहता ने बताया कि कठिपय शक्तियों के प्रभाव के कारण श्रीमती पंडित के कार्य को अमरीकी पत्रों में काफी स्थान नहीं मिला।

फिलाडेलिफ्ला के अम-सम्मेलन में भारतीय मिल-मालिकों का प्रतिनिधित्व श्री मुख्देरकर ने किया था। आपने पत्र-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में बताया कि अमरीका में भारतीय समरसाधनों के सम्बन्ध विचित्र दरीके का ब्राचार किया जाता है।

श्री मुख्देरकर ने कहा—“भारत लंसार के राष्ट्रों में सम्मानपूर्ण स्थान पाने लिए जो संग्राम कर रहा है उसकी प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की उरकंठा अमरीका के साधारण

टैक्सी ड्राइवर से लेकर बड़े-से-बड़े उद्योगपति में दिल्ली है देती है। अमरीका में भारत की आकांक्षाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की जो इच्छा है इसकी पूर्ति भारत-सरकार व ग्रिटिश-परकार देश भर में प्रचार के द्वारा कर रही है। वह प्रचार भी ऐसा रहा है कि उसे देखते हुए सरकारों की प्रशंसा नहीं की जा सकती।

“मुझे कितनी ही बार न्यूयार्क के आर्थिक हजारों के प्रमुख व्यक्तियों से भारतीय समस्याओं के विषय में बारतीत करने का अवसर मिल चुका है। उस प्रकार के प्रचार के प्रति विवेकशील तथा उच्च वर्ग के अमरीकी नागरिकों के जो विचार हैं उन्हें जानकर मेरा बड़ा मनोरंजन हुआ। परन्तु भारतीय गदारों को देश के एक छोर से दूसरे छोर तक “प्रसिद्ध पत्रकारों तथा सार्वजनिक जीवन में प्रमुख भारतीयों” के रूप में जिस प्रकार उपस्थित किया जाता है उस से देश की राजनीतिक अवस्था के सम्बन्ध में मध्यम श्रेणी के अमरीकी नागरिक अम में पढ़ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि भारत के रूपये से अमरीका में जो प्रचार हो रहा है और भारत की हालत के सम्बन्ध में अमरीकी जनता ने जो अम फैलाया जा रहा है उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।”

श्री मुलहेरकर ने बताया कि अमरीका में ३०० व्यक्ति दावतों तथा भोजों के अवसर पर व्याख्यान देते फिरते हैं और हसमें से अधिकांश भारतीय हैं। श्री मुलहेरकर ने बताया कि ये जोग भारत का जैसा चित्र रखी चते हैं उसकी एक झलक पछे हुए प्रश्नों से सुनें मिल चुकी है। एक उल्लेखनीय बात यह है कि इन व्याख्यानों का प्रबन्ध ग्रिटिश दूतावास के अधिकारियों-द्वारा किया जाता था।

इन व्याख्यानों में ऐसी बातें कही जाती हैं, जैसे भारत से अंडेजों के चले आने पर देश से इंसाई धर्म का नाम-निशान मिट जायगा। ऐसी बातें कहने से कम-से-कम मर्दजाओं में तो भारतीयों के प्रति रोष की भावना फैल जाती है। दूसरी ओर बात यह कही जाती है कि अंग्रेजों के चले आने पर भारत में गृह-युद्ध छिप जायगा; किन्तु रवाधीन होने के बाद स्वयं अमरीका में गृह-युद्ध चला था इसलिए इस बात का अधिक असर नहीं होता।

श्री मुलहेरकर ने आगे कहा, “ऐसे बातावरण में अमरीका के औद्योगिक व आर्थिक हजार के देश के औद्योगिकरण के सम्बन्ध में भारतीय उद्योगपतियों की विचारधारा के बारे में जब कोई सवाल उठाते थे तो उससे बड़ी राहत मिलती थी। अमरीकी उद्योगपति युद्ध के बाद भारत को मरीचें व कारीगर भेजकर सहायता पहुँचाना चाहते हैं।

“जब अमरीकी पूँजीपतियों से कहा गया कि भारत के पास डाक्टर-सम्बन्धी साधन थे; किन्तु ग्रिटिश सरकार ने उनका व्यय साज्जाज के हित में कर दिया तो, उन्होंने उत्तर दिया कि युद्ध के बाद ग्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत् में अपनी स्थिति की रक्षा करने के लिए स्टर्लिंग पावने की समस्या का, जो भारत ने अनेक कद्दों से जमा किया है, न्यायपूर्ण हजार करना होगा।”

डाक्टर पावने की समस्या के न्यायपूर्ण हजार के सम्बन्ध में अमरीका की सहानुभूति प्राप्त करना भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। यह सहानुभूति वया रूप ग्रहण करेगी, यह अभी से बताना कठिन है, किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि अमरीकी सरकार ग्रिटेन पर इस बात के लिए जोर देगी कि वह भारत को उसके हिस्से के डाक्टर उपकरण करे। यह डाक्टर भारत के हिसाब में १९३६ से अबतक अनुकूल व्यापारिक संतुलन होने के कारण तथा अमरीकी सरकार-द्वारा भारतीय सरकार को उस सामाजिक कानून करने के कारण जमा हो गये हैं जो भारत में रखी गई अमरीकी सेना के लिए दिया गया था।

अमरीकी उद्योगपतियों से बातचीत करने के परिणामस्वरूप ज्ञात हुआ कि वे भारत को मोटर, वायुयान, जहाज, भारी रासायनिक पदार्थ, रासायनिक खाद तथा पेट्रोल की जगह काम में जानेवाले अल्कोहल के उत्पादन के लिए मशीनें उपलब्ध करने को तैयार हैं। श्री मुख्यमंत्री को अमरीका में बड़े-बड़े कारखानों के गुट बनाने के विरुद्ध भावना दिखाई दी, जैसा गुट तेज़ के उद्योग में है।

श्री मुख्यमंत्री ने बताया कि अमरीकी पूँजीपति भारत को पूँजी सम्बन्धी सहायता देने को भी तैयार हैं। यदि भारतीय अमरीका के आर्थिक साम्राज्य की सम्भावना से भयभीत हैं तो ७५ प्रतिशत पूँजी भारतीय और २५ प्रतिशत पूँजी अमरीकी जगह जा सकती है। आपने यह भी कहा कि अमरीकी कारखानों में अभी कितनी ही उत्पादन शांक्फा बढ़त् पढ़ी है हुई है, जिसके कारण युद्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी गैर-सैनिक मांग पूरी करने व निर्यात के लिए उत्पादन-कार्य हो सकता है।

भारतीय सेना के अंग्रेज अफसरों में 'अवर इंडियन पृथ्वाहर' शीर्षक एक पुस्तिका प्रचारित की जा रही थी जिसका स्वतंत्र मजदूर दल के मंत्री श्री फैनर ब्रैक्वे ने विरोध किया। आपने कहा, 'मेरा स्वयाक है कि भारतीय सेना में काम करने के लिए जानेवाले अंग्रेज अफसरों में 'अवर इंडियन पृथ्वाहर' नामक जो पुस्तिका वितरित की जाती थी और जिसकी कुछ समय पूर्व में सार्वजनिकरूप से आलोचना कर चुका हूँ, अब युद्ध कार्यालय द्वारा वापस ले ली गई है।'

श्री टी० ए० रमन की 'रिपोर्ट ऑन इण्डिया'

भारतीय इतिहास के संकटकाल ( १९४२-४४ ) में भारत के सम्बन्ध में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। इनमें एक टी० ए० रमन की 'रिपोर्ट ऑन इण्डिया' थी। श्री रमन ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा के लिए भारत का दौरा कर रहे थे। उनकी पुस्तक की एक मनोरंजक आलोचना 'न्यू रिपब्लिक' ( १० जनवरी, १९४४-पृष्ठ ६० ) में प्रकाशित हुई।

"भारत के सम्बन्ध में सर जान सीझी ने १९७० में लिखा था—'अधिक समय तक पराधीन रहना किसी देश के राष्ट्रीय पतन का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है।' यह निस्संदेह सत्य है। इसका सबसे ताजा उदाहरण टी० ए० रमन की 'रिपोर्ट ऑन इण्डिया' पुस्तक है जिसमें लेखक ने अपने राष्ट्र पर विदेशी प्रभुता के पश्च में सफाई उपस्थित की है ( जरा क्षेपण कीजिये कि जर्मनों से धन लेकर कोई फ्रांसीसी एक ऐसी पुस्तक लिखें जिसमें अप्रत्यक्ष रूपसे फ्रांसीसी देशभक्तों की निन्दा की गई हो और क्रांस के जर्मन प्रभुता की प्रशंसा की गई हो, भारतीय की दृष्टि से देखा जाय तो यही टी० ए० रमन के कार्य की असलियत है )। लेकिन सर जॉन के सिद्धान्त का एक दूसरा पहलू है, जिसकी उन्होंने टेपेशा की थी। ऐसा कोई देश खुद भी, जो किसी दूसरे राष्ट्र को अपनी आधीनता में रखता है, राष्ट्रीय पतन से बच नहीं सकता। यह दुःखद पुस्तक ऑफसफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित की है जो इसके अतिरिक्त सदा सम्मानपूर्ण रहा है। इसमें हमें दोहरे पतन की बूँ आती है।"

अमरीका के लिए प्रतिनिधि मंडल

नवम्बर १९४३ में केन्द्रीय असेम्बली में सरकार के विरुद्ध एक निम्नांक का प्रश्नाव पास किया गया। यह प्रश्नाव अमरीका को भारत के युद्ध-प्रयत्नों के सम्बन्ध में व्याख्यान देने के लिए भारतीयों का प्रतिनिधिमयक भेजने के सम्बन्ध में था।

भारत का युद्ध-प्रयत्न एक मानी हुई बात थी फिर उसे सिद्ध करने के लिए चार राजभक्त

भारतीयों को अमरीका भेजने की जरूरत क्यों पड़ी ? भारत से जन और धन की सहायता के आंकड़े उपलब्ध थे और हन आंकड़ों के बावजूद देश में राजनीतिक असंतोष के बादल विर रहे थे। केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों को आशङ्का थी कि प्रतिनिधि-मण्डल कहीं राजनीतिक उद्देश्य से तो नहीं भेजा जा रहा। पहले प्रतिनिधि-मण्डल के नेता और बाद में एक सरकारी प्रवक्ता इस आशङ्का का खंडन कर चुके थे। परन्तु भारत जानता था कि पहले दो मिशन अमरीका में कैसा दौरा कर रहे थे। इनमें से पहले मिशन में सर्व श्री एस० एस० एस० पोल्क, एस० के० रेट्रिफ और टी० ए० रमन थे और दूसरे में लंदन-स्थित भारतीय, हाई कमिशनर सर एस० रंगनाथन थे। दोनों ही कांग्रेस व इसकी राजनीतिक मांग के विरुद्ध भाषण कर रहे थे। यह भी ज्ञात होतुका था कि दोनों भारतीय प्रतिनिधियों का खंड भारत सरकार ही उठा रही थी।

केन्द्रीय प्रसेम्बली के जो सदस्य निन्दा के प्रस्ताव के समर्थक थे वे इस कथन को सहम नहीं कर सके कि यह नया प्रतिनिधि-मण्डल, जिसमें सिर्फ भारतीय होंगे और उनकी संख्या ४ होगी, कोई राजनीतिक उद्देश्य लेकर नहीं जा रहा है। अत में १० कांग्रेसजनों की सहायता से, जो कांग्रेस के प्रस्ताव के विरुद्ध असेम्बली में आकर बहस में शारीक हुए थे, यह प्रस्ताव पास हो गया। कांग्रेसी प्रतिनिधि श्री जी० वी० देशमुख ने बहस आरम्भ की थी। कांग्रेसियों की असेम्बली में उपस्थित तथा निन्दा का प्रस्ताव पास हो जाने से कुछ हब्कों में जो संतोष हुआ था वह इस बात से फिका पड़ गया कि प्रतिनिधि-मण्डल उसी दिन हंगलैंड को रवाना, हो रहा था। मण्डल दो-दो सदस्यों के दो दब्लों में बट गया था और यह निश्चय हुआ था कि दोनों दब्ल बारी-बारी से हंगलैंड व अमरीका का दौरा करेंगे।

प्रतिनिधि-मण्डल ने हंगलैंड में जाते ही अपना प्रभाव खो दिया। उसे पहले ही दिन स्वीकार करना पड़ा कि केन्द्रीय असेम्बली उसकी निन्दा का प्रस्ताव पास कर चुकी है और यह असेम्बली भी जनता का पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं करती। यदि प्रतिनिधित्व न करने वाली असेम्बली ने ऐसा किया तो प्रतिनिधित्व करने वाली असेम्बली न जाने क्या करती ! और फिर उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि भारत के दो सबसे प्रमुख राजनीतिक दब्ल युद्धप्रयत्नों के विरुद्ध हैं। फिर प्रतिनिधि-मण्डल आखिर किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। प्रतिनिधि-मण्डल के नेता सर एस० शर्मा ने कहा कि उग्र-से-उग्र कांग्रेसजन भी जापान-विरोधी हैं और जापानियों की विजय की हृच्छा नहीं करता। आपने यह भी कहा कि यदि गांधीजी व कांग्रेसी नेताओं को रिहाकर दिया जाय तो समझौता हो सकता है। इसका लंदन में एक खंडन भी प्रकाशित किया गया।

प्रतिनिधि-मण्डल का वास्तविक स्वरूप भी शीघ्र ही प्रकट हो गया। अपने पिछले कथन के बावजूद प्रतिनिधि मण्डल के सभी सदस्य एक-एक करके राजनीति की दब्लूल में फंस गये। भारत के उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध में प्रतिनिधि मण्डल के नेता सर एस० शर्मा ने जो विचार प्रकट किये थे वे उन्हें भारत-मन्त्री कार्यालय के कहने पर बापस लेने पड़े। श्री गियाजुहीन ने कूटनीति का चोगा उतार कर खुले शब्दों में मान लिया कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दब्ल युद्ध-प्रयत्नों में भाग लेने के विरुद्ध अपना मत प्रकट कर चुके हैं। दब्लित जातियों या हरिजनों की दुरवस्था के लिए श्री गियाजुहीन ने अंग्रेजों को ही दोषी ठहराया। हरिजन नेता ने लुद भी कुछ ऐसी बातें कहीं, जो जननम की सभा में एकत्रित आई० सी० एस० व आई० ई० पूस० के सदस्यों को रुचिकर नहीं जागी। आपने कहा कि अपने १६० वर्ष के शासन-काल में हरिजनों की हास्त के लिए अंग्रेज शासक ज़िन्मेदार हैं। प्रतिनिधि मण्डल ने 'साम्राज्यिक

'निर्णय' का भी गुणगान किया; किन्तु इस बात का ध्यान नहीं रखा कि गांधीजी के अनशन के द्वारा कारण साम्राज्यिक निर्णय में कानूनिकारी परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन को इरिजनों व श्री रैमज़े मैकड़ानल्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इस परिवर्तन के कारण हरिजनों को जगभग १५१ सीटें मिलीं, जबकि पहले उन्हें सिर्फ ७१ ही सीटें दी गई थीं। कांग्रेसी सरकारों तथा स्थायी बोर्डों ने उन स्कूलों को आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया, जो प्राप्तने यहां अस्पृश्यता को कायम रखे हुए थे। कांग्रेस ने हरिजनों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। सिर्ल, सुस्थितम् या ईसाई पंथों में से जिस भी धर्म को ग्रहण करने से उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार होने की आशा हो उसे ग्रहण करने के लिए वे स्वतन्त्र थे। संयुक्तप्रान्त में हरिजनों का एक गांव-का-गांव सिल्ह हो गया। परन्तु छां० अम्बेदकर ने जो यह प्रस्ताव किया कि हरिजनों को उसी धर्म में जाना चाहिए, जो उन्हें सबसे अच्छा आर्थिक व सामाजिक पद है सके, उस पर विचार करके निर्णय करने की आज्ञादी तो प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति मांग ही सकता है। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, हरिजन हिन्दू धर्म के ही अंग माने गये और उन्हें निर्वाचित संस्थाओं में पृथक् व निश्चित प्रतिनिधित्व दिया गया और उनकी सामाजिक व शिक्षा-सम्बन्धी अवस्था में सुधार के लिए योजनाएं अमल में लाई गईं।

इस गैर-सरकारी प्रतिनिधि मण्डल की अमरीकी शाखा के सम्बन्ध में एक उपहासास्पद पेचीदगी उत्पन्न हो गई उसके अमरीका पहुँचने में देरी होने का यह कारण बताया गया कि सदस्यों के प्रवेश-पत्र देर से पहुँचे। प्रवेश-पत्र उसी हालत में मिल सकते थे जबकि व्याख्यान देने वालों को अमरीका की कम-से-कम दो सार्वजनिक संस्थाओं से निमन्त्रण मिलता। भारत सरकार इन व्याख्यानदाताओं में से प्रत्येक को ६०,००० रु. दे रही थी। यद्यपि उनके भेजे जाने की केन्द्रीय असेम्बली निन्दा कर चुकी थी, फिर भी प्रस्ताव पास होने के दिन ही उन्हें भारत से रवाना कर दिया गया। प्रतिनिधि मण्डल व सरकार दोनों ही का दावा था कि सरकार की तरफ से खर्च मिलने के बावजूद प्रतिनिधि मण्डल गैर सरकारी ही है। इस विचित्र स्थिति के ही कारण प्रवेश-पत्र मिलने में देरी हुई।

बाद की बटनाओं से सर सुन्दरान शहमद का यह दावा गलत हो गया कि प्रतिनिधि मण्डल का सम्बन्ध सिर्फ भारत के युद्ध प्रयत्नों तक ही सीमित रहेगा। परन्तु व्याख्यानदाता अध्यवा जनता दोनों में किसीने भी यह प्रतिबन्ध नहीं माना और अन्त में वह राजनीतिक प्रतिनिधि मण्डल ही प्रमाणित हुआ।

इंग्लैंड में श्री एमरी ने कहा कि एक पीढ़ी बाद भारतीय समस्या में ऐसा परिवर्तन हो जायेगा कि उसे पहिचाना भी न जा सकेगा। आपने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि स्वीकृत लेखकों व व्याख्यानदाताओं के द्वारा साम्राज्यवादियों के कटरपंथी विचारों को ही अमरीका में प्रीत्याहन मिले। हम सर सेमुअल रंगनाथन तथा श्री एच० एस० एल० पोलक द्वारा अमरीका के दौरे का हाल पढ़ चुके हैं। इनमें से रंगनाथन तो भारत के लन्दन-स्थित हाई-कमिशनर बना दिये गये। इन दोनों सज्जनों के बाद श्री होडसन आये, जो पहले 'राठेड टेब्ल' के सम्पादक थे और बाद में भारत सरकार के शासन-सुधार कमिशनर भी रह चुके थे। इन श्री होडसन ने स्थूलार्क के 'फोरेन अफेयर्स' में एक लेख लिख कर इंग्लैंड व भारत की प्रवृत्तियों की तुलना की। आपने कहा कि जहां भारत में राष्ट्रीय प्रवृत्ति की अधिकता है वहां इंग्लैंड में अन्तर्राष्ट्रीय इष्टिकोण की प्रधानता है और एक ही सम्राट की अधीनता में विश्व-व्यापी संगठन कायम रखने

में अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। श्री होडसन के हाथों में “ब्रिटेन जानता है कि स्वाधीनता एक प्रवर्तन है और इसीलिए वह अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए प्रयत्नशील है; उधर दूसरी तरफ भारत को आशंका है कि कहीं स्थिरता का परिणाम उन्नति में बाधा पड़ना न हो और वह राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए जालायित है।” गांधीजी की प्रवृत्तियों को “तानाशाही व किसी भी घटना में विश्वास न करने की प्रवृत्ति की ओर झुकाव” तथा श्री जिन्ना के “दुराप्रह” की चर्चा करने के पश्चात् श्री होडसन ब्रिटेन को उसके कर्तव्य का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि अगस्त १९४० में जार्ड जिनलिंग्गो ने अपनी शासन-परिषद् में भारतीयों की संख्या बढ़ाने की जो घोषणा की थी उस पर अमल होना चाहिए। श्री होडसन खिलते हैं, “अभी हमें काफ़ी दूर तक इसी नीति का अनुसरण करना है। स्वराज्य के मकसद तक पहुँचने के लिए भारत की प्रगति इसी तरह से हो सकती है, किसी तड़क-भड़क वाली नीति से नहीं।”

श्री डब्ल्यू० एच० चेम्बरलेन ‘येल रिव्यू’ व ‘फ्रिश्विन साइन्स मानीटर’ के रूप, सुदूरपूर्व व फ्रांस में प्रतिनिधि रह चुके हैं। श्री चेम्बरलेन ने ‘येल रिव्यू’ में एक लेख लिख कर भारत को स्व-शासन प्रदान करने के विरुद्ध भारतीयों में समझौते के अभाव का तर्क उठाया और कहा कि अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भारत में अराजकता फैल जायगी और ब्रिटेन ने जो शान्ति व व्यवस्था स्थापित की है वह समाप्त हो जायगी। लेख में यह सुझाव भी उपस्थित किया गया कि यदि अमरीका ब्रिटेन को आक्रमण से मुक्ति का आश्वासन दे सके और व्यापार तथा जकात के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दे सके तो वह भारत में स्वशासन की गति अधिक तीव्र कर सकता है और साम्राज्यवाद की कुछ विशेषताओं तथा एकाधिकारों से वंचित रहना स्वीकार कर सकता है।

जून, १९४४ में सर सेमुअल रंगनाथन ने, जो फिलाडेलिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अम-सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि थे, कहा कि “भारतीय राजनीतिक अङ्गों के बारे में अमरीकी नागरिक कोई मत नहीं प्रकट करना चाहते; किन्तु अमरीका वाले भारतीय समस्या का निवटारा जरूर चाहते हैं; क्योंकि मिश्राधों की युद्ध-सम्बन्धी कार्रवाई का यह आधार है।” हमारे मत में इसमें दो बातें शालत कही गई हैं। सर सेमुअल कहते हैं कि ज्ञोकमत प्रकट नहीं हुआ। यदि ज्ञोकमत प्रकट नहीं हुआ तो उन्हें यह कैसे जान पड़ा कि अमरीका के लोग भारतीय समस्या का निवटारा चाहते हैं। यह ठीक है कि वे एक, या दो, या आधे दर्जन अमरीकियों के विचार प्रकट नहीं कर रहे थे; लेकिन अगर इन आधे दर्जन व्यक्तियों में वेंडेज विल्की, हैमरी वालेस, विलियम फिलिप्स, सुमनर वेल्स, गुंथरकेट, एल० मिचेल्स और लुई फिशर हों तो उनका भी महत्व है। अगर सर सेमुअल का कहना है कि अमरीकी लोग भारतीय समस्या का निवटारा चाहते हैं तो यही मतलब हो सकता है कि अमरीकी का अधिकांश लोकमत यही चाहता है। फिर सर सेमुअल के इनकार करने का क्या मतलब है? कारण यह दिया गया है कि अमरीकी वाले समस्या का निवटारा इसलिए नहीं चाहते हैं कि भारत उनकी युद्ध-सम्बन्धी कार्रवाई का आधार है। यह तो अमरीकियों के विवेक व नैतिक स्तर पर आरोप है। अमरीका के लोग भारतीय समस्या का निवटारा इसलिए नहीं चाहते थे कि वह जापान के विरुद्ध युद्ध का आधार था विक इसलिए कि स्वाधीनता के लिए भारत का दावा न्यायपूर्ण अकाल्य व अत्यावश्यक था, जो अमरीका वाले खूब जानते थे और यह विचार कितनी ही बार प्रकट भी कर चुके थे।

जनवरी, १९४५ में “मैं आरोप लगाता हूँ” शीर्षक से ‘जीडर’, इकाहावाद में कई मनो-

रंजक लेख 'इंसाफ' के नाम से प्रकाशित हुए हैं। इन लेखों का सारांश नीचे दिया जाता है:—

अमरीका में ब्रिटिश तथा भारतीय सरकार के दूत भारत के राष्ट्रीय आनंदोलन विशेषकर कांग्रेस के विहृद जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। अमरीका की हिंडिया लीग के कार्यों का मुक्कबला करने के लिए श्री हेनेसी को प्रकाशन अधिकारी बनाकर भेजा गया; किन्तु यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। इसके बाद भारत सरकार के सूचना विभाग के सेक्रेटरी सर फ्रेडरिक पकल तथा भरत-मन्त्री के कार्यालय के प्रकाशन अफसर श्री जोहस दोनों ही को अमरीका भेजा गया। उन्होंने सुमाव उपस्थित किया कि सूचना-सम्बन्धी कार्य ब्रिटिश सूचना-विभाग के सिपुर्ड किया जाय तथा भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में अमरीका में अंग्रेजों का दृष्टिकोण उपस्थित करने का कार्य भारत-सरकार को सौंपा जाय।

रूस, चीन तथा मध्यपूर्व में भी भारत के सम्बन्ध में भ्रम फैलाया गया। १९४३ में भारत के सम्बन्ध में जो एकमात्र पुस्तक रूसी भाषा में प्रकाशित हुई वह श्री एस० मेझमान की थी और उसमें भारत में ब्रिटिश राज के सम्बन्ध में सदा का मत दोहरा दिया गया था। ऐसा जन पढ़ता था जैसे रूस भारत को और भारत रूस को अंग्रेजों की आंखों से देख रहे हैं। 'युनाइटेड पब्लिकेशंस' रूस को एक संवादपत्र 'मिजान' रूसी भाषा में, एक सचित्र पत्रिका 'दुनिया' अंग्रेजी व रूसी भाषाओं में और 'इंडियन कॉन्सिल' रूसी भाषा में भेजने लगा। भारत के सम्बन्ध में चीन के लिए कुछ लिखा जाय और गांधीजी का नाम न हो यह ठीक न था। इसलिए चीन को भेजी जाने वाली 'इंडिया' पत्रिका में इस बात का खास ध्यान रखा गया। प्रचार के इस गुरु का रूस को भेजे जाने वाले 'मिजान' पत्र में भी ध्यान रखा गया। चीन में प्रचार का लेत्र अच्छा था और उसका खुब उपयोग किया गया।

ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल के विभिन्न देशों में 'जीहुजूर' भारतीयों को हाई कमिशनर व प्रेसेंट-जनरल के पदों पर नियुक्त किया गया।

'युनाइटेड पब्लिकेशंस' ने अरबी की एक आकर्षक पत्रिका 'अल-अरब' फारस की खाड़ी के तटवर्ती देशों के लिए भेजनी आरम्भ की। अकगानिस्तान व ईरान को भेजी जाने वाली एक अन्य पत्रिका का नाम विश्व प्रसिद्ध 'ताजमहल' पर रखा गया। 'जहान-इ-आजाद' पत्रिका फारसी व अरबी दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित होती है। 'अहांग' अरबी भाषा की एक अन्य पत्रिका थी। भारत की सीमा की कबीली जनता के लिए 'नाहुन पारुन' नामक पत्रिका पश्तो भाषा में निकाली गई। 'जहान-इ-इमरज' फारसी में निकाला गया और फिर उसे बंद कर दिया गया। फ्रेंच, फारसी तथा अरबी भाषाओं में 'वंगल' मध्यपूर्व के देशों के लिए निकाला गया। 'दुनिया' कहूँ भाषाओं में प्रकाशित हुई। बालकों के लिए 'नौनिहाल' पत्रिका निकाली गई। उदूँ और द्विन्दी में 'आजकल' पत्रिका भी प्रकाशित हुई।

इस प्रचार कार्य में भारी खर्च हुआ। भारत-सरकार २५,००,००० रु० और ब्रिटिश सरकार १,००,००,००० डालर से १,२०,००,००० डालर तक सिर्फ अमरीका में भारत-विरोधी प्रचार पर खर्च करती थी। अमरीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वकालत करने के लिए १०,००० घट्टि काम कर रहे थे।

३० भारतीयों को प्रचारक के रूप में अमरीका ले जाया गया। इनके अतिरिक्त भारत-विरोधी प्रचार में बीबरबुक-गुप्त के समाचारपत्रों ने भी योग दिया। अमरीका में किलने ही ऐसे मिशनरी थे, जो भारत में रह चुके थे और जिनकी अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति थी। इनका उपयोग

किया गया। हनमें श्रीयुत व श्रीमती पीटर भी थे, जो १५ महीनों तक वाइसराय, गवर्नरों व नरेशों की मेहमानी भोगते रहे और हसके बाद उन्होंने एक जहरीली उस्तक 'दिस हज इंडिया' प्रकाशित की। ऐसे एक और सउजन थे—श्री पीटर ब्हीकर, जिन्होंने 'इंडिया, अरोन्स्ट दि स्टार्म' लिखी। लार्ड हैलीफैक्स ने येल विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री आर्चर से भारत जाने का अनुभव किया; किन्तु अमरीकी सरकार ने अनुभव किया कि श्री आर्चर के भारत जाने से अमरीका की बदनामी होगी। यह लार्ड हैलीफैक्स के चेहरे पर थप्पड़ लगा।

कई प्रमुख अमरीकी पत्रकार जैसे वाल्टर लिपमान, डोरोथी टॉमसन, जार्ज फील्डिंग हैलिश्ट, फिलिप सिम्स, वेवली रूट और वार्नेट नोवर अमरीकी पत्रों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पीठ थपथपा रहे थे।

इस एकांगी प्रचार के बावजूद अधिकांश अमरीकी पत्रों ने भारतीय स्वाधीनता का खुलकर समर्थन किया। भारत सरकार जो प्रचार कर रही है उससे ब्रिटेन हमें उल्लू नहीं बना सकता, यह प्रत्येक विवेकशील अमरीकी कहता था।

भारत के सम्बन्ध में अमरीका में जो मिथ्या प्रचार किया जाता रहा है उसका वारिंगटन के नागरिक कई बार विरोध भी कर चुके हैं। "भारतीय स्वाधीनता दिवस" की सभा में निम्न विचार प्रकट किये गये—

(१) यदि भारत की स्वाधीनता की कोई तारीख निश्चित कर दी जाय तो जापान के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है उसमें जल्दी ही विजय प्राप्त की जा सकती है।

(२) आजाद होने वाले प्रत्येक देश में एकता आजादी मिलने के बाद ही कायम हुई है। यही कारण है कि मुसलमानों की समस्या फिल्स्तीन व भारत में है, चीन व फिलिपाइन्स में नहीं।

(३) क्रिप्स-योजना इस प्रधार तैयार की गई थी कि उसका अस्वीकृत किया जाना लाजिमी था। यदि योजना स्वाकार करली जाती तो देश अनेक टुकड़ों में बँट जाता और आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत कमज़ोर हो जाता।

(४) यदि इंग्लैंड सचमुच भारत को स्वराज्य देना चाहता है तो उसे देश पर ब्रिटिश मेना व ब्रिटिश सिविल सर्विसें न जाइनी चाहिए।

#### एक नया विधान

कुछ समय से श्री एमरी यह गग अलाप रहे थे कि भारतीय विश्व-विद्यालयों के युवा विद्यार्थियों को देश के लिए एक ऐसा विधान तैयार करना चाहिए जो भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल हो। आपका कहना था कि पुरानी पीढ़ी ब्रिटिश विधान-प्रणाली से हातनी अधिक प्रभावित है कि वह और कुछ सोच ही नहीं सकती। श्री एमरी ब्रिटेन की शासन-प्रणाली के विरुद्ध जो उपदेश दे रहे थे उसका मुख्य कारण यह था कि मुस्लिम लीग उसके खिलाफ आवाज उठा रही थी। परन्तु श्री एमरी की अपील का कुछ भी नतोंजा नहीं निकला। इसलिए इंग्लैंड से एक प्रोफेसर को नुकील ट्रस्ट की वृत्ति देकर सर स्टैफर्ड क्रिप्स से पहले भेजा गया। इनका नाम था प्रोफेसर कूपलैंड और वे पिछली सामग्री का अध्ययन करने, वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और भविध के लिए विधान का सुकाव उपस्थित करने के लिए भेजे गये थे। उनके विधान की रूप रेखा लार्ड वेवल के आगमन से पहले प्रकाशित की गई थी।

प्रोफेसर कूपलैंड ने कहा कि छः वर्ष के प्रांतीय स्वायत्त शासन के अनुभव को मद्देन्द्र

नजर रखते हुए प्रांतों में बहुमत का शासन कायम करने के स्थान पर स्विस-प्रशासी का अनुच्छरण करना चाहिए, जिसमें व्यवस्थापिक परिषद् आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कार्यकारिणी का चुनाव करती है। प्रोफेसर कूपलैंड ने केन्द्र के सम्बन्ध में भी ऐसा ही सुझाव पेश किया है।

प्रोफेसर महोदय ने मुसलमानों को देश के बटवारे को मांग को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा करने पर साम्राज्यिक समस्याएँ हज़ार होने के बजाय और विषम हो जायेगी। उन्होंने देश के विभाजन तथा संघ-प्रशासी के मध्य का रास्ता निकाला। प्रांतों तथा रियासतों को मिलाकर 'प्रदेश' बनाये जायं और हन प्रादेशिक सरकारों को ऐसे अधिकार दिये जायं जो छोटी हकाईयों के अनुपयुक्त हों या जो केन्द्र को दे दिये गये हों। केन्द्रीय व्यवस्था में जनता के प्रतिनिधि न रहकर प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे। केन्द्रीय व्यवस्था हम अधिकारों को प्रदेशों की तरफ से अमल में लायेगी। यह "गुटबंदी से अधिक व संघ से कम" होगा। प्रदेशों का केन्द्र में समान प्रतिनिधित्व होगा।

प्रोफेसर कूपलैंड ने नवियों के मैदानों के अनुसार 'प्रदेश' अलग करने का सुझाव किया था। उनकी योजना के अनुसार भारत भर में ऐसे चार प्रदेश होंगे जिनमें से दो में हिन्दुओं का और दो में मुसलमानों का बहुमत रहेगा।

'टाइम्स' ने प्रोफेसर कूपलैंड की योजना की समाजोचना प्रकाशित की और उसमें केन्द्रीय सरकार के अधिकार, ब्रिटेन का दायित्व आदि समस्याओं के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। प्रोफेसर कूपलैंड का सुझाव था कि प्रदेशों के प्रतिनिधि केन्द्र में गुटों के रूप में मत प्रदान करें। 'टाइम्स' का मत था कि हिन्दू व मुस्लिम प्रदेशों की केन्द्र में समानता बनाये रखने के लिए यह सिद्धांत परम आवश्यक है। क्या इसका यह भी तात्पर्य है कि प्रदेश सिर्फ बहुमत सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे? कुछ भी हो यह स्पष्ट है कि केन्द्र में प्रादेशिक गुट-प्रशासी का परिणाम यही होगा कि अल्पसंख्यकों का मताधिकार विलकूल जाता रहेगा। इसका दूसरा परिणाम यह होगा कि दो छोटे प्रदेशों का साधारण बहुमत केन्द्र के २० प्रतिशत मतों पर नियन्त्रण रख सकेगा, चाहे उनमें सब से बड़े प्रदेश को छोड़कर सम्पूर्ण देश की पंचमांश जनता का भी नियांस न हो। इस प्रकार एक-इतिहाई जनता दो-तिहाई जनता के नियंत्रण को उलट सकेगी।

'टाइम्स' आगे कहता है—“यदि प्रदेशों का नियन्त्रण करने में प्रांतों के साथ रियासतों ने भी भाग लिया तो प्रतिनिधित्व-व्यवस्था की और भी दुर्दशा होगी। रियासतों के प्रतिनिधियों को प्रांतों के प्रतिनिधियों से आदेश लियेंगे। उदाहरण के लिए, विजाम के प्रतिनिधियों को दक्षिणी प्रदेश के हिन्दू बहुमत का आदेश मानना पड़ेगा। इससे हिन्दू व मुसलमानों को केन्द्र में समान प्रतिनिधित्व देने की कठिनाई पर प्रकाश पड़ता है।

“इसका हज़ार केन्द्र को दिये जाने वाले विषयों का महत्व कम करने से ही हो सकता है। प्रोफेसर कूपलैंड ने केन्द्र को “कमज़ोर” बनाने के लिए उसके जिम्मे कम विषय रखने का सुझाव किया है; किन्तु उन्होंने इस प्रश्न का सन्तोशजनक उत्तर नहीं दिया है कि अपने विषयों का प्रबन्ध करने के लिए केन्द्र में कितनी शक्ति होनी चाहिए। जकात तथा मुद्रानीति सम्पूर्ण आर्थिक सेत्र पर प्रभुत्व कर सकती है। संकट के समय रखा के लेत्र में प्रायः प्रत्येक वस्तु आजाती है। स्पष्ट है कि केन्द्रीय विषयों की सूची कम करने से कुछ भी ज्ञान नहीं है। हमें विषयों की प्रकार तथा जिस व्यवस्था द्वारा उनका प्रबन्ध होगा उन पर भी ध्यान देना चाहिए।

“यदि हमें केन्द्रीय विधान की कठिनाईयों या राजनीतिक घटनाओं से बचना है तो ऐसा

प्रबन्ध करना पड़ेगा, जिससे अखिल भारतीय महत्व के विषयों, जैसे रथा, विदेश-नीति, यातायात, सुद्धा तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबन्ध करिपय टैकिनकल संस्थाओं के सिपुर्द किया जा सके और इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप की कुछ भी सम्भावना न रह जाय। व्यापक लेन्ड में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें इस बात का कुछ भी महत्व न रह जाय कि भारत उसमें एक या एक से अधिक राजनीतिक हकाइयों के रूप में भाग लेता है।”

ब्रिटेन की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में ‘टाइम्स’ ने आगे कहा, ‘ब्रिटेन की सब से पहली जिम्मेदारी वैधानिक समस्या के निवारण के सम्बन्ध में है। उसका भारतीय जनता तथा उसके विशेष वर्गों के प्रति विशेष दायित्व है। प्रोफेसर कूपलैंड का कहना है कि रहा भारतीय महासागर लेन्ड की सुरक्षा के लेन्ड की एक अंग है। इसी प्रकार ब्रिटेन को रियासतों के प्रति नहीं बल्कि रियासतों के वर्तोंतम हितों के प्रति अपने को जिम्मेदार मानना चाहिए। हम अपने हाथ में हस्तक्षेप के अधिकार सुरक्षित कर अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर सकते। हम जिम्मेदारी के निर्वाह करने का यही तरीका है कि विभिन्न सम्प्रदायों के नेता जो विधान उपस्थित करें उसे हम स्वीकार करें। प्रोफेसर कूपलैंड विधान में विभिन्न साम्प्रदायिक व सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा की बात कहते हैं; किन्तु इन घोषणाओं का व्यवहार में क्या महत्व रहेगा?’’

लेख के अंत में कहा गया है, ‘‘ब्रिटेन की जिम्मेदारियों में से सब से मुख्य व कठिन ऐसी ऐसी परिस्थिति को जन्म देना है, जिसमें सर्व सम्भवति से विधान तैयार किया जा सके। यह आशा करना कि युद्ध समाप्त होने के बाद मुख्य दब्ल व सम्प्रदाय नया विधान तैयार करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में परस्पर अधिक सहमत हो सकेंगे, व्यर्थ ही है। ब्रिटिश अधिकारियों को पराधीनता से स्वाधीनता की अवस्था में परिवर्तन के लिए भारतीय नेताओं के जरिये क्रमशः प्रयत्न करना चाहिए।’’

प्रोफेसर कूपलैंड ने सर क्रेडिक हाइट की अध्यक्षता में बन्दन में हुई एक सभा में अपनी योजना का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि तत्कालीन गतिरोध मुख्यतः साम्प्रदायिक है। अपने यह भी कहा कि कांग्रेसी नेताओं की मुर्खता के ही कारण मुस्लिम लीग की इतनी उच्चति हो सकी है। सच तो यह है कि कांग्रेस ने ही लीग को शक्ति प्रदान की।

१६३७ में विजय के मद में आकर कांग्रेस ने संयुक्तप्रान्त में लीग को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उसने मुस्लिम-लीग से कांग्रेस में मिल जाने को कहा और प्रांत में विशुद्ध कांग्रेसी सरकार कायम करने का संकल्प किया। उसने निरक्षर मुसलमानों को कांग्रेस में जाने के लिए जन-सम्पर्क आंदोलन शुरू किया। तीसरे, उसने रियासतों में लोकतन्त्री नियन्त्रण के आंदोलन को आगे बढ़ाया और नरेशों की शक्ति नष्ट करने का उपक्रम किया। इससे साम्प्रदायिकता की वृद्धि हुई; वर्धोंकि नरेशों में सांप्रदायिकता बहुत कम थी। चौथी और अन्तिम बात यह थी कि गांधीजी भारतीय जनता के स्थान पर कांग्रेस को सत्ता देने की बात ब्रिटिश सरकार से कहने लगे।

प्रोफेसर कूपलैंड ने कहा कि कांग्रेस मुख्यतः हिन्दुओं की संस्था है और उसकी इन चालों से मुसलमान भयभीत होकर मुस्लिम-लीग के फरारों के नीचे एकत्र हो गये। आज निस्संदेह लीग बहुसंख्यक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है और लीग कांग्रेस की अर्द्धेन्द्रा कभी स्वीकार न करेगी; १६३८ का कानून खत्म हो जुका है और उस दिशा में प्रगति कभी न हो सकगी। यह कानून दो गलत सिद्धांतों पर आधारित है। पहला तो यह कि भारत एक राष्ट्र है। जबकि

वास्तव में वह एक राष्ट्र नहीं है। दूसरा यह कि भारत में पार्लमेंटरी शासन-प्रणाली सम्भव है। इन दोनों ही सिद्धांतों का परित्याग कर देना चाहिए।

प्रोफेसर कूपलैंड ने कहा कि समस्या का इस सिर्फ़ इसी तरह हो सकता है कि कांग्रेस किसी-न-किसी रूप में पाकिस्तान को स्वीकार कर ले। एक दूसरे सवाल के जवाब में प्रोफेसर कूपलैंड ने कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि कांग्रेस की शक्ति घट रही है। कांग्रेस भारत की सबसे शक्तिशाली संस्था है और दूसरों के अलावा उसे सभी हिन्दू युवकों का समर्थन प्राप्त है।

बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर सर अर्नेस्ट होस्टन ने प्रोफेसर कूपलैंड के इस मत को स्वीकार नहीं किया कि भारत में पार्लमेंटरी शासन असकल हुआ है।

यह समझना कठिन है कि यह बेसिन-पर की योजना उस बुराई को दूर कैसे करती, जिस के लिए उसे तैयार किया गया था। दो प्रकार की—प्रान्तीय व केन्द्रीय सरकारों की स्थापना की जगह उसमें तीन प्रकार की—यानी प्रान्तीय, प्रादेशीय व केन्द्रीय सरकारों की कल्पना की गई थी। उसमें केन्द्रीय सरकार को एक प्रकार से प्रादेशिक सरकारों की 'एजेंसी' का रूप दिया गया था। प्रादेशिक प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रणाली इस प्रकार रखी गई है कि अख्यात युवकों की वस्तुतः मतावधिकार से वंचित कर दिया गया है। उत्तर के दो प्रदेशों यानी सिंध व गंगा के प्रदेशों में हिन्दूओं के मत को तथा दिल्ली व पश्चिमी भारत में मुसलमानों के मत को दबा दिया गया है। जिन प्रान्तों को मिलाकर चार प्रदेश बनाने की कल्पना की गई है उनमें ऐसा प्रान्त कीन दै जो स्वावलम्बी नहीं बन सकता या प्रादेशिक सरकार की सहायता का अपेक्षित हो सकता है। इसमें पश्चिमोत्तर सीमापांत के अलावा, जो सैनिक महसूव का प्रदेश है, सिंध और उड़ीसा ही सबसे छोटे हैं और ये भी स्विटजरलैंड से छोटे नहीं हैं, जो २२ 'कैट्नों' में विभाजित हैं। यही कैट्न स्विस संघ की प्रादेशिक द्वाकाहायां हैं। स्विटजरलैंड की कैट्न भारत की एक तहसील से अधिक बड़ी नहीं है।

मौनदा केन्द्रीय विधयों में से किन्वें प्रादेशिक सरकारों के सुपुर्द किया जा सकता है? न विदेशी सम्बन्ध को, न युद्ध अथवा संघि करने के अधिकार को, न शस्त्रास्त्र के कारखानों को, न मुद्रा-प्रबन्ध को, न रेलों को, न डाक व तार को, न जकात को और न आय कर को। केन्द्र का ऐसा कोई भी विभाग नहीं है, जिसे छीकर प्रादेशिक सरकार को दिया जा सके।

१६०० शताब्दी के आरम्भ में ब्रिटेन ने अपनी जाति के उपनिवेशों को स्वाधीनता प्रदान की थी। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में दिल्ली अफ़्रीका को, जिसमें बोधर-जाति के लोग थे, स्वाधीनता दी गई। १६३१ में ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के विभिन्न भागों की स्वाधीनता को कानूनी तौर पर भी स्वीकार कर लिया गया। यह अन्त नहीं, आरम्भ था। १६३१ के ऐक्ट से ब्रिटिश-राष्ट्र-मण्डल का विभान डप्लोद करने का आयोजन किया गया।

इस्ट इण्डिया एसोसिएशन की बैठक में भाषण करते हुए भारत-मन्त्री लिओपोल्ड एमरी ने कहा, 'मैं पार्लमेंट में और उसके बाहर अनेक बार कह चुका हूँ कि हमारी शासन-प्रणाली भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारी प्रणाली में कार्यकारिणी दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए धारा-सभा पर निर्भर रहती है और धारा-सभा बाहर के एक छोटे दल के इशारे पर नाचती है। भारतीय गतिरोध का यही कारण है कि भारत के राजनीतिक दलों के नेता भोक्ते हैं कि ब्रिटेन में जिस प्रणाली को प्रहृण किया गया है, केवल वही एकमात्र सफल प्रणाली है। भारतीय राजनीति के विवाद की बहुत-सी कटुता सिर्फ़ इसीलिए है।'

प्रोफेसर कूपलैंड ने अपने भाषण में कहा, “जब तक ब्रिटिश भारत के हिन्दू व मुसलमानों में तथा उसके प्रांतों और रियासतों में समझौता नहीं हो जाता तब तक भारत एक राष्ट्र का पद नहीं प्राप्त कर सकता। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि हिन्दुओं व मुसलमानों का वैमनस्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार का स्थान लेना चाहती है। मुस्लिम-लीग का भय यह है कि इसके परिणामस्वरूप सिफ सात प्रांतों में ही नहीं बल्कि केन्द्र में भी हिन्दू-राज्य कायम हो जायगा। अधिकांश मुसलमान हिन्दू-राज से बचने के लिए पाकिस्तान को ही एकमात्र उपाय मानते हैं।”

वर्तमान विधान के सम्बन्ध में प्रोफेसर कूपलैंड ने कहा, “यह प्रमाणित हो चुका है कि ब्रिटिश तरीके की पालंमेटरी शासन-प्रणाली भारत के लिए अनुपयुक्त है। भारत में यह बत आम तौर पर मान लो गई है कि एकदलीय शासन के स्थान पर मिल्ली-जुली शासन कायम होना चाहिए। १९३५ के कानून के निर्माताओं की आशा पूरी न होने के कारण नये विधान में मिल्ली-जुली सरकार की बात कानून-द्वारा आवश्यक कर देनी चाहिए। पालंमेटरी शासन-प्रणाली भी भारत के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुई है क्योंकि देश में दल-प्रणाली अच्छी तरह कायम न रहने के कारण धारा-सभा में कार्यकारियों को अपदस्थ करने के प्रयत्न जारी रहने का खतरा होता है।”

प्रोफेसर कूपलैंड ने कहा कि स्विस विधान में हन दोनों कठिनाइयों को दूर किया गया है। उसमें निश्चित कर दिया गया है कि सभी प्रमुख कैटनों को संघ कार्यकारियों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कैटनों का स्थान आप प्रमुख दलों व सम्प्रदायों को दे दीजिये—आपकी मिल्ली-जुली सरकार बन जाती है। स्विस विधान में भी संघ कार्यकारियों होती है, जिसका निर्वाचन सज्ज धारा-सभा आरम्भ में कर लेती है और वह धारा-सभा के कार्यकाल तक रहती है।

प्रोफेसर ने कहा कि भारत को एक मञ्चवृत्त केन्द्र की जरूरत है; किन्तु वर्तमान मज्जे-वृत्ति में मुसलमानों किसी साधारण संघीय केन्द्र को स्वीकार नहीं कर सकते। मुसलमानों का दावा है कि वे एक पृथक् राष्ट्र हैं और अन्य छोटे या बड़े राष्ट्रों के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है। यदि यह दावा पूरा हो जाता है तो केन्द्र का स्वयंब्र विभिन्न छोड़ देना पड़ेगा। कम-से-कम पाकिस्तान का सिद्धान्त तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। भारतीय मुसलमानों के राष्ट्र की कल्पना को वैधानिक शक्ति देना भी जरूरी है और इसके बाद मुस्लिम-राष्ट्र को हिन्दू-राष्ट्र के समकक्ष बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा।

प्रोफेसर कूपलैंड ने प्रान्तीय स्वायत्त-शासन में काम करने वाली प्रान्तीय सरकारों की तारीफ में निम्न शब्द कहे:—

“प्रत्येक स्थान पर व्यवस्था कायम रखी गई। कोष का प्रबन्ध किफायत व बुद्धिमत्ता से किया गया। हर जगह समाज-सुधार की प्रगति हुई। समाज-सुधार में कांग्रेस को अपने प्रति-निदृयों की तुलना में अधिक सफलता मिली। कांग्रेस ने निरक्षाता-निवारण योजना तथा बुनियादी तालीम योजनाओं में बुद्धि तथा उत्साह दोनों ही का परिचय दिया। उसने गांवों में कर्जदारी के मसले को उठाया तथा कुछ प्रान्तों में निर्माण कार्य भी किये। साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने व दबाने के सम्बन्ध में भी कांग्रेस ने उत्तम कार्य किया।” इस तारीफ के बाद प्रायः प्रत्येक बुराई, और खासकर साम्प्रदायिक कठुता की जिम्मेदारी, कांग्रेस पर लादने का प्रयत्न किया गया है। प्रोफेसर कूपलैंड ने उस केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा

जिसने देश को एक ऐसे युद्ध में फँसा दिया जिसमें उसका अपना कोई भी हित न था । १९४० के घोलेबाजी से भरे प्रस्ताव तथा चर्चिक के हमले के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा । मुस्लिम-लीग को बातें बढ़ा-चढ़ा कर कहने का आरोप लगाकर सस्ता छोड़ दिया गया है, उधर तानाशाही का आरोप लगाकर कांग्रेस की निन्दा की गई है । क्या कांग्रेस के लिए अपना द्वार प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए खोब देना गलत था, जो ४ आने की फीस देने को तैयार था और जो जायज व शान्तिपूर्ण तरीकों से स्वाराज्य प्राप्त करने के लक्ष्य को स्वीकार कर चुका था । कांग्रेस पर यह आरोप करने का कारण सिर्फ़ यही था कि अपने मुस्लिम मन्त्रियों का चुनाव करते समय कांग्रेस उन मुस्लिम-लीगियों को नहीं चुनती थी जो उसके आदर्शों के विरोधी थे ।

भारतीय विधान के सम्बन्ध में प्रोफेसर कूपलैंड की योजना का उद्देश्य लीग की विभाजन सम्बन्धी योजना स्वीकार किये बिना उसके हड्डेश्य की सिद्धि करना था । प्रोफेसर कूपलैंड ने ‘न्यूयार्क टाइम्स’ के संत्रादाता भी हर्वर्ट मैथ्यूज के कथन के आधार पर बताया कि “पंजाब के मुख्य प्रान्त में ऐसा कोई भी प्रभावशाली मुसलमान नेता नहीं है, जो पाकिस्तान का समर्थक हो ।” आपने यह भी स्वीकार किया कि कटुता के मूल में धार्मिक अस्थाचार अथवा अल्पसंख्यकों के प्रति दुर्ब्यवहार का भय नहीं है । प्रोफेसर कूपलैंड ने कांग्रेसी सरकारों की उन कारतों को भी अधिक महत्व नहीं दिया है जिनकी सूची लीग वालों ने तैयार की थी । प्रोफेसर कूपलैंड के मन से इसका मुख्य कारण एक-सी जनता का अभाव है । परन्तु सवाल उठता है कि क्या एक शताब्दी पहले कनाडा या दक्षिण अफ्रीका में एक-जैसी जनता थी ? प्रोफेसर कूपलैंड ने इसीलिए मिढ़ीजुली वजाराओं को जरूरी समझा है और कहा है कि ये वजारते धारा-सभाओं के मुकाबले में अधिक मजबूत होनी चाहिए । प्रोफेसर कूपलैंड अपने तर्क की पुष्टि में कहते हैं कि युद्ध से पूर्व फ्रांस और इटली में धारा-सभाएं कार्य-कारिणियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थीं और इसीलिए वहां अधिक गढ़वाल होती थीं । परन्तु ये पंक्तियां लिखते समय ( नवम्बर, १९४३ ) हम संयुक्त-राष्ट्र अमरीका का उदाहरण दे सकते हैं, जहां हाज़ार के चुनाव में रिपब्लिकनों को डिमोक्रेटों की तुलना में सफलता मिली थी । अमरीका में कार्य-कारिणी को धारासभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली माना जाता है; किन्तु निनेट का विरोध होने के कारण कार्य-कारिणी संस्कट में पह गई । श्री एमरी ने स्वयम् कोई मत प्रकट करने से यह कहकर इन्कार कर दिया कि भावी विधान बनाने की समस्या का सम्बन्ध भारतीयों का ही है । परन्तु साथ ही उन्होंने प्रोफेसर कूपलैंड के सुझावों को उपयोगी बताया । यह ठीक है कि प्रोफेसर कूपलैंड किसी सरकारी पद पर काम नहीं कर रहे थे, किन्तु क्रिस्स-मिशन से सम्बन्ध रहने के कारण प्रोफेसर कूपलैंड को बिलकुल गैरसरकारी व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता था । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये ‘उपयोगी सुझाव’ १९३५ के विधान के मुकाबले में पेश किये जा रहे थे, जिनके विळङ्ग श्री एमरी सुद कहते नहीं थकते थे, जिन्हें वे भारत के लिए अनुपयुक्त बता चुके थे और कह चुके थे कि युवकों को नये प्रकार के विधान की बात सोचनी चाहिए । परन्तु लार्ड डेली को ये प्रस्ताव उपयोगी नहीं जान पड़े । उन्होंने चार प्रदेशों वाली योजना को ‘बनावटी’ बताया और कहा कि प्रदेशों की उपयोगिता भी अस्पष्ट है । आपने कहा कि योजना में ‘यादार्थता का अभाव’ है और प्रोफेसर साहब ‘साम्प्रदायिकता के गणित’ में जरूरत से कहीं आगे बढ़ गये हैं । लार्ड डेली की कार्य-कारिणी तुलना में धारा-सभा को कमज़ोर रखने की बात भी पसंद नहीं आई । आपने केन्द्र को कमज़ोर रखने का भी विरोध किया । प्रोफेसर अर्नेस्ट बाकर ने यह विचित्र मत प्रकट किया कि लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं होता, अधिक बहुसंख्यक दब तथा

अधिपर्याप्त दल में समझौता ही होता है जैसा कि १८ वीं शताब्दी में था। प्रोफेसर बार्कर ने कहा कि 'प्रदेशवाद' के प्रति मेरा आकर्षण कम नहीं है; किन्तु फ्रांसीसी तथा अंग्रेज विचार-धारा में यह 'बाद' कल्पना की सीमा से आगे नहीं बढ़ पाया। स्विटज़रलैंड के उदाहरण को आपने उपयोगी नहीं बताया और कहा कि भारतीय जिम्मेदार वजारत की जहरत महसूस कर सकते हैं।

राजनीति में दक्षिण व वामपक्षी दलों की तुलनात्मक समीक्षा कुछ कम मनोरंजक नहीं है। दक्षिणपक्षी दल विचारों की अपेक्षा स्वार्थों का अधिक ध्यान रखता है। अनुदार दल वाले पूँजी के रूप में डिज़रैली, लार्ड सेलिसबरी, चर्चिल या चैम्बरलेन का नाम ले सकते हैं। उनका मुख्य गुण यही है कि युद्ध के समय वे सभी सैनिक बन जाते हैं। वे एकता की जहरत महसूस करके संगठित रूप से काम करने लगते हैं।

अभी वामपक्षी दलों को उनसे यह शिक्षा ग्रहण करनी है। निसंदेह वामपक्षियों की विचार धारा प्रगतिशील होती है। वामपक्षियों ने युद्धकालीन प्रधान मन्त्री के रूप में चर्चिल का तो समर्थन किया; किन्तु अभी राष्ट्र ने यह निश्चय नहीं किया है कि नवीन विचारों को किस प्रकार ग्रहण किया जाय।

इसी तरह कहा जा सकता है कि जिम्मेदारीपूर्ण शासन-व्यवस्था की निन्दा नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी न तो उसका पर्याप्त परीक्षण हुआ है और न भारत में उसे अमल में लाये ही जायादा अरसा हुआ है। ब्रिटेन में जिस प्रणाली पर १०० वर्षों से अमल होता रहा है उसकी निन्दा प्रान्तीय लेत्र में किसी वाइसराय या गवर्नर ने नहीं की है। जिस लीग के प्रति प्रोफेसरों तथा भारत मन्त्री की इतनी सहानुभूति है और जो अब इतनी लिल्लाने लगी है वह ६ या ७ प्रांतों में कांग्रेसी शासन के समय चुप थी। साथ ही प्रोफेसर कूपलैंड यह भी स्वीकार कर चुके हैं कि लीग ने कांग्रेस के अत्याचारों की जो सूची पेश की है उसे वे कुछ भी महत्व नहीं देते। फिर वे इस अज्ञात तथा अप्रयुक्त, अपरीक्षित योजना को भारत पर लाने की चेष्टा कर्यों कर रहे हैं, जो यदि भारत की तरफ से आती तो उसकी तुरन्त निन्दा की जाती।

प्रोफेसर कूपलैंड ने जो यह कहा है कि भारत में एक दल की सरकार के स्थान पर मिली-जुली सरकार कायम होनी चाहिए इससे अम फैल सकता है। कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारें कभी एक दल की सरकारें न थीं। वे सिर्फ एक उसी दल की सरकारें थीं जिसने चुनाव में भाग लेकर सफलता पाई थी। हमारा ख्याल है कि साधारण अवस्था में ब्रिटेन में भी पेसा ही होता है। प्रोफेसर साहब ब्रिटेन के लिए जिस बात की सिफारिश करते हैं, हिन्दुस्तान के लिए उसी बात की निन्दा करते हैं। इस तरह उचका यह कथन भी गलत है कि हिन्दुस्तान में दलों के संगठन का अभाव है। आपने मिली-जुली सरकारों की कानूनन् व्यवस्था की है। यह जर्मन विधान के समान है, जिसमें विभिन्न दलों को कानूनी रूप दे दिया जाता है।

सारांश यह है कि "प्रादेशवाद" के विचार की वामपक्षी (ट्रिड्यून), मध्यपक्षी, (एन० प०८० प०८०), दक्षिण पक्षी (टाइम्स), भारतीय सिविलियन (लार्ड हेल्सी), पार्लमेंट के सदस्य (सर एडवर्ड ग्रिग), प्रोफेसर (अर्नेस्ट बेकर) किसीने कुछ भी सराहना न की। फिर भी इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि योजना उच्च व्यक्तियों के प्रोसाहन से तैयार की गई थी। अंग्रेज़ लोग दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे से लड़ने वाले सम्प्रदाय हैं और उनके मतभेद कभी दूर नहीं हो सकते। जबकि भारत में लार्ड लिविंस्टन और गोविंद एकता तथा संघ-योजना के गुणगान कर रहे थे, वहाँ हंगलैंड में श्री एमरी एक

प्रोफेसर को ऐसी योजना है यार करने के लिए प्रोसाहन दे रहे थे, जिसके अमल में आने पर सिर्फ भारतीय राजनीति में पेचीदगी न बढ़ जाती और पाकिस्तान का उद्देश्य ही सिद्ध न हो जाता वर्तिक भारत का प्रादेशिक व व्यापारिक बंटवारा चार भागों में हो जाता और इस तरह केन्द्र में बहुसंस्थयों तथा अल्प-संस्थयों को बराबरी की शक्ति प्राप्त हो जाती। अगर पेचीदगी से भरी इस योजना का उद्देश्य केन्द्र में हिन्दुओं और मुसलमानों को बराबरी की बोट देना था तो कूप-बैंड और एमरी ने यह साफ-माफ क्यों न कह दिया कि केन्द्र में दोनों सम्प्रदायों को बोट देने की आधी-आधी शक्ति देने के सुकाव की स्वीकृति के बिना वैधानिक प्रगति की दिशा में और कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। फिर साम्प्रदायिक आधार पर बंटवारा करने के लिए यह बुमावदार रास्ता क्यों अखिलयार किया गया, गोकि कूपलैंगड़-योजना में बंटवारा प्रादेशिक ही दिखाई पड़ता है। चाहे किप्स ने प्रांतों के अलडाइ रिये जाने की बात कही हो या कूपलैंगड़ ने उसे प्रदेशवाद का रूप दिया हो, उद्देश्य एकमात्र यही था कि भारतीय मतभेदों को सर्व-साधारण के सामने निन्दनीय रूप में लाया जाय। भारत की राजनीतिक व्यापारिधि उसी प्रकार मानव-कृत थी, जिस प्रकार बंगाल के अकाल की ज़िम्मेदारी मनुष्यों पर थी और इसका उपाय भी एकमात्र यही था कि जो इसके लिए ज़िम्मेदार थे उन्हें हटा दिया जाय। सवाल था कि भारत के ये दूषित अंग क्या कभी परस्पर सहयोग कर सकते हैं। भारत ने इसका उपाय सीधा-सादा बताया है। प्रोफेसर कूपलैंगड़ का उपाय मिर्फ लाज्जिणक व अस्थायी है, वह पूर्ण या तर्कयुक्त नहीं है। भारत एक शक्तिशाली केन्द्रोग सरकार चाहता है—एक ऐसी सरकार नहीं जो अपने कुछ काम प्रदेशों की सरकारों के सिपुर्द कर दे और बचे-खुचे कामों को अन्तर्राष्ट्रीय पुजेन्सी के हाथों सौंप दे, जिसका परिणाम होगा कि वह केवल नाम की केन्द्रीय सरकार होगी और उसके हाथ में शक्ति कुछ भी न रह जायगी।

विधान की जिन अमरीकी व स्विस गणालियों की प्रोफेसर कूपलैंगड़ इतनी जारीक कर चुके हैं और जिन्हें भारत के उपयुक्त बना चके हैं। उनकी प्रोफेसर वैश्विक प्रसाद निन्दा करते हैं। आप कहते हैं, “यह सुकाव वृटिपूर्ण है। स्विस कार्य-कारिणी में आठ मन्त्री होते हैं और आठों के अधिकार बराबर होते हैं। इन मन्त्रियों का चुनाव दोनों धारा सभाएं अपने संयुक्त अधिवेशन में तीन वर्ष के लिए करती हैं और इन्हें बुझारा भी चुना जा सकता है। यह कार्यकारिणी नीति तथा कानून बनाने के विषय में धारा-सभाओं के अधीन होती है। इसकी विशेषता संघीय कार्यकारिणी में कैटनों के फ्रैंच, जर्मन व इटालियन वर्गों का प्रतिनिधित्व सम्भव करना है; किन्तु पालंमेरटरी प्रणाली में भी यह परस्परा कागम की जा सकती है। स्विस कार्यकारिणी के अध्यक्ष को साधारण रूप से अधिक शक्ति नहीं होती और यह विशेषता भारताय परिस्थितियों के उपयुक्त नहीं होगी। स्विट्जरलैंगड़ में कार्य-कारिणी तथा धारा-सभा का सम्बन्ध बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे धारा-सभा का भार बढ़ जाता है। यह भार स्विट्जरलैंगड़ जैसे देश में ही वहन किया जा सकता है, जो छोटा, पुरातनवादी, शिवित तथा सम्पत्ति के विभाजन की असमानताओं से मुक्त है और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा जिसे तटस्थ माना जा चुका है। यह उत्तेजनीय दै कि स्विस प्रकार की कार्यकारिणी का अनुपरण अन्य जिस भी देश में किया गया वहीं उसे असकलता मिली। जिन सरकारों में इस विधान का अनुकरण किया गया उनमें प्रशा, बवेरिया, सेवसनी तथा जर्मन प्रजातन्त्र के कुछ अन्य प्रान्त (१९१६-३३) तथा १९२२ के बाद आयरिश

प्रजातन्त्र मुख्य हैं। यदि भारत में स्विस प्रणाली का अनुसरण किया जाय और गवर्नर जनरल या गवर्नरों की नियुक्ति की प्रणाली भी कायम रहे तो मन्त्रिमण्डल को दोहरी होगी और उसे दो स्वामियों की अधीनता में रहना पड़ेगा।

‘भारत के लिए अमरीका की प्रणाली भी उपयुक्त नहीं है, जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचिक-मंडलों द्वारा, किन्तु वास्तव में सम्पूर्ण जनता द्वारा, ४ वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है और वह धारासभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। १५० वर्षों के अनुभव से सिद्ध हुआ है कि इस प्रणाली में कार्यकारिणी व धारासभा में सहयोग कठिन हो जाता है, दोनों की खाई पाठने के लिए अनेक मध्यवर्ती पुलों की जरूरत पश्ची है, दलों के प्रबन्धकों के हाथ में जरूरत से ज्यादा शक्ति केन्द्रित हो जाती है और निश्चयात्मक कार्रवाई में देरी होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत भी गवर्नर-जनरल या गवर्नरों के बनाये रखने से उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को छोड़ पहुँचती है। यदि राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत भारतीय कार्यकारिणी के प्रधान की नियुक्ति गवर्नर-जनरल या सरकार-द्वारा हुई तो स्थिति वैसा ही होगी, जैसी जर्मन साम्राजीय विधान के अंतर्गत चांसलर की या जापानी विधान के अंतर्गत मंट्री-अध्यक्ष की होती है।

“दो और बातें भी विचारणीय हैं। प्रथम स्विस या अमरीकी प्रणालियों से हमें अपनी साम्राज्यिक समस्या के लिए कोई शिक्षा नहीं मिलती। हिन्दू-भुस्त्रिम समस्या फिर भी अलूटी ही बनी रहेगी। स्विस तथा अमरीकी प्रणालियों के लाभ-हानि पर हमें सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए वे कहाँ तक अनुकूल हैं और उनके अंतर्गत सामाजिक तथा आर्थिक सुधार की सुविधाएँ हमें कहाँ तक प्राप्त हो सकती हैं। देश के सामने जो साम्राज्यिक कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, उन्हें हज़ करने के उद्देश्य से उनकी वकालत करना बर्याह है। दूसरे, भारत के लिए पार्लमेंटरी प्रणाली को अभी अनुपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। इस पर अधिकांश भारतीय प्रान्तों में सिर्फ ढाई वर्ष ही तो अमज्ज हुआ है—और इस छोटे काल में असफलता का निर्णय नहीं दिया जा सकता। बस्तुस्थिति तो यह है कि अनेक कठिनाइयों के बावजूद प्रान्तीय कार्यकारिणियों ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये और कतिपय उल्लेखनीय नीतियों को जन्म दिया। जिस देश को पार्लमेंटरी शासन-प्रणाली का परिचय अभी हाल ही मिला है उस पर नये प्रकार की कार्यकारिणी या धारासभा लादने की चेष्टा करना अनुचित है बल्कि आवश्यकता तो यह है कि उसे वैधानिक संशोधनों, कानूनों तथा परम्पराओं-द्वारा पार्लमेंटरी शासन-प्रणाली को अनुकूल बनाने का अवसर दिया जाय। १९३७ से अब तक भारतीयों को जो राजनीतिक अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर तो कम-से-कम नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पार्लमेंटरी शासन-प्रणाली पर अमल नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ यही जाहिर हुआ है कि हमारी वैधानिक उन्नति में अगला कदम केन्द्र व प्रान्तों में मिलीजुली सरकारें कायम करना होना चाहिए। मिलीजुली वजारतों को काम करने का काफी अवसर देने के बाद ही अगले कदम की बात सोची जा सकती है। इस प्रकार की गलतियों, परीक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा बिटेन, अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों में वहाँके विधानों का विकास हुआ है, जब तक कोई देश एक प्रणाली की कार्यकारिणी व धारा सभा की सभी सम्भावनाओं के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देता तब तक वह दूसरे पूकार की कार्यकारिणी व धारासभा को नहीं अपना सकता।”

: ३१ :

## कष्ट व दंड की कहानी

गांधीजी व कार्यसमिति के सदस्यों के स्थान तथा हालत के बारे में जनता की चिन्ता बहुत बढ़ गई। मार्च, १९४३ में निम्न बारें केन्द्रीय असेम्बली में ज्ञात हुईं :—

गांधीजी तथा आगालां महल में उनके साथ गिरफ्तार ड्यूक्सियों का खर्च ८५० रु० माहावार था, जब कि कार्यसमिति के हरेक सदस्य का खर्च १००) रु० माहावार था। यह सूचना केन्द्रीय असेम्बली में श्री के० सी० नियोगी के एक सवाल का जवाब देते हुए गृह-सदस्य सर रेजिस्ट्रेशन मैक्सवेल ने दी।

गृह-सदस्य ने यह भी कहा कि गांधीजी तथा कार्यसमिति के सदस्यों पर आराम की कोई आज्ञा पाने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। इन लोगों के लिए जो पुस्तकें व पत्रिकाएँ आती हैं वे जांच करने पर यदि आपत्तिजनक नहीं पाई जातीं तो उन्हें दे दी जाती हैं। इस प्रकार की कितनी ही पुस्तकें बन्दियों तक पहुँचने दी जाती हैं।

गांधीजी या कार्यसमिति के सदस्यों को अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने नहीं दिया जाता। कार्यसमिति के सदस्यों के सम्बन्ध में इस नियम का और भी कड़ाई से पालन किया गया है। पिछली फरवरी में अनशन के समय गांधीजी के सम्बन्ध में इस नियम को ढीका कर दिया गया और कितने ही रिश्तेदारों व मित्रों को उनसे मिलने दिया गया। स्वर्गीय श्रीमती गांधी की पिछली बीमारी के दिनों में भी रिश्तेदारों को मिलने दिया जाता था और इस मुलाकात के समय खुद गांधीजी भी मौजूद रहते थे। कार्यसमिति के दो सदस्य डा० राजेन्द्रप्रसाद व श्री जयरामदास दौखतराम अपने ही प्रांतों में थे और गृह-सदस्य को उनके सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी न थी।

राजनीतिक बन्दियों के प्रति किये जाने वाले ड्यूच्यहार के कारण देश भर में चिन्ता की लहर फैल गई। शुरू के महीनों की कड़ाई दूर होने पर पत्रों व मुलाकातों की अनुमति साधारण तौर पर दी जाने लगी। पत्रों से प्रतिबंध कुछ महीने पहले और मुलाकातों से काफी बाद में हटाया गया। कभी-कभी राजनीतिक कैदियों व गिरफ्तार किये गए गुणहों को एक साथ ही रखा जाता था। डाकटरी देख-रेख बहुत कम थी और जो थी भी वह पर्यास न थी। राजनीतिक बन्दियों के प्रति नजरबन्दों से भिन्न व्यवहार किया जाता था और उन्हें कपड़ा व जूता दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत थी। नजरबन्दों के खर्च व उनके परिवारों की पेशानों के लिए विभिन्न प्रांतों में विभिन्न तथा एक ही प्रांत के विभिन्न ज़िलों में विभिन्न रकमें मंजूर की जाती थीं। कारण यह था कि इस सम्बन्ध में कोई नियम न था और मंजूर करनेवाले अफसर अपनी हच्छा से निर्णय करते थे। खान अबदुल गफकार खां की गिरफ्तारी तथा जेल में उनकी दशा से भी लोगों को चिन्ता हुई। कहा जाता है कि गिरफ्तार करते समय बल का प्रयोग किया गया था, जिससे

सीमांत गांधी के शरीर में सुरक्षट लग गई थी। बाद में जेल में भी उनके प्रति बुरा सलूक किया गया। देश के अनेक भागों में दण्ड-कर लगाये गये और उनकी वसूली कहाई से की गई।

अखिल भारतीय मेडिकल कॉर्स के अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए डा० जीवराज मेहता ने बन्दियों की शिकायतों पर प्रकाश ढाला। आपने बताया कि जब वे कस्तूरबा की परीक्षा करने गये थे तब जेलों के हन्सपेक्टर-जनरल ने गांधीजी को उनसे न बोलने देकर हृदयहीनता का ध्वनिहार किया। आपने बताया कि जेलों में चिकित्सा का यथोचित प्रबन्ध नहीं है। “कहाँ जेलों में सफाई का प्रबन्ध ठीक नहीं है। योद्धे स्थान में इन्हें अधिक ब्यक्ति रखे जाते हैं कि बन्दियों व नजरबन्दों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ा है। दवाइयां आसानी से मिलती नहीं हैं और उनके लिए ऊपर से मंजूरी लेनी पड़ती है। आपने यह भी कहा कि “जेलों में जो दूध दिया जाता है उसमें आधा पानी होता है और कभी-कभी पानी का अनुपात ७० प्रतिशत तक बढ़ जाता है और इसीलिए वह उनके पीने खायक नहीं होता।”

जेलों की साधारण अवस्था का ज़िक्र करते हुए आपने कहा, “पञ्जाब व संयुक्त प्रांत में काफी सर्दी पड़ती है; लेकिन बंदियों व नजरबन्दों को ठंड से बचने के लिए काफी कपड़े नहीं दिये जाते।” यह उक्ति एक ऐसे प्रलयात डाक्टर की थी, जो सुदूर तीन वर्ष जेल काट चुका था।

पंजाब में सुरक्षा सम्बन्धी कानूनों के अनुसार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति २० पंक्तियों से अधिक लगता पत्र नहीं लिख सकते थे। इसके अलावा वे पत्र हिन्दी में भी नहीं लिख सकते थे। कीरोजपुर जेल की हालत और भी बुरी थी। दूसरी कमियों व बुराइयों के अलावा सफाई व जल की निकासी का इन्तजाम ठीक नहीं था। राजनीतिक बन्दी किसे में रखे जाते थे और जेल-विभाग जिन मंत्री के अधीन था उन्हें किसे में जाने नहीं दिया जाता था। मंत्री श्री मनोहरलाल ने बंदियों से सवाल किया, “क्या आभी आपको बाहर बालों से मिलने नहीं दिया जाता?” इससे साफ़ जाहिर है कि मिलने की अनुमति देना जिन चीफ़ सेक्रेटरी के अधिकार में था और वे प्रधान मन्त्री के अधीन थे।

पंजाब में बंदियों के रिहा होने पर भी उन पर अपमानजनक प्रतिबंध लगाये जाते थे। प्रांतीय असेम्बली के किनते ही ऐसे सदस्य, जो जेलों से बाहर थे, असेम्बली की बैठक में भाग नहीं ले सकते थे। एक सदस्य ने इस आदेश को भंग किया और अदाक्षत ने उनके कार्य को उचित ठहराया।

कोल्हापुर में एक बड़ी सनसनीपूर्ण घटना हो गई। एक स्त्री के बच्चे उसके पति व सन्तान के आगे उतारकर उसे ब्रात दिया गया। इस सम्बन्ध में कोल्हापुर रियासत की पुलिस के सब-हन्सपेक्टर के विलक्षण गम्भीर आरोप थे। श्री बी० जी० खेर ने इस घटना की जांच की मांग डपस्थित करते हुए निम्न वक्तव्य दिया :—

“पिछले दिसम्बर प्रजा परिषद् के सम्मेलन के सिलसिले में मुकेकोल्हापुर जाना पड़ा था।

“वहाँ जनता में एक स्त्री काशीबाई हनवार के प्रति कोल्हापुर-राज्य की पुलिस के दुर्योग-हार के कारण सनसनी कैली हुई थी। पुलिस स्त्री के फरार लड़के की तलाश में थी और उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने स्त्री पर दबाव डालना चाहा था। ६ दिसम्बर १९४४ को कोल्हापुर राज्य कार्यकर्ता सम्मेलन ने प्रस्ताव पास करके एक समिति श्रीमती काशीबाई हनवार के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए नियुक्त की गई। इस समिति ने जांच-प्रबताश की और ६ जनवरी १९४५ को अपनी रिपोर्ट डपस्थित करदी। इसे बाद में एक और

पूरक रिपोर्ट के साथ १५ फरवरी १९४२ को प्रकाशित कर दिया गया।

“ऐसा जान पड़ता है कि समिति इस परिणाम पर पहुँची कि कौन द्वार इनगावजे ने श्रीमती काशीबाई के वस्त्र उसके पति तथा उसके बच्चों के सामने ही उतार दिये और उसे निर्दयतापूर्वक पीटा। समिति का विचार है कि यह विश्वास करने के भी प्रमाण मिलते हैं कि स्त्री पर और भी अत्यधिक आवाध किया गया। जिस पुलिस अफसर का इस मामले से सम्बन्ध है उसे दो व्यक्तियों की मारपीट करने के अपराध में विभाग-द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप वास्तव में दंडित किया गया और उसका एद घटाकर जमादार का कर दिया गया। तब प्रजापरिषद् के कार्यकर्ताओं ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया कि घटना के सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र न्यायाधीश नियुक्त करके जांच कराइ जाय; किन्तु यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। मेरा मत था कि सम्बन्धित पुलिस अफसर स्त्री के पति तथा अन्य व्यक्तियों की साधारण मारपीट करने का ही अपराधी नहीं था बल्कि उसने और भी अधिक निन्दनीय कार्य किया था। इसलिए मैंने १५ मार्च १९४२ को कोल्हापुर के प्रधान मन्त्री के नाम एक पत्र लिखा जिसका आस्तिरी पैरा इस प्रकार था:—“मुझे कहा गया है कि सिर्फ कोल्हापुर की प्रजा ही नहीं बल्कि विदिश-भारत के भी बहुत से लोगों का विश्वास है कि शिकायत बहुत कुछ सत्य है और सम्बन्धित सबैइस्पेक्टर ने बहुत ही निर्मम तथा पाश्विक व्यवहार किया है।”

“इसलिए मेरा अनुरोध है कि आपको अपने न्याय प्रबन्ध में जनता का विश्वास कायम करने के लिए किसी स्वतन्त्र न्यायाधीश-द्वारा जांच-पढ़ताल का आदेश देना चाहिए। इस घटना से सभी सभ्य भर-नारियों का अंत करण चुन्ना हो गया है।”

नीचे लिङ्गन के एक मामले का विवरण दिया जाता है—“विदिश जनता युद्ध-सम्बन्धी समस्याओं में व्यस्त रहने के बावजूद न्याय-प्रबन्ध जैसे घेरेलू विषयों में भी काफी दिलचस्पी लेती रही है। इस सप्ताह हाईकोर्ट-द्वारा तीन मजिस्ट्रेटों की निन्दा के कारण जनता में रोग की भावना फैल गई है। इन मजिस्ट्रेटों में से दो स्त्रियां थीं और एक पुरुष और हन्दोंने नावालियों की अदालत में ११ साल के एक लड़के को किसी बालसुलभ अपराध के लिए बैठ मारे जाने की सजा दी थी। अपील में प्रधान न्यायाधीश ने दंड के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि इन स्थानीय मजिस्ट्रेटों ने नावालियों की अदालतों में काम करने के सभी नियमों की ही उपेक्षा नहीं की है, बल्कि जितनी भी गलती वे कर सकते थे, उन्होंने की है। लड़के की तरफ से मजिस्ट्रेटों के लिखाक दावा दायर किया गया और श्री हरवर्ट मार्टिसन ने घोषणा भी की कि न्यायाधीश गोडार्ड इस मामले की सार्वजनिक रूप से जांच करेंगे। जांच समाप्त होने तक मजिस्ट्रेट अपना काम न कर सकेंगे। इस मामले पर जनता की नाराज़ी जारी है और समाचार-पत्रों में इसीके सम्बन्ध में संपादकीय टिप्पणियां तथा संपादक के नाम पत्रों की भरमार रहती है। न्यायाधीश महोदय ने मजिस्ट्रेटों को मुख्याकात के लिए लन्दन भुलाया है। आशा की जाती है कि अदालत में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो संपूर्ण राष्ट्र एक चूणा के लिए युद्ध को भूल जायेगा।”

भारत में मजिस्ट्रेटों ने हजारों मामलों में बैठ लगाए जाने की सजाएँ दी और भारत मंत्री श्री प्रमरी ने उनका उल्लेख भी पार्लमेंट में किया, किन्तु भारत के सम्बन्ध में इस पर असंतोष प्रकट न किया गया जैसा कि हंगकैंड में हुई एक घटना पर असंतोष फैल गया था। तीन मजिस्ट्रेटों द्वारा, जिनमें दो स्त्रियां थीं, ११ साल के एक लड़के को बैठ मारे जाने का आदेश दिया गया। वह पार्लमेंट में हो-इक्सा मच गया। हरवर्ट मार्टिसन ने सजा दिया जाना मुश्तकी कर

दिया। प्रधान न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेटों को जवाबदेही के लिए बुलाया और तीनों मजिस्ट्रेटों को सुअचत्तल कर दिया गया। होम सेक्रेटरी ने मामले की जांच कराने का वादा किया। स्वशासित राष्ट्रों की कार्य-पद्धति ऐसी ही है; किन्तु भारत में न तो यह विज्ञान ही है और न सत्कार में इतनी कहणा की भावना ही।

जहाँ एक तरफ भारत में बेतों की सजाएँ बड़ी आसानी से दी गयीं वहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ११ वर्ष पूर्व सेना में भी बेतों की सजा को बहुत गम्भीर माना जाता था।

### सैनिक राजनीतिज्ञ

यह घटना १८३२ की है और उसका सम्बन्ध रिफार्म्स बिल से है। स....एक फर्ज पूरा करनेवाला सैनिक था। वह अनुशासन को भी मानता था जिसके अनुसार उसे राजनीति में भाग लेना चाहिये था। एक दिन बरमिंघम की बारकों से बाहर रिफार्म्स बिल की तारीफ में चिट्ठियाँ भेजी गईं। सन्तरी का काम करते हुए स...को एक सुधार-विरोधी पत्र हाथ लगा और उसने उसका जवाब भी भेज दिया। उसकी हाथ की लिखावट पहचान ली गई। सैनिक को गिरफ्तार करने के बजाय एक बदमाश घोड़ा चढ़ने के लिए दिया गया और जब सैनिक उस पर चढ़ने सका तो उसने इसकी कोशिश भी की दी। तब सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मेजर विंडम के पूछने पर सैनिक ने पत्र लिखने की बात स्वीकार कर ली। तब उसे देशद्रोह का अपराधी घोषित किया गया; किन्तु दण्ड उसे घोड़े पर चढ़ने के लिए सार्जेंट का आदेश न मानने के सम्बन्ध में दिया गया। कोर्ट मार्शल होने पर १० मिनट के भीतर ही उसे अपनी रेजिमेण्ट के सामने २०० बैंट लगाने की आज्ञा सुना दी गयी। १०० बैंट लगाने के बाद उसकी बाकी सजा माफ कर दी गई। वह सिर्फ एक बार कराहा। उसने कहा कि मैं इस घटना को इंग्लैण्ड भर में प्रकाशित कर दूँगा। समाचार-पत्रों-द्वारा इसकी सूचना देश की जनता को हो जायगी। और वास्तव में जनता में इसकी चर्चा हुई। जांच होने पर यह फैसला हुआ कि मेजर विंडम ने न्यायपूर्ण कार्य नहीं किया। इस अफसर के कार्य के लिये सन्नाटा ने खेद प्रकट किया। सैनिक को अपना चित्र उत्तरवाने के लिये ही २० पौंड मिल गये। उसे जनता से इतना धन मिला कि कौज में काम करने की कोई ज़रूरत न रह गई।

बन्दूकची फ्लेटन की कैद और सूख्य की दुःखद कहानी से जहाँ अनुशासन का एक अपूर्व उदाहरण मिलता है वहाँ डाक्टरी परीक्षा के खोखलेपन पर भी प्रकाश पड़ता है। चाक्रीस वर्ष का एक ऐसा आदमी सेना में भर्ती कर लिया गया जो सेना में काम करने-लायक न था। वह सेना में बना रहा और साथ ही उसकी तन्दुरुस्ती भी गिरती गयी। जब उसे दण्ड देने के लिये नजरबन्द कैम्प में भर्ती किया गया तो तपेदिक के कारण उसका बुरा हाल था और पैदल चलने की वजह से लगभग अधमरा हो चुका था। युद्ध-मन्त्री सर जेम्स ग्रिग ने हाईकोर्ट का एक जज मामले की जांच करने के लिए नियुक्त करने का वायदा किया। इसका फैसला पिछले सप्ताह ही हुआ है। गिलिंघम नजरबन्द-कैम्प के दो गैर-कमीशनी अफसरों के अपराध के लिये से जनता में बड़ी सनसनी फैल गई है। उस पर एक ऐसे सैनिक की हस्ता का दूलनाम लगाया गया है जो ४० साल का अशक्त, बहरा और तपेदिक से पीड़ित व्यक्ति था। दोनों को सजा इस कारण दी गई क्योंकि सैनिक को स्वस्थ बता कर दण्ड भोगने के लिये भेजा गया और स्वस्थ दता कर ही नजरबन्द कैम्प में दाखिल किया गया था। ('मैंचेस्टर गार्जियन', १ जुलाई १८४३)।

कांग्रेस के इतिहास के विद्यार्थी अमरीकी मिशनरी रेवरेंड आर० आर० कीथन के नाम से

परिचित हैं। वे चिंगलपट के ईसाई त्रिद्यार्थी-शिविर में भाग ले रहे थे कि अचानक उन्हें मद्रास-सरकार का प्रेसीडेंसी के बाहर चले जाने का आदेश मिला। यह आदेश भारत-रक्षा-विधान के नियम २६ के अन्तर्गत जारी किया गया था। वे तुरन्त बंगलोर के लिये रवाना हो गये। वहाँ उन्हें मैसूर से निर्वासित किया गया। भारत से जाते समय उन्होंने निम्न वक्तव्य दिया:—

“हमें उस देश को, छोड़ने के लिये कहा जा रहा है जिसे हम प्यार करते हैं, जिसकी हमने सेवा की है और जिसे अब हम अब अपना देश मानते हैं। हिन्दुस्तान के कितने ही हिस्सों से कृपापूर्ण विचार प्रकट किये गये हैं और प्रार्थनायें भी की गयी हैं। इसका हम पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम आपकी भावना की कद्र करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम चाहे जहाँ भी हों, भारत के लिये प्रयत्न करते रहेंगे। पिछले दस साल से हम भारत के गांवों और उसकी गन्दी बस्तियों में रचनात्मक कार्य करने में लगे हुए थे। हमने नौजवानों की शक्ति और जोश को क्रियात्मक दिशाओं की ओर ढकेलने का प्रयत्न किया और इसमें सफल भी हुए।

“मित्राराष्ट्र दुराई को महान् शरकियों के चंगुल में फैसे हुए है। हम दावा करते हैं, और यह दावा ठीक भी है, कि हम जीवन की महान् स्वाधीनताओं के लिये लड़ रहे हैं और ये स्वाधीनतायें विश्व-व्यापी हाँनी चाहियें—खासकर हमारे हिन्दुस्तान में। हमें यकीन है कि उदाहारण आदियों का विश्वास है कि न्यायपूर्ण तथा स्थायी शांति की व्यवस्था का निर्माण जीवन की रचनात्मक तथा क्रियात्मक शक्तियों—सरथ तथा प्रेम—के ही आधार पर हो सकता है। कम-से-कम यह तो हमारा इन विश्वास है कि शांति की ऐसी व्यवस्था का निर्माण उस हिसाब बेर्डमानी के आवार पर नहीं हो सकता जो नाजीवाद की विशेषतायें रही हैं। गोकि हम नाजीवाद पर होनेवाले हिसी हिंसापूर्ण हमले में अपने आन्तरिक विश्वास के कारण भाग नहीं ले सके, फिर भी मित्र-राष्ट्रों के महान् बजिदानों को मदेनजर रखते हुए हम ऐसे सभी कष्टों का स्वागत करते हैं जिनसे जीवन की पूर्णता का मार्ग खुल सकता है और हम सत्य की प्राप्ति के अधिक निकट पहुँच सकते हैं। हम जानते हैं कि आपकी प्रार्थनाएँ और आशीर्वाद हमारे माथ हैं और हम उस सुखद दिन की आशा करते हैं जब हम आपके बीच में फिर आ सकेंगे।”

#### नजरबन्द

शासन-व्यवस्था का यह नियम है कि जब किसी व्यक्ति पर अदालत में सुकदमा नहीं चलाया जाता, बल्कि उसे नजरबन्द ही किया जाता है, तो—चाहे वह अमीर हो या गरीब—उसके लिये अपना व अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए मुनासिब भत्ता दिया जाता है। अकिंगत स्थायी-आनंदोलन के दिनों में अधिकांश नजरबन्दों को कुछ भत्ता नहीं दिया जाता था। उन्हें निर्वाह के लिये डेक आना (दूसरे दर्जे के कैदियों के लिये) से चार आने (पहले दर्जे के कैदियों के लिये) तक दिया जाता था। वैज्ञानिक सेण्टरल जेल में ८० नजरबन्दों-द्वारा १६ दिन तक अनशन करने के बाद निर्वाह की रकमें बढ़ा कर क्रमशः ४ आ० और ८ आ० कर दी गयी। कुल २५० नजरबन्दों में से सिर्फ़ आधे दर्जन को ५ रु० से ३५ रु० मासिक तक पारिवारिक भत्ते दिये गये। फिर नजरबन्दों के भत्ते बढ़ा कर क्रमशः १ रु० ४ आ० और १ रु० १२ आ० कर दिये गये।

१६४२-४३ में भत्तों-सम्बन्धी नीति में कुछ सुधार हुआ। मद्रास में १८२ नजरबन्दों

को १५ रु० से १०० रु० प्रति नजरबन्द भत्ता दिया जाता था; किन्तु बंगाल में अधिक उदारता-पर्शी नीति का अनुसरण किया गया। कारण यह था कि बंगाल में हजारों नजरबन्द थे और उनके सम्बन्ध में नीति निर्दिशित कर दी गयी थी। बंगाल के मूलयों में आठ या दस गुप्ती वृद्धि होने के कारण भत्तों की दरों में संशोधन करना आवश्यक हो गया; किन्तु यह शर्त थी कि भत्ता नजरबन्द की उस आय से अधिक न होना चाहिए जिससे नजरबन्दी के कारण वह बंचित हुआ हो।

सभसे उल्लेखनीय विवरण राजा सर महाराज सिंह की बहन श्रीमती अमृतकौर की गिरफ्तारी व नजरबन्दी के सम्बन्ध में है। यह विवरण नीचे दिया जाता है:—

“उन्हें सायंकाल दा बजे कालका में गिरफ्तार कर लिया गया। सूचित किया गया कि उन्हें अमृतकौर जेल से जाया जायगा। राजकुमारी अमृतकौर ने अपने साथ अपना बिस्तर, चरखा, बाइबिल, गीता तथा पानी पीने का गिलास ले जाने का अनुरोध किया और इसकी इजाजत उन्हें दे दी गयी। उन्हें अपना कपड़े का बक्स ले जाने की इजाजत नहीं दी गयी और इसकी इजाजत उन्हें दे दी गयी। उन्हें लाहौर से जाया जायगा; बयोंकि महिला नजरबन्दों या एक महीने से अधिक काल के लिए कारावास का दंड पानेवाली स्त्रियों को रखने का प्रबंध वहीं है। जैकिन उन्हें कभी लाहौर नहीं ले जाया गया और एक महीने का काल उन्होंने एक जोड़े कपड़े में ही गुजारा। वे कपड़े बुरी तरह मैले ही छुके थे। उनमें कबूतर की बीट व चूहों की लेंडी के निशान थे। रहने के कमरे में ही शौच का स्थान था जिसे इस्तेमाल करने से उन्होंने दूनकार कर दिया। स्नान के लिए कोई बंद जगह तक न थी। रहने के स्थान की स्तरमत बहुत दिन से नहीं हुई थी। एक दिन मिट्टी का एक ढोका गिर पड़ा और उनके कंधे पर कुछ इलकी चोट लगी। सायंकाल दा बजे गिरफ्तार होने के कारण उनके भोजन का कोई प्रबंध न था। उन्हें मोटी, अधककच्ची रोटी और ठंडी दाल दूसरे दिन दोपहर १ बजे दी गयी। वे यह भोजन न कर मर्की। यही भोजन उन्हें सायंकाल २॥ बजे दिया गया। अगले दिन फिर यही भोजन दिया गया। तीसरे दिन भूख से परेशान होकर उन्होंने रोटी आने की कोशिश की; किन्तु इस भोजन का उनके पेट पर बुरा असर पड़ा। चौथे दिन जेलर को दया आई और उसने २ औं व दूध अपने घर से मैंगाकर दिया, जिसके लिए राजकुमारी ने उनका आभार माना। सप्ताह भर में ही उन्हें अस्पताल में भरती कर दिया गया। तब उन्हें कुछ दूध, सब्जी व डबल रोटी नियम दी जाने लगी। इस तरह दाक्टरों ने उन्हें नजात दिलायी। तीन सप्ताह अकेले रहने पर लाहौर से पांच अन्य महिलाएं भी आ गयीं, जिनमें दिल्ली की श्रीमती सत्यवती भी थीं। उन्हें पुस्तकें या समाचारपत्र पढ़ने को नहीं दिये जाते थे और न लिखने के लिए कागज की पट्टी भी चिंदी दी जाती थी। दूसरी बहनों के आने पर मांग की गयी कि भोजन उनके अपने सेहन में ही पकाया जाय। उन्हें थाल, कटोरे और गिलास दे दिये गये और इसके बाद उनकी दालत ठीक रही। भीतर ही एक स्नानागार का प्रबंध कर दिया गया। ऐसा जान पड़ता है कि आरम्भ में श्रीमती अमृतकौर के प्रति साधारण अपराधी-जंसा व्यवहार किया जानेवाला था और इसीलिए जेल के अधिकारी चाहते हुए भी कुछ करने में असमर्थ थे। अन्य बहनों के आने से पहले तीन दिन सुबह का भोजन पढ़ुआने की किसी को याद ही न रही। ८ सप्ताह में उनका घजन १ टोन कम हो गया। इसके बाद उन्हें जेल से लाकर अपने मकान में ही नजरबन्द कर दिया गया, जहां वे २० महीने लगातार रहीं। जब वे जेल में थीं, उनके भाई की मृत्यु हो गयी। यहां तक कि उन्हें अपनी भावज के लिए पत्र तक लिखने की अनुमति नहीं दी गयी। यह एक

ऐसी कहानी है, जिसे राष्ट्र कभी भूल नहीं सकता। इस कहानी के साथ श्री पेण्डेरेल मून, आई० सी० १८८० का भी सम्बन्ध है। श्रीमती अमृतकौर के भाई के नाम इनके एक पत्र का सेंसर किया गया। जब श्री पेण्डेरेल मून से अपने आचरण का स्पष्टीकरण करने को कहा गया तो उन्होंने इस्तीफा देने की इच्छा प्रकट की।

पंजाब हाईकोर्ट में अपील करने पर एक कैदी को रिहा करने का आदेश दिया गया; किन्तु उसे तुरन्त छोड़ा नहीं गया। पंजाब असेम्बली में सरदार सोहनसिंह जोश ने सरदार तेजासिंह स्वतंत्र की तरफ से प्रश्न किया कि क्या गुजरात ज़िले के सरदार रजवंतसिंह के दरखास्त-निगरानी दायर करने पर लाहौर हाईकोर्ट ने उनके तीन वर्ष के कारावास को घटाकर एक वर्ष का कारावास २७ अगस्त १९४३ को कर दिया था और वया उन्हें एक वर्ष से अधिक कैद भुगतनी पड़ी थी? उन्होंने प्रश्न किया कि सजा घटायी जाने का आदेश लायलपुर जेल ४ अक्टूबर १९४३ को इतनी देरी से क्यों भेजा गया?

सर मनोहरलाल ने प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि सजा घटायी जाने के सम्बन्ध में आदेश भेजने में देरी होने का कारण यह था कि जिन सेशन जज को आदेश भेजना था वे छुट्टी पर थे और साथ ही सेशन जज को यह भी ज्ञात न था कि बंदी उस समय किस जेल में है।

बंगाल असेम्बली में हुए सवाल व जवाब से प्रकट हुआ कि परिस्थिति बहुत ही असंतोष-जनक है और मंत्रिमंडल को तुरन्त जांच करानी चाहिये। बंगाल के प्रधान मंत्री ने साफ शब्दों में बताया कि मेदिनीपुर की घटनाओं के सम्बन्ध में जांच कराने का जो वचन प्रछले प्रधान मंत्री ने दिया था उसे पूरा करने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। श्री फजलुल हक ने जांच का जो वचन दिया था वह बंगाल के स्वर्गीय गवर्नर सर जॉर्ज हर्बर्ट को पसंद न था और श्री हक को प्रधान मंत्री के पद से हटाये जाने का एक यह भी कारण था। जनता और युक्तिस दोनों ही की तरफ से एक दूसरे के प्राते अत्याचार के इलाजाम लागाये जाने के कारण जांच बहुत ही आवश्यक थी; किन्तु सर नज़ीमुद्दीन के पूरे जवाब से जांच कराने के सम्बन्ध में उनकी हिचकिचाहट साफ मलकती थी। आपने कहा, “जहां तक युक्तिस का सम्बन्ध है, उसकी तरफ से यदि कोई अत्याचार हुए हैं तो उनकी जांच कराने को मैं तैयार हूं; किन्तु दूसरी तरफ से जो हस्ताएं हो रही हैं, लोगों को भगाया जा रहा है और उनसे जबरन धन लिया जा रहा है, हन्दें बंद कराने के लिए दूसरा पक्ष क्या करेगा?”

भारत-सरकार बराबर इस बात पर जोर देती थी कि लोगों को सिर्फ हस्तिए मजरबंद रखा जाता है कि वे अपने हानिकर कारों से बचें। नजरबंदों के विरुद्ध जो आरोप थे उन्हें उपस्थित करते समय भी यही बात कही गयी थी। श्री हुमायूं कबीर ने प्रान्तीय धारासभा में प्रस्ताव उपस्थित करके अनुरोध किया कि नजरबंदों के साथ अधिक नर्मी का बरताव होना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नजरबंदों के परिवारों को सहायता देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि नजरबंदी लोगों को अप्रिय जान पड़े। एक जिस भय से व्यक्ति विनाश-कारी कारों से अलग रहता है वह यह है कि उसके अभाव में परिवाराज्ञों को कष्ट होगा। एक स्वायत्त-शासनप्राप्त प्रान्त की भारतीय प्रधान मंत्री मैक्सवेल को भी मात कर रहा था।

विहार, उड़ीसा व मद्रास में एक कमीशन ने उन नजरबंदों के मामलों पर विचार करने के लिए दौरा किया, जो विशेषाधिकार-कानून के अन्तर्गत अपना पक्ष उपस्थित करना चाहते थे। जुलाई, १९४३ में केन्द्रीय असेम्बली में श्री के० सी० नियोगी ने सरकार का ध्यान एक इस समा-

चार की ओर आकर्षित किया कि दिल्हो के किले में एक ऐसा तहस्साना है, जिसमें कठिपय राजनीतिक बन्दियों को रखा जाता है। भी नियोगी ने सरकार से अनुरोध किया कि वह इस विषय का स्पष्टीकरण कर दे; किन्तु गृह-सदस्य ने इस प्रक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया—कम-से-कम उन्होंने सवाल का तुरत जवाब न दिया।

जमीन के नीचे ये कोठरियाँ १६४१ में बनवाई गई थीं। वे जमीन की सतह से सोबह फ्रीट नीचे थीं, किन्तु कोठरियों के सामने २३ फ्रीट चौड़ा खुला अहाता था। चूंकि कोठरियों में सूरज की किरणें सीधी नहीं आ पाती थीं, इसलिये उनमें कुछ अंधेरा रहता था; किन्तु वे काफ़ी बड़ी और साफ़ थीं, और नज़रबन्दों को पूछताछ के लिये रखने-लायक थीं। इन कोठरियों का उपयोग सिर्फ़ हसी कार्य के लिये किया जाता था।

प० हृदयनाथ कुंजरू के यह पूछने पर श्री कानन स्मिथ ने बताया कि मामूली तौर पर कैदियों को यहां एक महीने से ड्यादा नहीं रखा जाता और किसी भी हालत में वे उनमें दो महीने से ड्यादा नहीं रखे जा सकते।

श्री एन० एम० जोशी ने अपने संशोधन के द्वारा नज़रबन्दों के मामलों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का अनुरोध किया था। इस संशोधन के पश्च में ३६ और विपक्ष में भी ३६ ही मत आये और अध्यक्ष के मत से यह संशोधन अस्तीकार कर दिया गया।

बम्बै-सरकार ने जनवरी १६४३ में किमिनच बॉर्ड-एमेडमेंट के अन्तर्गत आदेश निकालकर बद्धराज ऐएड कम्पनी को सूचित किया कि सरकार उनके पास जमा ७२,८०० रु की रकम को जब्त करना चाहती है; योंकि सरकार को विश्वास हो चुका है कि इस धन का उपयोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिये किया जायेगा। खफ़ोफ़ा अदालत के चीक जज श्री मार्क नोरोन्हा के सामने आदेश के औचित्य का प्रश्न उठाया गया। चीक जज ने निर्णय किया कि जिन दो अधिकारीयों ने दरहस्तास्त दी है और जो कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्य थोने का दावा करते हैं उन्हें इस आदेश में कोई हानि नहीं पहुँची। अन्त में चीफ़ जज ने धन जब्त करने का आदेश बहाव रखा।

पूना के पडिशनल सिटी-मजिस्ट्रेट ने 'भारत छोड़ो' के गुजराती अनुवाद की एक प्रति अपने पास रखने के अभियोग में एस० आर० दिवालकर को ६ महीने की कड़ी कैद, १०० रु० जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर और दो महीने की कड़ी कैद की सजा दी।

शान्ताराम उर्फ़ हनुमन्त अनन्त गुमाशता देशमुख, जो सतारा जिले के खानापुर स्थान का था, अगस्त १६४२ में गिरफतार किया गया और उसके रिस्तेदारों को तभी से उसके सम्बन्ध में कोई खबर नहीं मिली। अगस्त १६४४ तक उसके घरवाले कोई खबर मिलने का हन्तजार करते रहे। उसके बाद सतारा के जिला-मजिस्ट्रेट से मिले। मजिस्ट्रेट ने उसकी परनी और साले को बताया कि शान्ताराम दो महीने में जेल से छूटकर घर वापिस आ जायगा। रिस्तेदार अबर मिलने की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि उन्हें उसकी मृत्यु का समाचार मिला। रिस्तेदार इस समाचार का यकीन न कर सके और उन्होंने जेलवालों से उसके कपड़े मांगे। जेलवालों ने कहा कि कपड़े जाश के साथ ही दफना दिये गये। शान्ताराम के साले ने यह सब बातें लिखकर अपेक्षबद्धी के एक सदस्य के पास भेज दीं। उन्होंने जेलों के इन्सपेक्टर जनरल से पूछताछ की और एक महीने बाद इसका उत्तर मिला कि १६ दिसम्बर १६४२ को शान्ताराम बेलांगौंव सेप्टेम्बर जेल में मर गया। उन दिनों जेल में एक खास महामारी फैली हुई थी और शान्ताराम उसी का शिकार हुआ था। मृत्यु की खबर १३ दिसम्बर १६४३ को (एक बर्ष बाद) विद्युतालुका के पुस्तिस सच-

हन्सपेक्टर के जरिये एक पत्र-द्वारा उसकी पत्ती के पास भेज दी गई थी। इस पत्र में यह खबर गलती से दी गयी थी कि कपड़े जाश के साथ ही दफना दिये गये थे। जाश को जलाया गया था। मृत्यु की खबर देनेवाला पत्र भी उसकी पत्ती तक कभी नहीं पहुंचा और न विट्ठा के पुजिस सब-हन्सपेक्टर ने उसकी पत्ती को सूचित ही किया था। जिला-मजिस्ट्रेट ने जो यह सूचित किया था कि शाश्वताराम दो महीने में वापस आ जायगा। इससे पता चलता है कि उसे कुछ भी खबर न थी।

### सिविलियनों का दुर्भाग्य

युद्ध में सिविलियनों को भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। बलिया के श्री निगम तथा दी० एस० पी० श्री रियाजुहीन को अपने पदों से अलग कर दिया गया। संयुक्तप्रान्त के श्री दे को जयपुर रियासत में काम मिला गया। पहले दो सज्जनों को २६ फरवरी, १९४४ को बनारस से जारी किये गये एक आदेश-द्वारा अपने पदों से हटाया गया था। कहा जाता है कि कल्पकटर ने ₹५०,००० रु० के नोटों को नष्ट कर दिया था। पंजाब के श्री पेण्डेरेज मूल आई० सी० एस० ने श्रीमती अमृतकौर के भाई के पास उनके प्रति दुर्घट्यवहार के सम्बन्ध में एक पत्र लिखा और फिर पेंशन लेने से इन्कार कर दिया। बंगाल के श्री डलेयर को प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध लिखने के अभियोग में इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया। मद्रास-सरकार के एक सेकेटरी को पत्ती के लिए किसी व्यक्ति-द्वारा लिखे गये पत्र के लिए प्रान्त के किसी अज्ञात कोने में भेज दिया गया। यह पत्र उसकी पत्ती को कभी मिला नहीं; किन्तु इसमें युद्ध के विषय में कुछ चर्चा की गई थी। पंजाब के श्री जाज आई० सी० एस० ने प्रान्तीय सरकार द्वारा अपनी बखास्तगी के विरुद्ध अपील दायर करके डिग्री प्राप्त की। मध्यप्रान्त के श्री आर० के० पाटिल, आई० सी० एस० ने इस्तीफा दे दिया; क्योंकि वे भरकार का आन्दोलन-सम्बन्धी नीति से सहमत न थे। कई अन्य सिविलियन आन्दोलन से सम्बन्ध न रखने पर भी निकाल दिये गये।

राजपीपाल रियासत में दो आठ-आठ वर्ष के लड़कों को लोड-फोड-सम्बन्धी कार्यों के लिए जेल में डाल दिया गया और वे दिसम्बर १९४४ और इसके कुछ समय बाद तक जेल में रहे।

श्रीमती अरुणा आसफअली को दिल्ली के चीफ कमिशनर ने आदेश दिया था कि वे ७ अगस्त १९४२ से १० दिन के भीतर सी० आई० सी० पुजिस के सुपरिनेंडेन्ट के सामने हाजिर हों। श्रीमती आसफअली सुपरिनेंडेन्ट पुजिस के सामने हाजिर नहीं हुईं और तब उन्हें फरार घोषित कर दिया गया।

तब श्रीमती आसफअली के सामना का नीलाम हुआ। उनकी बेटी आस्टिन कार ३,५०००० में बेच दी गयी। उनका मकान २०,००० में बेच दिया गया।

जाला फीरोजचन्द, सर्वेन्ट्स आवादि पीपुल्स सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे। आप अगस्त, १९४२ से ही नजरबन्द थे। सियाज्जलोट जेल से जाला और सेंट्रल जेल जाते समय आपको हथकदिया पहनाई गई थी।

श्री जयप्रकाश नारायण एक सुप्रसिद्ध समाजवादी हैं। स्वराज्य प्राप्त करने के साधनों के सम्बन्ध में उनका कांग्रेस से मतभेद था। इसी प्रकार कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में भी उनका मत-भेद था। देवली जेल से जिस पत्र के लिखने की बात उनके सम्बन्ध में कही जाती है उससे भी यही प्रकट होता है। जब देवली कैप्प तोड़ा गया और नजरबन्द विभिन्न प्रान्तों को भेजे गये तो श्री जयप्रकाश नारायण भी बिहार भेजे गये और उन्हें हजारीबांग सेंट्रल जेल में रखा गया। यहां से ६ नवम्बर १९४२ को वे भाग गये। उनकी गिरफ्तारी के लिए भारी इनाम की बोध्या की

गई, जो बढ़ाकर १०,००० रु. तक किया गया। एक बार खबर मिली थी कि वे नेपाल में हैं। फिर बंगाल-मन्त्रिमंडल ने उनके बंगाल में रहने की बात की सूचना दी; किन्तु सी० आई० डी० को खबर मिलने से पहले ही वे प्रान्त के बाहर हो गये। उन्हें अक्टूबर में पकड़ लिया गया; किन्तु यह नहीं बताया गया कि यह गिरफ्तारी किस प्रान्त में और किसके आदेश से हुई। अन्त में उन्हें पंजाब में नजरबन्द करके रखा गया। पंजाब-सरकार ने कहा कि उनके प्रति प्रथम श्रेणी के बंदी का ध्यवदार किया जाता है। ७ नवम्बर को प्रान्तीय असेम्बली में एक कार्य-स्थिगित-प्रस्ताव उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया; किन्तु ६ दिसम्बर को उसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। तब लाहौर हाईकोर्ट में उनकी तरफ से दरखास्त दी गयी कि नजरबन्दी के सम्बन्ध में जांच के लिए बन्दी को उपस्थित होने दिया जाय। इस दरखास्त का परिणाम श्री जयप्रकाश के बकील के लिए विचित्र हुआ। श्री पट्टीवाला यह दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल करने के लिए ही बम्बई से आये थे। तब स्वयं पट्टीवाला के सम्बन्ध में ही प्रकार की अर्जीं दी गयीं; किन्तु उन्हें तीन दिन के भीतर रिहा कर दिया गया। पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के यह कहने पर कि यदि यह प्रमाणित हो गया कि इस बकील को सिर्फ़ इसीलिए गिरफ्तार किया गया कि वह अपनी पेशा-सम्बन्धी कार्य करने आया था, तो वे कुछ गम्भीर कार्रवाई करेंगे—सरकार तुरन्त अपनी स्थिति से हट गयी। जहाँ तक जयप्रकाश नारायण-सम्बन्धी दरखास्त का सम्बन्ध है, उस दरखास्त की सुनवाई की तारीख के तीन सप्ताह पहले ही एडवोकेट-जनरल ने श्री जयप्रकाश नारायण के बकीलों को सूचित किया कि बन्दी को जिस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था उसे अब भारत-रक्षा विधान से बदलकर १८१८ का तीसरा रेग्लेशन कर दिया गया है। इस तरह नजरबन्द का मामला दरखास्त के तेज़ से बाहर हो गया। एडवोकेट-जनरल का अनुरोध स्वीकार किये जाने पर चीफ़ जस्टिस तथा नजरबन्द के बकील में कुछ विचित्र बातचीत भी हुई। ७ दिसम्बर को श्री जयप्रकाश नारायण की तरफ से श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी-द्वारा दायर की गयी दरखास्त चीफ़ जस्टिस सर टेवर हैरीज तथा जस्टिस सर अब्दुर्रह्मान-द्वारा नामंजूर कर दी गयी।

पट्टीवाला का मामला एक और भी परिस्थिति के कारण मनोरंजक रहा। श्री पट्टीवाला को अपनी गिरफ्तारी के दो दिन बाद जेल में एक सब-इन्सपेक्टर दिखाई दिया जिसे उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल करने के लिए एक अर्जी दे दी, और जिसमें उन्होंने अपनी गैर-कानूनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विचार प्रकट किए थे। यह अर्जी हाईकोर्ट नहीं पहुंचाई गई। स्पष्ट था कि उल्लिखित के पास श्री पट्टीवाला के विरुद्ध कोई आरोप न था और इसीलिए अपने आचरण के स्पष्टीकरण में उसे कठिनाई हो रही थी और फिर इसीलिए उन्हें दो दिन बाद रिहा कर दिया गया था। श्री पट्टीवाला की गिरफ्तारी के ४ दिन बाद उनकी रिहाई और जयप्रकाश नारायण के सम्बन्ध में भारत-रक्षा-विधान के स्थान पर १८१८ के रेग्लेशन ३ को लागू करने से अधिकारीवर्ग का वास्तविक स्वरूप अपनी पूर्ण जगता में हमारे सामने आ जाता है। अर्जी न पहुंचायी जानेवाली बात से एक बैसी ही घटना स्मरण हो आती है, जो इंग्लैण्ड में एक कृतान के सम्बन्ध में हुई थी और जस्टिस हम्प्रे के सम्मुख मामला जाने पर उन्होंने इसकी कही आलोचना की थी और साथ ही गृह-मन्त्री सर जान एडर्सन ने इसके लिए जमा भी मांगी थी। जस्टिस हम्प्रे ने अपने निर्णय में कहा था:—

“किसी स्थिति ने, जिसका नाम अदालत के पास नहीं है और जिसकी दरखास्त के बारे में भी उसे कुछ ज्ञात नहीं हुआ है, इस कागज को बीच ही में रख लिया और अदालत के पास नहीं भेजा, जिसके लिए वह था। उस अधिकारी का ख्याल था कि अदालत के आगे दरखास्त पेश करने का वह ठङ्ग ठीक न था। उस अधिकारी के लिए यह परिणाम निकालने की कुछ भी जरूरत न थी। उसने जो कुछ किया वह करना उसके लिए बड़ी शृंखला की बात थी।”

कहा गया है कि बुराई में से भलाई निकलती है। श्री पर्णवाला की गिरफ्तारी तथा उनके द्वारा खाहौर हाईकोर्ट के लिए लिखी गयी दरखास्त रोक लिये जाने के परिणामस्वरूप यह प्रकट हुआ कि अन्य कई दरखास्तों ऐसी थीं, और उनके सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई की गयी। इससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि १५ फरवरी, १९४४ को केन्द्रीय-सरकार के विरुद्ध एक नियामक प्रस्ताव आगरे के एक वकील लाला बैजनाथ तथा बर्म्बइ के एक वकील श्री पर्णवाला की गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में पास हो गया। इनका कसर इसके अलावा और कुछ भी न था कि उन्होंने कई राजनीतिक मामलों में अभियुक्तों की तरफ से पैरबी की थी।

पर्णवाला के मामले के बाद एक दूसरा मामला अदालत की मान-हानि का सी० आई० डी० के स्पेशल सुपरिनेटेंडेंट पुलिस, श्री राविंसन तथा सी० आई० डी० के पुलिस सब-इन्सपेक्टर मिर्जा अस्फाक बेग के विरुद्ध चला और दोनों पुलिस अफसर नियमानुसार अदालत की मानहानि के दोषी पाये गए; किन्तु यह भी कहा गया कि मानहानि अधिक गम्भीर नहीं है। पुलिस सी० आई० डी० शास्त्रा के डिप्टी इन्सपेक्टर-जनरल के विरुद्ध मानहानि का अभियोग आगे नहीं बढ़ाया गया।

सी० आई० डी० के सुपरिनेटेंडेंट श्री राविंसन ने अदालत में तिरह के समय कहा कि उस समय मैं डिप्टी-इन्सपेक्टर-जनरल की ओर से काम कर रहा था और ऐसा करने का मैं पूरा अधिकारी था। श्री राविंसन से पूछा गया कि उनके विभाग में किमी दूसरे अफसर की तरफ से काम करनेवाला कोई अफसर उस अफसर के नाम लिये गये पत्र को नष्ट कर सकता है या नहीं? उन्होंने कहा कि मैं इसका कोई आम जवाब नहीं दे सकता; मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इस मामले में मैं डिप्टी-इन्सपेक्टर-जनरल की तरफ से काम कर रहा था। मैं जानता था कि पत्र हाईकोर्ट के लिये लिखा गया है, फिर भी मैंने उसे अधिक महत्व नहीं दिया। तब राविंसन से पूछा गया कि क्या उनका ख्याल था कि वे उस पत्र को नष्ट कर सकते हैं? श्री राविंसन ने जवाब दिया, “मैं जानता था कि पत्र में रिहाई की मांग की गई है और चूंकि श्री पर्णवाला छोड़ जा चुके थे इसलिए और कुछ किया जाना चाहिए न था। यह जानते हुए भी कि पत्र हाईकोर्ट के नाम है मैंने उसे नष्ट करने की मूर्खता कर डाली। ऐसा करके मैं पत्र से सम्बन्ध रखनेवाले प्रयोक्त व्यक्ति को परेशानी से बचाना चाहता था; व्यक्ति रिहाई का हुक्म जारी हो चुका था और सम्बन्धित व्यक्ति को छोड़ा भी जा चुका था।”

इंग्लैण्ड में कुछ ऐसे मामले हुए जिनसे रक्षा-सम्बन्धी नियमों पर प्रकाश पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सुरेश वैद्य का था। सुरेश वैद्य पर इंग्लैण्ड का अनिवार्य-भरती कानून लागू किया गया; किन्तु उन्होंने इसका विरोध किया। अपील करने पर अदालत ने उन्हें सेना के काम से मुक्त कर दिया। ‘‘न्यू स्टेट्समैन’’ (१६ फरवरी, १९४४) ने सुरेश वैद्य के बारे में एक विचित्र बात कही कि वे “मज़हब के सुसलमान और जाति के मराठे हैं और एक ऐसे जोशीके आदमी हैं जिन्हें कोई भी सेना सुशीले भरती करना चाहेगी।” लेखक आगे लिखता

है, “परन्तु सुरेश वैद्य एक भारतीय देश-भक्त हैं और उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि उनके देश को इस युद्ध में उसकी मर्जी के लियाकाब बसीटा गया है। इसीलिए वे सेना में छाम करने से इन्कार करते हैं। कानूनी दर्शन से उन्हें सेना में जबरन भरती किया जा सकता है। लेकिन भारत में अनिवार्य भरती का कानून अभी जारी नहीं हुआ। इसलिये नैतिक व राजनीतिक आधार पर—बाक्रायदा छुटकारा नहीं—इमें उनको छोड़ देने का निश्चय करना चाहिए।” इस मामले से जनता में काफी सनसनी फैल गई और अन्त में सुरेश वैद्य छोड़ भी दिये गए।

### मोसले

भारत व इंग्लैण्ड में राजनीतिक-बन्दी-सम्बन्धी परिस्थितियों की तुलना इस बात से की जा सकती है कि गृह-मन्त्री श्री हरबर्ट मारीसन ने जनता के विरोध के बावजूद सर ओसवाल्ड मोसले और उनकी परन्ती को जेल से रिहा कर दिया और हघर भारत में गृह-सदस्य सर रेजी-नाल्ड मैन्सवेल ने भारतीय जनता की रिहाई की झोरदार मांग के बावजूद १६,००० राजनीतिक बन्दियों व नजरबन्दों को जेल में बनाये रखा। सर ओसवाल्ड मोसले ज्ञार्ड कर्जन के जमाई हैं। वे पहले समाजवादी थे; किन्तु पिता की मृत्यु के बाद वे काली कमीज़वाले व फासिस्ट बन गये। फिर वे ब्रिटेन के फासिस्टों के नेता व हिटलर और मुसोलिनी के मित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। कैसी अजीब बात है कि इंग्लैण्ड में फासिस्टों का नेता आजाद कर दिया जाय और भारत में फासिज़म के दुश्मनों को जेलों में बन्द रखा जाय।

जहां एक तरफ ब्रिटेन में वहां के गृहमन्त्री ने स्पष्ट कह दिया था कि सर ओसवाल्ड मोसले के सम्बन्ध में निर्णय करते समय राजनीतिक दुर्भावना का ल्यात नहीं किया गया था, वहां भारत में सर रेजिनाल्ड मैन्सवेल तथा प्रान्तों के अन्य अधिकारी ‘राजनीतिक दुर्भावना’ का प्रदर्शन सुने शब्दों में कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस का अगस्त, १९४२ वाला प्रस्ताव वापस लेने के समय तक नेताओं को छोड़ा नहीं जा सकता। परन्तु पंजाब के प्रधानमंत्री तो सबसे आगे बढ़ गये। उन्होंने मार्च, १९४३ में कहा कि जिन नजरबन्दों को बीमारी के कारण छोड़ा जायगा। उन्हें ठीक होने पर फिर जेल में वापस जाना पड़ेगा। इस प्रकार छोड़े गये व्यक्तियों में से यदि कोई प्रान्तीय असेम्बली का सदस्य है तो वीच के काल में वे असेम्बली के अधिवेशन में भाग न ले सकेंगा। इस तरह जहां सर ओसवाल्ड मोसले को अस्वस्थ होने के कारण जेल से छोड़ा जा सकता है वहां पंजाब के प्रधानमंत्री को यह तर्क ठीक न लगा और वे हरबर्ट मारीसन से आगे बढ़ गये। जहां भी नजरबंद जेल में बीमार पड़े हैं इसका यही मतलब लगाया जा सकता है कि बीमारी उन्हें जेल-जीवन के कारण हुई और फिर जेल से छुटने पर शारीरिक आराम मिलने, चिकित्सा होने व मानसिक शान्ति प्राप्त करने से वे अच्छे हो जाते हैं। परन्तु पंजाब के प्रधान मंत्री सर लिङ्ग्र हयात खां का यह विचार है कि जेल में बीमार पड़नेवाले नजरबन्दों को छोड़ तो दिया जाय; पर अच्छा होने पर बीमार पड़ने के लिए जेल में वापस भुला लिया जाय। सर लिङ्ग्र यह भी जानते हैं कि दूसरी बार बीमार पड़ने पर ठीक होना कितना कठिन होता है। बहुधा भारतीय अधिकारीवर्ग अपने लोकतंत्र-विरोधी आचरण की सफाई देने के लिए बिनें की नजीरे दिया करते हैं। अपनी दमन-नीति के समर्थन में वे सुरक्षा की दुहाई दिया करते हैं और इस तरह अपने देशभाइयों की स्वाधीनता का अपहरण किया करते हैं।

‘नागपुर टाइम्स’ व ‘हितवाद’ के नागपुर-स्थित सम्पादक को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने मध्य-प्रांतीय सरकार-द्वारा कित्पथ नजरबन्दों के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में

बताये गये कारणों को प्रकाशित किया था। इससे एक और पेचीदगी उत्पन्न हुई। मई, १६४४ में जब मामला अदालत में पहुंचा तो प्रकट हुआ कि सरकार कारण दे ही नहीं सकती। अंत में इस सम्बन्ध के आर्डिनेस में संशोधन किया गया।

### गुप्त कार्य

पाठकों को स्मरण होगा कि बम्बई में उत्पन्न के दिन भाषण करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, “गोपनीयता नहीं रहनी चाहिये। गोपनीयता पाप है; गुप्त कार्य न होना चाहिये।” गांधीजी की इस चेतावनी की तुलना हम राष्ट्रपति रुज़वेल्ट के उस भाषण से कर सकते हैं, जो उन्होंने १६४५ में बड़े दिन के अवसर पर दिया था। यूरोप के देशों के गुप्त कार्यकर्ताओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था :

“यह हमारी निरन्तर नीति रही है और साधारण चिवेक भी हसी नीति को ठीक मानेगा कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये प्रथेक राष्ट्र के अधिकार का अनुमान हमें यह देखकर करना चाहिये कि वह राष्ट्र स्वाधीनता के लिये किस सीमा तक लाइने के लिए इच्छुक है। आज हम अपने उन अनदेखे मित्रों का अभिवादन करते हैं जो शत्रु-द्वारा अधिकृत देशों में गुप्त रूप से लड़ रहे हैं और मुकित-सेनाओं का संगठन कर रहे हैं।”

अगर भारत में एक ऐसा गुप्त आंदोलन चल गया जिसके साथ सरकार ने कांग्रेस का नाम गलती से जोड़ दिया तो इस परिस्थिति को हुनिया भर की घटनाओं के अनुरूप ही कहा जायेगा। जिन लोगों ने भारत में गुप्त कार्यों की निर्दा की हैं उन्होंने फ्रांस व जर्मनी में उनकी तारीक की है। कहा जाता है कि फ्रांस की आधी जनता तक गुप्त कार्यकर्ताओं के समाचारपत्र पहुंचते थे। जर्मनी में आंदोलन दूर-दूर तक फैला था और भीतर-ही-भीतर नाज़ी सत्ता से लोहा के रहा था। ११ फरवरी, १६४७ को लंदन से जेलों में काम करनेवाले जर्मन मज़दूरों के नाम एक अपील ब्राडकास्ट की गई जिसमें उनसे युद्ध को जरूरी समाप्त करने के लिये रेलों में टोड़-बोड़ करने को कहा गया था। बी० बी० सी० ने ऐसी ही अपीलें जर्मनी की रेलों में काम करनेवाले विदेशी मज़दूरों के नाम भी ढच, चैक, पोलिश व प्रैंच भाषाओं में ब्राडकास्ट की थीं। मज़दूरों से कहा गया था कि इस काम में बड़े साइस की जरूरत है और खतरा भी काफ़ी है। हालेंड में एक ऐसी ही अपील के परिणाम-स्वरूप बहाँ की रेलों के मज़दूरों ने हड्डताल कर दी और इस तरह मित्राधीय सेना की कार्यवाही में काफ़ी सहायता प्रदान की थी।

यह ठीक था कि गुप्त रूप से कार्य करनेवालों को अपने प्राण हथेली पर लेने पड़ते थे। हमारे भारत में भी सरकार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिये कोई प्रयत्न बाकी न छोड़ती थी। हम देख चुके हैं कि श्री जयप्रकाश नारायण जैसे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करने के लिये १०,००० रु., तक हनाम रखे गये थे। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिये ‘गुप्त’ शब्द का प्रयोग करना ठोक नहीं है; क्योंकि तानाशाही—यह चाहें ब्रिटेन, जर्मनी या भारत अथवा किसी अन्य देश की क्यों न हो—उन पर वैज्ञानिक ढंग से नज़र रखती है। गुप्त पुलिस का कार्य लोकतंत्री ढंग से नहीं चल सकता। परन्तु गुप्त कार्यकर्ताओं ने भी अपने वैज्ञानिक ढंग का विकास किया है, जिससे उन पर सन्देह न किया जाय। ऐसे लोग बीमा कंपनी या मोटर चलाने का काम करते हैं या किसी दूसरे पेशे में लगे रहते हैं। ये लोग डाक, तार या टेलीफोन से संदेश न भेजकर खुद से जाते हैं। ये किसी कागज के बिना जले या अदालते दुकड़े नहीं छोड़ते, जिससे कोई गुप्त रहस्य प्रकट न हो जाय। ये एक गुप्त संकेतिक भाषा निकाल लेते हैं। ये सिर्फ जन्मदिन या

स्पौदार पर ही हकड़े होते हैं या टिकट हकड़े करनेवालों या फोटोग्राफी में दिखचस्पी रखनेवालों के बजाए के सदस्य बन जाते हैं। ये कलोरोफार्म लेकर इस भय से आपरेशन नहीं करते कि कहीं बेहोशी में मुंह से कोई गुस्से भेद प्रकट न हो जाय। जब शत्रु की पुलिस पीछा करती है तो ससे बचने के लिए ये कुछदे बन जाते हैं और पुलिस के एक मकान में पहुंचने पर दूसरे से जिकज जाते हैं। ये लोग अदश्य स्थानों की जगह माइक्रो-फोटोग्राफी से काम लेने लगे हैं। ये लोग या तो डायरियां रखते ही नहीं, और यदि रखते भी हैं तो उन पर दोस्तों के पते नहीं जिखते। अत्यन्त त्रास दिये जाने पर भी ये अपने सहयोगियों का नाम-धारा नहीं बताते। गुप्त रूप से राजनीतिक कार्य करनेवालों के ये तरीके जेन बी० जैनसेन तथा स्टीफन वेयल ने अपने एक लेख में बताये हैं, जो 'आटलांटिक मंथली' में प्रकाशित हुआ था। इन तरीकों से कांग्रेस के तरीके कितने भिज्ज हैं। कांग्रेस ने 'गुप्त कार्बाह्व' की निन्दा की है और इस तरह ऊपर बताये सभी तरीकों को छोड़ने की सलाह दी है।

अधिकांश दमन गुप्त संगठन के प्रकट होने के कारण हुआ। यह संगठन कांग्रेस की स्पष्ट घोषणा के बावजूद अपने कानिंहटकारी तथा चिनाशक रार्थ करता रहा। हस्त संगठन के अस्तित्व से हम्कार नहीं किया जा सकता। इन्कार सिर्फ इसी से किया जा सकता है कि इस संगठन का सम्बन्ध कांग्रेसी संगठन से था। वस्तुस्थिति तो यह थी, जैसा कि गांधीजी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद वाहसराय के नाम लिखे अपने पत्र में कहा था, कि कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी से लोगों में इतनी नाराजी फैली कि संघरम उमके हाथ से जाता रहा। सरकार की हिंसा से लोगों के धर्य का अंत हो गया। सिर्फ इतना ही न था। ऐसे दल व दृष्टिकोण भी थे जिन्होंने बाद में युद्ध-प्रयत्नों के प्रति चाहे सहयोग न किया हो; किन्तु उन्हें अहिंसा में विश्वास न था और उन्होंने देखा कि गांधीजी की गिरफ्तारी से उन पर जो प्रतिबंध था वह नहीं रहा तो अपने विचार और विश्वास के अनुसार ही उन्होंने कार्य आरम्भ कर दिया। उन्हें रोकने के लिए कांग्रेस नहीं थी। ये लोग गुप्त रूप से कार्य करने लगे और उनकी गिरफ्तारी कराने या गिरफ्तारी के लिए सूचना देने के लिए भारी-भारी हनामों की घोषणा की गयी। सरकार सैकड़ों व्यक्तियों की तजाश में थी, किन्तु उनका कुछ भी पता न चल सका। ये लोग गुप्त रूप से अपने संवादपत्र या पर्चे निकाल रहे थे, क्योंकि गुप्त सम्बादपत्र या पर्चे गुप्त संगठनों के लिए आवश्यक होते हैं। जबतक किसी आनंदोलन में अहिंसा की प्रधानता रहती है तभी तक उसमें मौकिकता भी होती है और जहां अहिंसा का त्याग किया गया वहां वह यूरोपीय देशों के गुप्त संगठनों की नकल बन जाता है। इस सम्बन्ध में 'न्यू स्टेट्समैन' (१३ जून, १९४२) में लिखे गये अन्ना जाजूच कोवस्का के लेख का निम्न अंश उल्लेखनीय है—

“जर्मन-अधिकृत देशों के गुप्त आंदोलनों से इन देशों में स्वाधीनता-संग्राम को प्रगति मिली। श्री एच० जी० वेल्स ब्रिटेन में श्री चर्चिल के प्रधानमंत्रित्व को समाप्त कर देने की सलाह देते हुए कहते हैं कि अब यूरोप के विभिन्न राजे उन गुप्त आंदोलनों का समर्थन करने लगे हैं, जिन्होंने महान् संकट के समय माननीय स्वाधीनता की रक्षा की थी।”

पोलैंड की गुप्त सेना सुसंगठित थी और देश भर में फैली हुई थी। उसमें कड़ा अनुशासन था और उसे हथियार भी काफी मात्रा में प्राप्त हो जाते थे। इसके सम्बन्ध में 'टाइम एंड टाइड' ने २७ नवम्बर, १९४३ को अपने एक अग्रलेख में लिखा था, “‘इसे बड़े पैमाने पर नहीं, किन्तु गुप्त रूप से युद्ध के लिए तैयारी करनी पड़ती है। उसे देश पर अधिकार करनेवाली विदेशी

सेना से छहना है। यहाँ तक कि इस सेना में स्त्रियां भी हैं जो इसके संबर्थों में बहादुरी से हिस्सा बैठाती हैं। गुप्त सेना के कार्य मिश्राधीय सेनाओं की रणनीति के अंग होते हैं।”

ऐसे मामले भी देखने में आये हैं, जिनमें ‘फरार’ व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति, जिनके लिए इनमें की घोषणा की गयी है, जेलों अथवा हिरासत से भागे हैं। इस सन्देश के कारण कि गांधियाले ऐसे लोगों को छिपाये हुए हैं या पुलिस को उनकी तजाश में सहयोग नहीं प्रदान करते, बिहार में नये आडिनेस निकालने पड़े। इनके अनुसार संदिग्ध गांवों का घेरा डाल दिया गया और घोषणा करकी गयी कि गांव के बाहर जानेवाले व्यक्ति को गोली मारी जा सकती है। इस प्रकार गांवों में घर-घर की तजाशी ली जाती है।

क्या वंदेमातरम् राजविद्वोहात्मक गायन है? क्या इससे भारत-रक्षा विधान का कोई नियम भंग होता है? इससे जनता को मातृभूमि की रक्षा के लिए कार्य करने को प्रोत्साहन मिलता है या उससे ‘पंचम सेना’ सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्तेजन मिलता है?

यह प्रश्न फिल्म सेसर बोर्ड, बम्बई-द्वारा मराठी चित्र ‘मेण बचा’ से ‘वंदेमातरम्’ गायन को काट देने के सम्बन्ध में उठता है।

इधर कुछ समय से सेसर बोर्ड की कैची तेजी से काम कर रही थी।

हिन्दी फिल्म ‘राजा’ में गांधीजी व उनके आदर्शों के बारे में जो कुछ भी था, उसे निकाल दिया गया।

तब क्या फिल्म सेसर बोर्ड राजनीतिक सेसर का साधन बन गया है?

इसके विपरीत ‘हाइट कार्गो’ जैसे अमरीकी चित्र को पास कर दिया गया। हमने उस चित्र को देखा नहीं है; किन्तु अमरीकी पत्रों को देखने से प्रकट हुआ है कि उसमें रंगीन जातियों को अपमानित किया गया है और भारतीय स्त्रियों का उल्लेख बड़े लांचित शब्दों में किया गया है। एक जगह कहा गया है कि वे सिर्फ़ ‘चूड़ियों व साड़ियों’ के लिए ही विवाह करती हैं।

कुछ छोड़े गये कांग्रेसजनों पर लगाये गये प्रतिबंधों को यदि ध्यान से देखा जाय तो प्रकट होगा कि प्रतिबंध लगानेवालों में विनोद-भावना की कमी नहीं है। यदि नौकरशाही जीवन में कठिनाहारों उत्पन्न कर देती है तो कभी-कभी वह उसे मनोरंजक भी बना देती है। जरा ‘सर्वेन्ट्स आफ़ दि पीपुल सोसाइटी’ के जाला मोहनलाल शाह के मामले पर विचार कीजिये। वे रावी रोड पर रावी नदी तक जा सकते हैं; परन्तु मालरोड पर डाकखाने से आगे नहीं जा सकते। एक बार मालरोड पर जाते समय इस स्थल पर पहुँचे पर उन्होंने मित्रों से बिदा मांगकर उन्हें आशर्य में डाल दिया; क्योंकि इसके आगे वे जा ही न सकते थे। जाला मोहनलाल पिछले द्वार से हाईकोर्ट में प्रवेश कर सकते थे; किन्तु सामनेवाले द्वार से नहीं। परन्तु हाईकोर्ट के आगे में आकर्षण न होने के कारण यदि उसका पिछला द्वार भी बन्द कर दिया जाय तो उन्हें कुछ भी आशर्य न होता। परन्तु मैक्सियोड रोड के दाहिनी तरफ न जाने दिया जाय तो इसे ज़रूर महसूस करेंगे; क्योंकि इस सड़क पर कितने ही सिनेमाघर हैं। वे मालरोड से मैक्सियोड रोड पर घूमकर लचमी बीमा कम्पनी की इमारत तक जा सकते हैं; किन्तु उससे आगे बढ़ने पर उनकी मुसीबत हो जायगी। वे रिट्ज में ‘रामशास्त्री’ देख सकते हैं; किन्तु कई सौ गज़ आगे रीजेन्ट में ‘शकुन्तला’ नहीं देख सकते। यह कोई न कहेगा कि ‘शकुन्तला’ के बिना जाला मोहनलाल का जीवन व्यर्थ हो जायगा। प्रतिबंध के कारण उनकी जो हानि हुई है उसकी पूर्ति एक सीमा तक प्रतिबंध के कारण होनेवाले विनोद से हो जाती है।

स्वाधीनता-संग्राम में जिन सैकड़ों देशभक्तों का स्वारथ्य नष्ट हो गया और जिन सहस्रों को जेलों में कष्ट उठाना पड़ा। उनके मुकाबले में कम-से-कम दिसियों ऐसे देशभक्त थे, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की ही बलि चढ़ा दी। कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :—

पूना में नजरबन्दी की हालत में श्री महादेव देसाई की हृदय की गति रुकने से अचानक मृत्यु हो गयी। अन्तर्येष्ठि किया के समय महात्मा गांधी स्वयं उपस्थित थे।

**बम्बई-सरकार** ने निम्न विज्ञाप्ति प्रकाशित की :—

“बम्बई-सरकार को यह संवाद देते हुये दुःख होता है कि श्री महादेव देसाई की १५ अगस्त, १९४२ को प्रातःकाल द बजकर ४० मिनट पर मृत्यु हो गई। श्री देसाई भारत-रक्षा विधान के अन्तर्गत नजरबन्द थे।

“श्री देसाई जेलों के हृन्सपेक्टर-जनरल कर्नल भंडारी आई० एम० एस० तथा अपने दो कैंपी-साथियों के साथ बात-चीत कर रहे थे कि उन्होंने बेहोशी आने की बात कही। कर्नल-भंडारी ने उन्हें लेट जाने को कहा। देखने से प्रकट हुआ कि उनकी नज़्म धीमी पड़ गई और शरीर भी ठंडा हो गया है। डाक्टर सुशीला नायर को, जो उसी हमारत में नजरबन्द थीं, बुलाया गया और वे तुरन्त आ भी पहुँचीं। चूँकि सिविल सर्जन मिल न सके इसलिए एक और आई० एम० एस० अफसर को बुलाया गया।

“हृदय की गति को ठीक करने के लिए हैंजेक्शन दिये गये और श्री देसाई की ताक़त को कायम रखने के लिए जो कुछ सम्भव था किया गया। लेकिन तबीयत खराब होने के २० मिनट के भीतर ही दिल की धड़कन बन्द होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

“श्री महादेव देसाई जिस जगह नजरबन्द थे, उसके पास ही उनकी अन्तर्येष्ठि किया की गई। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध गांधीजी की इच्छानुसार किया गया जो इस अवसर पर उपरित भी थे।”

सैयद अब्दुल्ला बेलवी ने ‘बास्ते कॉनिकल’ में श्री देसाई का निम्न परिचय प्रकाशित किया था :—

“महादेव देसाई का जन्म लगभग १० वर्ष पहिले सूरत जिले के ओल्पद तालुका के एक गांव में हुआ था। एलिंक्स्टन कालेज के ब्रेजुएट होने के बाद वे बम्बई-सरकार के ओरयन्टल ड्राईसेटर के दफ्तर में नौकर दुए। बम्बई सेक्रेटरियेट में काम करते समय आप कानून की कक्षाओं में जाते थे और इस तरह आपने एज्ज० एज्ज० बी० परीक्षा पास की। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद आपने अहमदाबाद में दो या तीन वर्ष वकील के रूप में ‘प्रैक्टिस’ भी की। कानूनी पेशा अपनी प्रकृति के अनुकूल न पाकर वे बास्ते प्राविंशियक को-आरपरेटिव बैंक में को-आरपरेटिव सोसाइटियों के हैंस्पेश्टर के रूप में काम करने लगे। इस काम के सिलसिले में श्री देसाई प्रान्त के कितने ही हिस्सों और ज्ञास कर गुजरात के किसानों के सम्पर्क में आये और जबकि १९१६ के लगभग आप यह काम कर ही रहे थे गांधीजी की नजर उन पर पड़ी और श्री देसाई भी गांधीजी की ओर आकर्षित हुए। कुछ ही दिनों में आप सावरमती आश्रम में रहने लगे। श्री देसाई आश्रम के सर्व-प्रथम निवासियों में थे। आपने गांधीजी के प्राहवेट सेक्रेटरी के रूप में काम आरम्भ किया और इसी पद पर काम करते हुए आपकी मृत्यु हो गयी। आपने अपना पत्रकारी जीवन ‘यंग हिंडया’ लथा ‘नवजीवन’ के सहकारी सम्पादक के रूप में आरम्भ किया। १९२० में आप ‘इण्डिपैडेट’ का

सम्पादन करने के लिए इलाहाबाद गये; किन्तु शीघ्र ही आपको जेल में डाल दिया गया। १९३० और १९३२ में उन्हें फिर सजा हुई। जब महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अपना ऐतिहासिक अनशन किया तब समय आए उनके साथ ही थे।

“१९३१ में जब गांधीजी गोलमेज़ कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए हैंगलैण्ड गये थे उस समय श्री देसाई भी उनके साथ थे। पिछले २५ वर्ष में महादेव देसाई गांधीजी के जितने निकट-सम्पर्क में रहे थे उतना और कोई भी व्यक्ति नहीं रहा था। आम यात्राओं के समय भी वे लगातार गांधीजी के साथ रहते थे। गांधीजी हर तरह के स्त्री-पुरुषों से बातचीत करते थे और श्री देसाई इस बातचीत के नोट ले लिया करते थे। गांधीजी सार्वजनिक या गैर-सार्वजनिक लभाओं में जो भाषण दिया करते थे श्री देसाई उनके भी अल्पराश नोट लिया करते थे। गांधीजी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में वही उनके असंख्य पत्रों के उत्तर दिया करते थे। ऐसा शायद ही कोई सार्वजनिक या निजी सम्मेलन हो, जिसमें गांधीजी ने भाग लिया हो और महादेव उपस्थित न हुए हों। पिछले कुछ वर्षों से प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में उसके कार्य में श्री व्यारेलाल तथा अन्य लोग हाथ बैठाते रहे हैं। गांधीजी के सिद्धांतों को जितना महादेव हृदयंगम कर सके और जितनी पूर्णता से उनके विश्वास-भाजन बन सके उतने और कोई नहीं। गांधीजी को अपने सिद्धांतों के प्रतिपादक के रूप में महादेव में जो विश्वास था उसके प्रतीक के रूप में महात्मा जी ने उन्हें ‘हरिजन’ का सम्पादक भी नियुक्त किया था। गांधीजी के प्रति उनकी भक्ति जितनी स्वार्थहीन तथा मर्मस्पर्शी थी उतनी ही वह अटल तथा गहरी भी थी। गांधीजी के लिए महादेव एक शिष्य—एक पुत्र से भी अधिक थे। गांधीजी को महादेव के निधन से जो सदमा पहुँचा, उसे साधारण व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता। महादेव के परिवार में उनकी पत्नी हैं और एक पुत्र। उनके गहन शोक में समस्त देश हिस्सा बैठता है।

‘इन दक्षियों के लेखक की तरह अन्य कितने ही व्यक्तियों ने महादेव के रूप में अपना एक प्रिय मित्र खोया है। कालौज में स्वर्गीय कन्दैयालाल एवं वकीज, महादेव, वैकुण्ठ लल्ल-भाई मेहता तथा लेखक निरन्तर साथ रहे थे। यह मैत्री दिनों-दिन बढ़ती ही रही।

“महादेव को साहित्य से प्रेम था। वे बड़ी प्रभावयुक्त व सुन्दर भाषा लिखते थे। वे कई ग्रन्थ लिख चुके थे, जिनमें सबसे अनितम मौज्जाना अबुल कज्जाम आज्ञाद के जीवन के सम्बन्ध में था।”

महादेव देसाई की मृत्यु के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम को निम्न तार दिया था:—

“महादेव की अचानक मृत्यु हो गयी। पहले में कुछ भी जान न पड़ा। कल रात को श्रद्धी तरह सोये। नाश्ता किया। मेरे साथ सेर की। सुशीला ( डा० नारर ) तथा जेल के डाक्टरों ने जो भी सम्भव था किया; किन्तु परमात्मा की इच्छा कुछ और ही थी।

“धूप-बत्ती जल रही थी। सुशीला व मैने शांति से पढ़े शरीर को नहलाया। सुशीला व मैने गीता का पाठ किया। दुर्गा ( महादेव देसाई की पत्नी ), बावजा ( उनके लड़के ) व सुशीला ( उनकी भतीजी ) से कह देना। शोक की इजाजत नहीं है।

“झन्स्येटि मेरे सामने हो रही है। भस्म रख लेंगे। दुर्गा से कहना कि आश्रम में रहे और ज़रूरी हो तो अपने परिवारबाजों के पास चली जाय। आशा है बावजा धीरज से काम लेगा। प्यार। बापू।”

सरोजिनीदेवी कहती हैं, 'महात्मा गांधी के सम्बन्ध में एक सबसे मर्मस्पर्शी स्मृति श्री महादेव देसाई की अन्येष्ठि के सम्बन्ध में है।

'गांधीजी ने कांपते हाथों से शव को खुद ही स्नान कराया। करीब एक घण्टे तक आपने शव में चन्दन लगाया। अपने ही हाथों से उन्होंने चिता को आग दी और तीसरे दिन गांधीजी ने ही अन्तिम कर्म किया।'

"महादेव के प्राण निकलते ही गांधीजी को इमारत के दूसरे कोने से बुलाया गया था। वे आये और उन्होंने पुकारा 'महादेव, महादेव', पर उन्नर कुछ न मिला। कस्तूरबा ने कहा, 'महादेव, तुम बोलते क्यों नहीं। बापू बुला रहे हैं !'

"पर सब खत्म हो चुका था। प्रिय शिष्य की आत्मा गुरु की आवाज के परे पहुँच चुकी थी।"

१६४५ में महादेव देसाई के समान में स्मारक खड़ा करने और इस सम्बन्ध में ५२ जाल रूपये एकत्र करने का निश्चय किया गया। महादेव की दूसरी वर्षी के मयमय गांधीजी ने निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया:—

"महादेव की स्मृति में जो सबसे बड़ा कार्य मैं कर सकता हूँ वह यही है कि जो कास महादेव अधूरा छोड़ गये हैं उसे पूरा करूँ और अपने को महादेव की भक्ति का पात्र बनाऊँ। यह विर्फ स्मारक-कोष एकत्र करने की अपेक्षा कहीं कठिन कार्य है और भगवान की कृपा के बिना असम्भव है।"

"१५ अगस्त को महादेव देसाई की दूसरी वर्षी है। दो या तीन पत्र-प्रेषणों ने मुझे हजारी फटकार भी बतायी है। उनकी बातों का संक्षेप इस प्रकार है:—

"आप कस्तूर वा स्मारक-कोष के अध्यक्ष बने हैं। महादेव ने आगे के लिए अपना सभी-कुछ छोड़ा और यहाँ तक कि आप ही के लिए अपने जीवन का भी बलिदान किया। वे कस्तूरबा की अपेक्षा बहुत कम उम्र में मरे; किन्तु इस अल्पकाल ही में उन्होंने कितनी सफलता प्राप्त की। कस्तूरबा एक सती थीं। परन्तु जहाँ भारत कितनी ही सतियों को जन्म दे चुका है, उसने महादेव तिर्फ एक ही पैदा किया। यदि वे आपके साथ न होते तो शायद ज्ञान जीवित होते। अपनी योग्यता के कारण वे साहित्यिक या सेवक के रूप में ख्याति प्राप्त कर सकते। वे अमीर होते, अपने परिवार को आशम से रखते और अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाते। आप उन्हें एक पुत्र की तरह मानते थे। क्या इस पूछ सकते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया ?

"ये विचार उठने स्वाभाविक हैं। दोनों का भेद इतना उत्तेजनीय है कि उससे आंखें नहीं मूँदी जा सकतीं। साधारण रूप से महादेव का जीवन अभी शेष था। उनका ध्येय १०० वर्ष तक जीने का था। वे अपनी भारी नोटबुकों में जो सामग्री छोड़ गये हैं उसे तैयार करने में ही वर्षों लग जायेंगे। उन्हें यह सब करने की आशा थी। वे उन बुद्धिमान व्यक्तियों के उदाहरण थे, जो इस भाँति काम करते हैं जैसे उन्हें अनन्त काल तक जीवित रहना हो।

"महादेव के प्रशंसकों को मैं निर्फल यही तस्ली दे सकता हूँ कि मेरे समर्पक में आने से उनकी कोई हानि नहीं हुई। उनके स्वर्ण विद्वत्ता या विद्या से परे थे। उन्हें धन के प्रति भी मोह न था। परमात्मा ने उन्हें मेधावी मस्तिष्क तथा बहुमुखी रुचि प्रदान की थी। परन्तु उनकी आत्मा में भक्ति की भूमि थी।

"महादेव का वाह्य लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति था; किन्तु अपने अन्तर में वे भक्ति के आदर्श में

पूरा उतरना, और सम्भव हो तो उसमें दूसरों को हिस्सेदार<sup>१</sup> बनाना चाहते थे। मृतक की स्मृति में कोई पार्थिव स्मारक बनाना मेरे जित्रे के बाहर की बात है। यह कार्य उनके मित्रों तथा प्रशंसकों का है। क्या कभी कोई पिता अपने पुत्र के स्मारक की बात उठाता है। कस्त्रबा स्मारक की बात मैंने नहीं उठायी थी। यदि महादेव के मित्र या प्रशंसक उनके लिए कोई स्मारक-कोष खोलें और मुझमे उसका अध्यक्ष होने को कहें, ताकि मैं कोष के उपयोग के विषय में मार्ग-प्रदर्शन कर सकूँ, तो मैं प्रसङ्गात्मक ऐसी स्थिति स्वीकार कर लूँगा।

‘कोष एकत्र करना अच्छा व आवश्यक है। परन्तु महादेव के रचनात्मक कार्य का सच्चे दिल से अनुकरण करना और भी अच्छा है। पर ठोस काम करने का स्थान कोष में अच्छी-सी रकम देना नहीं ले सकता।’

कांग्रेस की दूसरी हानि मौ० अबुल कलाम आजाद की पत्नी बेगम जुलेखा खातून की मृत्यु थी। जिन दिनों मौ० साहब की बम्बई में गिरफ्तारी हुई थी उन दिनों भी बेगम साहिबा का स्वास्थ्य ठीक न था। मौलाना साहब उनकी लम्बी बीमारी का दुःख धैर्य व साहस के साथ बदृशत कर रहे थे। बेगम की बीमारी के आखिरी दिनों में जब यह खबर जेल में मिलती थी तो बदा दुःख होता था। उनकी उम्र ४५ वर्ष<sup>२</sup> की थी और वे दो साल से बीमार थीं। मौलाना सैफ-सिद्दीक किखते हैं:—

‘मौलाना अबुल कलाम आजाद को पत्नी बेगम जुलेखा खातून का विवाह भारत के इस सुपुत्र से बहुत थोड़ी उम्र में हुआ था। वे प्रायः जीवन के आरम्भ से ही मौलाना के साथ सच्ची पतिव्रता के रूप में रही थीं।

‘उनके पति क्रान्तिकारी मनोवृत्ति तथा राजनीतिक भुकाव के कारण जीवन भर आग से लेजते तथा अनेक कष्ट व यातनाएँ सहते रहे। अपने पति की मुसीबतों का उन पर सबसे अधिक प्रभाव पहा; किन्तु यह परेशानी उन्होंने धैर्य के साथ सही, जैसाकि अक्सर स्त्रियां सहती भी हैं। उनका जीवन आराम का जीवन न था। वे अमीर घराने में उत्पन्न हुई थीं और गोकि उनके पति देश के एक प्रमुख तथा नामी नेता थे, पर वे गरीबी और कठिनाइयों से जूझती हुई थीं।

‘गुरुवार, ८ अप्रैल को डा० मन्जूमदार ने उनकी आशा छोड़ दी और बड़े गम्भीर द्वोकर बीमार के कमरे से बाहर निकले। डाक्टर ने कहा कि अगर मौ० साहब आ जायें तो वे इस संकट से सफलतापूर्वक गुरुर बनकर उत्तीर्ण होंगे। रात के ११ बजे पकाएक उनके जिस्म में कुछ ताकत आयी और उन्होंने कहा कि उन्हें सहाये से बैठा दिया जाय। उन्हें बैठा दिया गया और तब वे परिवार के हरेक व्यक्ति व नौकर से बातचीत करने लगीं और बीमारी के कारण सबको जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए माफी मांगी। सब ज्ञोग यह देखकर खुश हुए कि उनमें शक्ति आ रही है और हाजर भी सुधर रही है।

‘दरवाजे की तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा कि मौलाना साहब आये या नहीं? यह मालूम होने पर कि वे नहीं आये, वे आंखें बन्द कर चुपचार बैठ गईं। उन्होंने नौकरों को इनाम देने और कुरान पढ़े जाने को कहा। कुरान शुक्रवार के सुबह ६ बजे तक पढ़ा जाता रहा, जब आपकी मृत्यु हो गई।’

कलकत्ता के मोहम्मद अब्दी पार्क में कांग्रेस के अध्यक्ष मौ० अबुलकलाम आजाद की पत्नी की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए एक भारी समा हुई। सभा में भाषण करते हुए बंगाल असेंटवली के अध्यक्ष माननीय सैयद नौशेरअब्दी ने सभापति के पद से भाषण करते हुए कहा कि बेगम

की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उसकी याद भारतवासियों को कई पीढ़ी तक रहेगी।

सभा में प्रान्त के सभी दलों के हिन्दू व सुस्थिति प्रतिनिधियों ने बेगम साहिबा की मृत्यु पर शोक व मौजाना साहब के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पास किया।

कांग्रेस के अध्यक्ष मौजाना आजाद को एक और शोक बदाईत करना पड़ा। ३० दिसंबर, १९४३ को भोपाल में मौजाना साहब की बहन अबू बेगम की मृत्यु लगभी बीमारी के बाद हो गई।

अंतिम किया के समय भोपाल की बेगम तथा रियासत के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। वे भोपाल में ही रहती थीं और भोपाल की महिला-समाज की प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता भी थीं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में भी वे कितनी ही बार भोपाल की नारियों का प्रतिनिधित्व कर चुकी थीं। आप कई वर्ष तक भोपाल महिला कल्प की मंत्रिणी भी रही थीं तथा विदेशों में बढ़नेवाले भारतीय सैनिकों की सुख-सुविधा के लिए भी कार्य करती थीं।

२८ मार्च, १९४२ को श्री एस० सत्यमूर्ति की मृत्यु हुई। अगस्त, १९४२ में बम्बई से से बापसी यात्रा में घर पहुंचने से पहले ही उन्हें गिरफतार कर लिया गया। उन्हें गिरफतारी के बाद बदलकर जो अमरावती में रहा गया, मृत्यु उसी के कारण हुई।

इस मित्र की मृत्यु पर विश्वास करना कठिन है। श्री सत्यमूर्ति को देखने से ऐसा लगता था, जैसे वे कभी वृद्ध हो न होंगे। भाषण की ओरिंस्टिवा, दिल का जोशीलापन, गम्भीर विचार-शीखता, जैसा विचार ह। वही कहने का साहस और सच्ची लगन सत्यमूर्ति के ऐसे गुण थे, जो उनका चित्र हमारे सामने छाकर उपस्थित कर देते हैं और इनके कारण श्री सत्यमूर्ति के कितने ही मित्रों का यह मानने को जी नहीं चाहता कि वे आज हमारे बीच में नहीं हैं।

श्री सत्यमूर्ति के बतल दक्षिण के ही नहीं, विलिं सारे हिन्दुस्तान के एक सबसे प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे। आपका जन्म १९ अगस्त, १८८६ को हुआ और महाराज कालेज पट्टद्वारा, तथा मद्रास के किंशिचयन कॉलेज, डॉ-कॉलेज में शिक्षा पाई। आप मद्रास हाईकोर्ट के एडवोकेट थे और भारत के फेडरल कोर्ट के भी सीनियर एडवोकेट थे। १९१४-१५ के प्रथम विश्व-युद्ध के समय होमरुल आनंदोलन के जमाने में आप पहले पहल जनता के सामने आये। १९२३ से से १९२० तक आप मद्रास लैंजिस्टोर्टव कॉसिल के और १९३५ से भारतीय असेम्बली के सदस्य रहे। १९४१ में आप मद्रास कार्पोरेशन के मेयर भी निर्वाचित हुए। १९११ में आप कांग्रेस फ्लूटेशन के सदस्य के रूप में और १९२५ में दूसरी बार स्वराज्य दल की तरफ से हूँगलैयड गए। आप मद्रास यूनिवर्सिटी की सिनेट के भी सदस्य थे। आप साडथ इण्डियन फिल्म चैम्बर आफ कामर्स तथा इण्डियन मोशन पिक्चर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। आप असेम्बली की कांग्रेस पार्टी के पहले मन्त्री तथा बाद में उप-नेता निर्वाचित हुए थे और तामिलनाडु कांग्रेस कमेटी के मन्त्री और बाद में अध्यक्ष भी रहे थे। आप १९३१, १९३३, १९४१ और फिर १९४२ में चार बार जेल गये। हर बार जेल में उनकी सेहत बिगड़ी। १९४१ में बीमारी के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। श्री सत्यमूर्ति पार्लीमेंटरी कार्य के जोरदार समर्थक थे और कई बार कांग्रेसजन के कौसित्र-प्रवेश आनंदोलन में प्रमुख रूप से भाग ले चुके थे। आपके भाषण बड़े ओजस्वी तथा निदरतापूर्ण होते थे और असेम्बली की कांग्रेस-पार्टी के उप-नेता के रूप में आम बहसों में आप प्रसुख भाग लिया करते थे और सरकारी अधिकारी आपके भाषणों को बड़े सम्मान व भय के साथ सुना करते थे।

भारतीय राजनीति में स्वाधीनता के पुजारियों को भारी संख्या में अपने प्राणों की भेट चढ़ानी पड़ी है और जीवित रहने की अवस्था में भी उन्हें त्याग कम नहीं करने पड़े हैं। साधारण रूप से राजनीति अमीर आदिमियों के अथवा उन आदिमियों के, जो आवश्यक मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं, विनोद को बहुत है। ऐसे व्यक्ति के लिए, जो हनमें से किसी श्रेणी में नहीं आता, राजनीति बड़ी खतरनाक व परेशानी में डाकनेवाली चीज़ है। फिर भी विछुले २५ वर्ष में द्वारा नवयुवकों ने अपने परिवारों, अपने स्वार्थों, अपने स्वास्थ्य और अपनी आकांक्षाओं का बलिदान किया है और कितने ही मृत्यु के सुन्दर में पहुँचने से बचे हैं। सत्यमूर्ति ऐसे व्यक्तियों में थे, जो किसी प्रान्त या विभाग के मन्त्री के रूप में देश की सेवा करके प्रसन्न होते। परन्तु भाग्य का विधान कुछ और ही था। आगामी वर्षों में दसियों क्या सैकड़ों मम्त्री आयेंगे और चले जायेंगे; किन्तु इतिहास में वीरों व शहीदों की सूची में, जिन लोगों का नाम अमिट अज्ञरों में अंकित रहेगा वे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जनता के भले के लिए सचाई के साथ प्रयत्न किया। इन लोगों ने अपने स्वार्थ को भूल कर उन परेशानियों तथा अभाव को राष्ट्र का निर्माण करने-वाली शक्तियों के रूप में समझा। श्री सत्यमूर्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि उन्हें नागपुर से अमरावती तक ६० मील तक ले जाया गया और अगस्त के गर्म महीने में एक गिरावंश जल तक पीने को नहीं दिया। उनके पैर में लकवा मार गया और अन्त में उनकी मृत्यु हो गयी।

श्रीमती कस्तूरबा गांधी की मृत्यु २२ फरवरी, १९४४ को आगामी राजमहल में सायंकाल ७॥ बजे बड़ी शांति से हुई। मृत्यु के समय उनके सबसे छोटे बेटे देवदास, उनके जीवन-संगी महाराजी, फितने ही पारिवारिक मित्र व भक्त उपस्थित थे। कस्तूरबा के भक्त देश भर में फैले हुए थे और उन्हें प्रेम से 'बा' कहा करते थे। नजरबन्दी की हालत में लगे हुए प्रतिबन्ध के बावजूद आगामी राजमहल में होनेवाली इस दूसरी अन्येष्ठि-क्रिया के अवसर पर कुल १०० के लगभग व्यक्ति उपस्थित थे। पहली अन्येष्ठि-क्रिया १८ महीने पूर्व स्वर्गीय महादेव देसाई की हुई थी। महादेव की तरह वा की मृत्यु अचानक या असामिक न थी। वे बृद्धा थीं और देश की सेवा भी काफी कर चुकी थीं। वे दसियों वर्ष तक अपने चरणों में राष्ट्र के प्रेम व अद्वाजकि को पा चुकी थीं।

कस्तूरबा अपने पति से सिर्फ कुछ ही महीने छांटी थी। दोनों ने जीवन-यात्रा लगभग एक साथ आरम्भ की और आधे से अधिक जीवन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का निर्वाह किया। उन, पोता, आश्रम के निवासी तथा देश के करोड़ों नर-नारी ही उनके प्रेम-बन्धन थे और देश व समाज की सेवा में लगे हुए इस दम्पत्ति को जीवन के संयुक्त कार्यक्रम व प्रयत्नों के लिए इसी बन्धन से प्रेरणा मिलती थी। गांधीजी को जीवन में जो इज्जत प्राप्त हुई थी उसी में नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रेम और त्याग व तपश्चर्यापूरण जीवन में भी कस्तूरबा अपने पति की सच्ची हिस्सेदार बनी थीं। आश्रम में जिन आदर्शों को स्वीकार किया गया था उन पर चलने में गांधीजी ने उनके साथ कोई राज्यात नहीं की। गांधीजी ने अपने जीवन का आधारभूत सिद्धांत अपरिमह बना रखा था और उस पर कड़ाई से अमल कराने में थोड़ी भी भूल-चूक बर्दाशत नहीं करते थे। एक बार एक भेद प्रकट करके गांधीजी ने मानों वा को सूखी पर ही खटका दिया था, किन्तु वा ने इस अवसर पर मर्यादा, मौन तथा विनय के द्वारा सहज गुणों का परिचय दिया, जो युग-युग से भारतीय नारी के आभूषण रहे हैं, और वे उसी आदर्श

पर चर्कीं, जिसमें समानता व स्वाभीमता के स्थान पर पति में अपने अस्तित्व को विज्ञान कर देने की भावना रहती है। यज्ञ करने, संन्यासी का जीवन स्थृतीत करने तथा जेह जाने में वा ने गांधीजी का अनुसरण किया—क्यों या कैसे का सवाल कभी नहीं डाया और करने व मरने को सदा तैयार रहीं—और मरीं भी जेह में अपने पति की बाहों में। उन दिन शिवरात्रि थी और सूर्य उत्तराधिष्ठान में थे। ऐसे समय देह छोड़ने का अवसर भी विश्वली स्त्री को ही मिलता है। कस्तूरबा के सम्मान में राज-परिषद् का कार्य आध घण्टे के लिए और सिन्ध असेम्बली का कार्य १५ मिनट के लिए रोक दिया गया। बम्बई कार्पोरेशन तथा अन्य कितनी ही संस्थाओं ने शोक के प्रस्ताव पास किये और वा के सम्मान में कार्य स्थगित किया। कस्तूरबा स्मारक के लिए ७५ लाख रुपये मांगे गये थे; किन्तु एकत्र १२० लाख रुपये हुए, जो भारत के इतिहास में एक अपूर्व घटना थी।

श्रीमती कस्तूरबा की बीमारी के समय गांधीजी को सरकार के आचरण से बदा हुआ हुआ। डॉ जीवराज मेहता जैसे डाक्टर जब श्रीमती कस्तूरबा को देखने आते थे तो गांधीजी से बात नहीं कर पाते थे। देखनेवाले डाक्टर आगाम्या राजमहल में रह नहीं पाते थे, बल्कि वे महबूब के बाहर अपनी मोटर में रात गुजारते थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें तुरन्त बुझाया जा सके। गांधीजी को इससे इन्तना मानसिक कष्ट हुआ कि उन्होंने सरकार से कहा कि या तो कस्तूरबा को पैरोल पर छोड़ दिया जाय और या उन्हें ही इस जगह से कहीं अत्यन्त बदल दिया जाय।

ऐसी हालत में हमें बतलाया गया और सर गिरजाशंकर बाजपेयी द्वारा अमरीकी जनता को सूचित किया गया कि “सरकार ने अनेक अवसरों पर स्वास्थ्य के कारणों से कस्तूरबा को छोड़ने के प्रश्न पर विचार किया था, किन्तु वे अपने पति के पास ही रहना चाहती थीं और उनकी इस इच्छा की कद की गयी। इसके अलावा वहाँ रहने पर उन्हें एक प्रसिद्ध डाक्टर की बेल-रेल की सुविधा प्राप्त थी, जो वहीं रहते थे।” आश्र्वय तो यह है कि सत्य की जितनी हृत्या इस कथन से की गयी उतनी और किसी से नहीं। भारत में सरकार की तरफ से सिर्फ यही कहा गया कि यदि उससे रिहाई के बारे में सलाह ली जाती तो वे वहीं रहना चाहतीं। सर गिरजाशंकर बाजपेयी ने मैसेस्वेज को भी मात कर दिया और इस प्रकार भारतीय अधिकारी-वर्ग को सदा के लिए कलंकित किया।

कस्तूरबा की मृत्यु के सम्पन्न में प्रकट किए गये शोक के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह थी कि श्री जिला ने इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा। और इसमें आश्र्वय भी कुछ न था; क्योंकि अलाइबल्श की हृत्या के सम्बन्ध में भी उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा था।

१४ जनवरी, १९४४ को पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन श्रीमती विजयलक्ष्मी के पति श्री आर० एस० पंडित की मृत्यु हो गयी।

श्रीयुत पंडित पिछले तीन महीने से ‘प्ल्यूरेसी’ से पीड़ित थे। श्रीमती पंडित अपने पति के पास ही थीं। श्री पंडित का शव अन्त्येष्टि के लिए इलाहाबाद ले जाया गया।

श्री पंडित संयुक्त प्रांतीय असेम्बली के सदस्य थे और उनकी अवस्था ११ वर्ष की थी। पत्नी के अलावा आपके तीन पुत्रियां भी हैं—रीता, चंद्र लेखा और नयनतारा। पिछली दो बहनें अमरीका में पढ़ रही हैं।

श्री पंडित अगस्त के उपदेशों के समय गिरफतार किए गये थे और = अष्टूबर- १९४३ को उन्हें जल्लनऊ सेंट्रल जेह से स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण छोड़ दिया गया था।

स्वर्गीय श्री पंडित संस्कृत के गहन विद्वान् थे। आपकी प्रकृति बहुत ही सरब्रथो और देश के प्रति आपके हृदय में अग्राध प्रेम व स्याग की भावना थी।

१६ अप्रैल, १९४४ को कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० सी० विजयराघवाचारियर, जो कुछ समय से बीमार थे, अपने मकान पर स्वर्ग सिधार गये। आपकी उम्र ६४ वर्ष की थी। आपके एक पुत्री एक पौत्र तथा दो पौत्री हैं।

डा० सी० विजयराघवाचारियर ने ५० वर्ष तक अपने प्रांत मद्रास व भारत में राजनीतिक कार्य किया। जनता में आपका नाम सब से पहले उस समय आया जब सलेम में एक हिन्दू-मुस्लिम दंगे में १० वर्ष का कठोर कारावास होने पर आपने उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की। अपील में आप ज़रूर और साथ ही अन्य अभियुक्तों को भी छुड़ा लिया।

डा० आचारियर ने कांग्रेस की तरफ से अधिकारों की घोषणा (१९१८) का मसविदा तैयार किया था और वे १९२० में कांग्रेस के और फिर इजाहाबाद वाले 'एकता सम्मेलन' के अध्यक्ष हुए थे। आपने उस सर्व दल सम्मेलन' के आयोजन में प्रमुख रूप से भाग लिया था जिसने साइमन कमीशन के बहिकार का निश्चय किया था और जिसमें नेहरू-समिति नियुक्त की गयी थी। आप हिन्दू-महासभा के भी अध्यक्ष रह चुके थे।

डा० आचारियर १९४५ से १९४९ तक मद्रास लेजिस्लेटिव कॉसिल के और १९५२ से १९४६ तक हृषीरियक्ष लेजिस्लेटिव कॉसिल के सदस्य रहे। आप गहन विचारक, राष्ट्रवादी तथा अंतर्राष्ट्रीयता के उपासक थे और राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा न रहने पर भी उसके हिमायती थे।

२४ अप्रैल, १९४४ को बनारस में काशी विद्यापीठ के संस्थापक सी शिवप्रसाद गुप्त की मृत्यु हो गयी। आपने ज्ञानमंडप प्रेस खोला था और कुछ समय तक कांग्रेस के खजानीयी भी थे। आपने भारतमाता-मन्दिर का निर्माण कराया और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्र करने के लिए परिषद भद्रनमोहन मालवीय के साथ देश का दौरा किया था। श्री गुप्त की उम्र ६१ वर्ष की थी और आप १२ वर्ष तक ज्ञान के कारण चारपाई पर पढ़े रहे थे।

१६ मार्च, १९४४ को राजपरिषद् के एक सदस्य तथा अखिल भारतीय को-आपरेटिव इंस्टीट्यूट्स एसोसियेशन तथा भारतीय प्रांतीय को-आपरेटिव बैंक्स एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री वी० रामदास पंतुल की मृत्यु हो गयी। आप राजपरिषद् में कांग्रेस-दल के नेता थे।

अन्य जिन प्रमुख व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनमें श्री रामानन्द चटर्जी भी थे। ३५ वर्ष तक उनका नाम देश में राजनीतिक व साहित्यिक जाग्रति से सम्बद्ध रहा। गोकिं श्री चटर्जी कांग्रेस में कभी नहीं रहे; परन्तु उनकी सहानुभूति सदा से राष्ट्रीय आंदोलन के और इसीलिए स्वभावतः कांग्रेस के प्रति थी। कांग्रेस भी उनकी आलोचना का आदार करती थी; क्योंकि व्यापक व लिप्ति दृष्टिकोण उनकी आलोचना की सब से बड़ी विशेषता थी। अपनी बृद्धावस्था के अंतिम दिनों में वे हिन्दू-महासभा का पक्ष लेने लगे थे। रामानन्द बाबू कट्टर ब्राह्मण थे और हिन्दुओं के संगठित होने की ज़रूरत महसूस करने लगे थे। परन्तु जब रामानन्द बाबू जैसा सावंजनिक व्यक्ति, भी अपने व्यापक आत्मविकास का दृष्टिकोण छोड़कर संकुचित साम्ग्राम्यिक दृष्टिकोण से विचार, रेते लगा तब आलोचकों का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट हुआ कि आखिर इस परिवर्तन का कारण क्या है। १९३२ के साम्प्रदायिक निर्णय को वे किसी तरह सहन नहीं कर सके और उन लोगों के अलावा, जो उसे स्वीकार या अस्वीकार कुछ भी नहीं करते थे, अधिकांश हिन्दुओं ने उसके सम्बन्ध में अपना मत स्थिर कर लिया। रामानन्द बाबू राजनीति में राष्ट्रवादी होने तथा

धर्म के विचार से आँख होने के बावजूद हिन्दू-महासभा से प्रभावित हुए। यदि रामानंद बाबू की हस विचारधारा का स्थान न किया जाय तो भारतीय राष्ट्र के विकास, उसकी राजनीतिक तथा आर्थिक मुक्ति, दार्शनिक अंतर्दृष्टि तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण के विचार से १५वीं तथा २० वीं शताब्दी के प्रमुख व्यक्तियों, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, आनंद मोहन बोस, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा स्वामी विवेकानंद के मध्य उनका नाम आ जाता है।

जेलों में अधिवा स्वास्थ्य बिगड़ने पर रिहाई के बाद कितने ही देशमंत्रों की जाने गयीं। इनका पूरा निवरण प्रांतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु सब से स्वतंत्र करनेवाली छटवा सिंध में ही जिवका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक जान पड़ता है। प्रांत के भूतपूर्व प्रशान्तमंत्री अलाइबद्ध को १४ मई, १९४३ का शिकारपुर में गोखी मार दी गयी। वे आजाद मुस्लिम सम्मेलन में अध्यक्ष थे।

शिकायपुर में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अल्लाहबद्दुल्ला की हत्या का समाचार मिलते ही सिन्ध-सरकार ने कराची के प्रान्तीय स्क्रेटरियेट व अन्य सरकारी दफ्तरों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया।

बाजार के दूकानदारों के दूकान खुलने से पहले ही इत्याका समाचार मिल चुका था, इसलिए बाजार भी बन्द रहा।

श्री अलाहबद्ध एक मित्र के साथ शिकारपुर-सख्ला रोड पर सख्ला की तरफ एक तांगे में जा रहे थे। अचानक शिकारपुर पुर्वांकस लाइन के समने चार अज्ञात व्यक्तियों ने दोनों पर गोलियां चलायीं।

अल्लाहबद्ध की छाती में रिवाल्वर की दो गोलियाँ लगीं और सिविल अस्पताल में उपचार करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गयी ।

श्री श्राव्य वर्खश मृत्यु से पहले अपना आखिरी बयान भी न दे सके ।

परन्तु अलाहबद्दरा के हत्यारों की शिनालत हो गयी, और कॉर्ट मार्शल के आगे ८ व्यक्तियों को उपस्थित किया गया। कॉर्ट मार्शल होते समय जनता को उपस्थित नहीं होने दिया गया था। दो व्यक्ति सरकारी गवाह बन गये। रिंध-सरकार ने प्रकट किया कि हथा एक घृण्यन्त्र के कारण हुई थी, जिसमें कुछ प्रमुख ज़मीदारों का हाथ था। २६ फरवरी १९४८ को मामले का फैसला सुना दिया गया। जिसमें तीन व्यक्तियों को मृत्युदंड और शेष को आज़म कारावास की आज्ञा सनायी गयी।

बाद में भूतपूर्व माल भंत्री खान बहादुर सुरों, उनके भाई व उनके एक जौकर पर हस्ता के सम्बन्ध में मुकदमा चलाया गया। अभियुक्तों को सेशन सिपुर्द किया गया और फिर रिहा कर दिया गया।

सुभाषचन्द्र बोस

आन्दोलन के तीन वर्षों में जिस दुःखद घटना का कांग्रेसजन पर सबसे अधिक असर हुआ, वह १८ अगस्त, १९४८ को हवाई दुर्घटना में श्री सुभाषचन्द्र बोस की कथित मृत्युकी खबर थी। सुभाष बाबू दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। भारत के लिए स्वाधीनना प्राप्त करने के तरांके के सम्बन्ध में कांग्रेस से मतभेद होने के कारण सुभाष बाबू १९४१ के आरम्भ में गुप्तरूप से भारत के बाहर निकल गये। कहा जाता है कि वे वायुयान द्वारा टोकियो जा रहे थे और मार्ग में दुर्घटना होने पर वे सांघातिक रूप से चायबॉक दुए और उसकी मृत्यु हो गई। सुभाष बाबू ने खुद

ही अपना रास्ता निकाला। गांधीवाद से विद्रोह करके राजनीतिक विषय में उन्होंने अपना अलग तरीका निकाला था। जहाँ तक दूसरे महायुद्ध में सुभाष चान्दू के जर्मनी व जापान का साथ देने का ताल्लुक है, इसकी जिम्मेदारी भी खुद उन्हीं पर थी और अपना रास्ता अलग निकालने के कारण मित्रों का उनके प्रति रुचमान्न भी प्रेम कम नहीं हुआ। हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु का समाचार एक बार और मिला था और सौभाग्य से वह गङ्गत निकला था। सुभाष चान्दू की मृत्यु का समाचार जापानी सूत्रों से मिला था और खोग उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। युद्ध समाप्त होने पर उनकी तलाश भी काफी की गई। यदि वे मर चुके हैं तो शोरू-सागर की उत्ताप तरंगों में चिन्ता की एकाकी लहर विद्धीन हो जायगी। यदि वे जीवित हैं तो इस रहस्यपूर्ण धर्म के यश में चार चांद लग जायेंगे।

—०—

## मेरठ-अधिवेशन

पाठकों को स्मरण होगा कि १६ जून, १९४५ को कार्य-समिति अहमदनगर किले से छोड़ दी गई; परन्तु मेरठ का अधिवेशन २३ नवम्बर, १९४६ को ही हो सका। इस बीच में अध्यक्ष ने, जो १६ मई को हाँ अधिवेशन के लिये चुन लिये गये थे, पूरे अधिवेशन के पहले अपना कार्य-भार भैंभाल लिया और नई कार्य समिति की भी नियुक्ति करदी। परन्तु केन्द्र की अन्तर्कालीन सरकार में उनके पद-प्रहण के कारण कांग्रेस के विचान के अनुसार बाकायदा नये चुनाव की आवश्यकता पड़ी और आं जे० चौ० कृपज्ञाना नये अध्यक्ष चुन लिये गये। श्री कृपज्ञानी कांग्रेस के लिये नये न थे। उन्होंने अपनी सहज विनोदशीलता से विषय-समिति में भाषण करते हुए ठीक ही कहा कि आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानता हूँ। १२ वर्ष तक वे कांग्रेस के प्रधान-मन्त्री रहे थे और कांग्रेस की शक्तियों का संगठित करने व उसके कार्य की व्यवस्था ठीक करने का काम कर रहे थे। उन्हें एक लाभ यह भी प्राप्त था कि उनकी पत्नी सुचेता देवी बड़ी ही संस्कृत तथा उत्साही महिला थीं और कांग्रेस की महिला-मंत्रिणी थीं। पति-पत्नी को सार्वजनिक सेवा के एक ही ज्ञेय में काम करने का सुयोग प्राप्त था और दोनों एक ही दफ्तर में बैठते थे। अपने समय में दोनों ही प्रोफेसर थे। दोनों अच्छे लेखक हैं और धारा-प्रवाह भाषा लिखते हैं। दोनों ही सुसंस्कृत देशभक्त, वाचाक, परिश्रमशील तथा सूम-वूमवाले अर्थात् हैं। इस तरह मेरठ-अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कर्तव्य पूरा करने में अपनी पत्नी से सहायता मिल सकती थी।

मेरठ शहर व जिले में अचानक उपद्रव हो जाने और अधिवेशन से पूर्व कांग्रेसनगर के एक भाग में रहस्यरूप ढंग से आग लग जाने के कारण वहाँ घबराहट फैल गई, जिसके परिणाम-स्वरूप मजदूरों की कमी हो गई। तब अधिवेशन के प्रबन्ध में एकाएक कमी का दी गई और यह धांषित किया गया कि अधिवेशन में सिर्फ डेलीगेट ही भाग ले सकेंगे और दर्शकों को नहीं आने दिया जायगा। इस तरह प्यारेलाल नगर के निर्माण में कठिनाई उत्पन्न हो गई। परन्तु आजाद हिंद फौज की सहायता से यह कार्य सम्भव हो गया, जो पहले असम्भव जान पड़ता था। इतने पर भी खादी तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का विचार त्याग दिया गया। राष्ट्रपति कृपज्ञानी ने अपना भाषण हिन्दूस्तानी में दिया। शायद उन्हें हम बात से संतोष था कि जिस मेरठ में वे पिछले बीस वर्ष से रचनात्मक कार्य कर रहे थे उसी में उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बम्बई-अधिवेशन में राजेन्द्र बाबू के अध्यक्ष होने के समय से राष्ट्रपति के स्थान पर कोई कदर गांधी-वादी आसीन नहीं हुआ था। आपने विषय समिति तथा पूर्ण अधिवेशन दोनों ही अवसरों पर कांग्रेस की कार्यवाही का संचालन बड़ी योग्यता व सकलता पूर्वक किया। संशोधनों को वापस करने की बात हो या भाषणों को कम करने का सचाल हो, अपने पर्याप्त चतुराई का परिचय दिया,

जिससे आपके मित्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब यह बात कही जा सकती है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं तथा एक वर्ग की सद्भावना शुरू में आचार्य कृपलानी को प्राप्त न थी, फिर भी उन्हें इतनी सफलता अवश्य मिली जिससे वे अधिवेशन के कार्य का सुचारू रूपसे संचालन कर सके और अपने अवशिष्ट कार्यकाल में काम कर सके। आपने अधिवेशन के अन्त में श्रंगेर्जी में जो भाषण दिया वह एक आश्वर्यजनक वकृता थी। उसमें जहाँ एक तरफ यह बताया गया था कि अदिंसा को कहाँ तक सफलता मिली है अथवा सफलता नहीं मिली है वहाँ दूसरी तरफ यह कहा गया था कि जोगों से कितनी अहिंसा की आशा की जाती थी। आप घंटे तक जनता मंत्रमुख-सी उनकी गर्जना सुनती रही और उस पर इस भाषण का अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा। एक प्रकार से अहिंसा का पुनर्जन्म हुआ और इसमें राष्ट्रपति ने सहायता प्रदान की। कृपलानीजी को कार्य-समिति चुनने में भी कम दिक्कत नहीं हुई; किन्तु सभी जानते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होता है और कम-से-कम कार्य-समिति पर किसी घ्यक्ति को रखने या न रखने के सवाल पर उन्हें अपने जानकार आलोचक की सहानुभूति तो प्राप्त थी ही। शायद कार्य-समिति में अपने साथियों का चुनाव कांग्रेस के अध्यक्ष का सबसे कठिन कार्य होता है।

अब हम कांग्रेस के मेरेठ-अधिवेशन की सफलता पर विचार करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से मेरेठ में कोई नहीं या ठोस बात नहीं हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में मित्रमुख में होनेवाली बैठक में जो-कुछ किया था उसी की उपुष्टि मेरेठ के अधिवेशन में हुई। उसमें अंतर्राष्ट्रीय सरकार में कांग्रेस के पद-प्रदाण को स्वीकार किया गया। परन्तु अधिवेशन की वास्तविक सफलता विधान-परिवद्वाला प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस 'स्वतंत्र एवं पूर्ण सत्ता-सम्पन्न राज्य' की समर्थक है। इसमें प्रकट कर दिया गया कि भारत का भविष्य साम्राज्य के बाहर रहकर ही सुधर सकता है। जिस प्रस्ताव में पिछली घटनाओं का सिद्धावलोकन किया गया उसका शीर्षक सिर्फ 'सिद्धावलोकन' नहीं बल्कि 'सिद्धावलोकन तथा भविष्य दर्शन' होना चाहिए था; क्यों कि उसमें साफ कहा गया था कि भारतीय स्वाधीनता के संग्राम का अन्त नहीं हुआ है बल्कि अभी बहुत कुछ प्राप्त करना शेष है। अधिवेशन का सब से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रियासतों के सम्बन्ध में था, जिसका विस्तृत उद्घाटन हम नीचे देते हैं:—

"कांग्रेस हमेशा से हिन्दुस्तान की रियासतों के सवाल को भारतीय स्वाधीनता के सवाल का एक हिस्सा मानती आई है। स्वाधीनता प्राप्त करने का समय निकट आने की वजह से यह सवाल अब और भी जरूरी हो गया है और उसका हल स्वाधीनता की पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। रियासतों के कुछ नरेशों ने देश में होनेवाले इन परिवर्तनों का अनुभव किया है और एक सीमा तक अपने को उनके अनुकूल बनाने का प्रयत्न भी किया है।

"परन्तु कांग्रेस को यह देखकर खेद हुआ है कि अब भी रियासतों के कितने ही शासक उनके मन्त्री अपने शासन-प्रबन्ध को उत्तरदायी संस्थाएं स्थापित करने तथा शासन-व्यवस्था पर सार्वजनिक नियंत्रण कायम करने के विषय में प्रान्तों के समकक्ष लाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, बल्कि इसके विपरीत जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम प्रकार स्वाधीनता की उत्कंठा की उस महान् भावना का विरोध कर रहे हैं, जो शेष भारत की तरह रियासतों की जनता को भी अनुप्राणित कर रही है। भारत की कुछ बड़ी रियासतें, जिन्हें शेष रियासतों के लिए उदाहरण उपस्थित करना चाहिए था, विशेष रूप से प्रतिक्रियापूर्ण तथा दमनकारी कार्यों की अपराधिनी रही हैं। राजनीतिक विभाग, जो अभी तक सम्मान के प्रति-

निधि की देखरेख में है और भारत-सरकार के नियंत्रण के परे है, अब भी प्रतिक्रियापूर्ण नीति के अनुसार कार्य कर रहा है, जो रियासती प्रजा की इच्छा के विरुद्ध है।

‘कांग्रेस भारत-सरकार के अधिकार-क्षेत्र से राजनीतिक विभाग को पृथक् रखने की नीति को नापसंद करती है; क्योंकि भारत-सरकार उस विभाग के सभी कार्यों में दिलचस्पी रखती है और वह (कांग्रेस) आशा करती है कि इस अनुचित स्थिति का यथाशीघ्र अन्त कर दिया जायगा। विटिश सरकार के हम दावे को, कि भारत के शासन से पृथक् उसकी वाहसराय या सम्राट् के प्रतिनिधि की मध्यस्थिता से रियासतों को कोई दिलचस्पी है, वह नहीं स्वीकार करती।

“सम्बन्धित जनता की अनुमति के बिना रियासतों का संघ बनाये जाने या उन्हें परस्पर मिलाने की किसी भी योजना को कांग्रेस नापसंद करती है। राजनीतिक विभाग ऐसे कार्य प्रजा की जानकारी के बिना ही किया करता है, जो जनता के आत्म-निर्णय के अधिकार के विरुद्ध है। कांग्रेस का यह दृष्ट मत है कि रियासतों के सम्बन्ध में प्रत्येक निर्णय रियासतों की निर्वाचित जनता-द्वारा होना चाहिए और ऐसा कोई भी निश्चय कांग्रेस को मान्य नहीं हो सकता जिसमें जनता की इच्छा की उपेक्षा की गई हो—खासकर विधान-परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधि प्रजा-द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होने चाहिए।

‘रियासतों की स्थिति गम्भीर होने के कारण कांग्रेस घोषणा करती है कि वह रियासतों में होनेवाले स्वाधीनता के संग्राम को भारत के व्यापक संघर्ष का अंग मानती है। रियासतों के ज्ञाग अपने यद्वां नागरिक स्वतंत्रता व उत्तरदायी शासन कायम करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके प्रति कांग्रेस की सहानुभूति है।’

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने रियासतों के प्रश्न को हरिपुरा के बाद पहली बार उठाया था। इस बार कांग्रेस ने नरेशों की निरंकुशता के स्थान पर राजनीतिक विभाग के घट्यंत्रों पर जोर दिया था और वह जो कार्य गुपरूप से कर रहा था उस पर पहली बार प्रकाश ढाका गया था। रोग के जिस किटाणु के कारण सभी तरफ दमन तथा प्रतिक्रियापूर्ण नीति का दौरदौरा हो रहा था उस का उद्गम-स्थल राजनीतिक विभाग ही था। जबतक उसे नष्ट नहीं किया जाता तबतक प्रतिनिधिपूर्ण संस्थाओं के विकास की कोई आशा नहीं की जा सकती और न तबतक एक-तिहाई भारत में उत्तरदायी शासन का ही विकास हो सकता है। प्रस्ताव में जो-कुछ कहा गया था वह तो कहा ही गया था; किन्तु जो प्रकट रूपसे नहीं कहा गया था उसका भी महत्व कम न था। कांग्रेस ने रियासतों में स्वाधीनता के लिए लड़नेवाली प्रजा के प्रति जो सहानुभूति दिखायी थी वह केवल शब्दाल्लम्बर ही न था बल्कि वह तो सहायता के लिए गम्भीरता-पूर्वक किया हुआ एक प्रस्ताव था। उस समय कांग्रेस एक युगांतरकारी घड़ी से गुजर रही थी और मोइ को और बढ़ते हुए मोटर के ड्राइवर के समान रफ्तार धीमी करते व घुमाव की अच्छी तरह देख कर फिर आगे बढ़ने की बात सोच रही थी। कांग्रेस का धैर्य अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका था और इसमें किसी को आश्रय न होता यदि वह अलग रहने की नीति ध्यान कर पहाइ से नीचे फटपटेवाली बर्फीली नदी अथवा समुद्र की जाहर की तरह आगे बढ़ कर स्वाधीनता के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को अभिभूत कर देती। कांग्रेस मेरठ में स्वाधीनता की ओर ले जानेवाला एक और मोइ तथ कर रही थी; किन्तु पिछले मोइों की अपेक्षा ऊँची सतह पर पहुंच गयी थी, जैसा कि पहाइ रेगाही अक्सर करती है। जहां तक रचनात्मक द्वारा सम्बन्ध है, कांग्रेस के सामने बड़ा कठिन तथा महान् कार्य पड़ा था। हाल में हिंसा,

हस्ताकाश, आगजनी, भारी-निर्यातन तथा बलात्कार की जो घटनायें हुई थीं उनसे हुई हानि की पूर्ति कांग्रेस को करनी थी। भावणाकर्ताओं ने इस विषय पर अपना मत गम्भीरतापूर्वक प्रकट किया ताकि लोगों में जोश न फैले। सरदार ने जो यह कहा कि तबवार का मुकाबला तबवार से किया जायगा—इससे कुछ सनसनी फैली थी; किन्तु स्वयं उन्हीं के स्पष्टीकरण के कारण वह शान्त हो गयी। इस तरह प्रत्येक दृष्टिकोण से मेरठवाले अधिवेशन को सिर्फ सफल ही नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे आगामी अधिवेशनों के लिए उदाहरण-स्वरूप भी कहा जा सकता है। विभान-समिति ने अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार के लिए जो प्रस्ताव उपस्थित लिये थे उनमें अधिवेशन की तड़क-भड़क बन्द करने तथा उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के ही उपस्थित होने की बात थी और इस सम्बन्ध में कुछ असन्तोष भी था। मेरठ अधिवेशन एक प्रकार से मध्य का मार्ग था। इसमें प्रतिनिधि तो आये थे; किन्तु दर्शकों को बाहर निकाल दिया गया था; जिस तरह १९३६ में त्रिपुरी में अधिवेशन के दूसरे दिन दर्शकों को नहीं आने दिया गया था। पुराने विधान के अन्तर्गत मेरठ का अधिवेशन अन्तिम हो सकता है। मेरठ भारत के इतिहास में एक स्मरणीय नाम है। विद्रोह की चिनारी पहले-पहल मेरठ में उठी थी, और मेरठ में ही भारत के ‘स्वतन्त्र एवं पूर्ण सत्ता-सम्पद प्रजातन्त्र’ की घोषणा की गयी। भारतीय राज-कानिंत की पहली हिंसापूर्ण लड़ाई (१९५७) के बाद गवर्नर-जनरल बायसराय बना था, दूसरी (अहिंसापूर्ण) लड़ाई के बाद भारत से बायसराय का नाम-निशान मिट सकता है।

## उपसंहार

साठ वर्ष का काल मनुष्य को बहुत जम्बा जान पड़ता है, किन्तु गन्धवर्षों के जीवन से वह दस वर्ष कम है और उपनिषदों ने मानव-जीवन को जो अवधि निर्दिशित की है उससे वह आधी है। परन्तु किसी संस्था के जीवन में ६० वर्ष का काल अधिक नहीं होता और राष्ट्र के इतिहास में तो वह पलक मारने के समय से अधिक महत्व नहीं रखता। इस अल्पकाल में एक ऐसे प्राचीन राष्ट्र के संघर्ष की कहानी आगई है, जो दासत्व के बन्धन में बँधा था और जिसकी शक्तियां आपसी फूट के कारण बिखर चुकी थीं। इस प्राचीन राष्ट्र को एक ऐसे साम्राज्यवादी आधुनिक राष्ट्र के चंगुल से निकलने के लिए लड़ाई करनी पड़ी थी, जो दूसरों के स्वार्थों को हड्पने के लिए संगठित व निरंकुश था। इन साठ वर्षों में भारत ने अपनी छिन्न-भिन्न शक्तियों को एकत्र किया और अपनी स्वाधीनता के पुर में संसार में लोकमत तैयार कर लिया। यहीं नहीं, भारत में रचनात्मक कार्य भी चल रहा था ताकि स्वराज्य का आधार स्थायी हो सके। इसीलिए १९४५ का साल खरब होने और नया साल शुरू होने पर देश में नया युग आरंभ होने की खुशियां नहीं मनायी गईं। यह अवसर व्यक्ति तथा राष्ट्र के मध्य आत्मिक सम्बन्ध कायम करने और राष्ट्र के गौरव की अनुभूति का था। इस राष्ट्रीय जागृति के काल में देश को खुशी या जोश दिखाने तक की कुरसत न थी।

केन्द्र में चुनाव समाप्त होने के थे, किन्तु प्रान्तों में उम्मीदवारों के चुनाव और नामजदगी का कार्य जारी था और इस कार्य में नेता और अनुयायी दोनों ही व्यस्त थे। इस बीच कभी-कभी आजाद हिंदू फौज के सदस्यों के मामलों की सनसनी भरी खबरें सुनायी दे जाती थीं। एक समय तो ऐसा जान पड़ता था कि कर्नल शाह नवाज़, कर्नल सहगल और कर्नल डिल्लों की ख्याति राष्ट्रीय नेताओं की कीर्ति को भी ढक लेगी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे आजाद हिंदू फौज कोंग्रेस की लोक प्रियता छीन लेगी और विदेश में युद्ध तथा हिंसा से ज़्यादा जाने वाली ज़हाह्यां अहिंसात्मक ज़हाह्यों की याद झुँधली जना देंगी। परन्तु कालेपानी की सजा पाये हुए तीनों अफसरों को वाहसराय ने जो चमा-प्रदान किया इससे आजाद-हिंदू फौज के लिए उठने वाले जोश में कमी हुई। तिर्फ दिसम्बर, १९४५ में कलकत्ते में अधिकारियों की मूर्खता के कारण प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की एक भीड़ पर और फिर सुभाष चन्द्र बोस के पचासवें जन्म दिवस पर बम्बई में गोलियां चढ़ीं, जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता में ४० व्यक्तियों की और बम्बई में १० व्यक्तियों की जानें गयीं। इन दोनों घटनाओं से आजाद-हिंदू फौज के लिए फिर जोश उमड़ पड़ा और उसके बीरोंने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए जो कष्ट डाये थे तथा जिस बीरता का प्रदर्शन किया था उसकी कहानियां देश के कोने-कोने में फैल गयीं।

सुभाष चान्द्र के जन्म-दिन के अवसर पर उसके साहसिक कार्यों की कहानियों का देश भर में प्रचार हुआ और उसके कलकत्ते से पक्षायन तथा जर्मनी पहुँचने के सम्बन्ध में हड्डयग्राही वास्तविक बिखरण भी प्राप्त होने लगे।

### श्री बोस के पलायन की कहानी

दिसम्बर, १९४० में श्री सुभाषचन्द्र बोस के भारत से पलायन का विवरण एक ऐसे डप्टिक्टि ने दिया जिसे नेताजी की सहायता करने के जुर्म में ब्रिटिश-सरकार ने जेल में डाल दिया था। यह विवरण “हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड” के लाइटर-स्थित संवाददाता ने अपने पत्र के लिये भेजा था। इस विवरण के अनुसार श्री बोस १३ दिसम्बर, १९४० को कलकत्ते से कार द्वारा रवाना हुए और बद्रीवान से दूसरे दर्जे के एक डिव्हें पर चढ़े जो उनके लिये पंजाब-मेल में पहले ही से रिजर्व कर लिया गया था। सुभाष बाबू ने दाढ़ी बढ़ा ली थी और उनके केश गर्दन के पीछे लटक रहे थे। पेशावर पहुँचने पर वे बिलकुल पठान जैसे लगते थे। वहां छः दिन ठहरने के बाद वे एक अंगरेज के साथ काबुल के लिये रवाना हो गये। पांच मील की दूरी तांगे पर तय करने के अतिरिक्त उन्होंने काबुल तक अपनी सम्पूर्ण यात्रा पैदल ही की।

विवरण में आगे कहा गया है कि श्री बोस एक सो० आई० डी० के आदमी के चंगुल में फैल गये किन्तु उससे उन्होंने दस रुपये का नोट और एक काउण्टरेंटपेन दे कर पीछा कूदाया। इसके बाद श्री बोस ने रुसी सरकार से पूछताछ की, किन्तु उसने उन्हें यह कह कर शरण देने से इन्कार कर दिया कि रूस-जर्मन संघीय भंग होनेवाली है और रूस की बात-चीत ब्रिटिश सरकार से चल रही है। इसलिये रुसी सरकार अंग्रेजों को शिकायत करने का कोई मौका नहीं देना चाहती।

इसी बीच किसी जर्मन को पता लग गया कि श्री बोस भागना चाहते हैं और उसने इस सम्बन्ध में अपनी सरकार से अनुमति मांग ली और फिर हवाई-जहाज द्वारा उन्हें बर्लिन पहुँचाने का भी प्रबन्ध हो गया।

हंगलैंड की मजदूर-सरकार ने भारत के लिये जो पार्लीमेंटरी शिष्ट-मण्डल भेजा था उससे राजनीतिक घटनाओं की प्रतीक्षा करने वाली भारतीय जनता का ध्यान बँट गया। पहले कहा जाता था कि शिष्ट-मण्डल प्रम्पायर पार्लीमेंटरी एसोसिएशन की तरफ से जायगा, किन्तु इस खबर से सभी लोगों में नाराजी फैल गई। तब पार्लीमेंट ने यह दायित्व अपने कंधों पर लिया और शिष्ट-मण्डल में सभी दलों के प्रतिनिधि रखे गये। यह शिष्ट-मण्डल एक अनियमित कमीशन से अधिक और कुछ न था। १९३८ के कानून को पास हुए १९४६ में दस से भी अधिक वर्ष बीत चुके थे इसलिये पार्लीमेंटरी शिष्ट-मण्डल भेजकर शाही कमीशन नियुक्त करने की अप्रिय बात से बचा गया।

ब्रिटिश सरकार की यह एक चाल थी, जो चल गयी और छोटे-बड़े सब कांग्रेसजन इस चाल में आ गये। शिष्टमण्डल का बहिर्कार करने की बात अनावश्यक उग्रता मानी जाती थी और कांग्रेस कार्यसमिति के प्रायः सभी सदस्य शिष्टमण्डल को अपनी सेवाएँ अपित्त करने को तैयार थे— और वह भी ऐसी अवस्था में जबकि शिष्टमण्डल के एक सदस्य श्री गोडफ्रे निकल्सन स्पष्ट शब्दों में कह चुके थे कि वे भारत में सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों के बयान लेने ही आये हैं। लज्जा की बात से यह थी कि शेष भारत की तरह कांग्रेस ने भी इस जांच-पहताल में सहयोग प्रदान करना। स्वीकार कर लिया था।

इस बांच नदी केन्द्रीय असेम्बली की बैठक दिल्ली में आरम्भ हुई और इसमें राष्ट्रवादियों की कुछ विजयें हुईं। पहला विजय पृष्ठ का राष्ट्र-स्थिति प्रस्ताव था, जिसमें हिन्दू-पृथिया में भारतीय सेना का उपयोग करने के लिए सरकार की निन्दा की गयी थी। परन्तु दूसरी विजय बास्तव में

एक असाधारण सफलता थी। स्पीकर का पद विशेष महत्व का होता है, और सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस पद के लिए श्री मावलंकर का नाम सोच कर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, जो बम्बई असेम्बली (१९३७-३८) के अध्यक्ष रह चुके थे। आपके पक्ष में ६६ और विपक्ष में ३३ मत आये। यह कांग्रेस की एक वास्तविक विजय थी।

कांग्रेस की शक्ति दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही थी कि ८ जनवरी, १९४६ को श्री विजियम फिलिप्स की राष्ट्रपति रूलजेट के सम्मुख उपस्थित रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित हो गया। यह रिपोर्ट श्री फिलिप्स ने भारत से अमेरिका लौटने पर राष्ट्रपति रूलजेट को दी थी। इससे कांग्रेस की शक्ति में और वृद्धि हुई।

### श्री फिलिप्स की रिपोर्ट

‘कांग्रेस का उद्देश्य अपने को एक फाविस्ट सरकार के रूप में स्थापित करना न हो कर स्वाधीनता के लक्ष्य की, तथा भारतीयों-द्वारा अपना विधान आप तैयार करने के अधिकार की प्राप्ति के लिए भारत में एकता कायम करना था।’

रिपोर्ट में आगे कहा गया था—“यह कहना ठीक नहीं है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के काल में साम्राज्यिक उपद्रव बहुत अधिक बढ़ गये थे। सत्य तो यह है कि उन दिनों हिन्दू-मुस्लिम दंगे बंगाल और पंजाब में अधिक हुए थे और दंगों की संख्या किसी कांग्रेसी प्रान्त की अपेक्षा पंजाब में ही अधिक थी।”

रिपोर्ट में श्री फिलिप्स ने भविष्यवाणी की थी कि “आगे जाकर अधिकांश मुसलमान भी अन्य धर्मों के किसानों व मजदूरों के साथ मिल जायेंगे और हिन्दू-मुस्लिम समस्या जिस रूप में दिखायी देती है, उस रूप में न रह जायगी।

यह रिपोर्ट एक उदूर् देनिक “मिलाप” में ८ जनवरी, १९४६ को प्रकाशित हुई थी, किन्तु ८ जनवरी, १९४६ तक उसे सरकारी तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया है।

मुस्लिम लीग की मांग के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया है—“मुस्लिम नेता यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुए हैं कि कांग्रेस के शासन में मुसलमानों के हितों की हानि हुई है। प्रान्तीय शासन की समीक्षा से सिर्फ यही जाहिर हुआ है कि एक राजनीतिक दल के रूप में मुस्लिम लीग कभी शासन-ब्यवस्था पर नियंत्रण नहीं जमा सकेगी और कठिप्रय प्रान्तों को छोड़ कर धारा सभाओं में अल्पमत में ही रहेगी। वह केन्द्रीय असेम्बली में भी अधिकांश स्थानों पर अधिकार करने में सफल नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग की शिकायत दरअसल में यही है। कांग्रेस ने रियासतों के सम्बन्ध में जो रूप ग्रहण किया है उसके सम्बन्ध में श्री जिजा तथा दूसरे मुस्लिम नेताओं की चिन्ता तथा उनकी पाकिस्तान की मांग का भी इससे स्पष्टीकरण हो जाता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है—“मुसलमानों ने भारत को स्वराज्य देने के सम्बन्ध में जो यह आपत्ति की थी कि राजनीतिक लेनदेन पर कांग्रेस का प्रभुत्व रहेगा वह अब नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा यह मानने के काफी कारण हैं कि अन्य राजनीतिक संगठनों में हुए परिवर्तनों का खुद मुस्लिम लीग पर असर पड़ेगा।

श्री फिलिप्स ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस के सम्बन्ध में कहा—“भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति कितने ही वर्षों से रहा है और धारासभाओं में प्रवेश करने और विधान को अमल में लाने का निश्चय सिर्फ इसी विचार से किया गया था।

कि हस्से स्वाधीनता-संग्राम में सहायता मिलेगी। इसी उद्देश से प्रेरित हो कर हस राष्ट्रीय संगठन ने प्रान्तीय मंत्रिमंडलों पर कड़ा नियंत्रण रखा था और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के साथ अपने कार्य के एकीकरण का आदेश निकाला था। श्री जिला ने आरोप किया है कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश देश की अन्य सभी संस्थाओं का नाश करना है। उनका कहना है कि हसीजिए कांग्रेस विस्तार की नीति का अनुसरण करती है और इसीजिए भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग से अपने अनुयायी बनाने के लिए वह प्रयत्नशील रहती है। इस में पूर्ण सफलता मिलने पर मुस्लिम लीग तथा अन्य सभी साम्प्रदायिक संस्थाओं का अंत अवश्यम्भावी था।

“परन्तु कांग्रेस का उद्देश्य अपने को एक फासिस्ट संस्था के रूप में कायम करना न हो कर स्वाधीनता की और विधान तैयार करने के अधिकार की प्राप्ति के लिए देश में प्रकल्प करना रहा है। फिर भी इस बात से हँकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के अधिकार के काल में कांग्रेस की समस्त नीति का उद्देश्य अपने संगठन को बनाये-रखने तथा भारत के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति के उद्देश्य से उसे अधिक मजबूत बनाना था।

“यह उल्लेखनीय है कि श्री जिला के ‘मुक्ति दिवस’ के अवसर पर जो आरोप किये गये थे उनकी उन प्रमाणों से पुछि नहीं होती, जो मुस्लिम लीग-द्वारा प्राप्त समाचारों के आधार पर तैयार किये गये थे। यह आरोप कि कांग्रेसी सरकारों ने मुस्लिम संस्कृति को नष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं उठा रखा—मुख्यतः पाठशालाओं के पाठ्यक्रमों से उदूर् के हटाये जाने या बुनियादी तालीम जारी करने या कठिपय पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग के इने-गिने उदाहरणों पर आधारित है। मुसलमानों के बिल्डाफ आर्थिक या राजनीतिक भेदभाव की वीत बर्ते जाने के उदाहरण तो और भी कम हैं।”

भारत की समस्या के सदा से दो भाग रहे हैं—प्रान्त और रियासत। नया वर्ष आरम्भ होते ही रियासतों की प्रजा को नवाच भोपाल की घोषणा के कारण आशा की किरण दिखायी देने लगी। नवाच साहब नरेन्द्रमंडल के चांसलर थे। १८ जनवरी, १९४६ को उन्होंने निम्न घोषणा की:—

“नरेन्द्र-मंडल ने मंत्रियों की समिति से परामर्श करने के उपरान्त रियासतों में वैधानिक उच्चति के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और वह (समिति) सिफारिश करती है कि नरेन्द्र-मंडल हस सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा करे और जिन रियासतों में अभी तक हस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनमें तुरन्त उचित उपाय किये जायें। परन्तु ठीक वैधानिक स्थिति पर हसका कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा, जिसके सम्बन्ध में सचाट की सरकार की तरफ से घोषणा की जा चुकी है और जिसे श्री वाहसराय भी दुहरा चुके हैं। कहा जा चुका है कि किसी रियासत और उसकी प्रजा के लिए कैसा विधान उपयुक्त होगा—हसका निर्णय स्वयं शासक के ही हाथ में रहेगा।

“अस्तु, नरेन्द्र-मंडल की तरफ से उसके चांसलर को निम्न घोषणा करने का अधिकार दिया जाता है—

“हमारे उद्देश्य ऐसे विधान कायम करना है, |जिन में जरेशों की सत्ता का उपयोग नियमित वैध मार्गों से होता रहे, किन्तु हससे इन रियासतों के राजवंश तथा उनकी स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव न पड़ना चाहिए। प्रत्येक रियासत में निर्वाचित बहुमतवाली खोक्षिय संस्थाएं रहें, जिस से रियासत के शासन-प्रबंध से जनता का सम्बन्ध रह सके। प्रत्येक रियासत का विस्तृत

विधान तैयार करते समय उस रियासत की विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाय।

“अधिकांश रियासतों में कानून का शासन है और व्यक्ति के जान और माल की हिकाजत का भी प्रबंध है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में स्थिति का उल्लेख करने के लिए जिन रियासतों में अभी तक निम्न आवश्यक अधिकार न दिये गये हों, उनमें वे दिये जाने चाहिए और साथ ही अदालतों को अधिकार देना चाहिए कि यदि उपर्युक्त अधिकार भंग होते हों तो वे इसका उचित उपाय करेंः—

(१) कानून के अलावा और किसी भी जरिये से कोई व्यक्ति न अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया जायगा, और न उसका घर या सम्पत्ति ही जब्त या बेदखल की जायगी,

(२) प्रत्येक व्यक्ति को अदालत में सुनवाई कराने का अधिकार होगा। यह अधिकार युद्ध, विद्रोह अथवा गम्भीर आंतरिक विद्रोह की आवस्था में ही छोना जा सकता है,

(३) प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छुंदतापूर्वक अपना मत प्रकट करने, एक दूसरे से मिलने और शान्तिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार होगा, बिन्तु न तो जमात सैन्य दंग का हो और न उस जमात का उद्देश्य कानून अथवा नैतिकता के विरुद्ध ही कुछ कर्तव्याई करना हो,

(४) प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की रवाधीनता होगी और वह मन-चाहे दंग से अपने धार्मिक कृत्य कर सकेगा, किन्तु इससे सार्वजनिक व्यवस्था तथा नैतिकता भंग न होनी चाही,

(५) धर्म, जाति तथा सम्प्रदाय का विचार किये बिना प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति कानून के आगे समान होगी।

(६) धर्म, जाति या सम्प्रदाय के कारण ऐसी जौकरी या पद पर बहाओं के लिए या किसी पेशे या व्यापार के लिए किसी व्यक्ति की अयोग्यता न मानी जायगी।

(७) बेगार नहीं रहेगी।

“फिर दुहराया जाता है कि शासन-प्रबंध निम्न सिद्धान्तों पर आधारित रहेगा और जहाँ ये सिद्धान्त अमल में नहीं आये हैं वहाँ उन्हें कड़ाई से काम में लाया जायगा।—

(१) न्याय का प्रबंध निष्पक्ष तथा योग्य न्याय-व्यवस्था में निहित रहेगा और व्यक्तियों तथा रियासतों के मध्य विवादात्पद विषयों का निष्पक्ष नियंत्रण होने का उचित प्रबन्ध रहगा चाहिए,

(२) राजाओं को रियासतों में निजी व्यवहार तथा शासन-प्रबंध-सम्बन्धी रकमों का पृथक् से उल्लेख करना चाहिए और निजी व्यवहार साधारण आय के उचित अनुपात में निर्दिरित होना चाहिए।

(३) कर का भार उचित तथा न्याययुर्ण होना चाहिए और आय का पर्याप्त भाग जनता के हित के कार्यों—विशेषकर राष्ट्रनिर्माणकारी विभागों में लगाना चाहिए।

“जोरों से सिफारिश की जाती है कि घोषणा में जिन सिद्धान्तों की सिफारिश की गई है वे यदि कहीं कार्यान्वयन न हुए हों तो उन्हें कार्यान्वयन किया जाय।

“यह घोषणा सचाई के साथ की जाती है और रियासतों की जनता तथा रियासतों के भविष्य में विश्वास से अनुप्राणित है। यह नरेशों-द्वारा इन निश्चयों को बिना देरी के अमल में जाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। परमात्मा के इसके परिणामस्वरूप अभाव व भय से मुक्ति मिले और विचार-स्वतन्त्रतां की प्राप्ति हो और परस्पर प्रेम, सहिष्णुता, सेवा तथा उत्तर-दायित्व के सुनिश्चित आधार पर इससे विचार-स्वतन्त्रता की वृद्धि हो।”

उधर ब्रिटिश भारत में घटना-चक्र तेजी से पूमा। वाइसराय ने नरेन्द्र-मण्डल में नरेशों को सूचित किया कि रियासतों में वैधानिक परिवर्तन के लिए उनकी अनुमति लेना आवश्यक होगा और यह भी कहा कि ब्रिटिश-सरकार रियासतों से अपने वर्तमान सम्बन्ध कायम रखने को उत्सुक है। वाइसराय ने नरेशों को मतभेद की एक मुख्य बात पर आश्वासन दे दिया और १९४४ में इसी समस्या यानी सन्धि सम्बन्धी अधिकारों तथा सन्नाट से सम्बन्धों को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया था।

वाइसराय ने कहा—‘मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन सम्बन्धों तथा अधिकारों में आपकी रजामंदी के बिना परिवर्तन करने का हमारा कोई हरादा नहीं है।

“मुझे विश्वास है कि श्रीमान् अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उस वार्ता में पूर्ण रूप से भाग लेंगे, जिसकी घोषणा मैंने १६ सितम्बर को की थी और साथ ही आप उस विधान-परिषद् की कार्यवाही में भी हाथ बटायेंगे। जो स्थापित होगी मुझे यह भी विश्वास है कि इस बातचीत के परिणामस्वरूप जो परिवर्तन होंगे उन्हें स्वीकृति प्रदान करने में अनुचित दंरी न की जायगी।”

“मुझे यह भी विश्वास है कि इन सब समस्याओं पर विचार करते समय आप भारत की सर्वाङ्गीण उच्चति में दाधा डालने की हच्छः या हरादा नहीं रखते और न अपनी प्रजा की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक उच्चति में ही रुकावट डालना चाहते हैं।

“जिस प्रकार आप युद्ध के समय नेतृत्व करते रहे हैं उसी तरह आपको शान्ति के समय भी नेतृत्व करके अपनी ऐतिहासिक परम्परा को बनाये रखना चाहिए।”

लार्ड वेल्स ने कहा कि जिन रियासतों के आर्थिक साधन अपर्याप्त हैं उन्हें अपनी वैधानिक स्थिति में ऐसे परिवर्तन करने चाहिये ताकि भविष्य में प्रजा का हित-साबन हो सके। आपने यह भी सुकाव उपस्थित किया कि इन रियासतों के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन उपलब्ध करने तथा शासन-प्रबन्ध में प्रजा को हिस्सा देने के लिए यह आवश्यक है कि ये छोटी रियासतें या तो किसी-न-किसी बड़ी प्रादेशिक हकाई से मिल जायें अथवा अन्य छोटी रियासतों के साथ मिल कर स्वयं ही पर्याप्त बड़ी प्रादेशिक हकाईयों का निर्माण करें।

इसके दस ही दिन के भीतर गवर्नर-जनरल ने भारत की राजनीतिक उच्चति के चेत्र में बिटेन के रचनात्मक प्रयत्नों के सम्बन्ध में एक उपदेश दिया।

केन्द्रीय-आसेम्बली में वाइसराय ने २८ जनवरी, १९४६ को निम्न भाषण दिया:—

“मैं कोई नहीं या चित्ताकर्षक राजनीतिक घोषणा करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं केवल भारत के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलने तथा उनका स्वागत करने और उन्हें प्रोत्साहन की कुछ बातें कहने के लिए ही आया हूँ।

“मैं समझता हूँ कि सन्नाट की सरकार के मन्त्रिय यथेष्ट रूप से स्पष्ट कर दिये गये हैं। राजनीतिक नेताओं-द्वारा संघठित नहीं शासन-परिषद् स्थापित करने और शासन-विधान बनाने-घास्ती सभा या सम्मेलन यथासम्भव शीघ्र-से-शीघ्र जुटाने का उसका इद निश्चय है।

“मैं इस समय इस विषय की विस्तृत बातों की चर्चा नहीं कर सकता कि यह परिषद् और सभा किस प्रकार संघठित की जायेगी तथा वे कठिनाइयाँ कैसे दूर की जाएँगी जो हमें पूर्णतः जात हैं। मैं भारत को स्वाधीनता की दिशा में उठाये जानेवाले कदमों को कोई तारीख या तारीखें निर्धारित करने की चेष्टा को भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं समझता। मैं आपको केवल यह

आश्वासन दे सकता हूँ कि दिल्ली और हाइटाक्स दोनों स्थानों में इस कार्रवाई पर प्राथमिकता की चिप्पी लगी हुई है। इस महान् कार्य में मैं आपके सहयोग और सद्भावना की याचना करता हूँ।

“इस अधिवेशन में आप जोग पहले से ही काम-रोको प्रस्तावों में आजकल की महत्वपूर्ण समस्याओं पर सोच-विचार कर चुके हैं। कानून-सम्बन्धी प्रस्ताव सरकारी प्रबल्कारों-द्वारा आप-जोगों के सम्मुख उपस्थित किये जायेंगे। इनमें कुछ महत्वपूर्ण विषय भी हैं जो गहरे विवेचन के बाद उपस्थित किये जा रहे हैं और मेरा विचार है कि यदि धारासभा-द्वारा स्वीकृति दे दी गई तो उससे भारत की साख और कल्याण में वृद्धि होगी। इस कथन से मेरा तात्पर्य बोट प्राप्त करने के लिए आपजोगों को प्रभावित करना नहीं है। शायद आप में से कुछ व्यक्ति यह ठीक समझते हीं कि प्रायः प्रत्येक विषय पर सरकार के चिरुद्ध बोट दिया जाय और उसे अधिक से अधिक बार पराजित किया जाय। यदि आपका यह विश्वास हो कि ऐसा करना आपका राजनीतिक कर्तव्य है तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। हाँ, मैं यह अवश्य समझता हूँ कि ऐसे कानून को रोकना या उसे पास करने में विजय दर्शाना अद्वारदर्शिता होगी, जिससे भारत का वास्तविक हित होने की सम्भावना हो। परन्तु यह निर्णय करना तो आपका काम है।

“किर भी, मैं यह चाहता हूँ कि आप इस अधिवेशन के दौरान में इस सभा की बहसों में ऐसी कोई बात न कहें, जिससे मुझे राजनीतिक आधार पर अपनी शासन-परिषद् को बनाने में कठिनाई पेश आये अथवा सुख्य वैधानिक समस्याओं के समझौते की सम्भावना पर उसका प्रतिक्रिया प्रभाव पड़ अथवा देश में पहले से ही विचमान कटूता और अधिक बढ़ जाय।

‘केन्द्रीय अमेरिकी के चुनावों के समय काफी से अधिक वैमनस्य पैदा हो गया है और यह सभावना है कि प्रान्तीय चुनावों के समय भी ऐसा ही होगा। यदि इस अधिवेशन के दौरान में सभी भाषणों में संतरम से काम लिया जाय तो उससे मुक्त और मेरा ख्याल है कि आपके दबोचे के नेताओं को भी बड़ी मदद मिलेगी।

“मुझे आशा है और मैं विश्वास करता हूँ कि असेम्बली-द्वारा विनाश-मूलक कार्यों के अन्त का समय नकट है। यदि मुख्य दलों-द्वारा समर्थनप्राप्त नई शासन-परिषद् मनोनीत करने में मैं सफल हुआ, तो अगले अधिवेशन में आपकोंगों के सभ्यमुख अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य उपस्थित किया जायगा।”

पाठकों की सुविधा के लिए हम ह सितम्बर, १९४५ को वाहसराय के भाषण के एक अंश का उद्धरण देते हैं:—

“सन्नाट् की सरकार का इरादा यथासम्भव शीघ्र ही एक विधान-परिषद् बुझाने का है और उसने प्रारंभिक कार्यवाही के रूप में चुनाव के बाद प्रान्तीय असेम्बलियों के प्रतिनिधियों से सुने यह पता लगाने के लिए बातचीत करने का अधिकार दिया है कि १९४२ की घोषणा के प्रस्ताव स्वीकार्य हैं या नहीं, अथवा कोई अन्य योजना उससे उत्तम जान पड़ती है।

बाहुसराय ने यह भी कहा कि “भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत होनी चाहिए कि विश्वाम-परिषद् की कार्यवाही में रियासतें किस प्रकार हाथ बँटा सकती हैं।

वाहसराय ने यह भी कहा—“सन्नाट् की सरकार ने मुझे यह अधिकार भी दिया है कि प्रांतीय धारा-सभाओं के चुनाव के परिणाम जैसे ही प्रकाशित हों वैसे ही एक ऐसी कार्य-कारिणी परिषद् स्थापित करूँ, जिसे भारत के मुख्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो।”

इस बात की काफी सच्चाई कि जुलाई, १९४५ में शिमला में जैसा लज्जाजनक नाटक हुआ था उसकी पुनरावृत्ति इस बार न हो। २६ जनवरी, १९४६ को प्रकाशित एक विज्ञप्ति में उससे बचने का एक तरीका निकाला गया:—

“प्रान्तों में चुनाव भमास हो जाने और प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल स्थापित हो चुकने पर वाइसराय प्रान्तीय सरकारों से कार्यकारिणी परिषद् के लिए कुछ नाम माँगेंगे। ये नाम अधिक नहीं सिर्फ दो या तीन होंगे।

“नाम प्राप्त हो जाने पर वाइसराय एक कामचलाऊ सरकार के सदस्यों का चुनाव कर लेंगे और यदि किसी प्रान्तीय सरकार ने नाम भेजने से इन्कार कर दिया तब भी वाइसराय की योजना पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ेगा।

“यदि कोई प्रान्तीय सरकार नाम भेजने से इन्कार करेगी तो वाइसराय प्रान्तीय अमेस्वली के दलों के नेताओं से सम्पर्क करेंगे और फिर कार्यकारिणी परिषद् में उन व्यक्तियों को रख लेंगे, जिन्हें वे प्रतिनिधि समझेंगे।”

इस विज्ञप्ति में सदाशयता की एक झलक दिखायी देती थी। लाई चोले से भारत के भविष्य के सम्बन्ध में कलकत्ता में प्रश्न किये जाने पर उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक अंदंगा अधिक समय तक न रहने दिया जायगा और यदि दुर्भाग्यवश भाइतीयों के मतभेद मिट न सके तो ब्रिटिश सरकार को कुछ न कुछ घोषणा करनी ही पड़ेगी। यदि किसी दल ने सप्तांत्र सरकार की योजना से सहयोग करने से इन्कार कर दिया तो सरकार विरोध के बावजूद योजना को अमल में लायेगी।

योजना क्या हो सकती थी? निससंदेह शिमले के नाटक की पुनरावृत्ति तो नहीं होने दी जायगी। यह सिर्फ राष्ट्र का ही सवाल न था। किसी दल या नेता के हठ के कारण राष्ट्र की उच्चता को रोक देना एक बेरहमी ही थी।

शिमला में लाई वेवल मुक्त गये थे। वर्तमान योजना में वे भुवेंगे नहीं। एक अल्प-संख्यक दल के हठ का यही जवाब हो सकता था। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत कांग्रेस-बहुमत वाले प्रान्त दो या तीन ऐसे नाम भेजेंगे, जिन्हें वे शासन-परिषद् में रखना चाहते हों। इसी प्रकार मुस्लिम-बहुमतवाले प्रान्त भी अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजेंगे। हम प्रकार ११ प्रान्तों से जो ११ प्रतिनिधि चुने जायेंगे वे वास्तव में जनना के प्रतिनिधि होंगे। तब मिठा जिना ने अनुभव किया कि वाइसराय ने ऐसी योजना निकाली है, जिसके अन्तर्गत यदि प्रान्तीय प्रधान-मंत्रियों ने नाम भेजने से इन्कार कर दिया तो वाइसराय प्रान्तीय अमेस्वली के दलों के नेताओं से सम्पर्क कायम करेंगे और शासन-परिषद् के सदस्यों का चुनाव हर लेंगे। वाइसराय ने अपनी दूसरी लंदन-यात्रा के बाद १६ सितम्बर को जो बचन दिया था उसे इस प्रकार पूरा करने में वे समर्थ हो सकेंगे। इस तरह जिस शासन-परिषद् की स्थापना होगी उसे प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो सकेगा। यद्यपि इस अवसर पर वाइसराय ने राजनीतिक नेताओं के परिषद् की बात कही थी फिर भी उन्होंने अपने २८ जनवरीवाले भाषण में ऐसी परिषद् का हवाला दिया, जिसे मुख्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो सके। इस प्रकार श्री जिन्ना ने आनेवाली मुस्सीबत को महसूस किया और यह कह कर कि अंतिम सरकार का जरूरत ही नहीं है, समस्था से बच गये। दूसरे लक्जों में यह हार मान लेना था।

भारत के लिए जिस मंत्रिमिशन की नियुक्ति की घोषणा की गयी थी उसमें लाई पैथिक-

लारेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स तथा श्री एच० वी० अलेखजैंडर थे।

२६ फरवरी, १९४६ को लार्ड पैथिक-लारेंस के सम्मान में एक भोज दिया गया जिसमें रुदा गया कि वे जैसे साधियों के साथ जा रहे हैं उससे बन्हें अपने मिशन में सफलता अवश्य ही मिलनी चाहिए।

लार्ड पैथिक लारेंस ने कहा कि “समस्या बहुत ही पेचीदी है। हमें जिस पथ से चल कर स्वाधीन भारत के आधार के लद्दय तक पहुँचना है वह अभी साफ नहीं है। परन्तु हमें स्वाधीन भारत का नज़ारा दिखायी देने लगा है और हम नज़रे से उत्साहित होकर भारतीय प्रतिनिधियों के साथ प्रयत्न करते हुए स्वाधीनता के मार्ग को हमें खोज निकालना है। हम भारत का संरक्षण यहै सम्मान और गौरव से उसके नेताओं को सौंप सकते हैं।

लार्ड पैथिक-लारेंस ने आगे कहा “अंग्रेजों ने जो वचन दिये हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अपनी बातचीत के दौरान में हम कोई ऐसी शर्त नहीं रखना चाहते, जिसका भारत की स्वाधीनता में मेल न खाता हो। हमने जिन सिद्धान्तों पर चलने की जिम्मेदारी जी है उनमें से किसी भी सिद्धान्त से हम इन्हा चाहते हैं। भारत जिस विधान के आधार पर स्वाधीनता का उपभोग करना चाहता है अथवा एक स्वाधीन राष्ट्र की चिन्ताओं व जिम्मेदारियों को उठाना चाहता है उसका निर्माण स्वयं भारतीय प्रतिनिधियों ही को करना है। भारतीय प्रतिनिधियों के किसी समझौते पर पहुँचने तथा विधान-निर्माण करने में उन्हें सहायता प्रदान करने में हम कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ेंगे।

‘ऐसे लोग अवश्य हैं जिन्हें संतुष्ट करना कठिन है और इसी तरह ऐसी समस्याएँ भी हैं जैसे का दृढ़ करना सुशिक्षा है; किन्तु मंत्री के रूप में अपने सात महाने के अनुभव से मैं ही सीरियां पर पहुँचा हूँ कि असंतुष्ट व्यक्तियों को संतुष्ट करना और हज़ार न हो सकनेवाली प्रमस्याओं को हल करना मन्त्रियों का ही काम है।

“मेरा विश्वास है कि हम भारतीय महाद्वीप का, जिसमें समस्त संसार की जनता का आंचवाँ भाग है, भविष्य बहुत दी उड़जवल है। संसार के पूर्वीय भाग में उसे मध्यता के रक्षक का गाँठ अदा करना है। इससे मुझे और भी प्रोत्साहन मिलेगा कि स्वाधीनता प्राप्त करने में भारतीयों की सहायता करके हम एक ऐसी भावना को मुक्त करेंगे, जो भविष्य में नयी प्रेरणा प्रदान होगी।”

लार्ड पैथिक-लारेंस २३ मार्च १९४६ को भारत पहुँचे और आपने अपने एक वक्तव्य में कहा—“विटिश मरकार तथा विटिश राष्ट्र अपने उन वायदों तथा वचनों को पूरा करना चाहते हैं जो दिये गये हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि अपनी बातचीत के बीच हम ऐसी कोई शर्त इस्तित न करेंगे, जो भारत के स्वाधीन अस्तित्व से मेल न खाती हो :

“अभी भारतीय स्वाधीनता की ओर ले जानेवाला पथ साफ नहीं हुआ है, किन्तु स्वाधीनता का जो नज़ारा हमें दिखायी दे रहा है उस से हमें सदयोग के पथ पर अग्रसर होने का लिए प्रेरणा मिलेगी।”

सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा कि वे हिन्दुस्तान में विरोधी दावों का फैसला करने नहीं आये हैं, बल्कि भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने का उपाय खोज निकालने आये हैं।

लार्ड पैथिक-लारेंस तथा स्टैफर्ड क्रिप्स भारत में आते ही समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों ने मिले और उन्होंने कितने ही प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसमें पाकिस्तान से लेकर सोवियट रूस

के लाते तक अनेक बातें आ गयी थीं।

लार्ड पैथिक-लारेस ने एक वक्तव्य में कहा—“जैसे कि मैं और मेरे साथी भारत की भूमि पर पदार्पण करते हैं, हम इस देश की जनता के लिए ब्रिटिश सरकार तथा प्रिंटिश राष्ट्र का एक संदेश लाये हैं और यह संवेश मौत्री तथा सद्भावना का है। हमें विश्वास है कि भारत एक महान् भविष्य के द्वार पर खड़ा है। इस भविष्य में वह स्वयं स्वाधीन रह कर पूर्व में स्वाधीनता की रक्षा करेगा और संसार के राष्ट्रों के मध्य अपने विशेष प्रभाव का उपयोग करेगा।

“हम सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर आये हैं। हम लार्ड वेल्ज के साथ भारतीय नेताओं तथा भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करके यह निश्चय करना चाहते हैं कि अपने देश के रासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की आपको जो आकांक्षा है उसे आप किस प्रकार पूरी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जिम्मेदारी का हस्तांतरण हम इस भाँति करें, जिससे यह कार्य हमारे लिए सम्मान और अभिमान का कारण बन जाय।

“ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश राष्ट्र की यह इच्छा है कि जो भी वचन दिये गये हैं उन्हें बिना किसी अपवाह के पूरा किया जाय और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अपनी बातचीत के मध्य हम ऐसी कोई बात न कहेंगे जो स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत की मर्यादा के विरुद्ध हो।

“इस तरह अपने भारतीय सहयोगियों के समान ही हमारा लक्ष्य है और आगामी सप्ताहों में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कोई प्रयत्न बाकी नहीं क्षोड़ेंगे।”

मंत्रि-मिशन का भारत में अच्छा स्वागत हुआ। लार्ड पैथिक-लारेस ७० वर्ष के थे। उनका अपना व्यक्तित्व था। वे बहुत ही विनम्र, स्पष्टवादी तथा विश्वसनीय थे। सर स्टैफर्ड वही छुरहरे बदन के हाजिर-जवाब राजनीतिज्ञ थे, जैसे वे १६४२ में थे। श्री अल्लैरेंडर काम की अपेक्षा अपनी भारतीय यात्रा में अधिक दिलचस्पी ले रहे थे। वे निरपेक्ष तथा शिष्ट जान पढ़ते थे और सीधे-साइ ध्यक्तिव के पीछे उनकी विज्ञता छिपी जान पड़ती थी। मिशन भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञों से मिला और इस देश की राजनीतिक परिस्थिति से अवगत हुआ। मुलाकातें छम्भी हुईं और कांग्रेस की कार्यसमिति कहीं १२ अप्रैल को बुलायी गयी। मंत्रि-मिशन ने वाहसराय को भी अपना एक सदस्य बना लिया। यह १६४२ की तुलना में नवीनता थी, क्योंकि तब सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने अकेजे ही जिम्मेदारी उठा रखी थी। मिशन ने बातचीत चलाने के लिए कांग्रेस तथा लीग से अपने चार-चार प्रतिनिधि चुनने का अनुरोध किया। इन प्रतिनिधियों को मिशन से शिखा में मिलना था। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने निर्दिशित समय स्वीकार कर लिया, किन्तु श्री जिन्ना ने तीन दिन बाद अपना समय दिया। त्रिदल-सम्मेलन दस दिन तक पहाड़ पर चलता रहा। फिर मिशन दिल्ली आ गया। नियंत्रण के साथ विचार के लिए कृतिपय प्रस्ताव उपस्थित किये गये और इन प्रस्तावों का स्पष्टीकरण आवश्यक था।

यहां प्रस्तावों का संक्षेप दे देना अनुचित न होगा—“जिस बालिग मताधिकार पर कांग्रेस जोर दे रही थी उसे सिर्फ इसीलिए रोक लिया गया कि उसे जारी करने में देशी अवश्यम्भावी है। ठीक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए प्रान्तों की मौजूदा निष्ठा धारासभाओं को चुनाव-समितियां मान लिया गया। १६४२ में क्रिप्स ने भी यही कहा था, किन्तु उनकी योजना में दुःख १६८६ सदस्यों को निर्वाचन समिति का रूप दे दिया गया था। फिर सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने यह सुझाव भी उपस्थित किया था कि प्रान्तीय असेम्बलियों का दस प्रतिशत-प्रतिनिधित्व विधान परिषद् में रहना चाहिए। परन्तु स्थानों का सम्बन्ध जनसंख्या से स्थापित करके यानी १० लाख

के पीछे एक प्रतिनिधि के हिसाब से कुल स्थानों की संख्या दुगनी कर दी गयी। अल्पसंख्यकों को जो अतिरिक्त-प्रतिनिधित्व दिय गया था उसका अंत कर दिया गया। मुसलमानों, सिखों तथा अन्यों के लिए स्थान निर्दिष्ट किये गये, किन्तु अन्तिम वर्ग में ये भारतीय ईसाइयों तथा एंग्लो-इंडियनों को छोड़ दिया गया। इसीलिए अल्पसंख्यकों, फिरकेबाली और अबग किये गये लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेष समिति बनायी गयी और कहा गया कि उनके अधिकारों का समावेश प्रान्तों, समूहों अथवा संघ के विधानों में कर लिया जायगा। इसकी पद्धति नीचे दी जाती है:-

“प्रान्त निष्पत्र तीन समूहों (प्रपों) में रखे जायेंगे:-‘ए’—मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, उडीसा; ‘बी’—पंजाब, सीमाप्रान्त, सिंध; ‘सी’—बंगाल, आसाम। ‘ए’ में १६ आम और २० मुस्लिम प्रतिनिधि रहेंगे। ‘बी’ में ६ आम, २२ मुस्लिम और ४ सिख प्रतिनिधि रहेंगे। ‘सी’ में ३४ आम और ३६ मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे। विधासते ६३ प्रतिनिधि भेजेंगी, किन्तु चुनाव का तरीका अभी निश्चित होना बाकी है। इन कुल ३८८ प्रतिनिधियों में दिल्ली, अजमेर-मेरवाडा कुर्ग और बिटिश बिलोचिस्तान के एक-एक प्रतिनिधि को जोड़ना चाहिए। ये ३८९ प्रतिनिधि शीघ्र ही नयी दिल्ली में एकत्र होकर अपने अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे और एक सलाहकार समिति भी नियुक्त करेंगे। इसके बाद वे नवीन भारत की नींव रखने का कार्य हाथ में लेंगे।

“प्रारम्भिक कार्यवाही के लिए एकत्र होने के बाद प्रतिनिधि तीन भागों (सेक्शनों) में बँट जायेंगे जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। वे अपने समूह के प्रान्तों के लिए विधान तैयार करेंगे। वे यह भी निश्चय करेंगे कि इन प्रान्तों के लिए समूह (प्रप) विधान की व्यवस्था की जाय अथवा नहीं और अगर ऐसा किया जाय तो समूह को किन विधियों का प्रबंध सौंपा जाय। इसके बाद सब सदस्य फिर एकत्र होकर भारतीय संघ का विधान तैयार करेंगे।

“हर प्रान्त में प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा विधान-परिषद् के सदस्यों का चुनाव करेगी। इस प्रकार बंगाल से वहाँ की व्यवस्थापिका सभा आम सीटों के लिए २७ और मुस्लिम सीटों के लिए ३३ मुसलमानों का चुनाव करेगी। व्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य ३३ मुसलमानों का और अन्य सदस्य बाकी २७ सीटों के लिए अन्य सदस्यों का चुनाव करेंगे। उडीसा में वहाँ की व्यवस्थापिका सभा ६ आम सीटों के लिए ही प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, क्योंकि इस प्रान्त में मुस्लिम सीटें नहीं हैं। सिंध में व्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य तीन मुस्लिम प्रतिनिधियों का और शेष सदस्य एक गैर-मुसलिम सदस्य का चुनाव करेंगे। संयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा के मुसलमान सदस्य द सुरितम प्रतिनिधियों का और शेष सदस्य ४७ गैर-मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। पंजाब के अंक में द गैर-मुस्लिम, १६ मुस्लिम और ४ सिख हैं। सिखों को प्रतिनिधित्व केवल यहीं दिया गया है। उनका चुनाव व्यवस्थापिका सभा के सिख सदस्य करेंगे।

चुनाव की पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्वकी रहेगी, जिसमें एकाकी हस्तांतरित मत प्रणाली को आधार माना जायगा। उहें यह है कि प्रतिनिधि अधिक से अधिक मतों के आधार पर नहीं बल्कि कम से कम मतों के आधार पर चुने जायें। वितरण-प्रणाली को विशेषता यह है कि मतदाता उतने उम्मेदवारों के लिए मत प्रदान करता है, जितनी सीटें हैं; किन्तु उसे अपनी

पसंद का क्रम नहीं बताना पढ़ता। इसके विपरीत आनुपातिक प्रतिनिधित्व-पद्धति में मतदाता को अपनी पसंद १, २, ३ के क्रम से बतानी पड़ती है और यह पर्यंद उतने ही अंकों में बतानी पड़ती है जितनी सीटें हैं। यह प्रणाली पेचीदगी मानी जाती है। परन्तु पेचीदगी का भार मतों को गिननेवालों पर पड़ता है मतदाताओं पर नहीं, क्योंकि उन्हें तो तिर्फ़ अपनी पसंद का क्रम ही बता देना पड़ता है। बोट पढ़ने पर निर्णय का दायित्व गिननेवालों के कंधों पर चला जाता है और वे निम्न गुरु को ध्यान में रख कर निर्णय सुना देते हैं।

$$\text{आवश्यक संख्या} = \left\{ \frac{\text{मतदाताओं की संख्या}}{\text{स्थानों की संख्या}} + 1 \right\} + 1$$

यदि मत देनेवालों की वास्तविक संख्या २,००० है और सीटें हैं ४, तो मतों की आवश्यक संख्या इस प्रकार निकलेगी:—

$$\left\{ \frac{2,000}{4+1} + 1 = \left\{ \frac{2,000}{5} \right\} + 1 = 401 \right.$$

प्रश्न किया जा सकता है कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए ४०० बोट ( $2000 \div 5$ ) आवश्यक रूपों नहीं माने जाते। ऐसा हो सकता था, किन्तु इससे सिद्धान्त की हत्या हो जाती है, क्योंकि उद्देश्य न्यूनतम वोटों के आधार पर उम्मीदवार का चुना जाना है, जो उपर्युक्त गुरु के अनुसार ४०१ है, ५०० नहीं। यदि प्रत्येक उम्मीदवार को ४०१ बोट मिलते हैं तो वे कुल  $401 \times 4 = 1604$  बोट प्राप्त करेंगे और ३८४ बोट बच जाएंगे, जो न्यूनतम निर्द्वारित संख्या से १७ कम हैं। इसाकिए यह गुरु निकाला गया है। मंत्रिमिशन की योजना के अंतर्गत विधान-परिषद में चुने जाने के लिए मद्रास-जैसे विशाल प्रान्त में उम्मीदवार के लिए तिर्फ़ ५ बोट पाना ही काफी है।

### मंत्रि-मिशन

मंत्रि-मिशन हिन्दुस्तान में करीब तीन महीने ठहरा। उसने शुरू से ही वाहसगत्य से मिल कर काम किया, जिसपे उस गलती की समझावना नहीं रह गयी, जो १९४२ में सर स्टैफर्ड किप्स से हुई थी। पहले चुने हुए नेताओं से बातचीत से उसकी सरगर्मी आरम्भ हुई। किर कभी काम जोरों से हुआ और कभी धीमी गति से, और इस तरह से वह चलता रहा।

वायुयान पर उड़ते समय जब आप १०,०००फीट की ऊँचाई पर पहुंच जाते हैं तो आपका वायुयान घंटे बादलों को चीरता हुआ कभी आगे बढ़ जाता है या उनसे बचकर ऊपर या नीचे निकल जाता है तो आपको जान पड़ता है जैसे समुद्र का किसी लहर के साथ आप ऊपर चढ़ गये हों या उसके उतार के साथ कभी नीचे उतार आये हों। अगर कभी आप आकाश में ऊपर उठते हैं तो आपका हृदय भी ऊपर उछलता है और अगर नीचे उतरते हैं तो आपका सिर भी नीचे झुक जाता है। मंत्रि-मिशन के आगमन और गवर्नर-जनरल के साथ काम के पहले दो महीनों में यह दशा कम से कम उन लोगों की थी, जिन्हें अन्दरूनी बातों की कुछ भी जानकारी थी। पहले दो हफ्तेतक एक-एक व्यक्ति से मिलने की वही पुरानी चाल दुहराई गई, जो १९४२ में सर स्टैफर्ड किप्स ने चला थी। यह गोल्डमेज सम्मेलन का ही एक ढंग था। इस तरह विभिन्न दलों के नेताओं, राजनीतिज्ञों, महारथाओं, विद्वानों, शासन-परिषद के सदस्यों, उद्योगप्रतिवर्यों, व्यापारियों तथा वैधानिक कानून के अध्यापकों से मुलाकात हुईं। यह गतिरोध को अवस्था थी जैसी उस समय होती है जब हंजम के

बॉयलर में भाप रुकी होती है या कार के सेलफ-स्टार्टर में विस्फोट होने को होता है। साथ ही यह उस शक्ति के संचय का वर्क भी था, जो वायुयान में आपके कदम रखने और उसके आकाश में उठ जाने के दर्शित्रान आवश्यक होती है। इस बार मिशनरूपी वायुयान के चालक स्वयं गवर्नर-जनरल थे और पहले जैसी गलती नहीं की गयी थी, जबकि सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने अकेले ही उड़ने का प्रयत्न किया था और जिसका परिणाम दुर्घटना हुआ था। हाँ, तो मिशन का वायुयान डठा और उचित उंचाई पर पहुंच कर शान से मंडराने लगा। मिशन के पहले वक्तव्य का ही देश में अच्छा प्रभाव पड़ा। परन्तु इस वक्तव्य का विश्लेषण भारत-जैसे पूर्वी राष्ट्र के मेधावी मस्तिष्कों ने किया तो प्रकट हुआ कि उसमें जिस व्यवस्था को उपस्थित किया गया है उसमें सजीव शरीर के अंग-प्रत्यंग तो सभी हैं, किन्तु जीवन के लक्षणों का पूर्णतः अभाव है। इस योजना में उस जीवनदायिनी शक्ति और लचालेपन का अभाव था, जिससे किसी विधान की उन्नति सम्भव होती है। लार्ड अर्रावन ने कहा था कि किसी देश का विधान पेड़ की छाल के समान होना चाहिए, जो तने के साथ बढ़ता रहे—दर्जा द्वारा तेयर किये कपड़ों की भाति नहीं, जिन्हें शरीर बढ़ने पर बदलने की जरूरत पड़ती है। वक्तव्य को देखकर पहले जो हर्ष और आशा की लहर दौड़ गयी थी उसका स्थान अब उसकी परस्पर-विराधिना बातों को देखकर उड़ासीनता ने ले लिया। किर जिन बातों के सम्बन्ध में संदेह डठा उनके स्पष्टीकरण का प्रयत्न जब किया गया तो इन स्पष्टीकरणों से वह उदासीनता निराशा में बदल गयी।

भारत का स्वाधीन होना है, किन्तु अभी नहीं थी—वह लिंक वास्तविक स्वाधीनता से ही संतुष्ट हो जाती। परन्तु वक्तव्य द्वारा यह वास्तविक स्वाधीनता भी हमें नहीं मिलनी थी। मिशन ने कहा कि विधान-परिषद् का निश्चय होने से पूर्व स्वाधीनता नहीं मिल सकता। विधान-परिषद् थी तो, किन्तु उसे तीन भागों में काम करना था। विधान-परिषद् के सदस्यों को तीन भागों में बँटने के बाद ही फैसला करना था कि समूहों (मुपों) का निर्माण किया जाय अथवा नहीं। समूहों को यह भा निर्णय करना था कि उनकी धारासभाएं और सरकारें अलग रहेंगी अथवा नहीं। वक्तव्य का जो स्पष्टीकरण बाद में मांगा गया उस से उस की स्वाभाविक तथा नियमित व्याख्या को चुनौती मिली, क्योंकि कांग्रेस के शब्दों में खुद मिशन ने ही अपने हारादे उस से भिन्न बताये। यह सत्य है कि पालियामेंट में उपस्थित बिल के पास होने पर उसे पेश करनेवाले मंत्री के भाषण से कोई संशोधन या परिवर्द्धन नहीं हो सकता। परन्तु मिशन ने जो अपने वक्तव्य की व्याख्याएं की ओर स्पष्टीकरण किये उन में से अपने अनुकूल बातों को चुन लेना विभिन्न दलों के स्वार्थ की बात थी। पहले कहा गया था कि प्रान्त समूह में जाने के लिये स्वतंत्र है फिर लार्ड पैथिक लारेंस ने व्याख्या की कि किसी प्रान्त के लिये 'ए', 'बी' या 'सी' में से उस समूह में जाना अनिवार्य है, जिस में उसका नाम रखा गया है। सदस्यों के अलग भागों में बँटने के बाद ही निर्णय होंगा कि वे कोई विशेष समूह बनाना चाहते हैं या नहीं और उस समूह के लिये अलग धारासभा और सरकार स्थापित करना चाहते हैं या नहीं। चाहे वक्तव्य के शब्दों का लिया जाय अथवा उसकी भारत मंत्री द्वारा की गयी व्याख्या को देखा जाय, इस में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि समूहों के निर्माण के सम्बन्ध में काफ़ा स्वच्छ दता दी गयी थी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि प्रान्तों को किसी भाग के साथ बांधा न जाय, क्योंकि इससे प्रान्तीय स्वतंत्रता के सिद्धान्त की हत्या होती है। परन्तु मंत्रि-मिशन के हठ और वाहसराय के हस उत्तर

के लिए क्या कहा जाता कि समूहीकरण योजना का आवश्यक अंग है। इस प्रकार वक्तव्य के इस अंश को विकृत कर दिया गया। कांग्रेस जिस कील को ढोलो करके उखाड़ना चाहती थी उसे २५ मई १९४६ के वक्तव्य-द्वारा ठोक-ठोक कर और गहरा गाढ़ दिया गया। इस कील को व्याख्या के स्वतंत्र अधिकार-द्वारा उखाड़ा जा सकता था, किन्तु स्पष्टीकरण के लिए ईमानदारी से जो मांग की गई थी उससे वास्तविक गुरुथी और उल्लंघन गई और यहां तक कि व्याख्या के अधिकार से ही इन्कार कर दिया गया। परन्तु यह अतिम फैसला नहीं हो सकता था।

पत्रबृत्यवहार के बीच प्रभुता, रियासतों की सर्वभौमिक सत्ता, विधान-परिषद् में यूरोपियनों का प्रश्न, गवर्नर-जनरल का विशेषाधिकार तथा केन्द्रीय असेम्बली के प्रति प्रान्तीय सरकारों का दायित्व आदि विषयों को प्रधानता मिली। समाचारपत्रों में भी उस के सम्बन्ध में खूब सीधे-विचार हुआ और साथ ही कांग्रेस के उत्तर पर भी विचार हुआ। मिशन ने इस के अतिरिक्त कुछ भी झुकाने से इन्कार कर दिया कि बंगाल और आसाम की धारासभाओं के यूरोपियन सदस्य विधान-परिषद् के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, सेना अन्त तक रहेगी और भारतीयों के इच्छा करने पर उसे बाद में भी रखा जा सकेगा। वक्तव्य में कहा गया था कि प्रभुता-शक्ति न तो ब्रिटेन में रहेगी और न वह अंतरिम सरकार को ही मिलेगी। यह ठीक ही था कि प्रभुता-शक्ति लंदन से चल चकी थी, किन्तु दिल्ली पंडुचरे के स्थान पर उसे स्वैज नहर पर ही मंडराते रहना था। परन्तु अन्त में सत्य प्रकट हुआ कि प्रभुता-शक्ति नरेशों को प्राप्त होगी। ब्रिटिश सरकार कलम की एक सत्र से भारत में एक नहीं, बल्कि ४६२ छोटे-बड़े अलस्टर कायम करने जा रही थीं। वाह, ब्रिटेन हमारे लिए अच्छी विरासत छोड़े जा रही था !

मिशन के सम्बन्ध में प्रकाशित प्रत्येक सूचना, ब्राइकास्ट या वक्तव्य से या तो संतोष होता था और या उदासीनता की भावना उत्पन्न हो जाती थी, जिससे संदेह होता था, कि मिशन का वायुयान तूफान का सामना करता हुआ यात्रियों को स्वराज्य के लक्ष्य तक पहुँचा सकेगा। अथवा अधर में बिगड़ जायगा।

कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने अपने विधान खुद तैयार किये थे अथवा नीति के सम्बन्ध में सिद्धांत निर्धारित कर दिये थे या प्रस्ताव पास किये थे। जहां अमरीका और अंग्रेजों को अपने विधान आप तैयार करने की स्वतंत्रता थी वहां सिर्फ भारत का विधान ही एक ऐसी विधान-परिषद् को तैयार करता था, जिसका जन्म स्वयं नहीं हुआ था और जिसे बातचीत के बाद स्थापित किया जा रहा था। भारत के विधान-परिषद् के अधिकारों पर अनेक प्रतिवंध लगाये जा रहे थे। अधिकार छोड़नेवाली सत्ता ने विरोधी दलों की मांगों के बीच का मार्ग ग्रहण किया और विधान तैयार करने के आधार के संबंध में अपने प्रस्ताव उपस्थित किये। रियासतों को, जो देश के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के तिहाई भाग का और सम्पूर्ण जनसंख्या के चौथाई अंश का प्रतिनिधित्व करती थीं, अलग कर दिया गया। अधिकार छोड़नेवाली सत्ता का प्रस्ताव देश को तीन भागों में विभाजित करने और उनका सम्बन्ध एक कमज़ोर केन्द्र द्वारा कायम करने का था। यह सत्ता किसको तथा अल्पसंख्यकों के स्वार्थों की रक्षा के लिए अपनी सेना छोड़ जाना चाहती थी। उसका विचार इन शर्तों का समावेश एक संधि के रूप में करने का था। सम्पूर्ण विधान-परिषद् का प्रान्तीय या समूहिक विधानों के निर्माण में हाथ नहीं होता था और समूह प्रान्तों को इष्प जाने के लिए आजाइ थे। जबकि जनता की मांग पहले केन्द्रीय विधान और फिर प्रान्तीय विधान तैयार करने की थी, मिशन ने कार्यक्रम इससे बिलकुल उखाटा रखा था। यद्यी नहीं, विधान-परिषद् से

श्रम्पेजी सेना की संगीनों की साथा में काम करने-को कहा गया था। रियासतों के नरेशों को, जो सदा से निरंकुश थे, प्रभुता-शक्ति हटा लेने की घोषणा करके भड़का दिया गया था।

इन सब से अधिक महत्वपूर्ण समान-प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त था। कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक जिन दिनों दिल्ली में हो रही थी उन दिनों निराशा के बादबू घिर आये थे। अफवाहें उड़ रही थीं कि वाइसराय श्री जिन्ना को समान प्रतिनिधित्व का वचन दे चुके हैं—वे केन्द्रीय शासन-परिषद् में कांग्रेस और लीग को समान प्रतिनिधित्व देने की बात मान चुके हैं।

मौलाना अबुल कलाम आजाद को लिखे वाइसराय के पत्र से जो आशा उत्पन्न हुई थी वह इन अफवाहों से नष्ट हो गई। २४ मई को कार्य-समिति का प्रस्ताव तैयार होने के समय मौलाना आजाद ने वाइसराय से स्पष्टाकरण मांगा था और वाइसराय ने मौलाना साहब को पत्र लिखकर आश्वस्त भी किया था। लार्ड वेवल ने कहा कि मैंने भारत की शासन-व्यवस्था बिधिश राष्ट्रमंडल के किसी स्वाधीन उपनिवेश के समान होने की बात नहीं कही, फिर भी स्वाधीन उपनिवेशों से जिस प्रकार सलाह-मशविरा किया जाता है और उनका आदर किया जाता है उसी प्रकार का व्यवहार सम्बाद्र की सरकार भारत की केन्द्रीय सरकार से करेगी। लार्ड वेवल ने यह भी कहा कि भावना का महत्व गारंटी या लिखित आशासन से कहीं अधिक है। उन्होंने बाहरी नियंत्रण से मुक्ति का भी आशासन दिया। अब समान-प्रतिनिधित्व तथा आसाम व बंगाल की धारा सभाओं में यूरोपियनों के बोट देने और उनके विधान-परिषद् के लिए उम्मेदवार के रूप में खड़े होने के प्रक्ष उठे। बंगाल की धारा-सभा में एंग्लो-इंडियन तथा ईसाइयों को मिलाकर यूरोपियनों के हाथ में ३० बोट ये और इस दिसाव से विधान-परिषद् में उन्हें ६ स्थान मिलते। इसका परिणाम यह होता कि बंगाल के हिन्दुओं को अबने ३४ आम स्थानों में से ६ से हाथ धोना पड़ता। इसी प्रकार आसाम में ६ यूरोपियन हिन्दू व सुसलमानों को अपने इशारों पर न चाते। आसाम में गैर-मुस्लिम व मुस्लिम प्रतिनिधियों का अनुपात यूरोपियनों को छोड़ कर ७ और ३ था। दोनों प्रान्तों को मिलाकर हिन्दू और सुसलमानों का अनुपात लगभग बराबर था। इसके अलावा दो और भी बातें थीं, जिनका महत्व सब से अधिक था। उड़ीसा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की और सीमाप्रान्त में अमुस्लिम अल्पसंख्यकों की पूर्णत उपेक्षा की गई थी और विधान-परिषद् में उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। प्रान्तों से विधान-परिषद् के लिए १०,००,००० जनसंख्या के पीछे एक स्थान की व्यवस्था की गयी थी और अल्पमतवालों को अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने के सिद्धान्त को त्वाग दिया गया था। जबकि यूरोपियनों की संख्या बंगाल में सिफ्क कुछ हजार ही थी, उन्हें विधान-परिषद् में प्रतिनिधित्व कहीं अधिक दिया जा रहा था। दूसरी महत्व को बात यह थी कि यूरोपियन विदेशी थे, जैसा वे स्वयं भी स्वीकार करते थे। ऐसी दशा में उन्हें एक ऐसे देश की विधान परिषद् में कैसे स्थान दिया जा सकता था, जो स्वाधीन घोषित किया जा नेवाला था।

साथ ही समान प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी गुर्थी बनकर रहा था। शिमला के पहले सम्मेलन ( जून १९४२ ) में लार्ड वेवल ने शासन-परिषद् के सदस्यों के नाम, सरवर्य-हिन्दुओं तथा मुसलमानों की बराबरी के आधार पर मांगे थे। यही कारण था कि कांग्रेस ने पांच सदस्यों की सूची में अल्पतों को नहीं रखा था, किन्तु १५ सदस्यों की सूची में २ अल्पत सदस्यों को सम्मिलित कर लिया गया था। एक साल बाद दिल्ली ( जून, १९४६ ) में १५ की संख्या बढ़ कर १२ रह गयी और समानता का प्रश्न कांग्रेस और लीग के मध्य रह गया। इसीलिए बसके हिस्से में जो

पांच नाम आये थे उन्हीं में उमे अद्युनों को प्रतिनिधित्व देना था और माथ ही राष्ट्रीय संस्था के रूप में उसके जिए एक सुसलमान नाम भी समिलित कर लेना आवश्यक था। इस प्रकार १२ सदस्यों की परिषद् में हिन्दुओं के स्थान के बजाए ३ ही रह गये थे। स्पष्ट था कि लीग का प्रेरणा से ही सदस्यों का संख्या घटाकर १२ की गयी थी, जिसका कारण यह आशंका थी कि अंतरिक्ष-सदस्यों का भुकाव कांग्रेस की ओर होता। इसीलिए अंतरिक्ष-सदस्यों में ३ की कमी की गयी। इस सची में मुसलमान ५+१=६ होते और सवर्ण हिन्दू होते केवल ३। परिणाम यह होता कि शासन-परिषद् में बहुसंख्यक अल्पसंख्या में रह जाते। यदि परिषद् के सदस्य योग्य और ईमान-दार व्यक्ति हैं तो कांग्रेस को इस बात की पर्वाह न होगी कि उसमें कौन व्यक्ति हैं, पर लीग की समान प्रतिनिधित्ववाली मांग का आधार दो राष्ट्रोंवाला सिद्धान्त था। परन्तु जब मंत्रिमिशन इस सिद्धान्त को अस्वीकार कर चुका था तो फिर व्यवहार में उस पर जोर देने लाभ ही क्या था। समानता का फल समूहीकरण से उत्पन्न हुआ था और वे समय रहते ही वृक्ष को हतना बढ़ा कर देना चाहते थे, जिसमें फल-फूल की भरपूर प्राप्ति हो सके। यदि कांग्रेस इस बीज को जमने देती और उसके वृक्ष को फलनेन-फूलने देती तो यह उसके आत्महत्या करने के ही समान होता।

अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि जब कांग्रेस ने समानता का सिद्धान्त शिमला के पहले सम्मेलन में स्वाकार कर लिया था तो उसने शिमला के दूसरे सम्मेलन में उस पर आपत्ति क्यों उठायी थी? यह सवाल सुनार्सिक है और इसका उत्तर भा इंग देना चाहिए। पहले शिमला-सम्मेलन में समानता लीग और कांग्रेस के मध्य नहीं बल्कि सर्वसंघ-हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य रवाकार की गयी थी। लार्ड बैवल ने भूकामाई-लियाकत अलंकार समर्पित का संशोधन इसी रूप में किया था। दूसरी बात यह है कि शिमला के पहले सम्मेलन में विधान-परिषद् और भवित्य के स्थायी मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में बातचात नहीं हुई थी। शिमला के पहले सम्मेलन में सिर्फ शासन-व्यवस्था में सुधार का ही एक प्रयत्न किया गया था। इसके बावजूद उसे दूसरे शिमला सम्मेलन के समय नजीर माना गया और फिर बाद में विधान परिषद् के समय नजीर माना जा सकता था। एक बात से दूसरी का जन्म होता है। एक बार जिस सिद्धान्त को अस्थायी रूप से माना जाता है वही भवित्य में स्थायित्व प्रदण कर लेता है। यही कारण है जून, १९४६ में इस का दिली में विरोध किया गया था।

यह भी कहा गया कि कांग्रेस को आदान-प्रदान का सिद्धान्त मानना चाहिए। लेकिन आलोचक भूल जाते हैं कि कांग्रेस कितना अधिक पहले दे चुकी था। और उसने लिया कितना कम था। ११ जून, १९४६ को दिली में वाइसराय ने महात्मा गांधी से उदारता दिखाने की जो अपील की थी। उसमें कांग्रेस-द्वारा किये गये समझौतों को देखते हुए वास्तविकता का अभाव दिखाई ही पड़ता था। त्याग का मतलब यह नहीं है कि एक पक्ष अपने को बिलकुल मिटा ही डाले। इसलिए वाइसराय की अपील अनुचित थी। उसके उत्तर में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि मन्त्रिमण्डल में सिर्फ सर्वोत्तम व्यक्ति ही चुने जाने चाहिए।

सत्य तो यह है कि अस्थायी सरकार की स्थापना से ही विधान-परिषद् के जिए प्रेरणा मिलती थी। सच्ची विधान-परिषद् तो वही है जो अस्थायी राष्ट्रीय-सरकार द्वारा बुलायी जाय, किन्तु कर्म-छमी कांति के बाद कायम हाँनेवाली परिषद् भी अस्थायी सरकार का रूप धारण कर लेती है। कांग्रेस उन समझौतों को अपने में विलीन कर चुकी था, जिनमें फूट के बीज निहित थे। कांग्रेस यूरोपियनों के प्रतिनिधित्व से पांछा छुड़ाना चाहती थी, जो विष का घूंट निगलते

समय गले में काटे के समान अटक जाता था। अब कांग्रेस से समान-प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त स्वीकार करने का मतलब यह हुआ कि उसे अपने ही हाथों अपुना विनाश करने को मजबूर कर दिया जाय।

इस बातचीत के समय कांग्रेस को एक निश्चित असुविधा थी। जद्यां लीग की तरफ से उसका प्रतिनिधि उसका एक ही नेता करता था वहाँ कांग्रेस का नेतृत्व एक से अधिक व्यक्तियों के हाथ में था। उसके बास्तविक नेता महात्मा गांधी, नियमित नेता मौलाना आजाद, प्रकट रूप से परिषद जवाहरलाल और उसकी क्रियात्मक शक्तियों के नेता सरदार पटेल थे। इम चतुर्विंश नेतृत्व की तुलना में लीग को एक और अखण्डित नेतृत्व का लाभ प्राप्त था। कांग्रेस के प्रत्येक नेता से अलग-अलग अनुरोध करने का अवसर भी हस्तीजिए बाहसराय को मिल जाता था। कभी बाहसराय अपने किसी संकेती को गांधीजी के पास भेज देते थे, कभी टेलीफोन करते थे और कभी उन्हें बुलाने के लिए अपनी कार भेज देते थे। गांधीजी के सम्बन्ध में यह उचित ही था, क्योंकि वे अपने को कांग्रेस, लीग, बाहसराय और मिशन के परामर्शदाता कहते थे। या तो बाहसराय मांझाना साहब को पत्र लिख कर मुलाकात का समय निश्चित कर लेते थे या जवाहरलाल को ही खाने के लिए बुला लेते थे। कभी-कभी वे सरदार से मिल कर उनकी खरी बातें भी सुनते थे कि वे गुड्युक से नहीं डरते, और यह कि सरकर-द्वारा एक बार निर्णय करने पर इन धर्मियों का अनन्त हो जायेगा। और यह भी कि समान-प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कांग्रेस कार्यसमिति में काई मतभेद नहीं है। इन खरी बातों में कभी तो बाहसराय स्तब्ध रह जाते थे और कभी नवीन ज्ञान प्राप्त करते थे। कांग्रेस ने समान-प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर अन्त में जो दृढ़ता दिखाई उसपे बाहसराय और मिशन जरूर कुछ परेशान हुए। बाहसराय और मिशन ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों से अन्तरिम सरकार के लिए नाम चुनने के उद्देश्य से परामर्श करने का सुझाव उपस्थित किया, किन्तु उन्होंने मौलाना साहब को बुलाने के स्थान पर परिषद जवाहरलाल को परामर्श के लिए बुलाने की गलती की। उन्हें कदाचित भय था कि यदि मौलाना साहब को बुलाया गया तो श्री जिला शायद बातचीत में भाग न लें। परन्तु मौलाना की जगह परिषदजी को बुलाने से भी, अधिक लाभ नहीं हुआ। नेहरूजी बाहसराय से मिलने गये, किन्तु श्री जिला १२ जून, १९४६ को नहीं पहुंचे। सर स्टैफर्ड कंप्लेक्स द्वारा श्री जिला को समझाने-बुलाने के बाद भी यही परिणाम निकला था। इससे एक घटना होने की अफवाह फैल गई, जो बास्तव में हुई नहीं थी। विश्वास किया जाता था कि परिषद जवाहरलाल नेहरू रात को बाहसराय के साथ ही भोजन करेंगे और इसकी सूचना प्रातःकाल दी गई थी; किन्तु यह सत्य न था। परिषदजी १० बजे रात तक अखिल भारतीय देशी राज्य-प्रजा-परिषद के सम्मेलन में उपस्थित रहे और बाद में वह बदाना कर दिया गया कि परिषदजी का पता न चलने के कारण उन्हें भोजन के लिए नहीं उत्तम जा सका। क्या कभी यह विश्वास किया जा सकता है कि शक्तिशाली बिटिश सरकार को पंडित जवाहरलाल की गतिविधि का पता न हो? क्या कोई समझदार व्यक्त इस पर यकीन कर सकता है? ठाक बात यह थी कि १२ जून वाली मुलाकात १३ जून की रात्रि को ही होने वाली थी, किन्तु जब एक पत्र ने आने से इन्कार कर दिया तो बात को हवा में उड़ा देने की कोशिश की गयी। उधर जनता में घटनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में बड़ी बेचैनी थी। गांधीजी ने ६, १०, ११ और १२ जून को अपनों प्रार्थना-सभाओं में जो कुछ कहा उसपे निराशा ही टपकती थी। वे वार्ता-भंग होने, परमाणु के हस्तक्षेर, संघर्ष की सम्भावना और अंत में हृश्वर को हच्छा पूरी होने की बातें कहने लगे थे।

इस बीच एक तरफ चार कांग्रेसी नेताओं और हूसरी तरफ ब्रिटेन के चार प्रतिनिधियों के मध्य और मंत्रि-मिशन तथा लोग के बीच वातचीत हुई थी। आजिना ने, जा उस दिन नहीं आये थे, १३ जून को वाहसराय से मुलाकात की। जनता उद्घिन हो रही थी! “झगड़ा खत्म भी करो—” कुछ बोले; “जरा धीरज छरो”—अन्य लोगों ने सलाह दी, किन्तु ऐसी सलाह देनेवाले कम ही थे। कोटे बढ़वे—१० ओर बारह साल के बढ़वे—प्रमान प्रतिनिधित्व के लिदान्त की निम्ना करते थे। गंधीजी ने विधान-परिषद् में यूरोपियनों के भाग लेने की निम्ना की ओर उन्होंने उन से भारत के संकट के समय उसके अपने झगड़ों में भाग न लेने का अनुरोध किया। बंगाल यूरोपियन असोसियेशन के अध्यक्ष श्री लालन ने यूरोपियनों के हाथ खींच लेने का नहीं बल्कि अपना प्रतिनिधित्व घटा देने का प्रस्ताव किया, किन्तु आपने यह शर्त उपस्थित की कि दोनों बहुसंख्यक दलों को उनसे ऐसा करने का अनुरोध करना चाहिये। आपने यह भी कहा कि अभी उनमें से किसी ने ऐसा नहीं किया है। इस प्रकार, यूरोपियन एसोसियेशन ने एक प्रकार से अपने को मंत्रि-मिशन की स्थिति में रख लिया।

बंगाल और आसाम के यूरोपियनों का दाव उन कांटों के समान ही था, जो फाइ-फूस के साथ होते हैं—उसी फाइ-फूस के साथ जिसका प्रयोग छप्पर बनाने के लिये होता है। वस्तुस्थिति यह थी कि मंत्रि-मिशन की बीसवीं धारा में, जिसमें अल्पसंख्यकों की चर्चा थी, यूरोपियनों का जिक्र तक नहीं किया गया था। आसाम और बंगाल में उनके अस्तित्व की सर्वथा उपेक्षा कर दी गयी थी। इस असावधानी के कारण वे आम स्थानों में ढकेल दिये गये थे और इस गलती का उस समय कई बड़े व्यक्तियों ने स्वीकार किया था। उन दिनों यह भी मान लिया गया था कि यूरोपियनों के लिये जो कठिनाई उत्पन्न हुई थी उसमें उनका कोई कमूर नहीं था। कमूर मिशन का था। परन्तु यूरोपियनों को पूर्णतः निंदोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने इस स्थिति से अनुचित लाभ उठाना चाहा था। कमूर चाहे जिसका हो, मिशन और वाहसराय ने वचन दिया कि वे यूरोपियनों से अलग रहने को राजी करने में कुछ नहीं उठा रखेंगे। १४ जून तक यह भी स्पष्ट हो गया कि यूरोपियनों का प्रश्न भी मुख्य समस्या का ही एक अंग है। पंद्रह तारीख को जनता को समाचार मिला कि बंगाल असेम्बली के यूरोपियन दल ने अपना कोई प्रतिनिधि विधान-परिषद् के लिए खाड़ा न करने का निश्चय किया है; परन्तु दल ने कहा कि वह बहुसंख्यक दलों में हुए समझौते के अनुसार ही मत प्रदान करेगा। किन्तु यह समझ में नहीं आता कि समझौता होने की अवस्था में वे मत क्यों देंगे, क्योंकि दोनों दलों में समझौता होने पर उनके पड़वंत्रों का भय ही जाता रहेगा और किर दोनों में से कोई भी पक्ष उनसे सहायता मांगने नहीं आयेगा।

१३ जून को वाहसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने १३ सदस्यों की एक ओज़ा रखी और अग्रियों के चुनाव तथा अनुपात के सम्बन्ध में कितने ही भ्रमों को दूर कर दिया। परन्तु कांग्रेस ने शासन-परिषद् में १२ सदस्य रखने पर जोर दिया और कहा कि इनमें मुसलमानों की संख्या ५ से अधिक न होना चाहिये। ब्रिटिश भारत में मुसलमानों का अनुपात २६ प्रतिशत है, किन्तु प्रतिनिधित्व उन्हें ३३ $\frac{1}{3}$  प्रतिशत दिया जा रहा है। १५ जून को यही स्थिति थी। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि यह नहीं स्वीकार किया गया तो कांग्रेस सहयोग नहीं प्रदान कर सकेगी। इस प्रकार मिशन के प्रस्तावों को फिलहाल नामंजूर कर दिया गया था। कांग्रेस यह भी तय कर चुकी थी कि अंतरिम सरकार में भाग लेनेवाले वाहसराय के निमंत्रण पर और उनके यहां एकत्र नहीं होंगे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने अक्टूबर, १९४२ में कहा था कि जहां वे

समझौता कराने ७००० मील की दूरी तय करके गये थे वहाँ कांग्रेस, जीग से मिलने के लिये एक सड़क पार करने को तैयार नहीं थी। १९४२ की भी बात जाने दीजिये। १९४६ में क्या हुआ ? क्या श्री जिन्ना ने वाहसराय भवन में पंडित नेहरू से मिलने के लिए—मौजूदा आजाद की तो बात ही जाने दीजिये—आजाद ठीक समझा ; और वह भी तब जब खुद वाहसराय ही ने उन्हें आमंत्रित किया था ? श्री जिन्ना तो एक गली तक तय करने को तैयार नहीं थे। १२ जून के दिन जब वाहसराय को विश्वास हो गया कि अब वार्ता भंग होनेवाली है तो उन्होंने एक और पत्र लिखा। हस पत्र में बहुत ही नर्म शब्दों का प्रयोग किया गया था और उन्हें आशा प्रकट की गयी कि अब भी कांग्रेस अंतरिम सरकार में समिलित होना स्वीकार कर लेगी। वाहसराय ने तर्क उपस्थित किया कि ५+६+२ के गुरु में समान-प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं उठता। वस्तुतः वाहसराय पिछले प्रस्तावों को ही दुहरा रहे थे और इससे कांग्रेस की स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं होता था। इसलिये कार्यसमिति ने वाहसराय को सूचित कर दिया कि वह जो कुछ कह चुकी है वही उसका अंतिम निर्णय है, और १२ जून के दिन वह मंत्रिमिशन और वाहसराय के फैसले का इंतजार करने लगी।

१६ जून आयी और गयी। १६ अक्टूबर, १९०५ को बगाल का विभाजन लागू किया गया था। बाद में १६ मई, १९४६ को भारत के विभाजन की प्रथम रूपरेखा तैयार हुई। १६ जून, १९४६, को अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की घोषणा वाहसराय के पिछले पत्र के अनुसार की गयी। १४ अप्रैल चुने गये। मुस्लिम जीग ने जो पांच नाम सुझाये थे वे सूची में ज्यों-के-स्थानों थे; किन्तु कांग्रेस की तरफ कांग्रेसियों के ६ नामों में एक ऐसा नाम (उड़ीसा के प्रधानमंत्री) था, जो उस की प्रस्तावित सूची में नहीं था। जीग-द्वारा उपस्थित किये गये पांच नामों में से कांग्रेस ने एक, यानी अवंतुर्ब निश्तर के नाम पर आपत्ति की, किन्तु इस आपत्ति को नहीं माना गया और कांग्रेस की जानकारी के बिना ही श्री शशतचन्द्र बोस के स्थान पर उड़ीसा के प्रधानमंत्री श्री हरेकृष्ण मेहताब का नाम रख दिया गया था। कांग्रेस ने श्रीमती अमृतकौर, डा० जाकिर हुसैन और मुनिस्वामी पिले के जो नाम प्रस्तावित किये थे, उन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया। स्पष्ट था कि वाहसराय अंतरिम सरकार को अपनी पुरानी शासन परिषद् ही समझते थे।

कांग्रेस की आपत्तियाँ तीन थीं—(१) जनाव निश्तर का चुनाव; क्योंकि सीमाप्रान्त के चुनाव में उन्हें कांग्रेसी उम्मीदवार के विरोध में सफलता नहीं मिली थी और औरंगजेब मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में उनके विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव पेश हो चुका था, (२) अंतरिम सरकार में कोई राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं रखा गया था और, (३) ये परिवर्तन कांग्रेस की सलाह के बिना ही किये गये थे।

अस्तु, वाहसराय की सूची प्रकाशित होने पर जान पढ़ा कि उसे एकाएक स्वीकार मर्ही किया जा सकता। सरदार बलदेवसिंह के नाम के सम्बन्ध में सिखों से सलाह लेनी बाकी थी। इसी तरह सीमाप्रान्त के नेताओं से भी परामर्श करना था। इसके अलावा श्री हरेकृष्ण मेहताब की जगह शशत बाबू का नाम रखने का सवाल था। श्री मेहताब से वाहसराय के पत्र का उत्तर देने को कहा गया कि प्रान्त के प्रधानमंत्री तथा कांग्रेसजन के रूप में वे पूरी तरह कार्यसमिति के नियंत्रण में हैं। सवाल था कि क्या इनमें से प्रत्येक आपत्ति को इस सीमा तक बढ़ाया जाय कि उससे गतिरोध उत्पन्न हो जाय ? क्या कोई मुसलमान ऐसा स्थान स्वीकार करेगा जो किसी कांग्रेसी हिन्दू का नाम वापस ले कर बनाया गया हो ? इसके अलावा, कांग्रेस ने

श्रीमती असृतकौर का जो नाम उपस्थित किया, उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इस में कांग्रेस की सर्वादा का भी प्रश्न उठता था। इस सम्बन्ध में बाद-विवाद अनेक अवस्थाओं से गुजरा और सम्पूर्ण परिस्थिति—खाल समस्या की गम्भीरता, रेलवे हड्डताल की आशंका तुथा वैधानिक बातचीत की असफलता से फैलनेवाली निराशा की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया। परन्तु कांग्रेस इन सब से इतनों नहीं थी। किसी न किसी दिन अव्यवस्था और अशान्ति कैले बिना देश स्वतंत्र नहीं हो सकता था। मिस्र २६ फरवरी १९२१ को स्वाधीन घोषित किया गया था, बिन्तु १९४६ तक मिस्र विटिश सेना के हटाएँ जाने का ही अनुग्रेध कर रहा था। कांग्रेस बड़ी पैचीदी स्थिति में थी। १८ जून को अंतरिक सरकार की योजना स्वीकार करने का निश्चय कर लिया गया। उस रात प्रस्ताव का मस्विदा तैयार कर लिया गया और दूसरे दिन पंडित जवाहर-लाल नेहरू काश्मीर चले गये तथा कुछ अन्य सदस्य दिल्ली के बाहर चले गये।

इस के बाद परिस्थिति एकाएक गम्भीर हो गयी। खाल अधुक गफकार खाँ से परामर्श करने के बाद जनाब निश्तर-सम्बन्धी समस्या प्रथम कोटि की नहीं समझी गई। मेहताब-सम्बन्धी मासला इस तरह हल हुआ कि शरत बाबू को नियुक्त करने की बात मान ली गई। लेकिन अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी मुसलमान को न रखने की गुस्ताखी को पी जाती तो उसका राष्ट्रीय स्वरूप नहीं रह जाता। इसी अवसर पर श्री जिन्ना ने अंतिम सरकार में राष्ट्रवादी मुसलमान को रखने के विरुद्ध चेतावनी दे कर इस प्रश्न पर और भी ध्यान आकृष्ट कर दिया और साथ ही इससे श्री इंजीनियर के चुने जाने को भी महत्व प्रदान कर दिया। इन्हीं दिनों 'स्टेट्समैन' ने बाहसराय तथा श्री जिन्ना के मध्य हुए पत्र-व्यवहार का रहस्योद्घाटन किया। लोकमत का भुकाव कुछ यह हुआ कि श्री जिन्ना अपनी हठधर्मी-द्वारा कांग्रेस से एक-के-बाद एक रियायत प्राप्त कर रहे हैं। तब कांग्रेसी मुसलमान के सम्मिलित न करने और एक सरकारी अफसर का नाम सूची में सम्मिलित करने के प्रश्नों पर अधिक गैर किया गया और उन्होंने पढ़ाले की अपेक्षा अधिक महत्व धारण कर लिया—विशेषकर इस कारण और भी कि इस के सम्बन्ध में श्री जिन्ना विष उगल चुके थे और दूसरे के विषय में सर स्टैफँड किप्स विशेष अनुरोध कर चुके थे। अनुरस्थित सदस्यों को फिर बुलाया गया, क्योंकि दोनों ही बातों पर फिर से विचार करना अब केवल आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो गया था। कार्य-समिति के कंधों पर राष्ट्र की जिम्मेदारी थी और वह किसी समस्या का फैसला खोकर या निराशा के बशी-भूत होकर नहीं कर सकती थी। परिस्थिति के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा, इसे पिछले दुःखद अनुभवों को ध्यान में रखते हुए गलतियों से बचना था। जुलाई १९४० में जो-कुछ पूना में हुआ उसकी चर्चा करना भी असंगत न होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति से प्रभावित होकर कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार को युद्ध में सहायता प्रदान करना स्वीकार कर लिया। गांधीजी इसके विरुद्ध थे। फिर महाने या दो महीने के भीतर ही कार्यसमिति ने गांधीजी से सलाह मांगी। जून, १९४६ के तीसरे सप्ताह में भी बटानाचक कुछ इसी प्रकार यूम रहा था। सूची में निश्तर के सम्मिलित करने, मेहताब व इंजीनियर को बिना सलाह किये रख लेने और राष्ट्रवादी मुसलमान और एक कांग्रेसी महिला को न रखने के सम्बन्ध में गांधीजी के दृढ़ विचार स्पष्ट थे। कुछ सोच-विचार के बाद कार्य-समिति भी गांधीजी के ही मत पर आ गयी और इसीलिए अनुपस्थित सदस्यों को बुलाया गया, ताकि यह न कहा जा सके कि उनकी अनुपस्थिति में महत्वपूर्ण निश्चय किये गये।

२१ जून को कांग्रेस के अध्यक्ष ने वाइसराय से श्री जिन्ना-द्वारा उन्हें लिखे गये पत्रों और उन पत्रों के वाइसराय-द्वारा लिखे उत्तरों की प्रतिलिपि मांगी। ये पत्र अंतिरिम परवार में एक कांग्रेसी हिन्दू सदस्य के स्थान पर एक मुस्लिम सदस्य नामजदः करने के कांग्रेस के अधिकार के सम्बन्ध में थे। वाइसराय ने पत्रों की प्रतिलिपि तो उपलब्ध नहीं की, किन्तु यह कहा कि वे इस प्रकार का कोई प्रबंध स्वीकार नहीं कर सकते। समाचारपत्रों में लिखा था कि श्री जिन्ना ने वाइसराय से कुछ प्रश्न किये हैं। वाइसराय ने इन कथित प्रश्नों के उत्तरों के उद्धरण दिये। उनसे इष्ट बात की पुष्टि होती थी कि वाइसराय इस समस्या के सम्बन्ध में पूर्णतः श्री जिन्ना के साथ है। वाइसराय का यह रुख उनके उस दिविरुण से विलकुल भिन्न था, जिस का परिचय उन्होंने श्री निश्तर के अंतरिम सरकार में समिलित करने की समस्या को लेकर मौजूदा श्राजाद को लिखे गये अपने पत्र में दिया था। इस पत्र में वाइसराय ने लिखा था कि जिस प्रकार लीग कांग्रेस-द्वारा नामजद किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकती, उसी प्रकार कांग्रेस भी लीग-द्वारा नामजद किसी व्यक्ति के अंतरिम सरकार में समिलित किये जाने पर आपत्ति नहीं कर सकती। यदि १४ जून तक यह स्थिति थी तो समझ में नहीं आता कि २१ जून या २२ जून को वाइसराय यह कैसे कह सकते थे कि कांग्रेस अंतरिम सरकार के लिये फिर्मे सुसलमान का नाम उपस्थित करने के लिये स्वतंत्र नहीं है। वाइसराय का यह कथन उम्मिलए और भी आपत्तिजनक था कि ऐसा वे श्री जिन्ना के आपत्ति करने पर कह रहे थे। इसके अलावा वाइसराय ने पहले कांग्रेस को यह भी आश्वासन दे दिया था कि यदि कांग्रेस जाकिं हुसेन का नाम देगे करेगी तो उस पर आपत्ति न रही जायगी। यह कहने के बावजूद भी वाइसराय ने अपने २२ जून के पत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

सिर्फ यही काफी नहीं था। श्री जिन्ना के पत्रों में कुछ नयी बातें भी उठती थीं। जबकि एक तरफ वाइसराय समान-प्रतिनिधित्व की बात से इनकार कर रहे थे तो दूसरी तरफ श्री जिन्ना कांग्रेस और लीग के मध्य नहीं, हिन्दू और मुसलमानों के बीच भी नहीं, बल्कि सर्वेण हिन्दुओं और मुस्लिम लीग में समान-प्रतिनिधित्व की बात कह रहे थे, जिसका अर्थ यह हुआ कि उनके मत से कांग्रेस सिर्फ हिन्दुओं की ही नहीं बल्कि सर्वेण हिन्दुओं की संस्था है। प्रश्न नं० ४ के उत्तर में वाइसराय ने जो उत्तर दिया था उससे माफ जाहिर था कि श्री जिन्ना परिगणित जातियों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस से अलग चाहते हैं और अल्पसंख्यकों के चार प्रतिनिधियों में एक स्थान उसे भी देना चाहते हैं। इस तरह कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या सिर्फ २ कर दी गयी और कांग्रेस को हिन्दू-संस्था घोषित कर दिया गया। इसके अलावा वाइसराय ने कहा:—

“यदि अल्पसंख्यकों में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसे भरते समय में सुख्य राजनीतिक दलों से परामर्श करूँगा।”

ये शब्द वाइसराय ने श्री जिन्ना के उस प्रश्न के उत्तर में कहे थे, जिसमें उन्होंने ४ स्थानों पर अल्पसंख्यकों के चार प्रतिनिधि नियुक्त करने की बात कही थी। इसमें यह भी जाहिर होता था कि परिगणित जातियों का कांग्रेस या हिन्दुओं से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। इसके विपरीत मिशन के वक्तव्य के अनुसार मुसलमानों और सिखों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों को ‘आम’ समूह में डाल दिया गया था और इस तरह उनका सम्बन्ध कांग्रेस से स्थापित हो गया था। परन्तु अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों के स्थानों में से कोई स्थान रिक्त होने पर नियेधार्मक अधिकार श्री जिन्ना को सौंप दिया जायगा। इसके अलावा शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में अंतरिम सरकार

में सामूहिक बहुमत का नियम लागू होगा और साथ ही यह भी कहा गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी इस सिद्धान्त की कद्र करते हैं। इस तरह अन्तरिम सरकार की स्थिति वाहसराय की शासन-परिषद् से भी छुरी हो गयी। सच तो यह है कि १६ मई के वक्तव्य से पूर्व जो भी बातें कही गयी थीं। उनका कुछ भी महत्व नहीं रहना चाहिये था। इसके अलावा, जो कुछ भी कहा गया था वह ऐसे मंत्रिमंडल के लिये कहा गया था, जो धारासभा के प्रति ज़िम्मेदार होता। ऐसा जान पढ़ता था, जैसे प्रत्येक विषय में वाहसराय श्री जिन्ना के साथ हों, जैसे उन्होंने श्री जिन्ना से कह दिया हो:—

“आप पाकिस्तान चाहते हैं, जो हिन्दुस्तान का केवल चौथाई भाग है, आप पूरा हिन्दुस्तान ही के लीजिये और उस पर राज कीजिये। प्रत्येक निर्णय और और प्रत्येक निर्मुक्ति के सम्बन्ध में आपका विशेषाधिकार रहेगा। आपका फरमान बिना किसी हिचक के माना जायगा।”

मिशन के हटिकोण का यही अर्थ था। इसके अलावा, श्री जिन्ना के प्रश्नों के वाहसराय-द्वारा दिये गये उत्तरों का और क्या अर्थ हो सकता था? विधान-परिषद् के लिए जुने जानेवाले उम्मेदवार से १६ मई बाते वक्तव्य के पैरा १६ को स्वीकार करने की जो मांग की गई थी उसका और क्या तात्पर्य हो सकता था। (बाद में इसका संशोधन कर दिया गया)। अन्त में कार्यसमिति ने साहस करके २३ जून को विधान-परिषद् में जाने का फैसला कर ही लिया। परन्तु १६ जून के निर्णय के समान ही कार्यसमिति का २३ जून का निर्णय भी अनिश्चित अवस्था में था। आसाम और बंगाल से प्राप्त एक तार में कार्यसमिति का ध्यान हम बात की तरफ आकृष्ट किया गया कि प्रत्येक उम्मीदवार से इस घोषणा पर हस्ताक्षर कराया जा रहा है कि वह परिषद् में १६ मई के वक्तव्य के १६ पैरा में वर्णित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहा है। इस पैरे का सम्बन्ध परिषद् के भागों और समझौओं में विभाजित होने से था। चुनाव से सम्बन्ध रखनेवाला भी यही एकमात्र पैरा था। तब अम का निवारण किया गया, किन्तु कार्यसमिति ने अपनी आपत्ति नहीं उठाई। इस बीच में नेताओं तथा मन्त्रिमिशन के मध्य हुई बातचीत से प्रकट हुआ कि यदि कांग्रेस ने विधान-परिषद् में जाने का फैसला किया तो १६ जून का वक्तव्य तथा बाद में हुई सब बातों को रद माना जायगा और अस्थायी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न भी जये सिरे से किया जायगा। यह २४ जून के प्रातःकाल की बात है। परन्तु विधान-परिषद् में जाने के निर्णय से, जो एक दिन पहले ही हो चुका था, इस सूचना का कोई सम्बन्ध नहीं था, क्योंकि आपत्ति मिशन के १६ वें पैरे के सम्बन्ध में थी, जिसे पहले दोषहीन समझा गया था। जब मिशन और वाहसराय को कांग्रेस का निर्णय लाया गया तो प्रत्येक लेने में हर्ष की लहर दौड़ गई। कांग्रेसी हल्कों में सन्तोष इस बात पर था कि लीग ने ‘श्रृंगसंरूपकों’ और ‘ममान प्रतिनिधित्व’ के सवाल उठा कर कांग्रेस के लिए जो बेड़ीयाँ तैयार की थीं उनसे वह बच गई। सरकारी अधिकारियों को यह खुशी थी कि आखिर कांग्रेस को विधान-परिषद् में जाने पर उन्हें सफलता मिल ही गई। लीगी हल्कों की प्रसन्नता का कारण यह था कि ऐसी अन्तरिम सरकार बन रही थी, जिसमें कांग्रेस नहीं होगी। परन्तु लीग की आंखों पर पढ़ा पर्दा शीघ्र ही ढंग गया। सरकार की तरफ से २७ जून का वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसमें बातचीत स्थगित करने की घोषणा की गई थी। दूसरे लक्षणों में इसका यही अर्थ हुआ कि १६ जून का वक्तव्य रद किया जाता है, क्योंकि कांग्रेस १६ मई का वक्तव्य स्वीकार कर चुकी थी। तब श्री जिन्ना ने १६ जून के वक्तव्य की आठवीं धारा पूरी करने पर जोर दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि अन्तरिम सरकार में कोई अथवा दोनों दब जाने से

इन्कार करेंगे तब परिषद् में रिक्त स्थानों को उन दलों के प्रतिनिधियों से भर दिया जायगा, जो १६ मई के वक्तव्य को स्वीकार करेंगे। कांग्रेस इस वक्तव्य को तो स्वीकार करती थी, किन्तु उसने अन्तरिम सरकार में जाने से इन्कार कर दिया था। मिशन ने ऐसी स्थिति का अनुमान नहीं किया था और इसीलिए उसने विटिश मन्त्रिमण्डल से परामर्श किया। तब मिशन ने २७ जून का वक्तव्य प्रकाशित किया और वह २९ जून को इंडिएट के लिए रखाना हो गया। परन्तु जाने से पूर्व मिशन की श्री जिन्ना से बातचीत हुई। श्री जिन्ना ने विधान-परिषद् स्थगित करने का अनुरोध किया, क्योंकि परिषद् और अन्तरिम सरकार की योजनाएँ परस्पर सम्बद्ध थीं। परन्तु मिशन ने परिषद् को स्थगित करना अस्वीकार कर दिया। वाहसराय ने कहा कि वे धारा द के अनुसार कार्य करेंगे और समझदार कुछ समय बीतने पर अन्तरिम सरकार स्थापित होने की पृष्ठभूमि तैयार हो जाय।

अब बातचीत में व्यस्त सभी प्रतिनिधियों के अपने दलों को सूचित करने का समय आया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ६ और ७ जुलाई को बम्बई में हुई। उसके सामने एक पंक्ति का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें विटिश सरकार से हुए समझौते की पुष्टि की गई थी। प्रस्ताव में संशोधनों के लिए स्थान नहीं था, क्योंकि प्रतिनिधि समझौता कर चुके थे और कांग्रेस को उस समझौते की रिसर्च पुष्टि ही करनी थी। समझौते को स्वीकार अथवा अस्वीकार ही किया जा सकता था। कमेटी ने ११ के विश्वद २०५ बोटों से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

यह सब हो चुकने के बाद मुख्य बात यह उठी कि विधान-परिषद् को सत्ता-सम्पन्न संस्था माना जा सकता है या नहीं, उसमें हुए चुनाव को कानूनी तौर पर जायज माना जायगा या नहीं और एकाकी इस्तांतरित मत-पद्धति-द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और विभाजन को भारतीय शासन सुधार ऐक्ट के अन्तर्गत जावज माना जायगा अथवा नहीं। दूसरे लक्षणों में सवाल यह था कि १६ मई के वक्तव्य को कानूनी दस्तावेज माना जा सकता है या नहीं। कानूनी लेन्ड्रों में वक्तव्य के कानूनी रूप से इनकार किया गया। विधान-परिषद् की सत्ता के सम्बन्ध में भी आपत्ति बढ़ाई गई और कहा गया कि इसके लिए शाही घोषणा-द्वारा परिषद् को सत्ता इस्तांतरित किये जाने की आवश्यकता है। पालंगेट में कानून उसी हालत में पास हो सकता था जब मिशन तथा मन्त्रिमण्डल के १६ मई, १६४६ वाले वक्तव्य की पुष्टि विना किसी संशोधन के हो। परन्तु मिशन ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। इसी अवस्था में धारा-सभाओं ने विधान-परिषद् के सदस्यों के चुनाव शुरू कर दिये और जुलाई १६४६ तक के चुनाव समाप्त भी हो गये।

जुलाई के अंत में प्रतिक्रिया यह हुई कि लीग ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाओं में भाग लेने से इन्कार कर दिया। लीग ने १६ अगस्त 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' (डाइरेक्ट ऐक्शन) का दिवस घोषित किया और ऐसा जान पड़ने लगा कि सरकारी कार्रवाई भी आरम्भ हो गयी। ६ अगस्त को वाहसराय ने कांग्रेस के अध्यक्ष से अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग करने का अनुरोध किया। वाहसराय ने कहा कि ऐसा निर्णय सम्भाल की सरकार की सहमति से हुआ है। कार्यसमिति की बैठक ने वर्षा में इस प्रस्ताव पर विचार किया और १२ अगस्त के साथकाल ७ बजे वाहसराय के प्रस्ताव और कांग्रेस-अध्यक्ष-द्वारा उसकी स्वीकृति की घोषणा कर दी गयी। इसके बाद घटना-वक्त बड़ी तेजी से तूमा। कार्यसमिति ने प्रस्ताव पास किया, जिसमें लीग से मधुर शब्दों में अंतरिम सरकार के निर्माण में सहयोग की अपील की गयी थी। राष्ट्रपति ने तुरंत लीग के अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा। कार्यसमिति के प्रस्ताव की श्री जिन्ना

पर जो प्रतिक्रिया हुई, वह अप्रत्याशित न थी। उसमें उन्हें नये गुम्बद में पुराना चिराग ही दिखायी दिया। वाहसराय ने इस बार श्री जिज्ञा को जो सीधे नहीं लिखा उसका कारण श्री जिज्ञा की 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' की धमकी ही थी। बंगाली सरकार ने 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' मनाने के लिए १६ अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी कर दी।

१६ अगस्त को 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' दिवस मनाने के सम्बन्ध में श्री जिज्ञा ने एक वक्तव्य में कहा कि दिवस की घोषणा किसी रूप में भी प्रत्यक्ष कार्रवाई करने के लिए नहीं बल्कि १६ जुलाई को बम्बई में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पास किये गये प्रस्ताव को मुस्लिम जनता को समझाने के लिए की गई है। श्री जिज्ञा ने मुस्लिम जनता से अनुरोध किया कि उसे शान्तिपूर्ण ढंग से अनुशासित रूप में कार्य करना चाहिए और ऐसा कोई कार्य न करना चाहिए जिससे शत्रु को कुछ कहने का अवसर मिले।

परन्तु चेतावनी बहुत देरी से दी गयी और जनता को यह सिर्फ १५ अगस्त को ही मिली। कलकत्ता और सिलहट में गम्भीर उपद्रव हुए। कलकत्ता की सड़कों पर रक्त की नदियां बह उठीं। मोटे हिसाब से ७००० के लगभग व्यक्ति मारे गये और बहुसंख्यक घायल हुए। कलकत्ता की तुलना में अन्य स्थानों की घटनाओं की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। सिलहट और ढाका में भी लोग हताहत हुए। बंगाल के नये गवर्नर को वापस बुलाने की मांग की गयी और कहा गया कि वह अपने कत्तव्य का पालन नहीं कर सका। एक सप्ताह में शान्ति स्थापित हुई, किन्तु हिंसा की इस असाधारण आग को बुलाने के लिए साधारण उपाय पर्याप्त नहीं थे। कलकत्ता की सड़कों पर कुछ समय तक लाखों सड़ती रहीं। हजारों व्यक्ति बेघर हो गये। शीघ्रता से जो प्रबंध किया गया वह अपर्याप्त था। दंगे के कारण की जांच की मांग की गयी और कार्यसमिति ने इस कार्य के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति का अनुरोध किया। इसका परिणाम भी हुआ। बंगाल-सरकार के अद्वेश से जांच के लिए केंद्रल कोर्ट के प्रधान सर स्पेन्स की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी, जिस के सदस्य श्री सोमाया और सर फजलशर्की थे।

विवरण को जारी रखने के लिए इस यहाँ कुछ बाद में प्रकट हुई बातों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। कलकत्ता के दंगे का कारण यह बताया गया कि एक सम्प्रदाय ने पहल की और दूसरे ने उसका प्रतिशोध लिया। प्रतिशोध बहुत लम्बा था और मूल उपद्रव की तुलना में वह कहीं अधिक भयानक था। 'एक के बदले तीन' की इस नीति से नोआखाली और टिप्परा में जनता उत्तेजित हो उठी। इन दोनों ही जिलों में मुसलमान बहुसंख्यक और हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। नोआखाली में उनका अनुपात १८ लाख और ४ लाख का है। पूर्वी बंगाल के इन दोनों जिलों में अपराध जितनी भयानकता से हुए थे उसे देखते हुए इताहतों की संख्या अधिक न थी। नारी-निर्यात, बलपूर्वक विवाह, बलात्कार, जबरन धर्म-परिवर्तन, घरों की आग लगा देने, उन पर सामूहिक हमले और प्रसिद्ध परिवारों के इन हमलों में शिकार होने से पूर्वी बंगाल में जो अविश्वास फैल गया था वह तीन वर्ष पूर्व अकाल में हुई सामूहिक मृत्युओं से भी कहीं अधिक भीषण था। पूर्वी बंगाल से कितने ही हिन्दू भाग कर विहार आये और वहाँ अत्याचारों की अनेकों कहानियाँ फैल गयीं और विहारी जनता प्रतिशोध के लिए पांच बाल हो उठी। इस अप्रत्याशित और भीषण परिस्थिति से कांग्रेस तथा प्रत्येक समक्षादार कांग्रेसजन का अंतःकरण चीत्कार कर उठा और जब कि गांधीजी पूर्वी बंगाल की जनता में धैर्य की भावना भरने और

बाहर गये लोगों को उनके घरों में फिर वापस बुक्साने के लिए गये तो दूसरी तरफ शासन-परिषद् के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू विहार की परिस्थिति का नियंत्रण करने गये। यह सच है कि परिषद् के मुस्लिम सदस्य बंगाल और विहार गये थे, किन्तु श्री जिन्ना ने कलहता और पूर्वी बंगाल की घटनाओं के लिए कहीं भी खेद नहीं प्रकट किया। गांधीजी और उनके साथी हिन्दू जनता से अपने मुसलमान पड़ोसियों की रक्षा की अपील कर रहे थे, किन्तु श्री जिन्ना ने अपने मुस्लिम अनुयायियों से हिन्दुओं की रक्षा के लिए ४ दिसंबर, १९४६ तक एक शब्द नहीं कहा। समझा जा सकता है कि १६ अगस्त से ६ दिसंबर तक का अरसा कितना अधिक होता है। यह उस समय की बात है जब श्री जिन्ना अंतरिम सरकार में सहयोगपूर्वक कार्य करने और विधान-परिषद् में हिस्सा लेने की समस्या पर बातचीत करने के लिए लंदन गये थे। वे बार-बार ‘प्रत्यक्ष कार्रवाई’ का नारा तुहरा देते थे और उसका परिणाम बुरा होता था। यहाँ तक कि लंदन में भी आपने एक बार यही किया था। इस बीच हिंसा का कुचक चल रहा था। उसकी जहर शीघ्र संयुक्तप्रान्त पहुँची। गढ़मुक्तेश्वर में उपद्रव हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया ढासना में हुई। मेरठ शहर में, जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था, कांग्रेस के पंडाल को किसी ने आग लगा दी, जिसके परिणाम-स्वरूप अधिवेशन डेलीमेटों तक सीमित कर दिया गया। मेरठ शहर में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जैसी पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। वहाँ कुछ अविक्तियों का जबरन धर्म-परिवर्तन किया गया और वह भी ऐसे धर्म में, जिसमें ऐसा कभी नहीं होता था। समस्या विश्वास और धैर्य उत्पन्न करने की थी। यदि शान्ति स्थापित होती है तो कुचक को कहीं न कहीं भंग करना ही होगा, किन्तु एक दूसरे को तुरा-भला कहने से रोष और प्रतिहिंसा की अग्नि नहीं तुमारी जा सकती थी। पूर्वी बंगाल और विहार में हताहों की संख्या बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बतायी गयी। पूर्वी बंगाल से वापस आने पर पंडित जवाहरलाल ने केन्द्रीय असेम्बली में वक्तव्य देते हुए साक इसका कह दिया कि दोनों मुस्लिम लीग की पहच और उत्तेजना दिलाने से हुए हैं। इसकी प्रतिक्रिया राज-परिषद् में देखी गई, जिसमें अंतरिम सरकार के एक मंत्री जनावर निश्तर ने विहार में हुई सृज्युसंख्या ७ अंकों में और पूर्वी बंगाल में अधिक से अधिक ३०० बतायी। इसका उत्तर राज-परिषद् में बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने देते हुए अपने सहयोगी-द्वारा दिये आंकड़ों को ‘मूर्खतापूर्ण’ बताया। एक ही सरकार के दो सदस्यों द्वारा विरोधी वक्तव्य देने से स्पष्ट हो गया कि अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल या संयुक्त सरकार में से कुछ भी नहीं थी। कार्य तो आरम्भ मंत्रिमंडल के रूप में हुआ था, किन्तु लीग के सम्मिलित होने पर यह केवल आशामात्र रह गयी और मंत्रिमंडल के भीतर और बाहर कठाड़े होते दिखायी देने लगे। इसकी गूँज जिलों में भी सुनायी देने लगी। दिसंबर, १९४६ के प्रथम सप्ताह में जब वाइसराय तथा कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधि लंदन में थे, अहमदाबाद में ३० धंडे का कपर्सू लगा था, बम्बई में छुरों के वारों का अंत नहीं होता दिखायी देता था और दाका में साम्प्रदायिक उपद्रवों ने पुरानी बीमारी का रूप धारण कर रखा था। यह नगर इतिहास में अपनी मलमल के लिए प्रसिद्ध था, किन्तु इन दिनों संघर्ष और हत्याओं का केन्द्र बना हुआ था। ऐसी घटनाएं हो रही थीं, जिनसे आगे की प्रगति रुकने की आशंका हो चली थी और इसीलिए लंदन में बातचीत की जरूरत पड़ी थी। पहले तो कांग्रेस ने इस बातचीत में भाग लेने से इनकार कर दिया, किन्तु ब्रिटिश प्रधानमंत्री से आशासन मिलने पर पंडित जवाहरलाल अकेले ही गये और किर ६ दिसंबर को विधान-परिषद् में सम्मिलित होने के समय तक वापस आ गये।

हुःख और दर्द की घटनाओं, परिवारों के समाप्त हो जाने, स्त्रियों के जबरन भगाये और बलाकार किये जाने के इस हुःख कांड के मध्य, जिससे संसार के मध्य हीनेवाले ऐसे सभी कांड छोटे जान पड़ते हैं, हमें आशा की केवल एक ही किरण दिखायी देती रही है। हमें बंगाल की दलदल से भरी भूमि में एक व्यक्ति 'अकेला, मित्रहीन और उदास' आगे बढ़ता हुआ दिखायी दिया है, जो हजारों परिवारों-द्वारा छोड़े हुए घरों को देखता हुआ आगे बढ़ता ही गया है। इस व्यक्ति के हाथ में आशा और शान्ति की ज्योति है। वह जनता से भय का त्याग करने और हृदय में विश्वास बनाये रखने का उपदेश करता है। उस व्यक्ति को मानव स्वभाव की सतोगुणी प्रवृत्ति पर अगाध विश्वास है। उसका ख्याल है कि अंत में प्रेम घृणा पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह असत्य के, अंधकार के मध्य प्रकाश की और मृत्यु के मध्य जीवन की ज्योति जगाये बढ़ा चला जा रहा है। गांधीजी ने कहा कि अपना विश्वास या उत्साह खोने से तो अच्छा पूर्णी बंगाल की दल-दबों में मर-खप जाना है। उनके हाथ में जगी हुई अहिंसा की ज्योति का प्रकाश दूर-दूर तक फैल रहा था, किन्तु वे कायरता से हिंसा को अच्छा मानते थे। गांधीजी पूर्णी बंगाल में चट्टान की तरह अचल थे। उनके जैसा बनने के लिये आसाधारण साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है, गांधीजी के मित्र उनके उद्देश्य पर सन्देह करते थे और शत्रु उन्हें ताने देते थे, लेकिन वे हमेशा शहीद बनने के लिये तैयार होकर मनुष्यमात्र में भाईचारे और सद्भावना का उपदेश देते थे—उन्हीं मनुष्यों के बीच जिन्हें परमात्मा ने एक बनाया था किन्तु जो एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। ऐसा जान पड़ता था जैसे परमात्मा की सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सुन्दर है, केवल एक मनुष्य ही घृणित है।

हमने आगे की घटनाओं का विवरण दे दिया। अब हम अगस्त १९४६ के मध्य में फिर आते हैं। १७ अगस्त को पंडित जवाहरलाल वाहसराय से मिले और वापस आकर उन्होंने अपने तीनों साथियों से परामर्श किया। अंतरिम सरकार के सदरयों की प्रस्तावित सूची इस प्रकार तैयार हो गयी। अब आवश्यकता सिर्फ एन० बी० इंजीनियर के स्थान पर नया नाम चुनने और लींगियों की जगह पांच राष्ट्रीय सुमलमान लुनने की थी। जब वाहसराय को यह सूची दे दी गई तो शनिवार २४ अगस्त को उन्होंने नामों की घोषणा कर दी और २ सितम्बर से नयी सरकार ने शपथ ले ली। २४ अगस्त की सायंकाल रात्रि के समय भाषण करते हुए वाहसराय ने एक बार मुस्लिम लींग को अंतरिम सरकार में समिलित होने का फिर निमंत्रण दिया।

२४ अगस्त को भाषण देने के उपरान्त वाहसराय अपनी आंखों से परिस्थिति का निरीक्षण करने कलजक्ता गये। वे 'साम्राज्य के इस दूसरे नगर' में हुए अत्याचारों से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने कांग्रेस से परिस्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध किया। आपने कांग्रेस से अपने वर्धी के निश्चय में परिवर्तन करने का अनुरोध किया और कहा कि ग्रान्टों-द्वारा समूह में समिलित होने के सम्बन्ध में कांग्रेस को मिशन की व्याख्या स्वीकार कर लेनी चाहिए कि एकबार समूह बन जाने पर कोई प्रान्त उससे तब तक पृथक् न हो सकेगा जब तक कि नये विधान के अन्तर्गत उस प्रान्त की निर्वाचित धारासमाएँ न करे। यही नहीं, बल्कि वाहसराय ने कुछ कहा रुख भी ग्रहण किया और कहा कि यदि ऐसी बात नहीं की जाती तो वे विधान परिषद् ही न बुलायेंगे। यदि यही विचार था तो वाहसराय के अंतरिम सरकार बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष से नहीं कहना चाहिए था।

परन्तु, बाद में वाहसराय तंभल गये और २ सितम्बर को अंतरिम सरकार की स्थापना

होगई। यदि वाइसराय विधान परिषद् के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करना भी चाहते तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंतरिम सरकार स्वयं विधान परिषद् बुलाकर कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ सकती थी।

जिस दिन अंतरिम सरकार, जिसे अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कहता अधिक उचित होगा, स्थापित हुई उस दिन सभी विचार करने लगे कि भारत को स्वाधीनता प्रदान करने का जो वचन दिया था उसकी पूर्ति किस सीमा तक हुई। अठारहवीं शताब्दी में मेकाले ने भारत को स्वशासन मिलने के दिन को विटिश साम्राज्य का सब से गौरवपूर्ण दिन कहा था और उसके लिए भूमि तैयार की थी। इसके उपरान्त १८८८ में देश के विभिन्न वर्गों को एक ही भंडे के नीचे लाकर स्वाधीनता का बोझारोपण श्री डलनयू सी० बनर्जी ने किया। १८६८ में मद्रास में श्री आनंदमोहन बोस ने 'प्रेम और सेवा' द्वारा पौधे को सोंचा। १८०६ में दादाभाई नौरोजी ने कलकत्ता में उस वृक्ष को स्वराज्य का नाम दिया। १८१७ में वह वृक्ष फूला। १८२६ में उसमें पूर्ण स्वराज्य का फल लगा। इस अवसर पर बागवां जवाहरखाल थे। ये सभी राष्ट्रीय सरकार के लक्ष्य तक पहुंचने की विभिन्न अवस्थाएँ थीं। निससंदेह फल लग चुका था, किन्तु उसे प्राप्त करना बाकी था। स्वराज्य का फल उसे प्राप्त करने की इच्छा। रखने वाले की गोद में स्वयं गिर नहीं पड़ता, उसे पकाने के लिए चतुर मालियों की आवश्यकता होती है। स्वराज्य के फल को पकाने के लिए १४ माली (अंतरिम सरकार के सदस्य) नियुक्त किये गये।

अवसर सवाल उठाया जाता है कि ब्रिटेन ने सत्ता छोड़ने का निश्चय क्यों किया? इस सम्बन्ध में कितनी ही बातों की चर्चा की जा सकती है? सब से अधिक महत्वपूर्ण कारण समय की गति और परिस्थितियों की विवशता है। संसार का लोकमत साम्राज्य-निर्माताओं के विरुद्ध हो गया। साम्राज्य नष्ट हो जाने पर साम्राज्यवादी उन पर एक हसरत-भरी निगाह ढालने से नहीं चूकते। विजयी राष्ट्रों को जिन कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके कारण उनकी आकांक्षाएँ धू़त में मिल जाती हैं और शान्ति की समस्याएँ युद्ध की समस्याओं से कहीं अधिक कठिन होती हैं। प्रथम महायुद्ध के आर्थिक परिणाम विजयी राष्ट्रों के लिए बड़े कष्टदायक हुए और विजित जर्मनी १८१३ के बाद के बर्थों में विजयी ब्रिटेन पर हाथी रहा। पद्मे महायुद्ध के बाद जर्मनी के आत्म-समर्पण के केवल ७।। महीने बाद ही ७ मई को जर्मनी के आगे संधि का मसविदा उपस्थित कर दिया गया और उस पर २५ जून, १८१५ को हस्तांतर होगये। परन्तु दूसरे महायुद्ध के बाद आगस्त, १८४६ तक (इटली के आत्म-समर्पण के ३४ महीने बाद, जर्मनी के आत्म-समर्पण के १४ महीने बाद तक और जापान की पराजय के ११ महीने बाद तक) संधिका कोई मसविदा तैयार नहीं हुआ था, बल्कि इस सम्बन्ध में कार्य ही २६ जुलाई, १८४६ को आरम्भ किया गया था। इससे भिन्नराष्ट्रों के बीच कहा सुनी आरम्भ हो गयी और ईपर्याप्त भी भड़क उठी, क्योंकि सोवियट रूस ब्रिटेन या फ्रांस से कम साम्राज्यवादी नहीं साबित हुआ। ब्रिटेन की समाजवादी सरकार तथा रूस की सोवियट सरकारों के मध्य भी साम्राज्यवादी पैतेरेवाजी होने लगी। ब्रिटेन और रूस की प्रतिद्वन्द्विता प्रत्यक्ष संसार के सामने प्रकट हो गयी। ब्रिटेन अन्त के लिए अभी तक विदेशी आयात पर निर्भर था, किन्तु इस आयात का मूल्य नकद चुकाने में वह असमर्थ हो गया। इस प्रकार, आनंदरिक आवश्यकताओं या बाहरी आशङ्काओं के कारण ब्रिटेन के लिए भारत की सद्भावना प्राप्त करना आवश्यक हो गया। इसके अलावा, ब्रिटेन भारत पर पहुँचे के समान शासन करने में भी असमर्थ हो गया। इस प्रकार एकाधिक कारण से ब्रिटेन के लिए भारतको संतुष्ट करना

आवश्यक हो गया, किन्तु अभी वह देखना शेष है कि ऐसा वह नेकनीयती से कर रहा है अथवा मिल या आयसैंड की तरह वह भारत में भी अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करना चाहता है। परन्तु भारत संसार के स्वाधीन राष्ट्रों के मध्य स्थान प्राप्त करने का इस संकल्प कर चुका है और ब्रिटेन की किसी योजना से उसके इस संकल्प में हस्तांतरण नहीं हो सकता। ब्रिटेन के इस कार्य से विश्वसंघ स्थापित हो सकने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है। यदि ब्रिटेन कोई दूसरा मार्ग ग्रहण करता और उस पर चलने के परिणामस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य के साथ स्वयं भी उसी प्रकार विज्ञीन हो जाता जिस प्रकार रोम रोमन साम्राज्य के साथ ही नष्ट हुआ था, तो ब्रिटेन इसके लिए भारत को दोष नहीं दे सकता था।

इस प्रकार कांग्रेस का नाटक अंतरिम दर्शन तक पहुँच गया। पिछले ६० वर्ष में साधारण परिस्थिति से अंतरभूमि हो कर उसकी कथा में कितने ही उत्तेजनापूर्ण आवश्यक और घटनाचक चरमविन्दु पर भी पहुँचा। कितनी ही बार पद्मी उठा और गिरा, अभिनेता रंगमंच पर आये और चले गये, किन्तु विषय वही राष्ट्रवापी स्वाधीनता-संवर्धन का रहा। यह संवर्धन एक ऐसे राष्ट्र का था, जो संस्कृतिक दृष्टि से तो उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था, किन्तु तेजस्वी आधुनिक राष्ट्रों की तुलना में जीवन की दौड़ में पिछड़ा हुआ था। इन राष्ट्रों ने परिचमी विज्ञान की सहायता से पदार्थवादी सभ्यता की उन्नति कर ली और पड़ोसी रंगीन जातियों पर प्रभुत्व जमा लिया। इस तरह उन्होंने एशिया के दक्षिण-पूर्व तथा उत्तर-पश्चिम में साम्राज्य स्थापित किये। बीसवीं शताब्दी के मध्य में भारत, चीन, मलाया, हिंदौनेशिया, फिलिस्तीन, अरब, मिस्र और सीरिया में अभूतपूर्व जाग्रति हुई और मंगोल, आर्य तथा सेमिटिक जातियां स्वाधीनता के पथ पर अग्रसर हुईं। इन पथ पर उन्हें अनेक बाधाओं से सामना करना पड़ा, किन्तु लचय तक पहुँचने की भुग्ती में उन्होंने उन सभी को दूर कर दिया। परिचम को गुलामी से मुक्त होने के लिये दक्षिण-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी एशिया के देशों से जो संवर्ष छिड़ा उसका नेतृत्व भारत ने सहा और अद्वितीय पर आधारित सत्याग्रह का सिद्धान्त ले कर किया—उसी सत्य और अद्वितीय पर जो परिचम द्वारा फैलायी अव्यवस्था के स्थान पर पूर्व की सद्भावना और भाईचारा कायम करने की एकमात्र आशा है, जिससे सुदूर भविष्य में ‘मानवमात्र की पालमेंट और विश्वसंघ’ का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

अयं निजः परो वेत्ति गणनां लघुत्तेवसां।

उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबम् ॥

### विधान परिषद्

किन परिस्थितियों में अंतरिम सरकार पहले लीग के प्रतिनिधियों के बिना और फिर उन्हें समिलित करके स्थापित हुई—इसका संचित विवरण ‘डपसंहार’ में दिया गया है। बाद में हुई कुछ घटनाओं के कारण कुछ पुनरावृत्ति आवश्यक हो गयी है। लीग के समिलित होने के समय विधान किया जाता था कि वह मिशन की दीर्घकालीन योजना से भी सहमत है और विधान-परिषद् में बिना हित के समिलित हो जायगी। ऐसा अंतरिम सरकार में समिलित होने के मूल शर्तों के कारण नहीं, बल्कि लीग की तरफ से जार्ड वेवल द्वारा दिये गये आश्वासन के कारण समझा जाता था। परन्तु अंतरिम सरकार में समिलित होने के कुछ ही समय बाद लीग के नेता ने घोषणा की कि लीग विधान परिषद् में समिलित नहीं होगी और वह अभी तक पाकिस्तान तथा दो विधान-परिषदों की अपनी मूल मांग पर कायम है।

यही स्थिति थी कि एकाएक विटिश प्रधानमंत्री ने कांग्रेस तथा लोग के दो-प्रतिनिधियों तथा अंतरिम सरकार के सिख प्रतिनिधि को विधान-परिषद् के सम्बन्ध में बातचीत के लिए लंदन डुजाया। कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया यह दुई कि इस निमंत्रण को स्वीकार न किया जाय, क्योंकि उसमा मत था कि विधान-परिषद् का सम्बन्ध भारत के लिये विधान-निर्माण करनेसे है—इसलिये परिषद् सम्बन्धी प्रत्येक बात का फैसला लंदन में न होकर भारत में और भारतीयों द्वारा होना चाहिये। इसी कारण भारत में मंत्रि-मिशन भेजने के विचार का स्वागत किया गया था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यदि विटिश मंत्री इस विषय पर फिर कोई बात करना चाहते हैं तो उन्हें भारत आजाना चाहिए। परन्तु प्रधानमंत्री श्री पटेल के आश्वासन देने पर पंडित जवाहरलाल ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया—शायद कुछ अनिच्छापूर्वक और कदाचित अपने कुछ साथियों की और भी अधिक अनिच्छापूर्वक। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार बलदेवसिंह इंद्रलैंड में थोड़े ही समय रहे और इस अर्थ में कोई खास बात नहीं दुर्घट। आशा थी कि इस यात्रा का कुछ परिणाम न निकलेगा। भारत से आये मेहमानों से अक्षम और इकट्ठे मिलने के उपरान्त विटिश प्रधानमंत्री ने सभी भारतीय मेहमानों को आमंत्रित किया और उनके मध्य अपना ६ दिसम्बर का प्रसिद्ध वक्तव्य पढ़पर सुनाया, जिसने भारतीय राजनीति में फूट का एक और बीज बो दिया। इस घोषणा के सम्बन्ध में भारतीय नेताओं से पहले कोई परामर्श नहीं किया गया और कांग्रेस तथा सिखों के प्रतिनिधि तुरन्त वापिस आ गये, क्योंकि ६ दिसम्बर को विधान-परिषद् का अधिवेशन आरम्भ हो रहा था।

सन्नाट की सरकार ने ६ दिसम्बर को एक वक्तव्य दिया जो इस प्रकार है:—

“पंडित नेहरू और सरदार बलदेवसिंह कल सबेरे भारत को वापस जा रहे हैं, और सन्नाट की सरकार ने पंडित नेहरू, श्री जिन्ना, श्री लियाकत अली खां और सरदार बलदेवसिंह के साथ जो बातचीत चलायी थी, वह आज सार्वकाल समाप्त हो गयी।

“विधान-परिषद् में सब दलों का सम्मिलन तथा सहयोग-प्राप्त करना, इस बातचीत का उद्देश्य रहा है। किसी अंतिम निश्चय पर पहुँचने की आशा नहीं थी, क्योंकि अंतिम निर्णय करने से पहले भारतीय प्रतिनिधियों का अपने सहयोगियों से परामर्श करना आवश्यक था।

मुख्य कठिनाई मंत्रि-मिशन द्वारा १६ मई को दिये गये वक्तव्य के १६ वें पैरे की (५) तथा (८) उप-धाराओं की व्याख्या के सम्बन्ध में है। इन उप-धाराओं में भागों (सेक्शनों) की बैठकों का उल्लेख है और वे इस प्रकार है:—

पैरा १६ (५) “थे सेक्शन हर सेक्शन में शामिल किये गये प्रान्तों के प्रान्तीय विधान निश्चित करना आरम्भ करेंगे और यह भी निश्चय करेंगे कि क्या उन प्रान्तों के समूह का भी कोई विधान बनेगा और यदि बनेगा तो समूह के अधीन कैसे प्रान्तीय विषय रहेंगे। नीचे दी गई उप-धारा (८) के अनुसार, प्रान्तों को समूहों से पृथक् होने का अधिकार होना चाहिए।”

पैरा १६ (८) “नवीन वैधानिक व्यवस्था के कार्यान्वित होते ही, किसी भी प्रान्त को, इस समूह से जिसमें कि वह रखा गया है, बाहर निकल आने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसका निश्चय, नवीन विधान के अनुसार प्रथम आम निर्वाचन हो जाने के बाद, प्रान्त की नवीन व्यवस्थापिक सभा द्वारा किया जायगा।”

मंत्रि-मिशन का बाबर यही मत रहा है कि सेक्शनों के निर्णय, इसके विपक्ष में किसी समझौते के अभाव में, सेक्शनों के प्रतिनिधियों के साधारण बहुसंख्यक मतों के द्वारा किये जायें।

मुरिल्लम लीग ने इस मत को स्वीकार किया है, किन्तु कांग्रेस ने एक दूसरा मत प्रस्तुत किया है। उसका कहना है कि सारे वक्तव्य को पढ़ने पर वास्तविक अर्थ यह निकलता है कि प्रान्तों की समूह-बंदी और अपने निजी विधान दोनों के बारे में निर्णय करने का अधिकार है।

सन्नाट् की सरकार ने सलाह ली है और उससे इस बात की पुष्टि होती है कि १६ मई के वक्तव्य का वही अर्थ है, जिसे मंत्रि-मिशन हमेशा ही अपना अभिप्राय बताता रहा है। वक्तव्य के इस अंश को इसी अर्थ के साथ १६ मई की योजना का एक आवश्यक अंग समझा जाना चाहिए जिससे कि भारतीय राष्ट्र एक ऐसा विधान तैयार कर सके, जिसे सन्नाट् की सरकार पार्ल-मेंट में पेश करने में तत्पर हो सके।

परन्तु यह भी स्पष्ट है कि १६ मई वाले वक्तव्य की व्याख्या के सम्बन्ध में अन्य प्रश्न उठ सकते हैं और सन्नाट् की सरकार आशा करती है कि यदि मुरिल्लम लीग कौसिल विधान परिषद् में भाग लेना स्वीकार करे तो कांग्रेस के समान वह भी इस सम्बन्ध में सहमत हो जायगी कि किसी पच-द्वारा व्याख्या का अनुरोध किये जाने पर उस प्रश्न को निर्णय के लिये संघ-न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाय। समाट् की सरकार यह भी आशा करती है कि मुरिल्लम लीग कौसिल इस निर्णय को स्वीकार कर लेगी ताकि संघ विधान-परिषद् और सेवशनों की कार्य-पद्धति मंत्रि-मिशन की योजना के अनुसार चल सके।

अभी जिस प्रश्न के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है उसके विषय में सन्नाट् की सरकार कांग्रेस से मंत्रि-मिशन के मत को स्वीकार करने का अनुरोध करती है ताकि मुरिल्लम-लीग द्वारा अपने रख पर फिर से विचार कर सकने का मार्ग निकल आये। यदि मंत्रि-मिशन के आशय की इस प्रकार पुष्टि होने पर भी इस आधारभूत प्रश्न को संघ-न्यायालय के सुपुर्द करने की विधान-परिषद् की छव्वा हो तो ऐसा काफी पहले ही होना चाहिए। इस अवस्था में यह उचित है कि संघ-न्यायालय का निर्णय ज्ञात होने से पूर्व विधान-परिषद् के सेवशनों की बैठकों को स्थगित रखा जाय।

विधान-परिषद् की सफलता केवल स्वीकृत कार्य-पद्धति द्वारा ही सम्भव है। यदि कोई विधान किसी ऐसी विधान-परिषद्-द्वारा तैयार किया गया हो, जिसमें भारतीय जनता के किसी बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न हो, तो सन्नाट् की सरकार यह कभी द्वारा नहीं रखती—और कांग्रेस भी कह सकी है कि वह भी ऐसा द्वारा नहीं करेगी—कि ऐसे विधान को देश के किसी अनिच्छुक भाग पर जबरन लाइ दिया जाय।

ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के मतानुसार लंदन में हुई बातचीत का उद्देश्य विधान-परिषद् में सम्मिलित होने के लिए विभिन्न दलों का सहयोग प्राप्त करना था। साथ ही यह भी माना गया था कि भारतीय प्रतिनिधि अपने साथियों से सलाह किये चिना किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकते थे। मुख्य कठिनाई मंत्रि-मिशन के १६ मई के वक्तव्य पैरा १६ (१) और (८) के सम्बन्ध में थी। पहले पैरे का सम्बन्ध समूह बनाने और दूसरे का समूह से प्रान्तों के पृथक् होने से था। वक्तव्य में बताया गया है कि समूह बनाने के लिए बहुमत के सम्बन्ध में मंत्रि-मिशन का बया मत था। वक्तव्य में इस बहुमत को भाग (सेवशन) का बहुमत कहा गया है। दूसरे शब्दों में बोट प्रान्तों के अलग-अलग नहीं होंगे, बल्कि व्यक्तियों के होंगे। मंत्रिमण्डल मिशन ने लंदन में प्राप्त कानूनी सब-ह-द्वारा अपने मत की पुष्टि भी प्राप्त करकी है। किर वक्तव्य में कहा गया है कि “वक्तव्य के इस अंश को इसी अर्थ के साथ १६ मई की योजना का एक आवश्यक अंग समझा

जाना चाहिए, जिससे भारतीय राष्ट्र एक ऐसा विधान तैयार कर सके, जिसे सन्नाद् की सरकार पार्लमेंट में पेश करने में तत्पर हो सके।” इसलिए विधान-परिषद् के सभी दलों को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मंत्रिमण्डल ने कांग्रेस से मंत्रिमेशन का यह मत स्वीकार करने का अनुरोध किया है, जिससे मुस्लिम-लीग अपने रुख पर फिर से विचार कर सके। साथ ही मंत्रिमण्डल ने यह भी सिफारिश की है कि यदि इस आधारभूत तथ्य के सम्बन्ध में संघ अदालत को निर्णय के लिए कहा जाय तो ऐसा तुरन्त होना चाहिए और निर्णय होने तक परिषद् के समूहों की बैठक स्थगित रखी जाय। मंत्रिमण्डल के वक्तव्य में आगे कहा गया है:—

“परन्तु यह भी स्पष्ट है कि १६ मई वाले वक्तव्य की व्याख्या के सम्बन्ध में अन्य प्रश्न उठ सकते हैं और सन्नाद् की सरकार आशा करती है कि यदि मुस्लिम लीग को सिल विधान परिषद् में भाग लेना स्वीकार करे तो कांग्रेस के समान वह भी इस सम्बन्ध में सहमत हो जायगी कि किसी एक पक्ष-द्वारा व्याख्या का अनुरोध करने पर उस प्रश्न को निर्णय के लिए संघ-न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाय।”

वक्तव्य के अंतिम पैरा में यह धमकी दी गयी है कि “यदि कोई विधान किसी ऐसी विधान-परिषद्-द्वारा तैयार किया गया हो, जिसमें भारतीय जनता के किसी बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न हो, तो सन्नाद् की सरकार यह हरादा कर्ती—और कांग्रेस भी कह चुका है कि वह भी ऐसा हरादा नहीं करेगी—कि ऐसे विधान को देश के किसी अनिच्छुक भाग पर जबरन लाइ दिया जाय।”

वक्तव्य की सुरुप्र बातें निम्न हैं:—

( १ ) परिषद् के भागों ( सेक्शनों ) में व्यक्तियों के अज्ञग-अज्ञग बोट लिये जायें, जिससे समूहीकरण अनिवार्य हो जायगा और जिसके परिणामस्वरूप वक्तव्य के १५ ( ५ ) पैरा में कहा यह मत व्यर्थ हो जायगा कि प्रान्त समूह बनाने के विषय में स्वतंत्र रहेंगे। इस तरह जो बात ऐच्छिक थी, उसे अनिवार्य कर दिया गया और हसीं तरह प्रान्तों-द्वारा अपना विधान बनाने का अधिकार भी, जो प्रान्तीय स्वशासन की पहली आवश्यकता है, छीन लिया गया।

( २ ) इस व्याख्या को हॉलेंड के कानूनी पंडितों का समर्थन प्राप्त है। इस उक्त से बोट प्रदान करने के विषय में संघ-अदालत के निर्णय का पहले ही अनुमान कर लिया गया है और उसे प्रभावित करने की चेष्टा की गयी है। इस प्रकार निर्णय कराने की उपयोगिता नष्ट हो गयी है।

( ३ ) पंत्रिमण्डल ने मत प्रकट किया है कि अन्य किसी विवादास्पद विषय को कोई भी पक्ष निर्णय के लिए संघ-अदालत के सुपुर्द कर सकता है, किन्तु प्रस्तुत प्रश्न-यानी समूहीकरण का प्रश्न सिर्फ विधान-परिषद् की हृच्छा से ही संघ-अदालत के सुपुर्द किया जा सकता है।

( ४ ) मंत्रिमण्डल ने कहा है उसकी व्याख्या सभी पक्षों-द्वारा मान्य होनी चाहिए, जिससे सन्नाद् की सरकार नये विधान को पार्लमेंट में उपस्थित कर सके।

( ५ ) मंत्रिमण्डल ने अंतिम पैरे में एक पक्ष को उत्तेजित किया है कि यदि परिषद् में जनता के एक वर्ग को प्रतिनिधित्व न प्राप्त हो तो उसे नये विधान को स्वीकार न करना चाहिए। इससे हम वस्तुतः लाई लिनलियगो द्वारा द अगस्त १९४० को दिये वक्तव्य की स्थिति में पहुँच जाते हैं, जिसे १४ अगस्त, १९४० को श्री परमरी ने पार्लमेंट में दोहराया था कि १० करोड़ लुसाक्षमानों पर कोई विधान जबर्दस्ती नहीं लाइ जायगा और इससे १५ मार्च, १९४६ को श्री

एटली का वह चरन भंग होजाता है, जिसमें कहा गया था कि किसी अवपसंख्यक जाति को संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति नहीं रोकने दिया जायगा।

जिस समय लन्दन से कांग्रेस व सिखों के प्रतिनिधि लौटे थे उसी समय विटिश मन्त्रिमण्डल का वक्तव्य प्रकाशित हो गया था। लेकिन कांग्रेस को इस सम्बन्ध में निश्चय करने में कुछ समय लग गया। परन्तु मन्त्रिमण्डल ने कांग्रेस से वक्तव्य को स्वीकार करने का अनुरोध उचित परिस्थित में नहीं किया। यदि दो दल किसी विषय में कोई समझौता करते हैं और इस समझौते का मसविदा तैयार किया जाता है तो एक दल द्वारा उस समझौते की शर्त में परिवर्तन करना और फिर दूसरे दल से उसे स्वीकार करने का अनुरोध करना अनुचित ही कहा जायगा। विटिश सरकार ने वक्तव्य का मनमाना अर्थ लगाया और इस अर्थ को समझौते का आवश्यक अंग बना दिया और फिर कांग्रेस को धमकी दी कि यदि वह इस अर्थ को स्वीकार नहीं करती तो विटिश सरकार विधान-परिषद्-द्वारा तैयार किया गया विधान पालमेण्ट के आगे उपस्थित ही नहीं रहेगी। विटिश सरकार की यह धमकी नियम-विरुद्ध ही नहीं बल्कि नैतिक दृष्टि से विरवास-बात ही थी।

विटिश मन्त्रिमण्डल और मुस्लिम-लीग ने जो यह प्रतिक्रियापूर्ण चाल ली थी इसमें उनकी भिजी-जुली योजना क्या थी? यह स्पष्ट था कि इस तरह इसमें लीग का ही लाभ था। विटिश मन्त्रिमण्डल ने ६ दिसम्बर को एक वक्तव्य निकाला था और उसे स्वीकार करने का अनुरोध भी किया था। समूहों के सम्बन्ध में की गयी व्याख्या को भी स्वीकार करने का अनुरोध कांग्रेस से किया गया था। यदि कांग्रेस उसे स्वीकार करती है तो वह खुशी से पाकिस्तान माने लेती है। यदि वह नहीं स्वीकार करती तो वह उसमें जबर्दस्ती ले लिया जायगा। यह इस प्रकार होता कि यदि कांग्रेस व्याख्या नहीं मानती और विधान-निर्माण का कार्य शुरू कर देती तो वह १६ मई के वक्तव्य के अन्तर्गत आ जाती है, किन्तु ६ दिसम्बर वाले वक्तव्य के अन्तर्गत नहीं। इस ६ दिसम्बर वाले वक्तव्य में कहा गया था कि विटिश सरकार विधान-परिषद्-द्वारा तैयार किये गये विधान को पालमेण्ट में उपस्थित करने के लिए विवश नहीं होगी। मुख्य अवस्था में विटिश सरकार अपने १६ मई के वक्तव्य में परिवर्तन करने को तैयार हो जाती और फिर अपने ६ दिसम्बर वाले वक्तव्य के अनुसार कार्य करती। इसका क्या परिणाम होता? हम अनुमान करते हैं कि लीग क्या करती? लीग के सदस्य पहले विधान-परिषद् में सम्मिलित होते और फिर भागों (सेक्शनों) में बैठ जाते। सबाल किया जा सकता है कि ऐसा कैसे होता? १६ मई के वक्तव्य में कहा गया था कि विधान-परिषद् की प्रारम्भिक बैठक के बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन भागों में बैठ जायंगे जिसका मतलब यह था कि भागों की बैठक बुलाना विधान-परिषद् के अध्यक्ष का काम नहीं था। जैसा कि सर ईटेफर्ड किंस ने पालमेण्ट में कहा था, भाग 'बी' और 'सी' को इस प्रकार बनाया। गया था जिससे उनमें सुमलमालों का बहुमत होता और ये सदस्य स्वयं भी एकत्र हो कर अपनी बैठकें आरम्भ कर सकते थे, जिस प्रकार विधान-परिषद् ने लोगी सदृश्यों के बिना ही अपनी बैठकें की थीं। भाग 'बी' और 'सी' अपनी कार्यवाही करते और कांग्रेस द्वारा ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार न किये जाने की बात की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए विटिश मन्त्रिमण्डल से अनुरोध करते। यह भी आशा की गयी थी कि नये वक्तव्य के आधार पर 'बी' और 'सी' भागों के लिए दूसरे विधान-परिषद् की स्थापना की जासी और इस प्रकार कांग्रेस के विरोध करते रहने पर भी पाकिस्तान की स्थापना हो जाती।

इस त्रिदलीय मण्डे में अन्य दो दल चाहे जो करते लेकिन कांग्रेस का कर्तव्य विलकुल स्पष्ट था। सबाल था कि ६ दिसम्बरवाले वक्तव्य में फगड़ा संघ-अदालत के सुपुर्द करने का जो सुझाव किया गया था वैसा किया जाय या नहीं? पहली इच्छा यही होती कि ऐसा न किया जाय। परन्तु कांग्रेस कार्यसमिति ने ऐसा करने का निश्चय किया। लंदन के पन्न-प्रतिनिधि सम्मेलन में श्री जिना ने मामला संघ अदालत के सुपुर्द किये जाने की अवस्था में उसका निर्णय मानने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वे इसे वक्तव्य का महत्वपूर्ण अंश समझते थे। फिर भी कार्यसमिति अपने निश्चय से हटी नहीं। कहा गया कि विधान-परिषद् के अध्यक्ष इस सम्बन्ध में पहले एक घोषणा करेंगे, फिर परिषद् एक प्रस्ताव पास करेगी और अंत में परिषद् के अध्यक्ष संघ-अदालत के समक्ष एक अर्जी पेश करेंगे। यह निश्चय ही था कि १७ दिसम्बर के दिन लार्ड पैथिक-ज्ञारेस ने लार्ड सभा में भाषण करते हुए निम्न शब्द कहे:—

“मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह सबाल ऐसा नहीं है, जो विटिश सरकार की राय में संघ-अदालत के समक्ष उपस्थित करने-योग्य हो। ६ दिसम्बर के वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया गया था और विटिश सरकार जो अर्थ ठीक समझती है वह भी बता दिया गया था। सरकार का मत है कि सभी दलों को यह अर्थ स्वोकार कर लेना चाहिए। सरकार संघ-अदालत की चर्चा तिर्फ़ इसीलिए करती है कि विधान-परिषद् इस विषय को संघ-अदालत के सुपुर्द करना चाहती है। कांग्रेस ने यही मत प्रकट किया था। ऐसा तुरंत होना चाहिए। मैं यह विलकुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सन्नाट की सरकार १६ मई के वक्तव्य के सम्बन्ध में अपनी व्याख्या पर कायम है और संघ अदालत से अतीक करने पर भी उसका दारादा इस अर्थ से हटने का नहीं है। मुझे आशा है कि ऐसा समझौता हो जायगा, जिससे दोनों दलों की आशंका भिट सके।”

लार्ड पैथिक लारेस तथा सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने सभी सम्बन्धित दलों को यह भी आश्वासन दिया कि समूद्र संघटित होने पर किसी बड़े प्रान्त-द्वारा छाँटे प्रान्त का ऐसा विधान बनाने की कोई सम्भावना नहीं है, जिससे वह समूह से बाद में अलग न हो सके। उन्होंने कहा कि बड़े प्रान्तों-द्वारा ऐसा करना योजना की मूल व्यवस्था के विरुद्ध होता। अब कांग्रेस बड़ी दुविधा में पड़ गयी। विधान-परिषद् के कांग्रेसी दल ने यह मामला कार्य-समिति के विचार के लिए छोड़ दिया और कार्य-समिति ने कही दिन और रात इस समस्या पर सोच-विचार करने में बिताये। यदि ६ दिसम्बर का वक्तव्य नहीं माना जाता तो समूहों के लिए पृथक् विधान परिषद् बन जाती और आसाम व सीमापान्त के उस परिषद् में सर्वसमिति होने या न होने का भी कोई प्रभाव न पड़ता। इस तरह लोग का मनचीता ही होता। यदि ६ दिसम्बर का वक्तव्य अस्वीकार किया जाता या उसकी उपेक्षा की जाती तो विटेन से कूटनीतिक सम्बन्ध भंग होने के समान ही यह बात होती और तब भास्त-मंत्री वाहसराय से कहते:—“लार्ड महोदय, यह तो फगड़ा करने के बराबर है। कांग्रेस विरोध करने से डरती नहीं, किन्तु, प्रत्येक वस्तु का समय और परिस्थिति होती है और भारत के स्वाधीनता-आनंदोदयन और विटिश साम्राज्यवाद के मध्य शत्रुता होने के लिए भी समय और परिस्थिति होनी ही चाहिए। ६ दिसम्बर के वक्तव्य की स्वीकृति लीग की सबसे भारी विजय होती और कदाचित् इससे श्री जिन्ना की रियासत मटक लेने की प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहन मिलता और सम्भवतया वे समूह ‘व.’ और ‘सो’ के लिए पृथक् सेना, और केन्द्र से उनके लिए सहायता भी मांग बैठते। कार्य-समिति को इस सब पर विचार करना था। इस प्रकार कार्य-समिति के आगे और कोई मार्ग ही नहीं रह गया था। मेरठ में कांग्रेस का

अधिवेशन हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ था, जिसमें कार्य-समिति तथा सप्राट् की सरकार के मध्य हुई सम्पूर्ण व्यवस्था को कांग्रेस स्वीकार कर चुकी थी, किन्तु अब अनेक पेचीदगियों से भरी नयी परिस्थिति उपस्थित थी। कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन में हुए निश्चयों पर केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ही विचार कर सकती थी। अतः कार्य-समिति ने यह मामला उसी के सुपुर्द कर दिया। २ जनवरी १९४७ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बैठक हुई। कार्य-समिति ने २२ दिसंबर, १९४६ को एक विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित करके ही संतोष कर लिया। वक्तव्य नीचे दिया जाता है :—

“कार्यसमिति ने विटिश सरकार के ६ दिसंबर वाले तथा उसकी तरफ से हाज में पार्लमेंट में दिये गये वक्तव्यों पर विचार किया। गों कि ये वक्तव्य स्पष्टीकरण के विचार से दिये गये हैं, किन्तु वस्तुतः इनके द्वारा उस १६ मई, १९४६ के वक्तव्य में परिवर्तन किया गया है और नयी बातें जोड़ दी गयी हैं, जिस पर विधान-परिषद् की योजना आधारित थी।

“१६ मई, १९४६ के वक्तव्य के पैरा १५ में यह आवारभूत सिद्धान्त बताया गया है कि ‘विटिश भारत तथा रियासतों को मिलाकर एक संघ (यूनियन) बनाया जायगा’ और संघीय विषयों के अतिरिक्त शेष सभी विषय प्रान्तों के अधीन रहेंगे और प्रान्त समूह बनाने के लिये स्वतंत्र रहेंगे। इस तरह प्रान्त स्वरासित हकाइयां होती थीं और सिर्फ कुछ खास मामलों में ही वे संघ के अधीन होतीं। पैरा १६ में दूसरी बातों के अलावा परिषद् के विभिन्न भागों की बैठक करने, समूहों का निर्माण करने या नहीं करने के विषय में निश्चय करने और प्रान्त जिन समूहों में रखे गये ये उनमें से उनके बाहर निकलने की पद्धति बतायी गयी थी।

“२४ मई, १९४६ के प्रस्ताव में कार्य-समिति ने योजना के मूल सिद्धान्तों तथा प्रस्तावित पद्धति के बीच अंतर बताया था और कहा था कि प्रस्तावित कार्य-पद्धति-द्वारा प्रान्तीय स्वशासन के आधारभूत सिद्धान्त पर कुठाराघात होता है। इसलिए मंत्रि-मिशन ने २५ मई, १९४६ को एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि ‘वक्तव्य के पैरा १५ के सम्बन्ध में कांग्रेस ने जो इस आशय का प्रस्ताव पास किया है कि प्रान्तों को जिस समूह में रखा गया है उसमें रहने या न रहने के सम्बन्ध में वे स्वतंत्र हैं—यह मंत्रिमिशन के इरादे के विरुद्ध है। प्रान्तों के समूहीकरण के कारण स्पष्ट हैं और यह योजना का आवश्यक ग्रंथ है। इसमें सिर्फ विभिन्न दलों के मध्य समझौते द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है, परन्तु सशाल सिर्फ पद्धति का ही नहीं था, वरन् वह प्रान्तीय स्वायत्त शासन का था—यह कि किसी प्रान्त या उसके किसी हिस्से को उस की इच्छा के विरुद्ध किसी समूह में शामिल किया जा सकता है या नहीं।

“कांग्रेस ने स्पष्टीकरण किया कि उसे प्रान्तों के भागों (सेक्शनों) में जाने पर आपत्ति नहीं है, बल्कि उसकी आपत्ति अनिवार्य समूहीकरण और एक शक्तिशाली प्रान्त-द्वारा दूसरे प्रान्त का विधान उत्तोक मर्जी के विलुप्त तैयार करने पर है। वह शक्तिशाली प्रान्त मताधिकार, निर्वाचन जैत्र तथा धारासभाओं के सम्बन्ध में ऐसे नियम बता सकता है, जिससे दूसरे प्रान्त-द्वारा बाद में समूह से अलग होने की व्यवस्था ही व्यर्थ हो जाय। यह भी कहा गया था कि मंत्रि-मिशन का यह इरादा कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसा उनकी योजना के मूल आधार के ही विरुद्ध होता।

“विधान-निर्माण की समस्या के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण यही रहा है कि किसी प्रान्त या देश के भाग के विरुद्ध दबाव न ढाका जाय और स्वाधीन-भारत का विधान सभी दलों और

प्रांतों की रजामंदी से तैयार किया जाय।

“बाँड वेवल ने अपने १२ जून, १९४६ के पत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष मौज़ाना आजाद को लिखा था—‘मंत्रि-मिशन और मैं-दोनों ही आपकी समूहीकरण-सम्बन्धी आपत्तियों से परिचित हैं। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि १६ मई के वक्तव्य के अनुसार समूहीकरण अनिवार्य नहीं है। इसके अनुसार भागों में मिलकर बैठने वाले सम्बन्धित प्रांतीय प्रतिनिधियों के निर्णय पर समूहीकरण का प्रश्न छोड़ दिया गया है। व्यवस्था वेवल यही की गयी है कि कतिपय प्रांतों के प्रतिनिधि भागों (सेवशनों) के रूप में बैठेंगे, जिससे वह समूह निर्णय करने अथवा न करने का पैस़खा कर सकें।

“इस तरह जिस विधान पर जोर दिया गया था वह यही था कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है और भागों में बैठने के सम्बन्ध में भी एक विशेष कार्य-पद्धति दत्तायी गयी थी। यह कार्य-पद्धति स्पष्ट नहीं थी और इसकी व्याख्या एक से अधिक तरीके से की जा सकती थी, और, चाहे जो हो, कार्य-पद्धति किसी स्वीकृत सिद्धान्त की हत्या नहीं कर सकती थी। इसने कहा था कि वही व्याख्या ठीक कही जायगी जिससे आधारभूत सिद्धान्त की हत्या न होती हो।

“यही नहीं, प्रस्तावित योजना को अमल में लाने में सभी सम्बन्धित दलों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से इसने सिर्फ भागों में जाने की रजामंदी ही प्रकट नहीं कर दी, बल्कि इसने यह सुझाव भी पेश किया कि हम इस शन को संघ-अदालत के सुपुर्दं करने के लिए भी तैयार हैं।

“यह सभी जानते हैं कि समूहीकरण के प्रस्ताव का प्रभाव आसाम और सीमाप्रान्त पर तथा पंजाब के सिखों पर पड़ता है। इसके प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में विरोध किया है। २५ मई, १९४६ को लिखे गये पत्र में मास्टर तारासिंह ने सिखों की तरफ से भारत-मंत्री से अपनी चिन्ता प्रकट की थी और कुछ बातों का स्पष्टीकरण मांगा था। भारत-मंत्री ने इस पत्र का उत्तर १ जून, १९४६ को भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था—‘पत्र के अंत में आपने जो बातें उठायी हैं उन पर मैंने सावधानीपूर्वक विचार कर लिया है। मिशन अपने वक्तव्य में और कुछ जोड़ नहीं सकता और न उसकी अधिक व्याख्या ही कर सकता है।’

“इस स्पष्ट उक्ति के बाद भी विटिश सरकार ने ६ दिसम्बर को एक ऐसा वक्तव्य निकाला, जिसे १६ मई, १९४६ के वक्तव्य की व्याख्या और अतिरिक्त शब्दों का जोड़ना कहा जा सकता है। ऐसा उन्होंने छः महीने से भी अधिक समय के बाद किया, जिस बीच में मूल वक्तव्य के परिणाम-स्वरूप और भी कितनी ही बातें हुईं।

“इस अरसे में विटिश सरकार व उनके प्रतिनिधियों को कांग्रेस की स्थिति का अनेक बार स्पष्टीकरण किया गया और उस स्थिति को जान कर ही विटिश सरकार ने मंत्रि-मिशन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में आगे कदम उठाये। यह स्थिति १६ मई के वक्तव्य के मूल सिद्धान्तों के अनुसार थी, जिसे कांग्रेस ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था।

“इसके अलावा कांग्रेस आवश्यकता पड़ने पर इस प्रश्न को संघ-अदालत के सुपुर्दं करने की इच्छा प्रकट कर चुकी है, जिसका निर्णय सम्बन्धित दलों को स्वीकार कर लेना चाहिए। २८ जून १९४६ के दिन श्री जिन्ना को लिखे गये अपने पत्र में वाइसराय ने लिखा था कि कांग्रेस १६ मई के वक्तव्य को स्वीकार कर चुकी है। २४ मई, १९४६ को मुस्लिम लीग से सहयोग का अनुरोध करते हुए वाइसराय ने कहा था कि कांग्रेस किसी भी सम्भव विवाद को संघ अदालत के सुपुर्दं करने को तैयार है।

“मुस्लिम लीग ने अपना पहला निश्चय बदल कर एक प्रस्ताव-द्वारा मंत्रिमिशन की योजना को नामंत्रूर कर दिया और ‘प्रत्यक्ष कार्यवाही’ करने का निश्चय किया। लीग के प्रतिनिधियों ने योजना के आधार यानी अखिल भारतीय संघ कायम करने की आलोचना की है और वे भारत के विभाजन को पुरानी मांग पर वापस आ गये हैं। ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर के वक्तव्य के बाद भी लीग के नेताओं ने देश के विभाजन और दो स्वतंत्र सरकारें स्थापित करने की मांग पेश की है।

“पिछले नवम्बर के अंत में जब कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार की तरफ से अपना प्रतिनिधि लंदन भेजने का निमंत्रण मिला तब भी कांग्रेस की स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया गया था। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आश्वासन मिलने पर ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधि लंदन गया था।

“१६ मई, १९४६ के वक्तव्य की कोई नयी द्वाराख्या अथवा उसमें परिवर्तन करने के इस तथा अन्य आश्वासनों की बाबजूद अब ब्रिटिश सरकार ने एक वक्तव्य निकाला है, जो कई दृष्टियों से उस मूल वक्तव्य से आगे चला जाता है, जिसके आधार पर अबतक बातचीत हुई है।

‘कार्य समिति को खेद है कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा आचरण किया है, जो उनके अपने आश्वासनों के विरुद्ध है और जिससे भारत की बहुसंख्यक जनता के मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। इधर कुछ समय से ब्रिटिश सरकार तथा उनके भारत-स्थित प्रतिनिधियों का रुख ऐसा रहा है, जिससे देश की परिस्थिति की कठिनाइयां और पेचीड़ियां बढ़ गयी हैं। विधान-परिषद् के सदस्यों के चुनाव के इतने समय बाद उन्होंने जो हस्तक्षेप किया है इससे भविष्य में संकट उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए कार्य-समिति ने समस्या पर विचार किया है।

“कांग्रेस विधान के जरिये भारतीय राष्ट्र के सभी भागों के इन्हिं सहयोग-द्वारा स्वतंत्र भारत के विधान का निर्माण करना चाहती है। कार्य-समिति को खेद है कि लीग के सदस्य विधान-परिषद् के खुले अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए हैं। परन्तु समिति को हर्ष है कि परिषद् में जनता के अन्य सभी हितों तथा वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं और उसे हर्ष है कि उन्होंने इस कार्य में उच्च कोटि के सहयोग तथा प्रयत्नशीलता की भावना का परिचय दिया है।

‘समिति विधान-परिषद् को भारत की जनता की पूर्ण प्रतिनिधि बनाने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेगी और उसे विश्वास है कि मुस्लिम लीग के सदस्य उसे इस विषय में सहयोग प्रदान करेंगे। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति ने परिषद् के कांग्रेसी प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण विषयों पर सोच-विचार को अगली बैठक के लिए स्थगित करने की सलाह दी है।

“ब्रिटिश सरकार ने अपने ६ दिसम्बर, १९४६ के वक्तव्य में कार्यपद्धति-सम्बन्धी एक सन्देहास्पद मद को ‘आधारभूत बात’ बताया और सुझाव उत्तेजित किया कि विधान-परिषद् को उसे जलदी ही संघ-अदालत के सुपुर्द करना चाहिए। बाद में ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक दूसरे वक्तव्य में कहा गया कि यदि संघ अदालत का फैसला उसके लागाये अर्थ के विरुद्ध गया तो वह उसे स्वीकार न करेगी। मुस्लिम लीग की तरफ से भी कहा गया कि वह संघ-अदालत का निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है। और लीग देश के विभाजन की मांग हुक्माती जा रही है, जो मंत्रिमिशन योजना के मौजिक रूप से विरुद्ध है।

जबकि कांग्रेस इस प्रश्न के संघ-अदालत के सुपुर्द करने को सदा से इच्छुक रही है—इस

समय ऐसा करना अवांछनीय होगा, क्योंकि दलों में से भी कोई भी ऐसा करने अथवा संघ-अदालत का फैसला स्वीकार करने को तैयार नहीं है और दलों में से एक तो योजना का आधार ही मानने से हम्कार कर रहा है। ऐसी हालत में यह प्रश्न संघ-अदालत के सुपुद करने से कांग्रेस अथवा संघ-अदालत का मान नहीं बढ़ सकता। विटिश राजनीतिज्ञों ने अपने निरंतर वक्तव्यों से इसकी कोई आवश्यकता नहीं छोड़ी है।

“कार्य समिति का अब भी यही मत है कि भागों (सेक्शनों) में मत लिए जाने के सम्बन्ध में विटिश सरकार ने जो अर्थ लगाया है वह प्रान्तीय स्वशासन के अधिकारों के विरुद्ध है—उसी प्रान्तीय स्वशासन के, जो १६ मई के वक्तव्य में प्रस्तावित योजना का मूल सिद्धान्त है। समिति कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, जिससे विधान-परिषद् का कार्य सफलतापूर्वक चलने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो और किसी आधारभूत सिद्धान्त की बलि चढ़ाये बिना अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए वह प्रत्येक उपाय करने को तैयार है।

“देश के समाने उपर्युक्त समस्याओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए और होनेवाले निर्णयों के जो परिणाम हो सकते हैं उनका अनुमान करते हुए समिति जनवरी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक दिल्ली में बुला रही है, जिससे उचित निर्देश प्राप्त किया जा सके।

५ जनवरी, १९४७ को, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, परिस्थिति बहुत कुछ यह थी। श्री जिन्ना की अथवा मुस्लिम लीग की सफलताओंकी संख्या बढ़ती जा रही थी—इस कारण नहीं कि उन्होंने कोई जोरदार आनंदोलन चलाया हो, बल्कि अपने नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण और इसलिए कि प्रायः प्रत्येक अवसर पर उन्होंने निक्षिप्त प्रतिरोध किया। राष्ट्रीय आनंदोलन के मध्य कांग्रेस की जो हानि हुई उससे लीग का ज्ञाम हुआ:—

### हानि

१९०५—बंगाल का विभाजन १६-१०-१६०५, स्वदेशी की नयी भावना, स्वराज्य की विचारधारा, बायकाट आनंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा—कांग्रेस द्वारा कष्ट सहन।

१९१६—युद्ध होमरुल, आनंदोलन, श्रीमती बेसेन्ट का नेतृत्व, कांग्रेस द्वारा घोर कष्ट सहन।

१९२१—नमक सत्याग्रह, ६० बन्दी, सत्याग्रह आनंदोलन, सहस्रों के इस्तीफे, लाठी-चार्ज और गोली-कांड।

१९४२—‘भारत छोड़ो’ आनंदोलन (१९४२ से १९४५ तक) असंख्य व्यक्ति बंदी बनाये गये और भूमि तथा आकाश से गोलियां चलायी गयीं।

१९४६—बातचीत जारी, मंत्रिमिशन-विटिश मंत्रिमण्डल का ६ दिसम्बर का वक्तव्य।

१९४७—(क) यदि आप ६ दिसम्बर के वक्तव्य को स्वीकार नहीं करते।

(ख) यदि आप स्वीकार करते हैं।

१९४८—

### लाभ

१९०६—हिज हाइनेस आगाखां के नेतृत्व में मुसलमानोंका डेपुटेशन लार्ड मिरटो से मिला—मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन का अधिकार मिला।

१९१६—मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रान्तों में मुसलमानों को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व।

१९२१—अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों को दिये गये। दूसरी गोलमेज परिषद्।

१९४५—प्रथम शिमला सम्मेलन में हिन्दू-मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की स्वीकृति।

१९४६—२ मई का दूसरा शिमला सम्मेलन समूही-करण का सिद्धान्त

१९४७—(क) दो पृथक् विधान परिषद्

(ख) समूहों की पृथक् सेनाएं

१९४८—सेनाओं (ख) के लिए केन्द्र से आर्थिक सहायता।

१९४७ का नया साल कांग्रेस और देश के लिए महान् घटनाएं लेकर शुरू हुआ। ५ जनवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन यह विचार करने के लिए हुआ कि ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार किया जाय या नहीं। इस समस्या पर विस्तार से विचार किया जा चुका है। फिर भी नयी दिली के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के बाद वह जिस रूप में प्रकट हुआ उसकी चर्चा आवश्यक है। अधिवेशन कंसटीट्यूशन कलब में हुआ, जो कंसटीट्यूशन हाउस से सम्बन्धित है, और जिसमें विधान परिषद् के अधिकांश सदस्यों के बचावार हैं। वहस के मध्य आसाम के मित्रों ने प्रमुख रूप से भाग लिया। वे चाहते थे कि कांग्रेस हाई कमांड ने जो यह वचन दिया था कि आसाम को 'सी' समूह में जबरन ढकेला न जायगा, वह पूरा किया जाय। वे एक घटना से परेशान थे। राष्ट्रपति ने २५ मई के एक वक्तव्य में पहले कहा कि कार्य-समिति ने प्रान्तों के सेवानाओं में विभाजित हुए की बात स्वीकार नहीं की है। फिर उन्होंने सितम्बर, १९४६ में अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष की हैसियत से रेडियो पर भाषण करते हुए प्रान्तों के सेवानाओं में जाने की बात स्वीकार कर ली। आसाम के मित्रों ने कहा कि ऐसा करके वचन भंग किया गया है। उन्हें यह भी स्मरण हुआ कि अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष किस प्रकार अपनी और अपने साथियों की हँड्डा के विरुद्ध इंगलैंड गये और अपने देश को उन्होंने एक ऐसे फ्रेजे में पैंसा लिया, जिसमें उन्हें खुद या देश को निकलना मुश्किल था। इन दोनों ही घटनाओं ने आसाम के मित्रों की आस्था कांग्रेस हाईकमांड के आशावासनों में घटा दी। आसाम के मित्रों का यह भी विश्वास था कि ६ दिसम्बरवाले वक्तव्य के अंतिम पैरे से उनकी रक्षा नहीं हो सकती, बगांकि उससे मतलब मुख्यतः मुसलमानों से है और यदि कल्पना की किसी उड़ान-द्वारा उसे प्रत्येक वर्ग और परिस्थिति पर लागू किया जा सके तो यह संदिग्ध ही है कि 'सी' भाग (सेवन) में आसामियों की उपस्थिति को कहीं भाग (सेवन) में प्रान्त का प्रतिनिधित्व न मान लिया जाय। वक्तव्य में अंतिम पैरे के शब्द इस प्रकार थे:—

“यदि कोई विधान किसी ऐसी विधान-परिषद् द्वारा तैयार किया गया हो, जिसमें भारतीय जनता के किसी बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न हो, तो सभाया की सरकार यह कभी इरादा नहीं रखती कि ऐसे विधान को देश के किसी अनिवृत्त भाग पर जबरन लाद दिया जाय।”

जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह ‘प्रतिनिधित्व’ है। आसाम वाले मित्रों को आशङ्का थी कि उनकी उपस्थितिमात्र से प्रतिनिधित्व का मतलब लगा जायगा और जिन शहरों की सद्व्याप्ता से आसाम की रक्षा की आशा की जा रही है उनसे उसकी रक्षा नहीं हो सकेगी, यही उनकी भावना थी।

इसके अक्तावा समस्या ६ दिसम्बरवाले वक्तव्य को स्वीकार करने या न करने की थी। पहले ही बताया जा चुका है कि वक्तव्य में व्याख्या ही नहीं है, बल्कि कुछ जोड़ भी दिया गया है। ५ और ६ जनवरी की स्थिति की समीक्षा हम करते हैं। यदि वक्तव्य को अस्वीकार किया जाता है तो मतलब यह हुआ कि कांग्रेस १६ मई के वक्तव्य (जैसा उसका श्र्यं ६ दिसम्बर वाले वक्तव्य में लगाया गया था) से भी सम्बन्ध त्यागती है और इस प्रकार मुस्लिम लीग को विधान परिषद् में समिलित होने का अवसर नहीं दे सकती। मुस्लिम लीग को समूह 'बी' और 'सी' का विधान तैयार करने और उनके लिए एक केन्द्र स्थापित करने में कठिनाई होती और इसीलिए वह ब्रिटेन से नयी योजना मांगती, जो ब्रिटेन उसे सहर्ष दे देता। बहाना यह बनाया जाता कि कांग्रेस ने ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार नहीं किया और इसीलिए पहले वाला वक्तव्य और उसमें

निर्धारित योजना भी रद हुई। इस तरह अंग्रेजों को अपने वचन से मुकरने का अवसर मिल जाता और वे १६ मई के उस वक्तव्य से भी हट जाते, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान व्यावहारिक हल नहीं है और सम्पूर्ण देश में एक केन्द्र रहना आवश्यक है। परन्तु अब वे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के लिए दो केन्द्रों की योजना बनाते और दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों को आगे बढ़ाते, जिनसे वचना आवश्यक था। अस्तु जीवं को पाकिस्तान देने का सबसे सुगम तरीका ६ दिसम्बर वाले वक्तव्य को अस्वीकार कर देना था।

परन्तु यदि वक्तव्य को स्वीकार करना था तब भी उतने ही बुरे खतरों से सामना होना था। उस हाजरत में श्री जिन्ना की हेकड़ी उठकर आसमान से छू जाती और वे कुछ और भी शर्त मंजूर करा लेते। इनमें एक शर्त समूह की सेना रखना होती और यदि कोई विदेशी सेना आक्रमण करता तो यह उसके साथ मिलकर देश की सेना को पराजित करने की चेष्टा करती। यही नहीं, जिन्ना साहब धारासभा, सेना और नौकरियों में आधे-स्थान-अपने लिए मांगते। ये भूठे आरोप-मात्र नहीं हैं। उन दिनों जैसी हालत थी उनसे कहा नहीं जा सकता था कि हिन्दुस्तान अंत में रूस के हाथ में पड़ेगा या अरब-संघ की अधीनता में जायगा? इन सभी परिस्थितियों को महेनजर रखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बहुमत से कार्य-समिति के सुमाव को स्वीकार बर किया और यह मामला यहीं समाप्त होगया।

यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव (जो नीचे दिया गया है) के पैरा ४ में वर्णित एक विशेष परिस्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि “यदि किसी प्रान्त या प्रान्त के भाग पर इस प्रकार का दबाव डालने का प्रयत्न किया जाय तो उसे सम्बिधित जनता की ‘इच्छा’ के अनुसार कर्तव्याई करने का अधिकार है।” यह वाक्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक तथा श्री जिन्ना के विधान-परिषद् में जाने का निश्चय करने के मध्य की किसी अप्रत्याशित स्थिति से सामना करने के सम्बन्ध में है। इस प्रस्ताव-द्वारा सहयोग का जो हाथ बढ़ाया गया है उसे ग्रहण करने को यदि श्री जिन्ना तैयार हुए, तब तो आसाम को संदेह करने का कोई कारण ही न था। परन्तु यदि श्री जिन्ना ने स्पष्टीकरण की मांग की यानी दूसरे सबदों में सौदेबाजी शुरू कर दी और नया पेचीदगी उठने की सम्भावना उत्पन्न हुई, तो आसाम चौकना होकर निश्चय करेगा कि उसे समिलित होना चाहिए अथवा नहीं। अस्तु, आसाम के सोच-विचार के लिए काफी समय था और प्रत्येक परिस्थिति और तत्कालीन आवश्यकताओं का स्थान करते हुए ही प्रस्ताव में यह वाक्य जोड़ा गया था और ऐसी कोई बात नहीं थी कि आसाम को ऐसे समूह में समिलित होने को विवश किया जाय, जिसमें वह न जाना चाहता हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आसाम का मूल्य तुका कर शान्ति नहीं खरीदना चाहती थी। कमेटी का प्रस्ताव इस प्रकार है:—

“अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछले नवम्बर के मेरठ-अधिवेशन से अब तक होनेवाली घटनाओं, ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के ६ दिसम्बर के वक्तव्य और कार्यसमिति के २२ दिसम्बर, १९४६ वाले वक्तव्य पर विचार करने के बाद कांग्रेस को निम्न सलाह देती है:—

(१) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यसमिति के २२ दिसम्बर, १९४६ के वक्तव्य का पुष्टि ढारती है और उसमें प्रकट किये विचारों से सहमति प्रकट करती है।

(२) गोकि कांग्रेस विधादास्पद प्रभ की व्याख्या का मामला संघ अदालत के सुपुर्दं करने के पक्ष में इमेशा से रही है; किन्तु ब्रिटिश सरकार की हाल की घोषणाओं को महेनजर रखते

हुए अब ऐसा करना विलक्षण निरुद्देश और अवांछनीय हो गया है। यदि सम्बन्धित दल निर्णय को स्वीकार करने को तैयार हों और यह आधार मानने को तैयार हों तभी यह मामला संघ अदालत के सुपुर्द किया जा सकता है।

( ३ ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यह दृष्ट मत है कि स्वतंत्र भारत के विधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा और अधिक से अधिक विस्तृत मतैक्य के आधार पर होना चाहिए। इस कार्य में किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और किसी प्रान्त-द्वारा दूसरे प्रान्त अथवा प्रान्त के भाग पर दबाव न डालना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस महसूस करती है कि कुछ सूचों में जैसे आसाम, बलोचिस्तान, सीमाप्रान्त, और पंजाब के खिलों के मार्ग में विद्युतिश मिशन के १६ मई, १९४६ वाले वक्तव्य से, और खासकर ६ दिसम्बर, १९४६ वाले वक्तव्य की व्याख्या-द्वारा, काठिनाईयां उपस्थित की गयी हैं। जिन लोगों के साथ यह जबर्दस्ती की जा रही है उन पर दबाव डालने में कांग्रेस इसमा नहीं ले सकती। यह एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसे खुद विद्युतिश सरकार ने मंजूर किया है।

( ४ ) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस बात के लिए उत्सुक है कि विधान-परिषद् स्वाधीन भारत के लिए विधान बनाने का कार्य सभी सम्बन्धित दलों का सदूभावनासे करे, जिससे व्याख्या की विभिन्नता से उठनेवाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके, और परिषद् संकशरों में अनुसरण की जानेवाली कार्य-पद्धति के विषय में भी विद्युतिश सरकार की व्याख्या को स्वीकार कर ले। परन्तु यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि इसके कारण किसी प्रान्त पर अनुचित दबाव न पड़ना चाहिए और साथ ही पंजाब में खिलों के अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए। यदि दबाव डाला गया तो किसी प्रान्त या प्रान्त के भोग को जनता की हड्डियां पूरी करने के लिए आवश्यक कारंवाई करने का अधिकार होगा। भावी कार्यक्रम आगे की घटनाओं पर निर्भर रहेगा और इसी-लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य-समिति को निर्देश करती है कि वह प्रान्तीय स्वशासन के आधारभूत सिद्धान्तों का ध्यान रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर सजाह प्रदान करे।

गोकु आशा यह की जाती थी कि मुस्लिम लीग ६ जनवरी को पास किये गये कांग्रेस के प्रदाव पर विचार करने के लिए अपनी बैठक कुछ पहले तुलायेगी-किन्तु लीग की बैठक विधान-परिषद् होने की तारीख के ६ दिन बाद २६ जनवरी को तुलायी गयी। इससे स्पष्ट था कि लीग का इरादा विधान-परिषद् में सम्मिलित होने का नहीं था।

जनता की आशंका ठीक चिकित्सा। सप्ताह प्रांत-सप्ताह लेखक सोचता रहा कि कहीं लीग के सम्बन्ध में उसकी आशंका गलत न हो। परन्तु लीग की बैठक २६ जनवरी को ही हुई और उसने विधान-परिषद् में भाग न लेने का निश्चय किया।

लीग की कार्य-समिति ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ६ जनवरी के प्रस्ताव को बेद-मानी से भरी चाल और शब्दाद्धम्बर बताया, जिसका उद्देश्य विद्युतिश सरकार, मुस्लिम लीग और खोकमत को खोला देना था। आरोप यह था कि सिद्धांतों तथा कार्य-पद्धति के विषय में जो निश्चय किये गये हैं वे १६ मई, १९४६ के वक्तव्य के लेत्र से परे हैं और हांग्रेस ने विधान-परिषद् को जैसा रूप दिया है वैसा देने का मंत्रि-मिशन का उद्देश्य कदापि न था। लीग की कार्य-समिति ने सभाट की सरकार से यह खोलणा करने को कहा कि मंत्रि-मिशन की योजना असफल हुई है। लीग ने यह भी मत प्रकट किया कि विधान-परिषद् के लिए जो चुनाव हुए हैं वे अनियमित हैं और परिषद् में हुई कार्यवाही और निश्चय भी अनियमित ही हैं।

लंदन के 'टाइम्स' पत्र ने मुस्लिम लीग की कार्य-समिति के इस निश्चय को मूर्खतापूर्ण बताया और कहा कि कार्य-समिति इस अवसर से ज्ञाम उठाने में अत्यर्थ प्रमाणित हुई है। पत्र ने कहा कि योजना असफल नहीं हुई, किन्तु लीग ही बाधा उपस्थित करने की आँखें चल रही हैं। उसने गह भी कहा कि विधान-परिषद् न तो एक दब्र की प्रतिनिधि है और न उसमें सिर्फ हिन्दू ही हैं। विधान-परिषद् में गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है।

इसमें शक नहीं कि लीग की आँखें थका देनेवाली थीं और उन्हें अधिक सहन नहीं किया जा सकता था। अंतरिम सरकार में लीग के प्रतिनिधियों की स्थिति के विषय में संदेह प्रकट करने में अधिक समय बर्बाद नहीं किया गया और दोनों राजनीतिक दलों और वाहसराय, तथा वाहसराय और विटिश मंत्रिमण्डल के मध्य हुए पत्र-ब्यवहार को गुप्त रखा गया। परन्तु पत्र-ब्यवहार में क्या होगा, इसका अनुमान किया जा सकता। लीग के प्रस्ताव के तीन सप्ताह बाद ही समाचारपत्रों में खबरें आने लगीं कि शायद लार्ड वेवल को वापस बुखा किया जाय और १८४७ को इस आशय का नियमित संवाद भी आ गया और उसके बाद ही विटिश प्रधानमन्त्री का यह वक्तव्य भी मिला कि अंग्रेज अगले वर्ष (जून १८४८) को भारत छोड़ रहे हैं।

२० फरवरी को हाउस आफ कामन्स में बोलते हुए विटिश प्रधान-मंत्री श्री क्लेमेंट एटली ने कहा:—

“बहुत समय से विटिश सरकार की नीति रही है कि भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी जाय। इसी नीति के अनुसार भारतीयों को अधिकाधिक दायित्व सौंपा जाता रहा है और आज नागरिक शासन तथा नेताओं की बागडोर बहुत हद तक भारतीय असैनिक व सैनिक अफसरों के ही हाथ है। वैधानिक लेन्ड्र में भी, १८१६ तथा १८३५ में विटिश पार्लीमेंट-द्वारा पास किये गये विधानों द्वारा काफी राजनीतिक अधिकार भारतीयों को दिये गये। १८४० में संयुक्त सरकार ने इस सिद्धान्त को मान किया कि स्वाधीन भारत के क्षिए भारतीय अपना विधान आप बनायें और १८४२ के प्रस्ताव में तो उन्होंने युद्ध के पश्चात् इस कार्य के लिये उन्हें एक विधान-परिषद् भी स्थापना करने के लिये आमंत्रित भी कर दिया।

संग्राम की सरकार की भावशाला है कि यद्यपि नीति उचित है। भारत भेजे जानेवाले मंत्रिमण्डल ने पिछले वर्ष भारतीय नेताओं से विचार-विनियम करने में तीन मास से अधिक समय व्यतीत किया जिससे कि भावी विधान की रूपरेखा आपस में तय की जा सके और शक्ति सौंपने का कार्य सुगमता तथा शोभापूर्वक सम्पन्न हो सके। जब मिशन को यह विश्वास हो गया कि उनके पहल किये बिना कोई समझौता हो ही नहीं सकता, तभी उन्होंने अपने प्रस्ताव पेश किये।

ये प्रस्ताव पिछली मई में जनता के सम्मुख प्रस्तुत किये गये थे। इनके अनुसार यह निश्चय किया गया था कि भारत का भावी विधान वर्णित ढंगों से स्थापित विधान-परिषद्-द्वारा बनाया जाय और इस परिषद् में विटिश भारत व भारतीय रियासतों के सभी वर्गों व समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया जाय तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि समिक्षित हों।

प्रतिनिधि-मण्डल के लैट आने के बाद से केन्द्र में बहुसंख्यक जातियों के राजनीतिक नेताओं की एक अंतर्कालीन सरकार स्थापित करदी गयी है जिन्हें वर्तमान विधान के अन्तर्गत विशाल अधिकार प्राप्त हैं। सब प्रान्तों में असेम्बलियों के प्रति उत्तरदायी भारतीय सरकारें ही शासन कर रही हैं।

लैट की सरकार के लिये यह खेद का विषय है कि अभी तक भारतीय दलों में मतभेद है

जिसके कारण विधान-परिषद् का वह कार्य सुचारू रूप से चलने में बाधाएँ उपस्थित हो रही हैं जिस के लिये परिषद् की स्थापना हुई थी। इस योजना का सार यह है कि यह परिषद् पूर्णरूप से प्रति-निधित्व करनेवाली होनी चाहिये।

सन्नाट की सरकार की यह इच्छा है कि मंत्रि-मिशन की योजना के अनुसार, भारत के विभिन्न दलों की स्वीकृति से बनाये गये विधान-द्वारा निःश्वत अधिकारियों को आपना दायित्व सौंप दिया जाय। किन्तु हुर्भाग्यवश ऐसे विधान तथा अधिकारियों का अस्तित्व इस समय समझ नहीं मालूम होता। वर्तमान अनिश्चित स्थिति विषय की आशङ्काओं से परे नहीं है और ऐसी स्थिति अनिश्चित समय तक रहने भी नहीं दी जा सकती। सन्नाट की सरकार स्पष्ट रूप से अपने इस निश्चय को सूचित कर देना चाहती है कि वह जून १९४८ तक जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में शक्ति सौंप देने के कार्य को सम्पन्न कर देगी।

यह विशाल देश, जिसमें अब चालीस करोड़ से अधिक व्यक्ति रहते हैं, गत एक शताब्दी से ब्रिटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में सुरक्षा तथा शान्ति का जीवन बिताता रहा है। यदि भारत को अपने आर्थिक साधनों में उन्नति करनी है तथा भारतीय जनता के रहन-सहन के मान की उच्च बनाना है तो आज शान्ति तथा सुरक्षा का रहना सब से अधिक आवश्यक है।

सन्नाट की सरकार ऐसी सरकार को अपने दायित्व सौंपने को लालायित है जो जनता के सहयोग की दृढ़ नींव पर खड़ी होकर भारत में न्याय तथा शान्तिपूर्ण शासन कर सके। इसलिये यह आवश्यक है कि सब दल आपसी मतभेदों को भुजाकर अगले वर्ष आगेवाले भारी उत्तर-दायित्व को संभालने के लिये तैयार हो जायँ।

मर्हानों के कठिन परिश्रम के बाद मंत्रि-मिशन विधान-निर्माण की बहुत हद तक स्वीकृत परिषाटी ढूँढ़ लेने में सफल हुआ था। यह उनके पिछली मई के बख्तर्य में स्पष्ट कर ही गयी थी। सन्नाट की सरकार ने तब यह स्वीकार कर लिया था कि वह पूर्ण प्रतिनिधित्वप्राप्त विधान-परिषद्-द्वारा इन प्रस्तावों के अनुसार बनाये गये विधान की पार्लीमेंट में सिफारिश करेगी। किन्तु यदि उपरोक्त ७वें पैरे में निश्चित की गयी तिथि तक सब प्रकार से प्रतिनिधित्वपूर्ण परिषद्-द्वारा ऐसा विधान न बनाया जा सका तो सन्नाट की सरकार को यह विचार करना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय सरकार का दायित्व पूरे का पूरा, ब्रिटिश भारत की किसी केन्द्रीय सरकार को या विभक्त करके वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को, अथवा किसी ऐसे ढंग से जो सर्वोचित तथा भारतीयों के लिये सर्वाधिक आभूषण हो, सौंपा जाय।

यर्थपूर्ण जून १९४८ तक पूर्ण दायित्व सौंपा जाना शायद समझ न हो, तब भी उसके लिये आवश्यक तैयारियां तो पहले से ही होनी चाहियें। यह आवश्यक है कि शासन के अधिकारियों की कार्यसमता उतना ही ऊँची रक्ती जाय जितनी अब तक रही है तथा भारत की रक्ती का कार्य सुचारू रूप से हो। किन्तु यह निश्चित है कि ज्यों-ज्यों दायित्व सौंपने का कार्य आगे बढ़ता जायगा, भारत-सरकार के १९३५ के कानून की शर्तों को निभाना अधिकाधिक कठिन होता-जायगा। निश्चित समय पर पूर्ण रूप से दायित्व सौंपने का विधान आगू हो जायगा।

जैसा कि मंत्रि-मिशन द्वारा साफ-साफ बताया गया था, सन्नाट की सरकार अपनी सार्वभौमसत्ता (प्रभुसक्ति) के अंतर्गत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारत की किसी भी सरकार के सुपुर्द नहीं करना चाहती। अंतिम रूप से दायित्व सौंपने से पहले सन्नाट की सार्वभौम सत्ता का अन्त कर देने की कोई इच्छा नहीं है; किन्तु यह विचार किया जा रहा है कि इस अन्तर्काल में व्यक्ति-

गत रूप से सम्राट् हर देशी रियासत से पारस्परिक परामर्श-द्वारा अपने सम्बन्ध स्थिर करें।

दायित्व तथा तकनीकी समझौतों के लिये सम्राट् की सरकार उन दलों के प्रतिनिधियों से यातचीत करेगी जिनको वह दायित्व सौंपने का निश्चय करेगी।

सम्राट् की सरकार को यह विश्वास है कि नई परिस्थितियों में ब्रिटिश व्यापारियों तथा औद्योगिकों को अपने कार्य के लिये भारत में उचित स्थान प्राप्त होगा। भारत तथा ब्रिटेन के व्यापारिक सम्बन्ध बहुत पुराने तथा मत्रीपूर्ण रहे हैं और पारस्परिक ज्ञान के लिये वे ऐसे ही चलते रहेंगे।

इस वक्तव्य को समाप्त करने से पूर्व सम्राट् की सरकार हस्त देश के लोगों की ओर से भारतीयों के लिये ऐसे समय शुभांकांपए भेजे बिना नहीं रह सकती जबकि वे पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इन द्वीपवासियों की यह कामना रहेगी कि वैधानिक अद्वावदल के बावजूद ब्रिटिश तथा भारतीय जनता के समर्पक का अन्त नहीं होगा और वे अपनी शक्ति भर भारत की भजाई के लिये प्रयत्नशील रहेंगे।

आज की जानेवाली घोषणा को जानने के लिये सभा उद्घिन होगी। युद्ध के प्रारम्भ से मध्यपूर्व, दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा भारत में अपूर्व कुशलता से उच्च सैन्य पदों का भार सुचारू रूप से संभालने के पश्चात फ़िल्ड-मार्शल माननीय वाहकाउन्ट वेवल को १९४३ में वाहसराय नियुक्त किया गया था। यह स्वीकार किया गया था कि यह नियुक्त युद्धकाल के लिये होगी। ऐसे कठिन समय में लार्ड वेवल ने इस उच्च पद का कार्य बड़ी लगन तथा निष्ठा से निभाया है। जब भारत नवीन तथा अंतिम स्थिति को प्राप्त होने जा रहा है यह सोचा गया है कि यह समय इस युद्धकाल की नियुक्ति को समाप्त करने के लिये उपयुक्त है। सम्राट् ने एडमिरल वाहकाउन्ट मार्डिं-वेटन की नियुक्ति लार्ड वेवल के स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक की है जिनको भारत की भावी समृद्धि तथा सम्पन्नता को दृष्टिकोण में रखते हुए भारत-सरकार का दायित्व भारतीय हाथों में सौंपने का भार दिया जायगा। यह परिवर्तन मार्च मास में सम्पन्न होगा। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि सम्राट् ने प्रसन्नतापूर्वक वाहकाउन्ट वेवल को अर्ल की पदवी देना स्वीकार किया है।”

वक्तव्य स्तोत्र की तरह अस्पष्ट है, किन्तु वह ऐसा नहीं है कि उसके दो अर्थ लगाये जा सकते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि वक्तव्य की विभिन्न व्याख्याएँ की जा सकती हैं, किन्तु वक्तव्य में अनेक विकल्प इस तरह रखे गये थे, जिससे जिन व्यक्तियों को सत्ता हस्तांतरित की जानेवाली थीं वे विकल्पों के अनेक अर्थ लगा सकें। कांग्रेस आशा कर सकती थी कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था के रूप में, और एक ऐसी संस्था के रूप में जिसका अल्पसंख्यक समुदायों से (जिनमें सुसङ्गत मान भी थे) गहरा सम्बन्ध था, उसे विशेष महत्व मिलना चाहिए था। उधर लोग “पूर्ण प्रातिनिधिक” शब्दों के महत्व पर निर्भर थीं और उसकी आशा थी कि जब तक वह विधान-परिषद् में भाग नहीं लेती तब तक परिषद् को “पूर्ण प्रातिनिधिक” नहीं कहा जा सकता और इस तरह लोग के दावे को पूरी तरह माना जायगा।

उधर रियासतों का प्रोत्साहन यह कह कर बढ़ाया गया कि मत्ता अंतिम रूप से हस्तांतरित करने तक प्रभु-शक्ति की प्रणाली का अन्त नहीं किया जायगा और दरमियानी काल में रियासतों की शासक-शक्ति से नये सम्बन्ध कायम किये जा सकते हैं। यह कहने के अलावा कि ब्रिटेन भारत को रहा है, अंग्रेजों की तरफ से विभिन्न दलों में—यानी कांग्रेस, लोग और रियासतों में—एकता स्थापित करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया।

गोकि वत्तव्य के कुछ भाग अस्पष्ट थे फिर भी कांग्रेस को वह बुद्धिमत्तापूर्ण और साहसिक जान पड़ा। जो भी हो, विधान-परिषद् को अब अधिक तेजी से काम करना चाहिए। सत्ता-हस्तांतरण के स्थित आवश्यक कार्रवाई तुरन्त आरम्भ हो जाना चाहिए, और यह सब बड़ा ही आकर्षक जान पड़ा।

सब से आवश्यक बात वाहसराय की बरखास्तगी थी। जिस तरह यह संवाद पहले प्रकट हुआ और बाद में सन्नाटे के रिश्ते के भाई लार्ड माउंटबेटन की नियुक्ति की बात ज्ञात हुई, उससे प्रकट हो गया कि लार्ड वेल ने अपनी हच्छा से हस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उन्हें अपने पद से हटाया गया था। श्री चर्चिल ने पार्लीमेंट में जो कदु आलोचना की उससे यह और भी स्पष्ट हो गया। लार्ड वेल को अपनी तरफ से वक्तव्य देने की स्वतंत्रता दे दी गई।—उससे इस विचार की और भी पुष्ट हुई। इस तरह लार्ड वेल आये। उन्होंने देखभाल की, वे बोले, उन्होंने कार्रवाई की, नुस्खेबाजी की और अपने कार्य से अवकाश ग्रहण कर लिया। इस तरह वाहसराय आये और गये, किन्तु भारत छटान की तरह अचल बना रहा। देश में जो तकान उठे उनसे वह हित नहीं उठा। सभ्यताएं आईं और विलुप्त हो गईं। उनसे वह अद्भूत बना रहा। जाति के बाद जाति आकर उसमें समा गयी और संस्कृति के बाद संस्कृति तथा धर्म के बाद धर्म में उसमें विलीन होगये। इसी तरह भारत अपने सुन्दर तथा धुंधले प्रागेतिहासिक अतीत के युगों में अनन्त शक्ति तथा चिरंतन महात्व की परम्पराओं को जन्म देता रहा है और बहुमुख्य बर्पोती के रूप में उनकी भेट न यी पीढ़ियों को देता रहा है, जिससे विश्वास और आशा से भरे भविष्य का निर्माण किया जा सके—एक ऐसा भविष्य जो वयोवृद्ध और प्रदात्यक्ष होगा। इसी तरह उसकी सत्त्व और अहिंसा की ज्योति का प्रकाश संसार के दूर-से-दूर कोने में पहुंच चुका है और युगों-युगों में यह प्रमाणित होस्तुका है कि आत्मा पार्थिव वस्तुओं से बड़ा है, संवा शक्ति से महान् है और प्रेम घृणा की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिवान् है। इसी तरह विजित, युद्धाम और पद-दलित भारत ने संसार के राष्ट्रों के मध्य एक सत्तासम्पन्न, स्वतंत्र प्रजातंत्र के रूप में सिर उठाया है। उसने नयी और पुरानी दुनिया के आगे स्वतंत्रता की ज्योति जलायी है, जिसकी किरणें उस दैवी घटना पर—“मनुष्य की पार्लीमेंट और विश्व के संघ” पर केन्द्रित हैं और इसके लिए भारत को संसार के सब से महान् व्यक्ति से, जो सन्त, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सभी कुछ है और जिसने जीवन के सौन्दर्य-द्वारा मनुष्य में एकता स्थापित करने का नुस्खा निकाल लिया है, प्रेरणा मिली है।

X                    X                    X                    X                    X

### पूरक

यदि इतिहास को घटनाओं का एक ऐसा प्रवाह मान लें, जिसमें कि हरेक घटना दूसरी के साथ केवल काढ़-कर्म से नहीं वरन् मनोवैज्ञानिक रूप से सम्बद्ध है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि ये घटनाएँ एक प्रसंग के चारों ओर जमा होती हैं और उनमें से दार्शनिक विचार पैदा होते हैं। एक क्रौम-द्वारा दूसरी क्रौम का क्रूटह हो जाना कभी फुटकर घटना नहीं कहला सकती। यह तो विजित जाति के जीवन की पंगुता और विजयी या शासक के शासन-मद् का अनिवार्य परिणाम है। हर हालत में, उदासीनता और सम्मोहन दोनों मिलकर जातीय आत्मस्थ को जन्म देते हैं जिससे उस जाति के सामाजिक और आर्थिक जीवन में अकर्मण्यता तथा अवनति का प्रादुर्भाव होता है। शक्तिशाली जीवों भी गिरगिट और बगुले की तरह सदा सावधान रहती हैं और मौका पासे ही अपने कमज़ोर शिकार पर तेज़ी से टूट पड़ती है। हिन्दुस्तान की हालत न्यारी थी।

मनोभावनाओं में निमग्न, परजोक के चिन्तन में डूबा हुआ भारत, अपने चारों ओर विरोधी शक्तियों के जमाव से बे-खबर रहा। परिणाम यह निकला, कि एक-के-बाद दूसरी विदेशी क्रौम ने इस देश को अपने लुंगुल में फाँस कर, इसका धन-दौलत लटा, धर्म अष्ट किया, उत्पत्ति तथा समृद्धि के साधनों का शोषण किया, जनता को दुर्बल और सारी क्रौम को निष्पाण कर दिया। यूनानी, ईरानी, तुर्क, मुराज, फँच और अंग्रेज़ विदेशियों के निश्चित हमलों ने इसे ऐसा कुचल डाला, कि युरोपियन की गुप्त कूट-नीति अपना काम कर गई। वह स्वायत्त शासक बना रहा; लेकिन, ऐसी चालें चलता रहा कि जिन्हें वैधानिक शासन माना जाय। इस प्रकार, उसने फ़ाइ-कॉटों में भी कुछ ऐसा पौदा बो दिया, जिसे अनुकूल धरती मिल गई और वह काफ़ी फज़ लाय।

इसी पौदे के बढ़ने-फूलने की कथा इहले दो भागों में वर्णन की गई है।

कैविनेट-शिष्टमंडल, १९४६ की बसन्त ऋतु में आया और जाते हुए पीछे अपने चरण निहृ छोड़ गया था। उन्हीं के चारों ओर घटनाओं का झुरझट लग गया। १९ क्रांतिरी १९४७ को लंदन में प्रकाशित किये गये ह्वाइट पेपर में ब्रिटिश शिष्टमंडल के भारतवर्ष आने-जाने का खर्च २१, २५० पौंड दिखलाया गया था। इसी तरह अतिरिक्त अनुमान में, एक रकम ६६, द११ पौंड की भी भो दिखाई गयी जो वाइसराय तथा हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों पर लंदन आने-जाने पर दिसम्बर, ४६ में खर्च हुई, और दूसरी ४, द१० पौंड की रकम, जो पार्लीमेंट के शिष्ट-मण्डल पर हिन्दुस्तान आने-जाने पर खर्च की गई। यह खर्च दृथरथ नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री के २० क्रांतिरी १९४७ वाले प्रसिद्ध वक्तव्य ने, जिसके अनुसार अंग्रेज़ी सम्बाद-द्वारा हिन्दुस्तानी संघ के हाथों में शासन सत्ता भौंपे जाने की अनितम तिथि जून १९४८ से पीछे न-हटाये जाने की बात थी, इसे सार्थक कर दिया है। हंगलेंड के कठोर नीतिज्ञों तथा सीधे-सादे हिन्दुस्तानियों की यह आशा बलवता थी कि श्री बटलर के शब्दों में, “यद काम इतने सुचारू रूप से किया जायगा कि दोनों पक्षों को सम्पूर्ण संतोष प्राप्त होगा।” और एक शताब्दी पहले कहे गये सर हैनरी लारेस के शब्दों में “हम (अंग्रेज़ों) को ऐसी बाब्क से बलना चाहिये कि जब, इस सम्बन्ध का विच्छेद हो तो खींचातानी न-हो, बलिक दोनों ओर से स्नेह तथा मान बना रहे और हिन्दुस्तान हंगलेंड का बन्धु बना रहे।”

समय, कव किसी का हिन्तज्ञार करता है। लारेस की आशा पूरी न-हो सकी। हिन्दुस्तान में खींच-तानी क्या, आपस की मार-काट में खून की नदियां बह गईं और लूट और आग से वह तबाही हुई कि बयान नहीं किया जा सकता। क्या अंग्रेज़ क्रौम, अपने सीने पर हाथ धरकर खुद को इन सब हल्ज़ामों से बरी कर सकती है? अत्रव के लारेस की कारगुज़ारियाँ, जिसने कि बाद में फ़्लाईट लेफ्टिनेंट बनकर शारारते कराई और फिर अफ़गानिस्तान के किंग अमानुल्लाह के विलुद क्रांति की आग भड़काई; हमारे अपने सीमाप्रांत में, जबकि अंतरिम सरकार के उप-प्रधान दौरे पर गये थे, बड़यंत्र और बाद में पूरबी तुकिस्तान में, रूसी बोल्शविक शासन के विलुद मुसलमानों को भड़काने के लिए अनवर-बे को उभारने की अधूरी कोशिशें, सब सिद्ध करती हैं, कि हिन्दुस्तान में पाकिस्तानी आंदोलन, १६ अगस्त १९४६ के ‘डाइरेक्ट ऐक्शन डे’ और बाद की हिन्दुस्तान-भर की दुर्घटनाओं में, एक ही तार लगा हुआ था। कलकत्ते और नोवाखाली के कल्पे-आम, बिहार में उसका बदला, पंजाब के उपद्रव, सब-के-सब हिंसा की निर्मम पक्की योजनाओं के हुत्परिणाम हैं।

मिठो जिन्ना का २४ अप्रैल १९४० का यह बयान, कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वाइसराय आम सुमख्यमानों और खासतौर पर मुस्लिम लीगियों के साथ न्याय करेंगे, उन्हें शान्ति और अमन ऋण्यम रखना चाहिये, ताकि वाइसराय को स्थिरत भलीभाँति समझने का पूरा-पूरा मौका मिले, शब्दों के नीचेवाले असली मतलब का परिचायक है। १५ अप्रैल को गांधीजी के साथ की उनकी साझी अपील, दर-असल उस भावना से नहीं की गई थी, जिससे रिक बादवाली व्यक्तिगत अपील की गई। हम यहाँ पहलेवाली के शब्द उद्धृत करते हैं:—

“हमें, अभी हाल में की गई हिंसा और क्रान्तू-विरुद्ध हरकतों से बहुत दुःख है। इससे हमारे हिंदुस्तान के माथे पर कलंक का टोका लग गया है और साथ ही, बेगुनाह निरपराधियों पर बहुत मुमीबत पढ़ी है, चाहे हमला किसी ने किया और सहन किसी ने किया हो।” “राजनीतिक उद्देश्य-पूति के लिये बल-प्रयोग हर हालत में निन्दीय है। हम हिंदुस्तान के सभी सम्प्रदायों से भगवान का हवाला देकर कहते हैं कि वे हिंसा-युक्त और शांति भंग करनेवाला कोई काम न करें, बल्कि इन कामों के लिए वाणी और लेखनी से भी उत्तेजना न-दें।”

मुस्लिम लीग की तरफ से पंजाब, लिंघ तथा सीमाप्रांत में अपना शासन जमाने की चेष्टा—खुल्म-खुला। निर्लंजता से अपनी ताक़तों को सजाना, मानो युद्ध-चेत्र में मौजूद हों, आसाम की सरहद पर तीन और से आक्रमण—इस संस्था की नई रण-कला के प्रत्यक्ष प्रमाण थे, और इस बात के परिचायक थे कि पाकिस्तान बलपूर्वक क्रायम किया जायगा। पंजाब में फरवरी और मार्च १९४७ के जुलाने, गवर्नर को मजबूर कर दिया, और उसने ५ मार्च को धारा ६३, गवर्नर्मेंट आफ हायिड्या एक्ट के अनुसार घोषणा कर दी। और कोई दूसरा मंत्रिमंडल न-बनाने पर गवर्नर ने पंजाब धारासभा को भी स्थगित कर दिया।

संयुक्त मन्त्रिमण्डल का तक्काल बाहर हो जाना, धारा-सभा का स्थगित किया जाना तथा १९३२ के विधान की धारा ६३ के अनुसार घोषणा की सूचना, गवर्नर ने एक वक्तव्य में कर दी थी। वाचकगण को यह परिस्थिति समझने में आसानी होगी यदि मैं इसको सीधे-मीठे बयान करूँ।

“विधान के अनुसार, कोई प्रान्त अधिक समय तक एक सरकार के बिना नहीं रह सकता। जब एक मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे तो रिवाज है, कि जब तक उसकी जगह लेनेवाले तैयार न हो जायें, उसी को काम चलाते रहना चाहिये। इस मौके पर संयुक्त मन्त्रिमण्डल ने बाहर निकल जाने का तय किया है जिसके कारण, उन्होंने जनता के सामने रख दिये हैं। इनके जाने पर रिक्त स्थानों की पूति होनी ही चाहिए। इसका एकमात्र तरीका यही है कि धारा ६३ के अनुसार घोषणा करके सारी जिम्मेदारी गवर्नर को सौंप दी जाय।

पंजाब में अपनी तरह की यह पहली ही घोषणा है, और मुझे आशा है कि यह बहुत दिनों तक लागू नहीं रहेगी।

जहाँ मेरी यह कोशिश जारी रहेगी कि दूसरा मन्त्रिमण्डल बनाया जाय, मेरा पहलो कर्ज यह होगा, कि लाहौर तथा अन्य स्थानों में गढ़वाल बन्द करके शांति स्थापित की जाय। साम्प्रदायिक दंगों से किसी का जाम नहीं होता सिवाय सब पंजाबियों की हाजि और तबाही के।

कुछ दिनों तक, ज्ञाहौर में जलसे-जलूसों पर कड़ी पाबन्दियाँ लगानी होंगी। शांति-अमन की खातिर इन पाबन्दियों का होना अत्यावश्यक है। और मुझे भरोसा है, कि सभी सम्प्रदायों के नेता इन पाबन्दियों को ज्ञाहौर रखने में अधिकारियों को अपना सहयोग देंगे।

सीमाप्रान्त के दंगों में जानों का भारी नुकसान, हिन्दुओं-विलों का बलात् मुसलमान बनाया जाना, उस समय दिखलाया गया जबकि वाइसराय आने ही थाले थे। श्री मेहरचन्द खासा, मंत्री हनफार्मेशन ने पश्चकारों की कान्फरेस में बतलाया, कि दिसम्बर से अईल तक, प्रांत भर के दंगों में ४०० हिन्दू और सिख मारे गये, १५० घायल हुए और १६०० घरों तथा ५० हिन्दू या सिख धर्मस्थानों को जलाया गया। ३०० से अधिक को जबरन मुसलमान बनाया गया और ४० को भगा जो जाया गया।

श्री मेहरचन्द ने और भी कहा कि उन्हें कोई ऐसी घटना मालूम नहीं, जिसमें कि हव जगभग ६५ प्रतिशत मुस्लिम-प्रान्त में दंगाइयों ने मुसलमानों को भी मारा हो। अलबत्ता, उन्होंने कहा, कि कुछ-एक मुसलमान और सभभवतः कुछ हिन्दू भी, पुर्जिस तथा फौज के हाथों मारे गये।

और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि डेरा-हस्माइलखाँ की जेल में भी एक कँदी को जबरन मुसलमान बनाया गया। हरीपुरा सेण्टल जेल में भी दंगा हुआ, जहाँ जेलखाने के हिन्दैकटर-जनरल पर वार किया गया।

श्री मेहरचन्द खासा ने बतलाया कि मुस्लिम लीग आन्दोलन के दो पहलू ही सकते हैं। दूसरा पहलू तब काम करने लगा, जबकि मुस्लिम नेशनल गार्ड से बिहार से लौट कर, फ्रिंटियर के मुसलमानों को कुरान के फटे पने और हन्मानी खोपडियाँ दिखला कर, तथा “बिहार का बदला फ्रिंटियर लेगा” और “खून का बदला खून” के नारे लगा कर मुसलमानों को भड़काया।

श्री खासा ने कहा, कि मुस्लिम लीग, प्रभुत मंत्रिमंडल के विरुद्ध है जो कि प्रांत की आदादी के ६५ प्रतिशत छोगों ने कायम कराई है। लेकिन यह आश्वर्य की बात है कि केवल हिन्दू-सिखों पर वार किये गये और दूसरे सम्प्रदाय को छुआ तक नहीं गया।

कल हज़रों मुस्लिम लीगी, जिनमें अधिकांश ने मुस्लिम नेशनल गार्ड की हरी वर्दियाँ पहन रखी थीं और बलूमें तथा लाडियाँ हुए थे, प्रांत की पहाड़ियों से उत्तर आये थे, और आज वाइसराय के सामने प्रदर्शन करेंगे। कंग्रेस के लाल-कुर्ती दल ने भी प्रदर्शन करना चाहा; किन्तु उनके नेता फ्रिंटियर गांधी द्वान अद्वित राष्ट्रकारखाँ ने इसकी इजाजत नहीं दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीगियों और लाल-कुर्तीवालों में भिन्नत हो। आज शहर पेशावर में लगभग मध्ये दुकानें बन्द रहीं।

आज सचमुच मिं० जिन्होंने की नेतागिरी की परीक्षा होगी। उनके अनुयायी उनकी सीख पर नहीं चलते। इस सम्बन्ध में यह बाद रखना चाहिए कि गांधीजी के आमरण-वत की धमकी, जब्राह्मलाल जी का दौरा और श्री राजेन्द्रबाबू की अपील ने मिल कर सारे बिहार प्रांत की भाषप्रदायिक जवाला को एक सप्ताह के भीतर बुझा दिया था। इस कामयाबी की पशंसा मिं० चर्चिल वक ने की थी। “देखें, लीग भी ऐसी कामयाब हो सकती है।”

हिन्दुस्तान के लिए, पाकिस्तान कुछ नई चीज़ नहीं थी। १९०६ से शुरू करके, दर वह क्रदम जो कि मुस्लिम अधिकारों के लिए उठाया गया, उन्हें देश से दूर ही ले गया और इसमें एकता की सम्भावना नष्ट हो गई। किन्तु अन्तिम क्रदम, जिससे कि तइता पलट जाय, विचाराधीन रहा। दुख से कहना पड़ता है कि वक का प्रयोग किया गया। दिल्ली में बड़ी भयानक झबरें गश्त लगा रही थीं और फ्रिंटियर तथा पंजाब से छुपे-छुपे आनेवाली झबरें चौंकानेवाली थीं। १९४२ में, जैसे हिन्दुस्तान पर जापानी हमले का आरंभ क्षाया था, वैसे ही उत्तर से दूर

समय आकर्षण की आशंका थी।

सीमाप्रांत के जिला हजारा में ही १२८ व्यक्तियों का वध किया गया। एक सिख और तीनों तेज़ में तब्द कर मारा गया। किन्तु यह तनातनी महात्मा गांधी के उस प्रार्थना के बादवाले भाषण से, जो उन्होंने नये वाइसराय से मिलने के बाद ४ मई १९४७ को दिया था, कुछ हद तक कम हो गई। वह सारा भाषण यहाँ उद्भृत करने-योग्य है, क्योंकि उस समय यह आशा ही रही थी कि यह शायद घाव पर मरहम का काम करेगा।

भंगी कालीनी नई दिली में प्रार्थना के बाद बोलते हुए महात्माजी ने कहा कि वाइसराय ने उन्हें यक्कीन दिलाया है कि वे हिन्दुस्तान में इमलिए आये हैं कि शानितपूर्वक सब शासन हिन्दुस्तानियों के हाथों में सौंप दें। गांधीजी ने और भी कहा, कि उनकी यह दिली खालिहाश है, कि हिन्दुस्तान एक रहे और सब लोग, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों, प्रेमपूर्वक मिलकर इकट्ठे रहें। यदि, वाइसराय को कोशिशों के बावजूद, इस बीच मारे बंद न हुए तो वे कौंजी ताक़त का प्रयोग करने में भी नहीं चूकेंगे।

गांधीजी के प्रार्थना-भाषण का अधिकृत रूप यह है :—

रोज़-मरी को तरह, उन्होंने प्रार्थना से पहले पूछा कि सभा में कोई है जिसे आपात हो ? एक आवाज़ आई, 'हाँ' : गांधीजी को यह देखकर दुख हुआ कि हजारों नर-नारियों को सांस्कृतिक प्रार्थना के आनंद से वंचित करनेवाला एक व्यक्ति वहाँ मौजूद था।

फिर भी, गांधीजी ने कहा कि एक आदमी की आवाज़ को दबा देना भी अठिक्षा के विद्वान्तों के विरुद्ध होगा। अतः उन्होंने उपस्थित नर-नारियों से कहा कि वे सब आँखें बंद करके उनके साथ २ मिनट तक मूक-प्रार्थना करें। उन्होंने कहा, कि सब को मन में राम-राम का नाम जपना चाहिये जिसके लाखों नाम हैं, जो अनन्त, असीम हैं और जिसे हम जान नहीं सकते। उन्हें उस अस में केसे नौजवान के खिलाफ़ काँहे क्रोध न लाना चाहिये, जिसने फिर रविवार को प्रार्थना रुक्खा दी।

### वाइसराय की सचाई

गांधीजी ने उपस्थित लोगों को बतलाया कि उन्होंने हतवार को वाइसराय से लेड बराट तक बातचाँत की थी, जिसमें उन्होंने पत्रों में अनेक अमोत्पादक रिपोर्टें छोपने की शिकायत की थी। वाइसराय ने बतलाया कि वे हिन्दुस्तान इसलिए आये हैं ताकि शासन-सत्ता शांतिपूर्वक हिन्दुस्तानियों को सौंप दें। ३० जून तक अंग्रेजी शासन के विशान तक मिट जायेंगे।

उनकी यह सच्ची हृच्छा है कि हिन्दुस्तान में एकता रहे और सभी लोग चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों, एक-दूसरे के साथ प्रेम-पूर्वक रहें। वाइसराय की हृच्छा है कि हिन्दुस्तानी लोग बीती को भूल जायें और अंग्रेजों की नीयत में विश्वास रखें कि वे, यदि हो सका तो, जाने से पहले, हिन्दु-मुसलिमानों में समझौता करवा देंगे। यदि साम्राज्यिक दंगे चलते रहे तो यह हम्लैड तथा हिन्दुस्तान दोनों के लिए शर्म की बात होगी।

वाइसराय एक प्रसिद्ध नौसैनिक है, अतः उन्हें अहिंसा में विश्वास नहीं; फिर भी उन्होंने, उन्हें (गांधीजी को) विश्वास दिलाया है कि वे भगवान् में विश्वास रखते हैं और हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अतः उन्होंने सब से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की है कि उनकी राह में रोड़े न अटकाएँ। यदि अंग्रेजी राजसत्ता छोड़ते-छोड़ते और उनकी पूरी कोशिश के रहते भी दंगे-क्रसाद न बंद हुए, तो उन्हें मजबूरन कौंजी ताक़त का प्रयोग करना पड़ेगा।

गो, देश में शान्ति-अमन की ज़िम्मेदारी अंतरिम सरकार पर है, फिर भी, जबतक अंग्रेज़ सिपाही हिन्दुस्तान में हैं, वे भी, अपने को शान्ति-स्थापना के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार समझते हैं।

गांधीजी ने कहा, कि बाह्यसराय ने बड़ी भद्रता और सच्चे दिल से बातें की हैं। उनकी यही इच्छा है, कि यदि सब लोग उनकी हमानदारी पर भरोसा करके उनको अपना सहयोग दें, तो निश्चय उनकी ज़िम्मेदारी का बोझ हल्का हो जायगा।

**“परस्पर-दोषारोपण बंद करो”**

गांधीजी ने अपनी कलवाला बातों को दुइराते हुए कहा, कि जबतक बाह्यसराय पर विश्वासघात का इलाजाम साबित न होजाय, जनता को उनको नेकर्नीयती पर भरोसा करना चाहिये। यदि हिन्दू और मुसलमान लड़ते ही रहे तो इसका यह मतलब हांगा कि वे अंग्रेज़ों को यहाँ से नहीं भेजना चाहते। तिसपर भी, यदि वे पशुओं की तरह लड़ते रहे, उन्हें (गांधीजी को) पूरा भरोसा है कि अंग्रेज़ जून १९४८ तक ज़खर चले जायेंगे। बेहतर होगा यदि परस्पर-दोषारोपण बंद किया जाय। ऐसा करते रहने से शान्ति कभी स्थापित नहीं हो सकती।

गांधीजी ने खाने-कपड़े के अभाव का ज़िक्र किया और कहा कि हिन्दू-मुसलमान तथा अन्य सब जातियों के आम लोगों को इनका एक-सा कट हो रहा है। यदि ये लोग मैत्रीपूर्ण भाव से रहने लगें तो भूखों को खाना और नंगों को कपड़ा मिलने लगेगा। ऐसा करना सब का क़र्ज़ है।

इसके बाद, गांधीजी ने उस दिन मेजर-जनरल शाहनवाज़ की मुलाकात का ज़िक्र किया, जिन्होने बताया था कि बिहार के एक गाँव के हिन्दुओं ने, जो शब तक रजामंद नहीं थे, ऐसे मुसलमान शरणार्थियों को जा चाहें, वापस आकर उनके बाच बसने की अनुमति दे दी है। गाँव-वालों ने अपने हाथों से रास्ते साझ किये हैं और टूटे घरों की मरम्मत का ज़िम्मा लिया है। आप्लिंडर, जहाँ-जहाँ पागल्पन का राज रहा है, मुसीबतनदा लोग इतना ही तो चाहते हैं कि उन पर ज़ुल्म करनेवाले, उन्हें समझें और उनसे देम-भरा सलूक करें। बिहार के इन हिन्दुओं का अमल और अन्य ऐसे काम ही तो इस अधिकार में आलोकित स्थान हैं।

यदि शान्ति की अपील पर, क्रायदे-आज्ञम के दंगे-क्रिसाद और ज़ुल्म रुक जायेंगे।

पंजाब और सीमाप्रान्त में, मार्च-अप्रैल १९४७ में हिंसा की जो आंधी उठी और तीव्र हुई, उसका उद्देश्य मौजूदा मंत्रिमंडलों को, वेष्ठ और कानूनी विधि के बजाय बलपूर्वक डखाइ फेंकना था, किन्तु मनसूबे पूरे न हुए। तिस पर भी, लूट-मार, कल्पो-खून की बारदातों ने सारे देश को हिला दिया और अंत में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने पंजाब के दो प्रान्त बनाये जाने का प्रस्ताव पास कर दिया। ताकि हिन्दू-बहुसंख्यक विभाग को विरोधियों के अन्याय से सुरक्षित बनाया जाय। ज्यों ही यह प्रस्ताव मार्च १९४७ के मध्य में पास हुआ कि बंगाल में इसकी प्रतिक्रिया प्रस्तुत हो गई और बंगाल को बॉट देने की माँग की गई। बंगालियों ने यह अनुभव किया कि ६३०लाख की आधारी में मुसलमानों की कुल मिलाकर ७० लाख की आधिक संख्या होने से सारे प्रान्त को सदा के लिए मुस्लिम लीग के अधीन नहीं छोड़ा जा सकता। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की जन-संख्या केवल ८.६ प्रतिशत अधिक पाई जाती है। इसी के आधार पर, सारे प्रान्त के आर्थिक, शासन, स्वयं तथा संस्कृति-सम्बन्धी जीवन को, इस शायद अचानक या भूल में दिखलाई गई अधिकता के रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अलावा यह भी जतलाया गया कि ३५००० वर्गमील

के सेनाफलवाला पचिल्मी बंगाल, हिन्दुस्तान के अन्य ६ प्रान्तों से बढ़ा रहेगा। इसकी आबादी २५ करोड़ होगी, जिसमें ७ गैर-मुस्लिमों के मुकाबिले में ३ मुसलमान रहेंगे।

कुदरती तौर पर यह सवाल उठा, कि पचिल्मी बंगाल के हिन्दू, पूरबी बंगाल के हिन्दुओं की अवस्था को, जो कि अरथधिक मुस्लिम बहुमत के रहम पर रह जायेंगे, किस तरह शान्ति और धीरज से सहन करेंगे? तो इसका उत्तर मिला कि पचिल्मी बंगाल की मुस्लिम अल्पसंख्या जिस तरह दिन गुजारेगी, उसी तरह पूरबी बंगाल की हिन्दू अल्पसंख्या रहेगी। फिर यह भी कहा गया कि पूरबी बंगाल को, चावल तथा जूट के सिवा अपनी हर आवश्यकता के लिए पचिल्मी बंगाल पर निर्भर रहना होगा। पचिल्मी बंगाल, यानी हिन्दू-बहुसंख्या प्रान्त, बंगाल-सरकार को भूमि-कर के रूप में बड़ी भारी रकम देता है, उसमें गैर-मुस्लिम कर देनेवाले २८:१ के अनुपात में हैं। संयुक्त बंगाल घोटे में रहेगा, यदि व्यवसाय-धन्धे के सभी ज़रिये इकट्ठे एक ही के अधीन रखें गये। फ्रैंकटरी ऐक्ट के अनुसार चलनेवाले २६ सूत के कारखानों में से, जिन में ३१२३२ मज़दूर काम करते हैं, पूरबी बंगाल में केवल ६ कारखाने रहेंगे। कुल ६७ जूट के कारखाने, २,८१,२२६ मज़दूरों समेत, छः-को-छः स्टील के कारखाने, ११ चीनी की मिलें, चारों पेपर मिलें, सब १८ कैमिकल वर्सं, ११ सोप वर्सं, सब-के-सब पचिल्मी बंगाल की मिलकियत है। जनरल इंजीनीयरिंग के १५२ में से केवल ७, और १४ दियासलाई के कारखानों में से केवल ३, १२ कॉच के कारखानों में से केवल २, पूरबी बंगाल में चल रहे हैं। इन सभी पर मुस्लिम लोग का प्रभुत्व रहेगा, याद हम बंगाल का हिस्सा न बाँट लें।

इस समस्या को भली भाँति समझने के लिए हम १६४१ की जनगणना के अनुसार बंगाल की आबादी का व्यौरा नीचे प्रकाशित करते हैं:—

### बंगाल के ज़िलों और देशी राज्यों की जनसंख्या

(१६४१ की जनगणना के अनुसार)

ज़ेत्र वर्ग मीलों में	मुस्लिम	गैर-मुस्लिम	जोड़
बर्देवान डिवीजन	१४,१३५	१,४२६,५२०	८,८५७,८६६
बर्देवान	२,७०५	३३६,६६६	१,५५४,०६७
बीरभूमि	१,७४३	२८७,३१०	७६१,००७
बाँकुरा	२,६४६	५५,५६४	१,२३४,०७६
मिदनापुर	५,२७४	२४६,५५०	२,६४४,०८८
हुगली	१,२०६	२०७,००७	१,१७०,६५२
हवड़ा	५६१	२६६,२२५	१,१६३,६७६
प्रेसीडेन्सी डिवीजन	१६,४०२	५,७११,३५४	७,१०५,७३३
२४परगना	३,६६६	१,१४८,१८०	२,३८८,२०६
कलकत्ता	३४	४६७,५३५	१,६११,३५६
नदिया	२,८८८	१,०७८,००७	६८१,८३६
मुर्शिदाबाद	२,०६३	६२७,७४७	७१२,७८३
जसोर	२,६२५	१,१००,७१३	७२७,५०३
खुलना	४,८०५	६५६,१७२	६८४,०४६

राजशाही डिवीजन	१६,६४२	७,५२८,११७	४,५१२,३४८	१२,०४०,४६५
राजशाही	२,५२६	१,१७३,२८५	३६८,४६५	१,५७१,७५०
दीनाजपुर	३,६५३	६६७,२४६	६५६,५८७	१,६२६,८२३
जलपाइगुड़ी	३,०५०	२५१,४६०	८३८,०५३	१,०८६,५१३
दार्जिलिंग	१,१६२	६,१२५	३६७,२४४	३७६,३६६
संगमुर	३,६०६	२,०५५,१८६	८२२,६६१	२,८७७,८४७
बोगगा	१,४७५	१,०७९,६०२	१८२,५६१	१,२६०,४६३
पबना	१,८३६	१,३१३,६६८	३६१,१०४	१,७०५,०७२
मालदा	२,००४	६६६,६४५	५३२,६७३	१,२३२,६१८
ढाका डिवीजन	१५,४६८	११,६४४,१७२	४,७३६,५४२	१६,६८३,७१४
ढाका	२,७३८	२,८४१,२६१	१,३८०,८८८	४,२२२,१४३
मैमनसिंह	६,१५६	४,६६४,५४८	१,३५८,२१०	६,०२३,७५८
फरीदपुर	२,८२१	१,८७१,३३६	१,०१७,४६७	२,८८८,८०३
बाकरगंज	३,७८३	२,५६७,०२७	१८१,६८३	३,५४६,०१०
चटगाँও डिवीजन	११,७६५	६,३६२,८६१	२,०८५,५६६	८,८७७,८६०
नोआखाली	१,६५८	१,८०३,६३७	४१३,४६५	२,२१७,४०२
टिप्पेरा	२,५३१	२,६७५,६०१	८८४,२३८	३,८६७,१२६
चटगाँও का				
पहाड़ी इलाका	५,००७	७,२७०	२३६,७८३	२४७,०५३
चन्द्रनगर (फान्सीसी)	...	...	...	३८,८८४
देशी राज्य	६,४०४	३७२,११३	१,७७२,७१६	२,१४४,८२६
कুচ বিহার	१,३२१	२४२,६८४	३६८,१५८	६४०,८४२
ত্রিপুরা	४,०४६	१२३,५७०	३८६,४४०	५१३,०१०
ময়ুরারঞ্জ	४,०३४	५,८५६	८८५,११८	६६०,६७७
বঙ্গাল (তीন রিযাসতোঁ তথা ফাঁসীসী চন্দ্- নগর কো মিলাকর)	८६,८४६	३२,३७७,४४७	२६,११२,१११	६२,४८६,६३८

ইন ঘটনাওঁ থেকে ফির যহ শক হোনে লাগা কি ব্রিটেন নে জো ভারত ছোড় জানে কী বোঝব্যা কী  
হৈ উসমে সচাই কহাঁ তক হৈ। অগৱ বে সচ্চে হৈ তো ফির ইস দেশ কে ঢুকবে কর জানে কা ইরাদা  
ক্যোঁ রক্ষতে হৈ? ফির ভী পিছলে তীন মাহীনোঁ মে জো পরিবর্তন হুপ হৈ তনসে যহী প্রতীত হোতা হৈ  
কি অংগোঁ কী যহ বোঝব্যা সচ্চী আৰ গম্ভীৰ হৈ। আৰ যহী তথ্য, কি হিন্দুস্তান ভৱ কে  
অংগোঁ কী গণনা কী জা রহী হৈ তাকি উন্হেঁ বাপস ভেজনে কা প্ৰবন্ধ কিয়া জায়, জনতা কে মন  
সে সংদেহ দূৰ কৰনে কো কাফো হৈ। সিলিল, মেডিকল তথা পুলিস বিভাগোঁ কো স্মেট দেনে কী  
যোজনা কো, জো কি হিন্দুস্তান কো হাইট হাইক সে মালুম হুই হৈ, যো হী নহী উভায়া জা সকতা।  
ইসে চালাকী কী চাল নহী কহা জা সকতা। ১২০সাল মেঁ, প্ৰথম বাৰ হিন্দুস্তানোঁ ফৌজ কা বনায়া  
জানা কুছ মজাক নহী হৈ। রিযাসতোঁ মেঁ, এজা-জনৱৰ বা আৰহা হৃষায়ে জানে কে সাথ-সাথ  
পোলিটিকল ডিপাৰ্টমেন্ট কা সমেষ্টা জানা, আৰ রেজাঙ্গুড়োঁ কে অধিকাৰোঁ কা হাস ইত্যাদি, যেসে খচ্ছ

हैं, जिनसे अमंज़ी दुकान के उठाए जाने का निश्चय ज़ाहिर होता है। स्पष्टे का पिछ स्टर्किंग से बहुत पहले बुलाया जाना चाहिये था, किन्तु यह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिकूल होने से नहीं हो सका था। शिलिंग कमेटी तथा कोल कमेटियों ने बड़ी प्रबल रिपोर्ट पेश की हैं, जिनसे अब हिन्दुस्तान को हँगलैंड का पुछल्ला नहीं बना रहना होगा।

जहाँ एक तरफ आशावादियों ने हिन्दुस्तान छोड़ जाने के बारे में ब्रिटिश सचाई और नेकनीयती की पुष्टि में प्रमाण इकट्ठे किये, वहाँ निराशावादियों ने भी इसके ठीक विरोधी मसाला जमा करने में कसर नहीं उठा रखती। सीमाप्रान्त में दर-पदा क्या हो रहा था? भला यह अकवाह हतने ज़ोरों से क्यों गरम थी कि नये सीमाप्रान्त के लोग पाकिस्तान चाहते हैं या नहीं, इसका निश्चय करने को, नये चुनाव होंगे? अभी कल की तो बात है, (अप्रैल पिछले साल की) कि हमी प्रसंग पर चुनाव हुए, जिनमें जनता ने अपना फैसला डाक्टर खान साहब को अधिकार दिलाकर दिया और सिद्ध किया कि वे संयुक्त हिन्दुस्तान के हक्क में हैं। फिर भी, एक निश्चित प्रसंग में, गवर्नर ने अपनी टाँग फँसा कर, ज़बरदस्ती, अनावश्यक तथा अन्यायपूर्ण ढंग से जनता पर चुनाव क्यों ढूँसा, विशेषकर जब कि डॉ खान साहब के मंत्रिमंडल पर, कानून और विधान की दृष्टि से कोई ऐसा आक्षेप या सन्देह नहीं प्रकट किया गया था कि जिसकी सकाई के लिए जनता-द्वारा पुनः परीक्षा की आवश्यकता हो? एक और तो गवर्नर के इस्तीफे की माँग की जा रही थी और दूसरी ओर संयुक्त हिन्दुस्तान की प्रगतिशील शक्तियों तथा विभक्त पाकिस्तान की फोइनेवाली माँगों के बीच रस्ताकशी कराने की ज़बरदस्त माँग की जा रही थी।

जब कि परिस्थिति ऐसी थी, तो यह घोषणा की गई कि वाइसराय ने २ मई को, लार्ड हस्मे के हाथ ब्रिटिश मंत्रिमंडल को अग्रन्ति रिपोर्ट भेज दी है। इस प्रकार कैबिनेट-द्वारा हिन्दुस्तान को अधिकार हस्तांतरित करने का ऐलान फिर वही १६ मई को किया गया जैसा हि ठीक एक वर्ष पूर्व किया गया था। किन्तु पार्लीमेंट के अवकाश के कारण, यह महत्वपूर्ण काम २ जून १९४७ तक मुश्तकी किया गया। इस बीच, यह विचार-विभिन्नता बनी रही, कि क्या वाइसराय दिन्दुस्तानी स्वतंत्रता के आयोजन को बराबर आगे बढ़ाए जा रहे हैं या चालाकी से ढीक कराते जा रहे हैं?

जब निश्चित तिथि आई तो २ जून को वाइसराय ने भीड़ से नेताओं को दावत दी। जवाहरलाल तथा वल्लभभाई पटेल कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस प्रेसीडेंट का नाम ही नहीं था। कुछ दिनों से कांग्रेस के प्रधान को बराय-नाम माना जाने लगा था। वे जवाहरलाल नेहरू और वाइसराय की बातचीत सुपरिचित नहीं थी। २६ नवम्बर, १९४६ को जब पं० नेहरू लंदन के लिए रवाना हुए तो इनसे इस बारे में राय भी नहीं ली गई। २ जून को जो कान्फरेंस हुई उसमें आमंत्रित व्यक्तियों में उनका नाम ही नहीं था। अतः इन त्रिटियों की ओर वाइसराय का ध्यान खींचा गया और पूछा गया, कि क्या वे अंतर्रिम सरकार की कान्फरेंस बुला रहे हैं? यदि यह बात है तो जिला को क्यों बुलाया गया अथवा यह दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की कान्फरेंस तो नहीं है। अगर ऐसा है तो कृपलानी जी को क्यों नहीं बुलाया गया? इस आपत्ति का असर हुआ और प्रधानमंत्री को कान्फरेंस में बिठा दिया गया; मगर साथ ही वज़न बराबर करने को पुक और भी लोगी बुला लिया गया। इस छोटी-सी घटना ने सिद्ध कर दिया कि वाइसराय कैसे छुई-मुई बन रहे थे और वे लोग को ना-खुश न-करने के लिए कितने उत्सुक थे। ३ जून को माउण्टवेटन-योजना घोषित हुई और उसके बाद पं० नेहरू, मिं० जिला तथा सरदार बख़दर्वासद के रेडियो भाषण हुए।

आज इण्डिया कांग्रेस कमेटी की कार्यवाही का नंकिप विवरण

३ जून १९४७ के अंग्रेजी सरकार के वक्तव्य पर विचार करने के लिए, विधान-परिषद्, कर्जन रोड नई दिल्ली में, आज इण्डिया कांग्रेस कमेटी का एक विशेष अधिवेशन १४-१५ जून १९४७ को दिन के २३ बजे हुआ। आवार्य कृपलानी सभापति, और २१८ सदस्य उपस्थित थे।

कांग्रेस के प्रधान आवार्य कृपलानी ने, अपने प्रारम्भिक भाषण में, आज इण्डिया कांग्रेस कमेटी की इस बैठक तक के सब हालात और घटनाओं की आलोचना की।

### ३ जून के वक्तव्य सम्बन्धी प्रस्ताव

कांग्रेस कार्यकारिणी-द्वारा सिफारिश किये गये प्रस्ताव का समविदा श्री गोविंदवल्लभ पंत ने पेश किया और सौन्दर्या अनुमोदन किया।

इस प्रस्ताव पर, प्रधान के पास, १३ संशोधनों की मूचना पहुंची। इनमें से द को उन्होंने प्रस्ताव-विरोधी बतला कर बेकायदा ठहराया। शेष संशोधनों को पेश करने की आज्ञा दी गई। ३० से अधिक सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने की मूचना दी थी। प्रस्ताव पर १४ तारीख को रात ६ बजे और १५ तारीख को तीसरे पदहर २-३० बजे तक वादविवाद होता रहा। कांग्रेस-प्रधान की प्रार्थना पर महात्मा गांधी ने भी प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये।

बहस समाप्त होने पर, प्रस्ताव तथा संशोधनों पर मत लिया गया। सभी संशोधन या तो वापस ले लिये गये या गिर गये। असली प्रस्ताव २० के घिरवृ १५३ के बहुमत से पास हुआ। कुछ सदस्य तटस्थ रहे।

आज इण्डिया कांग्रेस कमेटी द्वारा पास किये प्रस्ताव के शब्द निम्नलिखित हैं :—

आज इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने, जनवरी की पिछली बैठक के बाद भी घटनाओं पर पूरा-पूरा ध्यान दिया है। खासकर, ब्रिटिश सरकार के २० फरवरी तशा ३ जून १९४७ के वक्तव्यों पर गहरा विचार किया है। इस बीच, कार्यकारिणी द्वारा पास किये गये प्रस्तावों का, यह कमेटी अनुमोदन तथा समर्थन करती है।

कमेटी, ब्रिटिश सरकार के इस निश्चय का स्वागत करती है कि आगामी अगस्त तक, सारे अधिकार पूर्णतया हिन्दुस्तानियों को सौंप दिये जायेंगे।

ब्रिटिश कैबिनेट-मिशन के १६ मई १९४६ के वक्तव्य तथा बाद में ६ दिसंबर १९४६ की उस पर की गयी व्याख्याओं को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है और मिशन की योजनाके अनुसार विधान परिषद् कायम करके, इस पर अमल कर रही है। विधान-परिषद् ६मास से अधिक समय से अपना कामकर रही है। परिषद् ने, अपना ध्येय हिन्दुस्तान के लिए स्वतंत्र लोकतंत्र राज घोषित किया है। इसके अलावा, प्रत्येक हिन्दुस्तानी के लिए, समाज बुनियादी अधिकारों और सुश्रवसरों के आधार पर, आज्ञाद हिन्दुस्तान संघ का विधान बनाने में भी विधान-परिषद् ने काफी उन्नति कर ली है।

१६ मई की योजना को मुस्लिम लीग ने अस्वीकृत किया था और विधान-सभा में शामिल होने से इनकार भी। इसको दृष्टि में रखते हुए तथा कांग्रेस की इस नीति के अनुसार कि, “यह किसी प्रदेश के लोगों को हिन्दुस्तानी संघ में शामिल हो जाने पर बाधित नहीं करेगी,” आज इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने, ३ जून को घोषणा में लिखी तज्ज्ञाओं को मंजूर कर लिया है, जिस में जनता का मत जानने की विधि भी लिखी है।

कांग्रेस ने स्थिरता से हिन्दुस्तान की पुकार का समर्थन किया है। ६० साल

पहले, इसके जन्मदिन से ले कर, कांग्रेस ने एक आज्ञाद संयुक्त हिन्दुस्तान का सपना देखा है और इसके हासिल करने के लिए, लाखों नर-नारियों ने कष्ट भरते हैं। पिछली दो पीढ़ियों की कुरबानियाँ और कष्ट ही नहीं, वरन् भारत का परम्परागत खम्बा इतिहास इसकी एकता का परिचायक है। समुद्र, पहाड़ और अन्य भौगोलिक स्थिति ने खुद आज का हिन्दुस्तान निर्माण किया है। कोई इन्सानी ताक़त इस के आधार को बदल नहीं सकती और न-ही इसके भाग्य के आड़े आ सकती है। आर्थिक अवस्थाएँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की बढ़ती हुई माँगें, हिन्दुस्तान की एकता को और भी अधिक ज़ोर से आवश्यक बना रही है। हमने हिन्दुस्तान का जो चित्र देखा है वह सदा हमारे हृदय और ध्यान में रहेगा। आज हिंडिया कांग्रेस कमेटी को पूरा विश्वास है, कि प्रस्तुत जोश ठंडा हाँ जाने पर, हिन्दुस्तान की समस्याओं पर समुचित दृष्टिकोणों से विचार किया जायगा और उस वक्त दो राष्ट्रों को धारणा निर्मूल पिछ़े होकर तथा दी जायगी।

३ जून, १९४७ की तजवीज़ों के अनुसार सम्भवतः हिन्दुस्तान के कुछ भाग इससे अलग हो जायें। बड़े खेद के साथ, मौजूदा हालात में आज हिंडिया कांग्रेस कमेटी इस सम्भावना को मान रही है।

गो आज्ञादी निकट दै मगर समय भी विकट दै। आज्ञादी के दीवानों में, आज के हिन्दुस्तान की परिस्थिति, सतर्क तथा संगठित रहने की माँग कर रही है। आज के संकट-समय में, जबकि देशद्रोही तथा विच्छेद करनेवाली शक्तियाँ हिन्दुस्तान और इसकी जनता के हितों को आहत करने की चेष्टा कर रही हैं, आज हिंडिया कांग्रेस कमेटी, आम जनता और विशेषकर प्रथेक कांग्रेसी से तक़ाज़ा करती है, कि वह अपने छोटे-माटे फ़गाड़े भूलकर सतर्क और संगठित हो तथा हिन्दुस्तान की आज्ञादी को, इर उस व्यक्ति से जो इसे हानि पहुँचाना चाहता है, अपनी पूरी ताक़त लगाकर सुरक्षित रखने के लिए तत्पर हो जाय।

इसके बाद हिन्दुस्तानी रियासतों-विधायक प्रस्ताव जिसकी सिफारिश कार्यकारिणी ने की थी, श्री पट्टाभी सीतारामया द्वारा पेश किया गया और शंकरराव देव ने उसका समर्थन किया।

प्रधान के पास आठ संशोधन प्राप्त हुए थे जिनमें से १ विधि-विस्तृद घोषित हुआ। शेष संशोधनों पर एक घटे बहस के बाद मत लिए गये। अधिकांश संशोधन वापस ले लिए गये, और जिन पर मत लिया गया वे भी गिर गये। मूल प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

प्रस्ताव के शब्द इस प्रकार हैं:-

### हिन्दुस्तानी रियासतें

“आज हिंडिया कांग्रेस कमेटी, विधान-परिषद् में बहुत-सी रियासतों के शामिल होने का स्वागत करती है। कमेटी आशा करती है कि शेष सभी रियासतें भी, आज्ञाद हिन्दुस्तान के विधान-निर्माण में, जिसके अनुसार रियासती इकाइयाँ संघ में समिलित होनेवाली दूसरी इकाइयों की तरह ब्रावर की भागीदार होंगी, अपना-अपना सहयोग देंगी।

२. जो वैधानिक तबदीलियाँ की जा रही हैं उनमें रियासतों की स्थिति, कैबिनेट मिशन के मेमोरेंडम तात्प १२ मई १९४६ तथा १६ मई, १९४६ के वक्तव्य में निर्धारित कर दी गयी है। ३ जून १९४७ के वक्तव्य ने इस स्थिति में कोई तबदीली नहीं की। इन दस्तावेजों के अनुसार, हिन्दुस्तानी संघ में ब्रिटिश भारत और रियासतें दोनों शामिल होंगी। सर्वोपरि सत्ता, अधिकार हस्तांतरित होने पर समाप्त हो जायगी, और यदि कोई रियासत संघ में समिलित नहीं होती, तो

बइ किसी अन्य प्रकार के राजनीतिक नाते से बँध जायगी। मैमोरेंडम में यह भी लिखा था, कि हिन्दुस्तानी रियासतों ने अपने-अपने तथा सब के हितों के खातिर, विदिश सरकार को सूचित कर दिया है कि वे विधान-निर्माण में भाग लेंगी और उसके बन जाने पर इसमें अपना-अपना स्थान भी प्राप्त करेंगी। यह आशा भी प्रकट की गयी थी कि अपने के ऐसी रियासतों को, जिन्होंने अभीतक ऐसा नहीं किया, अपने यहाँ की प्रजाओं के साथ नज़दीकी तथा ध्िथरसम्बन्ध कायम रखने के लिए और प्रजा की राय जानने के लिए प्रतिनिधि संस्थाएँ स्थापित करनी चाहियें। यह भी सुझाया गया था, कि हिन्दुस्तानी सरकार और रियासतों के बीच, साफे मामलों सम्बन्धी जो प्रबन्ध है, नये समझौते हो जाने तक वही बदस्तूर चालू रहे।

३. जहाँ, आज इंडिया कांग्रेस कमेटी, केबीनेट मिशन के मैमोरेंडम के बाद, कुछेक रियासतों में प्रतिनिधि संस्था स्थापना में की गयी थोड़ी-सी उन्नति की सराहना करती है, वहाँ कमेटी को यह खेद भी है कि यह उन्नति बड़ी सामान्य और सीमित दुर्वै है। अधिकार इस्तातरित होने पर, आगामी दो मास में जो आधारभूत परिवर्तन होनेवाले हैं, उनको हाप्ति में रखते हुए यह अनिवार्य है कि रियासतों में भी ज़िम्मेदार सरकारों की स्थापना द्रुतगति से हो। आज इंडिया कांग्रेस कमेटी को भरोसा है, कि हिन्दुस्तान में वेग से होती हुई तबदीलियों के महेनज़र, रियासतों में भी उन्नति की जायगी और के उनकी प्रजाओं में संतोष तथा आमविश्वास उत्पन्न किया जायगा।

४. अंग्रेजी सरकार द्वारा सर्वोपरिस्ता के सिद्धान्तों के अर्थ और स्पष्टीकरण से कमेटी सहमत नहीं है; किन्तु यदि वही स्वीकार कर लिया जाय, तो भी, सत्ता-समाप्ति के जो परिणाम निकलेंगे वे सीमित रहेंगे। सर्वोपरिस्ता का अंत, रियासतों और भारत-सरकार के बीच प्रस्तुत ज़िम्मेदारियों, सुविधाओं और अधिकारों पर उलटा असर नहीं डाल सकेगा। आपस में बैठकर, दोनों पक्षोंवाले इन ज़िम्मेदारियों और अधिकारों पर विचार-विनियम कर लेंगे और तबदीलियों के अनुसार अपने सम्बन्ध कायम करेंगे। सर्वोपरिस्ता का अंत, रियासतों और भारत-सरकार के नाते को धराशाई नहीं कर देगा। इस अंत से रियासतें आज्ञाद नहीं बन जायेंगी।

५. १२ मई ४६ के मैमोरेंडम तथा १६ मई ४६ के वक्तव्य के अभिप्राय तथा संसार भर में जनता के स्वीकृत अधिकारों के अनुसार, यह स्पष्ट है; कि रियासती प्रजाओं को, उनके सम्बन्ध में किये जानेवाले कैसिलों में पूरा-पूरा दख़ल होना चाहिये। सत्ता, सभी मानते हैं, कि जनता में रहती है और यदि, सर्वोपरिस्ता का अंत होता है, तो रियासतों और वृटिश सम्राट के सम्बन्ध पर कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता।

६. सर्वोपरिस्ता के अधीन, जो प्रबन्ध चला आ रहा था, वह समस्त हिन्दुस्तान की शान्ति का ज़ामिन था। इस शान्ति की खातिर रियासती अधिकारियों के अधिकारों को सीमित करके उन्हें रक्षा भी प्रदान की गयी थी। हिन्दुस्तान के अमन-शान्ति की समस्या आज भी उतनी ही गम्भीर है जितनी कि पहले थी और रियासतों के भविष्य-निर्णय में इसको नज़र-अन्दाज़ नहीं किया जा सकता।

७. आज इंडिया कांग्रेस कमेटी, हिन्दुस्तान की किसी रियासत के स्वतंत्र हो जाने का इक तर्सीम नहीं करती, जिससे कि वह शेष भारत से अलग-थलग रह सके। इसका मतलब हिन्दुस्तानी हितिहास की गति तथा आज के हिन्दुस्तानियों की वास्तविक स्थिति से इकार करना होगा।

म. आल हंडिया कांग्रेस कमेटी को भरोसा है कि राजा लोग, आज की स्थिति को भली-भांति समझकर, अपनी प्रजाओं तथा समस्त भारत के हितार्थ, अपनी प्रजाओं के हमराह प्रजा-तंत्र की इकाइयाँ बनकर हिन्दुस्तानी संघ में सम्मिलत होंगे।

इसके बाद कांग्रेस के प्रधानने अपना भाषण दिया। नीचे हम उनके भाषण के अन्तिम भाग के शब्द देते हैं:—

“जब मैं इस संस्था का प्रधान बना था तो गांधीजी ने अपने एक प्रार्थना-भाषण में कहा था कि मुझे न केवल कॉटों का ताज सिर पर धारण करना होगा बल्कि कॉटों की सेज पर भी लेटना पड़ेगा। मैं ने जब यह अनुमत नहीं किया था कि सचमुच वही होगा। १६ अक्टूबर को मेरे प्रधान चुने जाने की धोषणा हुई और १७ ता० को मुझे विमान द्वारा नोआखली जाना पड़ा। उसके बाद मुझे बेहार जाना पड़ा और अभी-अभी पंजाब भी गया था। दोनों सम्प्रदाय वाले बद-बदा कर हिंसा और मारकाट कर रहे हैं और हाल की मिडन्ट में जिस प्रकार की संगदिली और जुल्म की बारदातें हुई हैं उनकी मिसाल पहुंचे कहीं नहीं मिलती। मैंने एक कुर्चा-देखा है जिसमें १०७ स्त्री-बच्चों ने अपनी आवृत्त बचाने के लिए छलाँगें लगाकर जाने दे दीं। एक दूसरी जगह, एक धर्मस्थान में पुरुषों ने २० स्त्रियों का इसी कारणवश अपने हाथों वध कर डाला। मैं ने एक घर में हड्डियों के ढेर देखे हैं, जिसमें ३०७ व्यक्तियों-प्रधिकांश स्त्री-बच्चों को-आक्रमणकारियों ने बंद करके ज़िंदा जला डाला था।

इन भयानक घटयों को देखकर इस समस्या के विषय में मेरे विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कुछ सदस्यों ने हम पर इत्तम लगाया है कि हमने भयभीत होकर यह निश्चय किया है। मैं इस आरोप के तथ्य को क्रूर करता हूँ मगर उस मतलब से नहीं जिसके अधीन कि यह आरोप किया गया है। जानों की ज्ञाति, या विधवाओं के विलाप या अनाथों के कल्नन या अनेक घरों के जलाये जाने का भय नहीं है, बल्कि भय इस बात का है कि यदि हम इस प्रकार एक दूसरे से बदला केने के लिए वार करते रहे तो अन्त में हम नर-भक्ती राज्य से भी ज्यादा पतित हो जायेंगे। जो नया दंगा होता है उसमें वही पहले वाले की तरह निर्दयता और पशुता के कुकर्म नज़र आते हैं। इस प्रकार हम एक दूसरे को पतित करते जा रहे हैं और सब धर्म की दुहाई देकर, धर्म के नाम पर! मैं हिन्दू हूँ और मुझे हिन्दू होने का गर्व है। इसलिए हिन्दू-धर्म मेरे नज़दीक, सहिष्णुता, सत्य और अहिंसा का परिचायक है या उसे कह लीजियेगा। वीरता-पूर्ण अहिंसा। यदि हिन्दू धर्म हन उच्च उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता और इन्सान से नर-वध और नर-भक्तीपन के नीच कुकर्म करवाता है तो मुझे ऐसे धर्म के लिए शर्म से सर झुका लेना पड़ेगा। और इन दिनों, मैं आपसे निवेदन करूँगा, कि मैंने अपने हिन्दुस्तानी होने पर अनेक बार शर्म महसूस की है।

मैं पिछले ३० साल से गांधी जी की संगति में रहा हूँ। मैं चम्पारन में उनके साथ ही लिया था। उनके प्रति मेरी वकादारी और श्रद्धा कभी डॉवॉडोल नहीं हुई। यह निजी नहीं वरन् राजनीतिक वकादारी है। जब-जब उनसे मेरा मतभेद भी हुआ तो मेरी विश्वास तर्कसंगत युक्तियों से उनका राजनीतिक सहज-ज्ञान मुझे अधिक ठीक प्रतीत हुआ। आज भी, मैं समझता हूँ कि गांधीजी अपनी श्रेष्ठतम निर्भीकता के साथ ठीक हैं और मेरा मत दोषयुक्त है। तो फिर मैं उनके साथ क्यों नहीं हूँ? इसका कारण यह है, कि मैं अनुभव करता हूँ, कि गांधीजी ने अभी तक इस समस्या का ऐसा हल नहीं निकाला कि जिसका प्रयोग जनसाधारण पर किया जा सके।

जब उन्होंने हमें अदिसापूर्ण असहयोग सिखलाया था तो हमें एक निश्चित तरीका समझाया था जिसपर हम मरीन की तरह अमल करते रहे। आज तो वे खुद अधिरे में टटोल रहे हैं। वे नोआखली गये थे तो परिस्थिति सुधर गई थी। अब वे बिहार गये हैं। वहाँ भी शान्ति हो रही है। किन्तु इससे पंजाब की भड़कती आग तो नहीं बुझती। वे कहते हैं कि बिहार में वे समस्त भारत के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या का हल निकाल रहे हैं। होगा! किन्तु हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि यह हो रहा है। अदिसापूर्ण असहयोग की तरह, कोई निश्चित पथ नहीं कि जिसपर चलकर हम अपनी मंज़ेल पर पहुँच जायें।

और फिर, बद्रिस्मती से, गांधीजी आज भी नीतियाँ बना सकते हैं, किन्तु इनपर आचरण आखिर दूसरों द्वारा ही होगा, और यह दूसरे, अभी उनके विचारों से सहमत नहीं हो पाये।

इन्हीं हृदय-विद्वारक हालात में, मैंने हिन्दुस्तान का विभाजन स्वीकार कर लिया है। आप जानते होंगे कि मेरा जन्मस्थान, परिवार और घर-बार परिस्थिति में है। मेरे बन्धु-बांधव सभी वहीं रह रहे हैं। सन् १९०६ में जब मैंने राजनीतिक चेत्र में क्रदम रक्खा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हिन्दुस्तान के किसी भाग-विशेष की आज़ादी की स्थातिर काम कर रहा हूँ। मैं तो समस्त भारत के लिए काम कर रहा था। इस देश का प्रत्येक नदी-नाला, कोना-कोना मेरे लिए पवित्र है। और इस कृत्रिम बैट्टोरे के बाद भी वह मेरे लिए वैसा ही बना रहेगा। अपने भाषण के शुरू में मैंने कहा था, कि हिन्दुस्तान में, कम से कम हर व्यक्ति को साम्राज्यिक आधार पर नहीं वरन् हिन्दुस्तानी नागरिकता के आधार पर सोचना चाहिये। और इस सम्बन्ध में, कल महामाजी की दी हुई शिक्षा की मैं सिकारिश करूँगा। यदि एक संयुक्त संगठित हिन्दुस्तान बनाना है तो किस महात्माजी की नीति पर ही चलना श्रेयस्कर होगा।

कहा जाता है कि इस फ्रैंसजे से स-स्प्रिंगिंक दंगे-किसाद बन्द नहीं होंगे और न हो सकेंगे। हाँ, इस समय तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि शैतान की गुड़ी चढ़ी है। तो फिर भविष्य में यह दंगे क्योंकर सँभाले जायेंगे? क्या यह ज़दीज़ा चक और भी वेग पछड़ लेगा जैसा कि अभी-अभी बदला लेने से बढ़ा है? इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने मेरठ के सभापति के भाषण में दे सुका हूँ। मैंने तभी कहा था कि केन्द्र ढीला पड़ जाने से प्रान्तों में मन-मानी होने लगी है। बिहार-उत्तराकार को चाहिए था कि बंगाल-सरकार को चेतावनी दे दे कि यदि बंगाल के हिन्दुओं पर अत्यराचार होते रहे तो बिहार-सरकार अपनी नेतृत्वीयता के बा-वजूद बिहारी मुसलमानों की जान-माल की रक्षा नहीं कर सकेगी। इस तरह मतलब यह होता कि मामला ऊँचे अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में पहुँच गया है। जहाँ सुधरिस्थित सरकारें इसपर एक दूसरे से बातचीत करेंगी। तब यह मामला उत्तेजित बलवाहियों के हाथों से, जिनके नज़दीक नैतिकता या कानून या संघर्ष तुच्छ होता है, निकल जाता। दंगाहियों का जोश अन्धा होता है। अन्तर्राष्ट्रीय अदिसा भी किसी विधि से की जाती है। मुझे यक्षीन है कि १६ अगस्त के बाद हिन्दुस्तान की बाग-डोर जिनके हाथों में होगी वे देखेंगे कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिन्दुओं के साथ अन्याय नहीं होता। यदि मेरे हृष्णदेवों का हिन्दुस्तान के पाकिस्तान विभाग पर कुछ भी असर हो सकता है तो मैं ज़हर कहूँगा कि 'दोनों विधान परिषदों को एक संयुक्त कमेटी नियुक्त करनी चाहिये जो कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का निर्णय करे।' इस प्रकार ड्यूकियों और दंगाहियों के जन-समूह और उसके बदले की आग से इनकी रक्षा हो सकेगी।

हमने देशी राज्यों के सम्बन्ध में अभी-अभी प्रस्ताव पाप किया है। इस सिलसिले में मैं एक बात सुझाना चाहूँगा। जिन रियासतों ने अभी तक अपने प्रतिनिधि विधान-परिषद् को नहीं भेजे हैं उनकी प्रजा ऐसे प्रतिनिधियों को स्वयं भेज दे। जहाँ व्यवस्थापिका सभाओं का अविरत है वहाँ वहाँ वे एसेम्बलियाँ विदिश भारत की एसेम्बलियों की ही भाँति एकाकी हरतांतरण-मत पद्धति-द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करते। जहाँ ऐसी एसेम्बलियाँ नहीं हैं वहाँ प्रतिनिधियों के चुनने के लिए अन्य उपाय काम में लाये जा सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों की विधान-परिषद् में, जो कि सर्वप्रधान सत्तात्मक संस्था है। हमारी बुनियादी अधिकारों की कमेटी में हमने स.रे देश के लिये एक ही सामान्य नागरिकता मान ली है। प्रथेक रियासत का नागरिक हिन्दुस्तान का नागरिक है और उसे भारतीय विधान-परिषद् में प्रतिनिष्ठित करने का अधिकार है। रियासत के बाहर से आया हुआ दीवान नागरिकों का यह अधिकार सीमित नहीं कर सकता। हमें भारत का विधान बनाने में रियासती प्रजाजन के परामर्श की ज़रूरत है। अब हम १६ मई के दस्तावेज से बँधे हुए नहीं हैं। कुछ भी हो, हमारी सभा सर्वोच्च शक्ति रखती है। भारत या हमसे बाहर का कोई भी न्यायालय हमारी विधान-परिषद् के फैसले पर कोई न्यायाधिकार नहीं रखती। अब चूंकि हमकी बैठक हो चुकी है और वह अपनी कार्यप्रणाली के नियम बना चुकी है इसलिए वह अपने बोट के अतिरिक्त और किसी के निर्णय से भंग भी नहीं हो सकती। मैं नहीं समझता कि हमारे देशी राज्यों के प्रतिनिधि विधान-परिषद् में क्यों नहीं स्वीकार किये जायेंगे।

फैलावे के रूप में मैं कहूँगा कि हमें उस आज्ञादी से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये जो शीघ्र ही मिलनेवाली है। हमें उस एकता के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए जिसे हमने शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न में खो दिया है। यह काम केवल भारत को सुदृढ़, सुखी, गणतंत्रात्मक और समाजसत्तावादी राज्य बनाकर किया जा सकता है जहाँ धर्म और जाति के भेदभाव बिना सभी नागरिक विकास का समान अवसर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का भारत अपने बिलुडे बच्चों को फिर अपनी गोद में बिठा सकता है। इस काम में उन सभी सच्ची सेनाओं और बलिदानों की आवश्यकता होगी जिनकी हमें आज्ञादी की छाड़ाई में ज़रूरत थी। हमें सभी शक्ति की भूखी राजनीति का परित्याग कर देना चाहिए। हमें उस त्याग कठिनाई और स्वेच्छापूर्ण अकिञ्चनता की गौरवपूर्ण परम्परा का परिस्थाग नहीं करना चाहिए जिसका निर्माण हमने जेल जाकर, लाठी-प्रहार सहकर और गोलियाँ खाकर किया है। हमें फिर अपने को उस नये कार्य में लगा देना चाहिए जो स्वतंत्रताप्राप्ति के समान ही मद्दतपूर्ण है, क्योंकि हमने जो आज्ञादी हासिल की है वह तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक भारत की एकता न स्थापित हो जाय। विभाजित भारत तो गुदाम बन जायगा। इसलिए हम दूसरी गुदामी से जहाँ तक शीघ्र हो सके दूर हो जायें। हमें स्वभाग्य-निर्णय के जो सुअवसर प्राप्त हुए हैं उन्हें अब हमारे भारत में एकता क्रायम करने के उत्कृष्ट ध्येय में लगा देना चाहिए; इस कार्य में दूसरे हमारी मदद करे।

## परिशिष्ट १

### कांग्रेस का घोषणापत्र

केन्द्रीय चुनावों के लिए कांग्रेस ने एक घोषणापत्र प्रकाशित किया था और उसके शीघ्र बाद ( ११-१२-४५ को ) केन्द्रीय और प्रान्तीय चुनावों के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र निकाला । यह दूसरा घोषणापत्र यहाँ प्रकाशित किया जाता है:—

“गत सितम्बर में ऑक्स हॅडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने अम्बई-अधिवेशन में यह निश्चय किया था कि आम जनता के सूचित करने और कांग्रेस-उम्मेदवारों के पथ-प्रदर्शन के लिए कांग्रेस बॉर्किङ कमेटी एक ऐसा घोषणापत्र तैयार करे और उसे स्वीकृति के लिए ऑक्स हॅडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मुख पेश करे जिसमें कांग्रेस की जीति और कार्यक्रम सम्मिलित कर लिए गये हों । बॉर्किङ कमेटी को यह अधिकार भी दे दिया गया था कि केन्द्रीय धारा-सभा के निवाचनों के लिए वह इस से पहले भी एक घोषणापत्र निकाल दे । इसके अनुसार यह चुनाव-घोषणापत्र जनता के सामने रखा जा सका है । बॉर्किंग कमेटी को इस बात का दुःख है कि प्रान्तों में आम चुनाव कीब हाँने के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सम्पूर्ण घोषणापत्र पर विचार करने के लिए निकट-भविष्य में कोई मीटिंग नहीं की जा सकेगी जिसकी आशा ऑक्स हॅडिया कांग्रेस कमेटी ने पहले प्रकट की थी । इसलिए बॉर्किंग कमेटी ने स्वयम् ही घोषणापत्र तैयार कर लिया है और सर्वसाधारण की सूचना और कांग्रेसी उम्मेदवारों के मार्ग-दर्शन के लिए इसे प्रकाशित करती है ।

घोषणापत्र का सम्पूर्ण रूप इस प्रकार है—

“राष्ट्रीय महासभा—कांग्रेस ने देश की स्वाधीनता के लिए साठ वर्ष प्रयत्न किया है । इस लम्बे काल में इसका इतिहास जनता का इतिहास रहा है, जो सदा उस बन्धन से छूटने का प्रयत्न करती रही है जिसने उसे जकड़ रखा है । छोटे-से आरम्भ से यह प्रगति करते हुए नगरों की जनता से दूर-दूर के गांवों की जनता तक आजादी का सन्देश पहुँचाती रही है और इस प्रकार वह इस विशाल देश में फैल गयी है । इस जनता से ही उसे शक्ति और ताकत मिली है और इसी के द्वारा वह ऐसे शक्तिशाली संगठन के रूप में परिवर्तित होसकी है और स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए भारत के इद्द निश्चय की प्रतीक बन गई है । वह इसी पवित्र प्रयोजन के लिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी आत्मसमर्पण करती रही है और इसके नाम पर तथा इसके मरणों के नीचे इस देश के असंख्य स्त्री-पुरुषों ने आत्मबलि दी है और अपनी की हुई शपथ पूरी करने के लिए भीषण कष्ट सहन किये हैं । सेवा और त्याग के द्वारा इस ने हमारे देशवासियों के हृदयों में स्थान पा लिया है; हमारे राष्ट्र के प्रति असम्मानसूचक बातों के सम्मुख आत्मसमर्पण करने से इन्कार करके इसने विदेशी शासन के विरुद्ध शक्तिशाली आनंदोलन खड़ा कर दिया है ।

हृष्टर शक्तिशाली

“कांग्रेस के कार्यकलाप में जनहित के लिए रचनात्मक कार्यक्रम भी शामिल रहा है और

आज्ञादी हासिल करने के लिए अनधिकार संघर्ष भी। इस संघर्ष में इसने कितने ही संकटों का सामना किया है और बार-बार एक सशस्त्र साम्राज्य की ताकत से टक्कर ली है। कांग्रेस शान्तिमय साधनों का प्रयोग करते हुए इन संघर्षों के बाद केवल जीवित ही नहीं रही, बल्कि इनसे उसे और भी शक्ति प्राप्त हुई है। हाल के तीन वर्षों में जो अभूतपूर्व सामूहिक उफान आया है उसके कूर और निर्मम दमन से कांग्रेस और भी अधिक दृढ़ हो गई है और उस जनता की यह और भी प्रिय होगई है जिसका इसने तूफान और कष्ट के समय साथ दिया है।

### सबके लिए समान अधिकार

“कांग्रेस भारत के प्रत्येक नागरिक—स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों की समर्थक रही है। इसने सब सम्प्रदायों और धार्मिक दलों की एकता, सहिष्णुता और पारस्परिक शुभेच्छा के लिए काम किया है। वह सभी को उनकी प्रवृत्ति और विचारों के अनुसार उन्नति और विकास का सुअवसर प्राप्त होने का समर्थन करती रही है। वह राष्ट्रके अन्तर्गत प्रत्येक दल और प्रादेशिक ज़ंग्रीकी आज्ञादी के हक्क में है जिससे वह बड़े ढाँचे के अंदर अपने जीवन और संस्कृतिका विकास कर सके, और वह इस बात को घोषित कर दुकी है कि इस कार्य के लिए ऐसे सीमान्तर्गत प्रदेशों या प्रान्तों का निर्माण जहाँतक होसके भाषा और संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। यह उम सभी के अधिकारों के पक्ष में है जिन्होंने समाजिक अत्याचार और अन्याय सहन किये हैं और सभी बाधाएँ दूर कर उनमें समानता कायम करने के हक में हैं।

“कांग्रेस एक ऐसे स्वाधीन जनसत्तामक राष्ट्र की कल्पना करती है जिसके विधान में सब नागरिकों को बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताओं का आश्वासन दिया गया हो। इसके विचार में यह विधान संघीय होना चाहिए और उसकी वैधानिक इकाइयों—प्रान्तों को स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए और उसको धारा-सभाओं का निर्माण वयस्क-मताधिकार-द्वारा निर्वाचित सदस्यों-द्वारा होना चाहिए। भारत का संयुक्त राष्ट्र विभिन्न खण्डों का मनोनीत संघ होना चाहिए। प्रान्तीय इकाइयों को महत्तम स्वतंत्रता देने के लिए संघशासन के प्रभुत्व में केवल कुछ विभाग और परिमित शक्ति सौंपी जानी चाहिए। यह (नियम) सभी इकाइयों पर लागू होंगे। इसके लिया एक सूची ऐसे नियमों की भी बन सकती है जिन्हें केवल वही प्रान्त स्वीकार करें जो ऐसा करना चाहें।

### वैधानिक अधिकार

“विधान में मौजिक अधिकारों का उल्लेख होगा, जिसमें नीचे लिखी बातें भी सम्मिलित होंगी।—

(१) भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार स्वतंत्रता से व्यक्त करने, स्वाधीनता-पूर्वक मिलने-जुलने और समृद्ध बनाने, शान्तिपूर्वक विश्वासन्न होते हुए एकत्रित होने का अधिकार होगा वशरें कि उसका उद्देश्य कानून वा नैतिकता के विरुद्ध न हो।

(२) प्रत्येक नागरिक को आत्मिक स्वतंत्रता और अपने धर्म पर प्रत्यक्ष रूपमें चलने का अधिकार होगा वशरें कि इससे सार्वजनिक शान्ति या नैतिकता को कोई नुकसान न पहुँचता हो।

(३) अखण्ड-संस्थक जातियों और विभिन्न भाषा-ज्ञेयों की संस्कृति व भाषा तथा लिखित की रक्षा की जायगी।

(४) धर्म, जाति, वर्ण और लिंगमें व्यावज्ञा द्वारा ज्ञान की इच्छा में समाज होंगे।

(५) किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण अथवा लिंगभेद के कारण सरकारी नौकरी और सम्मान अथवा इयापार, व्यवसाय में कोई बाधा प्रस्तुत न होगी।

(६) कुर्वों, तालाबों, सड़कों, पाठशालाओं और सार्वजनिक स्थानों पर, जिन्हें राष्ट्रीय अथवा स्थानीय धन से बनाया गया हो या इक्कियों की ओर से सर्व-साधारण के लिए जिनका दान किया गया हो, सब नागरिकों का समान अधिकार होगा।

(७) इस सम्बन्ध में प्रचलित नियम और संरचनाओं के अधीन रहते हुए प्रत्येक नागरिक को अस्त्र-शस्त्र रखने का अधिकार होगा।

(८) गैर-कानूनी तौर पर किसी भी इक्कि की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया जायगा। उसके निवास-स्थान में प्रवेश या जायदाद पर अधिकार नहीं किया जा सकेगा और न उसे ज़बत किया जा सकेगा।

(९) सब धर्मों के विषय में केन्द्रीय शासन निष्पक्षता का व्यवहार करेगा।

(१०) सभी बालिंगों को मताधिकार होगा।

(११) केन्द्रीय शासन सब के लिए निश्चल और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करेगा।

(१२) प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी घूमने, ठहरने अथवा बस जाने का और कोई भी इयापार व्यवसाय करने का और कानूनी अभियोगों में समान-व्यवहार प्राप्त करने का तथा भारत के सभी भागों में रहा पाने का अधिकार होगा।

“इसके अतिरिक्त राष्ट्र जनता के पिछड़े अथवा दलित अंशों के लिए आवश्यक संरचना और निवास के प्रबन्ध का भी उत्तरदायी होगा, जिससे वह शीघ्रता-पूर्वक उन्नति कर सके तथा राष्ट्रीय जीवन में सम्पर्णता और बरावरी का हिस्सा हासिल कर सकें। विशेषतया राष्ट्र सीमान्त प्रदेशों की जनता के विकास में और उसकी वास्तविक प्रवृत्तियों के अनुसार दलित जातियों की शिक्षा। तथा सामाजिक व आर्थिक उन्नति में सहायता देगा।

#### अनेक समस्याएं

“विदेशी शासन के डेढ़ सौ वर्षों ने देश की वृद्धि को रोक दिया है और कितनी ही समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं जिनका तुरन्त ही समाधान होनी चाहिए। इस काल में देश और जनता के गम्भीर उत्पीड़न से सर्व-साधारण भूख और सन्ताप की गहरी खाइयों में गिर चुके हैं। देश को केवल राजनीतिक पराधीनता का ही अपमान नहीं सहना पड़ा, वरन् उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आत्मिक अवनति भी हुई है। भारतीय हितों और दृष्टिकोण की नितान्त उपेक्षा से एक अनुत्तरदायी शासन द्वारा युद्ध के इन वर्षों में उत्पीड़न, और शासन की अयोग्यता इस सीमा तक जा पहुँची है कि हम भयंकर दुर्भिक्ष और सर्वद्वापी हुर्गति के शिकार होगये हैं। इन में से किसी भी आवश्यक समस्या का हज़र स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बिना सम्भव नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता के निर्माण में आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का समिलित होना आवश्यक है।

#### गरीबी दूर करना

“भारत के सामने बहुत ज़रूरी सवाल यह है कि गरीबी के कारणों को किस प्रकार हटाया जाय। सर्वसाधारण की इस भलाई और उत्तेजित के लिए कांग्रेस ने खास ध्यान दिया है और वह रचनात्मक कार्यवाह्यों करकी रही है। उम्हीं की भलाई और उन्नति की कसौटी पर प्रत्येक प्रस्ताव और परिवर्तन की परख इसने की है और घोषित किया है कि हमारे देश की जनता की दुःख-निवृत्ति के मार्ग में जो भी बाधाएँ आयें उन्हें अवश्य ही दूर कर देना चाहिए। उचोग-धन्धों और कृषि,

सामाजिक सेवाओं और उपयोगिता आदि सभी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए तथा हमें आधुनिक ढंग पर लाकर हनका शीघ्रता के साथ प्रचार होना चाहिए जिससे देश का मूलधन बढ़े और दूसरों का आश्रय लिये विना इसकी आत्मोक्ताति की शक्ति में बृद्धि हो। लेकिन हन सबका खास मकाम जनता की भजाई और उसका आर्थिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर ऊचाकरना, बेकारी दूर करना तथा वैयक्तिक आत्मसम्मान बढ़ाना ही होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक होगा कि सभी हेत्रों में समाजसत्तावादी उक्ति की एक योजना बनायी जाय और उसका एकीकरण किया जाय जिससे व्यक्तियों अथवा समूहों के हाथों में धन तथा शक्तियाँ इकट्ठी न हो जायें, ऐसे स्वार्थों को न पक्षपने दिया जाय जो सामूहिक हितों के शब्द हों और भूमि, उद्योग-धन्धा तथा राष्ट्रीय कार्यों के दूसरे अंगों में उत्पत्ति और बैटवारे के तरीकों पर, यातायात के साधनों और खनिज स्रोतों पर समाज का नियंत्रण हो सके, जिससे आजाद हिन्दुस्तान परस्पर सहायक राष्ट्रमण्डल के रूप में विकसित हो सके। मूल उद्योग-धन्धों और नौकरियों पर, खनिज स्रोतों पर, रेल, नहर, जहाज तथा सार्वजनिक यातायात के दूसरे साधनों पर भी इसीलिए राष्ट्र का आधिपत्य और नियंत्रण होना आवश्यक है। मुद्रा और विदेशी लेन-देन, बैंक और बीमा हमें राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से अवश्य ही नियंत्रित कर देना होगा।

### गाँवों की समस्या

“हालाँकि सारे हिन्दुस्तान में गरीबी फैली हुई है, पर खासतौर पर यह समस्या गाँवों की है। इस की ग्रास वजह यह है कि ज़मीन पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है और जीवन-निवाह के अन्य साधनों का अभाव है। ब्रिटिश आधिपत्य में हिन्दुस्तान को धोरे-धोरे अधिक ग्राम्य बना दिया गया है, दूसरे धन्धों और काम-काजों के कितने ही रास्ते बन्द कर दिये गये हैं और इस तरह जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को उस ज़मीन पर निर्भर करने के लिए मजबूर कर दिया गया है जिसके लगातार छोटे-छोटे टुकड़े हुए जा रहे हैं और अब जिसका अधिक अंश आर्थिक दृष्टि से बेकार बन चुका है। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि भूमि की समस्या का सभी पहलुओं से निराकरण किया जाय। खेती को वैज्ञानिक ढंग पर उन्नत करना और सब तरह के उद्योग-धन्धों का शीघ्रतापूर्वक विकास करना आवश्यक है जिससे केवल धनोपार्जन ही न हो, बल्कि भूमि पर आश्रित जन-संख्या को भी खपाशा जा सके—खासकर गाँवों के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन मिले जो कि पूरे समय या आंशिक समय के लिए वांछित व्यवसाय के रूप में हो। यह आवश्यक है कि डॉयोग-धन्धों की योजना और विकास में जहाँ समाज के लिए अधिक-से-अधिक धनोपार्जन का आदर्श हो इस बात का सदा ध्यान रखा जाय कि इससे और नयी बेकारी न बढ़ने पाये। योजनापूर्वक कामकाज की खोज हो और सभी समर्थ व्यक्तियों को करने के लिए काम मिले। भूमिहीन किसान-मजदूरों को काम करने के अवसर दिये जाने चाहिए जिससे वह खेती या उद्योग-धन्धों में खप सके।

### भूमि-प्रथा में सुधार

“भूमि-प्रथा में सुधार के लिए, जो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, किसान और शासन के बीच के माध्यमों को इटाना पड़ेगा। इसलिए हन बीच वालों (ज़मीदारों) के अधिकारों को कमित मूल्य देकर ले लेना होगा। जब व्यक्तिगत खेती और किसान के भूस्वामित्व का जारी रखना ठीक है तो उन्नत कृषि और सामाजिक मूल्य तथा प्रोत्साहन के लिए भारतीय परिस्थिति में हपयुक्त सामूहिक खेती की एक प्रणाली आवश्यक है। परन्तु ऐसा कोई भी परिवर्तन समझ किसानों की स्वीकृति और प्रसन्नता से ही हो सकता है। इसके लिए वांछनीय है कि भारत के

भिन्न-भिन्न भागों में परीक्षण के रूप में शासन की सहायता से सामूहिक कृषिक्षेत्र बनाये जायें। नमूना पेश करने के लिए राष्ट्रकी और से बड़े-बड़े कृषिक्षेत्र भी संगठित किये जायें।

### जमीन की उन्नति

“उद्योग-धन्धों और भूमि-सम्बन्धी उन्नति तथा विकास में ग्राम्य तथा नागरिक आर्थिक-स्थिति में उचित सम्बन्ध और सन्तुलन होना चाहिए। विगत समय में ग्रामों की आर्थिक-स्थिति विगड़ती गयी है और ग्रामों का परियाया होने से शहर और कस्बे समुद्दिशात्मी होते गये हैं। इसे ठीक करना ही पड़ेगा और इस बात का प्रयत्न करना होगा कि जहाँ तक सम्भव हो नगर और गांवों में रहनेवालों के रहन-सहन के ढंग एक से होजायें जिससे सभी प्रान्तों की आर्थिक स्थिति समान हो सके। किन्हीं विशेष प्रान्तों में श्रोदोगीकरण केन्द्रित नहीं होजाना चाहिए और जहाँ तक होसके इसे निपुणतापूर्वक सर्वत्र प्रसारित कर दिया जाय।

“भूमि और उद्योग-धन्धों की उन्नति तथा जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए देश की बड़ी-बड़ी नक्षियों की महान् शक्ति का नियंत्रण और उचित प्रयोग आवश्यक है। आजकल यह शक्ति न केवल व्यर्थ जा रही है बल्कि बहुधा भूमि और उस पर रहनेवाले लोगों के नुकसान का कारण होती है। सिंचाई के काम को उन्नत बनाने के लिए तथा पानी के बैटवारे को निरस्तर और एक समान रखने के लिए विनाशकारी बांदों को रोकने के लिए, मलेरिया को दूर करने और पानी की बिजली के विकास के लिए तथा जुदा-जुदा तरीकों से ग्रामीण जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने में सहायता पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि नदी-कमीशानों का निर्माण किया जाय। इस प्रकार तथा अन्य उपायों से देश के शक्ति-स्रोतों का शीघ्र ही विकास करना है जिससे उद्योग-धन्धों तथा खेती की उन्नति के लिए ज़रूरी नींव लगी की जा सके।

### सर्वसाधारण की शिक्षा

“सर्वसामान्य जनता की बौद्धिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकार्यों से उन्नति करने के लिए उसकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना आवश्यक है जिससे आवश्यक होनेवाले कार्य और सेनाओं को नये ज्ञेत्रों के लिए वह उपयुक्त सिद्ध हो सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्थाओं का जो किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है, विस्तृत परिमाण में प्रबन्ध होने चाहिए और दूसरे मामलों की तरह इसमें भी ग्रामीण जेत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ प्रसूता और शिशुओं के लिए ज्ञासुविधाएँ होनी चाहिए।

“इस तरह ऐसी स्थिति पैदा करदी जाय जिससे प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यक्रम के हर ज्ञेत्र में उन्नति का बराबर अवसर प्राप्त हो तथा सबको ही सामाजिक संरक्षण मिले।

“विज्ञान, कार्य के अग्रणित जेत्रों और मानव जीवन तथा आकांक्षाओं को अधिक परिमाण में प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ाता है और भविष्य में यह आज से भी अधिक प्रभावित करेगा। उद्योग, कृषि और संस्कृति-सम्बन्धी सब उन्नति तथा राष्ट्रीय आत्मरक्षा का प्रभ क्ष सब इसी पर आकृति हैं। इसीलिए वैज्ञानिक अनुसन्धान राष्ट्र का मौखिक कर्तव्य हो जाता है। इसका संगठन और प्रचार सुविस्तृत परिमाण पर किया जाना चाहिए।

### मजदूरों का संरक्षण

“राष्ट्रीय शासन, उद्योग-धन्धों में लगे मजदूरों के हितों की रक्षा करेगा और उन्हें एक निश्चित मजदूरी, रहन-सहन का अद्वितीय ढंग, रहने के लिए उपयुक्त घर, काम के घरटों की नियन्त्रित और नियंत्रित संरक्षा आदि, देश की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए जहाँ तक सम्भव

होगा अन्तर्राष्ट्रीय प्रादर्शों के अनुसार कर पायेगा और मान्यक तथा मजदूरों के बीच पैदा होनेवाले कहाँ निवासने के लिए उचित साधन काम में लायेगा। इसके अतिरिक्त बुढ़ापे, दीमारी और बेकारी के आर्थिक परिणामों के विरुद्ध सुरक्षा के प्रबन्ध जुटायेगा। अपने हितों की रक्षा के लिए संघ स्थापित करने का मजदूरों को अधिकार होगा।

“गुजरे ज्ञाने में खेती पर आश्रित ग्रामीण जनता कर्ज के बोझों से पिसती रही है। यद्यपि कई कारणों से गत वर्षों में इसमें कुछ कमी हुई है, किन्तु कर्जों का बोझ अभी जारी है, इसलिए इसे दूर करना है। आसान शर्तों पर उधार दिलाने की सुविधाएँ उन्हें सहयोग-संगठनों से दिलानी आवश्यक है। सहयोगी संगठन तो अन्य कामों के लिए भी ग्रामों और नगरों में बन जाने चाहिए, खास कर उद्योग-धनधारों में तो सहयोग-संगठनों को विशेष प्रोत्साहन मिलाने चाहिए। जनतंत्रात्मक आदर्शों पर छोटे परिमाण के उद्योग-धनधारों के विकास के लिए यही विशिष्ट और उपयुक्त साधन है।

“भारत की इन आवश्यक गुणितों को एक संयोजित और संयुक्त प्रयत्न से ही सुलझाया जा सकता है जो राजनीतिक, आर्थिक, कृषि तथा उद्योग-सम्बन्धी तथा सामाजिक विषयों में एक साथ व्यवहार में लाया जाय। आज के समय की कुछ महान् आवश्यकताएँ भी हैं। सरकार की असीम अयोग्यता और कुप्रबन्ध से भारत के असंख्य लोगों को अग्रणित यातनाएँ भोगनी पड़ी हैं। लाखों व्यक्तियों ने भूक्ष से तड़प-तड़प कर प्राण रक्षणे हैं और अब भी वस्त्र और खाद्य की कमी चारों ओर स्पष्ट है। सरकारी नौकरियों, जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं की बाँट और नियन्त्रण के विभागों में घूसखोरी फैली हुई है जो असहा हो गई है। इस समस्या का समाधान तुरन्त ही होना चाहिये।

### अन्तर्राष्ट्रीय मामले

“अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कांग्रेस स्वतन्त्र राजदूरों के क्रिश्व-ध्यायी संघ-शासन का समर्थन करती है। जब तक ऐसा संघ न बन सके भारत को सभी देशों से मैत्री स्थापित करनी है, विशेष कर अपने पड़ोसियों से। सुदूर पूर्व में, दलिया पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में हजारों वर्षों तक भारत का ध्यापारिक अथवा सांस्कृतिक सम्बन्ध बना रहा है और यह अवश्यम्भावी है कि स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् भारत इन पुरातन सम्बन्धों को उनर्जीबित करे तथा इनका विकास करे। रक्षा के प्रश्न और भविष्य की ध्यापारिक प्रवृत्ति के कारणों से भी इन देशों से घने सम्बन्ध स्थापित हो जाने सम्भव हैं। वह भारत जिसने अपने स्वतंत्रता के संदर्भ में अद्वितक साधन बर्ते हैं, सदा ही विश्व-शान्ति और सहयोग को अपना समर्थन दिया करेगा। वह सभी पराधीन देशों की स्वाधीनता का पोषक रहेगा क्योंकि केवल स्वतन्त्रता की इसी नींव पर और साम्राज्यवाद के हटाए जाने पर ही संसार में शान्ति की स्थापना सम्भव है।

“द अगस्त १९४२ को ऑब इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था जो अब भारत के इतिहास में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। उसकी मांगों और चुनौती का आज कांग्रेस समर्थन करती है। उसी प्रस्ताव के मूलाधार पर और उसी के युद्ध-नाद से कांग्रेस आज चुनावों का मुकाबिला कर रही है।

“इसलिए कांग्रेस देश भर के मतदाताओं से प्रार्थना करती है कि वह सब उपायों से कांग्रेसी उम्मीदवार की आगामी निर्वाचनों में सहायता करें और इस नाजुक समय में कांग्रेस का साथ दें जो कि भविष्य की सम्भावनाओं से सारगमित है। इन निर्वाचनों में छोटे-छोटे प्रश्नों की

कोई गणना नहीं है, न धर्मिकात या संकीर्ण जातीय संबंध के प्रश्न ही कोई कुछ अर्थ रखते हैं; केवल एक ही बात परमावश्यक है और वह है इमारी मानवभूमि की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता जिससे शेष सब स्वतंत्रताएँ हमारी जनता को प्राप्त हो जायेंगी। भारत के लोगों ने कितनी ही बार स्वतन्त्रता की शपथ ली है। वह शपथ निभानी अभी शेष है और इमारा वह प्रिय आदर्श, जिसके लिए कि शपथ ली गई है और जिसकी पुकार को हमने कितनी ही बार सुना है, इमें अब भी दुखा रहा है। समय आ रहा है जब कि हम उस शपथ को पूर्ण रूप से निभा सकेंगे। यह निर्वाचन तो हमारे लिए एक छोटी-सी परीक्षा है जो आनेवाले महत्तर संघर्षों की तैयारी मात्र है। वह सब जोग जो भारत की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता की अभिज्ञाषा और चिन्ता करते हैं इस परीक्षा का शक्ति और दृढ़ता से सामना करें तथा उस स्वतंत्र भारत की ओर बढ़ें जिसका सब स्वभाव देखते हैं।”

## परिशिष्ट ३\*

### दक्षिण अफ्रीका को समस्या

दक्षिण अफ्रीका की समस्या १९०२ से ही घसटती आ रही थी, और अब वह ‘पेंगिंग ऐक्ट’ कहे जानेवाले कानून से उत्पन्न परिवर्तनों की तीव्रता की मंजिल से गुज़र जुकी थी। यह ऐक्ट और डस्के १९४३-४६ तक के परिणाम ऐसे हुए हैं जिन्होंने जनता के ध्यान को अपनी और आकर्षित कर लिया था और भीषण सार्वजनिक चिन्ता का विषय बन गया। जोचे लिखे महत्वपूर्ण पत्रकों से दक्षिण अफ्रीका के आनंदोलन का अधिकृत वर्णन प्राप्त हो सकेगा।

१९४३ हूँ० के पहले नेटाल में हिन्दुस्तानियों ने ध्यवस्थापक और म्युनिसिपल दोनों ही तरह के मताधिकार युरोपियनों के समान ही प्राप्त कर रखे थे। पहले-पहल १९४३ हूँ० में उनके ध्यवस्थापक मताधिकार छीने गये; पर उन लोगों को अपचाद के रूपमें छोड़ दिया गया जिनके नाम मतदाताओं की सूची में आ जुके थे। किन्तु उस ज़माने में हिन्दुस्तानियों ने इसका जो विरोध किया उसकी सुनवायी हुई और इस (मताधिकार-विभान) पर जन्मदान का भी अनुकूल मत मिल गया।

१९४६ हूँ० में हिन्दुस्तानियों को वहाँ पार्लीमेंटरी मताधिकार से प्रकटतया इस आधार पर वंचित कर दिया गया कि वे (हिन्दुस्तानी) तो अपनी मानवभूमि-भारत में ही इस अधिकार से वंचित हैं। १९२४ हूँ० में वे म्युनिसिपल अधिकारों से वंचित कर दिये गये, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका न तो केन्द्रीय शासन-ध्यवस्था पर कोई प्रभाव रह गया, न प्रान्तीय या स्थानीय पर ही। ढरबन या अन्य स्थानों में स्थित हिन्दुस्तानी बस्तियों की स्थानीय अधिकारी घोर उपेत्ता करने लगे।

हिन्दुस्तानियों के लिए यहाँ स्कूल अलग खोले गये, और कहों-कहीं हिन्दुस्तानियों और अफ्रीकनों के लिए अलग अस्पताल भी खोले गये। नेटाल विश्वविद्यालय के कालेज में कोई भी हिन्दुस्तानी वास्तिक नहीं हो सकता।

रेखगाड़ियों में सामान्यतः हिन्दुस्तानी सिर्फ उन्हीं खास डड्हों में गैर-युरोपियनों के साथ बैठ सकते हैं जो उनके लिए ‘रिज़र्व’ होते हैं और सरकारी दफ्तरों—इाक व तारघरों तथा

\* परिशिष्ट २ केवल कानूनी मामलों से सम्बद्ध होने के कारण छोड़ दिया गया है। —प्रकाशक

रेलवे टिकटबरों में गैर-युरोपियनों के लिए काउण्टर — कठबेरे तक अलग बने हुए हैं। यह भेदभाव और तो और न्यायालंबियों में भी बर्ता जाता है।

सरकारी और भूमिसिपल नौकरियों से हिन्दुस्तानियों को बिलकुल ही वंचित कर दिया गया है—अपवादस्वरूप उन्हें कहीं-कहीं नीचे की नौकरियों—मोटे कामों पर लगा दिया गया है। हाँ, हिन्दुस्तानियों के लिए अलग खोले गये स्कूलों में अध्यापकों और कुछ कचेहरियों में दुमाचियों के पदों पर भी हिन्दुस्तानियों को रखा गया है।

अभी हाल तक नेटाज्ञ में हिन्दुस्तानियों को जो सुविधाएँ प्राप्त थीं उनमें शहरों और ग्रामों में भूसम्पत्ति खरीदना और उनपर अधिकार करना भी था; परन्तु १९४३ 'पेंगिंग ऐक्ट' द्वारा इस सुविधाके उपयोग पर भी कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। फीलड-मार्शल स्मट्स ने अब पार्लीमेण्ट में एक घोषणा की है कि वे नेटाज्ञ और द्रान्सवाल के हिन्दुस्तानियों पर असर डाक्कनेवाले नये कानून पेश करेंगे।

(क) नेटाज्ञ में 'पेंगिंग ऐक्ट' की अवधि मार्च १९४६ में समाप्त हो जाने पर नया कानून लागू होगा जिसके द्वारा हिन्दुस्तानी वहाँ भू-सम्पत्ति खरीदने में असमर्थ होंगे; केवल कुछ निश्चित दस्तकों में वह ज़मीन खरीद सकेंगे।

(ख) जब कि 'पेंगिंग ऐक्ट' के बजाए डरबन में ही लागू होता है और भूमिका आदान-प्रदान के बजाए हिन्दुस्तानियों और मुरोपियनों के बीच हो सकता है; पर नया कानून तो सरे नेटाज्ञ प्रान्त के शहरों और गाँवों पर लागू होता है, और इस तरह भूमि का आदान-प्रदान न केवल युरोपियनों और हिन्दुस्तानियों के बीच बन्द करता है बल्कि किसी भी जातिवाले से हिन्दुस्तानी ज़मीन नहीं खरीद सकते जिसमें युरोपियन, रंगीन जातिवाले बोन्टू, चीनी, मलायी आदि सभी सम्मिलित हैं।

(ग) नये विधान के अनुसार द्रान्सवाल नगर और गाँवों में हिन्दुस्तानियों के रहने-सहने और रोज़गार-धन्यवाद करने के लिए अलग ही चेत्र नियत कर दिये गये हैं जिसके द्वारा हिन्दुस्तानियों की व्यापारिक कियाशीलता को बिलकुल नष्ट न भी किया गया तो शिथिल और सीमित ज़रूर कर दिया जायगा। इस प्रकार व्यापारिक लेन्डों से उन्हें दूर हटाकर और अन्य ऐसी जातिवालों की जनता के—जिन के साथ उनका अवतक व्यापारिक सम्बन्ध रहा है—संस्पर्श से विच्छिन्न करके हिन्दुस्तानी व्यापारी को नष्ट कर दिया जायगा।

इसके अतिरिक्त द्रान्सवाल में व्यापार और लाइसेन्स के कानून हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध बड़ी कठोरता से काम में जाये जाते हैं—यहाँतक कि लाइसेन्स बोर्ड बिना कारण बताये किसी भी हिन्दुस्तानी को लाइसेन्स देता नामंजूर कर सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे के नाम लाइसेन्स बदलने के बारे में भी यही नियम लागू होता है।

नेटाज्ञ में भी लाइसेन्स के कानून हिन्दुस्तानियों के लिखाफ़ बड़ी कठोरता से काम में जाये जाते हैं, और उसका आधार जातीय भेदभाव को बनाया गया है।

(घ) हिन्दुस्तानियों को नेटाज्ञ और द्रान्सवाल के यूनियन लेजिस्लेचर में जो प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा वह भी उसी प्रकार के जातीय भेदभाव के अन्तर्गत मिलेगा जो दक्षिण अफ्रीका के बोन्टू लोगों और मुज़ल्लिनियासियों पर लागू होगा। हिन्दुस्तानी समाज का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा निर्वाचित तीन युरोपियन सदस्य करेंगे। पर १५० सदस्यों की व्यवस्थापिक सभा में तीन सदस्यों की विसात ही क्या होगी।

## परिशिष्ट

इस प्रस्तावित विकास के कानून के रूप में परिवर्तित होजाने पर केपटाउन के १६२७ ई० के समझौते के विरुद्ध और फलतः दक्षिण अफ्रीका की यूनियन सरकार और भारत-सरकार के बीच विश्वासात् हो जायगा और समय-समय पर यूनियन सरकार-द्वारा दिये गये वचन और आश्वासन मिही में सिल जायेंगे ।

**सूचना**—इस परिशिष्ट-द्वारा हम नेटाल और द्रान्सवाल में हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध की जानेवाली कानूनी अवस्थाओं और कठिनाहर्यों का केवल अल्प परिचय दे सके हैं । जीवन के अन्य छोड़ों में युरोपियनों का हिन्दुस्तानियों के प्रति दुर्व्यवहार कष्टप्रद होते हुए भी यहां उनका वर्णन छोड़ दिया गया है और केवल पत्र-व्यवहार द्वारा विषय प्रकट किया गया है ।

### वाइसराय को पत्र

श्रीमान् फील्ड-मार्शल महामान्य वाइकाउण्ट वेल्स, वाइसराय और गवर्नर-जनरल,  
हिन्दुस्तान,—

नई दिल्ली ।

### महोदय,

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले अर्थकि—सर्वश्री सोरावजी दस्तमजी, सुवाराम नायदू, आजमकाह अहमद मिर्जा और अहमद सादिक एम० काजी-जो दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, और उसकी केपटाउन में हुई दर्बी से १३ दर्बी फरवरी १६४६ ई० की सालवीं काल्फर्में-द्वारा मिसुक हुए हैं, और नीचे लिखे दक्षिण अफ्रीकन हिन्दुस्तानी, जो इस समय हिन्दुस्तान में है, परिवहन के प्रस्ताव के आदेशानुसार आपकी सेवा में उस प्रस्तावित कानून पर यह वक्तव्य प्रेषित करते हैं जिसकी घोषणा फील्ड-मार्शल स्मट्स ने यूनियन पार्लीमेंट में २७ जनवरी १६४६ में की है और जिसमें उन्होंने अपना यह हरादा प्रकट किया है कि यूनियन पार्ली-मेंट में इस बैठक में नेटाल और द्रान्सवाल के हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध पहनेवाला कानून पेश किया जायगा ।

२—हम श्रीमान् की इस कृपा के लिए कृतज्ञ हैं कि पहले की विभिन्न व्यस्तताओं के होते हुए भी हत्तनी शीघ्रतापूर्वक श्रीमान् ने हमको मिलने का अवसर दिया ।

३—दक्षिण अफ्रीकी क्षी सरकार का वर्तमान हरादा परा किये जाने पर हमारी प्रतिष्ठा बहुत घट जायगी जिसके विरुद्ध हम १६४६ ई० से ही निश्चित लड़ाई लड़ते आ रहे हैं । १६४६ ई० में नेटाल में सारे हिन्दुस्तानी समाज को मताधिकार से वंचित कर दिया जायगा । इसको हमने व केवल नेटाल-प्रवासी हिन्दुस्तानियों के लिए, बल्कि मानूभूमि-भारत के प्रति अप्रतिष्ठानक समझा । उन दिनों दक्षिण अफ्रीका का यूनियन-संघ नहीं बना था; केप में हिन्दुस्तानियों का कोई असली सवाल नहीं था । आरेंज की स्टेट में जो थोड़े-बहुत हिन्दुस्तानी ब्यापारी थे उन्हें बिकाला जा जूका था और हमके लिए उसने यह गर्व प्रकट किया था कि उसने एसियाहर्यों के विरुद्ध पूरी सख्त कार्रवाई करकी है । द्रान्सवाल में छिट-फुह दिन्दुस्तानी ब्यापारी थे जिनमें फेलीवाले आदि भी समिलित थे । ‘खोकेशन’ या अस्ती की बह प्रणाली जो बाद में ‘पुथक्करण’ या अलग बसावट के नाम से मशहूर हुई, वहाँ काफी थड़ी । नेटाल के गोरों ने स्वेच्छापूर्वक अैर अपने स्वर्णवर्ष बहुत-से हिन्दुस्तानियों को ‘शर्तबन्दी कुली प्रथा’ के अनुसार अपने गन्ते के लेतों और दाय बगानों में तथा अन्य कारखानों में काम करने के लिए अपने यहाँ बुलाया । उन अभिकों के पीछे कितने ही हिन्दुस्तानी ब्यापारी तथा अ य पेशेवाले वहाँ पहुँचे जिससे

प्रात्र वहाँ पैंचमेल हिन्दुस्तानी आबादी हो गयी ।

४—यूनियन या संघ की स्थापना का अर्थ कुछ लोग यह समझ सकते थे कि शायद उसके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में बसो सभो जातियों के लिए संघ बन जायगा जिसमें अफ्रीकन या बोन्टू; युरोपियन और एशियावासी ( मुख्यतः हिन्दुस्तानी ) सभी समिक्षित होंगे । इस प्रकार का संघ वास्तव में एक आदर्श परम्परा की चीज बन जाती । पर न तो ऐसा होना था, न हुआ । इसके विपरीत यह यूनियन या संघ अकोहा और एशिया के निवासियों का विरोधी संघ बन गया । यूनियन या संघ के विकास का प्रत्येक वर्ष उसको इस प्रहार को प्रगति प्रदशित करने लगा और प्रवासी हिन्दुस्तानियों और उनके वंशजों-द्वारा उसका प्रबल विरोध भी बढ़ने लगा । जैसा कि इसके साथैनथी परिशिष्ट पत्र 'क' से स्पष्ट है ।

५—हम श्रोमान् से केवल इसी दक्षिणद्वीप से इस पर विचार करने को कहते हैं । जिस कानून का पूर्वभास फोल्ड-मार्शल स्मट्स ने दिया है, और जिसके फलस्वरूप दक्षिण अफ्रीका से प्रतिनिधि-मण्डल शीघ्रतापूर्वक यहाँ पहुँचा है, वह शायद एशियाहीयों को स्थायी निकृष्टता कायम रखने का सबसे बड़ा प्रयत्न है । इस खण्डनकारी शस्त्र ने पूर्ण रूप से असमानता और हीनता का प्रसार कर दिया है । इस प्रकार पार्थक्य के अलग-प्रत्यग सेव बन गये हैं जिनमें से एक को गोरों ने अपने लिए इस कारण सुरक्षित कर लिया है, जिससे कानून के द्वारा बाध्य करके अन्य जातियों में भी पार्थक्य को विस्तृत किया जाय । भगवान् ने मनुष्य के 'एक विशाल मानव-परिवार' के स्लूप में बनाया है । दक्षिण अफ्रीका की गोरी जाति इस ( परिवार ) को रंग-भेद के अनुसार तीन हिस्सों में बाँट देगी ।

६—जिस नये कानून को बनाने की धमकी दी गयी है वह तो खराब है ही, पर भावी मताधिकार-कानून उससे भी खराब है । यह मताधिकार का ब्यंग है, और हमारा जो नीचा दर्जा बनाया जानेवाला है, उसका तोषण स्मारक है; और वह ( दर्जा ) हतना नीचा बनानेवाला है कि हम अपना प्रतिनिधि तक चुनने के लिए उपयुक्त नहीं समझे जाते ।

७—हम सुदूर-दक्षिण अफ्रीका से अपने प्रिय द्यक्षित्व और सम्पत्ति को रक्षा मौंगने के लिए नहीं आये हैं, बल्कि हम आये हैं श्रीमान् से और मातृभूमि की जनता से यह कहने के लिए कि समानता का दर्जा प्राप्त करने के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी आप कदर, क्योंकि यह संवर्ध हमारी ही तरह हमारी मातृभूमि के लोगों का भी है; और हम आपसे तथा उनसे उननी सहायता चाहते हैं जितनी आप और वे इसे दे सकते हों । दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ करने का प्रयत्न किया जा रहा है वह बिटेन और स्वयं फोल्ड-मार्शल ( स्मट्स ) की घोषणाओं के विरुद्ध है ।

८—हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों के हक में विटिश शक्ति इस देश को छोड़नेवाली है । ऐसो अवस्था में क्या हम श्रोमान् से पूछ सकते हैं कि क्या यह आपका दुहरा और विशेष कर्तव्य नहीं है कि समानता के लिए आप अपना रुक्ष स्पष्ट करें और उसे अनिश्चित रूप में न ब्यक्ष करें ।

९—यूनियन सरकार ने नया कानून बनाने की घोषणा करने का इरादा प्रकट करके हिन्दुस्तानी समाज को हतना डरा दिया कि दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस ने अपनी उपयुक्त कानूनेन्स में फोल्ड-मार्शल स्मट्स के पास अपना शिष्टमण्डल भेजने का निश्चय किया । इस शिष्टमण्डलने उनसे अनुरोध किया कि वे उस व्यवस्थाको पेश न करें जो हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध पहने-

बाली है, और यूनियन सरकार तथा भारत-सरकार को गोदमेन परिषद् बुलाकर उस सिफारिश की पूर्ति करें जिसकी सिफारिश नेटाज्ञ इंडियन जुडोशियन कमीशन ने मार्च १९४५ में की थी। फीश-मार्शल ने उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था जिसके बाद कान्फरेन्स ने बहुत सोच-विचार के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:—

के पटाउन,

१२ फरवरी, १९४६

“दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कॉम्प्रेस की यह कान्फरेन्स, उस डेपुटेशन की रिपोर्ट सुनने के बाद, जो प्राह्म मिनिस्टर ( समट्रस ) से मिला था, इस बात पर अपनी गम्भीर निराशा प्रकट करती है कि उन्हों ( प्राह्म मिनिस्टर ) ने प्रस्तावित व्यवस्था पेश करने और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच गोल मेज परिषद् बुलाने से इन्कार कर दिया है।

यह कान्फरेन्स इस अस्वीकृति को मानव-समस्याओं का, वार्तालाप और पारस्परिक बाद-विवाद के द्वारा निर्णय करने का स्पष्ट विरोध मानती है और इस बात का योतक मानती है कि इस समाज पर अत्याचार करनेवाला कानून बनाने की सॉर्ट-गाँठ करली गयी है, और राजनीतिक सुविधा की वेदी पर इस समाज का भाग्य-निर्णय होनेवाला है और इस देश के गोरे प्रतिक्रियावादियों के कठोरतम अंश को सन्तुष्ट करने के लिए उसकी बलि दी जानेवाली है। यह व्यवस्था भूम्पत्ति और साम्राज्यिक प्रतिनिधित्व से सम्बन्ध रखती है और इसे प्राह्म मिनिस्टर पेश करने-वाले हैं; पर यह भारत राष्ट्र के प्रति अनादर और उसके गौरव और प्रतिष्ठा के विपरीत अवृत्ति बिछ-कुल ही अस्वीकार्य है।

दक्षिण अफ्रीकन इंडियन कॉम्प्रेस की यह कान्फरेन्स प्राह्म मिनिस्टर की अस्वीकृति का ख्याल रखते हुए यह निश्चय करती है कि इस देश के सभी हिन्दुस्तानी लोगों के साधनों का संगठन कर सभी ऐसे उपायों को काम में जायें जिसमें “पेंगिंग एक्ट” की अवधि निकल जाय, और यूनियन सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध निम्नलिखित ढंग से किया जाय:—

१—हिन्दुस्तान को शिष्ट-मण्डल भेज कर।

० (क) भारत-सरकार से अनुरोध किया जाय कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक गोलमेज परिषद् बुलाने की योजना की जाय।

(ख) और यदि यह न होसके तो भारत-सरकार से अनुरोध किया जाय कि वह—

१—दक्षिण अफ्रीका से अपने हाई कमिशनर का दफ्तर हटा दे।

२—दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई करे।

(ग) भारत में व्यापक प्रचार करके वहाँ की कोटि-कोटि जनता का पूर्णतम समर्थन प्राप्त किया जाय।

(घ) हिन्दुस्तानी नेताओं को दक्षिण अफ्रीका आने के लिए आमंत्रित किया जाय।

२—अमेरिका, ब्रिटेन और संसार के अन्य भागों को शिष्ट-मण्डल भेजा जाय।

३—दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों को मेलयुक्त और लम्बे प्रतिरोध के लिये तैयार करने के लिए तत्काल तैयारी की जाय, जिसका विवरण तैयार करने और अधीनस्थ संस्थाओंको कार्रवाई और आदेशानुवर्तन करने को प्रस्तुत करने के लिए। यह कान्फरेन्स अपनी कार्यकारिणी समिति को आदेश करती है।

१०—ऐसी अवस्थाओं में हम श्रीमान् से निवेदन करते हैं कि श्रीमान् अपना प्रभाव दालकर

दोनों सरकारों के बीच एक गोलमेज परिषद् कराने की व्यवस्था करें जिससे नेटाल इंडियन जुड़ी-शियल कमीशन के शब्दों में 'दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों पर असर डालने वाले सभी मामलों' का निर्णय हो सके। किन्तु यदि इस दिशा में श्रीमान् के प्रयत्न दुभाग्यवश असफल हो जायें तो हम अपने उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार निवेदन करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन से भारत-सरकार अपने हाइ कमिशनर का दफ्तर हटाकर और यूनियन सरकार के विरुद्ध आर्थिक और राजनीतिक कार्रवाई अमल में लाये। हम इस बात से अनजान नहीं हैं कि इससे दक्षिण अफ्रीका का कोई बहुत बड़ा भौतिक नुकसान नहीं होगा। हम यह जानते हैं कि बदले की कार्यवाही से हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। परन्तु यह कार्रवाई अमल में लाने पर उसका जो भौतिक मुद्द्य होगा उसके मुकाबले में इस मुकसान को हम कुछ भी न समझेंगे।

आपके आज्ञाकारी सेवक—

सोराबजी रहस्तमजी (खोदर)

एस० आर० नायदू

ए० एस० एम० काजी

ए० ए० मिर्जा"

साथ में नथी पत्रक

### प्रस्ताव नं १

"दक्षिण अफ्रीकन कांप्रेस की कान्फरेन्स की यह बैठक, प्राइम मिनिस्टर की उस प्रस्तावित व्यवस्था-सम्बन्धी घोषणा से गम्भीर रूप में तुच्छ हुई है, जिसमें द्रान्सवाल और नेटाल प्रान्तों के भूसम्पत्ति के अधिकार समिलित है और जो यूनियन पार्लिमेंट की इसी बैठक में पेश होनेवाली है, और जिसके द्वारा हिन्दुस्तानी समाज के नेटाल और द्रान्सवाल में भू-सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों और आर्थिक एवं सामाजिक विकास को कठोर रूप में सीमित करने की योजना की गयी है।

"प्राइम मिनिस्टर ने हिन्दुस्तानी सवाल का निवारा करने के लिए जो प्रस्ताव तैयार किये हैं वे हिन्दुस्तानी समाज के लिए बिलकुल अस्वीकार्य हैं, क्योंकि उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका के सारपूर्ण अल्प-संख्यक समाज के मानवीय अधिकारों और मानवीय आज्ञादी पर अभूत-पूर्व आक्रमण किया गया है, और वे उन उच्च सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं जो अटलाइटिक और संयुक्त राष्ट्रों के उन समझौतों के अन्तर्गत हैं जिनके प्रति उनके रचयिताओं का असन्दिग्ध विश्वास है कि वह संसार की भावी शान्ति के लिए अनिवार्य है।

"यह कान्फरेन्स शिएटमेंट को अधिकार देता है कि वह प्राइम मिनिस्टर से अनुरोध करे कि वे हिन्दुस्तानी समाज की विरोधी व्यवस्था पेश न करें, और सादर निवेदन करे कि यूनियन सरकार शीघ्र ही भारत-सरकार को आमंत्रित करे कि वह एक प्रतिनिधि-मण्डल यूनियन सरकार और भारत-सरकार में गोलमेज परिषद् करने के लिए यूनियन सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत चलाने को भेजे जिससे उन सभी मामलों के बारे में किसी निर्णय पर पहुँचा जा सके जिसका दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों से सम्बन्ध है। इस प्रकार नेटाल इंडियन जुड़ीशियल कमीशन की एकमात्र सिफारिश के अनुसार—जिसे प्राइम मिनिस्टर ने इतना महत्व प्रदान किया है—यह कार्य समर्पक हो। और इसके अतिरिक्त इस प्रकार की गोलमेज परिषद् उन परिषदों का सिल्ल-सिल्ला होगी जो यूनियन और भारत की सरकारों के बीच हो सकती है।

दक्षिण अफ्रीकन इण्डियन कॉंग्रेस कान्फरेन्स के उस शिष्टमण्डल की रिपोर्ट जो ११ फरवरी १९४६ को महामाननीय जनरल जेंटलमैन स्मट्स से मिला था—

“श्रीमान् सभापति और कॉंग्रेस के उपस्थित सदस्यगण

आपका शिष्टमण्डल प्राइम मिनिस्टर से आज दोपहर बाद ३ बजे मिला। बातचीत १ बजटा २० मिनट तक हुई।

२—आपके नेता श्री काजी ने वह प्रस्ताव प्राइम मिनिस्टर की सेवा में उपस्थित किया जो गत रात पास हुआ था और ट्रान्सवाल लैंड ऐण्ड ट्रेडिंग ऐकट (१९३६) और डरबन पर खागू परिंग ऐकट (१९४३) के पास होने की कारण-भूत घटनाओं का हवाला देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि एक गोलमेज़ परिषद् की जाय। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि इस ऐकट का आशय ट्रान्सवाल के व्यवस्थापक प्रस्ताव और बूम कमीशन की मीमांसा के विरुद्ध है और परिंग ऐकट का डरबन में जारी रहना केपटाउन-समझौते का भंग करना है, और यह कि हिन्दु-स्तानी समाज हसे वापस ले ने की मांग करता है।

३—श्री काजी ने प्रधान मंत्री से यह भी निवेदन किया कि उन्होंने अपने ३० जनवरी १९४४ के पत्रक में यह विचोषित करते हुए कि प्रिटोरिया का समझौता अब मृत हो चुका है, कहा था—‘प्रिटोरिया-समझौता अपने उद्देश में सफल नहीं हुआ अतः यह आवश्यक हो गया कि समझौते के लिए दूसरे रास्ते खोजे जायें’। यह रास्ता नेटाक इंडियन जुडीशियल कमीशन का दिखाया हुआ है, और अब चूंकि नेटाक इंडियन जुडीशियल कमीशन ने एकमात्र यही सिफारिश की है कि इस समस्या का हल इंडियन और यूनियन सरकारों के बीच वार्ताकाप होने पर ही निकल सकता है, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूनियन-सरकार भारत-सरकार को आमंत्रित करे कि वह अपना शिष्टमण्डल इस देश को भेजे।

४—इसके अतिरिक्त प्राइम मिनिस्टर से यह भी निवेदन किया गया कि व्यवस्थापक प्रस्ताव ब्रूस कमीशन की सिफारिशों से संबंधित करते हैं, और वह स्वयं प्राइम मिनिस्टर के १० मार्च १९४६ को एसेम्बली-भवन में दिये गये उस वक्तव्य के विरुद्ध हैं जो उन्होंने सेन-फ्रांसिस्को के लिए रवाना होते समय कहा था कि (समस्या का) हज़ स्वेच्छा-पूर्वक निकाला जा सकता है; वाध्यता-पूर्वक नहीं। ऐसी अवस्था में ऐसी व्यवस्था को अमल में लाना जिससे हिन्दुस्तानियों के लिए (पृथक्) सेव्र बनें, जबर्दस्ती या वाध्य करके पृथक् करने के समान होगा, और श्री काजी ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि वे अपनी व्यवस्था-सम्बन्धी कार्रवाई से बाज़ आयें और एक गोलमेज़ परिषद् बुझायें।

५—श्री काजी ने जनरल स्मट्स से अपील की कि चूंकि वह (स्मट्स) संयुक्त राष्ट्रसंघ के समझौते की भूमिका के खट्टा हैं इसलिए उस समझौते के सिद्धान्तों को अपने ही देश में लागू करें।

६—केपटाउन-समझौता एक द्विपक्षीय समझौता था और यह कि वर्तमान प्रस्तावों का अभिप्राय यह है कि समझौते के एक पार्श्व को तोड़ दिया जाय, इसलिए गोलमेज़ परिषद् बुझाने की ज़रूरत है।

७—श्री काजी ने कहा कि हिन्दुस्तानियों ने पहले ही अपनी आर्थिक क्रियाशीलताएँ बड़ी संख्या में केवल नेटाक प्रान्त में सीमित कर दी हैं, और यह कि उस प्रान्त में और भी सीमित बेत्र का निर्माण करने से उन्हें नेटाक के किसी भी भाग में जायदाद खरीदने और अपने अधिकार में करने की उन सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जायगा जो इस समय उपलब्ध हैं। इससे

समस्या और भी जटिल हो जायगी ।

८—श्री काजी ने और भी कहा कि १६२७ से हिन्दुस्तानी समाज ने केपटाउन-समझौते का पालन अपनी ओर से पूर्णतः किया है, और यह समाज आत्मावज्ञन के द्वारा जीवन के पाश्चात्य मापदंड की ओर अग्रसर हुआ है और वह अपने आर्थिक मापदंड को इतना बढ़ा रहा है कि नेटाज के युरोपियन, जो पहले हिन्दुस्तानी जीवन के विज्ञ मापदंड को एक खतरा कहकर उसकी शिकायत करते थे, अब यह कहने लगे हैं कि अब हिन्दुस्तानी अपने जीवन का मापदंड उन्नत करके उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, और हिन्दुस्तानी लोग इसी बिना पर पाश्चात्य मापदंड की आवश्यकताओं के अनुरूप बनने के लिए जमीन और मकान की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं । इस तरह युरोपियन दोनों ही पहलुओं से अपनी बात का औचित्य सिद्ध करना चाहते हैं । नेटाज के युरोपियन हिस तरह अपनी ही बात काट रहे हैं ।

९—श्री काजी के बाद वर्किल फ्रिस्टोफर ने प्राइम मिनिस्टर से बड़ी ही मार्मिक और हार्दिक अपील करते हुए कहा कि वे (स्मर्ट्स) स्वतंत्रता-सम्बन्धी विश्व-समझौते के जन्मदाता के रूप में ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव न रखें जो हिन्दुस्तानी समाज के बिरुद्ध पड़े, और जनरल स्मर्ट्स से इस बात को नुतक्कपूर्वक कहा कि वे यूनियन सरकार और भारत-सरकार के प्रतिनिधियों के बीच अपीक्षित बातचीत का सिद्धान्त लागू करें, क्योंकि गोलमेज परिषद् का यह ढंग मानवीय झगड़ों को निबटाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है ।

१०—इसके बाद श्री सोराबजी हस्तमजी ने श्री फ्रिस्टोफर की अपील के समर्थन के अतिरिक्त यह भी कहा कि वे (जनरल स्मर्ट्स) संसार के मामलों में बहुत उच्च स्थान रखते हैं, और उन्हें हिन्दुस्तानी समाज को अपदस्थ नहीं करना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तानी भी उनके बैसे ही बच्चे हैं जैसे युरोपियन, इसलिए उन (हिन्दुस्तानियों) के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए ।

११—जवाब में जनरल स्मर्ट्स ने कहा कि यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानवीय मामलों में गोलमेजी बातचीत का बढ़ा महसूस होता है, पर उन्हें अफसोस है कि वह दक्षिण अफ्रीका में बारालाप करने के लिए भारत-सरकार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं कर सकते ।

१२—उन्होंने कहा कि पहली गोलमेज परिषद् भारत-सरकार के अनुरोध पर बुलायी गयी थी और यह कि डस समय दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानी जनसंघव्य घटाने के लिए कुछ उपाय सुझाये थे, और यह कि केपटाउन-समझौते का बह अंश इस अर्थ में मर चुका है कि अब दक्षिण अफ्रीका से जोग जा नहीं रहे हैं, और यह इसलिए कि हिन्दुस्तानी हिस देश में अपने देश की अपेक्षा अद्वितीय स्थिति में हैं । केपटाउन-समझौते की केवल अप-लिप्ट (उन्नति-सम्बन्धी) धारा बाकी रही है ।

१३—भारत-सरकार के साथ गोलमेज कानूनरेस करने का मतलब है दक्षिणी अफ्रीका के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना । हिन्दुस्तानियों का भारत-सरकार से अपील करने का अर्थ होगा जले पर नमक लगाना । यह अक्षण्यनीय है । यह तो बैसे ही है जैसे हर बार तकङ्गीक आते ही इच्छा लोगों का हाँचेंड से अपील करना ।

१४—उन्होंने कहा कि केपटाउन-समझौते के परिणामस्वरूप एक (हिन्दुस्तानी) एजेंट जनरल की नियुक्ति हुई थी जिसका दर्जा बढ़ाकर हाई कमिशनर का कर दिया गया था । इसका दर्जा बैसा ही था जैसा ब्रिटेन, कनाडा या आस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका-स्थित हाईकमिशनरों

का है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-सरकार से प्रतिनिधित्व पदले भी प्राप्त होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। दिविश अफीका को जो उच्चाधिकार प्राप्त है उसका यह तकाज़ा है कि हिन्दुस्तानी समस्या को वह अपने एक धरेलू मामले की तरह समझे और उसके साथ वैसा ही बताव करे। उसके साथ बाहरी हस्तक्षेप न हो। उन्होंने शिष्टमण्डल से कहा कि वह उनके उस प्रस्ताव पर विचार करे जो यह कठिन समस्या सुलझाने के लिए बिल के रूप में पेश किया जायगा और इसके द्वारा एक पृथक् सेत्र का निर्माण कर दिया जायगा, जहाँ हिन्दुस्तानी और अन्य लोग जमीन खरीद कर उस पर अधिकार कर सकेंगे। इससे हिन्दुस्तानी समाज बेहज़ती और पृथक्करण के दोषों से बच जायगा।

१५—उस सीमित लेन्ट्र के अतिरिक्त अन्य सभी लेन्ट्र केवल युरोपियनों के कबड्डे के लिए सीमित होंगे। और यह कि दो हिन्दुस्तानियों और दो युरोपियनों का एक कमीशन बनेगा जिसका अध्यक्ष एक तटस्थ और विशिष्ट व्यक्ति होगा। यह कमीशन समय-समय पर किसी भी लेन्ट्र की स्थिति का निरीक्षण करता रहेगा और ऐसे लेन्ट्र निर्धारित करता रहेगा, जिससे उन हिन्दुस्तानी तथा अन्य लोगों की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी जो उन सुलें सेत्रों में ज़मीन खरीदकर बसना चाहेंगे।

१६—उदाहरण के रूप में उन्होंने (जनरल स्मट्स) ने पोर्ट शेपस्टीन और ग्लैंको के स्वेच्छा-पूर्ण समझौतों का ज़िक्र किया और कहा कि इस प्रकार के समझौतों की पुष्टि कमीशन करेगा और उन्हें पार्लीमेंट स्वीकार करेगी।

१७—ब्रूम कमीशन और मिचेल पोस्टवार-कमीशन के द्वारा सरकार को बढ़त-सी सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर वह तथा प्रस्तावित कमीशन उन लेन्ट्रों की सूची तैयार कर सकेगा जिनके द्वारा ढारन में और उसके आसपास हिन्दुस्तानियों की ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी।

१८—श्री काजी के एक प्रश्न के उत्तर में जनरल स्मट्स ने कहा कि द्रान्सवाल-की स्थिति में बिशेष परिवर्तन नहीं किया जा रहा है; किन्तु १८८२के तीसरे कानूनके अनुसार ऐसे सुलें लेन्ट्र तैयार कर दिये जायेंगे जहाँ हिन्दुस्तानी ज़मीन खरीद कर उन पर अधिकार कर सकेंगे। जनरल स्मट्स ने ज़ोरदार शब्दों में यह भी कहा कि ध्यापार के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। इसका नियंत्रण तो लाइसेन्स के कानून द्वारा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नेटाल या द्रान्सवाल के किसी भी सुस्थिर अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जायगा।

१९—इसके बाद जनरल स्मट्स ने कहा कि इस बिल द्वारा नेटाल और द्रान्सवाल के हिन्दुस्तानी समाज को पार्लीमेंट प्रांतीय कौन्सिल्सों सह सिनेट में प्रतिनिधित्व दिया जायगा। उन्होंने शिष्टमण्डल और कान्फरेंस से अपील की कि वे इन प्रस्तावों को न ठुकरायें। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा उपद्रव होगा और इसे ठुकराकर हिन्दुस्तानी तकलीफ उठायेंगे, और अन्त में यह हम सब के लिए नरक बन जायगा। इस समस्या का निराकरण करना ही होगा। नेटाल के युरोपियन बहुत बेचैन हैं और गम्भीर अशान्ति फैल सुकी है। उन्हें डर है कि उनकी उपेक्षा होने जा रही है। वह हिन्दुस्तानियों की आर्थिक प्रतिस्पर्धा से ढेर हुए हैं। सरकार को तथ्यों का सामना करना है, इसलिए इन प्रस्तावों को एक नीति के रूप में अमल में लाया जायगा।

२०—श्री काजी ने जनरल स्मट्स से फिर अपील की कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बावजूद भी उन्होंने अपने ही शब्दों और आशवासों की ओर ध्यान नहीं दिया है। श्री काजी ने कहा कि जनरल स्मट्स नेटाल के युरोपियनों के प्रति आमरमरण इसलिए कर रहे हैं कि वे अधिक शोर मचा रहे हैं और उनके पास अधिक राजनीतिक सत्ता है, और यह कि

“रहा वृम्-कमीशन, सो वह तो कोई हब्ब नहीं प्राप्त कर सका। ऐसी अवस्था में हमें स्वयं ऐसा हल ढूँढ़ निकालना चाहिए। हमें ऐसा हब्ब निकालना ही पड़ेगा। मैं हस मामले को बिगड़ते देख चुका हूँ। अन्त में इसके शिकार आप ही होंगे। आपने कहा है कि मैं अपनी जनसंख्या की जातीय विभिन्नता का स्वरूप स्वीकार करता हूँ। मैं इस स्थिति के बारे में गलती नहीं करता। तब तक यह समस्या सुखभ नहीं जाती और आपके लिए कुछ कर नहीं लिया जाता। तब तक हमारे हिन्दुस्तानी दोस्तों को सब से अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा।

“मैं इस देश में शान्ति चाहता हूँ। खोगों के मिजाज बहुत बिगड़ चुके हैं।

“पहली बात तो यह है कि आप ज़मीन की समस्या हल कर लें; इसके बाद राजनीतिक हब्ब प्राप्त करना होगा। आपको राजनीतिक दर्जा प्राप्त करना है, तब तक यह प्रतिहिन्दिता चलती रहेगी।

‘मैं उपापार को स्पर्श न करूँगा। आज का प्रश्न आर्थिक नहीं। उसका नियंत्रण तो वर्तमान लाइसेंस के कानून द्वारा ही ही रहा है।

“रहा ज़मीन का प्रश्न, सो आप विशेष लेंब्रों में पृथक् नहीं होना चाहते। आप यह तो स्वीकार करते हैं कि विलग रहना आवश्यक है। इससे आप पर कोई कलंक नहीं लगेगा। कुछ रपतंत्र सक्षिहित सेवा निश्चित कर दिये जायेंगे।

“यदि सामाजिक शान्ति प्राप्त करनी है, तो पृथक्, निवास आवश्यक होगा। तीन सेवा बनाये जायेंगे, पर उन्हें परस्पर मिलित नहीं किया जायगा। जैसे—नेटाज्ञ की हदवन्दी दिखाने के लिए वर्तमान लेंब्रों का स्पर्श नहीं किया जायगा और वर्तमान अधिकारों की रक्षा की जायगी।

“हमें वृम्-हमांशन में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण और मिचेज़-कमीशन में बहुत-सी सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। इनमें की व्यवस्था कर लेना बिलकुल सम्भव है। पोर्ट शेपस्टोन और लेंब्रों में कुछ हिन्तज़ाम हुआ भी था। मेरीलालवर्ग में भी कुछ व्यवस्था थी, पर वह रद कर दी गयी। हमें स्वतंत्र लेंब्रों की सूची बनानी होगी।

“पर आपको उससे भी और कुछ करना है। दो यूरोपियनों और दो हिन्दुस्तानियों का एक कमीशन नियुक्त होंगा। जिसका एक वेअररमैन या प्रधान और होगा। इस (कमीशन) को उन लेंब्रों की सिफारिश करने का अधिकार होगा जहाँ ज़मीन सुक्ष रूपमें खरीदी और बेची जा सकेगी। इस कमीशन की सिफारिशें पार्लिमेंट-द्वारा स्वीकृत होंगी।

दानसवाल में स्थिति बहुत नहीं बदली जा रही है, क्योंकि १८८५ के तीसरे कानून के अनुसार ऐसे खुले लेंब्र प्राप्त किये जा सकेंगे जहाँ हिन्दुस्तानी ज़मीन खरीद सकेंगे और उसपर अधिकार भी कर सकेंगे।

“इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा है आपका राजनीतिक दर्जा। उस समय आप राजनीतिक दृष्टि से बिलकुल अदृश्य हो चुके हैं। सरकार साम्राज्यिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव करती है, पर दुर्भाग्यवश आप उसे अस्वीकार कर चुके हैं। मैं नहीं समझता कि उस देश में राजनीतिक दृष्टि से कोई और आधार सम्भव है। आपको सामान्य मताधिकार में समिलित करने का प्रश्न कभी पालीमेंट से गुज़र नहीं सकता। व्यवस्था-द्वारा ही आप पर प्रतिबन्ध लगा दिये जायेंगे।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जनरल स्मैट्स ने कहा कि “केपटाडन समझौते की तो केवल अपक्षिप्ट (उन्नति)वाली भारा रह गयी है—शेष को ठुकराया जा चुका है। हिन्दुस्तानियों को शिद्धा आदि की भी सुविधाएँ दी जायेंगी और अटकाइक और सेनानिस्त्वको-समझौतों द्वारा

विवेचित प्रगति-सम्बन्धी सिद्धान्त उन पर भी लागू होंगे।”

पत्र

“प्राइम्-मिनिस्टर का दफ्तर

केपटाडन,

११ फरवरी, १९४६

## मिशन महाशय

मुझे आपको यह सूचित करने का गौरव प्राप्त हुआ है कि प्राइम-मिनिस्टर ने आज-सोमवार ११ फरवरी को दोपहर-बाद उस प्रतिनिधि-आवेदन को ध्यानपूर्वक सुना है जो श्री कार्ज़ एडवोकेट किंस्टोफर और श्री रस्तमजी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर किया है और जिसंद्वारा भारत-सरकार के प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज़ परिषद् करने का अनुरोध किया गया है श्रीमान् ने आपकी कान्फरेंस में पास हुए प्रस्ताव का भी अध्ययन किया है।

श्रीमान् प्राइम-मिनिस्टर ने प्रतिनिधि-मण्डल से यह बता दिया है कि किन कारणों भारत-सरकार के साथ गोलमेज़ कान्फरेंस नहीं की जा सकती। उन्होंने भूमि और मताधिकार बारे में विज़ा के मस्विदों के टन्ड में भी एक बयान दिया है, और उन्होंने प्रतिनिधि-मण्डल अपील की है कि वह दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों और युरोपियनों के हित की बातों को ध्या में रखते हुए उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। इन दोनों के बीच जो वर्तमान कठिनाइयाँ और मतभेद मौजूद हैं उन्हें दूर कर देना चाहिए।

सेक्रेटरी

आपका विश्वासपात्र,

साडथ अफ्रीकन हॉटियन कांग्रेस,

(इस्ताव्हर) हैररी डब्ल्यू० कूप

केपटाडन

प्राइवेट सेक्रेटरी

दक्षिण अफ्रीका की हॉटियन कांग्रेस कान्फरेंस-प्रस्ताव नं. ६ का मसविदा, १२ फरवरी १९४८

“दक्षिण अफ्रीका की हॉटियन कांग्रेस की यह कान्फरेंस उस शिष्टमण्डल की रिपोर्ट सुन के बाद, जो प्राइम-मिनिस्टर से मिला है, इस बात पर अपनी गम्भीर निराशा प्रकट करता है वे उन्होंने प्रस्तावित कानून को छोड़ देने से हन्कार कर दिया है और हिन्दुस्तान और दक्षिण-अफ्रीका के बीच गोलमेज़ कान्फरेंस करना स्वीकार नहीं किया है।

इस अस्वीकृति को यह कान्फरेंस मानव-समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत और पारस्परिक वाद-विवाद करने के सिद्धान्त को अस्वीकार करने के समान मानती है, और हा (अस्वीकृति) को हिन्दुस्तानी समाज पर अत्याचार करने के उपचरण्यापक ध्येय का घोतक मानती है और यह भी समझती है कि इस प्रकार उस (हिन्दुस्तानी समाज) का भाग राजनीतिक उद्देश्य सिद्धि की वेदी पर निछावर करने और कठोर गोरे प्रतिक्रिया-वादियों को परितुष्ट करने के लिए डांडिया है। भू-सम्पत्ति के उपयोग और सम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व-सम्बन्धी जो चिन्ह प्राइम-मिनिस्टर पेश करनेवाले हैं, वह विलुप्त ही अस्वीकार्य है और भारत-राष्ट्र की आत्मप्रतिष्ठा और गौर के विरुद्ध है।

दक्षिण अफ्रीका की हॉटियन कांग्रेस की यह कान्फरेंस प्राइम-मिनिस्टर की अस्वीकृति व ध्यान में रखते हुए इस देश के हिन्दुस्तानियों के सभी साधनों को सुसंगठित करने का निश्च करता है जिससे वह पेंगिंग-ऐक्ट समाप्त कराने और सरकार के प्रस्तावित कानून का विरोध करने के लिए निम्न प्रकार के सभी उपायों का उपयोग कर सके।

१—भारत को शिष्टमण्डल भेजकर:—

- (क) भारत-सरकार से अनुरोध करना कि वह अपने और दक्षिण अफ्रीका की सरकार के बीच गोलमेज कान्फरेन्स बुझाने की योजना करे।
- (ख) यह न हो सके तो भारत-सरकार से अनुरोध करना कि वह—
- (१) दक्षिण अफ्रीका से अपना हाई-कमिशनर हटा ले।
  - (२) दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई करे।
- (ग) भारत में सबल प्रचार-कार्य करना जिससे करोड़ों भारतवासियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो सके।
- (घ) हिन्दुस्तानी नेताओं को आमंत्रित किया जाय कि वह दक्षिण अफ्रीका आयें।
- २—अमेरिका, ब्रिटेन और संसार के अन्य भागों को शिष्टमण्डल भेजना।
- ३—शोषण ही दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों को ऐसे ऐव्यपूर्ण और जम्मे प्रतिरोध के लिए तैयार करना जिसका विवरण तैयार करके अपने वैधानिक संस्थाओं को भेजने और उस पर अमल करने का आदेश यह कान्फरेन्स अपनी कार्य-कारिणी को देती है।

### दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस कान्फरेन्स

प्रस्ताव नं० ८; १२ फरवरी, १९४६

यह कान्फरेन्स निश्चय करती है कि प्रस्ताव नं० ६ के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रतिनिधि-मण्डल हिन्दुस्तान के लिए रचाना हो जाय।

श्री सोराजी रस्तमजी, एडवांसेट ए० किस्टोफर, श्री एस० आर० नायदू, श्री एम० ढी० नायदू, श्री ए० एम० काजी, श्री ए० ए० मिर्जा और एस० एम० देसाई।

इनको अधिकार होगा कि वह किन्हीं भी ऐसे दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानी को स्वतः नामजद करके हम मण्डल में ले ले जो वैधानिक संस्था के सदस्य हों।

ओर इंग्लैण्ड तथा अमेरिका जाने के लिए नीचे लिखे व्यक्तियों का प्रतिनिधि-मण्डल बनाती है।

श्री ए० आर० काजी, डॉ० वाई० एम० दादू, श्री ए० एम० मूला, रेखरेण्ड बी० एल० ई० सीगामली और श्री पी० आर० पाथर।

इस मण्डल को अधिकार होगा कि वह किसी भी ऐसे दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानी को नामजद करके अपने में समिलित कर ले जो दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस की वैधानिक संस्था के मद्दस हो।

### परिशिष्ट ४

कांग्रेस-प्रस्ताव तथा मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि-दल और वाइसराय से हुए नेताओं के पत्रव्यवहार और बातचीत आदि।

#### कार्यकारिणी की कार्रवाई का सारांश

दिल्ली, १२-१३ अप्रैल, २५-३० अप्रैल, १७-२४ मई और १-२६ जून १९४६ ई०

कांग्रेस-कार्यकारिणी समिति की बैठक दिल्ली में १२ से १८ अप्रैल तक, २५ से ३० अप्रैल तक और फिर १७ से २४ जून और १ से २६ जून, १९४६ तक मौजूदा अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुई जिसमें श्रीमती सरीजिनी नायदू और सर्वथ्री जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्रप्रसाद, पट्टाभि सीतारामय्या, खान अब्दुल गफ्फार खाँ, शंकरराव देव, गोविन्दवल्लभ

पन्त, प्रफुल्लचन्द्र घोष, आसकबली, हेरेकृष्ण मेहताब और जे० बी० कृपसानी हाजिर थे। खान अबुल गफ्फार खाँ और हेरेकृष्ण मेहताब समिति की कुछ बैठकों में गैर-हाजिर थे। गाँधीजी कमिटी की दोपहर-बाद की बैठकों में आम तौर पर आया करते थे।

यह बैठकें खासकर मंत्रिमिशन की उस विधान-परिषद्-सम्बन्धी बातचीत पर बहस करने के लिए हुआ करती थीं जो स्वतंत्र और आजाद भारत का शासन-विधान बनाने और एक काम-चक्राऊ राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए बनायी जानेवाली थी।

#### मंत्रि-मिशन

फरवरी, १९४६ को भारत मंत्री लार्ड पेथिक-लारेंस ने ब्रिटिश पार्लीमेंट की कासन सभा में हस निश्चय की घोषणा की कि एक मंत्रि-मिशन भारत भेजा जायगा जिसमें सुद भारत मंत्री लार्ड पेथिक-लारेंस, व्यापार-संघ के प्रधान सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एडमिरल्टी के प्रथम लार्ड श्री ए० वी० अलग्जैन्डर भी समिक्षित होंगे, और जो भारत के प्रतिनिधियों के साथ बाइसरायके उस कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करेगा जिसकी उन्होंने १७ फरवरी, १९४६ को प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय असेम्बली के चुनावों के समय प्रकाशित की थी। घोषणा हस प्रकार थी :—

“सभा को समरण होगा कि १६ मई १९४५ को ब्रिटिश सरकार से बातचीत करके भारत लौटने पर बाइसराय ने सरकार की नीति के बारे में जो वक्तव्य दिया था उसमें यह कहा था कि केन्द्रीय और प्रान्तों के चुनाव हो जाने के बाद इन्हुस्तान के नेताओं की राय से भारत में पूर्ण स्वशासन स्थापित करने की विश्वित कार्यवाही ब्रिटिश सरकार करेगी।

“इन निश्चित कार्यवाहियों में से पहली में वह आरम्भक बातचीत समिक्षित होगी जो वह ब्रिटिश भारत के निर्वाचित सदस्यों के साथ करेगी और देशी राज्यों के साथ भी जिससे विधान-निर्माण के सम्बन्ध में अधिक-से-अधिक सहमति प्राप्त की जा सके।

“दूसरी कार्यवाही होगी ऐसी विधान-निर्माणी संस्था की स्थापना और तीसरी होगी वाइसराय की ऐसी कार्यसमिति का निर्माण जिसे सभी इन्हुस्तानी दलों का समर्थन प्राप्त हो।

“गत वर्ष के अन्त में केन्द्रीय निर्वाचन हो जुका है और कुछ प्रान्तों में भी चुनाव हो जुके हैं और ज़िम्मेदार सरकारों की स्थापना की कार्यवाही हो रही है। कुछ अन्य प्रान्तों में मतदान की तारीखें आगामी कुछ इफ्तारों में पढ़ी हैं। चुनाव का संघर्ष समाप्त होने के साथ ही ब्रिटिश सरकार इस बात को सफल बनाने पर विचार कर रही थी जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है।

“भारत या ब्रिटिश उपनिवेशों की ही नहीं, बल्कि सारे संसार की दृष्टि को सामने रखते हुए भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए सभाद्वारा की सरकार की आज्ञा से ब्रिटिश सरकार ने एक खास मिशन हिन्हुस्तान भेजने का निश्चय किया है जिसमें भारत-मंत्री (लार्ड पेथिक-लारेंस), व्यापार-संघ के प्रधान सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एडमिरल्टी के प्रथम लार्ड मि० ए० वी० अलग्जैन्डर बाइसराय के सहयोगी के रूप में जायेंगे।”

१५ मार्च १९४६ को प्रधानमंत्री कुमारेंट एट्ली ने भारत के लिए मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल भेजने में ब्रिटिश नीति का खुलासा किया।

मंत्रि-मिशन के सदस्य २३ मार्च को हिन्हुस्तान पहुँच गये और उन्होंने अपना काम साम्प्रदायिक और राजनीतिक नेताओं की सुचाकारों के रूप में शुरू कर दिया। मिशन ने कहा कि उसके पास नेताओं के सामने रखने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। ऐसी हालत में जो बातचीत हुई वह एक आम तरीके की और उपाय ढूँढ़ने के लिए की जानेवाली बहस के रूप में

थी। २७ अप्रैल को बातचीत समाप्त हो जाने पर मंत्रि-मंडल के पतिनिधि-दल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम निम्नलिखित पत्र भेजा :—

“२७ अप्रैल, १९४६

ग्रिय मौलाना साहब ।

मंत्रि-मिशन तथा माननीय वाइसराय ने उन विभिन्न प्रतिनिधियों-द्वारा व्यक्त किये गये मर्तों पर सावधानी के साथ फिर से विचार किया, जिन्होंने उनमें भेट की थी। मंत्रि-मिशन तथा वाइसराय महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता करवाने के लिये उन्हें एक बार और प्रयत्न करना चाहिये।

ने अनुभव करते हैं कि उक्त दोनों दलों से मिलने का अनुरोध करना बेकार होगा जब तक कि वे (मंत्रि-मिशन तथा वाइसराय) उनके सामने बातचीत करने का कोई पेसा आधार न रख सकें, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार का समझौता सम्भव हो सके।

अतएव, मुझ से कहा गया है कि मैं मुस्लिम लीग को आमंत्रित करूँ कि वह मंत्रि-मिशन और वाइसराय से मिलने के लिए अपने यार प्रतिनिधि भेजे, जो कांग्रेस कार्य-समिति के इसी प्रकार के चार प्रतिनिधियों के साथ मंत्रि-मिशन तथा वाइसराय से उपयुक्त समझौते के लिए निम्नलिखित मूल सिद्धान्तों के आधार पर बातचीत कर सकें :—

विटिंग भारत के भावी विधान का ढांचा इस प्रकार का होना चाहिये—एक संघ-सरकार, जिसके अधीन पर-राष्ट्र सम्बन्ध, रक्षा तथा यातायात के विषय हंगे। प्रान्तों के दों ‘गुट’ होंगे, एक हिन्दू-प्रधान प्रान्तों का और दूसरा मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों का, जिनके अधीन वे सब विषय होंगे जिन पर अपने-अपने गुटों के प्रान्त एक साथ मिल कर कार्य करना चाहते हों। अन्य सब विषय प्रान्तीय सरकारों के अधीन होंगे और उन्हें (प्रान्तीय सरकारों के) समस्त अधिकार भी प्राप्त होंगे।

ऐसा विश्वास है कि समझौते की बातचीत के फलस्वरूप तथा हानेवाली शर्तों के साथ, देशी राज्य भी विधान के इस ढांचे के अन्तर्गत अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

मैं समझता हूँ कि सिद्धान्तों के अधिक स्पष्टीकरण को न तो आवश्यकता ही है और न बांड़नीयता, क्योंकि बातचीत के अन्तर्गत अन्य सब विषयों पर विचार किया जा सकता है।

यदि मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस इस आधार पर समझौते की बातचीत आरम्भ करने के लिये तैयार हैं, तो आप उनकी ओर से बातचीत करने के लिए नियुक्त किये गये चारों अधिकारियों के माम मेरे पास लिख भेजने की कृपा करेंगे। उनके मिलते ही मैं आप को बता सकूँगा कि यह बातचीत किस स्थान में शुरू होंगी। बातचीत के स्थान की अधिक सम्भावना शिमला की है, जहाँ आज-कल मौसम अधिक अच्छा है।

आपका विश्वास-पात्र,  
(हस्ताक्षर) पेथिक-ज्ञारेन्स

इस पत्र के प्रस्तावों पर विचार करके कार्यकारिणी ने नीचे लिखा पत्र लार्ड पेथिक-ज्ञारेन्स को भिजवाया :—

“ग्रिय लार्ड पेथिक-ज्ञारेन्स

२७ अप्रैल के आपके पत्र के लिए धन्यवाद। आपके सुझाव के सम्बन्ध में मैंने कांग्रेस कार्य-समिति के अपने सदस्यों से परामर्श किया है। उनकी इच्छा है कि मैं आप को सूचित

कर दूँ कि भारत के भविष्य से सम्बन्ध रखनेवाले किन्हीं भी विषयों पर मुस्लिम लीग अथवा अन्य किसी संस्था के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय करने के लिए वे सदैन सहमत रहे हैं। किर भी, मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन मूल सिद्धान्तों का आपने उन्नेख किया है, अम-निवारण के लिए उनके स्पष्टीकरण तथा विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता-प्राप्त हकार्यों (पान्तों) के एक संघीय केन्द्र का हमाग विचार है। कई अनिवार्य विषयों का इस संघ के अधीन रहना आवश्यक है, जिनमें से रक्षा तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाले विषय मर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ऐसे केन्द्र का सुइ द्दोना आवश्यक है और उसकी व्यवस्थापिका सभा तथा शासन-परिषद् का भी होना आवश्यक है। और उक्त विषयों के लिए उसके पास धन का होना तथा उनके लिए स्वयं अपनी ओर से राजस्व संग्रह करने का अधिकार भी आवश्यक है। इन कार्यों तथा अधिकारों के बिना उक्त केन्द्र निर्बल तथा शृंखलाहीन होगा और रक्षा तथा साधारण प्रगति के कार्य को दृष्टि पहुँचेगी। इस प्रकार पर-राष्ट्र संबंध, रक्षा तथा यातायात के अतिरिक्त मुद्रा, कस्टम, डूयूटी और टैरिफ तथा अन्य ऐसे विषय, जो जांच करने पर इस से सञ्चालन प्रतीत हों, संघीय केन्द्र के अधीन रखे जाने चाहिये।

एक हिंदू-प्रधान प्रांतों तथा दूसरा मुस्लिम-प्रधान प्रांतों के गुट का जो उल्लेख आपने किया है, वह स्पष्ट नहीं है। उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत-सिंध तथा बलोचिस्तान के प्रांत ही केवल मुस्लिम-प्रधान प्रांत हैं। बंगाल और पंजाब में मुसलमानों का बहुतम बहुत थोड़ा है। संघीय बैंद्र के अधीन पान्तीय गुट-चन्द्री करना और विशेषतया धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक आधार पर ऐसी गुट-चन्द्री करना, इस गलत समझते हैं। यह भी प्रतीत होता है कि किसी 'गुट' में सम्मिलित होने अथवा न होने के सम्बन्ध में आप प्रान्तों को स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। किसी भी प्रकार यह निश्चित नहीं है कि कोई भी प्रान्त, अपनी वर्तमान सीमाओं सहित, किसी गुट विशेष में शामिल होना पसंद करेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रान्त को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य के लिए विवश करना इह प्रकार से पूर्णतया अनुचित है। यद्यपि इस सहमत है कि शेष भारे विषयों तथा अवशिष्ट अधिकारों के सम्बन्ध में प्रान्तों को पूर्ण अधिकार प्राप्त हों, किन्तु हमने यह भी बताया है कि किसी प्रान्त को संघीय केन्द्र के साथ अपने अन्य विषय भी रख सकने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। संघीय केन्द्र के अन्तर्गत किसी प्रकार के उप-संघ की व्यवस्था केन्द्र को निर्बल करेगी और अन्य प्रकार से भी अनुचित होगी। अतएव, इस प्रकार की किसी व्यवस्था के पक्ष में नहीं है।

देशी राज्यों के सम्बन्ध में इस स्पष्ट रूप देना चाहते हैं कि इस यह अनिवार्य समझते हैं कि उपर्युक्त समाज-विषयों के सम्बन्ध में, उन्हें संगीय केन्द्र का अंग होना चाहिये। केन्द्र में उनके सम्मिलित होने के तरीके पर बाद में पूर्ण रूप से विचार किया जा सकता है।

आपने कुछ मूल सिद्धान्तों का उल्लेख किया है, किन्तु हमारे सामने उपस्थित मूल प्रश्न का अर्थात् भारतीय स्वाधीनता और उसके फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश सेना के हटाये जाने के प्रश्न का कोई उल्लेख नहीं किया है। केवल इसी आधार पर हम भारत के भविष्य अथवा किसी अन्तर्राज्ञीन व्यवस्था के सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं।

यद्यपि भारत के भविष्य के सम्बन्ध में हम किसी भी दृष्टि से बातचीत चलाने के लिए तैयार हैं तो भी हम अपना यह विश्वास प्रकट करना आवश्यक समझते हैं कि एक विदेशी शासन-सत्ता के देश में रहते समझौते की किसी बातचीत में वास्तविकता न होगी।

आपके सुझाव के परिणाम-स्वरूप समझौते की जो भी बातचीत शुरू हो, उसमें भाग लेने

के लिए मैंने कांग्रेस कार्य-समिति के अपने तीन महायोगियों, पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलभ-  
भाई पटेल तथा खान अब्दुल्लाफ़क़ार खान को अपने साथ लाने का निश्चय किया है।

आपका विश्वास-पत्र—

( हस्ताक्षर ) अब्दुल्लाल कलाम आजाद

लार्ड पेथिक-लारेंस के नाम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का पत्र

“तारीख २६ अप्रैल, १९४६

२७ अप्रैल के आपके पत्र के लिए, जिसे कल सबेरे मैंने अपनां कार्य-समिति में पेश किया,  
धन्यवाद।

मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के लिए जिस सम्मेलन के  
सुझाव द्वारा मंत्रि-मिशन तथा बाइसराय महोदय ने समझौता करने का एक बार फिर प्रयत्न किया  
है, उसका मैं और मेरे सहयोगी पूर्ण रूप से समादर करते हैं। फिर भी उनकी इच्छा है कि मैं  
आपका ध्यान उस स्थिति की ओर आकृष्ट करूँ जिसे मुस्लिम लीग ने १९४० का खाईर-प्रस्ताव  
स्वीकार होने के बाद से ग्रहण किया है और तदनन्तर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधि-  
वेशनों-द्वारा बार-बार जिसका समर्थन हुआ है, तथा अभी हाल में ही ६ अप्रैल १९४६ को हुए  
मुस्लिम लीगी व्यवस्थापक सम्मेलन-द्वारा जिसका समर्थन किया गया है। (जिसकी एक प्रति साथ  
में जी जा रही है) कार्यसमिति की इच्छा है कि मैं आपको लिखूँ कि आपके संचिस पत्र में दिये  
गये सिद्धांत तथा विस्तार के सम्बन्ध के बहुतेरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या तथा स्पष्टीकरण की  
आवश्यकता है, जो आप-द्वारा प्रस्तावित सम्मेलन में सुन्ना हो सकता है। अतएव, बिना किसी  
प्रकार के पल्पात अथवा स्वीकृति की भावना के, भारतीय व्याधानिक समस्या का सर्व सम्मत हल  
निकालने के कार्य में सहायता करने के लिए उत्कृष्ट कार्य-समिति ने मुस्लिम लीग की ओर से  
समझौते की बात-चीत में भाग लेने के लिए तीन प्रांतिनिधियों को नामजद करने का अधिकार मुके  
दिया है। चारों प्रतिनिधियों के नाम इस प्रकार हैं—

( १ ) श्रो एम० ए०, जिन्ना, ( २ ) नवाब मुहम्मद इस्माइल खां, - ( ३ ) नवाब जादा  
खियाकत अली खान और ( ४ ) सरदार अब्दुर्रब निश्तर।

श्री जिन्ना-द्वारा लार्ड पेथिक-लारेंस को २८ अप्रैल १९४६ को लिखे गये

पत्र के साथ का कागज

लीग की विषय-निर्धारणी समिति-द्वारा पास किया गया वह प्रस्ताव, जो ६ अप्रैल, १९४६  
को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग व्यवस्थापक सम्मेलन के सम्मुख उपर्युक्त किया गया—

“कूँकि हम विशाल उप-महाद्वीप भारत में १० करोड़ मुस्लिमान एक ऐसे धर्म के अनुयायी  
हैं, जो उनके जीवन के प्रत्येक अंग ( शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक, और राजनीतिक ) का नियमन  
करता है, जिसका विधान केवल आध्यात्मिक सिद्धांतों, मतों, धार्मिक कृत्यों अथवा संस्कारों तक ही  
सीमित नहीं है और जो उस निराले प्रकार के हिन्दू धर्म और दर्शन से विच्छिन्न भिज्ञ है, जो  
सहस्रों वर्ष तक कहर जात-पात व्यवस्था को बनाये हुए है और उसे नोषित करता रहा है—जिसका  
परिणाम ६ करोड़ प्राणियों को अस्पृश्यों की पतित अवस्था में रखने, मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य  
अप्राकृतिक भेदभाव बनाये रखने और इस देश के बहुसंख्यक जनसमूह पर सामाजिक तथा आर्थिक  
जसमानताएँ लादने के रूप में हुआ है और जिसके कारण मुस्लिमान, ईसाई तथा अन्य अल्प-

संख्यकों के सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे दास बन जाने की आशंका उत्पन्न हो गयी है, जिनकी मुक्ति कभी न हो सकेगी;

चूंकि हिन्दू वर्ण-व्यवस्था राष्ट्रीयता, समाजता, लोकतंत्रवाद और उन उच्च अदर्शों का गता बोनेवाली है जिनका हस्ताम समर्थक है;

चूंकि विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों, परम्पराओं तथा विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण हिन्दू मुसलमानों का विकास समान आदर्शों तथा आकांक्षाओं-द्वारा अनुप्राणित राष्ट्र के रूप में होना असम्भव हो गया है और चूंकि शताब्दियों के बाद भी अभी तक वे दो विभिन्न महान् राष्ट्र बने हुए हैं;

चूंकि अंग्रेज़ों-द्वारा पश्चिमी लोकतंत्रों के समान भारत में बहुमत शासन पर आधारित राजनीतिक संस्थाएं स्थापित करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि एक राष्ट्र अथवा समाज दूसरे राष्ट्र अथवा समाज पर विरोध के बावजूद अपनी इच्छा लाद सकता है, जैसा कि हिन्दू बहुमतवाले प्रान्तों में भारतीय शासन-सुधार कानून, १९३५ के अनुसार स्थापित कांग्रेसी सरकारों के द्वारा वर्ष के शासन से पर्याप्त मात्रा में प्रदर्शित भी हो गया, जिसमें मुसलमानों को अकात्यनीय ग्राम तथा दमन का सामना करना पड़ा और जिन सबके परिणामस्वरूप मुसलमानों को विश्वास हो गया कि विधान में इसे गये संरक्षण तथा गवर्नरों को दिये गये आदेश उनकी रक्षा की दृष्टि से वर्यथ तथा प्रभावहीन हैं और मुसलमान अनिवार्य रूप से इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि संयुक्त भारतीय संघमें, यदि वह स्थापित किया जाय, बहुमतवाले प्रान्तों में भी मुसलमानों को अधिक लाभ न होगा और केन्द्र में स्थायी हिन्दू बहुमत रहने से उनके अधिकारों तथा हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा न हो सकेगी;

चूंकि मुसलमानों को दिश्वास हो चुका है कि मुस्लिम भारत को हिन्दुओं की अधीनता से बचाने के लिए और उन्हें उनकी प्रतिभा के अनुरूप विकास का अवसर उपलब्ध करने के लिए उत्तर-पूर्व ज़ेत्र में बंगाल और आसाम को मिला कर तथा उत्तर-पश्चिम ज़ेत्र में पंजाब, पश्चिमोत्तर, सीमा प्रान्त, सिंध और बड़ोचिक्षान को मिलाकर एक सत्तासम्पन्न स्वाधीन राज्य स्थापित करने की आवश्यकता है;

अतः भारत के केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मुस्लिम लोगों व्यवस्थापकों का यह सम्मेलन सावधानी-पूर्वक विचार करके घोषित करता है कि मुस्लिम राष्ट्र कभी भी संयुक्त भारत के किसी भी विधान को स्वीकार न करेगा और न वह इस उद्देश्य से स्थापित विधान-निर्माणी किसी व्यवस्था में ही भाग लेगा और साथ ही सम्मेलन यह भी घोषित करता है कि अंग्रेजों से भारत की जनता के लिए शक्ति हस्तांतरित करने की विद्युत सरकार-द्वारा तैयार की गयी ऐसी कोई भी योजना भारतीय समस्या का हक्क करने के लिए सहायक सिद्ध न होगी जो देश की आंतरिक शान्ति तथा सद्भावना बनाये रखने में सहायक निम्नलिखित न्यायपूर्ण तथा उचित सिद्धान्तों के अनुकूल न होगी:-

( १ ) उत्तर-पूर्व में बंगाल और आसाम और उत्तर-पश्चिम में पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत, सिंध और बड़ोचिक्षान के पाकिस्तान के ज़ेत्रों को, जिसमें मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, मिलाकर सत्तासम्पन्न स्वाधीन राज्य का रूप दिया जाय और साथ ही पाकिस्तान की शीघ्र स्थापना का स्पष्ट रूप से वचन दिया जाय।

( २ ) पाकिस्तान तथा हिन्दूस्तान के विधानों को तैयार करने के लिए दो पृथक् विधान निर्माणी-परिवदों की स्थापना की जाय।

( ३ ) पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यकों को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा २३ मार्च १९४० के दिन पास किये प्रस्ताव के अनुसार संरक्षण प्रदान किये जायें।

( ४ ) केन्द्र में अंतर्राष्ट्रीय सरकार के निर्माण में भाग लेने और सहयोग प्रदान करने के लिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तानवाली मांग का माना जाना और उसे तुरन्त कार्यान्वित किया जाना परमावश्यक है।

सम्मेलन यह भी जोरदार शब्दों में घोषित करता है कि संयुक्त भारत के आधार पर किसी भी विधान को लाइने अथवा मुस्लिम लीग की मांग के विरुद्ध केन्द्र में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था करने के प्रयत्न का यही परिणाम होगा कि मुस्लिमान अपने राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्त के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय से उपर्युक्त लाई गयी व्यवस्था का विरोध करेंगे।

लार्ड पैथिक-लारेंस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र

ता० २६ अप्रैल, १९४६

( इस पत्र-द्वारा लार्ड पैथिक-लारेंस ने प्रस्तावित कानूनेन्स की गुञ्जाइश और इसके अभिप्राय को स्पष्ट किया । )

“आपके २८ अप्रैल वाले पत्र के लिए धन्यवाद । मंत्रि-प्रतिनिधिमण्डल को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि कांग्रेस ने हमारे तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से वार्ता करना चाहीकार कर लिया है।

कांग्रेस कार्यसमिति की तरफ से आपने जो विचार प्रकट किये हैं उन्हें हमने ध्यान में रख लिया है। इन विचारों का सम्बन्ध उन विषयों से जान पड़ता है, जिन पर सम्मेलन में विवाद हो सकता है, क्योंकि हमने यह कभी अनुमान नहीं किया था कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग-द्वारा हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने का यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि हमारे पत्र में दी गयी शर्तों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ये शर्तें समझौते के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित आधार के रूप में हैं और हमने कांग्रेस कार्यसमिति से केवल यही करने को कहा था कि वह हम से तथा मुस्लिम लीग-के प्रतिनिधियों से उस आधार पर विचार करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजे।

यह मानते हुए कि मुस्लिम लीग ने भी, जिसका उत्तर आज तीसरे पहले तक निलंगन की आशा हमें है, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो हमारा प्रस्ताव है कि यह विचार-विनियम शिमला में ही हो। हमारा विचार आगामी बुधवार को बहां के लिए रवाना होने का है। हमें आशा है कि आप इस बात का प्रबन्ध कर सकेंगे कि कांग्रेस के प्रतिनिधि शिमला में इतनी जल्दी पहुँच जायें कि गुरुवार २ मई के प्रातःकाल वार्ता कार्यभार हो सके।”

लार्ड पैथिक-लारेंस का मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र

ता० २६ अप्रैल १९४६

“आपके २६ अप्रैल के पत्र के लिए धन्यवाद । मंत्रि-प्रतिनिधि मण्डल को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों तथा हमारे साथ संयुक्त रूप से वार्ता करना स्वीकार कर लिया है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मुझे कांग्रेस के अध्यक्ष से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस वार्तालाप में भाग लेने के लिए तैयार है और उसकी ताफ से मौजाना आजाव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और जान अंदुला गफकार जां प्रतिनिधि मनोनीत किए गए हैं।

मुस्लिम लीग के जिस प्रस्ताव की तरफ आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया है उसे हमने

ध्यान में रख लिया है। हमने यह कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग-द्वारा हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने का अप्रत्यक्ष रूप से यह मतलब लगाया जा सकता है कि मेरे पत्र में दी गयी शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है। उपर्युक्त शर्तें समझौते के लिए हमारा प्रस्तावित आधार हैं और हमने मुस्लिम लीग कार्यसमिति को केवल यही करने को कहा था कि वह कांग्रेस के प्रतिनिधियों तथा हमसे मिलने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजना स्वीकार कर ले।

हमारा प्रस्ताव है कि यह विचार-विनियम शिमला में हो और हम स्वयं भी वहाँ आगामी बुधवार को जा रहे हैं। हमें आशा है कि आप ऐसा प्रबन्ध करने में समर्थ हो सकेंगे, जिस से मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि गुरुवार २ मई के प्रातःकाल शिमला में वार्तालाप आरम्भ कर सकें।

### कार्यक्रम

#### १. प्रान्तों के गुटः—

- (क) रचना
- (ख) गुट के विषयों को निश्चित करने का तरीका
- (ग) गुट के संगठन का प्रकार।

#### २. संघः—

- (क) संघीय विषय,
- (ख) संघीय विधान का प्रकार
- (ग) अर्थ-व्यवस्था

#### ३. विधान-निर्मात्री व्यवस्था:—

- (क) रचना
- (ख) कार्य

१. संघ की दृष्टि से,
२. गुटों की दृष्टि से,
३. प्रान्तों की दृष्टि से ।”

कांग्रेस के अध्यक्ष का लार्ड पेथिक-लारेंस को पत्र

‘ता० ६ मई १९४६

“मैंने और मेरे सहयोगियों ने कब्ज के सम्मेलन की कार्रवाई का ध्यानपूर्वक मनन किया और यह भी जानने की चेष्टा की कि हमारी बातचीत हमें किसी दशा में ले जा रही है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अपनी बातचीत की अस्पष्टता और उस से जो मतलब निकलता है उसके बारे में कुछ चक्र में पड़ गया हूँ और परेशान हूँ। यथापि हम समझौते पर पहुँचने के लिए कोई आधार ढूँढ़ने का प्रयत्न करने में अपना सहयोग देना परस्पर करेंगे, किर भी हम अपने को मंत्रिप्रतिनिधि-मंडल को अथवा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को हस धोखे में नहीं रखना चाहते कि अब तक सम्मेलन ने जिस ढंग से प्रगत की है उससे सफलता की कोई आशा बंधती है। हमारे सम्मुख यहाँ जो समस्याएँ उपस्थित हैं, उनके सम्बन्ध में हमारा साधारण दृष्टिकोण २८ अप्रैल को आपके नाम लिखे गये मेरे पत्र में संदिग्ध रूप से प्रकट कर दिया गया था। हम देखते हैं कि हमारे दृष्टिकोण की अविकांश में उपेक्षा की गयी है और उसके विपरीत तरीके को अपनाया गया है। हम यह बात अनुमत करते हैं कि प्राइमिंग अवस्थाओं में हमें कुछ बातों को मान लेना होगा, बरन् हस दिशा में प्रगति ही नहीं हो सकती। परन्तु ऐसी बातों की कल्पना कर लेने से—जो

आधारभूत समस्याओं के सर्वथा प्रतिकूल हों अथवा उनमें उन मौजिक प्रश्नों की अवहेलना की गयी हो—बाद में जाकर गलतकहिमियों के उत्पन्न हो जाने की संभावना रहती है।

अपने २८ अप्रैल के पत्र में मैंने लिखा था कि हमारे समुख आधारभूत समस्या भारतीय स्वतंत्रता और उसके परिणाम-स्वरूप भारत से ब्रिटिश सेनाओं को हटा लेना है, क्योंकि जब तक भारत भूमि में विदेशी सेना विद्यमान रहेगी तब तक हमें वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। हम तो ताकाल समस्त देश की स्वतंत्रता चाहते हैं, न कि दूरवर्ती अथवा निफ्ट-भविष्य में। अन्य सभी विषय हस प्रश्न की तुलना में गोण हैं और उनके सम्बन्ध में विधान-निर्मात्रों परिषद्-द्वारा उचित रूप से सोच-विचार तथा निर्णय किया जा सकता है।

कल के सम्मेलन में मैंने हस विषय का फिर उल्लेख किया था और हमें यह जान कर प्रसन्नता हुई थी कि आपने और आपके सहयोगियों ने तथा सम्मेलन के अन्य सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता को बातचीत का आधार स्वीकार कर लिया था। आपने कहा था कि अन्ततोगत्वा विधान-निर्मात्रों परिषद् द्वारा हस बात का निर्णय करेगी कि स्वतंत्र भारत और हैंगलैंड के बीच क्या सम्बन्ध रहेंगे। माना कि यह बात विकल्प ठीक है फिर भी हसमें हस समय स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता और हसका अर्थ है हस समय भारतीय स्वतंत्रता की स्वीकृति।

यदि यह बात ऐसी ही है तो प्रत्यक्षतः उससे कुछ परिणाम निकलते हैं। हमने अनुभव किया कि कल के सम्मेलन में इनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। विधान-निर्मात्रों परिषद् का काम स्वतंत्रता के प्रश्न का निर्णय करना नहीं होगा; उस प्रश्न का तो अभी ही फैसला हो जाना चाहिये और हमारा विचार है कि हसका निर्णय अभी हो गया है। वह परिषद् तो स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र की इन्द्रिय व्यष्टि करेगी और उसे कार्यान्वयन करेगी। वह किसी पूर्व-निर्धारित व्यवस्था से नहीं बंधी रहेगी। उससे पहले एक अस्थायी सरकार की स्थापना करनी होगी, जिसे यथासंभव स्वतंत्र भारत की सरकार की हेसियत से काम करना चाहिए, और उसे संकान्ति-काल के लिए सारी व्यवस्था करने का भार अपने ऊपर लेना चाहिये।

हमारी कल की बातचीत के अवसर पर एक साथ मिलकर कठम करनेवाले प्रान्तों के ‘गुटों’ का बारंबार उल्लेख किया गया था और यह सुझाव भी रखा गया था कि इस प्रकार के गुट की अपनी एक पृथक् शासन-परिषद् और व्यवस्थापिका-सभा होगी। अब तक हम हमने प्रकार के गुट बनाने के तरीके पर कोई सोच विचार नहीं किया; फिर भी हमारी भात-तीत से ऐसा संकेत मिलता है कि हमने हस पर बातचीत की है। मैं यह बात मर्वथा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भी प्रानी या गुट अथवा संघीय इकाइयों के लिए किसी भी पृथक् शासन-परिषद् तथा व्यवस्थापिका-सभा के सर्वथा विरुद्ध है। हसका अर्थ यदि और अधिक दुःख नहीं तो एक उपसंघ होगा और हमने आपको पहले ही कह दिया है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते। हसके परिणाम-स्वरूप शासन तथा व्यवस्था-सम्बन्धी संस्थाओं के तीन स्तर बन जायेंगे और यह व्यवस्था बोम्बिल, अपगतिशील और विश्वद्वित दोगी तथा उसके परिणामस्वरूप निरन्तर संघर्ष उत्पन्न होता रहेगा। हमारे ख्याल से ऐसी व्यवस्था किसी भी देश में नहीं है।

हमारा यह जोगदार मत है कि सम्मेलन भारत के विभाजन के लिए इस प्रकार के किसी भी सुझाव पर विचार नहीं कर सकता। यदि ऐसा सुझाव उपस्थित करना ही है तो यदि वर्तमान शासन-सत्ता के प्रभाव से स्वतंत्र होकर विधान-निर्मात्रों परिषद् के जरिये ही उपस्थित किया जाना चाहिये।

एक और प्रश्न जिसे हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं यह है कि हम गुटों के बीच शासन-परिषद् अथवा व्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध में समानता का प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि प्रत्येक गुट और संप्रदाय के भय और आशंकाओं को दूर करने का प्रयत्न संभव प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु यह काम उन अवास्तविक तरीकों से नहीं होना चाहिए जो प्रजातंत्र के उन आधारभूत सिद्धान्तों पर ही कुठाराघात करते हों जिनकी नींव पर हम अपना विधान खड़ा करते हैं।”

लार्ड पेथिक-लारेंस का मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अध्यक्षों को पत्र<sup>१०८ मई, १९४६</sup>

“मैं और मेरे सहयोगी हस बात पर सोच-विचार करते रहे हैं कि हम सम्मेलन के सम्मुख किस सर्वोच्च तरीके से अपनी राय के अनुमार समझौते का वह संभव आधार उपस्थित करें जो अब तक की बातचीत के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ है।

हम हस निकर्ष पर पहुँचे हैं कि यदि हम हसे ज़िक्कर और उसकी गोपनीय प्रतियाँ, सम्मेलन की आगामी बैठक होने से पूर्व दबोंके पास भेज दें तो उससे उन्हें सुविधा होगी।

हमें आशा है कि हम हसे आपके पास सुबह तक भेज देंगे। आज दोपहर बाद ३ बजे सम्मेलन के पुनः पारम्पर्य होने तक उसे पर्याप्त रूप से अध्ययन करने के लिए आपके पास बहुत कम समय होगा—इसलिए मेरा स्थान है कि आप हस बात से सहमत होंगे कि यह बैठक कल बृहस्पतिवार ६ मई दोपहर बाद (३ बजे) तक के लिए स्थगित कर दी जाय। और मुझे आशा है कि आप समय के हस परिवर्तन में मुझ से सहमत होंगे, जो हमें विश्वास है कि सभी दबोंके द्वित में है।

लार्ड पेथिक-लारेंस के निजी सेक्रेटरी का कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्षों को पत्र<sup>तारीख ८ मई, १९४६</sup>

“भारत मंत्री के आपके नाम आज सुबह के पत्र के सम्बन्ध में मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की हड्डानुसार मैं आपको ये लिखा-चन्द्र समविदा भेज रहा हूँ और यह वही समविदा है जिसका भारत मंत्री ने उहकेर किया था। प्रतिनिधि-मंडल का प्रस्ताव है कि यदि कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधि स्वीकार करें तो हस पर बृहस्पति को दोपहर-बाद ३ बजे होनेवाली आगामी बैठक में सोच-विचार किया जाय।”

८ मई के पत्र के साथ भेजा हुआ मसविदा—कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच समझौता करने के सुझाव

१. एक अधिक भारतीय संबंध सरकार और व्यवस्थापक मंडल होगा, जिसे विदेशी मामलों, रक्ता, यातायात, मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा-पूरा अधिकार होगा और इन विषयों के लिए धन प्राप्त करने के लिए भी उसे आवश्यक अधिकार होंगे।

२. सभी शेष अधिकार प्रान्तों के हाथ में होंगे।

३. प्रान्तों के गुट बनाये जा सकते हैं और ये गुट उन प्रान्तीय विषयों का अपने आप निर्णय कर सकते हैं जिन्हें वे समानरूप से एक साथ रखना चाहते हों।

४. ये गुट अपनी-अपनी शासन-परिषद् और व्यवस्थापक-मंडल भी बना सकते हैं।

५. संघ के व्यवस्थापक मंडल में हिन्दू-प्रधान तथा मुस्लिम-प्रधान प्रांतों में समान अनुपात में सदस्य होंगे, चाहे उन्होंने अथवा उनमें से किसी एक ने गुटबन्दी की हो अथवा नहीं,

इसके साथ-साथ देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी उसमें रहेंगे ।

६. संबंध की सरकार व्यवस्थापक मंडल के अनुपात के अनुसार ही बनायी जायगी ।

७. संबंध के तथा गुटों (यदि कोई हों तो) के विधानों में ऐसी व्यवस्था रहेगी जिसके अनुसार कोई भी प्रांत अपनी व्यवस्थापिका सभा के बहुमत से पहले १० वर्षों और उसके बाद प्रत्येक १० वर्ष के अनन्तर विधान की शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकेगा ।

इस प्रकार के पुनर्विचार के लिए प्रारंभिक विधान-निर्माणी परिषद् के आधार पर ही एक संस्था बनायी जायगी और बोट-सम्बन्धी व्यवस्था भी वैसी ही होगी और उसे अपने किसी भी निर्णीत ढंग पर विधान में संशोधन करने का अधिकार होगा ।

८. उपर्युक्त आधार पर विधान बनाने के लिए विधान-निर्माण व्यवस्था इस प्रकार होगी :—

(क) प्रत्येक ग्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के प्रतिनिधि उस सभा के विभिन्न दलों की शक्ति के अनुपात से उन्हें जायेंगे और वे प्रतिनिधि अपने दल की संख्या के  $\frac{1}{3}$  भाग होंगे ।

(ख) देशी राज्यों से प्रतिनिधि अपनी जनसंख्या के आधार पर बृद्धि भारत के प्रतिनिधियों के अनुपात को देखते हुए बुलाये जायेंगे ।

(ग) इस प्रकार से बनायी गयी विधान-निर्माणी सभा की बैठक शीघ्र ही नयी दिल्ली में होगी ।

(घ) अपनी प्रारंभिक बैठक के बाद, जिसमें साधारणा कार्यक्रम निश्चित किया जायगा, यह सभा तीन भागों में विभाजित की जायगी । एक भाग में बहुसंख्यक हिन्दू प्रान्तों के प्रतिनिधि, दूसरे भाग में बहुसंख्यक मुसलमानों के प्रतिनिधि और तीसरे भाग में देशी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे ।

(ङ) अपने-अपने गुट के प्रान्तीय विधानों का, और यदि वे चाहें तो गुट-विधानों का विरोध करने के लिए पहले दो भागों की अकाग-अलग बैठकें होंगी ।

(च) यह कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रत्येक प्रान्त को अधिकार होगा कि चाहे तो वह अपने मौकिक गुट में रहे या किसी दूसरे गुट में जा मिले अथवा सभी गुटों से पृथक् रहे ।

(छ) १ से ७ पैरा तक वर्णित संबंध के लिए विधान बनाने के उद्देश्य से तीनों सभाएँ एक साथ बैठकर विचार करेंगी ।

(ज) इस सभा-द्वारा संबंध-विधान के ऐसे प्रमुख विषय, जिनका साम्प्रदायिक प्रश्न से सम्बन्ध है, तब तक पास किये नहीं समझे जायेंगे जब तक दोनों ही प्रमुख सभाओं का बहुमत इसके पश्च में राय नहीं देता ।

९. श्रीमान् वाइसराय शीघ्र ही उपर्युक्त विधान-निर्माणी सभा की बैठक करेंगे जो पैरा ८ में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप होगी ।

मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का लार्ड पेथिक-लारेंस को ८ मई १९४६ का पत्र

“अब मुझे ८ मई १९४६ का लिखा हुआ आपके प्राइवेट सेक्रेटरी का पत्र मिल गया है और साथ ही वह मसविदा भी जिसका अपने ८ मई १९४६ के पहले वाले पत्र में आपने जिक्र किया है । आपने यह प्रस्ताव रखा है कि यदि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि-मंडल को स्वीकार हो तो इस मसविदे पर कान्फरेंस की अगली बैठक में विचार किया जाय जो वृहस्पतिवार को दोपहर के ३ बजे होगी ।

आपके २७ अप्रैल १९४६ के पत्र में आपका प्रस्ताव इस प्रकार है :—

एक संघ-सरकार जिसके अधीन परराष्ट्र रक्षा तथा यातायात के विषय होंगे। प्रान्तों के दो गुट होंगे, एक हिन्दू-प्रधान प्रान्तों का और दूसरा मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों का, जिनके अधीन वे सब विषय होंगे जिन पर अपने-अपने गुटों के प्रान्त एक साथ मिलकर कार्य करना चाहते हों। अन्य सब विषय प्रान्तीय सरकारों के अधीन रहेंगे और उन प्रान्तीय सरकारों को समस्त अवशिष्ट सत्ताधिकार भी प्राप्त होंगे।

इस विषय पर शिमले में विचार होना था और २८ अप्रैल १९४६ के मेरे पत्र की शर्तों के अनुसार इसने रविवार ८ मई १९४६ को कानूनरेस में शामिल होना स्वीकार कर लिया।

आपने अपने फार्मूला का विवरण प्रकट करने की कृपा की थी और ५ मई को कहे घटे सोच-विचार करने के बाद कांग्रेस ने अन्तिम तथा निश्चित रूप से ऐसे प्रस्तावित संघ को अस्वीकार कर दिया जिसके अधीन केवल तीन विषय हों और जिसे टैक्स लगाकर अपने लिए धन प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त हो। दूसरे आपके विचाराधीन हज़ार में स्पष्ट रूप से सबसे पहले हिन्दू और मुस्लिम प्रान्तों के गुट बनाने के सम्बन्ध में तदा इस प्रकार के गुट-बन्द प्रान्तों के दो संघ-निर्माण करने के सम्बन्ध में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौते की कल्पना की गयी थी और इसके परिणामस्वरूप विभान-निर्माण के लिए दो सभाएँ होनी चाहिए। इसी बात के आधार पर आपके विचाराधीन हज़ार में एक प्रकार के संघ का सुझाव पेश किया गया था जिसके अधीन तीन विषय हों और इसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए इमारा समर्थन मांगा गया था। यह प्रस्ताव भी कांग्रेस-द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और इस दिशा में क्या कुछ किया जाय इस पर मंडल द्वारा आगे विचार करने के लिए बैठक को स्थगित करना पड़ा था।

ओं अब पत्र के साथ यह नया मसविदा इस दृष्टि से भेजा गया है कि 'इस मसविदे पर अगली बैठक में विचार करना चाहिये जो बृहस्पतिवार को दोपहर के ३ बजे होगी'। मसविदे का शीर्षक है—'कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच समझौते के लिए सुझाव'। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये सुझाव किसने प्रस्तुत किये हैं।

हमारा विचार है कि समझौता के लिए नये सुझाव उस भौतिक हज़ार से बिल्कुल भिन्न है जिसका आपके २७ अप्रैल के पत्र में वर्णन किया गया था और जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था।

अब इस मसविदे की कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया जाता है। हमसे अब यह स्वीकार करने के लिए कहा गया है कि इस मसविदे के १ से ७ पैरा तक की शर्तों के अनुरूप एक अखिल भारतीय संघ सरकार होनी चाहिये। संघ सरकार के अधीन विषयों में एक और विषय की वृद्धि करदी गयी है, अर्थात् 'मौलिक अधिकार' की, और यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि संघ-सरकार तथा व्यवस्थापक मंडल को टैक्स-द्वारा अपने लिए धन प्राप्त करने का अधिकार होगा या नहीं।

नये सुझावों में प्रान्तों की गुटबन्दी के प्रश्न को ठीक उसी स्थिति पर छोड़ दिया गया है जहां कि कांग्रेस के प्रतिनिधि अब तक की बातचीत में चाहते थे और यह आपको विचाराधीन भौतिक हज़ार से सर्वथा भिन्न है।

हम यह कभी नहीं मान सकते कि विधान-निर्माणी सभा एक ही होनी चाहिये और न ही मसविदे में सुकाये गये विधान-निर्माण-व्यवस्थाओं के ढंग को हम स्वीकार कर सकते हैं।

इन सुझावों में और भी कई एतराज की बातें हैं जिनका हमने जिक्र नहीं किया है,

व्योंगि हम सो केवल इस मसविदे की मुख्य बातों पर ही ध्यान दे रहे हैं। हमारा विचार है कि इन परिस्थितियों में इस मसविदे पर बातचीत करना ज्ञानभ्रद लिंग नहीं होगा, व्योंगि यह आपके पहले गुण से सर्वथा भिन्न है, जब तक कि हमने जो कुछ डपर कहा है उसके बायजूद भी आप हम से कल कान्फरेंस में इस पर बातचीत करना चाहते हों।”

लार्ड पेथिक-लारेंस का मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को ६ मई १९४६ का पत्र

“मुझे आपका कल का पत्र मिला जिसे मैंने आपने साथियों को दिखाया है। इसमें आपने कई प्रश्न उठाये हैं जिनका मैं क्रमशः उत्तर देता हूँ :—

१. आपका कथन है कि कांग्रेस ने ‘अनितम और निश्चित रूप से ऐसे प्रस्तावित संघ को अस्वीकार कर दिया है जिसके अधीन केवल तीन विषय हों और जिसे टैक्स लगाकर अपने लिए धन प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त हो।’ इस कान्फरेंस की कार्रवाई के सम्बन्ध में, जो मुझे स्मरण है, यह कथन उसके अनुरूप नहीं है। यह ठीक है कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने यह राय प्रकट की थी कि यह सीमा बहुत ही संकृचित है और उन्होंने आगे यह तर्क किया था कि यह संघ इतना सीमित है सही; फिर भी इसके अधीन कुछ विषय अवश्य होने चाहिये। कुछ सीमा तक आपने स्वीकार किया था कि इस तर्क में कुछ बल है क्योंकि आपने यह माना था कि, जैसा कि मैं समझता हूँ, आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए संघ को कुछ अधिकार देने चाहिये। इस विषय पर (या शायद किसी और विषय पर भी) कोई अनितम निर्णय नहीं हुआ था।

२. दूसरे आपका कहना है कि, यदि मैं आपका तात्पर्य ठीक समझता हूँ, प्रान्तों की गुटबन्दी के सम्बन्ध में हमारा मसविदा हमारे निमंत्रण में वर्णित हल से भिन्न है। मुझे दुःख है कि मैं इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता। यह मसविदा निस्सन्देह कुछ विस्तृत रूप में है, व्योंगि इसमें उस ढंग का निर्देश किया गया है जिसके अनुसार प्रान्त किसी भी गुट में शामिल होने का निर्णय कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के विधायकों तथा गुटबन्दी के फलस्वरूप प्रस्तुत कांग्रेस के प्रारम्भिक विचारों के बीच संयत समझौता कराने के उद्देश्य से हमने यह निश्चित किया है।

३. इससे आगे आपने उस ध्यवस्था पर एतराज किया है जिसका हमने विधान-निर्माण करने के लिए सुझाव किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वयं आपके यह स्पष्ट करते समय कि आपकी दो विधान-निर्मात्री सभाएं किस प्रकार कार्य करेंगी, गत मंगलवार को कान्फरेंस में यह स्वीकार किया गया था कि संघ के विधान का निर्णय करने के लिए इन दोनों सभाओं को अन्त में सम्मिलित होना ही पड़ेगा और कार्य-पद्धति का निर्णय करने के लिए इन दोनों सभाओं के प्रारम्भिक समिक्षित अधिवेशन पर भी आपने एतराज नहीं किया था। जो कुछ हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह बास्तव में ठीक छींग है जो भिन्न शब्दों में कही गयी है। अतः जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ‘यह प्रस्ताव कांग्रेस-द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।’ तो मैं आपका तात्पर्य समझने में असमर्थ हूँ।

४—अगले पैरे में आप यह पूछते हैं कि मेरे भेजे हुए मसविदे में कहे गये सुझाव-किसने प्रस्तुत किये हैं। इसका उत्तर यह है कि मंत्रि प्रतिनिधि-मण्डल और श्रीमान् वाइसराय की ओर से ये भेजे गये हैं जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दृष्टिकोणों की दृष्टि को पाठने का प्रयत्न कर रहे हैं।

५—इसके बाद आपने मेरे निमंत्रण में विषय प्रारम्भिक-फार्मूला से हमारे द्वारा भिन्न मार्ग ग्रहण करने पर एतराज किया है। मैं आपको स्मरण कराऊंगा कि मेरा निमंत्रण स्वीकार कर

के न तो मुस्लिम लीग ने और न कांग्रेस ने हस्त को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए अपने आप को बाध्य किया था और २६ अप्रैल के अपने पत्र में मैंने ये शब्द लिखे थे—

‘कभी भी हमारा यह खयाल नहीं है कि मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस-द्वारा हमारा निमंत्रण स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि मेरे पत्र की शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार करके ही वे प्रस्तावित सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये शर्तें समझौते के लिए हमारी ओर से बातचीत का प्रस्तावित आधारमात्र हैं और मुस्लिम लीग-कार्य-समिति से हमने हस्त बात का अनुरोध किया है, कि उस के सम्बन्ध में हम से तथा कांग्रेस-प्रतिनिधियों से विचार विनियम करने के लिए वह अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए राजी ही जाय।’ निश्चय ही केवल यही समझदारी का रूप हो सकता है, क्योंकि हमारे सारे विचार-विमर्श का उद्देश्य यही है कि समझौते के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय की खोज की जा सके।

६— संघ के अधीन विषयों की सूची में (मूल अधिकारों को) विषय बढ़ाने का सुझाव हमने रखा, क्योंकि हमको प्रतीत हुआ कि उसे भी सम्मेलन का एक विचारणीय विषय बढ़ाने में बड़े सम्प्रदायों तथा छोटी अल्प-संख्यक जातियों, दोनों ही का जाभ होगा।

रहा अर्थ ज्यवस्था-का प्रश्न, हस्त के सम्बन्ध में, निस्संदेह सम्मेलन में पूर्णरूप से विचार करने की स्वतंत्रता रहेगी कि हस्त शब्द को उसके प्रत्यंग के अंतर्गत समिक्षित करने का यथार्थ महत्व क्या है।

७—आपके निम्नलिखित दो पैरे मुख्यतया आपके पिछले तर्कों की पुतङ्गाल्यामात्र हैं और उनका उल्लेख ऊपर किया जा नुक्का है। आपके अंतिम पैरा से ज्ञात होता है कि यद्यपि परिस्थिति की दृष्टि से आपका खयाल है कि आज तीसरे पद्धर के लिए निश्चित सम्मेलन में मुस्लिम लीगी प्रतिनिधि-मण्डल के उपस्थित होने से कोई जामन न निकल सकेगा, फिर भी यदि इस ऐसी हड्डी प्रकट करें तो आप पधारने के लिए संयार हैं। मैं और मेरे सहयोगी, पेश किये गये कागज के सम्बन्ध में दोनों दलों के विचार जानने के हस्तक्षुक हैं, और हस्तिए आप के सम्मेलन में आने से प्रसन्न होंगे।’

पंडित जवाहरलाल नेहरू का लार्ड पेथिक-लारेंस को पत्र

“मेरे सहयोगियों तथा मैंने बड़ी सावधानीपूर्वक आपके द्वारा भेजे गये खरीदे पर विचार किया है, जिसमें समझौते के लिए विभिन्न सुझाव उपस्थित किये गये हैं। २८ अप्रैल को मैंने आपके पास एक पत्र भेजा था, जिसमें आपके २७ अप्रैलबाले पत्र में उल्लिखित ‘आधारभूत सिद्धांतों के सम्बन्ध में कांग्रेस के दृष्टिकोण’ का मैंने स्पष्टीकरण किया था। सम्मेलन की पहली बैठक होने के बाद ही ६ मई को मैंने आपको पुनः पत्र लिखा था, जिससे सम्मेलन में विचार के लिए उपस्थित किये जानेवाले प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई भ्रम न रह जाय।

अब आपके खरीदे से प्रकट होता है कि आप के कुछ सुझाव हमारे विचारों तथा कांग्रेस-द्वारा निरंतर प्रकट किये गये विचारों के विरुद्ध हैं। इस प्रकार हम बड़ी कठिन परिस्थिति में हैं। हमारी यह सदा से हड्डी रही है और अब भी है कि समझौते के लिए तथा भारत में शक्ति-हस्तान्तरित करने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय को दृढ़ निकाला जाय और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम काफी आगे बढ़ने को तैयार हैं। परन्तु स्पष्टतः कुछ ऐसी सीमाएं हैं, जिनका अतिकरण करना हमारे लिए सम्भव नहीं है—विशेषकर ऐसी अवस्था में जब कि हमें पूर्ण विश्वास हो चुका हो कि ऐसा करना भारत की जनता के लिए और स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत की प्रगति के लिए हानिकर सिद्ध होगा।

अपने पिछले पत्रों में मैं एक शक्तिशाली संघ की आवश्यकता पर जोर डाक द्युका हूँ । मैं यह भी कह द्युका हूँ कि मैं उप-संघों तथा प्रांतों को प्रस्तावित गुटबंदी के विरुद्ध हूँ और साथ ही मैं असमान गुटों-परिषदों तथा धारा-सभाओं को शासन में बराबर प्रतिनिधित्व दिये जाने के भी खिलाफ हूँ । यदि प्रान्त तथा देश के अन्य भाग परस्पर सहयोग करना चाहें तो हम उनके मार्ग में रोड़े नहीं अटकाना चाहते, किन्तु ऐसा केवल ऐच्छिक आधार पर ही होना चाहिये ।

आपने जो प्रस्ताव उपस्थित किये हैं उनका उद्देश्य स्पष्टतः विधान-निर्माणी परिषद् के अवधित रूप से निर्णय करने के अधिकारों को सीमित करना है । हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है । अभी हमारा सम्बन्ध व्यापक समस्या के एक ही अंग से है । यदि हम इस अंग के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय कर लिया जाय तो वह उस निर्णय के विरुद्ध हो सकता है, जो हम अथवा विधान-निर्माणी-परिषद् समस्या के अन्य अंगों के सम्बन्ध में आगे जाकर कर सकती है । हमें तो केवल यहाँ उचित मार्ग दिखायी देता है कि विधान-निर्माणी परिषद् को, अल्प-संख्यकों के अधिकारों की रक्षा-विषयक कलिपय संरक्षणों के अतिरिक्त अपना विधान तैयार करने की पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिये । इस प्रकार हम सहमत हो सकते हैं कि बड़े साम्रदायिक प्रश्नों का या तो सम्बन्धित दलों की सहमति से निवारा कर दिया जाय अथवा इस प्रकार की सहमति न मिलने की अवस्था में पंचायत-द्वारा उनका निवारा करा दिया जाय ।

### आपके वे प्रस्ताव

आपने हमारे पास जो प्रस्ताव भेजे हैं ( द डी० ई० एफ० जी० ) उनसे प्रकट होता है कि ऐसे पृथक् विधान तैयार किये जा सकते हैं, जो एक शक्तिशाली केन्द्रीय व्यवस्था-द्वारा जुड़े होंगे और यह व्यवस्था पूर्ण रूप से हम गुटों की दया पर निर्भर रहेगी ।

इसके अतिरिक्त प्रारम्भ में प्रत्येक प्रान्त का अनिवार्यतः एक विशेष गुट में समिक्षित होना जरूरी है, चाहे वह ऐसा करना चाहें अथवा नहीं । प्रश्न उठता है कि सीमाप्रान्त को, जो एक कांग्रेस-विरोधी गुट में समिक्षित होने के लिए क्यों विचार किया जाय ?

हम अनुभव करते हैं कि मनुष्यों के प्रति व्यक्ति के रूप में अथवा सामूहिक रूप से व्यवहार करते समय तर्क और युक्ति के अतिरिक्त और कितनी ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है । किन्तु तर्क और युक्ति की सदा उपेता नहीं की जा सकती और यदि अन्याय और तर्कहीनता इकट्ठे हो जायें तो उनका मेल खतरनाक सिद्ध हो सकता है और विशेषकर ऐसी अवस्था में तो और भी अधिक, जब हम करोड़ों प्राणियों के भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं ।

अब मैं आपके खरीते की कुछ बातों के सम्बन्ध में विचार प्रकट करूँगा और उनके सम्बन्ध में सुझाव उपस्थित करूँगा ।

भंग० १—आपने अपने सुझावों में यह तो कहा है कि केन्द्रीय संघ को हम बाल के लिए अधिकार प्राप्त होंगे कि जो विषय उसके अपने अधीन होंगे उनके लिए वह आवश्यक धन प्राप्त कर सकता है, किन्तु हमारे विचार में यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि केन्द्रीय संघ को राजस्व प्राप्त करने का अधिकार होगा । साथ ही मुद्रा और जकात तथा उनसे सम्बद्ध अन्य विषय भी केन्द्रीय संघ के अधीन हर हालत में रहने चाहियें । एक अन्य आवश्यक संबीय विषय योजना-निर्माण है । योजना-निर्माण का कार्य केवल केन्द्र से ही हो सकता है, यथापि प्रान्त अथवा अन्य दूकानों ही योजनाओं को अपने-अपने सेत्रों में कार्यान्वित करेगी ।

संघ को यह भी अधिकार होना चाहिये कि विधान भंग होने अथवा गम्भीर सार्वजनिक

संकट उत्पन्न होने की अवस्था में आवश्यक कारबाहू कर सके।

### निर्णय पंचायत के सुपुर्दे

नं० ५ और ६—हम शासन परिषद् लथा भारातमा दोनों ही में सर्वथा असमान गुणों के प्रस्तावित समाज-प्रतिनिधित्व के पूर्णतः विरोधी हैं। यह अनुचित है और इससे गड़बड़ी फैलेगी। ऐसी व्यवस्था में पारस्परिक विरोध और स्वच्छंद प्रगति के सर्वनाशी बीज निहित हैं। यदि इस अथवा किसी ऐसे ही विषय पर समझौता न हो सके, तो हम उसे निर्णय के लिए पंचायत के सुपुर्दे करने को तैयार हैं।

नं० ७—हम इस सुझाव को मानने के लिए तैयार हैं कि दस वर्ष<sup>१</sup> के उपरान्त विधान पर पुनर्विचार किया जाय। वास्तव में विधान में ऐसी कोई व्यवस्था तो रखनी ही पड़ेगी जिससे कि किसी भी समय डस में संशोधन किया जा सके।

दूसरी धारा में कहा गया है कि विधान पर पुनर्विचार का कार्य कोइ ऐसी ही संस्था करे, जो कि उसी आधार पर बनी हो, जिस पर कि विधान-निर्मात्री परिषद् बनी है। हमें आशा है कि भारत का विधान वयस्क-मताधिकार पर आधारित होगा। आज से दस वर्ष बाद भारत समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय देने के लिए वयस्क मताधिकार ही चाहेगा, इससे कम में वह संतुष्ट नहीं होगा।

नं० ८ ए—हम सुझाव उपस्थित करते हैं कि चुनाव का न्यायपूर्ण और उचित तरीका, जिससे सभी दखों के प्रति न्याय हो सके, यही है कि एकाकी इस्तान्तरित मताधिकार के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो। स्मरण रखना चाहिये कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका-समाजों के चुनावों के लिए जो सौजन्या आधार है उसमें अल्पसंख्यकों को प्रबल विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया गया है।

१-१० का अनुपात बहुत कम प्रतीत होता है और इससे विधान-निर्मात्री परिषद् के सदस्यों की संख्या अत्यन्त सीमित हो जायगी। सम्भवतः यह संख्या २०० से अधिक नहीं होगी। परिषद् के सम्मुख जो अस्त्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय उपस्थित किये जायंगे उन्हें ध्यान में रखते हुए सदस्यों की संख्या काफी अधिक होनी चाहिये। हमारा सुझाव है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका-समाजों के सदस्य की संख्या का पंचमांश सदस्य विधान निर्मात्री परिषद् में अवश्य रहना चाहिये।

नं० ८ बी०—यह धारा अस्पष्ट है और इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। परन्तु अभी हम इसके विस्तार में नहीं जाना चाहते।

नं० ८-डी० ८० पू० जी०—इन धाराओं के सम्बन्ध में मैं पहले ही लिख चुका हूँ। हमारे विचार में इन गुणों की रचना तथा प्रस्तावित विधि दोनों ही गलत और अवांछनीय हैं। यदि प्रान्त चाहें तो इन गुणों के निर्णय पर आपत्ति नहीं करना चाहते, किन्तु इस विषय को विधान-निर्मात्री-परिषद् के निर्णय के लिए क्लोब देना चाहिये। विधान का मसविदा तैयार करने और उसके निर्णय के कार्य का श्रीगणेश केन्द्रीय संघ से होना चाहिये। इसमें प्रान्तों तथा अन्य इकाइयों के लिए समाज तथा सदृश नियम होने चाहिये। उसके बाद प्रान्त स्वयं उसमें वृद्धि कर सकते हैं।

नं० ८ पृ०—आज की परिस्थितियों में हम बहुत कुछ इसी प्रकार की धारा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं पर मतभेद की अवस्था में उसका निर्णय पंचायत-द्वारा कर लिया जाय।

मैंने आपके विचारपत्र के प्रस्तावों के कुछ स्पष्ट दोषों का, जैसे कि वे इसे दीख पड़ते हैं,

उपर उल्लेख किया है। यदि, जैसा कि हमने बताया है, उन्हें दूर कर दिया जाय तो हम कांग्रेस से आपके प्रस्तावों को स्वीकार करने की सिफारिश कर सकते हैं। परम्परा जिस रूप में आपने विचारपत्र में अपने प्रस्तावों को रखा है उस रूप में उन्हें मानने में हम असमर्थ हैं।

### खेद का विषय

इसलिए सब मिलाकर यदि ये सुझाव हर हालत में हमारे लिए अग्रिमार्थ रूप से स्वीकार्य हों तो हमें दुःख है कि मुस्लिम लीग के साथ समझौते की पूर्ण हड्डी रखते हुए भी, उनमें से अधिकांश सुझावों को हम अस्वीकार कर देंगे। हम तीनों जिस तुराहू से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, कहाँ ऐसा न हो कि हम उससे भी बड़ी तुराहू में फँस जायें।

यदि कोई ऐसा समझौता न हो सके, जो दोनों दलों के लिए सम्मानजनक हो तथा स्वाधीन और अखंड भारत के विकास के अनुकूल हो, तो हमारी राय है कि केन्द्रीय असेम्बली के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी एक अंतर्कालीन सरकार की स्थापना तुरन्त कर दी जाय और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के विधान-निर्मात्री-परिषद्-सम्बन्धी मतभेद को फैसले के लिए किसी स्वतंत्र पंचायत के सुपुर्द कर दिया जाय।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस प्रस्ताव के बाद कि दोनों दलों के बीच विवादास्पद मामलों पर निर्णय देने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाना चाहिये। सम्मेलन की कार्रवाई, इस ख्याल से कि मध्यस्थ के बारे में दोनों दलों में समझौता होने की संभावना है, स्थगित कर दी गयी और दोनों दलों में निम्न पत्रव्यवहार हुआ :—

**पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को ता० १० मई १९४६ का पत्र**  
कल सम्मेलन में किये गये निश्चय के अनुसार मेरे साधियों ने उपयुक्त अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में काफी सोच-विचार किया है। हमारा विचार है मध्यस्थ पद के लिए अंग्रेज, हिन्दू, मुस्लिम और सिख को न चुनना ही अच्छा रहेगा। अतः हमारा चुनाव-बेत्र सीमित है। किर भी हमने एक सूची तैयार कर ली है, जिस में से चुनाव किया जा सकता है। मेरा अनुमान है कि आपने भी अपनी कार्यकारिणी समिति के पश्चामर्श से संभावित मध्यस्थों की ऐसी सूची तैयार की होती। क्या आप चाहेंगे कि हम—अर्थात् मैं और आप इन सूचियों पर मिल कर विचार करें। यदि हो, तो इस काम के लिए मुझाकात निश्चित कर सकते हैं। हमारे परस्पर विचार के बाद आठों व्यक्ति—चार कांग्रेस और चार लीग के प्रतिनिधि हमारी सिफारिश पर मिल कर विचार करके किसी निश्चय पर पहुँच सकते हैं, जिसे हम कल सम्मेलन में प्रस्तुत कर दें।”

**मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का पं० जवाहरलाल नेहरू को १० मई, १९४६ का पत्र**

“आपका १० मई का पत्र मुझे सायं ६ बजे मिला। कल वाहसराय-भवन में आपकी और मेरी मुलाकात के समय हमने मध्यस्थ निश्चित करने के प्रश्न के अतिरिक्त कई अन्य बातों पर भी विचार-विमर्श किया था। संविधान बातचीत के बाद हम इस परिणाम पर पहुँचे थे कि कल सम्मेलन में आप-द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव के सभी अर्थों पर अपने-अपने साधियों से परामर्श के बाद हम पुनः विचार करेंगे।

“आपके प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचारार्थ कल प्रातः दस बजे के बाद किसी समय, जो आपको ठीक ज़रूरी, आपसे मिलकर सुन्ने प्रसन्नता होगी।”

**पं० जवाहरलाल नेहरू का मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को ११ मई, १९४६ का पत्र**

“आपका १० मई का पत्र मुझे कल रात १० बजे मिल गया था।

वाहसराय-भवन में बातचीत के दौरान में आपने मध्यस्थ के चुनाव के अलावा कही अन्य बातों का भी ज़िक्र किया था और मैंने आपको उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर दी थी। परन्तु मैं हस्त ख्याल में रहा कि मध्यस्थ नियत करने का प्रत्याव स्वीकार कर लिया गया था और हस्त से आगे नाम तजवीज करना ही हमारा कार्य था। बास्तव में सम्मेलन में ऐसा निश्चय हो जाने के बाद ही इमने बातचीत की, मेरे साथियों ने भी उसी आधार पर कार्रवाई की और उपयुक्त नामों की सूची तैयार कर ली। इमसे आशा की जाती है कि आज दोपहर को सम्मेलन में हम मध्यस्थ के बारे में अपना निर्णय पेश करें। कम से कम हस्त विषय पर अपने सुझाव तो अवश्य प्रस्तुत करें।

किसी को मध्यस्थ बनाने की मुख्य शर्त उसके निर्णय को स्वीकार करना होती है, यह हम स्वीकार करते हैं। हमारी राय है कि हम इस प्रश्न पर गौर करें और तदनुसार अपना निर्णय सम्मेलन के आगे रखें।

आपके सुझाव के अनुपार मैं आज प्रातः १०—३० बजे आपके निवासस्थान पर आऊँगा।<sup>1</sup>

मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का पं० जवाहरलाल के नाम ११ मई, १९४६ का पत्र

“मुझे ११ मई का आपका पत्र मिला।

वाहसराय भवन में हमारे बीच हुई बातचीत के दौरान में, जो कि १५ या २० मिनट तक रही होगी, मैं ने आपके प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं तथा अर्थों की ओर संकेत किया था और हमारा हस्त विषय पर कुछ सोच-विचार भी हुआ था, परन्तु हमारे बीच किसी भी बात पर कोई समझौता नहीं हुआ था। केवल आपके हस्त प्रस्ताव से सहमत होकर कि आप अपने सहकारियों से परामर्श कर लें और मैं भी ऐसा ही कर लूँ, इस प्रश्न पर आगे विचार करने के लिए हमने उस दिन की बैठक को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया था। मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप आगे बातचीत के लिए आज प्रातः १०—३० बजे मुझे मिल सकें।”<sup>2</sup>

मुस्लिम लीग के सभापति का स्मृति-पत्र जिसमें १२ मई के सम्मेलन के निर्णयानुसार लीग की मांगों सम्मिलित हैं। इसकी प्रतियां मंत्रिमिशन तथा कांग्रेस को भेजी गयीं।

“हमारे सिद्धान्त जिनकी स्वीकृति अपेक्षित हैं—

१—छः मुस्लिम प्रान्तों (पंजाब, डटर-परिषद्मी सीमाप्रान्त, बंगोचिस्तान, सिंध, बंगाल तथा आसाम) का एक गुट बनाया जाय जिसके अधिकार में विदेशी मामलों, रक्षा तथा रक्षासंबन्धी बातचार को छोड़कर समर्पण विषय होंगे। इन लीग विषयों पर प्रान्तों के दोनों गुटों—(मुस्लिम प्रान्तों का गुट) जिसे आगे पाकिस्तान-गुट कहा गया है तथा हिन्दू-प्रान्तों का गुट—की विधान-निर्माणी परिषद् एक साथ बैठकर विचार करेंगी।

२—उपर्युक्त ६ मुस्लिम प्रान्तों की पृथक् विधान-निर्माणी-परिषद् होगी जो गुट के लिए तथा गुट के अन्तर्गत प्रान्तों के लिए विधान बनायेगी तथा यह मिर्धारित करेगी कि कौन से विषय पाकिस्तान-गुट के अधीन होंगे और कौन-से प्रान्तों के अधीन। अवशिष्ट सक्ताधिकार प्रान्तों के रहेंगे।

३—विधान-निर्माणी परिषद् के लिए प्रतिनिवित्यों का चुनाव ऐसे ढंग से होगा कि पाकिस्तान प्रान्तों में रहनेवाली विभिन्न जातियों को जन-संवेद्य के अनुपात से प्रतिनिवित्य प्राप्त हो।

४—विधान-निर्माणी परिषद्-द्वारा पाकिस्तान तथा उसके प्रान्तों के विधान अन्तिम क्षण

से बना किए जाने के बाद, प्रत्येक प्रान्त गुट से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होगा, बहारे कि प्रान्त के लोगों की हड्डी लोकमत द्वारा जान ली गयी हो।

५—संयुक्त विधान-निर्मात्री परिषद् में यह विषय विवारणीय रहना चाहिये कि संघ में व्यवस्थापक मंडल होगा या नहीं। संघ के लिए धन प्राप्त करने का प्रश्न भी संयुक्त परिषद् के निर्णय पर छोड़ देना चाहिये, किन्तु यह धन कर-द्वारा किसी भी दशा में प्राप्त नहीं किया जायगा।

६—संघ की राज्य-परिषद् तथा असेम्बली, में यदि ये बनायी जायें, दोनों प्रान्तीय गुटों का प्रतिनिधित्व बराबर हो।

७—संघीय विधान में कोई भी ऐसी बात, जो साम्प्रदायिक प्रश्न से सम्बन्ध रखती हो, स्वीकृत नहीं समझी जावेगी जब तक कि उसे संयुक्त विधान-निर्मात्री परिषद्, हिन्दू-प्रान्तों की परिषद् तथा पाकिस्तान-प्रान्तों की परिषद् के सदस्यों के बहुमत का अकाग-अलग समर्थन प्राप्त न हो।

८—किसी भी विधादप्रस्त मामले में संघ-द्वारा व्यवस्थापन तथा शासन-सम्बन्धी निर्णय नहीं किया जायगा जब तक कि निर्णय के पक्ष में तीन-चौथाई का बहुमत न हो।

९—गुट के तथा प्रान्तीय विधानों में विभिन्न जातियों के धर्म, संस्कृति तथा सम्बन्धी अन्य आधारभूत विचार समिलित होंगे।

१०—संघ के विधान में यह व्यवस्था होगी कि अपनी असेम्बली के बहुमत से कोई भी प्रान्त विधान की धाराओं पर पुष्ट विचार का प्रश्न उठा सकता है और प्रथम दस वर्ष के बाद संघ से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होगा।

शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीरूप समझौते के लिए ये इमारे सिद्धान्त हैं। ये शर्तें आंशिक नहीं बल्कि सम्पूर्ण रूप से ही प्रस्तुत की जाती हैं। उपर्युक्त सब शर्तें अन्यान्यान्त्रित हैं।

समझौते के आधार के रूप में कांग्रेस के सुझाव १२ मई, १९४६

१—विधान-निर्मात्री परिषद् इस प्रकार बनायी जाय :—

(क) प्रतिनिधि प्रत्येक प्रान्तीय असेम्बली-द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (एकाकी हस्तांतरित मत) के आधार पर चुने जायें। इस प्रकार चुने गये लोगों की संख्या असेम्बली के सदस्य की संख्या का  $\frac{3}{4}$  भाग हो और जिन्हें चुना जाय वे चाहे असेम्बली के सदस्य हों या बाहर के व्यक्ति हों।

(ख) देशी राज्यों-द्वारा प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के समान जन-संख्या के अनुपात से भेजे जायें। इन प्रतिनिधियों को किस प्रकार चुना जायगा, इस प्रश्न पर बाद में विचार किया जाय।

२—विधान-निर्मात्री परिषद् भारतीय संघ का विधान तैयार करेगी। संघ में एक तो अलिक्ष भारतीय सरकार होगी और एक व्यवस्थापक मंडल होगा जिसके अधिकार में विदेशी मामले, रक्षा, व्यवस्था, यातायात, आधारभूत अधिकार, सुदा, जकात तथा योजना-निर्माण और ऐसे अन्य विषय होंगे जो निकटवर्ती जांच के बाद उलिक्षित विषयों के समकल समझे जायें। संघ को इन विषयों के संचालन के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के तथा स्वतंत्र राज्य जुटाने के अधिकार प्राप्त होंगे। विधान के भंग हो जाने की दशा में तथा गंभीर सार्वजनिक आपलकाल के समय प्रतिकारात्मक कार्रवाई करने के भी संघ को अधिकार होने चाहियें।

३—शेष सब अधिकार प्रान्तों अथवा संघ की हकाइयों को प्राप्त होंगे।

४—प्रान्तों के गुट बनाये जा सकते हैं और ये गुट निर्धारित करेंगे कि प्रान्तीय विषयों में से कौन-से विषय सामान्य रूप से वे अपने अधिकार में रखना चाहते हैं।

५—उपर्युक्त पैरा २ के अनुसार जब विधान-निर्मात्री परिषद् अस्ति भारतीय संघ का विधान बना सकेगी, प्रान्तीय प्रतिनिधि प्रान्तीय विधान बनाने के लिए गुट इन सकते हैं और यदि वे चाहें तो सम्बन्धित गुट का विधान भी बना सकते हैं।

६—संघीय विधान में कोई भी प्रमुख मामला, जिसका साम्प्रदायिक प्रश्न से सम्बन्ध हो, विधान-निर्मात्री परिषद् द्वारा स्वीकृत नहीं समझा जायगा। जब तक कि सम्बन्धित सम्प्रदाय अथवा सम्प्रदायों के असेम्बली में डप्लियत तथा मतदाता सदस्यों का बहुमत पृथक् रूप से उस मामले का समर्थन न करे। यदि समझौते-द्वारा ऐसे मामले का निवारण न हो सके, तो वह पंच-द्वारा निर्णय के लिए दे दिया जायगा। ऐसी अवस्था में जब संदेह हो कि असुक मामला प्रमुख साम्प्रदायिक है अथवा नहीं, असेम्बली का अध्यक्ष फैसला करेगा, और यदि इच्छा हो तो निर्णय के लिए यह प्रश्न फेडरेक्ट कोर्ट के सुपुर्व किया जायगा।

७—विधान-निर्माण के कार्य में यदि कोई भी ऊगड़ा खड़ा हो, तो वह पंच-द्वारा निर्णय के लिए दे दिया जायगा।

८—प्रतिपादित प्रतिबन्धों के अनुसार, विधान में किसी भी समय उस पर उनविचार का प्रबन्ध होना चाहिये। यदि ऐसी इच्छा हो तो यह विशेष रूप से लिख दिया जाय कि प्रति दस वर्षों के बाद सारे विधान पर उनविचार होगा।”

मुस्लिम लीग द्वारा १२ मई, १९४६ वे समझौते के लिए सुझाए गये मिद्दान्तों पर कांग्रेस की टिप्पणी

इन मामलों के सम्बन्ध में मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण कांग्रेस के दृष्टिकोण से इतना भिन्न है कि उसकी प्रथेक मद पर शेष मामले का उल्लेख किये बिना पृथक् रूप से सोच-विचार करना कठिन है। कांग्रेस ने हस सम्बन्ध में जो रूपनेत्रा तैयार की है उसका एक पृथक् नोट में संचेप में उल्लेख किया गया है। हस नोट पर तथा मुस्लिम लीग के प्रस्तावों पर विचार करने से ये कठिनाइयाँ और सम्भावित समझौता—दोनों ही स्पष्ट हो जायेंगे।

मुस्लिम लीग के प्रस्तावों पर संचेप में निम्नलिखित विचार किया गया है :—

१—हमारा सुझाव है कि उचित कार्यप्रणाली यह होगी कि प्रारम्भ में समस्त भारत के लिए एक विधान-निर्मात्री संस्था अथवा विधान-निर्मात्री परिषद् बैठे और बाद में यदि सम्बद्ध प्रान्त चाहें तो हस प्रकार बनाये गये गुटों के लिए भी विधान-निर्मात्री परिषद् बैठे। यह मामला प्रान्तों पर हो छोड़ दिया जाना चाहिए और यदि वे एक गुट के रूप में काम करना चाहें और इस डेश्य के लिए स्वयं अपना विधान बनाना चाहें तो उन्हें ऐसा करने की स्वतंत्रता रहे।

चाहे कुछ भी हो यह स्पष्ट है कि आसाम को उपर्युक्त गुट में नहीं रखा जा सकता और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, जैसा कि चुनाव के परिणामों से प्रत्यक्ष है, इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है।

२—फेन्ड्रीय विषयों के अनिरिक्त अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों को देना हमने स्वीकार कर लिया है। वे उनका यथेष्ट उपयोग कर सकते हैं और यदि वे चाहें तो जैसा कि ऊपर कहा गया है, गुट के रूप में भी रह सकते हैं। ऐसे किसी गुट का अनिम्न स्वरूप क्या होगा, वह अभी नहीं

कहा जा सकता और यह वात सम्बद्ध प्रान्तों के प्रतिनिधियों पर ही छोड़ दी जानी चाहिए।

३—इमने यह सुकाव पेश किया है कि निर्वाचन का सर्वोत्तम तरीका 'सिंगल ट्रांसफरेबल वोट' (एकाकी हस्तान्तरित मत-पद्धति) देने का है। इसमें विभिन्न सम्प्रदायों के व्यवस्थापक मंडलों में अपने मौजूदा प्रतिनिधित्व के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जायगा। यदि जन-संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाय तो इमें भी कोई विशेष आपत्ति नहीं है, परन्तु इससे उन सभी प्रान्तों में कठिनाहायं डॉपन्न हो जायेंगी जहाँ कि कुछ सम्प्रदायों को विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया गया है। जो भी सिद्धान्त स्वीकृत होगा वह अनिवार्यतः सभी प्रान्तों पर लागू होगा।

४—किमी प्रान्त को अपने गुट से पृथक् होने की आवश्यकता नहीं, यद्योंकि उस गुट में शामिल होने के लिए उस प्रान्त की पूर्व-सहमति आवश्यक है।

५—इम यह आवश्यक समझते हैं कि संघ-केन्द्र की अपनी व्यवस्थापिक सभा होनी चाहिये। इम यह भी आवश्यक समझते हैं कि संघ को अपना राज स्वप्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये।

६ और ७—इम संघ की शासन-परिषद् अथवा व्यवस्थापिका सभा में प्रान्तीय गुटों के समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व के सर्वथा विरोधी हैं। इम समझते हैं कि संघीय विधान में की गई यह व्यवस्था, कि कोई भी बड़ा संप्रदायिक प्रश्न तबतक विधान-निर्माणी परिषद्-द्वारा पास नहीं समझा जायगा जबतक कि परिषद् में उसे संप्रदाय अथवा संप्रदायों के उपस्थित प्रतिनिधियों का पृथक् बहुमत तथा समिक्षित रूप से सब प्रतिनिधियों का बहुमत नहीं प्राप्त हो जाता, पर्याप्त संख्यकों के लिए काफी और बड़ा वैधानिक संरक्षण है। इमने तो इससे भी कुछ अधिक व्यापक सुझाव रखे हैं और इसमें सभी सम्प्रदाय शामिल कर लिये हैं जैसा कि अन्यत्र नहीं किया गया। छोटे संप्रदायों के मामले में कुछ कठिनाहायं उपस्थित हो सकती हैं; परन्तु ऐसी कठिनाहायों का निराकरण पंच-द्वारा किया जा सकता है। इसे और अधिक व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से इम इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करनेकी प्रशाली पर विचार करनेको तैयार है।

८—यह प्रस्ताव इतना व्यापक है कि कोई भी सरकार अथवा व्यवस्थापिका सभा उह ही नहीं सकती। एक बार बड़े-बड़े संप्रदायिक प्रश्नों के लिए संरक्षणों की व्यवस्था कर देने पर अन्य विषयों के लिए, चाहे वे विवादास्पद हों अथवा नहीं, किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ तो केवल यह होगा कि सब प्रकार के निहित स्वार्थ सुरक्षित हो जायें और वस्तुतः किसी भी दिशा में कोई प्रगति न हो सके। इसलिए इम इसका सर्वथा विरोध करते हैं।

९—इम मौलिक अधिकारों और धर्म, संस्कृति तथा अन्य ऐसे ही मामलों के सम्बन्ध में संरक्षण का विधान में समावेश करने को सर्वथा तैयार हैं। हमारा मत है कि इसके लिए बचित स्थान अखिल भारतीय संघ विधान है। ये मौलिक अधिकार समस्त भारत के लिए एक से ही होने चाहिये।

१०—प्रस्तुत है कि संघ के विधान में उसके संशोधन की व्यवस्था तो रहेगी ही। इसमें बहु व्यवस्था की जा सकती है कि बड़े उस पर पूर्णतः पुनर्विचार हो सके। तब इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से पुनर्विचार किया जा सकेगा। यथापि प्रान्तों के इस संघ से अक्ता होने की वात तो इसमें ही ही, किर भी इस उत्तरका यहाँ कोई उल्लेख नहीं करना चाहते, यद्योंकि इम इस विचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते।

सूचना—कान्फरेम्म अपना मकसद हासिल करने में असफल रही। १२ मई को वह भाग होगयी। मंत्रि-मिशन और वाइसराय १६ मई को शिमले से दिल्ली आगये और १६ को उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित करके विधान-निर्माणी संस्था की स्थापना के प्रस्ताव रखे।

**मंत्रिमण्डल-मिशन और वाइसराय का १६ मई १९४६ का वक्तव्य**

१—मार्च को मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल को भारत के, जिए रवाना करते समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री एटली ने ये शब्द कहे थे :—

“मेरे सहयोगी इस विचार से भारत जा रहे हैं कि वे शीघ्र से शीघ्र पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने में भारत की सहायता करने के लिए अधिक प्रयत्न कर सकें। वर्तमान सरकार की जगह किस प्रकार की सरकार बनाई जायगी, इसका निर्णय भारत स्वयं करेगा, लेकिन हमारी इच्छा है कि वे एक ऐसे संगठन को तत्काल स्थापित करने में उसकी सहायता करें जिससे वह उस निर्णय पर पहुँच सके।

“मुझे आशा है कि भारत और उसके निवासी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत रहने का निर्णय करेंगे। मुझे विश्वास है कि ऐसा करना वे बहुत ज्ञानाधारक समझेंगे।

“लेकिन यदि वह ऐसा कैसका करें तो यह उनकी स्वेच्छा से ही होना चाहिये। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल और साक्रान्ति किसी बाहरी दबाव की शुल्कों से परस्पर सम्बद्ध नहीं है।

यह स्वतंत्र राष्ट्रों का स्वतन्त्र संगठन है। इसके विपरीत यदि उसने विजुकुल स्वतन्त्र होने का निर्णय किया तो हमारे दृष्टिकोण से उसे ऐसा करने का अधिकार है। हमारा यह कर्तव्य होगा कि इस शासन-परिवर्तन को अधिक से अधिक सरकार और निविधनता के साथ सम्पन्न करने में हम उसकी सहायता करें।

२—इन ऐतिहासिक शब्दों से प्रतिष्ठित होकर हमने—मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल और वाइसराय ने—इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया कि भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में भारत की अखण्डता और विभाजन के आधारभूत प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई समझौता हो सके। नया दिल्ली में असेंटक विचार-विनियम के उपरांत हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग को शिमले में एक सम्मेलन में एकत्रित करने में सफल हो गये। पूर्ण रूप से परस्पर विचार-विनियम हुआ और दोनों दल समझौते पर पहुँचने के उद्देश्य से पर्याप्त रिआयतें देने को तैयार थे। लेकिन अन्त में दोनों दलों के बीच जो अन्तर शेष रह गया वह दूर न किया जा सका। इस प्रकार कोई समझौता न हो सका। चूंकि कोई समझौता नहीं हो सका है अतः हम यह अपना कर्तव्य समझते हैं कि भारत में शीघ्रता से नये विधान की स्थापना के लिए हम जिस व्यवस्थाको श्रेष्ठतम समझें उसे प्रस्तुत करें। यह वक्तव्य ब्रिटेन में मौजूदा संघाटकी सरकार की पूर्ण स्वीकृति के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

३—तदनुसार हमने निश्चय किया है कि तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिसके द्वारा भारत के भावी विधान की रूपरेखा का निर्णय भारतीय ही कर सकें तथा जब तक कि नया विधान असम में न आये तब तक शासन-कार्य चलाने के लिए एक अन्तर्राजीन सरकार की स्थापना की जाय। हमने छोटे और बड़े दोनों वर्गों के साथ न्याय करने और एक ऐसा हल प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है जिसके अनुसार भारत का भावी शासन व्यावहारिक मार्ग का अनुसरण कर सकेगा तथा जिसके द्वारा राजा के लिए भारत को एक ठोस आधार और अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के लिए उत्तम आवश्यक प्राप्त हो सकेगा।

४—इस वक्तव्य में हम उस विशालकाय प्रमाण-समूह पर दृष्टिपात नहीं करना चाहते हैं

जो मन्त्रि-प्रतिनिधि-मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लेकिन यह उचित है कि हम यह स्पष्ट करदें कि मुस्लिम लीग को छोड़ कर शेष समस्त वर्गों में भारत की अखण्डता की देशभग्यापी इच्छा चिद्मान है।

### विभाजन की सम्भावना

५—लेकिन यह हमें भारत के विभाजन की सम्भावना पर निष्पत्ति भाव से विचार करने से नहीं रोक सकी, क्योंकि हम पर मुसलमानों की अत्यधिक उचित और उग्र चिन्तायुक्त इस भावना का बड़ा प्रभाव पड़ा है कि कहीं उन्हें अनन्तकाल के लिए दिनदूर बहुमत के शासन के नीचे न रहना पड़े।

यह भावना मुसलमानों में इतनी दड़ और व्यापक है कि इसे केवल कागजी संरचनाओं-द्वारा शान्त नहीं किया जा सकता। भारत में आन्तरिक शान्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसे ऐसी योजनाओं-द्वारा स्थापित किया जाय जिसमें मुसलमानों को यह आश्वासन प्राप्त हो सके कि उनकी सम्भवता, धर्म और आर्थिक तथा अन्य हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर उनका नियन्त्रण रहेगा।

६—इसलिए हमने सर्वप्रथम एक पृथक् और पूर्ण स्वतंत्र पाकिस्तान-राष्ट्र के प्रश्न पर विचार किया जिसका मुस्लिम लीग ने दावा प्रस्तुत किया है। इस पाकिस्तान में दो लेत्र होंगे। एक उत्तर-पश्चिम, में जिसमें पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत और ब्रिटिश बलोचिस्तान होंगे। दूसरा उत्तर-पूर्व में, जिसमें बंगाल और आसाम रहेंगे। लीग इस बात के लिए उद्यत थी कि आगे चलकर सीमा-निर्धारण में आवश्यक परिवर्तन कर लिये जायें; लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि पहले पाकिस्तान के सिद्धान्त को स्वीकार का लिया जाय। पाकिस्तान का पृथक् राष्ट्र स्थापित करने का पहला तर्क इस आधार पर था कि मुस्लिम बहुमत को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छायुसार अपनी शासन-ग्राहकी का निर्धारण कर सके। दूसरा तर्क यह था कि आर्थिक तथा शासन-सम्बन्धी दृष्टि से पाकिस्तान को व्यवहार्य बनाने के लिए इसमें ऐसे पर्याप्त सेव्र को मिलने की आवश्यकता है जहां मुसलमान अल्प संख्या में हैं।

उपर्युक्त ६ प्रान्तों के पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम अल्पमतों की जनसंख्या, जैसा कि नीचे के आंकड़ों <sup>४</sup> से स्पष्ट है, काफी अधिक होगी :—

उत्तर-पश्चिमी लेत्र	मुसलमान	गैर-मुसलमान
पंजाब	१,६२,१७,२४२	१,२२,०१,५६७
उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त	२७,८८,७६७	२,४६,२७०
सिंध	३२,०८,३२८	१३,२६,६३३
ब्रिटिश बलोचिस्तान	४,३८,६२०	६२,७०१
	—————	—————
	२,२६,५३,२६४	१,३८,४०,२३१
	—————	—————
	६२००७%	३७९३%

<sup>४</sup> इस वक्तव्य में जनसंख्या-सम्बन्धी समस्त आंकड़े १९४१ की नवीनतम जनगणना से लिये गये हैं।

## उत्तर पूर्वीय चेत्र

बंगाल

३,३०,०५,४३४

३४,४२,४७६

३,६४,४७,६१३

२,७३,०१,०६१

६७,६२,२५४

३,४०,६३,३४८

२९०६६%

८८-८१%

शेष बृटिश भारत की १८,८०,००,००० जनसंख्या में फैले हुए मुस्लिम अधिकारी की संख्या प्रायः २ करोड़ है।

## पाकिस्तान सम्भव नहीं

इन आंकड़ों में पता लगता है कि मुस्लिम लोग के दावे के अनुसार एक पूर्ण स्वतन्त्र पाकिस्तान राष्ट्र की स्थापना से साम्प्रदायिक अधिकारी की समस्या हल न हो सकेगी। हम इस बात को भी न्यायसंगत नहीं समझते ही पंजाब, बंगाल व आसाम के उन जिलों को स्वतन्त्र पाकिस्तान में समिलित किया जाय जहाँ को जनसंख्या में गैर-मुस्लिमों का बहुमत है। जो भी तर्क पाकिस्तान की स्थापना के पक्ष में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, हमारे दिल्लीकोण से वही गैर-मुस्लिम बहुमतों के जिलों को पाकिस्तान से पृथक् करने के पक्ष में प्रयोग किये जा सकते हैं। यह बात सिखों की स्थिति पर विशेष प्रभाव डालती है।

६—इसलिए हम ने इस बात पर विचार किया कि क्या एक छोटा स्वतन्त्र पाकिस्तान जिसमें केवल वही लेत्र है जहाँ मुसलमानों का बहुमत है, समझौते का आधार बनाया जा सकता है? हम प्रकार के पाकिस्तान को मुस्लिम लोग विलकूल अध्यावदारिक समझती है, यद्योंकि हमसे पंजाब की अप्पबाला और जाकंधर की पूरी कमिशनरियों (क्ल) जिला सिलहट को छोड़ कर सारा आसाम प्रान्त और (ग) बिश्वमी बंगाल का एक बड़ा भाग, जिसमें कबूलता भी मुसलमानों की संख्या २३,०६ प्रतिशत है, पाकिस्तान में से निकल जायेंगे। हमारा स्वयं भी विश्वास है कि ऐसा कोई भी हल्द जिसके द्वारा बंगाल और पंजाब का विभाजन हो, जैसा कि हम पाकिस्तान से होगा, हन प्रान्तों की जनसंख्या के बहुत बड़े भागों की हच्छा और हितों के विहङ्ग होगा। बंगाल और पंजाब दोनों की अपनी-अपनी समान भाषाएँ हैं और दोनों के साथ जम्मा इतिहास और परम्पराएँ सम्बद्ध हैं। हमसे अतिरिक्त पंजाब का विभाजन करने पर सिख भी विभाजित हो जायेंगे और दोनों भागों की सीमाओं पर पर्याप्त संख्या में सिल रह जायेंगे। हस-लिए हम वाध्य होकर हम परिणाम पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा या छोटा कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र साम्प्रदायिक समस्या का स्वीकृत हल प्रस्तुत नहीं कर सकता।

७—उपरोक्त जोरदार तर्कों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण शासन-सरबंधी, आर्थिक और सैनिक प्रश्न भी है। समस्त यातायात, और डाक व तार का संगठन संयुक्त भारत के आधार पर स्थापित किया गया है। इसे भिन्न २ करना भाग्यत के दोनों भागों के लिए अहितकर होगा। देश की संयुक्त रक्षा का प्रश्न और भी अधिक रुठिन है। भारतीय सेनाएं सामूहिक रूप से समस्त भारत की रक्षा के लिए संगठित की गयी हैं। सेना का दो भागों में बाँटना भारतीय सेना की उच्च योग्यता और दीर्घालीन परम्पराओं पर आधार करेगा और उससे बड़ा खतरा उपस्थित हो सकता है। भारतीय नौसेना और भारतीय हवाई सेना का प्रभाव बहुत बड़ा जायगा। प्रस्तावित पाकिस्तान के

दो भागों में सब से अधिक आक्रमण के योग्य भारत की दो सीमाएं सम्मिलित हैं और अपने प्रदेश की रक्षा-इयवस्था के लिए पाकिस्तान के लोग अपर्याप्त सिद्ध होंगे।

६—एक अन्य महत्वपूर्ण विचारणीय विषय यह है कि विभाजित विटिश भारत के साथ सम्बन्ध जोड़ने में देशी रियासतों को अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

७—सब से अन्तिम बात यह भौगोलिक तथ्य है कि प्रस्तावित पाकिस्तान के दो हिस्से एक दूसरे से प्रायः ३०० मील की दूरी पर हैं और युद्ध तथा शान्ति दोनों ही कालों में इन दोनों भागों के बीच यातायात की इयवस्था भारत की सद्भावना पर निर्भर करेगी।

८—इसलिए हम विटिश सरकार को यह सलाह देने में असमर्थ हैं कि जो शक्ति आज विटिश सरकार के हाथों में है वह बिलकुल दो राष्ट्रों को सौंप दी जाय।

९—जैकिन इस निश्चय के कारण हमने सुपरियामानों के इस वास्तविक भय की ओर से आंखें बन्द नहीं कर ली हैं, कि एक विद्युद अस्लरेड भारत में, जिसमें अत्यधिक बढ़मत के कारण हिन्दुओं का प्राधान्य रहेगा, उनकी सभ्यता और राजनीतिक तथा समाजिक जीवन अस्तित्व स्थो बढ़ेंगे। इस भय के निवारणार्थ कांग्रेस ने एक योजना प्रस्तुत की है जिसके द्वारा प्रान्तों को पूर्ण स्वायत्त-शासन प्राप्त होगा और केन्द्रीय विषय—जैसे विदेशी मामले रक्षा और यातायात-न्यूनातिन्यून होंगे।

यदि प्रान्त बड़े पैमाने पर आर्थिक और शासन-सम्बन्धी योजना-निर्माण में भाग लेना चाहे तो इस योजना के अनुसार प्रान्तों को अधिकार होगा कि वाध्य रूप से केन्द्रीय विषयों के अतिरिक्त वे अन्य किसी विषय को भी केन्द्रीय सरकार के अधीन कर सकें।

१०—हमारी इष्टि में इस प्रकार की योजना में बहुत-सी वैधानिक हानियां और विषमताएँ रहेंगी। ऐसी केन्द्रीय शासन-परिषद् तथा धारासभा का संगठन अत्यन्त कठिन होगा जिसके कुछ मन्त्री, जिनके हाथ में वह विषय हो और जिन्हें अनिवार्य रूप से केन्द्रीय निर्धारित किया गया हो, समस्त भारत के प्रति उत्तरदायों हों तथा कुछ मंत्री जो ऐचिक्रक केन्द्रीय विषयों के अधिकारी हों, केवल उन प्रान्तों के प्रति जिन्हें दायों जिन्होंने इस प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में एक सूत्र से संगठित हो कर कार्य करना स्वीकार किया हो। केन्द्रीय धारासभा में यह कठिनाई और भी बढ़ जायगी जहां जब कोई ऐसा विषय प्रस्तुत हो जिससे किसी प्रान्त का सम्बन्ध न हो तो उस प्रान्त के सदस्यों को बोलने या राय देने से वंचित रखा जायगा।

इस योजना को अमल में लाने की कठिनाई के अतिरिक्त इस समझते हैं कि यह न्याय-संगत न होगा कि जो प्रान्त ऐचिक्रक विषयों को क्षोड केन्द्र के सुपुर्द करना चाहे उन्हें यह अधिकार न दिया जाय कि वे इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए एक पृथक् प्रान्त-समूह बना सकें। वस्तुतः इसका तात्पर्य इससे अधिक और कुछ न होगा कि वे अपने स्वतन्त्र अधिकारों का एक विशेष प्रकार से प्रयोग करते हैं।

११—अपनी सिफारिशों प्रस्तुत करने से पहले इस विटिश भारत के साथ देशी रियासतों के सम्बन्धों का विवेचन करना चाहते हैं। यह बिलकुल स्पष्ट है कि विटिश भारत के स्वतन्त्र होने पर, चाहे वह विटिश राष्ट्र-मंडल के अन्तर्गत रहे या बाहर, देशी रियासतें और सम्राट् के बीच वह सम्बन्ध नहीं रह सकता जो अभी तक रहा है। सर्वोच्चाधिकारों को न तो सम्राट् के हाथ में रखा जा सकता है और न उन्होंने नई सरकार को सौंपा जा सकता है। देशी राज्यों की ओर से हमने जिससे भेट की उन्होंने इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने हमें यह

प्राश्वासन दिया है कि देशी राज्य भारत के नवीन विज्ञास में सहयोग प्रदान करने के लिए इच्छुक और तत्पर हैं। उनके सहयोग का वास्तविक रूप क्या होगा, यह नये वैधानिक संगठन का ढाँचा तैयार करते समय पारस्परिक विचार-विनियम से तथ हो सकेगा और इसका तात्पर्य यह किसी प्रकार भी नहीं है कि प्रत्येक देशी राज्य के सहयोग का रूप एक ही होगा। इसलिये आगे हमने देशी रियासतों का उसी प्रकार विस्तार से उल्लेख नहीं किया है जिस प्रकार बिटिश भारत के प्रान्तों का किया है।

१५—अब हम उस हक्क की रूपरेखा लिंटिष्ट करना चाहते हैं जो हमारी सम्मति में सब दबों की मूलभूत मांगों के प्रति न्याययुक्त होगा और साथ ही इसके द्वारा समस्त भारत के लिए स्थायी व्यावहारिक विधान की स्थापना की भी अधिकतम आशा की जा सकती है।

हमारी विफारिश है कि विधान निम्नलिखित मूलरूप का होना चाहिये:—

(१) एक अखिल भारतीय संयुक्त राष्ट्र होना चाहिये जिसमें बिटिश भारत तथा देशी राज्य दोनों समिलित हों और जिसके अधीन ये विषय रहने चाहियें—विदेशी मामले, रक्षा और यातायात। इस भारतीय संयुक्त राष्ट्र को अपने विषयों के व्यय के लिए आवश्यक धन डगाहने का भी अधिकार दोना चाहिये।

(२) भारतीय संयुक्तराष्ट्र में एक शासन-परिषद् तथा एक व्यवस्थापिका परिषद् होनी चाहिये जिसमें बिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि हों। व्यवस्थापिका परिषद् में कोई महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक मामला प्रस्तुत होने पर उसके निर्णय के लिए दोनों प्रमुख वर्गों के जो प्रतिनिधि उपस्थित हों उनका पृथक् २ तथा समस्त उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा।

३—केन्द्रीय संगठन के लिए निर्धारित विषय को छोड़कर अन्य समस्त विषय तथा समस्त अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों को प्राप्त होंगे।

४—देशी राज्य उन सब विषयों और अधिकारों को अपने अधीन रखेंगे जिन्हें वे केन्द्र को सुपुर्दं नहीं कर देंगे।

(५) उन प्रान्तों को अपने पृथक् समूद्र बनाने का अधिकार होगा जिनकी शासन-परिषद् तथा धारासभा होगी, और प्रत्येक प्रान्त-समूद्र यह तथ करेगा कि कौन-कौन से विषय समान रूप से सामूहिक शासन मे रहे।

(६) भारतीय राष्ट्र तथा प्रान्त-समूदों के विधानों में इस प्रकार की धारा होनी चाहिये जिसके द्वारा कोई भी प्रान्त अपनी धारासभा के बहुमत से प्रथम १० वर्ष के बाद और किर प्रति दस वर्ष बाद विधान की शर्तों पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके।

१६—हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम उपर्युक्त रूपरेखा के अनुसार किसी विधान की विस्तृत बातें प्रस्तुत करें। हम तो केवल ऐसा संगठन चालू करना चाहते हैं जिसके द्वारा भारतीय लोग भारतीयों के लिए विधान तैयार कर सकें।

लेकिन भावी विधान के स्थूल आधार के सम्बन्ध में हमें यह सिफारिश इसलिए करनी पड़ी है कि अपने विचार-विनियमों के सिद्धांतों में हमें यह स्पष्ट होगया था कि जब तक हम इस प्रकार की सिफारिश नहीं करेंगे तब तक हम बात की कोई आशा नहीं की जा सकती कि विधान-निर्माणी-संगठन स्थापना के लिए दोनों प्रमुख वर्गों को एक सूत्र में बैंधा जा सकेगा।

१७—अब हम विधान-निर्माण के उस संगठन की ओर निर्देश करना चाहते हैं जिसके

जिए हमारा प्रस्ताव है कि उसे तरकाल स्थापित करना चाहिये जिससे कि नगा विधान तैयार किया जा सके।

### विधान-निर्माण-संगठन

१८—किसी नये विधान को तैयार करने के लिए स्थापित की जानेवाली परिषद् के संगठन के सम्बन्ध में सबसे पहली समस्या यह होती है कि समस्त जनता का अधिक सिस्त्रृत आधार पर ठीक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाय। स्पष्टतः सबसे अधिक संतोषजनक प्रणाली व्यवस्क-मताधिकार के आधार पर निर्वाचन करना होगी। लेकिन इस समय इस प्रकार की व्यवस्था करने का पर्याय करने से नये विधान के तैयार करने में ऐसा विलम्ब होगा जो किसी भी प्रकार स्वीकार्य न होगा। व्यावहारिक रूप से इसका दूसरा उपाय केवल यह है कि हाल में ही निर्वाचित प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं का निर्वाचक संस्थाओं के रूप में प्रयोग किया जाय; लेकिन उनके संगठन में दो बातें ऐसी हैं जिनके कारण ऐसा करना कठिन है। प्रथम तो विभिन्न प्रान्तों की व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या प्रान्तों की कुल जनसंख्या के साथ समान अनुपात नहीं रखती है—उदाहरणार्थ, आसाम में, जिसकी जनसंख्या १ करोड़ है, व्यवस्थापिका परिषद् के सदस्यों की संख्या १०८ है जबकि बंगाल की व्यवस्थापिका सभा में केवल २५० सदस्य हैं यद्यपि उसकी जनसंख्या आसाम से छोटी है। दूसरे, साम्प्रदायिक निर्णय के अनुसार अल्प-संख्यक जातियों को अनन्तीय जनसंख्या के अनुपात से जो अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदों में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों की संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात से नहीं है। इस प्रकार बंगाल की व्यवस्थापिका सभा में सुसज्जमानों के लिए ४८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित है जबकि प्रान्तीय जनसंख्या की दृष्टि से ग्रान्त में उनकी संख्या २५ प्रतिशत नहीं है। इन विषमताओं को दूर करने की विभिन्न प्रणालियों पर विचार करने के बाद हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि सबसे अधिक न्यायपूर्ण और व्यावहारिक तरीका यह होगा कि :—

(क) प्रत्येक प्रान्त की जनसंख्या के अनुपात से उनके लिए अधिक से अधिक स्थान निश्चित कर दिये जायें। इथलेरूप से प्रत्येक १० लाख व्यक्तियों-प्रति एक स्थान दिया जाय। यह व्यवस्क-मताधिकार के प्रतिनिधित्व का श्रेष्ठतम रूप है।

(ख) इस प्रकार निश्चित किये गये स्थानों को प्रत्येक प्रान्त के प्रमुख सम्प्रदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात से बांट दिया जाय।

(ग) यह व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक समुदाय के लिए निश्चित स्थानों के प्रतिनिधि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद् के उसी समुदाय के सदस्यों-द्वारा चुने जायें।

हम समझते हैं कि इसके लिए यह पर्याप्त होगा कि भारत में केवल तीन प्रमुख सम्प्रदाय माने जायें—साधारण, मुस्लिम और सिस। चूंकि छोटी अल्पसंख्यक जातियां इस समय प्राप्त अधिक प्रतिनिधित्व को खो बैठेंगी और जनसंख्या के अनुपात से उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम या नहीं के बराबर हो जायगा इसलिए हमने पैरा २० में निर्दिष्ट व्यवस्था की है जिसके द्वारा उन्हें अपने सम्प्रदाय के विशिष्ट हितों के मामलों में पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त रहेगा।

१९—इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद् निम्न प्रकार निर्दिष्ट संख्या में अपने प्रतिनिधि चुने और व्यवस्थापिका सभा का प्रत्येक भाग अर्थात् साधारण मुस्लिम और सिस सदस्यों के बर्ग अपने-अपने प्रतिनिधि आनुपातिक प्रतिनिधित्व-प्रणाली के अनुसार चुनें।

## प्रतिनिधित्व-तालिका

## क-विभाग

प्रान्त	जनरल	मुस्लिम	योग
मद्रास	४८	४	४६
बम्बई	१६	२	२१
संयुक्तप्रान्त	४७	५	५२
बिहार	३१	८	३९
मध्यप्रान्त	१६	१	१७
उडीसा	६	०	६
	—	—	—
	१६७	२०	१८७

## ख-विभाग

प्रान्त	जनरल	मुस्लिम	सिख	योग
पंजाब	८	१६	४	२८
डत्तर-पश्चिमी				
सीमाप्रान्त	०	३	०	३
सिन्ध	१	३	०	४
	—	—	—	—
योग	८	२२	४	३४
	—	—	—	—

## ग-विभाग

प्रान्त	जनरल	मुस्लिम	योग
बंगाल	२७	३३	६०
आसाम	७	३	१०
	—	—	—
योग	३४	३६	७०
	—	—	—

ब्रिटिश भारत का योग

देशी रियासतों की अधिकतर संख्या

२६२

६२

योग ३८८

विशेष—(१) चीफ कमिशनरों के प्रान्तों के प्रतिनिधित्व के लिए दिल्ली तथा अजमेर की ओर से निर्वाचित केन्द्रीय व्यवस्था परिषद् के सदस्यों को तथा कुर्ग व्यवस्थापिका कौंसिल द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि को (क) विभाग में जोड़ दिया जायगा।

ख—विभाग में ब्रिटिश [ब्रिटिश स्वतन्त्र] का एक प्रतिनिधि जोड़ा जायगा।

(२) यह विचार है कि अन्तिम रूप से तैयार होने पर विधान-निर्मात्री परिषद् में देशी रियासतों को डचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। ब्रिटिश भारत के लिए स्वीकृत हिंसाव के अनुसार देशी

रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या १३ से अधिक न होगी। लेकिन उनके चुनाव की प्रणाली विचार-विनिमय-द्वारा निर्धारित की जायगी। प्रारम्भिक काल में एक पारस्परिक चर्चा समिति देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी।

(३) इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधि यथासम्भव शीघ्रता के साथ नई दिल्ली में एकत्रित होंगे।

(४) एक प्रारम्भिक बैठक होगी जिसमें कार्य का समान्य क्रम निर्धारित किया जायगा, अध्यक्ष और अन्य अफसरों का निर्वाचन होगा। और नागरिकों, अल्पसंख्यकों तथा कबाह्लों और असमिलित लेंगों के अधिकारों के सम्बन्ध में एक सकाहकार समिति (देखिये नीचे का पैरा २०) नियुक्त की जायगी। इसके बाद प्रान्तों प्रतिनिधि क, ख और ग हन तीन बगों में विभक्त हो जायेंगे जैसा कि इस पैरा के उप-पैरा १ में प्रतिनिधित्व-तालिका में दिखाया गया है।

(५) ये विभाग अपने-अपने समूह के प्रान्तों के विधान को तैयार करेंगे और यह भी तथ्य करेंगे कि इसी उन प्रान्तों के लिए कोई सामूहिक विधान तैयार करना चाहिये, और तैयार किया जाय सो कौन-से विषय सामूहिक विधान के अन्तर्गत रहने चाहिये। नीचे की उपधारा ८ के अनुसार प्रान्तों को किसी समूह से पृथक् होने का अधिकार होगा।

(६) इन विभागों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि संयुक्त भारत का विधान तैयार करने के लिए फिर एकत्रित होंगे।

(७) संयुक्त भारतीय विधान-निर्मात्री परिषद् में यदि कोई प्रस्ताव उपर्युक्त पैरा १५ की शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहेगा या यदि कोई महत्वपूर्ण साम्राज्यिक प्रश्न उपस्थित करेगा तो इसकी स्वीकृति के लिए बैठक में उपस्थित तथा राय देनेवाले दोनों प्रमुख सम्प्रदायों के सदस्यों का पृथक् पृथक् बहुमत आवश्यक होगा।

परिषद् का अध्यक्ष इस बात का निर्णय करेगा कि उपस्थित प्रस्तावों में से कौन-सा (अगर कोई हो) ऐसा है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण साम्राज्यिक प्रश्न उपस्थित होता है। यदि दोनों में से किसी भी प्रमुख समुदाय के सदस्य बहुमत से अनुरोध करें तो अध्यक्ष अपना निर्णय देने से पहले संघ-न्यायालय की सकाह ले लेगा।

(८) नई वैधानिक व्यवस्था के अमज्ज में आते ही किसी भी प्रान्त को यह अधिकार होगा कि वह उस समूह से बाहर लिक्छ जाय जिसमें उसे रखा गया है। नये विधान के अन्तर्गत पहला चुनाव होने के बाद नयी प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद् इस प्रकार का निर्णय कर सकेगी।

२०—नागरिकों, अल्पसंख्यकों और कबाह्ली तथा असमिलित लेंगों के अधिकारों के निर्धारण के लिए नियुक्त सकाहकार समिति में सम्बद्ध हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इसका कार्य यह होगा कि नागरिकों के सौक्ष्म अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यकों के संरचण की धाराओं और कबाह्ली तथा असमिलित लेंगों के शासन की योजना के सम्बन्ध में संयुक्त भारतीय विधान-निर्मात्री परिषद् के सम्मुख विवरण प्रस्तुत करे और इस विषय में सकाह दे कि ये अधिकार प्रान्तों के समूहों के या संयुक्त भारत के विधान में समिलित होने चाहिये।

२१—वाहसराय महोदय तत्काल ही प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदों से अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा देशी रियासतों से अन्ती पारस्परिक चर्चा समिति की नियुक्ति के लिए अनुरोध करें। आशा है कि कार्य को पेंडोलगियों को ध्यान में रखते हुए विधान निर्माण का कार्य यथा-सम्भव शीघ्रता से सम्पन्न किया जायगा जिससे कि अन्तर्कालीन अवधि, जहाँ तक हो सके, छोटी की जा सकेगी।

२२—शासन-शक्ति के हस्तान्तरित होने के कारण उत्पन्न कुछ मामलों के सम्बन्ध में संयुक्त भारतीय व्यवस्थापिका परिषद् तथा ब्रिटेन के बीच किसी प्रकार की सन्धि आवश्यक होगी।

२३—विधान-निर्माण का कार्य होने के साथ-साथ भारत का शासन चलाते रहना है। इसलिए हम एक ऐसी अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना को अत्यन्त महत्व देते हैं जिसे बड़े राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। यह आवश्यक है कि अन्तर्कालीन अधिकारी में भारत-सरकार के सम्मुख उपस्थित कठिन कार्य को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान किया जाय। लैनिक शासन के कार्य-भार के अतिरिक्त आकाल के खतरे का निवारण करना है, मुद्दोत्तरकालीन उच्चति से उत्पन्न बहुत-से मामलों के विषय में निर्णय करना है, जिनका भारत के भविष्य पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा, और कितने ही महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए भारत के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करनी है। इन सब कार्यों के लिए एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो। इस उद्देश्य की पूति के लिए वाहसंराय महोदय ने विचार-विनियम प्रारम्भ कर दिया है और उन्हें आशा है कि शीघ्र ही वे एक ऐसी अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना कर सकेंगे जिसमें युद्ध-सदस्य के विभाग सहित समस्त विभाग जनता का पूर्ण विश्वास रखनेवाले भारतीय नेताओं के हाथों में होंगे। भारत-सरकार में होनेवाले परिवर्तनों के महत्व को समझते हुए ब्रिटिश सरकार इस प्रकार स्थापित सरकार को अपना शासन-सम्बन्धी कार्य पूरा करने और अन्तर्कालीन अधिकारी को शीघ्रता के साथ निर्विघ्न रूप से समाप्त करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

२४—भारतीय जनता के नेताओं से, जिन्हें पूर्ण रक्ततंत्रता का अवसर प्राप्त है, हम अन्त में केवल यह कहना चाहते हैं। कि हमें, हमारी सरकार को तथा हमारे देशवासियों को आशा थी कि यह सम्भव होगा कि भारत के लोग परस्पर एकमत होकर ऐसी प्रणाली निर्धारित करेंगे जिसके द्वारा उनके देश का भावी विधान तैयार किया जाय। लैनिक हमारे और भारतीय दलों के संयुक्त शम तथा समस्त सम्बद्ध जनों के धैर्य और सद्भावना के बाबजूद यह नहीं हो सका है। इसलिए हम आपके सम्मुख वे प्रस्ताव रखते हैं जो सब दलों की बात सुनने और बहुत विचार करने के बाद हम विश्वास करते हैं कि न्यूनातिन्यून समय में बिना किसी आन्तरिक उपद्रव और संघर्ष के आपको अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करा सकेंगे। यह सत्य है कि सम्भवतः ये प्रस्ताव सब दलों को पूर्ण सन्तुष्ट नहीं कर सकते; लेकिन आप इस बात में हमारा समर्थन करेंगे कि भारतीय इतिहास के इस चरम महत्व के काल में राजनीतिज्ञता का तकाजा है कि हम में पारस्परिक आदान-प्रदान की भावना हो।

इन प्रस्तावों को स्वीकार न करने के दूसरे बिकल्प पर विचार करने का भी हम आपसे अनुग्रह करते हैं। हमने तथा भारतीय दलों ने समझौते के लिये जो प्रयत्न किये हैं उन्हें इष्ट में रख कर हमें कहना पड़ता है कि भारतीय दलों में पारस्परिक समझौते द्वारा किसी निर्णय के होने की बहुत कम आशा है। इसलिए हमें स्वीकार करने के अतिरिक्त दूसरा विकल्प हिंसा वा भयानक खतरा, अव्यवस्था और नागरिक युद्ध है। इस प्रकार का उपद्रव कब तक होगा और उसका क्या परिणाम होगा, इस सम्बन्ध में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह निश्चय है कि जालों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिए यह एक भयानक विनाशकारी संकट होगा। यह ऐसी सम्भावना है जिससे भारत के निवासियों, हमारे देशवासियों तथा समस्त संसार के

ज्ञानों को समान रूप से शृणा की दृष्टि से देखना चाहिये ।

इसलिए हम यह प्रस्ताव आपके सम्मुख इस हार्दिक आशा के साथ रख रहे हैं कि ये उसी प्रकार पारस्परिक आदान-प्रदान और सदिच्छा की भावना से स्वीकार किये जायेंगे और अमल में लाये जायेंगे जैसे इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है । जिनके हृदय में भारत के भावी कल्याण की भावना है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि वे अपनी दृष्टि को अपने सम्बद्धाय या हित से आगे ले जायें और भारत के समस्त ४० करोड़ नव-नारियों के हित का ध्यान रखें ।

हमें आशा है कि नया स्वतंत्र भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना स्वीकार करेगा । कुछ भी हो, हमें आशा है कि आप हमारे देशवासियों के साथ बनिष्ठ और मिश्रता के स्वतंत्र बनाये रखेंगे । लेकिन ये आपके स्वतंत्र निर्णय की बातें हैं । आप कुछ भी निश्चय करें, आपके साथ हमें इस बात की आशा है कि संसार के महान् राष्ट्रों में आप निरन्तर अधिक सफल बनते जायेंगे और आपका भविष्य आपके अतीत से भी अधिक गौरवपूर्ण होगा ।

### भारत मंत्री का १७ मई, ४६ का ब्रांडकास्ट-भाषण

मैं आपसे जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसका सम्बन्ध एक महान् राष्ट्र—भारत राष्ट्र—के भविष्य से है । मध्य भारतीयों के द्वाओं में स्वतंत्रता की उत्कट अभिलाषा है । इस अभिलाषा को भारत के सब राजनीतिक द्वाओं के नेताओं ने व्यक्त किया है । सन्नाट् की सरकार तथा सामूहिक रूप से ब्रिटिश राष्ट्र स्वतंत्रता देने को सम्पूर्ण रूप से तैयार है—चाहे यह स्वतंत्रता ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल के भीतर हो अथवा बाहर । वे आशा करते हैं कि यह स्वतंत्रता इन द्वोनों राष्ट्रों के बीच, सम्पूर्ण समना के अधार पर, स्थायी तथा मैत्री पूर्ण सम्बन्धों का आधार बनेगी ।

लगभग ३० महीने हुए, भारत मंत्री की हैसियत से मैं और मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी—सर स्टैफ डं क्रिप्स और श्री अलेक्जेंडर—सन्नाट् की सरकार-द्वारा भारत भेजे गये थे ताकि हम भारतीयों-द्वारा ही उनका विधान बनाने के हेतु प्रारम्भिक कार्य में वाहसराय की सहायता कर सकें ।

हमें आते ही एक बहुत बड़ी अद्यतन का सामना करना पड़ा । भारत के दो प्रमुख दल—मुस्लिम लीग, जिसने हाल के खुलाओं में बहुसंख्यक सुसलमानों की सीटों को जीता है, तथा कांग्रेस, जिसने शेष सीटों में बहुसंख्यक सीटें जीती हैं—में प्रारम्भिक राजकीय मरीन स्थापित करने के प्रश्न पर तीव्र मतभेद था । मुस्लिम लीग भारत को दो पृथक् सत्ता-सम्पन्न राज्यों में विभाजित करना चाहती थी और विधान-निर्माण के कार्य में भाग लेने को तैयार न थी जब तक कि उसका यह दावा पहले से ही न मान लिया जाय । कांग्रेस का आग्रह था कि भारत एक अखंड देश रहे ।

भारत में अपने प्रवास के समय हमने भरसक प्रयत्न किया है कि इन द्वोनों दलों में कोई ऐसा समझौता हो जाय जिस से हम विधान-निर्माण का काम अपने हाथ में ले सकें । हाल में हम द्वोनों दलों को अपने साथ शिखका में एक सम्मेलन में मिलाने में सफल हो गये थे; किन्तु पूरा समझौता न किया जा सका, यद्यपि द्वोनों दल भारी रिआयतें करने को तैयार थे । इसलिए इस गुणी का हल सुझाने के लिए हम स्वयं बाध्य हो गये हैं—ऐसा हल जिससे द्वोनों दलों की प्रमुख मांगें पूरी हो जायें और तत्काल ही विधान-निर्माण-सम्बन्धी कार्य चालू किया जा सके ।

यद्यपि हम मुस्लिम लीग के इस भय की वास्तविकता को समझते हैं कि विद्युत रूप से संयुक्त भारत से उनका समुदाय अपनी संस्कृति और अपने रहन-सहन की प्रणाली के साथ बहु-

संघर्षक हिन्दू-शासन में विश्वीन हो सकता है, हम सब इस बात को स्वीकार नहीं करते कि साम्राज्याधिक समस्या का इस एक पृथक् सत्तासम्पन्न मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना है। 'पाकिस्तान' में जिस नाम से मुस्लिम लीग अपने राष्ट्र को उत्तरेगी, केवल मुसलमान ही न होंगे, इसमें दूसरे समुदायों की भी काफी बड़ी अल्पसंख्या होगी और हन सब का औसत ४०% प्रतिशत से भी ऊपर पहुँच जायगा और कुछ बड़े-बड़े लोगों में यह बहुसंख्या का रूप भी घारण कर लेगा, जैसे कि कलकत्ते में, जहाँ मुसलमानों की संख्या एक-तिहाई से भी कम है। इसके अतिरिक्त हमारी दृष्टि में, पाकिस्तान के शेष भारत से अलग हो जाने से सेना के दो भागों में बँटने और रक्षा-व्यवस्था का व्यापक प्रबन्ध—जो आधुनिक युद्ध में आवश्यक है—आवश्यक हो जाने पर समस्त देश की रक्षा-व्यवस्था भीषण खतरे में पड़ जायगी। इसलिए हम इस प्रस्ताव की स्वीकृति का सुझाव नहीं रखते।

हमारी अपनी सिफारिशों में तीन स्तरों के विधान की गयी है जिनमें सबसे ऊपर संघद्वं भारत होगा, जिसमें एक शासन-परिषद् और व्यवस्थापक-मंडळ होगा। जिसे परराष्ट्र विषयक मामलों, रक्षा-व्यवस्था, एवं यातायात और हन सर्विसों के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने का अधिकार होगा। निम्न स्तर में प्राप्त होंगे जिन्हें हन विषयों के अतिरिक्त, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, पूर्ण स्वायत्त शासन प्राप्त होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त हम यह भी सोचते हैं कि प्रान्त गुटों के रूप में इसलिए एक साथ सम्मिलित होना चाहिए कि सामूहिक रूप से वे एक प्रान्त की अपेक्षा और बड़े लोगों की सर्विसों का संचालन कर सकें और ये गुट, यदि वे चाहें, व्यवस्थापक मंडळ और शासन-परिषदों का निर्माण कर सकते हैं जो उस स्थिति में प्रान्तों और संघवद्वं भारत के बीच की व्यवस्था होगी।

इस आधार पर, जिससे मुसलमानों के लिए भारत के बँटवारे के अन्तर्भूत खतरों को उठाये जिन पाकिस्तान की सुविधाएं प्राप्त करना सम्भव हो जाता है, मैं सब दलों के भारतीयों को विधान-निर्माण में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तबनुसार वाइसराय महोदय बिट्ठि भारत के उन प्रतिनिधियों को नहीं दिल्ली बुलायेंगे जो ऐसी प्रणाली से प्रान्तीय असेम्बलियों के सदस्यों-द्वारा चुने जायेंगे कि जहाँ उक सम्भव हो प्रति दस लाख की जनसंख्या-पीछे एक प्रतिनिधि हो और मुख्य समुदायों के प्रतिनिधियों का अनुपात भी इसी आधार पर हो।

आरम्भ की संयुक्त बैठक के बाद प्रान्तों के ये प्रतिनिधि अपने को तीन भागों में, जिनका निर्णय लिए चर्चत किया जा सकता है, विभक्त करेंगे और अल्पतोगत्वा यदि प्रान्त इसके लिए सहमत हुए, तो यह तीनों भाग तीन 'गुट' (ग्रुप्स) हो जायेंगे। ये भाय प्रान्तीय तथा गुट-सम्बन्धी विषयों का निर्णय करेंगे। बाद में, संघ (युनियन) के विधान का निश्चय करने के लिए वे फिर संयुक्त हो जायेंगे। नये विधान के अनुसार पहली बार चुनाव होने के बाद, प्रान्त अपने उस 'गुट' में से पृथक् हो जाने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसमें वे अस्थायी रूप से सम्मिलित किये गये हैं। हम खुब समझते हैं कि इस व्यवस्था के द्वारा प्रमुख अल्प-संख्यक दलों के सिवा अन्य अल्पमालों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। अतएव हम एक विशेष समिति की भी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें अल्प-संख्यक पूरा-पूरा भाग के सकेंगे। अल्प-संख्यकों के मूल अधिकारों को नियम-बद्ध करके, विधान के अन्दर समुचित रूप में उन्हें शामिल किये जाने की सिफारिश करना, इस समिति का कार्य होगा।

अभी तक मैंने भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है, जो भारत के एक-

तिहाई क्षेत्रफल में फैले हुए हैं और देश की आबादी का एक-चौथाई भाग जिनमें निवास करता है। इस समय, इनमें से प्रत्येक राज्य की शासन-व्यवस्था पृथक् है और ब्रिटिश सभादृक् के साथ उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध है। यह बात साधारणतः सर्वमान्य है कि ब्रिटिश भारत के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने पर, इन राज्यों की स्थिति अप्रभावित नहीं रह सकती और ज्यात है कि वे विधान-निर्माण-कार्य में भाग लेने की इच्छा करेंगे और अखिल-भारतीय संघ में उनका प्रतिनिधित्व होगा। किन्तु इस मामले में पहले से ही कोई निर्णय कर सकता है। हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसके सम्बन्ध में इन राज्यों से बातचीत करनी ही होगी।

विधान-निर्माण-काल में शासन-प्रबन्ध जारी रहना चाहिये, इसलिए हम तत्काल ऐसी अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना को अत्यधिक महत्व देते हैं जिसे प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। इस विषय में वाहसराय महोदय ने पहले ही बातचीत प्रारम्भ कर दी है और उन्हें आशा है कि वे शीघ्र ही एक सफल निर्णय पर पहुँच मिलें।

इस संक्रान्ति-काल में ब्रिटिश-सरकार भारत-सरकार में होनेवाले परिवर्तनों के महत्व को स्वीकार करते हुए, इस प्रकार से स्थापित की गयी सरकार को उसके शासन-सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण करने और इस परिवर्तन को यथाशीघ्र तथा सरलता के साथ कार्य रूप में देने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

राजनीति-शास्त्र का यह सार है कि सम्भावित भावी घटनाओं को पहले से ही भाँप लिया जाय, परन्तु कोई भी राजनीतिज्ञ हतना बुद्धिमान् नहीं हो सकता कि वह एक पेसे विधान का निर्माण कर सके जिससे अज्ञात भविष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती ही। इसलिए हमें विश्वास है कि भारतीय, जिन पर प्रारम्भिक विधान तैयार करने की जिम्मेदारी है, उसे उचित रूप से लक्षित बनावेंगे और समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन करने की भी व्यवस्था रखेंगे।

इस छोटे से भाषण में आप मुझ से हमारे प्रस्तावों-सम्बन्धी विस्तार की बातों में जाने की आशा न करेंगे, क्योंकि ये बातें आप हमारे वक्तव्य में पह सकते हैं, जो आज सायंकाल को प्रकाशन के लिए दिया जा चुका है; परन्तु अंत में मैं उस बात को दुहरा देना चाहता हूँ और उस पर जोर भी देना चाहता हूँ, जो मेरे विचार से एक आधारभूत प्रश्न है। भारत का भविष्य तथा इस भविष्य का प्रारम्भ किस प्रकार किया जाता है, ये केवल भारत के ही लिए नहीं वरन् सम्पूर्ण संसार के लिए असाधारण महत्व की बातें हैं। यदि एक महान् नये सत्ताधारी राज्य की स्थापना भारत के भीतर और बाहर परस्पर सद्भावना के साथ हो सके तो केवल यही तथ्य विश्व-सुध्यवस्था के प्रति एक महान् योगदान होगा।

यह परिणाम प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन की सरकार तथा जनता के बीच राजी ही नहीं है, परन्तु अपने हिस्से का पूरा कार्य करने को भी उत्सुक है। भारत के विधान का मसविदा भारतीय ही बनावेंगे और वही उसे कार्यान्वित भी करेंगे। यह कार्य अरम्भ करने में भारतीयों को जिन कठिनाहयों का सामना करना है उनका हम पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं और यह भी कहते हैं कि इन कठिनाहयों पर विजय पाने में सहायता प्रदान करने के लिए अपनी शक्ति भर हमारे लिए जो भी सम्भव है, हमनें किया है और आगे भी करते रहेंगे। परन्तु दायित्व और सुअधिकार स्वयं भारतीयों ही का है और हमारी युभ कामना है कि इसका निर्वाह करने में वे पूर्ण रूप से सफल हों।

मंत्रि-मिशन के तीसरे सदस्य मिं. ए० वी० अलग्जैएडर, जो दो महीने की बातचीत में अभी तक चुप ही रहे थे, १० मई १९४६ की रात को पत्र-प्रतिनिधियों-द्वारा घेर लिये गये। मिशन की 'सफलता' पर बधाई दी जाने पर आपने करमाया :—

"इमारी सदा से यह अभिज्ञाप्ता रही है कि यह महान् राष्ट्र (भारत) घरेलू संघर्ष से डुक्कड़े-टुकड़े न हो। इसीलिए हमने कोशिश की कि यह दल परस्पर स्वयं समझौता कर लें और इस प्रकार मुख्य दल—कांग्रेस और लीग आपस में रजामन्द ही जायें और किसी भी दुर्घटना की कग-से-कम सम्भवनीयता के साथ हिन्दुस्तान का सवाल हल हो जाय। हमें सच्चमुच्च अक्ष-सोस है कि ऐसा नहीं हो सका। हमें आशा है कि हमारा यह प्रस्ताव अधिकांश हिन्दुस्तानियों के लिए समर्पणक द्वीपा और हिन्दुस्तान को शान्तिपूर्ण आज्ञादी मिल जायगा।"

एक पत्र-प्रतिनिधि के यह कहने पर कि "कुछ-न-कुछ खून-खराबी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मिशन के लिए मानवीय हाइ से यह असम्भव होगा कि वह सभी दलों को सन्तुष्ट कर सके" मिं. अलग्जैएडर ने स्पष्ट रूप से और तुरन्त जवाब दिया कि "अगर मिज्जाज और गुस्से पर काढ़ पा लिया जाय तो इस (खून-खराबी) से बचना बहुत आसान है।" (अ० प्र० अमेरिका)

#### क्रिप्स की व्याख्या

एक पत्र-प्रतिनिधियों की परिषद् में मंत्रि-मिशन के वक्तव्य की व्याख्या सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने की। इस परिषद् में लार्ड पेथिक-ज्यारेन्स और मिं. ए० वी० अलग्जैएडर भी हाजिर थे। सर क्रिप्स ने कहा—“हमें इस बात की हार्दिक आशा है कि भारत के लोग हमारे वक्तव्य को उसी सहयोग के बाव से स्वीकार करेंगे जिस बाव से वह तैयार किया गया है, और यह कि एक या दो सप्ताह में विधान-निर्माण का काम शुरू हो जायगा तथा अन्तरिम सरकार की स्थापना की जा सकेगी।

लार्ड पेथिक-ज्यारेन्स ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स की बातों का समर्थन करते हुए और देकर कहा—“विटेन के लोग आम तौर पर यह निश्चय कर चुके हैं कि वह आपके देश को अपने और विश्व के ह्यतिहास में महान् स्थान प्राप्त कराने के लिए एक शासन-विधान प्राप्त करने में सहायक हों।”

सर क्रिप्स ने कहा—“मंत्रि-मिशन के वक्तव्य पर आप दो भाषण रेडियो पर सुन चुके हैं वह अब आपके सामने मौजूद है। आज शाम को मिशन के सदस्य आप से मिलने का अवसर हस्तिये प्राप्त करना चाहते थे कि वह आपको व्याख्या के कुछ शब्द बता सकें। कल हम आप से किर मिलेंगे और उन सवालों का जवाब देंगे जो आप हम से पूछ सकेंगे। जब तक भारत-मंत्री रेडियोबर से बापस नहीं आ जाते तब तक मैं वक्तव्य के बारे में कुछ कहूँगा।

“पहली बात जो मैं आप से कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस वक्तव्य का अभिप्राय क्या-क्या करना नहीं है। मैं आपको याद दिला दूँ कि यह केवल मिशन के चार सदस्यों का वक्तव्य नहीं है; बल्कि यह तो ग्रेट विटेन के सम्बाद् का है। इस वक्तव्य का आशय यह नहीं है कि वह भारत के लिए विधान बनाने का काम शुरू कर दे। अब हम से यह पूछने से कुछ भी प्रायदा न होगा कि आप यह बात कैसे करना चाहते हैं और वह बात कैसे करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब तो यही होगा कि विधान के बारे में तो हम कुछ भी नहीं करना चाहते। इसका निर्णय करना हमारा काम नहीं है।

“हमें जो-कुछ करना था वह यही था कि हम दो-एक ऐसे व्यापक सिद्धान्त रख दें तथा

बता दें कि विधान उनके आधार पर कैसे बन सकता है और उन्हीं को बुनियादी रूप में भारतीयों के सामने सिफारिशी तौर पर रख दें। आप ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि इस उस अनितम विधान के बारे में ‘सिफारिशी’ लकड़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ करना है।

“पर आप यह बात तो बिलकुल ठीक तौर पर ही पूछ सकते हैं कि ‘तो किर आप किसी भी चीज़ की सिफारिश क्यों करते हैं?’—आप सभी कुछ हिन्दुस्तानियों पर क्यों नहीं छोड़ देते? इसका उत्तर यह है कि इम तो यह चाहते हैं कि सभी हिन्दुस्तानी जितना भी जलद हो सके विधान-निर्माण के यंत्र-संचालन में लग जायें, और इस समय तो हमारे सामने यही एक अवृच्छा है। इसीलिए इम इसके द्वारा अवृच्छा दूर कर देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे विधान-निर्माण का काम शुरू हो जाय और स्वतंत्र रूप में तथा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े। इम हृदय से चाहते हैं कि हमारी कोशिशों का फल यही हो।

“अब चूँकि कर्दू तौर पर और अनितम रूप में यह निश्चय हो चुका है कि भारत को मनचाही आज्ञादी मिलेगी—बह चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रहे या बाहर, इसलिए इम इस बात के लिए चिन्तित हैं कि उसे जलद-से-जलद स्वतंत्रता मिल जाय, और यह काम शीघ्रांतीसांघ तभी हो सकेगा जब भारतीयों-द्वारा विधान का जया ढाँचा तैयार हो जायगा।

“पर इम वह समय आने तक चुपचाप खड़े प्रतीका नहीं करते रह सकते। नये शासन-विधान का ढाँचा पूरा होने में कुछ समय लगना ज्ञातिज्ञ है।

“इसलिए जैसा कि आप जानते हैं, वाहसराय—जिनकी अधिकार-सीमा में सुख्यतः शासन-निर्माण है, इस बात की बातचीत शुरू कर चुके हैं कि प्रतिनिधित्वपूर्ण भारतीय गवर्नर्मेंट की स्थापना जलद-से-जलद करदी जाय। हमें आशा है कि अन्य अप्रासांगिक मामलों को छोड़ वह हमारे वक्तव्य के आधार पर प्रतिनिधित्वमूलक दलों की नयी सरकार शीघ्र स्थापित करके उसे कार्य में संलग्न कर देंगे।

“अन्तरिम सरकार की स्थापना का विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय हिन्दुस्तान के सामने बहुत बड़े-बड़े काम हैं। यह बड़े काम—और शायद इनमें सबसे महान् है खाली-स्थिति को संभाल लेने का काम—ऐसे हैं कि इनके कारण इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करना तथा कौशलपूर्ण परिवर्तन करना परमावश्यक हो गया है।

“हिन्दुस्तानियों के लिये इस समय इससे अधिक कही बात न होगी कि जब सामने अकाल का खतरा है, तो वह देश के किसी भी भाग में शासन या यातायात के साधन को भंग करने का प्रयत्न करें, और इसीलिए इम इस बात पर जोर देते हैं कि सभी दलों और सम्प्रदायों में, जिनमें अंग्रेज भी हैं, इस परिवर्तनकाल में सहयोग हो।

“यह तो हुई महत्वपूर्ण अन्तरिम सरकार की स्थापना की बात। आपमें से कुछ लोग यह आशर्च्य कर रहे होंगे कि इस प्रकार जलदी ब्रिटिश सरकार भारत से अपना शासन-सम्बन्ध कैसे छोड़ देंगे। मैं समझता हूँ कि जो भी होगा भारत के स्वतन्त्र होने पर भी इस उसके घनिष्ठतम मित्र बने रहेंगे। इस निश्चय ही यह नहीं कह सकते। इस यह भी नहीं कह सकते कि विधान कितनी जल्दी तैयार हो जायगा। तो भी एक बात तो बिलकुल सुनिश्चित है, वह यह कि आप जितनी ही जल्दी काम शुरू करेंगे उसना ही शीघ्र उसे समाप्त कर सकेंगे और उन्हीं ही जल्दी इस अधिकार, संघीय, प्रान्तीय और अगर कैफला हुआ। तो दूसीय सरकारों को सौंपकर भारत से हट जायेंगे।

“अब मैं सिफारिश की बात को छोड़कर इस बात पर आता हूँ कि निश्चय यथा हुआ है फैसला यह हुआ है कि विधान-निर्माण का काम तुरन्त शुरू कर दिया जाय। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने विधान का रूप अन्त में क्या होगा, इसका भी निर्णय कर लिया है। इसका फैसला तो भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होगा। इसका अर्थ तो यह है कि जिस ज़िच के कारण विधान-निर्माण का काम रुका हुआ था वह हमेशा के लिए दूर हो जायगा।

“इसीलिए विधान-निर्माणी संस्था का जिस रूप में संगठन होगा वह महत्वपूर्ण है। इस से सिफारिश किये हुए रूप में विधानों का फैसला हो सकने की गुंजाइश है। वह एक दृष्टि से तो इस से भी और आगे जाता है। चूंकि हमारा विश्वास है कि दोनों दल हमारी सिफारिशों के आधार पर विधान-निर्माण के काम में लगेंगे इसलिए उनमें से किसी के लिए भी यह ठीक नहीं होगा कि वह हमारी बुनियादी सिफारिशों से दूर चले जायँ।” इसलिए हमारी यह शर्त है कि वक्तव्य के ऐसे पैरामार्क में जो आधार बताया गया है उससे दूर तभी जाया जा सकता है जब दोनों ही सम्प्रदायों का बहुमत उससे सहमत हो। इस समझते हैं कि यह बात दोनों ही दलों के लिए स्पष्टतः उचित है। इसका यह मतलब नहीं है कि सिफारिशों से विलग कुछ ही ही नहीं सकता, पर इसका यह अर्थ अवश्य है कि जिन विशेष व्यवस्थाओं का मैंने जिक्र किया है वह यूनियन की विधान-परिषद् पर लागू होंगे। यह विशेष व्यवस्था विशिष्ट बहुमत के बारे में है। इस तरह की एक दूसरी व्यवस्था कोई खास साम्राज्यिक मामला पैदा होने पर लागू होगी। अन्य सभी व्यवस्थाएँ मुक्त बहस और स्वतन्त्र मतदान पर निर्भर करेंगी।

“आप सब के मनमें यह सबकल पैदा होगा और इसीलिए हमने तीन प्रान्तीय धाराओं का नाम ले दिया है जिनमें प्रसेवकी भंग करके प्रान्तीय और दक्षीय विधान-रचना के लिए संगठन किया जायगा।

“इस काम के लिए एक अच्छा कारण है। पहले तो यह दल अपना काम करने के पहले किसी न-किसी तरह संगठित किये जाने हैं। इसके दो उपाय हैं। या तो वर्तमान प्रान्तीय सरकारें स्वेच्छापूर्वक अपने दल बनाकर या फिर विधान का निर्माण देख लेने के बाद नयी सरकारें-दूसरा संविधान प्रस्तुत हो जुकने पर अपनी हच्छा से निर्णय करें। हमने दूसरा उपाय दो कारण से चुना है—एक तो इसलिए कि कांग्रेस ने प्रान्तों तथा एक संघ के बारे में जो परामर्श रखा था यह उसका अनुसरण करती है। कांग्रेस की राय थी कि आरम्भ में सभी प्रान्तों को इसमें आता चाहिये, पर विधान का निर्माण देखकर वह चाहें तो स्वेच्छापूर्वक अलग हो सकते हैं। इस समझते हैं कि यह सिद्धान्त दलों के लिए लागू हो। दूसरा कारण यह है कि वर्तमान व्यवस्थापक सभाएं वास्तव में सारी जनता के लिए प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं, क्योंकि उन पर साम्राज्यिक समझौते के अनुसार अल्पसंख्यकों को दिये गये विशेष विश्वायती स्थानों का असर है।

“हमने पूर्ण-व्यवस्क मताधिकार से अधिकाधिक निकट की योजना प्राप्त करने का प्रयत्न किया है जो होगी तो बहुत उचित, पर उसे कार्य रूप में परिणत करने में सम्भवतः दो वर्ष लग जायेंगे, और कोई भी यह न पसन्द करेगा कि इतने दिनों प्रतीक्षा करने के बाद विधान-निर्माण का काम शुरू हो। इसलिए हम वर्तमान व्यवस्थापक-सभाओं को स्वेच्छापूर्ण निर्णय पर छोड़ते हैं और उसे तब कार्यान्वित करने की बात स्वीकार करते हैं जब पहला नया निवाचन हो जाए, क्योंकि तब तो जनता को अधिक मताधिकार प्राप्त होंगे, और व आवश्यकता होने पर निर्वाचन के समय ऐसे प्रश्न उठाये जा सकते हैं। इस तरह तीनों ही दल ऐसे प्रान्तीय और दक्षीय विधानों की

रचना कर सकेंगे और जब इतना हो चुके तो वे देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर संघीय विधान बनायें।

“एक शब्द देशी राज्यों के बारे में भी कहूँ। वक्तव्य के १४ वें पैग्राफ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नया विधान आगू होने पर सर्वश्रेष्ठ सत्ता कायम नहीं रह सकती, न उसे किसी को हस्तान्तरित ही किया जा सकता है। मुझे इसे यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे निश्चय है कि इस प्रकार का टेका या समझौता दोनों राज्यों की राय के बिचा एक तीसरे दक्ष के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। इसलिये देशी राज्य पूर्णतः स्वतंत्र हो जाएंगे; पर उन्होंने यह इच्छा प्रकट की है कि वे यूनियन या संघ में जाने का मार्ग निकालने के सम्बन्ध में बातचीत चलायेंगे, यही कारण है कि हम इस विषय में देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के दबों को परस्पर बातचीत करने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हैं।

“एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था ऐसी है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि वह विधान-निर्माण में कुछ अभिनव-सी है। हमारे सामने यह कठिनाई ही कि हम उन छोड़े अल्प-संख्यकों के साथ अवहार उचित रूपमें किस प्रकार कर सकते हैं जिनमें कवायदी और विळग जेंट्रों के निवासी सम्मिलित हैं। किसी विधान-निर्माण में उन्हें ऐसी रिआयती सीटें, बहुमत की पार्टी का संगठन गम्भीर रूप में बिगड़े बिना नहीं दी जा सकतीं। एक छोटा-सा प्रतिनिधित्व दे देना उनके लिए उपयोगी न होगा। इसीलिए हमने निश्चय किया कि अल्पसंख्यकों की व्यवस्था दो प्रकार से की जाय। मुख्य अल्पसंख्यकों—जैसे मुस्लिम-प्रान्तों में हिन्दू अल्पसंख्यक के रूप में हैं, और हिन्दू-प्रान्तों में मुसलमान हैं, सिर्फ पंजाब में हैं और दक्षित जातियों जिन्हें कई प्रान्तों में काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त है—को विधान-निर्माणी संस्थाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय।

“किन्तु हन अल्पसंख्यकों को—खासकर हिन्दुस्तानी ईसाइयों और पैरेंगो-इंडियनों तथा कवायदीयों को—इस बात का अच्छा अवसर मिलना चाहिए कि वे अल्पसंख्यक-व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकें, क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था बना चुके हैं जिसके अनुसार एक ऐसा प्रभावशक्ती परामर्शदाता कमीशन बनाने की युंजाइश रखी गयी है जो बुनियादी अधिकारों, अल्पसंख्यकों की रक्षा की धाराओं और कवायदी जेंट्रों तथा पृथक् जेंट्रों के शासन के प्रस्ताव के बारे में आरम्भक सूची बना सकेगा और कार्रवाई कर सकेगा। यह कमीशन विधान-निर्माणी परिषद् को सिफारिश करेगा और इस बात की राय देगा कि विधान-निर्माण की किस अवस्था अथवा किस-किस अवस्थाओं में यह व्यवस्थाएँ सम्मिलित की जा सकती हैं—अर्थात् यूनियन या संघ में, दबों या सूबों के विधानों में अथवा हनमें से दोनों या अधिक में।

“मेरे ख्याल में इससे आप उन बातों का कुछ आभास पा सके होंगे जिन्हें हमने अपने वक्तव्य में कहा है।

“कल सुबह तक यह बात आप पर ही छोड़ने के पहले मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ।

“आप इस बात का अनुभव करेंगे कि भारतीय जनता के लिए यह निर्णय-काल कितना महत्वपूर्ण है।

“हम सभी इस बात से सहमत हैं कि इस विषय का निबटारा जब्द हो जाना चाहिए। अब तक हम इस बात पर सहमत नहीं हो सके हैं कि यह शीघ्रता किस प्रकार ज्ञाती जा सकती है। हमने दो महीने की बदल और कठिन अम के बाद भी और अध्ययन तथा अवश्य करके

यह वक्तव्य हस विश्वास से तैयार किया है कि यह सर्वोत्तम है। यह हमारा दद मत है और हम अब फिर से सारी बातचीत शुरू करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो रेस्टार्एं हमने खींच दी हैं उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ा जाय। हम भारतीयों से कहते हैं कि वह हस वक्तव्य पर शान्तिपूर्वक और साबधानी के साथ विचार करें। मैं समझता हूँ कि उनके भविष्य का सुख हस पर निर्भर करता है कि आज वे क्या करने जा रहे हैं।

‘यदि वे आपस में समझौता न कर सके और वे हस हमारे बताये ढंग पर नथा विधान बनाने के काम में जुट गये तो हम हस संक्रान्ति-काल को सुचारू रूप से और शोधता पूर्वक पूरा कर सकेंगे; पर यदि योजना स्वीकृत नहीं हुई तो कोई भी नहीं कह सकता कि हिन्दुस्तानियों को कितनी प्रबल और जम्बी यातना भोगनी पड़ेगी।

‘हमारा विश्वास है कि यह वक्तव्य सभी दलों के लिए प्रतिष्ठायुक्त और शान्तिपूर्ण उपाय प्रदान करता है और यदि वे स्वीकार करेंगे तो हम में जो भी शक्ति है उससे ज्ञातार हम विधान-निर्माण के काम को आगे बढ़ाने में मदद देंगे जिससे जल्द-से-जल्द समझौते पर पहुँचा जा सके।

“हमारे हरादों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। वृदिश मज़दूर दल की जो नीति असें से रही है उसको पूरी करने के लिए ही हम हस देश में आये हैं, और उसी के लिए हतना कठिन परिश्रम किया है—और वह यह है कि हम हिन्दुस्तानियों को, हस काम की कठिनाइयाँ जितनी जल्दी करने देंगी उतनी ही शोधता और अच्छे तथा सहयोगपूर्ण ढंग से, उनके अधिकार सौंप देंगे।

‘हमें हार्दिक आशा है कि हिन्दुस्तानी जनता हस वक्तव्य को उसी रूप में स्वीकार करेगी जिसमें यह तैयार किया गया है, और यह कि एक या दो सहाइ में विधान-निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है और अन्तरिम सरकार की स्थापना हो सकती है।’

### लार्ड सभा में वहस

लार्ड-सभा में वहस के दरमियान भारत की नवीन योजना का श्वेतपत्र औपनिवेशिक सचिव लार्ड एडिसन ने पढ़ सुनाया।

वाइकाडेट साइमन ने हस वहस का आरम्भ करते हुए पूछा कि अन्तरिम सरकार की स्थापना करने का मतलब यह तो नहीं है कि वाइसराय की कौसिल्ल में बैठने के लिए नये आदमी चुने जायें। उन्होंने कहा—“यह तो वैधानिक परिवर्तन नहीं होगा। यदि नहीं, तो क्या हसके द्वारा अधिक विस्तृत परिवर्तन होगा।”

जवाब में लार्ड एडिसन ने कहा—“मैं हस बात को ठीक समझता हूँ कि हमें हस पर आगे विचार तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें हस श्वेतपत्र पर हिन्दुस्तानियों की राय मालूम न हो जाय।

“लार्ड साइमन के सवाल का जवाब मेरे द्वयाल में काफी साफ है। यह तो व्यक्तियों के बदलने का सवाल है, और हमें अभ्यर्थ है कि यह राजामन्दी और सन्तोष के साथ तय पायेगा और विश्वास पैदा करेगा। वाइसराय के अधिकार और ऋत्तव्य ज्योंके-स्थों रहेंगे।”

लार्ड साइमन—“नहीं तो हसका मतलब पार्लीमेंट का एक कानून ही हो जाता।”

लार्ड एडिसन—“जी हाँ।”

**पत्रकार-परिपद्, नई दिल्ली**  
**( १८ मई, १९४६ )**

वृद्धस्पतिवार की घोषणा के अनेक पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए शुक्रवार को, नई दिल्ली में पत्रकारों का एक सम्मेलन दो घण्टे तक हुआ, जिसमें हिन्दुस्तानी तथा विदेशी १०० से अधिक पत्रकारों ने, भारत-मन्त्री लार्ड पैथिक-लारेंस से बीसियों सवाल पूछे, जिनके उत्तर उन्होंने शान्ति-र्वक दिये। सर स्टैफर्ड किप्स, जो लार्ड लारेंस के बाईं ओर बैठे थे, बीच बीच में उनकी सहायता करते थे।

लार्ड पैथिक-लारेंस ने साफ़-साफ़ कहा कि वाहसराय तथा शिष्टमण्डल की घोषणा, कोई अन्तिम फ्रेसला नहीं है। यह तो विधान की कुछ एक आधारभूत बातों के विषय में सिफारिश मात्र है, ताकि हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों को अपना विधान बनाने के लिए उल्लाया जा सके। अतः ज्ञादिर है कि यह अन्तिम फ्रेसले का सवाल नहीं है। ऐसी अवस्था में, अंग्रेजी टौज़ों की मदद का सवाल ही नहीं उठता।

भारत-मन्त्री ने यह भी कहा, कि शिष्ट-मण्डल की ओर से सिफारिश किये गये विधान में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिसमें एक दल को लाभ पहुँचे और दूसरे की हानि हो। प्रस्त वित भारत यूनियन में शामिल होनेवाले प्रान्तों के अधिकारों पर लार्ड पैथिक-लारेंस ने खागभग १०० प्रश्नों के उत्तर दिये।

सवाल किया गया, कि उन प्रान्तों को जिन्हें समूह से निकल आने का अधिकार है, क्या भारत यूनियन से भी दो साल के भीतर निकल आने का अधिकार प्राप्त होगा? लार्ड पैथिक-लारेंस ने उत्तर दिया—उन्हें दो साल के अन्दर निकल जाने का अधिकार तो नहीं होगा, पर यह अधिकार ज़रूर होगा कि १० साल बाद, वे विधान पर पुनर्विचार की मांग पेश कर दें।

प्रश्न—मान लीजिये आसाम प्रान्त जिसमें कोंबेस मंत्रि मण्डल है, 'सी' समूह में बंगाल के साथ, जिसमें मुस्लिम लीग का मंत्रि-मण्डल है, न रहने का निश्चय करे तो क्या आसाम को किसी अन्य समूह में शामिल हो जाने की हजाज़त होगी?

उत्तर—जाहर निकल आने का अधिकार बाद में आता है, क्योंकि इस अधिकार पर अमल तभी किया जा सकता है, जबकि समस्या को पूरी तरह हल कर दिया जाय।

प्रश्न—क्या कोई प्रान्त एक समूह से निकल जाने पर, दूसरे समूह में शामिल हो सकता है?

लार्ड पैथिक-लारेंस ने उत्तर दिया, यदि किसी एक प्रान्त को दूसरे समूह में मिल जाने का अधिकार दे दिया जाय और वह समूह उसे शामिल न करता हो, तो एक भड़ी-सी परिस्थिति पैदा हो जायगी; इस प्रश्न का उत्तर, उक्त य में नहीं रखा गया बल्कि विधान-परिषद् पर छोड़ दिया गया है, जो उचित अवसर पर खुद विचार कर लेगी।

प्रश्न—यदि कोई प्रान्त, उस समूह में न रहना चाहे जिसमें कि उसे रखा गया है, तो क्या वह प्रान्त अलहादा रह सकेगा?

उत्तर—वक्तव्य में जो 'ए', 'बी', और 'सी' विभाग नियत किये गये हैं, सब प्रान्त अपने-आप ही इनमें आजाते हैं। और शुरू में तो वे उसी विभाग में रहेंगे जिसमें कि वक्तव्य के अनुसार उन्हें रखा गया है। बाद में, वह विभाग निश्चय करेगा कि एक समूह बना दिया जाय या नहीं, और यह कि उसका विभाग क्या हो। उस विभाग-द्वारा-निर्मित समूह से निकल आने के अधिकार

का सवाल तभी उठता है, जबकि विधान बन चुकता है और धारा-सभा का पहला चुनाव हो जेता है; उसके पहले नहीं।

प्रश्न—एक शर्त यह भी मौजूद है, कि १० साल बीत जाने पर, कोई प्रान्त, अपनी धारा-सभा के बहुमत से, विधान पर पुनः विचार की माँग कर सकता है। क्या 'विधान पर पुनः विचार की माँग' में सम्बन्ध-विच्छेद का अधिकार भी शामिल है?

उत्तर—यदि आप विधान का संशोधन करेंगे तो ज्ञाहिंद है कि विधान के समूचे आधार पर पुनः विचार हो सकता है। कोई भी प्रान्त, विधान के संशोधन की माँग कर सकता है और जहाँ तक मैं देखता हूँ जब संशोधन-कार्य शुरू होगा, तो विधान के सभी पद्धतियों पर फिर-से विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न—यदि 'बी' विभाग के प्रान्त, जिनमें मुख्यमानों का बहुमत है, एक समूह तो बना जेते हैं पर यूनियन में शामिल नहीं होते, तो स्थिति क्या होगी?

उत्तर—यह तो उस शर्त को तोड़ देना होगा जिसके आधार पर वे लोग विधान बनाने को जमा होंगे। फलतः, विधान-निर्माण का प्रबन्ध दम तोड़ देगा, और यह उस समझौते के विरुद्ध होगा, जिसके अनुसार यह लोग मिल कर बैठेंगे। यदि यह लोग किसी एक समझौते के आधार पर जमा होते हैं, यह मानकर, कि मुख्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, और बाद में आगर उसी से इन्कार कर जाते हैं, तो इसे समझौते का अन्त कहा जायगा। इम ऐसी अवस्था को ध्यान में लाना नहीं चाहते।

प्रश्न—विभाग 'बी' के प्रान्त क्या १० साल बाद एक अलहाड़ा स्वतंत्र राज्य बन सकेंगे?

उत्तर—यदि विधान का संशोधन हो रहा होगा तो निश्चय ही संशोधनके सभी प्रस्तावों पर बहस हो सकेगी। अलवत्ता, वे स्वीकृत होते हैं या नहीं, यह एक दूसरा प्रश्न है।

प्रश्न—मान जौजिये कि एक समूह यूनियन की विधान-परिषद् में शामिल न होने का फैसला करता है, तो जहाँ तक इस समूह का सम्बन्ध है, स्थिति क्या होगी?

उत्तर—यह तो कोरा काल्पनिक प्रश्न है। आप अभी से क्योंकर कह सकते हैं कि असह-योग करनेवालों से कैसा सलूक किया जायगा। परन्तु वक्तव्य में रखे गये विधान-निर्माण यंत्र को आगे बढ़ाने का हरादा है। यदि कोई व्यक्ति या जनता के कुछ समूह मेरे काम में अदांगा लगादें तो अभी से मैं क्या कह सकता हूँ, कि क्या होगा। बहर-हाल मेरा हरादा आगे बढ़ने का है।

प्र०—यथा प्रान्तीय धारासभाएं, अपने सदस्यों के अतिरिक्त, बाहर के लोगों का निर्वाचन भी कर सकेंगी?

उ०—जी हाँ, वक्तव्य की शर्तों के अनुसार ऐसा करना वर्जित नहीं है।

प्र०—विधान पर पुनर्विचार के लिए, जो १० साल की अवधि नियत हुई है, क्या इसका यह मतलब है कि यूनियन के विधान का १० साल तक उत्तरांचल नहीं किया जा सकता?

उ०—इस का सही मतलब यह है कि विधान-सभा विधान के संशोधन की व्यवस्था करेगी। यह संसार के अनेक देशों की प्रचलित रीति के अनुसार ही है। संशोधन की कुछ व्यवस्था होना तो आवश्यक है। संशोधन के निश्चित नियम क्या हों, इसका फैसला तो विधान-परिषद् ही करेगी। मेरे ख्याल में मुझे और कुछ नहीं कहना चाहिये।

प्र०—क्या यह विधान-परिषद् के हाथ में होगा कि वह यूनियन को सब प्रकार के कर, जिनमें टटकर आयकर आदि हों, जगते के अधिकार प्रदान करेगी?

लार्ड पैथिक लारेंस ने उत्तर दिया,—हमारे वक्तव्य में विधान-परिषद् को छुट्ठे कि वह अर्थ-सम्बन्धी शब्दों की व्याख्या कर ले, किन्तु शर्त यह है कि हर उस प्रस्ताव पर, जिसका सम्बन्ध किसी गम्भीर सम्प्रदायिक समस्या से हो, उस करने को प्रतिनिधियों की अधिकांश संख्या उपस्थित हो और दोनों प्रमुख सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों का बहुमत घोट दे। बुलियादी कारमूले में हेर-फेर तथा ऊपर खिलो शर्त के अधीन, विधान-परिषद् का मामूली बहुमत कि किसी भी प्रस्ताव को पास कर सकेगा।

लार्ड पैथिक-लारेंस ने बतलाया कि मुद्रा को केन्द्राधीन रखने के प्रश्न पर, यदि ज़रूरत हो तो, विधान-परिषद् विचार कर सकेगी।

हिन्दुस्तानी रियासतों के बारे में अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए भारत-मन्त्री ने यही दुहराया कि अस्थायी काल में सर्वोपरि सत्ता बराबर रहेगी। आप ने बतलाया कि हमारे शिष्ट-मण्डल को बहुत-सी बड़ी रियासतों तथा अन्य रियासतों के बड़े-बड़े समूहों के प्रतिनिधियों ने विश्वास दिलाया है कि वे हिन्दुस्तान की आज्ञादी की राह में रोड़े नहीं अटकायगे, वरन् सहयोग देंगे।

अस्थायी काल में, हैरिंडन ऑफिस के बारे में लार्ड पैथिक-लारेंस ने कहा कि कुछ मास से तो हैरिंडन ऑफिस हस्ती अनुमान पर चल रहा है कि वह वक्त आ रहा है जब कि हिन्दुस्तान में भारी परिवर्तन होंगे और हैरिंडन ऑफिस सर्वथा बढ़का जायगा। इस ऑफिस का विशाल कार्यालय और कार्यकर्ताओं की सेवापं, हिन्दुस्तान के नये विधान को प्राप्त होंगी।

प्र०—यदि विधान-परिषद् यह निश्चय करे कि उसका कार्य आरम्भ होने से पहले अंग्रेजी फ्रौजें हटा दी जायें, तो क्या ऐसा किया जायगा?

उ०—मेरे लिए वाले में परिस्थिति को ठीक नहीं समझा जा रहा। देश में कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए, किसी की ज़िम्मेदारी तो होनी ही चाहिये। प्रान्तों में प्रान्तीय सरकारें कानून और व्यवस्था की अस्तीति ज़िम्मेदार हैं, परन्तु अनितम ज़िम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर ही आती है। हम जलद-से-जलद वह ज़िम्मेदारी सौंप देना चाहते हैं, किन्तु केवल विधिवृत्तक स्थापित की गई सरकार के हाथों में। जब वह समय आयेगा, हम ज़रूर सौंप देंगे।

प्र०—अब शिष्टमण्डल के कार्यक्रम की मंजिल क्या होगी?

उ०—सब से पहले तो हमें इस योजना को दोनों मुख्य सम्प्रदाय-वालों से स्वीकार करवाना है, जो हमें आगा है जल्दी ही जायगा।

प्र०—अंतरिम सरकार में मुसलमान कितने प्रतिशत होंगे?

उ०—अंतरिम सरकार का निश्चय हमें नहीं करना, यह काम वाहसराय का है।

प्र०—अंतरिम काल में, क्या वाहसराय को, आजकल की तरह ‘बीटो’ यानी प्रतिषेध का अधिकार होगा?

उ०—लार्ड पैथिक-लारेंस ने उत्तर देते हुए कहा कि सम्प्रदायों के तीन मुख्य भाग—जनराज, मुस्लिम और सिख—हमने किसी पार्टी की सखाह से नहीं किये हैं। यह वक्तव्य हमारा है और किसी हिन्दुस्तानी राय का प्रतीक नहीं है। किन्तु, भिज्ञ-भिज्ञ मतों के हिन्दुस्तानियों के साथ हम सब विद्ययों पर विचार-विनिमय के बाद ही हमने यह वक्तव्य पेश किया है। और हमारा यही प्रयास है कि सब दलों को स्वीकार होनेवाली योजना तैयार हो जाय।

प्र०—स्वा कांग्रेस इससे सहमत है?

उ०—हमने किसी की स्वीकृति के आधार पर यह वक्तव्य पेश नहीं किया। यह हमारा वक्तव्य है और स्वावलम्बी है।

इसके बाद, हाउस प्रॉफ कामन्स में मिठो चर्चिल के भाषण पर अनेक सवाल पूछे गये।

प्र०—क्या मिठो चर्चिल डीक कहते हैं कि “हिन्दुस्तान के भावी विधान को तैयार करने की जो ज़िम्मेदारी हिन्दुस्तानियों की बजाय ब्रिटिश सरकार ने अपने-पर ले ली है, यह बड़ा गलत कठिन उठाया गया है, और यह कि यह मिशन के उद्देश्य तथा अधिकारों के बाहर जा रहा है?

उ०—विधान के अन्तिम निर्णय की ज़िम्मेदारी में कोई दैर-फेर नहीं हुआ। यदि हिन्दुस्तानियों के भिन्न-भिन्न दलों की अनुमति प्राप्त हो जाती, और विचार-विनिमय के बाद किसी आधार पर वे विधान-निर्माण के लिए भिन्नकर बैठ सकते, तो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होती। इसके अभाव में, हमोंने यह उचित समझा, कि कुछ-एक सुझाव उनके सामने रखें, जिनके आधार पर वे भिन्न बैठें। और ज़ुद वायसराय उस आधार पर एक विधान सभा बुजाने को तैयार हैं। हमें विश्वास है, कि यह सब, न केवल हिन्दुस्तानियों, बल्कि हमारे देश के भी अधिकांश लोगों की इच्छा के अनुकूल है।

प्र०—अंतरिम सरकार की स्थापना, नये विधान को तैयारी और राजा की सन्नाट-उपाधिको रद करने के लिए, क्या-क्या कानूनी कार्यवाई करनी होगी?

उ०—जहाँ तक पहुँची दो वार्तों का सम्बन्ध है, किसी प्रकार के क्रान्तुन की झरूरत नहीं होगी। मगर तीसरी बात वैधानिक क्रान्तुन के अधीन है, अतः मैं तकाल उत्तर नहीं दे सकता। मेरी राय में, यह यकीनी तौर-पर नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए वैधानिक व्यवस्था दरकार होगी। बहराज, हमें अन्तिम निश्चय न माना जाय। पार्लीमेंट में इस पर बहस ज़रूर होगी और सन्नाट की अनुमति से कोई-न-कोई व्यवस्था की जायगी। लेकिन मुझे इसमें कोई विशेष अङ्गठन नज़र नहीं आती। आजकल हमारी मज़दूर सरकार है और पार्लीमेंट में हमें काफ़ी बहुमत प्राप्त है, अतः पास करा देना सुझिकर नहीं होगा।

प्र०—स्था आप मिठो चर्चिल के इस कथन से सहमत हैं कि आपने यह परिश्रम, सान्नाट-प्राप्ति के लिए नहीं, बरन् सान्नाट्य लेने के लिए किया है?

उ०—मैं तो हतना ही कहूँगा कि आज हम जो-कुछ भी कर रहे हैं, वह हमारे देश के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों द्वारा प्रकट किये गये विचारों के एकदम अनुकूल हैं। और मेरे देश में स्वतंत्रता-सम्बन्धी प्रचलित परम्पराओं के लिए इससे बढ़कर और अधिक श्रेय की बात कोई नहीं होगी, यदि हमारे श्रम के परिणाम-स्वरूप भविष्य में यह हिन्दुस्तान एक स्वतंत्र देश बन सके और हमारे देश के साथ इसका सम्बन्ध मैत्री और दरावरी का हो।

(एसोसिएटेड प्रेस आफ़ इंडिया )

### वायसराय का रेडियो-भाषण

दिल्ली रेडियो-स्टेशन से वायसराय महोदय ने १७ मई १९४६ को निम्न भाषण ब्राडकास्ट किया।

“मैं भारत के लोगों से इस देश के इतिहास में अत्यन्त नाजुक अवसर पर बोल रहा हूँ। मंत्रि-मिशन का वक्तव्य तथा उसमें की गयी सिफारिशें गत २४ घंटों से आपके सम्मुख हैं। यह वक्तव्य स्वतंत्रता का रेखा-चित्र है। आपके प्रतिनिधियों को ही इस पर भवन-निर्माण करना है और इस रूप-रेखा को सम्पूर्ण चित्र का रूप देना है।

“आप लोगों में से बहुतों ने उस वक्तव्य को पढ़ा होगा और शायद पहले ही आप उसके सम्बन्ध में अपने विचार स्थिर कर चुके होंगे। यदि आप समझते हैं कि वह उस उच्च शिखर का मार्ग प्रशस्त करता है—जो चिरकाल से आपका लक्ष्य रहा है—अर्थात् भारत की स्वतन्त्रता, तो निश्चय ही आप उत्सुकतापूर्वक उसे स्वीकार करेंगे। यदि आपने ऐसी धारणा बनायी है—मुझे आशा है आपने ऐसा नहीं किया होगा—कि उक्त वक्तव्य वह अपेक्षित मार्ग नहीं है, तो मैं आशा करता हूँ आप एक बार फिर निर्देशन रखते का अध्ययन करेंगे और यह सोचेंगे कि क्या इस मार्ग की कठिनाइयों पर, जो इम जानते हैं बहुत भयानक है, पटुता, सन्तोष तथा साहस-द्वारा विजय प्राप्त नहीं की जा सकती।

“मैं आपको एक बात का पूरा विश्वास दिला दूँ। इन सिकारिशों का आधार धोर परिश्रम, गम्भीर अध्ययन, अत्यधिक विवेचन और हमारी अधिक से-अधिक सद्भावना तथा शुभेच्छा है। हम यह कहीं छड़ा समझते थे यदि भारतीय नेता स्वयं ग्रहणीय मार्ग के सम्बन्ध में समझौता कर लेते। और इसके लिये हमने उन्हें अधिक-से-अधिक प्रेरित किया; किन्तु कोई समझौता न हो सका, यद्यपि दोनों पक्ष रियायतें करने को तैयार थे और एक समय तो सफलता की आशा भी होने लगी थी।

“प्रष्टाव: ये प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं जिन्हें किसी भी दल ने स्वतन्त्र रहने पर अपनाया होता, किन्तु मेरा यह विश्वास है कि ये प्रस्ताव ऐसे युक्तिसंगत तथा व्यावहारिक आधार प्रस्तुत करते हैं जिस पर भारत का भावी विधान बनाया जा सकता है। इनके द्वारा भारत की अखण्डता, जो प्रसुत दलों के झगड़े के कारण संकट में पड़ गयी है, स्थिर बनी रहती है। और विशेषतः ये आत्मवंश की भावना से पूर्ण भारतीय सेना में फूट के संकट को दूर कर देते हैं—भारत आगे ही इस सेना का इतना आभारी है और इसकी शक्ति, एकता और कुशक्षता पर भावी भारत की सुरक्षा बहुत निर्भर होगी। ये प्रस्ताव मुसलमानों को यह अधिकार देते हैं कि वे अपने आवश्यक हितों, अपने धर्म, अपनी शिक्षा, अपनी सम्यता, अपने आर्थिक तथा अन्य मामलों का अपनी इच्छानुसार तथा अपने ज्ञानार्थ संचालन करें। एक और महान् सम्प्रदाय—सिखों—के लिए ये प्रस्ताव उनकी पिन्न-भूमि पंजाब की अखण्डता बनाये रखते हैं। पंजाब के इतिहास में सिखों ने बहुत बड़ा भाग लिया है और भविष्य में भी वे उसमें महत्वपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण भाग ले सकते हैं। विशेष कमेटी के रूप में, जो विधान-निर्माण मशीनरी का एक अंग है, ये प्रस्ताव छोटे अपसंरूपकों को अपनी आवश्यकताएं प्रकट करने का तथा अपने हितों की रक्षा करने का सर्वोत्तम साधन प्रदान करते हैं। छोटी-बड़ी सभी रियासतों के लिए बातचीत द्वारा भारतीय संघ में प्रविष्ट होने की इच्छा का भी ये प्रस्ताव प्रयास करते हैं। भारत के लिए ये प्रस्ताव दलगत संघर्ष से शान्ति तथा आवश्यक रचनात्मक कार्य करने के लिए शान्ति का सन्देश है। ये आपको विधान-निर्माणी सभा का कार्य समाप्त होते ही सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने का सुअवसर देते हैं।

“हमारे सामने जो रचनात्मक कार्य है मैं उस पर जोर देना चाहूँगा। यदि आप उस वक्तव्य के प्रस्तावों को अपने विधान-निर्माण के लिए युक्तिसंगत आधार मानने को तैयार हैं, तब हम तत्काल ही भारत की सारी शक्ति और योग्यता को अल्पकालीन अत्यावश्यक समस्याओं से लिबटने में लगा सकेंगे। आप उम्हें भली प्रकार जानते हैं—अकाल में ताकालिक संकट का समाधान और भविष्य में सबके लिए पर्याप्त स्थायी उपलब्धिके उपाय जुटाना, भारत के स्वास्थ्य

को उच्चत करना, व्यापक सिल्हा की योजनाओं को कार्यान्वित करना, सद्के बनाना और उनमें सुचारू करना, और जन-साधारण के मापदण्ड को ढँचा करने के लिए अन्य आवश्यक कार्य करना। भारत के जल-स्रोतों के नियन्त्रण की, सिंचाई के विस्तार की, बिजली पैदा करने की, बांदों को रोकने की, नये कारखाने बनाने की और नये उद्योग स्थापित करने की भी बड़ी-बड़ी योजनाएँ हमारे सामने हैं। उधर विदेश में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी उचित स्थान प्राप्त करना है। इन संस्थाओं में भारत के प्रतिनिधि आगे ही रुचि प्राप्त कर चुके हैं। अतः मैं उत्सुक हूँ कि इस संकटपूर्ण आगामी संकान्ति-काल में, जब नया विधान बनाया जायगा, भारतीय शासन के सूचनाधार वे अवधारणा व्यक्ति होंं जो सर्व-सम्मति से योग्यतम और प्रतिभाशाली माने जाते हैं और जिनमें भारतीयों को विश्वास हो कि वे उनके कल्याणवर्धन एवं लक्ष्य-प्राप्ति में सहायक होंगे।

“जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, इस संकान्ति-काल में अन्तर्राष्ट्रीय सरकार शीघ्रात-शीघ्र बनाने तथा उसे चलाने का भार सुके सौंपा गया है। मुझे आशा है इसमें किसी की भी सन्देह न होगा कि स्वराज्य के पथ पर भारत का यह बहुत बड़ा क्रदम होगा। अन्तर्राष्ट्रीय सरकार विशुद्ध भारतीय सरकार होगी, केवल प्रधान—गवर्नर जनरल—ही अ-भारतीय होगा। यदि अपनी इच्छानुसार व्यक्ति प्राप्त करने में मैं सफल हुआ, तो मुख्य राजनीतिक दलों के नेतागण इस सरकार के सदस्य होंगे जिनकी योग्यता, प्रतिष्ठा एवं सेवाभाव असंदिग्ध हैं।

“इस सरकार का प्रभाव एवं प्रतिष्ठा न केवल भारत में ही वरन् भारत से बाहर भी होगी। भारत की उच्चतम प्रतिभा, जिसका उपयोग अब तक केवल विरोध करने में ही हुआ है, रचनात्मक कार्यों में लगाई जा सकती है। ये व्यक्ति नवीन भारत के निर्माता होंगे।

“सद्भावना के बिना कोई भी विधान अथवा सरकार सुचारू एवं सन्तोषजनक रूप से नहीं चल सकती। यदि सद्भावना मौजूद हो, तो प्रथम रूप से असंगत व्यवस्था भी सफल बनायी जा सकती है। वर्तमान पैचीदा स्थिति में, जिसका हमें सामना करना पढ़ रहा है, चार मुख्य दल हैं—अंग्रेज, भारत के दो प्रमुख—दल, हिन्दू और मुस्लिम तथा देशी राज्य। समष्टि के कल्याण में योगदान करने के लिए इन सब दलों को अपने वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा, यदि इस बड़े परीक्षण को हमें सफल बनाना है। विचारों और सिद्धान्तों में रिआयत करना कठिन और असुचिकर होता है। इसकी आवश्यकता को अनुभव करने के लिए विशाल हृदय चाहिये, और रिआयत करना तो बड़ी उच्च आत्मा का काम है। मुझे विश्वास है कि मन और आत्मा की इस विशालता का भारत में अभाव न होगा, जिसका मेरे विचार में ब्रिटिश राष्ट्र के इन प्रस्तावों में भी अभाव नहीं है।

“मैं कह नहीं सकता कि आपखोग कहां तक यह समझ सके हैं कि विश्व-इतिहास में शासन-सम्बन्धी यह अत्यन्त महान प्रयोग किया जा रहा है। ४० करोड़ प्रजाजन के भाग्य का निबटारा करने के लिए यह एक नये विधान का निर्माण होगा। निश्चय ही, इस सब पर, जिन्हें इस कार्य में सहयोग देने का गौरव प्राप्त हुआ है, यह बड़ा गम्भीर दायित्व है।

“अन्त में, मैं इस बात पर झोर देना चाहता हूँ कि यह आपके लिए गम्भीर निर्णय का समय है। आपको शान्तिपूर्ण रचनारमक कार्य और उपद्रवपूर्ण गृहयुद में, सहयोग और फूट में, नियमित उच्चत और अशक्तका में चुनाव करना होगा। मुझे निश्चय है कि आप सबका निर्णय निस्सन्देह सहयोग और मेल के पक्ष में होगा।

“तो क्या मैं अब उन वाक्यों के उद्धरण से समाप्त कहूँ, जिनका विगत युद्धके एक नाजुक मौके पर उद्धरण एक महान् ध्यक्ति ने दूसरे महान् ध्यक्ति को किया था। ये शब्द भारत के वर्त-मान संकट-काल में भी बड़े उपयुक्त हैं—

राज्य-पोत तू भी बदा चल,  
हे संघ ! महान् एवं शनिशाली—बदा चल;  
मानवता—अपनी समस्त आशंकाएँ लिप,  
भावी वर्षों की आकांक्षाएँ लिप,  
भाग्य-निर्णय की प्रतीक्षा कर रही ।”

### प्रधान सेनापति का रेडियो-भाषण

भारत के प्रधान सेनापति जनरल सर क्लाइ आकिनलेक ने १७ मई को भारतीय रेडियो के दिल्ली-स्टेशन से जो भाषण दिया वह इस प्रकार है :-

“जैसा कि आप श्रीमान् वाहसराय से सुन चुके हैं विटिश सरकार ने एक ऐसी योजना उपस्थित की है, जिसके द्वारा भारतीय अपना विधान स्वयं तैयार करने और एक स्वाधीन भारतीय सरकार की स्थापना करने में समर्थ हो सकें। आप सब यह भी जानते हैं कि विटिश सरकार के सदस्य और वाहसराय धर कुछ समय से मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के नेताओं से विचार-विनिमय कर रहे थे। वे यह निश्चय करने का प्रयत्न कर रहे थे कि भारत में किस प्रकार की सरकार की स्थापना की जाय। उनका उद्देश्य विटिश सरकार-द्वारा दिये गये इस वचन का निर्वाच करना था कि भविष्य में भारत का शामन स्वयं उसी की जनता-द्वारा होगा, उस पर ब्रिटेन का कुछ भी नियंत्रण न रहेगा और विटिश राष्ट्र-मंडल के भीतर बने रहने अथवा उससे बाहर निकल जाने के सम्बन्ध में मनचाहा निर्णय करने के लिए भी भारत स्वतंत्र रहेगा।

“शासन-ध्यवस्था का ऐसा रूप दूँद निकालने का प्रथेक प्रयत्न किये जाने के बावजूद, जो कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों ही को स्वीकार हो, कोई समझौता नहीं हो सका।

“मुस्लिम लीग का विचार है कि भारत में दो पृथक् एवं स्वाधीन राज्य रहने चाहिए—मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिन्दुओं के लिए हिन्दुस्तान। कांग्रेस का विचार है कि भारत का विभाजन न किया जाय—एक केन्द्रीय सरकार रहे और प्रान्तों का अपने-अपने द्वेष में अधिक-से-अधिक नियंत्रण रहे।

“संक्षेप में दोनों राजनीतिक दलों-द्वारा ग्रहण की गयी स्थिति यह थी—

“आशा थी कि इन दोनों दृष्टिकोणों का कोई-न-कोई ऐसा सम्बन्ध हो सकेगा, जिसे दोनों ही पक्ष स्वीकार कर लेंगे। यद्यपि दोनों दलों ने सद्भावना की वृद्धि के लिए अपने विचारों में बहुत कुछ संशोधन किया फिर भी समझौता नहीं हो सका।

“इसलिए दोनों मुख्य राजनीतिक दलों में समझौता करा सकने में असफल होने पर विटिश सरकार ने भारत की जनता के प्रति अपने कर्तव्य के सम्बन्ध में यह निश्चय किया है कि भारत को सुध्यवस्थित तथा शान्तिपूर्ण रूप से यथासम्भव शीघ्र ही स्वाधीनता प्रदान करने के लिए उसे अपने विचार प्रकट कर देना चाहिये ताकि सर्वसाधारण को कम-से-कम असुविधा और अध्यवस्था का सामना करना पड़े।

“यह ध्यवस्था करते समय विटिश सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि भारतीय जनता के बड़े घरों के ही प्रति नहीं, बरन् छोटे घरों के प्रति भी न्याय का ध्यवहार हो सके और

उन्हें स्वाधीनता की प्राप्ति हो सके।

“ब्रिटिश सरकार अनुभव करती है कि मुसलमानों को वास्तव में भय है कि सम्भवतः उन्हें हमेशा के लिए हिन्दू सरकार के अधीन रहने के लिए विवश किया जाय और हस्तिए कोई भी नयी सरकार ऐसी होनी चाहिये जिसपे सदा के लिए उनका यह भय निर्मूल हो जाय।

“इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ध्यानपूर्वक और प्रत्येक दृष्टिकोण से तथा बिना किसी प्रबलता के पूर्ण रूप से एक पृथक् और स्वतंत्र राज्य पाकिस्तान की स्थापना की संभावना पर सोच-विचार किया गया है।

“इस छानबीन के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार को बाध्य हो कर यह निर्णय करना पड़ा है कि पूर्ण रूप से ऐसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से, जिनका एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार का भी सम्बन्ध न हो, हिन्दूओं और मुसलमानों के मतभेदों का हज नहीं निकल सकता।

“उनका मत यह भी है कि दो या उससे अधिक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना से भविष्य में भारत को मदान् लाति एवं खतरा उठाना पड़ेगा।

“इस्तिए वे भारत को दो पृथक् राज्यों में विभक्त करने के लिए सहमत नहीं हो सकते, यद्यपि उनका विचार है कि यदि बहुसंख्यक मुस्लिम हजारों में वे अपना शासन स्वयं करना चाहें और अपना जीवन अपने ढंग से बिताना चाहें तो उनके लिए कोई न-कोई मार्ग अवश्य ढूँढ़ना चाहिया। हिन्दू और कांग्रेस दल भी इसे स्वीकार करते हैं।

“इस्तिए ब्रिटिश सरकार ने न तो पूर्ण रूप से पृथक् राज्यों की स्थापना को ही स्वीकार किया है और न ही केन्द्र में सारी सत्ता को। उसका ख्याल है कि यदि विभिन्न हजारों के लोगों की इच्छा हो तो उन हजारों को काफी मात्रा में स्वतंत्रता प्रदान की जाय, परन्तु युद्ध के समय सेना, नौसेना, और वायुसेना तथा समस्त भारत की रक्षा का दायित्व सम्पूर्ण भारत के लिए एक ही सत्ता के ऊपर होना चाहिये।

“इसके अतिरिक्त उन्होंने यह सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक प्रान्त अथवा प्रान्तों के गुट को केन्द्र के किसी प्रकार के भी हस्तक्षेप के बिना अपनी जनता की हस्तानुसार अपने मामलों की स्वयं ही देखभाल करने के पूर्ण अधिकार दिये जा सकते हैं।

“इन प्रस्तावों का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था करना है कि सभी मतावलंबी और वर्ग अपनी शासन व्यवस्था के स्वरूप के सम्बन्ध में अपने विचार उपस्थित कर सकें और जनता के किसी एक वर्ग को किसी दूसरे वर्ग के अधीन होने के लिए विवश न होना पड़े और साथ ही उन्हें किसी भय अथवा अत्याचार के बिना अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत करने का अधिकार हो।

“भारत के लिए इस नयी शासन-प्रणाली की विस्तृत बातों का निर्णय स्वयं भारत की जनता को ही करना चाहिये। यह काम ब्रिटिश सरकार का नहीं है। शासन-व्यवस्था की नयी प्रणाली के निर्माण-काल में, देश के प्रबन्ध-संचालन के लिए, वाहसराय महोदय का प्रस्ताव अन्वर्कार्डीन सरकार संबंधित करने का है, जिसमें उनके अतिरिक्त भारतीय लोकसत के वे नेता भी समिलित होंगे, जो जनता के विश्वासपात्र हैं।

“इस अस्थायी सरकार में युद्धमंत्री का पद, जो इस समय प्रधान सेनापति को (अर्थात् सुके) प्राप्त है, किसी भारतीय नागरिक को मिलेगा। स्थल, जल तथा आकाश सेनाओं के नायकरत्व तथा मंगल के लिए मेरी जिम्मेदारी फिर भी जारी रहेगी, किन्तु राजनीतिक विषय नये युद्ध मंत्री के हाथ में होंगे और मैं स्वयं उनके अधीन रहकर काम करूँगा, जैसे कि ब्रिटेन में

सेनापतियों को नागरिक मंत्रियों के अधीन रह कर काम करना होता है:—

“तजवीज है कि इधर यह अस्थायी सरकार देश के शासन का दैनिक कार्य चलाती रहे और उधर प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंडलों-द्वारा निर्वाचित, सब दलों, मतों तथा वर्गों के प्रतिनिधियों की तीन असेम्बलियाँ (विधान-निमित्ती परिषदें) स्थापित की जायें।

“भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह इन्हीं तीनों असेम्बलियों का काम होगा कि वे इस बात का निर्णय करें कि भविष्य में भारत का शासन किस रूप में होगा।

“ब्रिटिश सरकार को आशा है कि इस प्रकार भारत को स्वयं अपने नेताओं के शासन-द्वारा शांति एवं सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी और देश मदानता एवं सम्पन्नता के अपने न्यायोचित पद पर पहुँच सकेगा।

“स्थल, जल तथा आकाश सेनाओं का कर्तव्य है कि जब ये परामर्श तथा बैठकें चल रही हों, वे सरकार के अधीन रह कर, उसके आदेशों का पालन करें।

“जैसा कि मैं कह चुका हूँ, यह अस्थायी सरकार भारतीयों की सरकार होगी और प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं में से चुने गये, जनता के पूर्ण विश्वासपात्र सउजन उस में समिलित होंगे।

“‘निसंदेह, देश में आज लडाई-झगड़े तथा अशांति की आशंका है। चाहे आप स्थल, जल अथवा आकाश, किसी भी सेना के सदस्य हों, आप सब जानते हैं कि अनुशासन-पालन तथा सदृशीलता से क्या जाभ होते हैं; साथ ही, क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या सिस्ल अथवा ईसाई, आप सब लोगों ने अपने देश की सेवा के हित से, बिना फ़राड़ा-फ़सला अथवा ईर्ष्या-माव के एक साथ मिलकर रहना सीखा है।

“आपलोगों में से प्रथेक ने एक दूसरे का आदर करना और एक साथ मिलकर केवल एक ही उद्देश्य के लिए कार्यशील बनना सीखा है। यह उद्देश्य आपके अपने देश की भलाई का है। इस बात में आपने समस्त भारत के समक्ष एक सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया है।

“मुझे आप पर पूरा भरोसा है—सदा की ई भाँति पूरा भरोसा। और मुझे विश्वास है कि वया युद्धकाल में तथा क्या शान्ति के समय, जिस प्रकार आप अपने कर्तव्य-पालन का उदाहरण रखते आये हैं, उसी प्रकार आगे भी अपने कार्य एवं कर्तव्य में दृढ़ रहेंगे।

“स्वयं अपनी ओर से मैं भी यही करूँगा। विश्वास रखें कि जब तक मैं यहां मौजूद हूँ, भूतकाल की भाँति भविष्य के लिए भी, आप अपने हितों की सुरक्षा के सम्बन्ध में मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं।”

कांग्रेस के समाप्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद ने १७ मई को दिल्ली में कांग्रेस कार्य-कारिणी समिति की एक मीटिंग बुलायी। समिति ने मंत्रिमिशन और वाहसराय के प्रकाशित वक्तव्यों पर विचार किया। वक्तव्य और समिति के द्वारा पाप किये गये प्रस्ताव के बारे में जो पत्र-व्यवहार मौलाना साहब और बाईं पेथिक-लारेन्स में हुआ है वह इस प्रकार है:—

भारत मंत्री लाईं पेथिक-लारेन्स के नाम मौलाना आजाद का पत्र

तारीख २० मई १९४६

प्रिय जार्ह पेथिक-लारेन्स,

मेरी समिति ने, मंत्रि-मिशन के १६ मई के वक्तव्य पर सावधानी से विचार किया है और आप तथा सर स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ हुई गांधीजी की मुलाकातों के बाद, समिति उनसे भी मिल

चुकी है। कुछ ऐसे विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में मुकेआपको लिखने के लिये कहा गया है।

जैसा कि वक्तव्य को हमने समझा है, उसमें विधान-निर्मात्री परिषद् के चुनाव तथा संचालन के लिए कुछ सिफारिशें तथा कार्य-विधि दी हुई हैं। मेरी समिति के मत से, निम्नलिखित ही जाने के बाद परिषद् स्वयं विधान-निर्माण के लिए एक सत्ता-सम्पत्ति ( सावरेन ) संस्था होगी, जिसके कार्य में कोई भी बाहरी शक्ति बाधा न डाल सकेगी और सन्धि में उसके समिक्षित होने के विषय में भी यही बात जागू रहेगी। साथ ही, मन्त्र-मिशन द्वारा सुझायी हुई सिफारिशों तथा कार्य-विधि में अपनी हच्छानुसार कोई भी परिवर्तन कर सकने के लिये परिषद् स्वतंत्र होगी और विधान-सम्बन्धी कार्यों के लिए, विधान-परिषद् के एक सत्ता-सम्पत्ति संस्था होने के कारण, उसके अन्तिम निर्णय स्वयंमेव कार्यान्वयन करेंगे।

जैसा कि आपको मार्गम होगा, आपके वक्तव्य में कुछ ऐसी सिफारिशें भी हैं, जो कांग्रेस के उस लक्ष्य के विपरीत हैं, जो उसने शिमले में तथा अन्यत्र ग्रहण किया था। स्वभावतः हम इन सिफारिशों की त्रुटियों को, परिषद्-द्वारा हटवाने का यत्न करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम देश को तथा विधान-निर्मात्री परिषद् को अपने विचारों से प्रभावित करने का यत्न भी करेंगे।

एक बात से, जो गांधीजी ने बताई, मेरी समिति को प्रसन्नता हुई। वह यह कि आप हम बात की कोशिश में हैं कि विभिन्न प्रान्तीय असेम्बलियों में विशेषकर बंगाल तथा आसाम के यूरोपियन सदस्य, विधान-परिषद् के लिए चुने जानेवाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन में न तो उम्मेदवार हों और न अपने बोट ही दें।

ब्रिटिश बलोचिस्तान से एक प्रतिनिधि के चुने जाने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। जहाँ तक हमें मालूम है, बलोचिस्तान में कोई निर्वाचित असेम्बली अथवा अन्य प्रकार की सभा नहीं है, जो इस प्रतिनिधि को चुन सके। ऐसे किसी भी एक व्यक्ति के होने से विधान-परिषद् में अधिक अन्तर भजे ही न पड़े। किन्तु यदि वह व्यक्ति एक पूरे सूबे बलोचिस्तान की ओर से बोलने का उपकरण करे, तो इससे निसन्देह भारी अन्तर पड़ सकता है, विशेषतः यदि वह उस सूबे का वास्तविक प्रतिनिधि किसी भी प्रकार से न हो। इस प्रकार का प्रतिनिधित्व रखने की अपेक्षा, कोई भी प्रतिनिधि न रखना कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि से गलत धाराया पैदा हो सकती है और बलोचिस्तान के भाग का ऐसा निर्णय किया जा सकता है, जो उस सूबे के निवासियों की हड्ढी के प्रतिकूल हो। यदि बलोचिस्तान से जन-प्रिय प्रतिनिधि चुने जाने की कोई व्यवस्था की जा सकी, तो हम उसका स्वागत करेंगे। अतएव, मेरी समिति को गांधीजी से यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि बलोचिस्तान को आप परामर्श-दात्री समिति के कार्य-सूचे के अन्तर्गत समिक्षित करना चाहते हैं।

विधान के मूलस्वरूप से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी सिफारिशों में आपने कहा है कि प्रान्तों को कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापक सभाओं से युक्त गुट बनाने की स्वतंत्रता रहनी चाहिये और प्रत्येक गुट इस बात का निर्णय कर सकेगा कि प्रान्तीय विषयों में से कौन-से विषय उसके अधीन रहने चाहियें। ठीक इससे पहले आपने बताया है कि संघ ( यूनियन ) के अधीन रहने-वाले विषयों के सिवा अन्य सारे विषय तथा शेष अधिकार प्रान्तों को मिलने चाहियें। वक्तव्य में इसके बाद, पृष्ठ ५ में आपने कहा है कि विधान-परिषद् के प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन भागों ( सेक्शनों ) में विभक्त हो जायेंगे और ये विभाग ( सेक्शन ) हर सेक्शन के प्रांतों के प्रान्तीय

विधान तैयार करने का कार्य शुरू करेंगे और यह भी निर्णय करेंगे कि इन प्रांतों के लिए क्या कोई गुट-विधान भी तैयार किया जायगा।

इन दोनों पृथक् व्यवस्थाओं में, इमें विशिष्ट रूप से भारी अन्तर प्रतीत होता है। मूल व्यवस्था-द्वारा किसी भी प्रान्त की अपने हच्छानुसार कुछ भी करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है और तदनन्तर हस विषय में आधिकारिक गहराई है, जिससे स्पष्टतः उक्त स्वतन्त्रता पर आधारित होता है। यह सत्य है कि आगे चलकर प्रांत किसी भी गुट से पृथक् हो सकते हैं, किन्तु किसी भी प्रकार र से यह स्पष्ट नहीं होता कि कोई भी प्रांत अथवा उसके प्रतिनिधि, कोई ऐसा कार्य करने के लिए किस प्रकार बाध्य किये जा सकते हैं, जो वे करना नहीं चाहते। कोई भी प्रान्तीय असेम्बली, अपने प्रतिनिधियों को आदेश दे सकती है, कि वे किसी भी 'गुट' में अथवा किसी विशेष गुट में अथवा सेक्षण में सम्मिलित न हों। चूंकि 'सी' तथा 'बी' सेक्षणों का निर्माण किया गया है, अतएव स्पष्ट है कि इन सेक्षणों में एक प्रांत की प्रभुता रहेगी—'बी' सेक्षण में पंजाब की और 'सी' सेक्षण में बंगाल की। प्रभु-प्रान्त इस प्रकार का प्रान्तीय विधान तैयार कर सकता है, जो मिन्ध, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त अथवा आसाम की हच्छाओं के सर्वथा विरुद्ध हो। हो सकता है कि प्रभु-प्रान्त विधान के अन्तर्गत निर्वाचन तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में ऐसे नियम भी बना दें, जिनसे किसी भी प्रांत के किसी गुट से पृथक् हो सकने की सारी व्यवस्था बेकार हो जाय। कभी भी ऐसा खत्याल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा विचार स्वयं योजना के आधारभूत सिद्धांतों तथा नीति के विरुद्ध ठहरेगा।

देशी राज्यों का प्रश्न अस्पष्ट ही छोड़ दिया गया है, अतएव उस विषय में इस समय मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता। किन्तु स्पष्ट है कि विधान-परिषद् में राज्यों के जो भी प्रतिनिधि सम्मिलित हों, उन्हें न्युनाधिक उसी रूप में आना चाहिए जिस रूप में प्रांतों के प्रतिनिधि आयेंगे। पूर्णतया भिन्न तत्वों के संयोग से विधान-परिषद् का निर्माण नहीं किया जा सकता।

ऊपर मैंने, आपके वक्तव्य से उत्पन्न होनेवाली कुछ बातों का उल्लेख किया है। सम्भवतः उनमें से कुछ को आप स्पष्ट कर सकते हैं तथा उनको दूर कर सकते हैं। किन्तु मुख्य बात, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यही है, कि 'विधान-परिषद्' को हम एक सर्व-सत्त्वा-सम्बन्ध सभा के रूप में देखते हैं, जो अपने सम्मुख उपस्थित किसी भी विषय पर अपने हच्छानुसार निर्णय कर सकती है। एकमात्र प्रतिबन्ध जिसे हम इस विषय में स्वीकार करते हैं यह है कि कुछ बड़े साम्प्रदायिक प्रश्नों के निर्णय दोनों बड़े सम्प्रदायों में से हर दोनों के बहुमत से होने चाहियें। आपकी सिफारिशों के दोष दूर करने के लिए हम जनता तथा विधान-परिषद् के सदस्यों के समझ स्वयं अपने प्रस्ताव उपस्थित करने का प्रयत्न करेंगे।

गांधीजी ने मेरी समिति को सूचित किया है कि आपका विचार है कि विधान-परिषद्-द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार सरकार की स्थापना हो जाने के बाद तक, ब्रिटिश सेना भारत में रहेगी। मेरी समिति अनुभव करती है कि भारत में विदेशी सेना की उपस्थिति भारतीय स्वाधीनता को नगरेय कर देगी।

राष्ट्रीय अन्तर्राजीन सरकार की स्थापना के बाण से, भारत को वास्तव में स्वाधीन समझा जाना चाहिये।

ताकि मेरी समिति आपके वक्तव्य के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुँच सके, इस पत्र का उत्तर शीघ्र पाकर मैं कृतज्ञ होऊँगा।

आपका विश्वासपात्र—

( ५० ) अमुखकाम आजाद

## मौलाना आजाद के नाम भारत मंत्री का पत्र

तारीख २२ मई

ये मौलाना साहब,

प्रतिनिधि-मंडल ने आपके २० मई वाले पत्र पर सोच-विचार किया है और उसका ख्याल कि इसके उत्तर देने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि उसे अपनी साधारण स्थिति आपके सम्मुख पृष्ठ रूप से रख देनी चाहिये। चूंकि भारतीय नेता बहुत ज़म्मे अर्सें तक बातचीत करने के बाद तो किसी समझौते पर नहीं पहुँच सके, इसलिए प्रतिनिधि-मंडल ने दोनों ही प्रमुख दलों के छिकोयों में निकटतम सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, इसलिए इयोजना संपूर्ण रूप में ही जागू हो सकती है और यह तभी सफल हो सकती है यदि उस पर समझौते और सहयोग की भावना से प्रेरित होकर अमल किया जाय।

प्रान्तों की गुटबन्दी के कारणों से आप भली-भांति परिचित हैं और यह बात इस योजना का नितान्त आवश्यक पहलू है जिसमें कोई संशोधन केवल दोनों दलों के पारस्परिक समझौते द्वारा ही किया जा सकता है।

इसके अलावा दो और बातें भी हैं, जिनका हमारा ख्याल है कि हमें उल्लेख कर देना चाहिये। प्रथम आपने अपने पत्र में विधान-निर्मात्री परिषद् को एक सत्ता-सम्पद-संस्था कहा है जिसके अन्तिम निर्णयों पर स्वतः अमल होने लगेगा। हमारा विचार है कि विधान-निर्मात्री परिषद् की अधिकार-सीमा, उसका कार्य-क्षेत्र और उसकी कार्यप्रणाली वह जिस पर चलना चाहती है, इन वक्तव्यों-द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। एक बार विधान-निर्मात्री परिषद् के बन जाने पर और उसके द्वारा इस आधार पर काम करने पर स्वभावतः उसकी स्वाधीन विवेचना में हस्तक्षेप करने अथवा उसके निर्णयों पर आपत्ति करने का कोई इरादा नहीं है। जब विधान-निर्मात्री परिषद् अपना कार्य समाप्त कर चुकेगी, तो सन्नाटा की सरकार पार्लामेंट से ऐसी कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी जैसी कि भारतीय जनता को सत्ता हस्तान्तरित करने के लिये आवश्यक समझी जायगी, परन्तु इस सम्बन्ध में सिफ दो ही शर्तें रहेंगी, जिनका उल्लेख वक्तव्य में कर दिया गया है और जो, हमारा विश्वास है कि विवादस्पद नहीं है—अर्थात् अल्पसंख्यकों की रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था और सत्ता-हस्तान्तरित करने के परिणामस्वरूप उठनेवाले विषयों के सम्बन्ध में सन्धि करने की सहमति।

दूसरे, जब कि सन्नाटा की सरकार इस बात के लिए अत्यधिक उत्सुक है कि अन्तर्राजित अवधि यथासंभव कम-से-कम हो, इसें विश्वास है कि आप यह अनुभव करेंगे कि उपर्युक्त कारणों के आधार पर नये विधान के कार्यान्वित होने से पहले स्वाधीनता का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता।

आपका—पैथिक-जारेस

## नरेन्द्र-मरण को स्मृति-पत्र

ता० २२-५-४६

नहीं दिल्ली बुधवार—मंत्रिमिशन के प्रतिनिधि-मण्डल ने नरेन्द्र-मरण को जो स्मृति-पत्र भेजा है वह आज प्रकाशित हो गया है। उसमें घोषित किया गया है कि नये विधान के अनुसार सन्नाटा की सरकार सर्वोपरि सत्ता का उपयोग समाप्त कर देगी। इस स्थान की पूर्ति या तो देशी राज्य, ब्रिटिश भारत की सरकार या सरकारों के साथ संबंध स्थापित करके कर देंगे या किर उस सरकार या सरकारों के साथ वह नयी राजनीतिक व्यवस्था कर देंगे।

यह स्मृति-पत्र तभी तंयार कर लिया गया था जब प्रतिनिधि-मण्डल भारतीय दलों के नेताओं से बहस कर रहा था और इसका सारांश देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को उनकी मुक्ताकात के समय दे दिया गया था ।

**स्मृति-पत्र इस प्रकार था :—**

### नरेन्द्र-मण्डल को स्मृति-पत्र

देशी राज्यों की संविधियों तथा सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल ने नरेन्द्र-मण्डल के चान्सिलर के सम्मुख निम्न विचारपत्र उपस्थित किया :—

कामन्स सभा ने विटिश प्रधानमंत्री के हाल के वक्तव्य देने से पूर्व नरेशों को आश्वासन दे दिया था कि सन्नाट् के प्रति उनके सम्बन्धों तथा उनके साथ की गयी सन्धियों और इकरारनामों-द्वारा गारंटी किये गये अधिकारों में उनकी स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन करने का सन्नाट् का इरादा नहीं है । साथ ही यह भी कह दिया था कि वार्ता के परिणामस्वरूप होनेवाले परिवर्तनों के सिलसिले में स्वीकृति को अनुचित रूप से रोक भी न रखा जायगा । उसके बाद नरेन्द्र-मण्डल भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि देशी राज्य भारत-द्वारा अपनी पूर्ण स्वतन्त्र स्थिति की तात्कालिक प्राप्ति के लिए देश को आम इच्छा का पूरी तरह समर्थन करते हैं । सन्नाट् की सरकार ने अब घोषणा की है कि यदि विटिश भारत की उत्तराधिकारी सरकार अथवा सरकारें स्वाधीनता के लिए इच्छा करेंगी तो उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली जायगी । इन घोषणाओं का प्रभाव यही होता है कि जिनका भारत के भविष्य से सम्बन्ध है वे सब-के-सब चाहते हैं कि भारत विटिश राष्ट्र-मण्डल के भीतर अथवा बाहर स्वाधीनता की स्थिति प्राप्त करे । भारत-द्वारा इस आकांक्षा के पूरी करने में जो भी कठिनाइयाँ हैं, प्रतिनिधि-मण्डल उन्हें दूर करने में सहायता प्रदान करने के ही लिए यहाँ आया हुआ है ।

संकान्ति-काल में, जिसकी मियाद एक ऐसे नये वैधानिक ढांचे के कार्यान्वित होने से पूर्व अवश्य समाप्त हो जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत विटिश भारत स्वतन्त्र अथवा पूर्ण रूप से स्वशासित होगा, सर्वोच्च सत्ता कायम रहेगी; परन्तु विटिश सरकार किसी भी परिस्थिति में सर्वोच्च सत्ता एक भारतीय सरकार को हस्तान्तरित नहीं कर सकती और न ही करेगी ।

इस बीच देशी राज्य भारत के लिए वैधानिक ढांचे के निर्माण-कार्य में महत्वपूर्ण भाग लेने की स्थिति में रहेंगे और देशी राज्यों-द्वारा सन्नाट् की सरकार को सूचित कर दिया गया है कि वे अपने और समस्त भारत के हितों की दृष्टि से इस नये ढांचे के निर्माण में भाग लेने और उसके पूरा हो जाने पर उसमें अपना उचित स्थान प्राप्त करने के इच्छुक हैं । इसका मार्ग प्रशस्त करने के निमित्त वे अपने शासन-प्रबन्ध को यथाशक्ति उत्तम मान तक पहुँचाने की व्यवस्था करके निस्संदेह अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लेंगे । जहाँ-कहीं भी देशी-राज्यों के वर्तमान साधनों के अन्तर्गत इस मान तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँचा जा सकता, वे निस्संदेह यह प्रबन्ध करेंगे कि शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से ऐसे देशी राज्यों के इतने बड़े संगठन बना दिये जायें अथवा वे ऐसी बड़ी इकाइयों में शामिल हो जायें जिससे कि वे इस वैधानिक ढांचे में उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सकें । इससे विधान-निर्माण-काल में देशी राज्यों की स्थिति भी सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि यदि विभिन्न सरकारों ने पहले से ही ऐसा नहीं किया होगा तो उन्हें प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना-द्वारा अपने यहाँ के जनमत के साथ बनिष्ठ और निरन्तर संपर्क स्थापित करने के लिए सक्रिय भाग लेने का अवसर मिल जायगा ।

संकान्ति-काल में देशी राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे ब्रिटिश भारत के साथ समान मामलों—विशेषकर औद्योगिक पूर्व आर्थिक लेंत्रों से सम्बन्ध रखनेवाले मामलों—की भावी व्यवस्था पर ब्रिटिश भारत से बात-चीत चलायें। यह बात-चीत जो हर हालत में आवश्यक है—चाहे रियालरें नवीन विधान-निर्माण में भाग लेना चाहे अथवा नहीं—सम्भवतः काफी समय लेगी और नये विधान के लागू होने के समय भी कई दिशाओं में अधूरी रह सकती है। अतः शासन-सम्बन्धी अवधारों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि नहीं रियासतों तथा सरकार अथवा सरकारों के भावी सूचधारों के बीच किसी प्रकार का समझौता हो जाय ताकि उस समय तक समान मामलों में वर्तमान अवस्था जारी रह सके जब तक कि नया समझौता सम्पूर्ण नहीं हो जाता। ब्रिटिश सरकार और सम्ब्राट का प्रतिनिधि इस सम्बन्ध में यथाशक्ति सहायता करने को तत्पर रहेगा।

जब ब्रिटिश भारत में नई, पूर्ण रूप से स्वाधीन तथा स्वतंत्र सरकार या सरकारें स्थापित हो जायेंगी, तब सम्ब्राट की सरकार का इन सरकारों पर ऐसा प्रभाव नहीं होगा कि ये सर्वोच्च सत्ता के कर्तव्यों को निभा सकें। इसके अतिरिक्त वे ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि इस कार्य के लिए भारत में ब्रिटिश सेना रख ली जायगी। अतः यह युक्तिसंगत ही है, तथा देशी राज्यों की ओर से जो हच्छा प्रकट की गई है उसके अनुरूप है, कि सम्ब्राट की सरकार सर्वोच्च सत्ता के रूप में कार्य न करेगी। इसका यह लात्पर्य हुआ कि देशी राज्यों के वे सर्व अधिकार, जो सम्ब्राट के साथ सम्बन्धों पर आश्रित हैं, अब लुप्त हो जायेंगे और वे सब अधिकार जो हन राज्यों ने सर्वोच्च सत्ता को समर्पित कर दिये थे, अब उन्हें वापस मिल जायेंगे। इसलिए देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत और सम्ब्राट के मध्य राजनीतिक व्यवस्था का अब अन्त कर दिया जायगा। इस रिक्त स्थान की पूर्ति या तो देशी राज्यों-द्वारा उत्तराधिकारी सरकार से या ब्रिटिश भारत की सरकारों से संबंधी सम्बन्ध स्थापित करने पर होगी, अथवा ऐसा न होने पर इस सरकार या सरकारों से विशेष व्यवस्था करने पर होगी।

एक प्रेस-विज्ञप्ति में लिखा है कि कैबिनेट-शिष्टमंडल यह स्पष्ट कर देना चाहता है, कि उत्तराधिकार को “नेरन्ड्रमंडल के प्रधान को, रियासतों, सन्धियों तथा सर्वोपरि-सत्ता-सम्बन्धी पेश किया गया मैमोरेंडम” शीर्षक से जो पत्र जारी किया गया है, वह मिशन ने उस समय लैयार किया था, जबकि भिज्ज-भिज्ज दलों के नेताओं से परामर्श शुरू नहीं हुआ था और यह कि उस वार्तालाप का सारांश-मात्र था, जो कि मिशन ने रियासतों के प्रतिनिधियों से पहली बार किया था। इस विज्ञप्ति को “उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश हाइडिया की सरकारें” शब्दों के प्रयोग की व्याख्या समझा जाय, जो मंडल के विछुले व्यापक के बाद प्रयुक्त न किये जाते। मैमोरेंडम के ऊपर दिया गया नोट भूल थी।

### सर एन० जी० आयंगर का वक्तव्य

“यह अफ्रसोस की बात है, कि कैबिनेट-शिष्टमंडल ने, हिन्दुस्तानी रियासतों से अपने विचार उत्तरने सुने और साक शब्दों में प्रकट नहीं किए, जिनने कि उन्होंने हिन्दुस्तान के विधान को कुछ आधार-भूत बातों के विषय में किये हैं।

कांग्रेस कार्यकारिणी को शिकायत है, कि देशी रियासतों के बारे में जो कहा गया है वह अस्पष्ट है और बहुत-कुछ भविष्य के क्रैसलों पर छोड़ा गया है। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है, कि शिष्टमंडल ने, सर्वोपरि-सत्ता की समस्या को त्रिशंकु के समान छोड़ दिया है। रियासतों-विषयक निर्णय जानने के लिए, हमें मंडल के १६ मई के वक्तव्य और ‘रियासतों,

समिचयों तथा सर्वोपरि सत्ता' पर दिये गये स्मृति-पत्र को देखना होगा, जो फँ उन्होंने नरेन्द्रमंडल के प्रधान को पेंग की थी और २२ मई को प्रकाशनार्थी की थी। इसके बाद, मैं पहचान आत को 'फँसला' और दूसरों को 'स्मरण-पत्र' नाम से लिखूँगा।

यदि इन दोनों दस्तावेजों को पूरी छान-बीन की जाय, तो मालूम होगा, कि मंडल ने देशी रियासतों के बारे में निश्चिकित्त प्रस्तावों को पसंद किया है:—

(क) हिन्दुस्तान का एक संघ बनाया जाय, जिसमें देशी रियासतें तथा अंग्रेजी इलाके सभी शामिल हों।

(ख) कोई देशी रियासत या प्रान्त, इस संघ के बाहर नहीं रह सकेगा। दूसरे शब्दों में, संघ में शामिल न-होने का अधिकार किसी प्रान्त या देशी रियासत को नहीं दिया गया। अलवत्ता संघ का सदस्य बनते वक्त, कोई देशी रियासत, चाहे तो बाकी हिन्दुस्तान की सरकार के साथ सम्मिलित संबन्ध रख सकती है आंतर चाहे इसके साथ किसी दूसरों प्रकार का राजनीतिक संबन्ध स्थापित कर सकती है।

(ग) सभी देशी रियासतों को, विदेशी विभाग, बचाव तथा रेल-तार-डाक के प्रबन्ध, संघ के हाथों में सौंपने होंगे।

(घ) उन देशी रियासतों को, जो शेष हिन्दुस्तान के साथ सम्मिलित संबन्ध स्थापित करेंगे, संघ की धारा-सभा तथा प्रबन्ध-विभाग में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। अतः वे संघ-शासित विभागों में भी पूरा पूरा भाग ले सकेंगी। सम्मिलित संबन्ध के बजाय, कोई दूसरी प्रकार का राजनीतिक संबन्ध कायम करने की सूरत में भी, संघ-सरकार की सर्वोपरि-सत्ता को अवश्य स्वीकार करना होगा, क्योंकि प्रस्तावित संघ के विधान के अनुसार, जैसा कि वह इस समय है, विदेशी विभाग और रक्षा-विभाग, हर इलाके में सारे हिन्दुस्तान के लिये संघ-केन्द्र ही से नियोजित होंगे।

(ङ) 'फँसले' में, प्रान्तों के समूहीकरण-संबन्धी जो व्यवस्था दी गई है, उसके अनुसार रियासतों के किसी एक समूह—'ए', 'बी' या 'सी' में शामिल हो सकने की सम्भावना नहीं रहती। रियासतें, केवल अन्तर्म अवस्था में, अर्थात् संघ-केन्द्र के लिए विधान-निर्माण के समय पर ही भाग ले सकेंगी।

(च) 'फँसले' में, किसी भी प्रान्त या रियासत को, संघ से संबन्ध-विच्छेद का अधिकार नहीं दिया गया। एक प्रान्त उस वक्त जबकि उसकी पहली निर्वाचित धारासभा बैठे, किसी एक समूह से बाहर निकल सकता है, किन्तु संघ के बाहर नहीं। एक रियासत सम्मिलित-संबन्ध न रखने में स्वतन्त्र है, मगर संघ में उसको रहना ही पड़ेगा। इस 'फँसले' के अनुसार, कोई एक प्रान्त, पहले १० साल गुजारने पर, और बाद में दस-दस-साल के अन्तर से भी अपनी धारासभा के बहुमत से, किसी समूह अथवा संघ के विधान पर पुनः विचार की माँग करने का अधिकार रखता है। इसका तो यही मतलब हुआ, कि एक प्रान्त, संघ या समूह के विधान के संशोधन का प्रस्ताव रख सकता है; लेकिन, अपनी यकतक्फ़ी इच्छा से, संघ या समूह के बाहर नहीं जा सकता। इसके संशोधन-संबन्धी प्रस्ताव पर तभी अमल-दरामद हो सकता है, जबकि सारा समूह या संघ स्वीकृति दे दे, और जबतक कि यह उस विशेष व्यवस्था के अनुसार वास न किया जाय, जो फ़ि ऐसे संशोधनों की सूरत में संघ-विधान के लिए निश्चय ही बनाई जायगी।

(छ) अंतरिम सरकार के समय, विदिशा सर्वोपरि-सत्ता बदस्तूर रहेगी; हिन्दुस्तान के

स्वतन्त्र होने पर ही इसका अंत होगा ।

(ज) अंतरिम-काल में, अंग्रेजी हिन्दुस्तान और देशी रियासतों के बीच आधिक तथा पारस्परिक हानि-लाभ के विषयों की आगामी व्यवस्था-सम्बन्धी बात-चीत आरंभ हो जानी चाहिये । यदि यह बात-चीत, हिन्दुस्तान का विभाजन बन जाने तक सम्पूर्ण न हो पाये, तो नया प्रबन्ध सम्पूर्ण हो जाने तक, प्रस्तुत अवस्था ही को चालू रखने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

३. अंतरिम सरकार के समय में, अनुमानतः देशी रियासतों-संबन्धी ब्रिटिश सर्वोपरि सत्ता पर भी पुनर्विचार होगा, ताकि उन रियासतों के साथ जो सम्मिलित-प्रबन्ध में आती हैं या दूसरी रियासतों के साथ, नई सरकार की तरफ से सर्वोपरि सत्ता की जगह कोई दूसरा संबन्ध स्थापित किया जा सके । यह तो यकीनी बात है, कि जब तक, एक-न-एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था ब्रिटिश सर्वोपरि सत्ता का स्थान नहीं लेती, हिन्दुस्तान की एकता कायम नहीं रखी जा सकती ।

४. 'स्मरण-पत्र', अनेक रूप से असाधारण राजनीतिक दस्तावेज़ है । जो लोग, सर्वोपरि-सत्ता कायम रखने के लिए, हिन्दुस्तानी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सम्राट् की सरकार के सलूक के इतिहास से परिचित हैं, उन्हें इस 'स्मरण-पत्र' के कुछ-एक बयानों पर भारी आश्रय हुआ होगा । मुझे सनदेह है, कि 'स्मरण-पत्र' के बयानों को, शिष्टमंडल से मिलनेवाले रियासती प्रतिनिधियों ने स्वीकार भी किया होगा, गोकि यह ज़रूर कहा जा सकता है, कि यह 'स्मरण-पत्र' उन प्रतिनिधियों के सामने एकदम अचानक नहीं पेश किया गया ।

५. सर्वोपरि-सत्ता खाली एक हक्करानामेका-सा सम्बन्ध नहीं है । आजकल के हालात में इसके प्रयोग की सीमा नहीं बांधी जा सकती । इसका अधिकार सन्धियों, सनदों और अन्य बन्धनों से सुकृत रहकर बढ़ता ही रहा है । हन सन्धियों, बन्धनों और सनदों-द्वारा प्राप्त विशेष अधिकारों से, सर्वोपरि-सत्ता के वश में रहकर ही लाभ डाल्या जा सकता है । किसी सन्धि या सनद के ऐसे मतलब नहीं लिए जा सकते कि जिससे, कोई रियासत अपने को सर्वोपरि सत्ता से मुक्त मानने जाए । यहो सत्ता, रिवाज तथा रियासत की विशेष आवश्यकताओं को सामने रखते हुए फ्रैंसला करती आई है, कि समस्त भारत या रियासतों तथा उनकी प्रजाओं के हितों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिये । अंग्रेजी राज्य और उसकी सरकार की सर्वोपरि-सत्ता भले ही बन्द हो जाय, किन्तु, जबतक कि इर रियासत अपने यहाँ वैधानिक शासन-स्थापित नहीं कर देती और अन्य प्रान्तों की तरह भारतीय संघ में शामिल नहीं हो जाती, सर्वोपरि-सत्ता का सत्ता सर्वथा रद नहीं की जा सकती । तो विचारणीय समस्या केवल यह रह गई, कि इस देश से अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो जाने पर, जबतक कि अनिवार्य हो, यह अनुशासन किस के अधिकार में रहे । जाहिर है कि नये विभाजन के अनुसार जो भारतीय संघ कायम होगा, यह उसी के हाथों में रहनी चाहिये । इस प्रसंग में यह भी याद रहे कि अबतक, सर्वोपरि-सत्ता का सम्बन्ध, कानूनी, नाममात्र या काव्यनिक, जो भी ब्रिटिश सम्राट् या उसकी सरकार से रहा हो, अधिकारों का प्रयोग सदा से हिन्दुस्तान की अंग्रेजी सरकार ही करती आई है और कर रही है । हिन्दुस्तान का नवीन संघ-शासन मौजूदा हिन्दुस्तानी सरकार का डत्तराधिकारी होगा । कर्क वेल इतना रहेगा, कि यह रियासतें, इस संघ में छुट शामिल हुई होंगी, अतः सामान्यतः हिन्दुस्तान के नये संघ को सर्वोपरि-सत्ता अपने-आप पहुंचती है । खासकर, जबकि अवस्थाएँ ऐसी हों, कि जिनमें शासन की शान्तिपूर्वक तब्दीली की राह में कोई विशेष अवक्षण पहुंचने की सम्भावना न हो । यह तब्दीली, हिन्दुस्तानी रियासतों की अनुमति और सर्वोपरि-सत्ता के प्रयोग में देर-फेर के साथ, आसानी से

हो सकेगी। किन्तु, रियासतों के साथ वह सज्जाह-मशविरा ऐसा परिणाम न निकाले कि जिससे लाभ उठाते हुए उन्हें ऐसी मांग पेश करने का मौका मिल जाय कि अंग्रेजी सत्ता दूर होने पर, हरेक रियासत राजनीतिक रूप से स्वतन्त्र है और वह कि भारतीय संघ में शामिल होने-नहोने को वह आज्ञाद है। कैबिनेट-शिष्टमण्डल का 'स्मरण-पत्र' खुद तो इन विचारों का पोषक नहीं है; किन्तु सदस्यों-द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये अर्थों ने मुझमें कुछ व्यक्तियों को भ्रम में अवश्य डाल दिया है, जो कि 'फ़ैसले' की व्याख्या युक्ति-संगत रूप से करने की चेष्टा करते आ रहे हैं।

'स्मरण-पत्र' में लिखा निम्न पैरा मुझे असाधारण प्रतीत होता है:—

"अंतरिम काल, ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लिए वह नया विधान बनने और लागू होने से पहले ही समाप्त हो जायगा, जिसके अनुसार देश स्वतंत्र होगा और इसमें 'पूर्ण स्वराज' स्थापित होगा। इस काल में, सर्वोपरिसत्ता चालू रहेगी। किन्तु, ब्रिटिश सरकार, जिसी अवस्था में भी अपनी सर्वोपरिसत्ता को हिन्दुस्तानी सरकार के हवाले नहीं कर सकती, और न करेगी।"

यह बाक्य इस बात का उदाहरण है कि विचारों में काफी ढोकापूँजापन है। अंतरिम-काल में ब्रिटिश सन्नाट के प्रतिनिधि के आँकिस के साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा, लेकिन इसी काल में सर्वोपरिसत्ता किर से आ जायगी, जिसको हिन्दुस्तान की अंग्रेजी सरकार चालू रखेगी। यदि हिन्दुस्तान में पूर्णतया स्वतंत्र क्रोमी हुक्मत बन जाती है तो सर्वोपरिसत्ता उसके हवाले करने से हिन्कार करना मुझे युक्ति-संगत नज़र नहीं आता। इस हाज़त में, क्रांती सरकार, सर्वोपरिसत्ता को, केवल ब्रिटिश सत्ता का परियाचक मात्र मान लागू करेगी। यह कहना तो हास्यजनक होगा कि समस्त हिन्दुस्तान की एक ऐसी सरकार, जिसके अधीन विदेशी मामले, देश-रक्षा इत्यादि होंगे, ब्रिटिश राज्य को अपने मातहत रियासतों के बारे में उचित सज्जाह देने में असमर्थ होगी। मान लिया, कि १९३२ के भारत-सरकार ऐक्ट में ऐसी तबदीली नहीं की जा सकती कि जिससे अंतरिम-काल में राजा के प्रतिनिधि के आँकिस से छुटकारा मिले, लेकिन यह भी असम्भव होगा कि राजा के प्रतिनिधि के लिए एक हिन्दुस्तानी राजनातिक सज्जाहकार नियुक्त कर दिया जाय? ऐसी नियुक्ति से हिन्दुस्तान के लिए ऐसा विधान बनाने में अवश्य सुगमता होगी, जिसमें सुशील से शामिल होकर देशी रियासतें भी सञ्चुष्ट रहें। देशी रियासतों के प्रतिनिधि, जिन्होंने अपनी राजनीतिक बुद्धि का प्रशंसनीय प्रमाण देते हुए पहले ही घोषित कर दिया है कि वे कांग्रेस के साथ विधान-निर्माण में पूरा-पूरा सहयोग करेंगे, अंतरिम-काल में पोलिटिकल डिपार्टमेंट के प्रबन्ध में इस प्रकार की तबदीली का स्वागत करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जबकि मैं दिल्ली में था, मुझे यह जानकर आश्चर्य और दुख हुआ था, कि कुछ-एक राजाओं ने वाहसराय से प्रार्थना की है कि अंतरिम-काल में किसी अंग्रेजी का पोलिटिकल सज्जाहकार रखा जाना उन्हें पसन्द है!

यह धारणा, कि अंग्रेजों ने सर्वोपरिसत्ता, ब्रिटिश सन्नाट-द्वारा देशी राजाओं को दिये गये हुन आशासनों से प्राप्त की है, कि बाहरी हमले, भीतरी गड़बड़ और उत्तराधिकारी को गही पर बिठाने में मदद दी जायगी, बटलर कमेटी-द्वारा कभी-को धराशायी की जा चुकी है, और बाद में प्रामाणिक अधिकारी-द्वारा निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। यह आश्वर्य की बात है कि आज, ऐसे अवसर पर 'स्मरण-पत्र' उन अधिकारों का, जो कि रियासतों ने सर्वोपरिसत्ता को सौंपे थे और जिनको अब वे अपनी हड्डी और आज्ञादी से चाहे जिसे दे सकती हैं, किर से उन्हीं को दिये जाने का ज़िक्र कर रहा है। अंग्रेजी सत्ता हट जाने पर, यदि देशी रियासतों को इस धारणा के आधार पर

प्रमल करने दिया गया तो अराजकता फैली। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, शिष्ट-मण्डल की सारी स्कीम में, सर्वोपरि-सत्ता हटायी जाने के पूर्व ही उसकी स्थान-पूर्ति का प्रबन्ध किया गया है। कितना अछूत हो, यदि, जैसा कि अंग्रेजी शासन शान्तिपूर्वक हिन्दुस्तान को सौंपा जा रहा है, और जैसा कि आर्थिक समझौते कर लिये गये हैं, यह भी स्वीकृत हो जाय कि उत्तराधिकारी सरकार मौजूदा प्रबन्ध के अनुसार सर्वोपरि-सत्ता का संचालन तब तक करती जाय, जब तक कि नवी राजनीतिक व्यवस्थाएँ न हो जायें और प्रत्येक देश रियासत संघ में शामिल न हो जाय या संघ में रहते हुए केन्द्र से कोई दूसरा राजनीतिक सम्बन्ध न पैदा कर ले।

देशी रियासतों की समस्या को हल करने में, शिष्ट-मण्डल का एक दोष तो यह है, कि इसने रियासतों के भविष्य का निर्णय करते वक्त हिन्दुस्तानी नेताओं को नज़दीक नहीं आने दिया। आज का ब्रिटिश भारत, इस विषय में कि यह रियासतें नये विधान में क्योंकर बैठाई जायंगी, उन्होंने ही दिल्लीवासी रखता है, जितनों कि स्वयं रियासतें रखती हैं। रजवाहों का मस्तका केवल अंग्रेजी सरकार और राजाओं में बातचीत से हल नहीं हो सकता। विधान-निर्माण की प्रारम्भिक बातों में भी अंग्रेजी हिन्दुस्तान तथा रियासतों प्रजा के नेताओं का गहरा सम्बन्ध और मेहर-जोल ज़रूरी है। और यह भी आवश्यक है कि अंतरिम सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने-बाले राजनीतिक दल, यह आधासन दिलायें कि अंतरिम-काल में सर्वोपरि-सत्ता का ऐसा नियंत्रण किया जायगा कि जिससे एक ओर गवर्नर-जनरल और दूसरी ओर ब्रिटिश शासक के प्रतिनिधि तथा उसके राजनीतिक सलाहकार में सम्पूर्ण सहयोग और एक-जैसी नीति पर अमल होगा; अन्यथा नित-नये विरोध होंगे, खोचा-तानी चलेंगी और काम ठप हो जायगा। महात्म गांधी के अनुकूल राजनीतिक सहज-ज्ञान ने भी, नीचे लिखे शब्दों में, जो उनके 'हरिजन' में छपे लेख से लिये गये हैं, एक ताज़ा उदाहरण सोज निकला है :—

“यदि इस (सर्वोपरि-सत्ता) का अन्त, अंतरिम सरकार की स्थापना के साथ न हो सके, तो इसका नियंत्रण रियासतों की प्रजा के सहयोग और युद्धतः उन्होंने के हितार्थ होना चाहिये। यदि राजाओंग अपने कथन और घोषणाओं पर टड़ हैं, तो उन्हें सर्वोपरि-सत्ता के इस सार्वजनिक प्रयोग का स्वागत करना चाहिये और उमे नवी योजना में विवेचित जनता की सत्ता में उपयोगी सिद्ध होना चाहिये।”

### नरेशगण का शिष्टमण्डल-प्रस्ताव स्वीकार

बम्बई, जून ३०—हिन्दुस्तान के नरेशों ने आज भारत की भावी वैधानिक उन्नति के लिए शिष्टमण्डल के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और अंतरिम काल में, जिन विषयों में हेर-फेर की आवश्यकता होगी, वाहसराय से उन पर बातचीत करने का फैसला भी कर लिया।

नरेन्द्रमण्डल की स्थायी समिति की ओर से, जिसकी बैठक आज यहाँ हुई, मण्डल के चान्सिलर नवाब भूपाल ने शिष्टमण्डल के प्रस्तावों का स्वागत किया। स्थायी समिति के निश्चयों को सूचता इसो सप्ताह वाहसराय को दे दी जायगी।

स्थायी समिति ने, वाहसराय की ओर से शिष्टमण्डल की तजवीज के अनुसार, एक बात-चीत करनेवाली कमेटी बनाने की दावत भी क्रवृत्त करकी। यह कमेटी, दिल्ली में जून के मध्य से अपना काम चालू कर देगी।

इस कमेटी में चांसिलर नवाब भूपाल, उप चांसिलर महाराजा पटियाला, नवानगर के जाम-

साहब, दैदराबाद के नवाब अलीयार जंग, गवालियर से सर मन्भाई मेहता, द्रावनकोर से सी० पी० रामस्वामी अययर, चांसलर के सज्जाहकार सर सुलतान अहमद, कृचिहार से सरदार दी० के० सेन, बीकानेर से के० एम० पञ्चोकर और दीवान झूँगरपुर शामिल होंगे। भीर मक्कूल अहमद इस कमेटी के मन्त्री होंगे।

ऐसा समझा जाता है, कि यह बातचीत करनेवाली कमेटी यूनियन की विधान-परिषद् के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव की विधि, विशेषकर राजाओं के राजत्व और राजवश, रियासतों की हटबन्दी की विश्वस्तता, विधान-परिषद् के फँसलों पर अनितम स्वीकृति देने के हक, संघ के साथ रियासतों की आधिक व्यवस्था और संघ केन्द्र के रियासतों के शुल्क इत्यादि विषयों पर रोशनी ढालने की मांग करेगी।

यह तजवीज भी को जा रही है, कि विधान-परिषद् में ऐसी विशेष समस्याओं का निरचय, जिनका सम्बन्ध कि रियासतों से है, उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत से होना चाहिये।

बातचीत करनेवाली कमेटी अन्य विषयों पर भी विचार-विनिमय करेगो,—जैसे संघ को सौंपे जानेवाले विभाग, भीतरी सुधार और विधान-परिषद् के सभापति तथा पदाधिकारियों के चुनाव में रियासती प्रतिनिधियों की स्थिति इत्यादि।

स्थायी समिति ने रियासतों को आदेश दिया है, कि वे, गत जनवरी की बैठक में चांसलर द्वारा उपस्थित किये गये सुझावों की रोशनी में, अपने यहां आगले १२ मास में भी तरी सुधार शुरू करदें।

आज शाम को स्थायी समिति की बैठक को कार्यवाही समाप्त हो गई। बाहसरय के राजनीतिक सज्जाहकार सर कारनड कोरफ़ील्ड ने भी अपने विचार प्रकट किये।

महाराजा गवालियर, पटियाला, बीकानेर, नवानगर, अलवर, नामा, टिहरी-गढ़वाल, झूँगरपुर, बघाट और देवास उपस्थित थे। (अ० प्र०)

### रियासती प्रजामण्डल की मांग

अखिल भारतवर्षीय रियासती प्रजामण्डल की स्थायी समिति ने, शिष्टमण्डल की सक्नारिशों के विषय में एक प्रस्ताव-द्वारा यद मांग पेश का है कि बातचीत करनेवाली समिति तथा सज्जाहकार समिति में, जो अंतरिम सरकार, नरेशों और रियासतों की प्रजा के प्रतिनिधियों से बनाई जा रही है, प्रजा के प्रतिनिधि अवश्य लिये जायें।

उक्त प्रस्ताव में कहा गया है, कि जब तक नया विधान चालू नहीं हो लेता, यह आवश्यक होगा कि अंतरिम सरकार, प्रांतों और रियासतों के लिए एक-जैसी नीति पर अमल करे। प्रस्तावित सज्जाहकार समिति को सभी आम मामलों को सम्हालना चाहिये और एकरूपता की खातिर सारी रियासतों को एक ही नीति पर चालाने की चेष्टा करनी चाहिये।

विधान-परिषद् के बारे में प्रस्ताव में कहा गया है, कि जहाँ-जहाँ, सुव्यवस्थित धारा-सभाएं काम कर रही हैं, उनके निर्वाचित सदस्यों में से ही प्रजा के प्रतिनिधियों का चुनाव कर दिया जाय। अन्य स्थानों से, रियासती प्रजामण्डल की प्रादेशिक समितियां विधान-परिषद् के लिए प्रतिनिधि चुनेंगी।

स्थायी समिति ने तीन प्रस्ताव और भी पात किये। पहले में राजनीतिक कैंडियों की रिहाई तथा नागरिक आजादी की मांग, दूसरे में बलोचिस्तान स्थित क़लात स्टेट को शेष हिन्दुस्तान से पृथक् करने की मांग का विरोध और तीसरे में दैदराबाद रियासती कांग्रेस पर

निरन्तर प्रतिबंध की निंदा की गई ।

हैदराबाद रियासत के विषय में प्रस्ताव हस प्रकार है—“कोई रियासत, जिसमें कि प्रारम्भिक नागरिक आज़ादी तक मौजूद नहीं, भविष्य के लिए किये जानेवाले विचारों में शरीक नहीं हो सकती । हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में निश्चय करनेवाली सभाओं में हिस्सा ले सकने के पहले, हैदराबाद को अपनी नीति बदलनी होगी । यदि रियासती कांग्रेस पर प्रतिबंध जारी रहा और नागरिक आज़ादी न दी गई तो कांग्रेस को अधिकार होगा कि वह प्रतिबंध के बावजूद अपना काम करती रहे ।”

रियासती प्रजामण्डल की स्थाई समिति ने सोमवार की बैठक में निम्न प्रस्ताव पास किया—“अखिल भारतीय रियासती प्रजामण्डल की जनरल कौसिल ने, हिन्दुस्तान के लिए नये विधान-सम्बंधी, वाइसराय तथा शिष्टमण्डल के वक्तव्यों पर विचार किया है । कौसिल को आश्चर्य और खेद है कि मंडल ने विचार-विनियम के लिए, प्रजा के प्रतिनिधियों को पूछा तक नहीं ।

कोई ऐसा विधान ह करोड़ रियासती जनता पर प्रामाणिक रूप से जागू नहीं हो सकेगा जिसके निर्माण में प्रजा के सच्चे प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया । अतः जनरल कौसिल हिन्दुस्तान के इतिहास के ऐसे नाजुक मरहले पर शिष्टमण्डल की ओर से रियासतों के प्रतिनिधियों की अवहेलना के लिए नाराजगी प्रकट करती है ।

इतने पर भी एक आज़ाद, संगठित हिन्दुस्तान बनाये जाने की खातिर, जिसमें कि रियासतों के समर्पण स्वतंत्र हिस्से शामिल होंगे, कौसिल अपना सहयोग पेश करने को तैयार है । प्रजामण्डल की नीति, विगत उदयपुर-कान्फरंस में नियत की गई थी और कौसिल उसी पर आरूढ़ है । और उस नीति का आधार है—रियासतों को प्रजा-द्वारा स्वतंत्र राज बनाना और आज़ाद हिन्दुस्तान-संघ में शामिल होना; और यह भी कि हर विधान बनानेवाली सभा को, रियासती प्रजाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिये । भावी भारतीय संघ में छोटी-छोटी रियासतों की स्थिति पर भी उनक कफरेंस में रोशनी ढाकी गई है ।

कौसिल, नरेशों-द्वारा की गई उन घोषणाओं का स्वागत करती है, जो उन्होंने एक संगठित स्वतंत्र हिन्दुस्तान के पच में की है । स्वतंत्र हिन्दुस्तान में निश्चय ही लोकतंत्रीय राज्य होना चाहिये और यह उसका कुदरती उप-सिद्धांत होगा, कि रियासतों में भी ज़िम्मेदार सरकारे कायम की जाएं ।

हिन्दुस्तान के लिए जो भी विधान बने वह सोकर्तंत्र तानाशाही और जागीरदारी की खिचड़ी नहीं हो सकता । कौसिल को दुःख है कि नरेशों ने हस और पूरा ध्यान नहीं दिया ।

कैबिनेट-शिष्टमण्डल तथा वाइसराय-द्वारा जारी किये गये १६ मई के वक्तव्यों में रियासतों सम्बंधी ज़िक्र अरुप और अस्पष्ट है, तथा यह ठीक पता नहीं चलता कि विधान-निर्माण की विधियों में वे किस प्रकार अमल करेंगी । रियासतों के भीतरी प्रबन्ध का तो सर्वथा ज़िक्र ही नहीं । यह समझ में नहीं आ सकता कि रियासतों के मौजूदा शासन-प्रबन्ध को, जो हस समय जागीरदारी और तानाशाही है, एक लोकतंत्रीय विधान-परिषद् या संघ में क्योंकर मिलाया जा सकेगा ।

बहर-हाल, कौसिल हस बयान का स्वागत करती है कि नवीन अखिल भारतीय विधान जागू हो जाने पर सर्वोपरिसंक्ता का अन्त हो जायगा । सर्वोपरिसंक्ता के अंत का मतलब है उन

संधियों का अंत, जो कि नरेशों तथा विटिश सर्वोपरे-सत्ता में मौजूद है। अन्तरिम काल में भी सर्वोपरि-सत्ता का संचालन इस ढंग से होना चाहिये कि जिससे अन्त में इसकी इतिहासी हो जाय।

शिष्टमंडल तथा वाइसराय द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार विधान-परिषद् में प्रान्तों तथा रियासतों दोनों के प्रतिनिधि लिये जायेंगे। किन्तु रियासतों के प्रतिनिधियों का प्रवेश केवल सम्पूर्ण परिषद् की अन्तिम बैठकों में हो सकेगा, जब कि संघ केन्द्र के विधान पर विचार हो रहा होगा। जब कि प्रान्तों तथा समूहों के प्रतिनिधियों के जिम्मे, समूहों का विधान बनाना ज्ञाया गया है, तो रियासतों के विधान के विषय में ऐसा ही कोई प्रबन्ध नहीं किया गया।

कौसिल की राय में, इस खाली स्थान की पूर्ति अवश्य होनी चाहिये। यह बांछनीय है, कि शुरू से ही विधान-परिषद् में, प्रान्तीय तथा रियासती प्रतिनिधि सम्मिलित हों, ताकि बाद में, वे भी प्रान्तीय प्रतिनिधियों की तरह अलग बैठकर अपनी-अपनी रियासत के लिए उनियाई बातें पेश कर सकें।

इस मतभव के लिये, कौसिल का यह भत है, कि जहाँ-जहाँ सुध्यवस्थित धारा-सम्भार चल रही हों, वहाँ-वहाँ के निर्वाचित सदस्यों में से विधान-परिषद् के लिए रियासती प्रतिनिधियों का चुनाव कर दिया जाय। ऐसी रियासतों से भी तभी प्रतिनिधि लिये जायें, जब वहाँ नये चुनाव हो लें।

शेष अन्य अवस्थाओं में, विधान-परिषद् के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव अखिल भारतीय रियासती प्रजामंडल की प्रादेशिक समितियाँ करें। इस विधि से छोटी-छोटी रियासतों की ओर से भी प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि जायेंगे।

जो भी अस्थायी प्रबन्ध किया जाय, उससे यह आवश्यक है कि, अंतरिम सरकार, प्रान्तों तथा रियासतों के बीच एकरूपी नीति पर अमल करे। इस उद्देश्य के लिए, अंतरिम सरकार, नरेशों तथा रियासती प्रजा के प्रतिनिधियों की एक सदाह देनेवाली कौसिल नियुक्त की जाय।

आम मामलों पर यही कौसिल विचार करे और कोशिश करे कि भिन्न-भिन्न रियासतों की विभिन्न नीतियों को मिलाकर यक्सी रखा जाय। इस परामर्श देनेवाली कौसिल का फँज़ होगा कि रियासतों के भीतर जल्दी-से-जल्दी ऐसी तब्दीलियाँ कराये जिनसे कि ज़िम्मेदार सरकारें क्रायम की जा सकें।

यह परामर्श-दात्री समिति, रियासतों के समूह बनाये और संघ के लिए उपयुक्त इकाइयाँ पैदा करे। रियासतों को प्रान्तों में मिला देने पर भी यही विचार करे। कुणालन तथा उत्तराधिकार-सम्बन्धी मामलों को एक द्वियुक्त के सिपुर्द किया जा सकता है।

अंतरिम काल के अन्त पर, रियासतों को अलग-अलग या समूह-रूप में, हिंद-संघ का समान भागीदार बनाया होगा, ताकि इनको भी प्रान्तों-जैसे अधिकार प्राप्त हों और लगभग प्रान्तों-जैसी झोकतंत्र सरकारें इनमें भी स्थापित हो सकें।

यह जनरल कौसिल, स्थाई समिति को आदेश देती हुई यह अधिकार भी देती है कि इस प्रस्ताव में आये साधारण सिद्धान्तों पर अमल-दरामद के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।”  
(अ० प्र० इ०)

वाइसराय के नाम नरेन्द्र-मण्डल के चान्सलर हिज-हाईनेस नवाब भोपाल का पत्र

१६ जून १९४६

“हाल ही में नरेशों की स्थायी समिति की जो बैठकें बनवाई में हुई थीं उनमें दीवंकाशीन

और अन्तर्कालीन वैधानिक प्रबन्ध के सम्बन्ध में मन्त्रि-प्रतिनिधि मण्डल और आपके प्रस्तावों पर बहुती सावधानी से विचार किया गया है। उसके विचार साथ के वक्तव्य में निहित हैं जो समाचार-पत्रों को दे दिया गया है और जिसकी एक अग्रिम प्रति सर कोनरैड कोरफील्ड को, जो सन्नाट-प्रतिनिधि वाइसराय के राजनीतिक सकाहकार हैं, भेज दी गयी थी। मैं आपका ध्यान देशी राज्यों के आन्तरिक सुधारों के प्रश्न के सम्बन्ध में स्थायी-समिति के रूप की ओर विशेष रूप से आकृष्ट करूँगा, जिसका निर्देश समाचार-पत्रोंवाले वक्तव्य के चौथे अनुच्छेद में किया गया है।

स्पष्ट कठिनाइयों के होते हुए भी भारतीय वैधानिक समस्या का यथासम्भव सर्वसम्मत हृदय निकालने के लिए मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल और आप-महानुभाव ने जो हार्दिक प्रयत्न किये हैं उसके लिये स्थायी समिति ने यह इच्छा प्रकट की है कि मैं उसकी ओर से आपलोगों के प्रति कृतज्ञतापूर्ण समादर-भावना प्रकट करूँ। स्थायी समिति की राय में योजना में ऐसे आवश्यक साधन हैं जिनमें भारत स्वाधीनता प्राप्त कर सकता है और जो अतिरिक्त-वार्ता के लिए उचित आधार बन सकते हैं। सर्वोच्च सत्ता के सम्बन्ध में वह मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल की घोषणा का स्वागत करती है, किन्तु साथ ही यह भी ख्याल करती है कि अन्तर्कालीन अवधि के लिए कुछ हेल्फर आवश्यक हैं जिनका निर्देश वह पहले ही कर चुकी है। देशी राज्यों और स्थायी-समिति का अनितम निर्णय उस पूर्ण स्वरूप पर निर्भर होगा जो प्रस्तावित वार्ता और समझौतों के फलस्वरूप अस्तित्व में आ सकेगा, और इसमें सन्देह नहीं कि इनके इस रवैया का स्वागत किया जायगा।

आप महानुभावों ने देशी राज्यों के वैध हितों की रक्षा के लिए इन वार्ताओं के अवसर पर जो मूल्यवान परामर्श और सहायता प्रदान की है उसके लिए स्थायी समिति आपके प्रति विशेष रूप से अपना आभार प्रकट करना चाहती है और यह निवेदन करती है कि उसका आभार-पूर्ण धन्यवाद सर कोनरैड कोरफील्ड तक पहुँचा दिया जाय, जिन्होंने, जैसा कि आपको विदित है, विशेष सहायता पहुँचायी है। समिति को विश्वास है कि जिन विविध विषयों की व्याख्या नहीं हुई या जो भावी वार्ता के लिए छोड़ दिये गये हैं, उनका ऐसा उचित निबटारा हो जायगा कि उससे रियासतों को सन्तुष्ट होगा।

आपके निमन्त्रण के अनुसार स्थायी समिति ने एक समझौता-समिति स्थापित करने का निर्णय किया है जिसके सदस्यों की नामावले साथ की ताजिका में दी गयी है (यह ताजिका अभी गोपनीय है इसलिए प्रकाशित नहीं की गयी)। आपकी इच्छानुसार समिति ने सदस्यों की संख्या कम करने का भरसक प्रयत्न किया है; किन्तु उसके विचार से इस संख्या को अब और भी कम करना सम्भव न हो सकेगा। मैं कृतज्ञ हूँगा यदि मुझे यथासम्भव काफी पहले सूचित कर दिया जाय कि इस समिति की बैठक के कब और कहाँ होने की आशा की जाती है और वैसी ही समिति के जो विधान-निर्मात्री परिषद् के सम्बन्ध में विदिश भारत के प्रतिनिधियों-द्वारा स्थापित होगी, सदस्य कौन-कौन होंगे। विचार है कि इन समझौतों के परिणाम पर नरेशों की स्थायी समिति, मन्त्रियों की समिति, और विधान-परामर्श-समिति-द्वारा, जिसकी सिफारिशें देशी राज्यों के शासकों और प्रतिनिधियों के साधारण सम्मेलन के सम्मुख उपस्थित की जायेंगी, सोच-विचार किया जाय। इस प्रश्न का निर्णय कि रियासतें विधान-निर्मात्री-परिषद् में अपने प्रतिनिधि में या न में, इसी सम्मेलन-द्वारा किया जायगा और यह आगे की समझौता-वार्ता पर निर्भर होगा।

विटिश भारत और रियासतों के सामान्य हितों के सम्बन्ध में स्थापित होनेवाली प्रस्तावित समिति में रखे जानेवाले प्रतिनिधियों की नामांकली साथ में लगी हुई है। इसमें रियासतों के विविध महत्वपूर्ण हितों और लोगों के प्रतिनिधियों को स्थान देका, और उन विषयों के सम्बन्ध में, जो इस समिति के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित होंगे, विशेष जानकारी रखनेवाले व्यक्तियों को समिक्षित करना आवश्यक था। ख्याल किया जाता है कि इस समिति के सदस्यों के लिए प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना आवश्यक न होगा और साधारणतः आनंदखान-द्वारा कार्यक्रम के विषयों के स्वरूप के अनुसार विचार-विनियम में भाग लेने के लिए पांच या छः से अधिक को, विटिश भारत की मंडल्या चाहे जो हो, न बुझाया जायगा। उस रियासत या रियासती गुट के सदस्यों को समिक्षित करने की भी व्यवस्था की जायगी जिसे इस समिति में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त न होगा। ऐसा उस समय किया जायगा जब उनमें सम्बन्ध रखनेवाले विशिष्ट प्रश्नों पर विचार हो रहा होगा। कार्य-सम्पादन करने के नियमों के सम्बन्ध और इस समिति से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य बातों के सम्बन्ध में सर कोनरैड के साथ विचार-विनियम किया जायगा और विश्वास किया जाता है कि सम्भवतः आपको भी इन विषयों के सम्बन्ध में अन्तर्कालीन सरकार से परामर्श करना पड़े।

इसी बाध आपकी इच्छानुसार अन्तर्कालीन अवधि में सर्वोच्च-सत्ता के उपर्योग से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों पर सर कोनरैड के साथ विचार किया जायगा और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किये जायेंगे उनपर शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुँचने के लिये स्थायी समिति ने अतिरिक्त-बातचीत करने का अधिकार सुझे सौंप दिया है।”

**श्रीमान् वाइसराय का नरेन्द्र-मण्डल के चांसलर नवाब भोपाल को**

लिखा गया पत्र—ता० २६ जून, १९४६

“मैं श्रीमान् के जनवाले पत्र के लिए बड़ा अनुग्रहीत हूँ, जिसमें श्रीमान् ने मुझे उन परिणामों के सम्बन्ध में सूचित किया है, जिन पर नरेशों की स्थायी समिति अपनी बम्बई की जून के दूसरे सप्ताह में हुई बैठक में पहुँची थी।

भारत की वैधानिक समस्या के निकटारे के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में नरेशों ने जो दृष्टिकोण प्रहण किया है उसका हम—मन्त्रिमण्डल और मैं स्वागत करते हैं। भारत के नवीन वैधानिक ढांचे में योग प्रदान करने के लिए रियासतें किस प्रकार सर्वोत्तम तरीके से अपना उचित स्थान प्रहण कर सकती हैं, इस सम्बन्ध में हमारे सुझावों को स्वीकार करने की स्थायी समिति की कार्रवाई की हम और भी विशेष रूप से कद्र करते हैं। हमें विश्वास है कि रियासतों-द्वारा अन्तिम निर्णय करने का जब समय आवेगा तो उस निर्णय को करते समय भी रियासतें यथार्थता तथा समझदारी की इसी भावना का परिचय देंगी।

स्थायी समिति ने मेरे तथा मेरे राजनीतिक सलाहकार के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं उनकी भी मैं कद्र करता हूँ। मैं श्रीमान् की स्थायी समितिको विश्वास दिजाना चाहता हूँ कि आगामी बार्ता के मध्य भी रियासतों तथा विटिश भारत के लिए समान रूप से सन्तोषजनक परिणामों पर पहुँचने में हम शक्ति भर सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।

बार्ता-समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए रियासतों ने जिन महानुभावों को तुना है उनकी सूची को मैंने ध्यान से देखा है। श्रीमान् को बार्ता-समिति की बैठक के स्थान और समय की सूचना देने में समर्थ होते ही मैं तुरन्त ऐसा करूँगा। मेरा ख्याल है कि विधान-निर्माणी-

परिषद् का प्रारंभिक अधिवेशन हुए जिनमें भारत की वैसी ही वार्ता-समिति के सदस्यों को सूची के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो सकता।

मुझे सर कोनरैड कोरकील से जात हुआ है कि ब्रिटिश भारत तथा रियासतों से सम्बन्ध रखनेवाले समान विषयों के सम्बन्ध में सजाहकार-समिति नियुक्त करने के नरेशों के प्रस्ताव को कार्यान्वयित करने के लिए वे (सर कोनरैड) पहले ही से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से वातचीत कर रहे हैं। इस वार्ता की प्रगति के सम्बन्ध में सर कोनरैड निःसन्देह ही श्रीमान् को सूचित करते रहेंगे और मेरा हशादा बाद में इस प्रस्ताव को अन्तर्कालीन सरकार के समझ उपस्थित करने का है।

भारत के सम्मुख उपस्थित पेचीदी वैधानिक समस्याओं के सम्बन्ध में ग्रहण किये सहायतापूर्ण दृष्टिकोण की मैंने कद की है। मेरे इस विचार को यदि श्रीमान् नरेशों की स्थायी समिति तक पहुँचा देंगे तो मैं बड़ा अनुग्रहीत हुँगा। मुझे विश्वास है कि श्रीमान् ने जो मार्ग-प्रदर्शन किया है उसका भारत के सभी नरेश अनुसरण करेंगे।”

### मिं जिन्ना का वक्तव्य

मिं जिन्ना का जो वक्तव्य ओरियट प्रेस ने प्रकाशित किया था वह इस प्रकार है:—

“ब्रिटिश शिष्टमण्डल और श्रीमान् वाइसराय का १५ मई १९४६ ई० का दिल्ली से प्रकाशित वक्तव्य मेरे सामने है। मैं इस वक्तव्य पर कुछ भी कहने के पहले उस वातचीत की पृष्ठ-भूमि दे देना चाहता हूँ जो ८ मई से कान्फरेंस की समाप्ति घोषित होने और उसके १२ मई, १९४६ को भंग हो जाने तक शिमले में हुई थी। ८ मई को इस कान्फरेंस में इस कामूला पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए थे जिसको २७ अप्रैल के भारत-मन्त्री के डस पत्र में शामिल किया गया है और जिसके द्वारा लीग के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया गया है। कामूला इस प्रकार था:—

“संघ-सरकार इन विषयों पर अधिकार रखेगी—वैदेशिक मामले, देश-रक्षा और यातायात।

“प्रान्तों के दो समूह होंगे—एक वह जिनमें हिन्दुओं की प्रधानता होगी और दूसरे में सुसलमानों की, जो उन सभी विषयों के अधिकार अपने हाथ में रखेंगे जो अपने-अपने समूह के प्रान्त आम तौर पर रखने चाहेंगे। प्रान्तीय सरकारें अन्य सभी विषयों की अधिकारियाँ होंगी और उन्हें अवशिष्ट शक्तियों का पूरा अधिकार प्राप्त होगा।

“मुस्लिम-लीग की स्थिति यह थी कि पूर्वोत्तर में बंगाल और आसाम का छेत्र और पश्चिमोत्तर में पंजाब, सीमापांत, सिन्ध और बलूचिस्तान का सारा हजारका पाकिस्तान बनेगा और वह पूर्णतः स्वतन्त्र होगा और यह कि ऐसे पाकिस्तान की स्थापना को शीघ्र कार्य रूप में परियोग करने की स्पष्ट ज़िम्मेदारी दी जाय।

“दूसरे, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की जनता को अपना-अपना पृथक् विधान बनाने के लिए अलग-अलग विधान-निर्माणी संस्थाएँ बना दी जायें।

“तीसरे, लालौर-प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किये जायें।

“चौथे, लीग का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसकी मांग का पहले स्वीकार किया जाना अनिवार्य है, और केवल हसी शर्त पर लीग केन्द्र में अंतरिम सरकार के निर्माण में भाग ले सकती है।

“पांचवें, ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दे दी गई थी कि वह अखण्ड भारत के आधार पर संघीय विधान लाने की कोशिश न करे और किसी भी केन्द्र पर कोई भी अंतरिम अवधि स्थान जबर्दस्ती न लाए, क्योंकि यह जीव की मांग के विपरीत होगा और यह कि यदि इसे जबर्दस्ती लाने का प्रयत्न किया गया तो मुस्लिम भारत हसका विरोध करेगा। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की कोशिश-द्वारा सन्नाट-सरकार के अगस्त, १९४० वाले वक्तव्य का प्रबलतम भंजन होगा जो कि ब्रिटिश पार्लीमेंट-द्वारा स्वीकार किया गया था और जिसका समर्थन भारतमन्त्री तथा अन्य ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने समय-समय पर किया था।

“हमने कान्फरेंस में भाग लेने का आमन्त्रण इस रूप में स्वीकार किया था कि हम उसकी किसी बातचीत और कार्रवाई से अपने को बाध्य नहीं समझते थे और न मिशन के इस क्लॉटे-से फार्मूले से अपने को बँधा समझते हैं जिसे भारतमन्त्री ने २६ अप्रैल, १९४६ के पत्र में इस प्रकार लिखा था—“हमारा यह आशय कभी नहीं था कि मुस्लिम जीव या कांग्रेस-द्वारा हमारा आमन्त्रण मंजूर कर देने का अर्थ यह होगा कि मेरे पत्र में लिखी हुई शर्तें पहले मान ली गयीं। यह शर्तें तो समझौते के लिए हमारा प्रस्तावित आधार हैं और हमने मुस्लिम-जीव की कार्यकारिणी-समिति से यही कहा है कि वह अपने प्रतिनिधि हमसे और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिजने के लिए भेजे जिससे इसके बारे में बातचीत हो सके।

“आमन्त्रण के जवाब में २८ अप्रैल, १९४६ को कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा था कि वर्तमान प्रान्तों को संघीय इकाई मानते हुए प्रान्त में संघीय सरकार स्थापित की जाय और उसमें यह भी कहा गया था कि विदेशिक मामले, देशरक्त, मुद्रानीति, यातायात, कर और टेरिफिक तथा अन्य ऐसे विषय जो निकट के अध्ययन से हृन विषयों से सम्बद्ध प्रतीत हों केन्द्र की संघीय सरकार को सौंपे जायें। उन्होंने—कांग्रेसवालों ने प्रान्तों के समूहीकरण के विचार का समर्थन नहीं किया, फिर भी उन्होंने कैबिनेट के शिष्टमण्डल के साथ उसके फार्मूले पर बातचीत करने के लिए कान्फरेंस में भाग लेना स्वीकार कर लिया है।

“कई दिनों की बातचीत के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में मुझे कहा गया कि हमारी कम से कम मांग को मैं पूर्ण रूप में दूँ। फलतः हमने अपनी शर्तों के कुछ त्रुटियां सिद्ध करके कांग्रेस के सामने इस आशा से पेश कर दिया है कि शांतिपूर्ण पारस्परिक समझौते के लिए हमारी हार्दिक इच्छा है और उसके द्वारा हम भारत की स्वतन्त्रता जल्द-से-जल्द हासिल कर लेंगे। यह शर्तें १२ मई को कांग्रेस के पास भेजी गयी थीं और उसी समय उसकी एक-एक प्रतिलिपि मंत्री-मिशन के पास भेज दी गयी थी।

शर्तें इस प्रकार थीं—

(१) छः मुसलमानी प्रान्त ( पंजाब, सीमाप्रान्त, बलूचिस्तान, सिन्ध, बंगाल और आसाम ) का समूह एक अलग रूप में कायम किया जाय जो विदेशी, देश-रक्त और उसके लिए आवश्यक यातायात विभाग को छोड़ अन्य सभी विषयों व मामलों के अधिकार अपने हाथ में रखे, जिनका निर्णय दो विधान निर्मात्री संस्थाएँ—मुस्लिम प्रान्तों ( जो अब पाकिस्तान कहा जायगा ) और हिन्दू-प्रान्तों की एक साथ बैठकर तय कर लेंगी ।

(२) ऊपर कहे छः मुस्लिम प्रान्तों के लिए एक अलग विधान-निर्मात्री होगी जो इस समूह और इसके प्रान्तों के लिए विधान तैयार करेगी और इन विषयों की सूची तैयार करेगी जो (पाकिस्तान के) प्रांतीय और केन्द्रीय होंगे और अवशिष्ट पूर्णाधिकार प्रान्तों को दे दिये जायेंगे ।

(३) विधान-निर्मात्री संस्था के लिए चुनाव का ढंग इस प्रकार का होगा जो पाकिस्तान-समूह के प्रत्येक प्रांत के विभिन्न सम्प्रदायों को उनकी आबादी के अनुपात से समुचित प्रतिनिधि-त्व प्रदान कर सके।

(४) इस तरह विधान-निर्मात्री संस्था-द्वारा पाकिस्तान की संघीय सरकार और उसके प्रांतों का विधान अन्तिम रूप में बन जाने के बाद (पाकिस्तान) समूह के किसी भी प्रांत को यह अधिकार होगा कि वह समूह से निकल जाय, बशर्ते कि उस प्रांत के निवासियों की अलग होने न होने की इच्छा मत संग्रह-द्वारा पहले निश्चित कर ली जाय।

(५) संयुक्त विधान-निर्मात्री संस्था में इस बात की बहस खुले रूप में हो सकेगी कि यूनियन या समूह में व्यवस्थापक सभा होगी या नहीं। समूह की आधिक-व्यवस्था के बारे में भी दोनों विधान-निर्मात्री संस्थाओं की संयुक्त सभा में बहस होगी; पर किसी भी अवस्था में यह अर्थ-व्यवस्था कर लगाकर नहीं की जायगी।

(६) यूनियन की नौकरियों और व्यवस्थापक सभाओं में दोनों समूहों—पाकिस्तान और हिन्दुस्तान—को समान प्रतिनिधित्व मिलाना चाहिए।

(७) समूह या यूनियन के विधान का कोई भी ऐसा सुख्य विषय, जिसका साम्प्रदायिक मामलों से सम्बन्ध होगा, संयुक्त विधान-निर्मात्री हंरथा में नहीं भेजा जायगा जब तक हिन्दू प्रांतों और पाकिस्तान-समूह के बहुसंख्यक उपस्थित और मतदाता सदस्य अलग-अलग उसके पक्ष में न हों।

(८) समूह और प्रांतों के विधानों के बुनियादी अधिकारों में विभिन्न सम्प्रदायों के धर्म, संस्कृति और संरक्षण पर प्रभाव डालनेवाले मामलों की व्यवस्था की जायगी।

(९) यूनियन के विधान में ऐसी व्यवस्था दी जायगी जिसके अनुसार कोई भी प्रांत अपनी व्यवस्थापक-सभा के बोटों के बहुमत द्वारा विधान की शर्तों पर युनिविचार कर सकता है और वह आरम्भिक दस वर्षों के बाद यूनियन से कभी भी अलग हो सकता है।

हमारे प्रस्ताव का निचोड़, जैसा कि इस मसौदे से ज़ाहिर होगा, अन्य बातों-समेत यह था, कि छः सुस्थिरम् प्रांतों के समूह को पाकिस्तान-संघ और शेष प्रांतों को हिन्दुस्तान-संघ द्वारा दिया जाय। और फिर हम शुद्ध विदेशी मामलों, सुरक्षा तथा यातायात् को लेकर एक संयुक्त-राज्य-संघ बनाये जाने तथा इन तीनों विभागों सम्बन्धी अधिकार दोनों संघों की ओर से इसी राज्य-संघ को सौंपे जाने पर विचार करने को तैयार थे। वाकी विभाग तथा बचे-खुचे मामले, दोनों संघों तथा प्रांतों के अधीन रहने चाहिये। यह सब अंतरिम काल के लिए किया गया था, क्योंकि पहले १० साल बीत जाने पर, हमें संघ से बाहर निकल जाने की छूट होगी। किन्तु हुमें यह से हमारी यह वाजिबी और मैत्रीपूर्ण तजबीज़ भी कांग्रेस ने ठुकरा दी, जैसा कि उनके उत्तर से ज़ाहिर है। उठटे, कांग्रेस के अन्तिम सुझाव भी वही थे, जो कि उन्होंने, केन्द्राधीन रखे जानेवाले विभागों के सम्बन्ध में, कान्फ्रेंस में शामिल होने से पहले रखले थे। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारी स्वीकृति के लिए एक और भी प्रखर सुझाव यह रख दिया है, कि “विधान टूटने की सूरत में, या गम्भीर यावं जनिक परिस्थितियाँ उपस्थित होने पर, केन्द्र को, प्रतिकारक कार्रवाई करने का अधिकार अवश्य प्राप्त होगा।” यह उनके १२ मई १९४६ के उत्तर में मौजूद है जो हमें भेजा गया था।

यहाँ पहुँचकर बात-बीत का सिखासिखा टूट गया था और हमें सूचित किया गया था कि

शिष्टमंडल अपना वक्तव्य जारी करेगा, जो अब जनता के सामने है।

पहले तो मैं यही कहूँगा, कि वक्तव्य, अस्पष्ट और अनेक शृण्य स्थानों से भरा है, और यह कि कार्यविभाग को थोड़े-से छोटे पैरों में समाप्त कर डाला है। अस्तु, इसका ज़िक्र मैं बाद में करूँगा।

“मुझे खेद है कि मंडल-द्वारा मुसलमानों की इस माँग को, कि पाकिस्तान का स्वतंत्र राज क्षायम कर दिया जाय, तुकरा दिया गया है। हम फिर यही कहेंगे कि हिन्दिया की वैधानिक समस्या का एकमात्र हज़ार यही है और इसी में, न-केवल हिन्दू और मुसलम, वरन् हिन्दू विश्वास देश की सभी जातियों का कल्याण होगा। और यह और भी खेद का विषय है कि मंडल ने, पाकिस्तान के विश्व, वही हरकी और पिंडी हूँहे युक्तियाँ देना पर्हंद किया है, और ऐसी शोचनीय भाषा में विशेष ढंगीले दी हैं कि जिन से मुसलमानों के दिलों को टेस पहुँची है। मेरी राय में यह केवल कांग्रेस को राजी और खुश करने के लिए किया गया है, कारण कि जब मंडल के सामने असलियतें आईं थीं, तो उसने खुद, अपने बयान के पैरा पाँच में यह समर्पित दी थीं:—

“इस चित्तार ने हमको हिन्दुस्तान को बाँट देने की सम्भावना पर निष्पक्ष और गहरी सोच करने से नहीं रोका, क्योंकि हम पर, मुसलमानों की इस खरी और गहरी चिन्ता का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा है, कि ऐसा-न-हो कि उन्हें सदा के जिए हिन्दू-बहुसंख्यक शासन के अधीन रहना पड़े।

“यह भय मुसलमानों के दिलों में ऐसा धर कर चुका है कि खाली काग़जी संरचणों से हमें दूर नहीं किया जा सकता। यदि हिन्दुस्तान में सज्जी शान्ति स्थापित करना है तो वह ऐसी कार्रवाईयों से हो सकेगी जिनमें कि मुसलमानों को अपने आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयों में निज-अधिकार मिलने की गरंटी हो।”

“पैरा नं० १२ में और भी लिखा है:—

“हमारा यह निश्चय, मुसलमानों की उन वास्तविक शंकाओं के साथ, जो कि उन्हें अपने मामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में, एक ही आज्ञाद हिन्दुस्तान में, हिन्दुओं को अत्यधिक बहुसंख्या से दबाये जाने के भय से पैदा हो रही हैं, इमें किसी प्रकार पावन्द नहीं करता।”

“और अब, अपने साफ़ साफ़ और पुर-ज्ञोर फ़ैसलों की रोशनी में, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या-क्या सिफारिशें की हैं, वे इस वक्तव्य के पैरा १२ में हैं।

“अब मैं, वक्तव्य के सक्रिय भाग के कुछ आवश्यक नुक्तों पर रोशनी डालूँगा:—

(१) “उन्होंने पाकिस्तान को दो भाग में, ‘बी’ उत्तर-पश्चिम की पेटी और ‘सी’ उत्तर-पूर्व की पेटी में विभक्त कर दिया है।

(२) “दो विधान-परिषदों के बजाय, वर्ग ए, बी और सी के साथ, एक विधान-सभा की रचना कर डाली है।

(३) “उन्होंने तथ किया है कि ‘बिटिश हिन्दुस्तान तथा देशी रियासतों का एक ही संघ बनाया जाय, जिसको विदेश, सुरक्षा और यातायात के विभागों पर अधिकार होगा, तथा वह उक्त विभागों के लिए, आवश्यक अर्थ-उपार्जन भी कर सकेगा।

“यह कहीं भी ज़ाहिर नहीं होता, कि यातायात पर उतना ही नियंत्रण रखा जायगा, जितना कि सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त तीनों

विभागों में आवश्यक धन एकत्रित करने के लिए, संघ को किस प्रकार के अधिकार दिये जायेंगे। हमारी यह यह थी, कि अर्थ-उपार्जन, कर लगाकर नहीं, वरन् केवल चंदे द्वारा प्राप्त किया जाय।

(४) “यह तय पाया है कि ‘संघ में, अंग्रेजी हिन्दुस्तान तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा, एक धारासभा और एक प्रबन्धकारिणी कायम की जाय। किसी भी गम्भीर सांप्रदायिक समस्या का निर्णय, धारासभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा दोनों मुख्य संप्रदायों के प्रतिनिधियों के बहुमत और सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही किया जा सकेगा।’ उधर हमारा मत यह था कि—(क) संघ के लिए कोई धारासभा न हो, किंतु इस समस्या का हज विधान-परिषद् पर छोड़ दिया जाय। (ख) संघ में, पाकिस्तान समूह और हिन्दुस्तान समूह के प्रतिनिधि, संघ, प्रबन्धकारिणी और धारासभा में बराबर-बराबर हों। और (ग) कि, धारासभा, प्रबन्धकारिणी अथवा राज-प्रबन्ध का कोई फ़ैसला, जिसमें कि मतभेद हो, तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा सेकिया जाय। वक्तुव्य से हमारी यह दोनों तज़वीज़े निकाल दी गई हैं।

‘निश्चय, संघ की धारासभा की कार्यविधि में, एक यह संरक्षण ज़रूर है, कि ‘किसी भी गम्भीर सांप्रदायिक समस्या का फ़ैसला, दोनों सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के बहुमत तथा सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही हो सकेगा।

“लेकिन यह भी अस्पष्ट और कार्यरूप दिये जाने-ज्ञायक नहीं। जीजिये, भजा यह कौन फ़ैसला करेगा कि कौनसी समस्या गम्भीर सांप्रदायिक है और कौन-सी सामान्य और कौन-सी खालिस क़ौमी ?

(५) “हमारा यह प्रस्ताव, कि पाकिस्तान-समूह को पहले १० साल बीत जाने पर संघ से बाहर जा सकने का अधिकार होना चाहिए, गो कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई विशेष आपत्ति नहीं थी, बोइ ही दिया गया। अब हमें, संघ विधान पर, केवल पहले १० साल बाद ही पुनः विधान का अधिकार रह गया।

(६) “अब विधान-निर्माण के काम को लीजिये। समूह ‘बी’ में, ब्रिटिश बलोचिस्तान का एक प्रतिनिधि ले लिया गया है। लेकिन उसका खुनाव क्योंकर होगा यह नहीं कहा गया।

(७) ‘विधान-निर्माण के विषय में, संघ का विधान बनानेवालों में हिन्दुओं का अस्थायिक बहुमत रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी हिन्दुस्तान के २६२ सदस्यों के सामने कुल ७६ मुसलमान होंगे। और यदि देशी रियासतों के १३ सदस्य भी शामिल हो जायें, तो मुस्लिम अनुपात और भी गिर जायगा। ऐसी धारासभा, प्रधान, अन्य अफसरों और प्रतीत होता है कि सज्जाहकारि समिति का खुनाव भी, अपने बहुमत से करेगी। हाँ, मुझे केवल बचाव-बाली धारा ज़रूर आई है :—

“संघ की धारासभा में, पैरा १५ में वर्णित अवस्थाओं में परिवर्तन करनेवाले प्रस्ताव तथा गम्भीर सांप्रदायिक मामलों के प्रस्तावों के लिए, उपस्थित सदस्यों के बहुमत तथा दोनों सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के मत का होना आवश्यक होगा।

“धारासभा का प्रधान यह निश्चय करेगा कि प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में से, कौनसा गम्भीर सांप्रदायिक है और यदि किसी एक सम्प्रदाय के बहुमत ने मांग पेश की हो, तो प्रधान को अपना फ़ैसला देने से पहले फेडरल कोटि की सज्जाह लेनी होगी।

“तो इसका यह मतलब निकला कि प्रधान ही इसका फैसला करेगा। फेडरल कोटि की सज्जाह उस पर बाध्य नहीं होगी और न ही कोई जान सकेगा कि क्या सज्जाह मिली, क्योंकि

प्रधान को तो केवल सलाह करना ही होगा ।

(८) “जैसा कि हमने जनमत लेकर तय करने का प्रस्ताव किया था, उसे न मानकर, प्रांतों का अपने-अपने समूहों से निकल सकना, उस प्रांत की धारासभा के हाथों में छोड़ा गया है ।

“पैरा २० में लिखा है :—

“नागरिक अधिकारों, अल्पसंख्याओं, कायावली तथा अतिरिक्त इलाकों के अधिकारों पर सलाहकार समिति में उक्त सभी लोगों के प्रतिनिधि रहने चाहियें । इनका कर्ज़ होगा कि वे संघ विधान-परिषद् को रिपोर्ट करें कि यह अधिकार प्रांतीय, समूह या संघ के विधान में सरिम-वित किये जायें या न किये जायें ।

“इससे सचमुच एक और भी गहरी समस्या उठ खड़ी हुई । वह यह कि, यदि विधान सभा इन मामलों को बहुमत से संघ-विधान में लेना या न लेना तय करेगी तो कल को संघ में और विषयों पर विचार किने जाने का दरवाज़ा खुल जायगा । इसमें तो वह बुनियादी असूल बरबाद हो जायगा, जिसके अनुसार संघ को अपने अधिकार केवल ३ मामलों तक सीमित रखने होंगे ।

“इस आवश्यक दस्तावेज़ पर विचार करके मैंने यह मोटे-मोटे नुस्खे जनता के सामने रखने की कोशिश की है । मैं मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी और कौंसल के निर्णय को पहले नहीं देख रहा, जिनकी बैठक दिल्ली में जल्द होनेवाली है । इस मामले के गुण-दोषों पर पूरा विचार करके फैसला देने का अधिकार तो उसी को है और ब्रिटिश शिष्टमण्डल तथा वाइसराय के वक़ीफ़ों की पूरी-पूरी छान-बीन भी वही करेगी ।”

#### कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव

२४ मई १९४६ को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने जो प्रस्ताव पास किया वह इस प्रकार है :—

“ब्रिटिश सरकार की ओर से कैबिनेट शिष्टमण्डल और वायसराय ने १६ मई १९४६ को जो वक़ीफ़ प्रकाशित किया है और इस सम्बन्ध में कांग्रेस के सभापति और शिष्टमण्डल के सदस्यों के बीच जो पत्रव्यवहार हुआ है, उस पर इस समिति ने बड़ी सावधानी से विचार किया है । समिति ने आज्ञाद और स्वाधीन भारत की स्थापना के लिए शांति और सहयोगपूर्वक शक्ति हस्तांतरित कराने के लिए इस पर गौर किया है । इस प्रकार के (स्वाधीन) भारत के नियमण के लिए केन्द्र का सुदृढ़ होना आवश्यक है जिससे संसार के लोकमत में वह शक्ति और गौरव का प्रतिनिधित्व कर सके । इस वक़ीफ़ पर विचार करते हुए समिति ने उस रूप में भारत के भविष्य पर भी विचार किया है जिसका चिन्ह शिष्टमण्डल के सदस्यों ने कामचलाऊ सरकार की स्थापना करने के स्पष्टीकरण द्वारा लींचा है । चिन्ह अभी तक अभूरा और अस्पष्ट है । केवल पूर्ण चिन्ह के आधार पर ही समिति इस बात का निर्णय कर सकती है कि यह (वक़ीफ़) उसके उद्देश्यों के अनुरूप कहा तक है । यह उद्देश्य हैं—भारत के लिए स्वाधीनता, केन्द्र में सीमित होने पर भी इस अधिकार-शक्ति, प्रांतों के लिए पूर्ण स्वशासन, केन्द्र में और इकाइयों में प्रजातंत्रीय ढाँचा, प्रयेक व्यक्ति को बुनियादी अधिकार का आश्वासन जिससे वह विकास का पूर्ण और समान सुप्रवसर प्राप्त कर सके और यह कि प्रत्येक सम्बद्ध इस विशाल ढाँचे के अन्दर अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त कर सके ।

समिति को यह देखकर अफसोस हो रहा है कि इन उद्देश्यों और ब्रिटिश सरकार के

विभिन्न प्रस्तावों में विरोधभास पाया जा रहा है, और खास कर उस अन्तरिम काल में, जब कि यह कामचलाऊ सरकार अमल में आयेगी, जोरदार परिवर्तनों की विवेचना नहीं की है, यद्यपि वक्तव्य के रूपों पैराग्राफ में उसके लिए आवासन दिया गया है। अगर भारत श्री आज्ञादी लक्ष्य में है तो कामचलाऊ सरकार का कार्यकलाप वास्तव में उस आज्ञादी के निकटतम पहुँच जाना चाहिए चाहे कानूनी रूप में ऐसा भले ही न हो सके, और ऐसा होने के मार्ग में जितनी भी अवृच्छन और बाधाएँ हैं उन्हें दूर कर दिया जाना चाहिए। विदेशी फौजों का यहाँ लगातार बनी रहना आज्ञादी का प्रतिरोध है।

कैबिनेट शिष्टमंडल और वाहसराय ने जो वक्तव्य प्रकाशित किया है उनमें कुछ ऐसी सिफारिशें समिक्षित हैं और उसके द्वारा ऐसी कार्रवाई की सिफारिश की गयी है जिससे विधान-परिषद् का निर्माण हो सके, जो विधान-निर्माण के कार्य में पूर्ण अधिकारिणी होगी। समिति इन ( वक्तव्य की ) सिफारिशों में से कुछ से सहमत नहीं है। उनकी राय में विधान-परिषद् को ही यह अधिकार होगा कि वह किसी स्थिति पर पहुँचकर इनमें ऐसे परिवर्तन और भिन्नताएँ पैदा न करके ऐसी व्यवस्था कर दे कि कुछ प्रमुख साम्राज्यिक मामलों में दोनों ही सम्प्रदायों के बहुमत का निर्णय लेना आवश्यक हो।

विधान-परिषद् के लिए चुनाव की पद्धति दस लाख पर एक के प्रतिनिधित्व के अनुपात पर आधारभूत है ; पर ऐसेम्बली के यूरोपियन सदस्यों—और खासकर बंगाल के बारे में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए समिति आशा करती है कि इस भूल को सुधार दिया जायगा।

विधान-परिषद् पूर्णतः निर्वाचित संस्था बननेवाली है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय व्यवस्थायक-समारूप करेंगी। बलूचिस्तान में निर्वाचित ऐसेम्बली नहीं है और न अन्य कोई ऐसा चेम्बली है जो विधान-परिषद् के लिए प्रतिनिधि चुन सके। सारे बलूचिस्तान प्रान्त की ओर से किसी भी एक नामज्ञद व्यक्ति के लिए बोलना उचित न होगा, क्योंकि वह वास्तव में उसका प्रतिनिधित्व किसी भी प्रकार नहीं करता।

कुगं में व्यवस्थायिका कौनिसक में कुछ तो नामज्ञद सदस्य हैं और कुछ हैं युरोपियन जो सौ से भी कम सदस्यों के खास चुनाव-चेत्र से चुने गये हैं। केवल आम चुनाव-चेत्रों से निर्वाचित सदस्य ही इस ( विधान-परिषद् के ) निर्वाचन में भाग ले सकते हैं।

कैबिनेट-शिष्टमंडल के वक्तव्य-द्वारा प्रान्तों को स्वायत्त सत्ता और अवशिष्ट शक्तियों के अधिकार देने के बुनियादी सिद्धान्त का समर्थन किया गया है। यह भी कहा गया है कि प्रान्तों का समूह बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। फलतः यह सिफारिश भी की गयी है कि प्रान्तीय प्रतिनिधि ऐसे दलों में विभाजित हो जायेंगे जो प्रत्येक दल में प्रान्तीय विधानों का निर्णय करेंगे और इस बात का फैसला भी करेंगे कि प्रान्त के लिए कोई समूह-विधान भी बनाया जाना चाहिए। इन पृथक् व्यवस्थाओं में स्पष्ट श्रुटि दिखायी देती है और यह मालूम हो जायगा कि इसमें बाध्यतामूलक विधान रख दिया गया है जो प्रान्तीय स्वायत्त अधिकारों के बुनियादी सिद्धान्त पर कुठाराघात करता है। वक्तव्य का सिफारिशी रूप कायम रखने के लिए और इस दृष्टि से कि ये धाराएँ एक दूसरी के साथ प्रासांगिक बनी रहें ( प्रकरण-विस्तर न हो जायें ) समिति ने १५ वें पैराग्राफ का पाठ किया है जिससे सम्बद्ध प्रान्त सर्व प्रथम इस बात का निर्णय करेंगे कि वे उस दल में रहें या नहीं जिन्हें उनमें रखा गया है। इस प्रकार विधान-परिषद् को एक स्वतंत्र

संस्था समका जाना चाहिए और विधान बनाने और उसे अमल में लाने के बारे में अन्तिम अधिकारिणी संस्था भी।

वक्तुव्य का जो अंश देशी राज्यों के सम्बन्ध में है उसका बहुत-सा अंश भविष्य के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। फिर भी यह समिति इस बात को स्पष्ट कर देगा आद्यती है कि बिल्कुल विसदार तत्वों से नहीं बन सकती, और विधान-परिषद् के लिए देशी राज्यों से जो प्रतिनिधि नियुक्त करने का ढंग हो वह जहाँ तक हो सके प्रान्तों-द्वारा स्वीकृत ढंग का होना चाहिए। समिति को इस बात का गम्भीर दुख है कि इस वर्तमान युग में भा कूछ रियासतें इस बात की कोशिश कर रही है कि वे अपनी प्रजा का मनोबल मशस्त्र सेनाओं-द्वारा कुचल दें। देशी राज्यों में हाल की यही घटनाएँ भारत के वर्तमान और भविष्य दोनों हो के लिए महापूर्ण हैं, क्योंकि वे इस बात को प्रकट करती हैं कि कुछ देशी राज्यों की सरकारों की नीति में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है और न सर्वोपरिसत्ता का उपयोग करनेवालों की नीति में ही।

कामचलाऊ राष्ट्रीय सरकार को बुनियाद तभा होनी चाहिए और उस पूर्ण स्वतंत्रता की पूर्वसूचक होनो चाहिए जो विधान-परिषद् से पैदा होगी। वह इस तथ्य को समझकर ही अमल में आनी चाहिए यद्यपि वर्तमान अवस्था में कानून में परिवर्तन नहीं भी हो सकते। अन्तर्रिम-कानून में गवर्नर-जनरल शासन के प्रधान बने रह सकते हैं; पर सरकार मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करे और वह केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा के प्रति उत्तरदायी हो। प्रान्तीय सरकार का दर्जा, अधिकार और रचना को परिभाषा पूर्णतः की जानी चाहिए जिससे समिति किसी निर्णय पर पहुँच सके। मुख्य सम्प्रदायिक मामलों का निबटारा ऊपर बताये ढंग पर होना चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों के मन से संदेह दूर हो जाय।

कार्यकारिणी समिति का विचार है कि प्रान्तीय सरकारों और विधान-परिषद् की स्थापना से सम्बद्ध समस्याओं पर साथ ही विचार किया जाना चाहिए जिससे वे एक ही चित्र के दो अंग प्रतीत हों और दोनों में क्रमबद्धता होनी चाहिए और यह भावना भी कि भारत की आजादी अब स्वीकार कर ली गयी है और अब प्राप्त है। इस विश्वास के साथ ही कि ये उस स्वतंत्र, महान् और स्वाधीन भारत के निर्माण में जगी हैं: यह कार्यकारिणी समिति इस कार्य में हाथ बैठा सकती है और सारे भारतवासियों का सहयोग आमंत्रित कर सकती है। ये चित्र की गैरहाजिरी में समिति इस समय कोई भी राय देने में असमर्थ है।'

मास्टर तारासिंह का भारत मंत्री के नाम २५ मई का पत्र

"भारत के भावी विधान के लिए विटिश मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की सिकारिशें प्रकाशित होने के बाद से समस्त सिख-सम्प्रदाय में निराशा, विरोध और रोष की लहर फैल गयी है। इसके कारण स्पष्ट हैं।

सिखों को बिल्कुल मुसलमानों की दया पर छोड़ दिया गया है। पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त, सिंध और विज्ञोचिस्तान का "बी" गुट बनेगा और इस गुट में प्रत्येक सम्प्रदाय को जो प्रतिनिधि दिये गये हैं वे इस प्रकार होंगे—२३ मुसलमान, ६ हिन्दू और चार विस्त। क्या कोई व्यक्ति इस सभा में सिखों के प्रति न्याय की आशा कर सकता है? मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल मुसलमानों की "बहुत ठीक और तीव्र चिन्ता" को स्वीकार करता है क्योंकि इस बात की आशंका है कि उन्हें 'निरन्तर हिन्दू बहुमत शासन के अधीन' रहना पड़ेगा।

किन्तु क्या सिखों को ठीक और तीव्र चिन्ता नहीं है और क्या यह आशंका नहीं है कि

उन्हें निरन्तर मुस्लिम बहुमत-शासन के अधीन रहना पड़ेगा ? यदि विटिश सरकार सिखों की भावनाओं से भिज्ज नहीं है और यदि सिखों को निन्तर मुस्लिम शासन के अधीन रखा गया तो प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को सिखों की चिन्ता का विश्वास दिलाने के लिए उन्हें कुछ उपायों को काम में लाना पड़ेगा । मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल ने मुस्लिम शासन के अधीन केवल पंजाब और बंगाल के ही गैर-मुस्लिम लोगों को नहीं रखा है बल्कि इसमें आसाम के समस्त प्रान्त को भी शामिल कर दिया है जहाँ गैर-मुस्लिम जनता अत्यधिक संख्या में है । स्पष्टतः यह मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए किया गया है । यदि प्रतिनिधि-मंडल की सिफारिशों का सर्वोपरि विचार मुसलमानों को रखा प्रदान करना है तो यही ध्यान सिखों के लिए क्यों नहीं रखा गया, लेकिन मालूम होता है कि सिखों को जानवृक्ष कर किसी प्रान्त, गुट या केन्द्रों या संघ में सार्थक प्रभाव रखने से वंचित किया गया है ।

१५ (२) और १६ (७) धाराओं का मैं उल्लेख करता हूँ जिनमें यह निश्चित रूप से धर्मवस्था की गयी है कि कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ही का बहुमत आवश्यक है । सिखों को विवरक छोड़ दिया गया है, यद्यपि उनका अन्य सम्प्रदायों के समान ही कार्यों से सम्बन्ध है ।

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की सिफारिशों का मैं तो यही तात्पर्य समझता हूँ, किन्तु प्रश्न अत्यन्त गम्भीर और महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार करने के लिए यहाँ एकत्रित सिख प्रतिनिधियों ने मुझे आपसे कुछ बातें स्पष्ट करवाने तथा यह मालूम करने के लिए सलाह दी है कि क्या कोई ऐसा संशोधन करने की आशा है जो सिखों का निरन्तर अधीनता से बचा सके ।

इसलिए मैं तीन प्रश्न करता हूँ : —

(१) सिखों को सम्प्रदायों में एक सम्प्रदाय मानने का क्या तात्पर्य है ?

(२) मान लीजिये कि गुट “बी” का बहुसंख्यक दल १६ (८) धारा के अन्तर्गत एक विधान बनाता है कि किन्तु सिख सदस्य उसमें सहमत नहीं हैं तो क्या इसका अर्थ गति-अवधोध होगा अथवा सिख सदस्यों के विरोध का अर्थ केवल असहयोग होगा ?

(३) १५ (२) और १६ (७) धाराओं के अन्तर्गत मुसलमानों और हिन्दुओं को जो अधिकार दिये गये हैं क्या सिखों को भी ऐसा अधिकार मिलने की कोई आशा है ? ”

मास्टर तारासिंह के नाम भारत मंत्री का पत्र ता० ११ जून १९४६

“२५ मई के आपके पत्र के लिए आपका धन्यवाद ।

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य का मसविदा तैयार करते समय, इसने सिखों की आशंकाओं को प्रमुख रूप से अपने ध्यान में रखा था, और मैं निश्चित रूप से यह दावा कर सकता हूँ कि इसारे सम्मुख उपस्थित विभिन्न विकल्पों में से सिखों के दृष्टिकोण से सौंवत्तम उपाय को ही इसने सुना । मेरा विश्वास है कि आप यह बात स्वीकार करेंगे कि यदि भारत को दो पूर्ण सत्ता-संपन्न राज्यों में विभक्त कर दिया जाता अथवा पंजाब के टुकड़े कर दिये जाते तो इसमें सिखों को कोई भी निर्णय डालना मात्र नहीं हो सकता था, जितना कि वास्तव में किया गया यह निर्णय ।

आपने अपने पत्र के अन्त में जिन विस्तृत बातों को उठाया है मैंने उन पर खूब मनमनपूर्वक

विचार किया है। मुझे लेद है कि मिशन उक्त वक्तव्य का कोई और 'प्रक' अथवा व्याख्य प्रकाशित नहीं कर सकता। किन्तु पंजाब में अथवा उत्तर-पश्चिमी गुट में सिखों की स्थिति व बुरा बनाने का कोई हरादा। नहीं है और न हो मेरे ख्याल से उनकी स्थिति खराब की गयी क्योंकि यह कभी सोचा तो नहीं जा सकता कि विधान-निर्माणी परिषद् अथवा पंजाब की को भावी सरकार पंजाब में सिखों की विशेष स्थिति को अवहेलना करेगी। आपके संप्रदाय के महर का अनुमान विधान-निर्माणी परिषद् में सिखों को दी गयी सीटों की संख्या पर नहीं निभ करेगा। श्रीमान् वाहसराय ने मुझे बताया है कि उन आरांकाओं को ध्यान में रखते हुए, जो आप आपने संप्रदाय की ओर से प्रकट की हैं, उन्हें विधान-निर्माणी परिषद् के बन जाने पर प्रमुख दर के नेताओं से विशेष रूप से सिखों की स्थिति के सम्बन्ध में सोच-विचार करने के लिए वा प्रसन्नता होगी, उन्हें आशा है कि यदि उन्हें (नेताओं को) समझा कर राजी रहने की आवश्यकता हुई तो वे उन्हें यह समझाकर राजी कर सकेंगे कि किसी भी हालत में सिखों के हितों की अवहेलन की जाय।

यदि आप और सरदार बलदेवसिंह जून के प्रथम सप्ताह में मंत्री प्रतिनिधि मंडल अं वाहसराय से भेंट करना चाहें तो हमें आपसे भेंट करने में बड़ी प्रसन्नता होगी।

कांग्रेस की कार्यकारिणी। समिति को बैठक २४ मई को होने के बाद ४ जून के लिए स्थगित। गयी है। २४ मई की बैठक में समिति ने कैबिनेट मिशन के वक्तव्य पर अपनी अंतिम राय जाहि करने में तब तक के लिए असमर्थता प्रकट की है जब तक कि उसके सामने केन्द्र में स्थापित व जानेवालों राष्ट्रीय कामचलाऊ सरकार का पूरा चित्र न हो।

### मिशन की सिफारिशों पर गांधीजी का वक्तव्य (२-६-४६)

अहमदाबाद, २ जू

महारामा गांधी आज के 'हरिजन' में 'महत्वपूर्ण दोष' शीर्षक से लिखते हैं—

'मैं समझता हूँ कि सरकारी घोषणा पत्र, जैसा कि उसका वास्तविक और कानूनी तौ पर विश्लेषण किया गया है, उदार एवं स्पष्ट है। तिस पर भी उसका सार्वजनिक विश्लेषण सरकारी पढ़ की अपेक्षा भिन्न होगा। और यदि यह ऐसा ही हो और इसी भांति यह जागृत हो तो यह बुरा है।'

महात्माजी आगे कहते हैं—“भारत में अंगरेजी राज के दीर्घकालीन शासनकाल इतिहास में, सरकारी विश्लेषण तो अप्रकट रहने पर भी जागृत किया ही गया। इससे पूर्व भी य कहने में मैंने कभी संकोच नहीं किया कि भारत में कानून बनाने वाला, न्यायाधीश और कांस देनेवाला—तीनों एक ही हैं। क्या यह सत्य नहीं कि प्रस्तुत सरकारी घोषणा-पत्र साम्राज्यवाद परिपाठियों से बिदाई लेनेवाला है? मैंने इसका उत्तर दिया है, 'हाँ'। इसे जैसा होना चाहिए वैसा ही हो, किन्तु हमें तो इसमें की त्रुटियों पर दृष्टि ढालनी चाहिए।”

कुछ समय विश्राम करके प्रतिनिधि-मंडल शिमला से १५ जून को दिल्ली लौट आय और उसने १६ जून को एक वक्तव्य दिया; किंतु अभी हम केन्द्र से बहुत दूर हैं। यह अनुमानिया किया जाता था कि प्रतिनिधि-मंडल वक्तव्य जारी करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का निर्माण क जुका होगा। किन्तु प्रतिनिधि मंडल ने वक्तव्य तो पहले जारी कर दिया और तब वह अनतिरिक्त सरकार की घोषना की तराश में निकला। इस प्रकार इस समय को आने में यथेष्ट चिलंब होने थे। यह कि लालों अम और वस्त्र के बिना तब्दी रहे थे। यह है पहला दोष।

सर्वोपरि सत्ता का प्रश्न अभी तक हजार नहीं हुआ और यह कहना पर्याप्त नहीं कि भारत से अंगरेजी शासन की समाप्ति के साथ ही सर्वोपरि सत्ता का अन्त हो जायगा । अंतरिम काल में यदि इस पर बंधन नहीं होगा, तो स्वतंत्र सरकार हो जाने पर उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी । यदि यह अंतरिम सरकार के निर्माण के साथ समाप्त नहीं हो जाती तो उसे अंतरिम सरकार के सहयोग से रियासती प्रजा के हित को मुख्यतः दृष्टि में रखते हुए कार्य करना चाहिए । यह तो जनता ही है जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, न कि राजेमहाराजे । इनका यह कहना है कि सर्वोपरि सत्ता जनता की आजादी को दबाने के लिए नहीं है । यदि नरेश अपनी बात के सच्चे हैं तो उन्हें इस नई स्फीम में बताई सार्वजनिक सर्वोपरि सत्ता का स्वागत करते हुए अपने को तदनुसार बनाना चाहिए । यह है दूसरा दोष ।

यह धोषणा की गई है कि अंतरिम काल में भोटरी शांति एवं व्यवस्था बनाये रहने तथा बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के हेतु फौजें रखो जायगी । यदि फौज को इस काल के लिए रखा द्वीप गया तो यह विवान-परिषद् के लिए बोझा सांवित होगी । एक राष्ट्र, जो, बाहरी अथवा भोटरी रूप में अपनी रक्षा के लिए दूसरे राष्ट्र की फौजें अपने यहाँ रखने का इच्छुक हो, उसे किसी भी रूप में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता ।

इसका तो यही मतलब हुआ कि वह जाति स्वायत्त शासन के अधोग्य है । कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अकेला' अचल और अदिग रहने दिया जाय । यदि हमें स्वतंत्र होकर चलना है तो हमें अंतरिम काल में बिना सहायता के लड़े होना सीखना चाहिए । हमें चम्मच से दूध पीना छोड़ देना होगा । बिटिश सरकार अथवा उसके लोगों को अनुदारता के कारण जैसा कि हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, किन्तु है यह हमारी ही कमज़ोरियाँ । जो कुछ भी हमें मिलना है, वह हमें मिलना ही था । उसे समुद्र पार की भेंट नहीं कहा जा सकता । जो तीन मंत्रा यहाँ आये हैं, उन्होंने जो करना है उसकी धोषणा की है । यदि वे पुरानी बिटिश धोषणा ओं की भाँति ही करेंगे और बिटिश शासन को बनाये रहने के ताने-बाने रचेंगे, तो वह समय उन्हें दोषों ठहराने का होगा । यद्यपि भयभात होने का आधार है तथापि दूर चितिज पर ऐसा कांઈ चिह्न नहीं कि उन्होंने कही एक बात ही और की दूसरी । (८० पी० आई०)

अन्तर्लीन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में कांग्रेस के अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वाइसराय के बीच पत्र-व्यवहार ।

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का २५ मई, १९४६ का पत्र ।

२० अक्टूबर रोड,  
नई दिल्ली,  
२२ मई, १९४६

प्रिय खार्ड वेवल,

आपका स्मरण होगा कि अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में जो बतंमान बात-चीत चल रही है उसके प्रारम्भ से ही कांग्रेस की यह मांग रही है कि उसमें कानूनी तौर पर और वैधानिक रूप से परिवर्तन होना चाहिए ताकि उसे वस्तुतः एक राष्ट्रीय सरकार का रूप दिया जा सके । वर्किंग कमेटी ने अनुभव किया है कि भारतीय समस्या के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए ऐसा करना नितान्त आवश्यक है । इस प्रकार का स्वरूप दिये बिना, अन्तर्कालीन सरकार भारतीय लोगों में स्वतंत्रता का उद्बोधन नहीं कर सकेंगी, जो कि आज अर्थात् आवश्यक है । परन्तु

खार्ड पेपिक-लारेंस और आप दोनों ने ही इस प्रकार के वैधानिक परिवर्तन के मार्ग में आने-वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, यथापि इसके साथ ही आपने इमें यह विश्वास भी दिलाया है कि यदि कानूनी तौर पर नहीं तो कम-से-कम वास्तव में अन्तर्कालीन सरकार का स्वरूप सत्यशः एक राष्ट्रीय सरकार का ही होगा। ब्रिटिश सरकार की इस बोधणा के उपरान्त कि विधान-निर्माण का अन्तिम उत्तरदायित्व विधान-निर्माणी परिषद् पर ही होगा और उसके द्वारा बनाया गया विधान वाध्य होगा, वर्किंग कमेटी यह अनुभव करती है कि भारतीय स्वतंत्रता की स्वीकृति सञ्चिकट है। यह तो स्पष्ट ही है कि विधान-निर्माणी परिषद् की अवधि-पर्यन्त जो अन्तर्कालीन सरकार कार्य करेगी, उसमें इस स्वीकृति का प्रतिबिम्ब अवश्य होगा। आपके साथ मेरी जो अन्तिम बातचीत हुई थी, उसमें आपने कहा था कि आपका यह इरादा है कि आप सरकार के एक वैधानिक अध्यक्ष की हैसियत से काम करेंगे और व्यावहारिक रूप से अन्तर्कालीन सरकार को स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेशों के मन्त्रिमंडलों जैसे ही अधिकार प्राप्त होंगे। परन्तु यह विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसे अनियमित रूप से हुए वारीलाप पर छोड़ देना न तो आपके प्रति न्यायपूर्ण होगा और न ही कांग्रेस की कार्य-कारिणी के प्रति। कानून में कोई परिवर्तन किये विना भी नियमित रूप से कोई ऐसा समझौता हो सकता है कि जिससे कांग्रेस की कार्य-कारिणी को यह विश्वा त हो जाय कि अन्तर्कालीन सरकार न्यायवहारिक रूप में एक स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेश के मन्त्रिमंडल की भाँति ही कार्य करेगी।

केन्द्रीय असेम्बली के प्रति अन्तर्कालीन सरकार के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर भी इसी भाँति सोचविचार किया जा सकता है। वर्तमान कानून के अन्तर्गत ऐसी शासन-परिषद् की स्थवस्था है जो केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद् से सर्वथा स्वतन्त्र हो, लेकिन एक ऐसी परम्परा की ओर डाली जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप शासन-परिषद् तभी तक प्रतिष्ठित रहसकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका-परिषद् का विश्वाश प्राप्त रहे। अन्तर्कालीन सरकार के मन्त्रिमंडल के स्वरूप, आकार-प्रकार और संगठन इत्यादि के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत बातें भा, जिनका उल्लेख आपके साथ हुई मेरी बात-चीत के दौरान में आया था, उपर्युक्त दोनों मूलभूत प्रश्नों के सन्तोषजनक निर्णय पर ही निर्भर करेंगी। यदि अन्तर्कालीन सरकार की स्थिति और उसके उत्तरदायित्व का प्रश्न सन्तोषजनकरूप से हज तो गया तो मुझे आशा है कि हम अन्य प्रश्न भी अविलम्ब सुलझा लेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भा. लिख चुका हूँ कि कांग्रेस-कार्यकारिणी को बैठक स्थगित हो चुकी है और उयोही आवश्यकता पड़ेगी उसे उन: बुला जिया जायगा। मैं आप से अनुरोध करूँगा कि आप मुझे इस संबंध में आपने निर्णय और कार्य-क्रम की सूचना दीजिये जिससे कि तदनुसार वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जा सके। मैं सोमवार को मसूरी के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ और आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे पत्र का उत्तर बहीं दें।

आपका सच्चा,

(हस्ताक्षर) ए० के० आजाद

हिज एकलेंसी मार्शल वाहक डिप्टी वेचर,

वाहसराय भवन,

नयी दिल्ली।

कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लार्ड वेवल का ३० मई, १९४६ का पत्र ।

वाहसराय भवन,  
नई दिल्ली ।

प्रिय मौलाना साहब,

अन्तर्कालीन सरकार के सम्बन्ध में मुझे आपका २५ मई का पत्र मिल गया है ।

२. हम अनेक अवसरों पर हस विषय पर बातचीत कर चुके हैं और आप तथा आपकी पार्टी अन्तर्कालीन सरकार के अधिकारों की सन्तोषजनक परिभाषा को जो महत्व देती है उसे मैं स्वीकार करता हूँ और जिन कारणों से प्रेरित होकर आप हस प्रकार की परिभाषा की मांग करते हैं उनकी भी मैं सराहना करता हूँ । मेरी कठिनाई यह है कि अध्यक्षिक उदारतापूर्ण हच्छाओं को भी यदि नियमित रूप से किसी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाय तो संभवतः उन्हें स्वीकार न किया जा सके ।

३. निसंदेह मैंने आप से यह नहीं कहा कि अन्तर्कालीन सरकार को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों के मन्त्रिमंडलों को हैं । संपूर्ण वैधानिक स्थिति सर्वथा विभिन्न है । मैंने यह कहा था कि मुझे निश्चय है कि सन्नाट की सरकार नयी अन्तर्कालीन सरकार के प्रति वैसाहो विनिष्ठ बताव करेगी जैसा कि किसी स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेश की सरकार के प्रति ।

४. सन्नाट की सरकार यद्य बात पहले ही कह चुकी है कि वह देश के दिन-प्रतिदिन के शासन-प्रबन्ध में भारतीय सरकार को यथासंभव अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करेगी, और शायद मेरे लिए आपको यद्य आश्वासन दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं सन्नाट की सरकार के हस वचन का अन्तरशा पालन करने का हरादा रखता हूँ ।

५. मुझे हसमें<sup>कोई</sup> सन्देह नहीं कि जिस भावना से प्रेरित होकर सरकार काम करेगी वह किसी नियमित दस्तावेज और आश्वासन की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । निसन्देह यदि आप सुझपर विश्वास करने को तैयार हैं तो हमलोग हस तरीके से एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकेंगे कि जिससे भारत को वाहा नियन्त्रण से स्वतन्त्रता का अनुभव हो सकेगा और ज्योही नया विधान बन जायगा हम पूर्ण स्वाधीनता के लिए अपने-आपको तैयार कर लेंगे ।

६. मुझे हार्दिक रूप से यह आशा है कि कांग्रेस हन आश्वासनों को स्वीकार कर लेगी और ननुनच के बिना उन-महान् समस्याओं को सुलझाने में हमारा हाथ बँटायेगी, जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है ।

७. जहां तक कार्य-कम का प्रश्न है, आपको ज्ञात ही होगा कि मुस्लिम लीग कौसिल्ल की बैठक ५ जून को होने जा रही है, जिसमें जैसा कि हमें पता चला है, निश्चित नियंत्रण किया जायगा । हसलिए मेरा यह सुझाव है कि यदि आप शुक्रवार, ७ तारीख को दिल्ली में बैठिंग कर्मसेवी की पुनः बैठक बुला लें तो संभव है कि आगामी सप्ताह के शुरू में ही सभी दल महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई अन्तिम फैसला कर सकें ।

आपका सच्चा,  
(दस्तावर) वेवल ।

मौलाना अबुल कलाम आजाद ।

श्री जिन्ना के नाम वाइसराय का ४ जून, १९४६ का पत्र ।

( यह पत्र श्री जिन्ना की स्वीकृति से प्रकाशित किया जा रहा है । )

“आपने कल मुझे उस कार्यवाही के सम्बन्ध में, जो यदि एक दल-द्वारा प्रतिनिधि-मंडल के १६ मई वाले वक्तव्य की स्वीकृति और दूसरे के द्वारा अस्वीकृति की हालत में की जायगी—एक आश्वासन देने को कहा था ।

“आपको प्रतिनिधि-मण्डल की ओर से निजी रूप से यह आश्वासन दे सकता हूँ कि हम दोनों दलों में से किसी भी एक दल से भेद-भाव-पूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते और यदि कोई दल उसे स्वीकार कर लेता है तो जहाँ तक परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी हम वक्तव्य में उत्तिक्षित योजना के अनुसार कार्य को आगे बढ़ायेंगे ; परन्तु हम आशा करते हैं कि दोनों ही दल उसे स्वीकार कर लेंगे ।

“मैं आपका कृतज्ञ हूँगा यदि आप इस आश्वासन को सार्वजनिक रूप से प्रकट न होने दें । यदि आपके लिए आपनी कार्यकारियों को यह बताना आवश्यक-प्रतीत होता है कि आपको यह आश्वासन दिया गया है तो मैं कृतज्ञ हूँगा, यदि आप कार्यकारियों के सदस्यों के लिए इस शर्त की व्याख्या कर दें ।”

वाइसराय के नाम श्री जिन्ना का १२ जून १९४६ का पत्र ।

“मुझे आपका १२ जून का पत्र मिला ।

“अपने ८ जून के पत्र द्वारा मैं आपको पहले ही सूचित कर चुका हूँ कि इसने मंत्रि-मंडल के वक्तव्य में निर्दिष्ट योजना की स्वीकृति का निर्णय आपके समता के फार्मूले के आधार पर ही किया था, जो कि लोग की वकिल कमेटी और कौसिन्ड-द्वारा अनितम निर्णय पर पहुँचने में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण था ।

“मुझे पता चला है कि कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और मैं यह अनुभव करता हूँ कि जब तक वह कोई फैसला न कर ले तब तक अन्तर्कालीन सरकार के सदस्यों की सूची अथवा विभागों के वितरण के प्रश्न पर सोच-विचार करना उचित नहीं होगा । मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि महत्वपूर्ण विभागों का बैंडवारा दोनों बड़े दलों के मध्य समान रूप से ही होना चाहिये और हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि इन विभागों के लिए इस यथासम्भव योग्य-से-योग्य व्यक्तियों को चुनें । लेकिन मेरी यह राय है कि जब तक मंत्रि-मण्डल के १६ मई वाले वक्तव्य में निर्दिष्ट योजना के बारे में कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर लेती तब तक कोई ज्ञान नहीं होगा ।

“यदि आप किसी और विषय पर विचार-विनिमय करना चाहते हैं तो मैं अकेले ही आपसे मिलना पसन्द करूँगा ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम लार्ड वेवल का १२ जून, १९४६ का पत्र ।

वाइसराय भवन,

नई दिल्ली,  
१२ जून, १९४६

प्रिय पंडित नेहरू,

मैं श्री जिन्ना और आपसे अन्तर्कालीन सरकार के विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ करने के सम्बन्ध में सलाह-मशविरा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ । क्या आज शाम को ५ बजे आप

इस सम्बन्ध में मुझसे मिलने आ सकेंगे ?

‘समता’ अथवा ऐसे ही किसी और सिद्धान्त पर सोच-विचार करने का मेरा ह्यादा नहीं है, बल्कि मैं तो सारा विचार-विनिमय केवल ‘हम सबों के समान उद्देश्य’ पर केन्द्रित करना चाहता हूँ अर्थात् एक ऐसी अन्तरिम सरकार की स्थापना की जाय जिसमें दोनों बड़े दलों और कतिपय अखण्ड-संख्यकों के यथासम्भव योग्य-से-योग्य व्यक्ति शामिल हों और उन्हें कौन-कौन से विभाग सौंपे जायें।

मैं इसी प्रकार का एक पत्र श्री जिल्हा को भी भेज रहा हूँ ।

आपका सचा

( हस्ताक्षर ) वेवल ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू,

लार्ड वेवल के नाम पं० जवाहरलाल नेहरू का १२ जून, १९४६ का पत्र ।

१८, हार्डिंग एवेन्यू,

नई दिल्ली,

१२ जून, १९४६

प्रिय लार्ड वेवल,

मुझे लेद है कि आपके आज की तारीख के पत्र का उत्तर देने में मुझे कुछ विज्ञाप्त हो गया है। अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में आपने श्री जिल्हा और अपने साथ आज सायंकाल २ बजे परामर्श करने का जो निम्नलिखित भेजा है, उससे मैं कुछ कठिनाई में पड़ गया हूँ। मुझे आपसे किसी समय भी मिलने में प्रसन्नता होगी, परन्तु ऐसे मामलों में हमारे अधिकृत प्रवक्ता स्वाभाविक रूप से हमारे अध्यक्ष मौज़ाना आजाद हैं। वे ही अधिकृत रूप से कोई बातचीत कर सकते हैं और कुछ कह सकते हैं, जो कि मैं नहीं कर सकता। हस्ताक्षर, उचित यही है कि किसी भी अधिकृत बातचीत में हमारी ओर से केवल वे ही शामिल हों। लेकिन चूँकि आपने मुझसे आने को कहा है, मैं अवश्य आऊँगा। फिर भी, मुझे आशा है कि आप मेरी स्थिति को अनुभव करेंगे और मैं केवल अनधिकृत रूप से ही कुछ कह सकूँगा, क्योंकि अधिकृत रूप से कुछ कहने का अधिकार तो हमारे प्रधान और वकिल कमेटी को ही है।

आपका सचा

( हस्ताक्षर ) ज० नेहरू

हिन्दू प्रसेलेन्सी

फील्ड मार्शल वाहकाउण्ट वेवल,

वाहसराय भवन, नई दिल्ली ।

वाहसराय भवन,

नई दिल्ली

१३ जून, १९४६

संख्या ५१२/४७

मेरे प्रिय पंडित नेहरू,

हिन्दू प्रसेलेन्सी ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे यह निवेदन करूँ कि वे आपसे आज दोपहर बाद ही ॥ बजे अश्वा हस्त के बाद किसी और समय जैसे भी आपको सुविधाजनक हो, मिलकर प्रसन्न होंगे।

यह मुख्याकात केवल आप में और हिंडा एक्सेलेंसी में ही होगी ।

मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूँगा यदि आप सुझे टेलीफोन-द्वारा यह सूचित कर सकेंगे कि क्या आप आज आ सकेंगे अथवा नहीं । मेरे टेलीफोन का नम्बर २६१६ है ।

आपका सच्चा,

पंडित जवाहर लाल नेहरू ।

( हस्ताक्षर ) सी० छठ्य० वी०  
रैनिकन ।

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १३ जून, १९४६ का पत्र ।

२०, अक्टूबर रोड,  
नई दिल्ली,  
१३ जून, १९४६ ।

प्रिय लार्ड वेवल,

आपके १२ जून के पत्र के लिए, जो कि मुझे अभी-अभी मिला है, और जिसमें आपने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, धन्यवाद । अब मैं बहुत-कुछ स्वस्थ हो गया हूँ ।

आपके और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य जो बातचीत हुई है, उसका सारांश उन्होंने मेरी कमेटी को और मुझे बताया है । मेरी कमेटी को खेद है कि अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए आपने जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार करने में वह असमर्थ है । इन अस्थायी प्रस्तावों में 'समता' के सिद्धान्त पर जोर दिया गया है, जिसका इमने सदैव विरोध किया है और अब तक पूर्णतः विरोध करते हैं । मंत्रिमंडल की संख्या के बारे में आपने जो सुझाव रखा है, उसके अनुसार हिन्दुओं, जिनमें परिगणित जातियां भी शामिल हैं, और मुस्लिम-ज़ीग में 'समता' रखी गई है, जिसका अर्थ यह है कि सर्वर्ण हिन्दुओं की संख्या वास्तव में मुस्लिम लीग के मनोनीत प्रतिनिधियों की अपेक्षा कम रहेगी । इस प्रकार विधिति उस स्थिति की अपेक्षा और भी अधिक खराब हो जायगी जो जून १९४५ में शिमला में थी अर्थात् आपकी तत्कालीन घोषणा के अनुसार सर्वर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों में 'समता' थी और शेष अतिरिक्त सीटें परिगणित जातियों के हिन्दुओं को दी गई थीं । उस समय मुसलमानों की सीटें केवल मुस्लिम लीग के लिए ही सुरक्षित नहीं थीं, बल्कि उनमें गैर-लीगी मुसलमान भी लिए जा सकते थे । इस प्रकार वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार हिन्दुओं के प्रति बड़ा अन्याय होता है और साथ ही गैर-ज़ीगी मुसलमान भी खराब हो जाते हैं । मेरी कमेटी ऐसा कर्दै भी प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं । वास्तव में, जैसा कि इस बारेवार कह चुके हैं, हम किसी भी रूप में 'समता' के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं ।

'समता' के इस सिद्धान्त के अतिरिक्त हमें यह भी कहा गया है कि एक समझौता होगा जिसके अनुसार बड़े-बड़े सांप्रदायिक प्रश्नों का निर्णय पृथक्-पृथक् रूप से गुटों के बोट के आधार पर होगा । यद्यपि यह ठीक है कि हमने यह सिद्धान्त दीर्घकालीन व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है, फिर भी हमने यह बात दूसरे संरक्षणों के बदले में एक प्रभावशाली साधन के रूप में स्वीकार की थी । परन्तु आपके मौजूदा प्रस्ताव के अन्तर्गत 'समता' और इस प्रकार का समझौता दोनों ही चीजें कहीं गई हैं । इसके परिणाम-स्वरूप अस्थायी सरकार का संचालन प्रायः असंभव हो जायगा और निश्चित रूप से प्रतिरोध पैदा हो जायगा ।

जैसा कि मैं आपसे कहूँ बार कह चुका हूँ, हमारी यह जोरदार राय है कि अस्थायी

सरकार में १२ सदस्य रहने चाहिएँ। देश का शासन-प्रबन्ध योग्यता और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए और छोटे-छोटे अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसा करना नितान्त आवश्यक है। हम इस बात के लिए चिन्तित हैं कि इस प्रकार की सरकार में विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए गुंजाइश रहनी चाहिए। अस्थायी सरकार के पास अधेशाकृत अधिक और कठिन काम होने की संभावना है। आपके प्रस्ताव के अनुसार संदेशवहन-विभाग में रेलें, यातायात, डाक, तार और इवाई विभाग समिलित होंगे। हमारे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि इन सभी को एक ही विभाग के अन्तर्गत किस प्रकार समिलित किया जा सकता है। किसी भी समय ऐसा करना अत्यधिक अवांछनीय होगा। औद्योगिक मण्डलों और रेलों की हड्डालों की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह प्रबन्ध सर्वथा गज्जत साकित होगा। हमारी यह भी राय है कि योजना-निर्माण-विभाग केंद्र का एक नितान्त आवश्यक विभाग है। अतः हमारा मत है कि अस्थायी सरकार में १२ सदस्य अवश्यमेव रहने चाहिएँ।

विभागों का प्रस्तावित विभाजन हमें वांछनीय और अन्यथांश्यत नहीं प्रतीत होता।

मेरी कमेटी यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहती है कि संयुक्त सरकार के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कम-से-कम फिल्हाल कोई समान दृष्टिकोण और कार्यक्रम अवश्य रहना चाहिए। इस प्रकार की सरकार की स्थापना के लिए जो तरीका अपनाया गया है, उसे दृष्टि में रखते हुए तो यह सवाल पैदा ही नहीं होता और मेरी समिति का यह विश्वास है कि इस तरह की संयुक्त सरकार कभी सफलतापूर्वक नहीं चल सकती।

कुछ और बातों के बारे में भी हम आपको लिखना चाहते थे, लेकिन जिन कारणों से हमें लिखने में विलम्ब हो गया है, उन्हें आप भलीभांति जानते हैं। इन अन्य बातों के बारे में मैं आपको बाद में लिखूँगा। इस समय यह पत्र लिखने का मेरा प्रधान उद्देश्य आपको अविलम्ब अपनी उस प्रतिक्रिया से अवगत करा देना है, जो आप-द्वारा प्रस्तुत किये गये आज के अस्थायी प्रस्तावों के कारण हमारे ऊपर हुई है।

आपका सच्चा,  
( हस्ताक्षर ) ए० के० आज्ञाद ।

हिज एक्सेलेंसी फील्ड-मार्शल,

वाइकाडेट वेवल,

वाइसराय भवन,

नई दिल्ली ।

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १४ जून, १९४६ का पत्र ।

२०, अकबर रोड,

नई दिल्ली,

१४ जून, १९४६ ।

प्रिय लार्ड वेवल,

आज हमारे मध्य जो बातचीत हुई है, उसके दौरान में आपने जिक्र किया था कि अस्थायी सरकार के लिए मुस्लिम लोग की ओर से जो ड्यूक्स नामजद किये गए हैं, उनमें उत्तर-परिचमी सीमापान्त के एक ऐसे संज्ञन भी शामिल हैं, जो दाख में प्रान्तीय निर्वाचन में हार

गए थे। आपने यह बात गोपनीय रूप से कही थी और हम निःसंदेह उसे गोपनीय ही रखेंगे। परन्तु मैं अनुभव करता हूँ कि मैं आपको यह अवश्य सूचित कर दूँ, जिससे कि किसी गलत-फहमी की गुंजाई न रहे कि हम इस तरह का कोई भी नाम आपत्तिजनक समझेंगे। हमारी आपत्ति वैयक्तिक नहीं है, लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि यह नाम केवल राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया गया है और हम इस तरह की कोई भी चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं।

आपका सच्चा,  
( हस्ताक्षर ) ए० के० आजाद ।

दिन पञ्चसेलेसी फोर्ड मार्शल

वाहकाउण्ट, वेवल,  
वाहसराय भवन,  
नई दिल्ली ।

कांग्रेस के प्रधान के नाम लार्ड वेवल का १४ जून १९४६ का पत्र ।

वाहसराय भवन,  
नई दिल्ली,  
१४ जून, १९४६ ।

संख्या ५१२—६७

गोपनीय

मेरे प्रिय मौलाना साहब,

मेरा यह पत्र आपके १४ जून के उस गोपनीय पत्र के उत्तर में है, जिसमें मुस्लिम लीग-द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से एक का उल्लेख था।

मुझे लेद है कि मैं कांग्रेस-द्वारा मुस्लिम लीग के मनोनीत व्यक्तियों पर आपत्ति करने के अधिकार को उसी प्रकार नहीं मान सकता, जिस प्रकार मैं दूसरे पञ्च-द्वारा उठाई गई हस्ती प्रकार की आपत्ति को नहीं मानता। कसौटी का आधार योग्यता होनी चाहिये।

आपका सच्चा,  
( हस्ताक्षर ) वेवल

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ।

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के प्रधान का पत्र

२० अक्टूबर रोड,  
नई दिल्ली,  
१४ जून, १९६६

प्रिय लार्ड वेवल,

मैंने आपने कल के पत्र में एक और पत्र लिखने का वायदा किया था। वह पत्र मैं अब लिख रहा हूँ।

२४ मई का वर्किङ्ज कमेटी का प्रस्ताव मैं आपको भेज चुका हूँ। उस प्रस्ताव में हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के १६ मई के वक्तव्य में और ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी किये गए आपके वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया का उल्लेख किया था। हमने उसमें बताया था कि हमारी दृष्टि में उस वक्तव्य में व्याक्या त्रुटियां रह गई हैं और कौन-कौन-सी बातें छूट गई हैं। हस्ते की अक्षांश व्याख्या की कुछ धाराओं की अपनी व्याख्या का भी जिक किया था। बाद में

आपने और मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल ने जो वक्तव्य जारी किया था, उसमें हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया।

आज जानते हैं और हमने इस पर बारंबार जोर दिया है कि हमारा तात्कालिक उद्देश्य भारत की स्वाधीनता रहा है और है। हमें इसी मापदंड से हरेक चीज़ को नापना-तौलना है। हमने कहा था कि यद्यपि इस समय कोई कानूनी परिवर्तन करना संभव न हो सकेगा, फिर भी व्यावहारिक रूप में स्वाधीनता स्वीकार की जा सकती है। यह बात स्वीकार नहीं की गई।

मेरे नाम ३० मई, १९४६ के अपने पत्र में आपने बताया था कि आपकी राय में अन्तरिम सरकार की स्थिति और अधिकार क्या होंगे। यह चीज़ भी हमारे अभीष्ट से बहुत कम है। फिर भी, आपके पत्र की मैत्रीपूर्ण ध्वनि और कोई तरोका दूँड़ निकालने की अपनी इच्छा के कारण हमने इन मामलों में आपका आश्वासन मान लिया। हमने यह निर्णय भी किया कि यद्यपि आपके मई १६ के वक्तव्य की कितनी ही धाराएं असन्तोषजनक हैं, फिर भी हम अपनी व्याख्या के अनुसार तथा अपने दूँड़ेश्य की प्राप्ति के लिए उस योजना पर अमल करने की कोशिश करेंगे।

इस वक्तव्य की कुछ धाराओं, विशेषकर गुट बनाने के सम्बन्ध में जनता के एक बड़े भाग में जो बड़ा चेत्र है, उससे निःसन्देह आप भजी मात्रा परिचित है। सीमांत्रित और आसाम ने अनिवार्य गुटबन्दी के बारे में काफी जोरदार शब्दों में अपना विरोध प्रकट किया है। इन प्रस्तावों के कारण सिक्ख लुधि हैं और यह अनुभव करते हैं कि उन्हें बिल्कुल अलग छोड़ दिया गया है और वे काफी जोरदार रूप में विरोध कर रहे हैं। पंजाब में तो वे पहले से ही अल्पसंख्या में हैं। जहां तक संख्या का सम्बन्ध है 'ब' गुट में उनकी स्थिति और भी अधिक शोचनीय हो जाती है। हमने इन सभी अपत्तियों की कद्र की, क्योंकि विशेषरूप से हमें भी इन बातों पर आपत्तियां हैं। फिर भी हमें आशा थी कि 'गुट-निर्माण से सम्बन्ध रखनेवाली धाराओं का हमने जो अर्थ लगाया है—और जिसे हम अब तक ठीक समझते हैं, क्योंकि यदि उनका कोई अर्थ लगाया जाय तो प्रान्तीय स्वायत्त शासन के आधारभूत सिद्धान्त को तुक्सान पहुँचता है—उससे शायद हम कुछ प्रत्यक्ष कठिनाइयों पर कानून पाएं।

परन्तु दो कठिनाइयां फिर भी बनी रहीं, जिनका हल सुरिकल था और हमें आशा थी कि आप उन्हें दूर कर देंगे। इनमें से एक का सम्बन्ध प्रान्तीय-धारासभाओं के यूरोपियन सदस्यों की उस कार्रवाई से था जो शायद वे विधान-परिषद् के द्वानाव के सम्बन्ध में कर सकते थे। इनमें अंग्रेजों अथवा यूरोपियनों के प्रति वैयक्तिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु हमें यह सहत आपत्ति है कि ऐसे व्यक्ति, जो विदेशी हैं और भारत के निवासी नहीं हैं और जो यह दावा करते हैं कि वे शासक-जाति से हैं, विधान-परिषद् के द्वानावों में भाग लें और उन्हें प्रभावित करें। मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि भारत के भावी विधान का निर्णय स्वयं भारतीय ही करेंगे। १६ मई के वक्तव्य का आधारभूत सिद्धान्त यह था कि १० लाख व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि विधान-परिषद् में चुना जायगा। इस सिद्धान्त के आधार पर उड़ीसा के १,४६,००० मुसलमानों और १,८०,००० हिन्दुओं तथा उत्तर-पश्चिमी सीमांत्रित के ५८,००० सिक्खों को विधान-परिषद् में अपना कोई प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं दिया गया है। बंगाल और आसाम में यूरोपियनों की संख्या केवल २१,००० है, जेकिन उनके प्रति-निधियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे विधान-परिषद् के ३४ सदस्यों में ७ वो स्वयं अपने ही बोट से चुन सकते हैं, इस प्रकार उन्हें ५० लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने का

अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रान्तीय धारासभाओं में भी वे अपने पृथक् निर्वाचक-मंडल-द्वारा जुने जायेंगे और उन्हें विवेकहीन आधार पर अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। विधान-परिषद् में यूरोपियनों को यह प्रतिनिधित्व अ-मुस्लिमों के हितों को चति पहुँचाकर दिया गया है, जोकि मुख्यतः हिन्दू हैं और जो बंगाल में पढ़ते ही अल्पसंख्यक हैं। इस प्रकार किसी अल्पसंख्यक को नुकसान पहुँचना सरासर गलती है। एक सैद्धान्तिक प्रश्न के अलावा, व्यावहारिक रूप से भी इसका अत्यधिक महत्व है और उसका प्रभाव बंगाल और आसाम के भविष्य पर पड़ सकता है। कांग्रेस की कार्यसमिति इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण समझती है। हम यह बात भी कह देना चाहते हैं कि यदि यूरोपियन स्वयं नुनाव में खड़े न भी हों और केवल वोट ही ढालें, फिर भी परिणाम उतना ही स्थाव होगा। मंत्रि-मिशन ने इसे सूचित किया है कि वे हमें इससे अधिक और कोई आश्वासन नहीं दे सकते कि वे अपनी ओर से यूरोपियनों को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे यह आश्वासन नहीं दे सकते कि यूरोपियन सदस्य उस अधिकार का प्रयोग ही नहीं करेंगे। जैसा कि हमें परामर्श दिया गया है, जो उन्हें १६ मई के वक्तव्य के अन्तर्गत प्राप्त नहीं है। लेकिन यदि प्रतिनिधि-मंडल का विभिन्न मत है, जैसा कि स्पष्ट है, तो हम विधान-परिषद् में यह कानूनी लक्ष्य नहीं लड़ सकते कि उन्हें परिषद् में शामिल न होने दिया जाय। इसलिए, इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट घोषणा की आवश्यकता है कि वे विधान-परिषद् के निर्वाचन में मतदाताओं अथवा उम्मेदवारों के रूप में कोई भाग नहीं लेंगे। जहां तक अधिकारों का प्रश्न है, हम किसी की कृपादृष्टि अथवा सद्भावना पर निर्भर नहीं हूँ सकते।

हमारी दृष्टि में प्रस्तावित अस्थायी राष्ट्रीय सरकार में 'समता' का प्रश्न भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस विषय में, मैं आपको पहले ही लिख चुका हूँ। हमने इस 'समता' का अथवा इसे चाहे कोई संज्ञा दी जाय, सदैव विरोध किया है। हम इसे बड़ी खतरनाक परिपाली समझते हैं, क्योंकि इससे पुकता के नजाय निरन्तर संघर्ष और कठिनाइयां पैदा होंगी। इसके परिणामस्वरूप हमारा भविष्य विषम बन सकता है। जैसे कि भूतकालीन प्रत्येक पृथक्वादी कार्रवाई के कारण हमारा सार्वजनिक जीवन विपर्यास बना रहा है। हम से कहा गया है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और इसे एक मियाल नहीं समझना चाहिये, लेकिन इस तरह के किसी भी आश्वासन से दुराई को नहीं रोका जा सकता। हमारा यह दृष्टि विश्वास है कि इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था का तात्कालिक परिणाम भी हानिकारक साबित होगा।

यदि यूरोपियनों के वोट और 'समता' के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यही स्थिति ठीक रही तो, मेरी कार्यसमिति को अनिच्छापूर्वक आपको यह सूचित करना होगा कि वह आपको भावी कठिन कार्यों में सहायता देने में असमर्थ होगी।

आपसे आज हमारी जो बातचीत हुई है, उससे आधारभूत स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता। हमने यह बात भी ध्यान में रख ली है कि आपके नये सुकाव के अनुसार प्रस्तावित महिला सदस्य की जगह शायद किसी हिन्दू को ले लिया जाय और इस प्रकार परिणामित जातियों के प्रतिनिधियों समेत हिन्दू सदस्यों की संख्या छः तक पहुँच जायगी। हमें खेद है कि उसमें महिला सदस्य नहीं रहेगी, लेकिन इसके अलावा भी नये प्रस्तावों में शिमला का १६४५ का पुराना कार्मज्ञा कायम रखा गया है, जिसके अनुसार सर्वरा हिन्दूओं और मुसलमानों के मध्य एकता बनी रहेगी। अगर केवल यह होगा कि इस बार मुसलमानों से अभिप्राय मुस्लिम

सौ ]

कांग्रेस का इतिहास : खंड ३

खीग-द्वारा मनोनीति प्रतिनिधियों से है। हम यह प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हैं और हमारा अभी तक यही दृष्टिशास्त्र है कि अस्थायी सरकार में कम-से-कम १५ सदस्य अवश्य होने चाहिए और उनके निर्वाचन से समान प्रतिनिधित्व का कोई स्थाल नहीं रहना चाहिये।

आपका सचा,

(हस्ताक्षर) ए० के० आजाद

हिजएक्सेलेंसी, फोल्ड-मार्शल वाइकाइट,  
वेवल,  
वाइसराय भवन, नई दिल्ली ।

कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लार्ड वेवल का १५ जून, १९४६ का पत्र

वाइसराय भवन,  
नई दिल्ली ।

१५ जून, १९४६ ।

संख्या ५६२—४७

मेरे प्रिय मौलाना साहेब,

आपका १५ जून का पत्र मिला। मैं इसका विस्तृत उत्तर आज किसी समय दूँगा।

इस वीच आपके पत्र के अन्तिम पैरे से मैं यह अनुमान लगाता हूँ कि अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में, मैं दोनों बड़े दलों में समझौता कराने का जो प्रयत्न कर रहा था, वह असफल रहा है। इसलिए मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल और मैंने कल एक वक्तव्य जारी करने का फैसला किया है जिसमें यह बताया जायगा कि हम क्या कार्रवाई करना चाहते हैं और हम प्रकाशन से पूर्व उसकी एक प्रति आपके पास भेज देंगे।

आपका सचा,

(हस्ताक्षर) वेवल ।

मौलाना अबुल कलाम आजाद ।

कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लार्ड वेवल का १५ जून, १९४६ का पत्र।

वाइसराय भवन,

नई दिल्ली,

१५ जून, १९४६ ।

संख्या ५६२—४७

मेरे प्रिय मौलाना साहेब,

आपका १५ जून का पत्र मिला। आपने उसमें ऐसे विषयों का उल्लेख किया है, जिन पर हम पहले ही काफी विचार-विनियन कर चुके हैं।

भारत की स्वाधीनता को अग्रसर करने में हम यथासंभव दूर चेष्टा रहे हैं। परन्तु जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, सबसे पहली बात यह है कि भारत के लोगों-द्वारा एक नया विधान बनाया जाय।

‘गुटबन्दी’ के सिद्धान्त के बारे में आपकी जो आपत्तियाँ हैं, उनसे प्रतिनिधि-मंडल और मैं भलीभांति परिचित हैं। परन्तु, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि १६ मई के वक्तव्य के अनुसार ‘गुटबन्दी’ अनिवार्य नहीं है। इसका निर्णय विभागों (सेक्शनों) में सामूहिक

रूप से शामिल होनेवाले सम्बद्ध प्रान्तों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। केवल एक धारा यह रखी गई है कि कतिंश प्रान्तों के प्रतिनिधि-विमानों में शामिल हों जिससे वे यह फैलाकर सकें कि क्या वे गुट बनाना चाहते हैं अथवा नहीं। जब यह हो जायगा तब भी अलग-अलग प्रान्तों को यह स्वतंत्रता रहेगी कि यदि वे चाहें तो सम्बद्ध गुट में से अलग हो जायें।

यूरोपियनों से सम्बन्ध रखनेवाली कठिनाई को मैं स्वीकार करता हूँ। वे बड़ी कठिन परिस्थिति में हैं, हालांकि उनका कोई दोष नहीं है। मुझे अब भी आशा है कि इस समस्या का कोई सन्तोष-जनक हल निकल आयेगा।

जहाँ तक अन्तर्कालीन सरकार के निर्माण के सम्बन्ध में हमरे विचार-विनिमय का प्रश्न है, उसका आधार जातियां न होकर राजनीतिक दल ही हैं। मुझे पता चला है कि इस बात को अब अपेक्षाकृत पसन्द किया जा रहा है, जैसा कि प्रथम शिमला-सम्मेलन के समय था। प्रस्तावित अन्तर्कालीन सरकार में मेरे अलावा १३ अन्य सदस्य रहेंगे, जिसमें से ६ कांग्रेसजन और ५ मुस्लिम लीगी होंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे आप 'समता' कैसे कहेंगे। न ही उसमें हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या में समता होती, क्योंकि उसमें से ६ हिन्दू और ५ मुसलमान होंगे।

इस अन्तिम समय में भी मैं यही आशा करता हूँ कि अब कांग्रेस उस वक्तव्य को स्वीकार कर लेगी और अन्तर्कालीन सरकार में शामिल होने पर राजी हो जायगी।

आपका सच्चा

( हस्ताक्षर ) वेवल

मौकाना अद्वितीय कलाम श्राजाद,

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का १६ जून, १९४६ का पत्र।

२० अक्टूबर रोड,

नई दिल्ली,

१६ जून, १९४६।

प्रिय लार्ड वेवल,

मुझे आपके १५ जून के दोनों पत्र मिल गये हैं।

गुटबन्दी के बारे में आपने जो कुछ लिखा है, उसे मैंने ध्यान में रख लिया है। इस सम्बन्ध में हमने जो व्याख्या की है, हम डसी पर दढ़ हैं।

जहाँ तक यूरोपियनों का सम्बन्ध है, हमारी स्पष्ट राय है कि अन्य बातों के अलावा १६ मर्ह बाके वक्तव्य की कानूनी व्याख्या के आधार पर भी उन्वें विधान परिषद् के उत्तरार्द्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको आशा है कि यह समस्या सन्तोषजनक रूप से सुलझ जायगी।

हमने अपने पत्र-द्वारा और आपनी बातचीत के दौरान में यह स्पष्ट रूप से बताने का प्रयत्न किया है कि किसी प्रकार के भी समान प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में हमारी क्या स्थिति है। आपको स्मरण होगा कि समान-प्रतिनिधित्व का उद्देश्य और उस पर विचार विनय प्रथम शिमला-सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। वह समान प्रतिनिधित्व थी है वैसा ही था जैसा कि अब आप कह रहे हैं अर्थात् सर्वर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले। उस

समय की परिस्थितियों और लड़ाई के दबाव के कारण हम [इसे स्वीकार करने को तैयार थे; किन्तु केवल उसी अवसर के लिए। इसे हमें कोई मिसाल नहीं बनाना था। इसके अलावा इसमें एक शर्त यह थी कि कम-से-हम एक राष्ट्रीय सुसलमान अवश्य लिया जाय। अब परिस्थिति सर्वथा बदल गई है और हमें हम प्रश्न पर और रूप में सोच-विचार करना है अर्थात् आसन्न स्वाधीन गा और विधान-परिषद् की दृष्टि से। जैसा कि हम आपको लिख चुके हैं, हम वर्तमान परिस्थिति में इस प्रकार के समान प्रतिनिधित्व को न्यायसंगत नहीं समझते और यह ख्याल करते हैं कि इसे कठिनाइयां पैदा हो जाने की सम्भावना है। १६ मई के वक्तव्य में आपके द्वारा प्रस्तावित संघर्ष योजना किसी प्रकार के भी अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व के अभाव पर आधारित है। इन्हें पर भी, प्रस्तावित अस्थायी सरकार में अन्य व्यापक साम्राज्यिक संरक्षणों के अलावा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात विद्यमान है।

हमने किसी सन्तोषजनक समझौते पर पहुँचने की भरसक चेष्टा की है और हमें आगे भी जारी रखेंगे और निराश नहीं होंगे। परन्तु ऐसा समझौता तभी दीर्घकाल तक टिक सकता है, अगर उसका आधार ढूँढ़ हो। जहांतक १६ मई के वक्तव्य का सम्बन्ध है, जैसा कि हमने आपको लिखा था, हमारी मुख्य कठिनाई यूरोपियनों के बोट हैं। अगर यह मामला सुलझ जाय, जैसा कि अब समझ प्रतीत होता है, तो फिर यह कठिनाई भी दूर हो जाती है।

अब रही दूसरी कठिनाई, जिसका सम्बन्ध अस्थायी सरकार से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्तावों से है जिन पर हमें उस वक्तव्य के साथ-साथ सोच-विचार करना है। उन्हें हम एक दूसरे से पृथक् नहीं कर सकते। अब तक हमने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये, लेकिन यदि उनके सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक समझौता हो जाय तो हम यह भार उठाने में समर्थ हो सकेंगे।

आपका सच्चा।

(इस्ताचर) ए० के० आजाद

हिज़ एक्सेलेंसी फील्ड मार्शल वाइकोउरेट वेवेल,  
वाइसराय भवन, नई दिल्ली।

इस पत्र-इवहार से उन प्रस्तावों पर प्रकाश पड़ता है जो वाइसराय ने अन्तर्कालीन राष्ट्रीय सरकार में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से सनय समय पर प्रस्तुत किये थे। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने ये सभी प्रस्ताव नामंत्रूर कर दिये। ये प्रायः रूप से कांग्रेस और छोटे-छोटे अल्पसंख्यकों के लिए अनुचित और अन्यायरूप हैं।

एक अन्तर्कालीन सरकार बनाने के लिए जब कोई स्वीकृत आधार ढूँढ़ने की चेष्टा विफल हो गई तो वाइसराय और मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल ने १६ जून को एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने एक अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत किये।

मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल और हिज एक्सेलेंसी वाइसराय का १६ जून, १९४६ का वक्तव्य

१. इधर कुछ समय से श्रीमान् वाइसराय मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के पारमश्व से एक ऐसी संयुक्त सरकार बनाने की सम्भावना के सम्बन्ध में प्रयत्न करते रहे हैं, जिसकी रचना दोनों प्रमुख दलों तथा कलिपय अल्पसंख्यक समुदायों में से की गयी हो। इस सम्बन्ध में हुई वार्ता से उन कठिनाइयों पर प्रकाश पड़ा, जो दोनों दलों के समन्वय पर्युक्त सरकार की रचना के सम्बन्ध में किसी स्वीकृत आधार पर पहुँचने के सम्बन्ध में वर्तमान हैं।

२. इन कठिनाइयों तथा उन पर विजय पाने के लिए दोनों दलों ने जो प्रयत्न किये हैं

व इसराय तथा प्रतिनिधि-मंडल उनका आदर करते हैं। परन्तु साथ ही वे यह भी अनुभव करते हैं कि इस वाद-विवाद को अधिक समय तक जारी रखने से कोई लाभ नहीं हो सकता। वास्तव में इस समय इस बात की अस्थन्त आवश्यकता है कि हमारे सामने जो भारी तथा महत्वपूर्ण कार्य हैं उसे करने के लिए शीघ्र ही एक मन्त्रवृत्त तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण-अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना की दी जाय।

### सउजनों के नाम

३. इसलिए इस आधार पर कि १६ मई के वक्तव्य के अनुसार विधान-निर्माण-कार्य प्रारम्भ होगा, श्रीमान् वाइसराय अंतर्कालीन सरकार के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए निम्न सउजनों के नाम निमंत्रण भेज रहे हैं:—

सरदार बबूदेवसिंह

सर एन० पी० इंजीनियर

श्री जगजीवनराम

प० जवाहरलाल नेहरू

श्री एम० ए० जिन्ना

नवाब जाजादा लियाकत अली खां

श्री एच० के० मेहताब

डा० जान मथाई

नवाब मोहम्मद इस्माईल खां

ख्वाजा सर नजीमुद्दीन

सरदार अद्विरर्यब निश्तर

श्री सी० राजेन्द्रपालाचारी

डा० राजेन्द्र प्रसाद

सरदार वल्लभभाई पटेल

यदि निमंत्रित व्यक्तियों में से कोई निजी कारणों से निमंत्रण स्वीकार करने में असमर्थ हो तो श्रीमान् वाइसराय परामर्श के उपरान्त उसके स्थान पर किसी दूसरे वक्ति को निमंत्रित करेगे।

४. वाइसराय विभिन्न विभागों के वितरण की व्यवस्था दोनों प्रमुख दलों के देशाओं के परामर्श से करेंगे।

५. अंतर्कालीन सरकार की उपर्युक्त रचना अथवा अनुपात छिसी अन्य साम्राज्यिक समस्या के हज़ार के लिए परामर्श के रूप में नहीं माना जायगा। यह तो केवल वर्तमान कठिनाई को हल करने तथा यथासम्भव सर्वोत्तम संयुक्त दलीय सरकार की स्थापना कर सकते के लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया गया है।

६. वाइसराय तथा मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल का विश्वास है कि सभी सम्प्रदायों के भारतीय इस मामले का शीघ्रता से निवारा हो जाने के हच्छुक हैं, जिससे कि विधान-निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो सके और मध्यवर्ती काल में भारत का शासन अधिक उत्तमता से किया जा सके।

७. इसलिए उन्हें आशा है कि सभी दल, विशेषतः दोनों प्रमुख दल, वर्तमान कठिनाईों को हल करने के लिए इस सुझाव को स्वीकार करेंगे और अन्तर्कालीन सरकार को सफलता पूर्वक चलाने

के हेतु अपना सद्योग देंगे। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो वाहसराय महोदय का वक्तव्य प्रायः २६ जून को नई सरकार की स्थापना करने का होगा।

६. दोनों प्रमुख दलों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा अन्तर्कालीन सरकार में निर्दिष्ट आधार पर समिलित होने की अनिच्छा प्रकट करने पर वाहसराय का हरादा है कि वे अन्तर्कालीन संयुक्त दब्लिय सरकार-निर्माण के कार्य में अप्रसर रहे। जो लोग १६ मई, १९४६ के वक्तव्य को स्वीकार करते हैं यह सरकार उनका यथासम्भव अधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व करेगी।

६. वाहसराय प्रान्तीय गवर्नरों को भी आदेश दे रहे हैं कि वे तुरन्त ही प्रान्तीय असेंबलियों के अधिवेशन बुझायें और १६ मई, १९४६ के वक्तव्य के अनुसार विधान-निर्माणी परिषद् स्थापित करने के लिए आवश्यक तुनाव आरम्भ करें।

वाहसराय ने निम्नलिखित पत्र के साथ इस वक्तव्य की एक अग्रिम प्रति कांग्रेस के अध्यक्ष के पास भेज दी।

संख्या ५६२/४७.

वाहसराय भवन,  
नवी दिल्ली,  
१६ जून, १९४६ है०

प्रिय मौजूदाना साहब,

इसके साथ मैं उस वक्तव्य की प्रति भेज रहा हूँ, जो, जैसा कि मेरे कल के पत्र में निर्देश किया गया था, आज शाम की ४ बजे प्रकाशित कर दिया जायगा।

जैसा कि वक्तव्य से प्रकट है, मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल तथा मैं उन कठिनाइयों से पूर्णतः परिचित हैं जिनके कारण अन्तर्कालीन सरकार की रचना के सम्बन्ध में समझौता नहीं हो सका है। दो प्रमुख दलों तथा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के बीच व्यावहारिक साझेदारी की आशा को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए विभिन्न विरोधी दावों तथा योग्य और प्रतिनिधि-पूर्ण शासकों की सरकार स्थापित करने की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए, हमने एक व्यावहारिक व्यवस्था पर पहुँचने का भरसा प्रयत्न किया है। हमें आशा है कि देश के राजनीतिक दब्ल उस आधार पर, जो हमारे नये वक्तव्य में प्रकट किया गया है, देश के शासन में अपना हिस्सा बैठायेंगे। हमें निश्चय है कि हम आप पर तथा आपकी कार्यकारिणी समिति पर यह भरोसा रख सकते हैं कि आप व्यापक प्रश्नों और सामूहिक रूप से देश को ताकालिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देंगे और इन प्रस्तावों पर पारस्परिक आदान-प्रदान की भावना से विचार करेंगे।

आपका सच्चा,  
(हस्ताक्षर) वेवड

कार्यकारिणी ने १६ जून के हस वक्तव्य पर खूब ध्यानपूर्वक सोच-विचार किया। उसने वक्तव्य के स्वेच्छित स्वरूप की सहाना की, लेकिन अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना के बारे में जो ठोस प्रस्ताव पेश किया गया था, उसमें बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण त्रुटियां रह गई थीं। कार्यकारिणी की यह कोशिश थी कि यदि हो सके तो उन्हें दूर कर दिया जाय और कांग्रेस के लिए अन्तर्कालीन सरकार में समिलित होने का द्वार खुल जाय। १६ जून के वक्तव्य के सम्बन्ध में कांग्रेस के अध्यक्ष और वाहसराय में हुआ पत्र-व्यवहार नीचे दिया जाता है।

लार्ड वेवल के नाम कंप्रेस के अध्यक्ष का १८ जून, १६४६ का पत्र ।

२० अक्टूबर रोड,  
नई दिल्ली,  
१८ जून, १६४६ ।

मिय लार्ड वेवल,

मैंने आप से वायदा किया था कि आगर मेरी समिति किसी निर्णय पर पहुँची तो मैं आज साथकाल आपको पत्र लिखूँगा । समिति की बैठक आज दोपहर-बाद कई घण्टे तक होती रही । अपने सहयोगी खान अबदुल्गफ़ार खां की अनुवस्थिति में, जो कि कब सुबह यहां आनेवाले हैं, कार्यसमिति ने अपनी बैठक कल तक स्थगित करने का फैसला किया है । इसलिए मैं आज साथकाल तक आपको किसी भी निर्णय के बारे में सूचित करने में असमर्थ हूँ । उपोष्ठी मेरी समिति किसी निर्णय पर पहुँचेगी, मैं आपको सूचित कर दूँगा ।

आपका सज्जा,

( इस्तान्ह ) ए० के० आजाद

हिज एक्सेलेंसी,

फोल्ड-मार्शल वाइकाउण्ट वेवल,

वाइसराय भवन, नई दिल्ली ।

लार्ड वेवल के नाम श्री जिन्ना का १८ जून, १६४६ का पत्र ।

आपके साथ आज साथकाल मेरी जो बातचीत हुई है, उसमें आपने मुझे बताया था कि कंप्रेस उन सवार्ण हिन्दुओं में से एक की जगह, जिन्हें आपने अन्तरिम सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, डा० जाकिर हुसेन को रखना चाहती है, यथपि आपने यह आशा प्रकट की थी कि वह ऐसा नहीं करेगी । मैंने आपको बता दिया था, कि इस बारे में मुसलमानों को प्रतिक्रिया बड़ी खाब होगी और मुस्लिम लोग, किसी लोगी मुसलमान के अतिरिक्त आपके द्वारा मनोनीत किसी और मुसलमान का नाम कभी स्वीकार नहीं करेगी । मैंने यह मामला अपनी वर्किंग कमेटी के सामने रखा था और उसने सर्वसम्मति से उक्त राय का समर्थन किया है और वह इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण और बुनियादी प्रश्न समझती है ।

वाइसराय के नाम श्री जिन्ना का २१ जून, १६४६ का पत्र ।

( यह पत्र वाइसराय की इस पृष्ठ-ताच के बारे में था कि क्या वे पत्र की प्रति कंप्रेस के अध्यक्ष को भेज सकते हैं अथवा नहीं ? )

“आपके २० जून, १६४६ के पत्र के लिये धन्यवाद ।

“जहाँ तक आपके पत्र के पैरा दो का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि मैं आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ । [ इसका सम्बन्ध अन्तरिम सरकार की स्थापना के बारे में वाइसराय के दृष्टिकोण से है । ]

“जहाँ तक आपकी इस प्रार्थना का सम्बन्ध है कि क्या आप मेरे पत्र के ४ (२) और ४ (३) प्रश्नों की प्रतियाँ और उत्तराधीन आपके पत्र के पैरा ४ और ५ के बारे में मेरा डत्तर कंप्रेस के अध्यक्ष को भेज सकते हैं या नहीं, मेरा निवेदन है कि यदि आप ऐसा करना डरता । समझते हों तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है ।”

एक सौ छः ]

कांग्रेस का इतिहास : खंड ३

कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम लार्ड वेवल का २० जून, १९४६ का पत्र ।

वाइसराय भवन,  
नई दिल्ली,  
२० जून, १९४६ ।

प्रिय मौजाचा सहेब,

मुझे निश्चय है कि आप इस बात को अनुभव करेंगे कि मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के सम्मुख हंगलैयड में बहुत-सा आवश्यक कार्य पड़ा है और वे इस देश में अनिश्चित रूप से अधिक समय तक नहीं ठहर सकते । इसलिए मैं आप से प्रार्थना करूँगा कि आप १६ जून के हमारे वक्तव्य में उल्लिखित प्रस्तावों के बारे में अपनी वर्किंग कमेटी का अन्तिम उत्तर जल्दी-से-जल्दी भेजने की कोशिश करेंगे । मुझे पता चला है कि वर्किंग कमेटी के जो सदस्य दिल्ली से चले गये थे, उन्हें आपने पुनः आने को कहा है और इस परिस्थिति में हम आप से प्रार्थना करेंगे कि आप अपना जवाब हमें अधिक-से-अधिक आगामे रविवार अर्थात् २३ जून तक भेज दें ।

आपका सचा,  
( हस्ताक्षर ) वेवल

लार्ड वेवल के नाम कांग्रेस के अध्यक्ष का २१ जून, १९४६ का पत्र ।

२० अक्टूबर रोड,  
नई दिल्ली,  
२१ जून, १९४६

प्रिय ज्ञाहे वेवल,

मुझे श्रीमान् का २० जून १९४६ का पत्र मिला ।

अन्तरिम सरकार की स्थापना के बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय करने के लिए आपने जो चिन्ता प्रकट की है, मैं उसकी कृद करता हूँ और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मेरी वर्किंग कमेटी भी आपकी भाँति ही इस बारे में चिनित है; परन्तु पुरानी, कठिनाइयों के अलावा एक नई कठिनाई और पैदा हो गई है, जो आपके नाम श्री जिला के कथित पत्र की बातों के अस्त्वारों में छापने के कारण हुई है और जिसमें उन्होंने अन्तरिम सरकार में कांग्रेस-द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्तियों के बारे में आपत्ति उठाई है । यदि इन कथित पत्रों की प्रतियाँ और उनके सम्बन्ध में आपके उत्तर की प्रति कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को उपलब्ध हो सकेंगी तो इससे उसे अन्तिम कोई निर्णय करने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि उनका सम्बन्ध ऐसे महत्वपूर्ण विषयों से है जिन पर हमें सोच-विचार करना है ।

आपका सचा,  
( हस्ताक्षर ) ए० के० आजाद ।

हिज एक्सेलेंसी,  
फीरू-मार्शल वाइकाउण्ट वेवल,  
वाइसराय भवन, नई दिल्ली ।

वाहसराय भवन,  
नयी दिल्ली,  
२१ जून, १९४६

मेरे प्रिय मौजाना साहब,

विवाच-परिषद् के निर्वाचनों के सम्बन्ध में गवर्नरों के नाम जो हिदायतें भेजी गई हैं उनकी एक नकल मैं आपके पास भेज रहा हूँ। ये हिदायतें धारासभाओं के स्पीकरों के नाम भेजी गई हैं और श्रीमान् वाहसराय महोदय आशा करते हैं कि इन्हें तब तक प्रकाशित नहीं किया जायगा जब तक कि स्पीकरों द्वारा उनकी घोषणा नहीं की जाती।

आपका सच्चा,

मौजाना आजाद

( इस्तावर ) जी० हूँ० एवल

मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल और श्रीमान् वाहसराय-द्वारा उन प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए, जिनका उल्लेख १६ मई, १९४६ के उनके वक्तव्य में किया गया है, निम्नलिखित कार्य-प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है।

(१) प्रत्येक प्रान्त का गवर्नर तारीख……………को और ऐसे स्थान पर जिसे वह निर्वाचन के लिए उचित समझता हो प्रान्तीय धारासभा की बैठक बुलायेगा। सभानों के साथ-साथ धारासभा के प्रत्येक सदस्य के पास वक्तव्य और इन हिदायतों की एक-एक प्रति भेजी जायगी।

(२) कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में खड़ा हो सकता है; वर्तमान कि ( अ ) वह प्रान्तीय धारा-सभा के किसी सदस्य द्वारा नामन्त्रित किया गया हो और किसी दूसरे सदस्य-द्वारा उसका समर्थन किया गया हो, और ( ब ) नामजदागी के साथ उसकी ओर से यह प्रतिज्ञापन भी भर कर दिया गया हो कि उसका नाम किसी और प्रान्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मेदवार के रूप में नहीं पेश किया गया है और वह वक्तव्य के पैरा १६ में उल्लिखित उद्देश्य के लिए प्रान्त का प्रतिनिधि बनकर काम करने के लिए तैयार है।

(३) किसी भी प्रान्त में कोई भी व्यक्ति जो सुसलमान अथवा सिख नहीं है, वह क्रमशः मुसलमानों अथवा सिखों के लिए निर्धारित स्थानों के तुलनात्मके लिए खड़ा नहीं होगा। कोई भी मुसलमान और पंजाब में कोई भी मुसलमान या सिख किसी साधारण सीट के लिए उम्मेदवार खड़ा नहीं होगा।

(४) सभी नामजदगियां तारीख……………को अथवा उससे पूर्व प्रान्तीय धारा-सभा के सेक्रेटरी के पास भेज दी जाएंगी।

(५) सेक्रेटरी तारीख……………को अथवा उससे पूर्व नामजदगियों की जांच-पढ़ताल करेगा और ऐसी सभी नामजदगियों को नामंजूर कर देगा जिनके साथ आवश्यक प्रतिज्ञापन नहीं होगा।

(६) कोई भी उम्मेदवार तारीख……………को या उससे पूर्व अपना नाम वापस ले सकेगा।

(७) तारीख……………को जिस दिन प्रान्तीय धारा-सभा की बैठक प्रारंभ होगी गवर्नर धारा-सभा के पास एक संदेश भेजेगा, जिसमें वक्तव्य के दैरा २७ के अन्तर्गत वाहसराय की प्रार्थना का उल्लेख किया गया होगा और उसके बाद धारासभा एकाकी हस्तान्तरण-मत-पद्धति के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व से अपने प्रतिनिधि तुलेगी और धारा-सभा का प्रत्येक भाग

(आम, मुस्लिम और सिख) अपने-अपने प्रतिनिधि चुनेगा।

१—चुनाव खत्म होने के बाद यथासंभव शीघ्र-से-शीघ्र गवर्नर निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम सरकारी गजट में प्रकाशित करा देगा और जिन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार प्रकाशित किये जायेंगे उन्हें वक्तव्य के १६ वें पैरा के लिए सम्बद्ध प्राप्त का प्रतिनिधि समझा जायगा।

२—आपको पता चलेगा कि नामजदगी का कागज उपस्थित करने, उनकी जांच-पढ़ताल, नामजदगी वापस लेने और धारा-सभा का अधिवेशन बुलाने की तारीखों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उद्देश्य यह है कि सभी प्रान्तों में चुनाव १५ जुलाई तक समाप्त हो जाने चाहिये। इस आधार पर कि चुनाव के परिणामों की घोषणा १५ जुलाई को हो जाएगी, निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है:—

समन जारी करने की तारीख	१५ जून
नामजदगी की अन्तिम तारीख	२० जून
नामजदगी की जांच पढ़ताल	२ जुलाई
नामजदगी की वापसी की तारीख	४ जुलाई
चुनाव की तारीख	१० जुलाई
परिणाम की घोषणा की तारीख	१५ जुलाई

कार्यक्रम की इस रूपरेखा में विशिष्ट प्राप्त अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं।

३—उपर्युक्त हिदायतें फिलहाल केवल गवर्नरों के लिए ही हैं। जब वाहसराय चुनाव-सम्बन्धी कार्यप्रणाली को कार्यान्वित करना चाहेंगे तो वे तार-द्वारा सभी गवर्नरों को सूचित कर देंगे। फिलहाल वे ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी तक उन्हें इस सम्बन्ध में विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया मालूम नहीं हो सकी है।

नोट:—उक्त तारीखें उसके बाद से स्थगित कर दी गई हैं। नामजदगियों के लिए १५ जुलाई पहला दिन रखने का प्रस्ताव किया गया है।

कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम वाहसराय का २१ जून, १९४६ का पत्र।

वाहसराय भवन,  
नई दिल्ली,  
२७ जून, १९४६

संख्या ५६२—४७

प्रिय मैलाना आज्ञाद,

आपके आज के पत्र के लिए धन्यवाद। श्री जिन्ना ने मेरे नाम १५ जून के अपने पत्र में निम्नलिखित प्रश्न किये थे:—

(१) क्या एक अन्तर्राजीन सरकार स्थापित करने के लिए वक्तव्य में उल्लिखित प्रस्ताव अब अन्तिम हैं अथवा नहीं, और क्या किसी भी दल अथवा सम्बद्ध व्यक्ति के कहने से उनमें अब भी कोई परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकता है;

(२) क्या संकान्ति-काल में सरकार के सदस्यों की कुछ संबद्धा १४ ही रहेगी जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है;

(३) यदि चारों अल्पसंख्यकों अर्थात् परिगणित जातियों, सिखों, भारतीय ईसाइयों और पारसियों के प्रतिनिधि के रूप में बुखारा गया कोई व्यक्ति दिसी निजी अथवा दिसी और कारणवश अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वाहसराय-द्वारा उस रिक्त स्थान अथवा स्थानों की पूर्ति कैसे की जायगी; और क्या ऐसे रिक्त स्थान अथवा स्थानों की पूर्ति करने में मुस्लिम लोग के नेता से सलाह-मशाविरा किया जायगा और उसकी राय की जायगी ?

(४) अ—भया संक्रान्तिकाल में जिस अवधि के लिए कि संयुक्त सरकार की स्थापना की जारी है सरकारी सदस्यों का अनुपात, संप्रदायगत आधार पर ही कायम रहेगा जैसा कि प्रस्तावों में कहा गया है ।

ब—भया चारों अल्पसंख्यकों अर्थात् परिगणित जातियों, सिखों, भारतीय ईसाइयों और पारसियों को इस समय जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वह कायम रहेगा और उसमें कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जायगा ?

(५) प्रारंभ में सदस्य-संख्या १२ रखी गई थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर १४ कर दिया गया है । क्या ऐसी परिस्थिति में, मुस्लिम हितों के रक्तार्थ ऐसी कोई व्यवस्था की जायगी जिसके अनुसार शासन-परिषद् किसी ऐसे बड़े सांप्रदायिक विषय में, कोई निर्णय नहीं करेगी, जिसके विरुद्ध मुस्लिम सदस्यों का बहुमत होगा ?

इस पत्र के जवाब में, मैंने २० जून को जो पत्र लिखा था, उसका क्रियात्मक अंश इस प्रकार था:—

“ १६ जून के वक्तव्य का आशय यह था कि जब दोनों दब इस योजना को स्वीकार कर लेंगे तो फिर बाद में इन दोनों बड़े दलों के नेताओं के साथ विभागों के सम्बन्ध में बातचीत की जायगी । और अब तक भी हमारा यही द्वारा है । जब तक सदस्यों के नाम का पता नहीं चल जाता तब तक विभागों के विभाजन के सम्बन्ध में कोई फैसला करना कठिन है । ”

१६ जून के हमारे वक्तव्य के अन्तर्गत बनाई जानेवाली सरकार के सम्बन्ध में आप जिन प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यष्टीकरण चाहते हैं, उनका उत्तर मैं प्रतिनिधिमंडल के परामर्श से दे रहा हूँ जो इस प्रकार है:—

(१) अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने के लिए जिन सज्जनों को आमन्त्रित किया गया है, जब तक मुझे उनकी स्वीकृति नहीं पहुँच जाती तब तक वक्तव्य में उल्लिखित नाम अन्तिम नहीं समझे जा सकते । परन्तु दोनों बड़े दलों की अनुमति के बिना वक्तव्य में सैद्धान्तिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

(२) दोनों बड़े दलों की अनुमति के बिना अन्तरिम सरकार के १४ सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

(३) इस समय अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को जो स्थान दिये गये हैं यदि उनमें कोई स्थान रिक्त हो जायगा तो मैं जैसा कि स्वाभाविक है उसकी पूर्ति करने से पूर्व दोनों बड़े दलों से सलाह-मशाविरा लूँगा ।

(४) (अ) और (ब) सम्प्रदायगत आधार पर निर्धारित सदस्यों की संख्या के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

(५) किसी भी सांप्रदायिक प्रश्न के बारे में अन्तरिम सरकार कोई निर्णय नहीं करेगी यदि

एक सौ दस ]

कांग्रेस का इतिहास : खंड ३

दोनों बड़े दलों में से किसी एक दल के बहुमत को भी उसपर आपत्ति होगी। मैंने यह बात कांग्रेस के अध्यक्ष से भी कही थी और उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि कांग्रेस इस दृष्टिकोण की कद्र करती है।

आपका सच्चा,  
(हस्ताचर) वेवल

मौलाना अबुलकलाम आजाद

लार्ड वेवल का कांग्रेस-प्रधान का पत्र

ता० २२ जून, १९४६

वाहसराय भवन,  
नई दिल्ली, -  
२२, जून, १९४६

मिशन मौलाना साहब,

समाचार-पत्रों से मालूम हुआ है कि कांग्रेस-लेन्ड्रों में इस बात पर बज़ दिया जा रहा है कि कांग्रेस दल को, अन्तरिम सरकार में कांग्रेस-प्रतिनिधि भेजते समय, एक मुस्लिम को स्वेच्छापूर्वक छुनने के अधिकार पर ददरहना चाहिए।

उन कारणों के आधार पर कि जिन्हें आप पहले से ही जानते हैं, मंत्रिमंडल या मैं इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकता, किन्तु मैं आपका ध्यान १६ जून की घोषणा के पैराग्रफ़ ६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ—जो इस प्रकार है—

“अन्तरिम सरकार का ऊपरी निर्माण अर्थ किसी भी साम्राज्यिक प्रश्न के निर्णय के लिए किसी भी रूप में उदाहरण नहीं ठहराया जायगा। यह तो केवल वर्तमान की कठिनाई को हल करने का हेतुमात्र है और इसके द्वारा ही सर्वोत्तम समिक्षित सरकार की प्राप्ति सम्भव है।”

इस आश्वासन को इष्ट में रखते हुए कि कोई मिसाल नहीं बनेगी, इस कांग्रेस से अपील करते हैं कि वह अपनी इस मांग को छोड़ दे और उस अन्तरिम सरकार में भाग ले कि जिसकी देश को पृकाएँ आवश्यकता है।

आपका सच्चा  
(ह०) वेवल

मौलाना अबुल कलाम आजाद

कांग्रेस-प्रधान का लार्ड वेवल को उत्तर

ता० २४ जून, १९४६

२० अकबर रोड,  
नई दिल्ली,  
२४ जून, १९४६

मिशन लार्ड वेवल,

अभी हाल ही आपकी ओर से सुझे टेलीफोन मिला है कि मैं आपको अस्थायी सरकार में शामिल होने के कार्य-समिति के निर्णय की फौरन सूचना दूँ। वारतव में निर्णय तो कल ही हो चुका था किन्तु हमारा विचार था कि यदि इस आपकी ओर मंत्रिमंडल की तजवीजों की बाबत सब बातों को इष्ट में रखते हुए पत्र लिखें तो बहुत ठीक रहेगा। कार्य-समिति की प्रायः निरन्तर बैठकें हो रही हैं और आज पुनः २ बजे भी बैठक होगी। पूर्णतया विचार-विनियम के अनन्तर

कार्य-समिति को अनिवार्यक अन्तरिम सरकार में शामिल होने की आपकी तजवीज के विरुद्ध निर्णय करना पड़ा है। विस्तृत एवं युक्तिपूर्ण उत्तर बाद में भेजा जायगा।

आपका सचा

( ६० ) ए० के० आजाद

हिज़ एकसेलेंसी फ्रीडॉ-मार्शल वाइकाउट वेवल

वाइसराय भवन, नई दिल्ली ।

कांप्रेस-प्रधान का वाइसराय को पत्र

ता० २५ जून, १९४६

२०, अकबर रोड,  
नई दिल्ली,  
३८, जून १९४६

प्रिय लाई वेवल,

जब से १६ जून का वक्तव्य प्राप्त हुआ है, मेरी कमेटी नित्यप्रति उसपर विचर करती आ रही है। इसके अतिरिक्त आपकी तजवीजों और राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए व्यक्तिगत जारी किये गये निम्नत्रयों पर भी कमेटी ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। चूंकि वर्तमान असंतोष-जनक परिस्थिति में से वोई मार्ग निकाल लेना चाहते हैं हसलिए हमने आपके दृष्टिकोण और मार्ग-विन्यास की सराहना की भरसक चेष्टा की है। आपनी बातचीत के सिलसिले में हम पहले से ही आपको अपनी कठिनाइयाँ बताका चुके हैं। दुर्भाग्यवश यह कठिनाइयाँ हाल ही के पत्र-व्यवहार से और भी बढ़ गई हैं।

कोग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें भारत के सभी धर्मों और जातियों के सदस्य शामिल हैं। आधी सदी से अधिक काल से इसने भारत की स्वतंत्रता और सब भारतीयों के समानाधिकार के लिए अम किया है। जिस शृंखला ने विभिन्न दलों और संप्रदायों को संगठित करके कांग्रेस-बद्र कर लिया वह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। आर्थिक उन्नति और सामाजिक एकता। यह है वह दृष्टिकोण जिसे समक्ष रखते हुए हमें प्रत्येक तजवीज को परखना है। हमें आशा थी कि जो अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाई जायगी वह इस स्वतंत्रता को क्रियात्मक रूप देगी। आपकी कुछेक कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए हमने एकाएक स्वतंत्रता बागू करने के लिए किसी वैधानिक परिवर्तन पर जोर नहीं दिया, किन्तु हम यह ज़रूर आशा करते थे कि तथ्यों के अधार पर स्वतंत्रता बानेवाली सरकार के चलन में परिवर्तन होगा ही। इस प्रकार अस्थायी सरकार का दर्जा और शक्ति महत्वपूर्ण विषय हैं। हमारे विचार में यह पूर्णतः वाइसराय की शासन-परिषद् से भिन्न बस्तु होने जा रही है। इसे नये दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करना है। नये हंग का कार्य करना है, और घेरेलू एवं बाहरी समस्याओं के बारे में भारत-द्वारा मनोवैज्ञानिक हंग से नई पहुंच का प्रादुर्भाव करना है। आपने ३० मई १९४६ के पत्र-द्वारा हमें अस्थायी सरकार के दर्जे और अधिकारों की बाबत कुछ आश्वासन दिये थे। यह हमारे विचारों के अनुकूल नहीं बैठते, किंतु हमने आपके मित्रतापूर्ण पत्र की सराहना करते हुए आपके आश्वासनों को स्वीकार कर लिया है और इस प्रश्न को अधिक न बढ़ाने का निश्चय किया है।

अस्थायी सरकार की संख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहा। इस संबंध में हमने इस बात पर ज़ोर दिया कि हम एक अस्थायी दल के रूप में भी समान प्रतिनिधित्व को किसी भी रूप में

मानने को तैयार नहीं। इसके अलावा हमने यह भी कहा कि अस्थायी सरकार में १५ सदस्य होने चाहिए ताकि देश का शासन-प्रबंध कार्य-कुशलता से चलाया जा सके और छोटे-छोटे अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस बारे में कुछ नामों का उल्लेख किया गया था। जदों तक हमारा प्रश्न है, हमने अनियमित रूप से कुछ नाम पेश किये थे, जिसमें एक नाम एक गैर-लीगी मुसलमान का भी था।

१६ जून के अपने वक्तव्य में आप-द्वारा उल्लिखित कुछ नामों पर हमें बहुत आशर्च्य हुआ। कांग्रेस ने अस्थायी तौर पर जो सूची पेश की थी, उसमें कई परिवर्तन किये गये हैं। आपने जिस तरह से नामावली तैयार की है और जिस प्रकार उसे एक संपादित तथ्य के रूप में उपस्थित किया है, उसे देख कर ऐसा जान पड़ता है कि समस्या को शलत ढंग से सुलझाने का यत्न किया गया है। उसमें एक नाम ऐसा है, जिसका उल्लेख इसमें पहले कभी नहीं हुआ था। और वे एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो सरकारी पद पर हैं और जिनका किसी भी सार्वजनिक कार्यवाही से संपर्क नहीं रहा है। इसमें वैयक्तिक रूप से उनके साथ विरोध नहीं लेकिन हम ख्याल करते हैं कि इस तरह के नाम को शामिल करना और खास कर बिना किसी पिछले उल्लेख अथवा परामर्श के अवांछनीय था। और यह इस बात का घोतक है कि समस्या को शलत ढंग से सुलझाने का यत्न किया गया है।

इसके अलावा हमारी सूची में से एक नाम निकाल दिया गया है और उसकी जगह हमारे ही साथियों में से एक और नाम ले लिया गया है, केकिन जैसा कि आपने कहा है, उसे सुधारा जा सकता है, इसलिए मैं उन बारे में और अधिक नहीं कहूँगा।

इस नामावली की एक और उल्ज्जेनीय बात यह थी कि उसमें किसी भी राष्ट्रवादी मुसलमान का नाम शामिल नहीं था। हम समझते हैं कि यह एक भारी भूल थी। हम उस सूची में कांग्रेस के प्रतिनिधियों में से एक की जगह एक मुसलमान का नाम रखना चाहते थे। हमारा ख्याल था कि रव्यं आपने ही व्यक्तियों के नाम में हमारे इस परिवर्तन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

वास्तव में जब मैंने आप का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि मुस्लिम लीग-द्वारा नामजद किये गये व्यक्तियों में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी शामिल है जो सीमाप्रान्त के हाल के चुनाव में वास्तव में पराजित हो चुके हैं और जिन का नाम हमारी राय में राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर शामिल किया गया है, तो इसके जवाब में आपने मुझे इस प्रकार लिखा था—“मैं कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के मनोनीत व्यक्तियों पर आपत्ति करने के अधिकार को उसी प्रकार नहीं मान सकता, जिस प्रकार मैं दूसरे पक्ष-द्वारा उठायी गयी हसी प्रकार की आपत्ति नहीं मानता। कस्तूरी योग्यता की होनी चाहिये।” परन्तु हम अभी अपनी ओर से कोई प्रस्ताव भी नहीं उपस्थित कर सके थे कि आप का २२ जून का पत्र मिला, जिसे देखकर हम सभी को बड़ा आशर्च्य हुआ। आपने यह पत्र अखबारों में छोपे कुछ समाचारों के आधार पर लिखा था। आप ने हमें बताया कि सन्त्रिप्रतिनिधि मण्डल और आप अन्तरिम सरकार के कांग्रेस के प्रतिनिधियों में कांग्रेस-द्वारा नामजद किये गये किसी मुसलमान का नाम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमें यह एक आसाधारण निर्णय प्रतीत हुआ। यह बात स्वयं आपके उपर्युक्त पत्र से प्रत्यक्षतः कोई मेल नहीं खाती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस को स्वयं अच्छे ही प्रतिनिधि चुनने की पूरी आजादी नहीं थी यह कहने से कि इसे मिसाल ही न समझना चाहिये कोई कर्क नहीं

पढ़ता। ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की यदि अथवा इससे इच्छेमा भी बर दी जाय तो भी हम उसे किसी भी समय अथवा स्थान या परिस्थिति में मानने को तैयार नहीं थे।

२१ जून के अपने पत्र में आपने श्री जिन्ना-द्वारा आपके नाम १५ जून के पत्र में किये गये कुछ प्रश्नों और आप-द्वारा दिये गए उनके जवाब का उल्लेख किया है। हमने श्री जिन्ना का पत्र नहीं पढ़ा है। तीसरे प्रश्न में ‘‘बार अल्पसंख्यकों, अर्थात् इन्द्रियित जातियों, सिखों, भारतीय ईसाधर्यों और पार्सेयों’’ का उल्लेख दिया गया है और उन्हें सर्वानुषित किया गया है कि “यदि इनकी जगह खाली हो जाय तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? कौन वया उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय मुस्लिम लोग के नेता से सख्त-मर्शान्वारा किया जायगा और उसकी स्वीकृति की जायगी?”

आपने जवाब में आपने लिखा है—“इस समय अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को जो सीटें दी गई हैं, उनमें से यदि कोई जगह खाली होगी तो उसकी पूर्ति करने से पूर्व में स्वाभाविक तौर पर दोनों बड़े दलों से सख्त-मर्शान्वारा बहुंगा।” इस प्रकार श्री जिन्ना ने परिगणित जातियों को अल्पसंख्यकों में शामिल करने की चेष्टा की है। और शायद आपने भी इससे सहमति प्रकट की है। यहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, हम इस बात का विरोध करते हैं और परिगणित जातियों को हिन्दू-समाज का अधिकार अंग मानते हैं। आपने भी १५ जून के अपने पत्र में परिगणित जातियों को हिन्दुओं में ही शामिल किया है। आपने यह कहा था कि आपके प्रस्ताव के अनुसार हिन्दुओं और मुसलमानों अथवा कांग्रेस और मुस्लिम लोग के बीच समान प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ६ हिन्दू होंगे और लोग की तरफ से २ मुसलमान—अर्थात् छः हिन्दुओं में से एक परिगणित जातियों का प्रतिनिधि होगा। हम यह बात कभी मानने को तैयार नहीं हैं कि एक ऐसे दल का नेता, जो एक अल्पसंख्यक जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हो, या तो परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों के नामों के चुनाव में, जिन्हें आपने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के कोटे में शामिल माना है, अथवा उल्लिखित अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के चुनाव में इस्तेप करे।

चौथे प्रश्न में उन्होंने परिगणित जातियों का उल्लेख पुनः अल्पसंख्यकों के रूप में किया है और यह पूछा गया है कि क्या सरकार के सदस्यों का संप्रदायगत अनुपात, जिसकी व्यवस्था प्रस्तावों में की गई है, कायम रखा जायगा। आपने इसका जवाब यह लिखा है कि इस अनुपात में दोनों बड़े दलों की राय के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। यहाँ फिर एक सांप्रदायिक दल को जो प्रत्यक्ष रूप से अपनी ऐसी स्थिति स्वीकार करता हो, दूसरे दलों में परिवर्तन करने का निषेधाधिकार प्रदान किया गया है, हालांकि उनके साथ उसका कोई सरोकार नहीं है। अगर मौका मिला तो शायद हम परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या में बढ़ि करना चाहें अथवा जब हो सके तो किसी और अल्पसंख्यक को, मिसाल के तौर पर एंग्लो-हॉंडियनों को, प्रतिनिधित्व देना चाहें। लेकिन यह सारी चीज मुस्लिम लोग की स्वीकृति पर निर्भर करेगी। हम यह बात स्वीकार नहीं कर सकते। हम यहाँ यहु भी कहना आहते हैं कि आपने श्री जिन्ना को जो उत्तर दिया है उससे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व के बाहर सर्वांग हिन्दुओं तक ही सीमित रह जाता है और इस प्रकार मुस्लिम लोग और कांग्रेस दोनों को ही समान प्रतिनिधित्व मिल जाता है।

अन्त में आपने पांचवें प्रश्न के बारे में कहा है कि किसी बड़े साम्प्रदायिक प्रश्न के सम्बन्ध

में अन्तरिम सरकार कोई निर्णय नहीं करेगी। यदि दोनों बड़े दलों में से एक भी दल का बहुमत उसके विरुद्ध होगा। आपने यह भी जिक्र किया है कि आपने यह बात कांग्रेस के अध्यक्ष से भी कह दी है और वे इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस इस दृष्टिकोण की कद करती है। इस बारे में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने यह बात संघ की धारामध्या में दीर्घकालीन व्यवस्था के लिए स्वीकार की थी और उसे इस अस्थायी सरकार पर भी लागू कर सकते हैं वशर्ते कि वह धारामध्या के प्रति उत्तरदायी हो और उसमें बड़ी-बड़ी जातियों के प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर चुने गए हों। इसे अस्थायी सरकार पर किसी प्रकार भी नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि उसका तो आधार ही सर्वथा विभिन्न है। मैंने १३ जून १९४६ के अपने पत्र में बताया था कि इससे शासन-प्रबन्ध का संचालन असंभव हो जायगा और निश्चित रूपेण गतिरोध पैदा हो जायगा। स्वयं श्री जिन्ना-द्वारा किये गए प्रश्न में भी यह कहा गया है कि, “शुरू में प्रस्तावित १२ सदस्यों के स्थान पर अब जो १४ सदस्यों का प्रस्ताव किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए किसी भी ऐसे बड़े संप्रदायिक प्रश्न का निर्णय न किया जाय यदि मुख्यमान सदस्यों का बहुमत उसके खिलाफ हो”। इस प्रकार यह सवाल तब पैदा हुआ जब कि आपने सदस्यों की संख्या १२ के बजाय १४ करदी अर्थात् आपके १६ जून के वक्तव्य के बाद। वक्तव्य में इस प्रकार के किसी नियम का कोई जिक्र तक भी नहीं किया गया है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रायः अनियमित रूप से और निश्चय ही हमारी स्वीकृति के बिना किया गया है। इसके परिणाम-स्वरूप भी स्थायी सरकार में मुरिचिम लीग को नियंत्रित अधिकार अद्वचन पैदा करने का अधिकार मिल जाता है।

हमने १६ जून के आपके प्रस्तावों तथा श्री जिन्ना-द्वारा किये गये प्रश्नों के जवाब के सम्बन्ध में आपनी आपत्तियों का उल्लेख ऊपर कर दिया है। ये बहुत बड़ी और गंभीर त्रुटियाँ हैं जिनकी वजह से अस्थायी सरकार का संचालन असंभव हो जायगा और गतिरोध निश्चित रूप से पैदा हो जायगा। इन हालात में आपके प्रस्ताव परिस्थिति की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते और न ही उससे वह काम आगे बढ़ सकता है, जिसे हम इतना महत्वपूर्ण, प्रिय और आवश्यक समझते हैं।

इसलिए मेरी कार्यसमिति अनिच्छापूर्वक इस परिणाम पर पहुँची है कि वह ऐसी कोई अस्थायी सरकार बनाने में आपकी सहायता करने में असमर्थ है, जिसका उल्लेख १६ जून, १९४६ को आपके वक्तव्य में किया गया है।

जहाँ तक १६ मई, १९४६ के वक्तव्य में डिलिखित उन प्रस्तावों का सवाल है जिनका सम्बन्ध विधान-निर्मात्री संस्था के निर्माण और कार्य से है, कांग्रेस की विकिळ कमेटी ने २४ मई, १९४६ को एक प्रस्ताव पास किया था और इस सम्बन्ध में एक और श्रीमन् और मंत्रिमंडल तथा दूसरी और मेरे और मेरे कुछ सहयोगियों के मध्य बातचीप और पत्र-व्यवहार हुआ है। इन अवसरों पर हमने यह बताने की भरसक चेष्टा की है कि हमारी दृष्टि में इन प्रस्तावों में क्या-व्याया-त्रुटियाँ रह गई हैं। वक्तव्य की कुछ भाराओं के सम्बन्धमें हमने अपनी व्याख्या भी की थी। आपने विचारों पर ढूँढ़ रहते हुए भी, हमें आपके प्रस्ताव स्वीकार किये हैं और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति-हेतु उन्हें कार्यान्वित करने को भी तैयार हैं। परन्तु हम यह भी कह देना चाहते हैं कि

विधान-परिषद् का सफल संचालन मुख्यतः एक संतोषजनक अस्थायी सरकार की स्थापना पर आधित है।

आपका सच्चा,  
हस्ताक्षर ( ५० के ० आजाद )

हिज प्रसेलेंसी, फीड-मार्शल

वाहकाउण्ट वेवल,  
वाइसराय भवन, नई दिल्ली ।

मौलाना आज्ञाद के नाम वाइसराय का २७ जून, १९४६ का पत्र ।

मुझे आपका २५ जून का पत्र मिला ।

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल और मुझे बहुत दुःख है कि १६ जून के वक्तव्य में कहे गये प्रस्तावों को कांग्रेस कार्यसमिति स्वीकार न कर सकी, क्योंकि यदि कांग्रेस कार्य-समिति इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेती तो उस कार्य को पूरा करना संभव हो जाता जिसके लिए इस और भारतीय राजनीतिक नेता गत तीन महीनों से यत्न कर रहे हैं। अन्तर्कालीन सरकार में बड़े सम्प्रदायिक मामलों के बारे में यदि कोई गलतफहमी हो गई थी, तो उसके लिए मुझे दुःख है। इमने निश्चय ही यह सोचा कि आपने स्वतः सिद्ध योजना, के रूप में, जैसी कि यह है, इस बात को मान लिया था कि मिली-जुली सरकार में, दोनों में से किसी भी बड़े दल के विरोध करने पर, इस प्रकार की समस्याओं को जबर्दस्ती स्वीकार नहीं कराया जा सकता।

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल और मुझे आपके पत्र के अनिम पैरा से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि कांग्रेस कार्य-समिति उन प्रस्तावों को स्वीकार करती है और भारत के लिए एक विधान-निर्माण के लिए उन्हें कार्यान्वित करने को तैयार है, जो १६ मई के मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के वक्तव्य में प्रस्तुत किये गये थे। आपका कथन है कि आप इस वक्तव्य की उस राय तथा ध्यालया पर स्थिर है जो कांग्रेस कार्यसमिति के २४ मई के प्रस्तावों में तथा इमरे साथ किये गये पत्र-व्यवहार और सुलाकात में प्रकट की गयी है। कल हमारी सुलाकात के समय २५ मई के हमारे वक्तव्य के १५वें पैरा की ओर हमने आपका ध्यान दिलाया था। हमने इस बात पर झोर दिया था कि गुटों में बांटने की पद्धति को विधान-निर्माणी-परिषद् के एक ऐसे प्रस्ताव से ही बदला जा सकता है जो १६ मई के वक्तव्य के ११ (७) पैरा के अन्तर्गत दोनों सम्प्रदायों के बहुमत से पास किया गया हो। इस सुलाकात से हमें यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि कांग्रेस का इरादा विधान-निर्माणी परिषद् में रचनात्मक भावना से प्रवेश करना है।

कांग्रेस की असमर्थता

हमने आपको यह भी सूचित किया था कि चूंकि कांग्रेस हमारे १६ जून के वक्तव्य में प्रस्तावित अन्तर्कालीन सरकार में सम्मिलित होने में असमर्थ है इसलिए एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें उस वक्तव्य का आठवां अनुच्छेद लागू हो जाता है। तदनुसार मैं शीघ्र ही एक ऐसी अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना का प्रयत्न करूँगा जो दोनों मुख्य दलों के लिए अधिक-से-अधिक प्रतिनिधिपूर्ण होगी। किन्तु इसके साथ ही मैंने यह निर्णय किया है कि चूंकि बार्ता को चलते अभी ही काफी समय हो चुका है और किसी समझौते पर पहुँचने में हम द्वारा ही में असफल हो चुके हैं, इसलिए अब्दा हो कि इस विषय को फिर से उठाने से पहले

हमें थोड़ी सुखरत मिल जाय। तदनुसार मैंने, अस्थायी रूप से शासनकार्य चलाने के लिए अफसरों की एक रक्षावालिया सरकार स्थापित करने का निश्चय किया है।

मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल और वाइसराय के १६ मई और १६ जून के वक्तव्यों के सम्बन्ध में कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी ने निम्नलिखित प्रस्ताव आन्तिम रूप से पास किया:—

“२४ मई को वर्किङ्ग कमेटी ने विदिशा मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल के १६ मई के वक्तव्य के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में उसने उक्त वक्तव्य की कुछ विदियों का उल्लेख करते हुए उसके कुछ भागों के सम्बन्ध में अपनी व्याख्या बताई है।

“उसके बाद से कार्यकारिणी विदिशा-सरकार की ओर से १६ मई और १६ जून को जारी किये गए वक्तव्यों में उल्लिखित प्रस्तावों पर निरन्तर सोच-विचार करती रही है और उनके सम्बन्ध में कांग्रेस के अध्यक्ष तथा मन्त्रि-प्रतिनिधि-मण्डल और वाइसराय के मध्य जो प्रबंधवाहार हुआ है—उस पर भी उसने खूब सोच-विचार किया है।

“कार्यसमिति ने इन दोनों प्रकार के प्रस्तावों की कांग्रेस के, देश की तात्कालिक स्वाधीनता के उद्देश्य के दृष्टिकोण से समीक्षा की है और साथ ही उसने इन प्रस्तावों की समीक्षा इस दृष्टि से भी की है कि उनके परिणामस्वरूप देश की जनता किस सीमा तक आर्थिक और सामाजिक उन्नति कर सकती है, जिससे कि उसका भौतिक मान ऊँचा हो सके और उसकी गरीबी, रहन-सहन के मान का निम्नस्तर, अकाल और जीवन-निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं का अभाव सदा के लिए समाप्त किया जा सके और देश के सभी जोगों को अपनी प्रतिभा के अनुकूल उन्नति करने की आजादी और मौका मिल सके। ये प्रस्ताव उक्त उद्देश्यों से बहुत कम हैं। इनसे उनकी पूरि नहीं होती। फिर भी समिति ने उनके सभी पहलुओं पर पूरी तरह से सोच-विचार किया है, चूंकि उसकी यह प्रबल हच्छा रही है कि किसी प्रकार से भारत की समस्या शान्तिपूर्वक सुखर क जाय तथा भारत और इंग्लैण्ड के पारस्परिक संबंध समाप्त हो जायें।

“कांग्रेस जिस तरह की स्वाधीनता चाहती है, उसके अनुसार वह देश में एक संयुक्त प्रजातन्त्रीय भारतीय संघ की स्थापना करना चाहतो है। इस संघ का शासन-भार एक केन्द्रीय सरकार के हाथों में होगा। उसे संसार के सभी राष्ट्रों का मान और सहयोग प्राप्त रहेगा। उसके अन्तर्गत सभी प्रान्तों को अधिक-से-अधिक स्वायत्त-शासन का अधिकार रहेगा और देश के सभी स्त्री-पुरुषों को समाज रूप से अधिकार रहेंगे। इन प्रस्तावों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अधिकार जिस प्रकार सीमित रखे गये हैं और जिस प्रकार से प्रान्तों को गुटबन्दी की गई है, उसके कारण सारा ही दर्ढा कमज़ोर हो जाता है और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त और आसाम जैसे कुछ प्रान्तों तथा कुछ अल्पसंख्यकों, जैसे कि सिक्कों के साथ घोर अन्याय किया गया है। समिति को यह कभी मान्य नहीं था। फिर भी, उसने यह अनुभव किया कि यदि प्रस्तावों पर समष्टि-रूप से सोच-विचार किया जाय तो उसमें केन्द्रीय सत्ता को सुदृढ़ बनाने और विस्तृत करने की ओर गुटबन्दी के मामले में हरेक प्रान्त को अपनी-अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की स्वतन्त्रता तथा ऐसे अल्पसंख्यकों को, जिन्हें अन्यथा नुकसान पहुँचता हो, अपने लिए संरक्षण प्राप्त करने की काफी गुंजायश है। उसने इनके अलावा और आपत्तियां डार्हाई थीं, विशेषकर अ-भारतीयों-द्वारा विधान-निर्माण में भाग लेने की सम्भावना। यह स्पष्ट है कि यदि विधान-परिषद् के सुधार में किसी अ-भारतीय ने बोट दिया अथवा उसके लिए वह चढ़ा हुआ तो १६ मई के वक्तव्य के वास्तविक उद्देश्य की भावना की अवहेलना हो जायगी।

“जहां तक १६ जून के वक्तव्य में अन्तरिम सरकार से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्तावों का प्रश्न है, उनमें ऐसी वृद्धियाँ हैं, जो कांग्रेस की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखती है। कांग्रेस के प्रधान ने वाहसराय के नाम २४ जून के अपने पत्र में इनमें से कुछ वृद्धियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। अस्थायी सरकार को अधिकार, सत्ता और उत्तरदायित्व प्राप्त होना चाहिए और यदि कानूनी तौर पर नहीं तो कम-से-कम तथ्यों के आधार पर वस्तुतः उसे एक स्वतन्त्र सरकार की तरह काम करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि बाद में उसे पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जाय। इस तरह की सरकार के सदस्य किसी वाही सत्ता के प्रति उत्तरदायी न होकर केवल जनता के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं। अस्थायी अधिवा किसी और प्रकार की सरकार की स्थापना में कांग्रेसजन, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप को कभी नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार वे अप्राकृतिक और अन्यायपूर्ण समाज प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त नहीं स्वीकार कर सकते और न ही यह बात मान सकते हैं कि किसी साम्प्रदायिक दल को निषेधाधिकार दिया जाय। इसलिए समिति अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में १६ जून के वक्तव्य में उल्लिखित प्रस्तावों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

“परन्तु समिति ने फैसला किया है कि कांग्रेस को प्रस्तावित विधान-परिषद् में अवश्य शामिल होना चाहिए, ताकि एक स्वतन्त्र, संयुक्त और प्रजातन्त्रामक भारत के लिए विधान बनाया जा सके।

“यद्यपि समिति ने यह स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस विधान-परिषद् में शामिल हो जाय, फिर भी उसकी यह राय है कि देश में जलदी-से-जलदी एक प्रतिनिधित्वपूर्ण और उत्तरदायी अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नितान्त आवश्यक है। एक तानाशाह और अप्रतिनिधित्वपूर्ण सरकार को जारी रखने का परिणाम केवल पीड़ित और भूखी जनता के कष्टों में वृद्धि और उसके असन्तोष की भावना को प्रोत्साहन देना होगा। इसके कारण विधान-परिषद् का कार्य भी खटाई में पड़ जायगा, क्योंकि ऐसी परिषद् का कार्य तो केवल स्वतन्त्र बातावरण में ही आगे बढ़ सकता है।

“तदनुसार वर्किङ्ग कमेटी अस्थिल भारतीय महासमिति से उक्त सिफारिश करती है और इस सिफारिश पर सोच-विचार करते और उसके लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश से बम्बई में ६ और ७ जुलाई १९४६ को उसकी एक आवश्यक बैठक बुलाना चाहती है। वह प्रस्ताव बाद में ६ और ७ जुलाई को अस्थिल भारतीय महासमिति की बम्बई में बुलाई गई आवश्यक बैठक में बड़े भारी बहुमत-द्वारा (२०४ के मुकाबले में ११० वोट से) पास कर दिया गया।”

नयी दिल्ली, २६ जून, १९४६।

**मौलाना आजाद द्वारा समझौते की बातचीत का सिंहावलोकन (२७-६-१९४६)**

“मन्त्र-मिशन और वाहसराय के साथ इतनी देर तक हमलोग जो बातचीत करते रहे हैं, उसमें मेरे सहयोगियों और मैंने केवल एक ही मूलभूत सिद्धान्त को सामने रखा है। और यह सिद्धान्त था भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति तथा सभी महत्वपूर्ण समस्याओं का शान्तिपूर्ण उत्तरायों से सुलझाने की प्रबल इच्छा।” ये शब्द मौलाना आजाद ने पिछले तीन महीने की बातचीत का सिंहावलोकन करते हुए २७ जून, १९४६ को कहे।

आगे उन्होंने कहा—“इस प्रकार के उपायों से जाम और बन्दिशों—दोनों ही बातें होती हैं। दिसा और संघर्ष-द्वारा प्राप्त की गई स्वाधीनता उपेक्षाकृत अल्लेखनीय और रोमांचकारी भवे ही

हो, लेकिन उसके कारण अथाह कष्ट उठाने पड़ते हैं और रक्षणात् होता है तथा अन्त में कटुता और धृणा शेष रह जाती है। परन्तु शान्तिपूर्ण उपायों का परिणाम कटुतापूर्ण नहीं होता और न उनके परिणाम कहिंसात्मक कान्ति की भाँति आश्चर्यजनक और रोमांचकारी ही होते हैं।

इसलिए हम समझते की वर्तमान बातचीत को इसी दृष्टिकोण से परखना चाहते हैं। हमने जिन साधनों का अवलम्बन किया है, उन्हें तथा हमारी समस्याओं के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए टट्टस्थ प्रेक्षकों को विवश होकर इसी निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि यथापि हमारी सभी आशाओं की पूर्ति न हो सकी, फिर भी हमने अपने उद्देश्य को और अग्रसर होने में एक निर्णयात्मक और उल्लेखनीय कदम बढ़ाया है। खूब छानबीन और विश्लेषण करने के उपरान्त वर्किङ्ग कमेटी इस नीतिजे पर पहुँची है, और उनुसार उसने दोषकालीन प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं।

जैसा कि मैंने १४ अप्रैल, १९४६ के अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया था भारत की राजनीतिक और वैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने जो योजना प्रस्तुत की है उसका आधार दो मुख्यभूत सिद्धान्त है। कांग्रेस का यह मत था कि भारत की असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, देश में एक ऐसी सीमित परन्तु सजोब और शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना अनिवार्य है, जिसके पास कुछ आधारभूत विषय हों। एकात्मक राज्य-पद्धति पर आधारित सरकार इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकती कि भारत का विभाजन करके उसे बहुत से स्वतन्त्र राज्यों में बांट दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह हमारी समस्या को नहीं सुलझा सकती। दूसरा आधारभूत सिद्धान्त प्रान्तों की पूर्ण स्वाधीनता और उनके सभी अवशिष्ट अधिकारों की स्वीकृति था। कांग्रेस का मत यह था कि प्रान्तों को आधारभूत केन्द्रीय विषय छोड़कर शेष सभी अधिकार रहेंगे। परन्तु यदि भ्रान्त चाहें तो केन्द्र को ऐसे ही और विषय भी सौंप सकते हैं। यह एक खुला भेद है कि मन्त्रि-मिशन के दोषकालीन प्रस्ताव कांग्रेस की योजना में अल्लित लिद्धान्तों के अनुसार ही तैयार किये गये हैं।

हाल के शिमला-सम्मेलन में प्रान्तीय स्वायत्त शासन के वास्तविक अर्थ के सम्बन्ध में एक सवाल उठाया गया था। यह सवाल किया गया था कि यदि प्रान्तों को पूर्णतः स्वायत्त शासन प्राप्त देना तो क्या उन्हें यह हक नहीं होगा कि यदि वे चाहें तो दो या उससे अधिक प्रान्त मिलकर कोई ऐसी अन्तर्प्रान्तीय व्यवस्था कर लें जिसे वे अपनी इच्छा से कुछ ऐसे विषय सौंप दें, जिनका संचालन उस संस्था के आधीन हा ? प्रान्तीय स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में कांग्रेस के जो विवित विचार हैं, उनके अनुसार हस बात से हटकार नहीं किया जा सकता।

मन्त्रि-मिशन की योजना का एकमात्र उल्लेखनीय पहलू यही है कि उसमें प्रान्तों को तीन विभागों में रखा गया है। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार ज्यांही विधान-परिषद् की बैठक होगी वह अपने-आपको तीन कमेटियों में बाँट लेगी। हरेक कमेटी में सम्बद्ध विभागों के अन्तर्गत प्रान्तों के प्रतिनिधि रहेंगे और वे एक साथ मिलकर यह फैसला करेंगे कि क्या उन्हें कोई गुट बनाना चाहिये अथवा नहीं। मन्त्रि-मिशन के प्रस्तावों को धारा १८ में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि प्रान्तों को गुट बनाने या न बनाने का पूरा अधिकार है। मिशन यह चाहता है कि प्रान्त इस अधिकार का प्रयोग एक विशिष्ट स्थिति में पहुँचने पर ही करें।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी को यह राय है कि, मिशन की चाहे जो भी मंशा रही हो, १६ मई के वक्तव्य से लो ऐसा अर्थ नहीं निकलता। इसके विपरीत समिति का यह मत है कि प्रान्त पूर्णतः स्वाधीन हैं और उन्हें हक है कि वे जब भी चाहें इस सवाल का फैसला कर लें। वक्तव्य की

धारा १५ और प्रस्तावों की साधारण भावना से कांग्रेस की इस व्याख्या का समर्थन होता है। प्रान्तों को अविकार है कि वे चाहें तो गुट का विधान बनने से पूर्व ही अथवा विधान-परिषद् की कमेटी-द्वारा गुट का विधान बनने और उसके छानबीन कर लेने के बाद फैसला कर सकते हैं।

मुझे यकीन है कि कांग्रेस ने प्रस्तावों का जो अर्थ लगाया है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि कोई प्रान्त शुरू से ही गुट में बाहर रहना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है और उसे गुट में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

समझौते की बातचीत के परिणाम का मूल्यांकन करते समय हमें यह नहीं। भूखना चाहिए कि कांग्रेस के सामने दो बड़े उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता और देश की एकता रहे हैं। इन दोनों ही विषयों में कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट रही है और कस्टी पर पूरी उत्तरी है। विधान-निमन्त्री संस्था विशुद्ध रूप से भारतीयों-द्वारा निर्वाचित एक परिषद् होगी। उसे भारत का विधान बनाने और वित्त कामनवेत्त्य और शेष संभार के साथ हमारे सम्बन्ध निर्धारित करने का अमर्यादित और वे-रोक-दोक अधिकार रहेगा। और यह सर्वोच्चसत्ता-संपन्न तथा स्वतन्त्र विधान-परिषद् खंडित भारत के लिये नहीं, विलिक अखंडित और संपूर्ण भारत के लिये कानून बनायगी। भारत के विभाजन को सभी योजनाएँ दमेशा के लिए खत्म कर दी गई हैं। संघीय सरकार को भले ही सीमित अधिकार रहें, लेकिन वह मजाव और शक्तिशाली होगी और आज भारत में जो कितने ही प्रान्तीय, भाषाजन्य तथा सांस्कृतिक विभेद दिखाई पड़ते हैं, उन्हें एकता के एक सुसंबद्ध सूत्र में पिरो देगी।

### रक्त सरकार की घोषणा ( २७-६-१९४६ )

नहीं दिल्ली, बुधवार—आज रात मन्त्रि-मिशन और वाइसराय ने एक घोषणा में बताया कि सरकारी अफसरों की एक अस्थायी रक्त सरकार बनाई जायगी और एक प्रतिनिधित्व-पूर्ण सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वार्तालाप कुछ समय तक के लिए स्थगित रखा जायगा, जबकि विधान-परिषद् के लिए चुनाव हो रहे होंगे।

पता चला है कि अस्थायी सरकार का स्वरूप यह होगा कि विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी वाइसराय के अधीन अपने-अपने विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। संभव है कि इनके अज्ञावा वाइसराय की शासन-परिषद् में सिविल सर्विस के एक या दो व्यक्ति बने रहें।

मंत्रि-मिशन शनिवार को भारत से प्रस्थान कर जायगा।

पूरा वक्तव्य इस प्रकार है—

२६ जून का मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल तथा वाइसराय महोदय ने निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया:—

“मन्त्रि-प्रतिनिधि-मंडल तथा वाइसराय को प्रसन्नता है कि अब दो प्रमुख राजनीतिक दलों तथा देशी शास्त्रों के सहयोग के साथ विधान-निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

“कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं-द्वारा अपने समक्ष रखे गये इन वक्तव्यों का वे स्वागत करते हैं जिनमें उन्होंने यह विचार प्रकट किया है कि वे विधान-निर्माणी परिषद् में कार्य करेंगे जिससे वे उसे देसी वैधानिक व्यवस्था स्थापित करने का एक प्रभाव-पूर्ण साधन बना सकें जिसके अन्तर्गत भारत पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। उन्हें निश्चय है कि विधान निर्माणी परिषद् के सदस्य, जिनका चुनाव होनेवाला है, इसी भावना से कार्य करेंगे।

“मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल और वाइसराय को खेद है कि अभी तक संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय

सरकार की स्थापना नहीं को जा सके है। लेकिन वे हस बात पर दृढ़ हैं कि उनके १६ जून के वक्तव्य के दर्वे पैरा के अनुसार हसकी स्थापना के प्रश्न फिर जारी किये जायें।

“परन्तु हस बात को ध्यान में रखकर कि वाहसराय तथा दबों के प्रतिनिधियों को पिछले ३ महीनों में अत्यन्त अधिक कार्य करना पड़ा है, यह विचार किया गया है कि अब आगे कुछ समय के लिये बातचीत स्थगित रखो जाय जब तक कि, विधान-निर्माणी परिषद् के चुनाव होते रहें। आशा की जाती है कि जब बातचीत फिर प्रारम्भ होगी तो दोनों प्रमुख दबों के प्रतिनिधि जिन सबने वाहसराय तथा मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल के साथ हस बात में सहमति प्रकट की है कि शीघ्र ही एक अन्तर्कालीन प्रतिनिधि सरकार स्थापित होनी चाहिए, उस प्रकार के संगठन के सम्बन्ध में कोई समझौता करने का यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करेंगे।

### प्रतिनिधि-मंडल की वापसी

चूंकि नई अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना होने तक भारत का शासन-कार्य चलता रहना चाहिए हसलिये वाहसराय का हरादा है कि सरकारी अधिकारियों की एक अस्थायी काम चलाऊ सरकार स्थापित कर दी जाय।

चूंकि मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल को विटिंश सरकार तथा पार्लीमेंट के सम्मुख अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है और अपने काम को फिर लैभाबना है जिससे वह ३ मास से भी अधिक समय से अलग रहा है, हसलिये यह संभव नहीं है कि मंडल अब और अधिक दिन तक भारत में ठहर सके। हसलिये उसका विचार शनिवार ता० २६ जून को भारत से प्रस्थान करने का है। हस देश में अतिथि के रूप में डसे जो समादर तथा सौजन्यतापूर्ण व्यवहार प्राप्त हुआ है उसके लिए वह हृदय से धन्यवाद देता है। मंडल को इार्दिक विश्वास है कि अब जो पग उठाये गये हैं उनके द्वारा शीघ्र ही भारतीय जनता की हञ्जायें और आशाएँ पूर्ण हो सकेंगी।”

( १६ जून के वक्तव्य का दबां पैरा हस प्रकार है:—“दोनों प्रमुख दबों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा अन्तर्कालीन सरकार में निर्दिष्ट आधार पर समिक्षित होने की अनिच्छा प्रकट करने पर वाहसराय का हरादा है कि वे अन्तर्कालीन संयुक्त दलीय सरकार-निर्माण के कार्य में अग्रसर रहें। जो लोग १६ मई, १९४६ के वक्तव्य को स्वीकार करते हैं, यह सरकार उनका यथासंभव अधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व करेगी।” )

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने २७ जुलाई को बम्बई की अपनी बैठक में नीचे लिखे दो प्रस्ताव पास किये:—

६ जून, १९४६ को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कौंसिल ने मंत्रि-मिशन और वाहसराय के १६ मई के वक्तव्य में उल्लिखित योजना को, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने बाद में अपने २५ मई के वक्तव्य में किया था,—स्वीकार किया था।

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना, मुस्लिम जाति की हस मांग से कि तत्काल एक स्वतंत्र और सर्वाधिकार संपन्न पाकिस्तान राष्ट्र स्थापित किया जाय, जिसमें मुस्लिम-प्रधान ६ प्रान्त शामिल हों—यद्यपि बहुत कम है, फिर भी कौंसिल ने दस साल तक की अवधि के लिए एक ऐसे संघ-केन्द्र की बात स्वीकार कर ली, जिसके अधीन केवल तीन विषय—अर्थात् रक्षा, विदेश-संरक्षण और यातायात ही रहेंगे, क्योंकि उक्त योजना में कुछ आधारभूत सिद्धान्त और संरक्षण विहित थे और उसके अन्तर्गत विभाग व और स के ६ मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों को संब-द्वारा किसी प्रकार के भी हस्तांतरण के बिना अपना प्रान्तीय और गुट-विधान बनाने के उद्देश्य अपना पृथक्-पृथक् गुट

बनाने की उत्तरवस्था की गई थी; इसके अलावा हम यह भी चाहते थे कि हिन्दू-मुस्लिम गतिरोध को शान्तिपूर्ण उपाय से सुखका लिया जाय और भारत के विभिन्न लोगों की स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त हो।

इस फैसले पर पहुँचने में, कौसिल अरने प्रधान के उस वक़्त्य से भी बहुत अधिक प्रभावित हुई थी, जो उन्होंने वाहसराय के समर्थन से दिया था और जिसमें यह कहा गया था कि अन्तरिम सरकार जो कि मिशन की योजना का एक अविळिन अंग है, एक ऐसे फार्मूले के आधार पर स्थापित की जायगी, जिसके अन्तर्गत मुस्लिमलीग के पांच, कांग्रेस के पांच, सिखों का एक और भारतीय ईसाईयों अथवा इंग्लॉ-इंडियनों का एक प्रतिनिधि रहेगा। इसके साथ ही उस फार्मूले में यह भी कहा गया था कि महत्वपूर्ण विभागों का बैठवारा दो प्रमुख दलों अर्थात् मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समान रूप से होगा।

कौसिल ने अपने प्रधान को यह अधिकार भी प्रदान किया कि वे अन्तरिम सरकार की स्थापना से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य विस्तृत बातों के बारे में ऐसा कोई भी निर्णय और कार्रवाई कर सकते हैं, जिसे वे उचित और जरूरी समझते हों। उसी प्रस्ताव में कौसिल ने अपना यह अधिकार भी सुरक्षित रख लिया था कि यदि घटनाचक्र को देखते हुए आवश्यकता पड़े तो इस नीति में परिवर्तन और संशोधन किया जा सकेगा।

कौसिल की राय है कि ब्रिटिश-सरकार ने मुस्लिम लीग के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि मंत्रिमिशन और वाहसराय अन्तरिम सरकार की स्थापना के लिए कांग्रेस को खुश करने के उद्देश्य से अपने प्रारंभिक फार्मूले अर्थात् ५ : २ : २ के अनुपात से फिर गये।

वाहसराय ने अपने उस प्रारंभिक फार्मूले से पब्लिक बाद, जिसका विश्वास करके लीग कौसिल ने ६ जून को अपना निर्णय किया था, एक नया फार्मूला पेश किया जिसमें ५ : २ : ३ का अनुपात रखा गया था। और कांग्रेसके साथ काफी समय तक बातचीत करते रहने और उसे मनाने में असफल हो जाने के बाद १५ जून को विभिन्न दलों को सूचित किया कि अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वे अपना और मिशन का अनिम वक़्त्य देंगे।

तदनुसर १६ जून को मुस्लिम लीग के प्रधान को एक वक़्त्य मिला, जिसमें अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में वाहसराय का अन्तिम निर्णय उल्लिखित था। उस वक़्त्य में वाहसराय ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यदि दोनों प्रमुख दलों में से किसी एक ने भी १६ जून का वक़्त्य अस्वीकार कर दिया तो वे उस बढ़े दल और अन्य ऐसे प्रतिनिधियों की सहायता से, जिन्होंने उसे स्वीकार कर लिया होगा, अन्तरिम सरकार स्थापित करने में अग्रसर होंगे, यही बात १६ जून के वक़्त्य के आठवें पैरे में स्पष्ट रूप से कही गई थी।

कांग्रेस ने अन्तरिम सरकार को स्थापना के सिलसिले में मंत्रिमिशन का १६ जून का अन्तिम निर्णय भी अस्वीकार कर दिया, जब कि लीग ने उसे निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया था—हालांकि यह प्रारंभिक फार्मूले से अर्थात् ५ : २ : २ से सर्वथा विभिन्न था—क्योंकि वाहसराय ने संरक्षणों की उत्तरवस्था की थी और इसी प्रकार के दूसरे आश्वासन दिये थे, जिनका उल्लेख उनके २० जून, १९४६ के पत्र में किया गया है।

परन्तु वाहसराय ने १६ जून का प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में डाल दिया और अन्तरिम सरकार की स्थापना स्थगित कर दी और इसके लिए उन्होंने मंत्रिमिशन की कानूनी प्रतिभाद दारा गढ़े गये मूठे बहाने पेश किये। उन्होंने १६ जून के वक़्त्य के आठवें पैरे का अर्थ अस्याविक

विदेशीनता और वेद्यमानी से लगाया और यह कहा कि चूंकि दोनों बड़े दलों अर्थात् मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने १६ मई का वक्तव्य स्वीकार कर लिया है, इसलिए अन्तरिम सरकार की स्थापना के प्रश्न पर दोनों दलों के सजाह-मशविरे से किरण नये सिरे से सोच-विचार किया जायगा।

यदि हम उनकी यह बात मान भी लें, हालांकि इसके लिए कोई आधार नहीं है, तो भी कांग्रेस ने अपनी शर्त-स्वीकृति और उस वक्तव्य की अपनी व्याख्या-द्वारा, जैसा कि कांग्रेस के अध्यक्ष के २५ जून के पत्र और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दिली में पास किये गये २६ जून के प्रस्ताव से स्पष्ट है। उम्मीद योजना के मूलभूत सिद्धान्तों को ही मानने से अस्वीकार कर दिया और वास्तव में उसने १६ मई का वक्तव्य ही नामंजूर कर दिया और इसलिए १६ जून के अनितम प्रस्तावों को किसी भी बिना पर स्वतंत्र कर दिना न्यायोचित नहीं था।

जहाँ तक मंत्रि-मिशन और वाइसराय के १६ मई २५ मई के वक्तव्यों में उल्लिखित प्रस्ताव का प्रश्न है, दोनों बड़े दलों में से केवल लीग ने ही उसे स्वीकार किया है।

‘कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उसकी स्वीकृति बिना शर्त के नहीं है और उसका आधार उनकी अपनी ही व्याख्या है, जोकि मिशन और वाइसराय-द्वारा १६ और २५ मई को अधिकृतरूप से जारी किये हुए वक्तव्य के सर्वथा प्रतिकूल है। कांग्रेस ने यह बात साफ तौर पर कही है कि वह इस योजना को कोई भी शर्त अथवा मूलभूत सिद्धान्त मानने को तैयार नहीं है और उसने केवल विधान-पारिषद् में भाग लेना स्वाकार किया है। इससे अधिक उसने और कुछ नहीं किया। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा है कि विधान-परिषद् एक सर्वसत्ता-संपन्न स्वाधीन संस्था है और वह उन शर्तों और आधार का कर्तव्य ख्याल किये बिना, जिसकी बिना पर वह बनाई जा रही है, जो चाहिे निर्णय कर सकती है। बाद में उसने इस बात को अखिल भारतीय महासमिति को बम्बई की बैठक में, जो ६ जुलाई को हुई थी, कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों के भाषणों और कांग्रेस के प्रधान दंडित जवाहरलाल के उस वक्तव्य में भी स्पष्ट कर दिया है जो उन्होंने १० जुलाई को बम्बई के पत्र-प्रतिनिवियों की बैठक में दिया था। इतना ही नहीं, पार्लीमेंट में हुई बहस के बाद भी उन्होंने दिली में दिये गए २२ जुलाई के अपने एक सार्वजनिक भाषण में भी इसे किरण दोहराया है।

इस सब का यह परिणाम निकलता है कि दोनों प्रमुख दलों में से केवल लीग ने ही १६ मई और २५ मई के वक्तव्यों में उल्लिखित प्रस्तावों को अक्षरणः स्वीकार किया है। १३ जुलाई को हैदराबाद दिविय से मुस्लिम लीग के प्रधान ने अपने एक वक्तव्य में इस बारे में भारत-मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन उसके बाबजूद भी हाल में पार्लीमेंट में जो बहस हुई है, उसके दौरान में न तो सर स्टेफँसन ने कामन-सभा में, और न ही लार्ड पेथिक-लार्सन ने लार्ड सभा में किसी ऐसी व्यवस्था पर प्रकारा ढालने का कष्ट किया है, जिसके जरिये विधान-सभा को अपने अधिकार-चेत्र के बाहर के निर्णय करने से राका जा सकेगा। इस विषय में भारत-मंत्री ने सिर्फ इतना ही कहना मुनासिब समझा है और यह सदृश्याकांचा प्रकट की है कि, ‘ऐसा करना उम्मीदों के प्रति न्यायपूर्ण नहीं होगा जो विधान-पारिषद् में शार्फ़िमज़ हो रहे हैं।’

एक बार विधान-परिषद् का अधिवेशन बुला लिये जाने पर कोई ऐसी व्यवस्था अथवा शक्ति नहीं है जो कांग्रेस को उसके प्रबल बहुमत का सहायता से कोई भी ऐसा निर्णय करने से रोक सके, जो उसकी अधिकार-सीमा से बाहर हो या जिसके लिए वह असमर्थ हो अथवा वह

निर्णय आदे इस योजना के कितना ही प्रतिकूल क्यों न हो। बहुमतवाले जैसा भी चाहेंगे फैसला कर लेंगे। कांग्रेस को पहले ही सवर्ण हिन्दुओं के बहुसंख्यक वोट मिल गये हैं, क्योंकि हिन्दुओं के बोटों की संख्या कहीं अधिक थी और इस प्रकार वह जैसा चाहेगी विधान-परिषद् में करेगी—जैसा कि वह पहले ही घोषणा कर चुकी है अर्थात् वह प्रान्तों की गुटबन्दी का आधार ही तोड़ देगी और संघकेन्द्र के लेने, उसके अधिकारों और विषयों को विस्तृत कर देगी, हालांकि १६ मई के वक्तव्य के १२ वें और १४ वें पैरे में यह बात साफ तोर पर कही गई है कि विधान-परिषद् को केवल तीन विशिष्ट विषयों पर ही सोच-विचार करने का अधिकार है।

मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल और वाइसराय ने सामूहिक और पृथक्-पृथक् रूप में कई बार यह कहा है कि मूलभूत सिद्धान्त इसलिए रखे गये थे ताकि दोनों वडे दल विधान-परिषद् में सम्मिलित हो सकें और जब तक सहयोग की भावना से प्रेरित होकर काम नहीं किया जायगा तब तक योजना को क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सकेगा। कांग्रेस के रखैये से यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि विधान-निर्मात्री संस्था के सफलतापूर्वक संचालन की ये आवश्यक शर्तें विवरकूल खट्ट हो चुकी हैं और उनका कोई अनिवार्य नहीं है। उसकी इस बात से और कांग्रेस को खुश करने के लिए मुस्लिम जाति तथा भारतीय जनता के कुछ अन्य निवेश ग्रंथां—विशेषकर परिणामित जातियों के हिंतों को बलि पर बढ़ा देने की विधिश सरकार की नीति, और जिस तरह से वह समय-समय पर सुसलमानों को दिये गये अपने मौखिक और लिखित दोनों ही तरह के वायदों और आश्वासनों से पलटता रहा है, कोई सदैह नहीं रह जाता कि इस परिस्थितियों में मुसलमानों के लिए विधान-निर्मात्री संस्था में भाग लेना खतरे से खाला। नहीं है और अब कौसिल प्रतिनिधि मंडल के प्रस्तावों की अपनी उस स्वीकृति को वापस लेने का फैसला करती है जिसकी सूचना मुस्लिम लोग के प्रधान ने ६ जून, १९४६ को भारत-मंत्री को दी थी।

प्रत्यक्ष कार्बवाई के सम्बन्ध में लोग का प्रस्ताव

प्रत्यक्ष कार्बवाई के सम्बन्ध में मुस्लिम लोग का प्रस्ताव इस प्रकार है:—

“चूंकि अखिल भारतीय मुस्लिम लोग ने अपने मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल और वाइसराय के १६ मई के वक्तव्य में उल्लिखित प्रस्तावों को नामंतर करने का फैसला किया है, इस कारण जहाँ एक और कांग्रेस की इच्छाएँ हैं, वहाँ दूसरा और मुसलमानों के प्रति विधिश सरकार का विश्वासघात है। और चूंकि भारत के मुसलमानों ने समझौते और वैधानिक डपाय-द्वारा भारतीय समस्या को शान्तपूर्ण ढंग से सुलझाने की इर संभव चेष्टा का है और उसे सफलता नहीं मिली, और चूंकि कांग्रेस अंग्रेजों को अप्रत्यक्ष सहायता से भारत में सवर्ण हिन्दू राज्य स्थापित करने पर तुली हुई है और चूंकि हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय मामलों में नियायिक बात न्याय और औचित्य न होकर शक्ति-राजनीति है और चूंकि यह बात विवरकूल स्पष्ट हो चुकी है कि भारत के मुसलमानों को तब तक किसी और चीज से सन्तोष नहीं हो सकता जब तक कि स्वतंत्र और पूर्ण सर्वसत्ता-सम्पन्न पाकिस्तान स्थापित नहीं हो जाता और यदि मुस्लिम लोग की मर्जी के बिना मुसलमानों के ऊपर कोई दीर्घकालीन अधिकालीन विधान लादने, अधिकालीन केन्द्र में कोई अन्तरिम सरकार स्थापित करने की कोशिश की जायगी तो वह उसका ढटकर विरोध करेगी अतः मुस्लिम लोग की कौसिल को पूरा यकीन होगाया है कि अब वह समय आगया है जब कि पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए उसे प्रत्यक्ष कार्बवाई के मार्ग का अवलंबन करना होगा और अपने अधिकारों का प्रतिपादन करना होगा और अपनों प्रतिष्ठा को स्थिर

रखना होगा, अंग्रेजों की मौजूदा गुबामी तथा सवर्ण हिन्दुओं के भावी प्रभुत्व से छुटकारा पाना होगा।

यह कौसिक्ष मुस्लिम जाति से अनुरोध करती है कि वह अपने एकमात्र प्रतिनिधित्वपूर्ण संगठन की छवियाया में एक होकर समझ हो जाय और हर संभव बलिदान देने के लिए प्रस्तुत हो जाव। यह कौसिक्ष वर्किंग कमेटी को हिदायत करती है कि वह उपर्युक्त नीति को क्रियात्मक रूप देने के लिए तत्काल प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का एक कार्यक्रम तैयार करे और मुसलमानों को उस आगामी संवर्धन के लिए संगठित करे, जो आवश्यकता पड़ने पर शुरू किया जायगा। अंग्रेजों के रूप के विरोध में और जोभ के रूप में यह कौसिक्ष मुसलमानों से अनुरोध करती है कि वे विदेशी सरकार-द्वारा उन्हें प्रदान पदवियों को तुम्तन्त्र त्याग दें।

कामनसभा में प्रयानमंत्री क्लेमेंट एटली का भाषण (१५-२-४६)

“मुझे इस सभा में अपने मित्रों से जो अभी हाल में भारत से ज़ाटे हैं, भारतीयों के पत्रों से और सभी विचारों के भारत में रहनेवाले अंग्रेजों से पता चला है कि वे इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि इस समय भारत में बड़ी बेचैनी और तनाव पाया जाता है और वस्तुतः यह एक बड़ा गम्भोर मौका है। इस समय भारत में राष्ट्रीयता की लहर बड़ी जोरों से दौड़ रही है और वास्तव में देखा जाय तो संपूर्ण देशिया में ही यह लहर दौड़ रही है।

श्री बट्टलर का सुझाव यह नहीं था कि सरकार मिशन के वास्तविक विचारणीय विषय प्रकाशित करे। इमने अपने साधारण उद्देश घोषित कर दिया है और इमारी यह मंशा है कि प्रतिनिधि-मंडल को उसके काम में यथासंभव अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता दी जाय।

मुझे निश्चय है कि सभा का प्रत्येक सदस्य यह अनुभव करता है कि मिशन के सदस्यों ने वाइसराय के साथ मिलकर कितने कठन काम का बीड़ा उठाया है और कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहेगा। मिससे उनका यह काम और भी अधिक कठिन हो जाय।

मैं श्री बट्टलर के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ कि मिशन को वहां रचनात्मक और ठोस दृष्टिकोण बनाकर जाना चाहिए और इसी दृष्टिकोण को लेकर वस्तुतः वे अपना काम करने जा रहे हैं।

श्री एटली ने कहा, “मैं श्री बट्टलर का उनके बुद्धिमत्तापूर्ण, उपयोगी और रचनात्मक भाषण के लिए धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कितने ही वर्ष तक भारतीय मामलों को निबटाने में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है और उनका सचिव्य पृक् ऐसे परिवार से है जिसने बहुत से प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता इस देश को दिये हैं।

उन्होंने जिस हांगे से सना में था तो भाषण दिया है आज हमें ठीक उसी की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय इन दांतों देंगे के सम्बन्ध के मामले में एक बड़ी ही नाजुक घड़ी है और इसके लिए तात्पर्य भी बड़ा ही तनाव पाया जाता है।

यह समय निस्तंदेद कोई निशित और स्पष्ट कदम उठाने का है। मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। मेरी राय में ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा और विशेषकर भूतकालीन घटनाओं का पिंडायज्ञोंहन करना अत्यधिक अनुचित होगा। पिछली बातों को फिर से उठाना बड़ा आमान है येर असाधारण रूप से किटिन इस समस्या के सम्बन्ध में चिरकाल से जीविचार-विनिमय चल रहा है, उसकी असफलता के लिए किसी के मध्ये दोष मढ़ देना भी बड़ा आसान है। इस कठिन समस्या से मेरा अभिप्राय भारत को पूर्णतः पृक् स्वराज्यप्राप्त राष्ट्र बड़ा आसान है।

के रूप में उन्नत करने से है ।

भूतकालीन खस्ती अधिकारी में यह बताना और कहना बड़ा आसान है कि फलां वक्त पर इस पक्ष ने या उस पक्ष ने अपनी गलती से मौका हाथ से खो दिया ।

पिछ्के लगभग २० वर्षों से इस समस्या से मेरा धनिष्ठ संपर्क रहा है और मेरी यह राय है कि दोनों ही पक्षों ने गलतियाँ की हैं, लेकिन इस बार इसे पिछली बातों का रोना न रोकर भविष्य की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । इसबिंदु पर तो इस प्रकार कहूँगा कि अब हमारे लिए वर्तमान स्थिति में भूतकालीन दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करना उचित नहीं । १९४६ की परिस्थितियाँ १९२०, १९३० अथवा १९४२ की परिस्थितियों से सर्वथा विभिन्न हैं । पिछ्के सब नारे अब खत्म हो जाने चाहिए । कभी-कभी देखने में आया है कि आज से कुछ समय पूर्व अपनी आकांक्षों को प्रकट करने के लिए भारतीय जो शब्द ठीक समझते थे आज उन्हें एक और छोड़कर नये शब्द और विचारों का प्रयोग किया जा रहा है ।

सार्वजनिक विचारधारा को जितना प्रांतसाहन किसी बड़े युद्ध से मिलता है उतना किसी और बात से नहीं । पिछ्के दोनों महायुद्धों के बीच जिन लोगों का भी इस समस्या से कोई वास्ता रहा है, वे खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि १९४१ की लड़ाई का भारतीयों की आकांक्षाओं और विचारों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था । शान्तिकाल में जिस लहर का बेग अपेक्षाकृत धीमा होता है उसकी गति युद्ध के दिनों में बड़ी प्रचण्ड हो जाती है और खासकर उसकी समाप्ति के बाद, क्योंकि उस लहर को बहुत हड़ तक लड़ाई के जमाने में प्रश्न निलग जाता है ।

मुझे निश्चय है कि इस समय भारत में राष्ट्रीयता की लहर बड़े जीरों से चल रही है और वास्तव में देखा जाय तो संपूर्ण एशिया में ही लहर बड़ा जोर पकड़ रही है ।

आपको हमेशा यह याद रखना होगा कि एशिया के दूसरे हिस्सों में जो कुछ भी होता है उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ता है । मुझे खूब स्मरण है कि जब मैं साइमन-कमीशन के सदस्य के रूप में वहाँ था तो उस समय जापान ने जो चुनौती दी थी उसका एशिया के लोगों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था और राष्ट्रीयता की यह लहर जो एक सभ्य भारत के लोगों के अपेक्षाकृत एक छोटे से भाग में ही पाई जाती थी, विशेषकर कुछ थोड़े से पड़े-क्षिले लोगों में वह दिन प्रतिदिन व्यापक-से-व्यापक रूप धारण करती गई है ।

मुझे याद है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के समय यथापि उप्रवादियों और नरम दल-वालों के राष्ट्रीय विचारों में काफी अन्तर था और यथापि कई मामलों में सांघर्षिक दावों का इतना अधिक दबाव पड़ा कि राष्ट्रीय विचारधारा को एक और रख देना पड़ा, फिर भी हमने देखा कि हिन्दूओं, मुसलमानों, सिखों और मराठों, राजनीतिज्ञों और सरकारी नौकरों—प्रायः सभी में राष्ट्रीय विचारधारा जो पकड़ती जा रही थी और आज मेरा ख्याल है कि यह विचारधारा सभी जगह बर कर सुकी है और शायद कम-से-कम उन सैनिकों में भी राष्ट्रीयता की यह लहर दौड़ गई है, जिन्होंने लड़ाई में हतनी अमृत्यु सेवा की है ।

इसबिंदु आज मैं भारतीयों के पारस्परिक मतभेदों पर हतना अधिक जोर नहीं देना चाहता, वहिंक हम सभी को आज यह अनुभव करना चाहिए कि भारतीय लोगों में वाहे कितने ही मतभेद वर्षों न हों और इस मार्ग में कितनी ही कठिनाइयाँ वर्षों न हों, भारत के सभी लोगों की यही मार्ग है ।

जिससंदेश कुछ मामलों में हमें भूतकाल का भी आश्रय लेना पड़ेगा, लेकिन इस समय

स्थिति यह है कि हम भारत के सभी नेताओं में अधिक-से-अधिक सहयोग और सद्भाव स्थापित करने की भरताक चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी हालत में जो लोग फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं, उन्हें किसी बन्धन में बांधना अथवा उनके लंबे को सीमित करना हमारे लिए बुद्धिमतापूर्ण नहीं होगा।

मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडल भेजने का प्रत्यक्ष कारण यह है कि आप ऐसे जिमेदार लोगों को वहां भेज रहे हैं जो फैसला करने की योग्यता रखते हैं। निसंदेह उनका कार्य-लंबे ऐसा होना चाहिए जिसमें संभवतः उन्हें आश्रय लेना पड़े।

श्री बटलर ने बताया है कि भारत ने युद्ध में कितना महत्वपूर्ण भाग लिया है। श्री एटबी ने कहा कि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पिछले २५ वर्षों में भारत ने अत्याधिकार का दमन करने और उसके उन्मूलन में दो बार बहुत बड़ा भाग लिया है। इसलिये क्या यह आश्चर्य की बात है कि आज वह देश—जिसकी ४० करोड़ जनता ने दो बार अपने सुपुत्रों को स्वाधीनता की रक्षार्थ अपना बलिदान देने के लिए भेजा है—यह मांग कर रहा है कि उसे भी अपने भाग्य का निर्णय करने को पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए ? (करतल-धर्वान)

मेरे सहयोगी वहां इस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं कि वे भारत को यह स्वाधीनता यथासंभव जलदी-से-जलदी और पूर्णतः प्राप्त करने में अपनी ओर से अधिक-से-अधिक सहयोग प्रदान कर सकें ; वर्तमान सरकार के स्थान पर कैसी सरकार स्थापित होनी चाहिए, इसका निर्णय स्वयं भारतीयों को ही करना है, किन्तु हमारी इच्छा उसे यह निर्णय करने के लिए तुरन्त कोई व्यवस्था करने में मदद देना है।

ऐसी व्यवस्था करने में आपको प्रांभिक कठिनाई पेश आ रही है, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था कायम करने का इकलौता कर रखा है और इस कायम में भारत के सभी नेताओं का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं।

संसार में भारत की भावी स्थिति क्या होगी, इसका फैसला भी स्वयं भारत को ही करना है, भले ही राष्ट्रसंघ या कामनवेल्य के जरिये एकता स्थापित हो जाय, किन्तु कोई भी बड़ा राष्ट्र अकेले ही अपने पैर नहीं लड़ा हो सकता, उसे संसार में जो-कुछ हो रहा है, उसमें हाथ बंदाना ही होगा। मेरी यह आशा है कि भारत विदिश राष्ट्रसमूह में ही रहने का फैसला करे। मुझे निश्चय है कि ऐसा करने में उसे बड़ा लाभ रहेगा। अगर वह ऐसा फैसला करता है तो यह निर्णय उसे स्वेच्छा से और स्वतंत्रापूर्वक करना होगा, क्योंकि विदिश राष्ट्रमंडल और साम्राज्य किसी बाहरी दबाव के कारण एक दूसरे से नहीं बंधे दुए हैं। यह सो स्वतंत्र लोगों का स्वतंत्र संघ है।

अगर इसके विपरीत वह स्वतंत्र रहना चाहता है—और हमारी राय से उसे ऐसा करने का पूरा हक है—तो इसारा फर्ज यह होगा कि हम उस परिवर्तन को जहां तक हो सके आसान-से-आसान और व्यवस्थित रूप में होने में पूरी-पूरी मदद करें।

श्री एटबी ने आगे कहा—“हमने भारत को संयुक्त बनाया है उसे राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना दं है, जिसका गत किन्तु शारांडियों से उसमें अभाव था और उसने हम से प्रजातंत्र और न्याय का सबक भी सीखा है।

जब भारतीय हमारे शासन की आज्ञोचना करते हैं तो उनकी आज्ञोचना का आधार भारतीय सिद्धान्त न होकर, ट्रिटेन-द्वारा प्रतिपादित मापदण्ड ही होते हैं।

श्री एटबी ने बताया कि अभी हाल में जब वे अमरीका गये थे, तो उन पर वहां भी एक

घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। वे बहुत से प्रतिष्ठित अमरीकियों और भारतीयों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि यह प्रसंग छिड़ गया कि किस प्रकार ब्रिटेन-द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों पर अमरीका में अमल हो रहा है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि उस लातलाप के दौरान में यह बताया था कि अमरीका ने ब्रिटेन से बयोती के रूप में बहुत कुछ दायित किया है।

लेकिन मेरे भारतीय मित्र ने कहा कि कभी कभी अमरीकी लोग यह भूज जाते हैं कि एक बड़ा राष्ट्र भी है जिसने ब्रिटेन से ये सिद्धान्त सीखे हैं और वह राष्ट्र है भारत। हम यह अनुभव करते हैं कि हमारा यह कर्तव्य, अधिकार और विशेष हक है, क्योंकि हमने यहां ब्रिटेन में जिस सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, उन्हें हमने संसार को भी दिया है और स्वयं भी उन पर अमल करते हैं।

आगे उन्होंने कहा कि जब मैं भारत का उल्लेख करता हूँ तो मैं स्वृ॒ब्ध अच्छी तरह से जानता हूँ कि वहां जातियों, धर्मों और भाषाओं की कितनी भरमार और उनके कारण जो कठिनाइयां पैदा होती हैं, उन्हें भी मैं स्वृ॒ब्ध समझता और जानता हूँ। लेकिन इन कठिनाइयों पर केवल भारतीय ही कायू पा सकते हैं।

हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और अल्पसंख्यकों से निर्भय होकर इन्हें कोई सामर्थ्य होनी चाहिए। दूसरी ओर हम किसी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक की प्रगति में बाधक नहीं बनने देना चाहते।

हम यह नहीं बता सकते कि हन कठिनाइयों का कैसे दूर किया जाय। हमारा पढ़ाता काम निर्भय करने की शारीर रखनेवाली कोई व्यवस्था करने का है और मंत्रि-मिशन तथा वाइसराय का यही प्रमुख उद्देश्य है।

हम भारत में एक अंतर्राम सरकार स्थापित करना चाहते हैं। आज जिस बिल पर बहस हुई है उसका यह भी एक उद्देश्य है। हम इस दिशा में वाइसराय को अधिक आजादी देना चाहते हैं ताकि उस अवधि में जब कि विधान-निर्माण का कार्य चल रहा हो भारत में एक ऐसी सरकार शासनभार संभाले हुए हो जिसे देश की जनता यथासंभव अधिक-से-अधिक समर्थन और सहयोग प्राप्त हो। मैं विभागों के निर्वाचन में वाइसराय के निर्णय को किसी ब्रिकार के भी बन्धनों में नहीं बांधना चाहता।

कितनी ही भारतीय रियासतों में बड़ी प्रगति हुई है और द्रावनकोर में जो परीक्षण हो रहा है, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय और आकर्षक है। निःसंदेह भारत में राष्ट्रीयता की जो भावना विद्यमान है उसे उन सीमाओं तक ही महदूद नहीं रखा जा सकता जो रियासतों और प्रान्तों को एक-दूसरे से पृथक् करती हैं।

मुझे आशा है कि ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ और भारत के नरेश विभिन्न सम्बद्ध और सम्मिलित भागों को एक-दूसरे के साथ निकट लाने की समस्या को सुलझा सकेंगे और इस मामले में भी हमें यह ध्यान में रखना है कि भारतीय रियासतों को उनका उचित अधिकार अवश्य मिले। मैं एक छाण के लिए भी यह बात मानने को तैयार नहीं कि भारतीय नरेश भारत की प्रगति में बाधक बनेंगे।

यह एक ऐसा मामला है, जिसका निर्णय स्वयं भारतीयों को ही करना है। मैं भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या से भजी-भांति परिचित हूँ। यदि भारत को भावी वर्षों में व्यवस्थित रूप से अपना काम आगे बढ़ाना है तो मेरा खयाल है कि सभी भारतीय नेता अल्पसंख्यकों की

इस समस्या को सुलझाने की अधिकाधिक आवश्यकता अनुभव करते हैं और सुझे भरोसा है कि विधान में उनके लिए व्यवस्था रहेगी ।

मिशन निश्चय ही इस समस्या की अवहेलना नहीं करेगा, लेकिन आप यह नहीं कर सकते कि एक और तो भारतीयों को स्वराज्य दे दिया जाय और दूसरी ओर अख्यासंख्यकों का उत्तरदायित्व और उनकी ओर से हस्तक्षेप करने का अधिकार इम यहां अपने हाथ में बनाये रखें ।

इम सरकारी नौकरों की तथा उन लोगों की स्थिति से भी भली प्रकार परिचित है, जिन्होंने भारत की महान् सेवा की है । भारत में इतनी अवज्ञानी अवश्य होगी कि वह उन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करे, जिन्होंने उनकी सेवा की है ।

जो सरकार वर्तमान सरकार की सम्पत्ति लेगी वह उसकी जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर लेगी अर्थात् वर्तमान सरकार की लेनी-देनी उसी पर होगी । इस प्रश्न पर भी हमें बाद में सोच-विचार करना है । इसका समन्वय निर्णय करने के लिए तत्काल स्थापित की जानेवाली व्यवस्था से नहीं है ।

जहां तक संघि का प्रश्न है, इम कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जिससे केवल हमें ही ज्ञान पहुँचता हो और भारत को केवल नुकसान ।

मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो काम है वह बड़ा ही नाजुक है । यह समस्या न केवल भारत और विटिश-राष्ट्र-समूह और साम्राज्य के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि संपूर्ण मंसार के लिए भी । युद्ध-द्वारा उत्पीड़ित और ध्वस्त परिशया में, जिसका व्यवस्था अस्त-व्यस्त है । हमारे सम्मुख एक ऐसा ही त्र पढ़ा है जो प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर अमल करने की कोशिश करता रहा है । मैंने स्वयं सदैव यह अनुभव किया है कि राजनीतिक और प्रबुद्ध भारत सम्भवतः परिशया का पथ-प्रदर्शक और ज्योति बने । यह अत्यधिक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय में जबकि हमें ऐसे बड़े-बड़े राजनीतिक प्रश्नों को सुलझाना पड़ रहा है देश के सामने गंभीर आर्थिक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं । हमें भारत की खाद्य-समस्या के बारे में विशेष रूप से चिन्ता है ।

सभा जानती है कि विटिश सरकार इस समस्या के बारे में बड़ी चिन्तित है और हमारे खाद्य-मंत्री इस समय भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के साथ श्रमरीका गये हुए हैं । हम इस दिशा में भारत की मदद करने की भरसक चेष्टा करेंगे ।

मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का जिकर करना उचित नहीं है । मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इन कठिनाइयों को केवल स्वयं भारतीय ही सुलझा सकते हैं, क्योंकि वही भारतीय जीवन के तरीके और दृष्टिकोण से इतनी घनिष्ठता के साथ बँधे हुए हैं । उनकी मदद के लिए हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा, हम करेंगे । मेरे सहयोगी भारत यह दृढ़ निश्चय करके जा रहे हैं कि वे अवश्य सफल होकर जौटेंगे और सुझे निश्चय है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी सफलता को कामना करेगा ।

#### परिशिष्ट ५.

##### अन्तरिम सरकार के सदस्यों की घोषणा (२५-८-४६)

वाहसराय-भवन से कल केन्द्र में स्थापित होनेवाली प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय अन्तरिम सरकार के सदस्यों की घोषणा की गई थी । १४ सदस्य रहेंगे, जिनमें से १२ के

नाम घोषित कर दिये गए थे, शेष दो मुसलमान सदस्य बाद में नियुक्त किये जायेंगे। नयी सरकार २ सितम्बर को अपना कार्य-भार सँभालेगी। सन्नाटे ने वाइसराय की शासन-परिषद् के बर्तमान सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनकी जगह निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त किया है:—

पंडित जवाहरलाल नेहरू,

सरदार वल्लभभाई पटेल,

डा० राजेन्द्रप्रसाद,

श्री आसफ अली,

श्री सी० राजगोपालचारी,

श्री शरतचन्द्र बोस,

डा० जान मथाई,

सरदार बलदेवसिंह,

सर शफात अहमद खां,

श्री जगजीवनराम,

सैर्यद अली जहार, और

श्री कुवरजी हरमुखी भाभा।

दो और मुस्लिम सदस्यों को बाद में नियुक्त किया जायगा।

जो नाम प्रकाशित किये गए हैं उनमें पांच हिन्दू, तीन मुसलमान और एक-एक प्रतिनिधि क्रमशः एरिगियत जातीयों-भारतीय ईसाइयों, सिखों और पारसियों—का भी शामिल है। यह नामाली वही है जिसका उल्लेख १६ जून के व्यवहार में किया गया है। इसमें केवल पारसियों और मुसलमानों के प्रतिनिधि वही नहीं हैं और साथ ही श्री द्वेरकृष्ण मेहताब के स्थान पर श्री शरतचन्द्र बोस का नाम है।

### वाइसराय का रेडियो-भाषण ( २५-८-४६ )

“मेरा विचार है कि आपलोग जो भी नई सरकार के निर्माण के विरोधी हैं सन्नाट की सरकार की उस मूल नीति के विरोधी नहीं हैं कि भारत को अपने भाग्य का निर्माण करने की स्वतन्त्रता देकर वह अपने वचनों को पूरा कर दे। मेरा विचार है कि आप इस बात से भी सहमत होंगे कि हमें तत्काल भारतीयों की एक पेसी सरकार की आवश्यकता है जो देश के राजनीतिक लोकमत का यथासम्भव अधिक से अधिक प्रतिनिष्ठित करती हो। इसी के लिए मैंने प्रयत्न प्रारम्भ किया। लेकिन, यद्यपि १४ में से २ जगह सुस्लिम लोग को प्रस्तुत की गईं, यद्यपि इस बात के आश्रवासन दिये गये कि विधान-निर्माण की योजना निर्धारित पद्धति के अनुसार ही कार्य-निवृत्त की जायगी और यद्यपि नई अन्तर्कालीन सरकार बर्तमान विधान के अन्तर्गत ही काम करेगी फिर भी इस संयुक्त दलीय सरकार की स्थापना नहीं की जा सकी है। इस असफलता पर मुझसे अधिक दुःख किसी को नहीं होगा।

मुझ से अधिक किसी और को यह निश्चय नहीं हो सकता कि इस समय भारत के समस्त दलों और वर्गों के हित में एक पेसी संयुक्त दलीय सरकार की आवश्यकता है जिसमें दोनों प्रमुख दलों के प्रतिनिधि हों। मुझे ज्ञात है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू और उनके सहयोगियों का भी इस विषय में इतना दृढ़ विश्वास है जितना मेरा अपना, और मेरी ही तरह वे

भी लीग को सरकार में सम्मिलित होने के लिये प्रेरित करने का प्रयत्न करते रहेंगे।

मुस्लिम लीग के प्रति जो प्रश्नाव रखा गया है और जो अभी तक वैसा ही बना रहा है उसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। १४ सदस्यों की सरकार में वह ५ नाम मुझे प्रस्तुत कर सकती है। ६ सदस्य कांग्रेस-द्वारा मनोनीत होंगे और तीन अवृप-संख्यक जातियों के प्रतिनिधि रहेंगे। यदि ये नाम मुझे स्वीकृत हुए और सन्नाट को उनमें कोई आपत्ति न हुई तो उन्हें अन्तर्कालीन सरकार में सम्मिलित कर दिया जायगा और उसका तत्काल न्याय संगठन किया जायगा।

मुस्लिम लीग को इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि किसी भी आवश्यक प्रश्न पर उसे विरोधी बहुमत के कारण पराजित होना पड़ेगा। संयुक्त सरकार केवल हसी शर्त पर बनी रह सकती है और कार्य कर सकती है कि उसमें सम्मिलित दोनों प्रमुख दल संतुष्ट रहें। मैं इस बात की व्यवस्था करूँगा कि सब से अधिक महत्व के विभागों का समुचित विभाजन हो। मुझे हार्दिक विश्वास है कि लीग अपनी नीति पर पुनः विचार करेगी और सरकार में सम्मिलित होने का निश्चय करेगी।

परन्तु इस अधिकारी में भारत का शासन तो चलता ही रहना है और बड़े २ प्रश्न निश्चय करने को पड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देश के राजनीतिक लोकमत के बहुत बड़े भाग के प्रतिनिधि शासन कार्य चलाने में मेरे सहयोगी होंगे। मैं अपनी शासन-परिषद् में उनका स्वागत करता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अब सिखों ने विधान निर्माणी-परिषद् में तथा अन्तर्कालीन सरकार में सम्मिलित होने का निश्चय कर दिया है। मैं समझता हूँ कि निससन्देह उनका निश्चय बुद्धिमत्तापूर्ण है।

जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, सन्नाट की सरकार की इस नीति को कि नई सरकार को देश के दैनिक शासन कार्य में अधिकतम स्वतंत्रता दी जाय मैं पूर्ण रूप से कार्यान्वित करूँगा। प्रान्तीय सरकारों को प्रान्तीय स्वायत्त शासन के लंबे में निश्चय ही बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मेरी नई सरकारको कोई अधिकार नहीं होगा; वस्तुतः उसकी इच्छा ही नहीं होगी कि प्रांतीय शासन-चेत्र में वह अनधिकार चेष्टा करे।

कलकत्ते की हाल की घटनाओं ने हमें बड़ी गम्भीरता से यह स्मरण करा दिया है कि यदि भारत को स्वतंत्रता-प्राप्ति के परिवर्तन-काल के बाद जीवित रहना है तो सहशीक्षण कीब हुत अधिक परिमाण में आवश्यकता होगी। मैं न केवल विचारशील नागरिकों से वर्तिक युवकों से और वस्तुस्थिति से असंतुष्ट लोगों से यह अनुरोध करौंगा चाहता हूँ कि वे यह समझ लें कि उन्हें, उनके वर्ग को या भारत को हिंसात्मक शब्दों या हिंसात्मक कार्यों से किसी भी प्रकार के लाभ की सम्भावना नहीं है। यह आवश्यक है कि प्रयोग प्रांत में कानून और व्यवस्था की रक्षा की जाय, एक इद तथा निष्पत्ति शक्ति के द्वारा शांतिपूर्ण सामान्य नागरिकों की निश्चित रूप से सुरक्षा की जाय और किसी भी समुदाय को पीड़ित न किया जाय।

कलकत्ते में शान्ति-स्थापना के लिए सेना बुखानी पड़ी और यह ठीक ही था। लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से शहरी दंगों को रोकना सेना का कार्य नहीं है, बल्कि प्रान्तीय सरकारों का है। सेना का प्रयोग अनित्म उपाय ही है। शहरी जनता तथा सेना दोनों के ही इष्टिकोण से इस मौलिक सिद्धान्त को सामान्य रूप से स्वीकार कर देना आवश्यक है। कलकत्ते में जो सैन्यदल काम में जाये गये उनकी कुशलता और उनके अनुशासन की मैंने बड़ी प्रशंसा की है और इस समय अपने ही सेवा-संगठन की मैं भी अपनी और से ऐसे कार्य में

उसके व्यवहार के लिए प्रशंसा करना चाहता हूँ जो सैन्य दलों के समुख पढ़नेवाले कार्यों में सब से कठिन और नीरस है।

नई सरकार में युद्ध-सदस्य एक भारतीय होगा और यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसका धान सेनापति तथा मैं दोनों ही हृदय से स्वागत करते हैं। लेकिन सेनाओं की उचित धार्मिक स्थिति कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अपनी शपथ के अनुसार वे अब भी सज्जाट के अधीन हैं जिनके और पार्लीमेंट के प्रति मैं अब भी डत्तरदायी हूँ।

समस्त तात्कालिक रूप-रचना के होते हुए भी मेरा विश्वास है कि दोनों प्रमुख दलों में समझौते की अब भी सम्भावना है। मुझे बिल्कुल निश्चय है कि दोनों दलों में बहुत से लोग ऐसे हैं तथा बहुत से तटस्थ दल के लोग हैं जो इस प्रकार के समझौते का स्वागत करेंगे और मुझे आशा है कि वे इसके लिए प्रयत्न करेंगे। मैं समाचारपत्रों से भी अनुरोध करूँगा कि वे अपने विशाल प्रभाव को संयम और समझौते की ओर लगायें। स्मरण रहे कि यदि लोग समिलित होना स्वीकार करे तो अन्तर्राष्ट्रीय सरकार का कल ही पुनर्संगठन हो सकता है। इस बीच यह सरकार देश के सामूहिक हित में शासन करेगी, किसी एक दल या वर्ग के हित में नहीं।

यह भी वांछनीय है कि विधान-निर्मात्री परिषद् का कार्य यथासम्भव शीघ्रता के साथ प्रारम्भ होना चाहिये। मैं सुस्थितम् लोग को आश्वासन देना चाहता हूँ कि १६ मई के वक्तव्य में प्रान्तीय और समूह विधानों के निर्माण के लिए जो पद्धति निर्धारित की गयी है उस पर पूर्ण रूप से अग्रज किया जायगा। मंत्रि-प्रतिनिधि-मण्डल के १६ मई के वक्तव्य के १२ वें अनुच्छेदमें विधान-निर्मात्री परिषद् के जो आधारभूत-सिद्धांत प्रस्तावित किये गये हैं उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं हो सकता और न इस बात का ही कोई प्रश्न हो सकता है कि किसी भी मुख्य साम्प्रदायिक प्रश्न पर दोनों प्रमुख वर्गों के बहुमत के बिना कोई निर्णय हो सके। कांग्रेस इस बात के लिये उद्यत है कि किसी भी धारा के अधीनों के सम्बन्ध में यदि कोई मतभेद हो, तो उसे संघ-न्यायालय के समुख निर्णय के लिये प्रस्तुत कर दिया जाय।

मुझे हार्दिक विश्वास है कि ऐसी योजना में भाग न लेने के अपने निर्णय पर सुस्थितम् लोग उन विचार करेगी जिसके द्वारा उन्हें भारतीय सुसद्धमानों के हितों की रक्षा करने और उनके भविष्य का निर्माण करने के लिये इतना व्यापक तेत्र प्राप्त होता है।

भारतीय मामलों में हम एक और विषम तथा गम्भीर स्थिति को पहुँच गये हैं। विचारों और कार्यों में इतनी सहनशीलता और गम्भीरता की इससे अधिक आवश्यकता कभी नहीं रही है और कुछ लोगों के असंयंत वचन और उत्तेजनापूर्ण कार्य लाखों लोगों के लिये इससे अधिक भयंकर कभी नहीं रहे हैं। यही समय है जब कि किसी भी प्रकार का अधिकार या प्रभाव रखनेवाले भारतीयों को अपने विवेक और संयम से यह दिसला देना चाहिये कि वे अपने देश की सन्तान कहाने के योग्य हैं और उनका देश इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के योग्य है जो उसे मिल रही है।

श्री जिन्ना का वाइसराय को जवाब ( २६-८-४६ )

अखिल भारतीय सुस्थितमलीग के प्रधान श्री जिन्ना ने उन्होंने के नाम निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया है:—

यह खेद की बात है कि शनिवार ( २५-८-४६ ) को वाइसराय ने अपने ब्राउकास्ट भाषण में इस प्रकार का अमारमक वक्तव्य दिया है जो तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल है। उन्होंने

कहा है कि यद्यपि १४ सीटों में से २ मुस्लिम लीग को दी गई थीं, यद्यपि उसे यह आश्वासन दिया गया था कि विधान-निर्माणी योजना पर उल्लिखित कार्यप्रणाली के अनुसार आवश्य किया जायगा और यद्यपि नई अन्तरिम सरकार को वर्तमान-विधान के अन्तर्गत कार्य करना होगा, फिर भी संयुक्त सरकार बनाना संभव न हो सका। सच तो यह है कि वाइसराय ने २२ जुलाई को मुझे एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ऐसे प्रस्ताव रखे थे, जो अन्तरिम सरकार के सम्बन्ध में १६ जून के वक्तव्य में उल्लिखित प्रस्तावों और मुस्लिम लीग को दिये गये आश्वासनों से वास्तव में और काफी हद तक विभिन्न थे। इस पत्र के साथ ही उन्होंने मुझे इसी प्रकार पत्र की एक प्रति भी भेजी थी, जो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा था।

यह पत्र मुझे अविलंभ भारतीय मुस्लिम लीग की कॉर्सिल की बैठक से एक दिन पहले लिखा गया था और वाइसराय यह बात पूरी तरह जानते थे कि गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी और सन्नाट की सरकार की नीति के बारे में गंभीर आशंकाएँ और संदेह पैदा हो गये थे, फिर भी उन्होंने २२ जुलाई के अपने पत्र में, कांग्रेस के निर्णय, कांग्रेसी नेताओं की घोषणाओं और आसाम की धारा-सभा-द्वारा विधान-परिषद् में अपने प्रतिनिधियों को दी गई इस हिदायत के बारे में कि उन्हें 'स' गुट से कोई सरोकार नहीं है, और विधान-परिषद् में हमारी स्थिति के बारे में एक शब्द तक भी नहीं कहा।

मैंने वाइसराय को ११ जुलाई को उत्तर दिया, जिसमें मैंने उनकी नई चाल के बारे में, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्षतः कांग्रेस की मांग की पूर्ति थी, अपनी स्थिति साफ-साफ बता दी थी, अन्यथा उनके पास क्या औचित्य था कि वे १६ जून के वक्तव्य में उल्लिखित अन्तिम प्रस्तावों की इस प्रकार अवहेलना करते? क्या वाइसराय महोदय हमें यह स्पष्ट करने का कष्ट करेगे कि उन प्रस्तावों पर क्यों अमल नहीं किया गया और हमें जो आश्वासन दिये गये थे, उनकी अवहेलना क्यों कर की गई और उनके इस नये प्रस्ताव का उद्देश्य किसे खाम पहुंचाता है?

३१ जुलाई के मेरे पत्र का उत्तर उन्होंने द अगस्त को दिया। यह आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने उस पत्र में लिखा है कि २२ जुलाई के पत्र में उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया था वह वैसा ही प्रस्ताव था जैसा कि लीग की वकिंग कमेटी ने जून के अन्त में स्वीकार किया था अर्थात् ५ : २ : ३। जैसा कि मैं ३१ जुलाई के अपने पत्र में बता चुका हूँ यह बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने आगे लिखा है:-

"२६ जुलाई को लीग ने जो प्रस्ताव पास किया है, उसके प्रकाश में, अब मैंने कांग्रेस को अन्तरिम सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव पेश करने का आमंत्रण दिया है और मुझे निश्चय है कि यदि वह आपको उचित आधार पर एक संयुक्त सरकार स्थापित करने के लिए आमंत्रित करे तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे।"

मुझे इस बात का न तो कोई ज्ञान था और न अब तक है कि वास्तव में वाइसराय और कांग्रेस के नेताओं में क्या बात-चीत हुई, परन्तु पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि मेरा ख्याल है, पूर्वनिश्चित कार्यक्रम के अनुसार मेरे पास १५ अगस्त को आये। यह महज एक रसमी कार्रवाई थी और उन्होंने अपना यह प्रस्ताव पेश किया कि कांग्रेस १४ सीटों में ५ लीग को देने को तैयार है और शेष ९ सीटों के लिए वह स्वयं नामजद करेगी, जिन में उसकी मर्जी का एक मुसलमान भी शामिल होगा। पंडित नेहरू ने आगे यह भी कहा कि वे वर्तमान विधान के अन्तर्गत शासन-परिषद् नहीं बना रहे, बल्कि वे एक ऐसी अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना रहे हैं जो वर्तमान भारा-

सभा के प्रति उत्तरदायी होगी और उन्होंने १५ अगस्त के मेरे पत्र के जवाब में उसी तारीख के अपने पत्र में यह बात स्पष्ट कर दी कि यथापि वे बड़े-बड़े प्रश्नों पर मेरे साथ विचार-विनिमय करने को तैयार हैं, परन्तु उनके पापम कोई और नया प्रस्ताव नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने लिखा—‘शायद आप समस्या पर किसी नये दृष्टिकोण से विचार करने का मार्ग बता सकें’ और जब मैंने वास्तव में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उन्होंने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि कांग्रेस की स्थिति वही है जो उसने २६ जून को पाप किये अपने दिल्ली-प्रस्ताव में निर्देशित की थी, और यह कि १० अगस्त को वर्षा में पाप किये गये प्रस्ताव में केवल उसी स्थिति की पुष्टि की गई है। यही बात उन्होंने वाइसराय से भेट करने के लिए दिल्ली-प्रस्थान करने से पूर्व १६ अगस्त के एक प्रेस-सम्मेलन में भी ठुकराई। मैंने पंडित नेहरू को सूचित कर दिया कि इन परिस्थितियों में मेरी वकरी कमेटी अथवा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कौंसिल के उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेने की कोई गुंजाइश नहीं है।

उसके बाद से वाइसराय, पंडित नेहरू और कांग्रेसी नेता लागभग एक सप्ताह से मेरी पीठ के पीछे और मेरी जानकारी के बिना विचार-विनिमय और समझौते की बातचीत कर रहे हैं। मुझे इस बारे में इससे अधिक और कुछ नहीं पता कि कल रात एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है जिसमें अन्तरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की गई है तथा वाइसराय ने एक ब्राडकास्ट किया। चूंकि वाइसराय कथित प्रस्ताव का उल्लेख कर चुके हैं और उन्होंने यह बताने का कष्ट नहीं किया कि मेरा उत्तर क्या था, मैं इस सम्बन्ध में अपना और उनका निम्नलिखित पत्र-ब्यवहार प्रकाशित कर रहा हूँ :—

श्री जिन्ना के नाम वाइसराय का २२ जुलाई, १९४६ का पत्र।

### निजी और गोपनीय

प्रिय मिंट जिन्ना,

मेरा इरादा यथासंभव शीघ्र-पे-शीघ्र वर्तमान रक्तक सरकार की जगह पर एक अन्तरिम संयुक्त सरकार की स्थापना करना है और मैं इस सम्बन्ध में आपके पास मुस्लिम लीग के प्रधान के रूप में और कांग्रेस के प्रधान के सम्मुख निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ :—

मेरा रवात है कि आप शायद मुझ से सहमत होंगे कि इन गमियों और पिछले साल की हामारी बातचीत में पत्रों में प्रकाशन-सम्बन्धी नीति से बड़ी बाधा पड़ी है। इसलिए मैं बातचीत की प्रारंभिक अवस्था में आपके साथ सर्वथा निजी और गुप्त रूप से विचार-विनिमय करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपका सहयोग अपेक्षित है। मैं चाहता हूँ कि यह बातचीत केवल मेरे और दोनों संस्थाओं के अध्यक्षों तक ही सीमित रहे। मुझे आशा है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह पत्र-ब्यवहार तब तक पत्रों तक न पहुँचे जब तक कि हमें यह पता न चल जाय कि इस में कोई समझौता हो सकता है या नहीं। निस्संदेह मैं यह अनुभव करता हूँ कि आपको किसी-न-किसी अवस्था में अपनी वर्किंग कमेटी की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जैकि मेरा यकीन है कि यह अधिक बेहतर होगा कि इस लोग प्रारंभिक कदम के रूप में आपस में समझौते का कोई आधार ढूँढ़ने और उस पर पहुँचने की कोशिश करें।

### प्रस्ताव

मैं निम्नलिखित प्रस्ताव आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ :—

(क) अन्तरिम सरकार के सदस्यों की संख्या १४ होगी।

(क) ६ सदस्य, जिनमें एक परिगणित जातियों का प्रतिनिधि भी शामिल है, कांग्रेस-द्वारा नामजद किये जायेंगे। पांच सदस्य मुस्लिम लीग नामजद करेगी। अल्पसंख्यकों के तीन प्रतिनिधि स्वयं बाइसराय नामजद करेंगे, जिनमें से एक स्थान सिखों के लिए सुरक्षित रखा जायगा।

कांग्रेस अथवा मुस्लिम लीग को एक-दूसरे-द्वारा नामजद किये हुए नामों पर आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं होगा बशर्ते कि बाइसराय ने उन्हें मंजूर कर लिया हो।

(ग) विभागों का बैटवारा तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि पारिंयां सरकार में शामिल नहीं हो जायेंगी और अपने-अपने सदस्यों के नाम नहीं पेश कर देंगी। महत्वपूर्ण विभागों का बैटवारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समान रूप से किया जायगा।

(घ) मैं ऐसे समझौते का स्वागत करूंगा, यदि स्वेच्छा से कांग्रेस उसका प्रस्ताव करेगी कि बड़े-बड़े साम्राज्यिक प्रश्नों का फैसला केवल दोनों बड़े दलों की मर्जी से ही किया जायगा; जेकिन मेरा ऐसा कभी विचार नहीं रहा कि इसे एक नियमित शर्त के तौर पर पेश किया जाय, क्योंकि कोई संयुक्त सरकार किसी और आधार पर चल ही नहीं सकती।

४. मुझे पूरा यकीन है कि आपकी पार्टी उक्त आधार पर भारत के शासन-प्रबन्ध में अपना सहयोग प्रदान करना स्वीकार कर लेगी जबकि दूसरी और विधान-निर्माण का कार्य अग्रसर होता रहेगा। मुझे विश्वास है कि इससे यथासंभव अधिकतम लाभ पहुंचेगा। मेरा सुझाव है कि हमें और अधिक समय बातचीत में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि प्रस्तावित आधार पर तुरन्त एक ऐसी ही सरकार स्थापित करने में जुट जाना चाहिए। यदि यह न चल सके और आप यह पायें कि स्थिति असन्तोषजनक है तो आपको उस सरकार में से हट जाने की सुझाई छुट्टी होगी; जेकिन मुझे विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करेंगे।

५. कृपया आप मुझे जल्दी ही यह सुनित करने की कोशिश करें कि क्या इस आधार पर मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकार में शामिल होने को तैयार है? मैंने इसी तरह का एक पत्र पंडित नेहरू को भी लिखा है, जिसकी प्रति मैं साथ में भेज रहा हूँ।

आपका सर्वचा,

(इस्ताव्हर) वेवल।

पुनर्च—मैं पंडित नेहरू से आज दोपहर-बाद दूसरे मामलों पर बातचीत कर रहा हूँ और यह पत्र उन्हें उसी समय दे दूँगा।

उक्त पत्र के जवाब में श्री जिन्ना का ३१ जुलाई, १९४६ का पत्र।

प्रिय लार्ड वेवल,

मुझे आपका २२ जुलाई का पत्र मिला और मैं देखता हूँ कि अपनी अन्तरिम सरकार बनाने के लिए आपने यह घौथा सुझाव पेश किया है। ४:४:२ की बजाय आप ४:५:३ पर आये और फिर ४:४:४ पर, जिसका उल्लेख मंत्रि-प्रतिनिधिमंडल और आपके १६ जून १९४६ के वक्तव्य में किया गया है और जिसे आपने अन्तिम बताया था। और अब आप यह घौथा प्रस्ताव अर्थात् ४:५:३ का पेश कर रहे हैं।

हर बार कांग्रेस ने पिछले तीनों प्रस्ताव रहीं को टोकरी में ढाक दिये, क्योंकि आप उसे खुश करने अथवा संतुष्ट करने में असफल रहे और हर बार आपने उन आश्वासनों की अवहेलना की जिनका उल्लेख २० जून के पत्र में किया गया था।

आपने २० जून के अपने पत्र के ५वें पैरे में यह बात असंदिग्ध रूप से कही है कि अन्तरिम सरकार किसी भी बड़े सांप्रदायिक प्रश्न के बारे में कोई निर्णय नहीं देगी, बशर्ते कि दोनों बड़े दलों में से एक दल के प्रतिनिधियों का बहुमत भी उसका विरोध करेगा। अपने हन नये प्रस्तावों में आप मुझे यह बता रहे हैं कि आप एक प्रेसे समझौते का स्वागत करेंगे जिसे यदि कांग्रेस स्वेच्छापूर्वक पेश करे।

चूंकि आपने यह पत्र मुझे लिखा है जो कि विशुद्ध रूप से निजी और अत्यन्त गोपनीय है, अतः मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी वर्किंग कमेटी-द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई गुंजाहा नहीं है।

आपका सच्चा,

(हस्ताक्षर) एम॰ ए० जिन्ना।

श्री जिन्ना के नाम वाइमराय का ८ अगस्त १९४६ का पत्र

( निजी और गोपनीय )

प्रय मिं जिन्ना,

अन्तरिम सरकार के सिलसिले में प्रयत्न किये गये अपने प्रस्ताव के जवाब में मुझे आपका ३१ जुलाई का पत्र मिला।

२. मुझे खेद है कि मिथनि ने यह रूप धारण कर लिया है, लेकिन मेरी राय में इस समय उन प्रश्नों पर विस्तृत रूप से सोच-विचार करने से कोई ज्ञाभ नहीं होगा जिन्हे आपने अपने पत्र में उठाया है। मैं आपको केवल इतना ही समरण दिलाना चाहता हूँ कि मैंने अपने पत्र में प्रतिनिधित्व का जो आधार प्रस्तुत किया है, और जिसके जवाब में अपना यह पत्र लिखा है, वही है जो जीव की वर्किंग कमेटी ने जून के अन्त में स्वीकार किया था, अर्थात् ६:४:३।

३. मुस्लिम लीग ने २६ जुलाई को जो प्रस्ताव पास किया है उसे ध्यान में रखते हुए मैंने अब यह फैसला किया है कि कांग्रेस को आमन्त्रण दूँ कि वह अन्तरिम सरकार के लिए अपने प्रस्ताव पेश करे और मुझे यकीन है कि अगर वह आपके सामने संयुक्त सरकार में शामिल होने के लिये कोई न्यायोचित प्रस्ताव रखे तो आप उसे नुस्खा स्वीकार कर लेंगे। मैंने कांग्रेस के प्रधान से कह दिया है कि जो भी अन्तरिम सरकार बनाई जायगी उसका आधार मौजाना आजाद के नाम मेरे ३० मई के पत्र में उल्लिखित आश्वासन होंगे।

श्री जिन्ना का वक्तव्य ( २७—८—१९४६ )

श्री जिन्ना का मूल वक्तव्य इस प्रकार है :—

“वाइसराय के ब्राइकास्ट की सेरे ऊपर यह प्रतिक्रिया हुई है कि उन्होंने मुस्लिम लीग और भारत के मुसलमानों पर गहरा आवात किया है। लेकिन मुझे यहीं है, भारत के मुसलमान इस आवात को धैर्य और साहस के साथ महन करेंगे, और अपनी असफलताओं से सबक लेंगे ताकि हम अन्तरिम सरकार और विधान-परिषद् में अपना सम्मानपूर्ण और न्यायोचित स्थान प्राप्त कर सकें।

मैं अपना यह प्रश्न एक बार फिर दोहराता हूँ कि मंत्रि प्रतिनिधि-मंडल और वाइसराय ने १६ जून के वक्तव्य में घोषणा की थी कि उनका यह निर्णय अनितम है। और इसके अलावा २० जून के अपने पत्र में उन्होंने मुस्लिम-जीवी को जो आश्वासन दिये थे—उनसे अब वे क्योंकर मुकर हो गए हैं? १६ जून और २२ जुलाई के मध्य ऐसी कौन-सी घटना हुई है जिसको वजह से उन्होंने उस फार्मूले में दरना महत्वपूर्ण और काफी परिवर्तन करना उचित समझा और २२

जुखाई और २४ अगस्त के मध्य ऐसी कौन-सी घटना हुई है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने आगे कदम बढ़ाया है और एकदद्धीश सरकार को गही पर बैठा दिया है ?

उन्होंने अपने ब्राडकास्ट में कर्मर्या है कि वे उन लोगों को संबोधित करके यह भाषण दे रहे हैं जिन्होंने यह राय दी थी कि उन्हें हस समय अथवा हस तरीके से यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। दुर्भाग्य से मैं भी उनमें से एक व्यक्ति था और मैं अब भी कहता हूँ कि उन्होंने जो कदम उठाया है वह बहुत ही अविवेकपूर्ण और अदूरदृशितापूर्ण है और उसके परिणाम बड़े गंभीर और खतरनाक साक्षित हो सकते हैं, और उन्होंने तीन मुसलमानों को नामजद करके केवल धाव पर नमक छिड़का है और वे यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों को न तो मुस्लिम भारत का सम्मान प्राप्त है और न ही उसका विश्वास। इसके अलावा अभी दो और मुसलमानों के नाम घोषित किए जायेंगे।

वे अभी तक वही पुराना राग अलाप रहे हैं कि हम सन्नाट की उस मुख्य नीति के विरोधी नहीं हैं जिसके अनुसार उसने घोषणा की है कि वह अपने वायदे पूरे करेगी और भारत को अपने भाग्य का निर्णय करने की पूरी आजादी देगी। निससंदेश हम भारत के निम्न लोगों की स्वाधीनता के विरोधी नहीं हैं और हम यह बात बार-बार स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतीय समस्या का एक-मात्र हज़ यह है कि भारत को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में विभक्त कर दिया जाय, जिसके परिणामस्वरूप दो बड़ी जातियों को वास्तविक स्वतंत्रता मिल जायगी और सम्बद्ध राज्य में अवैपसंख्यकों को हर संभव संरक्षण प्राप्त हो जायगा।

संयुक्त सरकार नहीं बन सकी, इसका दुख सुके वाहसराय से अधिक है। लेफिन मेरे लेद का कारण उनसे भिन्न है। सुके खुशी है कि वाहसराय यह अनुभव करते हैं कि वास्तविक आवश्यकता एक ऐसी संयुक्त सरकार की स्थापना है, जिसमें दोनों ही बड़े दल शामिल हों और मुझे यह भी सुशी है कि वे एकदिवसीय जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की तरफ से भी यह कह रहे हैं कि उनके भी ऐसे ही इक विचार हैं और उनको कोशिश अभी यह रहेगी कि लोग को सरकार में शामिल होने के लिए मना लिया जाय। मेरी समझ में नहीं आया कि वाहसराय ने अपने ब्राडकास्ट में यह जो कहा है कि उनके प्रस्ताव अब भी कायम हैं, उसका क्या अर्थ है। यह एकदम अस्पष्ट है और इसके अनुसार लोग को ५ सीटें दी जायेंगी। इसके अलावा और कोई भी बात साफ-साफ नहीं कही गई।

उन्होंने और भी बहुत-सी बातों का जिक्र किया है, जिनमें मैं हस समय नहीं जाना चाहता। जहाँ तक विधान-परिषद् का सवाल है सुके नहीं मालूम कि उनके हस कथन का क्या तात्पर्य है कि हस सम्बन्ध में भी मैं आपको याद दिला दूँ कि लोग को यह आश्वासन दिया गया था कि प्रान्तीय-विधान और गुट-विधान के निर्माण के सम्बन्ध में १६ मई के वक्तव्य में डलिलित कार्यप्रणाली पर पूरी ईमानदारी के साथ अमल किया जायगा। यह कोई कार्यप्रणाली नहीं है; यह एक बुनियादी और सूखभूत चीज है। सवाल तो यह है कि क्या उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन किया जा सकता है।

इसके बाद वे फर्माते हैं कि १६ मई के १५वें पैर में विधान-परिषद् के सम्बन्ध में डलिलित सूखभूत सिद्धान्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता और उन्होंने भी अनुकरण के तौर कह दिया है कि कांग्रेस इस बात के लिए राजी है कि कोई भी विवाहास्पद प्रश्न अथवा उस वक्तव्य की व्याख्या का प्रश्न फेदरल कोर्ट के सुपुर्द किया जा सकता है। किन्तु १६

मर्है के वक्तव्य के मूलभूत सिद्धान्तों और शर्तों के बारे में वे किसी समझते को आशा कैवे कर सकते हैं जब कि एक दल-मिशन के २५ मर्है के अधिकृत वक्तव्य के विपरीत अपना अभिप्राय पेश करता है और दूसरा दल उसका और अर्थ निकालता है, जो पहले पक्ष की तुलनामें २५ मर्है के वक्तव्य के अधिक निकट है। लेकिन वे बड़े आत्मसंतोष के साथ यह कहते हैं कि कोई भी मफ़दा अथवा विवादास्थाद प्रश्न या व्याख्या फेडरल कोर्ट के सामने निर्णय के लिए रखी जा सकती है। पहले तो इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं कि ऐसे मामले संघ-दल के सामने रखे जायें, फिर प्रारंभ में ही विभिन्न दल मौखिक सिद्धान्तों का अजग-अजग अर्थ लगा रहे हैं। या हम विश्वान-परिषद् की कार्रवाई संघ-अदालत में मुकदमेवाजी से शुरू करने जा रहे हैं? क्या इसी भावना से प्रेरित होकर हम इस उप-महाद्वीप की ४० करोड़ जनता के लिए भावी विधान बनाने जा रहे हैं?

यदि वाहसराय की अपील में सत्यता और ईमानदारी है, और यदि वे वास्तव में सच्चे हैं तो उन्हें इसे ठोस रूप में पेश करना चाहिए और अपने कार्यों से इसकी सत्यता प्रमाणित करनी चाहिए।”

#### पं० जवाहरलाल नेहरू का ब्राडकास्ट

“मुझे और मेरे साथियों को भारत सरकार में ऊँचे पदों पर बैठे हुये आज छः दिन होगये हैं। उस दिन इस प्राचीन देश में एक नई सरकार का जन्म हुआ जिसे अन्तक्रीया अस्थायी सरकार कहते हैं और जो पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की सीढ़ी है। संसार के सभी भागों से और हिन्दु-स्तान के हर कोने से हमें हजारों शुभ कामना के सन्देश मिलते। और फिर भी हमने इस ऐतिहासिक घटना के मनाये जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि यहाँ तक कि लोगों के जोश को दबाया क्यों-कि हम चाहते थे वे यह महसूस करें कि हमें अभी और चलना है और हमारे उद्देश्य की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। हमारे रास्ते में बहुत मुश्किलें और रुकावंट हैं और हो सकता है मंजिल इतनी नज़दीक न हो जितनी हम समझते हैं। अब किसी भी तरहकी कमज़ोरी या ढोकापन हमारे उद्देश्य के लिये घाटक होगा।

कलकत्ते की भायानक दुर्घटना और भाई-की-भाई से निर्वर्थक लड़ाई के कारण हमारे दिलों पर बोझ भी था। जिस स्वतंत्रता की हमने कामना की थी और जिसके लिये हम पीड़ियों से कष्ट और मुसीबतें खेलते आये हैं, वह हिन्दुस्तान के सब लोगों के लिए है, किसी एक गुण या वर्ग के या धर्म के लोगों के लिये नहीं। हमारा लच्चा सहयोगिता के आधार पर एक व्यवस्था कायम करना या जिसमें बराबर के साफेदर की हैसियत से सभी को जीवन की जरूरी चीजों में हिस्सा मिले। फिर यह मफ़दा, यह आपसी सन्देह और डर क्यों?

आज मैं आपसे सरकारी नीति या भविष्य के कार्यक्रम के बारे में नहीं—वह तो फिर कभी बतलाया जायगा—बल्कि उस प्रेम और संदेश के लिए जो आपने हमें बदारता से भेजा है, आपको धन्यवाद देने के लिये बोल रहा हूँ। उस प्रेम और सहयोग को भावना की हम करते हैं किन्तु हमारे सामने जो कठिन दिन है उनमें हमें इनकी अधिक जरूरत पैदेगी। एक मित्र ने मुझे यह सन्देश भेजा है: ‘मेरी प्रार्थना है कि आप सब विपक्षियों पर विजय पायें। राष्ट्र के जहाज के प्रथम चालक, मेरी शुभ कामना आपके साथ है।’ कितना अच्छा सन्देश है पर हमारे प्रागे अनेक तृफान हैं और हमारा जहाज पुराना, घिसा हुआ और धीमे चलनेवाला है, इसलिये तेज रफ्तार के इस जमाने के लायक वह नहीं है। हमें इसे फेंक कर दूसरा जहाज लेना होगा। परन्तु जहाज कितना ही पुराना और चालक कितना ही कमज़ोर क्यों न हो जब करोड़ों दिन और

हाथ अपनी हड्डी से सहायता देने को तैयार हैं; हम समुद्र के फ़कोरे सह सकते हैं और भविष्य का भरोसे के साथ मुकाबिला कर सकते हैं।

उस भविष्य का आज ही निर्माण हो रहा है और हमारा पुराना और प्यारा देश हिन्दु-स्तान दुःख-दर्द के बीच एक बार फिर ऊपर उठ रहा है। उसमें आत्म-विश्वास है और अपने जल्दी में उसकी श्रद्धा है। वह फिर से जवान हो गया है और उसकी आँखों में चमक है। सुहृतों तक वह एकत्र-संसार में रहा है और आत्म-चिन्तन में खोया सा रहा है। पर अब उसने विशाल दुनिया पर नजर ढाकी है और संसार की दूसरी कौमों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, यद्यपि संसार अभी भी संघर्ष और लड़ाई के विचारों में उलझा है।

अन्तर्राष्ट्रीय सरकार बड़ी योजना का एक भाग है। उस योजना में विधानपरिषद् शामिल है जो आजाद और स्वाधीन हिन्दुस्तान का विधान बनाने के लिये जल्दी ही बैठनेवाली है। पूर्ण स्वराज्य के जल्द मिलने की आशा के कारण ही हमने यह सरकार बनायी है और हमारा हरादा है। हम इस तरह काम करें कि दोनों अन्तर्रिक और विदेशी मामलों में हम व्यवहार में क्रमशः आजादी हासिल कर सकें। हम अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ़ेरेंसों में पूरा हिस्सा लेंगे, और यह काम हम दूसरे राष्ट्र के पुलुखले के रूप में नहीं बल्कि एक आजाद राष्ट्र की हैसियत से और अपनी ही नीति से करेंगे।

हमारा हरादा दूसरे राष्ट्रों से सीधे और गहरे मेल-मिलाप बढ़ाने और दुनिया की शान्ति और आजादी के लिए उनसे सहयोग करने का है। जहाँ तक हो सके, हम गुटों की शक्ति-राजनीति से, जो एक दूसरे के खिलाफ़ होती है और जिसके कारण पहले इतनी लड़ाहराएँ हुई हैं और जो फिर संसार को और भी बड़े संकट में ढकेल सकती है, दूर रहना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि शान्ति और आजादी अविभाज्य हैं। कहीं भी आजादी का अभाव किसी और जगह शान्ति को खतरे में डाढ़ा सकता है और लड़ाई तथा संघर्ष के बोज बो सकता है। उपनिवेशों और पराधीन देशों और उनमें रहनेवालों की आजादी में हमारी स्वास दिल्लचस्पी है।

सिद्धांत रूप से और व्यवहार में सब जातियों को बराबर मौका मिले, इसमें भी हमारी दिल्लचस्पी है। जातीयता के नाजी-सिद्धांत का हम तीव्र खंडन करते हैं चाहे वह कहीं भी और किसी भी रूप में प्रचलित हो। हम किसी पर कड़ा जमाना नहीं चाहते और न ही दूसरी कौमों के मुकाबिले में स्वास रियायतें ही चाहते हैं; पर हम अपने लोगों के लिये चाहे वे कहीं भी जायँ सम्मानपूर्ण और बराबरी का बर्ताव जरूर चाहते हैं। हम उनके खिलाफ़ भेदभाव नहीं सह सकते।

अन्तर्रिक संघर्षों, क्षेत्रों और प्रतिद्वन्द्वों के बावजूद संसार अनिवार्य रूप से निकटतर सहयोग और संसार-ध्यापी राष्ट्रमण्डल की स्थापना की ओर बढ़ रहा है। ऐसे राष्ट्रमण्डल की स्थापना के लिये आजाद हिन्दुस्तान कार्य करेगा—वह राष्ट्रमण्डल जिसमें स्वतंत्र सहयोग और स्वतंत्र राष्ट्र हो और जिसमें कोई वर्ग या गुट दूसरे गुट का शोषण न करे।

संघर्षों से भरे अपने पिछले इतिहास के बावजूद हमें आशा है कि हिन्दुस्तान के हँगेंड और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के देशों से मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण सम्बन्ध होंगे। पर राष्ट्रमण्डल के एक भाग में आज जो कुछ हो रहा है उस पर नजर ढालना ठीक ही होगा। दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की सरकार ने जातीयता के सिद्धांत को अपनाया है और वहाँ एक जातीय अल्पमत के अत्याचार के विरुद्ध हिन्दुस्तानी वीरता से मोर्चा ले रहे हैं। अगर यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया

तो यह दुनिया को व्यापक संघर्षों और संकटों की ओर ले जायगा ।

अमेरिका के लोगों को, जिन्हें विधि ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निश्चयिक भाग दिया है, हम अपनी शुभ कामनाएं भेजते हैं । हमारा विश्वास है कि यह महान् दायित्व सब जगह मानवीय शान्ति और आजादी की उन्नति का आधार बनेगा । संसार के उस महान् राष्ट्र-सोवियट यूनियन को भी जिसका दायित्व भी नवसंसार के निर्माण में कम नहीं है—हम शुभ कामनाएं भेजते हैं । रूस और अमेरिका एशिया में हमारे पड़ोसी हैं, और अनिवार्य रूप से हमें बहुत से काम मिलकर करने हैं और एक दूसरे से व्यवहार करना है ।

हम एशियावासी हैं और एशियावाले औरों की अपेक्षा हमारे अधिक निकट हैं । भारत की स्थिति ऐसी है कि वह पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया की धुरी है । बीते काल में भारत की सम्भवता का बहाव हन सब देशों की ओर रहा और उनका प्रभाव भी भारत पर कई तरह से पड़ा । वह पुराना सम्बन्ध फिर कायम हो रहा है और आगे भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया और भारत और अफगानिस्तान दैरेन और अरब राष्ट्रों में फिर से नाता जुड़ने जा रहा है । इन आजाद देशों के परस्पर-सम्बन्ध को हमें और बढ़ाना चाहिये । इंडोनेशिया के स्वतंत्रता-संग्राम में भारत की गहरी दिलचस्पी रही है और आज हम उस देश को अपनी शुभ कामनाएं भेजते हैं ।

हमारा पड़ोसी चीन, वह बड़ा देश, जिसका अतीत महान् था, सदा से हमारा मित्र रहा है । अब यह दोस्ती और भी बढ़ेगी और निमेगी । हमारी दिली हच्छा है कि चीन में वर्तमान झगड़े जल्दी ही खत्म हो जायें और शीरिय ही उस देश में एकता और लोकतंत्रता कायम हो, ताकि चीन संसार के शांति-प्रगति के कार्य में हाथ बटा सके ।

मैंने घेरेलू नीति के बारे में कुछ नहीं कहा है और न ही हम समय कुछ कहने की मेरी हच्छा है । परन्तु हमारी घेरेलू नीति के आधार भी वे ही मिद्दांत होंगे जिन्हें हमने साज़ों में अपनाया है । हम विसराये हुये जनसाधारण का खयाल करेंगे और उसे मदद देना व उसके जीवन के स्तर को ऊँचा करना हमारा काम होगा । छुआछूत और तरह-तरहकी जबरन लादी हुई असमानता के स्थिकाफ हमारी लड़ाई लड़ेगी और हम स्वास कर उनकी सहायता करने की कोशिश करेंगे जो आर्थिक या किसी दूसरी तरह से पिछड़े हुए हैं । आज हमारे देश में करोड़ों जन भूखे, नंगे और बेघर हैं और बहुत-सारे भुखमरी के द्वार पर हैं । इस ताकात्विक आवश्यकता को मिटाना हमारा जरूरी और कठिन काम है और हमें आशा है कि दूसरे देश अनाज भेजकर हमारी सहायता करेंगे ।

इतना ही जरूरी काम हमारे लिए उस कलह को मिटाना है जिसका आज हिन्दुस्तान में बोलबाला है । आपस की लड़ाई से आजादी के उस भवन का हम निर्माण कर सकेंगे, जिसका हम देश से सपना देख रहे हैं । राजनीतिक मंच पर चाहे कुछ भी घटनाएँ घटी रहें, हम सबको यहीं रहना है और यहीं मिलकर गुजर करनी है । हिंसा और वृश्चिक आवश्यकता को मिटाना हमारा जरूरी और कठिन काम है और हमें आशा है कि दूसरे देश अनाज भेजकर हमारी सहायता करेंगे ।

विधान-परिषद् में दलों और गुटबन्दी के बारे में बहुत गर्मागम बहस हुई है । हम उन दलों में बैठने को बिलकुल तैयार हैं—और हम इस बात को स्वीकार भी कर नुकेहैं—जिनमें गुटबन्दी के प्रश्न पर विचार होगा । अपने साथियों और अपनी ओर से मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विधान-परिषद् को हम ऐसा अखाड़ा नहीं समझते जहाँ जबर्दस्ती किसी के ऊपर कोई मत थोपा जाय । संगठित और संतुष्ट भारत के निर्माण का यह मार्ग नहीं है । हमारी तलाश तो ऐसा सच्चा हज़ार हूँ ढने की है जिसके पांचे बहुमत

की सहमति और सद्भावना हो। विधान-परिषद् में हम इसी द्वारे से जायेंगे कि हम विवादप्रस्त कामओं में भी समान आधार दृढ़ रखें और इसलिये जो-कुछ हुआ है और जो कुछ कठोर शब्द कहे गये हैं, उनके बावजूद सहयोग का द्वार सुला रखा है। हम उन्हें भी, जिन्हें हम से मतभेद है, दावत देते हैं कि वे हमारे बराबर के साथी बन कर विधान-परिषद् में आयें वे किसी भी तरह अपने को बँधा हुआ न समझें। हो सकता है जब हम मिलकर समान कार्यों में जुटें तो मौजूदा अचलने दूर हो जायें।

हिन्दुस्तान आज आगे बढ़ रहा है और पुराना ढाँचा बदल रहा है। बहुत देर तक हम दूसरों को कठपुतली बने जमाने की रफ्तार को बेबस हुए देखते रहे। आज हमारी जनता के हाथ में शक्ति आ गई है और अब हम अपना हितहास अपनी इच्छा के अनुकूल बना सकेंगे। आइये, हम सब मिलकर हम महान् कार्य में जुटें और हिन्दुस्तान को अपने दिल का तारा बनायें—वह हिन्दुस्तान जो राष्ट्रों में महान् शांति और प्रगति के कार्यों में सबसे आगे होगा। द्वार सुला है और भावी हम सबको बुला रही है। हार और जीत का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम सब को मिलकर साधियों की तरह आगे बढ़ना है। या तो हम सबकी सारी जीत होगी, नहीं तो सभी गढ़ों में गिरेंगे। पर असफलता का क्या काम ? आइये, हम सब मिलकर सफलता की ओर पूर्ण स्वराज्य को ओर ४० करोड़ जनता के कल्पणा और आजादी की ओर बढ़े चलें। जय हिन्द !”

### भारत की वैदेशिक नीति

नेहरू जी की प्रेस-कान्फरेन्स (२७-६-१९४६)

“हिन्दुस्तानी वैदेशिक सर्विस की सूचिटि करने के लिए योजनाएँ बनायी जा चुकी हैं जिससे विदेशों तथा विटिश साम्राज्य के देशों में कूटनीतिज्ञों के स्थान पर अपने आदमी नियुक्त किये जायें।”

आज एक प्रेस-कान्फरेन्स में उपरोक्त घोषणा करते हुए भारत-सरकार के वाइस-प्रेसीडेंट और वैदेशिक विभाग के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत को कूटनीतिज्ञ स्थानों की पूर्ति करने के लिए ३०० से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जब कि इस विषय के अनुभवी हिन्दुस्तानी अक्सरों की संख्या मुश्किल से इसका छठा अंश होगी।

उन्होंने कहा कि इस सर्विस की सूचिटि करने और हन पदों के लिए अपेक्षित सदस्यों की अपेक्षित भर्ती और शिक्षण की योजनाएँ शीघ्र ही कैविनट के सामने स्वीकृति के लिए पेश होंगी।

पंडित नेहरू ने कहा कि मध्यपूर्व को एक सुभेद्धा-शिष्टमंडल भेजने की योजना की गयी है, और जिन विधि-विहित व्यवस्था के पूर्वीय और पश्चिमीय युरोप से सम्पर्क स्थापित करने की व्यवस्था कर ली गयी है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि बैंकाक में अन्तर्राष्ट्रीय कानून (राजदूत) और सेगान में वाइस-कानून निकट-भविष्य में नियुक्त किये जायें।

पंडित नेहरू ने बतलाया कि सरकार यथासम्भव शीघ्र ही बलूचिस्तान में शासन को मढ़ देने के लिए सलाहकार समिति नियुक्त करनेवाली है।

“वैदेशिक समाजों के देश में भारत स्तरत्र नीति प्रह्लण करेगा, और उसमें परस्पर-विरोधी गुटबन्दी की राजनीतिक शक्ति से दूर ही रहेगी” पंडित नेहरू ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पराधीन खोगों की स्वतंत्रता के सिद्धान्त का समर्थन करेगा सौर जहाँ कहीं भी जातीय भेद-

भाव प्रकट होगा यह उसका विरोध करेगा। वह शान्तिप्रिय राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शुभेच्छा के लिए काम करेगा और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे के शोषित होने का विरोध करेगा।

वैदित नेहरू ने वक्तव्य जारी रखते हुए कहा—“यह आवश्यक है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत् में अपना पूरा दर्जा हासिल करलेने के बाद, संसार के सभी महान् राष्ट्रों के साथ सम्पर्क करे, और उसका अपने पड़ोसी प्रशियाई राष्ट्रों के साथ और घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाय।

“जहाँ तक उसके पड़ोसी देशों का सम्बन्ध है, भारत फिल्स्टीन, इंडोनीशिया, चीन, श्याम और इंडोचीन तथा इस देश के विदेशी-अधिकृत भागों की प्रगति को दिलचस्पी के साथ देखेगा, और वहाँ के लोगों की उन आकांक्षाओं के साथ सहानुभूति रखता है जिनके द्वारा वे अपने देशों के लिए शान्ति (जहाँ अशांति है) और संसार के राष्ट्रमंडल में समुचित स्थान प्राप्त करना चाहते हैं।

“संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन के साथ भारत का पहले ही से कूटनीतिज्ञ सम्पर्क है। इस प्रकार अब तक जो सम्बन्ध स्थापित हो चुके हैं, वह स्वतंत्र कूटनीतिज्ञ आधार पर स्थापित होकर अधिक मजबूत हो जायेगे।

“विदेशों में भारत के पृथक् प्रतिनिधित्व को कायम करने के लिए पहला कदम होगा दिन्दुस्तानी वैदेशिक सर्विस की सृष्टि और हमारे कूटनीतिज्ञ राजदूत, व्यापार विशेषज्ञ विदेशों में तथा ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों में नियुक्त होंगे।

इस सर्विस की सृष्टि के लिये पहले से योजना बनाई जा चुकी है किन्तु उसे कार्य रूप में परिणाम करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि उनकी संख्या भी काफ़ी है और यह काम भी उसकी क्रियात्मक कठिनाइयों को देखते हुये जटिल है। नवयुवकों को नौकरी में भर्ती कर लेना अपेक्षाकृत आसान काम है और उनके शिक्षण तथा छोटे स्थानों पर उनकी नियुक्ति भी उत्तमी कठिन नहीं है, क्योंकि वह उन स्थानों से उन्नति करके धीरे-धीरे ऊपर चढ़ सकते हैं। पर अनुमान किया गया है कि हमें इन जगहों के लिये तीन सौ से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जिसमें उच्च श्रेणी से लेकर निम्न श्रेणी के सामान्य अक्षमर भी आ जायेंगे जबकि हमारे पास इस काम को जानेवाले अनुभवी व्यक्ति इसके षष्ठमांश से अधिक नहीं हैं।

ऐसी अवस्था में भर्ती विभिन्न अवस्था के लोगों की होगी जिसमें अनुभव और योग्यता का ही पूरा रूपाल रखा जायगा। किन्तु चुनाव हो जाने के बाद हमें यह देखना होगा कि उन व्यक्तियों को आगे क्या शिक्षण देना है, क्योंकि सभी के लिए शिक्षण आवश्यक नहीं होगा।

विदेशों में भारत का पृथक् प्रतिनिधित्व उच्च श्रेणी की सामग्री-द्वारा होना चाहिये और इस बात को सावधानी के साथ देखा जायगा कि सभी श्रेणी के ऐसे लोग, जिनमें आवश्यक योग्यतायें मौजूद हैं, चुनाव के लिये अपनी सेवायें अपरित करें। पुराने उम्मेदवारों के लिये शिक्षण बहुत संक्षिप्त रखा जायगा। क्योंकि उनकी नियुक्ति यथासम्भव शीघ्र की जायगी। पर इरादा यह है कि ये उम्मेदवारों को अर्थशास्त्र, संसार का इतिहास, वैदेशिक सामग्री और विदेशी भाषाओं का समुचित ज्ञान करा दिया जाय और वे अपने शिक्षण-काल का कुछ भाग किसी विदेशी विश्वविद्यालय में व्यतीत करें, अन्य विवरण—जैसे वेतन, जेवर्खर्च, परीक्षा के विषय ऐसे हैं जिन पर इस समय विचार हो रहा है।

इस समय हिन्दुस्तान के राजदूत संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और चीन में मौजूद हैं, आस्ट्रेलिया और साइप्रस अफ्रीका में हाई कमिशनर हैं (जिनमें से अन्तिम इस समय हिन्दुस्तान में है) और

बर्मा, लंका तथा मलाया में हमारे प्रतिनिधि हैं। कहूँ देशों में हमारे व्यापारिक कमिशनर भी हैं। वहाँ सर्विस की सुष्टि हो जाने के बाद वर्तमान जगहें अधिक मज़बूत बना दी जायेगी एवं नये स्थान और खोल दिये जायेंगे यह आवश्यक होगा कि पूर्वत्व या तरजीह देने की प्रणाली काम में खाई जाय। किन्तु यह स्पष्ट है कि पहिले हमें उन देशों को अपने विचार में खाना होगा, जिनके साथ हमारा पहले से सम्पर्क स्थापित है और जो पूर्व और पश्चिम में हमारे पहली हैं।

पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की नीति के बारे में बोलते हुये पं० नेहरू ने कहा—“जहाँ तक सम्भव होगा सरकार शीघ्र ही सभी सम्बद्ध हितों की सलाह से पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की समस्या को सुलझायेगी। यह प्रश्न अखिल भारतीय महात्व का है, क्योंकि ये जातियाँ भारत के पश्चिमोत्तर मार्ग की रक्षक हैं और इस देश की रक्षा और खैरियत हमारे देश की रक्षा के लिए आवश्यक तथ्य है।

“मैं यह बात विश्वकूल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस समस्या का विचार करते हुए हमारा इरादा यह नहीं है कि हम इन जातियों को उनकी वर्तमान स्वतंत्रता से वंचित करें जिसकी रक्षा उन्होंने वर्षों से बड़ी वीरता और साहस से किया है और हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई बोजना उन पर लागू करना चाहते हैं। इसका यह मतलब है कि इस समस्या को सुलझाने के लिये सरकार उन लोगों से मित्रतापूर्ण भाव, सहयोग की आकांक्षा रखती है और यही कबाही लोगों समस्याओं को हल करने का, उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ दूर करने का और उनकी भावाई चाहने का तथा इस प्रकार उनके साथ पारस्परिक सुलभ और लाभदायक सहयोग का ठीक मार्ग है क्योंकि इसके द्वारा उनके पार्श्ववर्ती जमीं हुई बस्तियोंवाले जिलों का भी पारस्परिक कर्तव्य है।

“मैं कह चुका हूँ कि यह प्रश्न अखिल भारतीय महात्व का है। सो बात तो ऐसी ही है, लेकिन इसका एक बड़ा दोष भी है। पश्चिमोत्तर सीमा के कबाही लेन्ड उस अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के अन्तर्गत हैं जो इन्दुस्तान को अपने पड़ोसी दोस्त अक्रान्तानसानसे जुड़ा करता है। ऐसी स्थिति में हमारे दोस्त अक्रान्तानों का भी कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य हो जाता है और उनके देश की शान्ति के लिए भी हमें इन कबाही लेन्डों की व्यवस्था करना पड़ती है। उनको इस बात का विश्वास रखना चाहिये कि इस समस्या का कोई भी नया इलाज करते समय हम उनके प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।

पं० नेहरू ने बब्लोचिस्तान के सुधारों की भी चर्चा की और कहा कि यह बात तो विधान-परिषद् के लिये विचारणीय है कि इन्दुस्तान के नये राजनीतिक शरीर में बब्लोचिस्तान किस प्रकार भाग लेगा और भविष्य में उसका शासन किस प्रकार होगा। इसका निर्णय सम्बद्ध हितों से परामर्श करके विधान-परिषद् करेगी।

“पर बब्लोचिस्तान राजनीतिक विकास में जिस प्रकार पिछड़ा हुआ है उसको देखते हुये सरकार ने यथासम्भव शीघ्र वहाँ एक सलाहकार कौसिज बनाने का निश्चय किया है, जिसके सदस्य वहाँ की प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्थाओं से लिये जायेंगे। यह कौसिज गवर्नर-जनरल के बलूचिस्तान-स्थित एजेंट को सहायता देगी। इसके बाद वहाँ पूर्णतः प्रजातन्त्रीय-प्रणाली शासन-कार्य के लिये जारी कर दी जायगी।

“इर मरहते पर सरकार बलूचिस्तान के निवासियों की सलाह ले लिया करेगी और उनकी देशी संस्थाओं, जिरगाओं आदि की उपेक्षा नहीं करेगी। यह जहरी हो सकता है कि वहाँ की

स्थानीय स्थिति और देशों की आकांक्षाओं को देखते हुये प्रजातंत्रीय संस्था के रूप में भी हेर-फेर किया जा सके।

पं० नेहरू ने फिर कहा “संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति हिन्दुस्तान का रूख पूर्ण और हादिंक सहयोग का है और वह पूरे तौर से उसके नियमों का पालन करने को तैयार हैं। इसके लिये हिन्दुस्तान उसकी सभी क्रियाशीलताओं और प्रयत्नों में भाग लेगा और उसकी जो कौंसिलें आदि होंगी उनमें भी अपनी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या द्वारा शान्तिपूर्ण प्रगति में उसको सहायता देगा। खासकर हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डल यह बात स्पष्ट कर देगा कि हिन्दुस्तान सभी उपनिवेशों और पराधीन देशों की आज़ादी और स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार का हासी है।

“राष्ट्रसंघ की आगली आम असेम्बली में जानेवाला हिन्दुस्तान का प्रतिनिधि-मण्डल अभी पूरा नहीं हुआ है, पर उसके लिये श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, मवाब अब्दी यारज़ंग, मिस्टर चागवा, मिस्टर फैंक अन्थोनी, मि० कें पी० एस० मेनन और मि० आर० एम० देश-मुख ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस मंत्रिमण्डल के लिए सलाहकारों की भी एक मञ्जूब और प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्था बनेगी।

“भारत के दृष्टिकोण से उस असेम्बली में सब से महत्वपूर्ण विचारणीय विषय होगा दक्षिणी अफ्रीका के विश्वदृढ़। ऐसा समझा जाता है कि दक्षिणी अफ्रीका यह विचार प्रकट करेगा कि यह मामला आम एसेम्बली का विचारणीय विषय नहीं है क्योंकि यह उसका घेरेलू विषय है। परन्तु भारत-सरकार इस विषय से सहमत नहीं हो सकती। उसके विचार से दक्षिणी अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वह तुनियादी तौर पर नैतिक और मानवीय मामला है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की नियमावली के उह शर्य और सिद्धान्त को देखते हुए जनरब असेम्बली इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती।

“एक और महत्वपूर्ण विषय होगा नयी अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप-पद्धति। हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डल इस बात पर जोर देगा कि सभी देशों में वहाँ के निवासियों को हर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हों। अगर किसी कारण से शीघ्र ही आज़ादी न दी जा सके तो भारत को इसमें कोई आपत्ति न होगी कि ऐसे देश को संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप के अधीन कुछ समय के लिए रख दिया जाय। प्रतिनिधि-मण्डल का रूख यह होगा कि सभी एशियावासी और पराधीन देश आज़ादी के लिए इकट्ठे हो जायें और इस तरह विदेशी नियन्त्रण से छुटकारा पा लें, क्योंकि संसार में शांति और प्रगति क्रायम करने का यही एक मार्ग है।

“दूसरा महत्वपूर्ण विषय है दक्षिणी अफ्रीका-द्वारा दक्षिण पश्चिमीय अफ्रीका के अधिकृत शासनादेश प्राप्त चेत्रों को हङ्क जाने की आशंका। इस प्रस्ताव का विरोध हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डल सिद्धान्त की दृष्टि से करेगा। भारत-सरकार का विचार है कि ऐसे शासनादेशप्राप्त चेत्र को शासनादेश या ट्रस्टीशिप के अन्तर्गत नहीं जाया जा सकता, और उसका सर्वोच्च अधिकार वहाँ के निवासियों को होना चाहिए जिनकी इच्छाएँ और हित ही सर्वश्रेष्ठ समझे जाने चाहियें, भारत-सरकार की दृष्टि से ठीक मार्ग यह होगा कि दक्षिण पश्चिमीय अफ्रीका को पहले तो संयुक्त राष्ट्र को आम असेम्बली के ट्रस्टीशिप कौंसिल के अधीन कर दिया जाय और फिर उसके भविष्य पर विचार किया जाय।

विचारणीय विषयों में दो मर्दे ऐसी हैं जो सुरक्षा समिति की पाँच महान् शक्तियों के प्रतिरोध-सम्बन्धी सुविधाओं से सम्बन्ध रखती हैं। सम्बद्ध देश वाले सुरक्षा समिति को कोई और

नाम दे सकते हैं—जैसे ‘महान् शक्तियों के एकमत का शासन’। इस विवादास्पद विषय के बारे में हमारे प्रतिनिधि-मण्डल का रुख यह होगा कि यथापि सिद्धान्त की दृष्टि से हिन्दुस्तान आवश्यक रूप से ऐसी गणतन्त्र-विशेषी व्यवस्था को विशेषाधिकार में समिलित करने को पसन्द न करेगा, फिर भी वह महान् शक्तियों में एकता और सहयोग राष्ट्रसंघ के दांचे के अन्तर्गत कायम रखने के हक में है और इस स्थिति को हानि पहुँचाने के लिये कुछ भी नहीं करेगा।” पेरिस की शान्ति-परिषद् के बारे में बोलते हुए पं० नेहरू ने कहा—“पेरिस में इस समय, इटली, रूमानिया, बल्गारिया, हंगरी, और फिनलैण्ड में शान्ति स्थापन की शर्तें तैयार करने के लिए शांति-परिषद् जो बैठक कर रही है उसका काम खेदजनक सुस्ती के साथ हो रहा है। जहाँ-कहीं भी सभव हुआ है हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डल ने अच्छे समझाते का स्वतन्त्र मार्ग ग्रहण किया है और ऐसे प्रस्तावों का समर्थन किया है जो सामान्यतः न्यायपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान चाहते थे। हमारे प्रतिनिधि-मण्डल ने शान्ति-परिषद् के सामने उपस्थित प्रत्येक समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से अपने सामने रखा है।

“दो कारणों से हिन्दुस्तान इटली की ज्ञातिपूर्ति के मामले में अलग-यलग ही रहा है। पहला तो यह है कि जिन देशों को ज्ञाति-पूर्ति की रकम पाने का अधिकार है और उन्हें मिल रही है उसे घटाने के बारे में हिन्दुस्तान कुछ नहीं कहना चाहता और दूसरी बात यह है आर्थिक ज्ञाति-पूर्ति के लिए जो बोक लेकर इटली को ऊँची घोटी पर चढ़ना है उसको और भारी बना देने की इच्छा हिन्दुस्तान की नहीं है। तो भी प्रतिनिधि-मण्डल ने अपने इस अधिकार को सुरक्षित रखा है कि इटली को हिन्दुस्तान से जो कुछ पावना है उसके बारे में हिन्दुस्तान अपनी युद्ध-विषयक राष्ट्रीय ज्ञाति-पूर्ति की मांग की रकम मुजरा ले सके तथा और भी अन्य दाओं की पूर्ति कर सके।

“इटली के जो उपनिवेश अफ्रीका में उसके हाथ से निकल गये उनके बारे में हिन्दुस्तान का भावी रुख पूर्णतः प्रकट कर दिया गया है और इस मामले पर कल बहस समाप्त हो गई है, फिर भी कोई आखिरी फैसला करने के पहले यह विश्वास दिलाया गया है कि उसपर हिन्दुस्तान की सबाह ली जायगी। अन्य देशों से हिन्दुस्तान के सम्बन्धों के बारे में पं० नेहरू ने निम्नलिखित विवरण उपस्थित किया।

### पूर्वी अफ्रीका

“पूर्वी अफ्रीका के तीन उपनिवेशों में जो इमिग्रेशन (प्रवासी) विक्षेपण हुए हैं उससे हिन्दुस्तान में तथा उन उपनिवेशों में रहनेवाले प्रवासी हिन्दुस्तानियों में बहुत बड़ा आतंक फैल गया है। राजा सर महाराजसिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि-मण्डल ने उन उपनिवेशों के हिन्दुस्तानियों, अफ्रीकनों, यूरोपियनों और अन्य जातिवालों से सम्पर्क स्थापित किया है और भारत सरकार उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।

### लंका

“दुर्भाग्यवश उस समय से हमारे और लंकाके सम्बन्धों में एक तरह की अद्वैत उपस्थित हो गई है। हाल के महीनों और वर्षों में उसके कारण वहाँ बहुत-सी घटानाएँ हुई हैं जिनका असर यह हुआ है कि हिन्दुस्तानी लोकमत अंदोब्बित हो उठा है।

“किर भी हमने भरसक कोशिश की है और करते रहेंगे कि हम लंका निवासियों और वहाँ की सरकार से मिश्रतायूर्ण व्यवहार रखें, क्योंकि यह अनिवार्य है कि भविष्य में लंका और

हिन्दुस्तान के निवासी साथ-साथ आगे बढ़ें और हम नहीं चाहते कि हम में किसी प्रकार की अनवन हो।

पं० नेहरू ने कहा कि वे लंका जाने के लिए हर कोशिश से काम लेंगे पर वे निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कब जा सकेंगे।

### बर्मा

मेजर-जनरल यांगसेन की अध्यक्षता में बर्मा में नई सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए पं० नेहरू ने कहा—हम अनेक दृष्टियों से हसका स्वागत करते हैं। पहले तो हस आशा से कि हसके द्वारा बर्मा को जश्न आजादी मिल जायगी और दूसरे हसिये कि हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारी सरकार और नई बर्मा सरकार के साथ मिश्रतापूर्ण और हार्दिक सम्बन्ध स्थापित हो जायगा।

पं० नेहरू ने बर्मा के नये गवर्नर के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित की कि उन्होंने कुछ हिन्दुस्तानियों के लिखाक चलनेवाले मामलों को रोक दिया है।

### मलाया

“यहाँ भी अवरथा बहुत अच्छी नहीं है। भारत-सरकार और कांग्रेस ने जो मिशन वहाँ भेजे थे वे बहुत अच्छा काम करके लौट आये हैं। सरकार ने वहाँ के प्रवासी हिन्दुस्तानियों की सहायता के लिये ३० लाख रुपये भेजे भी हैं।”

हजारात्रा—पं० नेहरू के विभाग ने हिन्दुस्तान से इक्कीस हजार हज यात्रियों-के सफर का प्रबन्ध किया है पर अभी चार या पांच हजार यात्री जाने को तैयार हैं। जब से पं० जी ने अपना पद संभाला तब से और जहाजों का प्रबंध करने की चेष्टा की गई है और आशा है कि बाहर सौ या पन्द्रह सौ यात्रियों के लिये एक और जहाज़ मिल जायगा। कुछ यात्री इवाईं जहाज़ से भी भेजे गये हैं। अमेरिकन अधिकारियों से भी जहाज़ के लिये लिखा-पढ़ी हो रही है और उन्होंने कोशिश करने का वादा भी किया है पर सफलता कब मिलेगी, नहीं कहा जा सकता।

हिन्दुस्तान के वैदेशिक सम्बन्ध के बारे में प्रश्नों का उत्तर देते हुए पं० नेहरू ने कहा—“यह स्पष्ट है कि भविष्य में हमें दो बातें करनी पड़ेंगी; एक तो अधिक संख्या में कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधि रखने होंगे और दूसरे उनसे सीधा व्यवहार रखना पड़ेगा। यह स्वाभाविक है कि अक्सर हम अपनी कार्य-शिला की सूचना सन्नाट की सरकार को देते रहेंगे। लेकिन खास बात यह है कि आदेश और सलाह हिन्दुस्तान से हमारे प्रतिनिधियों को दी जाया करेंगी; लन्दन के वैदेशिक-कार्यालय से नहीं। हमें आशा है कि शीघ्र ही कुछ देशों में हम अपने कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधि रख सकेंगे और उसका श्रीगणेश अमेरिका और चीन से करेंगे। इस समय हमारे एजेन्ट-जनरल मानकिंग और वाशिंगटन में हैं और हम इस सम्पर्क को बढ़ा सकते हैं। हम उन्हें ऊंचा दर्जा दें सकते हैं और उन सरकारों से सोधा सम्बन्ध कायम कर सकते हैं।

“हसी प्रकार का सम्बन्ध हम रुससे भी चाहते हैं पर हस समय तक वह स्थापित नहीं हो सका है, क्योंकि हम उसके लिये अभी कोशिश ही कर रहे हैं। हम सभी दृष्टियों से हस संबंध का विकास करना चाहते हैं क्योंकि रुस का महात्व आज सारे संसार में प्रधान है। सोवियट संघ हमारा पूँजीसे है और पढ़ीसियोंके साथ पढ़ोस का सम्बन्ध रखना सदा वांछनीय होता है।” “यह पूँजी पर कि नानकिंग और वाशिंगटन में हमारे प्रतिनिधियों का क्या दर्जा होगा। पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि “अभी तक उनके पदों का निर्णय नहीं हुआ है पर सम्भवतः उन्हें राजदूत बनाया

जायगा। भारत-सरकार विधि विहित दंग से योरप के विभिन्न देशों से सम्पर्क स्थापित करेगी, जिसमें फ्रांस भी सर्विमिक्त होगा और इस बात का निश्चय भी हो जायगा कि वे देश हमारे साथ किस प्रकार के प्रतिनिधियों का विनियम करना चाहते हैं। रुस और एशिया के विभिन्न देशों पर भी यही बात जागू है। मध्यपूर्व के देशों—मिश्र, ईरान, इराक को भी सरकार अपना स्वेच्छा-मिशन भेजना चाहती है, जिसका उद्देश्य कोई खास राजनीतिक सन्देश ले जाना नहीं, बल्कि शुभेच्छा, मित्रता और बनिष्ट सम्बन्ध के लिए हमारी हच्छा और कृतनीतिक तथा सांस्कृतिक मामलों में हमारे सम्पर्क-यथापन का सन्देश ले जाना है।

“हमें आशा है कि मौजाना अबुलकलाम आजाद इस मिशन के नेतृत्व के लिये हमें ग्रास हो सकेंगे। युरोप भेजे जानेवाले मिशन के व्यक्तियों का नाम अभी तुमा नहीं गया, पर आशा की जाती है उसके बारे में कृष्ण मेनन (इन्डिया बींग लैंडम के अध्यक्ष) भी सहायकों में एक होंगे। मैं नहीं जानता कि श्रीयुत मेनन रुस जा सकेंगे या नहीं। यह बाद की व्यवस्थाओं पर निर्भर करेगा।

यह पूछने पर कि क्या हिन्दुस्तान अंतर्राष्ट्रीय परिषद् के लिये कोई और स्थी-प्रतिनिधि भेजना चाहती है क्योंकि श्रीमती पांडित को तो राष्ट्रसंघ की आम प्रसेक्षणी के लिये भेजा जा रहा है, पं० नेहरू ने कहा “हम छियों को न केवल अंतर्राष्ट्रीय परिषदों में भेजना चाहते हैं बल्कि उन्हें स्थायी रूप से मिनिस्टर और राजदूत भी नियुक्त करना चाहते हैं।”

बन्दन के हाई कमिशनर के दफ्तर की बाबत सवाल करने पर पं० जी ने कहा कि, “अभी तक इस कार्यालय ने मुश्किल से किसी राजनीतिक मामले को हाथ में लिया है। अभी तक तो वह, तमखाहों, पेन्शनों और कुछ हथर-उधर के कामों में ही हाथरत रहा है, पर अब यह स्पष्ट है मि परिवर्तित परिस्थित में यह दफ्तर—चाहे इसका नाम कुछ भी क्यों न रखा जाय—भूतकाल की अपेक्षा अधिक महावरपूर्ण बन जायगा।

यह पूछनेपर कि क्या अंतर्राष्ट्रीय-परिषद् में कोई ऐसी अनिश्चित घटना आप पहले से देख सकते हैं जिसको लेकर हिन्दुस्तान की नीति बिटेन की नीतिके विरुद्ध पड़े? पं० जी ने कहा “भूत-काल में भी भारतने कुछ हदतक ब्रिटिश प्रस्तावों के विरुद्ध वोट दिये हैं। यह पहले भी हो चुका है और अब भी ऐसे अवसर आ सकते हैं। यह स्वाभाविक बात है कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परिषद् में या अन्यत्र लोगों से लड़ने-फड़ने नहीं जाता बल्कि जहाँ तक हो सके अपना काम अपने दंग से करने के लिये जाता है। यह हमेशा समझ नहीं है कि ऐसी परिषदों में कोई अपने ही दंग से काम कर सके, क्योंकि उसमें सभी दंगों और दलों के लोग होते हैं और जो मामला बहुत सीधा-सादा होता है वह वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी पृष्ठ-भूमि बड़ी कठिन होती है, पर ऐसे भी मौके आ सकते हैं जब हिन्दुस्तान किसी भी देश—जिसमें हंगरेंग भी शामिल हैं—के विरुद्ध लड़ा हो।

पं० नेहरू ने बतलाया कि “अगर नहीं सरकार पेरिस-दरिष्द में गये हमारे प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों के नामों में कुछ अद्यत-बदल करना चाहती तो वह वैसा कर सकती थी। पर परिषद् की तरकालीन स्थिति समझते हुये उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन करना ठीक नहीं समझा। किन्तु प्रतिनिधि या टेलीगेट चाहे जो हों और उसकी पृष्ठ भूमि चाहे जैसी हो, यह तो स्पष्ट है कि वे यहाँ से भेजे हुये आदेशों के अनुसार काम करते हैं। हो सकता है कि कुछ मामलों में उन्हें कोई आदेश न प्राप्त हो, क्योंकि परिषद् की कार्यवाही में बहुत से संशोधन सहसा और अधिक संख्या

में आजाते हैं, और इसकिये उचके साथ चलना सुरिकल हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमारे प्रतिनिधि वहे आदेशों की सीमा में रहते हुये अपनी इच्छा का संयोग कर सकते हैं।

पं० नेहरू ने फिर कहा कि विभिन्न देशोंमें भारत के प्रतिनिधियोंका कार्यकाल या तो समाप्त हो चुका है या शीघ्र होने जा रहा है और सरकार के सामने नई नियुक्तियों का सवाल पैश है। एक सवाल के जवाब में पं० जी ने बतलाया कि अन्य देशों में हमारे प्रतिनिधियों का दर्जा वही होगा जो उन देशबालों के प्रतिनिधि का हमारे देश में होगा। अगर हम वाशिंगटन या नानकिंग को अपने राजदूत भेजेंगे तो अमेरिका और चीन भी अपने राजदूत नई दिली भेजेंगे। आस्ट्रेलिया के वैदेशिक सचिव ने भारत-सरकार को सूचित किया है कि वहाँ की सरकार यहाँ इनवाले अपने हाई कमिशनर का दर्जा मिनिस्टरों के समान बना देना चाहती है। यह इसकिये स्वाभाविक है कि आस्ट्रेलिया में भेजा गया हमारा प्रतिनिधि भी मिनिस्टर के समान दर्जे का हो जायगा। यह पछले पर कि क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय-परिषद् में ऑपनवेर्शिक देशों के संघयोग से एक संगठन के रूप में काम करेंगे? पं० नेहरू ने कहा कि इस मानी में तो हम एक संगठन के रूप में ज़रूर काम करेंगे कि जिस ओर यह संगठन जायगा उसका हम अनुसरण करेंगे। हम इस संगठन के देशों से सलाह लेंगे और उसे अपने विचार का बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम सफल न हुए तो अपना मतभेद प्रकट करेंगे और अपने रास्ते का अनुसरण करेंगे।

पं० नेहरू ने आगे कहा कि, 'भूतकाल में हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों का अनुसरणात्र करते रहे हैं। लगभग पन्द्रह-बीस वर्ष पहले हन प्रतिनिधियों की नियुक्ति या तो भारतमंत्री भारत-सरकार की सलाह से किया करते थे अथवा भारत-सरकार भारतमंत्री के परामर्श से। पर यह बात खीरे-खीरे दूर होती गई है। दृष्टिपूर्वक इसका अंश अभी तक शेष है। मेरा विश्वास है कि हन परिषदों में हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि एशिया के अन्य देशों के प्रतिनिधियों से अधिक परामर्श करने लगे हैं, व्योमिक वे हस बात का अनुभव करते हैं कि कुछ हित ऐसे हैं कि जिनकी रक्षा के सब मिलकर ही कर सकते हैं। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय-परिषदों, संस्थाओं और कमीशनों में एशिया के प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम होती है और युरोपबालों की बहुत अधिक। जब कभी कोई ऐसा सवाल आया है जिसका सारे एशिया से सन्वेद है तो सभी एशियावासी प्रतिनिधि एक हो गये हैं और मिश्र आदि ने भी उन्हें सहयोग दिया है।

पं० नेहरू ने कहा कि यह तो बहुत स्पष्ट तथ्य है कि हिन्दुस्तान हन्डोनेशिया के प्रजातंत्र से पूरी सहानुभूति रखता है। हम चाहते हैं कि हन्डोनेशिया को पूरी आजादी मिल जाय और हम उनके इस काम में सब प्रकार की सहायता देंगे। हमने हन्डोनेशिया के प्रजातंत्र को विधि-विहित रंग से स्वीकार नहीं किया है जैसा कि एक राष्ट्र दूसरे को किया करता है, परन्तु क्रियात्मक रूप में हम ऐसा कर रहे हैं। "हो सकता है कि हन्डोनेशिया और ईरान के बारे में हमारे विचार वही न हों जो विद्या सरकार के हैं, हमारे स्वार्थ भी एक जैसे नहीं हो सकते पर हम दूसरे देशों के मामले में टांग अकाना नहीं चाहते।

"विद्या साम्राज्य एक बहुत विस्तृत भूखण्ड है और यह स्पष्ट है कि उसमें सभी तरह के ऐसे स्वार्थ निहित हैं कि जिनसे हम सहमत न होसकें। हम दूसरे के ममणों में पढ़ने से ढरते हैं और ऐसा होने नहीं देना चाहते। अभी हमारे सब मामले परिवर्तित स्थिति में हैं; किन्तु हमारा इहेश्य तो स्पष्ट है, पर कल हम क्या करेंगे यह वैसा स्पष्ट नहीं है।" यह पछे 'जाने पर कि

पं० जी का विभाग अन्य देशों से ब्रिटिश फौजें हटाये जाने के सम्बन्ध में किस हद तक काम कर सकेगा, उन्होंने कहा—

“हम किसी भी दूसरे देश के मामले में नहीं पहला चाहते और न हस सिज्जसिले में अपने धन, जन और साधनों का उपयोग दूसरे देशों के मामले में होने देना चाहते हैं—न किसी देश के राष्ट्रीय आनंदोत्तम के विरुद्ध अपनी ऐसी शक्तियों का उपयोग होने देना चाहते हैं। हिन्दुस्तानी सेनाएँ जहाँ-कहाँ भी होंगी हम उन्हें वापस हिन्दुस्तान लुका लेना चाहेंगे। हमें आश्वासन दिया गया है कि हस प्रकार की कार्यवाही शुरू भी हो गई है। ऐसा मालूम होता है कि हसमें जरूरत से उदादा समय लग गया है। पर यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि उन सेनाओं को वापस आना ही पड़ेगा। डबाहरणार्थ इण्डोनेशिया से हमारी बहुत-सी फौजें वापस आ गई हैं पर अभी काफ़ी तादाद में वहाँ रह भी गई हैं। हमें बतलाया गया है कि नवम्बर के अन्त तक वे सब वापिस आ जायगी। जब कभी फौजों के वापस लुकाने का सचाल पेश होता है तो उसमें सिर्फ़ जहाज़ी कठिनाइयाँ ही बाधक नहीं होतीं बल्कि अधिक उत्तमनों-भरा और उस वह दफ्तर बन जाता है जिसे युद्ध-कार्यालय कहते हैं।” पं० जी ने आगे चलकर कहा कि “इण्डोनेशिया का जो चाल हिन्दुस्तान के लिये निर्धारित किया गया था उसके लिये जावा के अधिकारियों ने जहाज़ी सुविधायें नहीं प्रदान कीं और हसके बारे में हमने सहज कार्यवाही की है। हमारी नीति का सारांश यह है कि सारे एशिया से उपनिवेशवाद समाप्त कर दिया जाय और अफ़्रीका तथा अन्य स्थानों से भी, और जातीय एकता अर्थात् सभी जाति के लोगों के लिये समान अवसर दिलाने की सुविधा सब को प्राप्त हो। किसी के विरुद्ध कोई कानूनी वाधा जातिगत आधार पर न हो और न एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व स्थापन या शोषण कर सके।” एक दूसरे प्रश्नके उत्तर में पं० जी ने कहा कि “अन्ततः बन्दन स्थित भारतीय प्रतिनिधि चाहे उसे राजदूत कह लीजिये या और किसी नाम से उपकारिये, हिन्दुस्तान के मामलों में इंग्लैण्ड के साथ सीधी कार्यवाही करेगा। किसी भी अवस्था में हृणिदया आफिस को तो बन्द करना ही पड़ेगा, पर ऐसा कब होगा यह मैं नहीं कह सकता।

“हिन्दुस्तान, नेपाल, भूटान और सिक्किम के साथ बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की नीति का अनुसरण करेगा।” नेपाल के बारे में प्रश्न किये जाने पर पं० जी ने कहा कि ‘नेपाल जहाँतक हमारा सम्बन्ध है एक स्वतंत्र देश है। अगर भविष्य में वह भारत के साथ बनिष्ठतर सम्बन्ध स्थापित करना चाहेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे।

यह पूछे जाने पर कि क्या चीन और अमेरिका में मित्रिस्तरों या राजदूतों की नियुक्ति निकट-भविष्य में होगी ? पं० जी ने कहा कि हसमें दो या तीन महीने तक लग जा सकते हैं। पश्चिमोत्तर सीमा के कबाइलियों के प्रश्न के बारे में पं० जी ने कहा कि उनका विश्वास है कि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त का मन्त्रिमण्डल अगस्त के अन्त तक हाज़ार की बमबाज़ी के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब उन्होंने २ सितम्बर को अपना कार्यभार सँभाला तो बमबाज़ी न्यूनाधिक रूप में समाप्त हो जुकी थी। शुरू से तीन-चार दिनों—६ सितम्बर तक उन्हें हसका कुछ पता नहीं था। “जब मैंने हस बमबाज़ी के बारे में सुना तो मुझे बड़ी चिन्ता हुई, क्योंकि यह बहा महत्वपूर्ण समझा था। और बमबाज़ी समाप्त हो जाने पर हम उसके बारे में अब कुछ विचार कर रहे हैं। मुझे आशा है कि अगले महीने के शुरू में मैं इन कबाइली इलाकों में सुदूर जाकर सम्बद्ध व्यक्तियों—गवनर और कबाइली लोगों तथा सरकारी अधिकारियों से मिलूँ और यहाँ लौटकर आगे से परामर्श करनेके बाद उस नीतिकी रूपरेखा तैयार करूँ, जिसके आधार पर कैविनटसे बातचीत हो सके।

पं० नेहरू ने फिर कहा कि मैं खाम अबदुल गफ़कारखां का सदयोग और प्रभाव प्राप्त करूँगा और उन्हें अपने साथ बढ़ा रखूँगा ।

पं० नेहरू ने बताया कि कबाइचों के बारे में कुछ बाहरी तथ्यों पर भी विर्भर करना पड़ेगा जिनका सम्बन्ध अकगानिस्तान से है । मामला उक्कनों से भरा हुआ है । एक ओर तो सीमाप्रान्त के लोग हैं जो कभी-कभी आर्थिक या अन्य कारणों से हमले करने और लोगों का बलात् अपहरण करने में लग जाते हैं, जो सहन नहीं किया जा सकता । दूसरी ओर यह ख्याल है कि हमें इस समस्या को मित्रतापूर्ण ढंग से और दृष्टापूर्वक करना चाहिए ।

“बुनियादी बात यह है कि सम्भवतः अब पहले की तरह हम चुप नहीं रह सकते । हन सब बातों के पीछे सम्भवतः आर्थिक पृष्ठभूमि है । अगर कबाइचों में खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकें—मालूम नहीं कि वहाँ उनका अस्तित्व है या नहीं, तो हम उनका पर्याप्त विकास कर सकते हैं हम वहाँ अस्पताल, स्कूल भी खोल सकते हैं पर उनका ख्याल है कि पहले की तरह बहुत ज्याद रुपया खर्च करना, रिवर्टें देना, लोगों में अच्छे मनोभाव पैदा करने का उपाय नहीं है । वह रुपया सीमाप्रान्त में ही खर्च किया जाय पर उसका उपयोग रचनात्मक प्रयत्नों में हो जिससे नया मान काथम हो और लोगों को नई रोज़ी मिले ।

बलूचिस्तान के लिये सलाहकारी कौसिल का द्वाका देते हुए पं० जी ने कहा, बाद में वहाँ शासनप्रणाली को पूर्णतः गणतन्त्रात्मक बना दिया जायगा । मैं बलूचिस्तान को अच्छी तरह नहीं जानता पर जिन तीन संस्थाओं के बारे में मैंन सुना हूँ वे हैं—अंजुमने-वतन, मुस्लिम-लीग, और जमायतउल्लज्जेमा । वहाँ की निर्वाचन-सूची तैयार करने में कृः से आठ महीने तक लग जायेंगे और निर्वाचित सलाहकारी कौसिल परामर्शदात्री संस्था होगी पर कियात्मक रूप में वह कुछ और भी होगी । हम विधान का परिवर्तन सहसा नहीं कर सकते ।

“राष्ट्र संघ के लिए प्रस्तावित हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि-मण्डलके बारेमें आपने कहा कि शुरू-शुरू में सरकार ने सैयद रज्जाअली और पं० हृदयनाथ कुंडाल को आमन्त्रित किया था; पर दो में से किसी ने भी वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया । बाद में श्रावित नियोगी आमन्त्रित किये गये और उन्होंने जाना मंजूर कर लिया; पर आगे चलकर उन्होंने भी अपनी घरेलू अद्वचनों के कारण बाहर जाना स्वीकार नहीं किया । हमें कुल मिलाकर पांच प्रतिनिधि और बहुत से अक्सर—जिसमें से कुछ प्रतिनिधि का काम भी बारी-बारी से कर सकते हैं, ऐसे हैं इस तरह हर असल हमें एक और प्रतिनिधि की जरूरत है । दो तीन व्यक्ति इसके लिए हमारे ध्यान में हैं ।

रही हिन्दुस्तान में विदेशी अधिकृत स्थानों की बात, सो उसके बारे में ध्यान आकर्षित करने पर पं० जी ने कहा कि “उन्होंने फ्रांसिसी हिन्दुस्तान के गवर्नर का वक्तव्य पदा है और वे फ्रांसिसी भारत के प्रताजन का फ्रैंसेंट्रा ही उनके भविष्य के सम्बन्ध में मानने-योग्य समझते हैं । पं० जी ने कहा—”फ्रांसिसी हिन्दुस्तान के बारे में जहांतक मैं समझता हूँ कोई कठिनाई नहीं है । हाँ, पोर्चरीज़ भारत के बारेमें इस समय एक कठिनाई अवश्य है जो एक दुःखद स्थिति है । यह जाहिर है कि गोआ में इस तरह का मामला अधिक समय तक नहीं चल सकता । यह बात न सिर्फ़ गोआ के लिये बुरी है बल्कि उसके आस-पास के इलाकों के लिये भी । पर अभी तक मैं नहीं जानता कि सरकार ने कोई भी कार्यवाही की है क्योंकि यह स्पष्ट है कि यद्यपि गोआ हिन्दुस्तान का एक बहुत छोटा भाग है, पर उसके कारण अन्तरराष्ट्रीय मामले खड़े हो जाते हैं । अगर हमारे सामने कोई अन्तर्राष्ट्रीय मामला आता है तो हमें

उसका नियटारा करना ही पड़ेगा। किन्तु हमारे सामने कहे वही समस्याएँ हैं और जो सवाल अपने आप खत्म हो सके उसे हमारी ओर से सरकारी तौर पर उठाना ठीक न होगा।”

**मुस्लिम लीग-द्वारा अन्तरिम सरकार में प्रवेश ( १५-१०-१६४६ )**

आज सरकारी तौर पर यह घोषणा की गई है कि मुस्लिम लीग ने अन्तरिम सरकार में शामिल होने का फैसला कर लिया है और सभाप्राद् ने निम्न व्यक्तियों को अन्तरिम सरकार के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है :—

श्री लियाकत अली खां,

श्री आहू आहू चुन्द्रीगर,

श्री अब्दुर्रेजान निशतर,

श्री गजनफ़र अली खां,

श्री जोगेन्द्रनाथ मंडल ।

मंत्रिमंडल के पुनर्संगठन के हेतु निम्नलिखित सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया है :—

श्री शशत् चन्द्र बोस,

श्री शफात अहमद खां,

सैयद अली जहीर ।

वर्तमान मंत्रिमंडल के ये सउजन बने रहेंगे :—

पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री आसकब्दी, श्री सी० राजगोपालाचारी, डा० जान मयाई, सरदार बलदेवसिंह, श्री जगजीवन राम और श्री सी० एच० भामा ।

विभागों का विवरण आगामी सप्ताह के शुरू में किया जायगा और उसी नये सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। इस बीच वाइसराय ने उन सदस्यों से, जिन्होंने इस्तीफे दे दिये हैं, अपने पदों पर बने रहने का अनुरोध किया है।

**कांग्रेस-लीग वार्तालाप पर जिन्ना का मत**

**पत्र-न्यवहार प्रकाशित ( १६-१०-४६ )**

आख इरिंदया मुस्लिम-लीग के प्रेसोफेट मिं० जिन्ना ने निम्नलिखित वकाल्य पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजा है—“कांग्रेस और मुस्लिम-लीग के वार्तालाप और हस्तों समाप्ति के बारे में पत्रों ने तरह-तरह की अटकज्ञानियाँ की हैं और बहुत ही गम्भीर बातें कही गयी हैं।

“इसलिए पं० जवाहर लाल और मेरे बीच यह समझौता हो गया है कि जनता के सामने सच्ची बातें रखने के लिए हमारे बीच हुए पत्र-न्यवहार को प्रकाशित कर दिया जाय, [और उसी के अनुसार मैं उसे प्रकाशित कर रहा हूँ।’’

**पं० जवाहर लाल नेहरू का मिं० जिन्ना के नाम पत्र**

**( ता० ६-१०-४६ )**

“कह हमने जो बहस की है उसके बारे में मैंने अपने कुछ साधियों से सबाह जी है और यह विचार भी किया है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, किस प्रकार समझौता हो सकता है। हम सब इस बात से सहमत हैं कि पहले को तरह यह संस्थाएँ फिर परस्पर मिलें, और किसी प्रकार का मानसिक दुराव लिये बिना अपने मतभेद पारस्परिक परामर्श-द्वारा तय करें तथा वाइसराय के द्वारा विटिय सरकार या अन्य विदेशी शक्तिवालों का इस्तेवेप न स्वीकार

करें। इसलिए हम लोग के अन्तरिम सरकार में एक संयुक्त रूप में समिक्षित होने के फैसले का स्वागत करेंगे।

“हमारी बातचीत में कह आपने ये ख्रास बातें रखी थीं :—

( १ ) वह फार्मूला जो गांधोजी ने आपकी बताया था;

( २ ) सूचीबद्ध जातियों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि-सदस्यों के प्रति लोग का उत्तरदायी न होना;

( ३ ) सूचीबद्ध जातियों के सिवा अन्य अल्पसंख्यकों के वर्तमान प्रतिनिधि-सदस्यों में किसी की जगह खाली हुई तो क्या होगा ?

( ४ ) मुख्य रूप में साम्प्रदायिक कहे जानेवाले मामलों की कार्रवाई करने का ढंग;

( ५ ) वाहस-प्रेसोडेण्ट का बारो-बारी से रखा जाना ।

“नं० १ के सम्बन्ध में हमारो ख्याल है कि फार्मूला की शब्दावली ठीक नहीं है। हम उसके भीतर अन्तर्निहित ध्येय के बारे में सन्देह नहीं करते। चुनाव के फलस्वरूप हम मुस्लिम-लोग को हिन्दुस्तान के मुसलमानों के अत्यधिक बहुमत की प्रतिनिधि-संस्था मानते हैं और इस रूप में तथा प्रजातंत्राय सिद्धान्तों के अनुसार उसे भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, बशर्ते कि हिन्दौं कारणों से लोग भी कांग्रेस का ( सभी ) गैर-मुस्लिम और ऐसे मुस्लिमों की प्रतिनिधि-संस्था मानती हैं जिन्होंने अपने भाग्य को कांग्रेस पर छोड़ दिया है। कांग्रेस अपने सदस्यों में से किसी को भी अपना प्रतिनिधि चुनने में किसी भी प्रतिबन्ध या सीमितता को नहीं मान सकती। इसलिए हमारो सज्जाह है कि कोई भी फार्मूला ज़रूरी नहीं है और हर संस्था अपने गुणों पर ख्याली हो।

“नं० २ के बारे में मुझे यह कहना है कि यहाँ लोग के उत्तरदायित्व का तो सवाल ही नहीं उठता; चूंकि आप सरकार के वर्तमान विधान के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाते इसलिए हल करने के लिए कोई सवाल दी ही नहीं।

“नं० ३ के बारे में मुझे कहना है कि अगर ऐसी कोई जगह खाली होती है, तो सारा मंत्रिमंडल इस बात पर विचार करेगा कि उस स्थान पर किसको नियुक्त किया जाय और वाहसराय को उसी के अनुसार सज्जाह दी जायगी। इन अल्पसंख्यकों के बारे में लोग से सज्जाह लेने के अधिकार के बारे में तो कोई सवाल किया जाए नहीं जा सकता।

“नं० ४ के बारे में आप जो संघीय अदालत को बात कहते हैं वह अमल में नहीं आ सकती। मन्त्रिमण्डल के सामने आनेवालों वाले अदालत में पेश करने को नहीं हो। सकतीं। ऐसे मामलों का निवारा हमें आपस में कर लेना चाहिए और जिस प्रस्ताव पर सहमत हों उसे मंत्रिमण्डल के सामने रखें। अगर किसी मामले पर सहमत न हो सकें तो हमें आपनी पसन्द का पंच सुन लेना चाहिए। तो भी हमें आशा है कि हम ऐसे पारस्परिक विश्वास, सहिष्णुता और मित्रता के साथ काम करेंगे कि ऐसे पंच तक जाने की ज़रूरत ही न पड़ेगी।

“नं० ५ के बारे में वाहस-प्रेसोडेण्ट-पद पर बारो-बारी से नियुक्ति का तो सवाल ही नहीं उठ सकता। अगर आप कैविनेट या मन्त्रिमण्डल की सदस्योंगी समिति का वाहस-चेयरमैन-पद बनाने की हड्डी करें तो हमें उसमें कोई आपत्ति न होगी, क्योंकि वह ( चेयरमैन ) इस कमिटी की अध्यात्मा समय-समय पर करता रह सकता है।

“मुझे आशा है कि अगर आपकी कमेटी अन्ततः राष्ट्रीय मंत्रिमण्डल में समिक्षित

एक सौ बाबन ]

कांग्रेस का इतिहास : खंड ३

होने का फैसला करती है तो वह साथ ही विधान-परिषद् में शामिल होने का निश्चय करेगी या आपकी कौसिल्क को सिफारिश करेगी कि वह ऐसा करे।

“मेरे लिए यह ज़िक्र करने की ज़रूरत मुश्किल से है कि जब हम कोई भी समझौता करेंगे तो वह पारस्परिक सहमति से ही, अन्यथा नहीं।”

मिठू जिन्ना का पं० जवाहरलाल नेहरू को पत्र

ता० ७-१०-१६४६

“मुझे आपका ६ अक्टूबर १९४६ का कृपा पत्र प्राप्त हुआ जिसके लिए मेरा अनेक धन्य-वाद। आपने अपने पत्र के पहले पैरे में जो भाव प्रकट किये हैं मैं उनकी क़दम करता हूँ और आपनी और से भी वही भाव प्रकट करता हूँ।

“आपके पत्र के दूसरे पैराग्राफ में पढ़की बात है नं० १ का फार्मूला, जिसे गांधीजी और मैंने स्वीकार किया था, और उसके आधार पर हमारे बीच अन्तरिम सरकार-सम्बन्धी अन्य-अन्य विषयों पर विचार करने को मीटिंग की व्यवस्था हुई थी। फार्मूला इस प्रकार है:—

“कांग्रेस मुस्लिम लीग के इस द्वावे पर आपत्ति नहीं करती कि वह भारत के अत्यधिक बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार और प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार उसे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का आपत्तिशूल्य अधिकार है। पर कांग्रेस यह नहीं मान सकती कि कांग्रेस को अपने सदस्यों में से किसी को अपनी इच्छा के अनुकूल प्रतिनिधि चुनने में कोई प्रतिबन्ध या परिसीमा खगायी जा सकती है।

“और अब आपने अपने इस पत्र में न केवल अदल-बदल कर दिया है बल्कि आप समझते हैं कि ‘फार्मूला’ की ज़रूरत ही नहीं है ! मुझे अक्सोस है कि मैं भाषा में या अन्य किसी भी तरह का परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो हमारी अन्य विषयों की बहस के बाद एक स्वीकृत आधार था। न मैं यही मंजूर कर सकता हूँ कि फार्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस पर गांधीजी के दस्तखत हुए थे और उसे मैंने स्वीकार किया था।

“चूँकि हमारी बातचीत का सारा दारोमदार गांधीजी के स्वीकार किये हुए फार्मूले पर था, इसलिए मैं नहीं समझता कि जब-तक आप उसे इस रूप में न मान लेंगे हम कुछ भी आगे बढ़ेगे। इस आधार पर ही इस उन अन्य बातों पर बातचीत चला सकते हैं जिन पर इस ज़बानी बहम कर खुके हैं, और अब मैं आपको उन विषयों की एक प्रतिलिपि इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ जो मैंने बहस के समय आपके सामने लिखित रूप में रखी थी।

“जिस फार्मूले के बारे में मैं ऊपर विचार प्रकट कर चुका हूँ, उनके अतिरिक्त अन्य चार विषयों में से आप किसी से भी सहमत नहीं हैं। मैं अभी इच्छा रखता हूँ कि यदि आप फार्मूले का आधार कवूल कर लें, तो आपके पैराग्राफ १ में प्रकाशित भावनाओं के अनुसार अन्य बातों पर आगे बातचीत चलाकर फैसला किया जा सकता है। मुझे फिल है कि हम अनुचित विद्वान् किये जिना अपना फैसला खुद कर डालें।

( १ ) कार्यकारिणी के सदस्यों की कुल संख्या १४ हो।

( २ ) कांग्रेस के छुः नामज़द सदस्यों में एक सूचीबद्ध जाति का प्रतिनिधि भी समिक्षित होगा, पर इसका मतदाय यह नहीं खगाया जाना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने सूचीबद्ध जाति के प्रतिनिधि का चुनाव स्वीकार या पसन्द किया है। उसका अन्तिम उत्तरदायित्व तो गवर्नर-जनरल और वाइसराय पर होगा।

(३) यह कि कांग्रेस अपने शेष पांच सदस्यों में अपनी पसंद का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं रख सकती।

(४) संरक्षण—यह एक विवाज हो जाना चाहिए कि मुख्य साम्प्रदायिक मामलों पर अगर कार्यकारिणी के हिन्दू या मुस्लिम सदस्यों का बहुमत विरोध प्रकट करे तो उसके बारे में कोई फैसला न किया जायगा।

(५) संयुक्त राष्ट्र (यू० एन० ओ०) कान्फरेंस को भाँति दोनों मुख्य सम्प्रदायों के प्रति औचित्य के खवाल से बारी-बारी से या सिलसिलेवार वाहस प्रेसीडेंट की नियुक्ति होनी चाहिए।

(६) तीन अल्पसंखक जातियों—सिल्ल, हिन्दुस्तानी ईसाई और पारसी के प्रतिनिधियों के चुनाव के बारे में मुस्लिम लीग से परामर्श नहीं लिया गया। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि लीग को उनका किया गया चुनाव पसंद है। पर भविष्य में किसी की मौत, इस्तीफे या अन्य तरीके से यदि कोई जगह खाली हुई तो इन अल्पसंखयों के प्रतिनिधियों का चुनाव दोनों मुख्य दलों की राय से होगा।

(७) विभाग—सब से अधिक महत्वपूर्ण विभागों का विभाजन दोनों मुख्य दलों—मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समान रूप से किया जायगा।

(८) यह कि उपर्युक्त व्यवस्था में तब तक परिवर्तन या रद्दोबदल न होना चाहिए जब तक कि दोनों ही प्रमुख दल—मुस्लिम लीग और कांग्रेस उसे स्वीकार न करें।

(९) लम्बी योजना की व्यवस्था का सवाल तब तक हल नहीं हो सकता जब तक कि अन्तरिम सरकार का पुनर्निर्माण होकर उसका अन्तरिम रूप बना लेने के बाद अच्छा और अनुकूल बातावरण पैदा नहीं होजाता, और ऊपर बताये विषयोंके बारे में समझौता नहीं होजाता।”

पं० जवाहरलाल नेहरू का पत्र मिं० जिन्ना के नाम

(ता० ७-१०-४६)

“मुझे आपका ७ अक्टूबर का पत्र कल शाम को उस समय मिला। जब मैं बड़ोदा हाउस आप से मिलने जा रहा था। मैंने उस पर सरमरी निगाह ढाकी और यह देखकर हैरान रह गया कि वह हमारी कल्पकी बात-चीत से विरुद्ध है। फिरतः हमने अनेक विषयों पर बात-चीत की और दुर्भाग्यवश एक-दूसरे को विश्वास दिलाने में समर्थ नहीं हुए।

“बापसी में मैंने आपके पत्र को बड़ी सावधानी से पढ़ा और अपने साथियों से भी सम्झाह ली। वे भी न सिर्फ उस पत्र से बल्कि उसके साथ नत्यों फेहरिस्त से बहुत परेशान हुए हैं। इस सूची पर न तो हमने पहले बातचीत की थी और न उस पर विचार किया था। हमारी बातचीत के बाद वह बहुत ही अल्परूप में प्रासांगिक रह गयी है।

“हमने सारी बातों पर फिर से विचार किया और हम अनुभव करते हैं कि हम उस पत्र-द्वारा स्पष्ट की गयी अपनी स्थिति को उससे अधिक स्पष्ट नहीं कर सकते जितनी मैंने अपने ६ अक्टूबर के पत्र में करदी है—हाँ, कुछ विरोध ऐसे हैं जिन पर मैं नीचे प्रकाश ढालूँगा। इसलिए मैं आपको अपने उस पत्र का हवाला देता हूँ जिसके द्वारा हमरे आम और खास छिपन्दु प्रकट किये गये हैं।

“जैसा कि मैंने आपको बताया है मेरे साथी और मैं आपके उस फारूक्का से सहमत नहीं हुए जिस पर गांधीजी और आप एकमत हुए थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ और आपके और मेरे बीच मुलाकात की व्यवस्था उस फारूक्का के स्वीकृत आधार पर नहीं हुई थी। हम उस

फार्मूले को जानते थे और उसके सार से सहमत थे जैसा कि मैंने अपने ६ अक्टूबर के पत्र में लिखा भी है, उस फार्मूले में एक और पैराग्राफ भी था जिसे आपने उद्दृत नहीं किया और जो इस प्रकार है—

“यह मानी हुई बात है कि अन्तरिम सरकार के सभी मिनिस्टर सारे भारत के हित के लिए एक संयुक्त समूह के रूप में काम करेंगे और वह किसी भी मामले में गवर्नर-जनरल के दृष्टव्येप का आद्वान नहीं करेंगे।”

“यद्यपि हम अब भी समझते हैं कि फार्मूले की शब्दावली ठीक रूप से नहीं रखी गयी है, पर चूँकि हम समझते को बड़ी इच्छा रखते हैं इसलिए हम उसे डस पैराग्राफ-सहित स्वीकार करने को तैयार हैं।

“ऐसी अवस्था में मैं आशा करता हूँ कि हम अपनी आगे की स्थिति विलक्षण स्पष्ट कर दें। निश्चय ही यह बात विलक्षण स्पष्ट है कि कांग्रेस को अपने लिए निर्धारित सीटों में से एक पर किसी सुसलमान को नियुक्त करने का अधिकार है। और जैसा कि मैंने अपने पहले पत्र में लिखा है, राष्ट्रवादी सुसलमानों और छोटी अल्पसंख्यक जातियों के बारे में कांग्रेस की स्थिति के बारे में आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

‘‘मेरे ६ अक्टूबर के पत्र की दूसरी, तीसरी और चौथी बारों के बारे में मैंने हमारी स्थिति स्पष्ट कर दी है और उनके बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपकी बात मानने के लिए हम जितना भी आगे बढ़ सकते थे, बढ़े और अब हम इससे और आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे विरासत है कि आप स्थिति को समझेंगे।

नं० २ (वाइस-प्रेसीडेंट का सवाल) के बारे में आपने कल यह राय दी थी कि वाइस-प्रेसीडेंट और केन्द्रीय असेम्बली का लोडर एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वर्तमान स्थित में इसका यह मतलब हुआ कि केन्द्रीय असेम्बली का लोडर मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री सदस्य होना चाहिए। हम इससे सहमत हैं।

‘‘मैं सभी मामलों पर पूर्णतः और सावधानी के साथ विचार करने और अपने यहाँ स्थिति साधियों से सलाह ले लेने के बाद आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। मैंने तर्क जारी रखने के लिए यह पत्र नहीं लिखा, बल्कि इसलिये लिखा है कि हम हृदय से समझौता चाहते हैं। हम इन मामलों पर काफी बहस कर चुके और वह समय आ गया है जब हमें इसका फैसला अन्तिम रूप में कर लेना चाहिए।’’

#### पं० जवाहरलाल को मिं० जिन्ना का पत्र

(ता० १२-१०-४६)

“मुझे आपका ८ अक्टूबर १९४६ का वह पत्र कल मिला जो आपने मेरे ७ अक्टूबर १९४६ के पत्र के जवाब में लिखा है।

“मुझे अफसोस है कि आप और आप के साथी गांधीजी और मेरे बीच तथा पाये फार्मूले को स्वीकार नहीं करते। गांधीजी तथा मैं इस बात से भी सहमत थे कि आप तथा मैं मिलकर ऐसे अन्य बारों का फैसला वार्ताबाप-द्वारा करले जिससे अन्तरिम सरकार पुनर्निर्मित हो सके। इसी के अनुसार ८ अक्टूबर को हमारी मुलाकात की व्यवस्था की गयी।

“मुझे आपसे यह मालूम करके आश्चर्य हुआ है कि जहाँ तक आपको मालूम है डस फार्मूले के आधार पर मुलाकात की व्यवस्था नहीं हुई थी। गांधीजी और मेरे बीच जिस

यूकमान्र फार्मूले के व्यापार पर समझौता हुआ था। इसका जिक्र मैंने अपने ७ अक्टूबर १९४६ के पत्र में किया था। मैंने अपने पत्र में इस बात का जिक्र नहीं किया था जिसका हवाला आपने 'पैरा २' के रूप में दिया है, क्योंकि वह तो उन बातों में से एक थी जिस पर आप और हम आगे बातलाप करनेवाले थे। यह व्यवस्था वास्तव में खिपिबद्ध करकी गयी थी।

"हमारी ८ अक्टूबर की पहली मुबाकात में हमने सभी विषयों पर बातचीत की थी और आपने मुझे सूचित किया था कि आप अपने लिए कल मिलने के अनुकूल समय से मुझे अवगत करेंगे; पर उसके बदले मुझे आपका ६ अक्टूबर का पत्र मिला है। इस पत्र में आपने स्वयं उस फार्मूले का हवाला दिया है जिसका जिक्र मेरे ७ अक्टूबर के पत्र में किया गया था, और अपने विचार भी प्रकट छिपे कि फार्मूला की शब्दावली ठोक नहीं है और नीचे लिखी व्यवस्था और जोड़ देने की सलाह दी—"

"बशर्ते कि ऐसे हो कारण से जोग कांप्रेस को गैर-मुस्लिमों और ऐसे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने की अविकृत संस्था मान दें जिन्हाँने अरवा भाग्य कांप्रेस पर छोड़ दिया है।

या अगर यह स्वीकार न हो, तो आपने सलाह दी कि फार्मूला की आवश्यकता न होगी। आपके पत्र में उस बात का हवाला नहीं है जिसे आप स्वीकृत फार्मूले का पैरा २ कहते हैं, और आपने अपने पत्र के आरम्भिक पैराग्राफ में उस पर अलग विचार किया है जो इस प्रकार है :—

'हम सभी इस बात से सद्गमत हैं कि इस देश के लिए इससे अच्छा कुछ न होगा कि दोनों संस्थाएँ पहले की तरह मित्र-भाव से मिलें और कोई मानसिक दुराव न रखते हुए पारस्परिक परामर्श-द्वारा ऐसी विधि बनायें कि वाहसराय-द्वारा विटिश सरकार अथवा अन्य कोई विदेशी शक्ति हमारे मामले में हस्तक्षेप न कर सके।'

"सार रूप में यही उस 'पैराग्राफ २' का मतलब था, जिसका आपने ज़िक्र किया था और जिस परअन्य बातों के साथ बातचीत होनी थी। मैंने अपने जवाब में भी इसका हवाला देते हुए कहा था कि मैं ६ अक्टूबर के पत्र के पैरा १ के आपके भावों की क्रद करता हूँ और आपके प्रति भी वही भाव व्यक्त करता हूँ।

"मैं यह बात समझते में असफल हूँ कि आप और आपके साथी मेरे ७ अक्टूबर के पत्र से ही नहीं, बरिक उसके साथ की सूची से भी परेशान हुए होंगे। उस सूची में ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर हमने पहले दिन बातचीत न की ही, जैसा कि आपके ६ अक्टूबर के पत्र से हष्ट है। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरी सूची की सभी बातों पर आपने विचार किया है। मैं आपको भेजो हुई सूची की प्रत्येक बात को एक-एक करके लूँगा :—

(१) कुल संख्या १४—इस पर कोई विवाद नहीं हुआ।

(२) सूचीबद्ध जातियों का प्रतिनिधित्व—यह समझा जाना चाहिए कि इसके तुलाव को ज्ञाग ने स्वीकार या पसन्द नहीं किया।

(३) कांप्रेस की निर्धारित सीटों में मुसलमान की नामज़दगी—इस पर बहस हुई थी।

(४) संरचणा इस पर बहस हुई थी जैसा कि आपके पत्र के विषय नं०४ से हष्ट है।

(५) बाही-बाही से या सिलसिलेवार वाहस-प्रेसीडेंट—इस पर भी बातचीत हुई थी और आपके पत्र में इसे विषय 'नं० ५' लिखा गया था।

(६) अखण्डसंकरण प्रतिनिधियोंकी जगहें खाली होनेकी बात—इस विषय पर बहस हुई थी।

एक सौ छप्पन ]

[कांग्रेस का इतिहास : खंड ३

जिसका हवाला आपके पत्र में 'विषय नं० ३' के रूप में आया है।

(७) विभाग—इस पर बहस हुई।

(८) दोनों मुख्य पार्टियों की स्वीकृति के बिना डबलस्था में कोई परिवर्तन न करना—इस पर भी बातचीत हुई थी और इसका हवाला आपके पत्र के अनितम पैराग्राफ में है।

(९) लम्बे समय के सवाल—इस पर भी बहस हुई थी और इसका हवाला आपके पत्र में अनितम से एक पहले पैरे में दिया गया है।

"इन सभी विषयों पर वार्तालाप हुआ था जैसा कि मैंने ऊपर स्पष्ट कर दिया है, और वह सूची तो आपको सुविधा और विवियुक्तता के लिये भेजी गयी थी।

"आपने अपने पत्र में लिखा है कि जिन विभिन्न विषयों पर हमने बहस की है उन पर आपकी स्थिति केवल कुछ को छोड़ कर अब भी वही है जैसा कि आपके ६ अक्तूबर से पत्र से स्पष्ट है।

"ये हैं वे परिवर्तन और उनके प्रति मेरी प्रतिक्रिया :—

(१) यह कि आप फार्मूला को तब स्वीकार कर लेंगे जब उसमें पैराग्राफ २ जोड़ दिया जाय—यह उस मौजिक फार्मूले से भिन्न है जिसके आधार पर मैंने आपसे बहस करना स्वीकार किया था। मैं इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकता।

(२) बशर्ते कि मुस्लिम लीग यह आपन्ति नहीं करती कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों और राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है', जैसा कि आपके ६ अक्तूबर के पत्र में स्पष्ट किया गया है और उस पत्र में हवाला दिया गया है जिसका यह उत्तर दिया जा रहा है।—यह भी स्वीकृत फार्मूले से गम्भीर रूप में चिन्हग हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह मामला सम्बद्ध अल्पसंख्यकों से सम्बन्ध रखता है।

"मैं आपके ६ अक्तूबर के पत्र में कहे गये विषय नं० २, ३ और ४ के बारे में आपके कथन को और लक्षण देता हूँ।—अर्थात् सूचीबद्ध जातियों के प्रतिनिधि और अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में भविष्य में खाली होनेवाली जगहों के बारे में तथा मुख्य सांप्रदायिक मामलों के बारे में इन विषयों में भी हमारे बीच कोई समझौता नहीं हुआ है।

"विषय नं० २—जाइस-प्रेसीडेण्ट पद के बारे में आपने जो कुछ लिखा है उसकी ओर मेरा ध्यान गया है।

"कूँकि आपने सभी सम्बद्ध विषयों पर सावधानी के साथ पूर्ण विचार करके और साथियों से सलाह करके अपनी स्थिति स्पष्ट की है, मेरी धारणा है कि यह आपका अनितम विचार है। मुझे गम्भीर लेद है कि हम अपने ऐसे किसी समझौते पर नहीं पहुँच सके जो दोनों पार्टियों के लिए सन्तोषजनक हो।

पं० जवाहरलाल नेहरू का मिठा जिन्ना को पत्र

( ता० १३-१०-४६ )

आपके १२ अक्तूबर के पत्र के लिए धन्यवाद। इस पत्र में अनेक गलतव्यानियाँ हैं। आपने जो कुछ कहा है, वह हमारे वार्तालाप-सम्बन्धी मेरी याददाश्त से या गत कई दिनों की घटनाओं से मेल नहीं खाता, फिर भी अब मुझे इस मामले में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे बाइसराय ने सुचित किया है कि मुस्लिम लीग ने अन्तरिम सरकार में अपनी ओर से पौँच सदस्य नामजद करना स्वीकार कर लिया है।

मिं० जिन्ना का लार्ड वेवेल को पत्र  
( ता० २८-१०-४६ )

मुस्लिम-जीग के प्रेसीडेण्ट मिं० एम० ए० जिन्ना और वाइसराय ( लार्ड वेवेल ) के बीच हाल की बातचीत के सिलसिले में निम्नलिखित पत्र-व्यवहार हुआ है :—

मिं० जिन्ना का पत्र वाइसराय को  
ता० ३ अक्टूबर १९४६

“प्रिय लार्ड वेवेल, हमारी २ अक्टूबर १९४६ की मुझाकात के अन्त में यह तथ दुश्चाया कि मैं आपके सामने उन प्रस्तावों को अनिम रूप में रखूँ जो हमारे वार्तालाप के परिणामस्वरूप प्रकट हुए हैं जिसमें आप उन पर विचार करके उनके उत्तर दे सकें। उसके अनुसार मैं हस पत्र के साथ वे विभिन्न प्रस्ताव भेजता हूँ जिनका मैंने सूचबद्ध किया है।

मिं० जिन्ना के सूत्र :—

१. शासन-समिति के सदस्यों की संख्या १४ हो।

२. कांग्रेस के छुः नामज्ञद सदस्यों में एक सूचीबद्ध जाति का होगा; किन्तु हसका मतभव यह नहीं कि मुस्लिम जीग ने उस सूचीबद्ध जाति के प्रतिनिधि का चुनाव स्वीकार या पसन्द कर लिया है। हसका अनिम उत्तरदायित्व गवर्नर-जनरल और वाइसराय पर होगा।

३. यह कि कांग्रेस अपने निर्धारित कोटे के शेष पाँचों सदस्यों में अपनी पसन्द का कोई मुस्लिमान न शामिल करे।

४. संरक्षण—यह कि ऐसा रिवाज हो जाना चाहिए कि मूल्य साम्राज्यिक मामलों का अगर हिन्दू या मुस्लिम सदस्यों का बहुमत विरोधी है तो फैसला नहीं किया जायगा।

वाइसराय का पत्र मिं० जिन्ना को  
ता० ४ अक्टूबर, १९४६

प्रिय मिं० जिन्ना, आपके कल के पत्र के लिए धन्यवाद। आपके ६ सूत्रों का जवाब निम्नलिखित है :—

वाइसराय के उत्तर :—

यह स्वीकार है।

मैं आपके कथन को नोट करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि उत्तरदायित्व मेरा है।

मैं हसे स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। हर पाँची को अपना प्रतिनिधि नामज्ञद करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

किसी संयुक्त सरकार में नीति-सम्बन्धी प्रमुख विषयों का निबटारा असम्भव है, जब संयुक्त सरकार की मुख्य पार्टियों में से एक, किसी भी प्रस्तावित कार्यपथ के विरुद्ध है। मेरे वर्तमान साथी और मैं हससे सहमत हैं कि प्रमुख साम्राज्यिक मामलों का निबटारा कैबिनेट के बोट-द्वारा करना चाहक होगा। अन्तरिम सरकार की निपुणता और प्रतिष्ठा हसमें है कि कैबिनेट की नीटियों के पहले ही पारस्परिक मित्रतापूर्ण वार्तालाप-द्वारा मतभेद समाप्त कर

लिए जायें। संयुक्त सरकार या तो पारस्परिक सामंजस्य के आधार पर कार्य करती है या किरणिकुल काम नहीं करती।

बारी-बारी से या क्रमशः वाइस-प्रेसीडेण्ट की नियुक्ति में क्रियात्मक कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी, मैं इसे अमलमें आने योग्य नहीं समझता। तो भी मैं एक मुस्लिमलीगी सदस्य को नाम-ज्ञाद करने की व्यवस्था करूँगा जिससे वह गवर्नर-जनरल और वाइस-प्रेसीडेण्ट की अनुपस्थिति में वाइस-प्रेसीडेण्ट का आसन ग्रहण करे।

मैं सहयोग-समिति या कोआडिनेशन कमेटी के वाइस-चेअरमैन पद के लिए भी एक मुस्लिमलीगी सदस्य नामज्ञाद करूँगा, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। मैं उस कमेटी का चेअरमैन हूँ और भूतक ज़में बराबर उसकी अध्यक्षता करता रहा हूँ, पर भविध्य में शायद सासैरूच-सरों पर ही ऐसा कर सकूँगा।

६. तीन अल्पसंख्यक-प्रतिनिधियों—सिल्वर्हिन्स्टीट्यूटी ईसाई और पारसी-के चुनाव में मुस्लिम लीग से राय नहीं ली गई, और हसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि मुस्लिमलीग को यह चुनाव स्वीकार या पसन्द है। किन्तु अविध्य में भौत, इस्लामिक या अन्य कारणों से यदि उनमें से कोई जगह खाली हुई तो इन अल्पसंख्यक जाति के प्रतिनिधियों का चुनाव दोनों मुरुख पार्टियों—मुरिकम लीग और कांग्रेस से वह जगह भरने के लिए परामर्श किया जायगा।

७. विभाग—यह 'कि अत्यन्त महत्वपूर्ण विभागों का बैंटवारा दोनों मुरुख पार्टियों—मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समान रूप से होना चाहिए।

मैं स्वीकार करता हूँ कि दोनों ही मुख्य पार्टियों से इन तीनों सीटों में किसी के भी खाली होने पर उस जगह दूसरे को नियुक्त करते समय परामर्श लिया जायगा।

वर्तमान रिथित में तो कैबिनेट ('मंत्रिमण्डल') के सभी विभाग महत्व के हैं और किसी को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझना तो अपनी-अपनी राय की बात है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को मुरुख विभाग के एक हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता और शी अगजीबनगम को अम-विभाग में रहने देना डप्यु ज़

होगा । पर इनके अलावा शेष जगहों का दृष्टव्य  
कांग्रेस और मुस्लिमलीग के बीच समानता के  
आधार पर हो जाना चाहिए । इसका विवरण  
बातचीत-द्वारा तय किया जा सकता है ।

८. यह कि ऊपर की व्यवस्था में तब तक  
कोई परिवर्तन या हेर-फेर न किया जाय जब  
तक कि दोनों मुख्य पार्टियों—मुस्लिम लीग  
और कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं कर लेर्ती ।

९. जम्बी अधिक के समझौते का सवाल  
तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक कि उसके  
लिए अच्छा और अधिक सहायक वातावरण  
नहीं बन जाता और अन्तरिम सरकारके सुधार व  
अन्तिम निर्माण के बाद इन सूत्रों के आधार पर  
एक समझौता नहीं हो जाता ।

मुझे स्वीकार है ।

चूँकि कैबिनेट (मंत्रिमण्डल) में भाग लेने  
का आधार १६ मई का वक्तव्य बताया गया है,  
मेरी धारणा है कि लीग कौसिला शीघ्र ही  
अपनी मीटिंग करके अपने बम्बई-प्रस्ताव पर  
विचार कर लेगी ।

आपका सच्चा,  
(इ०) वेवल

### वाइसराय का पत्र मि० जिन्ना के नाम ( ता० १२-१०-४६ )

प्रिय मि० जिन्ना—मैंने आज शाम को आपसे जो कुछ कहा था उस बात की तसदीक  
करता हूँ कि मुस्लिम-लीग को कैबिनेट में अपने हक्क में निर्धारित सीटों के लिए किसी को भी  
नामज़ाद करने की आज़ादी है, दूरपि किसी भी प्रत्यावित दर्याल की रवैकूर्त दस्की नियुक्ति के  
पहले मेरे और सम्भाट की सरकार के द्वारा होनी चाहिए ।

जब मुस्लिम-लीग और कांग्रेस से सभी नाम प्राप्त हो जाएँगे तो मेरा विचार विभागों के  
बारे में बातचीत करने के लिए एक मीटिंग बुलाने का है ।

आपका सच्चा,  
( हस्ताक्षर ) वेवल ।

### वाइसराय को मि० जिन्ना का पत्र ( ता० १३-१०-१६४६ )

“प्रिय खार्ड वेवल—आख इंडिया मुस्लिम-लीग की कार्यकारिणी ने सारे मामले पर  
पूर्णतः विचार कर लिया है और अब मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं आपकी अन्तरिम  
सरकार-सम्बन्धी उस योजना और निर्माण को अस्वीकार कर दूँ जिसे आपने सम्भवतः सम्भाट  
की सरकार के अधिकार-बदल पर निर्भित करने का फैसला किया है ।

“इसलिए हमारी कमेटी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि आपने जो निश्चय  
किया है वह ठीक है, और न उस व्यवस्था को प्रस्तुत करती है जो आपने की है ।

“हमारा ध्यान है कि उस फैसले का लागू करना द अगस्त के वक्तव्य के लियाफ है,  
परन्तु चूँकि आपके निश्चय के अनुसार हमें शासन-समिति के पाँच सदस्य [ नामज़ाद करने का  
अधिकार है, मेरी कमेटी अनेक कारणों से इस नतोजे पर पहुँची है कि मुसलमानों तथा अन्य  
सम्प्रधायकाओं के हितों के लिए केन्द्रीय सरकार के शासन का सारा छेत्र कांग्रेस पर छोड़ देना

धातक होगा। इसके अलावा आपको बार्थ होकर अन्तरिम सरकार में ऐसे मुसलमान लेने होंगे जिनके प्रति मुस्लिम भारत का कोई विश्वास और शदा नहीं है और जिसके परिणाम बहुत गम्भीर होंगे और अन्त में अन्य वज़नदार आधारों और कारणों से, जो स्पष्ट होने के कारण इसके करने योग्य नहीं हैं, हमने फैसला किया है कि केवल पाँचों सदस्यों को मुस्लिम-लीग की ओर से नामजद कर देंगे जैसा कि आपने अपने २४ अगस्त के रेहियो-भाषण और ४ तथा १२ अक्टूबर के पत्रों द्वारा स्पष्टीकरण और आश्वासन प्रदान किया गया है।

आपका सच्चा,  
( हस्ताक्षर ) एम० ए० जिन्ना ।'

### जिन्ना के नाम वाइसराय का पत्र

( ता० १३-१०-४६ )

“प्रिय मि० जिन्ना—आपके आज के पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि मुस्लिम-लीग ने अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने का फैसला कर लिया है। कृपया आप अपने पाँचों सदस्यों के नाम भेज दें, क्योंकि उन्हें सम्राट् की स्वीकृति के लिए भेजना है और मैं सरकार का पुनर्निर्माण यथासम्भव शीघ्र कर डालना चाहता हूँ।

“आपने कल बादा किया था कि आप वे नाम आज मुझे भेज देंगे।

आपका सच्चा,  
( हस्ताक्षर ) वेवल ।”

### मि० जिन्ना का पत्र वाइसराय के नाम

( ता० १४-१०-४६ )

“प्रिय जार्ड वेवल,—आपके १३ अक्टूबर के पत्र के लिये धन्यवाद।

“अब मैं आपको मुस्लिम लीग की ओर से पाँच व्यक्तियों के नाम भेजता हूँ जैसा कि हमारी कल की मुलाकात में तय पाया था।

( १ ) मि० लियाकत अली खाँ, आनंदरी सेकेटरी, आल इण्डिया मुस्लिम लीग, एम० एल० ए० ( केन्द्रीय )

( २ ) मि० आई० आई० जुन्नदीगर, एम० एल० ए० ( बम्बई ) बम्बई व्यवस्थापिका सभा की मुस्लिम-लीग पार्टी के लीडर और बम्बई प्रान्तीय मुस्लिम-लीग के प्रेसीडेंट।

( ३ ) मि० अबुरुब निशत एडवोकेट ( सीमाप्रान्त ), मेम्बर वर्किंग कमेटी आल इण्डिया मुस्लिम-लीग कमेटी आफ ऐक्शन एयड कॉसिल।

( ४ ) मि० गज़नकर अली खाँ, एम० एल० ए० ( पंजाब ), मेम्बर आल इण्डिया मुस्लिम-लीग कॉसिल, प्रान्तीय मुस्लिम-लीग और मेम्बर पंजाब मुस्लिम-लीग वर्किंग कमेटी।

( ५ ) मि० जोगेन्द्रनाथ मंडल, एडवोकेट ( बंगाल ) वर्तमान मिनिस्टर बंगाल सरकार।

आपका सच्चा,  
( हस्ताक्षर ) एम० ए० जिन्ना ।

### वाइसराय का पत्र मि० जिन्ना के नाम

( ता० २७-१०-४६ )

“प्रिय मि० जिन्ना, अन्तरिम सरकार में मैं मुस्लिम लीग को लीचे लिखे विभाग सौंप सकता हूँ—अर्थ, व्यापार, डाफ और हवाई, स्वाध्य और व्यवस्थापक।

“यदि आप यह बता सकेंगे कि कैविनेट में हन विभागों का विभाजन मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों में किस प्रकार किया जाय तो मैं कृतज्ञ होऊँगा।

मैं आज ही रात को एक घोषणा कर देना चाहता हूँ और नये मेस्टरों की शपथ ले लेना चाहता हूँ जिनका मैं कल स्वागत करूँगा।

आपका सच्चा।

( ६० ) वेवल ।"

मिं जिना का वाइसराय को पत्र

( २७-१०-४६ )

“प्रिय लार्ड वेवल, मुझे आपका २५ अक्टूबर सन् १९४६ का पत्र साड़े पाँच बजे शाम को मिला। जिसमें आपने लिखा था कि विभागों का फँसला वरके मैं आपके नाम भेज दूँगा।

मुझे अफ्रसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह विभाजन न्यायपूर्ण नहीं है; पर हमने सभी सूरतों पर विचार कर लिया है और आपने अपना अनितम पंसद्वा कर लिया है इसलिये मैं इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

‘मैं आपको मुस्लिम लीगी सदस्यों के नाम इस विवरण सहित भेजता हूँ कि किन-किन को कौन-कौन विभाग सौंपे जायें।

अर्थ—मिं लियाकत अलीखाँ।

व्यापरा—मिं आई० आई० जुन्डीगर।

डाक और इवाई—मिं ए० आर० निश्तर।

स्वास्थ्य—मिं गजनकर अलीखाँ, और

व्यवस्थापक—मिं जोगेन्द्र नाथ मण्डल।

आपका सच्चा।

( ६० ) एम० ए० जिना ।”

अन्तरिम सरकार की वैधानिक स्थिति पर ता० ५-११-४६

लार्ड पंथिक-लारेंस का वक्तव्य

भारत-मन्त्री लार्ड पंथिक लारेंस ने आज लार्ड-सभा में यह बात कही कि वाइसराय और हिन्दुस्तानी नेताओं के बीच ऐसी कोई लिखा-पड़ी नहीं हुई है जिससे विधिश सरकार की अन्तरिम-सरकार की वैधानिक स्थिति के बारे में पहले प्रकट किये गये दूरदृश में कोई क्रक्क पड़ता हो।

इस प्रकार की बात हन्दोंने इसलिए कही कि उनमें भारत में अन्तरिम-सरकार स्थापित करने के सिलसिले में किये गये पत्र-व्यवहार को खेत-पन्थ के रूप में प्रकाशित करने की मांग की गई थी।

भारत-मन्त्री ने यह भी कहा कि वाइसराय भी इस बात से सहमत हैं।

इस बात को लार्ड-सभा के सदस्य मारकिस सेल्सबरी ने उठाया था जिन्होंने यह भी पूछा कि गत जुलाई के बाद अ० हिन्दुस्तान की बटानाओं के बारे में कागजात कब पेश किये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इन कागजातों में नीचे लिखी बातें होनी चाहियें।—(१) वे पत्र-व्यवहार जिनके फल-स्वरूप अन्तरिम-सरकार की रचना हुई—खासकर। यह बात कि दूं० जबाहरबाल नेहरू ने अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए क्या-क्या आश्वासन दिये हैं, और (२) भारत

में जो हाल में दंगे हुए हैं उनका स्वरूप और विस्तार तथा (३) ऐसे दंगों में हस्तदेप करने के के लिये विटिश सेनाओं का उपयोग कहाँ तक हुआ है और यह कि क्या ऐसा सीधे वाहसराय के ही अधिकार से किया गया है।

लार्ड पैथिक लारेस ने जवाब दिया:—

“जिस वार्तालाप के फल-स्वरूप भारत में वर्तमान अन्तरिम-सरकार को स्थापना हुई है उसमें बहुत-सी मुलाकातें वाहसराय और दो प्रमुख पार्टीयों के नेताओं के बीच हुई हैं। पार्टीयों के नेताओं में परस्पर भी पत्र-व्यवहार और बातचीत हुई है। यह सभी सन्देश एक प्रकार से गुप्त रखे गये हैं। और सुलाक्षणों के स्वीकृत रिकार्डों का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल पत्र-व्यवहार इन सन्देशों के आदान-प्रदान का पूर्ण चित्र नहीं प्रदर्शित कर सकते। यह सच है कि ऐसे पत्र-व्यवहार का एक अंश पार्टी के नेताओं के कहने पर प्रकाशित किये गये हैं, पर इन कागजात का प्रकाशन श्वेत-पत्र के रूप में करना एक बड़ा ही अपूर्ण संग्रह होगा और पार्टीमेंट को इसका पूर्ण चित्र नहीं प्राप्त होगा जिससे कि वह किसी विचार-पूर्ण फ्रैंसले पर पहुँच सके।

लार्ड पैथिक-लारेस ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा—तो भी मैं आप श्रीमानों को सूचित कर सकता हूँ कि वाहसराय और पार्टी के नेताओं में जो पत्र-व्यवहार हुए हैं उनके कारण विटिश सरकार की अन्तरिम-सरकार-सम्बन्धी वैधानिक-स्थिति के हरादे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

इन परिस्थितियों में विटिश-सरकार अन्तरिम-सरकार के स्थापना सम्बन्धी पत्र व्यवहार और सन्देश का विवरण श्वेत-पत्र के रूप में प्रकाशित नहीं करना चाहती। वाहसराय इस से सहमत है। महाशय मारकिप ने जो अन्य बातें पूछी हैं उनको श्वेत-पत्र में सम्मिलित करने का विचार सम्भाल की सरकार को उचित नहीं प्रतीत होता। किन्तु जहाँ तक क्रियात्मक रूप में संभव है सार्वजनिक हित के नाते मैं इस बात की कोशिश करूँगा कि श्रीमानगण इस बारे में जो भी प्रश्न करें मैं उनका जवाब दूँ।

मारकिप सेलसवरी ने कहा कि सभा को इस उत्तर से सन्तोष हुआ प्रतीत होता है। बन्होने भारत-मन्त्री को इस समय अधिक दबाना नहीं चाहा, पर यह अवश्य कहा कि निससन्देश भविष्य में जब ऐसे प्रश्न किये जायेंगे तो भारत मन्त्री ऐसे सवालों का जवाब आज की अपेक्षा अधिक पूर्णता के साथ दे सकेंगे।

#### अन्तरिम-सरकार की स्थिति

लार्ड-सभा में ५ नवम्बर सन् १९४६ हूँ० को भारत-मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया और अंतरिम-सरकार की वैधानिक स्थिति बतलाई, उसके बाद ही भारतीय शासन-सुधार के कमिशनर मिं० एच० वी० हाडसन ने भारतीय वैधानिक कार्य पर लान्दन की हैस्ट हियड्या ऐसोशियेशन में २५ नवम्बर सन् ४६ को निम्नलिखित पत्रक पढ़ा—

“भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने का वचन कानूनी और वैधानिक दोनों ही रीति से दे दिया गया था और यह एक बहुत बड़ी सफलता थी।

“भारत में कानूनी-शासन की बाधाओं के परिणाम इतने विपद्धजनक हो सकते थे, इसपर जब विचार किया जाता है तो इस बात के लिए धन्यवाद देना पड़ता है कि सदस्य शक्ति द्वारा वित्त करने का सिद्धान्त बागृ किया गया और सुख्य राजनीतिक दलों ने कम-से-कम वर्तमान समय के लिये सरकार से अपना असहयोग दूर कर दिया, और सो भी यहाँ तक कि कैविनेट मिशन ने

इस प्रकार का परिणाम प्राप्त करने में सहायक होने की सफलता प्रदर्शित की । यह कहना कि १६४२ के क्रिप्स-मिशन की तरह कैबिनेट-मिशन भी असफल हुआ, भारी भूल है ।

आगे चलकर मिं० हाडसन ने अन्तरिम सरकार की वैधानिक पोजीशन पर यह राय जाहिर की कि यदि विधान-परिषद् भेंग न हुई तो भी अपना कार्य पूरा करने में काफ़ी समय लेगी ।

असेम्बली के सामने जो यांत्रिक कार्य उपस्थित हैं उसको देखते हुए राजनीतिक और साम्प्रदायिक कठिनाहयों और अड़चनों को बहुत महस्त नहीं देना चाहिए, फिर भी मिं० हाडसन के ख्याल में इस कार्य में दो वर्ष तो लग ही जायेंगे । यह युरोप के सन्धि-स्थापन के उस कार्य से महस्त और विशालता की दृष्टि से किसी भी प्रकार कम नहीं है ।

वर्तमान अन्तरिम सरकार के बारे में मिं० हाडसन ने कहा कि ऐसी अन्तर्कालीन सरकार के लिये १६३२ की उस संघीय योजना की अपेक्षा ( जिसको कि अमल में ही नहीं लाया गया ) १६४२ का विधान बहुत कुछ सुविधा-जनक है । मुख्य सुविधा तो यह है कि इसमें द्वैष शासन नहीं है और न विटिश भारत में वाइसराय के लिये अधिकार का पृथक् चेत्र सुरक्षित किया गया है ।

आपने यह भी कहा कि गवर्नर-जनरल की शासन-समिति केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की शक्तियों पर विस्तृत रूप से छा जाती रही है । वे जिस तरह रेजिस्ट्रे और पुरातत्व विभाग के बारे में लागू हुये थे उसी प्रकार देश-रक्ता और वैदेशिक मामलों में भी ।

संयुक्त अंतरिम सरकार के मुख्य मुस्लिम प्रतिनिधि मिं० लियाकत अली खाँ ने कहा है कि केबिनेट में संयुक्त जिम्मेवारी की बात लागू न होगी । राजनीतिक अर्थ में यह बात सच्ची है किन्तु सामान्यतः विचार करने पर मिं० लियाकत अली खाँ की बात गलत मालूम होती है । ऐक्ट का अभिप्राय यह है कि गवर्नर-जनरल की शासन समिति जो क्रैसला करे वह बहुमत-द्वारा स्वीकृत होने पर भारत-सरकार का ही क्रैसला कहा जायगा । गवर्नर जनरल के प्रतिषेध-अधिकार के बारे में श्री हाडसन ने कहा कि यह तो कानूनी होने की अपेक्षा राजनीतिक और कूटनीतिक अधिक है । गवर्नर-जनरल इस बात के लिए बाध्य है कि वे अपनी सूफ़कूर के अनुसार अपने विशेष उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत कार्यों की पूर्ति के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करें; किन्तु उनके विवेक का प्रतिशब्द कानूनी दृष्टि से नहीं किया जा सकता और उसका जो कुछ भी निश्चय होगा उस पर हमीरियज पार्लीमेंट और अंतरिम सरकार के अधिकारों का प्रभाव तथ्यानुसार पड़ेगा जहाँ तक विधान-परिषद् और गवर्नर जनरल के साथ उसके सम्बन्ध का सवाल है, श्री हाडसन ने कहा कि यह सच है कि विधान-परिषद् का स्वरूप, कार्य और भाग्य हिन्दुस्तानियों के हाथ में होगा गवर्नर जनरल का उसमें कोई भी उपयोग नहीं होगा किन्तु कियारक्त रूप में इसमें सन्देह नहीं कि उनका परामर्श और सहायता सदैव अपेक्षित होगी क्योंकि विधान परिषद् को असंख्य बाधाओं को दूर कर सफलता प्राप्त करनी है ।

श्री हाडसन ने कहा कि अवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों के प्रदान कर देने की बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । पर संकटशुर्य तथ्य यह है कि आयुनिक सरकारें सभी विषयों को केन्द्राधीन भी देने के लिए बराबर सचेष्ट रहती है । भारत अपनी साम्प्रदायिक कठिनाहयों के कारण इस प्रकृति के विरुद्ध चलता चाहता है ऐसी दशा में संघीय अधिकारों को जिस संक्षिप्त रूप में तैयार किया गया है और विस्तार को छोड़ दिया गया है, वह बहुत उत्तम हुआ ।

देशी राज्यों के सम्बन्ध में श्री हाडसन ने इस बात पर जोर देते हुए कि भारत को

एक सौ चौंसठ ]

कांग्रेस का इतिहास : खंड ३

आज्ञादी देने की स्पष्ट प्रतिज्ञा का अर्थ ही यह है कि ये देशी राज्य ब्रिटिश भारत के अंग बनकर रहें ।

श्री हाडसन की राय में देशी राज्यों के साथ की गई सन्धियाँ कोई अन्तरराष्ट्रीय कानून नहीं हैं, बल्कि यह तो एक घरेलू इन्तजाम है जो राजमुकुट के अन्तर्गत इस स्थाल से किया गया था कि भारत में ब्रिटिश भीति बदलते ही इस पर भी असर पड़ेगा । यह अब उसी आधार पर है जिन पर अल्पसंख्यकों को दी गई ब्रिटिश प्रतिज्ञाएँ निर्भर करती हैं इन दोनों को ही अच्छा अवसर और आत्मरक्षा का सौका मिलना चाहिये ।

उन्होंने यह भी विचार प्रकट किया कि देशी राज्यों को तत्काल प्रजातंत्रीय बना देने से बहुत बड़ा साम्प्रदायिक संघर्ष खड़ा हो जायगा और इस तरह भारत के सामने उपस्थित महान् समस्याओं में एक की वृद्धि और हो जायगी ।

अल्पसंख्यकों के बारे में मिं. हाडसन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार की पार्टी-गवर्नर्मेंटवाली प्रणाली हिन्दुस्तान के लिए अनुकूल नहीं थी सकती । इसके लिए तो स्वीज़रलैण्ड की कमेटी-गवर्नर्मेंट की पद्धति ठीक है जिसमें शासन-समिति के सदस्यों का चुनाव व्यवस्थापक सदस्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है । भारत की विचित्र कठिनाइयों को देखते हुये इस प्रणाली का ज्ञागू किया जाना ठीक ही है, किन्तु इसको पृथक् निर्वाचित पद्धति से मिला देना चाहिये ।











